

Ref. No.: LIC/SE/2026-27/62

Date: July 03, 2026

To

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai – 400001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400051

Scrip Code: BSE – 543526

Scrip Code: NSE - LICI

Dear Sir/Madam,

Subject: Annual Report for the Financial Year 2025-26 and E-mail Communication to members

It is requested to take on record the following disclosures with respect to the 5th Annual General Meeting (“AGM”) of the Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”) scheduled to be held on July 27, 2026:

1. Pursuant to the Regulations 34 and 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), this is to inform that a copy of the Annual Report for the Financial Year 2025-26 including the Notice convening the 5th AGM is enclosed herewith and the same is being sent to the members whose e-mail are registered with the Corporation/RTA/Depository Participant(s), as on cut-off date, i.e., June 25, 2026. The Annual Report including Notice along with other documents are also uploaded on the website of the Corporation at <https://licindia.in/2025-26-annual>
2. A letter to the members whose e-mail addresses are not registered with the Corporation/RTA/Depository Participant(s), as on cut-off date, is also being sent, providing them the weblink(s) for accessing the Notice of the AGM and Annual Report of the Corporation, in terms of Regulation 36 (1)(b) of the Listing Regulations. A copy of the letter is enclosed herewith.
3. Pursuant to Regulation 44 of the Listing Regulations, the Corporation is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on the business(es) specified in the Notice convening the 5th AGM of the Corporation (“Remote e-voting”).

Further, the Corporation is also offering the facility to the members to cast their vote electronically during the AGM. Accordingly, the Corporation has fixed the cut-off date, Tuesday, July 21, 2026, to determine the eligibility of the members to cast their vote by remote e-voting before as well as during the AGM and the voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date.

The calendar of events is as under:

S. No.	Particulars	Event Dates
1	Cut-off Date for identifying the eligibility of Members holding shares in physical or demat form, for remote e-voting/voting at the AGM	Tuesday, July 21, 2026
2	Remote e-voting period will commence on	Thursday, July 23, 2026 at 0900 hrs
3	Remote e-voting period will end on	Sunday, July 26, 2026 at 1700 hrs
4	Annual General Meeting	Monday, July 27, 2026 at 1100 hrs

Please take the above information on record and arrange for dissemination. A copy of this intimation is also being made available on the website of the Corporation at www.licindia.in.

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

ANSHUL
KUMAR SINGH

Digitally signed by
ANSHUL KUMAR SINGH
Date: 2026.07.03
19:36:33 +05'30'

(Anshul Kumar Singh)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a



भारतीय जीवन बीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com; वेबसाइट: www.licindia.in

5वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों की पांचवीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे (भा.मा.स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:

1. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के अनुसरण में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड ("निदेशक मंडल") रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।
2. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी और 25बी के अनुसरण में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार करना।
3. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसरण में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और स्वीकार।
4. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28बी के अनुसरण में बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹ 10/- का अंतिम लाभांश घोषित करना।
5. निगम के क्षेत्रीय और मंडल लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए:

"संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के अनुसार, बोर्ड द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और अन्य समय-समय पर लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन (ओं), उपांतरण(ओं), या पुनः अधिनियमन (ओं) सहित, के अनुसरण में, निगम के सदस्य एतद्वारा निम्नलिखित लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को निगम के निदेशक मंडल (उसकी लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पारिश्रमिक पर पांच (5) वर्षों के कार्यकाल के लिए निगम के क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में अनुमोदन प्रदान करते हैं, यानि निगम की 5 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से और निगम की 10 वीं एजीएम के समापन तक के लिए:

क्र. सं.	क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों के नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)
1.	मैसेर्स आनंद एंड पोनप्पन	000111एस
2.	मैसेर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी	008773सी
3.	मैसेर्स एस श्रीवास्तव एंड कंपनी	004570सी

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के अनुसरण में, बोर्ड द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और अन्य समय-समय पर लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन (ओं), उपांतरण (ओं), या पुनः अधिनियमन (ओं) सहित, के अनुसरण में, निगम के सदस्य एतद्वारा निम्नलिखित लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को निगम के निदेशक मंडल (उसकी लेखापरीक्षा समिति सहित) द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित पारिश्रमिक पर पांच (5) वर्षों के कार्यकाल के लिए निगम के मंडल लेखापरीक्षकों के रूप में अनुमोदन प्रदान करते हैं, यानि निगम की 5 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन से और निगम की 10 वीं एजीएम के समापन तक लिए:

क्र.सं.	मंडल लेखापरीक्षकों के नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)
1.	मैसेर्स एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी	000990एन
2.	मैसेर्स जैन पारस बिलाला एंड कंपनी	011046सी
3.	मैसेर्स गोपाल शर्मा एंड कंपनी	002803सी
4.	मैसेर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स	313043ई
5.	मैसेर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स	001997एस
6.	मैसेर्स पी.एस.एम.जी. एंड एसोसिएट्स	008567सी

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) और/या निगम के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को समय-समय पर लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और/या पारिश्रमिक के नियमों और शर्तों को संशोधित/परिवर्तन/उपांतरण करने और उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के संबंध में या उससे संबन्धित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए अधिकृत किया जाए।”

विशेष व्यवसाय:

6. निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री संजय लोहिया (डीआईएन: 07151125) की नियुक्ति पर

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(डी) के अनुसार, श्री संजय लोहिया को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 मई, 2026 के तहत, निगम के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, नामित किया गया है, तदनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।”

7. एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट) के साथ निगम के भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन की स्वीकृति पर:

विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्तावों को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (“सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन (ओं), उपांतरण (ओं) या पुनः अधिनियमन (ओं) समेत जो समय-समय पर लागू हो, भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम”) के “संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति”, और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिन्हें इसके बाद ‘बोर्ड’ के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति को शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) जिससे निगम को संशोधित सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, निगम के संबंधित पक्ष, एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ में अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन में प्रवेश करने के लिए/या पूर्ण करने के लिए और/या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा): तय नियमों और शर्तों के आधार पर; प्रत्यक्ष तरल निधि योजनाओं की यूनिटों की खरीद या मोचन और/या उससे जुड़े किसी भी अन्य लेनदेन के लिए कुल 40,000 करोड़ तक, अनुमोदन प्रदान करते हैं, यह लेन-देन निगम की 5वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से लेकर 6वीं -सामान्य बैठक की तारीख तक (दोनों दिन शामिल) जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी; बशर्ते कि संविदाएं /व्यवस्था/लेने देन निष्पक्ष आधार पर और निगम के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान किए जाएं।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को ऐसे सभी काम, गतिविधियाँ और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो ज़रूरी और उचित हों। इसमें इससे जुड़ी शर्तें, तरीके और प्रक्रियाएँ तय करना; ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे संविदाएं (ओं), योजनाएँ(ओं), अनुबंध (ओं) आदि) को निष्पादित करने और इस प्रस्ताव को लागू करने तथा इससे जुड़े किसी भी सवाल के समाधान करना शामिल है जैसा की बोर्ड अपने पूर्ण

विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे। इसके लिए सदस्यों की किसी और सहमति या मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी; बल्कि यह माना जाएगा कि सदस्यों ने इस प्रस्ताव के ज़रिए इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया जाता है कि वे लागू कानूनों के अनुसार, ऊपर बताए गए प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी या उचित समझे जाने वाले सभी कार्यों को करने और कदम उठाने के लिए, अपने सभी या किसी भी अधिकार को लेखा परीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या निगम के अधिकारी/अधिकारियों को सौंप सकें।

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति ने ऊपर बताए गए प्रस्तावों से जुड़े किसी भी मामले में जो भी कदम उठाएँ जाएँगे, उन्हें हर तरह से मंजूरी दी जाती है और उनकी पुष्टि की जाती है।”

बोर्ड के आदेश से

कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षरित

अंशुल कुमार सिंह

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 24 जून, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’,

जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

टिप्पणियाँ:

1. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक:

क. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (“एमसीए”) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितंबर, 2025 के साथ पठित एमसीए द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य लागू परिपत्र (सामूहिक रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी”) ने सूचीबद्ध संस्थाओं को उसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (“वीसी”)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (“ओएवएम”) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है।

एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त परिपत्रों, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956” या “एलआईसी अधिनियम”) के लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) और इसके तहत बनाए गए नियम, एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”/“सेबी” (एलओडीआर) विनियम, के अनुपालन में वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से निगम की पाँचवी एजीएम आयोजित की जा रही है, जिससे एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालय को पाँचवी एजीएम के लिए वह सामान्य स्थल माना जाएगा।

ख. जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (“एलआईसी नियम”) के नियम 28 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्यों को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि, यह एजीएम,

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम स्थल का मार्ग मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं है।

- ग. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। सदस्य, नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस सूचना के टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना को एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('आईसीएसआई') द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।
- घ. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओ-पहले पाओ के आधार ('एफसीएफएस') कम से कम 1,000 सदस्यों के लिए पर उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश करने में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- ड. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उक्त समाधान/ प्राधिकरण पत्र पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से संवीक्षक को sanco@sanco.net ईमेल पते पर भेजा जाएगा जिसकी एक प्रति [evoting@nsdl.com](http://evoting.nsdl.com) को अंकित की जाएगी।
- च. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नाम के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में वोट (मत) डालने का हकदार होगा।
- छ. वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते 25 जून, 2026 (गुरुवार) (कट-ऑफ तिथि) को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। पाँचवी एजीएम बुलाने की सूचना निगम की वेबसाइट पर www.licindia.in प्रसारित कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। यह सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

निगम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति केवल उन सदस्यों को भेजेगा जो विशेष रूप से अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख पंजीकृत ईमेल पते से investors@licindia.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे।

इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, निगम उन सदस्यों को भी एक पत्र भेज रहा है जिनका ई-मेल पता निगम/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, जिसमें निगम की वेबसाइट का सटीक वेब-लिंक प्रदान होगा जहां पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध होगी।

2. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 28 के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण, जो जो इस सूचना के मद संख्या 4 से 7 के तहत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
3. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) और एलआईसी नियमों के नियम 28 के साथ पठित आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार पाँचवी एजीएम में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में के आवश्यक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक - ए के रूप में संलग्न हैं जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम ने नियुक्ति के लिए निदेशक से संगत प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त कर ली है।
4. अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:

- क. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 21 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- के अंकित मूल्य

के प्रति इकिटी शेयर पर ₹ 10/- रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के परियोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि **गुरुवार, जून 25, 2026** थी।

ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश, पाँचवी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, सदस्यों को **मंगलवार, 25 अगस्त, 2026** को या उससे पहले, भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभकारी मालिकों को जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।

ग. सेबी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के साथ पठित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 12 के संशोधित प्रावधान के अनुसार, सदस्यों को देय लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं। ऐसा भुगतान फोलियो के केवाईसी अनुपालन पर किया जाएगा। ऐसे फोलियो को सभी विवरणों के पंजीकरण पर केवाईसी के अनुरूप माना जाएगा; जिनके पिन कोड के साथ पूरा पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, आधार से जुड़ा वैध पैन, नामांकन, नमूना हस्ताक्षर आदि सहित संपर्क विवरण पंजीकृत हो। सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर संबंधित एफएक्यू प्रकाशित किए गए हैं और इन्हें https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf पर देखा जा सकता है।

5. अंतिम लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती (“टीडीएस”) :

आयकर अधिनियम, 2025 (“आईटी अधिनियम”) यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसरण में, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और निगम को आईटी अधिनियम के साथ पठित कर संधि के अनुसार निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (“टीडीएस”) की कटौती करना आवश्यक है।

सोमवार, 15 जून, 2026 को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डीपी के साथ पंजीकृत था और अनुरोध कर की कर छूट या कम कर दरों का दावा करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान कर और साथ ही 16 जून, 2026 को निम्नलिखित प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक घोषणा भी की गई; टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स और नवभारत टाइम्स।

6. सदस्यों को अपने विवरण में परिवर्तन के बारे में सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते का विवरण, अर्थात्; बैंक की शाखा का नाम और पता, शाखा का एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार और खाता संख्या, निगम के आरटीए यानी, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम) सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032 में विधिवत भरे गए फॉर्म आईएसआर -1 और संबंधित प्रमाणों के साथ, प्रस्तुत करें।

जो सदस्य डिमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और बैंक खाते का विवरण प्रदान करना/बदलना/सही करना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (भागीदारों) को भेजना चाहिए न कि निगम को। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने बैंक का एमआईसीआर कोड अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें। निगम ऐसे सदस्यों से पते में परिवर्तन, नामों के स्थानांतरण, मृतक संयुक्त धारक के नाम को हटाने और बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन के लिए किसी भी सीधे अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। लाभांश का भुगतान करते समय, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट ऐसे डिमैटरीज्ड शेयरों के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं।

जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5ए के प्रावधानों के अनुसार, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डिमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरते और किसी भी सदस्य के पते में किसी भी बदलाव या निधन के बारे में निगम या आरटीए को सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डिमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से शेयरधारिता का आवधिक विवरण प्राप्त किया जा सकता है, और समय-समय पर शेयरधारिता को सत्यापित किया जाना चाहिए।

7. शेयरों का अभौतिकीकरण:

क. सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीकरण विनियम के अनुसरण में भौतिक रूप में धारित सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों के अंतरण, पारेषण और अंतरण को केवल डिमैट मोड अधिदेश करते हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने परिपत्र सं एचओ/38/13/

(4) 2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/1/4298/2026 दिनांकित 06 फ़रवरी, 2026 के साथ पठित समय-समय पर जारी सेबी के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को केवल सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिदेश है; डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना; अस्वामिक सस्पेन्स खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण/विनिमय; अनुमोदन; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन।

तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और अभौतिकरण के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डीमैटरियलाइज करें, सदस्य सहायता के लिए पूर्वोक्त परिपत्र में निर्धारित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

- ख. दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मुद्दे को हल करने के लिए, सेबी ने 19 मार्च, 2025 को एक परिपत्र सेबी/एचओ/ओआईईई/ओआईईई_आईडी 3/पी/सीआईआर/2025/32 जारी किया है, जिसका शीर्षक है “भारतीय प्रतिभूति बाजार में लावारिस परिसंपत्तियों को कम करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में डिजीलॉकर का उपयोग”। यह पहल निवेशकों को डिजीलॉकर के माध्यम से अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की जानकारी संग्रहीत करने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जो एक प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को लाभ होता है।

शेयरधारक डिजीलॉकर एप्लिकेशन के भीतर डेटा एक्सेस नॉमिनी भी नियुक्त कर सकते हैं। शेयरधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्तियों को डिजीलॉकर खाते तक केवल-पढ़ने के लिए पहुंच प्रदान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवश्यक वित्तीय जानकारी कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए सुलभ है।

विवरण के लिए, आप [सेबी - डिजीलॉकर सर्कुलर](#) में उपर्युक्त परिपत्र देख सकते हैं।

8. विवाद के समाधान के लिए :

सेबी ने मास्टर परिपत्र सं सेबी/एचओ/ओआईईई/ओआईईई_आईडी-1/पी/सीआईआर/2023/145 दिनांक 31 जुलाई, 2023 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (“ODR Portal”) की स्थापना की है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्य ध्यान दें, कि निगम और/या उसके आरटीए के खिलाफ किसी भी भारतीय प्रतिभूति बाजार से उत्पन्न विवादों के मामले में ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान दायर कर सकते हैं और इसे निगम की वेबसाइट <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution> के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। सदस्य इस तंत्र का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वे निगम और स्कॉर्स के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा दें और निवारण के परिणाम से संतुष्ट न हों।

9. अस्वामिक लाभांश और आईईपीएफ:

जो सदस्य ऐसे लाभांश का दावा करना चाहते हैं, जिनका दावा नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे नियत तारीखों से पहले पुनर्विधीकरण और नकदीकरण के लिए से investors@licindia.com या आरटीए से einward.ris@kfintech.com पर पत्रचार करें। ऐसे दावा न किए गए लाभांशों का विवरण निगम की वेबसाइट पर www.licindia.in पर उपलब्ध है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के अंतर्गत अस्वामिक लाभांश खाते में अंतरित होने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अस्वामिक अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (“आईईपीएफ”) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, सभी शेयर, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अस्वामिक/अदावाकृत रहते हैं, तो उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है।

10. एजीएम के दौरान सांविधिक रजिस्ट्रारों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित के प्रावधानों के संदर्भ में सूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह investors@licindia.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

11. जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी को डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग में भाग लेने और अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

- क. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे से), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को einward.ris@kfintech.com या investors@licindia.com पर प्रदान करें।
- ख. यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे डीपीआईडी-सीएलआईडी (16-अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16-अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) einward.ris@kfintech.com को प्रदान करें। डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नीचे बताई गई **अनुलग्नक-बी** में लॉगिन विधि का उल्लेख करें- दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश और डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देश को संदर्भ लें।
- ग. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग में भाग लेने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com को अनुरोध भेज सकते हैं।
12. श्रीमती अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या: एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर श्री एस.एन. विश्वनाथन (सदस्यता संख्या: एफसीएस 13685) मैसेर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीस, को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम में मतदान की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं, एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट www.licindia.in पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
13. **दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:**
- क. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करने की प्रसन्नता हो रही है; एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'दूरस्थ ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग सिस्टम के साथ सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- ख. मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल "सूचना के उद्देश्य" से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी या आरटीए द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होंगे। भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी सदस्य या गैर-व्यक्तिगत सदस्य जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करता है और सूचना के भेजने के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- ग. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य, जो निगम के शेयर अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि, यानी मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को शेयर धारण करते हैं, वे सूचना में दिए गए अनुलग्नक-बी नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- घ. दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 को 09:00 बजे (भा.मा.स) से शुरू होगी और रविवार, 26 जुलाई, 2026 को 17:00 बजे (भा.मा.स) पर समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव मतदान पर करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी **मंगलवार 21 जुलाई, 2026** को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

- ड. एजीएम में वीसी/ओएवीएम कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे संकल्प (ओं) पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, प्रस्तावों को बैठक की तारीख, यानी सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को पारित माना जाएगा।
- च. एजीएम के दिन दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।
- छ. जिन सदस्यों ने पहले ही दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे भी एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे।
- ज. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए किया गया है, जिसका उल्लेख बिन्दु संख्या 14 (ड) में पृष्ठ संख्या 8 में किया गया है।

14. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

- क. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए **अनुलग्नक-बी** के तहत नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने सामान्य बैठक में शामिल हों (Join General Meeting) मेनू के तहत रखा गया “वीसी/ओएवीएम लिंक का लिंक” देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि “सामान्य बैठक में शामिल हों” मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कॉर्पोरेशन का EVEN (140008) प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- ख. सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, एमएस एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि लैपटॉप, मोबाइल उपकरणों या टैबलेट के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए उन्हें स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- ग. सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पाँचवी एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्न मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को 09:00 बजे (भा.म.स) से गुरुवार 23 जुलाई, 2026 को 17:00 बजे (भा.म.स) तक investors@licindia.com बजे भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।
- घ. जो सदस्य बैठक में एक वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बुधवार, 22 जुलाई, 2026 से 09:00 बजे (भा.मा.स) से शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को शाम 17:00 बजे (भा.मा.स) के बीच अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए investors@licindia.com पर एक अनुरोध भेजकर खुद को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ड. जिन सदस्यों को बैठक से पहले या उसके दौरान बैठक में भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वह श्री संजीव यादव, उप प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.com/022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

15. शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- क. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर

दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” या “भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?” विकल्प से पासवर्ड रीसेट करना होगा।

- ख. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों/सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें या एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षरित
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 24 जून, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’,

जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956”) की धारा 28बी के अनुसार, निदेशक मंडल ने 21 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 10/- के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 12649.99 करोड़ का नकद बहिर्वाह शामिल होगा, जो 22.03% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 4 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है

मद संख्या 5

यह व्याख्यात्मक विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम” या “सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 36 (5) के संदर्भ में है, हालांकि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956”) की धारा 23ए के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियमों, 1956 के नियम 28 (“एलआईसी नियम”) के संदर्भ में आवश्यक नहीं है।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित एलआईसी नियमों के नियम 22, बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर अनुमोदित नीति, सेबी सूचीबद्धता विनियम, और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, निगम के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, भले ही कॉर्पोरेशन लेखापरीक्षकों, क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों हों, उनको एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

निगम के तीन क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों अर्थात् मैसर्स बी सी जैन एंड कंपनी, कानपुर (फर्म पंजीकरण संख्या: 001099 सी), मैसर्स रमा के गुप्ता एंड कंपनी, भोपाल (फर्म पंजीकरण संख्या: 005005सी) और मैसर्स आर सुब्रमण्यन एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नई (फर्म पंजीकरण संख्या: 004137एस/एस-200041), 27 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली निगम की पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक में अपना कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

पूर्वगामी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इस एजीएम में निगम के क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों का कार्यकाल पूरा होने पर, निगम के निदेशक मंडल ने उद्योग के अनुभव, सूचीबद्ध कंपनियों के अनुभव, लेखापरीक्षा टीम की योग्यता, लेखापरीक्षा के संचालन में दक्षता, स्वतंत्रता, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (“सीएजी”) रैंकिंग, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर मूल्यांकन और विचार करने के बाद, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निम्नलिखित को निगम के क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए जोकी पाँचवी एजीएम के समापन से कैलेंडर वर्ष 2031 में आयोजित होने वाली निगम की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक, नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखते हैं:

क्र.सं	लेखापरीक्षक का नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)	संक्षिप्त पार्श्वचित्र
1	मैसर्स आनंद एंड पोन्प्पन	000111एस	फर्म की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, जिसकी पूरे भारत में 7 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 15 पूर्णकालिक भागीदार और 10 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
2	मैसर्स संजीव ओमप्रकाश गर्ग एंड कंपनी	008773सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 33 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 34 पूर्णकालिक भागीदार और 24 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
3	मैसर्स एस श्रीवास्तव एंड कंपनी	004570सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 7 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 10 पूर्णकालिक भागीदार और 2 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।

समेकित पारिश्रमिक जो प्रति वर्ष क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों को भुगतान किया जाना है, वह ₹ 99,24,350/- है साथ ही लागू कर भी देय है। प्रस्तावित पारिश्रमिक में अन्य अनुमत सेवाओं की लागत शामिल नहीं है, जिनका लाभ, यदि आवश्यक हो, निगम द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों से लिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए निवर्तमान क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया समेकित पारिश्रमिक ₹ 95,13,000/-, साथ ही लागू कर भी देय था।

इसके अतिरिक्त, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसरण में, समय-समय पर मंडल कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने के लिए मंडल लेखापरीक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है। तदनुसार, निगम के निदेशक मंडल ने क्रेडेंशियल्स, लेखापरीक्षकों टीमों की क्षमता, लेखापरीक्षकों के संचालन में दक्षता, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, और निगम के लेखापरीक्षकों के चयन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के तहत परिभाषित अन्य मापदंडों पर विचार करने के बाद, जैसा कि संशोधित किया गया है लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निम्नलिखित को निगम के मंडल लेखापरीक्षकों के रूप में पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए जोकी पाँचवी एजीएम के समापन से कैलेंडर वर्ष 2031 में आयोजित होने वाली निगम की 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक, नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखते हैं:

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का नाम	फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)	संक्षिप्त पार्श्वचित्र
1.	मैसर्स एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी	000990एन	फर्म की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 8 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 16 पूर्णकालिक भागीदार और 10 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
2.	मैसर्स जैन पारस बिलाला एंड कंपनी	011046सी	फर्म की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 16 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 25 पूर्णकालिक भागीदार और 13 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
3.	मैसर्स गोपाल शर्मा एंड कंपनी	002803सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 8 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 21 पूर्णकालिक भागीदार और 10 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
4.	मैसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स	313043ई	फर्म की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 11 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान ताकत 25 पूर्णकालिक भागीदार और 1 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी है।
5.	मैसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स	001997एस	फर्म की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 12 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 25 पूर्णकालिक भागीदार और 36 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।
6.	मैसर्स पी.एस.एम. जी. एंड एसोसिएट्स	008567सी	फर्म की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, जिसके पूरे भारत में 15 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान में 25 पूर्णकालिक भागीदार और 14 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।

समेकित पारिश्रमिक जो प्रति वर्ष मंडल कार्यालयों की लेखापरीक्षा सेवाओं के लिए प्रस्तावित मंडल लेखापरीक्षकों को भुगतान किया जाना है, वह ₹ 91,93,200/- है साथ ही लागू कर भी देय है। प्रस्तावित पारिश्रमिक में अन्य अनुमत सेवाओं की लागत शामिल नहीं है, जिनका लाभ, यदि

आवश्यक हो, निगम द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों से लिया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मंडल कार्यालयों की लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए निवर्तमान मंडल लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया समेकित पारिश्रमिक ₹ 87,68,100/-, साथ ही लागू कर भी देय था।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षकों या मंडल लेखापरीक्षकों के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा सेवाओं के अलावा, निगम विभिन्न सांविधिक विनियमों और बैंकों, सांविधिक प्राधिकरणों, लेखापरीक्षा से संबंधित सेवाओं और समय-समय पर अपेक्षित अन्य अनुमेय गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र के तहत क्षेत्रीय और मंडल लेखापरीक्षकों से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगा, जिसके लिए उन्हें लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा। लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल क्षेत्रीय और/या मंडल लेखापरीक्षकों के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पारिश्रमिक में संशोधनों के अनुमोदन पर विचार करेंगे। निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से, पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के निबंधन और शर्तों को इस तरह से और उस सीमा तक बदल सकते हैं जो लेखापरीक्षकों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।

निगम के कॉर्पोरेशन लेखापरीक्षक इस एजीएम में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए, कॉर्पोरेशन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं। लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 6

भारत सरकार ने 13 मई, 2026 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री संजय लोहिया को सुश्री शालिनी पंडित के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

1994 बैच (असम मेघालय कैडर) के आईएस अधिकारी श्री संजय लोहिया ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है और 01.06.2026 से वित्तीय सेवा विभाग ("डीएफएस") के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। डीएफएस में विशेष सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह खान मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे।

वह सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) में शामिल हो गए। खान मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें असम सरकार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव, पीएमओ में निदेशक आदि शामिल थे।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित "निदेशक की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता पर नीति" ("निदेशकों की नीति") के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, सरकार द्वारा नामित निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा, ठहरने और परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर कोई पारिश्रमिक, बैठने की फीस या अन्य मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसलिए, श्री संजय लोहिया, को निदेशकों की नीति के तहत उल्लिखित के अलावा कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क या अन्य मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

निदेशकों की नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct> हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के सरकार नामित निदेशक के रूप में श्री संजय लोहिया की नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए सूचना के मद संख्या 6 के तहत निहित संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री संजय लोहिया और उनके रिश्तेदारों और भारत सरकार को छोड़कर, जो निगम में एक प्रमुख शेयरधारक है, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 6 के तहत निहित प्रस्ताव पारित करने में संबन्धित या इच्छुक नहीं हैं। आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में उनकी नियुक्ति का प्रासंगिक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक ए में दिया गया है।

तदनुसार, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 6 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ("एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट") भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी" या "निगम") की एक सहयोगी कंपनी है, जो निगम की एक संबंधित पार्टी है। एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट, परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में जानी मानी कंपनियों में से एक है और निवेशक बिरादरी के बीच एक पसंदीदा निवेश प्रबंधक के रूप में उभर रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ताओं में से एक है और एक प्रमुख घरेलू संस्थान निवेशक ("डीआईआई") है। निगम

ने अपने पॉलिसीधारकों और निगम के शेयरधारकों को उचित रिटर्न देने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा समय समय पर जारी किए गए लागू विनियमों के अनुपालन में विभिन्न वित्तीय साधनों में अपने निवेश योग्य अधिशेष का निवेश किया है।

निगम बीमा पॉलिसियों के लाभार्थियों की ओर से आईआरडीएआई द्वारा अनुमति दी गई योजनाओं में कंपनियों में निवेश कर सकती है। तदनुसार, अधिशेष फंड जो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हैं, उन्हें आईआरडीएआई नियमों के अनुपालन में एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड सहित अन्य म्यूचुअल फंड में पार्क किया जाता है। वर्तमान में, निगम ने इस तरह के अस्थायी निवेशों के लिए लगभग बीस (20) परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है, और आमतौर पर इन म्यूचुअल फंड योजनाओं में 90 दिनों तक की छोटी अवधि के लिए फंड में रखा जाता है, जब तक कि अधिक उपयुक्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं हो जाते।

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के अनुसार, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री/खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या किराए पे देने, किसी भी वस्तु, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों/डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण, आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन निर्धारित राशि से अधिक है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के लेनदेन को सदस्यों के पूर्व अनुमोदन से छूट दी गई थी, यदि वे सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन को भौतिक माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेनों के साथ किए जाने वाले लेन-देन, ₹ 3,000 करोड़ और ₹ 40,000 करोड़ से अधिक वार्षिक समेकित कारोबार का 2.5% या ₹ 5,000 करोड़ से अधिक हो, जो भी कम हो। इसलिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निगम के समेकित कारोबार के आधार पर, निगम के संबंधित पक्ष के लेन-देन की भौतिक सीमा ₹ 5,000 करोड़ है। निगम ने 26 अगस्त, 2025 को आयोजित निगम की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ भौतिक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, जो पाँचवी एजीएम की तारीख तक वैध होगा। इस प्रकार, निगम को भौतिक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा समिति को विभिन्न प्रस्तावित आरपीटी के प्रासंगिक विवरण प्रदान किए हैं, जिसमें भौतिक शर्तें और मूल्य निर्धारण का आधार शामिल है। लेखापरीक्षा समिति के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने सभी आवश्यक विवरणों की समीक्षा करने के बाद, पाँचवी एजीएम से छठी एजीएम तक 15 महीने की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष तरल निधि योजनाओं की यूनिटों की प्रत्येक खरीद और मोचन के लिए ₹ 40,000 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ आरपीटी में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है। लेखापरीक्षा समिति ने नोट किया है कि एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के साथ उक्त लेनदेन निगम के सामान्य कामकाज के तहत और निष्पक्ष आधार पर है। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है जैसा कि पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 7 में प्रस्ताव में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देते हुए यह भी नोट किया है कि भले ही ये लेनदेन सामान्य कारोबार के रूप में हैं और निष्पक्ष आधार पर हैं, वे सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा समिति ने आरपीटी उद्योग मानकों के तहत आवश्यक निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की समीक्षा की है।

तदनुसार, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, किए जाने वाले ऐसे सभी अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन मांगा जा रहा है (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या समूहिक लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा), चाहे वह पूर्व की व्यवस्थाओं/लेन-देन की निरंतरता/विस्तार/नवीनीकरण/संशोधन के माध्यम से हो या इस एजीएम की तारीख से निगम की छठी एजीएम की तारीख तक या अन्यथा जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी।

निगम और एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट के बीच प्रस्तावित लेनदेन का विवरण, जिसमें 30 जनवरी, 2026 के सेबी मास्टर परिपत्र के साथ पठित इस संबंध में पहले जारी किए गए परिपत्र, के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण में प्रकट की जाने वाली आवश्यक जानकारी, यदि कोई हो, इस प्रकार है: आरपीटी उद्योग मानकों के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम जानकारी:

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी
भाग ए: प्रस्तावित आरपीटी की न्यूनतम जानकारी		
ए (1): संबंधित पार्टी का मूल विवरण		
1.	संबंधित पक्ष का नाम	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ("एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट")

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी
2.	संबंधित पक्ष के निगमन का देश	भारत
3.	संबंधित पक्ष के व्यवसाय की प्रकृति	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं

ए (2): संबंधित पक्ष का संबंध और स्वामित्व

1.	सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी (सहायक कंपनी से जुड़े लेन-देन के मामले में) और संबंधित पक्ष के बीच संबंध - जिसमें इसकी संबंध की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) और निम्नलिखित हैं: - सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी की शेयरधारिता (सहायक कंपनी से जुड़े लेन-देन के मामले में), संबंधित पक्ष में, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। - जहां संबंधित पक्ष एक साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व वाली संस्था या शेयर पूंजी के बिना एक निगमित निकाय है, तो पूंजी योगदान, यदि कोई हो, सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी द्वारा किया गया (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में)। - सूचीबद्ध इकाई/सहायक कंपनी में संबंधित पक्ष की शेयरधारिता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से,	एलआईसीएमएफ एसेट मैनेजमेंट निगम का एक सहयोगी है 49.87% लागू नहीं शून्य

ए (3): संबंधित पार्टी के साथ पिछले लेनदेन का विवरण

1.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई या सहायक कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी के साथ किए गए सभी लेनदेन की कुल राशि।	<table> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>लेन-देन की प्रकृति</th><th>वित्त वर्ष 2025-2026 (₹)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>यूनियों की खरीद</td><td>₹ 24,150.10 करोड़</td></tr> <tr> <td>2</td><td>यूनियों का मोचन</td><td>₹ 23,151.31 करोड़</td></tr> </table>	क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-2026 (₹)	1	यूनियों की खरीद	₹ 24,150.10 करोड़	2	यूनियों का मोचन	₹ 23,151.31 करोड़
क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-2026 (₹)									
1	यूनियों की खरीद	₹ 24,150.10 करोड़									
2	यूनियों का मोचन	₹ 23,151.31 करोड़									
2.	जिस तिमाही में अनुमोदन मांगा गया है, उससे ठीक पहले की तिमाही तक, सूचीबद्ध इकाई या सहायक कंपनी द्वारा चालू वित्त वर्ष में संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी लेन-देन की कुल राशि।	<table> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>लेन-देन की प्रकृति</th><th>वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (₹)*</th></tr> <tr> <td>1</td><td>यूनियों की खरीद</td><td>₹ 6,900.00 करोड़</td></tr> <tr> <td>2</td><td>यूनियों का मोचन</td><td>₹ 6,300.46 करोड़</td></tr> </table> *चूंकि चालू वित्तीय की पहली तिमाही अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए, वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक में संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेन-देन की राशि प्रदान की गई है।	क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (₹)*	1	यूनियों की खरीद	₹ 6,900.00 करोड़	2	यूनियों का मोचन	₹ 6,300.46 करोड़
क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (₹)*									
1	यूनियों की खरीद	₹ 6,900.00 करोड़									
2	यूनियों का मोचन	₹ 6,300.46 करोड़									
3.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ किए गए लेनदेन या व्यवस्था के तहत उसके द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के संबंध में संबंधित पक्ष द्वारा किया गया कोई भी चूक, यदि कोई हो।	नहीं									

ए (4): प्रस्तावित लेनदेन की राशि का विवरण

1.	लेखापरीक्षा समिति/शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जा रहे प्रस्तावित लेन-देन की राशि।	₹ 40,000 करोड़ के लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनियों की खरीद। ₹ 40,000 करोड़ के लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनियों का मोचन।
2.	क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ किए गए लेन-देन के साथ प्रस्तावित लेन-देन, एक भौतिक आरपीटी बना देगा?	हाँ
3.	पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य	खरीद-7.43% मोचन-7.43%

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी	
4.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सहायक कंपनी के वार्षिक स्टैंडअलोन टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के में है और जहां सूचीबद्ध इकाई लेनदेन के लिए पक्ष नहीं है)	लागू नहीं	
5.	संबंधित पार्टी के वार्षिक समेकित कारोबार के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (यदि समेकित कारोबार उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पार्टी के स्टैंडअलोन टर्नओवर पर गणना की जानी चाहिए), यदि उपलब्ध हो। (नोट: स्टैंडअलोन टर्नओवर के आधार पर गणना की गई मूल्य)	खरीद-29697.82% मोचन-29697.82%	
6.	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित पक्ष का वित्तीय प्रदर्शन:	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 (₹)
		टर्नओवर	134.69 करोड़
		कर के बाद लाभ	10.81 करोड़
		निवल मूल्य	306.02 करोड़
ए (5): प्रस्तावित लेनदेन का मूल विवरण			
1.	प्रस्तावित लेन-देन का विशिष्ट प्रकार (जैसे वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री, वस्तुओं/सेवाओं की खरीद, ऋण देना, उधार लेना आदि)	लिक्विड म्यूचुअल फंड योजना की यूनिटों की खरीद और मोचन।	
2.	प्रस्तावित लेनदेन के प्रत्येक प्रकार का विवरण	एनएवी के आधार पर यूनिटों की खरीद और मोचन।	
3.	प्रस्तावित लेन-देन की अवधि (निर्दिष्ट किए जाने वाले वर्षों या महीनों की संख्या में अवधि)	अस्थायी आधार पर अधिशेष निधियों का नियमित नियोजन रूप से लगाने के लिए, भौतिक आरपीटी के लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है जोकि पाँचवी वार्षिक सामान्य बैठक से और छठी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जिसकी अवधि 15 माह से अधिक अवधि नहीं होगी।	
4.	क्या समग्र अनुमोदन मांगा जा रहा है?	हाँ	
5.	किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य। यदि प्रस्तावित लेनदेन एक से अधिक वित्तीय वर्ष में निष्पादित किया जाएगा, तो वित्तीय वर्ष के आधार पर अनुमानित विवरण प्रदान करें।	₹ 40,000 करोड़ की लिक्विड म्यूचुअल फंड योजना की यूनिटों की खरीद ₹ 40,000 करोड़ की लिक्विड म्यूचुअल फंड योजना की यूनिटों का मोचन	
6.	प्रस्तावित आरपीटी सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों हैं, इसका औचित्य	निगम बीमा पॉलिसियों के लाभार्थियों की ओर से आईआरडीएआई द्वारा अनुमति दी गई योजनाओं में कंपनियों में निवेश कर सकती है। तदनुसार, अधिशेष फंड जो अस्थायी रूप से निष्क्रिय हैं, उन्हें आईआरडीएआई नियमों के अनुपालन में एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित म्यूचुअल फंड सहित अन्य म्यूचुअल फंड में पार्क किया जाता है। वर्तमान में, निगम ने इस तरह के अस्थायी निवेशों के लिए लगभग बीस (20) परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को सूचीबद्ध किया है, और आमतौर पर इन म्यूचुअल फंड योजनाओं में 90 दिनों तक की छोटी अवधि के लिए फंड में रखा जाता है, जब तक कि अधिक उपयुक्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं हो जाते।	
7.	सूचीबद्ध इकाई के प्रवर्तकों/निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेन-देन में रुचि रखते हैं।	शून्य	
	क. निदेशक/केएमपी का नाम	-	
	ख. संबंधित पक्ष में निदेशक/केएमपी की शेयरधारिता, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से	-	
8.	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी।	शून्य	

क्र.सं.	जानकारी का विवरण	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी
9.	निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक अन्य जानकारी।	शून्य
भाग बी: अतिरिक्त जानकारी		
बी (1) केवल वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, खरीद या आपूर्ति या किसी अन्य समान व्यावसायिक लेनदेन और व्यापार अग्रिमों से संबंधित लेनदेन के मामले में प्रकटीकरण		
1.	वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, खरीद या आपूर्ति के लिए एक पार्टी चुनने के लिए बोली या अन्य प्रक्रिया, यदि कोई हो, उपयोग किया जाता है।	यह नकदी प्रवाह, यूनिटों की खरीद के लिए अधिदेश की उपलब्धता और यूनिटों के मोचन के लिए धन की आवश्यकता पर निर्भर करता है।
2.	मूल्य निर्धारण का आधार	एनएवी के आधार पर
3.	व्यापार अग्रिम (365 दिनों तक या ऐसी अवधि जिसके लिए ऐसे अग्रिमों को सामान्य व्यापार अभ्यास के अनुसार बढ़ाया जाता है), यदि कोई हो, लेन-देन के संबंध में संबंधित पक्ष को बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो निम्नलिखित निर्दिष्ट करें:	लागू नहीं
	क. व्यापार अग्रिम की राशि	-
	ख. कार्यकाल	-
	ग. क्या वही स्व-परिसमापन है?	-

उक्त लेन-देन, एक भौतिक आरपीटी होने के नाते, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23 के अनुसार निगम के सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता अधीन है।

सदस्य ध्यान दें कि सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, उसके तहत परिभाषित संबंधित पक्ष (चाहे ऐसे संबंधित पक्ष उपरोक्त लेनदेन के लिए एक पक्ष हैं या नहीं), मद संख्या 7 के तहत संकल्प को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

कोई भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके संबंधित रिश्तेदार किसी भी तरह से निगम में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तीय या अन्यथा उक्त संकल्पों में किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं रखते हैं।

लेखापरीक्षा समिति पर स्वतंत्र निदेशकों की समीक्षा और अनुमोदन के आधार पर, बोर्ड निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए संलग्न सूचना के मद संख्या 7 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेश से
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षरित
अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 24 जून, 2026

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय

भारतीय जीवन बीमा निगम

‘योगक्षेम’,

जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

ईमेल: investors@licindia.com

वेबसाइट: www.licindia.in

अस्वीकरण: पांचवीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में किसी भी अस्पष्टता/विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में उल्लेखित सूचना को सही माना जाएगा।

अनुलग्नक ए

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक - 2 के संदर्भ में, नियुक्त होने वाले निदेशक के संबंध में विवरण:

निदेशक का नाम	श्री संजय लोहिया
उम्र	57 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक
डीआईएन	07151125
संक्षिप्त विवरण	संक्षिप्त विवरण इस सूचना के मद संख्या 6 के तहत व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वित्तीय सेवाएं, प्रशासन, कॉर्पोरेट प्रशासन और बीमा
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की 13 मई, 2026 की अधिसूचना के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct पर उपलब्ध हैं
प्रस्तावित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
अंतिम पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं
बोर्ड में पहली बार नियुक्त होने की तिथि	13 मई 2026
निगम में शेयरधारिता का विवरण	शून्य
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	वह निगम के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं है।
उनकी नियुक्ति की तारीख से इस नोटिस की तारीख तक बोर्ड की बैठकों में भाग लिया गया	श्री संजय लोहिया, सरकार द्वारा नामित निदेशक ने 13 मई, 2026 से लेकर इस सूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान आयोजित 2 (दो) बोर्ड बैठकों में से 1 (एक) में भाग लिया है।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया- लेखापरिक्षा और हितधारक संबंध समिति में अध्यक्ष/सदस्य नहीं है।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

डीएमटीरियलाइज्ड रूप में रोयल रखने वाले व्यक्तिगत श्रेण्यधिक					
एनएसडीएल		सीडीएसएल		डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के माध्यम से लॉगिन करें	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)		
एनएसडीएल आईईवीएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत सदस्य	सदस्य एनएसडीएल आईईवीएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है	तिन सदस्यों ने ई-वोट / ई-जोस्ट विकल्प चुना है	सदस्य ई-वोट / ई-जोस्ट सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है		
'वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें'; और "आईईवीएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" जुड़ें; "लॉगिन" के तहत "माई ईवी न्यू स्वामी" आइकन पर क्लिक करें जो होम पेज पर आईईवीएस अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं; - स्क्रीन पर अपना उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और सत्यापन कोड दर्ज करें या "प्रारंभिक पासवर्ड कैसे प्राप्त करें" की जांच करें; - प्रमाणिकरण के बाद, "लॉगिन" पर क्लिक करें	'वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें'; और "आईईवीएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" जुड़ें; - पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, (क) के तहत दिए गए चरणों का पालन करें	'वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें'। - लॉगिन के तहत "माई ईवी न्यू (टोकन)" पर क्लिक करें; i. यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ "लॉगिन" करें; - यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और OTP जतरे करने के लिए "लॉगिन" पर क्लिक करें - पंजीकरण के बाद (ग) के तहत दिए गए चरणों का पालन करें ii. पैर के साथ लॉगिन करें:	'वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें'; "लॉगिन" के तहत "माई ईवी न्यू (टोकन)" पर क्लिक करें; - यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ "लॉगिन" करें; - पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें "ई-वोट / ई-जोस्ट" पर क्लिक करें - पंजीकरण के बाद (ग) के तहत दिए गए चरणों का पालन करें	- ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से अपने डिपॉजिट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें; ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें; इसे एनएसडीएल / सीडीएसएल (डिपॉजिटरी) वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहां ई-वोटिंग विकल्प उपलब्ध है - भारतीय जीवन बीमा निगम का ई-वोटिंग इंटर नंबर चुन 140008 ताकि आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान और बैचक के दौरान अपना वोट डालें या सर्वुअल बैचक में शामिल हो सकेंगे	
(३)	ओटीपी आधारित लॉगिन	(क)	ओटीपी आधारित लॉगिन / ई-वोट / ई-जोस्ट सुविधा में लॉगिन के बिना	रूप देखें	
"वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें"; 8 अक्षरों की डीपी आईडी और 8 अंकों का ब्राइट आईडी, पैर और स्क्रीन पर सत्यापन कोड दर्ज करें; - जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें; - पंजीकृत ईमेल पते या मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें; "एक्शन टैब" में ई-वोट पर क्लिक करें	"वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें"; 8 अक्षरों की डीपी आईडी और 8 अंकों का ब्राइट आईडी, पैर और स्क्रीन पर सत्यापन कोड दर्ज करें; - जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें; - पंजीकृत ईमेल पते या मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें; "एक्शन टैब" में ई-वोट पर क्लिक करें	'वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें'। 16 अंकों की लाभकारी मालिक आईडी (बीओ आईडी) (शमी, डीपेट खाला संख्या) और पैर दर्ज करें; - पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। - लॉगिन के बाद ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, इसे ई-वोटिंग पेज पर पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाएगा।	'वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें'। 16 अंकों की लाभकारी मालिक आईडी (बीओ आईडी) (शमी, डीपेट खाला संख्या) और पैर दर्ज करें; - पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। - लॉगिन के बाद ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, इसे ई-वोटिंग पेज पर पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाएगा।	एनएसडीएल में रखा गए श्रेण्य: ईमेल: evoting@nsdl.com दूरभाष: 022-4886-7000 सीडीएसएल में रखा गए श्रेण्य: ईमेल: helpdesk.evoting@cslindia.com दूरभाष: 1800-21-09911	
"भारतीय जीवन बीमा निगम" या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें					
भारतीय जीवन बीमा निगम का ई-वोटिंग इंटर नंबर चुन 140008 वे दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान या सर्वुअल बैचक में शामिल होने और बैचक के दौरान अपना वोट डालें					
एनएसडीएल और सीडीएसएल की ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत लिंक					
": https://eservices.nsdl.com/ ; https://eservices.nsdl.com/SecureWebEvoting/evotinglogin.jsp					
#: https://www.cdslindia.com/ ; https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin					

महत्वपूर्ण जानकारी

क्र.सं	विवरण	जानकारी
1	एजीएम की तिथि और समय	सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे (भा.मा.स)
2	प्रबद्ध करने का तरीका	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (“वीसी”)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन (ओएवीएम)
3	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक	https://www.evoting.nsdl.com/ (विवरण के लिए कृपया इस सूचना के टिप्पणियों के तहत पैरा 14 देखें)
4	एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता के लिए एनएसडीएल का संपर्क विवरण	ईमेल: evoting@nsdl.com संपर्क नंबर: 022-48867000 सदस्य इनसे संपर्क कर सकते हैं: श्री संजीव यादव (उप प्रबंधक-एनएसडीएल) evoting@nsdl.com
5	अंतिम लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	गुरुवार, जून 25, 2026
6	ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, जुलाई 21, 2026
7	ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख	गुरुवार, 23 जुलाई, 2026 09:00 बजे (भा.मा.स)
8	ई-वोटिंग की समाप्ति तिथि	रविवार, 26 जुलाई, 2026 17:00 बजे (भा.मा.स)
9	ई-वोटिंग इवेंट नंबर (EVEN)	140008
10	स्पीकर शेयरधारक के रूप में पंजीकरण	बुधवार, 22 जुलाई, 2026 से 09:00 बजे (भा.मा.स) से शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को शाम 17:00 बजे (भा.मा.स) तक investors@licindia.com को ईमेल भेजें (कृपया अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी से अनुरोध भेजें और पंजीकरण के लिए भेजे गए ई-मेल में नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करें)
11	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	नाम : केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इकाई: भारतीय जीवन बीमा निगम) पता : सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500032 रजिस्टर प्रश्नों के लिए ईमेल : einward.ris@kfintech.com आईडी टोलफ्री नंबर : 1800 309 4001 व्हाट्सएप नंबर : +91-91000-94099 वेबसाइट : https://ris.kfintech.com/ निवेशक सहायता केंद्र : https://kprism.kfintech.com/
12	एजीएम का लाइव वेबकास्ट	https://www.evoting.nsdl.com/
13	एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट के नोटिस तक पहुंचने के लिए क्यूआर कोड	



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com; Website: www.licindia.in

NOTICE OF THE 5TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA WILL BE HELD ON MONDAY, THE 27TH DAY OF JULY, 2026, AT 1100 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING (“VC”)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (“OAVM”) TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the audited standalone financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2026, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Sections 24B, 24C and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
2. To consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2026, together with Report of Auditors thereon, in terms of Section 24B and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
3. To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2026, in terms of Section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
4. To declare final dividend of ₹ 10/-per equity share of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended on March 31, 2026 as recommended by the Board in terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
5. Appointment of Zonal and Divisional Auditors of the Corporation and fix their remuneration

To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an **ORDINARY RESOLUTION:**

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, as applicable, including any amendment(s), modification(s), variation(s), or re-enactment(s) thereof, from time to time, approval of the Members of the Corporation, be and is hereby accorded for the appointment of following auditors as the Zonal Auditors of the Corporation, for a term of five (5) years, i.e., from the conclusion of 5th Annual General Meeting (AGM) of the Corporation and till the conclusion of the 10th AGM of the Corporation, at such remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time:

S. No.	Name of Zonal Auditors	Firm Registration Number (FRN)
1.	M/s. Anand & Ponnappan	000111S
2.	M/s. Sanjeev Omprakash Garg & Co.	008773C
3.	M/s. S Srivastava & Co.	004570C

RESOLVED FURTHER THAT pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, including any amendment(s), modification(s), variation(s), or re-enactment(s) thereof, from time to time, approval of the Members of the Corporation, be and is hereby accorded for the appointment of following auditors as the Divisional Auditors of the Corporation, for a term of five (5) years, i.e., from the conclusion of 5th Annual General Meeting (AGM) of the Corporation and till the conclusion of the 10th AGM of the Corporation, at such remuneration, as may be determined by the Board of Directors of the Corporation (including Audit Committee thereof), from time to time:

S. No.	Name of Divisional Auditors	Firm Registration Number (FRN)
1.	M/s. S Ramanand Aiyar & Co.	000990N
2.	M/s. Jain Paras Bilala & Co.	011046C
3.	M/s. Gopal Sharma & Co.	002803C
4.	M/s. Agasti & Associates	313043E
5.	M/s. Manohar Chowdhry & Associates	001997S
6.	M/s. P S M G & Associates	008567C

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board) and/or any of the whole time Director of the Corporation, be and are hereby authorised to revise/alter/modify/amend the terms and conditions of appointment and/or remuneration, from time to time, and to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolutions.”

SPECIAL BUSINESS:

6. Appointment of Shri Sanjay Lohiya (DIN:07151125) as Government Nominee Director of the Corporation:

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **ORDINARY RESOLUTION**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(d) of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the appointment of Shri Sanjay Lohiya vide Government of India’s notification dated May 13, 2026, nominating him as Government Nominee Director on the Board of the Corporation with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved.”

7. Approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF Asset Management”):

To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an **ORDINARY RESOLUTION**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendment(s), modification(s) or re-enactments thereof (applicable laws) as may be applicable from time to time, the policy on dealing with Related Party Transactions of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), as detailed in the Explanatory Statement with LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF Asset Management”), an associate company of the Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”) and accordingly, a related party of the Corporation, on such terms and conditions as may be agreed between the Corporation and LIC MF Asset Management, for an aggregate value not exceeding ₹ 40,000 crore each towards the purchase and redemption of units of direct liquid fund schemes respectively and/or any other transactions incidental thereto, which shall be valid from the date of 5th Annual General Meeting (“AGM”) till the date of the 6th AGM (both days inclusive) of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, subject to such contract(s)/arrangement(s)/transaction(s) being carried out at arm’s length and in the ordinary course of business of the Corporation.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to do and perform all such acts, deeds, matters and things, as may be necessary and expedient, including finalising the terms and conditions, methods and modes in respect thereof and finalising and executing necessary documents, including contract(s), scheme(s), agreement(s) and such other

documents and take necessary steps as the Board may, in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient, to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the Members or otherwise to the end and intent that the Members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, and take such steps, as may be considered necessary or expedient, to give effect to the aforesaid resolution.

RESOLVED FURTHER THAT all actions taken by the Board, or any person so authorised by the Board, in connection with any matter referred to or contemplated in the foregoing resolution, be and are hereby approved, ratified and confirmed in all respects.”

By order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: June 24, 2026

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

‘Yogakshema’, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

NOTES:

1. Meeting through VC/OAVM:

- A. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India (“MCA”) vide its General circular no. 03/2025 dated September 22, 2025 read with earlier circulars issued by MCA (collectively referred to as “MCA Circulars”) in this regard and Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) have permitted listed entities to conduct AGM through Video Conferencing facility (“VC”)/Other Audio-Visual Means (“OAVM”), in compliance of various conditions mentioned therein.

In compliance with the aforesaid circulars issued by MCA and SEBI, applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956” or “LIC Act”) read with rules and regulations made thereunder, the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”/ “SEBI (LODR) Regulations, 2015”/ “Listing Regulations”), the 5th AGM of the Corporation is being held through VC/ OAVM facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Central Office shall be deemed to be the venue for the 5th AGM.

- B. Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (“LIC Rules”), a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a member of the Corporation. Since, this AGM is being held through VC/OAVM, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of

proxies by the members will not be available for this AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of the AGM venue are not annexed to this notice.

- C. The Members can join the AGM through VC/OAVM mode 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the e-voting website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of this Notes to the Notice. The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by Institute of Company Secretaries of India ("ICSI").
- D. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for at least 1,000 members on first-come-first-serve basis ("FCFS"). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnels, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, and the Auditors.
- E. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation may be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to sanco@sanco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com
- F. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.
- G. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2025-26 is being sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories Participants as at the close of business hours on **June 25, 2026 (Thursday) (Cut-off date)**. The Notice convening the 5th AGM has been uploaded on the website of the Corporation at www.licindia.in and is available on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Corporation shall send the physical copy of the Annual Report for the financial year 2025-26 only to those Members who specifically request for the same at investors@licindia.com through their registered email address mentioning their Folio numbers/DP ID and Client ID.

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Corporation is also sending a letter to members whose e-mail address is not registered with the Corporation/Depository Participants providing the exact weblink of Corporation's website from where the Annual Report for financial year 2025-26 can be accessed

2. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 4 to 7 of this Notice is annexed hereto.
3. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and in terms of Rule 28 of LIC Rules read with Secretarial Standard - 2 issued by the ICSI in respect of the Director seeking appointment at the 5th AGM are annexed hereto as **Annexure - A** to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Director seeking appointment.
4. **Record Date for Final Dividend:**
 - a. Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, members may note that the Board, in its meeting held on May 21, 2026 recommended a final dividend of ₹ 10/- per equity share of face value of ₹ 10/- each for the financial year ended March 31, 2026. The Record Date for the purpose of final dividend is **Thursday, June 25, 2026**.
 - b. Final Dividend for the financial year 2025-26, once approved by the members in the 5th AGM will be paid to the Members on or before **Tuesday, August 25, 2026**, i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/beneficial owners whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories on the record date.

- c. Pursuant to the amended provision of Regulation 12 of SEBI Listing Regulations read with Master Circular issued by SEBI, the dividend payable to the members shall be paid through electronic mode only including to those who are holding shares in physical form. Such payment shall be made upon folio being KYC compliant. A folio will be considered as KYC compliant on registration of all details viz; full address with pin code, contact details including mobile number, bank account details, valid PAN linked to Aadhaar, nomination, specimen signature, etc. The relevant FAQs have been published by SEBI on its website and can be viewed or accessed at https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2026/1767611333081.pdf.

5. Tax deducted at Source ("TDS") on Final Dividend:

Pursuant to the provisions of Income Tax Act, 2025 ("IT Act"), as amended, dividend income is taxable in the hands of the members and the Corporation is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the members at the rates applicable as per the IT Act read with tax treaty as may be applicable.

A communication was sent to the members requesting to provide the relevant document to claim the tax rebate or lower tax rates, as applicable, on Monday, June 15, 2026, to those members whose email address were registered with the Corporation/ Registrar/DPs as well as public announcement was also made on June 16, 2026 in the leading newspapers viz; Times of India, Maharashtra Times and Navbharat Times.

6. Members to intimate changes in their details:

Members who are holding shares in physical form and whose details are to be updated or changed are advised to submit particulars of their bank account, viz; name and address of the branch of the bank, MICR code of the branch, type of account and account number to Corporation's RTA, i.e., KFin Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India – 500 032 along with the duly filled in Form ISR-1 and related documents of proof.

Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/correct the bank account details should send the same to their concerned Depository Participant(s) only and not to the Corporation. Members are also requested to give the MICR Code of their bank to their Depository Participants. The Corporation will not entertain any direct request from such Members for change of address, transposition of names, deletion of name of deceased joint holder and change in the bank account details. While making payment of dividend, the Registrar and Share Transfer Agent is obliged to use only the data provided by the Depositories, in case of such dematerialized shares.

Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act, 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.

To prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Corporation or RTA of any change in address or demise of any member. Members are also advised not to leave their demat account(s) dormant for long. Periodic statement of holding may be obtained from the concerned Depository Participant, and holdings should be verified from time to time.

7. Dematerialisation of Shares:

- i. Members may please note that the SEBI Listing Regulations mandate transfer, transmission and transposition of securities of listed companies held in physical form only in demat mode. Further, SEBI vide its circular no. HO/38/13/(4)2026-MIRSD-PoD/1/4298/2026 dated February 06, 2026, read with relevant SEBI circulars issued from time-to-time, has mandated the listed companies to issue securities in demat form only while processing service requests viz; Issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account; Renewal/Exchange of securities certificate; Endorsement; Sub-division/Splitting of securities certificate; Consolidation of securities certificates/folios; Transmission and Transposition.

Accordingly, members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation. Members may contact the Corporation or RTA along with requisite supporting documents prescribed in aforesaid circular, for assistance.

- ii. To address the issue of unclaimed financial assets, SEBI has issued a Circular SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD 3/P/CIR/2025/32 dated March 19, 2025, titled "Harnessing DigiLocker as a Digital Public Infrastructure for Reducing Unclaimed Assets in the Indian Securities Market". This initiative enables investors to store and access information of their demat and mutual fund holdings through DigiLocker, a key Digital Public Infrastructure, benefiting investors and their families.

Shareholders can also appoint Data Access Nominees within the DigiLocker application. In the event of the shareholder's demise, the nominees will be provided read-only access to the DigiLocker account, ensuring that essential financial information is accessible to legal heirs.

For details, you may refer the above mentioned circular at [SEBI - DigiLocker Circular](#).

8. Disputes Resolution:

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023, has introduced a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market.

Pursuant to the above-mentioned circulars, members may note that in case of any dispute against the Corporation and/or its RTA, may be resolved by filing dispute resolution through the Online Dispute Resolution Portal for disputes arising out of Indian Securities Market (<https://smartodr.in/login>) and the same can be accessed through the Corporation's website at <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution>. Members can use this mechanism only after they have lodged their grievance with the Corporation and SEBI Complaints Redressal System (SCORES) and are not satisfied with the outcome of the redressal.

9. Unclaimed Dividend and IEPF:

Members who wish to claim dividends, which remain unclaimed, are requested to either correspond with the Corporation at investors@licindia.com or RTA at einward.ris@kfintech.com, for making a claim of the dividend. The details of such unclaimed dividends are available on the Corporation's website at www.licindia.in.

Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unclaimed/Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

10. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM or who wish to inspect the relevant documents referred in the Notice in terms of the provisions of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, can send their request at investors@licindia.com.
11. Process for shareholders who have not registered their email addresses with the depositories / RTA for procuring their user id and password and registering their e-mail addresses to participate in e-voting on the resolutions set out in this notice:
 - (i) Members holding shares in physical form, are requested to provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to einward.ris@kfintech.com or investors@licindia.com.
 - (ii) In case shares are held in demat mode, members are requested to provide DPID-CLID (16-digit DPID + CLID or 16-digit beneficiary ID), name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self-attested copy of PAN card), AADHAAR (scanned self-attested copy of Aadhaar Card) to einward.ris@kfintech.com. Individual shareholder holding securities in demat mode are requested to refer to the login method explained below in **Annexure B**.
 - (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password to participate in e-voting by providing above mentioned documents.
12. Smt. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) and failing her, Shri. S.N. Viswanathan (Membership No. FCS 13685) of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit her/his report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the e-voting (votes cast through remote e-voting before and/or during the AGM), within

the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to NSDL, the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed and will also be displayed on the Corporation's website under the 'Investor Relations' section at www.licindia.in. It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.

13. Instructions for remote e-voting before or during the Annual General Meeting are as under:

- (i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz; 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for casting votes by a Member using remote e-voting system as well as e-voting during the AGM will be provided by NSDL.
- (ii) Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date i.e., Tuesday, July 21, 2026, may cast their vote by remote e-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice as "for information purpose" only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories or RTA as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM as well as e-voting during the AGM. Any non-individual member or member holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, July 21, 2026, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.com
- (iii) Individual members holding shares in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, i.e., Tuesday, July 21, 2026, may follow the login process mentioned under **Annexure B** to the notice.
- (iv) The remote e-voting period commences on Thursday, July 23, 2026 at 0900 hrs (IST) and ends on Sunday, July 26, 2026 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., **Tuesday July 21, 2026**.
- (v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting, i.e., Monday, July 27, 2026.
- (vi) The remote e-voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
- (vii) Members who have already voted through remote e-voting will also be eligible to attend the AGM.
- (viii) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for remote e-voting mentioned at para 14(v) at page no. 26.

14. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

- I. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned under **Annexure B** for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Corporation's name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN (140008) of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password; may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice.

- II. Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
- III. Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 5th AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number, in advance at investors@licindia.com from Tuesday, July 21, 2026 at 0900 hrs (IST) to Thursday, July 23, 2026 at 1700 hrs (IST). Such questions by the Members shall be suitably replied to by the Corporation.
- IV. Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at investors@licindia.com between 0900 hrs (IST) on Wednesday, July 22, 2026 to 1700 hrs (IST) on Friday, July 24, 2026. The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time during the AGM.
- V. Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Shri Sanjeev Yadav, Deputy Manager, NSDL at evoting@nsdl.com /022-4886 7000.

15. General Guidelines for shareholders:

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders/Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Shri Sanjeev Yadav, Deputy Manager from NSDL at the designated e-mail id: evoting@nsdl.com.

By order of the Board
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: June 24, 2026

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956

Item No. 4

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956"), the Board of Directors in its meeting held on May 21, 2026, has recommended a final dividend of ₹ 10/- per equity share of face value of ₹ 10/- each for FY 2025-26, subject to the approval by the members of the Corporation in Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 12,649.99 crore translating into a dividend pay-out ratio of 22.03%.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 4 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation

Item No. 5

This Explanatory Statement is in terms of Regulation 36(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" or "Listing Regulations"), though statutorily not required in terms of Section 23A of Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956") read with Rule 28 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 ("LIC Rules").

In terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with Rule 22 of LIC Rules, the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time, SEBI Listing Regulations, and other applicable provisions, if any, the appointment of Auditors of the Corporation irrespective of whether the Auditors are Corporation's Auditors, Zonal Auditors or Divisional Auditors, needs to be approved by the members in the AGM.

The three Zonal Auditors of the Corporation viz; M/s B C Jain & Co., Kanpur (Firm Registration No: 001099C), M/s Rama K Gupta & Co., Bhopal (Firm Registration No: 005005C) and M/s R. Subramanian and Co. LLP, Chennai (Firm Registration No: 004137S/ S-200041) are retiring upon completion of their term at 5th Annual General Meeting of the Corporation scheduled to be held on July 27, 2026.

In view of the foregoing provisions and upon completion of term of Zonal Auditors of the Corporation at this AGM, the Board of Directors of the Corporation after evaluating and considering various factors such as industry experience, listed company's experience, competency of the audit team, efficiency in conduct of audit, independence, Comptroller and Auditor General of India ("CAG") ranking, etc., and on the basis of the recommendation of the Audit Committee, propose the appointment of the following as the Zonal Auditors of the Corporation, for the term of five (5) years from the conclusion of 5th AGM till the conclusion of 10th AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2031.

S. No.	Name of Auditor	Firm Registration Number (FRN)	Brief Profile
1	M/s. Anand & Ponnappan	000111S	The Firm was established in the year 1982, with 7 offices across India. The present strength of the firm is 15 full-time partners and 10 full-time CA employees.
2	M/s. Sanjeev Omprakash Garg & Co.	008773C	The Firm was established in the year 1998, with 33 offices across India. The present strength of the firm is 34 full-time partners and 24 full-time CA employees.
3	M/s. S Srivastava & Co.	004570C	The Firm was established in the year 1989, with 7 offices across India. The present strength of the firm is 10 full-time partners and 2 full-time CA employees.

The consolidated remuneration to be paid to the proposed Zonal Auditors for audit services of Zonal Offices per annum is ₹ 99,24,350/- plus applicable taxes. The proposed remuneration is exclusive of costs for other permitted services which could be availed by the Corporation from Zonal Auditors, from time to time, if required. The consolidated remuneration paid to outgoing Zonal auditors for audit services of Zonal Offices for FY 2025-26 was ₹ 95,13,000/- plus applicable taxes

Further, pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956, Divisional Auditors are also being appointed to carry out the audit of Divisional Offices periodically. Accordingly, the Board of Directors of the Corporation after evaluating and assessing credentials, competence of the audit teams, efficiency in conduct of audits, independence of the auditors, and considering the other parameters defined under the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation, as amended and on the recommendation of the Audit

Committee, propose the appointment of the following as the Divisional Auditors of the Corporation, for the term of five (5) years from the conclusion of 5th AGM till the conclusion of 10th AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2031:

S. No.	Name of Auditor	Firm Registration Number (FRN)	Brief Profile
1.	M/s. S Ramanand Aiyar & Co	000990N	The Firm was established in the year 1950, with 8 offices across India. The present strength of the firm is 16 full-time partners and 10 full-time CA employees.
2.	M/s. Jain Paras Bilala & Co	011046C	The Firm was established in the year 2002, with 16 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 13 full-time CA employees.
3.	M/s. Gopal Sharma & Co	002803C	The Firm was established in the year 1985, with 8 offices across India. The present strength of the firm is 21 full-time partners and 10 full-time CA employees.
4.	M/s. Agasti & Associates	313043E	The Firm was established in the year 1963, with 11 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 1 full-time CA employee.
5.	M/s. Manohar Chowdhry & Associates	001997S	The Firm was established in the year 1984, with 12 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 36 full-time CA employees.
6.	M/s. P S M G & Associates	008567C	The Firm was established in the year 1998, with 15 offices across India. The present strength of the firm is 25 full-time partners and 14 full-time CA employees.

The consolidated remuneration to be paid to the proposed Divisional Auditors for audit services of Divisional offices per annum is ₹ 91,93,200/- plus applicable taxes. The proposed remuneration is exclusive of costs for other permitted services which could be availed by the Corporation from Divisional Auditors, from time to time, if required. The consolidated remuneration paid to outgoing Divisional Auditors for FY 2025-26 for audit services of divisional offices was ₹ 87,68,100/- plus applicable taxes.

There is no material change in the proposed remuneration for Zonal and Divisional Auditors.

Besides the audit services, the Corporation would also obtain certifications from the Zonal and Divisional Auditors under various statutory regulations and certifications required by banks, statutory authorities, audit related services and other permissible non-audit services as required from time to time, for which they will be remunerated separately on mutually agreed terms, as approved by the Board in consultation with the Audit Committee.

The Audit Committee and the Board of Directors shall consider approval of revisions to the remuneration of the Zonal and/or Divisional Auditors for the remaining part of their tenure. The Board of Directors, in consultation with the Audit Committee, may alter and vary the terms and conditions of appointment, including remuneration, in such manner and to such extent as may be mutually agreed with the Auditors.

None of the Corporation's Auditors is completing their term at this AGM. Therefore, there is no proposal for appointment of Corporation's Auditors.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 5 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

Item No. 6

The Government of India vide their notification dated May 13, 2026, has nominated Shri Sanjay Lohiya as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, in place of Ms. Shalini Pandit.

Shri Sanjay Lohiya, an IAS Officer of 1994 batch (Assam Meghalaya cadre), has joined Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MOF) as Special Secretary and took over as Secretary, Department of Financial Services w.e.f. June 01, 2026. Prior to joining as Special Secretary in DFS, he was Additional Secretary in Ministry of Mines.

He joined Indian Administrative Service (IAS) after graduating from St. Stephen's College, University of Delhi. Before joining as Additional Secretary, Ministry of Mines, he held various positions, which included Principal Secretary to Chief Minister, Government of Assam, Joint Secretary in Ministry of Agriculture, Director in PMO, etc.

Pursuant to “Directors’ Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy” (“Directors’ Policy”) approved by the Board, as amended, the Government Nominee Director is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation except reimbursement of travel, stay and transport expenses for attending the Board and its committee meeting. Therefore, Shri Sanjay Lohiya is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation except as mentioned under Directors’ Policy.

The Directors’ Policy is available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct>.

In terms of Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 6 of the Notice for taking formal approval of the appointment of Shri Sanjay Lohiya as Government Nominee Director.

Except Shri Sanjay Lohiya and his relatives, and the Government of India, who is a major shareholder in the Corporation, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 6. The relevant details of his appointment, in terms of Regulation 36(3) of SEBI Listing Regulations and Secretarial Standard – 2, issued by ICSI are provided in Annexure A to this notice.

The Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 6 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

Item No. 7

LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF Asset Management”) is an associate Company of the Life Insurance Corporation of India (“LIC” or “the Corporation”), a related party of the Corporation. LIC MF Asset Management is one of the well-known players in the asset management sphere and is emerging as a preferred investment manager amongst the investor fraternity.

The Life insurance Corporation of India, is one of India’s largest life insurers and a major Domestic Institution Investors (“DII”). The Corporation has invested its investible surplus in various instruments as per Board approved Investment Policy, in compliance with Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and applicable regulations issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (“IRDAI”), from time to time, to generate reasonable returns to its policyholders and shareholders.

The Corporation can invest in companies on behalf of the beneficiaries of insurance policies in such schemes as permitted by the IRDAI. Accordingly, the surplus funds that are temporarily idle are parked in Mutual Funds including those managed by LIC MF Asset Management, in accordance with IRDAI regulations. At present, the Corporation has empaneled around twenty (20) Assets Management Companies for such temporary investments, and funds are typically placed in these mutual fund schemes for short duration of up to 90 days, until more suitable investment opportunities become available.

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempted from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arm’s length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party (RPTs), if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arm’s length. Pursuant to the provisions of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, may exceed ₹ 3,000 crore plus 2.5% of the Annual Consolidated turnover above ₹ 40,000 crores or ₹ 5,000 crores, whichever is lower. Therefore based on consolidated turnover of the Corporation for the FY 2025-26, the material threshold for RPTs of the Corporation is ₹ 5,000 crore. The Corporation has obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC MF Asset Management at the 4th Annual General Meeting (AGM) of the Corporation held on August 26, 2025, which will be valid till the 5th AGM. Thus, the Corporation requires to obtain fresh approval from the shareholders for a such material RPTs.

The management has provided the Audit Committee with the relevant details of various proposed RPTs including material terms and basis of pricing. All Independent Directors in the Audit Committee, after reviewing all the necessary details, have granted approval for entering into the RPTs with LIC MF Asset Management, for an aggregate value upto ₹ 40,000/- crores each towards purchase and redemption of units of direct liquid fund schemes respectively from 5th AGM to 6th AGM for a period not exceeding fifteen months. The Audit Committee had noted that the said transactions with LICMF is in the ordinary course of business of the Corporation and at an

arm's length basis. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No.7, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee while approving the said related party transactions, has also noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length basis, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

The Audit Committee has reviewed the certificate provided by the Managing Director and Chief Financial Officer of the Corporation as required under the RPT Industry Standards.

Accordingly, as per the SEBI Listing Regulations, prior approval of the members is being sought for all such contracts/arrangements/ transactions to be undertaken (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise), whether by way of continuation/extension/renewal/modification of earlier arrangements/transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise from the date of this AGM to the date of 6th AGM of the Corporation for a period not exceeding fifteen months.

Details of the proposed transactions between the Corporation and LIC MF Asset Management, including the information required to be disclosed in the Explanatory Statement pursuant to the SEBI Master circular dated January 30, 2026, read with earlier circular issued in this regard, if any, are as follows:

Minimum Information to be provided to the Audit Committee and Shareholder's for approval of Related Party Transaction as per RPT Industry Standards:

S. No.	Particulars of the information	Information provided by the management		
Part A: Minimum information of the proposed RPT				
A (1): Basic details of the related party				
1.	Name of the related party	LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF Asset Management”)		
2.	Country of incorporation of the related party	India		
3.	Nature of business of the related party	Financial Intermediation Services		
A (2): Relationship and ownership of the related party				
1.	Relationship between the listed entity/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary) and the related party – including nature of its concern (financial or otherwise) and the following: - Shareholding of the listed entity/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary), whether direct or indirect, in the related party. - Where the related party is a partnership firm or a sole proprietorship concern or a body corporate without share capital, then capital contribution, if any, made by the listed entity/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary). - Shareholding of the related party, whether direct or indirect, in the listed entity/subsidiary	LIC MF Asset Management is an Associate of the Corporation 49.87% Not Applicable NIL		
A (3): Details of previous transactions with the related party				
1.	Total amount of all the transactions undertaken by the listed entity or subsidiary with the related party during the last financial year.	S. No.	Nature of Transactions	FY 2025-2026 (₹)
		1	Purchase of Units	24,150.10 Crore
		2	Redemption of Units	23,151.31 Crore

S. No.	Particulars of the information	Information provided by the management		
2.	Total amount of all the transactions undertaken by the listed entity or subsidiary with the related party in the current financial year up to the quarter immediately preceding the quarter in which the approval is sought.	S. No.	Nature of Transactions	Q4 of FY 2025-26 (₹)*
		1	Purchase of Units	6,900.00 Crore
		2	Redemption of Units	6,300.46 Crore
		*Since the 1 st quarter of current financial is not yet completed, the amount of transactions undertaken with related party for fourth Quarter of FY 2025-26, i.e., January 2026 to March 2026		
3.	Any default, if any, made by a related party concerning any obligation undertaken by it under a transaction or arrangement entered into with the listed entity or its subsidiary during the last financial year.	No		

A (4): Details of the amount of the proposed transaction(s)

1.	Amount of the proposed transactions being placed for approval in the meeting of the Audit Committee/ shareholders.	Purchase of Units of Liquid Mutual Fund of ₹ 40,000 Crore. Redemption of Units of Liquid Mutual Fund of ₹ 40,000 Crore		
2.	Whether the proposed transactions taken together with the transactions undertaken with the related party during the current financial year would render the proposed transaction a material RPT?	Yes		
3.	Value of the proposed transactions as a percentage of the listed entity's annual consolidated turnover for the immediately preceding financial year.	Purchase-7.43% Redemption-7.43%		
4.	Value of the proposed transactions as a percentage of subsidiary's annual standalone turnover for the immediately preceding financial year (in case of a transaction involving the subsidiary and where the listed entity is not a party to the transaction).	Not Applicable		
5.	Value of the proposed transactions as a percentage of the related party's annual consolidated turnover (if consolidated turnover is not available, calculation to be made on standalone turnover of related party) for the immediately preceding financial year, if available. (Note: Value calculated on the basis of Standalone turnover)	Purchase-29697.82% Redemption-29697.82%		
6.	Financial performance of the related party for the immediately preceding financial year:	Particular		FY 2025-2026 (₹)
		Turnover		134.69 Crore
		Profit After Tax		10.81 Crore
		Net Worth		306.02 Crore

A (5): Basic details of the proposed transaction

1.	Specific type of the proposed transaction (e.g. sale of goods/services, purchase of goods/services, giving loan, borrowing etc.).	Purchase and Redemption of Units of Liquid Mutual Fund Scheme.
2.	Details of each type of the proposed transaction	Purchase and Redemption of Units on NAV basis.

S. No.	Particulars of the information	Information provided by the management
3.	Tenure of the proposed transaction (tenure in number of years or months to be specified).	Being a regular placement of surplus funds on temporary basis, approval of Members is being sought for material RPT from 5 th AGM and upto the date of 6 th AGM, for a period not exceeding fifteen (15) months
4.	Whether omnibus approval is being sought?	Yes
5.	Value of the proposed transaction during a financial year. If the proposed transaction will be executed over more than one financial year, provide estimated break-up financial year-wise.	Purchase of units of Liquid Mutual Fund Scheme of ₹ 40,000 crore. Redemption of units of Liquid Mutual Fund Scheme of ₹ 40,000 crore.
6.	Justification as to why the RPTs proposed to be entered into are in the interest of the listed entity.	The Corporation can invest in companies on behalf of the beneficiaries of insurance policies in such schemes as permitted by the IRDAI. Accordingly, the surplus funds that are temporarily idle are parked in Mutual Funds including those managed by LIC MF Asset Management, in compliance with IRDAI Regulations. At present, the Corporation has empaneled around twenty (20) Assets Management Companies for such temporary investments, and funds are typically placed in these mutual fund schemes for short duration of up to 90 days, until more suitable investment opportunities become available.
7.	Details of the promoter(s)/director(s)/key managerial personnel of the listed entity who have interest in the transaction, whether directly or indirectly.	NIL
	a. Name of the director/KMP	-
	b. Shareholding of the director/KMP, whether direct or indirect, in the related party	-
8.	A copy of the valuation or other external party report, if any, shall be placed before the Audit Committee.	NIL
9.	Other information relevant for decision making.	NIL
Part B: Additional Information		
B (1) Disclosure only in case of transactions relating to sale, purchase or supply of goods or services or any other similar business transactions and trade advances		
1.	Bidding or other process, if any, applied for choosing a party for sale, purchase or supply of goods or services.	Depends on cashflow, availability of mandate for purchase of units and requirement of funds for redemption of units.
2.	Basis of determination of price.	NAV basis
3.	In case of Trade advance (of upto 365 days or such period for which such advances are extended as per normal trade practice), if any, proposed to be extended to the related party in relation to the transaction, specify the following:	N. A.
	a. Amount of Trade advance	-
	b. Tenure	-
	c. Whether same is self-liquidating?	-

The said transaction, being a material RPT, requires prior approval of the Members of the Corporation in accordance with Regulation 23 of the SEBI Listing Regulations.

Members may note that in terms of the provisions of the Listing Regulations, the related parties as defined thereunder (whether such related party(ies) are a party to the aforesaid transactions or not), shall not vote to approve Resolution under Item No. 7.

None of the Directors and/or Key Managerial Personnel of the Corporation and/or their respective relatives is concerned or interested either directly or indirectly, financially or otherwise, in the above resolutions, except to the extent of their shareholding / directorship, if any in the Corporation and in the entity mentioned above.

Based on the review and approval of the Independent Directors on the Audit Committee, the Board recommends the Ordinary Resolution set out in Item No. 7 of the accompanying Notice for approval by the Members of the Corporation.

By order of the Board of Directors
For Life Insurance Corporation of India

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance officer

Date: June 24, 2026

Place: Mumbai

Central Office:

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com

Website: www.licindia.in

Annexure A

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Director seeking appointment:

Name of Director	Shri Sanjay Lohiya
Age	57 years
Nationality	Indian
Qualification	Graduate from St. Stephen's College, Delhi University
DIN	07151125
Brief Resume	The brief profile forms part of explanatory statement under item no. 6 of this notice.
Expertise in specific functional areas	Financial Services, Administration, Corporate Governance and Insurance
Terms and conditions of appointment/ reappointment	As per Government of India notification dated May 13, 2026. The other details are available on Corporation's website at https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct
Details of proposed remuneration	Not Applicable
Details of last remuneration drawn	Not Applicable
Date on which first appointed on the Board	May 13, 2026
Details of shareholding in the Corporation	NIL
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	He is not related to any of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation.
Number of Board meetings attended from the date of his appointment to the date of this notice	Shri Sanjay Lohiya, Government Nominee Director has attended 1 (One) Board Meeting out of 2 (two) Board Meetings held during the period from May 13, 2026 and upto the date of this notice.
Details of Directorships/Committee chairmanship and memberships in other Companies	State Bank of India - Does not have Chairmanship and Memberships in Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee.
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	National Aluminum Company Limited

Individual Shareholders holding shares in dematerialised form					Shareholders holding shares in physical form and shareholders other than individual	
NSDL	CDSL			Login through Depository Participant ("DP")		
(A) Member(s) already registered for NSDL IDEAS facility	(B) Member(s) not registered for NSDL IDEAS facility	(C) Members who have opted for Easi/ Easiest facility	(D) Members not registered for Easi/ Easiest facility	- Use login credentials of your demat account through your DP registered with NSDL/ CDSL for e-voting facility; Click on e-voting option; It will be redirected to NSDL/ CDSL (Depositories) website where e-voting option is available - Select E-voting event no. (EVEN): 140008 of Life Insurance Corporation of India, to cast your vote during remote e-voting period and during the meeting or joining virtual meeting	Voting through e-voting website of NSDL *Click here to visit e-voting website of NSDL; - Click on "Login" under "Shareholders/Members" section - Enter User ID, Password and verification code on screen; User ID - NSDL Enter 8 character DP Id (eg. IN123456) & 8 digit Client Id (eg. 12345678) - CDSL Enter 16 Digit Beneficial Owner Id (eg. 12*****) - Physical - Enter EVEN followed by Folio no. (eg. If EVEN is 12345 and folio is 001*** then User Id is 12345001****)	
*Click here to visit website; Click on the "Beneficial owner" icon under "Login" which is available under IDEAS section on the home page; Enter your User ID, password and verification code on screen or check How to retrieve initial password; Post Authentication, click on "Login"	*Click here to visit website; "Register online for IDEAS"; After completing the registration process follow the steps under (A)	*Click here to visit website; Click on "My Easi New (Token)" under "Login"; 1. Login with User ID and Password: Enter User ID and Password and Click on "Login" to generate OTP or 2. Login with PAN: Enter PAN and click on login to generate OTP - Enter OTP received on registered email address and mobile no. - Post login, Click on E-voting option, it will be redirected to e-voting page	*Click here to visit website; Enter 16 digit Beneficial Owner Id (BO Id) (i.e., Demat A/c no.) and PAN; Enter OTP received on registered email address and mobile no. - Post login Click on E-voting option, it will be redirected to e-voting page			
(E) OTP based login	(F) OTP based login/Without login to Easi/Easiest facility	Help Desk Shares held in NSDL: Email: evoting@nsdl.com Tel: 022-4886-7000 Shares held in CDSL: Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel: 1800-21-09911				
NSDL Mobile App    						
Click on "Life Insurance Corporation of India" or e-voting service provider i.e., NSDL Select E-voting event no. (EVEN): 140008 of Life Insurance Corporation of India, to cast your vote during remote e-voting period or joining virtual meeting and during the meeting ^: https://eservices.nsdl.com/ *: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp #: https://www.cdslindia.com/ \$: https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin						
2. Voting through NSDL IDEAS for registered user: *Click here to visit website; - Login with your existing NSDL IDEAS login credentials						

Information at a glance

S. No.	Particular	Details
1	Date and Time of AGM	Monday, July 27, 2026 at 1100 hrs (IST)
2	Mode of conduct	Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM")
3	Link to participate in the AGM through VC/OAVM	https://www.evoting.nsdl.com/ (For details please refer Para 14 under Notes of this notice)
4	Contact details of NSDL for assistance before or during the AGM	Email: evoting@nsdl.com Contact No.: 022-48867000 Member may connect with: Shri Sanjeev Yadav (Deputy Manager-NSDL) at evoting@nsdl.com
5	Record date for Final Dividend	Thursday, June 25, 2026
6	Cut-off date to determine entitlement for e-voting	Tuesday, July 21, 2026
7	E-voting start date	Thursday, July 23, 2026 @ 0900 hrs (IST)
8	E-voting end date	Sunday, July 26, 2026 @ 1700 hrs (IST)
9	E-voting event number (EVEN)	140008
10	Registration as speaker shareholder	Commence from 0900 hrs (IST) on Wednesday, July 22, 2026 to 1700 hrs (IST) on Friday, July 24, 2026 Send email to investors@licindia.com (Please send the request from your registered e-mail ID and mention name, DP ID and Client ID/Folio No., PAN, Mobile No. in the e-mail sent for registration)
11	Name, address and contact details of Registrar and Share Transfer Agent	Name : KFIN Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) Address : Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India-500032 Email Id for register queries : einward.ris@kfintech.com Tollfree No. : 1800 309 4001 Whatsapp Number : +91-91000-94099 Website : https://ris.kfintech.com/ Investor support Centre : https://kprism.kfintech.com/
12	Live webcast of AGM	https://www.evoting.nsdl.com/
13	QR Code for accessing the notice of AGM & Annual Report	



Har Pal Aapke Saath

लक्ष्य से प्रेरित, सेवा में समर्पित। Leading with Purpose, Serving with Passion.



69^{वीं}
th

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26
Annual Report 2025-26

भारतीय जीवन बीमा निगम
Life Insurance Corporation of India

Board of Directors



Shri R Doraiswamy

Chief Executive Officer
and Managing Director



Shri Sanjay Lohiya

Government Nominee
Director



Shri Dinesh Pant

Managing Director



Shri Ratnakar Patnaik

Managing Director



Shri Ramakrishnan Chander

Managing Director



Prof. Anil Kumar

Independent Director



Shri Mahalingam G

Independent Director



Dr. V.S. Parthasarathy

Independent Director

Key Managerial Personnel



Shri Sunil Agrawal

Chief Financial Officer



Shri Ajay Kumar Srivastava

Appointed Actuary
& Executive Director (Actuarial)



Shri Shatmanyu Shrivastava

Executive Director (ERM)
& Chief Risk Officer



Shri Arindam Dasgupta

Chief Investment Officer & Executive Director
(Investment Front Office)



Shri Jayashimhan TMM

Executive Director
(Board & Secretarial / Regulatory Compliance)
& Chief Compliance Officer



Shri Anshul Kumar Singh

Company Secretary &
Compliance Officer

CEO & MD and all Managing Directors of LIC are also Key Managerial Personnel.

हमारा कल्पना दर्शन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिस्पर्धी, विशाल वित्तीय समूह, जो विभिन्न समाजों के लिए महत्वपूर्ण हो एवं भारत का गौरव हो।

हमारा लक्ष्य

आकांक्षा के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से समुचित लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सभी के जीवन स्तर को निरापद रखना एवं उन्नत करना तथा आर्थिक विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित करना।

हमारे मूल्य

अभिरक्षण व शिष्टाचार
अभिक्रम व नवीनता
सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता
गुणवत्ता व लाभ
सहभागिता व संबंध
विश्वासनीयता व भरोसा

हमारी संस्कृति

दक्षता
अनुकूलता
सहयोग
प्रतिबद्धता
अनुशासन
अधिकृत करना
संवेदनशीलता
उत्कृष्टता

OUR VISION

To transform ourselves into a transnationally competitive financial conglomerate of significance to societies and the Pride of India.

OUR MISSION

To ensure and enhance the quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development.

OUR VALUES

Caring and courtesy
Initiatives and Innovation
Integrity and Transparency
Quality and Returns
Participation and Relationship
Trustworthiness and Reliability

OUR CULTURE

Agility
Adaptability
Collaboration
Commitment
Discipline
Empowerment
Sensitivity
Excellence

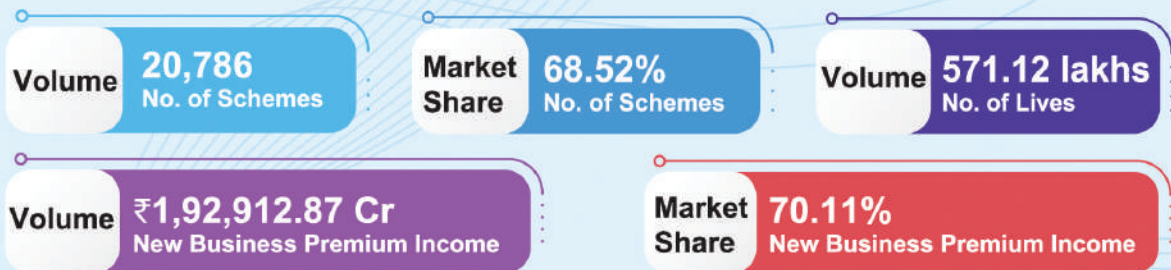
NEW BUSINESS (COMPOSITE) DURING THE YEAR 2025-26



• Market Share as per IRDAI data

PENSION AND GROUP BUSINESS

Achievement from 01.04.2025 to 31.03.2026



Total Premium Income
₹1,96,963.35 Cr

Total Policy Benefits Paid
₹1,82,081.32 Cr

BUSINESS IN FORCE



Lives covered under Pradhan Mantri
Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) — 3,68,62,545

PERFORMANCE PARAMETERS (₹ in Cr) F.Y.2025-26

Total Income
9,79,078.95

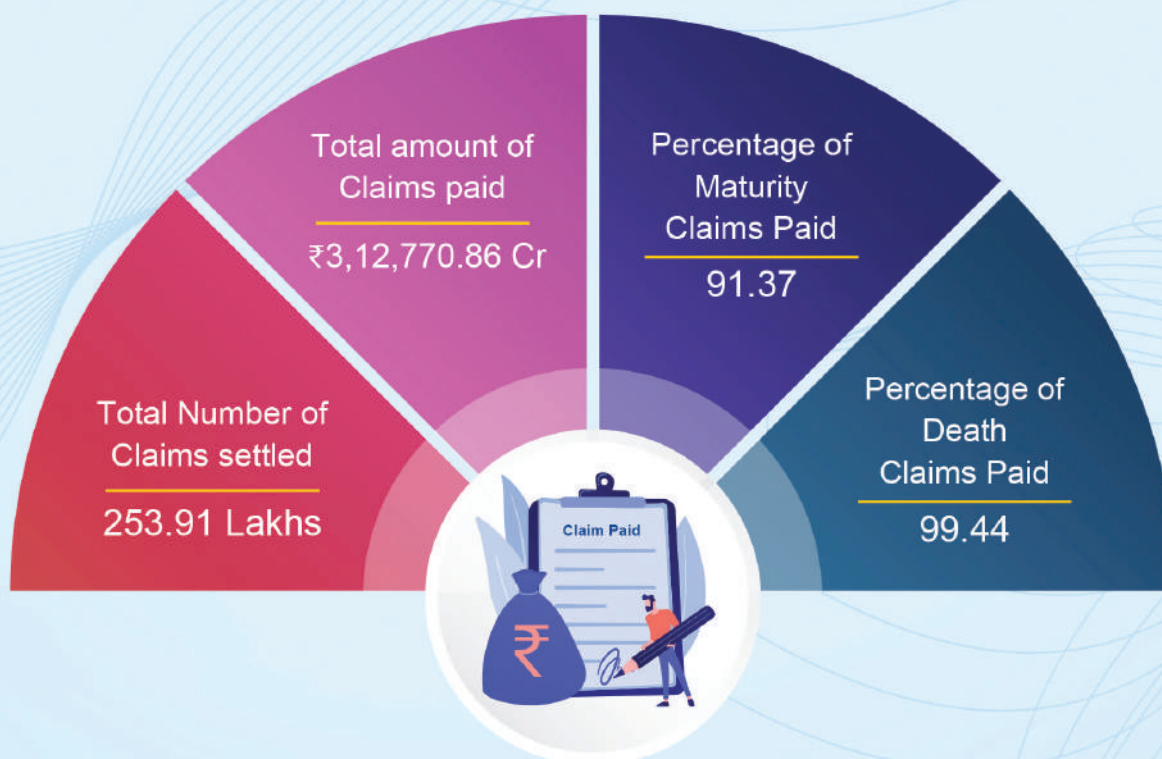
Total Net
Premium Income
5,35,984.22

Payment to
Policy holders
4,96,104.28

Total Life Fund
51,63,872.70

Total Assets
59,03,876.43

CLAIM SETTLEMENT PERFORMANCE 2025-26 (INDIVIDUAL, MICRO & P&GS)



Our Product Portfolio

STRUCTURING OUR OFFERINGS INTO A NEED-BASED MATRIX



Protection & Savings

(Endowment/
Money Back)

Risk cover during
the Policy Term.
Maturity Benefits
& Periodical
Survival Payouts



Lifelong Coverage

(Whole Life)

Lifelong coverage
with **Guaranteed**
Death benefits and
periodic Survival
benefits



Pure Risk Management

(Term Assurance)

High cover
Protection for a
specific Period



Retirement Security

(Annuity)

Long-term, low-risk
plans providing
steady income
/Pension at fixed
intervals



Market Linked

(ULIPs)

Wealth creation
combined with life
cover



विषय सूची

Table of Contents

01

वित्तीय विवरण

एलआईसी - यात्रा	06
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	10
निदेशक मंडल	14

02

वैधानिक रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	18
बोर्ड रिपोर्ट	38
निगमित शासन रिपोर्ट	62
व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट	123

03

Corporate Overview

LIC - The Journey	182
From the desk of Chief Executive Officer & Managing Director	186
Board of Directors	191

04

Statutory Reports

Management Discussion and Analysis	195
Board Report	214
Corporate Governance Report	236
Business Responsibility & Sustainability Report	296

05

वित्तीय विवरण/ Financial Statements

परिणामों का सारांश / Summarised Results	356
स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) / Standalone	363
समेकित / Consolidated	695

06

Additional Information

Embedded Value Report	920
Glossary of Terms	922

अस्वीकरण: वार्षिक रिपोर्ट के किसी भी खंड/भाग प्रावधानों में अस्पष्टता/विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण में उल्लेखित खंड/भाग/प्रावधानों को सही माना जाएगा।

एलआईसी-यात्रा



1956

- 1 सितम्बर को 245 कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से एलआईसी की स्थापना।
- फिजी और मॉरीशस में विदेशी शाखाएं प्रारम्भ।

1957

- समूह बीमा योजना के अंतर्गत पहली मास्टर पॉलिसी एलआईसी के मुंबई कार्यालय द्वारा जारी की गई थी।
- 'योगक्षेम' कॉर्पोरेट पत्रिका मई में एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में शुरू हुई।

1958

- एलआईसी की पहली निवेश नीति 25 अगस्त को संसद के पटल पर रखी गई।
- प्रथम बीमा ग्राम - अमरावती ज़िले में तलनी पूर्णा ग्राम को घोषित किया गया।

1963

- एलआईसी ने कैलेण्डर वर्ष से वित्तीय वर्ष में कार्य करने के परिवर्तन को अपनाया।



- भारतीय जीवन बीमा निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय 'योगक्षेम' एक स्थापत्य स्थल चित्र का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को किया।

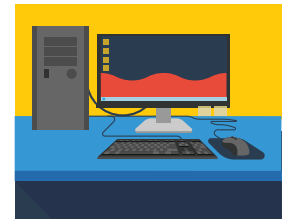


1970

- भारतीय जीवन बीमा को दर्शाने वाले स्मारक टिकट और पोस्ट कार्ड भारतीय डाक और टेलीग्राफ के माध्यम से जारी किये गए। 1870-1970 (भारत में जीवन बीमा की एक सदी)

1969

- अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज को नागपुर से बोरीवली, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।



1967

- एल आई सी में कंप्यूटराइजेशन।
- मुंबई में आईबीएम 1401/1410 कंप्यूटर स्थापित किए गए।



1971

- एजेंट्स क्लब जैसे अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक और शाखा प्रबंधक के क्लब एजेंट का संकल्पना 1971 में एजेंसी बल को प्रोफेशनल बनाने के लिए शुरू किया गया था।

1972

- अभिकर्ता क्लब की अवधारणा आरम्भ की गई। पहली कैरियर एजेंटों की शाखाएं स्थापित की गईं।
- भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता विनियम तैयार किए गए।
- पुनर्गठन नीति 1971 से 1978 की अवधि में लागू की गई थी।

1979

- ग्रामीण कैरियर एजेंसी योजना और शहरी कैरियर एजेंसी योजना अलग से अस्तित्व में आईं।

1978

- संयुक्त उद्यम कैन इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आरम्भ।

1980

- विकास अधिकारियों की सीधी भर्ती प्रारम्भ।
- साधारण बीमा कम्पनी और उसकी सहायक कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) की स्थापना की गई।

1981

- जन रक्षा पॉलिसी ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई।

1982

- ईसीआयएल-2958 मेनफ्रेम कम्प्युटर मुंबई में स्थापित।

1987

- भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा (LALGI) अगस्त में शुरू किया गया।



1989

- भारतीय जीवन बीमा निगम एक वित्तीय समूह में बदल गया।
- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अस्तित्व में आया।
- एलआईसी म्यूचुअल फंड 20 अप्रैल को ट्रस्ट के रूप में गठित।
- संयुक्त उद्यम एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी(सी) बहरीन का उद्घाटन।

1988

- ₹ 100 करोड़ की राशि के साथ एक सामाजिक सुरक्षा कोष भारत सरकार द्वारा भारत के समाज के कमजोर वर्गों को कवर करने हेतु स्थापित किया गया।

1994

- निगम ध्वज और निगम गीत प्रस्तुत किए गए।

1993

- केंद्रीय कार्यालय में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित। 17 जुलाई को 17 शाखा कार्यालयों में फ्रंट एंड एप्लीकेशन पैकेज प्रस्तुत किया गया।

1995

- ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना (आरजीएलआईएस) 15 अगस्त को प्रारम्भ की गई।

1996

- जीवन सुरक्षा पेंशन योजना एलआईसी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री एच डी देवेगौड़ा द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई।

1997

- एलआईसी के पहले मेट्रो एरिया नेटवर्क (MAN) का उद्घाटन 22 नवंबर को माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा मुंबई में किया गया।

1998

- पहले आईवीआरएस का उद्घाटन 21 अगस्त को मुंबई में किया गया।



2001

- पहली यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) 'बीमा प्लस' 12 फरवरी को शुरू की गई।
- 30 जून को शुरू की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना।
- इंटरनेट के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा 12 सितंबर को शुरू की गई।
- शिक्षण सहयोग योजना का उद्घाटन 31 दिसंबर को किया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड ने 3 दिसंबर को नेपाल में एलआईसी और विशाल समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में उद्घाटन किया।

2000

- 1 जनवरी को 'रणनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया' पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सलाह देने के लिए वित्तीय सेवाओं पर प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सलाहकार मैसर्स बूज एलन एंड हैमिल्टन को नियुक्त किया गया।
- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) का उद्घाटन 2 सितंबर को हुआ।
- सूचना के तेजी से प्रसार के लिए एलआईसी ने अपनी वेबसाइट www.licindia.in और इंटरनेट साइट 'जीवन संचार' लॉन्च की।



1999

- एल आई सी इंटरनेशनल बीएससी(सी) बहरीन ने 28 सितंबर से कतर में अपने परिचालन का विस्तार किया।



2002

- एलआईसी के पहले सूचना केंद्र का मुंबई में उद्घाटन किया गया। देश भर में 8 स्थानों पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। नंबर 1251 (यूनिफाइड एक्सेस) के माध्यम से सुलभ आईवीआरएस को 12 अप्रैल को कॉल सेंटरों के साथ एकीकृत किया गया था।
- बैंकएश्योरेंस के माध्यम से व्यापार शुरू हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक के साथ रणनीतिक गठजोड़।

2003

- एलआईसी (लंका) लिमिटेड का उद्घाटन 1 मार्च को एलआईसी और श्रीलंका के बार्टलेट समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ।
- बीमा स्कूल की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
- पुणे मंडल के अंतर्गत राजगुरुनगर 8 मार्च को पहली महिला बीमा ग्राम बनी।
- 20 दिसंबर को कॉर्पोरेशन बैंक के सहयोग से एटीएम के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम की पहली प्रीमियम भुगतान सुविधा का उद्घाटन किया गया।

2004

- ईसीएस और कियोस्क के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू।
- सऊदी अरब में 20 दिसंबर को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। (एसआईसीसीआई)

2005

- भारतीय जीवन बीमा निगम के पहले सैटेलाइट संपर्क कार्यालय (जिसे बाद में सैटेलाइट कार्यालय का नाम दिया गया) का उद्घाटन 2 सितंबर को राजेंद्र नगर, नई दिल्ली (दिल्ली म.का. -1), उत्तर क्षेत्र में हुआ।
- भारतीय जीवन बीमा निगम के वेब पोर्टल का उद्घाटन 15 नवंबर को किया गया।
- उद्यम दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (ईडीएम एस) का शुभारंभ।

2008

- एलआईसी कार्ड सेवाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
- सीएलआईए स्कीम शुरू हुई।
- एलआईसी पेंशन फंड का शुभारंभ।
- एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एएमसी) को 14 फरवरी को शामिल किया गया था।



2006

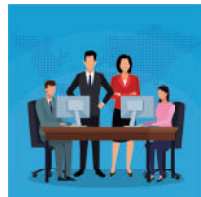
- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्थापना।

2011

- एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) शुरू की गई।

2009

- प्रीमियम भुगतान के वैकल्पिक चैनल शुरू किए गए।
- एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड 'एलआईसी कार्ड' प्रारंभ किया।



2012

- जीवन अक्षय VI – एलआईसी की पहली पॉलिसी ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई।
- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड शामिल की गई।

2014

- एजेंटों के लिए क्लब गैलेक्सी पेश किया गया।



2015

- तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, (पीएमजेजीबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ।
- एल आई सी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड का संयुक्त उद्यम एलआईसी शुरू हुआ।

2017

- 29 करोड़ ग्राहकों के पॉलिसी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हुआ।
- वॉलेट, भीम, यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम भुगतान प्रारंभ।

2020

- नवव्यवसाय का डिजिटल एप्लिकेशन आनंदा 19 नवंबर को लॉन्च किया गया जो आत्म निर्भर एजेंट के लिए एक संक्षिप्त नाम है जो एजेंट की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करता है।



2021

- हिंदी चैटबॉट 'एलआईसी मित्र' लॉन्च किया गया।

- आनंदा (का) मोबाइल ऐप का शुभारंभ – 24 अगस्त
- जमा संग्रह प्रबंधन केंद्र 5 जनवरी को शुरू किया गया।

2019

- आईडीबीआई बैंक अधिग्रहण – एक रणनीतिक साझेदारी।



2018

- भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षण केंद्र (एमडीसी, जेडटीसी) और के.का. सं.वि. / मा.सं. वि. को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र और बीआईएस मान्यता स्वीकृत।
- एजेंटों के लिए एलआईसी मोबाइल ऐप लॉन्च।

2024

- माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा पानीपत में एलआईसी की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया गया
- एलआईसी ने पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन (डीमैट) के लिए CMSREP के साथ अंग्रिमेंट किया, जो उद्योग जगत में एक प्रमुख उपलब्धि है।

2023

- प्रोजेक्ट डाइव लॉन्च (डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू एन्हांसमेंट)

2022

- पहली भारतीय एंबेडेड वैल्यू रिपोर्ट – 31.03.2022, प्रस्तुत की गई
- निगम के शेयर 17.05.2022 को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हुए
- निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक – 27.09.2022 को आयोजित हुई

2025

- एलआईसी ने Whatsapp बॉट के ज़रिए प्रीमियम पेमेंट के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की
- एलआईसी ने 20.01.2025 को 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीवन बीमा पॉलिसी बेचने का Guinness World Records™ खिताब हासिल किया। GWR द्वारा प्रमाणित यह ऐतिहासिक उपलब्धि, कॉर्पोरेशन के समर्पित एजेंसी नेटवर्क के असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देती है
- एलआईसी ने BSI सर्टिफिकेशन मिला। एलआईसी को British Standards Institution से ISO 22301:2019 बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन मिला।

2026

- एलआईसी के ग्राहकों के लिए 'माईएलआईसी (MyLIC)' ऐप तथा मध्यस्थों (इंटरमीडियरीज़) के लिए 'एलआईसी सुपर सेल्स साथी (LIC Super Sales Saathi)' मोबाइल ऐप का शुभारंभ

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक का संदेश



श्री आर दुरैस्वामि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पेश करना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह साल दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता और अर्थव्यवस्थाओं व उद्योगों में बड़े बदलावों वाला रहा। बदलती भू-राजनीतिक स्थिति, जिसमें जारी संघर्ष और सप्लाई-साइड में रुकावटें शामिल हैं, ने महंगाई का दबाव, वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव और दुनिया भर में विकास के लिए एक अधिक सतर्क माहौल बनाने में भूमिका निभाई है। ऐसे समय में, स्थिरता और वित्तीय मज़बूती के आधार के तौर पर बीमा क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

वर्ष 2026 बीमा क्षेत्र के लिए बड़े बदलावों का साल रहा है, जो ग्राहकों की बदलती उम्मीदों, तेज़ी से हो रही तकनीकी प्रगति और वैश्विक स्तर पर जोखिम के बढ़ते जटिल माहौल से प्रभावित रहा है। इन हालात के बीच, हमारा कॉर्पोरेशन अपने मकसद पर अडिग रहा है—सुरक्षा प्रदान करना, भरोसा कायम करना और अपने सभी स्टैकहोल्डर्स के लिए लंबे समय तक चलने वाली वैल्यू बनाना।

भू-राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां – बदलती दुनिया में टिकाऊ वैल्यू बनाना

IMF (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल ग्रोथ के स्थिर रहने की उम्मीद है। हाई-टेक सेक्टर में तेज़ी थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन यह दूसरी जगहों पर आई सुस्ती की भरपाई करती रहेगी। हालांकि टैरिफ और अनिश्चितता का असर कामकाज के स्तर पर बना रहेगा, लेकिन ग्रोथ पर इसका असर 2026 और 2027 के दौरान कम होने की उम्मीद है। 2026 के लिए 3.3% और 2027 के लिए 3.2% का अनुमान, 2025 में हासिल किए गए अनुमानित 3.3% की तुलना में थोड़ी कमी दिखाता है।

2026 में चल रहे US-ईरान संघर्ष ने मैक्रो-इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मार्केट के ज़रिए भारत के जीवन बीमा सेक्टर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों ने महंगाई का दबाव बढ़ाया है, जिससे परिवारों की खर्च करने योग्य आय पर असर पड़ा है और नए बिज़नेस की ग्रोथ, खासकर बचत-केंद्रित प्रोडक्ट्स में, धीमी हो सकती है। साथ ही, इक्विटी और डेट मार्केट में ज़्यादा उतार-चढ़ाव ने निवेश से मिलने वाले रिटर्न को प्रभावित किया है, जिससे बीमा कंपनियों के लिए पार्टिसिपेटिंग फंड को मैनेज करना और स्थिर बोनस देना चुनौतीपूर्ण हो गया है। महंगाई की चिंताओं के कारण लगातार ऊंची ब्याज दरों का मिला-जुला असर हुआ है—इसने फिक्स्ड-इनकम निवेश पर यील्ड को तो सहारा दिया है, लेकिन कुछ लॉन्ग-टर्म बचत प्रोडक्ट्स के आकर्षण को कम किया है। इन अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद, अनिश्चित ग्लोबल माहौल ने फाइनेंशियल सुरक्षा के महत्व को और मज़बूत किया है, जिससे टर्म इंश्योरेंस और सुरक्षा-केंद्रित समाधानों की मांग लगातार बनी हुई है। यह सेक्टर मज़बूत रेगुलेटरी निगरानी, अनुशासित एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट और सुरक्षा, डिजिटाइज़ेशन व ग्राहक-केंद्रित इनोवेशन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण मज़बूती बनाए हुए है।

हमारा निगम अपने मकसद पर अडिग रहा है—सुरक्षा प्रदान करना, भरोसा कायम करना और अपने सभी स्टैकहोल्डर्स के लिए लंबे समय तक चलने वाली वैल्यू बनाना।

इस माहौल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5%-7.0% के दायरे में रहने का अनुमान है, जो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करता है। मजबूत घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सरकारी निवेश और स्थिर फाइनेंशियल सिस्टम ने इस प्रदर्शन को आधार दिया है।

भारत के जीवन बीमा बाज़ार में उभरते हुए मौके

भारत का बीमा सेक्टर मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक आधार और बढ़ती उपभोक्ता मांग की वजह से मध्यम अवधि में ज़बरदस्त विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। 2026 और 2030 के बीच सालाना प्रीमियम में 6.9% की वृद्धि का अनुमान है, जिससे भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला प्रमुख बीमा बाज़ार बन जाएगा।

स्विस री (Swiss Re) का अनुमान है कि भारत का बीमा बाज़ार 2026 से 2030 के दौरान वास्तविक रूप से 6.9% की सालाना दर से बढ़ेगा, जो प्रमुख उभरते और विकसित बीमा बाज़ारों की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए, इसी अवधि में चीन के बाज़ार में लगभग 4% और अमेरिका में 2% की वृद्धि की उम्मीद है। यह 2025 में केवल 3.1% की धीमी वृद्धि से एक मजबूत वापसी है, क्योंकि भारतीय बीमा बाज़ार नए नियमों के अनुसार ढल रहा था। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किए गए सुधार और सरकार द्वारा व्यापक नीतिगत बदलाव अधिक पारदर्शिता ला रहे हैं और तेज़ी से विकास के अगले चरण के लिए उद्योग के ढांचे को नया रूप दे रहे हैं। प्रमुख उपायों में बीमा क्षेत्र में उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) सीमा, वितरण का आधुनिकीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधार शामिल हैं। ये बदलाव नई पूंजी ला सकते हैं, बीमा तक पहुंच बढ़ा सकते हैं और बीमा की मांग को बढ़ावा दे सकते हैं। जीवन बीमा के मामले में, जहां भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे बड़ा जीवन बीमा बाज़ार है, अगले

5 वर्षों में 6.8% की सालाना वृद्धि वितरण नेटवर्क के विस्तार, रिटायरमेंट उत्पादों की बढ़ती मांग और क्रेडिट वृद्धि से आने की उम्मीद है।

डीआयवीई (DIVE) में एक बड़ी उपलब्धि।

आज के लिए बना, कल के लिए तैयार।

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एलआईसी), अपने डिजिटल बदलाव के सफ़र में एक अहम पड़ाव के तौर पर अपने नए कस्टमर ऐप 'MyLIC' और "Super Sales Saathi" ऐप को लॉन्च करते हुए गर्व महसूस कर रही है।

इन्हें एलआईसी के DIVE (डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट) डिजिटल बदलाव प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए पेश किया गया है। इसे ग्राहकों, मध्यस्थों और कर्मचारियों के लिए एक आसान, सुरक्षित और पूरी तरह से जुड़े हुए बीमा अनुभव को देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऐप्स पॉलिसी मैनेजमेंट, प्रीमियम पेमेंट, पर्सनलाइज़्ड प्रोडक्ट सुझाव और मध्यस्थों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले एडवांस्ड टूल्स की सुविधा देते हैं। DIVE एक आधुनिक, डिजिटल-फ़र्स्ट एलआईसी की ओर एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है, जिससे पूरे देश में ऑफिस पर निर्भरता कम होती है और कामकाज की क्षमता बढ़ती है।

MyLIC, एलआईसी का अगली पीढ़ी का मोबाइल ऐप है, जिसे पॉलिसीधारकों के अपने जीवन बीमा पोर्टफोलियो को मैनेज करने के अनुभव को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। 'Super Sales Saathi' ऐप एलआईसी के मार्केटिंग कर्मचारियों के लिए अगली पीढ़ी का मोबाइल ऐप है। इन ऐप्स को 'यूज़र-फ़र्स्ट' सोच के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आसान डिज़ाइन, दमदार फ़ीचर्स और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक आसान, स्मार्ट और पर्सनलाइज़्ड 360-डिग्री अनुभव दिया जाता है।

इन ऐप्स को ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने, मध्यस्थों को सशक्त बनाने और आंतरिक कामकाज को आधुनिक बनाने पर साफ़ फ़ोकस के साथ डिज़ाइन किया गया है। AI जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बने इन ऐप्स का मकसद एक आसान, सुरक्षित और पूरी तरह से जुड़े हुए डिजिटल बीमा इकोसिस्टम को उपलब्ध कराना है।

एलआईसी के मोबाइल ऐप्स अब सिर्फ़ सपोर्ट टूल्स नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक एसेट्स हैं जो ग्राहकों के अनुभव और मध्यस्थों के प्रदर्शन को आकार देते हैं। ये ऐप्स ग्राहकों और मध्यस्थों के बीच इनके इस्तेमाल को बढ़ाते हैं, जिसका सीधा असर एलआईसी की ग्रोथ, पॉलिसी बने रहने की दर (पर्सिस्टेंसी) और कामकाज की क्षमता पर पड़ेगा। AI-आधारित इनसाइट्स, पर्सनलाइज़ेशन और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन में एलआईसी का लगातार निवेश डिजिटल वैल्यू के अगले दौर की शुरुआत करेगा।

एलआईसी की अगली पीढ़ी का मोबाइल ऐप 'Super Sales Saathi' को ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने, मध्यस्थों को सशक्त बनाने और आंतरिक कामकाज को आधुनिक बनाने पर साफ़ फ़ोकस के साथ डिज़ाइन किया गया है। AI जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बने इन ऐप्स का मकसद एक आसान, सुरक्षित और पूरी तरह से जुड़े हुए डिजिटल बीमा इकोसिस्टम को उपलब्ध कराना है।

सुरक्षा बढ़ाना, विकास को बढ़ावा देना

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025

संसद द्वारा 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' का पारित होना भारत के बीमा ढांचे के विकास में एक अहम पड़ाव है। बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करके, यह विधेयक एक ऐसे आधुनिक, लचीले और समावेशी नियामक ढांचे की ज़रूरत को पूरा करता है जो भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। इस विधेयक के तहत प्रस्तावित संशोधन समय पर और ज़रूरी हैं, ताकि 2047 तक सभी के लिए बीमा के राष्ट्रीय मिशन को समर्थन मिल सके।

इस विधेयक की एक बड़ी खूबी पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और नियामक मज़बूती पर इसका ज़ोर है। पुराने प्रावधानों को अपडेट करके और गवर्नेंस के नियमों को मज़बूत करके, ये संशोधन पूरे बीमा इकोसिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और समझदारी भरी निगरानी को बढ़ावा देते हैं। पॉलिसीधारकों के लिए, इसका मतलब है बेहतर सुरक्षा उपाय, बेहतर सेवा मानक और दीर्घकालिक बीमा वादों में ज़्यादा भरोसा-जो भरोसे पर बने इस सेक्टर के लिए एक ज़रूरी बात है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए, ये सुधार एक भरोसेमंद राष्ट्रीय संस्थान के तौर पर हमारी भूमिका को फिर से पुष्ट करते हैं, जिसकी विकास में गहरी भूमिका है। सात दशकों से, आपका संगठन अलग-अलग इलाकों और आय वर्गों तक जीवन बीमा सुरक्षा पहुँचाने में सबसे आगे रहा है। विधायी बदलाव हमें अपनी पहुँच को और मज़बूत करने, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और यूनिवर्सल बीमा कवरेज के राष्ट्रीय लक्ष्य में सार्थक योगदान देने का मौका देते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सभी व्यक्तिगत पॉलिसियों पर पूरी तरह जीएसटी छूट मिलने के ठीक बाद आए हैं, जिससे जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत और खुशी मिली है।

जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बीमा सेक्टर परिवारों की सुरक्षा, दीर्घकालिक बचत को जुटाने और आर्थिक स्थिरता का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाएगा। 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया एक सुधार है जो एक सुरक्षित, समावेशी और मज़बूत बीमा इकोसिस्टम बनाने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करता है-ऐसा इकोसिस्टम जो यह सुनिश्चित करे कि हर भारतीय जीवन की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रहे।

महिलाओं का सशक्तिकरण: प्रगति और पहल

'बीमा सखी योजना' को आगे बढ़ाते हुए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (एलआईसी) ने ग्रामीण इलाकों में अपनी इस योजना को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण

विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY - NRLM) के लक्ष्य 'बीमा सखी योजना' के तहत मिलने वाले नतीजों से पूरी तरह मेल खाते हैं। यह समझौता ज्ञापन ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की कोशिशों में उनके लाभ के लिए इस सहयोग का फायदा उठाने के मकसद से किया गया है।

बेहतरीन प्रदर्शन का एक अहम पल

सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख बीमा कंपनी एलआईसी ऑफ़ इंडिया को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन (BSI) से खडज 22301:2019 बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम (BCMS) सर्टिफिकेशन मिला है। इससे यह बात फिर से साबित होती है कि कंपनी की ऑपरेशनल रेजिलिएंस (कामकाज को बनाए रखने की क्षमता), बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट क्षमताएं दुनिया के सबसे अच्छे तौर-तरीकों के अनुरूप हैं। ISO 22301:2019 BCMS सर्टिफिकेशन कंपनी की मज़बूत बिज़नेस कंटिन्यूटी प्रैक्टिस बनाए रखने, अचानक आई रुकावटों के दौरान भी बिना किसी रुकावट के सेवाएं जारी रखने और जोखिम को प्रभावी ढंग से संभालने की क्षमता को मान्यता देता है।

ISO 22301:2019 बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, जो कामकाज में रुकावटों को कम करने और संकट के समय तेज़ी से सामान्य स्थिति में लौटने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सर्टिफिकेशन हासिल करने से एक मज़बूत संगठन के तौर पर एलआईसी की प्रतिष्ठा और बढ़ती है; यह संगठन किसी भी अप्रत्याशित चुनौती के बावजूद सेवाओं को जारी रखने और ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और सुधार - रणनीति

इस साल, हमने अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने और बदलते माहौल में उनकी बदलती ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए 11 नए प्रोडक्ट पेश किए और 5 मौजूदा प्रोडक्ट्स में बदलाव किए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) पर रेगुलेटरी फोकस बना रहा, जिसमें स्पष्टता बढ़ाने, कंप्लायंस को आसान बनाने और इंश्योरर्स के लिए कुल टैक्स ढांचे को बेहतर बनाने के लिए पहल की गई। उम्मीद है कि इन बदलावों का इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे पॉलिसीहोल्डर्स के लिए इसे किफायती बनाने और ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस पहुँचाने में मदद मिलेगी। जैसे-जैसे रेगुलेटरी माहौल बदल रहा है, हम जीएसटी सुधारों के साथ तालमेल बिठाने और स्टेकहोल्डर्स को वैल्यू-बेस्ड और ग्राहक-केंद्रित समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बेहतरीन काम के लिए पहचान

इस साल, कॉर्पोरेशन को सर्विस डिलीवरी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और ग्राहक-केंद्रित पहलों में बेहतरीन काम के लिए व्यापक पहचान मिली। डिजिटल इनोवेशन, क्लेम मैनेजमेंट और ग्राहकों की संतुष्टि सहित कई

क्षेत्रों में प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान दिए गए, जिससे इश्योरेंस सेक्टर में कॉर्पोरेशन की लीडरशिप की पुष्टि हुई।

ये सम्मान पॉलिसीहोल्डर्स और स्टेकहोल्डर्स के अटूट भरोसे के साथ-साथ प्रोफेशनलिज़्म, पारदर्शिता और बेहतरीन सर्विस के ऊँचे स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये उपलब्धियाँ हमें अपनी क्षमताओं को मज़बूत करने और तेज़ी से बदलते और कॉम्पिटिटिव माहौल में बेहतर वैल्यू देने के लिए और प्रेरित करती हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कई उपलब्धियाँ हासिल हुईं, जिनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:

- ✓ एलआईसी भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरा है
 - मार्क्समेन डेली
- ✓ तीसरा ग्रेट इंडियन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लीडर्स समिट एंड अवार्ड्स 2025
 - ट्रांसफॉर्मर्स । ट्रांसफॉर्मेटिया प्राइवेट लिमिटेड
 - पिच BFSI मार्केटिंग अवार्ड्स 2025 का तीसरा एडिशन एक्सचेंज4मीडिया
- ✓ कस्टमर एक्विजिशन के लिए पहला बेस्ट उद्धत कैपेन - 2025
 - री- एजेंसी रिपोर्टर
- ✓ सबसे असरदार कैपेन
 - क्वोरावर्स 2025
- ✓ इश्योरेंस में एक्सीलेंस के लिए 12वां नेशनल अवार्ड - लाइफ इश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट पीआर/मार्केटिंग कैपेन, एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सीलेंस, क्लेम सर्विस में एक्सीलेंस
 - CMO एशिया
- ✓ धनम BFSI समिट और अवार्ड नाइट 2025 का आठवां एडिशन धनम बिजनेस मीडिया
- ✓ 12वां ईटी नॉव इश्योरेंस समिट और अवार्ड्स - साल 2025 के लिए लाइफ इश्योरेंस - लार्ज कैटेगरी में एलआईसी ऑफ़ इंडिया को 'स्मार्ट इश्योरर' के तौर पर मान्यता

- ET Now इश्योरेंस
- ✓ D&B- BFSI और फिनटेक समिट 2026
 - डन एंड ब्रैडस्ट्रीट
- ✓ नेशनल पीएसयू लीडरशिप और गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026
 - टाइम्स एस्पायर इनविमो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

एक मज़बूत भविष्य की ओर

आगे देखते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) लाखों पॉलिसीधारकों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी लीडरशिप को मज़बूत करने के अपने वादे पर अडिग है। भरोसे और सेवा की अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, हम बीमा की पहुँच बढ़ाने, कस्टमर अनुभव को बेहतर बनाने और बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल इनोवेशन का इस्तेमाल करने पर ध्यान देना जारी रखेंगे। तेज़ी से बदलते आर्थिक और रेगुलेटरी माहौल में, समझदारी से जोखिम प्रबंधन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और समावेशी विकास पर हमारा ज़ोर हमारी आगे की यात्रा को दिशा देगा। हम अपने स्टेकहोल्डर्स के लिए लंबे समय तक चलने वाली वैल्यू बनाने के साथ-साथ देश के वित्तीय सुरक्षा और सभी के लिए बीमा (Insurance for All) के विज़न में सार्थक योगदान देने के लिए समर्पित हैं। हमें भरोसा है कि हमारी मज़बूत नींव, अनुभवी लीडरशिप और इनोवेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए लगातार वैल्यू बनाने में सक्षम बनाएगी।

बोर्ड की ओर से, मैं अपने पॉलिसीधारकों, शेयरधारकों, फील्ड फोर्स, कर्मचारियों और पार्टनर्स का उनके लगातार भरोसे और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

हस्ताक्षरित

आर दुरैस्वामि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल



श्री आर दुरैस्वामि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

श्री आर दुरैस्वामि ने 14 जुलाई 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ एवं एमडी के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले, वह निगम के प्रबंध निदेशक थे।

वह संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविदों में 40 वर्षों के समृद्ध और विविध अनुभव के साथ 17 वें बैच के एक सीधी भर्ती अधिकारी हैं। भारत के प्रमुख जीवन बीमाकर्ता और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रमुख तौर पर वह 8 घरेलू और 8 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में 8 क्षेत्रों, 2,048 शाखाओं, 1584 उपग्रह कार्यालयों, 1250 विभिन्न अन्य कार्यालयों और संचालन में फैले एक राष्ट्रव्यापी और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को रणनीतिक और शासन निरीक्षण प्रदान करते हैं। उनके नेतृत्व को “फिजिटल” परिवर्तन रणनीति द्वारा परिभाषित किया गया है; प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफार्मों के साथ एक मजबूत एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना। उनके नेतृत्व में, एलआईसी ने नॉन-पार व्यवसाय को बढ़ाने, युवाओं और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए लक्षित जोखिम कवर समाधान शुरू करने, “ग्रीन ऑफिस” को लागू करने और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानकों को बढ़ाने पर एक मजबूत ध्यान देने के साथ उत्पाद विविधीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने गोल्डन जुबली फाउंडेशन के माध्यम से भी कई उच्च प्रभाव वाली पहल शुरू की हैं।

प्रबंध निदेशक के रूप में, श्री आर. दुरैस्वामि ने बैंकएश्योरेंस के विपणन कार्यक्षेत्र के साथ-साथ समूह व्यवसाय का भी नेतृत्व किया। उन्होंने ग्राहक संबंध, वित्त और अनुपालन कार्यों का भी नेतृत्व किया। उन्होंने कॉर्पोरेट स्तर पर कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर विकास), क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन/मुख्य जीवन बीमा सलाहकार योजना), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबंधक (पेंशन और समूह योजनाएं), कोट्टायम डिवीजन के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और चेन्नई-1, तंजावुर और पुणे डिवीजनों के विपणन प्रबंधक के रूप में संगठन के भीतर विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है।

उन्होंने आईटी के मुख्य और कार्यकारी निदेशक के तौर पर एलआईसी के व्यक्तिगत व्यवसाय के आईटी बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में समूह बीमा विपणन के क्षेत्रों में जबरदस्त वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हासिल किया।

राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में रिसर्च एसोसिएट के रूप में, उन्होंने सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियम, बीमा प्रबंधन और चार्टर्ड वित्तीय योजना में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उत्पाद विकास और सामग्री विकास पर कई परियोजनाओं पर काम किया।

श्री दुरैस्वामि मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और भारतीय बीमांकक संस्थान के छात्र सदस्य हैं।



श्री संजय लोहिया

सरकार द्वारा नामित निदेशक

1994 बैच (असम मेघालय कैडर) के आईएएस अधिकारी श्री संजय लोहिया ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है और 1.6.2026 से वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वित्तीय सेवा विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह खान मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे।

वह सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से जुड़े। खान मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें असम सरकार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव, पीएमओ में निदेशक आदि शामिल थे।



श्री दिनेश पंत

प्रबंध निदेशक

श्री दिनेश पंत 1 जून 2025 से प्रभावी प्रबंध निदेशक की भूमिका संभालने से पहले भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक) रहे हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्जुअरीज यूके के फेलो सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास इंजीनियरिंग और कानून में डिग्री के साथ-साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी है। 2017 में नियुक्त बीमांकक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, श्री पंत ने एलआईसी में अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए उत्पाद बीमांकक और बीमांकक के रूप में लगभग पांच साल का अनुभव प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने समग्र उत्पाद और बीमांकिक रणनीति का नेतृत्व किया, उन्हें निगम के व्यावसायिक ढांचे के साथ संरेखित किया।

विशेष रूप से, वह उन कुछ एलआईसी अधिकारियों में से हैं, जिन्होंने भारत में प्रमुख शाखाओं में विपणन संचालन और एक प्रतिष्ठित विदेशी जीवन बीमा संचालन के सफल कार्यकाल के बाद बीमांकिक कार्यों के विशेष क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पहले, 2002 में आईआईएम-अहमदाबाद द्वारा प्रशिक्षण के बाद, वह एलआईसी की निवेश अनुसंधान टीम में शामिल हो गए, ऋण, इक्विटी, पुनर्गठन, उद्यम निधि और परियोजना वित्त सहित विभिन्न निवेश कार्यों में व्यापक प्रदर्शन प्राप्त किया, अंत में निगम के महत्वपूर्ण ट्रेजरी डेस्क का नेतृत्व करने से पहले। नियुक्त एक्जुअरी के रूप में, श्री पंत एलआईसी की प्रमुख प्रबंधन टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 2022 में एलआईसी के मेगा आईपीओ की सफल योजना और लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आईपीओ के बाद एलआईसी को लाभदायक और सतत विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सभी हितधारकों के लिए मूल्य पैदा होता है।

अपने करियर की शुरुआत में, उन्हें केनईडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या में महाप्रबंधक (लाइफ) के रूप में लाइफ ऑपरेशंस का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त था, जो पांच वर्षों से अधिक समय तक इस समग्र बीमा कंपनी के जीवन बीमा व्यवसाय के विपणन और समग्र संचालन की देखरेख करते थे। 1989 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल होने के बाद से, उनके पास अधिकांश परिचालन क्षेत्रों में व्यापक अनुभव था, इसके बाद राजस्थान और दिल्ली में एलआईसी की कुछ सबसे प्रतिष्ठित शाखाओं का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत होने से पहले अपने बैच से सबसे कम उम्र के सहायक शाखा प्रबंधक (ब्रिक्की) में से एक के रूप में एक छोटा कार्यकाल था। बाद में उन्होंने केंद्रीय कार्यालय में निवेश अनुसंधान प्रकोष्ठ में शामिल होने से पहले प्रबंधक (न्यू बिजनेस एंड एक्जुरियल) और लीगल की भूमिका संभाली।

श्री पंत 2017 से एलआईसी के बोर्ड में स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य रहे हैं और उन्होंने निवेश समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और लाभकारी समिति जैसी कई उप-समितियों में कार्य किया है। वह शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को उत्पादों, मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और रणनीतियों सहित प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों पर सलाह देते हैं।

शिक्षा के लिए एक उत्साही अधिवक्ता, श्री पंत ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी सहित विभिन्न संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी सदस्य के रूप में शिक्षा जगत में योगदान दिया है। उन्होंने बीमा पेशेवर निकायों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री भी विकसित की है। इसके अलावा, उन्होंने पेशेवर निकायों और नियामकों की विभिन्न समितियों में कार्य किया है, जिसमें फिक्की की स्वास्थ्य समितियां और पीएफआरडीए की पेंशन सलाहकार समिति शामिल हैं। उन्होंने आईआरडीएआई द्वारा गठित कई समितियों और उप-समितियों की अध्यक्षता की है और उनके सदस्य रहे हैं, जो उत्पाद नियमों, सूचकांक-लिंकड उत्पादों, निवेश और जोखिम-आधारित पूंजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बीमा और वित्त के प्रमुख और विशिष्ट क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ, श्री दिनेश पंत उद्योग में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बने हुए हैं।



श्री रत्नाकर पटनायक

प्रबंध निदेशक

श्री रत्नाकर पटनायक ने 1 जून, 2025 को प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 1990 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने निगम के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन और प्रशासन, दोनों तरह के कामों को सफलतापूर्वक संभाला है। पारंपरिक विपणन में अपने 22 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने लगभग एक दशक तक बड़ी शाखाओं (जिसमें पूर्वी क्षेत्र की तामलुक शाखा भी शामिल है - जो उस समय पॉलिसी संख्या के आधार पर पूरे भारत में नंबर एक शाखा थी) का नेतृत्व किया।

आसनसोल और कोलकाता महानगर मंडल - I जैसे बड़े मंडलों के विपणन प्रबंधक के रूप में, उनके अहम योगदान से इन मंडलों ने हर मानक पर अच्छा प्रदर्शन किया। इंदौर और जमशेदपुर में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में उनके नेतृत्व में, नव व्यवसाय और पॉलिसी सेवा जैसे कई अहम क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल कीं।

तीन साल तक चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर (CLIA) कार्यक्षेत्र के प्रादेशिक प्रबंधक (विपणन) के तौर पर उनके शानदार नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्र के नाम कई सफलता की कहानियां हैं। उनके कार्यकाल के दौरान, इस चैनल ने पहली बार प्रथम वर्ष प्रीमियम आय ₹ 1000 करोड़ से पार हो गयी। पदोन्नति पर कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) का पद संभालने से पहले, उन्होंने प्रमुख (निवेश फ्रंट ऑफिस) के तौर पर भी काम किया। वह निगम के मुख्य निवेश अधिकारी, के एम पी भी रहे। निगम की सूचीबद्धता के ठीक बाद, मुख्य निवेश अधिकारी के तौर पर अपने दो साल के कार्यकाल में उनके विशेष ध्यान की वजह से रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन में गुणात्मक सुधार हुआ, बेहतर प्रतिफल मिला और 'हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर' सेक्टर में निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई। उनके नेतृत्व में ब्याज दर वृत्तन की शुरुआत की गई।

प्रबंध निदेशक के तौर पर, उनकी अटूट प्रतिबद्धता, समय पर मार्गदर्शन और सक्रिय निर्देशों ने टीम भावना को बढ़ावा दिया और कई नए मील के पत्थर हासिल करने में मदद की। निगम ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए व्यक्तिगत अनुभाग में लगभग ₹ 67,500 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक 'प्रथम वर्ष प्रीमियम आय' हासिल की, साथ ही नए बिजनेस के सभी पैमानों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की।

भौतिकी (ऑनर्स) में स्नातक और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोतर होने के साथ-साथ, वे 'भारतीय बीमा संस्थान' के फेलो भी हैं और उसी संस्थान से स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें पढ़ने और खेलों का शौक है।



श्री रामकृष्णन चंद्र

प्रबंध निदेशक

श्री रामकृष्णन चंद्र ने 1 दिसंबर 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह एलआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) और निवेश (फ्रंट ऑफिस) विभाग के कार्यकारी निदेशक थे।

श्री चंद्र विज्ञान में स्नातक हैं, उनके पास वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और भारतीय बीमा संस्थान की फेलोशिप है। श्री चंद्र 1990 में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल हुए थे और उन्होंने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, विपणन और पेंशन और समूह योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए एलआईसी की रणनीतिक व्यापार इकाई के कार्यकारी निदेशक सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उनके पास एलआईसी के संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रणनीतिक एवं परिचालन नेतृत्व का परिचायक रहा है, जिसने एलआईसी के निवेश पोर्टफोलियो और अंतरराष्ट्रीय संचालन का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है। सीआईओ के रूप में, श्री चंद्र ने भारत के सबसे बड़े निवेश पोर्टफोलियो में से एक का नेतृत्व किया और बीमा क्षेत्र में एलआईसी के वित्तीय प्रदर्शन और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में, निवेश रिटर्न मजबूत हुआ, जिससे पॉलिसीधारकों को बेहतर मूल्य मिला।

श्री चंद्र के पास विपणन, पेंशन और समूह योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रणनीतिक कौशल के साथ गहन संस्थागत ज्ञान है।



प्रो. अनिल कुमार

स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अनिल कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) के वाणिज्य विभाग में वित्त और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोफेसर हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन के सीईओ के रूप में भी कार्य करते हैं।

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी), डीएसई और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र, उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और उनके पास 37 वर्षों से अधिक का शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुभव है। प्रो. कुमार ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 31 से अधिक वर्षों तक पढ़ाया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सीएसआर में दस से अधिक पुस्तकें और कई शोध पत्र लिखे हैं। प्रोफेसर कुमार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, कॉर्पोरेट नेताओं और निदेशक मंडल के लिए विभिन्न कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।



श्री महालिंगम जी

स्वतंत्र निदेशक

श्री महालिंगम जी (गुरुमूर्ति महालिंगम) का चार दशकों का पेशेवर करियर है, जो वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तक विस्तृत है। उन्होंने आरबीआई में वित्तीय बाजार विकास, विनियमन और संचालन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ऋण प्रबंधन और बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। वह विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप के साथ-साथ देश के विदेशी मुद्रा भंडार और रुपया तरलता नीति और संचालन के प्रबंधन के मुख्य डीलर और कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) थे। अपनी उपरोक्त जिम्मेदारियों को पूरा करने में, उन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट, यूरोपीय ऋण संकट (2011-12) के साथ-साथ टेपर ट्रैड (2013-2016) के दौरान नियामक नीतियों को तैयार करने और आरबीआई के बाजार संचालन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विदेशी मुद्रा नीतियों और मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को आकार देने में निकटता से शामिल थे। सेबी के पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी भूमिका में, जिसमें कार्यकारी जिम्मेदारियां भी थीं, उन्हें म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, सूचीबद्ध कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहलुओं, स्टॉक और डेरिवेटिव बाजारों, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को विनियमित करने का व्यापक अनुभव रहा है। उन्होंने प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के संबंध में जांच और प्रवर्तन कार्रवाइयों के संचालन की निगरानी की है। वह बाजार के दुराचार से जुड़े 500 से अधिक मामलों के लिए एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण थे। आरबीआई और सेबी में, वह विदेशी मुद्रा बाजार, वित्तीय बेंचमार्क, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समितियों से जुड़े थे। वह वर्तमान में द्वितीयक बाजारों पर सेबी सलाहकार समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं।

श्री महालिंगम ने आईआईटी कानपुर से सांख्यिकी और संचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने यूके के बर्मिंघम बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस में एमबीए भी किया है।



डॉ. वी.एस. पार्थसारथी

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. पार्थसारथी के पास 40 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें उन्होंने व्यवसायों, कार्यों, संगठन परिवर्तनों और 125 से अधिक विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) लेनदेन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।

वह आईसीएआई, भारत और आईसीआईडब्ल्यू यूके से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम (2011) के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की थी। हाल ही में, उन्होंने एम एंड ए पर एक पुस्तक (गाइडों के साथ) लिखी जिसका शीर्षक 'द एनाटॉमी ऑफ एम एंड ए' था।

वह कई सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में हैं। वह एनआईआईटी एमटीएस, एक एडुटेक सूचीबद्ध कंपनी और पेन्नार इंडस्ट्रीज में एक स्वतंत्र निदेशक हैं। वह यूनिफॉर्म + IPO होने के रास्ते पर कंपनियों के बोर्ड में हैं जैसे क्लाउडनाइन हॉस्पिटल्स, कार देखो, ग्रीनसेल मोबिलिटी, कुछ का उल्लेख करने के लिए, वह स्टार्टअप्स को कोचिंग और मेंटर भी करते हैं।

डॉ. पार्थसारथी ने अपने करियर की शुरुआत मोदी जेरोक्स के साथ की और कई पदों और स्थानों पर सेवा करते हुए एसोसिएट डायरेक्टर के पद तक पहुंचे। महिंद्रा समूह में, जहां उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक सेवा की, उनकी अंतिम भूमिका मोबिलिटी सर्विसेज सेक्टर के अध्यक्ष के रूप में थी। इससे पहले, वह सात साल तक समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और समूह मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिंद्रा समूह के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया है और कई सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में रहे हैं।

वह सेवा (सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन) की शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पहल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रोपकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और इसकी दो कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

उन्हें अपनी सीएफओ और सीआईओ भूमिकाओं के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिला है, जिसमें बिजनेस वर्ल्ड - यस बैंक हॉल ऑफ फेम अवार्ड; आईएमए कॉर्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कारों द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार; एचपीई द्वारा डिजिटल आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड; और सीआईओ द्वारा लगातार चार वर्षों तक पुरस्कार जीतने के बाद सीआईओ द्वारा हॉल ऑफ फेम-100, अवार्ड शामिल है। उन्होंने सीएफओ के रूप में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ईटी-हॉल ऑफ फेम अवार्ड भी हासिल किया।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. प्रस्तावना

भारतीय जीवन बीमा निगम को 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी 69वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए खुशी हो रही है। यह रिपोर्ट जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (बीमाकर्ताओं के लिए निगमित शासन) विनियम, 2024 (लागू सीमा तक), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है।

2. वैश्विक आर्थिक वातावरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भू-राजनीतिक तनाव बने रहे, पॉलिसी को लेकर काफी अनिश्चितता रही और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने कई ऐसे ट्रेड पॉलिसी कदम उठाए जिनसे वैश्विक गतिविधि पर गिरावट का जोखिम बना रहा। चालू वर्ष 2026 की शुरुआत में भू-राजनीतिक तनाव जोखिमों के कारण कमोडिटी की कीमतों में बीच-बीच में उछाल देखा गया, जबकि एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति में ढील की रफ्तार और क्रम को लेकर बदलती उम्मीदों के प्रति आर्थिक बाज़ार संवेदनशील बने रहे।

वैश्विक महंगाई में कमी का ट्रेंड मोटे तौर पर जारी रहा, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में यह स्थिति एक जैसी नहीं थी; उम्मीद है कि महंगाई में गिरावट जारी रहेगी और यह 2025 में 4.1% से घटकर 2026 में 3.8% और 2027 में 3.4% हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, 2026 में वैश्विक विकास 3.3% पर स्थिर रहने का अनुमान है (जो 2025 के अनुमानित 3.3% के बराबर है) और 2027 में यह थोड़ी धीमी होकर 3.2% हो सकती है। व्यापारिक तनाव बढ़ने और पॉलिसी को लेकर ज़्यादा अनिश्चितता से वैश्विक व्यापार और इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ने की उम्मीद है; इसके जोखिम मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाएँ पर केंद्रित हैं और इसका असर उभरते बाज़ारों पर भी पड़ सकता है।

मध्यम अवधि में वैश्विक महंगाई के धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और व्यापार को लेकर बढ़ता तनाव इस प्रगति को धीमा कर सकते हैं। वित्तीय बाज़ार में उतार-चढ़ाव बना रहा और विनियम दरों में भी ऊपर-नीचे का क्रम चलता रहा, जिससे देशों के बीच पैसे के लेन-देन और निवेशकों के भरोसे पर असर पड़ा।

3. भारत में मैक्रो-आर्थिक वातावरण

हमारा बिज़नेस, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणाम और नकदी प्रवाह भारत की मैक्रो-इकोनॉमिक स्थितियों से गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि हम अपना ज़्यादातर बिज़नेस यहीं करते हैं और अपनी लगभग सारी कमाई यहीं से करते हैं। जहाँ अर्थव्यवस्था और जीवन बीमा सेक्टर में ग्राहकों का मज़बूत भरोसा आम तौर पर हमारी ग्रोथ में मदद करता है, वहीं भारत में मैक्रो-इकोनॉमिक स्थितियों में आने वाले बुरे बदलाव हमारे प्रोडक्ट्स की मांग पर बुरा असर डाल सकते हैं, पॉलिसी सरेंडर और निकासी बढ़ा सकते हैं, निवेश पर रिटर्न कम कर सकते हैं और हमारे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर भी असर डाल सकते हैं।

भारत के बढ़ते हुए लेकिन कम पहुंच वाले जीवन बीमा उद्योग के प्रदर्शन पर असर डालने वाले मुख्य मैक्रो-इकोनॉमिक कारकों में देश की जनसंख्या का रुझान और अनुकूल डेमोग्राफिक्स, शहरीकरण की गति, कुल आर्थिक विकास दर, परिवारों की आय में वृद्धि और वित्तीय बचत के प्रति उपभोक्ताओं का नज़रिया शामिल हैं। ये कारक तय करते हैं कि परिवार अपनी बचत का कितना हिस्सा बीमा उत्पादों में लगाते हैं, और कितना हिस्सा अन्य विकल्पों जैसे कि फिजिकल एसेट्स (रियल एस्टेट, सोना) और वित्तीय साधनों (बैंक जमा, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड) में लगाते हैं। मैक्रो-इकोनॉमिक स्थितियां अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश के मिश्रण पर भी असर डालती हैं।

मैक्रो एनवायरनमेंट में सकल घरेलू उत्पाद, महंगाई, रोज़गार, खर्च और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के ट्रेंड शामिल हैं।

- (i) **सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर :** सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का सीधा असर इंडियोरेंस सेक्टर पर पड़ता है। ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वाली मज़बूत इकॉनमी से बीमा उत्पाद की मांग बढ़ती है। कई चुनौतियों के बावजूद वैश्विक विकास में स्थिरता के बीच, भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2025-26 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 7.1 प्रतिशत थी।

मांग के नज़रिए से, प्राइवेट फ़ाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के मुख्य कारण रहे। हालांकि, US टैरिफ़ लागू होने से शुरू में चिंताएं पैदा हुई थीं, लेकिन उनका कुल असर कम रहा; नेट एक्सपोर्ट्स ने ग्रोथ पर 0.1 प्रतिशत अंक का मामूली नकारात्मक असर डाला। सप्लाय के नज़रिए से, तेज़ी से बढ़ते सर्विस सेक्टर और मज़बूत विनिर्माण प्रदर्शन ने सुस्त कृषि गतिविधि की भरपाई करने में मदद की।

- (ii) **रोजगार:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और अन्य हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स से पता चलता है कि बेरोजगारी दर कम सिंगल डिजिट में रही है। साथ ही, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) और कामगार-जनसंख्या अनुपात (WPR) से शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा भागीदारी का पता चलता है।

15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए शहरी इलाकों में कुल बेरोजगारी दर में जनवरी-मार्च 2026 की तिमाही के दौरान पिछली दो तिमाहियों की तुलना में गिरावट देखी गई। मौजूदा तिमाही में यह दर 6.6% रही, जबकि पिछली तिमाही में यह 6.7% थी; वहीं ग्रामीण इलाकों में यह 4.0% से मामूली रूप से बढ़कर 4.3% हो गई।

लेबर मार्केट की ये स्थितियां परिवारों की आय बढ़ाने और बचत करने तथा लाइफ़ इंश्योरेंस सहित वित्तीय प्रोडक्ट्स खरीदने की क्षमता को मज़बूत करती हैं।

- (iii) **डिस्पोजेबल इनकम खर्च करने योग्य आय:** डिस्पोजेबल इनकम का मतलब उस पैसे से है जो इनकम टैक्स कटने के बाद लोगों या परिवारों के पास खर्च करने और बचत करने के लिए बचता है। यह आर्थिक सेहत का एक अहम पैमाना है और सीधे तौर पर खर्च करने के तरीकों, बचत की आदतों और कुल आर्थिक मांग पर असर डालता है।

SBI का अनुमान है कि 'कोड ऑन वेजेज' (मजदूरी संहिता) से कर्मचारियों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है और खपत में लगभग ₹ 75,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इनकम टैक्स की दरों में कमी और पिछले साल खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में बहुत कम महंगाई के कारण परिवारों के पास काफी डिस्पोजेबल इनकम बची है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से आम तौर पर ग्राहकों का खर्च बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।

- (iv) **घरेलू बचत:** किसी देश में घरेलू बचत का स्तर निवेश के लिए फंड की उपलब्धता पर असर डालता है। ज़्यादा बचत से इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश बढ़ सकता है। 2024-25 में नेट घरेलू वित्तीय बचत **GNDI** का 7.0 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 5.8 प्रतिशत थी; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घरेलू वित्तीय देनदारियों में कमी ने ग्राँस वित्तीय बचत में आई कमी की भरपाई से कहीं ज़्यादा असर डाला।

2024-25 में ग्राँस घरेलू वित्तीय बचत **GNDI** का 11.8 प्रतिशत रही, जो 2023-24 में 12.1 प्रतिशत थी, जबकि घरेलू वित्तीय देनदारियां 2024-25 में तेज़ी से गिरकर **GNDI** का 4.8 प्रतिशत हो गई, जो पिछले साल 6.4 प्रतिशत थीं। इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से देखें तो घरेलू वित्तीय बचत में डिपॉजिट का दबदबा है, इसके बाद प्रोविडेंट और पेंशन फंड और इंश्योरेंस का नंबर आता है, साथ ही शेयर और डिबेंचर में निवेश भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

- (v) **घरेलू वित्तीय बचत:** घरों की वित्तीय हालत इंश्योरेंस खरीदने की उनकी क्षमता को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। जब घरों के पास सरप्लस सेविंग्स होती हैं, तो वे लाइफ़ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा संभावना रखते हैं।

उत्पाद नवाचार एवं वितरण पहुंच की वजह से, जीवन बीमा ने घरेलू वित्तीय बचत में एक बड़ा हिस्सा दिखाना जारी रखा।

- (vi) **महंगाई:** वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में रही, जो अर्थव्यवस्था की मज़बूती और मॉनेटरी व फिस्कल पॉलिसी के उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से मापी गई रिटेल महंगाई अप्रैल 2026 में 3.48% रही, जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के 4% के मीडियम-टर्म लक्ष्य से कम और उसके 2% - 6% के टॉलरेंस बैंड के भीतर थी। खाद्य महंगाई 4.20% दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण और शहरी महंगाई क्रमशः 3.74% और 3.16% रही। महंगाई का यह अनुकूल माहौल परिवारों के उपभोग और आर्थिक विकास के लिए सहायक रहा, हालांकि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और मॉनसून की अनिश्चितताओं से पैदा होने वाले जोखिमों के कारण लगातार सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए औसत महंगाई दर लगभग 4.6% रहने का अनुमान लगाया है, जो विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने के प्रति विश्वास को दर्शाता है।

- (vii) **ट्रेड और फॉरेक्स:** 2025 में दुनिया के सामान और सर्विस के ट्रेड की मात्रा 5.1 परसेंट बढ़ी, जो दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से ज़्यादा है। 2025-26 के दौरान भारत का मर्चेन्डाइज़ ट्रेड डेफिसिट बढ़कर US\$ 333.2 बिलियन हो गया (एक साल पहले US\$ 282.5 बिलियन)। एक मज़बूत सर्विस ट्रेड सरप्लस और प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट में लगातार फ्लो ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान चालू खाता घाटा (CAD) को सकल घरेलू उत्पाद के 1.0 प्रतिशत के टिकाऊ स्तर के अंदर रखने में मदद की। मामूली चालू खाता घाटा (CAD) और पर्याप्त फॉरेक्स रिज़र्व ने बाहरी सेक्टर को सहारा दिया, भले ही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नेट आउटफ्लो दिखा। इस दौरान फॉरेन

एक्सचेंज रिज़र्व (BoP बेसिस पर) में US\$ 30.8 बिलियन की कमी आई। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व (मार्च 2026 के आखिर तक US\$ 691.1 बिलियन) रिज़र्व एडिक्सी के स्टैंडर्ड मेट्रिक्स के हिसाब से काफी रहा, जिसमें लगभग 11 महीने का इम्पोर्ट कवर और 90.3 परसेंट का एक्सटर्नल डेट कवर शामिल है, जिससे खराब ग्लोबल स्पिल ओवर के खिलाफ बफर मिला। टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता के बावजूद, भारत का मर्चेडाइज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट (वैल्यू के हिसाब से) 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा।

2025-26 के दौरान नेट FDI इनफ्लो US\$ 7.7 बिलियन रहा, जो 2024-25 के US\$ 1.0 बिलियन से ज़्यादा है। भारत में नेट FPI ने 2025-26 के दौरान US\$ 16.5 बिलियन का आउटफ्लो दर्ज किया, जो इक्विटी आउटफ्लो की वजह से हुआ, जबकि 2024-25 में US\$ 3.3 बिलियन का इनफ्लो था।

viii) नियामक परिवर्तन: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अधिक पारदर्शी, लचीला और ग्राहक केंद्रित जीवन बीमा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नियमों को नया आकार दे रहा है।

संसद द्वारा सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून में संशोधन) विधेयक, 2025 का पारित होना भारत के बीमा ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करके, विधेयक भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, लचीली और समावेशी नियामक वास्तुकला की आवश्यकता को संबोधित करता है।

बीमा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति भारत को वैश्विक बीमाकर्ताओं के लिए आकर्षक बनाती है और इस क्षेत्र में स्वामित्व पुनर्गठन और समेकन को बढ़ावा दे रही है। व्यक्तिगत जीवन बीमा पर शून्य जीएसटी एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है जो कर ढांचे में अधिक स्पष्टता और स्थिरता लाता है। दूसरी ओर, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी ने अल्पकालिक लागत दबाव पैदा कर दिया है।

आगे बढ़ते हुए, रिस्क-बेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क (जोखिम-आधारित पूंजी ढांचा) को अपनाना इस सेक्टर की मजबूती बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पूंजी की जरूरतों को असल जोखिमों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (Ind AS) को अपनाने से सभी भारतीय बीमा कंपनियां एक ऐसे ग्लोबल वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी जो इंटरनेशनल वित्तीय रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (IFRS) के अनुरूप होगा।

कुल मिलाकर, सुधार का यह एजेंडा पूरी तरह से ग्राहकों पर केंद्रित है। यह इस सिद्धांत को और मजबूत करता है कि ग्राहकों को मिलने वाले फायदे ही अंततः भरोसा बढ़ाकर, बाजार में पहुंच का विस्तार करके और लंबे समय तक चलने वाली वैल्यू बनाकर इंडस्ट्री को मजबूत करते हैं।

4. भारत में जीवन बीमा उद्योग का भविष्य

मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक आधार और बढ़ती उपभोक्ता मांग के कारण, भारतीय बीमा क्षेत्र मध्यम अवधि में तेज विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। स्विस री (Swiss Re) के विश्लेषण के अनुसार, “वैश्विक बदलावों के बीच भारत का आर्थिक और बीमा बाजार का भविष्य (2026-2030) मजबूत और बढ़ता हुआ दिखाई देता है”। 2026 और 2030 के बीच सालाना प्रीमियम में 6.9% की वृद्धि का अनुमान है, जिससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख बीमा बाजार बन जाएगा।

स्विस री का अनुमान है कि भारत का बीमा बाजार 2026 से 2030 के दौरान वास्तविक रूप से 6.9% की सालाना दर से बढ़ेगा, जो प्रमुख उभरते और विकसित बीमा बाजारों की तुलना में अधिक है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किए गए सुधार और सरकार द्वारा व्यापक नीतिगत बदलाव अधिक पारदर्शिता ला रहे हैं और तेज विकास के अगले चरण के लिए उद्योग के ढांचे को नया रूप दे रहे हैं।

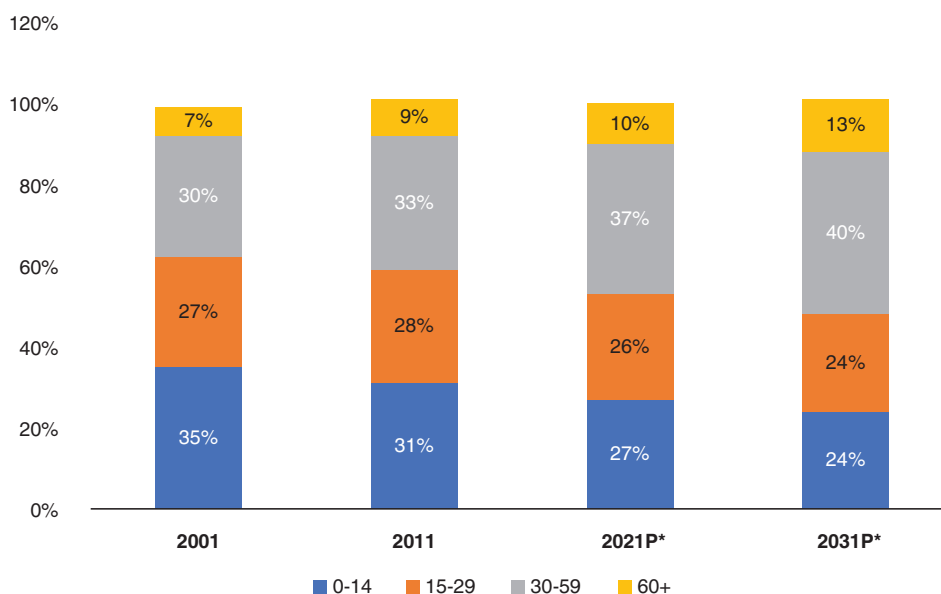
जीवन बीमा के मामले में, जहां भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार है, अगले 5 वर्षों में 6.8% की सालाना वृद्धि वितरण नेटवर्क के विस्तार, रिटायरमेंट उत्पादों की बढ़ती मांग और क्रेडिट ग्रोथ से आने की उम्मीद है।

5. बीमा उद्योग के लिए अवसर

(i) **भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है:** 2025 तक, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी अनुमानित आबादी लगभग 1.46 बिलियन है। यह बड़ा बेस इंडियोरेंस कंपनियों को दुनिया भर में सबसे बड़ा पोटेंशियल कस्टमर पूल देता है।

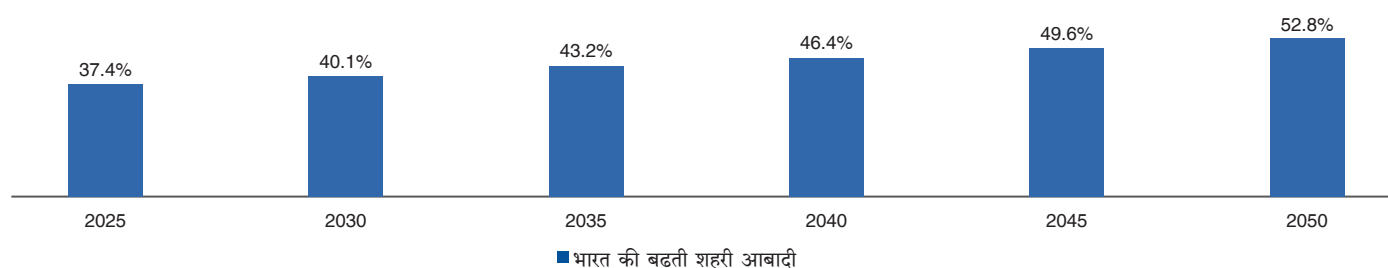
- (ii) **अच्छी डेमोग्राफिक्स:** भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसकी मीडियन उम्र 28 साल है। कैलेंडर 2031 तक लगभग 87% भारतीय 60 साल से कम उम्र के होंगे। CRISIL रिपोर्ट का अनुमान है कि उनमें से 64% 15 से 59 साल के बीच होंगे। यह डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, सेविंग्स-लिंक्ड प्रोडक्ट्स और हेल्थ इश्योरेंस की लगातार मांग पक्का करता है।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश



स्रोत: एलआईसी के लिए CRISIL रिसर्च रिपोर्ट। *CRISIL रिसर्च रिपोर्ट। नोट P: अनुमानित

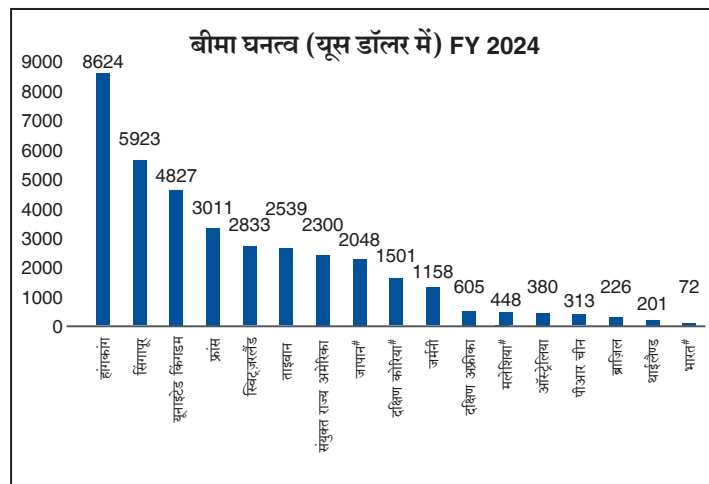
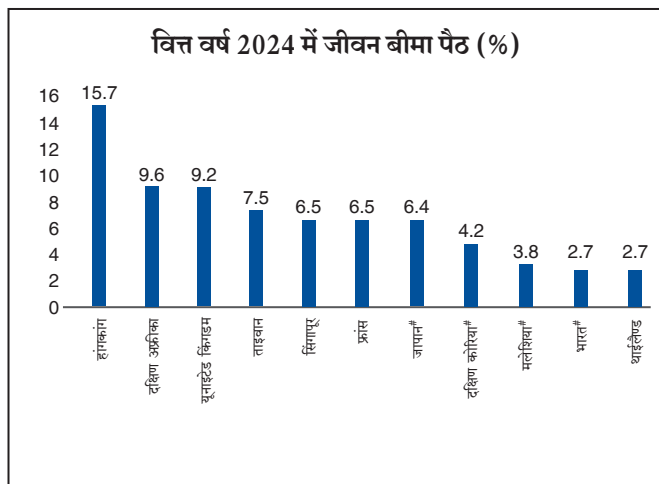
- (iii) **शहरीकरण:** 2025 में, दुनिया के 8.2 बिलियन लोगों में से 45 परसेंट लोग शहरों में रहेंगे, जो 1950 के 20 परसेंट हिस्से से दोगुने से भी ज़्यादा है। इसी समय में, शहरों में रहने वाली दुनिया की आबादी का हिस्सा 40 से घटकर 36% हो गया, और ग्रामीण समुदायों में हिस्सा आधा घटकर सिर्फ 19% रह गया। अनुमान बताते हैं कि अभी से 2050 के बीच दुनिया की दो-तिहाई आबादी शहरों में बढ़ेगी, और बाकी ज़्यादातर शहरों में होगी, जबकि ग्रामीण आबादी के 2040 के दशक में पीक पर पहुंचने और फिर घटने की उम्मीद है। भारत का शहरीकरण सबसे ज़रूरी कोशिशों में से एक है क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे बदले में नौकरियां पैदा होंगी, आधुनिक उपभोक्ता सेवाएँ का विकास होगा और बचत करने की क्षमता बढ़ेगी। शहरीकरण में बढ़ोतरी से जीने के तरीके में सुधार हुआ है और बचत और इश्योरेंस के ज़रिए वित्तीय स्टेबिलिटी सुरक्षित करने के लिए जागरूकता बढ़ी है।



स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण संभावनाएँ, 2018

- (iv) **भारत में जीवन बीमा की पहुंच कम है और बीमा घनत्व भी कम है:** बीमा की पहुंच और घनत्व, दो ऐसे मेट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर किसी देश में बीमा सेक्टर के डेवलपमेंट के लेवल का पता लगाने के लिए किया जाता है। बीमा की पहुंच को GDP में इश्योरेंस प्रीमियम के प्रतिशत के तौर पर मापा जाता है, जबकि बीमा घनत्व को प्रीमियम और आबादी (पर कैपिटा प्रीमियम) के रेश्यो के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है।

पिछले कुछ सालों में भारत में जीवन बीमा में अच्छी बढ़त के बावजूद, बीमा पैठ और बीमा घनत्व जैसे इंडिकेटर्स बताते हैं कि साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और जापान जैसे एडवांस्ड एशिया पैसिफिक देशों की तुलना में भारत में अभी भी अंडर-इंश्योर्ड है।



स्रोत: IRDAI हैडबुक 2024-25, ¹बीमा पैठ को GDP के प्रीमियम के अनुपात के तौर पर मापा जाता है।, ²बीमा घनत्व को कुल आबादी के प्रीमियम (US डॉलर में) के रेश्यो के तौर पर मापा जाता है। *डेटा FY से जुड़ा है, बाकी डेटा कैलेंडर वर्ष से जुड़ा है।

- (v) **अवसर:** बढ़ती उम्र, घटती जन्म दर और रिटायर लोगों के बीच पैसे का जमा होना, ऐसे प्रोटेक्शन की मांग को बढ़ाएगा जो गारंटीड इनकम, हेल्थ और केयर कवरेज दे।

बढ़ती उम्र की आबादी की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एन्युइटी, रिस्क पूलिंग और बंडलिंग केयर प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन के नए तरीकों की ज़रूरत होगी।

2050 तक, एडवांस्ड मार्केट में रिटायर होने वाला एक हाई-इनकम 65 साल का आदमी 23 साल और जीने की उम्मीद कर सकता है। डेवलपिंग मार्केट के लिए भी यही बात लागू होती है। इस लंबे रिटायरमेंट के साथ-साथ पेंशन प्रोडक्ट्स पर गारंटीड रिटर्न से दूर जाने का मतलब है कि रिटायर लोगों के पास काफी सेविंग्स तो होंगी लेकिन कोई गारंटीड इनकम नहीं होगी, जिससे यह रिस्क बढ़ जाएगा कि वे अपनी सेविंग्स से ज़्यादा जिएंगे।

इस बढ़े हुए लॉन्ग लाइफ रिस्क को कवर करने के लिए कई तरह की एन्युइटी मौजूद हैं। हालांकि, लॉन्ग लाइफ रिस्क को कम करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, लॉन्ग लाइफ रिस्क-शेयरिंग पूल मृत्यु दर, लॉन्ग लाइफ और हेल्थ रिस्क को एक साथ ठीक कर सकते हैं।

एक और ज़रूरी ज़रूरत बुजुर्ग पॉलिसी होल्डर्स के लिए कैंसर प्रोटेक्शन होगी। कैंसर का पता चलने की मीडियन उम्र 67 साल है, फिर भी ज़्यादातर क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी रिटायरमेंट से पहले ही समाप्त हो जाती है, जिससे ठीक उस समय प्रोटेक्शन में कमी रह जाती है जब रिस्क सबसे ज़्यादा होता है।

6. व्यापार प्रदर्शन

ए. नया कारोबार

(i) व्यक्तिगत नया व्यवसाय

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने व्यक्तिगत नव व्यवसाय के तहत ₹ 67,676 करोड़ की न्यू बिज़नेस प्रीमियम इनकम के साथ 1,84,41,175 पॉलिसी खरीदी हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, मिलेनियल कस्टमर्स को 81.61 लाख इंडिविजुअल पॉलिसी बेची गई। कुल बेची गई इंडिविजुअल पॉलिसी में मिलेनियल कस्टमर्स को बेची गई इंडिविजुअल पॉलिसी का परसेंटेज 44.26% है।

(ii) व्यक्तिगत नव व्यवसाय के लिए बीमित राशि

व्यक्तिगत नव व्यवसाय सम एश्योर्ड, एक तय समय में लिखे गए व्यक्तिगत नव व्यवसाय पर मृत्यु और बीमारी के जोखिम के लिए हमारे द्वारा इश्योर्ड कुल सम को दिखाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने कुल ₹ 6,41,931.90 करोड़ का न्यू बिज़नेस सम एश्योर्ड बेचा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

ग्रामीण इलाकों, खासकर पिछड़े और दूर-दराज़ के इलाकों तक जीवन बीमा का संदेश पहुँचाने के लिए लगातार और सोच-समझकर कोशिशें की जा रही हैं। नतीजतन, इन इलाकों से नए बिज़नेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इलाकों से व्यक्तिगत नया बिज़नेस प्रीमियम ₹ 32,455.02 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूरे हुए नए बिज़नेस का 48.05% है। ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा वही है जिसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मंजूरी दी है।

(iv) व्यक्तिगत एजेंट और POSP-LI (पारंपरिक / बंधा हुआ) चैनल

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पारंपरिक चैनल ने कुल ₹ 61,977.32 करोड़ का नया बिज़नेस प्रीमियम और 181.49 लाख पॉलिसी हासिल कीं। निगम के नए बिज़नेस परफॉर्मेंस में चैनल का हिस्सा पॉलिसी में 98.42% और नए बिज़नेस प्रीमियम में 91.75% रहा।

(v) बैंकएशोरेस और वैकल्पिक चैनल (बी एंड एसी):

बैंकएशोरेस और वैकल्पिक चैनल के लिए यह साल बहुत शानदार रहा; इसने पहली बार ₹ 5,000 करोड़ का प्र व प्री आ (पहले साल की प्रीमियम इनकम) का आंकड़ा पार किया और मुख्य क्षेत्रों में बजट से बेहतर प्रदर्शन किया। एन्युइटी और ULIP में ज़बरदस्त ग्रोथ, पार्टनरशिप का विस्तार और ब्रांच के बेहतरीन प्रदर्शन ने निगम में बैंक एवं वे मा की भूमिका को एक ग्रोथ इंजन के तौर पर मज़बूत किया।

निगम के व्यवसाय में पहले साल की प्रीमियम इनकम (प्र व प्री आ) का हिस्सा 5.6% से बढ़कर 7.56% हो गया है। इस साल निगम ने अपनी पार्टनरशिप में 10 बैंक, 12 (अन्य) कॉर्पोरेट एजेंट, 58 ब्रोकर और 42 IMF जोड़े हैं। अब इस चैनल के लिए निगम के कुल पार्टनरशिप नेटवर्क में 92 बैंक, 84 (अन्य) कॉर्पोरेट एजेंट, 308 ब्रोकर और 167 IMF शामिल हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रीमियम कलेक्शन के मामले में बैंकों और अन्य वैकल्पिक माध्यमों (अल्टरनेट चैनल्स), दोनों ने शानदार ग्रोथ दिखाई। बैंकों की प्र व प्री आ 3,151.33 करोड़ (पिछले साल 2,576.74 करोड़) रही, जिसमें 22.30% की ग्रोथ हुई।

अन्य वैकल्पिक माध्यमों की प्र व प्री आ 1,924.99 करोड़ (पिछले साल 919.36 करोड़) रही, जिसमें 109.38% की ग्रोथ हुई। चैनल ने 1,12,005 पॉलिसी के साथ ₹ 89.07 करोड़ का माइक्रो इश्योरेस बिज़नेस पूरा किया।

(vi) डिजिटल विपणन

डिजिटल मार्केटिंग चैनल ने 1 जून 2021 से अपना काम शुरू कर दिया है। इस चैनल का मकसद एक डिजिटली स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से चलने वाला प्लेटफॉर्म देना था, जिसमें कम से कम इंसानी दखल की ज़रूरत हो। प्री-पॉलिसी मेडिकल शेड्यूलिंग, अंडरराइटिंग, पेमेंट सिस्टम और पॉलिसी पूरी करने सहित कस्टमर की पूरी ऑन-बोर्डिंग जर्नी पेपरलेस है। इसका मकसद कस्टमर को टेक-सैवी मिलेनियल की उम्मीद के मुताबिक, एक आसान एंड-टू-एंड खरीदारी का अनुभव देना था।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, चैनल ने ये नया बिज़नेस हासिल किया:

ऑनलाइन बिज़नेस: 10152 पॉलिसी और ₹ 405.12 करोड़ का पहला प्रीमियम।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) - फंड्स बिज़नेस: 4309 पॉलिसी और ₹ 319.56 करोड़ का पहला प्रीमियम।

अभी यह चैनल ऑनलाइन खरीदने के लिए 24 उत्पाद देता है। 24 उत्पाद में से 5 प्रोटेक्शन के लिए, 4 एन्युइटी के लिए, 5 ULIP के लिए और 10 बचत के लिए हैं।

(vii) पेंशन और समूह योजनाओं नया बिजनेस प्रीमियम

बिजनेस प्रीमियम साल 2025-26 के दौरान, पे स यो वर्टिकल ने ₹ 1,92,912.87 करोड़ की नव व्यवसाय प्रीमियम आय (NBPI) के साथ 5,71,12,431 लोगों को कवर करते हुए 20,786 स्कीम पूरी की।

(viii) एलआईसी का महिला आजीविका प्रतिनिधि योजना (एलआईसी की बीमा सखी)

एलआईसी ने 09.12.2024 को महिला आजीविका प्रतिनिधि योजना (एलआईसी की बीमा सखी) शुरू की थी। इस स्कीम का मकसद महिलाओं को रोजगार के मौके देना और उन्हें आर्थिक रूप से आज़ाद बनाना है, साथ ही उन्हें अपनी सुविधा और समय के हिसाब से काम करने का फ़ायदा भी देना है। यह 3 साल की एक स्टाइपेंड वाली एजेंसी स्कीम है, जिसमें कमीशन के अलावा पहले साल में ₹ 7,000, दूसरे साल में ₹ 6,000 और तीसरे साल में ₹ 5,000 का मासिक स्टाइपेंड मिलता है। 3 साल के बाद, एजेंट काम करना जारी रख सकती हैं और नियमों के अनुसार कमीशन और दूसरे फ़ायदे पा सकती हैं। 31.03.2026 तक 2,83,249 बीमा सखियाँ सक्रिय थीं। वित्त वर्ष 2025-26 में, बीमा सखी चैनल ने ₹ 3,768.83 करोड़ के प्र व प्री आ के साथ 21,94,392 पॉलिसी पूरी कीं और ₹ 515 करोड़ का स्टाइपेंड दिया गया। कुल बिजनेस में बीमा सखियों के बिजनेस का हिस्सा NOP के लिए 11.90% और प्र व प्री आ के लिए 5.62% था।

बी. एजेंट**(i) एजेंसी की ताकत**

31.03.2026 तक हमारे रोल पर कुल एजेंट्स की संख्या 14,57,045 है, जबकि 31.03.2025 को यह संख्या 14,86,851 थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 2,66,071 एजेंट्स की भर्ती की गई, जिनमें से 2,03,636 एजेंट्स 18-40 साल के आयु वर्ग के थे।

(ii) एजेंट क्लब सदस्यता

एजेंसी में अच्छा और लगातार अच्छा काम करने वालों को मोटिवेट करने और पहचानने के लिए, अलग-अलग क्लब बनाए गए हैं। क्लब की मेंबरशिप की जानकारी नीचे दी गई टेबल में दी गई है:

सदस्यों का विभिन्न एजेंटों क्लब

क्लब का नाम	सदस्यता वर्ष 2025-26
अभिजात वर्ग	42
निगमित	387
आकाशगंगा	2,091
अध्यक्ष	45,208
क्षेत्रीय प्रबंधक	35,586
डिविजनल मैनेजर	49,780
शाखा प्रबंधक	33,051
प्रतिष्ठित एजेंट क्लब	8,323
कुल	1,74,468

(iii) करियर एजेंट स्कीम

कॉर्पोरेशन के पास शहरी करियर एजेंट और ग्रामीण करियर एजेंट के लिए एक स्कीम है, जिसका मकसद एजेंसी फ़ोर्स को प्रोफेशनल बनाना है। उन्हें उनके करियर की शुरुआत में स्टाइपेंड दिया जाता है ताकि वे इस पेशे में जम सकें। 31 मार्च 2026 तक, 292 शहरी करियर एजेंट और 23,287 ग्रामीण करियर एजेंट हैं।

सिटी करियर एजेंट स्कीम 2010 में शुरू की गई थी ताकि सभी डेवलपमेंट ऑफिसर को स्टाइपेंड पाने वाले एजेंट को भर्ती करने का मौका मिल सके। 31 मार्च 2026 तक, 4,884 सिटी करियर एजेंट हैं।

(iv) वरिष्ठ व्यावसायिक सहयोगी (एसबीए)

एसबीए स्कीम साल 2009 में शुरू की गई थी ताकि अच्छा काम करने वाले विकास अधिकारियों को पहचान मिल सके और उन्हें कुछ वित्तीय और नॉन-फाइनेंशियल कामों में मज़बूत बनाया जा सके।

(v) एलआईसी एसोसिएट्स योजना (एलआईसीए)

एलआईसी एसोसिएट्स योजना 01.04.2016 से शुरू की गई थी, जिसका मकसद एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरू करना और रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स और सीनियर बिज़नेस एसोसिएट्स के कीमती मार्केटिंग टैलेंट को उनकी लागत के आधार पर फ़ायदेमंद तरीके से फिर से लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मज़बूत करना था।

(vi) मुख्य जीवन बीमा सलाहकार (सीएलआईए)

एल आई सी ने 12.04.2008 को मुख्य जीवन बीमा सलाहकार स्कीम 2008 शुरू की थी, जिसका मकसद एजेंसी और नए बिज़नेस में ग्रोथ के लिए मौजूदा हार्ड परफॉर्मिंग एजेंटों की काबिलियत का इस्तेमाल करके मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना था।

(vii) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एसबीए, एलआईसीए और सीएलआईए के ज़रिए नया बिज़नेस खरीदा गया।

विवरण	पॉलिसियों की संख्या	पहले साल की प्रीमियम इनकम (₹ करोड़ में)
एसबीए	38,13,178	12,161.95
एलआईसीए	14,83,703	5,432.35
सीएलआईए	35,43,254	11,034.53

7. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (स्टैंडअलोन)

क. आय विवरण विश्लेषण

(i) राजस्व खाता (पॉलिसीधारक खाता)

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निगम के राजस्व खाते का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण के साथ इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वृद्धि %
शुद्ध प्रीमियम आय	5,35,984	4,88,148	9.80
निवेश से आय (शुद्ध)	4,31,708	3,92,623	9.95
अन्य आय	2,799	663	322.17
शेयरधारकों के खाते से योगदान - अतिरिक्त ईओएम के कारण	2,423	2,642	(8.29)
कुल (ए)	9,72,914	8,84,076	10.05
शुद्ध कमीशन	24,440	25,309	(3.43)
परिचालन व्यय	39,510	35,415	11.56
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (बट्टे खाते में डाले गए डूबत ऋणों सहित)	(821)	(1,546)	(46.90)
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान और संदिग्ध ऋण और बाँड के लिए प्रावधान	(818)	(627)	30.46
लिंक्ड शुल्कों पर वस्तु एवं सेवा कर	149	223	(33.18)
करों के लिए प्रावधान	(4,173)	7,773	(153.69)
अदा किए गए लाभ (शुद्ध)	4,96,104	4,16,355	19.15

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वृद्धि %
बीमांकिक देयता में परिवर्तन	3,63,339	3,53,334	2.83
कुल (बी)	9,17,730	8,36,236	9.75
अधिशेष (ए-बी)	55,184	47,840	15.35
शेयरधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर-तकनीकी खाता)	4,217	2,255	87.01
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	59,401	50,095	18.58
विनियोजन			
क. शेयरधारकों के खाते में अंतरण	58,032	49,507	17.22
ख. भविष्य के विनियोजन के लिए निधि	1,369	588	132.82

क. प्रीमियम आय

निम्न तालिका में दर्शाई गई अवधि के लिए खंड स्तर पर प्रीमियम आय का सारांश दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25					विकास %
	पार	गैर-पार	लिंकड	सीआर एसी*	कुल	पार	गैर-पार	लिंकड	सीआर एसी*	कुल	
प्रथम वर्ष प्रीमियम	24,341	6,007	3,505	-	33,853	25,664	4,995	1,720	-	32,379	4.55
एकल प्रीमियम	2,268	18,690	12,889	-	33,847	3,568	15,861	10,712	-	30,141	12.3
कुल एनबीपी	26,609	24,697	16,394	-	67,700	29,232	20,856	12,432	-	62,520	8.29
नवीनीकरण प्रीमियम	2,56,977	8,506	6,601	1	2,72,085	2,49,062	4,367	3,450	1	2,56,880	5.92
कुल प्रीमियम (व्यक्तिगत)	2,83,586	33,203	22,995	1	3,39,785	2,78,294	25,223	15,882	1	3,19,400	6.38
पी एंड जीएस प्रीमियम	-	1,96,963	-	-	1,96,963	-	1,69,449	-	-	1,69,449	16.24
घटा : पुनर्बीमा अंतरण	109	632	23	-	764	100	589	12	-	701	8.99
कुल प्रीमियम	2,83,477	2,29,534	22,972	1	5,35,984	2,78,194	1,94,083	15,870	1	4,88,148	9.80

(*सीआरएसी - पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित)

कुल प्रीमियम वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 4,88,148 करोड़ से 9.80% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 5,35,984 करोड़ हो गया। व्यक्तिगत व्यवसाय के यूनिट-लिंकड सेगमेंट ने भी वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 15,870 करोड़ से 44.75% की मजबूत वृद्धि दिखाई, जो वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 22,972 करोड़ हो गई।

ख. निवेश आय: शुद्ध निवेश आय वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 3,92,623 करोड़ से 9.95% बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 4,31,708 करोड़ हो गई, जिसमें निगम द्वारा किए गए निवेशों से प्राप्त ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ शामिल हैं। वर्ष 2025-26 के लिए एस्टेट पोर्टफोलियो से किराये की आय ₹ 660 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की किराये की आय से 4.76% अधिक है।

ग. अन्य आय: अन्य आय वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 663 करोड़ से 322.17% बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 2,799 करोड़ हो गई, जिसका कारण वित्त वर्ष 2025-26 में आयकर के रिफंड पर ब्याज है।

घ. कुल आय विश्लेषण: कुल आय वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 8,84,076 करोड़ से 10.05% बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 9,72,914 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से प्रीमियम आय और निवेश आय में वृद्धि के कारण है।

ड. कमीशन व्यय: निम्न तालिका कमीशन व्यय का तुलनात्मक सारांश दिखाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वृद्धि %
प्रथम वर्ष कमीशन	9,318	9,987	(6.70)
एकल कमीशन	952	760	25.26
कुल	10,270	10,747	(4.44)
नवीनीकरण कमीशन	14,177	14,562	(2.64)
घटा : पुनर्बीमा अंतरण	7	-	
कुल कमीशन	24,440	25,309	(3.43)

कुल कमीशन 3.43% की मामूली कमी के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 25,309 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 24,440 करोड़ हो गया।

च. बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय: निम्न तालिका परिचालन व्यय का तुलनात्मक सारांश दिखाती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वृद्धि %
कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ	27,889	26,896	3.69
प्रबंधन को अन्य व्यय	11,621	8,519	36.41
कुल	39,510	35,415	11.56

कुल परिचालन व्यय वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 35,415 करोड़ से 11.56% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 39,510 करोड़ हो गया।

छ. देय लाभ: इसमें मृत्यु लाभ, परिपक्वता लाभ, वार्षिकी / पेंशन भुगतान, अभ्यर्पण, निकासी, अंतरिम बोनस भुगतान और पॉलिसीधारकों के अन्य दावे शामिल हैं।

भुगतान किये गये लाभों का सारांश निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	विकास %
मृत्यु दावा	24,885	24,420	1.90
परिपक्वता दावा और आवधिक लाभ	2,79,951	2,37,313	17.97
वार्षिकियां / पेंशन	25,641	22,098	16.03
अभ्यर्पण			
गैर सम्बद्ध (व्यक्तिगत)	40,625	42,426	(4.25)
सम्बद्ध (व्यक्तिगत)	5,292	3,308	59.98
पी एंड जीएस(अभ्यर्पण)	467	2,885	(83.81)
कुल अभ्यर्पण	46,384	48,619	(4.60)
पी एंड जीएस (निकासी)	1,10,347	82,287	34.10
अन्य दावा लागत(अदावा राशि पर ब्याज) और अन्य	539	(1,458)	136.97
अन्तरिम बोनस का भुगतान	8,357	3,076	171.68
कुल भुगतान किये गये लाभ	4,96,104	4,16,355	19.15

कुल भुगतान लाभ वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 4,16,355 करोड़ से 19.15% बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 4,96,104 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से परिपक्वता दावा और अन्तरिम बोनस भुगतान में वृद्धि के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में ₹ 2,37,313 करोड़ और ₹ 3,076 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में क्रमशः ₹ 2,79,951 करोड़ और ₹ 8,357 करोड़ हो गए।

(ii) लाभ और हानि खाता (शेयरधारक खाता)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम के लाभ-हानि खाते का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण सहित निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वृद्धि %
पॉलिसीधारकों के खाते से स्थानांतरण	58,032	49,507	17.22
शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय			
क. निवेश आय	8,588	5,992	43.32
ख. अन्य आय	-	-	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा अन्य व्यय	2,415	2,468	(2.15)
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान	2,423	2,642	(8.29)
पॉलिसीधारकों के लिए हस्तांतरीत राशि	4,217	2,255	87.01
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (बढ़े खाते में डालने सहित)	-	-	-
निवेशों और अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	111	(18)	716.67
कर से पहले लाभ	57,454	48,151	19.32
कर के लिए प्रावधान	35	-	-
कर के बाद और असाधारण मदों से पहले लाभ	57,419	48,151	19.25
असाधारण मदें (कर व्यय के बाद शुद्ध)	-	-	-
कर और असाधारण मदों के बाद लाभ	57,419	48,151	19.25

कर पश्चात लाभ:

- 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 19.25% बढ़कर ₹ 57,419 करोड़ है, जबकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹ 48,151 करोड़ था।

ख. वित्तीय सनैपशॉट – बैलेंस शीट: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की बैलेंस शीट का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण के साथ इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वृद्धि %
निधियों का स्रोत			
शेयरधारकों की निधि:			
शेयर पूंजी	6,325	6,325	-
आरक्षित और अधिशेष	1,69,925	1,20,096	41.49
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	(894)	(233)	
कुल (ए)	1,75,356	1,26,188	38.96
पॉलिसीधारकों की निधि:			
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	5,02,788	6,47,540	(22.35)
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित	(847)	11	
पॉलिसी देयताएं	51,00,260	47,35,580	7.70
बंद पॉलिसियों के लिए निधि			
(i) प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बंद	1,510	791	90.90
(ii) अन्य	13	14	(7.14)
बीमा रिज़र्व	23,133	15,670	47.63
संबद्ध देनदारियों के लिए प्रावधान	60,398	47,533	27.07
कुल (बी)	56,87,255	54,47,139	4.41
भविष्य के विनियोजन के लिए निधि (सी)	3,215	1,828	75.88
कुल (ए + बी + सी)	58,65,826	55,75,155	5.21

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वृद्धि %
निधियों का उपयोग			
निवेश-शेयरधारक	1,50,740	1,04,026	44.91
निवेश-पॉलिसीधारक	53,33,262	5,136,279	3.84
लिंकड देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्तियां	61,897	48,312	28.12
ऋण	1,29,848	1,27,480	1.86
स्थायी संपत्तियां	4,736	4,461	6.16
शुद्ध चालू संपत्तियां	1,85,343	1,54,597	19.89
कुल	58,65,826	55,75,155	5.21

- आरक्षित और अधिशेष:** आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारकों का कोष) 31 मार्च, 2025 तक ₹ 1,20,096 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹ 1,69,925 करोड़ हो गया। 41.49% की वृद्धि मुख्यतः कर पश्चात लाभ में वृद्धि के कारण हुई है।
- उचित मूल्य परिवर्तन खाता:** उचित मूल्य परिवर्तन खाता (पॉलिसीधारकों का कोष) 31 मार्च, 2025 को ₹ 6,47,540 करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2026 को ₹ 5,02,788 करोड़ हो गया। 22.35% की कमी मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयर कीमतों में मार्क-टू-मार्केट मूवमेंट के कारण हुई है।
- पॉलिसी देयताएं:** पॉलिसी देनदारियाँ 31 मार्च, 2025 को ₹ 47,35,580 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2026 को ₹ 51,00,260 करोड़ हो गई। पॉलिसीधारकों की देनदारियाँ व्यवसाय प्रोफाइल और प्रत्येक समय पर भविष्य की मृत्यु दर/रुग्णता, ब्याज, व्यय आदि के बारे में की गई धारणाओं पर निर्भर करती हैं। व्यवसाय प्रोफाइल में परिवर्तन पॉलिसियों के बंद होने और पॉलिसी आने की वजह से होता है, खासकर नए बिज़नेस तथा मौजूदा पॉलिसियों की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के कारण होता है।
- संबद्ध देनदारियों के लिए प्रावधान:** संबद्ध देनदारियों (पॉलिसीधारकों के फंड) के लिए प्रावधान 31 मार्च, 2025 को ₹ 47,533 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹ 60,398 करोड़ हो गया। पॉलिसीधारकों की संबद्ध देनदारियाँ संबद्ध व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को परिलक्षित करती हैं और इसे मूल्यांकन तिथि को नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसीधारकों के क्रेडिट में उपलब्ध इकाइयों के मूल्य के रूप में माना गया है।
- निवेश:** निगम अपनी परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी आदि जैसे निवेशों में रखती है। तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 31 मार्च, 2026 को सकल निवेश का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
निवेश		
क. शेयरधारकों का	1,51,601	1,06,961
ख. पॉलिसीधारकों के	53,81,725	51,63,997
लिंकड देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्तियां	60,240	47,119
ऋण	1,35,830	1,34,220
कुल निवेश	57,29,396	54,52,297

कुल निवेश 31 मार्च, 2025 को ₹ 54,52,297 करोड़ से ₹ 2,77,099 करोड़ की बढ़त के साथ 31 मार्च 2026 को ₹ 57,29,396 करोड़ हो गया। 31 मार्च, 2026 तक कुल इक्विटी निवेश पोर्टफोलियो ₹ 15,23,197 करोड़ और अन्य ₹ 42,06,199 करोड़ का था। पॉलिसीधारकों के निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि प्रीमियम और निवेश आय में वृद्धि के कारण हुई है, जिसकी भरपाई परिचालन व्यय और दावों के कारण हुए शुद्ध व्यय से होती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवेश पर प्रतिफल (पॉलिसीधारकों के फंड पर) बिना अवास्तविक लाभ के 8.92% है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवेश पर प्रतिफल (शेयरधारकों के फंड पर) बिना अवास्तविक लाभ के 6.61% है।

- अचल संपत्तियाँ:** अचल संपत्तियाँ (मूल्यहास के बाद) 31 मार्च, 2025 को ₹ 4,461 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹ 4,736 करोड़ हो गई हैं।

vii) शुद्ध चालू संपत्तियाँ: शुद्ध चालू संपत्तियाँ 31 मार्च, 2025 को ₹ 1,54,597 करोड़ से 19.89% बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹ 1,85,343 करोड़ हो गई हैं।

ग. नकदी प्रवाह विवरण

निम्नलिखित तालिका में, निर्दिष्ट अवधि के लिए नकदी प्रवाह का सारांश दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	(25,398)	(6,756)
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	34,995	38,090
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	(7,589)	(3,794)
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	65,034	62,324

(i) परिचालन गतिविधियाँ

परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2026 में (₹ 25,398 करोड़) है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह (₹ 6,756 करोड़) था, जो मुख्य रूप से भुगतान किए गए पॉलिसी लाभों में वृद्धि के कारण है।

(ii) निवेश गतिविधियाँ

निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2026 में ₹ 34,995 करोड़ है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह ₹ 38,090 करोड़ था। इसका मुख्य कारण निवेश की खरीद में वित्त वर्ष 2025 के ₹ 5,64,437 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹ 5,98,274 करोड़ होना और मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश का वित्त वर्ष 2025 के ₹ 8,646 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹ 26,539 करोड़ होना है, जिसकी आंशिक भरपाई निवेश की बिक्री आदि से हुई है।

(iii) वित्तीय गतिविधियाँ

वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2026 में (₹ 7,589 करोड़) है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह (₹ 3,794 करोड़) था, जो मुख्य रूप से भुगतान किए गए लाभांश में वृद्धि के कारण है।

घ. लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण

कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 434 से 454 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 (अ) का संदर्भ लें।

ड. खंडवार प्रदर्शन

खंडवार प्रदर्शन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

8. मुख्य प्रदर्शन संकेतक

मुख्य निष्पादन संकेतक

निगम की परफॉर्मेंस को मापने के लिए नीचे दिए गए मुख्य पैरामीटर दिए गए हैं:

- (i) **मार्केट शेयर:** भारतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि) का भारतीय जीवन बीमा बाज़ार में हमेशा से दबदबा रहा है। अपने बड़े नेटवर्क और छह दशकों से ज़्यादा समय से मौजूद होने के कारण, भा.जी.बी.नि ने बाज़ार में एक बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखी है; 31 मार्च 2026 तक, कुल 'फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम' (प्र व प्री आ) के आधार पर देश के कुल जीवन बीमा कारोबार में इसकी हिस्सेदारी 56.66% थी। 'इंडिविजुअल फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम' के मामले में, एल आई सी का मार्केट शेयर 36.60% है। प्र व प्री आ में पे स यो का मार्केट शेयर 70.11% है, जबकि पॉलिसी की संख्या के हिसाब से भा.जी.बी.नि का कुल मार्केट शेयर 65.16% है। यह बड़ा मार्केट शेयर भा.जी.बी.नि की व्यापक पहुँच, ब्रांड की पहचान और भारतीय ग्राहकों के बीच इसके भरोसे को दिखाता है।

हालांकि एल आई सी को प्राइवेट बीमा कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बीमा उत्पादों की विस्तृत रेंज, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सरकारी समर्थन के कारण बाज़ार में इसका दबदबा बना हुआ है। फिर भी, बाज़ार में लगातार हो रहे बदलाव और रेगुलेटरी नियमों में परिवर्तन समय के साथ एल आई सी के मार्केट शेयर पर असर डाल सकते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहने के लिए लगातार रणनीतिक बदलाव करने की ज़रूरत।

- (ii) **प्रोडक्ट मिक्स:** एल आई सी ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों और पसंद को ध्यान में रखते हुए कई तरह के जीवन बीमा प्रोडक्ट पेश करती है। इसके प्रोडक्ट मिक्स में पारंपरिक एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ़ प्लान, टर्म इश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान, यूनिट-लिंक्ड इश्योरेंस प्लान (ULIPs) और माइक्रो-इश्योरेंस प्रोडक्ट शामिल हैं। होल लाइफ़ और मनी-बैक प्लान जैसे पारंपरिक प्लान भा.जी.बी.नि के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मुख्य आधार रहे हैं, जो पॉलिसीधारकों को लंबी अवधि की बचत और सुरक्षा का लाभ देते हैं।

हाल के वर्षों में, भा.जी.बी.नि ने बाज़ार की बदलती माँगों के अनुसार नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट भी पेश किए हैं, जैसे निवेश के विकल्पों वाले यूनिट-लिंक्ड प्लान और व्यापक कवरेज वाले होल लाइफ़ इश्योरेंस प्लान। प्रोडक्ट का यह संतुलित मिश्रण भा.जी.बी.नि को ग्राहकों के एक बड़े वर्ग तक पहुँचने में मदद करता है - इसमें वे लोग शामिल हैं जो बुनियादी जीवन बीमा कवरेज चाहते हैं और वे भी जो निवेश से जुड़े बीमा समाधानों में रुचि रखते हैं।

लगातार प्रोडक्ट इनोवेशन और असरदार मार्केटिंग रणनीतियों की वजह से भा.जी.बी.नि अपनी लीडरशिप की स्थिति बनाए रखने और ग्राहकों की बदलती पसंद व बाज़ार के रुझानों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम है।

- (iii) **डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स:** भा.जी.बी.नि का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसकी खासियतों में से एक है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पहुंच और कस्टमर तक पहुंच को आसान बनाता है। कंपनी एक मल्टी-चैनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क के ज़रिए काम करती है जिसमें एजेंट, बैंकएश्योरेंस पार्टनरशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

एलआईसी के एजेंट्स का बड़ा नेटवर्क, जिन्हें अक्सर इश्योरेंस एडवाइज़र कहा जाता है, कस्टमर्स तक पहुंचने, उन्हें इश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बताने और पॉलिसी बेचने और सर्विसिंग में मदद करने में अहम भूमिका निभाता है। बड़े बैंकों, कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स और इश्योरेंस मार्केटिंग फर्म (IME) के साथ बैंकएश्योरेंस के टाई-अप्स एलआईसी की डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच को और बढ़ाते हैं, जिससे वह पार्टनर ऑर्गनाइज़ेशन्स के मौजूदा कस्टमर बेस का फ़ायदा उठा पाती है।

ट्रेडिशनल चैनलों के अलावा, एलआईसी ने कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डिजिटलाइज़ेशन को अपनाया है। कंपनी पॉलिसी खरीदने, प्रीमियम पेमेंट, क्लेम प्रोसेसिंग और कस्टमर सर्विस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन देती है, जो टेक-सैवी कस्टमर्स और मिलेनियल्स को सर्विस देती है।

अलग-अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का इस्तेमाल करके, एलआईसी अपने कस्टमर सेगमेंट की अलग-अलग ज़रूरतों और पसंद को अच्छे से पूरा करती है, साथ ही मार्केट में बड़े पैमाने पर पहुंच और कस्टमर सैटिस्फैक्शन भी पक्का करती है।

टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट: निगम ने अगस्त 2025 में एजेंट्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, CLIAs, एलआईसी एसोसिएट्स (सीएलआईए) और चीफ ऑर्गेनाइज़र्स जैसे सेल्स इंटरमीडियरीज़ के लिए सुपर सेल्स साथी ऐप लॉन्च किया है। सुपर सेल्स साथी ऐप एक पूरा सॉल्यूशन देता है, जिसमें सेल्स साथी और ANANDA ऐप शामिल हैं, जिसका खास फोकस हमारी फील्ड फोर्स के डिजिटल एम्पावरमेंट पर है, जिससे उन्हें बिज़नेस ग्रोथ, कस्टमर सर्विसिंग और परफॉर्मेंस ट्रेकिंग के लिए टूल्स मिलते हैं।

- (iv) **प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ (एयूएम):** निगम का समेकित एयूएम 31 मार्च 2025 को ₹ 54,52,297 करोड़ से 5.08% बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹ 57,29,396 करोड़ हो गया।

(₹ करोड़ में)

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ



(v) प्रबंधन व्यय का अनुपात

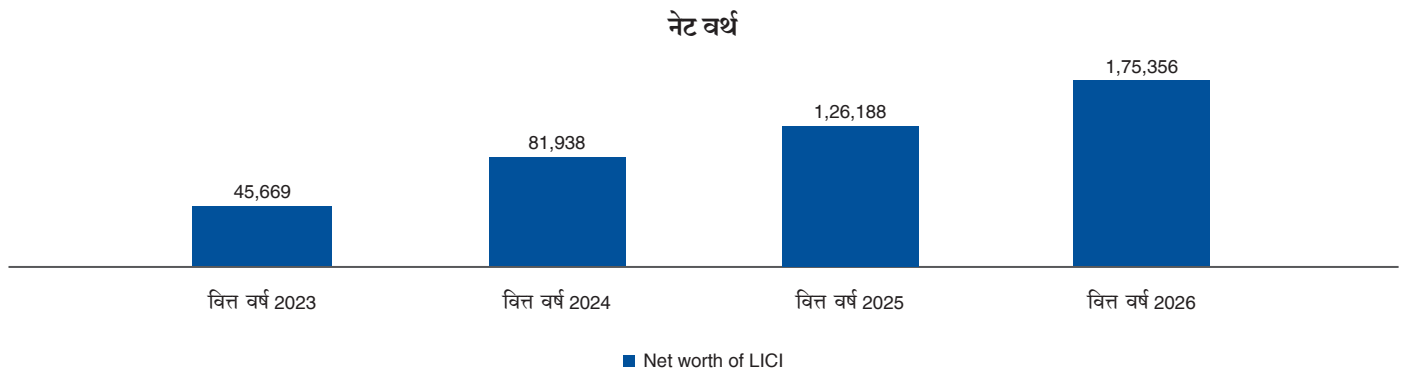
निगम परिचालन व्यय में कमी लाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कुल प्रबंधन व्यय अनुपात वित्त वर्ष 2025 के 12.42% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 11.91% हो गया है।

(vi) कमीशन अनुपात

निगम का कमीशन अनुपात वित्त वर्ष 2025 में 5.18% से आंशिक रूप से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.55% हो गया।

(vii) लाभप्रदता: कर के बाद लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2025 में 48,151 करोड़ से 19.25% बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹ 57,419 करोड़ हो गया।**(viii) नेट वर्थ:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, नेट वर्थ 31 मार्च 2025 को ₹ 1,26,188 करोड़ से 38.96% बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹ 1,75,356 करोड़ हो गया है। एलआईसी की नेट वर्थ में लगातार वृद्धि हो रही है। नेट वर्थ में यह वृद्धि बढ़े हुए रिजर्व के कारण है।

(₹ करोड़ में)



लाभप्रदता और नेट वर्थ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता के प्रमुख संकेतक हैं।

(ix) प्रति शेयर आय (ईपीएस): ईपीएस प्रति शेयर के आधार पर कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है। बेसिक एवं डाईल्यूटेड ईपीएस 31 मार्च 2025 को ₹ 76.13 से बढ़कर 31 मार्च 2026 को ₹ 90.78 हो गया है।**(x) सॉल्वेंसी:** सॉल्वेंसी रेश्यो भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कैपिटल एडिक्वेंसी का एक रेगुलेटरी तरीका है और इसे इंश्योरेंस कंपनी के अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन को उसके रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है, हर एक को IRDAI गाइडलाइंस के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। मिनिमम सॉल्वेंसी रेश्यो जिसे बनाए रखना ज़रूरी है, वह IRDAI द्वारा तय की गई 1.50 की कंट्रोल लिमिट है। कॉर्पोरेशन सॉल्वेंसी रेश्यो (इंडिया बिज़नेस के अंदर) 31 मार्च 2025 को 2.11 से बढ़कर 31 मार्च 2026 को 2.35 हो गया।**(xi) निरंतरता:** इंडिविजुअल रेगुलर प्रीमियम बिज़नेस के लिए 2025-26 के लिए प्रीमियम के हिसाब से 13वें महीने की परसिस्टेंसी 2024-25 के 74.84% के मुकाबले 74.64% है और इसी तरह 61वें महीने की परसिस्टेंसी 2025-26 के लिए 59.31% है, जबकि 2024-25 के लिए यह 63.12% थी।

2025-26 के लिए पॉलिसी की संख्या के हिसाब से इंडिविजुअल रेगुलर प्रीमियम बिज़नेस के लिए 13वें महीने की परसिस्टेंसी 2024-25 के 64.12% के मुकाबले 64.87% है और 2025-26 के लिए 61वें महीने की परसिस्टेंसी 2024-25 के 50.31% के मुकाबले 46.88% है।

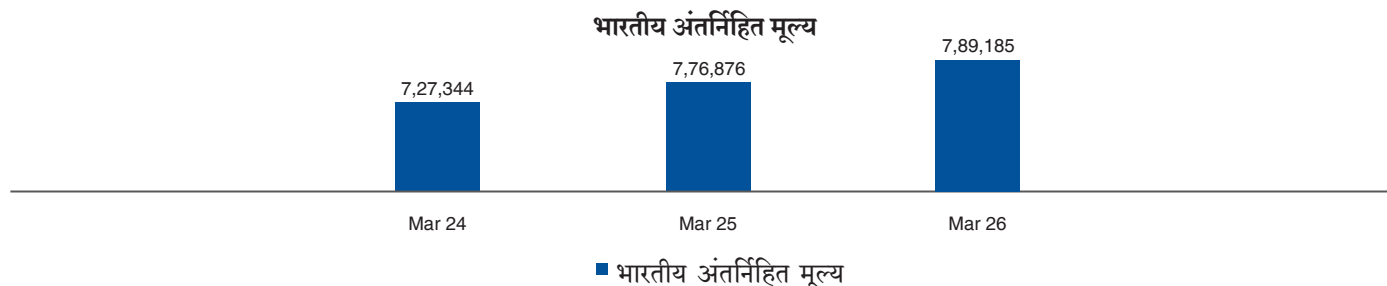
(xii) वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (APE): FY 2025-26 में निगम का कुल APE ₹ 66,961 करोड़ है। यह FY 2024-25 में ₹ 56,828 करोड़ रुपये था। इंडिविजुअल नॉन PAR APE FY 2024-25 में ₹ 10,581 करोड़ रुपये से 43.8% बढ़कर FY 2025-26 में ₹ 15,214 करोड़ रुपये हो गया।

(xiii) **नए बिज़नेस की वैल्यू (VNB) और VNB मार्जिन:** VNB प्रॉफिट का एक ज़रूरी मेट्रिक है क्योंकि यह किसी भी समय के दौरान नई पॉलिसी लिखने की एक्टिविटी से पैदा हुई एक्स्ट्रा वैल्यू को दिखाता है। VNB मार्जिन, उस समय के लिए VNB और APE का रेश्यो है और यह परसेंटेज में नए बिज़नेस के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का एक माप है।

FY 2025-26 के लिए, निगम का VNB और VNB मार्जिन क्रमशः ₹ 14,179 करोड़ और 21.2% है। FY 2024-25 के लिए ये आंकड़े ₹10,011 करोड़ और 17.6% थे।

(xiv) **भारतीय अंतर्निहित मूल्य (IEV):** IEV 1.58% बढ़कर FY 2024-25 में ₹ 7,76,876 करोड़ से FY 2025-26 में ₹ 7,89,185 करोड़ हो गया।

(₹ करोड़ में)



9. मानव संसाधन:

क) कर्मचारियों की संख्या

पिछले वित्तीय वर्ष के आखिर में निगम के कर्मचारियों की संख्या 91,606 थी, जबकि 31.03.2026 को यह संख्या 84,565 है।

ख) महिला सशक्तिकरण

24.12 % कार्यबल में शामिल हैं का अलग-अलग कैडर की महिला कर्मचारी। हमारा केंद्रीय कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालय और संभागीय कार्यालयों पास होना आंतरिक शिकायत समिति के लिए रोकथाम का यौन उत्पीड़न पर कार्यस्थल और सभी ऐसा कमेटियां अच्छे से काम कर रही हैं।

निगम इसके प्रति सचेत है जिम्मेदारियां की ओर कमजोर वर्गों और सभी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है पर आरक्षण को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा कक्षाएं, व्यक्तियों साथ विकलांग जैसा कुंआ जैसा पूर्व सैनिक, आर्थिक कमजोर अनुभाग.

10. सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का प्रदर्शन

क. भारतीय सहायक एवं सहयोगी कंपनियां

भारतीय जीवन बीमा निगम की भारत में काम करने वाली सहायक और सहयोगी कंपनियाँ इस प्रकार हैं:

(i) एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट- एलआईसी की हिस्सेदारी: 45.24%)

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 1989 में शुरू किया गया था। यह कंपनी लोगों को लंबे समय के लिए हाउसिंग लोन और बिल्डर्स व डेवलपर्स को फाइनेंस देती है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है और देश भर में इसके 10 रीजनल ऑफिस, 23 बैंक ऑफिस, 303 मार्केटिंग ऑफिस और 1 कस्टमर सर्विस पॉइंट हैं, साथ ही दुबई में एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। कंपनी को CRISIL और CARE ने 'AAP स्टेबल' रेटिंग दी है।

31.03.2026 तक कंपनी की कुल संपत्ति (एसेट्स) ₹ 3,25,106 करोड़ है। साल 2025-26 के लिए लोन वितरण ₹ 66,544 करोड़ है। 31.03.2026 तक बकाया लोन पोर्टफोलियो ₹ 3,20,707 करोड़ है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल आय ₹ 28,771 करोड़ है और 31.03.2026 तक PAT (टैक्स के बाद का मुनाफा) ₹ 5595.15 करोड़ है।

(ii) एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट-एलआईसी की हिस्सेदारी: 5.38%)

एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को 2008 में शामिल किया गया था। एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड निवेश प्रबंधक के रूप में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) / वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) का प्रबंधन करती है।

FY 2025-26 के लिए कुल इनकम ₹ 25.60 करोड़ और PAT ₹10.57 करोड़ है।

(iii) एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एसोसिएट-एलआईसी की हिस्सेदारी: 49.87%)

एलआईसी म्यूचुअल फंड (“म्यूचुअल फंड”) 20.04.1989 को एक ट्रस्ट के तौर पर बनाया गया था, जिसमें भा.जी.बी.नि. ऑफ इंडिया स्पॉन्सर, एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्टी और भा.जी.बी.नि. म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एलआईसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं। 193 इन्वेस्टर सर्विस सेंटर, 44 एरिया ऑफिस और 242 सेल्स टीम मेंबर के नेटवर्क के साथ, भा.जी.बी.नि. MF देश भर में लगभग 220 जगहों पर मौजूद है।

FY 2025-26 में, कंपनी ने दो नए फंड लॉन्च किए - : “एलआईसी MF कंजम्पशन फंड” और “एलआईसी MF टेक्नोलॉजी फंड” । 31 मार्च 2026 तक, एलआईसी म्यूचुअल फंड 43 स्कीम मैनेज कर रहा है। 31.03.2026 तक एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AAUM) ₹ 43499 करोड़ था और यह इंडस्ट्री में AAUM के मामले में 23वें स्थान पर था । FY 2025-26 के लिए टोटल इनकम ₹ 128.84 करोड़ थी और 31.03.2026 तक PAT ₹ 10.51 करोड़ था।

(iv) एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (एसोसिएट-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 49.00%)

एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, अपॉइंटेड ट्रस्टी (कॉर्पोरेट एंटीटी) है और भा.जी.बी.नि. म्यूचुअल फंड की फिड्युशरी जिम्मेदारी रखती है। यह एलआईसी म्यूचुअल फंड के लिए ट्रस्टी कंपनी के तौर पर काम करती है।

31.03.2026 को खतम हुए साल के लिए टोटल इनकम ₹ 0.55 करोड़ है और 31.03.2026 तक PAT ₹ 0.24 करोड़ है।

(v) एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड (एलआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को 2007 में कंपनीज़ एक्ट, 1956 के तहत लाइफ़ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया ने शुरू किया था, और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। यह NPS ट्रस्ट से मिले फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर के तौर पर काम करता है। एलआईसी PFL ने 2025-26 के दौरान नई शुरू की गई MSF (मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क) कैटेगरी के तहत 2 स्कीम शुरू कीं।

मार्च 2026 तक कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹ 4,22,359 करोड़ था। FY 2025-26 के लिए कुल इनकम ₹ 180.26 करोड़ है और 31.03.2026 तक PAT ₹ 70.31 करोड़ है।

(vi) एलआईसी काइर्स सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

एलआईसी काइर्स सर्विसेज लिमिटेड (भा.जी.बी.नि. CSL) 11 नवंबर 2008 को बनी थी। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है और देश भर में अलग-अलग जगहों पर इसके 13 एरिया ऑफिस हैं। एलआईसी CSL, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और IDBI बैंक के साथ पार्टनरशिप में को-ब्रांडेड क्रेडिट काइर्स की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस करती है और एक्सिस बैंक और IDBI बैंक के साथ पार्टनरशिप में को-ब्रांडेड गिफ्ट काइर्स बनाती है। कंपनी ने भा.जी.बी.नि. के कर्मचारियों को मील कार्ड जारी करने के लिए मेसर्स प्लूक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले सोडेक्सो SVC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ एक एग्रीमेंट भी किया है।

FY 2025-26 के लिए बेचे गए कार्डों की कुल संख्या 57,266 है और 31.03.2026 तक बकाया कार्डों की संख्या 6,85,916 है। FY 2025-26 के लिए कुल इनकम ₹ 31.60 करोड़ है और 31.03.2026 तक PAT ₹ 7.32 करोड़ है।

(vii) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (एसोसिएट-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 49.24%)

जनवरी 2019 में सहायक के तौर पर एकायर होने के बाद, बैंक दिसंबर 2020 में हमारी एसोसिएट कंपनी बन गया। मुंबई में हेडक्वार्टर वाले इस बैंक की पूरे भारत में 2,200 से ज्यादा ब्रांच और 3,000 ATMs हैं। IDBI बैंक एक फुल-सर्विस यूनिवर्सल बैंक है। बैंक एलआईसी का सबसे बड़ा बैंकएशोरेंस पार्टनर है।

31.03.2026 तक डिपॉजिट ₹ 3,47,163 करोड़ और एडवांस ₹ 2,53,626 करोड़ है। FY 2025-26 के लिए कुल इनकम ₹ 35,743 करोड़ है और 31.03.2026 तक PAT ₹ 9,513 करोड़ है।

(viii) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (एसोसिएट-एलआईसीआई की हिस्सेदारी: 29.84%)

IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (ITSL) अगस्त 2000 में बनी थी और 2001 में SEBI के साथ रजिस्टर हुई थी। ITSL कॉर्पोरेट्स को ट्रस्टीशिप सर्विसेज की एक बड़ी रेंज देती है।

FY 2025-26 के लिए कुल इनकम ₹ 103.66 करोड़ है और FY 2025-26 के लिए प्रॉफिट ₹ 54.83 करोड़ है।

ख. विदेशी सहायक एवं सहयोगी कंपनियां

भारतीय जीवन बीमा निगम की भारत के बाहर काम करने वाली सहायक और सहयोगी कंपनियाँ इस प्रकार हैं:

(i) विदेशी सहायक कंपनियां:

1. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) BSC (c) को बहरीन में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक के तौर पर शुरू किया गया था। कंपनी में एलआईसी ऑफ इंडिया की शेयरहोल्डिंग 99.66% है। इसका ऑपरेशन 23 जुलाई 1989 को शुरू हुआ और शुरू में नॉन-रेसिडेंट इंडियंस (NRIs) की लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरतों को पूरा किया गया और बाद में US डॉलर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करके गल्फ में लोकल लोगों तक बढ़ाया गया। कंपनी 3 GCC देशों बहरीन, कुवैत और UAE (दुबई और अबू धाबी) में काम करती है। कंपनी ने 31.12.2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 175.98 करोड़ की फर्स्ट प्रीमियम इनकम के साथ 1,369 पॉलिसी बेचीं।
2. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड, एलआईसी ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी है, जो विशाल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में पब्लिक शेयरहोल्डिंग के साथ है और 1 सितंबर 2001 को शुरू हुई थी। यह एक लिस्टेड कंपनी है, जिसके शेयर नेपाल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। कंपनी में एलआईसी ऑफ इंडिया की शेयरहोल्डिंग 55% है। कंपनी ने 15.07.2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 64,867 पॉलिसी बेचीं, जिससे फर्स्ट प्रीमियम इनकम ₹ 189.92 करोड़ हुई।
3. जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है जो बार्टलीट के साथ साझेदारी कर रही है ट्रांसकैपिटल लिमिटेड की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। कंपनी में एलआईसी ऑफ इंडिया की शेयरहोल्डिंग 97.22% है। कंपनी ने 31.12.2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 5,224 पॉलिसी बेचीं, जिससे फर्स्ट प्रीमियम इनकम ₹ 14.15 करोड़ हुई।
4. बांग्लादेश लिमिटेड का जीवन बीमा निगम (एलआईसी) स्ट्रैटेजिक इक्विटी मैनेजमेंट लिमिटेड और म्यूचुअल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है और इसे 14.12.2015 को बांग्लादेश के कंपनी अधिनियम (अधिनियम XVIII) 1994 के तहत शामिल किया गया है। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता 83.33% है। कंपनी ने 31.12.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 2.99 करोड़ की पहली प्रीमियम आय के साथ 2,522 पॉलिसी बेचीं।

(ii) विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी:

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, एक पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सहायक है, जिसे 30 अप्रैल, 2012 को सिंगापुर में शुरू किया गया था। कंपनी ने 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 275 पॉलिसी बेचीं, जिससे पहली प्रीमियम इनकम ₹ 115.69 करोड़ हुई।

11. उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास अपने कामकाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन रूप रेखा है। यह रूपरेखा निगम के सामने आनेवाले सभी जोखिमों पर विचार करता है और सुनिश्चित करता है कि इसके लिए पर्याप्त सिस्टम, प्रोसेस और प्रशिक्षित कर्मी हो।

संगठन संरचना:

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स रिस्क मैनेजमेंट पर पूरी गाइडेंस देता है और रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ से जुड़ी ज़िम्मेदारी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी (आरएमसी) को सौंप दी है।

एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, RMC द्वारा तय एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लागू करने में चीफ रिस्क ऑफिसर (सीआरओ) को सपोर्ट करता है।

रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क:

रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड सालाना आधार पर निगम की एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, ALM पॉलिसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी, एंटी-फ्रॉड पॉलिसी, आउटसोर्सिंग पॉलिसी और बिज़नेस कंटीन्यूटी प्लान को मंजूरी देता है।

वहाँ हैं तीन पंक्तियाँ का रक्षा को प्रबंधित करना जोखिम :

- 1 - केंद्रीय कार्यालय में विभागाध्यक्ष (एचओडी) कौन अपना जोखिम,
- 2- उद्यम जोखिम प्रबंध विभाग समीक्षा जोखिम
- 3 - आंतरिक लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, आईएफसी लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा और निरीक्षण कार्य।

मुख्य जोखिम प्रबंधन उपकरण - ईआरएम मॉड्यूल:

एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट (ERM) मॉड्यूल का उपयोग गुणात्मक एवं मात्रात्मक जोखिमों के आकलन हेतु किया जाता है तथा इससे प्राप्त रिपोर्टों पर कार्यपालक समिति, उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ERM) एवं जोखिम प्रबंधन समिति (RMC) में विचार-विमर्श किया जाता है।

प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरणों में जोखिम स्वीकार्यता वक्तव्य, जोखिम रजिस्टर, घटना प्रबंधन रूपरेखा (धोखाधड़ी निगरानी), शीर्ष जोखिम तथा प्रमुख जोखिम संकेतक सम्मिलित हैं। इन उपकरणों का उपयोग जोखिम प्रबंधन की तीनों रक्षा पंक्तियों द्वारा किया जाता है तथा जोखिमों के शमन हेतु प्रबंधन द्वारा आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं।

व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस): व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस):

निगम के पास बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ भी हैं, जिनमें व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति, आपदा रिकवरी नीति और बीसीएमएस फ्रेमवर्क शामिल हैं। बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम (बीसीएमएस) को 22.05.2025 को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन द्वारा आईएसओ 22301 के तहत प्रमाणित किया गया है, निगरानी प्रमाणपत्र 27.03.2026 को प्राप्त हुआ है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर बीसीएमएस ढांचे की प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करती है, यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियाँ मजबूत और उचित रूप से प्रबंधित की जाती हैं।

शीर्ष जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक:

निगम के समक्ष विद्यमान प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके प्रभाव एवं महत्व का विश्लेषण द्वारा की जाती है। प्रमुख जोखिम संकेतकों का आकलन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है तथा शीर्ष जोखिमों एवं उनसे संबंधित प्रमुख जोखिम संकेतकों का अद्यतन प्रतिवर्ष किया जाता है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के रूप में विभिन्न जोखिमों के लिए शमन रणनीतियाँ:

निगम विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है, जिन्हें 6 प्रमुख जोखिमों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि रणनीतिक, वित्तीय, परिचालन, प्रतिष्ठा, ईएसजी और जलवायु जोखिम। उद्यम जोखिमों को व्यवस्थित रूप से पहचाना जाता है और इन जोखिमों को संबोधित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं ताकि न केवल पॉलिसीधारकों के धन की रक्षा की जा सके बल्कि उनकी उचित अपेक्षाएं भी पूरी की जा सकें। भौतिक जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए निगम के पास एक सुस्थापित एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट (ईआरएम) ढांचा है। ईआरएम ढांचा निगम की जोखिम उठाने की क्षमता के साथ निगम की रणनीति और व्यावसायिक निर्णयों को संरेखित करता है।

12. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनका पर्याप्तता:

निगम ने वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, परिचालन और रणनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर समय पर प्रतिक्रिया, नीतियों, प्रक्रियाओं, कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं में ऑडिट, निरीक्षण और सतर्कता के माध्यम से एक मजबूत और व्यापक आंतरिक नियंत्रण तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में स्वतंत्र और उचित आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक ऑडिट एक इन-हाउस आंतरिक लेखा

परीक्षा टीम और सह-स्रोत लेखा परीक्षक (बाहरी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा नियोजन गतिविधि निगम की व्यावसायिक प्रक्रिया और निगम के सभी कार्यालयों में लेनदेन की कवरेज सुनिश्चित करती है। पहलू लेखा परीक्षा के अलावा, प्रणाली अंतराल की पहचान करने के लिए सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट आयोजित किया जाता।

बोर्ड द्वारा मंजूर इंस्पेक्शन पॉलिसी में यह तय किया गया है कि भारत में निगम के हर ऑफिस का इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा साल में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन सिस्टम में होने वाली गलतियों से बचने का एक पहले से किया जाने वाला उपाय है।

निगम अपने कामों को सही, ट्रांसपेरेंट और नैतिक तरीके से करने के लिए कमिटेड है, जो प्रोफेशनलिज़्म और ईमानदारी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड से गाइडेड है। इसने वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को पाने पर समय पर फीडबैक, पॉलिसी, प्रोसेस, कानूनों और रेगुलेशन का पालन पक्का करने के लिए ज़रूरी प्रोसेस में ऑडिट, इंस्पेक्शन और विजिलेंस के ज़रिए एक मजबूत और बड़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया है।

धोखाधड़ी की संभावना वाले इलाकों में जानकारी फैलाकर बचाव के लिए सावधानी बरतने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया।

CVC की गाइडलाइंस के अनुसार, हमारे ऑर्गनाइज़ेशन के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में इंटीग्रिटी पैक्ट (IP) लागू किया जा रहा है। स्टोर्स परचेज़ और बिलडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में, यह पक्का किया जा रहा है कि CVC की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।

सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों को पहचानने के लिए प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव विजिलेंस उपाय किए गए और सेंट्रल ऑफिस के संबंधित कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट को सुधार के लिए सुझाव दिए गए।

13. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2025-26 में, भारत सरकार के कार्यालय में राजभाषा हिंदी को बेहतरीन ढंग से लागू करने के लिए 'आशीर्वाद साहित्यिक एवं सामाजिक संगठन' ने निगम के केंद्रीय कार्यालय को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का पुरस्कार दिया।

वर्ष 2025-26 में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने राजभाषा को बेहतरीन ढंग से लागू करने के लिए निगम के केंद्रीय कार्यालय को पुरस्कृत किया।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने निगम के 04 मंडल कार्यालयों को राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया।

14. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

भारत के नागरिकों को जानकारी आसानी से मिले, इसके लिए ऑर्गनाइज़ेशन में अलग-अलग लेवल पर अधिकारियों को सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CPIOs) और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी (FAAs) बनाया गया है। निगम में 130 CPIOs और 130 अपीलेंट अथॉरिटी हैं।

<https://licindia.in/web/guest/rti-center> पर उपलब्ध है।

सीआईसी ने लगातार पांचवें वर्ष आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत प्रकटीकरण के लिए एलआईसी की वेबसाइट (www.licindia.in) के पारदर्शिता ऑडिट में 100% रेटिंग के साथ एलआईसी को ग्रेड "ए" संगठन के रूप में मान्यता दी है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 8321 RTI एप्लीकेशन, 1247 अपील और 208 CIC हियरिंग केस अटेंड किए गए।

बोर्ड रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशक मंडल (“बोर्ड”) को 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम” या “एलआईसीआई” या “एलआईसी”) की 69वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

आपका निगम मजबूत शोधक सीमांत और विविधकृत निवेश पोर्टफोलियो के साथ लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन प्रदान कर रहा है, जो वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और भारत के आर्थिक विकास में सार्थक योगदान करता है। भारत के सबसे बड़े जीवन बीमाकर्ता के रूप में, निगम अपनी वित्तीय स्थिरता और व्यापक पहुंच के लिए जानी जाती है। जीवन बीमा से जुड़े अपने कई तरह के उत्पाद और सेवा के जरिए, निगम देश भर में लाखों पॉलिसीधारकों की बदलती जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करती है।

1. वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के लिए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25	संवृद्धि (%)
नया व्यापार प्रीमियम			
प्रथम वर्ष का प्रीमियम	41,935.30	37,025.38	13.26
एकल प्रीमियम	2,18,677.67	1,89,760.11	15.24
नवीकरण प्रीमियम	2,76,135.59	2,62,063.43	5.37
सकल प्रीमियम*	5,36,748.56	4,88,848.92	9.80
घटा: पुनर्बीमा	(764.34)	(700.75)	9.07
शुद्ध प्रीमियम	5,35,984.22	4,88,148.17	9.80
निवेश एवं अन्य आय	4,36,929.73	3,95,927.98	10.36
कुल आय	9,72,913.95	8,84,076.15	10.05
कर के बाद लाभ (पीएटी)	57,418.55	48,151.17	19.25

*इसमें व्यक्तिगत एवं समूह व्यवसाय प्रीमियम शामिल है।

अन्य प्रमुख मानदंड :

विवरण	2025-26	2024-25	संवृद्धि (%)
निगम के वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (एपीई) (₹ करोड़ में)	66,961.00	56,828.00	17.83
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	57,29,395.73	54,52,296.67	5.08
एंबेडेड मूल्य (₹ करोड़ में)	7,89,185.00	7,76,876.00	1.58
*शोधक सीमांत	2.35	2.11	-

*शोधक सीमांत (भारत के अंतर्गत कारोबार) की गणना वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर विचार करने से पहले की गयी है।

2. पूंजी और शेयरधारिता

निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 25,000 करोड़ है, जो ₹ 10/- प्रत्येक के 2,500 करोड़ शेयरों में विभाजित है और 31 मार्च, 2026 तक निगम की जारी, अभिदत्त और पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 6324,99,77,010/- है, जिसमें प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य के 632,49,97,701 इक्विटी शेयर शामिल हैं। निगम ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नए इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं।

निगम के निदेशक मंडल ने 13 अप्रैल, 2026 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ, निगम के सदस्यों की मंजूरी के अधीन पर 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। जिससे सदस्यों ने 17 मई, 2026 को डाक मत पत्र के ज़रिए मंजूर किया। डाक मत पत्र के नतीजे और संवीक्षक की रिपोर्ट 18 मई, 2026 को प्रस्तुत की गई। निदेशक मंडल ने 21 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में सदस्यों को बोनस इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी देने का अधिकार हितधारक संबंध समिति को सौंप दिया था। इसके बाद, निगम के बोर्ड की हितधारक

संबंध समिति ने 01 जून, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 17 मई, 2026 को डाक मत पत्र के ज़रिए सदस्यों से मिली मंजूरी के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक उपलब्ध निगम के आरक्षित एवं अधिशेष निधि में से ₹ 6324,99,77,010/- का पूंजीकरण करके ₹ 10/- प्रत्येक के 632,49,97,701 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयर 1:1 के अनुपात में जारी किए हैं। अर्थात् रिकॉर्ड तिथि, 29 मई, 2026 के अनुसार उन सदस्यों को जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज हैं, उन्हें प्रत्येक 1 (एक) पूर्ण चुकता मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए 1 (एक) पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयर। ये बोनस इक्विटी शेयर सभी तरह से निगम के पहले से मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान आधार पर हैं।

बोनस शेयरों के आवंटन के परिणामस्वरूप, निगम की जारी, अभिदत्त और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 12649,99,54,020/- हो गई है, जिसे ₹ 10/- के अंकित मूल्य के 1264,99,95,402 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

3. लाभांश और विनियोजन:

लाभांश

आपके निगम के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य के 1264,99,95,402 इक्विटी शेयरों पर ₹ 10/- (100%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो पाँचवीं वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 12649.99/- करोड़ का नकद बहिर्वाह शामिल होगा, जो 22.03% के लाभांश भुगतान अनुपात में रूपांतरित होता है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम या सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 12 के अनुसार, निगम को सभी लाभांश भुगतानों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना जरूरी है। इसलिए, डिविडेंड वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जैसे भौतिक भुगतान विकल्प पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 43ए के संदर्भ में, निगम ने एक लाभांश वितरण नीति (“लाभांश नीति”) तैयार की है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। निगम की लाभांश नीति निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और जिसका लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 में अनुलग्नक ‘I’ में प्रदान किया गया है।

विनियोजन:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कर के बाद लाभ (पीएटी)	57,418.55	48,151.17
विनियोजन :-		
साल की शुरुआत में राशि	1,20,067.43	75,711.26
घटा: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	(7,590.00)	(3,795.00)
तुलन पत्र में ले जाया गया लाभ	1,69,895.98	1,20,067.43

4. उत्पाद:

आपका निगम विभिन्न प्रकार के उत्पादों प्रदान करता है, जो समाज के विभिन्न ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने कुल नौ (9) नए बीमा उत्पाद प्रस्तुत किए। जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	श्रेणी
1	एलआईसी का नव जीवन श्री-सिंगल प्रीमियम	व्यक्तिगत
2	एलआईसी का नव जीवन श्री	व्यक्तिगत
3	एलआईसी का जन सुरक्षा	व्यक्तिगत
4	एलआईसी का बीमा लक्ष्मी	व्यक्तिगत
5	एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस	व्यक्तिगत

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	श्रेणी
6	एलआईसी का बीमा कवच	व्यक्तिगत
7	एलआईसी का जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम	व्यक्तिगत
8	एलआईसी का ग्रुप टर्म ईंज प्लान	समूह
9	एलआईसी का ग्रुप बेनिफिट्स सिक्थोर प्लान	समूह

निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित दो (2) नए व्यक्तिगत राइडर्स प्रस्तुत किए

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	श्रेणी
1	एलआईसी का क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर	व्यक्तिगत
2	एलआईसी का फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर	व्यक्तिगत

नए उत्पादों को प्रस्तुत करने के अलावा, निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पांच (05) मौजूदा व्यक्तिगत उत्पादों के संशोधित संस्करण प्रस्तुत किए। ये संशोधन उत्पाद सुविधाओं को बढ़ाने, ग्राहक मूल्य प्रस्तावों में सुधार करने और उभरती बाजार जरूरतों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए किए गए हैं। संशोधित उत्पाद के नाम निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	उत्पाद का नाम
1	एलआईसी का नया एंडोमेंट प्लान
2	एलआईसी का नव जीवन श्री
3	एलआईसी का नया जीवन आनंद
4	एलआईसी का नया जीवन शांति
5	एलआईसी का जीवन अक्षय - VII

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक, निगम के पास बिक्री के लिए निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियां उपलब्ध हैं:

उत्पाद श्रेणी	उत्पादों की संख्या
व्यक्तिगत उत्पाद	36
समूह उत्पाद	14
व्यक्तिगत और समूह उत्पाद	01
व्यक्तिगत राइडर्स	07
ग्रुप राइडर	01
कुल उत्पाद	59

5. निरंतरता:

उच्च निरंतरता, ग्राहकों को मजबूत निष्ठा की ओर ले जाती है और एलआईसी हमेशा से पॉलिसी लैप्स (बंद) होने से रोकने के लिए ठोस और सुधारात्मक कदम उठाकर 'निरंतरता' को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए निगम कई तरह के ग्राहक संपर्क/निष्ठा कार्यक्रम चलाती है और ग्राहकों को बीमा की आवश्यकता और पॉलिसियों को प्रचलित रखने के महत्व के बारे में जागरूक करती है।

इस संस्थागत रूप से केंद्रित करने के लिए, निरंतरता के मेट्रिक्स को सभी स्तरों पर 'मुख्य प्रदर्शन संकेतक' और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देय में शामिल किया गया है, जिससे पूरे कॉर्पोरेशन में एकरूपता बनी रहे।

प्रीमियम और पॉलिसियों की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत नियमित प्रीमियम व्यवसाय के लिए निरंतरता निम्नानुसार है:

प्रीमियम के आधार पर:

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 13वें महीने की निरंतरता, वित्त वर्ष 2024-25 के 74.84% की तुलना में 74.64% है। जोकि 0.2% की मामूली गिरावट का संकेत देती है।
- 61वें महीने की निरंतरता, वित्त वर्ष 2024-25 में 63.12% से वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 59.31% हो गई, जिसमें 3.81% की गिरावट है।

पॉलिसियों की संख्या के आधार पर:

- 13वें महीने की निरंतरता वित्त वर्ष 2024-25 में 64.12% से वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 64.87 % हो गई, जो 0.75 % के मामूली सुधार को दर्शाती है।
- 61वें महीने की निरंतरता वित्त वर्ष 2024-25 में 50.31 % से वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 46.88 % हो गई, जो 3.43 % की गिरावट का संकेत देती है।

6. अन्वेषण, रणनीति और योजना:

यह विभाग निगम और पॉलिसीधारक पर होने वाले असर को समझने के लिए जीवन बीमा और वित्तीय क्षेत्रों में हो रहे बदलावों का नियमित रूप से विश्लेषण करता है। रणनीतिक जानकारी देने के लिए यह विभाग बाज़ार की स्थितियों, नए बिज़नेस के मौकों और ग्राहकों की बदलती पसंद पर नज़र रखता है। निगम पर किसी भी संभावित असर का आकलन करने के लिए विनियामक और कानूनी बदलावों की भी जांच की जाती है। अन्य विभागों के साथ मिलकर, अन्वेषण और रणनीति टीम एक मज़बूत रणनीतिक ढांचा तैयार करने के लिए घरेलू और वैश्विक बीमा प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कारकों और संवेदनशील विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए निगम का पांच-वर्षीय बिज़नेस प्लान बनाती है। उचित निर्णय लेने और धारणीय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए व्यापार पूर्वानुमान, उद्योग के सर्वोत्तम तरीकों के मानमंडों और बीमा उत्पादों के विपणन और विज्ञापन प्रवृत्तियों पर विस्तृत अध्ययन भी किया जाता है।

तेज़ी से बदलते व्यापार वातावरण में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, निगम अपनी ताकतों, कमज़ोरियों, मौकों और खतरों (एसडब्ल्यूओटी) का आकलन करता है और उसी के अनुसार रणनीतियाँ बनाता है। योजना और प्रदर्शन बजट (पीपीबी) इस दिशा में एक अहम पहल है। को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के वैधानिक और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) महत्व को देखते हुए, निगम इसे तैयार करता है और उचित आश्वासन प्रदाता से मंज़ूर करवाता है।

ज्ञान साझा करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, अन्वेषण और रणनीति टीम एक केंद्रीकृत डेटा भंडार बनाया हुआ है और एक त्रैमासिक ई-पत्रिका, 'एनवोस्केन' प्रकाशित करती है, जो पूरे संगठन में डेटा-संचालित निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए मूल्यवान आवलोकन प्रदान करती है।

7. ग्राहक संबंध प्रबंधन:

(क) पॉलिसी सेवा:

पॉलिसियों की सेवा जीवन बीमा में की मूल्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। आपका निगम अपने पॉलिसीधारकों को उच्चतम स्तर पर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है।

एलआईसी की देश भर में 2048 शाखा कार्यालयों और 1584 सैटेलाइट कार्यालयों के साथ मजबूत उपस्थिति है। इसके अतिरिक्त, "एनिवेयर सर्विसेज़" जैसी पहल की है जो ग्राहकों को किसी भी एलआईसी शाखा में जाने और सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है, भले ही उनकी पॉलिसी की सर्विसिंग शाखा कोई भी हो। देश के हर कोने में व्यापक नेटवर्क के साथ, ग्राहक व्यक्तिगत सेवाओं का सुविधाजनक पहुंच का आनंद लेते हैं। इसके अलावा, अभिकर्ताओं और अन्य बाजार मध्यस्थों की एक मजबूत उपस्थिति से सेवाओं की पहुंच में आसानी, त्वरित सहायता और एक बेहतर समग्र सेवा अनुभव सुनिश्चित होती है।

ग्राहक, एलआईसी डिजिटल ऐप के माध्यम से या www.licindia.in पर ग्राहक पोर्टल के माध्यम से एलआईसी सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। निर्बाध ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान की सुविधा के लिए, एलआईसी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और ई-वॉलेट सहित विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ग्राहक ऑटो डेबिट, ई-एनएसीएच जैसी स्वचालित भुगतान सुविधाएं भी चुन सकते हैं। उपरोक्त के अलावा, प्रीमियम का भुगतान डिजिटल रूप से बैंकों और थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के ज़रिए किया जा सकता है। ये ऐप्स 'भारत कनेक्ट इकोसिस्टम' के तहत ऑपरेटिंग यूनिट के तौर पर काम करते हैं और अपने पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके "व्यू एंड पे" या "रजिस्टर एंड पे" (यूनिफ़ाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम) विकल्प के ज़रिए भुगतान की सुविधा देते हैं।

पॉलिसीधारक, एलआईसी शाखा कार्यालयों और सैटेलाइट कार्यालयों में प्रीमियम का भुगतान नकद, चेक या कार्ड स्वाइपिंग मशीन (चयनित शाखाओं में) का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा, नकद या चेक के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के लिए उपलब्ध अन्य ऑफ़लाइन, योग्य अभिकर्ताओं, विकास अधिकारियों और वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगियों (एसबीए) द्वारा संचालित प्रीमियम संग्रह केंद्रों पर किया जा सकता है। आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, सुविधा इन्फोसर्व, एमपी ऑनलाइन, एपीटी ऑनलाइन और सीएससी जैसी संस्थाएं भी प्रीमियम स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं।

एलआईसी अपने पॉलिसीधारकों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए 022-68276827 पर एक केंद्रीकृत 24x7 कॉल सेंटर संचालित करता है। समावेशी ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु नामक आठ क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता उपलब्ध करवाता है।

एलआईसी की सेवा से संबंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध है। ग्राहक मोबाइल नंबर 9222492224 पर LICHELP<POLICYNO> प्रारूप में एक एसएमएस भेज सकते हैं, जिस के उपरांत ग्राहक क्षेत्र का एक एलआईसी अधिकारी उनसे संपर्क करेगा और उनकी सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त, ग्राहक 8976862090 पर व्हाट्सएप के माध्यम से एलआईसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक सहायता और शिकायत समाधान के लिए एलआईसी के ग्राहक क्षेत्र एकल बिंदु संपर्क के रूप में कार्य करते हैं। सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक पूरे भारत में 74 ग्राहक क्षेत्रों के संचालन के साथ, एलआईसी ग्राहकों के प्रश्नों और सेवा अनुरोधों का समय पर सहायता और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है।

ग्राहक प्रमाणीकरण को मजबूत करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए, एलआईसी ने विभिन्न रिपॉजिटरी के साथ एकीकरण किया है। ये एकीकरण टर्नअराउंड समय को कम करने और कुशल सेवा वितरण को सक्षम करने में मदद करते हैं। एलआईसी विभिन्न डिजिटल जुड़ाव और पहलों के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव को बढ़ाना और एक सहज सेवा अनुभव प्रदान करना जारी रखती है।

एलआईसी ने अपने पॉलिसीधारकों के लिए एक मजबूत और ग्राहक अनुकूल प्रतिक्रिया और शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया है। पॉलिसीधारक आसानी से अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की शिकायत प्रबंधन प्रणाली, 'बीमा भरोसा' के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों को एलआईसी की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत किया गया है। निगम ने पॉलिसीधारक की चिंताओं/शिकायतों का प्रभावी ढंग से निवारण करने के लिए शाखा, मंडल, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) को नामित किया है। जीआरओ का विवरण एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। पॉलिसीधारक प्रत्येक सोमवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच, बिना किसी पूर्व समयादेश के और अन्य कार्य दिवसों पर पूर्व समयादेश के साथ संबंधित जीआरओ से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं।

एलआईसी बेहतर ग्राहक जुड़ाव और सभी स्पर्श बिन्दुओं पर अपने पॉलिसीधारकों को बेहतर सेवा अनुभव प्रदान करने का प्रयास लगातार करती है।

(ख) दावे संबंधित प्रदर्शन:

प्रभावी ग्राहक सेवा ग्राहकों को बनाए रखने में, दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने और निगम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, आपका निगम विश्वास बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करता है कि पॉलिसीधारक निगम के साथ अपनी यात्रा के दौरान समर्थित महसूस करें। आपका निगम पॉलिसीधारकों के साथ लगातार संवाद के लिए समय पर अपडेट प्रदान करने, सहानुभूति और व्यावसायिकता के साथ प्रश्नों और चिंताओं का समाधान करके एवं व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से संबोधित करता है ताकि निगम द्वारा निर्बाध और उत्तरदायी सेवा प्रदान की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने ₹ 3,12,770.86 करोड़ (व्यक्तिगत, सूक्ष्म बीमा और पेंशन और समूह योजनाओं सहित) की राशि के 253.91 लाख दावों का निपटान किया गया है। विशेष रूप से, यह भुगतान शत प्रतिशत मुख्य रूप से एनईएफटी के माध्यम से डिजिटल रूप से किए गए हैं।

पॉलिसीधारकों को भुगतान किए गए लाभों का विस्तृत सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में पृष्ठ संख्या 27 में दिया गया है।

8. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास:

i. ग्राहक डिजिटल सेवा पारिस्थितिकी तंत्र

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ग्राहक सुविधा बेहतर और डिजिटल पहुंच का विस्तार करने पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। जैसे- जैसे ग्राहकों की अपेक्षाएं निर्बाध, स्वयं-सेवा और कभी भी-कहीं भी जुड़ाव की ओर बढ़ रही हैं, एलआईसी ने कई प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्मों को लॉन्च और विस्तार के माध्यम से अपने डिजिटल सर्विसिंग पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है।

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि "MyLIC" एप्स का लॉन्च होना रहा है, जो प्रीमियम भुगतान, ऋण सर्विसिंग, ऋण चुकौती और पुनः प्रवर्तन, स्वचालित भुगतान प्रबंधन, प्रोफाइल और केवाईसी अपडेट, पॉलिसी दस्तावेज़ डाउनलोड, ऑनलाइन खरीद की जानकारी, परिवार और पॉलिसी जोड़ने की सुविधाएं और व्यक्तिगत ग्राहक डैशबोर्ड सहित पॉलिसीधारक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने वाले एक व्यापक डिजिटल सर्विसिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। लगभग 95% ग्राहक की यात्रा पहले ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सक्षम की जा चुकी है, जो निगम की डिजिटल सर्विसिंग परिवर्तन यात्रा में पर्याप्त प्रगति को दर्शाती है।

प्लेटफॉर्म व्यापक तौर पर ग्राहकों द्वारा अपनाया गया है जिसमें, एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर 19.4 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए हैं और लगभग 75,000 उपयोगकर्ताओं की औसत दैनिक लॉगिन मात्रा दर्ज की गयी है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है, एप्लिकेशन ने 70,000 से अधिक उपयोगकर्ता समीक्षाओं के आधार पर Google Play Store पर 4.7 की रेटिंग हासिल की है। व्हाट्सएप-आधारित प्रीमियम संग्रह सेवाओं की शुरुआत के माध्यम से ग्राहक पहुंचने के ज़रूरतों को और मजबूत किया गया, साथ ही ग्राहक जुड़ाव और पॉलिसी की निरंतरता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम आउटरीच पहल का लाभ उठाया गया।

वैकल्पिक सर्विसिंग चैनलों की बढ़ती स्वीकृति इस तथ्य में परिलक्षित होती है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 80.10% रिन्यूअल प्रीमियम लेनदेन एलआईसी शाखाओं के बाहर डिजिटल और गैर-डिजिटल चैनलों के माध्यम से एकत्र किए गए हैं। ये पहल भौतिक सर्विसिंग चैनलों पर निर्भरता को कम करते हुए अधिक सुलभ, उत्तरदायी और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का समर्थन करती हैं।

ii. बिक्री और फील्ड फोर्स की डिजिटल सक्षमता

एलआईसी के व्यापक वितरण नेटवर्क की उत्पादकता और प्रभावशीलता को मजबूत करना निगम की संवृद्धि रणनीति का मुख्य केंद्र में रहता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, अभिकर्ताओं, पर्यवेक्षी कर्मियों और बिक्री प्रबंधन टीमों के लिए उपलब्ध डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निवेश किए गए।

सुपर सेल्स साथी एप्स का लॉन्च करना इस दिशा में एक एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं, करीब 47,000 पर्यवेक्षी कर्मियों और लगभग 8,000 पदानुक्रम उपयोगकर्ताओं को एकीकृत डिजिटल सक्षमता प्रदान की गई है। यह प्लेटफॉर्म बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, लीड प्रबंधन की क्षमताएं, अभियान प्रबंधन उपकरण, प्रोत्साहन निगरानी, एमडीआरटी ट्रैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग समर्थन, माइक्रो-साइट्स और टीम 360 डैशबोर्ड प्रदान करता है जिसका उद्देश्य बिक्री उत्पादकता को बेहतर और ग्राहक जुड़ाव को मजबूत करना है।

नव-आनंदा के माध्यम से डिजिटल ऑनबोर्डिंग क्षमताओं को और मजबूत किया गया, जो एक प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्म है जो आधार-आधारित ई-केवाईसी एकीकरण के माध्यम से नए व्यवसाय के कागज रहित और ग्राहक-अनुकूल ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 23 लाख पॉलिसियों को पार कर लिया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विशेष रूप से, वर्ष के दौरान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों की संख्या इसी अवधि के दौरान किसी भी व्यक्तिगत निजी जीवन बीमाकर्ता के कुल पॉलिसी जारी करने से अधिक है, जो एलआईसी के डिजिटल ऑनबोर्डिंग इकोसिस्टम के पैमाने और प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है।

निगम ने डेटा-संचालित ग्राहक जुड़ाव पहल के माध्यम से अपनी मारटेक (MarTech) की क्षमताओं को भी मजबूत किया है। वर्ष के दौरान लगभग 70 करोड़ संचार वितरित किए गए, जिसमें लगभग 30 करोड़ आउटरीच मामलों को शामिल किया गया और लगभग 69 प्रतिशत ओपन/रीड दर और लगभग 80 प्रतिशत वितरण सफलता दर प्राप्त हुई। प्लेटफॉर्म वर्तमान में कई संचार चैनलों में 13 ग्राहक अभियानों और 152 अभिकर्ता-केंद्रित अभियानों का समर्थन करता है, जो नवीनीकरण के अनुस्मारक, स्वचालित पंजीकरण, परिपक्वता सर्विसिंग, पुनः प्रवर्तन पहल और पुनर्निवेश के अवसरों के लिए लक्षित आउटरीच को सक्षम बनाता है। ये पहल वितरण प्रभावशीलता को बढ़ा रही हैं, ग्राहक जुड़ाव को मजबूत कर रही हैं और प्रौद्योगिकी-सक्षम बिक्री प्रक्रियाओं के माध्यम से मापनीय व्यवसाय वृद्धि का समर्थन कर रही हैं।

iii. स्मार्ट शाखा परिवर्तन

शाखा दक्षता में सुधार और सेवा वितरण चैनलों का आधुनिकीकरण एलआईसी के व्यापक डिजिटल परिवर्तन कार्यसूची के महत्वपूर्ण घटक बने हुए हैं। इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए, निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डिजिटल शाखा पोर्टल का आरंभिक कार्यान्वयन शुरू किया।

इस पहल का मकसद डिजिटल कार्यप्रवाह, केंद्रीकृत सेवा प्रबंधन, बेहतर दृश्यता और सुव्यवस्थित ग्राहक सेवा प्रक्रियाओं के माध्यम से शाखा संचालन को बदलने के लिए किया गया है। लागू की गई प्रमुख मूलभूत क्षमताओं में कर्मचारी एकल साइन-ऑन (एसएसओ), स्वचालित उपयोगकर्ता प्रावधान, उन्नत अभिगम नियंत्रण, एसएलए-आधारित कर्मचारी डैशबोर्ड और एकीकृत ग्राहक सेवा डैशबोर्ड शामिल हैं।

प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई ग्राहक-केंद्रित सर्विसिंग क्षमताओं का भी संचालन किया गया है, जिसमें चेक जमा किए बिना एनईएफटी अद्यतन, आधार-आधारित पता अपडेट, मोबाइल और ईमेल सत्यापन और एक-क्लिक पर सर्विसिंग की जानकारी शामिल हैं। ये पहल व्यक्तिगत हस्तक्षेप को कम कर रही हैं, प्रतिवर्तन समय में सुधार कर रही हैं और अधिक कुशल और उत्तरदायी शाखा परिचालन वातावरण को सक्षम कर रही हैं।

डिजिटल शाखा पोर्टल एक प्रौद्योगिकी-सक्षम शाखा इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो परिचालन दक्षता को बढ़ाते हुए बेहतर सेवा अनुभव प्रदान करने में सक्षम है।

iv. डेटा लेक और वैश्लेषिकी

डेटा तेजी से व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने, ग्राहक वचनबद्धता में सुधार करने और सूचित निर्णय लेने को सक्षम करने के लिए एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में उभर रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, एलआईसी ने अपनी एंटरप्राइज डेटा लेकहाउस पहल के माध्यम से उद्यम-स्तरीय आधुनिकीकरण किया है।

इस पहल का उद्देश्य एक एकीकृत डेटा और वैश्लेषिकी इकोसिस्टम बनाना है जो विविध व्यावसायिक प्रणालियों से जानकारी को समेकित करने और उद्यम-व्यापी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को सक्षम करने के लिए है। वर्ष के दौरान प्रमुख डिलिवरेबल्स विकसित किए हैं जिसमें ग्राहक 360 और एजेंट 360 विश्लेषणात्मक ढांचे, बुद्धिमान उत्पाद अनुशंसा क्षमताएं, नवीनीकरण अभियान सक्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल)-आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जैसे “एजेंट लाइव मी” शामिल हैं।

ग्राहकों, अभिकर्ताओं और व्यावसायिक संचालन के एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम करके, यह पहल निगम में डेटा-संचालित निर्णय लेने को मजबूत कर रही है। ये क्षमताएं बेहतर ग्राहक वचनबद्धता, लक्षित व्यावसायिक हस्तक्षेप, बढ़ी हुई उत्पादकता निगरानी और अधिक प्रभावी रणनीतिक योजना का समर्थन कर रही हैं।

v. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां परिचालन दक्षता को, ग्राहक अनुभव को बेहतर करने और सेवा वितरण क्षमताओं को बढ़ाने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एलआईसी मापनीयता, जवाबदेही और प्रक्रिया की प्रभावशीलता में सुधार के लिए कई व्यावसायिक कार्यों में इन तकनीकों का लाभ उठा रहा है।

एआई और एमएल-सक्रिय स्वचालन समाधानों का उपयोग वर्तमान में दोहराए जाने वाले प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, परिचालन निगरानी में सुधार करने और बुद्धिमान विसंगति का पता लगाने को सक्षम करने के लिए दावा संचालन और कार्यालय सेवा कार्यों में किया जा रहा है। इन पहलों की सफलता के आधार पर, क्षमताओं को पॉलिसी सर्विसिंग और विपणन कार्यों तक बढ़ाया जा रहा है।

परिपक्वता दावा सूचना और एनईएफटी पंजीकरण से संबंधित संचार के लिए एआई-सक्षम ध्वनि संचार प्रणाली लागू किए गए हैं, जिससे सक्रिय ग्राहक पहुंच और बेहतर सर्विसिंग दक्षता की सुविधा मिलती है। समाधान को प्रीमियम भुगतान अनुस्मारक संचार तक भी बढ़ाया जा रहा है। प्रस्ताव प्रसंस्करण सटीकता में सुधार, व्यक्तिगत हस्तक्षेप को कम करने और ऑनबोर्डिंग समयसीमा में तेजी लाने के लिए एआई-आधारित प्रस्ताव प्रपत्र डेटा निष्कर्षण समाधान लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक संचार और शिकायत प्रबंधन के बुद्धिमान वर्गीकरण और प्राथमिकता का समर्थन करने के लिए एक एआई-संचालित ईमेल वैश्लेषिकी प्लेटफॉर्म का संचालन किया जा रहा है।

डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने के लिए फेशियल मैचिंग, जीवंतता का पता लगाने और यूआईडीएआई-आधारित प्रमाणीकरण पर आधारित उन्नत डिजिटल सत्यापन तंत्र भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, डिजिटल सर्विसिंग की प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को वास्तविक समय में सहायता प्रदान करने के लिए सह-ब्राउज़िंग क्षमताओं को शुरू किया गया है।

vi. प्रक्रिया डिजिटलीकरण और कागज रहित संचालन

व्यावसायिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण और शारीरिक कार्यों के निर्भरता को कम करना एलआईसी की डिजिटल परिवर्तन सफर में प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, ग्राहक द्वारा सामना करने वाली और बैंक-ऑफिस प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए कई पहल की गई, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार हुआ है।

एनईएफटी भुगतान के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) लागू किया गया है, जिससे इस वर्ष के दौरान 2,83,037 मामलों का स्वचालित प्रसंस्करण संभव हुआ। बैंक मिलान प्रक्रियाओं के स्वचालन ने परिचालन नियंत्रण को और मजबूत किया और प्रसंस्करण क्षमता में सुधार किया। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में 8,44,347 पेंशन पॉलिसियों के लिए आधार-आधारित डेटा निष्कर्षण क्षमताओं का भी लाभ उठाया गया।

ग्राहकों से जुड़ी प्रक्रियाओं में परिवर्तन पहलों में पॉलिसी के बदले ऑनलाइन ऋण की सेवाएं और 'प्रबलन' का लॉन्च शामिल है, जो एक ऑनलाइन पुनः प्रवर्तन पोर्टल है जिसे पात्र व्यपगत पॉलिसियों के डिजिटल पुनः प्रवर्तन की सुविधा के लिए रूपांकन किया गया है। पोर्टल सक्षम होने के बाद ऑनलाइन ऋण सुविधा ने 45 दिनों की अवधि में 8266 ऋण अनुरोधों के निपटान किया गया।

ये पहल तेजी से प्रसंस्करण, बेहतर ग्राहक सुविधा एवं पारदर्शिता और कागज रहित संचालन के लिए निरंतर प्रगति की दिशा में योगदान दे रही हैं।

vii. आईटी आधारिक संरचना का आधुनिकीकरण

एलआईसी के बढ़ते डिजिटल परिस्थितिकी तंत्र और व्यावसायिक आवश्यकताओं का विस्तार करने के लिए एक मजबूत और स्केलेबल प्रौद्योगिकी आधारिक संरचना महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंप्यूटिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डेटा सेंटर वातावरण में मुख्य बुनियादी ढांचा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निवेश किए गए।

वर्ष के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि निगम के निजी क्लाउड प्लेटफॉर्म 'मेघरथ' का संचालन है, जिसमें 840 से अधिक सक्रिय वर्चुअल मशीनें उद्यम अनुप्रयोगों और डिजिटल सेवाओं का समर्थन करती थीं। आधारिक संरचना के आधुनिकीकरण के प्रयासों में डेटा सेंटर क्षमताओं में वृद्धि, नेटवर्क आधारिक संरचना में वृद्धि और उद्यम-व्यापी पैच और सुरक्षा खामियों के प्रबंधन समाधानों की तैनाती भी शामिल है।

आधारिक संरचना के शासन और परिचालन विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए डेटाबेस गतिविधि निगरानी (डीएएम) क्षमताओं को लागू किया गया है। इन प्रयासों से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डेटा केंद्रों में 100% नेटवर्क अपटाइम और 99.5% का समग्र नेटवर्क अपटाइम प्राप्त करने में योगदान दिया।

मजबूत आधारिक संरचना का आधार भविष्य के प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करते हुए मापनीयता, तन्मयता और सेवा उपलब्धता को बेहतर बना रहा है।

viii. सूचना और साइबर सुरक्षा

जैसे-जैसे डिजिटल तकनीकी के इस्तेमाल का विस्तार हो रहा है और विश्व स्तर पर साइबर खतरे भी विकसित होते जा रहे हैं, साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा करना निगम के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सुरक्षा शासन, सुरक्षा खामियों के पता लगाने की क्षमताओं को बेहतर और महत्वपूर्ण सूचना संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई पहल की गई।

उद्यम-व्यापी पहुंच प्रबंधन और शासन नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एक व्यापक पहचान शासन और प्रशासन (आईजीए) समाधान लागू किया गया है। आधार डेटा मास्कিং के माध्यम से संवेदनशील ग्राहक जानकारी की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई, जिसके परिणामस्वरूप 14.03 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को मास्क किया गया। अतिरिक्त उपायों में डेटा वर्गीकरण (डीसी) और डेटा हानि रोकथाम (डीएलपी) समाधानों का कार्यान्वयन और एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) क्षमताओं का विंडोज और लिनक्स वातावरण में तैनाती और डेटाबेस गतिविधि निगरानी (डीएएम) के माध्यम से डेटाबेस सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है।

सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन (एसआईईएम), सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पांस (एसओएआर), उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण (यूईबीए), नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पांस (एनडीआर), पैकेट कैप्चर (पीसीएपी), साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस (सीटीआई), साइबर थ्रेट हंटिंग (सीटीएच), और एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए थ्रेट डिटेक्शन एंड

इंसिडेंट रिस्पॉन्स (टीडीआईआर) संरचना के कार्यान्वयन के माध्यम से साइबर रक्षा क्षमताओं को और बेहतर बनाया गया। समानांतर में, नेटवर्क सुरक्षा उपकरण (एनएसटी) सहित नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), सिक्थोर सॉफ्ट लेयर ऑफेंसिव (एसएसएलओ), वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएफ), सर्वर लोड बैलेंसर (एसएलबी), मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (एमडीएम), और क्लाउड एक्सेस सिक्थोरिटी ब्रोकर (सीएसबी) को एंटरप्राइज़ सुरक्षा आर्किटेक्चर को मजबूत करने के लिए लागू किया गया।

इन पहलों ने निगम के साइबर खतरों को रोकने, उनका पता लगाने, उन पर प्रतिक्रिया देने और उनके असर को कम करने की क्षमता में काफी वृद्धि की है, साथ ही डेटा सुरक्षा, नियामक अनुपालन, ग्राहकों का भरोसा और ऑपरेशनल मजबूती को भी मजबूत किया है।

निदेशक मंडल के निर्देशों के तहत डिजिटल साधनों के माध्यम से पॉलिसी जारी करने को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट और ऐप्लिकेशन्स को मजबूत करने वाली विभिन्न गतिविधियाँ करके, निगम का लक्ष्य पारंपरिक जीवन बीमाकर्ता से बदलकर एक टेक-सक्षम वित्तीय सेवा प्रदाता बनना और एलआईसी को अगले दौर में ले जाना है।

9. मानव संसाधन:

31 मार्च, 2026 को, निगम में कुल 84,565 कर्मचारी हैं जिनमें 20,404 महिला कर्मचारी (कुल कर्मचारियों का 24.12%) शामिल हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है:

विवरण	पुरुष	महिला	कुल
प्रथम श्रेणी	21,148	6,634	27,782
द्वितीय श्रेणी	16,839	1,848	18,687
तृतीय श्रेणी	25,554	11,665	37,219
चतुर्थ श्रेणी	620	257	877
कुल	64,161	20,404	84,565

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:

निगम एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिक्रिया) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निगम ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उनके आर्थिक और व्यावसायिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए कई पहलों को लागू किया है।

महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने एलआईसी के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो निगम के निरंतर विकास और सफलता में एक अभिन्न भूमिका निभा रहे हैं। एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए, निगम ने पीड़ित कर्मचारियों को सभी उचित सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

ये समितियाँ अधिनियम के वैधानिक ढांचे के अनुसार कार्य करती हैं, शिकायतों, यदि कोई हो, का त्वरित और निष्पक्ष निवारण सुनिश्चित करती हैं। शिकायत निवारण के अलावा, समितियाँ कर्मचारियों को शिक्षित करने और कार्यस्थल में गरिमा, आपसी सम्मान और समावेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियमित जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। 31 मार्च, 2026 तक शिकायतों का सारांश इस प्रकार है:

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	02
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16
शिकायतों की कुल संख्या	18
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	13
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	05*

*इस रिपोर्ट की तारीख तक, सभी लंबित शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

10. आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण ढांचा:

आंतरिक लेखापरीक्षा

निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की देखरेख केंद्रीय कार्यालय ('कें. का.'), मुंबई में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। देश भर में तेरह लेखापरीक्षा केंद्र जो केंद्रीय कार्यालय की देखरेख और निगरानी में लेखापरीक्षा करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय कार्यालय लेखापरीक्षा विभाग केंद्रीय कार्यालय के भीतर विभिन्न विभागों का समन्वय और लेखापरीक्षा भी करता है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में व्यावसायिकता और निष्पक्षता बेहतर करने के लिए, निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 से एक संशोधित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण शुरू किया है, जिसके तहत एक तिहाई मंडल कार्यालयों और उनके संबंधित शाखा कार्यालयों सहित पेंशन एवं समूह स्कीम इकाइयों का चार्टर्ड अकाउंटेंट ('सीए') फर्मों द्वारा सालाना अंकेक्षण किया जाएगा। सीए फर्मों द्वारा अंकेक्षण आवर्तनशील आधार पर आयोजित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी इकाइयों को तीन साल के चक्र में कम से कम एक बार अंकेक्षण किया जाये। यह प्रथा वित्त वर्ष 2025-26 में भी जारी रही।

विभाग-विशिष्ट ऑडिट प्रश्नावली का उपयोग करके विभिन्न इकाइयों में अंकेक्षण किया जाता है, जिन्हें नवीनतम परिपत्रों, संशोधित दिशानिर्देशों, नीतिगत परिवर्तनों और परिचालन विकास को शामिल करने के लिए प्रति वर्ष अद्यतन किया जाता है। इन प्रश्नावली में निगम के प्रत्येक स्तर, यानी शाखा, मंडल, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ('आईएफसी') से संबंधित जांच भी शामिल है।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नियमित रूप से केंद्रीय कार्यालय में संबंधित कार्यात्मक प्रमुखों के साथ साझा किया जाता है, जो परिचालन इकाइयों को सुधारात्मक निर्देश जारी करते हैं और जहां भी आवश्यक हो, प्रणालीगत नियंत्रण सुधारों को लागू करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) और सूचना प्रणाली (आईएस) से संबंधित लेखापरीक्षा किया। इन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्षों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया है तत्पश्चात समीक्षा एवं मार्गदर्शन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निगम के धोखाधड़ी निगरानी ढांचे के अनुसार, ₹ 1 करोड़ से अधिक की राशि वाले सभी धोखाधड़ी के मामलों केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी समिति और जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यपालकों की समिति (सीईआरएम) के माध्यम से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को सूचित की जाती है।

आंतरिक निरीक्षण

निगम ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरीक्षण नीति लागू की है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि सैटेलाइट कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय सहित भारत में प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण, निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।

यह निरीक्षण प्रक्रिया प्रणालीगत खामियों की पहचान करने, रिपोर्ट करने और सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, और निगम के सभी स्तरों पर परिचालन दक्षता, अनुपालन और जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सभी कार्यालयों का निरीक्षण 16 मार्च, 2026 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

व्यक्तिगत कार्यालय आकलन के अलावा, निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहचानी गई सामान्य अनियमितताओं को समेकित किया गया और केंद्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुखों के साथ साझा किया गया है, ताकि निगम में निवारक उपायों में प्रणालीगत सुधार और कार्यान्वयन को सक्षम किया जा सके।

निगम अपने कार्यालयों के विशाल नेटवर्क में पारदर्शिता, शासन मानकों और सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपनी निरीक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को मजबूत करना जारी रखे हुए है।

11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

निगम ने पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहा है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक संरचित प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और हितधारकों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए रूपांकित किया गया है। निगम के आंतरिक नियंत्रण ढांचे में नीतियों और कार्यविधियाँ शामिल हैं जो

- निगम की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक, निष्पक्ष रूप से और उचित विस्तार में दर्शाने वाले अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित;
- उचित आश्वासन प्रदान करता है कि लेनदेन को अनुमति एवं आवश्यक रूप में वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुसार दर्ज किया जाता है, और यह भी आश्वासन करता है निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- निगम की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

12. पुरस्कार एवं सम्मान:

निगम को वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में से एक के रूप में मान्यता, डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीतियों में उत्कृष्टता, बीमा क्षेत्र में कॉर्पोरेट संचार उत्कृष्टता, चैनलों और माध्यमों का सर्वोत्तम उपयोग शामिल है। निगम को जीवन बीमा के प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ पीआर/मार्केटिंग अभियान, एजेंसी वितरण में उत्कृष्टता, दावा सेवा में उत्कृष्टता और स्मार्ट बीमाकर्ता और अग्रणी जीवन बीमाकर्ता (बड़ी श्रेणी) के रूप में मान्यता के लिए भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, निगम को राष्ट्रीय पीएसयू नेतृत्व और शासन उत्कृष्टता के क्षेत्रों में सम्मान मिला है। ये सम्मान उत्कृष्टता, नवाचार और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए निगम की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान इस प्रकार हैं:

पुरस्कार और सम्मान

- एलआईसी को मार्क्समैन डेली द्वारा भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है
- ट्रांसफॉर्मैस द्वारा तीसरे ग्रेट इंडिया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लीडर्स समिट में 2 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है:
 - महान भारतीय संगठन - डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीति
 - महान भारतीय संगठन - कॉर्पोरेट संचार बीमा क्षेत्र में उत्कृष्टता;
- चैनलों और माध्यमों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए (सर्वश्रेष्ठ मीडिया इंटरैक्शन टीवी, प्रिंट, रेडियो, आउटडोर, पीआर, डायरेक्ट मार्केटिंग और डिजिटल के लिए) एक्सचेंज4मीडिया द्वारा पिच बीएफएसआई मार्केटिंग समिट एंड अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया है;
- एजेंसी रिपोर्टर द्वारा ग्राहक अधिग्रहण -2025 पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ सीटीवी अभियान के लिए सम्मानित किया गया है;
- एलआईसी को क्योअरावर्स द्वारा सबसे प्रभावशाली अभियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है;
- सीएमओ एशिया द्वारा निम्न तीन श्रेणियों में सम्मानित किया गया है:
 - जीवन बीमा के प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ पीआर/मार्केटिंग अभियान
 - एजेंसी वितरण में उत्कृष्टता
 - दावा सेवा में उत्कृष्टता
- धनम बिजनेस मीडिया द्वारा धनम लाइफ इश्योर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है;
- इटी नॉव द्वारा वर्ष 2025 के लिए जीवन बीमा (बड़ी श्रेणी) में स्मार्ट इश्योर से सम्मानित किया गया है;
- डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी (बड़ी श्रेणी) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है;
- टाइम्स एस्पायर यूनिक्ॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय पीएसयू लीडरशिप एंड गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है;
- फोर्ब्स ने भारतीय जीवन बीमा निगम को 2025 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोजकों में सम्मानित किया गया है;
- टाइम्स स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस लिमिटेड ने इटी एज बीएफएसआई बेस्ट ब्रांड्स 2026 के माध्यम से एलआईसी को लाइफ इश्योरेंस ब्रांड्स कैटेगरी के तहत सर्वश्रेष्ठ बीएफएसआई ब्रांड्स 2026 में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है।

ब्रांड रैंकिंग:

क्र.सं.	रैंकिंग	विवरण	स्रोत
1	1 st	विश्वसनीय ब्रांड 2025 (शीर्ष 5 बीमा जीवन सेवाओं में से एक)	रीडर्स डाइजेस्ट विश्वसनीय ब्रांड, सितंबर 2025
2	2 nd	भारत की सबसे बड़ी कंपनियां	फॉर्च्यून 500 इंडिया
3	4 th	सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड	ब्रांड फाइनेंस 2025
4	6 th	भारत की सबसे अधिक लाभदायक कंपनियां 2025	बिजनेस टुडे (बीटी 500)
5	8 th	सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड	ब्रांड फाइनेंस 2025
6	10 th	मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025	कंटार ब्रैंडज़
7	169 th	शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड (पिछले वर्ष 2024-25 रैंक 177वां)	ब्रांड फाइनेंस 2026

13. सहायक और सहयोगी कंपनियां:

31 मार्च, 2026 तक, निगम की तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, चार सहायक कंपनियां और छह सहयोगी कंपनियां हैं। निगम की कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं है। इस वर्ष के दौरान ऐसी कोई संस्था नहीं जो निगम की सहायक या सहयोगी बनी हो या न रही हो। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगियों के कारोबार के बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का स्वरूप	व्यावसायिक गतिविधि	एलआईसी द्वारा धारित शेयरों का %
1	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (“एलआईसी सीएसएल”)	¹ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसी सीएसएल चैनल पार्टनर बैंकों (आईडीबीआई बैंक; एक्सिस बैंक; आईडीएफसी फर्स्ट बैंक) के क्रेडिट कार्ड्स का पॉलिसीधारकों, कर्मचारियों और निगम के अभिकर्ताओं और सामान्य जनता को विपणन और वितरण करता है। उन्होंने गिफ्ट कार्ड जारी करने के लिए एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ सह-ब्रांडिंग की है। कंपनी ने एलआईसी के कर्मचारियों को भोजन (मील) सह-ब्रांडिंग कार्ड्स जारी करने के लिए मैसर्स प्लक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है।	100%
2	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड (“एलआईसी पीएफएल”)	¹ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसी पीएफएल पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित पेंशन फंड योजनाओं के लिए पेंशन फंड प्रबंधन का व्यवसाय करती है।	100%
3	लाइफ इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड (एलआईसी सिंगापुर)	² पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसी सिंगापुर जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	100%
4	लाइफ इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी) (“एलआईसी बहरीन”)	³ सहायक	एलआईसी बहरीन, बहरीन और जीसीसी देशों में जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	99.66%

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का स्वरूप	व्यावसायिक गतिविधि	एलआईसी द्वारा धारित शेयरों का %
5	लाइफ इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड (“एलआईसी लंका”)	³ सहायक	एलआईसी लंका जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	97.22%
6	लाइफ इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड (“एलआईसी नेपाल”)	³ सहायक	एलआईसी नेपाल जीवन बीमा के कारोबार में कार्यरत है।	55%
7	लाइफ इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड (“एलआईसी बांग्लादेश”)	³ सहायक	एलआईसी बांग्लादेश अन्य बातों के अलावा, जीवन और पूरक स्वास्थ्य कवरेज करके, व्यक्तिगत और समूह योजनाओं के तहत दुर्घटना लाभ और पेंशन बीमा व्यवसाय प्रदान करके सभी प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति व्यवसाय में कार्यरत है।	83.33%
8	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (“एलआईसीएमएफ ट्रस्टी”)	⁴ सहयोगी	एलआईसीएमएफ ट्रस्टी एलआईसी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्यरत है।	49%
9	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (“एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट”)	⁴ सहयोगी	एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट, एलआईसी म्यूचुअल फंड की योजनाओं के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।	49.87%
10	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (“एलआईसीएचएफएल”)	⁴ सहयोगी	एलआईसीएचएफएल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, कंपनी या निगम, सोसायटी या एसोसिएशन और विशेष रूप से, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी पॉलिसियों के धारकों को आवासीय उद्देश्य के लिए घर या फ्लैट का निर्माण या खरीदने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है, और किराए खरीद या आस्थगित भुगतान या अन्य समान आधार के माध्यम से बेचे जाने वाले आवासीय उद्देश्य के लिए घरों या फ्लैटों के निर्माण के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्त भी प्रदान करती है।	45.24%
11	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (“एलआईसीएचएफएल एएमसी”)	⁴ सहयोगी	एलआईसीएचएफएल एएमसी, निवेश प्रबंधक के रूप में आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ (एआईएफ)/वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) का प्रबंधन करती है।	5.38%
12	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (“आईडीबीआई बैंक”)	⁴ सहयोगी	आईडीबीआई बैंक भारत के भीतर और बाहर, सभी रूपों में बैंकिंग के कारोबार में कार्यरत है।	49.24%
13	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (“आईटीएसएल”)	⁴ सहयोगी	आईटीएसएल कॉर्पोरेट्स को ट्रस्टीशिप सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। आईटीएसएल सूचीबद्ध शेयरों के बदले ऋण के लिए गिरवी रखे गए शेयरों की निगरानी सेवाएं एवं एस्क्रो सुविधा और एजेंसी सेवाओं की भी प्रदान करती है।	29.84%

¹भारतीय पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनियां; ²विदेशी पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी; ³विदेशी सहायक कंपनियां और ⁴भारतीय सहयोगी कंपनियां

निगम फिजी (सुवा और लौटोका), मॉरीशस (पोर्ट लुइस) और यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से सीधे संचालन करता है। यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) में स्थित एलआईसी शाखा ने 21 जून, 2024 से नई पॉलिसियों की बिक्री बंद कर दी है और वर्तमान में रन ऑफ मोड में है जबकि एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड ने 01 अक्टूबर, 2025 से नई पॉलिसियों की बिक्री बंद कर दी है और यह भी रन ऑफ मोड में है।

गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित निगम के शाखा कार्यालय ने 27 फरवरी, 2026 से परिचालन शुरू किया है।

निधियों का विभाजन:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24, निगम को भागीदारी वाले और गैर-भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग निधि बनाए रखने का प्रावधान है और एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28, इन निधियों के रखरखाव को निर्धारित करती है, अधिशेष के आवंटन को निम्नानुसार रेखांकित करती है:

1. **भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों की निधि:** भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के लिए 90% या उच्च प्रतिशत आबंटित या आरक्षित किया जाएगा, शेष अधिशेष सदस्यों के पास जाएगा; और
2. **गैर- भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों की निधि:** अधिशेष का 100% सदस्यों के लिए आबंटित या आरक्षित है।

उपरोक्त प्रावधानों को भारत में निगम के धन के लिए प्रभावी बनाया गया है। हालांकि, तीन विदेशी शाखाओं (फिजी, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम) में, एक एकल पॉलिसीधारक फंड बनाए रखा गया है, और एलआईसी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के बीच अधिशेष वितरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, निगम के बोर्ड ने भारत के भीतर और भारत के बाहर सहायक कंपनियों की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए एक नीति को अनुमोदित किया है। इन नीतियों को निगम की वेबसाइट पर अभिगम किया जा सकता है, और इन नीतियों का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक I में दिया गया है।

निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन के बारे में विवरण वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

14. एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (“एलआईसी जीजेएफ”):

एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (“एलआईसी जीजेएफ या फाउंडेशन”), जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, वर्ष 2006 में एलआईसी की स्वर्ण जयंती अवसर पर स्थापित किया गया था। फाउंडेशन एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से एलआईसी अपने सामुदायिक विकास के लिए कार्य करती है और यह बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के तहत चैरिटी कमिशनर के साथ पंजीकृत है।

फाउंडेशन का उद्देश्य गरीबी और संकट से राहत, शिक्षा को बढ़ावा देना, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देना है। एलआईसी जीजेएफ मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से पूंजी-उन्मुख परियोजनाओं का समर्थन करता है, जिसमें स्कूल कक्षाओं, छात्रावास भवनों, अस्पताल वाडों, के निर्माण एवं चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस, स्कूल बसों, सौर पैनलों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा के दौरान सहायता आदि शामिल है।

फाउंडेशन ने गंभीर स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की दिशा में लगातार योगदान दिया है, जिसमें कैंसर से प्रभावित बच्चों का उपचार, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, बाल चिकित्सा हृदय शल्य चिकित्सा और आर्थिक रूप से वंचित रोगियों के लिए कर्णावत प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा शामिल हैं। 2025-26 के दौरान, विभिन्न पहलों के बीच, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, हुबली, नागपुर, आसनसोल, गोरखपुर और गुजरात के शहर जैसे शहरों में प्रतिष्ठित धर्मार्थ और सरकारी अस्पतालों को बड़े पैमाने पर कैंसर के इलाज के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 31 मार्च, 2026 तक, एलआईसी जीजेएफ ने देश भर में 1045 परियोजनाओं में 266 करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

फाउंडेशन, एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना का भी संचालन करता है, जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 2025-26 के दौरान, 23,106 छात्रों को ₹ 24.65 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। योजना की शुरुआत से, 41,776 छात्र इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें कुल छात्रवृत्ति ₹ 105.27 करोड़ वितरित किए गए हैं। कुल मिलाकर, 31 मार्च, 2026 तक धर्मार्थ गतिविधियों के लिए फाउंडेशन का कुल वितरण लगभग

₹ 375 करोड़ है। अपने निरंतर प्रयासों और प्रतिबद्धता के माध्यम से, एलआईसी जीजेएफ देश भर के समुदायों पर सार्थक प्रभाव डालने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है।

अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

15. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति (केएमपी):

इस रिपोर्ट की तारीख तक, निगम के निदेशक मंडल में आठ (8) निदेशक शामिल हैं, अर्थात्, एक (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक; एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक; तीन (3) प्रबंध निदेशक; तीन (3) स्वतंत्र निदेशक।

निदेशक मंडल की संरचना कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के संतुलित मिश्रण को दर्शाती है, जो एलआईसी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सूचीबद्धता विनियमों और आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) के साथ पठित के अनुरूप है, सिवाय निम्नलिखित के:

- 28 जनवरी, 2026 को स्वतंत्र निदेशक श्रीमती अंजुली चिब दुगल का कार्यकाल पूरा होने पर, निगम सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17 (1)(ए) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जो यह निर्धारित करता है कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए।
- 28 अप्रैल, 2026 को दो स्वतंत्र निदेशकों का दूसरा कार्यकाल पूरा होने पर, निगम सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1)(बी) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि निगम के पास नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, तो निदेशक मंडल के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

निगम ने 29 जनवरी, 2026 और 29 अप्रैल, 2026 के अपने पत्रों के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') से सेबी सूचीबद्धता विनियमों के सख्त प्रवर्तन से छूट मांगी थी, जिसमें वह अधिनियमों, नियमों, विनियमनों के किसी भी प्रावधान शामिल हैं, जिसके तहत सूचीबद्ध इकाई स्थापित है या सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 102 के तहत शासित है।

सेबी ने 13 फरवरी, 2026 और 01 मई, 2026 के अपने पत्रों के माध्यम से निगम को क्रमशः 29 जनवरी, 2026 और 29 अप्रैल, 2026 से छह महीने की अवधि के लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1)(ए) और विनियमन 17(1)(बी) के प्रावधान के सख्त प्रवर्तन के लिए छूट दी थी। आपका निगम सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के प्रावधानों का जल्द से जल्द पूर्ण रूप से और भाव से पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और निदेशक मंडल विविधता के लिए नीति (निदेशकों की नीति), जो निदेशक मंडल के नियुक्ति मानदंड, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और मूल्यांकन तंत्र की रूपरेखा तैयार करती है, वह निगम की वेबसाइट पर प्रसारित की गयी है। इस नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक 'I' में दिया गया है।

क) बोर्ड संरचना में परिवर्तन:

➤ निदेशकों की नियुक्ति

- (i) **श्री रामकृष्णन चंद्र (डीआईएन: 11331783):** भारत सरकार ने 01 दिसंबर, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री रामकृष्णन चंद्र को पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 30 सितंबर, 2027) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। श्री रामकृष्णन चंद्र ने 01 दिसंबर, 2025 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

निगम के सदस्यों ने 17 मई, 2026 को डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से श्री रामकृष्णन चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

- (ii) **सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन 07780142):** भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. प्रशांत कुमार गोयल के स्थान पर सुश्री शालिनी पंडित को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

निगम के सदस्यों ने 17 मई, 2026 को डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

- (iii) **श्री महालिंगम जी (डीआईएन: 09660723):** नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर, निगम के निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में श्री महालिंगम जी को 29 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 28 जुलाई, 2026 तक, 6 (छह) महीने के एक और कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनःनियुक्त किया है। निगम के सदस्यों ने 17 मई, 2026 को डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से श्री महालिंगम जी की पुनःनियुक्त को मंजूरी दे दी है।
- (iv) **डॉ. वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन: 00125299):** नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर, निगम के निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में डॉ. वी.एस. पार्थसारथी को 29 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 28 जुलाई, 2026 तक, 6 (छह) महीने के एक और कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनःनियुक्त किया है। निगम के सदस्यों ने 17 मई, 2026 को डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से डॉ. वी.एस. पार्थसारथी की पुनःनियुक्त को मंजूरी दे दी है।
- (v) **श्री संजय लोहिया (डीआईएन: 07151125):** भारत सरकार ने 13 मई, 2026 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री संजय लोहिया को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक सुश्री शालिनी पंडित के स्थान पर निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है। निगम के बोर्ड ने इसे संज्ञान में लिया। श्री संजय लोहिया को निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए आवश्यक संकल्प के साथ साथ उनके संक्षिप्त विवरण को सदस्यों के औपचारिक अनुमोदन के लिए पांचवीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में शामिल किया गया है।

➤ निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति:

सरकारी नामित निदेशक

- (i) **डॉ. प्रशांत कुमार गोयल (डीआईएन: 08652921):** भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से तत्काल प्रभाव से डॉ. प्रशांत कुमार गोयल के स्थान पर सुश्री शालिनी पंडित को निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
- (ii) **सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन 07780142):** भारत सरकार ने 13 मई 2026 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री संजय लोहिया को तत्काल प्रभाव से सुश्री शालिनी पंडित के स्थान पर निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया है। निदेशक मंडल, डॉ. प्रशांत कुमार गोयल और सुश्री शालिनी पंडित द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा करता है और उनके मार्गदर्शन, सहयोग, विशेषज्ञता और दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त करता है।

पूर्णकालिक निदेशक

- (i) **श्री सतपाल भानू (डीआईएन: 10482731):** श्री सतपाल भानू ने भारत सरकार की 19 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर, 2025 को सेवानिवृत्ति के पश्चात निगम के प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं। निदेशक मंडल, श्री सतपाल भानू द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा करता है और निगम के प्रति उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता, लगन और प्रतिबद्धता की गहरी सराहना व्यक्त करता है।

स्वतंत्र निदेशक

- (ii) **श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल (डीआईएन: 05264033):** श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल ने 28 जनवरी, 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर निगम के स्वतंत्र निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
- (ii) **श्री राज कमल (डीआईएन: 07653591):** श्री राज कमल ने 28 जनवरी, 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर निगम के स्वतंत्र निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
- (iii) **श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार (डीआईएन: 05170323):** श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार ने 28 जनवरी, 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर निगम के स्वतंत्र निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।

- (iv) **श्री विनोद कुमार वर्मा (डीआईएन: 09309031):** श्री विनोद कुमार वर्मा ने 28 अप्रैल, 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर निगम के स्वतंत्र निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।
- (v) **डॉ. रंजन शर्मा (डीआईएन: 09573799):** डॉ. रंजन शर्मा ने 28 अप्रैल, 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर निगम के स्वतंत्र निदेशक के पद से पदमुक्त हुए हैं।

निदेशक मंडल, श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल, श्री मुथु राजू परावसा राजू विजय कुमार, श्री राज कमल, डॉ. रंजन शर्मा और श्री विनोद कुमार वर्मा द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा करता है। उनके विचार और उनकी प्रतिबद्धता निगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और उनके काम की गुणवत्ता, उनकी सामूहिक कोशिशों को दर्शाती है। निदेशक मंडल उनके निरंतर सफलता की कामना करता है।

मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीस (फर्म का पंजीकरण संख्या P1991MH040400) का प्रमाण पत्र पुष्टि करता है कि निगम के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी"), कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र निगमित शासन रिपोर्ट के अनुलग्नक च के रूप में संलग्न है।

ख) स्वतंत्र निदेशक:

आपके निगम को सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएं प्राप्त हुई हैं जो यह पुष्टि करती हैं कि वे एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(3) के अंतर्गत और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित यथा निर्धारित 'स्वतंत्रता के मानदंड' को पूरा करते हैं।

निदेशक मंडल की राय है कि सभी स्वतंत्र निदेशक एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(3) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमों के लागू प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी स्थिति से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड की संरचना, निगमित शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस/ कॉर्पोरेट प्रशासन) रिपोर्ट में दी गई है, जिसे अलग से प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति (केएमपी) और परिवर्तन, यदि कोई हो

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत जारी परिपत्र और सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, निगम के निम्नलिखित वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक 31 मार्च, 2026 को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पदों पर थे:

क्र.सं.	केएमपी का नाम	पदनाम
1	श्री आर दुरैस्वामी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक
3	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक
4	श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक
5	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी*
6	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट गवर्नेंस/जीजेएफ/विनियामक अनुपालन) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
7	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (बीमांकन) एवं नियुक्त बीमांकक
8	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
9	श्री अरिंदम दास गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी
10	श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

* 24 जून 2026 को, मुख्य वित्तीय अधिकारी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और 14 जुलाई 2026 से वह प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नहीं रहेंगे।

निगम ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड की पिछली रिपोर्ट से लेकर इस बोर्ड की रिपोर्ट तक निगम के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पदों में निम्नलिखित बदलावों को मंजूरी दी है:

क्र.सं.	केएमपी का नाम	पदनाम	परिवर्तन के कारण
1	श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	01 दिसंबर, 2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर 01 दिसंबर, 2025 को कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी के पद से पदमुक्त हुए हैं।
2	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट गवर्नेंस/जीजेएफ/विनियामक अनुपालन) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	31 मई, 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट गवर्नेंस/जीजेएफ/विनियामक अनुपालन) और मुख्य अनुपालन अधिकारी के पद से पदमुक्त हुए हैं।
3	श्री अरिंदम दास गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	05 दिसंबर, 2025 से मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं।
4	श्री जयसिंहन माडभुशी मठम तिरुमला	कार्यकारी निदेशक (बोर्ड एवं सचीवीय/विनियामक अनुपालन) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	24 जून, 2026 से मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं।

बोर्ड का प्रदर्शन मूल्यांकन:

एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, और आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के तहत जारी किए गए लागू परिपत्रों के साथ पठित, बोर्ड ने अपना वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन किया, जिसमें बोर्ड को समग्र रूप से, और बोर्ड की समितियों, व्यक्तिगत निदेशकों, और बोर्ड के अध्यक्ष का मूल्यांकन किया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन, बोर्ड के समग्र कामकाज और बोर्ड के अध्यक्ष की प्रभावशीलता की समीक्षा की। उन्होंने निगम के प्रबंधन और बोर्ड के बीच साझा की गई जानकारी की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन किया।

प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया को एक समर्पित आईओएस-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसे बोर्ड, बोर्ड की समितियों, व्यक्तिगत निदेशकों और बोर्ड के अध्यक्ष की प्रभावशीलता का आकलन करने के उद्देश्य संरचित प्रश्नावली को प्रशासित करने के लिए विकसित किया गया है। इन प्रश्नावली को सेबी और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी दिशानिर्देश लेखों में उल्लिखित व्यापक मूल्यांकन मापदंडों के अनुरूप तैयार किया गया है।

बोर्ड के मूल्यांकन में बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूर्ति, रणनीतिक निरीक्षण, निर्णय लेने की गुणवत्ता और शासन मानकों का पालन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। व्यक्तिगत निदेशकों का मूल्यांकन बैठकों में उनकी भागीदारी के स्तर, योगदान की गुणवत्ता, रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता और निगम के मूल्यों और शासन ढांचे को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर किया गया है। समितियों का मूल्यांकन उनकी संरचना, भूमिकाओं की स्पष्टता, स्वतंत्रता और बोर्ड के कामकाज का समर्थन करने में समग्र प्रभावशीलता पर केंद्रित है। बोर्ड के अध्यक्ष के मूल्यांकन में सभी निदेशकों पर लागू सामान्य मानदंडों के साथ-साथ नेतृत्व प्रभावशीलता, रचनात्मक बोर्ड चर्चाओं की सुविधा और निदेशकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समय पर समाधान जैसे विशिष्ट पहलुओं को शामिल किया गया है।

‘उपयुक्त और उचित’ मानदंड:

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के साथ पठित जारी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बीमाकर्ता के निदेशकों को आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित ‘उपयुक्त और उचित’ मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। तदनुसार, निगम के सभी निदेशकों ने आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए उपयुक्त विनियमों में निर्धारित ‘उपयुक्त और उचित’ मानदंडों/मानक के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशकों और अधिकारियों की देयता बीमा:

सूचीकरण विनियमों के विनियमन 25(10) के अनुसार, निगम ने अपने सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्यों के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित मात्रा और जोखिमों के लिए निदेशकों और अधिकारियों देयता बीमा लिया है।

उत्तराधिकार योजना:

उत्तराधिकार योजना पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों और निगम के अन्य प्रमुख अधिकारियों की उत्तराधिकार योजना से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। एनआरसी बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की भी सिफारिश करती है।

बोर्ड और बोर्ड की समितियों की बैठकें, उपस्थिति और विभिन्न समितियों का गठन:

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और बोर्ड की समितियों की बैठकों का विवरण, जिसमें निदेशकों की उपस्थिति और विभिन्न समितियों की संरचना शामिल है, वह कारपोरेट शासन (निगमित शासन) रिपोर्ट में दिया गया है। उक्त रिपोर्ट को अलग से प्रस्तुत किया है और इस वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

पारिश्रमिक नीति:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19बी के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने बोर्ड की एनआरसी द्वारा अनुशंसित निदेशक नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें पारिश्रमिक नीति भी शामिल है। नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक 'I' में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को पारिश्रमिक से संबंधित जानकारी निगमित शासन रिपोर्ट में प्रकट की गयी है, जिसे अलग से प्रस्तुत किया गया है और यह इस वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सचिवीय मानक:

आपका निगम, जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

16. निगमित शासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस):

आपका निगम अपने हितधारकों को निरंतर सफलता की दिशा में अपनी यात्रा में अभिन्न भागीदार मानता है और उनके लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हितधारकों के विश्वास की आधारशिला के रूप में मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मान्यता देते हुए, निगम संगठन के सभी स्तरों पर लगातार अपनी जिम्मेदारियों को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसका व्यवसाय शासन, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के साथ निगम का व्यवसाय मजबूती से संचालित हो।

उत्तरदायित्व को मजबूत करने और हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव को बनाए रखने के लिए, निगम अच्छी तरह से स्थापित निगमित शासन प्रथाओं का पालन करता है जिसे मानक संचालन प्रक्रियाओं और कार्य-विशिष्ट मैनुअल द्वारा समर्थन मिलता है जो दिन-प्रतिदिन के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं और पूरे निगम में एकरूपता और स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं।

विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से शासन को और मजबूत किया जाता है, जो रणनीतिक निरीक्षण प्रदान करते हैं, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हैं, ब्रांड इकिटी को बढ़ाते हैं, और एक रचनात्मक और प्रदर्शन उन्मुख संगठनात्मक वातावरण में योगदान करते हैं।

इन अनुकूल प्रयासों के माध्यम से, निगम हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने, सतत विकास का समर्थन करने और एक जिम्मेदार, मजबूत और दूरदर्शी संगठन के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट (निगमित शासन रिपोर्ट):

सूचीबद्धता विनियमों के अनुपालन में, निगमित शासन ढांचे पर एक रिपोर्ट, निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र, निगम की निगमित शासन रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक 'ड' के रूप में संलग्न किया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

17. संबंधित पक्ष लेनदेन:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है। ऐसे संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण समय-समय पर अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है। लागू लेखा मानकों के तहत अपेक्षित उपयुक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया गया है।

सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, निगम के सदस्यों ने चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान और पांचवीं एजीएम की तारीख तक निगम द्वारा प्रस्तावित भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी दी है।

निदेशक मंडल ने एलआईसी अधिनियम, 1956 और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार लेनदेन के निपटने के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता पर एक नीति तैयार की है। बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अद्यतन नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक 'I' में दिया गया है।

संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण, लागू लेखांकन मानकों और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(9) के अनुसार दर समाप्त छमाही 30 सितंबर, 2025 और 31 मार्च, 2026 को, निगम द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है और निगम की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है।

18. भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के कार्यान्वयन हेतु:

निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को Ind AS अनुरूप प्रोफार्मा वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार कर प्रस्तुत किया है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य), (संशोधन) विनियम, 2026 दिनांक 30 मार्च, 2026 को अधिसूचित किया, जिससे Ind AS का कार्यान्वयन 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गया। नियामक ढांचे के अनुसार, निगम ने आईआरडीएआई को Ind AS कार्यान्वयन के लिए एक साल की राहत के लिए आवेदन किया था, जिसका अनुमोदन विनियामक द्वारा प्रदान किया गया है।

नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, निगम Ind AS के कार्यान्वयन की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।

19. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए के संदर्भ में निवेश का विवरण:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक निगम के निवेश का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 361 पर किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आधारीक संरचना और सामाजिक क्षेत्र में किए गए निवेश का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 362 में किया गया है।

20. समेकित वित्तीय विवरण:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24बी और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित और सेबी (सूचीबद्धता) विनियमों, 2015 के अनुसार, निगम ने अपने समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किए हैं, जिसमें निगम की सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। सीएफएस को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के प्रावधानों और उसके बाद समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में तैयार किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एस 21 (AS 21): समेकित वित्तीय विवरण और एस 23 (AS 23): सीएफएस में सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन, इन लागू लेखा मानकों का भी सीएफएस पालन करता है। सीएफएस इस वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

21. प्रबंधन रिपोर्ट:

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची II - वित्तीय कार्यों के प्रावधानों के अनुसार, प्रबंधन रिपोर्ट को अलग से संलग्न किया है और यह वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

22. सांविधिक लेखापरीक्षक:

एलआईसी अधिनियम 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 109208डब्ल्यू) और मैसर्स मुकुंद एम चितले एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 106655डब्ल्यू), निगम के कॉरपोरेट लेखापरीक्षक हैं।

एलआईसी अधिनियम 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार, 26 अगस्त, 2025 को आयोजित निगम की चौथी एजीएम में सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ मैसर्स मुकुंद एम चितले एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 106655डब्ल्यू) को निगम के कॉरपोरेट लेखापरीक्षकों में से एक के रूप में पांच साल की अवधि के लिए कैलेंडर वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली निगम की 9वीं एजीएम के समापन तक नियुक्त किया था।

23. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

सदस्यों को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (उसके अनुलग्नक सहित) में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है, इसलिए एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी(1)(एफ) के तहत कोई और टिप्पणी नहीं मांगी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी की पहचान नहीं की गई है।

24. सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

सूचीकरण विनियमों के विनियमन 24ए के अनुसार, चौथी एजीएम में निगम के सदस्यों ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीस् को लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए निगम के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था, जो चौथी एजीएम के समापन से शुरू हुआ और कैलेंडर वर्ष 2030 में आयोजित होने वाली निगम की 9वीं एजीएम के समापन तक जारी रहेगा। सचिवीय लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निगम के सचिवीय लेखापरीक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट निगमित शासन रिपोर्ट के अनुलग्नक 'घ' के रूप में संलग्न है और इस वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

25. आईआरडीआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी/ कार्यकारी निदेशक (बोर्ड और सचिवीय/नियामक अनुपालन) से प्रमाणपत्र

आईआरडीआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम 2024 के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी/कार्यकारी निदेशक (बोर्ड और सचिवीय/नियामक अनुपालन) द्वारा प्रस्तुत आईआरडीआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के अनुपालन के लिए एक अनुपालन प्रमाणपत्र संलग्न है और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग' के रूप में निगमित शासन रिपोर्ट संलग्न है।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 34 के अनुसार निर्धारित समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट एक अलग खंड में प्रस्तुत की गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

27. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट:

सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 34 (2) (एफ) के अनुसार, बीएसई और एनएसई में बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक गणना) के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) को शामिल करना अनिवार्य है।

तदनुसार, बीआरएसआर को चार्टर्ड एकाउंटेंट और स्वतंत्र आश्वासन प्रदाता मेसर्स रमा के गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की रिपोर्ट के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है और यह इस वार्षिक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

28. निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली भौतिक घटनाएं, परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से और इस रिपोर्ट की तारीख तक, निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई भौतिक घटना, परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में संशोधन किया गया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, परिपक्वता तक होल्टिंग अवधि की शेष अवधि में प्रीमियम या छूट के परिशोधन के माध्यम से निवेश आय की मान्यता के संबंध में महत्वपूर्ण संशोधन शामिल है।

29. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो निगम की सतत व्यवसाय प्रतिष्ठान की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं:

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो निगम की सतत व्यवसाय प्रतिष्ठान की स्थिति और संचालन को प्रभावित किया हो।

संबंधित मुद्दों सहित सिविल मुकदमेबाजी का मामला, वर्तमान में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या 366/2022 में विचाराधीन है। हालांकि यह मामला वित्तीय दृष्टि से गैर-मात्रात्मक है, लेकिन इसे अप्रैल 2022 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में महत्वपूर्ण माना गया है और तदनुसार इसका प्रकटीकरण किया गया है। इस रिपोर्ट की तिथि तक, यह मामला लंबित है और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी तक सुनवाई होनी बाकी है।

30. आईआरडीआई लाइसेंस:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीआई) ने निगम को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीवन बीमा व्यवसाय को जारी रखने के लिए वार्षिक पंजीकरण को नवीकरण किया है।

31. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी (2) और अन्य लागू प्रावधानों के संदर्भ में, आपके निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं;

- 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24बी के तहत उल्लिखित आवश्यकताओं और लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है साथ ही संबंधित भौतिक विचलन उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
- उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष की तिथि पर निगम के वित्तीय स्थिति और निगम के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- उन्होंने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- उन्होंने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सतत व्यवसाय के आधार पर लेखा तैयार किए हैं;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (एच) के तहत निर्दिष्ट सतर्कता प्रशासन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीक्षण के अधीन निगम परिचालन है और इसके अतिरिक्त उन्होंने निगम द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; तथा
- उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

32. सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

निगम व्यावसायिकता और अखंडता के निर्देशित उच्चतम मानकों द्वारा अपने कार्यों को निष्पक्ष, पारदर्शी, नैतिक तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम ने एक प्रबल संस्कृति विकसित की है जो हितधारकों को प्रतिशोध, भेदभाव या उत्पीड़न के डर के बिना अनैतिक और अनुचित प्रथाओं, कदाचार या कानूनी और नियामक प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में आपत्ति व्यक्त करने के लिए प्रेरित/प्रोत्साहित करती है।

- सतर्कता से संबंधित रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए, निगम ने “सतर्कता शिकायत द्वार” नामक एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू किया है, जिसे www.licindia.in पर ग्राहक सेवा टैब के तहत पहुंचा जा सकता है। सतर्कता से संबंधित सभी शिकायतों को पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत और ट्रैक किया जा सकता है।
- एलआईसी के पास निदेशकों और कर्मचारियों या वास्तविक मामलों को दर्ज करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा के लिए एक सुस्थापित सतर्कता तंत्र है। इसमें धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने और व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक नीति (द व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) है। यह कर्मचारियों और विभिन्न हितधारकों को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध, भेदभाव, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के डर के बिना नैतिक मानदंडों, कानूनी या नियामक प्रावधानों, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी आदि के समझौता/उल्लंघन से जुड़े किसी भी मुद्दे को ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी व्हिसल ब्लोअर शिकायतों और मामलों की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है, जो मौजूदा तंत्र के कार्यकरण और प्रभावकारिता की भी निगरानी करती है।
- अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता बेहतर करने के लिए, एलआईसी ने यूडीआईटी मॉड्यूल (प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से उन्नत अनुशासनात्मक कार्यप्रवाह) विकसित और कार्यान्वित किया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य अनुशासनात्मक और सतर्कता मामलों के निपटान के समय को कम करना है। निगम परिचालन संबंधी क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) के साथ यूडीआईटी मॉड्यूल को एकीकृत करने की प्रक्रिया में भी है।
- समीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था।

व्हिसल ब्लोअर नीति निगम की वेबसाइट पर प्रस्तुत की गई है। नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक 'I' में दिया गया है।

33. बोर्ड की नीतियां:

एलआईसी अधिनियम, 1956 और सूचीबद्धता विनियमों के तहत निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई नीतियों का विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

34. निवेशक संबंध:

निगम ग्राहकों और हितधारकों के साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है। पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध, निगम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी हितधारकों के पास निगम के प्रदर्शन और भविष्य की क्षमता का सही आकलन करने के लिए पूर्ण समय पर जानकारी प्राप्त हो। इसका समर्थन करने के लिए, निगम नियमित रूप से अपने परिचालन, वित्तीय और प्रमुख पहलों पर अपडेट प्रसारित करता है। निगम की आधिकारिक वेबसाइट, (www.licindia.in), सूचना के एक मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करती है, जो हितधारकों को उनकी सुविधानुसार संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करती है। वेबसाइट नवीनतम प्रेस विज्ञप्तियों के साथ-साथ निगम की रणनीति, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। वित्तीय परिणाम तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं और वर्तमान और पिछले दोनों वर्षों के वित्तीय परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्रत्येक परिणाम की घोषणा के बाद, निवेशक संबंध टीम निवेशक प्रस्तुतियाँ, प्रतिलेख के साथ अर्निंग कॉल आयोजित करती है, जिसकी रिकॉर्डिंग बाद में सावर्जनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ प्रबंधन नियमित रूप से प्रमुख प्रतिभूति फर्मों द्वारा आयोजित इक्विटी सम्मेलनों में भाग लेते हैं, जिससे निवेशक समुदाय के साथ निरंतर और सार्थक जुड़ाव के लिए निगम की प्रतिबद्धता मजबूत होती है।

35. अभिस्वीकृति और प्रशंसा:

निदेशक मंडल ने निगम के कार्यालयों का दौरा करने वाली माननीय संसदीय समितियों, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, माननीय वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग और बीमा), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) को विभिन्न मुद्दों पर उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य सरकारी और नियामक प्राधिकरणों के निरंतर सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हैं।

निदेशक मंडल ने इस अवसर पर सम्मानित पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के उनके निरंतर विश्वास और संयोग के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।

इसके अलावा, निदेशक लेखापरीक्षकों और सांविधिक प्राधिकरणों से समय-समय पर प्राप्त सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

अंत में, निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं और ब्रोकरों, बैकाश्योरेंस पार्टनरस, पुनर्बीमाकर्ताओं, बैंक और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के योगदान के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। उनके समर्पण, व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता ने निगम को बीमा उद्योग में नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(आर दुरैस्वामि)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 10358884)

(दिनेश पंत)
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 11134993)

(डॉ. वी.एस. पार्थसारथी)
स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन: 00125299)

दिनांक: 24 जून, 2026

स्थान: मुंबई

अनुलग्नक I

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के वेबलिनक

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और सेबी (सूचीबद्धता) विनियमों, संशोधित रूप से, सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कुछ नीतियों के सूत्रीकरण को अनिवार्य करता है। निगम के निदेशक मंडल द्वारा नीतियों की समीक्षा की जाती है और नियामक परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाता है। तदनुसार, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां निगम की वेबसाइट पर <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct> पर उपलब्ध हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के लिंक का विवरण इस प्रकार हैं:

पॉलिसी का नाम	वेबलिनक
निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/directors_policy_updated_08082024
निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता	https://licindia.in/documents/d/guest/code-of-conduct-for-directors-and-senior-mgmt_20112025
लाभांश वितरण नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/dividend-distribution-policy_08082024
घटनाएँ/सूचना की भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण पर नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/materiality-policy-3-
भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत में)	https://licindia.in/documents/d/guest/policy-for-determining-material-subsidiaries-in-indiaa
भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत के बाहर)	https://licindia.in/documents/d/guest/revised-policy-for-determining-material-subsidiaries-outside-india-for-uploading-on-website
एलआईसी की निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता, वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति, अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध के लिए आचार संहिता और यूपीएसआई के रिसाव पर नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/insider-trading-policy_20112025
संबंधित पक्ष से लेन-देन पर नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/revised-rpt-policy-version3
जीवन बीमा निगम के दस्तावेजों के संरक्षण पर नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/preservation-of-records
निगम की अधिशेष वितरण नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/surplus-distribution-policy-1
व्हिसल ब्लोअर नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/whistle-blower-policy-july-2024-1-
अभिलेखीय नीति	https://licindia.in/documents/d/guest/archival_policy-1-

निगमित शासन रिपोर्ट

1. निगमित शासन पर निगम का दर्शन

भारतीय जीवन बीमा निगम (“एलआईसी” या “निगम”) निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संगठन के प्रत्येक स्तर पर सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (डी-एसआईआई) के रूप में, निगम वित्तीय प्रणाली में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है और अपने पॉलिसीधारकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, व्यापार भागीदारों, नियामकों और उन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित रहता है जिनकी वह सेवा करता है।

निगम का शासन दर्शन इसके स्थायी आदर्श वाक्य, “योगक्षेमं वहाम्यहम्” – “आपका कल्याण मेरी जिम्मेदारी है” – में निहित है – जो पॉलिसीधारकों की वित्तीय भलाई को सुरक्षित करने और सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य बनाने के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दर्शन नियामक अनुपालन से परे फैला हुआ है और निगम के रणनीतिक निर्णय लेने, जोखिम प्रबंधन और परिचालन प्रथाओं में अंतर्निहित है।

अपने बीमा दायित्वों की दीर्घकालिक प्रकृति को देखते हुए, निगम पॉलिसीधारक निधियों के विवेकपूर्ण प्रबंधन, अनुशासित जोखिम प्रबंधन, बीमांकिक कठोरता और जिम्मेदार निवेश प्रथाओं पर जोर देता है। यह सिद्धांत इसके वित्तीय लचीलेपन को रेखांकित करते हैं, दीर्घकालिक शोधन क्षमता का समर्थन करते हैं और पॉलिसीधारक दायित्वों को पूरा करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

निगम का शासन ढांचा प्रभावी निदेशक मंडल निरीक्षण, मजबूत आंतरिक नियंत्रण, स्वतंत्र आश्वासन कार्यों और व्यापक जोखिम प्रबंधन पर स्थापित है। साथ में, ये तत्व पूरे संगठन में जवाबदेही, पारदर्शिता, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और प्रभावी जोखिम निरीक्षण को बढ़ावा देते हैं। एलआईसी का मानना है कि हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने, संस्थागत विश्वसनीयता बढ़ाने और स्थायी दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए मजबूत निगमित शासन मौलिक है। तदनुसार, निगम नियामक आवश्यकताओं, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और नैतिक और पेशेवर आचरण के उच्चतम मानकों के अनुरूप अपनी शासन प्रथाओं को लगातार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम 1956” या “एलआईसी अधिनियम”), इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) (बीमाकर्ताओं के लिए निगमित शासन) विनियम, 2024 (“आईआरडीएआई सीजी विनियम”), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम” या “सूचीबद्धता विनियम”) और अन्य लागू प्रावधान, (यदि कोई), के अनुसार शासन और अनुपालन दायित्वों का पालन करता है। निगमित शासन के तौर-तरीकों को असरदार ढंग से लागू करने के लिए, निगम ने नीतियों के एक व्यापक समूह के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मुख्य नीतियां शामिल हैं:

- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता
- एलआईसी की निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता, वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति, अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता और यूपीएसआई के रिसाव पर नीति
- उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति
- व्हिसल ब्लोअर नीति
- पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा पर नीति
- संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति (भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन शामिल है)
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत के भीतर और भारत के बाहर)
- दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नीति
- लाभांश वितरण नीति
- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के भौतिक, वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन के प्रकटीकरण लिए नीति

- निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और निदेशक मंडल विविधता के लिए नीति (निदेशकों की नीति)
- भौतिकता के निर्धारण और घटनाओं/सूचना के प्रकटीकरण के लिए नीति
- अधिशेष वितरण नीति
- स्टेशनरी के संरक्षण, उपयोग और नियंत्रण के लिए नीति
- अभिलेखीय नीति

2. निदेशक मंडल

क) निदेशक मंडल की संरचना

निगम के निदेशक मंडल का गठन जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है। निगम के निदेशक मंडल में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी सरकारी नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार है:

- पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाती है जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि केंद्र सरकार तय करे; और वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं।
- सरकार द्वारा नामित निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति चार साल की अवधि के लिए की जाती है और वह चार वर्ष तक की एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या 18 निदेशकों से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2026 को, निदेशक मंडल में 10 निदेशक शामिल हैं, जिनमें (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक; (ii) एक (1) सरकारी नामित निदेशक (महिला निदेशक); (iii) तीन (3) प्रबंध निदेशक; (iv) पांच (5) स्वतंत्र निदेशक है।

31 मार्च, 2026 को निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	श्रेणी	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	31 मार्च, 2026 को कार्यकाल (वर्षों में)
1	श्री आर दुरैस्वामि*	कार्यकारी निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	01-09-2023	2.58
2	सुश्री शालिनी पंडित**	गैर-कार्यकारी निदेशक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	03-12-2025	0.33
3	श्री दिनेश पंत	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक	01-06-2025	0.83
4	श्री रत्नाकर पटनायक	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक	01-06-2025	0.83
5	श्री रामकृष्णन चन्द्र***	कार्यकारी निदेशक	प्रबंध निदेशक	01-12-2025	0.33
6	डॉ. रंजन शर्मा	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-10-2021	4.42
7	श्री विनोद कुमार वर्मा	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-10-2021	4.42
8	प्रो. अनिल कुमार	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	20-01-2022	4.19
9	श्री महालिंगम जी®	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-01-2022	4.17
10	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी®	गैर-कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	29-01-2022	4.17

* 13 जुलाई, 2025 तक प्रबंध निदेशक रहे और उसके उपरांत, भारत सरकार की 14 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के अनुसार, 14 जुलाई, 2025 से निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

** भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, डॉ. प्रशांत कुमार गोयल की जगह 03 दिसंबर, 2025 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

*** भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 1 दिसंबर, 2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

*निदेशक मंडल ने 28 जनवरी, 2026 को हुई अपनी बैठक में, 29 जनवरी, 2026 से 28 जुलाई, 2026 तक छह (6) महीने के एक और कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया।

नोट: 1. श्री सतपाल भानू अपनी सेवानिवृत्ति के कारण 31 दिसंबर, 2025 (कार्यालय के कामकाज के समय के बाद) से निदेशक नहीं रहे।

नोट: 2. श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल, श्री राज कमल और श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार, 28 जनवरी 2026 (दिन की समाप्ति के बाद) से स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, निदेशक नहीं रहे।

ख) निगम के वर्तमान निदेशक (24 जून, 2026 को)

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपाधि
श्री आर दुरैस्वामि	बी.एससी. (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक
श्री संजय लोहिया*	भौतिकी में बी.एससी. (ऑनर्स)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री दिनेश पंत	बी.टेक, एलएलबी, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया एवं द इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्जुअरीज, यूके, के फेलो सदस्य, एमबीए, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	प्रबंध निदेशक
श्री रत्नाकर पटनायक	भौतिकी में बीएससी (ऑनर्स), पीजी (लोक प्रशासन), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा	प्रबंध निदेशक
श्री रामकृष्णन चंदर	बी.एससी., पीजीडीएफएम और भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	प्रबंध निदेशक
प्रो. अनिल कुमार	बी.कॉम. (ऑनर्स), एम. कॉम., पीएच.डी.	स्वतंत्र निदेशक
श्री महालिंगम जी	एम.एससी. (सांख्यिकी), एमबीए	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	आईसीएआई एवं आईसीएडब्लू से सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एएमपी के पूर्व छात्र, पीएच.डी.	स्वतंत्र निदेशक

*भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सुश्री शालिनी पंडित की जगह 13 मई, 2026 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

नोट: डॉ. रंजन शर्मा और श्री विनोद कुमार वर्मा, अपने दूसरे कार्यकाल के पूर्ण होने पर 28 अप्रैल, 2026 (दिन की समाप्ति के बाद) से निदेशक नहीं रहे।

ग) निदेशक मंडल की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मंडल की कुल बारह (12) बैठकें आयोजित की गईं। इनमें से दस (10) बैठकें मुंबई में केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गईं, और दो बैठकें मुंबई में कार्यालय परिसर के बाहर आयोजित की गईं। बैठकों की कार्यसूची पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। हालांकि, निदेशक मंडल की बैठक में आकस्मिक प्रस्तावों को पेश किया जाता है जिन पर निदेशक मंडल के अध्यक्ष के अनुमोदन और अन्य निदेशकों की सहमति से विचार किया जाता है। निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान किया जाता है। उचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक से पहले निदेशकों को कार्यसूची के लिए कार्यकारी सारांश प्रदान किए जाते हैं। निदेशक मंडल नियमित रूप से निगम के त्रैमासिक प्रदर्शन और वित्तीय परिणामों के साथ-साथ प्रमुख नीतियों और अन्य रणनीतिक मामलों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, सहायक और सहयोगी कंपनियों के निष्पादन की नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है।

प्रभावी निरीक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल को लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाती है। निगम की हरित पहल के अनुरूप, निदेशक मंडल और इसकी समिति की बैठकें कागज रहित तरीके से आयोजित की जाती हैं। कार्यसूची और सहायक दस्तावेज निदेशकों को एक सुरक्षित डिजिटल मंच के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच संभव हो जाती है। बैठकों के कार्यवृत्त विधिवत रूप से तैयार किए जाते हैं और निदेशकों को उनकी समीक्षा और टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए परिचालित किया जाता है। निदेशक मंडल के अध्यक्ष और अन्य निदेशकों द्वारा अनुमोदन पर, कार्यवृत्त के उद्घरण आवश्यक कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों के साथ साझा किए जाते हैं। निर्णयों और निर्देशों पर ठीक से अमल सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बोर्ड को कार्यान्वित रिपोर्ट सौंपी जाती हैं, जिससे जवाबदेही और शासन मजबूत होती है।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	दिनांक	निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	25-04-2025	14	14
2	16-05-2025	14	14
3	27-05-2025	14	13
4	22-06-2025	13	13
5	11-07-2025	13	13
6	07-08-2025	13	13
7	01-10-2025	13	13
8	06-11-2025	13	12
9	16-01-2026	13	13
10	28-01-2026	13	12
11	05-02-2026	10	10
12	18-03-2026	10	09

घ) वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति:

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति												वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
	25-04-2025	16-05-2025	27-05-2025	22-06-2025	11-07-2025	07-08-2025	01-10-2025	06-11-2025	16-01-2026	28-01-2026	05-02-2026	18-03-2026	26-08-2025
श्री सिद्धार्थ मोहंती	✓	✓	✓										
श्री आर दुरैस्वामि	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. प्रशांत कुमार गोयल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×					✓
सुश्री शालिनी पंडित									✓	✓	✓	×	
श्री जगन्नाथ एम	✓	✓	✓										
श्री तबलेश पांडे	✓	✓	✓										
श्री सतपाल भानू	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
श्री दिनेश पंत				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री रत्नाकर पटनायक				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री रामकृष्णन चंदर									✓	✓	✓	✓	

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति												वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
	25-04-2025	16-05-2025	27-05-2025	22-06-2025	11-07-2025	07-08-2025	01-10-2025	06-11-2025	16-01-2026	28-01-2026	05-02-2026	18-03-2026	26-08-2025
डॉ. रंजन शर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विनोद कुमार वर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रो. अनिल कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
श्री महालिंगम जी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
श्री राज कमल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
उपस्थिति (प्रतिशत में)	100	100	92.86	100	100	100	100	92.31	100	92.31	100	90	92.31

ड) निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और उनके निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी एवं उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)
पूर्णकालिक निदेशक					
श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन-08058830) (07-06-2025 तक)	03/03	-	-	-	-
श्री जगन्नाथ एम (डीआईएन-10090437) (31-05-2025 तक)	03/03	-	-	-	-
श्री तबलेश पांडे (डीआईएन-10119561) (31-05-2025 तक)	03/03	-	-	-	-
श्री सतपाल भानू (डीआईएन-10482731) (31-12-2025 तक)	08/08	-	-	-	-

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी एवं उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)
श्री आर दुरैस्वामि (डीआईएन - 10358884)	12/12	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड- गैरकार्यकारी-नामित निदेशक एवं निदेशक मंडल के अध्यक्ष	1	-	-
श्री दिनेश पंत (डीआईएन- 11134993)	09/09	-	-	-	-
श्री रत्नाकर पटनायक (डीआईएन- 10283908)	09/09	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड- गैरकार्यकारी- नामित निदेशक	1	-	-
श्री रामकृष्णन चंदर (डीआईएन - 11331783)	04/04	-	-	-	-
गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)					
डॉ. प्रशांत कुमार गोयल (डीआईएन - 08652921) (03-12-2025 तक)	07/08	-	-	-	-
सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन - 07780142)	03/04	-	-	-	-
गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)					
डॉ. रंजन शर्मा (डीआईएन - 09573799)	12/12	-	-	-	-
श्री विनोद कुमार वर्मा (डीआईएन- 09309031)	12/12	-	-	-	-
प्रो.अनिल कुमार (डीआईएन - 09477565)	12/12	-	-	-	-

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इकिटी एवं उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल (डीआईएन - 05264033) (28-01-2026 तक)	09/10	-	-	-	-
श्री महालिंगम जी (डीआईएन - 09660723)	12/12	- सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड- गैरकार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक एवं निदेशक मंडल के अध्यक्ष - केयर रेटिंग्स लिमिटेड- गैरकार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक - सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड- गैरकार्यकारी-स्वतंत्र निदेशक - थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड- गैरकार्यकारी-स्वतंत्र निदेशक	4	5	2
श्री राज कमल (डीआईएन - 07653591) (28-01-2026 तक)	10/10	-	-	-	-
डॉ. वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन - 00125299)	11/12	- एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड - गैरकार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक - पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड - गैरकार्यकारी- स्वतंत्र निदेशक	2	5	3

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी एवं उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2026 को)
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार (डीआईएन- 05170323) (28-01-2026 तक)	10/10	-	-	-	-

* सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के अनुसरण में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेशको द्वारा धारित समितियों की सदस्यता में पब्लिक लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं (सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध), लेकिन इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, विदेशी कंपनियां और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां शामिल नहीं हैं। निदेशक मंडल समितियों और अध्यक्षता की सीमा निर्धारण के उद्देश्य से, लेखा परीक्षा समिति और हितधारको की संबंध समिति की अध्यक्षता या सदस्यता को लिया गया है।

च) निदेशक मंडल के विचारार्थ विषय (एलआईसी अधिनियम 1956, भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021, सेबी सूचीबद्धता विनियम, और आईआरडीएआई सीजी विनियम से उद्धरित)

- उन सभी शक्तियों का प्रयोग करना और वे सभी कार्य और गतिविधियाँ करना, जिनका प्रयोग या निष्पादन निगम द्वारा किया जा सकता है।
- भौतिकता सीमा के भीतर आने वाले ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देना जो सामान्य व्यवसाय के क्रम में या निष्पक्ष आधार पर नहीं हैं।
- लागू कानून के अनुसार या समय-समय पर उचित समझे जाने पर, निदेशक मंडल की समितियों का गठन करना।
- शेयरधारकों की आम बैठक बुलाना, जिसमें पोस्टल बैलेट और वर्चुअल मोड के ज़रिए बैठक करना भी शामिल है।
- शेयरधारकों के समक्ष रखने के लिए निगम की बोर्ड रिपोर्ट, निगमित शासन रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण और व्यापार जिम्मेदारी व स्थिरता रिपोर्ट समेत वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देना।
- लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निगम के आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।
- अंतिम लाभांश की सिफारिश करना और/या अंतरिम लाभांश घोषित करना।
- केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों को अनुमोदित करना।
- लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करना।
- निगम पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा करना।
- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करना।
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) (एफ), (जी) के तहत निदेशकों की नियुक्ति
- निगम की वार्षिक व्यवसाय (प्रचालन) योजनाओं/व्यावसायिक रणनीति को अनुमोदित करना।
- निगम के राजस्व और पूंजीगत बजट को मंजूरी देना।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या हटाने को मंजूरी देना।
- नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर वरिष्ठ प्रबंधन/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) की नियुक्ति/निष्कासन।

- मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की नियुक्ति को मंजूरी देना जो सूचना और साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को चलाने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- निगम की विभिन्न नीतियों को अनुमोदित करना।
- उन मामलों पर सीधे अपनी निगरानी का प्रयोग करना जो विशेष रूप से इसकी किसी भी समिति को प्रत्यायोजित नहीं हैं।
- शासन प्रथाओं की प्रभावशीलता की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना।
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए एक पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्यों और शेयरधारकों के बीच संभावित हितों के टकराव की निगरानी एवं प्रबंधन, जिसमें निगमित परिसंपत्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पार्टी लेनदेन में दुरुपयोग शामिल है।
- लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना (जिसमें स्वतंत्र लेखापरीक्षा भी शामिल है) और यह पक्का करना कि कंट्रोल के उचित सिस्टम मौजूद हों; खासकर रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और यह सुनिश्चित करना कि नियंत्रण की उपयुक्त प्रणाली है, विशेष रूप से, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण, और कानून और प्रासंगिक मानकों के अनुपालन के लिए प्रणाली।
- निदेशक मंडल के मूल्यांकन ढांचे की निगरानी और समीक्षा।

निदेशक मंडल के समक्ष निम्नलिखित के संबंध में जानकारी रखी जाती है:

- भौतिक रूप से महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, सामग्री प्रवाह या प्रदूषण की समस्याएं।
- निगम के प्रति या निगम द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई बड़ी चूक, या इकाई द्वारा बेचे गए सामान/सेवाओं के लिए पर्याप्त भुगतान न करना।
- कोई भी ऐसा मामला जिसमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व दावे शामिल हों, जिसमें कोई ऐसा फैसला या आदेश भी हो जो निगम के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी करता हो या किसी दूसरी कंपनी के बारे में कोई प्रतिकूल राय रखता हो, जिसका निगम पर बुरा असर पड़ सकता है।
- किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- ऐसे लेन-देन जिनमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई भी अहम घटनाक्रम, जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को लागू करना आदि।
- निवेशो, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री जो अहम हों और सामान्य बिज़नेस गतिविधियों का हिस्सा न हों।
- विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
- किसी भी नियामक, सांविधिक या लिस्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन न करना और शेयरधारकों की सेवाओं से संबंधित मुद्दे जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

छ) अन्य कंपनियों में निदेशक

- निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं (उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं सहित) में निदेशक नहीं है।
- निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों (उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं सहित) अथवा यदि निदेशक, भारतीय सूचीबद्ध इकाई (उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं सहित) में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत है, तब वह तीन

इकिटी सूचीबद्ध कंपनियों (उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं सहित) से अधिक में स्वतंत्र निदेशक (किसी भी वैकल्पिक निदेशक सहित) के रूप में कार्य नहीं करता है।

- इसके अलावा, निगम का कोई भी निदेशक उन सभी भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में दस से अधिक समितियों का सदस्य या पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक है। निदेशक मंडल समितियों की सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से, लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता या सदस्यता पर विचार किया गया है।
- निगम के निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

ज) आचार संहिता: निदेशक मंडल द्वारा निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट पर भी प्रचालित किया गया है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, निगम के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और वर्ष के दौरान उनके द्वारा कोई भी भौतिक वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन, जिसमें निगम के साथ हितों का संभावित टकराव हो सकता है, की सूचना नहीं दी गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

झ) सत्यनिष्ठा संधि: अनुबंध प्रदान करने में पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, निगम ने 05.09.2015 से प्रभावी सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित माल की खरीद के लिए नियमावली और परामर्श सेवाओं के नियमावली के अनुसार, सत्यनिष्ठा समझौता एक निर्दिष्ट मूल्य सीमा से ऊपर के अनुबंधों पर लागू होता है, जिसे निगम के खरीद व्यय के 80-90% (मूल्य के अनुसार) को कवर करने के लिए रूपांकित किया गया है। सत्यनिष्ठा समझौते को निविदा दस्तावेजों में एकीकृत किया गया है, और केवल उन विक्रेताओं या बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है जो इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। वर्तमान में, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा नामित दो स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (आईईएम), अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी लागू निविदाओं में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। सत्यनिष्ठा समझौता अखिल भारतीय स्तर पर अभियांत्रिकी विभाग के लिए ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के निविदा मूल्य के लिए और केंद्रीय कार्यालय में अन्य सभी विभागों के लिए ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए लागू होता है। क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों के लिए, सभी विभागों (अभियांत्रिकी विभाग को छोड़कर) के लिए ₹ 10 लाख और उससे अधिक मूल्य की निविदाएं सत्यनिष्ठा समझौते के दायरे में आती हैं।

सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान, सीईओ और एमडी के साथ आईईएम की दो संरचित बैठकें और आईईएम के साथ चार नियमित बैठकें (1 बैठक एकल आईईएम के साथ और 3 बैठकें दोनों आईईएम के साथ) आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान कुल 51 निविदाओं और 5 शिकायतों की समीक्षा की गई। 31 मार्च, 2026 को, कोई लंबित शिकायत नहीं है, जो पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा ढांचे के तहत मुद्दों के समय पर समाधान के लिए निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ज) निगम में गैर-कार्यकारी निदेशकों की शेरधारिता: शून्य

ट) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम: स्वतंत्र निदेशकों को निगम में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ बीमा उद्योग की प्रकृति से परिचित कराया जाता है। इसके लिए उन्हें संरचित प्रेरण कार्यक्रमों और चल रहे प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। इन सत्रों में समय-समय पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नेतृत्व कार्यक्रम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, बीमांकिक मूल्यांकन, बीमा विपणन आदि सहित प्रमुख समकालीन विषयों को शामिल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए दो रणनीति बैठकों सहित तीन परिचय कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों को निगम के व्यवसाय, उद्योग की गतिशीलता, नियामक वातावरण और शासन ढांचे के बारे में उनकी समझ बढ़ाने के लिए रूपांकित किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम के बारे में जानकारी एलआईसी की वेबसाइट <https://licindia.in/documents/d/guest/familiarization-programmes-fy-2025-26> पर उपलब्ध है।

ठ) निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / कौशल / निपुणता / क्षमता का क्षेत्र:

निदेशक मंडल में समृद्ध पेशेवर अनुभव वाले योग्य सदस्य शामिल हैं जिनके पास निगम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता है जो निम्नानुसार हैं (31 मार्च, 2026 को):

क्रमांक	निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता / कौशल / निपुणता / क्षमता का क्षेत्र					
			शासन	विपणन (मार्केटिंग)	व्यवसाय प्रबंधन	लेखा और वित्त	बीमा	जोखिम प्रबंधन
1	श्री आर दुरैस्वामि	बी.एससी. (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	सुश्री शालिनी पंडित	वनस्पति विज्ञान में स्नातक और वन्यजीव विज्ञान में एम. एससी.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	श्री दिनेश पंत	बी.टेक, एलएलबी, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया एवं द इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्जुअरीज, यूके, के फेलो सदस्य, एमबीए, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	श्री रत्नाकर पटनायक	भौतिकी में बीएससी (ऑनर्स), पीजी (लोक प्रशासन), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो और स्वास्थ्य बीमा में डिप्लोमा	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	श्री रामकृष्णन चंदर	बी.एससी., पीजीडीएफएम और भारतीय बीमा संस्थान के फेलो	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	डॉ. रंजन शर्मा	एम.ए., पीएच.डी.	✓	×	✓	✓	✓	✓
7	श्री विनोद कुमार वर्मा	बी.ए.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	प्रो.अनिल कुमार	बी.कॉम. (ऑनर्स), एम. कॉम., पीएच. डी.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	श्री महालिंगम जी	एम.एससी. (सांख्यिकी), एमबीए	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	आईसीएआई एवं आईसीएडब्लू से सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एएमपी के पूर्व छात्र, पीएच.डी.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ड) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा: एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के संदर्भ में, स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वह ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या उचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है एवं जो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं, साथ ही योग्यता, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को भी पूरा करते हैं। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

ढ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक: सेबी सूचीबद्धता विनियमन 25 (3), (4) और विनियमन 27 (अनुसूची II के भाग 3 के साथ पठित) के संदर्भ में, वर्ष 2025-26 के दौरान निगम के स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों की कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन, अध्यक्ष, गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा और प्रबंधन से निदेशक मंडल को सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता शामिल थी।

वर्ष 2025-2026 के दौरान आयोजित निगम के स्वतंत्र निदेशकों की दो (2) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

स्वतंत्र निदेशक का नाम	30-09-2025	17-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. रंजन शर्मा	✓	✓	2	2
श्री विनोद कुमार वर्मा	✓	✓	2	2
प्रो. अनिल कुमार	✓	✓	2	2
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल*	✓		1	1
श्री महालिंगम जी	✓	x	2	1
श्री राज कमल*	✓		1	1
डॉ. वी एस पार्थसारथी	✓	✓	2	2
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार*	✓		1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)	100	80.00		

*28 जनवरी 2026 (दिन की समाप्ति के बाद) से स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, निगम के निदेशक नहीं रहे।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निगम की 13 निदेशक मंडल स्तरीय समितियां हैं, अर्थात; कार्यकारी समिति, निवेश समिति, लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति, लाभ सहित समिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव के लिए समिति, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) रणनीति समिति, भवन सलाहकार समिति, इरादतन चूककर्ताओं (विलफुल डिफाल्टर) की समीक्षा के लिए समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति।

क. कार्यकारी समिति (ईसी)

कार्यकारी समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 (1) के अनुसार किया गया है।

i. कार्यकारी समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	सुश्री शालिनी पंडित	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	सदस्य
5	श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	सदस्य
6	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
8	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
9	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. कार्यकारी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में विनिर्दिष्ट नियम 12, 18, 39, 40 और 86 के उपबंधों के अनुसार और तदनुसार कृत्यों का निष्पादन करना;
 - (अ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के अनुसार क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों और समकक्ष संवर्गों में अधिकारियों की नियुक्ति करना, कार्यकारी समिति नियुक्ति प्राधिकारी है।
 - (आ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में विनिर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में।
 - (इ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों और समकक्ष संवर्गों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (एफ) से (जे) के तहत प्रमुख दंड लगाना।
 - (ई) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (ए) से (ई) के तहत मामूली दंड के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्ग और समकक्ष संवर्गों के अधिकारियों से प्राप्त अपीलों पर विचार करने के लिए, कार्यकारी समिति अपीलीय प्राधिकारी है।
 - (उ) उप क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/मंडल प्रबंधक और समकक्ष संवर्गों के संवर्ग में अधिकारियों से प्राप्त अपीलों पर विचार करने के लिए, कार्यकारी समिति भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (एफ) से (जे) के तहत प्रमुख दंड के लिए अपीलीय प्राधिकारी है।
 - (ऊ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के नियम 86 के उपबंध के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के किसी उपबंध में छूट देना।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार और तदनुसार कार्यों को निष्पादित करना;
 - अ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 2 (एफ) के अनुसार, कार्यकारी समिति नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्रावधानों के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर और समकक्ष संवर्गों के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
 - आ) नियम 48 (1) के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनभोगियों) से निगम को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली और/या पेंशन या उसके किसी हिस्से को रोकने/वापस लेने के लिए कोई अंतिम आदेश पारित करने से पहले कार्यकारी समिति से परामर्श किया जाएगा।
3. निगम में विभिन्न अधिकारियों के वित्तीय/परिचालन संबंधी कार्यों और अधिकारों को नियंत्रित करने वाला स्थायी आदेश जारी करना (एफपीएसओ के माध्यम से)
4. एफपीएसओ के अनुसार कार्यकारी समिति के पास मौजूद वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना।
5. कर्मचारी लाभ से संबंधित मामले, जो भारत सरकार को भेजे जाने हैं की, निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
6. एलआईसी की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों के शासन मामलों की देखरेख करना।
7. बाजार में प्रचलित दरों के बराबर शर्तों को लाने के लिए छाहाही आधार पर निगम के किरायेदारी/पट्टे के समय पर नवीनीकरण पर निगरानी रखना।
8. निगम की संपत्तियों के विकास के लिए परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।
9. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर वरिष्ठ प्रबंधन/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) की नियुक्ति/निष्कासन।
10. अनुबंध के आधार पर निश्चित अवधि नियुक्ति पर निगम की नीति के अनुसार निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करना।
11. अधिनियम, नियमों, विनियमों में हुए संशोधनों से मिलने वाली शक्तियों (यदि कोई हों) का इस्तेमाल करना और समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान कार्यकारी समिति की कुल सात (7) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	04-04-2025	20-05-2025	10-07-2025	01-10-2025	16-12-2025	04-02-2026	27-02-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓						2	2
श्री आर दुरैस्वामि**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला***	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	x							1	0
डॉ. प्रशांत कुमार गोयल®	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य		✓	x	✓				3	2
सुश्री शालिनी पंडित®®	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य						✓	✓	2	2
श्री जगन्नाथ एम®®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓						2	2
श्री तबलेश पांडे®®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓						2	2
श्री सतपाल भानू^	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓			5	5
श्री दिनेश पंत^	प्रबंध निदेशक	सदस्य			✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री रत्नाकर पटनायक^	प्रबंध निदेशक	सदस्य			x	✓	x	✓	✓	5	3
श्री रामकृष्णन चंदर®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य						✓	✓	2	2
डॉ. रंजन शर्मा#	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य						✓	✓	2	2
प्रो.अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल##	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	x			5	4
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
उपस्थिति (प्रतिशत में)			90	100	77.78	100	75	100	100		

*कार्यकाल पूर्ण होने पर 07.06.2025 से सदस्यता समाप्त

**21.07.2025 तक सदस्य और उसके बाद 22.07.2025 से अध्यक्ष

***17.04.2025 से सदस्यता समाप्त

®21.04.2025 से सदस्य के रूप में शामिल और 03.12.2025 से सदस्यता समाप्त

®08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल किया गया और 16.12.2025 को आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया

®सेवानिवृत्ति होने पर 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त

^22.06.2025 से 21.07.2025 तक समिति के अध्यक्ष एवं उसके बाद सदस्य और सेवानिवृत्ति होने पर 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त

^22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

#29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

##कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

ख. निवेश समिति (आईसी)

निवेश समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 ए और आईआरडीएआई सीजी विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

i. निवेश समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री रामकृष्णन चंद्र	प्रबंध निदेशक	सदस्य
5	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

विशेष आमंत्रित: नियुक्त बीमांकक एवं वित्त, जोखिम, निवेश और कानून से संबंधित कार्यों का नेतृत्व करने वाले निगम के अधिकारी।

ii. निवेश समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. निगम की निधियों के निवेश से संबंधित मामलों में निर्णय लेना।
2. तिमाही आधार पर निवेश पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की समीक्षा करना।
3. निवेश पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर निदेशक मंडल को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
4. समिति तिमाही आधार पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) पोर्टफोलियो की समीक्षा करेगी।
5. निदेशक मंडल को निवेश नीति के बारे में समीक्षा और सिफारिश करना और निवेश संचालन के लिए परिचालन ढांचा निर्धारित करना। निवेश नीति की ऐसी समीक्षा छमाही आधार पर अथवा इससे कम अंतराल पर की जाएगी। यह सुनिश्चित करना कि एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 43 (2) के तहत सरकारी अधिसूचना द्वारा एलआईसी पर लागू किए गए नियामक मानदंडों और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए का निवेश करते समय पालन किया जाता है।
6. निगम के “मानक संचालन प्रक्रियाओं” (एसओपी) को उसके निवेश कार्यों के संबंध में वार्षिक आधार पर और समय-समय पर किसी आवश्यकता आधारित संशोधन का अनुमोदन करना। एसओपी के प्रावधानों की समय-समय पर आर्थिक परिदृश्य, नियामक प्रावधानों और अन्य कारकों के आधार पर समीक्षा करना और बदलाव के लिए अनुमोदन करना।
7. निदेशक मंडल द्वारा मंजूर की गई निवेश नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

8. निवेश के निर्णयों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि सही निवेश निर्णय लेने में आंतरिक उचित तत्परता प्रक्रिया से मिली जानकारी का इस्तेमाल हो; साथ ही, क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क का आकलन करने के लिए क्रेडिट रेटिंग ही एकमात्र आधार न हो।
9. निवेश गतिविधियों की लगातार निगरानी के लिए आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षा तंत्र के अलावा, इसके द्वारा तय की गई नीति का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली बनाना।
10. अधिनियम, नियमों, विनियमों में हुए संशोधनों से मिलने वाली शक्तियों (यदि कोई हों) का इस्तेमाल करना और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान निवेश समिति की कुल आठ (08) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	26-04-2025	11-07-2025	06-08-2025	19-09-2025	28-10-2025	27-11-2025	20-01-2026	16-02-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓								1	1
श्री आर दुरैस्वामि**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
श्री जगन्नाथ एम***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓								1	1
श्री तबलेश पांडे***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓								1	1
श्री सतपाल भानू®	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	×			6	5
श्री दिनेश पंत®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
श्री रत्नाकर पटनायक®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	✓	×	✓	✓	×	×	7	4
श्री रामकृष्णन चंद्र®®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य							✓	✓	2	2
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
श्री राज कमल#	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	×	✓	✓	×	✓		7	5
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार#	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7	7
श्री विनोद कुमार वर्मा##	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य								✓	1	1
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी##	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य								✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	85.71	85.71	100	71.43	85.71	85.71		

*कार्यकाल पूर्ण होने पर 07.06.2025 से सदस्यता समाप्त

**21.07.2025 तक सदस्य और उसके बाद 22.07.2025 से अध्यक्ष

***सेवानिवृत्ति होने पर 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त

®22.06.2025 से 21.07.2025 तक समिति के अध्यक्ष एवं उसके उपरांत सदस्य और सेवानिवृत्ति होने पर 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त

@@22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

@@@08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

#कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

##29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

वर्ष 2025-2026 के दौरान आयोजित निवेश समिति की आठ (08) बैठकों में विशेष आमंत्रित व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

विशेष आमंत्रित का नाम	पदनाम	26-04-2025	11-07-2025	06-08-2025	19-09-2025	28-10-2025	27-11-2025	20-01-2026	16-02-2026
श्री दिनेश पंत*	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	x							
श्री रत्नाकर पटनायक**	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी	✓							
श्री रामकृष्णन चन्द्र***	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव@	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)		✓	✓	✓	x	x	✓	x
श्री राजेश ऐलावादी@@	कार्यकारी निदेशक (विधि)	x	✓	✓	✓	x	✓		
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) और मुख्य जोखिम अधिकारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती बिंदु पॉल	कार्यकारी निदेशक (निवेश मिड ऑफिस)	x	✓	x	✓	x	✓	✓	x
श्री संजय श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (निवेश बैंक ऑफिस)	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓
श्री अरिंदम दास गुप्ता@@@	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी							✓	✓
श्री चेन्दुरनाथन लोगानाथन#	कार्यकारी निदेशक (विधि)							✓	✓

*31.05.2025 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत होने पर, नियुक्त बीमांकक के पद से पदमुक्त और 22.06.2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में समिति के सदस्य के रूप में शामिल

**31.05.2025 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत होने पर, कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी के पद से पदमुक्त और 22.06.2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में समिति के सदस्य के रूप में शामिल

***30.11.2025 से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत होने पर, कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी के पद से पदमुक्त और 08.01.2026 से प्रबंध निदेशक के रूप में समिति के सदस्य के रूप में शामिल

@22.06.2025 से निगम के नियुक्त बीमांकक के रूप में नियुक्त

@@31.12.2025 को उनकी सेवानिवृत्ति पर कार्यकारी निदेशक (विधि) के पद से पदमुक्त

@@@05.12.2025 से कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त

#01.01.2026 से कार्यकारी निदेशक (विधि) के रूप में नियुक्त

ग लेखापरीक्षा समिति (एसी)

लेखापरीक्षा समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19सी, आईआरडीआई सीजी विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) और सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 18 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

i. लेखापरीक्षा समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	सुश्री शालिनी पंडित	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य:			
1	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	-
2	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	-

ii. लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
- अधिनियम/विनियमों के तहत अनुमत समग्र प्रबंधन लागतों पर निगरानी, यानी खर्चों का विश्लेषण करना, लागत अनुकूलन के क्षेत्रों की पहचान करना, खर्चों को अनुमेय सीमा के भीतर लाने के उपायों को लागू करने के लिए अत्यधिक खर्च के क्षेत्रों को संबोधित करना।
- लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक, प्रदर्शन और कार्य की निगरानी के लिए सिफारिश (सांविधिक/समवर्ती/सचिवीय/फॉरेंसिक/सिस्टम लेखापरीक्षा/आदि सहित)
- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी, यदि अधिनियम/नियमों/विनियमों के तहत अनुमत हो।
- अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
 - एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 सी (2) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले निदेशकों की जिम्मेदारी के विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले।
 - लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इसके कारण;
 - प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों से जुड़ी प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
 - लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण;
 - मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;
- अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
- किसी मुद्दे (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य मुद्दा, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सूचना में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य

उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल को उचित सिफारिशें करना।

8. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं प्रदर्शन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करना।
9. समय-समय पर जारी आईआरडीआई परिपत्रों के अनुसार निगम द्वारा कई एकाधिक चालू खाते रखने की आवश्यकता की वार्षिक समीक्षा करना।
10. संबंधित पक्षों के साथ निगम के लेन-देन के लिए पूर्व-अनुमोदन या किसी भी बाद के संशोधन का अनुमोदन।
11. निगम के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।
12. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
13. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
14. आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
15. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
16. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और ऐसे मामले की रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना।
17. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक ऑडिटर्स के साथ ऑडिट के स्वरूप और दायरे के बारे में चर्चा करना, और साथ ही लेखापरीक्षा के बाद किसी भी चिंता वाले विषय का पता लगाने के लिए चर्चा करना।
18. शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की समीक्षा करना।
19. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।
20. उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश करना।
21. होल्टिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी को दिए गए ऋण/अग्रिम/निवेश की समीक्षा करना, अगर यह राशि ₹ 100 करोड़ या सहायक कंपनी की एसेट साइज़ के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से ज़्यादा है। इसमें इस प्रावधान के लागू होने की तारीख पर पहले से मौजूद ऋण/अग्रिम/निवेश भी शामिल हैं।
22. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारक पर विलय, विभाजन, समामेलन आदि योजनाओं के कारण, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार एवं टिप्पणी करना।
23. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।
24. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्र/पत्र।
25. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
26. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

27. विचलन का विवरण:

- सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो।
 - सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।
28. अनुपालन के स्तर और किसी भी संबंधित जोखिम पर चर्चा करने और किसी भी महत्वपूर्ण अनुपालन उल्लंघनों पर निदेशक मंडल की निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए एक अनुपालन समिति के रूप में कार्य करना।
29. मतदान तंत्र पर निगरानी करना और प्रबंधन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।
30. अधिनियम, नियमों, विनियमों में हुए संशोधनों से मिलने वाली शक्तियों (यदि कोई हों) का इस्तेमाल करना और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।
- iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कुल ग्यारह (11) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	28-04-2025	26-05-2025	27-05-2025	11-07-2025	07-08-2025	19-09-2025	30-09-2025	06-11-2025	16-01-2026	05-02-2026	16-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			9	9
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी**	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11
डॉ. प्रशांत कुमार गोयल***	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x				8	7
सुश्री शालिनी पंडित®	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य									✓	✓	✓	3	3
श्री जगन्नाथ एम®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓									3	3
श्री सतपाल भानू®®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य					✓	✓	✓	✓				4	4
श्री दिनेश पंत#	प्रबंध निदेशक	सदस्य				✓								1	1
श्री रत्नाकर पटनायक##	प्रबंध निदेशक	सदस्य									✓			1	1
श्री रामकृष्णन चंद्र###	प्रबंध निदेशक	सदस्य										✓	✓	2	2

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	28-04-2025	26-05-2025	27-05-2025	11-07-2025	07-08-2025	19-09-2025	30-09-2025	06-11-2025	16-01-2026	05-02-2026	16-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. रंजन शर्मा [§]	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			9	9
श्री विनोद कुमार वर्मा ^{***}	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य										✓	✓	2	2
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11
श्री महालिंगम जी ^{***}	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य										✓	✓	2	2
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	100	100	100	100	100	83.33	100	100	100		
विशेष आमंत्रित सदस्य															
श्री आर. दुरैस्वामि ^{§§}	प्रबंध निदेशक	विशेष आमंत्रित सदस्य	×	✓	✓	✓								4	3
श्री दिनेश पंत [§]	प्रबंध निदेशक	विशेष आमंत्रित सदस्य					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	10

*कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

**28.01.2026 तक सदस्य और 29.01.2026 से समिति के अध्यक्ष

***21.04.2025 को सदस्य के रूप में शामिल और 03.12.2025 से सदस्यता समाप्त

§08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

§§सेवानिवृत्ति होने पर 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त

§§§22.07.2025 को सदस्य के रूप में शामिल एवं सेवानिवृत्ति होने पर 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त

§22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल एवं उसके बाद 22.07.2025 से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल

§§08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल किया गया और 29.01.2026 से सदस्यता समाप्त

§§§29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

§28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

§§22.07.2025 तक विशेष आमंत्रित सदस्य

घ. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीआई सीजी विनियम, 2024 (जहां तक लागू हो) और सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 21 के अनुरूप किया गया है।

i. जोखिम प्रबंधन समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य
7	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य
8	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) और मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य

ii. जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- कम से कम हर दो साल में एक बार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना, समय-समय पर उसकी समीक्षा करना और उसे अद्यतन करना, इसमें इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों और बढ़ती जटिलता को ध्यान में रखा जाएगा और इस नीति में ये बातें शामिल होंगी:
 - निगम द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले किसी भी अन्य जोखिम सहित।
 - पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
 - व्यापार निरंतरता योजना।
- यह सुनिश्चित करना कि निगम के संचालन से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।
- जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है।
- निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और उठाए जाने वाले कदमों की प्रकृति और सामग्री के बारे में जानकारी देते रहना।
- मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा।
- जोखिम प्रबंधन समिति, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, अन्य समितियों की गतिविधियों के साथ किसी भी प्रकार का अधिव्यापन होने की स्थिति में, अपनी गतिविधियों का समन्वय अन्य समितियों के साथ करेगी।
- जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा।
- धोखाधड़ी-रोधी नीति, धन शोधन-रोधी नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, जोखिम उठाने की क्षमता विवरण आदि की समीक्षा करना और अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
- जोखिम सहनशीलता सीमा निर्धारित करना और जोखिम एक्सपोजर से जुड़ी लागत और लाभों का आकलन करना।
- समग्र नीतिगत उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए निगम के जोखिम-प्रतिफल प्रदर्शन की समीक्षा।
- बाजार में जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा और विचार करना और संबंधित कार्यों की सलाह देना।

12. विशेष विश्लेषण और गुणवत्ता समीक्षा करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन में निदेशक मंडल की सहायता करना;
 13. निगमित रणनीति, विलय और अधिग्रहण तथा संबंधित मामलों जैसे रणनीतिक और परिचालन संबंधी विषयों पर जोखिम प्रबंधन के निर्णयों के संबंध में निदेशक मंडल को सलाह देना।
 14. निदेशक मंडल को जोखिम के दायरे और उन्हें संभालने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देना; निगम द्वारा उठाए गए जोखिमों की समीक्षा और निगरानी करना तथा जहां आवश्यक हो वहां चुनौती देना।
 15. नियमित आधार पर निगम की शोधन क्षमता की स्थिति की समीक्षा करना।
 16. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए धोखाधड़ी निगरानी नीति और रूपरेखा तैयार करना और आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुपालन की समीक्षा करना।
 17. धोखाधड़ी को प्रभावी निवारण, रोकथाम, पता लगाने और कम करने के लिए धोखाधड़ी-रोधी नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
 18. आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर जारी मास्टर परिपत्र में परिभाषित निगम की एएलएम नीति के अनुसार परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) से संबंधित मामलों की देखरेख करना।
 19. निगम द्वारा किए गए आउटसोर्सिंग समझौतों के बारे में जोखिम प्रबंधन समिति को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा।
 20. अधिनियम, नियमों, विनियमों में हुए संशोधनों से मिलने वाली शक्तियों (यदि कोई हों) का इस्तेमाल करना और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।
- iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की कुल पांच (5) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	20-05-2025	22-06-2025	19-09-2025	11-12-2025	16-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓					1	1
श्री जगन्नाथ एम**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓					1	1
श्री तबलेश पांडे**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓					1	1
श्री सतपाल भानू***	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓				1	1
श्री आर. दुरैस्वामि®	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	✓	✓	✓	4	4
श्री दिनेश पंत®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	×	✓	5	4
श्री राज कमल®®®	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓		4	4

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	20-05-2025	22-06-2025	19-09-2025	11-12-2025	16-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल ^{@@@}	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓		4	4
डॉ. वी एस पार्थसारथी [#]	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य					✓	1	1
श्री विनोद कुमार वर्मा [#]	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य					✓	1	1
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य	✓	✓	✓	x	✓	5	4
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ^{##}	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य		✓	✓	✓	✓	4	4
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) और मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	100	75	100		

*कार्यकाल पूर्ण होने पर 07.06.2025 से सदस्यता समाप्त

**सेवानिवृत्ति होने पर 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त

***22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल और 22.07.2025 से सदस्यता समाप्त

@22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

@@31.05.2025 तक निगम के नियुक्त बीमांकक के रूप में समिति के सदस्य और उसके बाद निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नति के उपरांत उन्हें 22.06.2025 से प्रबंध निदेशक की क्षमता में सदस्य के रूप में शामिल

@@@कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

#29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

##निगमके नियुक्त बीमांकक के रूप में नियुक्ति पर 02.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल किया गया

ड पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति (पीपीजीआर एंड सीएमसी)

पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति (पीपीजीआर एंड सीएमसी) का गठन आईआरडीआई सीजी विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) के अनुरूप किया गया है।

i. पीपीजीआर एवं सीएमसी में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्रीमती रीमा नानावटी	विशेषज्ञ	सदस्य

ii. पीपीजीआर एवं सीएमसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. ग्राहक के साथ उचित व्यवहार करने के लिए पालिसी एवं दावा सेवा मानकों के लिए समय-सीमा सहित मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना।
2. मध्यस्थों द्वारा गलत बिक्री सहित पालिसीधारकों की शिकायतों और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र की समीक्षा करना।
3. ग्राहक शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण करना और बाजार के आचरण के मुद्दों की पहचान करना।
4. बीमा लोकपाल या उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए उन सभी फैसलों की समीक्षा करना जिन पर तीस (30) दिनों से ज़्यादा समय से अमल नहीं हुआ है। साथ ही, इनके कारणों की भी समीक्षा करना और जहाँ ज़रूरी हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए निदेशक मंडल को इसकी रिपोर्ट देना।
5. समय-समय पर ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के लिए उठाए हुए कदमों एवं उपायों की समीक्षा करना।
6. पॉलिसीधारक के हित से संबंधित नियामक ढांचे में निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा करना।
7. पॉलिसीधारकों को “महत्वपूर्ण जानकारी” के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सुनिश्चित करना। यह प्रकटीकरण बिक्री के बिंदु और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार होंगे।
8. आईआरडीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवधिक अंतराल पर शिकायतों का विवरण प्रदान करना।
9. पॉलिसीधारकों को बीमा लोकपाल का विवरण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना।
10. बकाया दावों की उम्र के साथ बकाया दावों की स्थिति सहित दावा रिपोर्ट की समीक्षा।
11. कारणों के विश्लेषण के साथ अस्वीकृत दावों की समीक्षा करना।
12. अन्य ग्राहक लाभ भुगतानों जैसे आत्मसमर्पण, ऋण, आंशिक आहरण अनुरोध आदि के निपटान की स्थिति की समीक्षा करना।
13. आईआरडीआई द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत, पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों एवं ऐसी अप्राप्त राशियों में कमी लाने हेतु किये गये उपायों की समीक्षा।
14. निगम के व्यवसाय के स्थान के स्थानांतरण और बाद में आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित पूर्व व्यवसाय स्थान को बंद करने से संबंधित मामले।
15. लघु कार्यालयों को सैटेलाइट कार्यालयों में अपग्रेड करने के परिणामस्वरूप उन्हें बंद करने की मंजूरी देना।

- iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान पीपीजीआर एवं सीएमसी की कुल चार (4) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	19-06-2025	09-09-2025	11-12-2025	11-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री आर दुरैस्वामि*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓				1	1
श्री सतपाल भानू**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✗	✓	✓		3	2
श्री रत्नाकर पटनायक***	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✗	✓		2	1
श्री रामकृष्णन चंदर®	प्रबंध निदेशक	सदस्य				✓	1	1
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल®®	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓		3	3
प्रो. अनिल कुमार®®®	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष				✓	1	1
श्रीमती रीमा नानावटी	विशेषज्ञ	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
उपस्थिति (प्रतिशत में)			83.33	83.33	100	100		

*22.07.2025 से सदस्यता समाप्त

**सेवानिवृत्ति होने पर 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त

***22.07.2025 से सदस्य के रूप में शामिल एवं 29.01.2026 से सदस्यता समाप्त

®08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

®®कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

®®®29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

च. लाभ सहित समिति डब्ल्यूपीसी

लाभ सहित समिति का गठन आईआरडीएआई सीजी विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) और उसके तहत जारी परिपत्र के अनुरूप किया गया है।

- i. डब्ल्यूपीसी में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री आर दुरैस्वामि*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री महालिंगम जी**	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव***	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य
5	श्री साई श्रीनिवास धुलिपाला	स्वतंत्र बीमांकक	सदस्य

*22.07.2025 से समिति के अध्यक्ष के रूप में समिति में शामिल

**29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

*** निगम के नियुक्त बीमांकक के रूप में नियुक्ति होने पर 02.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

- ii. डब्ल्यूपीसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
1. परिसंपत्ति शेयर की गणना में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और आधार की उपयुक्तता
 2. बोनस अर्जित करने की क्षमता एवं उसकी गणना
 3. बोनस दरों एवं उसके आधार का यथोचित संवेदनशीलता विश्लेषण
 4. पॉलिसीधारकों की उचित अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाता है, इस पर एक संक्षिप्त नोट
 5. विशेष समर्पण मूल्य में कोई परिवर्तन
 6. भविष्य के विनियोग के लिए फंड का उपचार (एफएफए)
 7. लाभ के साथ फंड और इसकी उपयुक्तता के लिए डेबिट किए गए खर्च
- iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान लाभ सहित समिति (डब्ल्यूपीसी) की एक (1) बैठक आयोजित की गई थी और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	20-05-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	1	1
श्री राज कमल**	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री दिनेश पंत***	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	सदस्य	✓	1	1
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य	✓	1	1
श्री साई श्रीनिवास धुलिपाला	स्वतंत्र बीमांकक	सदस्य	✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100		

*कार्यकाल पूर्ण होने पर 07.06.2025 से सदस्यता समाप्त

**कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

***निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नति के बाद 31.05.2025 से निगम के नियुक्त बीमांकक के पद से पदमुक्ति

छ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति का गठन वित्त मंत्रालय के पत्र संदर्भ संख्या 16.11.2012-बीओ-1 दिनांक 03.04.2012 के अनुसार किया गया है।

- i. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री रामकृष्णन चंद्र	प्रबंध निदेशक	सदस्य

- ii. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिनांक 03.04.2012 के पत्र के अनुसार दिए गए अपने अधिदेश को पूरा करेगी अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों की स्कैनिंग और चयन करना।

- iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशक के चुनाव के लिए समिति की कुल दो (2) बैठकें आयोजित हुई और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	26-06-2025	18-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सतपाल भानू*	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓		1	1
श्री आर दुरैस्वामि**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	2	2
श्री रत्नाकर पटनायक***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	2	2
श्री रामकृष्णन चंद्र®	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100		

*22.06.2025 से 21.07.2025 तक समिति के अध्यक्ष

**22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल और उसके बाद 22.07.2025 से समिति के अध्यक्ष

***22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

®08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

ज सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति का गठन निगम के निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार किया गया है।

- i. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	प्रोफेसर (डॉ) ओम दमानी	सलाहकार	सदस्य

- ii. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति, निवेश और परियोजनाएं संगठन के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप हों।
- सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सुरक्षा और सूचना प्रबंधन जोखिमों को संबोधित और प्रबंधित करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रदर्शन और प्रौद्योगिकी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा और साइबर सुरक्षा के लिए संगठन और संचालन मॉडल की निगरानी और सलाह देना।
- निगम के साइबर जोखिम की देखरेख करना और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को हर छह महीने में रिपोर्ट करना।
- निगम की साइबर सुरक्षा स्थिति की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी।
- विशिष्ट पूंजी निवेश सीमा के साथ महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और अनुबंधों की समीक्षा करना और उन्हें मंजूरी देना।

8. प्रौद्योगिकी से संबंधित निर्णयों पर निदेशक मंडल को सिफारिशें प्रदान करना।
 9. निदेशक मंडल को रिपोर्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की वार्षिक समीक्षा की निगरानी करना जिसमें परिचालन प्रभावशीलता, वाणिज्यिक प्रभावशीलता, स्थिरता, सुरक्षा आदि शामिल हो।
 10. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में निदेशक मंडल को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
 11. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी अनुमोदित रणनीतिक पहलों की स्थिति की निगरानी करना, विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय सीमा वाले पहलों की स्थिति की निगरानी करना, और महत्वपूर्ण पहलों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सहायता प्रदान करना।
 12. निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की किसी भी समिति द्वारा सौंपे गए तकनीकी पहलुओं से संबंधित अन्य कार्यों को, जहाँ तक लागू हो, पूरा करना।
- iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की कुल छह (6) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	15-05-2025	19-06-2025	10-07-2025	19-09-2025	17-12-2025	24-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री राज कमल*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓		5	5
श्री तबलेश पांडे**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓						1	1
श्री आर दुरैस्वामि***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓				3	3
श्री दिनेश पंत®	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष			✓	✓	✓	✓	4	4
श्री रत्नाकर पटनायक®®	प्रबंध निदेशक	सदस्य				×	×	✓	3	1
श्री महालिंगम जी®®®	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य						✓	1	1
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार#	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓		5	5
प्रो. ओम दमानी	सलाहकार	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	100	83.33	83.33	100		

*कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता और अध्यक्षता समाप्त

**सेवानिवृत्ति होने पर 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त

***22.07.2025 से सदस्यता समाप्त

*19.06.2025 को आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया और 22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल एवं 29.01.2026 से समिति के अध्यक्ष

**22.07.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

***29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

झ भवन सलाहकार समिति (बीएसी)

निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार भवन सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

i. 31 मार्च, 2026 को भवन सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्री सुशील कुमार दुबे	बाहरी सदस्य	सदस्य
6	श्री मनु अमिताभ	बाहरी सदस्य	सदस्य
	विशेष आमंत्रित सदस्य:		
1	श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	-

ii. भवन सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. संपत्तियों की खरीद और बिक्री के प्रस्ताव की जांच करना; खाली भूमि को पट्टे पर देना; संपत्तियों का पुनर्विकास और भवन का निर्माण और रखरखाव और उसके आनुषंगिक अन्य सभी मामले और इसे प्रस्तुत किए गए कोई भी अन्य मामले।
2. समय-समय पर अनुमोदित निगम की वित्तीय शक्तियों के स्थायी आदेश के प्रावधानों के अनुसार मूल्य के ऐसे सभी प्रस्तावों को अनुमोदित करना।
3. जारी निर्माण/विकास परियोजनाओं की समीक्षा।

iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान भवन सलाहकार समिति की कुल तीन (3) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	03-04-2025	15-10-2025	18-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	✓			1	1
श्री आर दुरैस्वामि**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष		✓	✓	2	2

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	03-04-2025	15-10-2025	18-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सतपाल भानू***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓		2	2
श्री रत्नाकर पटनायक®	प्रबंध निदेशक	सदस्य			✓	1	1
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	3	3
श्री विनोद कुमार वर्मा®®	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य		✓	✓	2	2
श्री सुशील कुमार दुबे	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	✓	✓	3	3
श्री मनु अमिताभ	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	✓	✓	3	3
% में उपस्थिति			100	100	100		
विशेष आमंत्रित सदस्य							
श्री तबलेश पांडे®®®	प्रबंध निदेशक		✓			1	1
श्री रामकृष्णन चंदर#	प्रबंध निदेशक				✓	1	1

*कार्यकाल पूर्ण होने पर 07.06.2025 से सदस्य के रूप में समाप्त हो गया

**22.07.2025 से सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल

***सेवानिवृत्ति होने पर 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त

®08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

®®22.07.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

®®®31.05.2025 तक विशेष आमंत्रित सदस्य

#08.01.2026 से विशेष आमंत्रित सदस्य

ज इरादतन चूककर्ताओं (विलफुल डिफॉल्टरों) की समीक्षा के लिए समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01.07.2014 और 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार विलफुल डिफॉल्टरों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है।

i. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/निर्णयों की समीक्षा करना।
2. समय-समय पर नियामक/वैधानिक दिशानिर्देशों के तहत किसी भी अन्य भूमिका को पूरा करना।

iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

ट हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 20 के अनुसार हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है।

i. हितधारक संबंध समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	प्रो.अनिल कुमार*	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

*29.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

ii. हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. निगम के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के अंतरण/पारेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने, सामान्य बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में निगम द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना।
4. दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान हितधारक संबंध समिति की कुल दो (2) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता की प्रकृति	20-05-2025	30-09-2025	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	2	2
श्री आर दुरैस्वामि*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓		1	1
श्री रत्नाकर पटनायक**	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	1	1
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल***	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	2	2
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100		

*22.07.2025 से सदस्यता समाप्त

**22.07.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

***कार्यकाल पूर्ण होने पर 28.01.2026 से सदस्यता समाप्त

iv. श्री अंशुल कुमार सिंह कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं।

v. निवेशकों की शिकायतों का विवरण:

वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान निवेशकों से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुईं (स्टॉक एक्सचेंज और सेबी स्कोर सहित):

1 अप्रैल, 2025 तक लंबित शिकायतें	01
1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	922
1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	920
31 मार्च, 2026 को लंबित शिकायतें	03*

*दिनांक 01.04.2026 को शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया

ठ नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19बी, सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 19 और आईआरडीएआई सीजी विनियम, 2024 (लागू सीमा तक) के अनुसार किया गया है।

i. नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	सुश्री शालिनी पंडित	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित एक नीति की सिफारिश करना।
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति निदेशक मंडल में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति यह कर सकती है:
 - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना;
 - विविधता के संबंध में पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से उम्मीदवारों पर विचार करना;
 - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करना।
- निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की सिफारिश करना;
- शेयरधारक निदेशक के चुनाव की प्रक्रिया में, समय-समय पर जारी किए गए भारतीय जीवन बीमा निगम (शेयरधारक निदेशक) विनियम, 2023 और निगमित शासन पर आईआरडीएआई मास्टर सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक आवेदकों की घोषणाओं की जांच करना।
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं या जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) में नियुक्त किया जा सकता है, निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।
- निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना।
- स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाना या जारी रखना है या नहीं, यह निर्धारित करना;
- निदेशक मंडल को एलआईसी अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ई) या (एफ) या (जी) के तहत नामित या नियुक्त निदेशक को बैठक शुल्क के रूप में देय राशि से संबंधित नीति की सिफारिश करना, यह फीस, कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत किसी कंपनी के निदेशक को दी जाने वाली बैठक शुल्क के लिए लागू सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति को वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो की सिफारिश करना।
- समिति निगम की उत्तराधिकार योजना के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें सुचारू तरीके से इसका कार्यान्वयन भी शामिल है।

12. ऐसे अन्य कार्यों को करना जो समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा सौंपे जाएं, या एलआईसी एक्ट, सेबी सूचीबद्धता विनियम या आईआरडीएआई सीजी विनियम, 2024 (इन सभी में हुए संशोधनों सहित) या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के तहत बताए या निर्धारित किए जाएं।

iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कुल सात (7) बैठकें आयोजित हुईं और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	04-04-2025	16-05-2025	27-05-2025	04-06-2025	06-08-2025	28-01-2026	27-02-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
प्रो.अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
डॉ. मारुति प्रसाद तंगीराला*	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	x							1	0
डॉ. प्रशांत कुमार गोयल**	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य		✓	✓	✓	✓			4	4
सुश्री शालिनी पंडित***	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य						✓	✓	2	2
श्री सिद्धार्थ मोहंती®	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓				4	4
श्री आर. दुरैस्वामि®®	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य					✓	✓	✓	3	3
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
उपस्थिति (प्रतिशत में)			83.33	100	100	100	100	100	100		

*17.04.2025 से सदस्यता समाप्त

**21.04.2025 से सदस्य के रूप में शामिल और 03.12.2025 से सदस्यता समाप्त

***05.12.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

®कार्यकाल पूर्ण होने पर 07.06.2025 से सदस्यता समाप्त

®®22.07.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

नोट: श्री सतपाल भानू 22.06.2025 से 14.07.2025 तक निदेशक मंडल के प्रबंध निदेशक (प्रभारी) और अध्यक्ष के रूप में समिति के सदस्य थे, उस अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड:

निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनका उल्लेख निदेशकों की नीति में किया गया है। निदेशकों की नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उक्त नीति का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक 'I' में दिया गया है।

ड पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति

निदेशक मंडल द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति का गठन किया गया है।

i. ईएसजी समिति में 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	डॉ. अमित बंसीवाल	बाहरी सदस्य	सदस्य
6	प्रो. विद्याधर वी. गेडाम	बाहरी सदस्य	सदस्य
	विशेष आमंत्रित:		
1	श्री कृष्णा कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सीजी/जीजेएफ/आरसी) और मुख्य अनुपालन अधिकारी	-
2	सुश्री रोसलीन कुरियन	कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान/रणनीति/निगमित योजना/एनपीआरजे)	-
3	श्री सुभाशीष दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक (कार्यालय सेवा/मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)	-
4	श्री प्रदीप कुसुम जोसेफ डुंगडुंग	कार्यकारी निदेशक (अभियांत्रिकी)	-

ii. ईएसजी समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. निदेशक मंडल को निगम की ईएसजी नीति की सिफारिश करना और आवश्यकता पड़ने पर नीति की समीक्षा करना।
2. हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण सुनिश्चित करने के लिए ईएसजी पहलों सहित ईएसजी लक्ष्यों, लक्ष्यों और रणनीति को मंजूरी और पुष्टि करना और उनके प्रदर्शन की निगरानी करना।
3. ईएसजी से संबंधित नीतियों, रणनीतियों और निगम की गतिविधियों पर इस तरह से निगरानी रखना जो व्यवसाय के संचालन के साथ पर्यावरण, सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है एवं निगम को इन नीतियों में सलाह देना।
4. निगम के आकार, प्रकृति और संचालन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए जलवायु जोखिम प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
5. समय-समय पर निगम की ईएसजी गतिविधियों की समीक्षा करना।
6. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) या नियामक प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य किसी भी ईएसजी संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा और टिपण्णी करना।
7. एलआईसी गोल्डन जुबिली फाउंडेशन ट्रस्ट की गतिविधियों पर रिपोर्ट की छमाही आधार पर समीक्षा करना।
8. नियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर ईएसजी से संबंधित निर्धारित कोई अन्य गतिविधियां।

- iii. वर्ष 2025-2026 के दौरान आयोजित ईएसजी समिति की कुल चार (4) बैठकों में सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	28-05-2025	19-06-2025	10-12-2025	11-03-2026	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री जगन्नाथ एम*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓				1	1
श्री सतपाल भानू**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✗		3	2
श्री रत्नाकर पटनायक***	प्रबंध निदेशक	सदस्य			✓	✓	2	2
श्री रामकृष्णन चंदर®	प्रबंध निदेशक	सदस्य				✓	1	1
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
डॉ. अमित बंसीवाल	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
प्रो. विद्याधर वी. गेडाम	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	83.33	100		
विशेष आमंत्रित: -								
श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक			✓				
श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सीजी/जीजेएफ/आरसी) और मुख्य अनुपालन अधिकारी		✓	✗	✓	✓		
सुश्री रोसलीन कुरियन	कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान/रणनीति/निगमित योजना/एनपीआरजे)		✓	✓	✓	✓		
श्री सुभाशीष दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक (कार्यालय सेवा/मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)		✓	✗	✓	✓		
श्री प्रदीप कुसुम जोसेफ डुंगडुंग	कार्यकारी निदेशक (अभियांत्रिकी)		✓	✓	✓	✓		

*सेवानिवृत्ति होने पर 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त

**सेवानिवृत्ति होने पर 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त

***22.06.2025 से सदस्य के रूप में शामिल

®08.01.2026 से सदस्य के रूप में शामिल

4. निदेशकों का पारिश्रमिक:

क) वर्ष 2025-2026 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	उपाधि	वेतन एवं भत्ते	प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन	अन्य लाभ एवं अनुलाभ	पेंशन में निगम का योगदान	कुल पारिश्रमिक
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	12.17	41.24	05.55	0.50	59.47
श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	62.43	41.13	16.20	3.00	122.76
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	12.36	41.13	03.64	0.44	57.57
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	12.19	41.13	04.42	0.44	58.19
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	49.10	41.13	13.16	2.58	105.97
श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	43.04	-	21.84	2.24	67.12
श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	41.01	-	15.08	2.24	58.33
श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	16.70	-	11.26	0.90	28.85

नोट:

- वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक को लिया गया है।
- निगम के पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मापदंडों के अनुसार प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देय हैं।
- वर्ष के दौरान निगम द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए गए हैं।
- पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी (सेवाओं के निश्चित नियम एवं शर्तों) नियम, 1998, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के निश्चित नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम, 1988 और भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य विनियम, 2021 यथासंशोधित उपबंधों द्वारा विनियमित की जाती हैं।

ख) निदेशकों की नीति के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक निगम से कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क या अन्य मुआवजा प्राप्त करने का पात्र नहीं है, जबकि निगम के स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल की प्रति बैठक ₹ 80,000/- और समितियों की प्रति बैठक ₹ 60,000/- की बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल और इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा, ठहरने और परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं। उपरोक्त के अलावा, निगम और इसके किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के बीच कोई अन्य आर्थिक संबंध या व्यावसायिक लेनदेन नहीं हुआ है।

वर्ष 2025-2026 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

बैठक का नाम	डॉ. रंजन शर्मा	श्री विनोद कुमार वर्मा	प्रो. अनिल कुमार	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	श्री महालिंगम जी	श्री राज कमल	डॉ. वी एस पार्थसारथी	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	कुल योग
निदेशक मंडल	9.60	9.60	9.60	7.20	9.60	8.00	8.80	8.00	70.40
कार्यकारी समिति	1.20	-	4.20	2.40	4.20	-	4.20	-	16.20
लेखापरीक्षा समिति	5.40	1.20	6.60	-	1.20	-	6.60	5.40	26.40
भवन सलाहकार समिति	1.80	1.20	-	-	-	-	-	-	3.00

बैठक का नाम	डॉ. रंजन शर्मा	श्री विनोद कुमार वर्मा	प्रो. अनिल कुमार	श्रीमती अंजुली चिब दुगल	श्री महालिंगम जी	श्री राज कमल	डॉ. वी एस पार्थसारथी	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	कुल योग
पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) समिति	-	-	2.40	-	-	-	2.40	-	4.80
निवेश समिति	-	0.60	-	-	4.80	3.00	0.60	4.20	13.20
स्वतंत्र निदेशको की बैठक	1.20	1.20	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	7.20
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	-	-	-	-	0.60	3.00	3.60	3.00	10.20
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	4.20	4.20	4.20	-	4.20	-	-	-	16.80
पॉलिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति	2.40	2.40	0.60	1.80	-	-	-	-	7.20
जोखिम प्रबंधन समिति	-	0.60	-	2.40	3.00	2.40	0.60	-	9.00
हितधारक संबंध समिति	-	1.20	-	1.20	-	-	-	-	2.40
लाभ सहित समिति	-	-	-	-	-	0.60	-	-	0.60
कुल योग	25.80	22.20	28.80	15.60	28.20	17.60	28.00	21.20	187.40

5. सामान्य शेयरधारक जानकारी

(क) निगम की जानकारी का आशुचित्र:

विवरण	संक्षिप्त विवरण
संस्थापन की तिथि	भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत हुई है।
केंद्रीय कार्यालय का पता	भारतीय जीवन बीमा निगम 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021
निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या	512
वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026

(ख) 5वीं वार्षिक आम बैठक (AGM):

विवरण	संक्षिप्त विवरण
दिनांक और समय	सोमवार, 27 जुलाई 2026 को 11: 00 बजे (भारतीय समयानुसार)
कार्यक्रम-स्थल	निगम 5वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। निगम के केंद्रीय कार्यालय को एजीएम के लिए स्थल माना जाएगा।
रिकॉर्ड तिथि	बृहस्पतिवार जून 25, 2026
रिमोट ई-वोटिंग अवधि	बृहस्पतिवार 23 जुलाई 2026 09:00 बजे से रविवार, 26 जुलाई 2026 को 17:00 बजे तक
लाभांश भुगतान तिथि	अंतिम लाभांश, यदि अनुमोदित हो जाता है, तो 25 अगस्त, 2026 को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

(ग) सूचीबद्धता विवरण:

विवरण	संक्षिप्त विवरण
आईएसआईएन (इकिटी)	INE0J1Y01017
स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता	निगम के इकिटी शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का पता नीचे दिया गया है: बीएसई लिमिटेड: फिरोज जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड: एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
सूचीबद्धता फीस का भुगतान	बीएसई और एनएसई को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता का भुगतान निगम द्वारा किया गया है।

(घ) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और शेयर हस्तांतरण प्रणाली:

विवरण	संक्षिप्त विवरण
रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट	निगम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। सभी शेयरों के हस्तांतरण और संबंधित संचालन आरटीए द्वारा संभाले जाते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इकाई: भारतीय जीवन बीमा निगम, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032. ईमेल पता: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com टोल फ्री नंबर: 1800-309-4001 व्हाट्सएप नंबर: (91) 910 009 4099 KPRISM तक पहुंचने के लिए QR कोड: 
शेयर हस्तांतरण प्रणाली	समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 40(1) के अनुसरण में, शेयरों का हस्तांतरण, संचरण और स्थानांतरण केवल अभौतिकीकृत रूप में ही प्रभावी होगा। हालांकि, निवेशकों को भौतिक रूप से शेयर रखने से रोक नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक रूप में शेयरों को रखने से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपनी होल्डिंग्स को अभौतिकीकृत रूप में बदलने पर विचार करें।

विवरण	संक्षिप्त विवरण
	30 जनवरी, 2026 के सेबी परिपत्र एवं 25 जनवरी, 2022 के परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियां शेयरधारकों से किसी भी सेवा अनुरोध जैसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, पृष्ठांकन, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, आदि जारी करने के लिए केवल अभौतिकीकृत रूप में प्रतिभूतियां जारी करेंगी। सेवा अनुरोध करने से पहले निवेशकों के पास एक डीमैटरियलाइजेशन (डीमैट) खाता होना आवश्यक है। डीमैट खाते की नवीनतम क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल), जो दो महीने से अधिक पुरानी नहीं है और डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) द्वारा विधिवत सत्यापित और विधिवत भरी गई डीमैट कन्वर्जन अनुरोध फॉर्म निवेशक द्वारा आरटीए को सेवा अनुरोध के साथ प्रस्तुत की जाएगी। आरटीए/जारीकर्ता कंपनी आपत्ति, यदि कोई हो, को हटाने के बाद इस तरह के अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अनुरोध को सत्यापित और संसोधित करने के बाद, प्रतिभूति धारक/दावेदार के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के सीधे क्रेडिट के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम में डीमैट रूपांतरण अनुरोध शुरू करेगी। डीमैट रूपांतरण अनुरोध की पुष्टि के बाद, डिपॉजिटरी/आरटीए/सूचीबद्ध कंपनियां प्रतिभूतियों के सफल डीमैटरियलाइजेशन के संबंध में सुरक्षा धारक/दावेदार को एक सूचना भेजेंगी।

(ड) शेयरों और तरलता का अभौतिकीकरण

निगम के इक्विटी शेयरों का नियमित रूप से एनएसई और बीएसई पर अभौतिकीकृत रूप में कारोबार किया जाता है। 31 मार्च, 2026 को, दो शेयरों को छोड़कर निगम के सभी इक्विटी शेयर अभौतिकीकृत रूप में रखे गए हैं।

31 मार्च, 2026 को निगम के इक्विटी शेयरों को रखने के तरीके का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का %
एनएसडीएल में डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में रखा गया	626,70,40,904	99.08
सीडीएसएल में डीमैटरियलाइज्ड रूप में रखा गया	5,79,56,795	0.92
भौतिक	2	0.00
कुल*	632,49,97,701	100.00

* 01 जून, 2026 को बोनस इक्विटी शेयरों के आवंटन होने पर निगम के प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले जारी, चुकता और सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या 632,49,97,701 से बढ़कर 1264,99,95,402 हो गई है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर निगम के इक्विटी शेयरों में औसत दैनिक ट्रेडिंग का सारांश नीचे दिखाया गया है:

विवरण	औसत कारोबार किए गए शेयरों की संख्या	शेयरों की औसत वैल्यू (₹ करोड़ में)
बीएसई	85,849	7.52
एनएसई	12,93,249	113.68
कुल	13,79,098	121.20

(च) अन्य जानकारी

विवरण	संक्षिप्त विवरण
बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:	निगम के द्वारा ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं।
कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां	निगम के लिए लागू नहीं है क्योंकि निगम न तो कोई वस्तु व्यवसाय करता है और न ही विदेशी मुद्राओं के लिए कोई जोखिम है जिसके लिए किसी भी हेजिंग रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
संयंत्र का स्थान	चूंकि निगम जीवन बीमा के व्यवसाय में है, इसलिए संयंत्र के स्थान के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
पत्राचार के लिए पता	वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रश्नों के लिए: श्री सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, “योगक्षेम”, तीसरी मंजिल, वेस्ट विंग, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र ईमेल पता: cfo@licindia.com दूरभाष संख्या: 022-2202-8086 वेबसाइट: www.licindia.in संस्थागत निवेशकों के प्रश्नों/पत्राचार के लिए: श्री संजय आर. बजाज प्रमुख (निवेशक संबंध), भारतीय जीवन बीमा निगम, “योगक्षेम”, तीसरी मंजिल, वेस्ट विंग, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र ईमेल पता: investorrelations@licindia.com दूरभाष संख्या: 022 - 22842404 वेबसाइट: www.licindia.in शेयरों/लाभांश/सचिवीय अनुपालन से संबंधित प्रश्नों के लिए: श्री अंशुल कुमार सिंह कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम, “योगक्षेम”, सातवीं मंजिल, ईस्ट विंग, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र ईमेल पता: investors@licindia.com दूरभाष संख्या: 022-2202-2079 वेबसाइट: www.licindia.in
संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, ऐसी इकाई के सभी ऋण साधनों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी भी योजना या प्रस्ताव के लिए, जिसमें धन जुटाना शामिल है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में।	लागू नहीं

(छ) निगम का शेयरधारिता विवरण:

(i) इक्विटी शेयरधारिता का वितरण: 31 मार्च, 2026 को निगम की इक्विटी शेयरधारिता का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	श्रेणी (शेयर)	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1	1-5000	21,22,487	99.1201	734,21,335	1.1608
2	5001- 10000	10,759	0.5024	79,34,040	0.1254
3	10001- 20000	4,400	0.2055	62,46,916	0.0988
4	20001- 30000	1,373	0.0641	33,97,613	0.0537
5	30001- 40000	580	0.0271	20,36,529	0.0322
6	40001- 50000	449	0.021	20,72,697	0.0328
7	50001- 100000	598	0.0279	43,25,879	0.0684
8	100001 और उससे अधिक	682	0.0318	622,55,62,692	98.4279
	कुल*	21,41,328	100.000	632,49,97,701	100%

*01 जून, 2026 को बोनस इक्विटी शेयरों के आवंटन होने पर निगम के प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले जारी, चुकता और सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या 632,49,97,701 से बढ़कर 1264,99,95,402 हो गई है।

(ii) शेयरधारिता स्वरूप: 31 मार्च, 2026 को निगम का शेयरहोल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार है:

क्रमांक	शेयरधारकों की श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	610,36,22,781	96.500
2	निवासी व्यक्ति	10,97,49,357	1.735
3	म्यूचुअल फंड	5,91,93,823	0.936
4	विदेशी पोर्टफोलियो - कॉरपोरेशन	2,04,95,977	0.324
5	निकाय कॉर्पोरेट	1,39,48,874	0.221
6	एच यू एफ	33,54,844	0.053
7	अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय	32,98,010	0.052
8	क्यूआईबी - पेंशन फंड	31,18,653	0.049
9	राष्ट्रीयकृत बैंक	30,61,956	0.048
10	योग्य संस्थागत खरीदार	24,80,240	0.039
11	अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय	17,16,671	0.027
12	वैकल्पिक निवेश कोष	3,78,777	0.006
13	ट्रस्ट	3,29,945	0.005
14	एनबीएफसी	1,23,443	0.002
15	अन्य बैंक	1,21,443	0.002
16	समाशोधन सदस्य	2,510	0.000
17	निदेशकों	288	0.000
18	भारतीय वित्तीय संस्थान	109	0.000
	कुल*	632,49,97,701	100

*01 जून, 2026 को बोनस इक्विटी शेयरों के आवंटन होने पर निगम के प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले जारी, चुकता और सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या 632,49,97,701 से बढ़कर 1264,99,95,402 हो गई है।

(ज) सामान्य बैठकें/पोस्टल बैलेट:

i. पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों और वहां पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:

सामान्य बैठक	वित्तीय वर्ष	सामान्य बैठक कार्यक्रम-स्थल	सामान्य बैठक की तारीख	बैठक का समय	विशेष प्रस्ताव पारित
दूसरी	2022-23	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। अन्य ऑडियो-विजुअल साधन; डीमड स्थान: निगम का केंद्रीय कार्यालय	अगस्त 22, 2023	11:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया
तीसरी	2023-24		अगस्त 22, 2024	11:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	
चौथी	2024-25		अगस्त 26, 2025	11:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	

ii. क्या पिछले साल पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था-मतदान पैटर्न का विवरण:

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से निगम द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। हालांकि, 13 अप्रैल, 2026 को पोस्टल बैलेट नोटिस के माध्यम से विशेष प्रस्तावों सहित निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:

मतदान के लिए पात्र सदस्यों के निर्धारण के लिए कट ऑफ तिथि	बुधवार, अप्रैल 15, 2026		
रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी	नेशनल सिब्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (“एनएसडीएल”)		
प्रेषण तिथि सूचना	शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026		
रिमोट ई-वोटिंग अवधि	शनिवार, 18 अप्रैल, 2026 को 0900 बजे शुरू हुआ और रविवार, 17 मई, 2026 को शाम 1700 बजे समाप्त हुआ		
डाक मतपत्र के माध्यम से पारित प्रस्ताव	संकल्प का विवरण	मतदान पैटर्न	
		पक्ष में वोट का प्रतिशत	इसके विरुद्ध प्रतिशत वोट
	बोनस शेयर जारी करना (विशेष संकल्प)	99.9998%	0.0002%
	निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री महालिंगम जी (गुरुमूर्ति महालिंगम) (डीआईएन: 09660723) की पुनर्नियुक्ति। (विशेष संकल्प)	99.7881%	0.2119%
	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी (डीआईएन: 00125299) की निगम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति। (विशेष संकल्प)	99.9687%	0.0313%
	निगम के सरकारी नामित निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन: 07780142) की नियुक्ति। (साधारण संकल्प)	99.7927%	0.2073%
	निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रामकृष्णन चंदर (डीआईएन: 11331783) की नियुक्ति। (साधारण संकल्प)	99.7957%	0.2043%

श्री एस.एन. विश्वनाथन (एफसीएस 13685 और सीओपी नंबर 24335), प्रबंध भागीदार, मेसर्स एस.एन. अनंतमुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र आयोजित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। संवीक्षक ने मतदान परिणामों के साथ 18 मई, 2026 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/fy-2026-27> पर उपलब्ध है। यह प्रस्ताव 17 मई, 2026 को अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया था।

पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों (“एसएस-2”) पर सचिवीय मानक, जिसमें किसी भी सांविधिक संशोधन, संशोधन, स्पष्टीकरण (ओं), प्रतिस्थापन (ओं) या पुनः अधिनियमन (ओं) शामिल हैं, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (“एमसीए”), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के अनुपालन में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से सामान्य बैठकें आयोजित करने/डाक मतपत्र प्रक्रिया का संचालन करने के लिए (“रिमोट ई-वोटिंग”) सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 को इस संबंध में जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्रों (“एमसीए परिपत्र”) के साथ पढ़ा गया और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, निगम के सदस्यों का अनुमोदन 13 अप्रैल, 2026 को पोस्टल बैलेट नोटिस के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर प्राप्त किया गया था रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से।

तदनुसार, 13 अप्रैल, 2026 के पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों को 17 मई, 2026 को अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया।

iii. क्या पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव प्रस्तावित है:

बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख की स्थिति के अनुसार, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(झ) अस्वामिक डीमैट उचंत खाते में अस्वामिक/अवैतनिक लाभांश और इक्विटी शेयर:

(i) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश और संबंधित शेयरों का हस्तांतरण:

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28सी (5) में प्रावधान है कि अवैतनिक लाभांश खाते में भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावा न की गई और अवैतनिक राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (“आईईपीएफ”) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (6) के अनुसार, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है, उन्हें निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (“आईईपीएफ”) के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा।

“आईईपीएफ” में हस्तांतरण की नियत तारीख के साथ दावा न किए गए लाभांश के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	लाभांश का प्रकार	प्रति शेयर लाभांश (₹)	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तारीख
2021-22	अंतिम	₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर	सितम्बर 27, 2022	अक्टूबर 26, 2029
2022-23	अंतिम	₹ 3.00 प्रति इक्विटी शेयर	अगस्त 22, 2023	सितम्बर 20, 2030
2023-24	अंतःकालीन	₹ 4.00 प्रति इक्विटी शेयर	फरवरी 08, 2024	08 मार्च, 2031
	अंतिम	₹ 6.00 प्रति इक्विटी शेयर	अगस्त 22, 2024	सितम्बर 20, 2031
2024-25	अंतिम	₹ 12.00 प्रति इक्विटी शेयर	अगस्त 26, 2025	सितम्बर 24, 2032

जिन सदस्यों का लाभांश भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश खाते में पड़ा है, उनकी सूची निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/unclaimed-dividend-detail> पर उपलब्ध है।

(ii) अस्वामिक डीमैट उचंत खाता:

सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के भाग एफ के साथ पठित विनियमन 34(3) के संदर्भ में, निगम के पास मार्च 31, 2026 तक डीमैट उचंत अकाउंट या अस्वामिक डीमैट उचंत अकाउंट में अपने इक्विटी शेयर नहीं हैं। तथापि, बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि की स्थिति के अनुसार, बोनस निर्गम के लिए अस्वामिक शेयरों डीमैट उचंत खाते के अंतर्गत पड़े इक्विटी शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत में बकाया शेयर	शून्य	शून्य
2	वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान डीमैट उचंत खाते में हस्तांतरित शेयरों की संख्या	55	2823
3	वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए निगम से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
4	डीमैट उचंत खाते से संबंधित शेयरधारकों को हस्तांतरित शेयरों की संख्या	0	0
5	जून 24, 2026 तक डीमैट उचंत अकाउंट में पड़े बकाया शेयर	55	2823*

*इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक रूके रहेंगे जब तक कि इनके असली मालिक इन शेयरों पर अपना दावा न कर दें।

(ज) संचार के साधन:

प्रभावी संचार मजबूत निगमित शासन के लिए मौलिक है। यह निगम और उसके हितधारकों के बीच सूचनाओं, विचारों और रणनीतिक दिशा का पारदर्शी और समय पर आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है, जिससे प्रबंधन और शेयरधारकों के बीच विश्वास मजबूत होता है और सार्थक जुड़ाव सक्षम होता है।

निगम हितधारकों को अपने प्रदर्शन, संचालन और भविष्य के दृष्टिकोण पर सटीक, व्यापक और समय पर जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता हितधारकों को सूचित मूल्यांकन और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, निगम नियमित रूप से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों, रणनीतिक प्राथमिकताओं, वित्तीय प्रदर्शन, शासन प्रथाओं और अन्य महत्वपूर्ण विकासों पर अपडेट साझा करता है। निगम की वेबसाइट (www.licindia.in) एक केंद्रीय और विश्वसनीय संचार मंच के रूप में कार्य करती है, जो हितधारकों को प्रमुख निगमित जानकारी तक आसान और निरंतर पहुंच प्रदान करती है।

वेबसाइट में निगम के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, शासन ढांचे, नियामक प्रकटीकरण, निवेशक-संबंधित जानकारी और हाल की प्रेस विज्ञप्ति पर विस्तृत जानकारी है, जिससे स्पष्ट और पारदर्शी संचार की सुविधा मिलती है।

निवेशक संबंध टीम प्रश्नों का समाधान करके और प्रासंगिक जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित करके विश्लेषकों और निवेशकों के साथ जुड़ने में सक्रिय भूमिका निभाती है। कोई भी जानकारी जो निगम के शेयर की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती है, लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रकट की जाती है और तुरंत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को सूचित की जाती है।

इसके अलावा, प्रेस विज्ञप्ति, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग और विश्लेषकों और निवेशकों को दी गई प्रस्तुतियाँ नियमित रूप से निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। सूचीबद्धता विनियमों के तहत अनिवार्य वित्तीय प्रकटीकरण और अनुपालन फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से एनएसई और बीएसई को सबमिट किए जाते हैं और उनकी संबंधित वेबसाइटों के साथ-साथ निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे जानकारी तक व्यापक और सुसंगत पहुंच सुनिश्चित होती है।

i. त्रैमासिक परिणाम:

निगम के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम अंग्रेजी में एक प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार समाचार पत्र - बिजनेस स्टैंडर्ड, और एक मराठी समाचार पत्र - नवशक्ति में प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड के हिंदी संस्करण में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

ii. वेबसाइट:

सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियमन 46 के अनुसार, निगम की वेबसाइट यानी www.licindia.in में एक समर्पित खंड निवेशक संबंध है जो विभिन्न हितधारकों के लिए रुचि की जानकारी प्रदर्शित करता है।

iii. समाचार/प्रेस विज्ञप्ति:

निगम के प्रमुख विकास से संबंधित आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती हैं, और इन्हें निगम की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाता है।

iv. संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों के लिए प्रस्तुति:

निगम प्रत्येक तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस बैठक और निवेशक/विश्लेषक कॉल आयोजित करता है, जो सभी शेयरधारकों और आम जनता के लिए सुलभ है। निगम अपनी वार्षिक आम बैठक भी आयोजित करता है, जो सभी शेयरधारकों के लिए सुलभ है। इन घटनाओं का विवरण स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित किया जाता है और वेबसाइट पर अपडेट किया जाता है। इसके अलावा, निगम विश्लेषक द्वारा आयोजित विभिन्न निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेता है, जहां प्रबंधन के सदस्य और निगम के प्रतिनिधि निवेशकों के साथ आमने-सामने या समूह बातचीत के माध्यम से जुड़ते हैं। इस तरह की भागीदारी की जानकारी तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रसारित की जाती है और निगम की वेबसाइट पर अपडेट की जाती है।

6. वरिष्ठ प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' में प्रस्तुत किया गया है।

7. अन्य खुलासे

- क) **संबंधित पार्टी लेनदेन:** संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- ख) **पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर निगम द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निगम पर लगाए गए जुर्माना, सख्ती का विवरण:** पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में निगम द्वारा गैर-अनुपालन या स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निगम पर लगाए गए जुर्माने और/या सख्ती का कोई दृष्टांत सामने नहीं आया है।
- ग) **सतर्कता तंत्र/सूचना प्रदाता नीति सतर्कता:** सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति के संबंध में विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- घ) **अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण:** निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17 से 27 और विनियम 46 (2) (एबी) से 46 (2)(i) में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है:

- 28 जनवरी, 2026 को स्वतंत्र निदेशक श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल का कार्यकाल पूर्ण होने पर, निगम सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1)(ए) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जो यह निर्धारित करता है कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी।
- 28 अप्रैल, 2026 को दो स्वतंत्र निदेशकों का दूसरा कार्यकाल पूर्ण होने पर, निगम सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1)(बी) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, जो यह निर्धारित करता है कि यदि निगम के पास नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, तो निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या आधी होगी।

निगम ने 29 जनवरी, 2026 और 29 अप्रैल, 2026 के अपने पत्रों के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") से सेबी सूचीबद्धता विनियमों के सख्त प्रवर्तन से छूट मांगी थी, जिसमें अधिनियमों, नियमों, विनियमनों के किसी भी प्रावधान शामिल हैं, जिसके तहत सूचीबद्ध इकाई स्थापित है या सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 102 के तहत शासित है।

सेबी ने 13 फरवरी, 2026 और 01 मई, 2026 के अपने पत्रों के माध्यम से निगम को क्रमशः 29 जनवरी, 2026 और 29 अप्रैल, 2026 से छह महीने की अवधि के लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17(1)(ए) और विनियमन 17(1) (बी) के प्रावधान के सख्त प्रवर्तन के लिए छूट दी है।

निगम ने सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची II के भाग ई को निर्धारित करने वाले निगमित शासन से संबंधित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का भी पालन किया है, जहां तक संभव हो:

क्रमांक	विवेकाधीन आवश्यकताएं	दर्जा
1	एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दे सकता है।	लागू नहीं
2	पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को भेजी जा सकती है।	तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रसारित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और समय पर प्रकटीकरण के सिद्धांतों को कायम रखती है, यह सुनिश्चित करता है कि शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को अच्छी तरह से सूचित किया जाए।
3	सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है।	निगम के लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय के साथ एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है
4	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अलग पद सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष - (अ) एक गैर-कार्यकारी निदेशक बनें; तथा (आ) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित रिश्तेदार शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं होना चाहिए।	एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(E)(ii) के अनुसार, निदेशक मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नामित या नामित किए जाने वाले गैर-कार्यकारी निदेशकों में से की जाएगी। आज तक, केंद्र सरकार ने निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसी गैर-कार्यकारी निदेशक को नामित नहीं किया है, इसलिए, निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. दुरैस्वामि निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं।
5	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है।	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।
6	बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों के स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करने का प्रयास करेंगे और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे।	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम के स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गईं। स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों की उपस्थिति इस रिपोर्ट में प्रासंगिक स्थान पर प्रदान की गई है।

ड) विनियम 32 (7क) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अधिमानी आवंटन अथवा योग्य संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का व्यौरा वित्तीय: वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने अधिमानी आवंटन अथवा अर्हताप्राप्त संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है।

- च) कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है: सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, मैसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि निगम के किसी भी निदेशक को सेबी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'च' के रूप में संलग्न है।
- छ) जहां बोर्ड ने निदेशक मंडल की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से आवश्यक है, उसके कारणों के साथ इसका खुलासा किया जाना चाहिए: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मंडल समितियों द्वारा निदेशक मंडल को की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद स्वीकार कर लिया गया था।
- ज) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है – सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण अनुसूची 3 और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में दिया गया है।
- झ) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का ब्यौरा: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण से संबंधित विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- ञ) सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 'फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं' का प्रकटीकरण: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, किसी भी फर्म/कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया जिसमें निदेशक रुचि रखते थे।
- ट) सूचीबद्ध इकाई की सामग्री सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख सहित: निगम ने सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16 के संदर्भ में महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों (भारत के भीतर और भारत के बाहर) का निर्धारण करने के लिए एक नीति तैयार की है और 31 मार्च 2026 को निगम की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनियां नहीं हैं।
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनी (भारत के भीतर और भारत के बाहर) का निर्धारण करने की नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उक्त नीतियों का लिंक इस वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर अनुलग्नक 'I' में दिया गया है।
- ठ) विनियम, 2015 के विनियमन 30ए के अनुसार शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, सूचीबद्ध इकाई या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या सूचीबद्ध इकाई के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ किए गए समझौते, अकेले या संयुक्त रूप से, जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिसका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या सूचीबद्ध इकाई पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई दायित्व बनाना: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है।
- ड) सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के खंड C के उप पैरा (2) से (10) की निगमित शासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना: निगम ने लागू सीमा तक सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित निगमित शासन रिपोर्ट की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

अनुलग्नक 'क'

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं),
विनियम, 2015 की अनुसूची V के अनुसार घोषणा

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि निगम के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(आर. दुरैस्वामि)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 24 जून, 2026

अनुलग्नक 'ख'

31 मार्च 2026 को वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक (एसएमपी) का विवरण

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का नाम	पदनाम
श्री संजय कुमार बजाज	प्रमुख (निवेशक संबंध)
श्री सलिल विश्वनाथ	कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन विकास / आरटीआई)
श्री हेमंत बुच	कार्यकारी निदेशक (विपणन-बैंकशॉरेंस और वैकल्पिक चैनल)
श्री पान सिंह नेगी	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
श्री अनिर्बान सरकार	कार्यकारी निदेशक (निरीक्षण/विशेष परियोजना/नव व्यवसाय एवं पूर्णबीमा/स्वास्थ्य बीमा)
श्री महताबुजमान	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद
श्री जगत सिंह टोलिया	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
श्रीमती मीनू सरकार	कार्यकारी निदेशक (पेंशन और समूह योजना/सूचना प्रौद्योगिकी/ग्राहक संबंध प्रबंधन)
श्रीमती प्रतिभा सिंह	कार्यकारी निदेशक (संपर्क)
श्री जतिन्दर पाल सिंह बजाज	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
सुश्री रोसलीन कुरियन	कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान/रणनीति/कॉर्पोरेट योजना/नई परियोजना)
श्री शेषगिरिधर कुप्पोली	कार्यकारी निदेशक (पेंशन और समूह योजना)
श्री कोठानरमन मुरलीधर	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
श्री शुभाशीष दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक (कार्यालय सेवा/मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)
श्री सुधांशु शेखर	कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी/डिजिटल परिवर्तन)
श्रीमती शोभा सुलोचना	कार्यकारी निदेशक (ग्राहक संबंध प्रबंधन/नीति सर्विसिंग)
श्री सनोज कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई
श्रीमती मीता खरे	कार्यकारी निदेशक (संपदा)
श्री धर्म पाल	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
श्री अनुपम जिंदल	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता
श्रीमती वंदना सिन्हा	कार्यकारी निदेशक (ग्राहक संबंध प्रबंधन/दावा/वार्षिकी)
श्री पुनीत कुमार सिंघल	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद
श्रीमती बिंदु पॉल	कार्यकारी निदेशक (निवेश-मध्य कार्यालय)
श्री प्रदीप प्रभाकर केलकर	कार्यकारी निदेशक (लेखा परीक्षा)

वर्ष 2025-26 के दौरान परिवर्धन

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का नाम	31 मार्च, 2026 को पदनाम	व. प्र. का. के रूप में प्रवेश की तिथि
श्रीमती रश्मि भटनागर	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल	28 अप्रैल 2025
श्री प्रदीप कुसुम जोसेफ डुंगुंग	कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग)	21 अप्रैल 2025
श्री विनोद कुमार	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम	11 अप्रैल 2025
श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (निवेश बैंक ऑफिस)	07 अप्रैल 2025

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का नाम	31 मार्च, 2026 को पदनाम	व. प्र. का. के रूप में प्रवेश की तिथि
श्री परमेन्द्र हरि	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	10 अप्रैल 2025
श्री एस वी के रंगा राव	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पुणे	17 अप्रैल 2025
श्री सिद्धीकी फैसल एजाज़	कार्यकारी निदेशक (वरिष्ठ व्यापार सहयोगी/पुनः निवेश)	08 अप्रैल 2025
श्री विवेक पॉल	निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई	09 अप्रैल 2025
श्री सुरेंद्र एस चपलोट	कार्यकारी निदेशक (व्यवसाय विकास और बीमा सखी/सीएलआईए)	15 अप्रैल 2025
श्री चेन्दुरनाथन लोगानाथन	कार्यकारी निदेशक (विधि)	23 अप्रैल 2025
श्री प्रदीप शेनॉय	कार्यकारी निदेशक (निगमित संप्रेषण)	25 अप्रैल 2025
श्री उत्थुप जोसेफ	कार्यकारी निदेशक (सहायक और अंतर्राष्ट्रीय संचालन)	16 अप्रैल 2025
श्रीमती रश्मि सिंह	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)	08 अप्रैल 2025
श्री आर राजेश	कार्यकारी निदेशक (डिजिटल विपणन)	11 अप्रैल 2025
श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल	कार्यकारी निदेशक (विपणन/उत्पाद विकास)	09 अप्रैल 2025
श्री जोस जॉर्ज	प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नई	09 फरवरी 2026
श्री जयसिम्हन माडभुशी मठम तिरुमला	प्रमुख (प्रभारी) (बोर्ड और सचिवीय)	16 अप्रैल 2025
श्रीमती नीलम कुजू	प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, जमशेदपुर	05 जनवरी 2026

वर्ष 2025-26 के दौरान बाहर जानेवाले कार्मिक

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का नाम	बाहर निकलने के समय पदनाम	निकासी का कारण	निकासी की तिथि
श्री रामकृष्णन चंद्र	कार्यकारी निदेशक (निवेश-फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त	01 दिसंबर 2025
श्री सुधाकर रविन्द्रनाथ	कार्यकारी निदेशक (विपणन/उत्पाद विकास)	सेवानिवृत्ति	30 सितंबर 2025
श्री बलिराम बापुराओ जाधव	कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग)	सेवानिवृत्ति	31 मई 2025
श्रीमती शांता वर्की	कार्यकारी निदेशक (निरीक्षण)	सेवानिवृत्ति	31 मई 2025
श्री अतनु सेनगुप्ता	निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई	सेवानिवृत्ति	30 अप्रैल 2025
श्री चंद्र नरसिम्हन	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नई	सेवानिवृत्ति	31 जनवरी 2026
श्री राजेश कुमार	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गुरुग्राम	सेवानिवृत्ति	31 दिसंबर 2025
श्री वेरंदानी घनशाम देऊमल	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, पुणे	सेवानिवृत्ति	30 जून 2025
श्री कुलदीप टिक्कू	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल	सेवानिवृत्ति	31 मई 2025

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का नाम	बाहर निकलने के समय पदनाम	निकासी का कारण	निकासी की तिथि
श्री सुभाष चन्द्र	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, आगरा	सेवानिवृत्ति	31 मार्च 2026
श्री आर्य लाहिरी	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता	सेवानिवृत्ति	31 अगस्त 2025
श्री अशोक के आर	कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक/प्रशासन/आईटी कार्यान्वयन)	सेवानिवृत्ति	31 मई 2025
श्री राजेश ऐलावादी	कार्यकारी निदेशक (विधि)	सेवानिवृत्ति	31 दिसंबर 2025
श्री वेंकटरमणन गोपाल	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	सेवानिवृत्ति	31 जुलाई 2025
श्री श्रवण कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	सेवानिवृत्ति	30 सितंबर 2025
श्री वेंकट रमण चिलाका	कार्यकारी निदेशक (नया व्यवसाय और पुनर्बीमा/स्वास्थ्य बीमा)	सेवानिवृत्ति	31 मार्च 2026
श्रीमती गीता प्रभाकरन	कार्यकारी निदेशक (सहायक कंपनियां)	सेवानिवृत्ति	31 मार्च 2026
श्री आदित्य गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट संचार)	सेवानिवृत्ति	31 अक्टूबर 2025
श्री प्रताप चंद्र पाइकरे	कार्यकारी निदेशक (मुख्य जीवन बीमा सलाहकार)	सेवानिवृत्ति	31 जनवरी 2026
श्रीमती बिचित्रा महापात्रा	कार्यकारी निदेशक (सूचना का अधिकार)	सेवानिवृत्ति	31 दिसंबर 2025

नोट: सभी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में उचित स्थान पर दिया गया है।

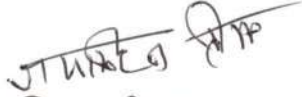


आईआरडीएआई के (बीमाकर्ताओं के लिए निगमित शासन) विनियम, 2024 (यथा संशोधित) पर प्रधान परिपत्र के खंड 10.3 (बी) के तहत प्रमाणन

मैं, जयसिम्हन् टीएमएम, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने आईआरडीएआई के (बीमाकर्ताओं के लिए निगमित शासन) विनियम, 2024 और उसके तहत जारी परिपत्र (लागू सीमा तक) का पालन किया है।

कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए


(जयसिम्हन् टीएमएम)

कार्यकारी अधिकारी (बोर्ड एवं सचिवीय/ विनियामक अनुपालन) और
मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान: मुंबई

दिनांक: 24 जून, 2026

केंद्रीय कार्यालय, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.
दूरभाष : 66598000

Central Office, "Yogakshema," Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.
Tel. : 66598000

अनुलग्नक 'घ'



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,
Thane (W) – 400 601
T: +91 99878 91740
E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net
ICSI Unique Code: P1991MH040400

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, 2015 के विनियम 24 - के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियों (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय जीवन बीमा निगम
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई - 400021.

हमने भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद इसे 'निगम' कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित की गई थी जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

निगम की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं (minute books), दायर किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा निगम द्वारा बनाए रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान निगम, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा प्रतिवेदन करते हैं कि हमारी राय में, निगम ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके अलावा निगम के पास इसके बाद की जाने वाली रिपोर्टिंग के अधीन, उस सीमा तक और उस तरीके से उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं।

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, दायर किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम- निगम पर लागू सीमा तक;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एस सी आर ए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप-नियम
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक लागू नहीं
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजीका निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 - लागू नहीं, क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई रिपोर्ट करने योग्य घटना नहीं थी;
- घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-पूँजी विनियम, 2021 - लागू नहीं, क्योंकि निगम ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त विनियमों के तहत निदेशकों/कर्मचारियों को कोई शेयर/विकल्प जारी नहीं किए हैं;
- ङ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 2025 - लागू नहीं, क्योंकि निगम समीक्षाधीन अवधि के दौरान (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट) के रूप में पंजीयक नहीं है।
- च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता) विनियम, 2021 - लागू नहीं, क्योंकि निगम ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी प्रतिभूति विनियम केन्द्र से अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध नहीं किया है / सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है;
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का वापसखरीद) विनियम, 2018 - लागू नहीं, क्योंकि निगम ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने प्रतिभूतियों का वापसखरीद नहीं किया है / वापसखरीद करने का प्रस्ताव नहीं किया है;
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 - लागू नहीं, क्योंकि निगम ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिभूति विनियम केन्द्र में कोई गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी और सूचीबद्ध नहीं की हैं;
- झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015
- vi. प्रबंधन ने निम्नलिखित कानूनों की पहचान की है और पुष्टि की है जो विशेष रूप से निगम पर लागू होते हैं:
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (जीवन बीमा निगम अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम,
 - बीमा अधिनियम, 1938 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम (उस सीमा तक जहाँ तक वे जीवन बीमा निगम अधिनियम के अनुरूप हैं)
 - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम और दिशानिर्देश, (उस सीमा तक जहाँ तक वे जीवन बीमा निगम अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं)
 - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियम।
- हमने निम्नलिखित के लागू खंड के अनुपालन की भी जांच की है:
- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (SS-1) और आम बैठकों (SS-2) के संबंध में सचिवीय मानक (Secretarial Standards);
 - प्रतिभूति विनियम केन्द्र के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- निगम का निदेशक मंडल गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, जिसमें कम से कम एक *महिला स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, के। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे लागू अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- *सुश्री अंजुली चिब दुगल अपना कार्यकाल समाप्त होने पर 28 जनवरी 2026 से निगम की स्वतंत्र निदेशक नहीं रहीं। निगम द्वारा महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 17 (1) (ए) की प्रयोज्यता से छूट की मांग करने वाले एक आवेदन पर, सेबी ने 13 फरवरी 2026 के पत्र के माध्यम से 29 जनवरी, 2026 से 28 जुलाई, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए छूट प्रदान की है।
- बोर्ड बैठकों / समिति बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, बैठक से सात दिन पहले एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट्स भेजे गए थे, सिवाय उन मामलों के जहां कम समय में नोटिस की सूचना, एजेंडा और एजेंडा नोट्स प्रसारित करने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त हुई थी।

- बैठक से पहले कार्यसूची मर्दों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।
- बोर्ड और समिति की बैठक के सभी निर्णय आवश्यक बहुमत के साथ लिए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निगम द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और मुख्य अनुपालन अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से कंपनी सचिव द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्रों) के आधार पर, जो कि निगम/सहायक कंपनियों के सभी विभागों से प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्रों पर आधारित हैं और निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक (बैठकों) में रिकॉर्ड पर लिए गए हैं, हमारी राय है कि निगम में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए निगम के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान ऊपर संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निगम के मामलों पर बड़ा प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां नहीं हुईं।

इस रिपोर्ट को हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक 'अ' (Annexure A) के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी

कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P1991MH040400

हिस्सेदार (PARTNER) । एफ.सी.एस.: 4206 । सीओपी नं.: 1774

सहकर्मी समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन (S. N. Ananthasubramanian)

संस्थापक हिस्सेदार (Founding Partner)

एफ.सी.एस.: 4206 । सीओपी नं.: 1774

आई.सी.एस.आई. यू.डी.आई.एन.: F004206H000425715

21 मई, 2026 । ठाणे



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,

Thane (W) – 400 601

T: +91 99878 91740

E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net

ICSI Unique Code: P1991MH040400

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक अ

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई – 400021

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी इसी तारीख की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय अभिलेखों को बनाए रखना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन निश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम करती हैं, यह निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालनों के संबंध में निगम द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों और क्रियाओं पर राय व्यक्त करना है।
- हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी लागू लेखापरीक्षा मानकों (Auditing Standards) के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है।
- हमारा मानना है कि निगम के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।
- जहाँ भी आवश्यक हो, हमने उचित आश्वासन प्राप्त किया है कि क्या निगम द्वारा बनाए गए सचिवीय लेखापरीक्षा के संबंध में तैयार किए गए विवरण, दस्तावेज या रिकॉर्ड गलत बयानी (misstatement) से मुक्त हैं।
- जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

अस्वीकरण (Disclaimer)

- सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता (viability) का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।
- हमने निगम के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी

कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P1991MH040400

हिस्सेदार (PARTNER) | एफ.सी.एस.: 4206 | सीओपी नं.: 1774

सहकर्मी समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन (S. N. Ananthasubramanian)

संस्थापक हिस्सेदार (Founding Partner)

एफ.सी.एस.: 4206 | सीओपी नं.: 1774

आई.सी.एस.आई. यू.डी.आई.एन.: F004206H000425715

21 मई, 2026 | ठाणे



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,
Thane (W) – 400 601
T: +91 99878 91740
E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net
ICSI Unique Code: P1991MH040400

निगमित शासन प्रमाण पत्र

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम,
2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा ई के अनुसार

1. पृष्ठभूमि

हमें भारतीय जीवन बीमा निगम ('निगम') ने 31 मार्च 2026 पर समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जैसा कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') में निर्धारित, निगम द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. प्रबंधन की जिम्मेदारी

सेबी सूचीकरण विनियमों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रबंधन इसकी निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएँ तैयार करेगा।

3. हमारी जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी निगम द्वारा अपनाई गई प्रणालियों, आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं की जांच करने और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है ताकि निगमित शासन की शर्तों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और उस पर रिपोर्ट दी जा सके।

4. कार्यप्रणाली

- 4.1. अपनी परीक्षा आयोजित करने के लिए, हमें जहाँ भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण सहित प्रासंगिक दस्तावेज और जानकारी प्रदान की गई थी।
- 4.2. हमारी जाँच इस तरह से आयोजित की गई थी जिसने हमें निगम द्वारा अपनाई गई प्रणालियों, आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए एक उचित आधार प्रदान किया था ताकि निगमित शासन की शर्तों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और उस पर प्रमाणित किया जा सके।

5. राय

उपरोक्त हमारी जाँच के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2026 के लिए सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का पालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

*सुश्री अंजुली चिब दुग्गल 28 जनवरी 2026 को अपने कार्यकाल के अंत के साथ निगम की स्वतंत्र निदेशक नहीं रहेंगी। निगम द्वारा महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 (1) (ए) की प्रयोज्यता से छूट की मांग करने वाले एक आवेदन पर, सेबी ने 13 फरवरी 2026 दिनांकित पत्र के माध्यम से 29 जनवरी, 2026 से 28 जुलाई, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए छूट दी है।

6. अस्वीकरण

- 6.1. हमने निगम के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
- 6.2. यह रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी

कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P1991MH040400

हिस्सेदार (PARTNER) | एफ.सी.एस.: 4206 | सीओपी नं.: 1774

सहकर्मी समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन (S. N. Ananthasubramanian)

संस्थापक हिस्सेदार (Founding Partner)

एफ.सी.एस.: 4206 | सीओपी नं.: 1774

आई.सी.एस.आई. यू.डी.आई.एन.: F004206H000426221

21 मई, 2026 | ठाणे

अनुलग्नक 'च'



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,
Thane (W) – 400 601
T: +91 99878 91740
E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net
ICSI Unique Code: P1991MH040400

निदेशकों के अयोग्यता का प्रमाणपत्र

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम
34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार

सेवा में,
भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई – 400021

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

- जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत आवश्यकता के अनुसार अयोग्यता की घोषणा;
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और जीवन बीमा निगम नियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार चिंता या ब्याज का प्रकटीकरण;

भारतीय जीवन बीमा निगम ('निगम'), जिसका पंजीकृत कार्यालय योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई 400021 में है, के निदेशकों द्वारा समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को प्रस्तुत किया गया और निगम द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म और रिटर्न और जैसा कि हमें इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराया गया है, जो कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार है। हमने विनियामक/सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा गैर-प्रतिबंध को शामिल करने के लिए गैर-अयोग्यता पर विचार किया है।

यह निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे लागू कानूनों के अनुसार पूरी और सही जानकारी के साथ प्रासंगिक दस्तावेज जमा करें।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करें।

उपरोक्त रूप में हमारी जांच और हमारे द्वारा किए गए ऐसे अन्य सत्यापनों के आधार पर जो आवश्यक और पर्याप्त माने जाते हैं (पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डी. आई. एन.) की स्थिति सहित, जहां भी उपलब्ध हो), हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और निगम, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर निगम के बोर्ड में किसी भी निदेशक को, जैसा कि यहां सूचीबद्ध किया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी ऐसे वैधानिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी. आई. एन.)	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	डॉ. रंजन शर्मा	09573799	29/10/2021	-
2	श्री विनोद कुमार वर्मा	09309031	29/10/2021	-

क्रमांक	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी. आई. एन.)	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
3	श्री (प्रो.) अनिल कुमार	09477565	20/01/2022	-
4	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	05264033	29/01/2022	28/01/2026
5	श्री महालिंगम जी.	09660723	29/01/2022	-
6	श्री राज कमल	07653591	29/01/2022	28/01/2026
7	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	00125299	29/01/2022	-
8	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	05170323	29/01/2022	28/01/2026
9	श्री सिद्धार्थ मोहंती	08058830	02/02/2021	07/06/2025
10	श्री जगन्नाथ एम	10090437	13/03/2023	31/05/2025
11	श्री तबलेश पांडे	10119561	01/04/2023	31/05/2025
12	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला	03609968	28/06/2023	17/04/2025
13	श्री सत पाल भानू	10482731	20/07/2023	31/12/2025
14	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	10358884	01/09/2023	-
15	डॉ. प्रशांत कुमार गोयल	08652921	17/04/2025	03/12/2025
16	श्री दिनेश पंत	11134993	01/06/2025	-
17	श्री रत्नाकर पटनायक	10283908	01/06/2025	
18	श्री रामकृष्णन चंदर	11331783	01/12/2025	
19	सुश्री शालिनी पंडित	07780142	03/12/2025	-

यह प्रमाणपत्र न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाण पत्र निगम के अनुरोध पर जारी किया गया है कि वह समाप्त वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 के लिए अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में खुलासा करे।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी

कंपनी सचिव

आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P1991MH040400

हिस्सेदार (PARTNER) | एफ.सी.एस.: 4206 | सीओपी नं.: 1774

सहकर्मी समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन (S. N. Ananthasubramanian)

संस्थापक हिस्सेदार (Founding Partner)

एफ.सी.एस.: 4206 | सीओपी नं.: 1774

आई.सी.एस.आई. यू.डी.आई.एन.: F004206H000426078

21 मई, 2026 | ठाणे

व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण:

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण:

1. सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
 - लागू नहीं
 - आईआरडीआई पंजीकरण संख्या - 512
2. सूचीबद्ध इकाई का नाम-
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा निगम अधिनियम - 1956 के तहत गठित)
3. निगमन का वर्ष-
 - 1956
4. पंजीकृत कार्यालय का पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
5. कॉर्पोरेट पता
 - केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
6. ई-मेल
 - ed_rns@licindia.com
7. दूरभाष
 - 022-22022615
8. वेबसाइट
 - www.licindia.in
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है
 - वित्तीय वर्ष 2025-26
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं
 - एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) और बीएसई लिमिटेड
11. चुकता पूंजी:
 - ₹ 6324.99 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 रुपये के कुल 6,32,49,97,701 शेयर हैं।
12. बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) -
 - सुश्री रोसलिन कुरियन/ 022-22022615 / ed_rns@licindia.com
13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एक स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया)
 - इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
14. आश्वासन प्रदाता का नाम: में. रमा के गुप्ता एंड कम्पनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
15. प्राप्त आश्वासन का प्रकार:
 - व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के लिए आश्वासन।

आश्वासन प्रदाता द्वारा जारी रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है

II. उत्पाद/सेवाएं

16 व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का%
1.	बीमा सेवाएं पेंशन और स्वास्थ्य (सहित)	जीवन बीमा	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान दिया
1.	जीवन बीमा	65110	100%

III. संचालन:

18. उन स्थानों की संख्या जहां संयंत्र और/या संस्था के संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	5,004	5,004
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	121*	121

* कुल कार्यालयों की संख्या (अंतराष्ट्रीय):

क्र. स.	इकाई	कॉर्पोरेट	शाखा कार्यालय
1	एलआईसी फ़िजी		1
2	एलआईसी मॉरीशस		1
3	एलआईसी यूके*		1
4	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी)#	1	4
5	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	1	76
6	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	1	23
7	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	1	9
8	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड।*	1	0
9	आई एफ एस सी इशोरेंस आफिस गिफ्ट सिटी गांधीनगर		1
कुल :		5	116
		121	

#एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन कंपनी जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) देशों बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (दुबई और अबू धाबी) में काम करती है;

* नव व्यवसाय के लिए बंद

19. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या)	36 (भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश)
अंतराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	10

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण

जीवन बीमा, निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हम विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की एक विस्तृत विविधता को पूरा करते हैं। जनसांख्यिकी, जरूरतों, वित्तीय लक्ष्यों आदि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर, ग्राहकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- अ. नियमित आय वाले व्यक्ति जीवन कवर, कर लाभ, बचत आदि की तलाश में हैं और जो एंडोमेंट, मनी बैक और टर्म प्लान पसंद करते हैं
- आ. स्व-नियोजित व्यवसाय के मालिक जो जोखिम कवर के साथ धन सृजन में रुचि रखते हैं, यूलिप और पेंशन योजनाओं के लिए प्राथमिकता के साथ लचीले प्रीमियम विकल्पों की तलाश करते हैं।
- इ. नाबालिग, छात्र और युवा पेशेवर: वे ज्यादातर टर्म या सरल एंडोमेंट प्लान द्वारा कवर किए जाते हैं और कम प्रीमियम की तलाश करते हैं
- ई. वरिष्ठ नागरिक: वे पेंशन योजनाओं की ओर देखते हैं और गारंटीकृत आय और दीर्घकालिक सुरक्षा चाहते हैं
- उ. समूह ग्राहक: उनमें कॉर्पोरेट ग्राहक, सरकारी संगठन, संघ, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। ग्रुप टर्म लाइफ, ग्रेच्युटी, सुपरएनुएशन, लीव एनकैशमेंट आदि मांगी जाने वाली योजनाओं के प्रकार हैं।
- ऊ. एनआरआई ग्राहक: वे भारत में पारिवारिक सुरक्षा के लिए जीवन बीमा लेते हैं, दीर्घकालिक बचत या टर्म प्लान पसंद करते हैं और हमें एक सुरक्षित और विश्वसनीय ब्रांड के रूप में देखते हैं।
- ऋ. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के ग्राहक: हमने पीएमजेबीवाई आदि जैसे सरकारी जनादेश के तहत उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें कम आय वाले समूहों के लिए किफायती बीमा दिया जाता है और किसानों, मजदूरों आदि के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।
- ए. उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति: वे एक अलग समूह हैं और बड़े कवरेज के साथ यूलिप, धन योजना या पेंशन योजनाओं जैसे निवेश उन्मुख योजनाओं की तलाश करते हैं।

IV. कर्मचारियों

20. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगजन सहित):

कर्मचारियों					
विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
		सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
स्थायी (डी)	84565	64161	75.87	20404	24.13
स्थायी के अलावा अन्य (ई)	13	12	92.31	1	7.69
कुल कर्मचारी (डी + ई)	84578	64173	75.87	20405	24.13
श्रमिक					
विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
		सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
स्थायी (फ)	निगम में श्रमिक वर्ग के कोई कर्मचारी नहीं है				
स्थायी (जी) के अलावा अन्य					
कुल कर्मचारी (फ + जी)					

ख. दिव्यांगजन कर्मचारी और कर्मी

क्रमांक	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिलाएं	
			सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांगजन कर्मचारी						
1.	स्थायी (डी)	888	723	81.42	165	18.58
2.	स्थायी (ई) के अलावा अन्य	0	0	0	0	0
3.	कुल अलग-अलग विकलांग कर्मचारी (डी+ई)	888	723	81.42	165	18.58

क्रमांक	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिलाएं	
			सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)
दिव्यांगजन कर्मचारी						
4.	स्थायी (एफ)	निगम में श्रमिक वर्ग के कोई कर्मचारी नहीं है				
5.	स्थायी (जी) के अलावा अन्य					
6.	कुल विकलांग कर्मचारी (एफ + जी)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	संख्या व महिलाओं का प्रतिशत	
		सं (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	10	1	10.00%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	10	0	0

* केएमपी में चार पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर: (पिछले 3 वर्षों के रुझानों का खुलासा करें)

	स्थायी कर्मचारियों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों का)								
	वित्त वर्ष 2025-26			वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	8.36	7.23	8.09	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54

नोट :

अ. निगम में कर्मचारियों का कोई वर्ग श्रमिक नहीं कहा जाता है।

आ. टर्नओवर दरों में सुपरएनुएशन नंबर भी शामिल हैं।

V. होल्टिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियां

23. (क) होल्टिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों के नाम

क्रमांक	होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों का नाम कॉलम 'अ'	इंगित करें कि होल्टिंग/सहायक/एसोसिएट	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम अ में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
अंतरराष्ट्रीय				
1	एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
2	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन	सहायक	99.66%	नहीं
3	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	सहायक	55%	नहीं
4	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	सहायक	97.22%	नहीं
5	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	83.33%	नहीं
राष्ट्रीय				
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
2	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	100	नहीं

क्रमांक	होलडिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों का नाम कॉलम 'अ'	इंगित करें कि होलडिंग/ सहायक/एसोसिएट	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम अ में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
3	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	49.24	नहीं
4	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	49.00	नहीं
5	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड.	सहयोगी	45.24	नहीं
6	एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	49.87	नहीं
7	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	29.84	नहीं
8	एलआईसी एचएफएल एएमसी लिमिटेड	सहयोगी	5.38	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)

- नहीं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना एलआईसी अधिनियम 1956 द्वारा की गई थी, जिसे भारत में जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार, एलआईसी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों द्वारा शासित कंपनी नहीं है। एलआईसी अधिनियम, 1956 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद भी निगम भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के दायरे से बाहर है।

हालांकि, सामाजिक ज़िम्मेदारी और राष्ट्र-निर्माण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, LIC ने साल 2006 में अपनी गोल्डन जुबली (स्वर्ण जयंती) के दौरान 'LIC गोल्डन जुबली फ़ाउंडेशन' की स्थापना की। यह फ़ाउंडेशन 'बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950' के तहत एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है और देश भर में अपनी मज़ी से समुदाय के विकास से जुड़े सार्थक काम कर रहा है।

यह फ़ाउंडेशन गरीबी और मुश्किलों को दूर करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, चिकित्सा सहायता और आम जनता के काम आने वाले प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों के लिए समर्पित है। लोगों पर केंद्रित अपने नज़रिए से, यह समाज के वंचित, हाशिए पर रहने वाले और कमज़ोर वर्गों की मदद करता है और सार्थक व टिकाऊ बदलाव लाने की कोशिश करता है।

फ़ाउंडेशन द्वारा शुरू की गई पहलें कई तरह की सामाजिक कल्याण गतिविधियों में फैली हुई हैं, जिनमें काबिल छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सहायता, ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक और कौशल विकास पहल, और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में मदद शामिल है। इन लगातार प्रयासों के ज़रिए, LIC गोल्डन जुबली फ़ाउंडेशन, LIC की करुणा, सेवा और समावेशी विकास व सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है।

फ़ाउंडेशन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 वाकई बहुत खास रहा है। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर खास ध्यान देते हुए कई अहम उपलब्धियां हासिल की गईं और समाज के लिए सार्थक पहल की गईं। अपनी लगन और पक्के इरादे से फ़ाउंडेशन ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और देश भर में कई लोगों की ज़िंदगी पर सकारात्मक असर डाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में हमारी पहलों ने स्थायी बदलाव लाए हैं और सबके साथ मिलकर विकास करने के हमारे मिशन को मज़बूत किया है। इस साल सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मंज़ूर किए गए - कुल 119 प्रोजेक्ट, जिनकी कीमत 77.74 करोड़ रुपये थी। स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा रकम, यानी 62.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। नई स्कॉलरशिप की संख्या तीन गुना बढ़कर 10,660 हो गई है। ये स्कॉलरशिप कमज़ोर परिवारों के होनहार छात्रों को दी जाती हैं, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकें। 2025-2026 में स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा रकम बांटी गई।

शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2026 तक, फ़ाउंडेशन ने 303 करोड़ रुपये के 1045 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें से 417 प्रोजेक्ट्स शिक्षा के क्षेत्र से, 437 स्वास्थ्य सेवा से और 191 प्रोजेक्ट्स आम जनता की भलाई से जुड़े हैं। फ़ाउंडेशन का सफ़र इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे मकसद के साथ किए गए काम समुदायों में बदलाव ला सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।

(ii) टर्नओवर (₹ में) – 536748.56 करोड़

(iii) नेट वर्थ (₹ में) – 175356.38 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2025-26			वित्त-वर्ष 2024-25		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
शेयरधारक	हां, कॉर्पोरेशन ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शेयरधारक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और प्रश्नों को हल करने में सहायता के लिए निगम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है। निगम के पास एक निर्दिष्ट ई-मेल आईडी (investors@licindia.com) है और शेयरधारकों के लिए एक पोर्टल भी है ताकि वे शिकायतें दर्ज कर सकें। निवेशक सहायता के लिए लिंक: https://licindia.in/investors-support	922	3	31.3.26 को लंबित 3 प्रश्न 01.04.26 को हल किया गया था	1671	1	वित्त वर्ष 31.3.25 को एक मात्र शिकायत का समाधान 1.4.25 को कर दिया गया
कर्मचारियों	हां, निगम ने शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली विकसित की है। इस उद्देश्य के लिए इंटरनेट पर ई-समाधान नामक एक पोर्टल जहां शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है जिसे कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाता है।	351	11	शून्य	369	12	वित्त वर्ष 2025-26 में सभी का समाधान कर दिया गया

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2025-26			वित्त-वर्ष 2024-25		
		चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
ग्राहकों	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	66,424	0		74,290	शून्य	
समुदायों	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
मूल्य श्रृंखला साझीदार	हां, मूल्य श्रृंखला भागीदार अपनी शिकायत, यदि कोई हो, निकटतम कार्यालय में तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं।	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अन्य-मंत्रालय	ईमेल के माध्यम से मंत्रालय का अनुपालन	141	1	अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया में है	168	1	एक मात्र लंबित शिकायत का समाधान वित्त वर्ष 2025-26 में किया गया

26. संस्थाके महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	नियामक और अनुपालन वातावरण	जोखिम और अवसर	विनियामक अनुपालन एलआईसी की कार्य नीति का एक अभिन्न अंग है। किसी भी लागू कानून का समय पर पालन न करने पर संभावित कानूनी कार्रवाई, प्रतिष्ठा को नुकसान या यहां तक कि वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। एलआईसी, एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने का प्रयास करती है।	एलआईसी के पास विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है जो विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करती है	पहचाने गए जोखिमों को संबोधित न करने के वित्तीय निहितार्थों में ग्राहक शिकायतों का समाधान करते समय विनियामकों या अन्य कानूनी मंचों से उत्पन्न दंड शामिल हो सकते हैं। नकारात्मक ग्राहक भावनाओं के कारण नए व्यवसाय के मोर्चे पर भी नुकसान हो सकता है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
			निर्धारित मानकों को अपनाकर हम मानते हैं कि हम अपने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी हितधारकों को प्रभावित करने वाले हमारे सभी नियम और विनियम कानूनी और विनियामक ढांचे के भीतर हों। एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में, हम आरटीआई दिशानिर्देशों से भी बंधे हैं जो जांच की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करते हैं।		विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करने से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हो सकती है, जिससे हमारी ग्राहक निष्ठा बढ़ेगी और बदले में हमारे ग्राहकों की निरंतरता और नए ग्राहकों की आमद बढ़ सकती है।
2	मानव पूंजी विकास	जोखिम और अवसर	अवसर: ज्ञान उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, हमारी मानव पूंजी ताकत और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का एक प्रमुख स्रोत है। निरंतर अप-स्किलिंग हमें अपनी नेतृत्व की स्थिति को मजबूत करने और उद्योग के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। जोखिम: वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और तेजी से बदलती विपणन स्थितियों में, प्रमुख प्रतिभाओं को बनाए रखना एक चुनौती है।	एलआईसी लगभग 85 हजार कर्मचारियों के साथ एक विशाल ट्रांस-नेशनल संगठन है। आकार और भौगोलिक प्रसार के साथ-साथ कर्मियों की नीतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन में निरंतर ऊर्ध्वाधर और पार्श्व आंदोलन होता है। इन सभी कारकों के लिए आवश्यक है कि संगठन के भीतर कौशल विकास और ज्ञान आधार को बढ़ाने की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। महामारी की स्थिति ने संगठन को डिजिटल मोड के माध्यम से स्व-शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसने भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया है और हमारे इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध है। वर्तमान फोकस नए कार्य अनुभव के हिस्से के रूप में संचार और सहयोग को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसके अलावा, स्व-शिक्षण/स्व-कौशल के उद्देश्य से, कर्मचारियों के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, 'एलआईसी ज्ञानपीठ' शुरू की गई थी।	उच्च कर्मचारी टर्नओवर से उत्पादकता में कमी, काम पर रखने की लागत में वृद्धि और सामान्य रूप से कम कर्मचारी मनोबल के साथ-साथ दक्षता में कमी हो सकती है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
3	जलवायु परिवर्तन - जोखिम और लचीलापन	जोखिम	समाज में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बन रहे हैं। अगर हम समाज की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या संबंधित नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और भारी जुर्माना भी लग सकता है।	सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, जिम्मेदार मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, हमारे संगठन में बोर्ड से मंजूर ESG फ्रेमवर्क और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मौजूद हैं। ESG और क्लाइमेट से जुड़े कई तरह के रिस्क की पहचान की गई है और उन्हें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। कॉर्पोरेशन के सभी ऑफिस समय-समय पर इन रिस्क का आकलन करते हैं। रिस्क ओनर्स के लिए एक नया रिस्क मॉड्यूल उपलब्ध है, ताकि वे नए एडवॉ और क्लाइमेट रिस्क की पहचान कर सकें और उन्हें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में शामिल कर सकें।	नकारात्मक
4	सूचना सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित	जोखिम	ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए मजबूत डेटा प्राइवसी और साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे-जैसे हम डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ग्राहक-केंद्रित बने रहें और डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन कर सकें। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी घटनाएं हमारी प्रतिष्ठा, ग्राहकों और हमारे कारोबार पर असर डाल सकती हैं। इसलिए, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी और प्राइवसी से जुड़े उपायों का लगातार मूल्यांकन करना, उन्हें लागू करना और उनसे जुड़े जोखिमों को कम करना ज़रूरी हो जाता है।	LIC साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवसी को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। कंपनी लगातार नई और मजबूत टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही है और इंडस्ट्री की सबसे अच्छी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोसेस और नियमों का पालन कर रही है। बोर्ड की IT स्ट्रैटेजी कमिटी और एग्जीक्यूटिव लेवल की कमेटियां साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवसी से जुड़े मामलों की निगरानी करती हैं। LIC साइबर खतरों और उनके समाधान के लिए ऑडिट, सिक्योरिटी असेसमेंट और कंट्रोल के वैलिडेशन का काम करती है। हम ISO 27001 सर्टिफाइड हैं और DPDP एक्ट को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।	वित्तीय और प्रतिष्ठित नुकसान हानिकारक हो सकता है।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
5	जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय निरंतरता	जोखिम	लंबे समय तक टिके रहने, मार्केट वैल्यूएशन और ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने और स्टेकहोल्डर्स का भरोसा मज़बूत करने के लिए, व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान ज़रूरी है। यह बेहतर फ़ाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और बिज़नेस की मज़बूती में मदद करता है।	कॉरपोरेशन के पास बोर्ड से मंज़ूर 'बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट' (BCM) प्लान है। इसे सिस्टम फेलियर, प्राकृतिक आपदाओं या साइबर घटनाओं जैसी रुकावटों के दौरान भी ज़रूरी कामकाज को जारी रखने के लिए बनाया गया है। इस प्लान का मकसद कामकाज में रुकावट के समय को कम करना, ज़रूरी कामों को सुरक्षित रखना, आर्थिक नुकसान घटाना और तेज़ी से रिकवरी सुनिश्चित करना है। BCM प्लान में ज़रूरी बिज़नेस कामों को जारी रखने या उन्हें तेज़ी से बहाल करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। कॉरपोरेशन अपने 'बिज़नेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम' के लिए ISO 22301 सर्टिफाइड है, जो ऑपरेशनल तैयारी के प्रति उसकी मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाता है।	नकारात्मक

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

प्रकटीकरण सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी इकाई की पॉलिसी/पॉलिसी प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्व कवर करती हैं (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	ना	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . निगम की कुछ पॉलिसियां केवल कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं।								
2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हाँ/नहीं)	हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदार सुरक्षा और स्वस्थ पर्यावरण, बाल श्रम और जबरन श्रम के निषेध, गैर-भेदभाव, रोजगार की स्थिति, मजदूरी के प्रावधान और काम के घंटों से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अनुबंधात्मक रूप से बाध्य हैं।								

प्रकटीकरण सवाल		सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
4.	आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे वन प्रबंधन परिषद, निष्पक्ष व्यापार, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA8000, OHSAS, ISO, BIS) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	सिद्धांत 4 के तहत, एलआईसी ने प्राप्त किया है: ईआरएम के लिए आईएसओ 31000 बीसीपी के लिए आईएसओ 22301								
5.	विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा के साथ सेट, यदि कोई हो	अ. हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं आ. हम जल संरक्षण, ऊर्जा उपयोग को कम करने और अपने कार्बन फुटप्रिंट के साथ-साथ जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इ. हम एक समान अवसर नियोक्ता हैं जो किसी भी आधार पर कोई भेदभाव सुनिश्चित नहीं करते हैं। ई. देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें उचित लागत पर मृत्यु के खिलाफ पर्याप्त वित्तीय कवर प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक रूप से और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जीवन बीमा का प्रसार करना। उ. बीमा से जुड़ी बचतों को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाकर बचत को अधिकतम करना। ऊ. धन के निवेश में, अपने पॉलिसीधारकों के लिए प्राथमिक दायित्व, जिसका पैसा विश्वास में रखता है, समग्र रूप से समुदाय के हित की दृष्टि खोए बिना; राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आकर्षक लाभ की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए निवेशकों तथा समग्र रूप से समुदाय के सर्वोत्तम लाभ के लिए निधियों का उपयोग किया जाएगा। ऋ. अत्यंत अर्थव्यवस्था के साथ और पूर्ण अहसास के साथ व्यापार का संचालन करें कि पैसा पॉलिसीधारकों का है। ए. अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं में बीमित जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। ऐ. बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में उत्पन्न होने वाली समुदाय की विभिन्न जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा करें। ओ. शिष्टाचार के साथ कुशल सेवा प्रदान करके बीमित जनता के हितों को आगे बढ़ाने में निगम में काम करने वाले सभी लोगों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता में शामिल करना। औ. निगम के सभी एजेंटों और कर्मचारियों के बीच कॉर्पोरेट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के माध्यम से भागीदारी, गर्व और नौकरी की संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देना।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के खिलाफ इकाई का प्रदर्शन, साथ ही कारणों के साथ-साथ यदि वे पूरे नहीं होते हैं।	अ. हमने सिर्फ 2025-2026 में 8,30,399 मृत्यु दावों और 2,41,25,943 व्यक्तिगत परिपक्वता दावों क्लेम का निपटारा किया है, जिसमें क्रमशः 19,019.79 करोड़ रुपये और 2,37,353.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस तरह, हमने आश्रित परिवारों, लेनदारों, साझेदारों और बिज़नेस इंश्योरेंस के मामले में मुख्य व्यक्तियों (key men) आदि को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है।								

प्रकटीकरण सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
	आ. हम 31.03.2026 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत 3,70,40,056 करोड़ जीवन कवर किया हैं और समाज के कमजोर वर्गों को पूरा करने के लिए अन्य सूक्ष्म बीमा उत्पादों को डिजाइन करते हैं। इ. वंशानुगत कमीशन का भुगतान 60,297 से अधिक एजेंटों के आश्रितों को किया जाता है जिनकी मृत्यु हो गयी हैं और नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र थे। ई. 59% ग्राम पंचायतों को कम से कम एक बीमा सखी के साथ कवर किया गया है, जिससे महिला बीमा एजेंटों को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जा रहा है और साथ ही जीवन बीमा का प्रसार करने के लिए देश के कोने-कोने तक पहुंच बनाई जा रही है। उ. ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस कवर को बढ़ावा देने के लिए हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं और 31.03.2026 तक 2,83,249 बीमा सखियाँ कार्यरत थीं।								
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)	व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के बारे में बोर्ड की समग्र जिम्मेदारी है और निगम के ईएसजी मुद्दों की पहचान और प्रबंधन करना है								
8. कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति	श्री आर दुरैस्वामि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक डिन: 10358884								
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ /ना) यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ, कॉर्पोरेशन के गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े कामों की पूरी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स (बोर्ड) की है। बोर्ड ने एक एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस (ESG) कमिटी बनाई है। यह कमिटी ESG लक्ष्यों, टारगेट और रणनीति को मंजूरी देती है और उन पर हुए काम की निगरानी करती है। इसमें ESG से जुड़े ऐसे काम भी शामिल हैं जिनसे स्टैकहोल्डर्स के लिए लंबे समय तक वैल्यू बन सके। साथ ही, यह कमिटी कॉर्पोरेशन की ESG गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा भी करती है। बोर्ड ने ESG कमिटी की सिफ़ारिश पर ESG फ्रेमवर्क और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मंजूरी दी।								
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण									
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	बोर्ड / बोर्ड की समिति / कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ने उन नीतियों को अनुमोदित किया है जो ऊपर बताई गई हैं जैसा कि वर्तमान नियमों द्वारा आवश्यक है।								
बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी	अंतर-विभागीय रूप से की गई समीक्षा								
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	अर्धवार्षिक								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	कंपनी सभी लागू नियमों का अनुपालन करती है।								

प्रकटीकरण सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
11. क्या इकाई ने बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	निगम की सभी नीतियों का आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है अर्थात् सभी सिद्धांत नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो बताए जाने वाले कारण:

सवाल	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को सामग्री नहीं मानती है (हाँ/नहीं)	-	-	-	-	-	-	नहीं	-	-
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों (हाँ/नहीं) पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हाँ/नहीं)	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	-	-
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में, एलआईसी एक उच्च विनियमित वातावरण में काम करती है। इसके अलावा, निगम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है। निगम नियमित रूप से उक्त नियामक प्राधिकरणों द्वारा गठित विभिन्न मंचों और समितियों में भी भाग लेता है। हालांकि इस सिद्धांत के लिए कोई विशेष नीति नहीं बताई गई है, लेकिन स्टाफ रेगुलेशन, 1960 उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नियंत्रित करता है, जिन्हें उच्च पेशेवर और नैतिक मानकों के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। निगम, व्यापार निकायों और संघों के माध्यम से, अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बीमा क्षेत्र के संबंध में कई सुझाव देता है।

खंड सी: सिद्धांत वार प्रदर्शन प्रकटीकरण:

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद को संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
निदेशक मंडल	4	1) स्ट्रैटेजी मीट - बिज़नेस स्ट्रैटेजी, शेयरहोल्डर वैल्यू, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, HR स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल एसेट पर सेशन 2) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर सेशन 3) स्ट्रैटेजी मीट - बिज़नेस स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन-IT, एक्चुअरियल प्रेजेंटेशन, HR स्ट्रैटेजी और रियल एस्टेट मैनेजमेंट पर सेशन 4) डायरेक्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम - III	96.43% 100% 100% 30% (10 निदेशकों में से 3 उपस्थिति)

हिस्सा	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव	जागरूकता द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत कार्यक्रम
अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक	9	1) 44वां इंडिया फेलोशिप सेमिनार, मुंबई 2) जर्मनी में म्यूनिख री ग्लोबल लाइफ इश्योरेंस सेमिनार 3) MDC में ESG लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 4) लाइफ एश्योरेंस में 20वां करंट इश्यूज सेमिनार (20वां CILA) 5) 45वां इंडिया फेलोशिप सेमिनार (IFS) 6) एक्चुअरीज का 25वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस (GCA) 7) कंपनी सेक्रेटरीज का राष्ट्रीय सम्मेलन 8) इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम 9) रिटायरमेंट ट्रेनिंग और ESG लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम	50% (10 में से 5 अ. म. का. उपस्थिति)
निदेशक मंडल एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय के अलावा अन्य कर्मचारी	5713	LIC एक्ट, 1956 ICSI का नेशनल कन्वेंशन SDD में UPSI की गतिविधियों को ट्रैक करने पर सेशन कंप्लायंस के लिए नॉमिनेट किए गए नोडल अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन सेशन IT और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बदलता माहौल, खद पहल, सोशल मीडिया, बिजनेस एटिकेट्स, पर्सिस्टेंसी में बढ़ोतरी, प्रीमियम कलेक्शन बढ़ाने पर फोकस, BCP, ERM, KYC/AML/CFT सेशन, IT/मोबाइल ऐप्स, चड ऑफिस, IRDAI रेगुलेशन/रेगुलेटरी जानकारी, नए प्रोडक्ट्स/प्रोडक्ट-बेस्ड प्रोग्राम, कस्टमर सर्विस के प्रति जागरूकता/शिकायत निवारण, करियर ग्रोथ के लिए एजेंट्स, टेलीफोन और ईमेल एटिकेट्स/लेटर राइटिंग/ईमेल पॉलिसी, रिटायर होने वाले अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग, PLLI, मल्टीफंक्शनल ट्रेनिंग, हेल्थ और सेफ्टी/वेलनेस/PoSH, दिव्यांगों (PwD) के लिए आसान KYC, कंप्लायंस सर्टिफिकेशन प्रोसेस, अलग-अलग कैडर के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेन द ट्रेनर्स, RTI एक्ट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और फोरकास्टिंग के बेसिक्स, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस, फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, GST इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, BRSR, प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स, बॉन्ड मैथमेटिक्स और इंडियन ट्रेजरी मार्केट का परिचय, रिलेटेड पार्टी ट्रांज़ैक्शंस और मुख्य रेगुलेशंस में महारत, इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, सिक्योर कोडिंग प्रिंसिपल, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एथिक्स, POSH, मानवाधिकार और ESG को शामिल करना, डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूकता, आरक्षण के मामलों पर ट्रेनिंग सेशन, शिकायत निवारण (GR) को मज़बूत करना, दिव्यांगों (PwD) के प्रति जागरूकता प्रोग्राम, प्रभावी प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट	81.53% 68,946 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया

प्रशिक्षण कार्यकलाप आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों और बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किए जाते हैं।

इन-हाउस प्रशिक्षण:

एलआईसी के पास अच्छी तरह से सुसज्जित इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क है। सभी केंद्र छात्रावास आवास, कक्षाओं, सभागारों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, एलसीडी सुविधाओं, मनोरंजन और खेल सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एलआईसी के इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हैं:

- प्रबंधन विकास केंद्र (MDC): निगम का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान।
- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (ZTC): एलआईसी के आठ क्षेत्रों में से प्रत्येक में स्थित एक।
- कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (ETC) / कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (CTC): 113. प्रत्येक डिवीजन में एक
- डिविज़नल ट्रेनिंग सेंटर (DTCs): एजेंटों के लिए 113 डिविज़नल ऑफिस में प्रत्येक में एक सेंटर।

बाहरी प्रशिक्षण:

अभिनव दृष्टिकोण प्रदान करने, विशेष उद्योग ज्ञान प्राप्त करने और वैश्विक मानव संसाधन प्रथाओं के साथ सरेखित करने के लिए, एलआईसी अपने अधिकारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेने के लिए नामित करता है। ये प्रोग्राम नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी - NIA (पुणे), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट - IIMs, इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस - ISB (हैदराबाद), इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स - IOD (मुंबई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविलियन इंजीनियरिंग - NISM (मुंबई), ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन - AIMA (दिल्ली), डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ - DFS (दिल्ली), इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ज्यूटिव्स ऑफ इंडिया - IAI (मुंबई), नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी - NFSU (गांधीनगर), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड - SAIL (रांची), अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट - AJNIFM (फरीदाबाद), दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी - DMRA (दिल्ली), द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया - ICSI (दिल्ली), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया - ASCI (हैदराबाद), कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस - COI (मुंबई), बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - BCCI (मुंबई), FIMMDA (मुंबई), ब्लूमएशिया इनकॉर्पोरेटेड (मुंबई), प्रिंसटन एकेडमी (मुंबई), टाइम्स इंटरनेट (मुंबई), ICICI बैंक लिमिटेड, नोल्स्केप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (बेंगलुरु), NAHRD (दिल्ली) और इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट - IIRM (हैदराबाद), स्पेस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एकेडमी नागपुर, IISWBM - कोलकाता, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (MDI) गुरुग्राम, BML मुंजाल, दिल्ली, वगैरह जैसे जाने-माने संस्थानों द्वारा कराए जाते हैं।

एमडीसी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इन-हाउस आयोजित विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 1,51,176 है। एनआईए सहित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या 6,935 थी। इस प्रकार 1,58,111 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से कुछ ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न विषयों पर और भूमिकाओं के परिवर्तन पर कई प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया।

लघु अवधि के वेबिनार:

कर्मचारियों और फील्ड फोर्स के बड़े हिस्से तक पहुंचने के लिए, बाहरी ट्रेनिंग संस्थानों और हमारे इन-हाउस ट्रेनिंग सेंट्रों के साथ मिलकर कम समय वाले वेबिनार की एक सीरीज़ आयोजित की गई। इन वेबिनार में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया, जैसे:

- नई डिजिटल पहल, साइबर सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी से बचाव
- नए बिज़नेस पैरामीटर और परफॉर्मेंस इंडिकेटर
- मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिनमें इंटरमीडियरी, प्रोडक्ट और सेल्स तकनीकें शामिल हैं।
- अंडरराइटिंग नियम, जिनमें 'की-मैन इंश्योरेंस', एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई स्कीम, MWP एक्ट, महिलाओं और नाबालिगों का जीवन बीमा और नॉन-मेडिकल बीमा शामिल हैं।
- पॉलिसी सर्विसिंग, रिवाइवल, पर्सिस्टेंसी और क्लेम सेटलमेंट (जिसमें री-इन्वेस्टमेंट भी शामिल है)
- प्रिवेंटिव विजिलेंस (सतर्कता)।

एलआईसी ज्ञानपीठ-सेल्फ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल:

- एलआईसी ज्ञानपीठ एक सेल्फ-लर्निंग और सेल्फ-स्किलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि साल 2020 में शुरू किया गया। यह मानकीकृत सामग्री प्रदान करता है जो भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे 24/7 इंटरनेट/इंटरनेट वेब ब्राउज़र के माध्यम से कर्मचारियों को कभी भी, कहीं भी प्रशिक्षण सुलभ हो जाता है।

- एलआईसी ज्ञानपीठ, विशेष रूप से विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं पर निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोर्टल को बढ़ाने और अपडेट करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक, पोर्टल में 19 मुख्य मॉड्यूल, 8180 MCQ के साथ 166 उप-मॉड्यूल शामिल हैं।
- 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को कर्मचारियों से भारी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें लगभग 75,057 (89.69%) कर्मचारियों ने कुल 24,29,843 एलआईसी ज्ञानपीठ प्रमाणपत्र अर्जित किए हैं।
- ज्ञानपीठ मॉड्यूल के तहत जारी किए गए मुख्य मॉड्यूल प्रमाणपत्रों की संख्या 2,91,712 थी और जिन उप मॉड्यूलों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, उनकी संख्या 21,38,131 थी, इस प्रकार कुल मिलाकर कुल 24,29,843 प्रमाण पत्र जारी किए गए।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग फीस/निपटारा राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में

(नोट: इकाई सेबी के विनियमन 30 (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण दायित्वों) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार प्रकटीकरण करेगी:

वित्तीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)
जुर्माना/जुर्माना	शून्य	राजस्व अधिकारी जैसे आयकर अधिकारी, GST अधिकारी आदि	0.02 करोड़	ITC का गलत इस्तेमाल, ई-वे बिल जारी न करना, TDS रिटर्न देर से दाखिल करना, एजेंट को खर्चों की भरपाई पर सर्विस टैक्स के लिए जुर्माना।	नहीं
निपटारा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कंपाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)	
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम
शून्य	शून्य

4. क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्तत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्तत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

निगम की रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है। इसमें व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी भी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) नियमावली, 1960 के नियम 32 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को मामूली मूल्य से अधिक के उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। रिश्तत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->

5. उन निदेशकों/केएमपी / कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्त/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
निर्देशकों	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारियों	02	01

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/शास्तियों/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज दो मामलों में कार्यवाही चल रही है।

8. देय खातों के दिन: (देय खाते *365)/खरीदे गए माल/सेवाओं की लागत):

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
देय खातों के दिनों की संख्या	23.53	12.12

9. व्यापार का खुलापन:

निम्नलिखित प्रारूप में, संबंधित पार्टियों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश के साथ-साथ व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पार्टियों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें:

बीमा/सेवा क्षेत्र के लिए कुछ पैरामीटर लागू नहीं होते हैं, इसलिए जानकारी केवल जहाँ तक लागू है, वहीं तक प्रदान की गई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गलत व्याख्या के कारण यह जानकारी प्रदान कर दी गई थी।

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26	पिछला वित्त वर्ष 2024-25
खरीद का संकेन्द्रण**	अ. कुल खरीद के % के रूप में दलालों से खरीद	लागू नहीं	16.64% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	142
	इ. दलालों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 दलालों से खरीद	लागू नहीं	9.87%

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26	पिछला वित्त वर्ष 2024-25
बिक्री का संकेन्द्रण**	अ. कुल बिक्री के % के रूप में दलालों को बिक्री	लागू नहीं	12.96% द्वितीयक बाजार व्यापार
	आ. दलालों की संख्या जिनके माध्यम से बिक्री की जाती है	लागू नहीं	142
	इ. दलालों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 दलालों को बिक्री	लागू नहीं	9.54%
आर पी टी का हिस्सा	अ. खरीद (संबंधित पार्टियों के साथ खरीद/कुल खरीद)	2.15%	1.54%
	आ. बिक्री (संबंधित करने के लिए बिक्री पार्टियों/कुल बिक्री)	2.66%	1.89%
	इ. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	लागू नहीं	लागू नहीं
	ई. निवेश (संबंधित पार्टियों में निवेश/किए गए कुल निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं

**खरीद और बिक्री का केंद्रीकरण लागू नहीं होता है क्योंकि यह 'सामान' से संबंधित है, न कि 'सेवाओं' से। इसलिए, इस साल इसे शामिल नहीं किया गया है।

नेतृत्व संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:

कुल प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत
3971 सत्र	प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की तुलना, कौशल विकास, फाइनेंशियल मार्केट का अध्ययन।	20.72%
30 सत्र	योग, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता से जुड़े विषय, सतर्कता जागरूकता, नई योजनाएं, फायर ड्रिल, कार्यालय के काम में हिंदी का प्रयोग	48.64%

- क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

- हाँ, प्रक्रियाएं चल रही हैं। निदेशकों से हितों के प्रकटन के साथ-साथ निदेशकों की स्वतंत्रता की घोषणा नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है और बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है। निदेशक उन कार्यसूची मदों पर चर्चा या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, जिनमें

उनका व्यक्तिगत हित जुड़ा होता है। बैठकों के दौरान ऐसे विषयों पर विचार किए जाने पर हितों के टकराव से बचने के लिए वे स्वयं को चर्चा और निर्णय प्रक्रिया से अलग रखते हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल हर साल यह पुष्टि करता है कि उन्होंने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए तय आचार संहिता का पालन किया है।

सिद्धांत 2: व्यवसाय को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत

आर एंड डी मुख्य रूप से उत्पाद विकास, निगरानी, संशोधन, समापन के साथ-साथ इसके पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव पर जोर देने के साथ नए संस्करणों को पेश करने पर केंद्रित है। ग्राहक अनुभव और संतुष्टि वह आधार बना हुआ है जिस पर बोर्ड भर में कागज के उपयोग को कम करने सहित इस पहलू में पहल की जाती है।

पुराने ऊर्जा अक्षम उपकरणों जैसे एसी, लाइट बल्ब, लिफ्ट आदि को आधुनिक ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलने, नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए सौर उपकरणों की स्थापना, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन आदि पर पूंजीगत व्यय किया जाता है। इसका प्रभाव बढ़ी हुई ऊर्जा दक्षता, सूर्य के प्रकाश जैसे पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों के उपयोग और पानी के संरक्षण में महसूस किया जाता है।

2. अ) क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएं हैं? – (हाँ/नहीं)

आ) यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

अ) हाँ।

बीमा उद्योग के एक हिस्से के रूप में, हमारे संचालन मुख्य रूप से डिजिटल समाधानों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। हालांकि हमारी प्रक्रियाएं सीधे पारंपरिक विनिर्माण को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, हम दिशानिर्देशों और प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं जो प्रौद्योगिकी से संबंधित इनपुट के नैतिक और टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं। हमारे संचालन की प्रकृति को देखते हुए, टिकाऊ सोर्सिंग और पहचान प्रतिशत के पारंपरिक उपाय सीधे लागू नहीं होते हैं। हालांकि, हम स्थिरता बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए व्यापक संगठनात्मक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हालांकि, सस्टेनेबल सोर्सिंग के लिए कोई खास प्रक्रिया नहीं है, फिर भी हम कॉर्पोरेशन की खरीद नीति का पालन करते हैं जो उतउ के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है, प्रतिभागियों के बीच समानता सुनिश्चित होती है और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलता है। सभी अधिप्राप्तियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके संसाधित किया जाता है, केवल भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है।

आ) लागू नहीं

3. उपयोगिता के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट

चूंकि निगम बीमा व्यवसाय में है, इसलिए पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग करने की सीमित गुंजाइश है। बीमा प्रोडक्ट अपने आप में इनटैन्जिबल है। हालांकि, हमारे कार्यालयों को ई-कचरे को पुनर्चक्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सर्वर, कम्प्यूटर, कार्ट्रिज, रिबन प्राथमिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान प्राधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है, जो निराकरण करने के बाद सभी स्थानों से हार्डवेयर ई-अपशिष्ट उठाते हैं। रि-साइक्लिंग प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जाते हैं। ई-अपशिष्ट और विद्युत अपशिष्ट के संग्रह और निपटान के लिए, सुरक्षित निपटान संग्रह बॉक्स एलआईसी विविध कार्यालय परिसर में रखे गए हैं। हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, बायबैक के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिए जाते हैं। बदले में, विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर उठाता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से एक निर्धारित प्रमाण पत्र लिया जाता है।

हम ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं जिनमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी तरह के खतरनाक या गैर-खतरनाक मटीरियल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए, इस्तेमाल के बाद निकलने वाला कचरा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इश्योरेंस सेक्टर होने की वजह से कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ आईटी का काम करने के कारण हमारा मुख्य ध्यान डिजिटल कचरे को मैनेज करने पर होता है, न कि फिजिकल

प्रोजेक्ट पर। हम जिम्मेदारी से ई-कचरे को डिस्पोज़ करके, सुरक्षित तरीके से डेटा हैंडल करके और पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देकर पर्यावरण पर पड़ने वाले अपने असर को कम करने पर ध्यान देते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ़साइकल में सस्टेनेबल तरीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

89.08% कचरे का निपटान मेटल स्ट्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के ज़रिए किया गया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर (MDC) कैपस में निकलने वाले खाने और बगीचे के कचरे को खाद में बदला जाता है और पौधों की बढ़त के लिए MDC के बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। पेपरलेस HRMS/TE मॉड्यूल जैसे कदमों से कागज़ के कचरे में कमी आई है। रोज़ाना का कचरा नगर पालिका को सौंप दिया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

पारंपरिक अर्थों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हमारे लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारी गतिविधियां भौतिक वस्तुओं के उत्पादन से सीधे जुड़ी नहीं हैं।

हालांकि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित ई-कचरा निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्रबंधित किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

सेवा उद्योग में होने के कारण, सामान्य बोलचाल की भाषा में जीवन चक्र मूल्यांकन जीवन बीमा अनुबंधों पर लागू नहीं होता है। हालांकि, उत्पाद विकास के दृष्टिकोण से, आवधिक मूल्यांकन या मूल्यांकन एक आदर्श है। शुरू की गई प्रत्येक योजना में मृत्यु दर, रुग्णता, ब्याज दरों, प्रशासनिक लागतों आदि जैसे विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में कतिपय अनुमान लगाए गए हैं। समय बीतने के दौरान, जब कभी यह महसूस किया जाता है कि उसमें लगाई गई धारणाएं और क्षेत्र से निकलने वाले वास्तविक परिणाम विभिन्न परिदृश्यों में प्रदान की गई सीमाओं से अधिक भिन्न हो रहे हैं, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। यह एक छोर पर योजना को नियंत्रित करने वाले मापदंडों में बदलाव का रूप ले सकता है और दूसरे छोर पर योजना को वापस ले सकता है और यदि आवश्यक हो तो संशोधित योजना के साथ आ सकता है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

व्यवसाय की प्रकृति के साथ-साथ नियमित आधार पर इसकी निगरानी की जा रही है, इससे कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता या जोखिम विकसित नहीं होता है।

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली सामग्री लागू नहीं होती है क्योंकि जीवन बीमा एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते ऐसी प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेता है। 89.08% कचरे का निपटान MSTC के ज़रिए किया जाता है।

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाया गया:

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

	FY 2025-26			2024-25		
	पुन उपयोग	रिसायकल	सुरक्षित निपटान	पुन उपयोग	रिसायकल	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकिंग सहित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ई-वेस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	54 MT	लागू नहीं	लागू नहीं	13.24 MT
जोखिम युक्त वेस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य वेस्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

एक अमूर्त उत्पाद होने के नाते, ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न नहीं होती है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कर्मचारी										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	64161	64161	100	64161	100			64161	100	शून्य	शून्य
महिला	20404	20404	100	20404	100	20404	100			शून्य	शून्य
कुल	84565	84565	100	84565	100	20404	100	64161	100	शून्य	शून्य
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य											
पुरुष	12	2	16.66	0	0	0	0	0	0	0	0
महिला	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
कुल	13	2	15.38	0	0	1	100	0	0	0	0

ख. श्रमिकों की भलाई के उपायों का विवरण:

कोटि	द्वारा कवर किए गए % कार्यकर्ता										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		दिवस देखभाल सुविधा	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है										
महिला											
कुल											
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य											
पुरुष	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है										
महिला											
कुल											

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य) की भलाई के उपायों पर खर्च:

	वित्तीय वर्ष 2025-2026	वित्तीय वर्ष 2024-25
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर खर्च की गई लागत	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ – 0.00074% (ii) मेडीक्लेम:-0.05169% (iii) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.000054% (iv) निवारक स्वास्थ्य जांच:- 0.0011%	(i) समूह कार्मिक दुर्घटना लाभ:- 0.001934% (ii) मेडीक्लेम:-0.0931228% (iii) उच्च लागत लंबा उपचार:-0.000156% (iv) निवारक स्वास्थ्य जांच- 0.002841%

इन आंकड़ों में 18% जीएसटी शामिल नहीं है।

*वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेशन के कुल रेवेन्यू के प्रतिशत के तौर पर वेलफेयर उपायों पर हुए खर्च की गणना 'नई प्रीमियम आय' के आधार पर की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिशत की गणना कॉर्पोरेशन के कुल रेवेन्यू के आधार पर की गई है; इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के डेटा में अंतर है।

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की और प्राधिकरण के पास जमा किया (वाई/एन/एनए)
पीएफ (*) पेंशन	65.74% (84565 में से 55640)	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नंबर 1 नियम है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।	100% - सभी पात्र कर्मचारी इसमें शामिल हैं।	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है	निगम का अपना एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम नंबर 1 है और इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।
एनपीएस	34.26%		हाँ	100%		हाँ
उपदान	100% (84565)		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।	100%		निगम की एक समूह उपदान नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।
ईएसआई	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें (#)	100% (84565)		सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।	100%		सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।

(#) कॉर्पोरेशन की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद कई तरह के लाभ मिलते हैं। इनमें प्रिविलेज लीव (छुट्टी) के बदले नकद भुगतान, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप मेडिकलेम स्कीम, ग्रुप सेविंग्स लिंकड इंश्योरेंस स्कीम के तहत जमा राशि और पेंशन लाभ (जिन्होंने इसे चुना है) शामिल हैं।

(*) जो कर्मचारी 01.04.2010 को या उसके बाद कॉर्पोरेशन की सेवा में नियुक्त हुए हैं, वे नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं और उन पर LIC ऑफ़ इंडिया प्रोविडेंट फंड नंबर 1 नियम लागू नहीं होता है; और इसके उलट भी यही बात लागू होती है।

3. कार्य स्थलों की सुगमता

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को नए और मौजूदा कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान करने की सलाह दी गई है।

निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे कि रैंप, रेलिंग, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधों आदि के साथ संशोधित किया है। हमारे पास विशेष रूप से डिजाइन किए गए वॉशरूम हैं (पहुंच योग्य दरवाजे, ग्रैब रेलिंग आदि के साथ) जो कि दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। हमारे पास दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कई कार्यालयों में रैंप, ग्रैब रेलिंग आदि भी हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मार्ग, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान किए गए हैं।

दृष्टि-बाधित कर्मचारियों के लिए सहायक तकनीक: कॉर्पोरेशन के सभी कार्यालयों में सभी LINUX डेस्कटॉप पर "ORCA" नाम का स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद के लिए, उपयुक्त ऑडियो डिवाइस/हेडफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेशन ने दिव्यांग कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए 'चीफ़ लाइज़न ऑफ़िसर' नियुक्त किए हैं।

RPwD एक्ट के तहत सभी ज़ोन में रैंप बनाकर 806 ब्रांच को दिव्यांगों (PwDs) के लिए सुलभ बनाया गया है। हमारे कई ऑफिस में लिफ्ट की सुविधा भी मौजूद है। जिन बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा नहीं है, वहां लिफ्ट लगाने का काम किया जा रहा है। अब तक दिव्यांगों के लिए 117 टॉयलेट बनाए गए हैं। बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए ESG फ्रेमवर्क में एक्सेसिबिलिटी इंडिकेटर को शामिल किया गया है। रैंप की मदद से हमारे सभी ऑफिस को सुलभ बनाया जा रहा है।

4. क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक समान अवसर नीति अपनाई है। यह विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। समान अवसर नीति के लिए लिंक निम्नानुसार है:

लिंक: <https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. अभिभावकीय अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों की कार्य वापसी दर व प्रतिधारण दर:

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कार्यकर्ता	
	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर	काम की दर पर लौटें	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

स्थायी श्रमिक	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है
स्थायी कर्मचारी	हमारे पास एक कर्मचारी शिकायत निवारण पोर्टल है जिसे ई-समाधान कहा जाता है। शिकायतें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑन-लाइन अप्रेषित की जाती हैं। अगले उच्च अधिकारी के पास अपील करने का प्रावधान है। शिकायत समाधान का समय 90 दिन है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए केन्द्रीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां भी हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	हाँ।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों)/यूनियनों में कर्मचारियों/श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों की, जो संघ (संघों) या संघ का हिस्सा हैं	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों/श्रमिकों की, जो संघों या संघ का हिस्सा हैं	% (डी/सी)
	(क)	(ख)	% (बी/ए)	(ग)	(डी)	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	84,565	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	लागू नहीं	91,606	निगम किसी यूनियन को मान्यता नहीं देता है। अत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।	लागू नहीं
- पुरुष	64,161		लागू नहीं	69,740		लागू नहीं
- महिला	20,404		लागू नहीं	21,866		लागू नहीं
कुल स्थायी श्रमिक	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है					
- पुरुष						
- महिला						

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26					पिछला वित्त वर्ष 2024-25				
	कुल (क)	स्वास्थ्य पर और सुरक्षा उपाय		पर निपुणता उन्नयन		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (च)	% (च/घ)	संख्या (छ)	% (छ/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	64,161	*	*	52,566	81.93%	69,740	**	**	46,081	66.07%
महिला	20,404	*	*	16,324	80.00%	21,866	**	**	15,196	69.50%
कुल	84,565	48,368	57%	68,890	81.46%	91,606	**	**	61,277	66.89%

* हमारे सभी इन-हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 'योग और स्वास्थ्य' सेशन को शामिल किया गया। 21 जून 2025 को पूरे भारत में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) मनाया गया।

सभी 113 डिवीज़नल ऑफिस की ओर से एक दिन का 'एम्प्लॉई एंगेजमेंट प्रोग्राम' (EEP) आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में देश भर के हमारे 57% कर्मचारियों-रिकॉर्ड क्लर्क से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक-को शामिल किया गया। EEP एजेंडा में 'स्वास्थ्य और वेलनेस' पर एक सेशन भी शामिल था, जिसमें 48,368 कर्मचारी शामिल हुए। इस प्रोग्राम का मकसद अपनापन की भावना को बढ़ावा देना, टीमवर्क को प्रोत्साहित करना और कर्मचारियों व संगठन के बीच भावनात्मक और पेशेवर जुड़ाव को मजबूत करना था।

** वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए यह जानकारी शामिल नहीं की गयी है

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

कोटि	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26			पिछला वित्त वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	64,161	64,161	100	69,740	69,740	100
महिला	20,404	20,404	100	21,866	21,866	100
कुल	84,565	84,565	100	91,606	91,606	100

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

अ. क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली क्या है?

हाँ, कर्मचारियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगम के कड़े दिशा-निर्देश हैं। इसमें अग्नि सुरक्षा के लिए नीति, अग्नि सुरक्षा के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें अग्निशमन उपकरण, अग्नि शमन ड्रिल, हमारे सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियों का गठन, विद्युत और अग्नि सुरक्षा पैरामीटरों की आवधिक जांच आदि से संबंधित नियम शामिल हैं। साथ ही, प्रमुख विभागों तक सीमित पहुंच का कार्य शुरू किया गया है। हमारे पास सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उपायों पर एसओपी हैं, जिसमें किसी भी घटना के मामले में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा परिभाषित भूमिकाओं का पालन किया जाना है। अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि कर्मचारी तेजी से और कुशलता से प्रतिक्रिया दें और प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ हो। कर्मचारियों को समूह बीमा, समूह अवधि बीमा और 24 घंटे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, कर्मचारियों को ग्रुप मेडिकलेम स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है जहां कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपने और अपने परिवारों के लिए अतिरिक्त कवर लेने के विकल्प के साथ अस्पताल में भर्ती करने के लिए कवर किया जाता है। निवारक स्वास्थ्य जांच योजना और उच्च लागत उपचार के मामले में चिकित्सा व्यय की अनुग्रह प्रतिपूर्ति की योजना भी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ हैं।

इसके अलावा, सभी कर्मचारी मेडिकलेम सुविधा के दायरे में आते हैं। आग से बचाव और सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस (SOP) और सिक्योरिटी मैनुअल भी मौजूद हैं।

आ. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

लागू नहीं है क्योंकि हम एक वित्तीय सेवा इकाई हैं।

इ. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ /नहीं)

लागू नहीं

ई. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ /नहीं)

हाँ। सभी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना पॉलिसी के तहत कवर किए जाते हैं। कंपनी के पास अच्छी तरह से परिभाषित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल नीतियां हैं। समूह सावधि बीमा कवर और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर सभी कर्मचारियों के लिए लागू हैं। स्वास्थ्य जांच, योग, नेत्र जांच, अस्थि घनत्व आदि जैसी पहल और विशेषज्ञों द्वारा स्वस्थ और खुशहाल जीवन शैली को शिक्षित और सक्षम करने के लिए बातचीत की जाती है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्न स्वरूप में:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
विगत समय चोट लगने की आवृत्ति दर (इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट) (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख- व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
मरने वालों की संख्या	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम काम से संबंधित चोट या बीमार स्वास्थ्य (घातक घटनाओं को छोड़कर)	कर्मचारियों	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कार्यालय परिसर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और चौकीदार नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। निगम के संवेदनशील विभागों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं, नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है और निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। निगम का प्रत्येक कर्मचारी मासिक परिवेश सर्वेक्षण में अपनी रेटिंग देता है, जहां कार्यालयों में सफाई के विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। सफाई और रिकॉर्ड रखरखाव को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल डीओ और मॉडल बीओ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नियमित कीट नियंत्रण सेवाएं, कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, स्ट्रेप का निपटान, खाली स्थानों की पहचान और उचित उपयोग, पौधे लगाना, वर्षा जल संचयन, विकलांगों के लिए रैंप और रेलिंग की स्थापना, सौर पैनल लगाना आदि सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए की जा रही हैं। आज की तारीख में हमारे अधिकांश कार्यालय एलईडी लाइटिंग का उपयोग कर रहे हैं।

हमने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रचलित नीति के बारे में जागरूक किया है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया है।

ऑफिस परिसर को साफ-सुथरा रखा जाता है। सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कई अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, जैसे पेस्ट कंट्रोल सर्विस, आग बुझाने के उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, हर फ्लोर पर फ्लोर मार्शल, फायर ड्रिल और सिक्योरिटी सर्विस। इसके अलावा, फायर एंड सेफ्टी एडवाइजरी (SOP) और सिक्योरिटी मैनुअल भी मौजूद हैं।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	हमारे सभी कार्यालयों का निरीक्षण हर साल हमारी निरीक्षण टीमों द्वारा किया जाता है
काम करने की स्थिति	

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए, बैगेज स्कैनर मशीनें और अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं, और सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए फायर एंड सेफ्टी एडवाइजरी (SOP) और सिक्योरिटी मैनुअल मौजूद हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज देती है।

कर्मचारी: हाँ। निगम कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवारों को सहायता के रूप में निम्नानुसार लाभ प्रदान करता है:

1. समूह बीमा -2004 यदि चुना गया हो
2. समूह आवधिक बीमा जिसका भुगतान नामिती/कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाता है। यह विशेष रूप से पेंशन के कम्यूटेशन के नुकसान से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है, अगर कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक निगम की सेवाओं में बना रहता है।
3. समूह बचत लिंकड बीमा का जोखिम और बचत भाग
4. 24 घंटे ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट कवर यदि कर्मचारी की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी।

इसके अलावा, मृतक कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित टर्मिनल देय राशियों का भुगतान किया जाता है:

1. ग्रेच्युटी का भुगतान तब भी किया जाता है जब कर्मचारी ने कंपनी के साथ पांच साल की निरंतर सेवा पूरी नहीं की हो। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की गणना एलआईसी ऑफ इंडिया (स्टाफ) नियम, 1960 और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अनुसार भी की जाती है और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को उच्चतर भुगतान किया जाता है।
2. यदि लागू हो तो अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाता है।
3. पारिवारिक पेंशन यथा लागू
4. भविष्य निधि में कर्मचारियों का योगदान
5. निधि के लिए निगम अंशदान (पीएफ ऑप्टीज़ के लिए)
6. पीएल नकदीकरण के बदले एक मुश्त

मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा आयु पात्र बच्चे को अनुकंपा के आधार पर रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जहाँ भी लागू हो

निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है

2. संस्था द्वारा किए गए उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा धानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा की गई है।

निगम यह सुनिश्चित करता है कि निगम के प्रेषण के भीतर लेनदेन पर लागू करों की कटौती की जाती है और मौजूदा नियमों के अनुसार जमा की जाती है। आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में इस गतिविधि की समीक्षा की जाती है। निगम अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों से अपेक्षा करता है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही के व्यावसायिक जिम्मेदारी, सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखेंगे। यह चैनल भागीदारों के साथ निष्पादित सेवा स्तर समझौते का भी हिस्सा है।

GST का भुगतान वैल्यू चेन पार्टनर को किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसे त्रुटि अधिकारियों को जमा कर दिया गया है। वैल्यू चेन पार्टनर के बिल से कानूनी कटौतियां की जाती हैं और उन्हें संबंधित विभाग में जमा किया जाता है।

ऑनबोर्डिंग के समय कानूनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जांच की जाती है। एग्रीमेंट में ऐसी शर्तें शामिल होती हैं जिनके तहत वेंडर्स को सभी लागू लेबर और टैक्स कानूनों का पालन करना होता है। नियमों का पालन न करने पर पेनल्टी, पेमेंट रोकने और एग्रीमेंट खत्म करने जैसी शर्तें शामिल हैं; साथ ही, नियमों के पालन की समय-समय पर जांच भी की जाती है। वेंडर्स से चालान, रिटर्न, वेज रजिस्टर, PF/ESIC कंट्रीब्यूशन के सबूत और GST सहित टैक्स फाइलिंग की कॉपी ली जाती हैं। कानूनी नियमों के पालन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सबूत मिलने के बाद ही पेमेंट किया जाता है। इनवॉइस का मिलान GST पोर्टल के डेटा से किया जाता है। ऑडिट के मकसद से सभी वेरिफिकेशन और बातचीत का सही रिकॉर्ड रखा जाता है।

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या बताना, जिन्हें कार्य संबंधी उच्च परिणाम वाली चोट/अस्वस्थता/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

श्रेणी	कुल संख्या प्रभावित कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या		नहीं। उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कर्मचारियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: निगम में “वर्कर्स” (Workers) नाम की कर्मचारियों की कोई श्रेणी नहीं है।

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

हाँ। सभी कर्मचारियों को इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने प्रबंधकीय, कार्यात्मक और व्यवहार कौशल में उत्कृष्टता के लिए निगम के साथ अपने कैरियर के दौरान निरंतर सीखने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण मंच प्रदान किए गए हैं। इस तरह के निरंतर प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। निगम का एक स्व-शिक्षण, स्व-मूल्यांकन पोर्टल ‘ज्ञानपीठ’ भी है जो निगम के विभिन्न कार्यों, नियमों / विनियमों को कवर करने वाली सामग्री प्रदान करता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने वित्त और स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में मदद मिल सके।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	सरकार या अन्य वैधानिक एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कॉन्टैक्ट/समझौते में शर्तें शामिल की जाती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनका पालन हो। ऐसे वैल्यू चेन पार्टनर्स से सालाना सर्टिफिकेशन भी लिया जाता है
काम करने की स्थिति	यह सुनिश्चित किया जाता है कि कामगार क्षतिपूर्ति नीति मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा ली जाए। इसके अलावा सुरक्षा हेलमेट, बाँड़ी हार्नेस, सुरक्षा जूते और अन्य सुरक्षा मानदंडों के प्रावधान के लिए भी सुनिश्चित किया जाता है। उचित वॉशरूम, पीने योग्य पानी आदि प्रदान करके साइट की स्वच्छता की स्थिति बनाए रखना।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के (वैल्यू चेन पार्टनर) स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हालांकि, वित्तीय नियोजन समाधान जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, गंभीर बीमारियों के साथ-साथ मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाइफ कवर के साथ, विभिन्न बीमा उत्पाद परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और व्यक्तियों को परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ग्राहकों में स्व-नियोजित व्यक्तियों के साथ-साथ वेतनभोगी व्यक्ति और उनके आश्रित, प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति आदि शामिल हैं। हमारे जीवन बीमा उत्पाद कमाने वाले की आकस्मिक मृत्यु के खिलाफ परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, मृत्यु, दुर्घटना, गंभीर बीमारी आदि के मामले में लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। यह बचत, निवेश और बच्चे की शिक्षा, विवाह आदि के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने का एक उपकरण भी है।

पॉलिसीधारक हमारे स्टैकहोल्डर्स में से एक हैं और उनकी पहचान उनके पॉलिसी नंबर के आधार पर की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जाता है, जैसे कि प्रीमियम/लोन/लोन के ब्याज का पेमेंट, SB/मैच्योरिटी/एन्युइटी पेमेंट का समय आने पर, आदि। क्लेम से जुड़े मामलों में, हम उन स्टैकहोल्डर्स की पहचान करते हैं जिनकी पॉलिसी 'पेड-अप' स्थिति में हैं और अगले 6 महीनों में मैच्योर होने वाली हैं, और उन स्टैकहोल्डर्स की भी जिनकी पॉलिसी चालू हैं और अगले 3 महीनों में मैच्योर होने वाली हैं। सिस्टम से कुछ आउटपुट जेनरेट होते हैं जिन्हें यूजर डिपार्टमेंट हर महीने चलाता है ताकि संबंधित पॉलिसीधारकों को सूचना, रिमाइंडर आदि भेजे जा सकें।

हम संगठनों को ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी देते हैं, ताकि वे अपने कर्मचारियों के लिए लाइफ कवर के साथ-साथ ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन मैनेजमेंट की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें।

जीवन बीमा के हमारे व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, हमारे जोखिम और अवसर मानव पूंजी, जिम्मेदार निवेश, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, वित्त तक पहुंच, उभरते जोखिम और शासन के आसपास घूमते हैं। तदनुसार, हमारे प्रमुख हितधारकों को आंतरिक हितधारकों और बाहरी हितधारकों के रूप में पहचाना जा सकता है। आंतरिक हितधारक हमारे कर्मचारी और एजेंट हैं जबकि बाहरी हितधारक वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवसाय में योगदान करते हैं। हमारे कुछ प्रमुख बाहरी हितधारक हैं: निवेशक और शेयरधारक, ग्राहक (पॉलिसीधारक), सरकार और नियामक निकाय, व्यापार भागीदार (सीए / ब्रोकर / आईएमएफ / सीएससी), वितरण चैनल।

2. आपकी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	चाहे कमजोर और हाशिए वाले समूह के रूप में पहचाना जाए	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पत्र, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट)	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा।
निवेशक और शेयरधारक	नहीं	आवश्यकता के अनुसार: ईमेल, वार्षिक सामान्य बैठक, त्रैमासिक परिणाम, स्टॉक पर फाइलिंग एक्सचेंज, प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया इंटरैक्शन, समाचार पत्रों के लिए साक्षात्कार	त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परिणाम और वार्षिक आम बैठक। कॉर्पोरेट की फाइलिंग स्टॉक एक्सचेंजों के साथ घोषणाएं।	निगम की रणनीति पर अद्यतन प्रदान करना, विभिन्न नियामक तंत्रों के माध्यम से शिकायतों का निवारण।
कर्मचारियों	नहीं	सीधा संपर्क, ई-मेल, कर्मचारी वेबसाइट, एसएमएस, कॉल, नोटिस बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग	नियमित रूप से	सूचना साझा करना, और प्रश्नों को संबोधित करना। विभाग में कार्य प्रगति पर नियमित जुड़ाव को समझना मार्केटिंग गतिविधियों की समीक्षा करना और उनसे जुड़ी चिंताओं व उनके समाधान।
ग्राहकों	नहीं	सूचना पत्र, एसएमएस, एलआईसी डिजिटल ऐप, व्हाट्सएप माय एल आई सी एप एसबी और परिपक्वता मामलों के मामले में संदेश और ईमेल। बकाया दावों और एनईएफटी अद्यतन के लिए विज्ञापन। हमारी फील्ड फोर्स, जैसे कि एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर, पॉलिसीहोल्डर्स से ज़रूरी दस्तावेज़ या जानकारी जमा करवाने के लिए समय-समय पर फॉलो-अप करती है।	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो।	नए ग्राहक प्राप्त करना और मौजूदा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना; दावों के प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए देय दावे और प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यकताओं के बारे में उन्हें सूचित करना, हमारी चिंता नवीनतम पता और मोबाइल नंबर की अनुपलब्धता है। शुरू की गई नई ऑनलाइन योजनाओं की जानकारी देना, विपणन गतिविधियों की समीक्षा करना और उनकी चिंताओं और समाधानों को समझना पॉलिसीधारकों को भुगतान देय होने के साथ-साथ पॉलिसीधारकों से देय होने पर जानकारी और उनके द्वारा अनुरोधित सेवाओं के बारे में अपडेट।

हितधारक समूह	चाहे कमजोर और हाशिए वाले समूह के रूप में पहचाना जाए	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पत्र, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट)	सगाई की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की सगाई के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा।
व्यापार भागीदार (सीए/ब्रोकर/ आईएमएफ/सीएससी)	नहीं	ईमेल, एसएमएस, मीटिंग और वेबसाइट काल के माध्यम से	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा व्यवसाय की सेवा और आगे विस्तार की गुंजाइश
सरकार और नियामक निकाय	नहीं	ईमेल, व्यक्तिगत मीटिंग्स, कॉल, वीडियो कॉल	जब और जब आवश्यक हो	नियामक अनुपालन, निरीक्षण और शिकायत मामलों में
वितरण चैनल: प्रीमियम पॉइंट, एजेंट, सीएलआईएस, सीओएस, डीएसए, सीएलआई / समुदाय-भावना	नहीं	संचार के कई चैनल - भौतिक और डिजिटल	बार-बार या जब और जब आवश्यक हो	मौजूदा पॉलिसीधारक को सेवाएं प्रदान करना और नए व्यवसाय की खरीद करना
	नहीं	समाचार पत्र, विज्ञापन, आदि	नियमित आधार पर	बीमा जागरूकता

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।**

बोर्ड और इसकी समितियों को हितधारकों की प्रतिक्रिया सहित विविध विषयों पर समय-समय पर अपडेट प्राप्त होते हैं। सरकार और विनियामक निकायों के साथ जुड़ने के लिए, बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल का उपयोग किया जाता है। निगम विनियामक निकायों से परामर्श पत्रों का निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जवाब देता है। बोर्ड में अलग-अलग समितियाँ हैं और प्रत्येक समिति की एक परिभाषित भूमिका और चार्टर है। हम सर्वेक्षण, एसएमएस, कॉल सेंटर, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों, नई पहलों, सेवाओं और उत्पादों के बारे में ग्राहकों से जुड़ते हैं। सर्वेक्षणों और फीडबैक से ग्राहक विश्लेषण का उपयोग अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। निगम अपने कर्मचारियों को महत्व देता है और पर्यावरणीय प्रभाव और अन्य मामलों को कम करने के लिए शिकायतों, चिंताओं और विचारों को संबोधित करने पर सक्रिय रूप से उनका इनपुट मांगता है।

निगम की निवेशक संबंध टीम निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के साथ जुड़ती है। विश्लेषकों की रिपोर्ट के प्रमुख संकेतक और निवेशकों की बैठक से फीडबैक निगम के बोर्ड को रखे जाते हैं। शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतें और प्रश्न और समाधान की स्थिति बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के साथ-साथ निगम के बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। बोर्ड की ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) समिति निगम की ईएसजी गतिविधियों की समीक्षा करती है। शेयरधारकों द्वारा आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर उठाए गए प्रश्नों को, यदि कोई हो, चर्चा के लिए रखा जाता है। बोर्ड की पॉलिसीधारक सुरक्षा, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति पॉलिसीधारकों के हितों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करती है।

2. **क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों (हां/नहीं) की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था।**

जी हां शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों और प्रश्नों तथा समाधान की स्थिति को बोर्ड की स्टेकहोल्डरों की संबंध समिति के समक्ष रखा जाता है जिसकी कम से कम वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इसे प्रत्येक बैठक में निगम के बोर्ड के समक्ष भी रखा जाता है। आथक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर यदि कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें चर्चा के लिए रखा जाता है।

निगम ने लंबे समय से उन ग्राहकों से प्रतिक्रिया के महत्व और उपयोगिता को समझा है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। इसके अतिरिक्त, आइडिया बॉक्स में योगदान के रूप में सभी कर्मचारियों से प्रतिक्रिया मांगी जाती है, जिसके लिए चयनित और कार्यान्वित किए गए सर्वोत्तम विचारों के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाते हैं। यह स्तरित दृष्टिकोण जमीनी स्तर पर बारीकियों से संबंधित मामलों को उच्च स्तरों पर मैक्रो मुद्दों तक हमारे ध्यान में लाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद और सर्विसिंग पहलुओं में सूचित परिवर्तन होते हैं।

3. **कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों के साथ सहभागिता के मामलों और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कारवाइयों का ब्यौरा प्रदान करना।**

कमजोर/सीमांत हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए, निगम ने पहुंच और वित्तीय समावेशन में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया है:

अनुकूलित उत्पाद प्रसाद: कम आय वाले व्यक्तियों, ग्रामीण आबादी और अन्य अयोग्य समूहों के लिए बीमा उत्पाद विकसित किए गए हैं। इन उत्पादों को समझने और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत सुविधाओं के साथ किफायती प्रीमियम की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे माइक्रो-इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्लान उपलब्ध हैं। साप्ताहिक भुगतान पद्धति सहित सुविधाजनक भुगतान विधियां उपलब्ध हैं। माइक्रो-बीमा पॉलिसीधारकों को एनजीओ और बंधे एजेंटों के माध्यम से सेवित किया जाता है।

प्रौद्योगिकी-संचालित आउटरीच: मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार किया जहां पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचा सीमित है। निगम के मोबाइल एप्लिकेशन सूचना और नीति सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हितधारक अपनी नीतियों को दूरस्थ रूप से प्रबंधित कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: हम गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ भागीदारी करते हैं जो सीधे हाशिए के समूहों के साथ काम करते हैं। यह हमें विश्वसनीय स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से कमजोर/हाशिए वाले हितधारक तक पहुंचने में मदद करता है, बेहतर जुड़ाव और विश्वास-निर्माण सुनिश्चित करता है।

शिकायत निवारण: निगम ने पॉलिसीधारकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें हाशिए के हितधारक भी शामिल हैं ताकि वे चिंताओं को दूर कर सकें।

चैनल पार्टनर्स के लिए प्रशिक्षण: कॉर्पोरेशन का मार्केटिंग फील्ड फोर्स चैनल पार्टनर्स को कमजोर ग्राहकों के साथ जुड़ने और उनकी सेवा करने के तरीके पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि फ्रंट-लाइन स्टाफ इन हितधारकों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुसज्जित है।

जी जे एफ (GJF): यह फ़ाउंडेशन पारदर्शी और ईमानदार बने रहने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोजेक्ट और स्कॉलरशिप चुनने के नियम पारदर्शी हैं। LIC GJF समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो उसके उद्देश्यों - जैसे गरीबी दूर करना, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और देश भर में आम लोगों के काम आने वाले अन्य कार्यों - से जुड़े हों। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ जुड़ने का तरीका प्रोजेक्ट वाली जगह के पास मौजूद LIC डिविज़नल ऑफ़िस के सर्विस प्रतिनिधियों के ज़रिए होता है। इन संपर्कों के आधार पर, ज़रूरतमंद समुदायों को सशक्त बनाने और विकास के लिए टिकाऊ अवसर पैदा करने के लिए स्कॉलरशिप देना, स्किल डेवलपमेंट में मदद और कल्याणकारी पहल जैसे खास कदम उठाए गए। ये प्रयास समावेश, करुणा और सामाजिक बदलाव के प्रति फ़ाउंडेशन की मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और इकाई की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26			विगत वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	की संख्या कर्मचारी/ कामगार कवर किया गया (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	की संख्या कर्मचारी/ कामगार कवर किया गया (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारियों						
स्थायी	84,565	31,597	37.36%	91,606	33,371	36.43%
स्थायी के अलावा अन्य	13	NA	NA	14	0	0
कुल कर्मचारी	84,578	31,597	37.36%	91,620	33,371	36.42%
श्रमिक						
स्थायी	निगम में श्रमिक के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है					
स्थायी के अलावा अन्य						
कुल कार्यकर्ता						

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण:

श्रेणी	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26					पिछला वित्त वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	%(ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/डी)

कर्मचारियों

स्थायी	84,565	शून्य	शून्य	84,565	100	91,606	शून्य	शून्य	91,606	100
पुरुष	64,161	शून्य	शून्य	64,161	100	69,740	शून्य	शून्य	69,740	100
महिला	20,404	शून्य	शून्य	20,404	100	21,866	शून्य	शून्य	21,866	100
स्थायी के अलावा अन्य	13	शून्य	शून्य	13	100	14	शून्य	शून्य	14	100
पुरुष	12	शून्य	शून्य	12	100	13	शून्य	शून्य	13	100
महिला	1	शून्य	शून्य	1	100	1	शून्य	शून्य	1	100

श्रमिक**

स्थायी	निगम में “श्रमिक” के रूप में कर्मचारियों का कोई वर्ग नहीं है
पुरुष	
महिला	
स्थायी के अलावा अन्य	
पुरुष	
महिला	

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण:

अ. माध्यिका पारिश्रमिक/मजदूरी:

वित्त वर्ष 2025-26	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का माध्यिका पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	60,56,100.58	0	लागू नहीं
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक(के एम पी) (निदेशक के आलावा)	6	58,27,293.99	0	लागू नहीं
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	64,152	20,85,996.18	20,404	23,23,205.77

*पारिश्रमिक के विवरण में केवल निगम के सीईओ और एमडी तथा प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता (‘बोर्ड नीति’) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निगम के स्वतंत्र निदेशक बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि सरकारी नामित निदेशक कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

आ. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	24.77%	24.48%

4. क्या आपके पास मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) मानव संसाधन प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और प्रबंधन कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मानवाधिकार प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे की देखरेख और समाधान करेगा।

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

निगम के पास शिकायत के निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रणाली है। शिकायतों को किसी भी कर्मचारी द्वारा इंटरनेट साइट पर ई-समाधान नामक पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सकता है। इन्हें कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से अगले उच्च अधिकारी को अपील करने का भी प्रावधान है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार, विभाग ने महिलाओं की स्थिति सुधरने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। निगम के सभी कार्यालयों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। निगम की महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारियों के बराबर हैं।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26			पिछला वित्त वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	16	5	इस रिपोर्ट की तारीख तक सभी 5 शिकायतें सुलझा ली गई हैं।	9	2	वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बंद
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कॉर्पोरेशन में वर्कर्स (थीज़शी) नाम की कर्मचारियों की कोई श्रेणी नहीं है।

7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत कुल शिकायतें दर्ज की गई।	16	9
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में POSH पर शिकायतें	0.08%	0.041%
पॉश पर शिकायतों को बरकरार रखी गई	7	2

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र

निगम ने शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र सहित एक विस्तृत सूचना प्रदाता प्रक्रिया निर्धारित की है। व्हिसल ब्लोअर नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्हिसल ब्लोअर और/या संरक्षित प्रकटीकरण संसाधित करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए पीड़ित नहीं किया जाता है। व्हिसल ब्लोअर निम्नलिखित संरक्षण का हकदार है:

- निगम यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्हिसल ब्लोअर जिसने इस नीति के तहत प्रकटीकरण किया है, किसी भी कार्यवाही की शुरुआत से या अन्यथा केवल इस आधार पर पीड़ित नहीं है कि ऐसे शिकायतकर्ता ने इस नीति के तहत जांच में प्रकटीकरण किया था या सहायता प्रदान की थी।
- जहां कहीं भी सूचना प्रदाता ने उत्पीड़न/उत्पीड़न का आरोप लगाया है, सतर्कता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि पहचान ज्ञात हो जाती है तो उसे बार-बार स्थानान्तरण आदि के माध्यम से उत्पीड़ित/पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि कोई सूचना प्रदाता सुरक्षा चाहता है और यह सूचित करता है कि उसका जीवन खतरे में है तो सतर्कता अधिकारी मामले की जांच करेगा और सूचना प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ गृह मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने के लिए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर को अपनी सिफारिश भेजेगा।

- iv. व्हिसलब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी जब तक कि न्यायालय/अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य के लिए वारंट न हो।

इसके अलावा, 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' के तहत, कॉर्पोरेशन ने उत्पीड़न के मामलों में शिकायत करने वाली महिला को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जांच चलने के दौरान, कॉर्पोरेशन पीड़ित महिला या आरोपी का तबादला किसी दूसरी जगह कर सकता है, पीड़ित महिला को तीन महीने तक की छुट्टी दे सकता है, या कोई और राहत दे सकता है; जैसे कि जांच के दौरान आरोपी को पीड़ित महिला के काम के प्रदर्शन पर रिपोर्ट देने या उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखने से रोका जा सकता है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

- हाँ, जहाँ भी आवश्यक हो

10. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
मजबूर/अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

निगम तालिका में उल्लिखित विषयों पर सभी लागू कानूनों का अनुपालन करता है।

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

- लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. मानव अधिकारों की शिकायतों/शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

निगम का मानना है कि उसने अपने सभी व्यवहारों में मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को बरकरार रखा है। यह इसके मानवाधिकार वक्तव्य के अनुरूप है। निगम नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को आचार संहिता के बारे में संवेदनशील बनाता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे किसी भी नीति या प्रक्रिया में किसी भी उल्लंघन/उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत को उठाएं, या किसी भी कार्य की रिपोर्ट करें जो निगम की आचार संहिता या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति, रिश्तत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति, धन शोधन विरोधी नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, धोखाधड़ी-रोधी नीति, सूचना और साइबर सुरक्षा नीति या कार्यस्थल पर कर्मचारी आचरण को नियंत्रित करने वाली कोई अन्य नीति जिसे समय-समय पर परिभाषित किया जा सकता है या कोई अन्य वैधानिक या नियामक कानून जो लागू हो सकता है।

2. किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण।

निगम की शासन प्रक्रिया के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

3. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय अलग-अलग सक्षम आगंतुकों के लिए सुलभ है?

- निगम ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को यह सलाह दी गई है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच और अन्य प्रावधान किए जाएंगे। योगक्षेम भवन में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय दिव्यांग जनों के लिए सुलभ है।
- निगम ने अपने केंद्रीय कार्यालय को विशेष सुविधाओं जैसे रैंप, रेल, विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए भौतिक अवरोधकों आदि के साथ संशोधित किया है ताकि इसे अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जा सके। दिव्यांग जनों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए शौचालय (सुलभ मार्ग वाले दरवाज़ों, ग्रेब रेल्स आदि के साथ)

उपलब्ध है। इसी तरह की सुविधाएं हमारे शेष कार्यालयों में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शामिल की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण स्थलों पर पाथवे एप्रोच, मचान, निर्माण लिफ्ट आदि प्रदान करके कार्यस्थलों की उचित पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:

ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
बाल श्रम	शून्य
बलात् श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

काम पूरा करने के लिए वैल्यू चेन पार्टनर का मूल्यांकन करने में, टेंडर डॉक्यूमेंट में योग्य वैल्यू चेन पार्टनर को चुनने के लिए प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया शामिल होता है और उसके बाद योग्य कॉन्ट्रैक्टर / कंस्ट्रक्शन एसोसिएट / वैल्यू चेन पार्टनर का चयन किया जाता है। काम पूरा होने के बाद, हम वैल्यू चेन पार्टनर से कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेते हैं। साथ ही, हम एक गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार करते हैं जिसमें हम वैल्यू चेन पार्टनर के परफॉर्मेंस के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं।

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

हम अपने वैल्यू-चेन पार्टनर्स के साथ नए और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़रूरी मैट्रिक्स को शामिल करते हैं। यह पक्का किया जाता है कि वैल्यू-चेन पार्टनर्स ने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी ली हो। साथ ही, सेफ्टी हेलमेट, बॉडी हार्नेस, सेफ्टी शूज और दूसरे सेफ्टी नियमों वगैरह का इंतज़ाम भी पक्का किया जाता है। सही वॉशरूम, पीने का पानी वगैरह देकर साइट पर साफ़-सफ़ाई बनाए रखी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ात में सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करने का प्रावधान भी होता है।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	38,884 GJ	
कुल ईंधन खपत (बी)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) सौर		18307 GJ
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (ए+बी+सी)	38,884 GJ	18307 GJ
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (डी)	398032 GJ	422858 GJ
कुल ईंधन की खपत (ई)	501242GJ	390283 GJ
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ)		
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	899274 GJ	813141 GJ
खपत की गई कुल ऊर्जा (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	938158 GJ	831448 GJ

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	1.75	1.70
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/प्रचालनों से राजस्व)	3.5551 KJ/USD PPP	3.5139 KJ/USD PPP
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता		
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	11.09GJ /per employee	9.07 GJ /per employee

*पीपीपी रूपांतरण दर 20.34 के रूप में ली गई है

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।
हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मैं रमा के गुप्ता एंड कंपनी द्वारा उचित आश्वासन (reasonable assurance) का कार्य किया गया है।

- क्या निगम के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएँ हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

नहीं, हमारे पास ऐसी कोई साइट या सुविधाएँ नहीं हैं

- जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

निगम का पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग के लिए प्रतिबंधित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए, हमारे प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी), बोरीवली में, एक वर्षा जल संचयन इकाई वर्षा जल संग्रहण स्थापित है। यह इकाई पास के बोर से जुड़ी है अच्छी तरह से देय जिससे बोरवेल का पुनर्भरण किया जाता है और बोरवेल के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

प्राचल	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	4405.61	19571
(ii) भूजल	45154.66	680535
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	55732.66	559024
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	7961.81	8311
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	113254.74	1267441
पानी की कुल खपत (किलोलीटर में)	113254.74	1267441
कारोबार के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत/संचालन से राजस्व) (किलो लीटर/आईएनआर करोड़)	0.211	2.59
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/संचालन से राजस्व)	0.00043 L/USD PPP	0.0054 L/USD PPP
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पानी की तीव्रता		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	1.34 केएल /प्रति कर्मचारी	13.83 केएल /प्रति कर्मचारी

*पीपीपी रूपांतरण दर 20.34 के रूप में ली गई है

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ।
हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मैं रमा के गुप्ता एंड कंपनी द्वारा उचित आश्वासन (reasonable assurance) का कार्य किया गया है।

4. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल के लिए		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया		
- कोई इलाज नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)(i + ii + iii + iv + v)		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

नहीं

5. क्या निगम ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

नहीं

6. कृपया इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें

➤ लागू नहीं

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
NOx	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Sox			
पार्टिकुलेट मैटर (PM)			
लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?

नहीं

7. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

प्राचल	इकाई	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल दायरा 1 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी एस एफ 6, एन एफ 3, में विभाजन, (यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	33,065.26	27,014
कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजन, SF ₆ , NF ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	78,500.74	84,102
कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व) (मीट्रिक टन / ₹ करोड़)		0.2079	0.23
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)		0.0004227 KG/USD	0.0004696 KG/USD
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		1.32 mT/Employee	1.21 mT/Employee

पी पी पी कन्वर्जन रेट 20.34 लिया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, में. रमा के गुप्ता एंड कम्पनी. द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन (reasonable assurance) का काम किया गया है।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

कर्मचारियों को इवी (इलेक्ट्रिक वाहन) खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 'प्लान्ट-अ-लाइफ' पहल के तहत 11,47,574 पौधे लगाए गए। हमने डेस्कटॉप के लिए बिजली बचाने वाला समाधान, IPM+ लागू किया है। IPM+ की मदद से कॉर्पोरेशन ने साल भर में लगभग 3.86 GWh ऊर्जा की बचत की है, जिससे CO₂ उत्सर्जन में 956 मीट्रिक टन की कमी आई है और 53,975 क्यूबिक मीटर पानी की बचत हुई है। हमारा लक्ष्य ऐसी इमारतें बनाना है जो ग्रीन बिल्डिंग के नियमों का पालन करती हों और कम से कम 3-स्टार रेटिंग हासिल कर सकें। मार्च 2026 तक, हमने 10,499 kWp सोलर PV सिस्टम लगाए हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में 40,097 टन की कमी आई है।

9. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	49.63	920
ई-कचरा (बी)	87	940

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)		
बैटरी अपशिष्ट (इ)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (संरचना द्वारा ब्रेक-अप, क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा) - कागज, स्क्रैप धातु, आदि	1332	512
कुल (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	1468.63	2372
टर्नओवर का प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता	0.0027362	0.005
(कुल अपशिष्ट उत्पन्न/संचालन से राजस्व) (मीट्रिक टन / ₹ करोड़)		
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता	0.000005565 kg/USD PPP	0.0000100 kg/USD PPP
(पीपीपी के लिए समायोजित कुल अपशिष्ट उत्पत्ति/प्रचालनों से राजस्व)		
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता		
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	0.02 mT /प्रति कर्मचारी	0.03 mT /प्रति कर्मचारी
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से बरामद कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	-	-
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन	-	-
कुल	-	-
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी	-	-
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भूमि भरना	-	-
(iii) अन्य निपटान संचालन	-	-
कुल	-	-

नोट: 89.08% कचरे का निपटान मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के जरिए किया गया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर (MDC) कैम्पस में निकलने वाले खाने और बगीचे के कचरे को खाद में बदला जाता है और पौधों की बढ़त के लिए MDC के बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। पेपरलेस HRMS/TE मॉड्यूल जैसे कदमों से कागज का कचरा कम हुआ है। रोज़ाना का कचरा नगरपालिका को सौंप दिया जाता है। *PPP कन्वर्जन रेट 20.34 लिया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?(हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

हाँ, में. रमा के गुप्ता एंड कम्पनी. द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उचित आश्वासन (reasonable assurance) का काम किया गया है।

- 10 आप के प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

हम अपशिष्ट प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि हमारे संचालन में मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास, प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं, हम जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं।

हार्डवेयर आइटम जो जीवन के अंत में हैं, उन्हें बायबैक समझौते के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को सौंप दिया जाता है। बदले में विक्रेता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अपशिष्ट निपटान विक्रेता की नियुक्ति करता है जो सभी स्थानों से हार्डवेयर का इकट्ठा करता है। ई-कचरा निपटान विक्रेता से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र लिया जाता है।

हालांकि हमारा काम मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित है, फिर भी हम सभी क्षेत्रों में कचरे के ज़िम्मेदार प्रबंधन के महत्व को समझते हैं। हमने कागज़ की ज़रूरत को कम करने के लिए कई प्रक्रियाओं को डिजिटल और ऑटोमेट करने के उपाय अपनाए हैं। दफ्तरों में कागज़ का इस्तेमाल कम से कम करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फॉर्म, सर्टिफिकेट आदि की सॉफ्ट कॉपी जारी की जा रही हैं। बेहतर सेवा देने और समय की बर्बादी कम करने के लिए पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को स्कैन किया गया है। सभी कर्मचारी कागज़ की स्टेशनरी का समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं।

हम सर्टिफाइड और ऑडिट किए गए डिस्पोज़ल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करते हैं जो पर्यावरण से जुड़े कड़े नियमों का पालन करते हैं। इससे यह पक्का होता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कचरे की सही तरीके से रीसाइक्लिंग, डेटा सैनिटाइज़ेशन और पर्यावरण के अनुकूल डिस्पोज़ल हो, जिससे पर्यावरण पर हमारा असर कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स रिकवरी हो सके। हम इन प्रक्रियाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

89.08% कचरे का निपटान मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के ज़रिए किया गया है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर (MDC) कैंपस में निकलने वाले खाने और बगीचे के कचरे को खाद में बदला जाता है और पौधों की बढ़त के लिए MDC के बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। पेपरलेस HRMS/TE मॉड्यूल जैसे कदमों से कागज़ के कचरे में कमी आई है। रोज़ाना का कचरा नगर पालिकाओं/स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाता है। सर्विस सेक्टर में होने के कारण, हमारे उत्पादों या प्रक्रियाओं से कोई खतरनाक या ज़हरीले केमिकल नहीं निकलते हैं। हम कचरा प्रबंधन के लिए एक SOP तैयार कर रहे हैं।

हमारे अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में शामिल हैं:

ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचा: हम संसाधन खपत को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन: हमने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित पुनर्चक्रण और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए एक व्यापक ई-कचरा प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया है।

पेपरलेस पहल: हम पेपरलेस प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं और अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन में भौतिक सामग्रियों पर निर्भरता को कम करने के लिए नई पहल करते हैं।

- 11 यदि निगम के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव-विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उनके आसपास संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

हमारा कोई भी कार्यालय पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में स्थित नहीं है।

- 12 चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं

- 13 क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें:

क्रम स.	उन कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई बोर्ड या अदालतों द्वारा	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर निगम लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करता है।				

जिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की ज़रूरत होती है, उनमें नियमों के पालन के लिए संबंधित कानूनी एनवायरनमेंटल संस्था से ज़रूरी मंजूरी ली जाती है।

नेतृत्व संकेतक

- जल-संकट वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलो-लीटर में):
जल-संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
i. क्षेत्र का नाम - लागू नहीं

ii. संचालन की प्रकृति - लागू नहीं

iii. निम्नलिखित प्रारूप में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन:- लागू नहीं

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
कुल दायरा 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में ब्रेकअप, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समकक्ष	2983 TCo ₂ e (कर्मचारियों का आना-जाना - श्रेणी 7) 2105.86 TCo ₂ e (व्यावसायिक दौरा - श्रेणी 6)	लागू नहीं
कुल दायरा 3 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		लागू नहीं	लागू नहीं

स्कोप 3 उत्सर्जन के लिए, इस चरण में केवल कर्मचारियों के आने-जाने और व्यावसायिक दौरों को ही शामिल किया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव-विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं क्योंकि हमारा कोई भी कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित नहीं है

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उसी का विवरण और ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:

संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए खास पहल या नई टेक्नोलॉजी और समाधानों में शामिल हैं: पानी बचाने वाले फिक्स्चर, LED लाइट, ऑक्यूपेंसी सेंसर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी बचाने वाले उपकरण जैसे VRF टाइप AC मशीन और 5-स्टार AC मशीन, एनर्जी लेवल II ट्रांसफॉर्मर वगैरह। साथ ही, AC मशीनों में पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजेंट गैस का इस्तेमाल और बिजली बनाने के लिए रूफटॉप सोलर का इस्तेमाल भी शामिल है। हमने पहले से बनी 26 इमारतों के लिए ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है और वित्त वर्ष 2025-26 में 32 और इमारतों के लिए ऐसा ही सर्टिफिकेशन पाने की योजना बना रहे हैं।

5. क्या इकाई के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है?

हाँ, कॉर्पोरेशन के पास बोर्ड से मंजूर 'बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट' (BCM) प्लान है। इसे सिस्टम फेल्युअर, प्राकृतिक आपदाओं या साइबर हमलों जैसी रुकावटों के दौरान भी ज़रूरी कामकाज को जारी रखने के लिए बनाया गया है। इस प्लान का मकसद कामकाज रुकने के समय (डाउनटाइम) को कम करना, ज़रूरी कामों को सुरक्षित रखना, आर्थिक नुकसान घटाना और तेज़ी से रिकवरी करना है। BCM प्लान में ज़रूरी बिज़नेस कामों को जारी रखने या तेज़ी से बहाल करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ बताई गई हैं। कॉर्पोरेशन अपने 'बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम' के लिए ISO 22301 प्रमाणित है, जो ऑपरेशनल तैयारी के प्रति उसकी मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके अलावा, बोर्ड से मंजूर एक अलग 'IT डिज़ास्टर रिकवरी' (ITDR) पॉलिसी है, जो बिज़नेस की ज़रूरतों के हिसाब से IT सिस्टम, एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा, बैकअप और रिकवरी के लिए गाइडलाइंस तय करती है। ज़रूरी प्रक्रियाओं के लिए नियमित रूप से बिज़नेस कंटीन्यूटी और डिज़ास्टर रिकवरी ड्रिल की जाती हैं, जिससे बिज़नेस में रुकावट के जोखिमों के खिलाफ कॉर्पोरेशन की क्षमता और मज़बूत होती है।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करना। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति जीवन बीमा है।

ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई है। हालाँकि, कॉर्पोरेशन के लिए किए जाने वाले इंजीनियरिंग कामों में, हम पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी उपाय कर रहे हैं, जैसे: कंक्रीट के काम के लिए RMC (रेडी मिक्स कंक्रीट) का इस्तेमाल, फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल, साइट पर धूल कम करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का इस्तेमाल और ऐसे बिल्डिंग मटीरियल का इस्तेमाल जिनसे कम कार्बन फुटप्रिंट निकलता हो, वगैरह। हाउसकीपिंग वेंडर अपने काम के लिए किसी भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

7. वैल्यू चेन पार्टनर्स (ऐसे पार्टनर्स के साथ किए गए बिज़नेस की वैल्यू के आधार पर) का प्रतिशत, जिनका पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के लिए आकलन किया गया।

हमने इस साल किसी भी वैल्यू चेन पार्टनर का आकलन नहीं किया है।

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या खरीदे गए हैं:

अ. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

ब. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा।

शून्य

सिद्धांत 7: सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो आवश्यक संकेतक

1. अ. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

निगम का 15 से अधिक व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबंध है

- ब. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) संस्था का सदस्य / संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसायटी (आईएसटीडी)	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क (एनएचआरडी)	राष्ट्रीय
3	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)	राष्ट्रीय
4	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद (एएससीआई)	राष्ट्रीय
5	अखिल भारतीय प्रबंधन परिसंघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
6	भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)	राष्ट्रीय
7	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
8	बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई)	राष्ट्रीय
9	मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट सोसाइटी, गुडगांव	राष्ट्रीय
10	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना।

किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है।

नेतृत्व संकेतक

1. निगम द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

एलआईसी ने खुद को पसंद के बीमाकर्ता के रूप में स्थापित किया है और उदारीकरण के दो दशक से ज्यादा के बाद भी अपनी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखना जारी रखा है, जिसमें प्रमुख व्यवसाय मिश्रण मुख्य रूप से एजेंसी बल के माध्यम से भाग लेने वाले व्यवसाय से आता है। इसके अलावा, एलआईसी ने जीवन बीमा के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता का लाभ उठाया है और ग्राहकों के भौतिक से डिजिटल यानी 'फिजिटल' मोड में प्रवास के साथ डिजिटल जुड़ाव और सेवाओं की डिजिटलीकृत डिलीवरी का पीछा कर रहा है।

हम पॉलिसी धारक और बड़े पैमाने पर बीमा उद्योग के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा परिषद के माध्यम से नियामक को विभिन्न एक्सपोजर ड्राफ्ट, नियमों में प्रस्तावित संशोधन आदि पर इनपुट/विचार/सुझाव प्रदान करते हैं।

हम हर साल पूरे भारत में बीमा जागरूकता अभियान (आईएसी) आयोजित करते हैं। आईएसी के तहत हमने पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जो हमारी उपलब्धियों, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो और पॉलिसीधारकों को दी गई विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डालते हैं। हम टीवी विज्ञापनों के साथ-साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, लोगों से एनिमेटेड वीडियो के साथ-साथ अपने पहले वेतन के साथ बीमा खरीदने का आग्रह करते हैं, पूरे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार / संगीत और सामान्य मनोरंजन चैनलों पर बीमा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। क्रिएटिव विभिन्न आईएसी के लिए तैयार किए जाते हैं जैसे, अपने केवाईसी को अपडेट करना और एनईएफटी विवरण जमा करना, नीतियों का पुनरुद्धार, नई योजनाएं / उत्पाद। बीमा के बारे में प्रासंगिक संदेश पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है।

हम नई पहलों की जांच-परख के लिए लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों का भी हिस्सा हैं।

सिद्धांत 8: व्यवसायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण (एसआईए)।

फ़ाउंडेशन यह पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हर पहल से फ़ायदा पाने वालों की ज़िंदगी पर सार्थक और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़े। हालाँकि असर का अध्ययन करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को शामिल नहीं किया गया है, तथापि फ़ाउंडेशन हर साल अपने कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और पहुँच का आकलन करने के लिए एक व्यापक आंतरिक मूल्यांकन करता है। ज़ोनल इंस्पेक्शन टीमों नियमित रूप से GJF-समर्थित प्रोजेक्ट्स की निगरानी और समीक्षा करती हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि फंड का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से और सिर्फ उसी मकसद के लिए किया जाए जिसके लिए वे दिए गए थे। ये निरीक्षण यह समझने में भी मदद करते हैं कि प्रोजेक्ट्स समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों की कितनी अच्छी तरह मदद कर रहे हैं।

ये डिवीज़न सीधे लाभार्थियों के संपर्क में रहते हैं, जिससे लगातार फ़ीडबैक मिलता है और ज़मीनी स्तर पर नतीजों की बेहतर समझ बनती है। मरीज़ों के इलाज में मदद करने वाली पहलों के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मकसद से संबंधित अस्पतालों से इलाज और खर्च की विस्तृत समरी रिपोर्ट ली जाती है।

इसके अलावा, GJF स्कॉलर्स और फ़ायदा उठाने वालों के अनुभव और विचार, फ़ाउंडेशन की कोशिशों से आए सकारात्मक बदलाव की प्रेरणादायक मिसाल हैं। लगातार मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के ज़रिए, फ़ाउंडेशन भरोसा बनाए रखने, सामाजिक असर को ज़्यादा से ज़्यादा करने और समुदायों में सार्थक बदलाव लाने की कोशिश करता है। GJF स्कॉलर्स से मिले अनुभव और विचार, फ़ाउंडेशन की पहलों से आए बदलावकारी असर की ज़बरदस्त मिसाल हैं। उनकी सफलता की कहानियाँ, अनुभव और आभार के शब्द फ़ाउंडेशन को काबिल लोगों को सशक्त बनाने और बेहतर भविष्य के लिए मौके बनाने का काम जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं।

2. आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के लिए निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें:

शून्य

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।

फ़ाउंडेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने और स्कॉलर्स को चुनने के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी सिस्टम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। डिवीज़नल, ज़ोनल और सेंट्रल ऑफिस को शामिल करने वाला एक मज़बूत तीन-स्तरीय सिस्टम यह पक्का करता है कि हर प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन हो और फ़ाउंडेशन की पहलों का फ़ायदा देश भर के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तक समान रूप से पहुँचे।

फाउंडेशन द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने और विद्वानों के चयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। फाउंडेशन (अखिल भारत) की धर्मार्थ गतिविधियों के सभी विवरण हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध हैं। कोई शिकायत नहीं है।

फाउंडेशन लाभार्थियों और स्टैकहोल्डर्स के साथ मज़बूत बातचीत बनाए रखने में भी विश्वास रखता है। मिली किसी भी शिकायत या चिंता का समाधान डिविज़नल, ज़ोनल और सेंट्रल ऑफिस विभागों के आपसी सहयोग से तुरंत और संवेदनशीलता के साथ किया जाता है। इस तरह की तत्परता से भरोसा बढ़ता है, समुदाय के साथ रिश्ते मज़बूत होते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि फाउंडेशन की सेवाएँ समाज पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव डालती रहें।

फाउंडेशन पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय के कल्याण के प्रति अपनी मज़बूत प्रतिबद्धता से प्रेरित है। किसी भी शिकायत पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और डिविज़नल, ज़ोनल और सेंट्रल ऑफिस विभागों के आपसी सहयोग से उसका समाधान किया जाता है। इस व्यवस्थित तरीके से यह सुनिश्चित होता है कि हर समस्या को सावधानी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाए। बातचीत के खुले रास्ते और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर, फाउंडेशन उन समुदायों के साथ भरोसा मज़बूत करता है और सार्थक रिश्ते बनाता है जिनकी वह सेवा करता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट):

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी बीमा व्यवसाय में है।

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के % के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें

स्थल	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2024-25
ग्रामीण	0.59%	0.69%
अर्ध शहरी	27.43%	31.21%
शहरी	33.66%	36.71%
महानगर	38.32%	31.38%

इसके अलावा, एक बड़े एजेंसी नेटवर्क को तैयार और विकसित करके हमने ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। एजेंसी से जुड़े ये अवसर स्वरोज़गार देते हैं, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

सामाजिक प्रभाव आकलन में कोई नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की पहचान नहीं की गई थी।

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी इकाई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

फाउंडेशन देश भर में समावेशी और टिकाऊ सामुदायिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' (आकांक्षी जिलों) पर विशेष ध्यान देता है। विकास के अंतर को कम करने और वंचित समुदायों को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दिखाते हुए, फाउंडेशन ने 31 आकांक्षी जिलों में कुल 13.88 करोड़ रुपये के निवेश से 55 असरदार प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं। इन पहलों ने ज़रूरी बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके और विकास व सशक्तिकरण के अवसर पैदा करके हज़ारों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। इन प्रोजेक्ट्स में स्कूल की इमारतें, कौशल विकास केंद्र, मल्टीपर्स हॉल, आदिवासी लड़कियों के लिए कमरे और टॉयलेट ब्लॉक, पैथोलॉजी यूनिट, डे-केयर सेंटर और महिला सशक्तिकरण की पहल शामिल हैं।

इसके अलावा, फाउंडेशन ने ज़रूरी हेल्थकेयर और कम्युनिटी वेलफ़ेयर सेवाओं में मदद की है। इसमें एम्बुलेंस, मरीज़ों को लाने-ले जाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन, स्कूली बच्चों के लिए गाड़ियाँ और खाना बाँटने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं, ताकि ज़रूरतमंदों तक मदद पहुँच सके। इन सार्थक प्रयासों के ज़रिए, फाउंडेशन शिक्षा, हेल्थकेयर, महिला सशक्तिकरण और कम्युनिटी वेलफ़ेयर को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, देश के उन इलाकों में जहाँ सुविधाओं की कमी है, वहाँ सर्वांगीण और समान विकास के विज़न में योगदान दे रहा है।

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)

नहीं, हमारे पास अधिमान्य खरीद नीति नहीं है। हालांकि, हम हाशिए या कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री और सेवाओं की खरीद के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

- (ख) आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (MSE) के तहत रजिस्टर्ड ग्रुप्स (जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं) और MSE के तहत रजिस्टर्ड SC/ST वेंडर्स को प्राथमिकता दी जाती है। साल 2025-26 में, MSE के तहत SC/ST से की गई खरीद का प्रतिशत 2.73% था। हमारी खरीद प्रक्रिया में सभी वेंडर्स को समान अवसर देने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ (MSMEs) और लोकल सप्लायर्स से प्राथमिकता के आधार पर खरीद करने के सरकारी नियमों का पालन करते हैं, जिससे लोकल इकॉनमी और बिज़नेस को बढ़ावा मिलता है।

- (ग) यह कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) का कितना प्रतिशत है?

	वर्तमान वित्त वर्ष 25-26			पिछला वित्त वर्ष 24-25		
	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद (राशि करोड़ में)	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद (राशि करोड़ में)	%
एमएसई विक्रेताओं से खरीद	224.14	425.60	52.66	1,253.94	3,029.63	41.38
एमएसई के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विक्रेता	11.63	425.60	2.73	230.28	3,029.63	7.60

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) द्वारा स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

लागू नहीं है क्योंकि हम आविष्कारों, या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले किसी भी कलात्मक कार्यों के व्यवसाय में नहीं हैं, जिसके लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) मालिकों को आईपी कानूनों के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। हालांकि, हमारे इन-हाउस विकसित अनुप्रयोग हमारे संचालन की आंतरिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करते हैं और हम व्यापक उद्योग और समुदाय के साथ ज्ञान साझा करने और सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

एलआईसी जीजेएफ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परियोजनाओं का समर्थन करता है जो देश भर में इसके उद्देश्यों - गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु से जुड़ी हैं। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लाभार्थी हैं:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: फाउंडेशन शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में योगदान देता है जैसे कि निम्न आय वर्ग के लोगों के बीच डिजिटल कौशल विकसित करने के लिए कौशल केंद्र का निर्माण, छात्रावास, स्कूल भवन, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्कूल बस, विकलांग बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा उपकरण और ऑडियो-विजुअल उपकरण, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए, एलआईसी जीजेएफ द्वारा गोद लिए गए गांव गोविंदपुर में 100% साक्षरता के लिए साक्षरता अभियान। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 41,776 योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप देने पर 105.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है।

अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती:

फाउंडेशन ने कई प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिया है, जैसे कि मेडिकल उपकरण, ICU एम्बुलेंस और मेडिकल वैन उपलब्ध कराना, अस्पताल

बनवाना, और कैंसर मरीजों का इलाज, जन्मजात हृदय की सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में मदद करना। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों द्वारा लगाए गए मेडिकल कैप के ज़रिए भी गरीब मरीजों की पहचान की जाती है और उन्हें ज़रूरी इलाज दिया जाता है। फ़ाउंडेशन ने बड़े अस्पतालों, खासकर कैंसर अस्पतालों को मेडिकल उपकरण, एम्बुलेंस और इलाज में मदद दी है। इनमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (मुंबई), अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट (चेन्नई), किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी (बैंगलोर), रीजनल कैंसर सेंटर (तिरुवनंतपुरम), चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (कोलकाता), श्री विठ्ठलराव जोशी चैरिटीज़ ट्रस्ट - बी के एल वालावलकर हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर (चिपळूण), हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (गोरखपुर) और डॉ. शीला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मथुरा, बागची श्री शंकरा कैंसर फ़ाउंडेशन, भुवनेश्वर, श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर इंस्टीट्यूट, गाज़ियाबाद, श्री शंकरा कैंसर फ़ाउंडेशन, बैंगलोर, श्रीमती नंदमुरी बसवातारका रामाराव मेमोरियल कैंसर फ़ाउंडेशन, खैरताबाद, इंदौर कैंसर फ़ाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, पिगदंबर, मालाबार कैंसर सेंटर सोसाइटी, थलासेरी, मोहननंद कैंसर डायग्नोस्टिक एंड वेलफ़ेयर सोसाइटी, आसनसोल, कैंसर रिलीफ़ सोसाइटी - राष्ट्रसंत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद।

वोकेशनल ट्रेनिंग और रोज़गार के साधन बनाना: फ़ाउंडेशन ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने और उन्हें ज़रूरी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए फ़ंड दिया है, ताकि लोग रोज़गार के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग ले सकें। महिला हथकरघा बुनकरों की स्किल बढ़ाने और उन्हें रोज़गार के लिए सशक्त बनाने के मकसद से उनकी ट्रेनिंग के लिए भी फ़ंड दिया गया है। इन पहलों से लोगों को लंबे समय तक आमदनी देने वाले रोज़गार के मौके मिले हैं और वे ज़्यादा आत्मनिर्भर बने हैं।

आदिवासी प्रोजेक्ट्स: आदिवासी कल्याण के प्रति अपनी मज़बूत प्रतिबद्धता के साथ, फ़ाउंडेशन ने आदिवासी समुदाय को फ़ायदा पहुँचाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड दिया है। इसमें स्कूल की इमारतें, हॉस्टल, स्किल-बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, टॉयलेट ब्लॉक, एम्बुलेंस और छात्रों के लिए स्कूल बस बनाने में मदद शामिल है। फ़ाउंडेशन ने 39 आदिवासी प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 9.05 करोड़ रुपये का फ़ंड दिया है।

आपदा राहत: संकट के समय में, फ़ाउंडेशन देश के साथ मज़बूती से खड़ा रहा है। जैसे COVID-19 राहत उपायों के तहत PM केयर्स फ़ंड, महाराष्ट्र सरकार के कोविड राहत फ़ंड, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल राहत फ़ंड आदि में योगदान दिया है।

प्राकृतिक आपदा में राहत: फ़ाउंडेशन ने चेन्नई और केरल में बाढ़, चक्रवात फ़ानी के दौरान और ओडिशा के चक्रवात-संभावित आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मयूरभंज ज़िले के उदाला में मल्टीपर्स चक्रवात शेल्टर बनाने में मदद की है। इसके अलावा, धरलाई राहत पीड़ितों, पंजाब में बाढ़ आदि के लिए भी फ़ंड दिया गया है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष: केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों, विधवाओं के कल्याण और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए स्थापित भारतीय रक्षा बल के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में योगदान दिया गया है।

जलवायु कार्रवाई: पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के महत्व को पहचानते हुए, फ़ाउंडेशन ने स्कूल छात्रावास भवन, वृद्धाश्रम और विद्युत शवदाह गृह में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण और बिजली की लागत कम होगी।

स्वच्छ जल और स्वच्छता: स्वच्छ जल और स्वच्छता के तहत, फ़ाउंडेशन ने हरि तीर्थम, कन्याकुमारी में जल निकायों के नवीनीकरण और समुदायों के लिए ताजे पानी की उपलब्धता को सक्षम करने में योगदान देकर प्रभावशाली पहल की है। बट्टीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार के आगंतुकों को स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराने के लिए भी धन आवंटित किया गया।

कोल्हापुर की झुग्गी-बस्तियों में 'वन होम वन टॉयलेट स्कीम' के तहत शौचालय बनाने में योगदान दिया गया। देश भर के 113 स्कूलों में 169 शौचालय और कई स्कूलों में टॉयलेट ब्लॉक बनाने के लिए फ़ंड दिया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में LIC द्वारा गोद लिए गए गांव गोविंदपुर को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए दो सामुदायिक शौचालय बनाने में योगदान दिया गया। बट्टी धाम में ई-टॉयलेट बनाने में योगदान दिया गया और गंगा नदी व उसके इकोसिस्टम को फिर से बेहतर बनाने के लिए 'क्लीन गंगा फ़ंड' में फ़ंड दिया गया। आश्रय केंद्र में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए फ़ंड दिया गया। इन कोशिशों ने उन इलाकों में, जहाँ सुविधाएँ कम हैं, साफ़-सफ़ाई, स्वच्छता और साफ़ पानी की उपलब्धता में काफ़ी योगदान दिया है।

आदिवासी कला का संरक्षण और सुरक्षा: फ़ाउंडेशन ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण और सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाई है। इसने ओडिशा के रायगडा ज़िले के तीन लंजिया सौरा गांवों में आदिवासी कला दीर्घाओं (गैलरी) के निर्माण में मदद की है। ये दीर्घाएँ सौरा पेंटिंग और आदिवासी समुदायों की समृद्ध कलात्मक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

भूमि पर जीवन: ज़मीन पर जीवन और पशु कल्याण के समर्थन में, फ़ाउंडेशन ने जंगली जानवरों के बचाव और उन्हें लाने-ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए फ़ंड दिया है। साथ ही, गुड़गांव के गोपालपुर खेड़ा गांव में जानवरों के बचाव और पुनर्वास के लिए एक पशु अभयारण्य में सोलर प्लांट लगवाया है और पेड़ लगाने के अभियान भी शुरू किए हैं।

इन विविध और असरदार पहलों के ज़रिए, LIC गोल्डन जुबली फ़ाउंडेशन लोगों के जीवन को बेहतर बनाता रहा है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता रहा है और राष्ट्र-निर्माण तथा समुदाय के टिकाऊ विकास में सार्थक योगदान देता रहा है।

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1	वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सामुदायिक विकास गतिविधियों के तहत 119 परियोजनाएं पूरी की गईं, जिनसे 59,383 लोगों को लाभ मिला; साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10,660 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई।	59383	100%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें

ग्राहक संबंध और ग्राहक सेवा की भावना हमारी शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है, जिसमें सभी स्पर्श बिंदुओं पर ग्राहक उन्मुख कर्मियों को रखने पर जोर दिया गया है। मानवीय हस्तक्षेपों को कम करने और शिकायतों को कम करने के लिए आईटी समर्थित सहायता प्रणाली प्रचालित की गई है। निगम के पास एक ग्राहक अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्राहक पोर्टल पर पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत दर्ज कर सकता है और हमारी वेबसाइट <https://licindia.in/> पर उपलब्ध 'एलआईसी की ई-सेवाओं' के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है। IRDAI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली-बीमा भरोसा के तहत पंजीकृत शिकायतें LIC की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ समन्वयित हैं। ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निगम के शाखा/मंडलीय/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी हैं। उनके नाम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संबंधित जीआरओ अपने कार्यालयों में ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सभी सोमवार को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच उपलब्ध हैं। ग्राहक पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर अन्य दिनों में जी.आर.ओ. से मिल सकते हैं। ग्राहक अपनी शिकायतें डाक, ई-मेल आदि के माध्यम से संबंधित सर्विसिंग कार्यालयों/जीआरओ को भी भेज सकते हैं।

पूरे भारत में सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक कुल 74 ग्राहक क्षेत्र संचालित होते हैं जो 'गुणवत्ता अनुभव' पर विशेष जोर देने के साथ ग्राहक की सभी सर्विसिंग आवश्यकताओं के समाधान के लिए 'वन-स्टॉप सेंटर' के रूप में काम करते हैं।

एलआईसी के पास एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर सेवा 24 * 7 उपलब्ध है। नंबर 022-68276827 है जिसमें एक व्यापक आईवीआरएस मेनू के साथ-साथ विशिष्ट प्रश्नों और सूचनाओं के लिए कॉल सेंटर के कार्यकारी के साथ बात करने और शिकायत के लिए सीसीएस (कॉल सेंटर सर्विसेज) टिकट बढ़ाने का विकल्प है। ये सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

हमारे पास LICHELP नामक एक एसएमएस पहल है, जहां पॉलिसीधारकों को 9222492224 पर एक एसएमएस LICHELP<POLICYNO> भेजने की आवश्यकता है। एसएमएस प्राप्त होने पर, पॉलिसी की सर्विसिंग शाखा से जुड़े ग्राहक क्षेत्र का एक अधिकारी, ग्राहक की शिकायत या अनुरोध के समाधान के लिए उनसे संपर्क करता है। हम पॉलिसी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से अपडेट करते हैं।

जिन पॉलिसी होल्डर्स का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उनके लिए हमारे पास 8976862090 पर WhatsApp सर्विस उपलब्ध है, ताकि वे पॉलिसी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी पा सकें।

अस्वीकृत मृत्यु दावों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय स्तरों पर 'दावा विवाद निवारण समितियां' स्थापित की जाती हैं। समिति में एलआईसी के दो या अधिक वरिष्ठ अधिकारी और जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के एक माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं।

एलआईसी के पास भारत सरकार के दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के तहत भूमिका-आधारित पहुंच है, 1) सीपीजीआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) और 2) एनसीएच (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) - इनग्राम मॉड्यूल (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) पॉलिसीधारकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपलब्ध है, जिनका सीधे जवाब दिया जाता है।

LIC ने IRDAI के (बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस) रेगुलेशन, 2024 के रेगुलेशन 5(5) और उसके तहत जारी मास्टर सर्कुलर (संशोधित) के अनुसार, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा, शिकायत निवारण और क्लेम मॉनिटरिंग कमिटी (PPGR&CM) का गठन किया है।

2. उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, जिनके बारे में जानकारी होती है: लागू नहीं
3. लिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2025-2026		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 24-25		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	1	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
विज्ञापन	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
साइबर सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	49011	0	लागू नहीं	54636	0	लागू नहीं
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अनुचित व्यापार व्यवहार*	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य	17412	0	लागू नहीं	19654	0	लागू नहीं

नोट: FY 2025-26 के लिए कुल शिकायतों में तीनों पोर्टल्स - ICMS, CPGRAMS और NCH - पर प्राप्त शिकायतें शामिल हैं।

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:
शून्य
5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।
हां, निगम के पास डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा पर नीतियां और प्रक्रियाएं हैं। नीतियों का पूरा सेट सभी कर्मचारियों के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है।
6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना / की गई कार्रवाई।
निगम ग्राहकों की साइबर सुरक्षा एवम डेटा गोपनीयता से सम्बंधित किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान हेतु सक्रिय रूप से आवश्यक कदम उठाता है।
7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
- अ) डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या
29.07.2025 को साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की एक घटना की सूचना मिली थी।
- आ) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत
लागू नहीं
- इ) प्रभाव, यदि, कोई हो, डेटा उल्लंघनों का
कोई प्रभाव नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।
निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन यानी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर

उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने, शिक्षित करने और हमारे ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

- ❖ मोबाइल ऐप: 'My LIC APP', 'LIC Digital APP'
- ❖ फेस बुक, LICIndiaForever
- ❖ यूट्यूब, LICIndiaForever
- ❖ इंस्टाग्राम, LICIndiaForever
- ❖ लिंकडीन, LICIndiaForever
- ❖ एक्स (ट्विटर) हैंडल: LICIndiaForever
- ❖ व्हाट्सएप: 8976862090
- ❖ कॉल सेंटर: 022- 6827 6827

LIC ने कई तरह की सेवाओं के लिए 'My LIC APP' लॉन्च किया है, जैसे कि KYC वेरिफिकेशन, ऑनलाइन पॉलिसी लोन, पॉलिसी रिन्यूअल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना, ईमेल ID अपडेट करना, पता अपडेट करना, NEFT डिटेल्स अपडेट करना, प्रीमियम पेमेंट, बैंक डिटेल्स अपडेट करना, DGH के साथ ऑनलाइन रिवाइवल वगैरह।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बीमा एक इनटैन्जिबल उत्पाद है इसलिए सामान्य उपयोग और सुरक्षा मानदंड इस पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, जोखिम कवर की निरंतरता के लिए, प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। जहां मोबाइल नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में पंजीकृत है, उन पॉलिसीधारकों को एसएमएस भेजे जाते हैं जो उन्हें भुगतान के लिए देय प्रीमियम के बारे में सूचित करते हैं। जहां पॉलिसी रिकॉर्ड में कोई मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, हम पॉलिसीधारकों को डाक द्वारा प्रीमियम देय सूचना भेज रहे हैं, ताकि पॉलिसियों को लागू रखा जा सके और ग्राहक पॉलिसी के तहत बीमा लाभों का आनंद ले सकें। ग्राहकों को धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएमएस भेजे जाते हैं। किसी भी ऑनलाइन लेनदेन के लिए हमारे लिंक पर आने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

WhatsApp पर LIC की सर्विस शुरू की गई है, जहाँ पॉलिसीहोल्डर अपने बकाया प्रीमियम की जानकारी ले सकते हैं, लोन और लोन चुकाने का कोटेशन, प्रीमियम पेमेंट का सर्टिफिकेट, ULIP यूनिट स्टेटमेंट वगैरह पा सकते हैं। एक्टिव कस्टमर्स को समय-समय पर जानकारी भेजी जाती है ताकि उन्हें फ़र्जी कॉल्स और KYC जमा करने के नाम पर आने वाली झूठी कॉल्स के बारे में जागरूक किया जा सके। साथ ही, कस्टमर्स के साथ होने वाली बातचीत में फ़र्जी कॉल्स से जुड़ी चेतावनी (डिस्क्लेमर) भी शामिल होती है। हम इन-हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देते हैं जो कस्टमर्स को समय-समय पर कई तरह की सर्विस देते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट भेजे जाते हैं। हम क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेज़ी अखबारों में विज्ञापन देकर क्लेम सेटलमेंट की ज़रूरतों के बारे में जानकारी देते हैं। हम Facebook और Instagram पेज जैसे सोशल मीडिया पर भी नियमित रूप से विज्ञापन डालकर कस्टमर्स को जानकारी और जागरूकता देते हैं। हम ईमेल, WhatsApp मैसेज, My LIC ऐप, डाक से भेजे जाने वाले लेटर और कभी-कभी IVRS या AI एजेंट वॉइस बॉट के ज़रिए भी जानकारी शेयर करते हैं।

3. आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

पॉलिसीधारकों को उनके द्वारा अनुरोधित सेवाओं के बारे में एसएमएस के माध्यम से अपडेट रखा जाता है। समाचार पत्रों में प्राकृतिक आपदा के मामले में विज्ञापन दिया जाता है, जो ग्राहकों को दावे की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है ताकि दावे का त्वरित और परेशानी मुक्त प्रोसेसिंग हो सके।

सेवा में व्यवधान / बंद होने के किसी भी जोखिम के मामले में मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ हमारे पास एक व्यवसाय निरंतरता योजना है।

4. क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई या इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?

बीमा उत्पादों और सेवाओं के बारे में ज़रूरी जानकारी हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध है।

इस जुड़ाव के कुल अनुभव पर ग्राहकों की राय जानने के लिए, ग्राहकों की बैठकों और भुगतान करने वाले अधिकारियों से मुलाकात के ज़रिए फीडबैक लिया जाता है।

RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2026

To,
The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Central Office, "Yogakshema",
Jeevan Bima Marg,
Mumbai - 400 021.

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 24.04.2026 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 24.04.2026 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2026 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in Annexure 1 to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), SEBI/HO/CFD-PoD-1/CIR/2025/42 dated 28th March, 2025, the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct issued by

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkgroup.co.in

Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework") and Industry Standards on Reporting of BRSR Core vide SEBI circular no. SEBI/HO/CFD-PoD-1/D/CIR/2024/177 dated 20th December 2024.

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.

Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants

Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Accountants of India ("ICAI") and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement. Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgement and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.
- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Obtained representations from the Corporation's Management.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2026.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.

Mobile: 09425112778, 8770223278

Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.
- We have not performed any procedures with respect to prior periods information.

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2026 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

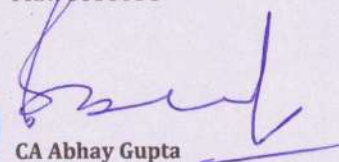
Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.**Chartered Accountants****"JAIGURUDEV"****Head Office:** 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.**Mobile:** 09425112778, 8770223278**Email:** ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in**Restriction on use or distribution**

Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressee of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

Place: Mumbai
Date: 17.06.2026**For Rama K. Gupta & Co.**
Chartered Accountants
FRN: 005005C
CA Abhay Gupta
Partner
Membership No. 087679
UDIN: 26087679SDRVXU9956

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |

RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Annexure I

BRSR Core Attributes

BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment	
Attribute 1: Green-house gas (GHG) footprint	
Question 7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity owned or controlled sources.	Reasonable
Total Scope 1 emissions	
Total Scope 2 emissions	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 2: Water footprint	
Question 3: Details of the following disclosures related to water:	Reasonable
Water withdrawal by source (in kiloliters)	
Total volume of water withdrawal (in kiloliters)	
Total volume of water consumption (in kiloliters)	
Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption / Revenue from operations)	
Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity(PPP)	
Water intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Question 4: Details related to water discharged:	
Water discharge by destination and level of treatment (in kiloliters)	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Total water discharged (in kiloliters)	
Attribute 3: Energy footprint	
Question 1: Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable
Total energy consumed from renewable sources	
Total energy consumed from non-renewable sources	
Energy intensity per rupee crore of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	
Energy intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Energy intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 4: Embracing circularity - details related to waste management by the entity	
Question 9: Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable
Total Waste generated for each category of waste (in metric tonnes)	
Waste intensity per rupee crore of turnover (Total waste generated/Revenue from Operations)	
Waste intensity per crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Waste intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, reusing or other recovery operations (in metric tonnes)	
For each Category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	
Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, Including those in their value chains	
Attribute 5: Enhancing Employee Wellbeing and Safety	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkgroup.co.in

Question 1(C): Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	Reasonable
Question 11: Details of safety related incidents for Employees and Workers:	
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	
Total recordable work-related injuries	
No. Of fatalities	
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	
Principle 5: Businesses should respect and promote human	
Attribute 6: Enabling Gender Diversity in Business	
Question 3(b): Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity	Reasonable
Question 7: Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:	
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act. 2013 (POSH)	
Complaints on POSH as a % of female employees /workers	
Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development	
Attribute 7: Enabling Inclusive Development	
Question 4: Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: a. Directly sourced from MSMEs/ small producers b. Directly from within India	Reasonable
Question 5: Job creation in smaller towns — Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost.	
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customer in a responsible manner	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.

Mobile: 09425112778, 8770223278

Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers

Question 7: Provide the following information relating to data breaches:

a. Number of instances of data breaches

b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers

c. Impact, if any, of the data breaches

Question 8: Number of days of accounts payable $\left(\frac{\text{Accounts payable} \times 365}{\text{Cost of goods/services procured}} \right)$

Reasonable

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Attribute 9: Open-ness of business

Question 9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:

Concentration of Purchases

Concentration Of Sales

Share of RPTs in

a. Purchases (Purchases With related parties / Total purchases)

b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)

c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)

d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)

Reasonable



Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |

LIC - The Journey



1956

- LIC established by Nationalization of 245 Private Companies on 1st September.
- Foreign Branches in Fiji and Mauritius started.

1957

- First Master Policy for a Group Insurance Scheme & Group Superannuation Policy was issued by the Mumbai Office of LIC
- 'Yogakshema' Corporate Magazine started as a quarterly magazine in May.

1958

- LIC's First Investment Policy placed on the table of Parliament on 25th August.
- First Bima Gram- Talni Purna Village in Amravati Distt declared.

1963

- LIC adopted the Change over from Calendar Year to Financial Year working.



- 'Yogakshema', an architectural landmark, Corporate Office of LIC inaugurated by Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 26th December.

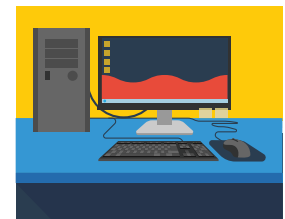


1970

- Commemorative Stamp and Post Card issued through Indian Posts and Telegraphs depicting Indian Life Insurance. 1870-1970. (A Century of Life Insurance in India).

1969

- Officer's Training College which was founded on 16th May 1960 shifted from Nagpur to Borivali, Mumbai.



1967

- Computerization in LIC
- IBM 1401/1410 Computer installed at Mumbai.



1971

- The concept of Agents' Clubs was introduced in 1971 to professionalize the Agency force. Viz. Chairman's, Zonal Manager's, Divisional Manager's and Branch Manager's Club member agents.

1972

- Career Agency Scheme comes into existence and the first Career Agents' Branches were set up.
- LIC of India (Agents) Regulations were formulated.
- The Reorganisation Policy was implemented from the period 1971 to 1978.

1979

- Rural Career Agency Scheme and Urban Career Agency Scheme came into existence separately.

1978

- Joint Venture Kenindia Assurance Co. Limited started.

1980

- Direct Recruitment of Development Officers began.
- The National Insurance Academy (NIA) sponsored jointly with GIC and its subsidiaries was founded.

1981

- Jana Raksha Policy launched to cater to the rural masses.

1982

- ECIL-2958 Mainframe computer installed at Mumbai

1987

- The flagship Group Insurance Scheme viz. Landless Agricultural Labourers' Group Insurance (LALGI) was introduced in August.



1989

- LIC turns into a financial conglomerate
- LIC Housing Finance came into existence.
- LIC Mutual Fund constituted as a Trust on 20th April
- Joint Venture LIC International BSC(c) Bahrain inaugurated

1988

- A Social Security Fund with a corpus of ₹ 100 crore was set up by Govt. of India covering weaker sections of society.

1994

- The Corporate Flag and the Corporate Anthem (Nigam Geet) were introduced.

1993

- Software Development Centre established at Corporate Office. Front End Applications Package introduced on 17th July in 17 BOs.

1997

- LIC's first Metro Area Network(MAN) inaugurated in Mumbai by Shri P. Chidambaram, Hon'ble Finance Minister on 22nd November.

1998

- First IVRS inaugurated in Mumbai on 21st August.

1995

- The Rural Group Life Insurance Scheme (RGLIS) was launched on 15th August.

1996

- Jeevan Suraksha Pension Plan dedicated to the nation by the then Prime Minister Shri H D Deve Gowda on the occasion of LIC's 40th anniversary.

2000

- LIC engages M/s Booz Allen & Hamilton, the renowned international consultants on financial services to advise LIC on 'Process of Strategic Transformation' on 1st January.
- Wide Area Network (WAN) inaugurated on 2nd September.
- For faster dissemination of information LIC launched its website www.licindia.in and intranet Site 'Jeevan Sanchar'.



1999

- LIC International BSC(C) Bahrain extended its operations to Qatar with effect from 28th September.

2001

- The First Unit Linked Insurance Plan(ULIP) 'Bima Plus' launched on 12th February.
- Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana launched on 30th June.
- Premium payment facility through internet introduced on 12th September.
- Shikshan Sahyog Yojana inaugurated on 31st December.
- LIC (Nepal) Ltd. inaugurated as a joint venture between LIC and Vishal Group in Nepal on 3rd December.





2003

- LIC (Lanka) Ltd inaugurated as a Joint Venture between LIC and Bartleet Group of Sri Lanka on 1st March.
- Bima School concept introduced.
- Varishtha Pension Bima Yojana launched on 14th July.
- LIC's first ever Premium Payment Facility through ATM inaugurated in collaboration with Corporation Bank on 20th December.

2004

- Premium Payment through ECS and Kiosk started.
- MOU signed for establishing a Joint Stock company in Saudi Arabia on 20th December. (SICCI)

2005

- LIC's First Satellite Sampark Office (later renamed as Satellite Office) inaugurated in Rajendra Nagar, New Delhi (Delhi DO-1), NZ on 2nd September.
- LIC's Web Portal Inaugurated on 15th November.
- Launch of Enterprise Document Management System (EDMS).

2008

- LIC Cards Services Ltd. incorporated as a wholly owned subsidiary of LIC
- Chief Life Insurance Advisor (CLIA) Scheme started.
- Launch of LIC Pension Fund Ltd.
- LIC HFL Asset Management Company Ltd. (AMC) was incorporated on 14th February



2006

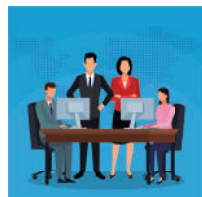
- LIC's Golden Jubilee Foundation established.

2011

- Integrated Complaint Management System (ICMS) launched.

2009

- Alternate Channels of premium payment started.
- LIC launched Credit Card 'LIC Card'.



2012

- Jeevan Akshay VI-first policy of LIC to be made available for online sale.
- Wholly owned subsidiary LIC (Singapore) Pte Ltd. incorporated

2014

- Club Galaxy introduced for Agents



2015

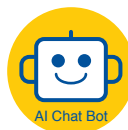
- Launch of three social security schemes Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana(APY).
- Joint Venture LIC of Bangladesh Ltd started.

2017

- Digitization of policy records for 29 Crore customers completed
- Premium payment through wallets, BHIM, UPI enabled.

2020

- ANANDA - an acronym for Atma Nirbhar Agent NB Digital Application launched on 19th November which provides for Life Insurance Policy through a Paperless module with the help of Agent.



2021

- Launch of ANANDA Mobile App - 24th August
- Deposit Collection Management Centre launched on 5th January.

2019

- IDBI bank acquisition - A Strategic Partnership.



2018

- LIC Training Centres (MDC, ZTCs) and CO OD/HRD awarded ISO9001:2015 Certificate and BIS accreditation approved
- LIC mobile app launched for Agents

2022

- First Indian Embedded Value Report as on 31.03.2022 presented
- Corporation's Shares Listed on Indian Stock Exchanges on 17.05.2022
- First Annual General Meeting of the Corporation held on 27.09.2022

2023

- Project DIVE Launched (Digital Innovation and Value Enhancement)

2024

- Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi launches LIC's BIMA SAKHI Yojana at Panipat
- LIC entered into agreement with CAMSREP for electronic issuance of policies (demat) being a major industry milestone.

2025

- LIC launches online facility for Premium payment through Whatsapp Bot
- Life Insurance Corporation of India achieves Guinness World Records™ Title for the Most Life Insurance Policies sold in 24 hours. This historic achievement, verified by GWR, recognizes the extraordinary performance of the Corporation's dedicated agency network on 20.01.2025
- LIC receives BSI Certification. LIC of India Receives the ISO 22301:2019 Business Continuity Management System Certification from British Standards Institution.

2026

- Launched the LIC's Customers App (MyLIC) and the Mobile App for the intermediaries (LIC's Super Sales Saathi)

Chief Executive Officer & Managing Director's Message



SHRI R DORAISWAMY

Chief Executive Officer and Managing Director

It is a privilege to present the Annual Report for the financial year 2025-26. It was a year defined by heightened global uncertainty and transformative shifts across economies and industries. The evolving geopolitical landscape, including ongoing conflicts and supply-side disruptions, has contributed to inflationary pressures, financial market volatility, and a more cautious growth environment worldwide. In such times, the role of the insurance sector as a pillar of stability and financial resilience becomes even more significant.

The year 2026 has been one of profound transformation for the insurance sector, shaped by evolving customer expectations, rapid technological advancement, and an increasingly complex global risk environment. Against this backdrop, our Corporation has remained steadfast in its purpose—to provide security, build trust, and create long-term value for all our stakeholders.

Geopolitical and economic dynamics - Creating Sustainable Value in a Changing World

As per IMF (International Monetary Fund) January 2026 report, global growth is expected to remain steady, with the momentum

in high-tech sectors set to slow but to continue to partly offset the drag elsewhere. While tariffs and uncertainty are projected to continue to weigh on the level of activity, the effect on growth is expected to fade during 2026 and 2027. At 3.3 percent for 2026 and 3.2 percent for 2027, the forecasts mark a slight deceleration from the estimated 3.3 percent achieved in 2025.

The ongoing US–Iran conflict in 2026 has indirectly influenced the life insurance sector in India through macroeconomic and financial market channels. Elevated crude oil prices have contributed to inflationary pressures, impacting household disposable incomes and potentially moderating new business growth, particularly in savings-oriented products. At the same time, heightened volatility in equity and debt markets has affected investment returns, posing challenges for insurers in managing participating funds and delivering stable bonuses. Persistently higher interest rates, driven by inflation concerns, have had a mixed impact—supporting yields on fixed-income investments while affecting the attractiveness of certain long-term savings products. Despite these near-term headwinds, the uncertain global environment has reinforced the importance of financial protection, leading to sustained demand for term insurance and protection-oriented solutions. The sector continues to demonstrate resilience, supported by strong regulatory oversight, disciplined asset-liability management, and an increasing shift toward protection, digitization, and customer-centric innovation.

Amid this environment, the Indian economy has demonstrated notable resilience. India's GDP growth is estimated to remain in the range of 6.5%–7.0% in FY 2025–26, reinforcing its position as one of the fastest-growing major economies in the world. Strong domestic demand, continued public investment in infrastructure and a stable financial system have underpinned this performance.

Our Corporation has remained steadfast in its purpose—to provide security, build trust, and create long-term value for all our stakeholders.



Emerging Opportunities in India's Life Insurance Market

The Indian insurance sector is entering a new era of robust mid-term growth, driven by strong macroeconomic fundamentals and rising consumer demand. Mid-term annual premium growth is forecast at 6.9% between 2026 and 2030, making India the strongest growing major insurance market.

Swiss Re forecasts that India's insurance market will grow at an annual rate of 6.9% over 2026 to 2030 in real terms, higher than major emerging and advanced insurance markets. The Chinese market, for example is expected to grow by around 4% and the US by 2% over the same period. This is a strong rebound from slower growth of only 3.1% in 2025, as the Indian insurance market adjusted to new regulations. Reforms by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and broader policy changes by the government are bringing more transparency and reshaping the industry structure for the next phase of accelerated growth. Key measures include a higher foreign direct investment (FDI) limit in the insurance sector, modernisation of distribution and goods and services tax (GST) reforms. These changes can bring new capital, widen access to insurance and spur insurance demand. For life insurance, where India is the second-largest life insurance market amongst the emerging economies, annual growth of 6.8% over the next 5 years is expected to come from widening distribution networks, increasing demand for retirement products and credit growth.

 LIC's next-generation mobile App and Super Sales Saathi App have been designed with a clear focus on transforming customer experience, empowering intermediaries and modernizing internal operations. Built with advanced technologies, leveraging AI, the Apps aim to deliver a seamless, secure and fully integrated digital insurance ecosystem. 

Major milestone in DIVE: Built for Today, Ready for Tomorrow.

Life Insurance Corporation of India (LIC), the country's largest life insurer, takes pride in announcing the launch of its new Customer App My LIC and Super Sales Saathi App marking a major milestone in its digital transformation journey.

These are delivered through LIC's DIVE (Digital Innovation & Value Enhancement) digital transformation platform, designed to deliver a seamless, secure and fully integrated insurance experience for customers, intermediaries and employees. These Apps enable policy management, premium payments, personalized product recommendations and advanced intermediary productivity tools. DIVE represents a major strategic shift toward a modern, digital-first LIC, reducing office dependency and enhancing operational efficiency, pan-India.

My LIC, LIC's next-generation mobile application, which is built to redefine the experience of how policyholders will manage their life insurance portfolio. Super Sales Saathi App is a next generation mobile application for LIC's marketing personnel. These Apps have been designed with a user-first philosophy, bringing together intuitive design, powerful features and cutting-edge technology to deliver a seamless, intelligent and personalized 360 degree experience.

These Apps have been designed with a clear focus on transforming customer experience, empowering intermediaries and modernizing internal operations. Built with advanced technologies, leveraging AI, the Apps aim to deliver a seamless, secure and fully integrated digital insurance ecosystem.

LIC's Mobile Apps are no longer support tools, but strategic assets that shape customer experience and intermediary's performance. These Apps scale adoption across customers and intermediaries that will directly influence LIC's growth, persistency and operational efficiency. LIC's continued investment in AI-driven insights, personalization and ecosystem integrations will unlock the next wave of digital value.

Enhancing Protection, Enabling Growth

Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025

The passing of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025 by the Parliament represents a significant milestone in the evolution of India's insurance framework. By amending the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Bill addresses the need for a modern, flexible, and inclusive regulatory architecture aligned with India's long-term development priorities. The amendments proposed under this Bill are timely and necessary

to support the national mission articulated by “Insurance for All by 2047”

A key strength of the Bill lies in its emphasis on policyholder protection and regulatory robustness. By updating legacy provisions and strengthening governance norms, the amendments reinforce transparency, accountability and prudent oversight across the insurance ecosystem. For policyholders, this translates into stronger safeguards, improved service standards and enhanced confidence in long-term insurance commitments, an essential factor in a sector built on trust.

For the Life Insurance Corporation of India, these reforms reaffirm our mandate as a trusted national institution with a deep developmental role. Since seven decades, your organization has been at the forefront of extending life insurance protection across geographies and income segments. The legislative changes provide an opportunity to further strengthen our reach, leverage technology at scale and contribute meaningfully to the national goal of universal insurance coverage. Importantly these changes have come just after the bonanza of full GST waiver on all individual policies to great relief and joy of life Insurance policyholders.

As India works towards becoming a developed economy by 2047, the insurance sector will play a vital role in protecting households, mobilising long-term savings and supporting economic stability. The Sabka Bima Sabki Raksha Bill is a forward-looking reform that underscores the Government's commitment to building a secure, inclusive and resilient insurance ecosystem—one that ensures every Indian is protected against life's uncertainties.

Women's Empowerment: Progress and Initiatives

Towards enhancing to Bima Sakhi Yojana, Life Insurance Corporation of India has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India to promote in rural areas. Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY – NRLM) goals has been found to be in perfect alignment with the deliverables under Bima Sakhi Yojana. This MoU has been entered in to, to leverage the collaboration for benefit of the rural households in their pursuit of improving their household income.

Defining moment of excellence

LIC of India, the leading public sector Insurer, has been awarded the ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS) certification from the British Standards Institution (BSI) reaffirming that the Insurer's Operational Resilience, Business Continuity Planning and Risk Management capabilities are consistent with global best practices. The ISO 22301:2019 BCMS accreditation recognises the Insurer's ability to maintain robust

business continuity practices, ensure uninterrupted services even during unforeseen disruptions and effectively manage risk.

ISO 22301:2019 is an international benchmark for business continuity management, focusing on minimizing operational disruptions and ensuring swift recovery in times of crisis. Achieving this certification enhances LIC's reputation as a resilient organisation that is well-prepared to ensure continuity of services even in the face of unexpected challenges that may arise and serve customers seamlessly.

Product Portfolio and Reforms – Strategy

During the year, we introduced 11 new products and modified 5 existing products to better serve our customers, ensuring their evolving needs are effectively met in a changing environment. The insurance industry witnessed continued regulatory focus on Goods and Services Tax (GST), with initiatives aimed at enhancing clarity, streamlining compliance and improving the overall tax framework for insurers. These developments are expected to have a positive bearing on the insurance industry by enhancing affordability for policyholders and supporting wider insurance adoption. As the regulatory landscape evolves, we remain committed to aligning with GST reforms while continuing to deliver value-driven and customer-centric solutions to stakeholders.

Recognition of Excellence

During the year, the Corporation continued to receive widespread recognition for its excellence in service delivery, operational performance and customer-centric initiatives. Prestigious awards and accolades were conferred across multiple domains, including digital innovation, claims management and customer satisfaction reaffirming the Corporation's leadership in the insurance sector.

These recognitions reflect the unwavering trust of policyholders and stakeholders, as well as the Corporation's commitment to upholding the highest standards of professionalism, transparency and service excellence. The achievements further motivate us to strengthen our capabilities and continue delivering superior value in an increasingly competitive and dynamic environment.

The financial year provided us with many feathers in our cap, some of which are encapsulated below:

- ✓ 1st LIC has emerged as the Most Trusted Brands of India
 - o **Marksman Daily**
- ✓ 3rd Great Indian Corporate Communication Leaders Summit & Awards 2025
 - o **Transformance | Transformed Media Private Limited**
- ✓ 3rd Edition of the Pitch BFSI Marketing Awards 2025

- o **exchange4media**
- ✓ 1st Best CTV Campaign for Customer Acquisition -2025
- o **ar-Agency Reporter**
- ✓ Most Impactful Campaign
- o **Quoraverse 2025**
- ✓ 12th Edition National Awards for Excellence in Insurance - Best PR/Marketing Campaign for spreading Life Insurance, Excellence in Agency Distribution, Excellence in Claims Service
- o **CMO ASIA**
- ✓ 8th edition of the Dhanam BFSI Summit & Award Nite 2025
- o **Dhanam Business Media**
- ✓ 12th Edition ET Now Insurance Summit & Awards - recognizes LIC of India as a Smart Insurer in the Life Insurance - Large category for the year 2025
- o **ET Now Insurance**
- ✓ D&B- BFSI & Fintech Summit 2026
- o **Dun & Bradstreet**
- ✓ National PSU Leadership & Governance Excellence Awards 2026
- o **Times Aspire Inivom Network Pvt. Ltd**

Towards a Stronger Future

As we look ahead, Life Insurance Corporation of India remains steadfast in its commitment to safeguarding the financial future of millions of policyholders while strengthening its leadership in the life insurance sector. Building on our legacy of trust and service, we will continue to focus on deepening insurance penetration, enhancing customer experience and leveraging digital innovation to meet evolving needs. In a dynamic economic and regulatory environment, our emphasis on prudent risk management, operational excellence and inclusive growth will guide our journey forward. We remain dedicated to creating enduring value for our stakeholders while contributing meaningfully to the nation's vision of financial security and "Insurance for All". We are confident that our strong foundation, experienced leadership and commitment to innovation will enable us to continue creating enduring value for all stakeholders

On behalf of the Board, I extend my sincere gratitude to our policyholders, shareholders, field force, employees and partners for their continued trust and support.

Warm Regards

Sd/-

R Doraiswamy

Chief Executive Officer and Managing Director



Welcome to LIC Digital

Making life easier, one tap at a time...

Next Generation Digital App has been designed with a clear focus on transforming customer experience, empowering intermediaries, and modernizing internal operations. Built with advanced technologies, including AI, the apps aim to deliver a seamless, secure, and fully integrated digital insurance ecosystem.



MyLIC App – key Customer Facing Capabilities

-  View and manage the insurance portfolio at one place
-  Pay premiums instantly
-  Track policy Benefits in real time
-  Avail Paperless Policy Loan
-  Update Policies, online
-  Revive Lapsed Policies, online
-  Explore and Buy policies online – Simple, Fast and Digitally
-  Fast, Secure & Paperless eKYC

Stay connected... Stay productive...



Super Sales Saathi App – Key Marketing Focused Capabilities

-  Digital sales tools
-  Real time policy status tracking
-  Automated reminders for follow ups
-  Integrated communication with customers
-  AI driven nudges for customer value enhancement
-  Digital sales kits and product explainers for on - the go presentations
-  Performance dashboards to help intermediaries monitor targets and achievements



Both the above mobile apps are delivered through LIC's DIVE (Digital Innovation & Value Enhancement) digital transformation platform, designed to deliver a seamless, secure, and fully integrated insurance experience for customers, intermediaries, and employees. These apps enable policy management, premium payments, personalized product recommendations, and advanced intermediary productivity tools. DIVE represents a major strategic shift toward a modern, digital-first LIC, reducing office dependency and enhancing operational efficiency, pan-India.

Board of Directors



SHRI R DORAISWAMY

Chief Executive Officer and Managing Director

Shri R Doraiswamy took charge as CEO & MD of Life Insurance Corporation of India on 14th July 2025. Prior to this, he was the Managing Director of the Corporation.

He is a Direct Recruit officer of 17th Batch with 40 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics.

As the head of India's premier Life Insurer and second-largest public sector enterprise by market capitalisation, he provides strategic and governance oversight to a nationwide and international network spanning 8 zones, 2,048 branches, 1584 satellite offices, 1250 various other offices and operations across 8 domestic and 8 international entities. His leadership is defined by a "Phygital" transformation strategy balancing a robust agency ecosystem with technology-enabled platforms. Under his stewardship, LIC has intensified its focus on product diversification with a strong focus on growing Non-Par business, launching targeted risk cover solutions for youth and niche segments, implementing "Green Offices" and enhancing ESG (Environmental, Social and Governance) standards. He has initiated multiple high-impact initiatives through the Golden Jubilee Foundation too.

As Managing Director, Shri R. Doraiswamy headed the Marketing vertical of Bancassurance as well as that of Group Business. He also headed Customer Relations, Finance & Compliance functions. He has held various leadership positions within the Organization as Executive Director (Information Technology/Software Development) at the corporate level, Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor Scheme), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai-I, Thanjavur and Pune divisions.

He spearheaded the modernization of IT infrastructure and Business Applications of LIC's Individual Business in the capacity of both Chief and Executive Director of IT. He achieved tremendous growth and productivity improvement in the areas of Group Insurance Marketing in Southern Zone, during his stint as Regional Manager.

As Research Associate at National Insurance Academy, Pune, he worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Laws and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management & Chartered Financial Planning.

Shri Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India.



SHRI SANJAY LOHIYA

Government Nominee Director

Shri Sanjay Lohiya, an IAS Officer of 1994 batch (Assam Meghalaya cadre), has joined the Department of Financial Services, Ministry of Finance as Special Secretary and took over as Secretary, Department of Financial Services w.e.f. 1.6.2026. Prior to joining as Special Secretary in DFS, he was Additional Secretary in Ministry of Mines.

He joined Indian Administrative Service (IAS) after graduating from St. Stephen's College, Delhi University. Before joining as Additional Secretary, Ministry of Mines, he held various positions, which included Principal Secretary to Chief Minister, Government of Assam, Joint Secretary in Ministry of Agriculture, Director in PMO, etc.



SHRI DINESH PANT

Managing Director

Shri Dinesh Pant has been the Appointed Actuary and Executive Director (Actuarial) of the Life Insurance Corporation of India (LIC) prior to assuming the role of Managing Director, effective from 1st June 2025. He is a Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK. Additionally, he holds degrees in Engineering and Law, along with a Master's in Business Administration. Prior to his appointment as Appointed Actuary in 2017, Shri Pant gained nearly five years of experience as the Product Actuary and Actuary for International Operations at LIC. During this period, he led the overall product and actuarial strategy, aligning them with the Corporation's business framework.

Notably, he is among the few LIC officers who transitioned into the specialized field of actuarial functions after a successful tenure leading marketing operation at prominent branches in India and a reputed overseas life insurance operation. Earlier, after training at IIM-Ahmedabad in 2002, he joined LIC's Investment Research team, gaining extensive exposure across various Investment Operations, including debt, equity, restructuring, venture funds and project finance, before finally leading the important Treasury Desk of the Corporation. As Appointed Actuary, Shri Pant was part of LIC's Key Management team and played a pivotal role in the successful planning and launch of LIC's mega IPO in 2022. He has been instrumental in steering LIC towards profitable and sustainable growth post-IPO, creating value for all stakeholders.

Earlier in his career, he had the distinction of heading the Life operations at Kenindia Assurance Company Ltd., Kenya, as the General Manager (Life), overseeing the marketing and overall operations of the life insurance business of this composite insurance company, for over five years. Since joining LIC in 1989 as a direct recruit officer, he had an extensive exposure in most of the operational areas followed by a short stint as one of the youngest Assistant Branch Manager (Sales) from his batch before being promoted to lead some of the most distinguished branches of LIC of India in Rajasthan and Delhi. He subsequently took over the role of Manager (New Business & Actuarial) and Legal before joining the Investment Research Cell at the Central Office.

Shri Pant has been a permanent special invitee to the Board of LIC since 2017 and has served on several sub-committees, such as the Investment Committee, Risk Management Committee, and With-Profits Committee. He advises top management and the Board on key functional areas, including products, valuation and risk management practices and strategies.

A passionate advocate for education, Shri Pant has contributed to academia as a visiting Faculty Member at various institutes, including the National Insurance Academy. He has also developed course materials for insurance professional bodies. Furthermore, he has served on various committees of professional bodies and regulators, including the Health Committees of FICCI and the Pension Advisory Committee of PFRDA. He has chaired and been a member of numerous committees and sub-committees formed by IRDAI, focusing on areas such as product regulations, index-linked products, investments and risk-based capital. With over 35 years of rich experience in key and specialized areas of insurance and finance, Shri Dinesh Pant continues to be a significant contributor to the industry.



SHRI RATNAKAR PATNAIK

Managing Director

Shri Ratnakar Patnaik took charge as Managing Director on 1st June, 2025. He started his career in Life Insurance Corporation of India in 1990 as an Assistant Administrative Officer. He has worked successfully both in marketing and administrative assignments, in places spread across four Zones of the Corporation. During his long stint of 22 years in conventional marketing, he headed big branches (including Tamluk in Eastern Zone - the then All India number one branch in policies) for about a decade.

As Marketing Manager of large divisions viz., Asansol and Kolkata Metropolitan Division – I, his meaningful contribution facilitated good performance of the divisions in all counts. His stewardship as Senior Divisional Manager of Indore and Jamshedpur, witnessed the divisions scale new heights in many crucial areas of new business as well as policy servicing.

Under his dynamic leadership as Regional Manager (Marketing) of the Chief Life Insurance Advisor (CLIA) vertical for three years, Eastern Zone has several success stories to its credit. The Channel has surpassed ₹ 1000 Crore in First Year Premium income for the first time during his tenure.

He served as Chief (Investment Front Office) before taking charge as Executive Director (Investment Front Office) on promotion and served as Chief Investment Officer (CIO and KMP) of the Corporation. During two years as CIO, soon after the listing of the corporation, his focused attention resulted in qualitative improvement in strategic asset allocation, better yields, and steady growth in investments in 'Housing and Infrastructure' segments. Hedging through Interest Rate Derivatives was initiated under his leadership.

As Managing Director, his unwavering commitment, timely guidance and proactive directions fostered team spirit and facilitated realization of quite a few new milestones. The Corporation could register spectacular achievement of highest ever First Year Premium Income of around ₹ 67,500 Crore in Individual segment for the financial year 2025-2026, with decent growth in all new business parameters.

A graduate in Physics (Honours) and a Post Graduate in Public Administration, he is also a fellow of Insurance Institute of India and holds a Diploma in Health Insurance from the same institute. His hobbies include reading and sports.



SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER

Managing Director

Shri Ramakrishnan Chander took over charge as Managing Director of LIC of India on 1st December 2025. Prior to taking charge as Managing Director, he was LIC's Chief Investment Officer (KMP) and Executive Director of the Investment (Front Office) Department.

Shri Chander is graduate in Science, holds a Post graduate Diploma in Financial Management and Fellowship of Insurance Institute of India. Shri Chander joined LIC in 1990 as an Assistant Administrative Officer and has held several key positions including Senior Divisional Manager, Regional Manager for Marketing and Pension & Group Schemes and Executive Director of LIC's Strategic Business Unit for International Operations. He has over 35 years of experience across various domains of LIC's operations.

His career is marked by strong strategic and operational leadership, having successfully managed LIC's investment portfolio and international operations. As CIO, Shri Chander led one of India's largest investment portfolios and was instrumental in driving LIC's financial performance and innovation in the insurance sector. Under his leadership, investment returns strengthened, delivering improved value to policyholders.

Shri Chander brings deep institutional knowledge combined with strategic acumen, accumulated experience in marketing, pension & group schemes, and international business.



PROF. ANIL KUMAR

Independent Director

Prof. Anil Kumar is a Professor of Finance & Corporate Governance in the Department of Commerce, Delhi School of Economics (DSE), University of Delhi and also serves as CEO of the University of Delhi Foundation.

An alumnus of Shri Ram College of Commerce (SRCC), DSE and Harvard Business School, he holds a Ph.D. in Corporate Governance and brings over 37 years of academic and professional experience. Prof. Kumar has taught at Shri Ram College of Commerce for more than 31 years and has authored over ten books and numerous research papers in Corporate Governance and CSR. Prof Kumar has presented several research papers at international forums and conducted various executive training programmes for senior government officials, corporate leaders and Board of directors.



SHRI MAHALINGAM G

Independent Director

Shri Mahalingam G (Gurumoorthy Mahalingam) has a professional career of four decades spanning across the financial sector regulators, Reserve Bank of India (RBI) and Securities & Exchange Board of India (SEBI). He has taken on varied roles in RBI encompassing financial market development, regulation and operations, foreign exchange reserves management, debt management and regulation and supervision of banks. He was the Chief Dealer and Executive Director (In-charge) of forex market interventions as well as management of forex reserves of the country and rupee liquidity policy and operations. In fulfilling his above responsibilities, he was instrumental in formulating regulatory policies and conduct of market operations of RBI during the global financial crisis, European debt crisis (2011-12) as well as the taper tantrum (2013-2016). He was closely involved in giving shape to foreign exchange policies and monetary policy implementation. In his role as a Whole-time Board Member of SEBI, which carried Executive responsibilities as well, he has had a wide experience regulating Mutual Funds, Stock exchanges, Listed companies, foreign portfolio investors, corporate governance aspects, stock and derivatives markets, corporate bond market, amongst others. He has supervised the conduct of investigations and enforcement actions in regard to violations of securities laws and regulations. He was a quasi-judicial authority for a little over 500 cases involving market misdemeanors. In RBI and SEBI, he was associated with important committees in the area of forex markets, financial benchmarks, corporate bond markets, etc. He is currently chairing the SEBI Advisory Committee on Secondary Markets.

Shri Mahalingam began his career as a commercial banker with the State Bank of India after finishing his Masters in Statistics and Operations Research from IIT Kanpur. He is also an MBA in International Banking and Finance from the Birmingham Business School in the UK.



DR. V.S. PARTHASARATHY

Independent Director

Dr. Parthasarathy has over 40 years of rich experience wherein he has successfully led businesses, functions, organization transformations and over 125 Merger & Acquisition (M&A) transactions.

He is a Chartered Accountant from ICAI, India and ICAEW, UK and an alumnus of Harvard Business School's Advance Management Programme (2011). He had completed his PhD from Mumbai University. Recently, he authored (with guides) a book on M&A titled 'The Anatomy of M&A'.

He is on the board of several listed and unlisted companies. He is an Independent Director on NIIT MTS, a Edutech Listed company and Pennar Industries. He is on the Boards of companies on path to being unicorn+ IPO like Cloudnine Hospitals, Car Dekho, Greencell Mobility, to mention a few. He also coaches and mentors Startups.

Dr. Parthasarathy started his career with Modi Xerox and rose to a position of Associate Director, serving across multiple positions and locations. In Mahindra Group, where he served for more than two decades, his last role was as the President of Mobility Services Sector. Prior to that, he was the Group Chief Financial Officer (CFO) & Group Chief Information Officer (CIO) for seven years. Additionally, he has served as a member of the Mahindra Group Executive Board and been on the board of several listed companies.

He carries out several philanthropic activities for women empowerment through education, employment and entrepreneurship initiatives of SEWA (Self Employed Women's Association) and is an Independent Director on two of its companies.

He has received Lifetime Achievement Awards for his CFO and CIO roles: Business World - Yes Bank Hall of Fame Award, Best CFO of India Award - by IMA Corporate Excellence Awards, Digital Icon of India Award - by HPE and CIO 100 – Hall of Fame by CIO after winning the awards for four consecutive years. He also won ET - Hall of Fame Award for Lifetime Achievement as CFO.

Management Discussion and Analysis

1. PREAMBLE

The Life Insurance Corporation of India has pleasure in presenting its 69th Annual Report in terms of applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956, Insurance Regulatory and Development Authority of India (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for the Financial Year ended 31.03.2026.

2. GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT

FY2025-26 was marked by continued geopolitical tensions, elevated policy uncertainty and a series of trade policy actions by major economies that sustained downside risks to global activity. Early CY2026 developments saw intermittent spikes in commodity prices on geopolitical risk premia, while financial markets remained sensitive to shifting expectations about the pace and sequencing of monetary policy easing in advanced economies.

Global inflation broadly continued its disinflationary path, unevenly across regions, inflation is expected to continue falling, dropping from 4.1% in 2025 to 3.8% in 2026, and further to 3.4% in 2027.

As per IMF Global Growth Projected to remain resilient at 3.3% in 2026 (matching the estimated 3.3% outturn in 2025) and slow slightly to 3.2% in 2027. The escalation of trade tensions and elevated policy uncertainty are expected to weigh on global trade and investment, with downside risks concentrated in advanced economies and spillovers to emerging markets.

Global inflation is expected to fall slowly over the medium term, but rising energy and food prices and growing trade tensions could slow that progress. Financial markets stayed volatile, and exchange rates moved both up and down, which affected how money flowed across borders and shaped investor confidence.

3. MACRO - ECONOMIC ENVIRONMENT IN INDIA

Our business, financial health, operating results, and cash flows are closely tied to macroeconomic conditions in India, where we conduct the vast majority of our operations and generate substantially all of our income. While stronger consumer confidence in the economy and in the life insurance sector generally supports our growth, adverse macroeconomic developments in India can negatively impact demand for our products, increase policy surrenders and withdrawals, reduce investment returns, and otherwise affect our operating performance.

Key macroeconomic drivers influencing the performance of India's growing yet under penetrated life insurance industry include the country's population trajectory and favourable demographics, the pace of urbanization, overall economic growth rates, household income growth, and consumer attitudes toward financial savings. These factors shape the proportion of household savings allocated to insurance products relative to competing options such as physical assets (real estate, gold) and financial instruments (bank deposits, provident funds, mutual funds). Macroeconomic conditions also influence the mix of investments across asset classes.

The macro environment includes trends in the Gross Domestic Product (GDP), inflation, employment, spending and monetary and fiscal policy.

- (i) **GDP Growth Rate:** The rate of growth of Gross Domestic Product (GDP) directly impacts the insurance sector. A robust economy with higher GDP growth tends to drive demand for insurance products. Against the backdrop of a steady global growth amidst multiple headwinds, India's GDP growth is estimated at 7.6 per cent for 2025-26, up from 7.1 per cent in the previous year.

On the demand side, private final consumption expenditure and fixed investment served as the key growth drivers. Although the imposition of US tariffs initially triggered concerns, their overall impact remained muted, with net exports exerting a modest drag of 0.1 percentage points on growth. On the supply side, a buoyant services sector and a robust manufacturing performance helped offset subdued agricultural activity.

- (ii) **Employment:** Periodic Labour Force Survey (PLFS) and other high frequency indicators indicated an unemployment rate around the low single digits, with the Labour Force Participation Rate (LFPR) and Worker Population Ratio (WPR) reflecting higher participation in rural areas relative to urban areas.

Overall unemployment rate in urban areas for persons of age 15 years and above exhibited declining trend during the quarter January-March, 2026 compared to the last two quarters. It stood at 6.6% during the present quarter compared to 6.7% in the previous quarter while it edged up marginally to 4.3% from 4.0% in rural areas.

These labour market conditions underpin household income generation and the capacity to save and purchase financial products including life insurance.

- (iii) **Disposable Income:** Disposable income refers to the amount of money individuals or households have for spending and saving after income taxes have been deducted. It is a key indicator of financial well-being and directly influences consumption patterns, savings behaviour, and overall economic demand.

SBI projects that the Code on Wages could raise workers' disposable income and boost consumption by about ₹ 75,000 crore, thereby supporting economic growth.

A reduction in income tax rates, coupled with exceptionally low food price inflation over the past year, has resulted in households retaining significant disposable income. Increases in disposable income typically leading to higher consumer spending, which can drive economic growth.

- (iv) **Household Savings:** The level of domestic household savings in a country affects the availability of funds for investment. Higher savings can lead to increased investments in insurance policies. The net household financial saving increased to 7.0 per cent of GNDI in 2024-25 from 5.8 per cent a year earlier, as the decline in household financial liabilities more than offset the moderation in gross financial savings.

Gross household financial saving moderated to 11.8 per cent of GNDI in 2024-25 from 12.1 per cent in 2023-24, while household financial liabilities fell sharply to 4.8 per cent of GNDI in 2024-25 from 6.4 per cent in the previous year. Instrument wise, household financial saving is dominated by deposits, followed by provident and pension funds, insurance, with a gradual increase in investment in shares and debentures.

- (v) **Household Financial Savings:** The financial well-being of households plays a crucial role in shaping their capacity to purchase insurance. When households have surplus savings, they are more likely to invest in life insurance.

Life insurance continued to represent a meaningful share of household financial savings, driven by product innovation and distribution reach.

- (vi) **Inflation:** India's inflation remained largely under control during FY 2025-26, reflecting the resilience of the economy and the effectiveness of monetary and fiscal policy measures.

Retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), stood at 3.48% in April 2026, remaining below the Reserve Bank of India's medium-term target of 4% and well within its tolerance band of 2% – 6%. Food inflation was recorded at 4.20%, while rural and urban inflation stood at 3.74% and 3.16%, respectively. The relatively benign inflation environment supported household consumption and economic growth, although emerging risks from global geopolitical tensions, rising energy prices, and monsoon uncertainties warrant continued vigilance. The RBI has projected average inflation at around 4.6% for FY 2026-27, underscoring confidence in maintaining macroeconomic stability while supporting growth.

- (vii) **Trade and Forex:** World goods and services trade volume grew by 5.1 per cent in 2025, exceeding world GDP growth. India's merchandise trade deficit widened to US\$ 333.2 billion during 2025-26 (US\$ 282.5 billion a year ago). A strong services trade surplus and a steady flow in private transfer receipts helped contain current account deficit (CAD) within a sustainable level of 1.0 per cent of GDP during April-December 2025. A modest current account deficit (CAD) and adequate forex reserves provided resilience to the external sector even as portfolio investment exhibited net outflows. There was a depletion of foreign exchange reserves (on a BoP basis) to the tune of US\$ 30.8 billion during the period. India's foreign exchange reserves (US\$ 691.1 billion as at end March 2026) remained adequate in terms of the standard metrics of reserve adequacy, including import cover of about 11 months and external debt cover of 90.3 per cent, thereby providing buffer against adverse global spill overs. Despite tariff related uncertainty, India's merchandise exports and imports (in value terms) expanded at higher pace in 2025-26 than in 2024-25.

Net FDI inflows stood at US\$ 7.7 billion during 2025-26, higher than US\$ 1.0 billion in 2024-25. Net FPI to India recorded an outflow of US\$ 16.5 billion during 2025-26, driven by equity outflows, as against an inflow of US\$ 3.3 billion in 2024-25.

(viii) Regulatory Changes: The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is reshaping regulations to create a more transparent, resilient, and customer focused life insurance ecosystem.

The passing of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025 by the Parliament represents a significant milestone in the evolution of India's insurance framework. By amending the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Bill addresses the need for a modern, flexible, and inclusive regulatory architecture aligned with India's long-term development priorities.

Allowing 100% foreign direct investment (FDI) in insurance makes India attractive to global insurers and is driving ownership restructuring and consolidation in the sector. Zero GST on individual life insurance is a significant policy change that brings greater clarity and consistency to the tax framework. On the other hand, the withdrawal of Input Tax Credit (ITC) has created short-term cost pressures.

Going forward, the move to a risk based capital framework represents a major step in strengthening the sector's resilience by aligning capital requirements more closely with actual risks. In addition, the adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS) will place all Indian insurers within a globally harmonised financial reporting system converged with International Financial Reporting Standards (IFRS).

The overall reform agenda remains strongly customer-centric, reinforcing the principle that benefits to customers ultimately strengthen the industry by fostering trust, expanding penetration, and creating long-term value.

4. OUTLOOK ON THE LIFE INSURANCE INDUSTRY IN INDIA

The Indian insurance sector is entering a new era of robust mid-term growth, driven by strong macroeconomic fundamentals and rising consumer demand; according to a Swiss Re analysis "India's economic and insurance market outlook 2026-2030: resilient and rising amid global shifts. Mid-term annual premium growth is forecast at 6.9% between 2026 and 2030, making India the strongest growing major insurance market.

Swiss Re forecasts that India's insurance market will grow at an annual rate of 6.9% over 2026 to 2030 in real terms, higher than major emerging and advanced insurance markets.

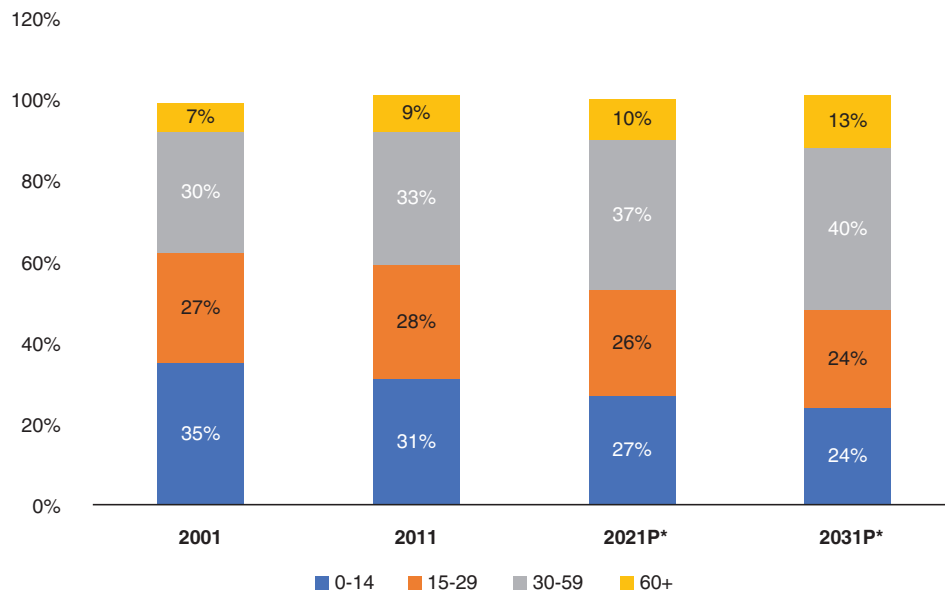
Reforms by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and broader policy changes by the government are bringing more transparency and reshaping the industry structure for the next phase of accelerated growth.

For life insurance, where India is the second-largest life insurance market amongst the emerging economies, annual growth of 6.8% over the next 5 years is expected to come from widening distribution networks, increasing demand for retirement products and credit growth.

5. OPPORTUNITIES FOR INSURANCE INDUSTRY

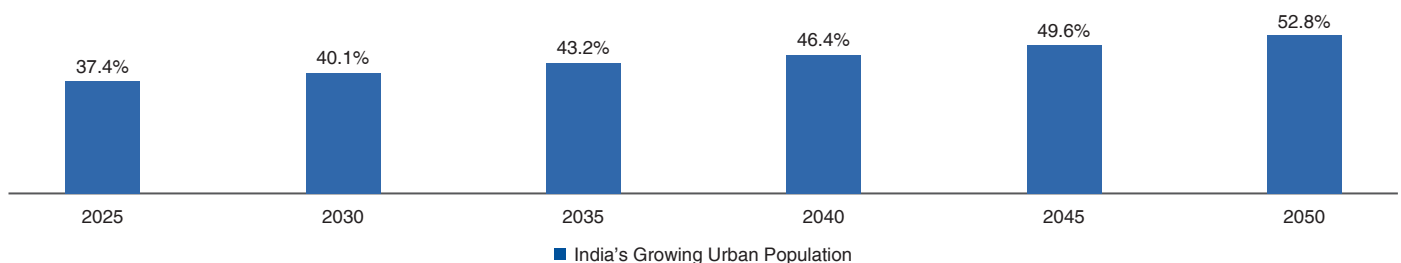
- (i) **India has world's largest population:** As of 2025, India is the most populous country in the world, with an estimated population of approximately 1.46 billion people. This vast base provides insurers with the largest potential customer pool globally.
- (ii) **Favourable demographics:** India continues to have one of the largest young populations in the world, with a median age of 28 years. About 87% of Indians will still be below the age of 60 by calendar 2031. CRISIL Report forecasts that 64% of them will be between 15 and 59 years. This demographic structure ensures sustained demand for protection, savings-linked products, and health insurance.

India's Demographic Dividend



Source: CRISIL Research Report for LIC of India. ¹CRISIL Research Report. Note P: Projected

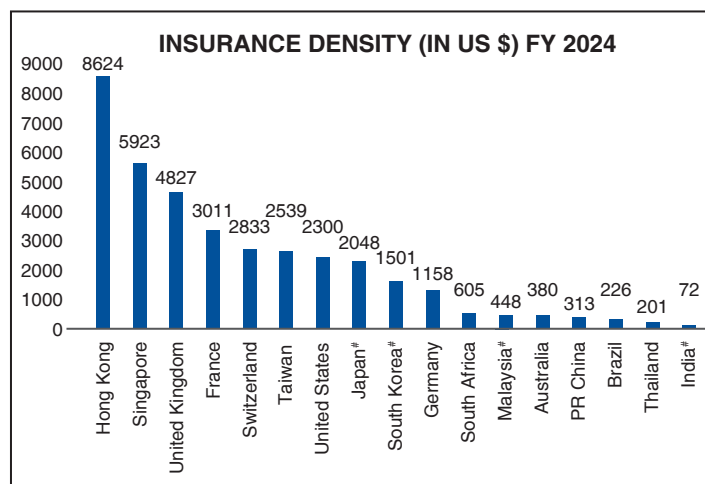
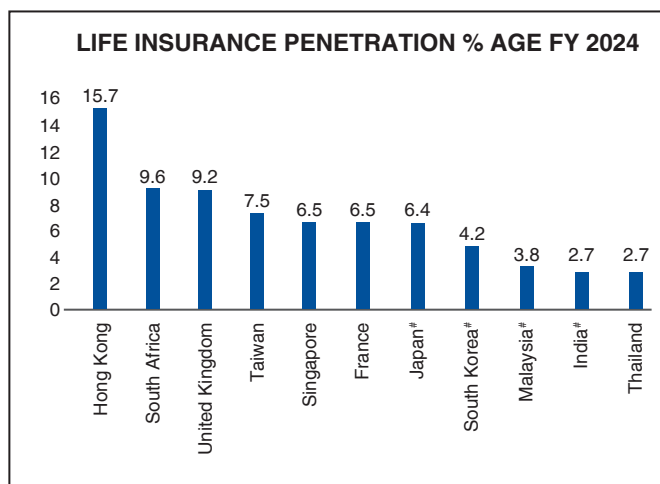
- (iii) **Urbanisation:** In 2025, cities are home to 45 per cent of the world's 8.2 billion people, more than double the 20 per cent share in 1950. Over the same period, the share of the global population living in towns declined from 40 to 36 per cent, and the share in rural communities fell by half, to just 19 per cent. Projections indicate that two-thirds of the world's population growth between now and 2050 will occur in cities, with most of the remainder in towns, while the rural population is expected to peak in the 2040s before beginning to decline. Urbanisation of India is one of the most important drive as it will drive substantial investments in infrastructure development, which, in turn, is expected to lead to job creation, development of modern consumer services and increased ability to mobilise savings. An increase in urbanisation has led to improvement in the style of living and awareness to secure financial stability through saving and insurance.



Source: United Nations World Urbanisation Prospects, 2018

- (iv) **Low Life Insurance Penetration and insurance density in India:** Insurance penetration and density are two metrics, among others, often used to assess the level of development of insurance sector in a country.

Despite the strong growth in life insurance in India over the years, indicators such as insurance penetration and insurance density indicate that India is still under-insured as compared to Advance Asia Pacific countries such as South Korea, Taiwan, Singapore and Japan etc.



Source: IRDAI Handbook 2024-25, ¹Insurance penetration is measured as ratio of premium to GDP., ²Insurance density is measured as ratio of premium (in US Dollar) to total population. # Data relates to F.Y. other data relates to calendar year.

- (v) **Opportunity:** Increasing life expectancy, falling birth rates and wealth concentration among retirees will fuel demand for protection that provides guaranteed income, health and care coverage.

New approaches to product design for annuities, risk pooling and bundling care protection will be required to meet the changing needs of ageing populations.

By 2050, a high-income 65-year-old retiring in advanced markets could expect to live a further 23 years. Proportionately, for developing markets, too. This longer retirement, combined with a shift away from guaranteed returns on pension products, means retirees will have substantial savings but no guaranteed income, increasing the risk that they outlive their savings.

Various types of annuities exist to cover this increased longevity risk. However, a broader range of options may be needed to alleviate longevity risk. For example, longevity risk-sharing pools can address mortality, longevity, and health risks simultaneously.

Another urgent need will be cancer protection for older policyholders. The median age of cancer diagnosis is 67, yet most critical illness policies expire before retirement, leaving a protection gap just when the risk becomes highest.

6. BUSINESS PERFORMANCE

A. New Business

(i) Individual New Business

During the financial year 2025-26, the Corporation under Individual New Business, has procured 1,84,41,175 Policies with a New Business Premium Income of ₹ 67,676 crore.

During the financial year 2025-26, 81.61 lakhs individual policies were sold to millennial customers. The percentage of individual policies sold to millennial customers to total number of individual policies sold is 44.26%.

(ii) Individual New Business Sum Assured

Individual new business sum assured represents the total sum insured by us for mortality and morbidity risks on the Individual new business written in a given period. During the financial year 2025-26, the Corporation sold total New Business Sum Assured of ₹ 6,41,931.90 crore.

(iii) Rural Thrust

Sustained and conscious efforts are made to carry the message of Life Insurance to the rural areas, especially the backward and remote areas. As a result, there has been steady growth of New Business from these areas. The Individual New Business Premium from rural areas amounts to ₹ 32,455.02 crore representing 48.05% of the new business completed during the Financial Year 2025-26. The definition of rural/social sector is as approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

(iv) Individual Agent and POSP-LI (Conventional /Tied) Channel

During the Financial Year 2025-26, conventional channel garnered total ₹ 61,977.32 crore new business premium and 181.49 lakh policies. Share of the channel in Corporation's new business performance stood at 98.42% in policies and 91.75 % in New Business Premium.

(v) Bancassurance and Alternate Channels (B&AC)

B&AC Channel delivered a breakout year, crossing the ₹ 5,000 crore FYPI milestone for the first time and outperforming budgets across key lines. Strong growth in Annuity and ULIP, expanded partnerships, and robust branch performance cemented B&AC's role as a growth engine within the Corporation.

The share of First year Premium Income to the Corporation's Business has increased from 5.6% to 7.56%. During the year the Corporation has added 10 Banks, 12 (Other) Corporate Agents, 58 Brokers and 42 IMFs. Corporation's total Partnership Universe for the channel now stands at 92 banks, 84 (Other) Corporate agents, 308 Brokers and 167 IMFs.

Both Banks and Other Alternates showed impressive growth in terms of Premium procurement over previous fiscal. Banks FYPI 3151.33 Crs (2576.74 Crs) Growth of 22.30%.

Other Alternates FYPI 1924.99 Crs. (919.36 Crs) Growth of 109.38%. Channel completed Micro Insurance Business of 89.07 Cr with 1,12,005 policies.

(vi) Digital Marketing

The Digital Marketing Channel commenced its operations w.e.f. 1st June 2021. The channel was envisaged to provide a digitally smart and technology-driven platform requiring minimum human intervention. The entire customer on-boarding journey including pre-policy medical scheduling, Underwriting, payment mechanism and completion of the policy is paperless. The aim was to provide a seamless end-to-end buying experience to the customer, in tune with expectation of tech-savvy millennial.

During Financial Year 2025-26, the channel procured the following New Business:

Online Business: 10152 policies and First Premium of ₹ 405.12 Crore.

National Pension System (NPS) - Funds Business: 4309 policies and First Premium of ₹ 319.56 Crore.

At present the channel offers 24 products for online purchase. Out of 24 products 5 are for Protection, 4 for Annuity, 5 for ULIP and 10 for savings.

(vii) Pension and Group Schemes New Business Premium

Business Premium during the year 2025-26, the P&GS vertical completed 20,786 Schemes covering 5,71,12,431 lives with New Business Premium Income (NBPI) of 1,92,912.87 crore.

(viii) LIC's Mahila Career Agent Scheme (LIC's Bima Sakhi)

LIC had launched Mahila Career Agent Scheme (LIC's Bima Sakhi) on 09.12.2024. The scheme aims to provide employment opportunities to women and provides them financial independence and the advantage of working as per their convenience and time. This is a stipendiary agency scheme for 3 years with monthly stipend of ₹ 7000/- in First Year, ₹ 6000/- in Second Year and ₹ 5000/- in Third Year in addition to the commission payments. After 3 years, the agent will continue to work and earn commission and other benefits as per the rules. 2,83,249 Bima Sakhis were in-force as on 31.03.2026. In F.Y. 2025-26, Bima Sakhi Channel completed 21,94,392 policies with FYPI of ₹ 3,768.83 Crore and stipend of ₹ 515 Crore was paid. Bima Sakhis Business % Share to Total Business for NOP was 11.90% and for FYPI 5.62%.

B. AGENTS

(i) Agency Strength

The total number of Agents on our Roll is 14,57,045 as at 31.03.2026 as against 14,86,851 as on 31.03.2025. During the Financial Year 2025-26, total 2,66,071 agents were recruited out of which 2,03,636 agents were in the age group of 18-40 years.

(ii) Agent's Club Membership

In order to motivate and recognize high and consistent performers amongst the agency force, various Clubs have been formed. The details of membership strength of the Clubs are furnished in the Table below:

MEMBERS OF VARIOUS AGENTS' CLUB

Name of Club	Membership Year 2025-26
Elite	42
Corporate	387
Galaxy	2,091
Chairman	45,208
Zonal Manager	35,586
Divisional Manager	49,780
Branch Manager	33,051
Distinguished Agents Club	8,323
Total	1,74,468

(iii) Career Agents Scheme

The Corporation has a scheme for Urban Career Agents and Rural Career Agents to promote the cause of professionalizing the Agency force. They are given stipends at the start of their career to enable them to settle down in the profession. As on 31st March 2026 there are 292 Urban Career Agents and 23,287 Rural Career Agents.

City Career Agents Scheme was introduced in 2010 to provide all Development Officers an opportunity to recruit stipendiary Agents. As on 31st March 2026 there are 4,884 City Career Agents.

(iv) Senior Business Associates (SBA)

The SBA Scheme was introduced in the year 2009 to recognize high-performing Development Officers and to empower them with certain financial and non-financial functions.

(v) LIC Associates Scheme (LICA)

The LICA scheme was introduced from 01.04.2016 with an objective to introduce an innovative distribution channel and strengthening the distribution system by gainfully redeploying the valuable marketing talent of retired Development Officers and Senior Business Associates depending on their cost.

(vi) Chief Life Insurance Advisor (CLIA)

LIC introduced the Chief Life Insurance Advisor Scheme 2008 on 12.04.2008 with the objective of increasing the market presence by utilizing the capabilities of existing high performing agents for growth in Agency and New Business.

(vii) New Business Procured through SBAs, LICAs and CLIAs during FY 2025-26

Particulars	Number of Policies	First Year Premium Income (₹ in Cr)
SBA	38,13,178	12,161.95
LICA	14,83,703	5,432.35
CLIA	35,43,254	11,034.53

7. ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

A. Income Statement Analysis

(i) Revenue Account (Policyholders Account)

The summary of Revenue Account of the Corporation for Financial Year 2025-26 along with comparative analysis is as follows:

Particulars	(₹ in crore)		
	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25	Growth %
Net Premium Income	5,35,984	4,88,148	9.80
Income from Investments (Net)	4,31,708	3,92,623	9.95
Other Income	2,799	663	322.17
Contribution from Shareholders' A/c - Towards Excess EOM	2,423	2,642	(8.29)
Total (A)	9,72,914	8,84,076	10.05
Net Commission	24,440	25,309	(3.43)
Operating Expenses	39,510	35,415	11.56
Provisions for doubtful debts (including bad debts written off)	(821)	(1,546)	(46.90)
Provisions for diminution in value of investments and Provision for doubtful Debt and Bonds	(818)	(627)	30.46
Goods & Service tax on linked charges	149	223	(33.18)
Provision for taxes	(4,173)	7,773	(153.69)
Benefits Paid (Net)	4,96,104	4,16,355	19.15
Change in actuarial liability	3,63,339	3,53,334	2.83
Total (B)	9,17,730	8,36,236	9.75
Surplus/Deficit (A-B)	55,184	47,840	15.35
Amount transferred from Shareholder's Account (Non-Technical Account)	4,217	2,255	87.01
Amount available for appropriation	59,401	50,095	18.58
Appropriations			
a. Transferred to Shareholders' A/c	58,032	49,507	17.22
b. Funds for Future Appropriations	1,369	588	132.82

a. Premium Income

The following table sets forth summary of premium income at segment level for the period indicated:

Particulars	Financial Year 2025-26					Financial Year 2024-25					Growth %
	PAR	Non-Par	Linked	CR AC*	Total	PAR	Non-Par	Linked	CR AC*	Total	
FY Premium	24,341	6,007	3,505	-	33,853	25,664	4,995	1,720	-	32,379	4.55
Single Premium	2,268	18,690	12,889	-	33,847	3,568	15,861	10,712	-	30,141	12.3
Total NBP	26,609	24,697	16,394	-	67,700	29,232	20,856	12,432	-	62,520	8.29
Renewal Premium	2,56,977	8,506	6,601	1	2,72,085	2,49,062	4,367	3,450	1	2,56,880	5.92

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2025-26					Financial Year 2024-25					Growth %
	PAR	Non-Par	Linked	CR AC*	Total	PAR	Non-Par	Linked	CR AC*	Total	
Total Premium (Individual)	2,83,586	33,203	22,995	1	3,39,785	2,78,294	25,223	15,882	1	3,19,400	6.38
P&GS Premium	-	1,96,963	-	-	1,96,963	-	1,69,449	-	-	1,69,449	16.24
Less : Reinsurance Ceded	109	632	23	-	764	100	589	12	-	701	8.99
Total Premium	2,83,477	2,29,534	22,972	1	5,35,984	2,78,194	1,94,083	15,870	1	4,88,148	9.80

(*CRAC - Capital Redemption and Annuity Certain)

Total premium increased by 9.80% from ₹ 4,88,148 crore in FY 2024-25 to ₹ 5,35,984 crore in FY 2025-26. Unit-Linked segment of Individual business had shown a strong growth by 44.75% from ₹ 15,870 crore in FY 2024-25 to ₹ 22,972 crore in FY 2025-26.

- b. **Investment Income:** Net Investment income increased by 9.95% from ₹ 3,92,623 crore in FY 2024-25 to ₹ 4,31,708 crore in FY 2025-26 which includes interest, dividends and capital gains from investments made by LIC. The rental income from the Estate portfolio for the year 2025-26 is ₹ 660 crore, which is an increase of 4.76% over the rental income for the last year.
- c. **Other Income:** Other income increased by 322.17% from ₹ 663 crore in FY 2024-25 to ₹ 2,799 crore in FY 2025-26, due to interest on refund of income tax in FY 2025-26.
- d. **Total Income Analysis:** Total Income increased by 10.05% from ₹ 8,84,076 crore in FY 2024-25 to ₹ 9,72,914 crore in FY 2025-26 primarily on account of an increase in premium income and investment income.
- e. **Commission expenses:** The following table shows the comparative summary of commission expenses:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25	Growth %
First year commission	9,318	9,987	(6.70)
Single commission	952	760	25.26
Total	10,270	10,747	(4.44)
Renewal commission	14,177	14,562	(2.64)
Less : Reinsurance Ceded	7	-	
Total Commission	24,440	25,309	(3.43)

Total commission decreased marginally by 3.43% from ₹ 25,309 crore in FY 2024-25 to ₹ 24,440 crore in FY 2025-26.

- f. **Operating Expenses related to insurance business:** The following table shows the comparative summary of operating expenses:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25	Growth %
Salaries and other benefits to employees	27,889	26,896	3.69
Other Expenses of Management	11,621	8,519	36.41
Total	39,510	35,415	11.56

Total operating expenses increased by 11.56% from ₹ 35,415 crore in FY 2024-25 to ₹ 39,510 crore in FY 2025-26.

- g. Benefits Paid:** This includes death benefits, maturity benefits, annuity/pension payments, surrender, withdrawal, interim bonus paid and other claims to the policyholders.

A summary of benefits paid is as under:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25	Growth %
Claims by Death	24,885	24,420	1.90
Claims by Maturity & periodical benefits	2,79,951	2,37,313	17.97
Annuities / Pension	25,641	22,098	16.03
Surrenders			
Non linked (Indl)	40,625	42,426	(4.25)
Linked (Indl.)	5,292	3,308	59.98
P & GS (surrender)	467	2,885	(83.81)
Total Surrenders	46,384	48,619	(4.60)
P&GS (Withdrawal)	1,10,347	82,287	34.10
Other Claim Cost (interest on unclaimed amounts) and others	539	(1,458)	136.97
Interim Bonus Paid	8,357	3,076	171.68
Total Benefits Paid	4,96,104	4,16,355	19.15

Total benefits paid increased by 19.15% from ₹ 4,16,355 crore in FY 2024-25 to ₹ 4,96,104 crore in FY 2025-26. The increase was primarily on account of an increase in maturity claims and interim bonus paid from ₹ 2,37,313 crore and ₹ 3,076 crore in FY 2024-25 to ₹ 2,79,951 crore and ₹ 8,357 crore in FY 2025-26 respectively.

(ii) Profit and Loss Account (Shareholders' Account)

The summary of Profit and Loss Account of the Corporation for Financial Year 2025-26 along with comparative analysis is as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25	Growth %
Transfer from Policyholders' Account	58,032	49,507	17.22
Total income under Shareholders' Account			
a. Investment Income	8,588	5,992	43.32
b. Other income	-	-	-
Expenses other than those related to insurance business	2,415	2,468	(2.15)
Contribution to Policyholders' A/c	2,423	2,642	(8.29)
Amount transferred to Policyholders' A/c	4,217	2,255	87.01
Provisions for doubtful debts (including write off)	-	-	-
Provisions for diminution in value of investments & Others	111	(18)	716.67
Profit before tax	57,454	48,151	19.32
Provisions for tax	35	-	-
Profit after tax and before Extraordinary Items	57,419	48,151	19.25
Extraordinary Items (Net of tax expenses)	-	-	-
Profit after tax and Extraordinary Items	57,419	48,151	19.25

Profit After Tax:

- Profit after Tax (PAT) for the year ended 31st March, 2026 is increased by 19.25% to ₹ 57,419 crore as compared to ₹ 48,151 crore for the year ended 31st March, 2025.

- B. Financial Snapshot - Balance Sheet:** The summary of Balance Sheet of the Corporation for Financial year 2025-26 along with comparative analysis is as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2025-26	Financial Year 2024-25	Growth %
SOURCES OF FUNDS			
SHAREHOLDERS' FUNDS:			
Share Capital	6,325	6,325	-
Reserves and Surplus	1,69,925	1,20,096	41.49
Fair Value Change Account	(894)	(233)	
TOTAL (A)	1,75,356	1,26,188	38.96
POLICYHOLDERS' FUNDS:			
Fair Value Change Account	5,02,788	6,47,540	(22.35)
Hedge Fluctuation Reserve	(847)	11	
Policy Liabilities	51,00,260	47,35,580	7.70
Funds for Discontinued Policies			
(i) Discontinued on Account of non-payment of premiums	1,510	791	90.90
(ii) Others	13	14	(7.14)
Insurance Reserves	23,133	15,670	47.63
Provision for Linked Liabilities	60,398	47,533	27.07
TOTAL (B)	56,87,255	54,47,139	4.41
Fund for Future Appropriations (C)	3,215	1,828	75.88
TOTAL (A+B+C)	58,65,826	55,75,155	5.21
APPLICATION OF FUNDS			
Investment - Shareholders	1,50,740	1,04,026	44.91
Investments - Policyholders	53,33,262	5,136,279	3.84
Assets held to cover Linked Liabilities	61,897	48,312	28.12
Loans	1,29,848	1,27,480	1.86
Fixed Assets	4,736	4,461	6.16
NET CURRENT ASSETS	1,85,343	1,54,597	19.89
TOTAL	58,65,826	55,75,155	5.21

- Reserve and Surplus:** Reserve and Surplus (Shareholders' fund) as at 31st March, 2026 increased to ₹ 1,69,925 crore from ₹ 1,20,096 crore as at 31st March, 2025. The increase of 41.49% is primarily due to increase in profit after tax.
- Fair Value Change Account:** Fair Value Change Account (Policyholders' fund) decreased from ₹ 6,47,540 crore as at 31st March, 2025 to ₹ 5,02,788 crore as at 31st March, 2026. The decrease of 22.35% is primarily due to mark-to-market movement in share prices during the current financial year.
- Policy Liabilities:** Policy liabilities increased from ₹ 47,35,580 crore as at 31st March, 2025 to ₹ 51,00,260 crore as at 31st March, 2026. Policyholders' liability depends upon the business profile and assumptions made about future mortality/morbidity, interest, expenses etc., at each point of time. The change in business profile happens due to policy exits, policy entry due to new business and existing policies getting closure on account of maturity.
- Provision for Linked Liabilities:** Provision for linked liabilities (Policyholders' fund) increased from ₹ 47,533 crore as at 31st March, 2025 to ₹ 60,398 crore as at 31st March, 2026. The Policyholders Linked Liabilities represents the unit liability in respect of Linked business and has been considered as the value of the units standing to the credit of the policyholders, using the Net Assets Value (NAV) as on valuation date.
- Investments:** The Corporation holds a significant portion of their assets in investments such as government securities, debentures, corporate bonds, mutual funds, equities etc. The summary of gross investments as at 31st March, 2026 along with comparative figures are as follows:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Investments		
a. Shareholders	1,51,601	1,06,961
b. Policyholders	53,81,725	51,63,997
Assets held to cover linked liabilities	60,240	47,119
Loans	1,35,830	1,34,220
Total Investments	57,29,396	54,52,297

Total investments grew by ₹ 2,77,099 crore from ₹ 54,52,297 crore as at 31st March, 2025 to ₹ 57,29,396 crore as at 31st March, 2026. Total Equity Investment portfolio constitute ₹ 15,23,197 crore and others ₹ 42,06,199 crore as at 31st March, 2026. Increase in policyholders' investment portfolio is attributable to increase in premium and investment income offset by net outgo due to operating expenses and claims.

The yield on investments (on Policyholders' fund) for the financial year 2025-26, without unrealised gains is 8.92% and yield on investments (on shareholders' fund) for the financial year 2025-26, without unrealised gains is 6.61%.

- vi) **Fixed Assets:** Fixed Assets (net of depreciation) have increased from ₹ 4,461 crore as at 31st March, 2025 to ₹ 4,736 crore as at 31st March, 2026.
- vii) **Net Current Assets:** Net Current Assets have increased by 19.89% from ₹ 1,54,597 crore as at 31st March, 2025 to ₹ 1,85,343 crore as at 31st March, 2026.

C. Cash flow statement

The following table set forth, for the period indicated, a summary of the cash flows:

(₹ in crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Net cash generated from/(used in) operating Activities	(25,398)	(6,756)
Net cash generated from/(used in) investing Activities	34,995	38,090
Net cash generated from/(used in) financing Activities	(7,589)	(3,794)
Cash and cash equivalent at the end of period	65,034	62,324

(i) Operating Activities

Net cash flow from operating activities is (₹ 25,398 crore) in FY2026 as against (₹ 6,756 crore) in FY2025 primarily on account of increase in policy benefits payments.

(ii) Investing Activities

Net cash flow generated from investing activities is ₹ 34,995 crore in FY2026 as against ₹ 38,090 crore in FY2025 primarily on account of an increase in purchase of investment from ₹ 5,64,437 crore in FY2025 to ₹ 5,98,274 crore in FY2026 and increase in investment in money market instruments from ₹ 8,646 crore in FY2025 to ₹ 26,539 crore in FY2026 offset in part by sale of investments etc.

(iii) Financing Activities

Net cash flow from financing activities is (₹ 7,589 crore) in FY2026 as against (₹ 3,794 crore) in FY2025 primarily on account of an increase in dividends paid.

D. Disclosure of Accounting Policies

Please refer Schedule 16(A) of Standalone Financial Statements in this Annual Report from Page No. 435 to 455.

E. Segment-wise Performance

Segment-wise Performance is available in the Financial Statements, which forms a part of this Annual Report.

8. KEY PERFORMANCE INDICATORS

Following are the key parameters on which performance of the Corporation can be measured:

- (i) **Market Share:** Life Insurance Corporation (LIC) of India has historically held a dominant position in the Indian life insurance market. With its extensive network and over six decades long presence, LIC has maintained a substantial market share, i.e. 56.66% of the total life insurance business in the country as at 31st March 2026 by Total First Year Premium Income. In term of Individual First Year Premium Income, LIC market share is 36.60%. P&GS Market Share in FYPI is 70.11%. While in policies LIC overall market share is 65.16%. This significant market share underscores LIC's widespread reach, brand recognition and the trust it commands among Indian consumers.

While LIC faces increasing competition from private insurers, its market dominance remains resilient, supported by its wide range of insurance products, strong distribution network and government backing. However, ongoing market dynamics and regulatory changes may influence LIC's market share over time, necessitating continuous strategic adaptation to maintain its competitive edge.

- (ii) **Product Mix:** LIC offers a diverse portfolio of life insurance products catering to varied customer needs and preferences. Its product mix includes traditional endowment plans, whole life plans, term insurance plans, pension plans, unit-linked insurance plans (ULIPs) and microinsurance products. Traditional plans, such as whole life and money-back plans have been the cornerstone of LIC's product offerings, providing long-term savings and protection benefits to policyholders.

In recent years, LIC has also introduced innovative products tailored to evolving market demands, such as unit-linked plans with investment options and whole life insurance plans with comprehensive coverage. This balanced product mix allows LIC to appeal to a broad customer base, ranging from individuals seeking basic life coverage to those interested in investment-linked insurance solutions.

Continuous product innovation, coupled with effective marketing strategies, enable LIC to maintain its leadership position and adapt to changing consumer preferences and market trends.

- (iii) **Distribution Mix:** LIC's extensive distribution network is one of its key strengths, facilitating widespread accessibility and customer outreach across urban and rural areas in India. The company operates through a multi-channel distribution framework encompassing agents, bancassurance partnerships and digital platforms.

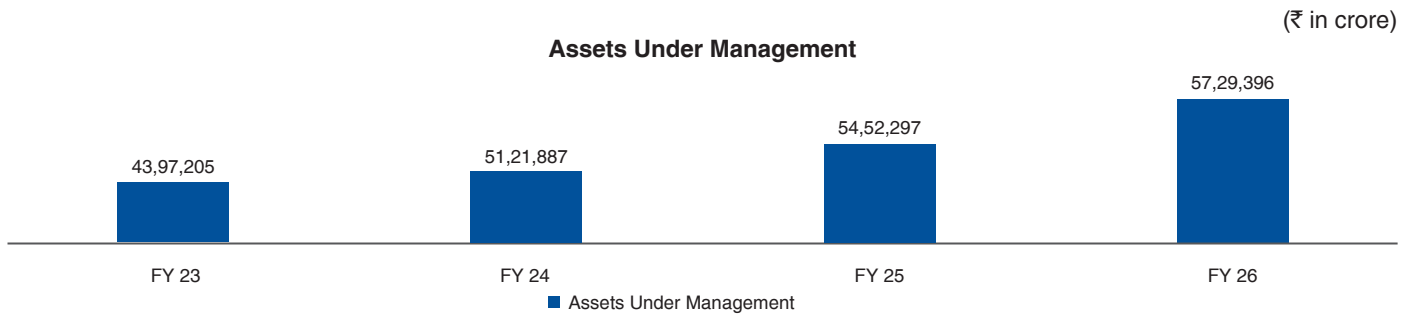
LIC's extensive network of agents, often referred to as insurance advisors, plays a pivotal role in reaching out to customers, educating them about insurance products and facilitating policy sales and servicing. Bancassurance tie-ups with leading banks, Corporate Agents, Brokers and Insurance Marketing Firms (IMF) further expand LIC's distribution reach, enabling it to leverage the existing customer base of partner organizations.

In addition to traditional channels, LIC has embraced digitalization to enhance customer engagement and streamline distribution processes. The company offers online platforms and mobile applications for policy purchase, premium payments, claims processing, and customer service, catering to tech-savvy consumers and millennials.

By leveraging a diverse distribution mix, LIC effectively addresses the varying needs and preferences of its customer segments while ensuring widespread market penetration and customer satisfaction.

Technology Development: The Corporation has launched Super Sales Saathi App for Sales Intermediaries viz. Agents, Development Officers, CLIAAs, LICAs and Chief Organizers in the month of August 2025. Super Sales Saathi App offers a comprehensive solution, encompassing Sales Saathi & ANANDA App with special focus on digital empowerment of our field force, enabling them with tools for business growth, customer servicing and performance tracking.

- (iv) **Assets Under Management (AUM):** The Corporation's consolidated AUM increased by 5.08% from ₹ 54,52,297 crore as at 31st March 2025 to ₹ 57,29,396 crore as on 31st March 2026.



(v) **Expenses of Management Ratio**

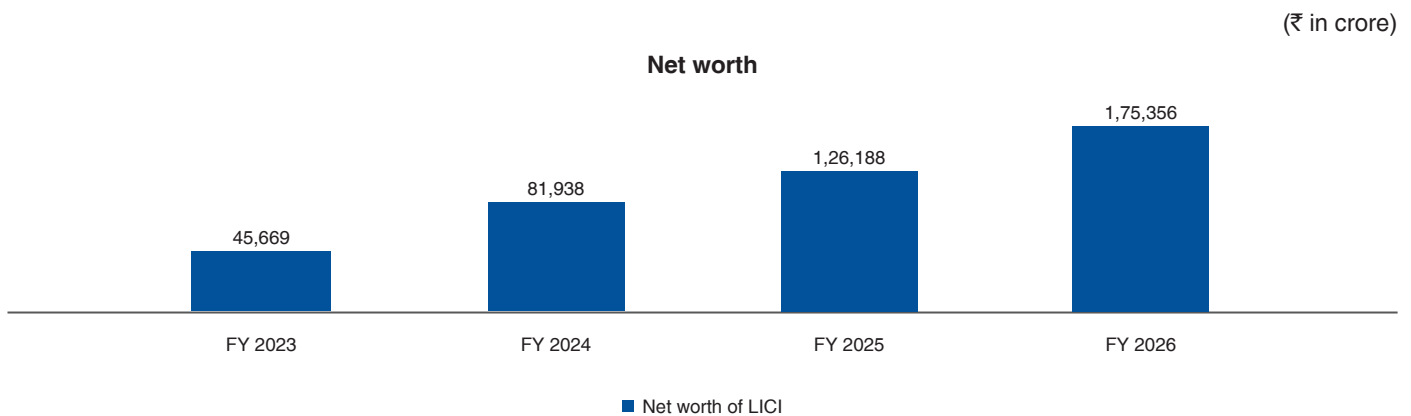
The Corporation continuously focuses on reduction in operating expenses. Total Expenses of Management Ratio decreased from 12.42% in FY 2025 to 11.91% in FY 2026.

(vi) **Commission Ratio**

The Corporation Commission Ratio marginally decreased from 5.18% in FY 2025 to 4.55% in FY 2026.

- (vii) **Profitability:** Profit after tax (PAT) increased by 19.25% from ₹ 48,151 crore in FY 2025 to ₹ 57,419 crore in FY 2026.

- (viii) **Net Worth:** During the Financial Year 2025-26, the net worth has increased by 38.96% from ₹ 1,26,188 crore as at 31st March, 2025 to ₹ 1,75,356 crore as at 31st March, 2026. The net worth of LIC is consistently increasing. The increase in net worth is on account of increased reserves.



Profitability and net worth are key indicators of the financial health and stability of Life Insurance Corporation (LIC) of India.

- (ix) **Earnings Per Share (EPS):** EPS reflects the company's profitability on a per-share basis. Basic and diluted EPS has increased from ₹ 76.13 as at 31st March, 2025 to ₹ 90.78 as at 31st March, 2026.
- (x) **Solvency:** Solvency ratio is a regulatory measure of capital adequacy for Indian Insurance Companies and is calculated by dividing an insurer's Available Solvency Margin by its Required Solvency Margin, each calculated in accordance with IRDAI guidelines. The minimum Solvency Ratio required to be maintained is the control limit of 1.50, as set by the IRDAI. The Corporation Solvency Ratio (within India business) increased from 2.11 as at 31st March, 2025 to 2.35 as at 31st March, 2026.
- (xi) **Persistency:** The 13th month persistency for Individual Regular Premium Business, by premium, for 2025-26 is 74.64% as compared to 74.84% in 2024-25 and the 61st month persistency for the same is 59.31% for 2025-26 as against 63.12% for 2024-25.

The 13th month persistency for Individual Regular Premium Business, by number of policies for 2025-26 is 64.87% as against 64.12% for 2024-25 and the 61st month persistency for the same is 46.88% for 2025-26 as against 50.31% for 2024-25.

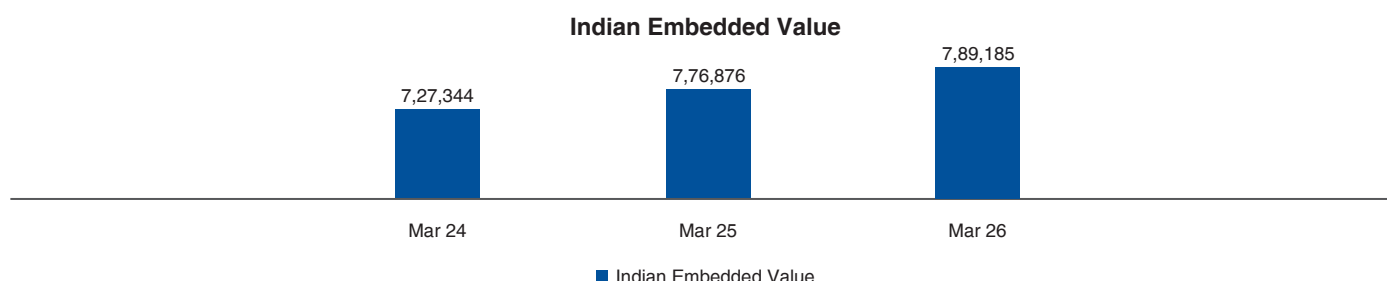
(xii) **Annualized Premium Equivalent (APE):** The Corporation total APE in FY 2025-26 is ₹ 66,961 Crore. This was ₹ 56,828 Crore in FY 2024-25. Individual Non-PAR APE increased by 43.8% from ₹ 10,581 crore in FY 2024-25 to ₹ 15,214 crore in FY 2025-26.

(xiii) **Value of New Business (VNB) and VNB Margin:** VNB is an important metric of profitability as it reflects the additional value generated through the activity of writing new policies during any given period. VNB margin is the ratio of VNB to APE for the relevant period and is a measure of expected profitability of new business in percentage terms.

For FY 2025-26, the Corporation's VNB and VNB margins are ₹ 14,179 crore and 21.2% respectively. The corresponding figures for FY 2024-25 were ₹ 10,011 crore and 17.6%.

(xiv) **Indian Embedded Value (IEV):** IEV increased by 1.58% from ₹ 7,76,876 crore in FY 2024-25 to ₹ 7,89,185 crore in FY 2025-26.

(₹ in crore)



9. HUMAN RESOURCES:

a) Staff Strength

The number of employees of the Corporation as on 31.03.2026 is 84565 as against 91606 at the end of the previous financial year.

b) Empowerment of Women

24.12% of the workforce consists of women employees in different cadres. Our Central Office and all Zonal Offices and Divisional Offices have Internal Complaint Committee for the prevention of sexual harassment at workplace and all such committees are functioning effectively.

The Corporation is mindful of its responsibilities towards the weaker sections and adheres to all government Guidelines on reservation to Scheduled Caste/Scheduled Tribes and Other Backward Classes, persons with disabilities as well as Ex-Servicemen, Economically Weaker Sections.

10. PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES & ASSOCIATES

A. Indian Subsidiaries and Associate:

Life Insurance Corporation of India has the following Subsidiaries and Associate Companies operating in India:

(i) LIC HOUSING FINANCE LIMITED (Associate - LIC's stake: 45.24%)

LIC Housing Finance Ltd. was incorporated in 1989. The Company provides long-term housing finance to individuals and finance to builders and developers. It has its Corporate Office in Mumbai and 10 Regional Offices, 23 Back Offices, 303 Marketing Offices and 1 Customer Service Point in the country and a representative office in Dubai. The Company's shares are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. The Company is rated 'AAA Stable' by CRISIL & CARE.

Total Assets of the Company is ₹ 3,25,106 crore as at 31.03.2026. Loan disbursement for the year 2025-26 is ₹ 66,544 crore. Outstanding loan portfolio as at 31.03.2026 is ₹ 3,20,707 crore. Total Income for FY 2025-26 is ₹ 28,771 crore and PAT as at 31.03.2026 is ₹ 5,595.15 crore.

(ii) LIC HFL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (Associate – LIC's stake: 5.38%)

LIC HFL Asset Management Company Limited was incorporated in 2008. LICHFL Asset Management Co. Ltd. manages Alternative Investment Fund (AIF) / Venture Capital Fund (VCF) as Investment Manager.

Total income for FY 2025-26 is ₹ 25.60 crore and PAT is ₹ 10.57 crore.

(iii) LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED (Associate – LIC's stake: 49.87%)

LIC Mutual Fund (the "Mutual Fund") has been constituted as a trust on 20.04.1989, with LIC of India as the Sponsor, LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd. as the Trustee and LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. as the Investment Manager to LIC Mutual Fund. With a network of 193 Investor service centres, 44 Area Offices and 242 Sales Team members, LIC MF is present in around 220 locations spread over length and breadth of the country.

In FY 2025-26, the Company launched two new funds - "LIC MF Consumption Fund" and "LIC MF Technology Fund". As of 31st March 2026, LIC Mutual Fund has been managing 43 schemes. The average Assets under Management (AAUM) was ₹ 43,499 crore as on 31.03.2026 and it ranked 23rd in terms of AAUM in the Industry. Total income for FY 2025-26 was ₹ 128.84 crore and PAT as at 31.03.2026 was ₹ 10.51 crore.

(iv) LIC MUTUAL FUND TRUSTEE PRIVATE LIMITED (Associate – LIC's stake: 49.00%)

LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd. is the Appointed Trustee (corporate entity) and holds the fiduciary responsibility of LIC Mutual Fund. It functions as the Trustee Company to LIC Mutual Fund.

Total income for the year ended 31.03.2026 is ₹ 0.55 crore and PAT as at 31.03.2026 is ₹ 0.24 crore.

(v) LIC PENSION FUND LIMITED (Wholly-owned subsidiary of LIC)

LIC Pension Fund Limited was incorporated in 2007 under the Companies Act, 1956 by Life Insurance Corporation of India, and has its Corporate Office in Mumbai. It acts as a Fund Manager for managing the funds received from NPS Trust. LIC PFL started 2 schemes under the newly-introduced MSF (Multiple Scheme Framework) category during 2025-26.

The total Assets under Management (AUM) was ₹ 4,22,359 crore as on 31st March 2026. Total income for FY 2025-26 is ₹ 180.26 crore and PAT as at 31.03.2026 is ₹ 70.31 crore.

(vi) LIC CARDS SERVICES LIMITED (Wholly-owned subsidiary of LIC)

LIC Cards Services Ltd., (LIC CSL) was incorporated on 11th November 2008. The Company has its Corporate Office in Delhi and 13 Area Offices in different locations across the country. LIC CSL is in the business of Marketing and Distribution of Co-branded Credit Cards in partnership with Axis Bank, IDFC First Bank, and IDBI Bank and Co-branded Gift Cards in partnership with Axis Bank and IDBI Bank. The Company has also entered into an Agreement with M/s. Pluxee India Private Limited (formerly Sodexo SVC India Private Limited) for issuing Meal Cards to employees of LIC.

Total Number of cards sold for the FY 2025-26 is 57,266 and No. of outstanding cards as on 31.03.2026 is 6,85,916. Total income for FY 2025-26 is ₹ 31.60 crore and PAT as at 31.03.2026 is ₹ 7.32 crore.

(vii) IDBI BANK LIMITED (Associate – LIC's stake: 49.24%)

Acquired as a Subsidiary in January 2019, the Bank became our Associate Company in December 2020. Headquartered in Mumbai, the Bank has a pan-India presence of over 2,200 branches and 3,000 ATMs. IDBI Bank is a full-service universal bank. The Bank is the largest Bancassurance partner of LIC.

Deposits as at 31.03.2026 is ₹ 3,47,163 crore and Advances is ₹ 2,53,626 crore. Total income for FY 2025-26 is ₹ 35,743 crore and PAT as at 31.03.2026 is ₹ 9,513 crore.

(viii) IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED (Associate – LIC's stake: 29.84%)

IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) was incorporated in August 2000 and was registered with SEBI in 2001. ITSL provides a wide spectrum of trusteeship services to Corporates.

Total income for FY 2025-26 is ₹ 103.66 crore and Profit for FY 2025-26 is ₹ 54.83 crore.

B. Foreign Subsidiaries and Associate:

Life Insurance Corporation of India has the following Subsidiaries and Associate Companies operating in outside India:

(i) Overseas Subsidiaries:

1. Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) was established in Bahrain as a subsidiary of Life Insurance Corporation of India. Shareholding of LIC of India in the Company is 99.66%. The operations commenced on 23rd of July, 1989 and initially catered to the life insurance needs of Non-Resident Indians (NRIs) and later extended to the local population in the Gulf by issuing life insurance policies in US Dollars. The Company operates in 3 GCC countries of Bahrain, Kuwait and UAE (Dubai & Abu Dhabi). The Company sold 1,369 policies during Financial Year ending 31.12.2025 with a First Premium Income of ₹ 175.98 Cr.
2. Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Vishal Group along with public shareholding and was established on 1st of September, 2001. It is a listed Company whose shares are traded on the Nepal Stock Exchange. Shareholding of LIC of India in the Company is 55%. The Company sold 64,867 policies during Financial Year ending on 15.07.2025 with a First Premium Income of ₹ 189.92 Cr.
3. Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Bartleet Transcapital Ltd. and was established on 7th of October, 2002. Shareholding of LIC of India in the Company is 97.22%. The Company sold 5,224 policies during Financial Year ending on 31.12.2025 with a First Premium Income of ₹ 14.15 Cr.
4. Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Strategic Equity Management Ltd. and Mutual Trust Bank Ltd. and is incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 of Bangladesh on 14.12.2015. Shareholding of LIC of India in the Company is 83.33% The Company sold 2,522 policies during the Financial Year ending 31.12.2025 with a First Premium Income of ₹ 2.99 Cr.

(ii) Foreign Wholly-Owned Subsidiary:

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd., a Wholly-Owned Subsidiary was incorporated on 30th of April, 2012 in Singapore. The Company sold 275 policies during the Financial Year ending 31.12.2025 with a First Premium Income of ₹ 115.69 Cr.

11. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

Life Insurance Corporation has a robust Enterprise Risk Management framework to conduct its business in an orderly fashion. The framework considers all the risks faced by the Corporation and ensures that there are adequate systems, processes and trained personnel in place.

Organisation Structure:

Board of Directors provides the overall guidance on Risk Management and have delegated responsibility relating to Risk Management activities to Risk Management Committee (RMC).

Enterprise Risk Management Department supports Chief Risk Officer (CRO) in the implementation of Enterprise Risk Management framework laid down by RMC.

Risk Governance Framework:

Based upon the recommendations of the Risk Management Committee, the Board approves the Enterprise Risk Management Policy, Risk Appetite Statement, ALM Policy, Anti-Money Laundering Policy, Anti-Fraud Policy, Outsourcing Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis.

There are three lines of defence to manage the risks:

- 1 - Head of Departments (HODs) at Central Office who own the Risks,
- 2 - Enterprise Risk Management Department to review the risks
- 3 - Internal Audit, Statutory Audit, System Audit, IFC Audit, Concurrent Audit and Inspection function.

Key Risk Management Tool - ERM Module:

Enterprise Risk Management module is used to assess qualitative and quantitative risks and the resultant reports are discussed in the Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Risk Management Committee (RMC).

Key Risk Management tools are Risk Appetite Statement, Risk Registers, Incident Management Framework (fraud monitoring), Top Risks and Key Risk Indicators. The tools are used by the three lines of defence and decisions are taken by the management to mitigate the risks.

Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation are identified by analysing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The assessment of Key Risk Indicators is completed every quarter. The Top Risks and associated Key Risk Indicators are updated on an annual basis.

Business Continuity Management System (BCMS):

The Corporation also has Board-approved policies in place, including the Business Continuity Management Policy, Disaster Recovery Policy, and the BCMS Framework. The Business Continuity Management System (BCMS) is certified under ISO 22301 by the British Standards Institution on 22.05.2025, with the Surveillance Certificate obtained on 27.03.2026. The Risk Management Committee of the Board periodically reviews and evaluates the effectiveness of the BCMS framework, ensuring that strategies for minimizing the impact of any disaster are robust and appropriately managed.

Mitigation Strategies For Various Risks as Enterprise Risk Management Framework:

The Corporation is exposed to various risks which are categorized into 6 major risks namely Strategic, Financial, Operational, Reputational, ESG and Climate Risks. The enterprise risks are systematically identified and systems & procedures have been implemented to address these risks so that not only the policyholders' funds are protected but also their reasonable expectations are met.

The Corporation has a well-established Enterprise Risk Management (ERM) framework in place to actively manage material risks. The ERM framework aligns the Corporation's strategy and business decisions with risk appetite of the Corporation.

12. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The Corporation has institutionalized a robust and comprehensive internal control mechanism through Audit, Inspection and Vigilance across key processes to ensure reliability of financial reporting, timely feedback on achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedures, laws and regulations. The internal audit function provides independent and reasonable assurance about the adequacy and operating effectiveness of internal controls to the Board and Audit Committee. Internal Audits are conducted by an in-house Internal Audit team and by the co-sourced auditor (external Chartered Accountant Firms). The internal audit planning activity ensures coverage of the Corporation business process and transactions across all offices of the Corporation. Apart from aspect Audit, Information System (IS) Audit is conducted to identify system gaps and Internal Financial Control (IFC) Audit is conducted to assess the adequacy and effectiveness of existing level of controls. The IS Audit & IFC Audit are conducted by external Chartered Accountant firms.

The Inspection Policy approved by the Board stipulates that every office of the Corporation in India shall be inspected at least once a year by Officers of Inspection Department. The exercise of Inspection is a pre-emptive measure against systemic lapses.

The Corporation is committed to conducting its affairs in a fair, transparent, ethical manner, guided by highest standards of professionalism and integrity and has institutionalized a robust and comprehensive internal control mechanism through Audit, Inspection and Vigilance across key processes to ensure reliability of financial reporting, timely feedback on achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedures, laws and regulations.

More focus was on preventive Vigilance through dissemination of information in areas susceptible to fraud.

As per guidelines of CVC, Integrity Pact (IP) is being implemented in procurement processes of our Organization. As regards Stores Purchase and Building Contracts, it is being ensured that CVC guidelines are strictly followed.

Proactive and Preventive Vigilance measures were taken in identifying systemic issues and suggestions made for corrective action to the respective Controlling Departments of Central Office.

13. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

In the year 2025-26 Central Office of the Corporation has been awarded as the best public sector undertaking by the Ashirvad Literary and Social Organisation for the remarkable implementation of the official language Hindi in the office of the Government of India.

In the year 2025-26, the Central Office of the Corporation was awarded for excellent official language implementation by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

04 Divisional offices of the Corporation were honoured with official language awards by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

There is a Hindi Version of Annual Report available in this volume itself.

14. RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005

To ensure easy access to information to citizens of India, officers are designated as Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) at various levels in the organization. LIC has 130 CPIOs and 130 Appellate Authorities.

The details of CPIOs and Appellate Authorities pan-India are available on LIC website at <https://licindia.in/web/guest/rti-center>.

CIC has accredited LIC as Grade “A” Organisation with 100% rating in the Transparency Audit of LIC’s website (www.licindia.in) for disclosures under Section 4(1)(b) of the RTI Act, 2005 for fifth consecutive year.

During the financial year 2025-26 8321 RTI applications, 1247 appeals and 208 CIC hearing cases have been attended.

Board Report

Dear Members,

Your Board of Directors ("Board") is pleased to present the 69th Annual Report of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation" or "LIC" or "LIC"), together with the audited financial statements for the year ended March 31, 2026.

Your Corporation continues to deliver strong and consistent financial performance, underpinned by a robust solvency margin and a well-diversified investment portfolio which plays a vital role in fostering financial security, strengthening financial literacy, and advancing financial inclusion, thereby contributing meaningfully to India's Economic Development. As the largest life insurer in India, the Corporation is widely recognised for its financial strength, stability, and extensive outreach. Through its comprehensive suite of life insurance products and services, it effectively addresses the evolving needs of millions of policyholders across the country.

1. Highlights of Financial Performance:

The highlights of the standalone financial performance of the Corporation for the financial year under review are presented below:

(₹ in crore)

Particulars	2025-26	2024-25	Growth (%)
New business Premium			
First Year Premium	41,935.30	37,025.38	13.26
Single Premium	2,18,677.67	1,89,760.11	15.24
Renewal Premium	2,76,135.59	2,62,063.43	5.37
*Gross Premium	5,36,748.56	4,88,848.92	9.80
Less: Reinsurance	(764.34)	(700.75)	9.07
Net Premium	5,35,984.22	4,88,148.17	9.80
Investment & Other income	4,36,929.73	3,95,927.98	10.36
Total Income	9,72,913.95	8,84,076.15	10.05
Profit after Tax (PAT)	57,418.55	48,151.17	19.25

**It includes Individual and Group Business premium.*

Other Key Parameters:

Particulars	2025-26	2024-25	Growth (%)
Corporation's Annual Premium Equivalent (APE) (₹ in crore)	66,961.00	56,828.00	17.83
Assets under Management (₹ in crore)	57,29,395.73	54,52,296.67	5.08
Embedded Value (₹ in crore)	7,89,185.00	7,76,876.00	1.58
*Solvency Margin	2.35	2.11	-

**Solvency margin (within India business) is calculated before considering the proposed final dividend for the Financial Year*

2. Capital and Shareholding:

The Authorised Share Capital of the Corporation is ₹ 25,000 crore divided into 2,500 crore shares of ₹ 10/- each and the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Corporation as at March 31, 2026 is ₹ 6324,99,77,010 comprising of 632,49,97,701 equity shares of the face value of ₹ 10/- each. The Corporation has not issued any fresh equity shares during the financial year under review.

The Board of Directors of the Corporation in its meeting held on April 13, 2026, *inter-alia*, considered and approved the issuance of bonus equity shares in the proportion of 1:1 subject to the approval of the members of the Corporation, and the same was approved by the members on May 17, 2026 by way of Postal Ballot. The results of the postal ballot along with scrutinizers report were declared on May 18, 2026. The Board of Director in its meeting held on May 21, 2026 had delegated the authority to the Stakeholders' Relationship Committee to approve the allotment of bonus equity shares to members. Subsequently, the Stakeholders'

The Corporation introduced the following Two (2) new individual riders during the financial year 2025-26

S. No.	Product Name	Category
1	LIC's Critical Illness Health Rider	Individual
2	LIC's Female Critical Illness Benefit Rider	Individual

In addition to launching new products, the Corporation introduced modified versions of Five (05) existing Individual Products during the financial year 2025-26. These modifications were undertaken to enhance product features, improve customer value propositions and align with evolving market needs and regulatory requirements. The following are the name of the modified products:

S. No.	Name of Products
1.	LIC's New Endowment Plan
2.	LIC's Nav Jeevan Shree
3.	LIC's New Jeevan Anand
4.	LIC's New Jeevan Shanti
5.	LIC's Jeevan Akshay - VII

As at the end of the financial year 2025-26, the Corporation had following product categories available for sale:

Product Categories	No. of Products
Individual Products	36
Group Products	14
Individual and Group Products	01
Individual Riders	07
Group Rider	01
Total Offerings	59

5. Persistency:

High persistency leads to strong customer loyalty and LIC has always been working to improve the persistency by taking decisive and corrective measures to arrest lapsation of the policies through various customer contact/loyalty programs, educating the customers the need for insurance and also the need to keep the policies in force.

To institutionalize this focus, persistency metrics have been integrated into the Key Performance Indicators (KPIs) and performance-linked incentives across all levels, thereby ensuring alignment throughout the Corporation.

Persistency for Individual Regular Premium Business by premium and number of policies is as under:

By Premium:

- The 13th month persistency decreased from 74.84% in FY 2024-25 to 74.64% in FY 2025-26, indicating a slight decline of 0.2%.
- The 61st month persistency decreased from 63.12% in FY 2024-25 to 59.31% in FY 2025-26, a drop by 3.81%.

By Number of Policies:

- The 13th month persistency improved from 64.12% in FY 2024-25 to 64.87% in FY 2025-26 reflecting a modest improvement of 0.75%.
- The 61st month persistency decreased from 50.31% in FY 2024-25 to 46.88% in FY 2025-26, indicating a reduction of 3.43%.

6. Research/Strategy and Corporate Planning:

The department conducts regular analysis of developments in the life insurance and financial sectors to assess its implications for LIC and policyholders. It monitors market dynamics, emerging business opportunities, and changing customer preferences to provide strategic insights. Regulatory and legal developments are examined to evaluate any potential impact on the

Corporation. In collaboration with other departments, the research & strategy team formulates the Corporation's Five-Year Business Plan, taking into account domestic and global insurance trends, macroeconomic factors and sensitivity analyses to develop a robust strategic framework. Business forecasting, benchmark industry best practices and carry out detailed studies on marketing and advertising trends across insurance products to support informed decision-making and sustainable growth is also undertaken.

To remain competitive in a dynamic business environment, an assessment of the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) of the Corporation is made and strategies are worked out accordingly. Planning and Performance Budgeting (PPB) is a key initiative in this direction. Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) given its statutory and ESG significance, is collated and got approved from the reasonable assurance provider by the Corporation.

To monitor developments in the evolving economic landscape, a quarterly e-magazine, ENVOSCAN, is published. A comprehensive repository of business data in the form of a FACT BOOK is maintained for the benefit of the user Departments.

7. Customer Relationship Management:

(A) Policy Servicing:

Servicing of policies is one of the most critical elements in the value chain of life insurance. Your Corporation is actively committed to delivering the highest level of customer experience to its policyholders.

LIC has strong presence with 2048 Branch offices and 1584 Satellite offices across the country. Additionally, initiatives such as 'Anywhere Services' enable customers walk into any LIC branch and avail services, irrespective of the servicing branch of their policy. With the widespread network across every corner of the Country, customers enjoy convenient access to in-person services. Moreover, a strong presence of agents and other market intermediaries ensures ease of access, prompt assistance, and an enhanced overall service experience.

Customers can also conveniently access LIC services online through LIC Digital App or through Customer portal at www.licindia.in. To facilitate seamless online premium payments, LIC offers a wide range of options including Net Banking, Credit Cards, Debit Cards, UPI, and e-wallets. Customers may also choose automated payment facilities such as Auto Debit, e-NACH. In addition to the above, premium is payable digitally through Banks and Third Party Applications as operating units under Bharat Connect ecosystem using their payment platform either through "view and pay option" or "register and pay" (Unified Presentment Management System).

Policyholders can remit premiums at LIC Branch Offices and Satellite Offices through Cash or Cheque, as well as by using card swiping machine available at selected branches. In addition, offline premium payments through cash or cheque can be made at Premium Collection Centers operated by eligible Agents, Development Officers, and Senior Business Associates (SBAs). Entities like IDBI Bank, Axis Bank, City Union Bank, Suvridha Infoserve, MP Online, APT Online and CSC are also authorized to accept premium.

LIC operates a centralized 24x7 Call Center, accessible at 022-68276827, to provide continuous support to its policyholders. Assistance is available in eight regional languages namely Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Tamil and Telugu in addition to English and Hindi, ensuring inclusive customer service.

LIC's Service related information is also available through SMS. Customers can send an SMS in the format LICHELP<POLICYNO> to mobile no. 9222492224, upon which an LIC official from the Customer Zone will contact them and assist in addressing their service requirements. Additionally, customers can avail LIC services through WhatsApp at 8976862090. LIC's Customer Zones serve as a single point of contact for customer support and grievance resolutions. With 74 Customer Zones operating across India from 8:00 a.m. to 8:00 p.m., LIC ensures timely assistance and effective resolution of customer queries and service requests.

To strengthen customer authentication and prevent fraud, LIC has integrated with various repositories. These integrations help reduce turnaround time and enable efficient service delivery. LIC continues to enhance customer engagement and provide a seamless service experience, through various digital engagement and initiatives.

LIC has established a robust and customer friendly feedback and complaint resolution mechanism for its policyholders. Policyholders can conveniently lodge and track their complaints online. Complaints registered through the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)'s Grievance Management System, 'Bima Bharosa' are seamlessly integrated with LIC's Complaint Management System. The Corporation has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at the Branch, Divisional, Zonal and Central Office levels to address policyholder's concerns/grievances

effectively. The details of GROs are readily available on LIC's official website. Policyholders can meet the respective GROs in person every Monday between 2:30 p.m. to 4:30 p.m., without prior appointment and on other working days with prior appointment.

LIC continuously strives to enhance customer engagement and deliver a superior service experience to its policyholders at every touchpoint.

(B) Claims Related Performance:

Effective Customer service plays a vital role in retaining Clients, fostering long term relationship, and enhancing the Corporation's reputation. By leveraging technology, your Corporation continuously strives to enhance the trust and ensure that policyholders feel supported throughout their journey with the Corporation. Your Corporation continuously engages in communication with the policyholders by providing timely updates, addressing queries and concerns with empathy and professionalism, and offering personalized interactions to deliver seamless and responsive service.

During the financial year 2025-26, the Corporation has settled 253.91 lakh claims amounting to ₹ 3,12,770.86 Crore (including Individual, Micro Insurance and Pension & Group Schemes). Notably, 100% of these payments were made through digital mode primarily via NEFT.

A detailed summary of benefits paid to the policyholders is provided in the Management Discussion and Analysis at Page no. 204 of this Annual Report.

8. Information Technology:

i. Customer Digital Services Ecosystem

Enhancing customer convenience and expanding digital access remained a key focus area during FY 2025-26. As customer expectations increasingly shift towards seamless, self-service, and anytime-anywhere engagement, LIC further strengthened its digital servicing ecosystem through the launch and expansion of multiple technology-enabled platforms.

A significant milestone during the year was the launch of the MyLIC App, which has emerged as a comprehensive digital servicing platform offering a wide range of policyholder services, including premium payments, loan servicing, loan repayments and revival, AutoPay management, profile and KYC updates, policy document downloads, online purchase journeys, family and policy addition facilities, and personalized customer dashboards. Nearly 95% of customer journey volumes have already been enabled through the platform, reflecting substantial progress in the Corporation's digital servicing transformation journey.

The platform witnessed strong customer adoption, recording more than 19.4 lakh downloads across Android and iOS platforms and average daily login volumes of approximately 75,000 users. Customer response has remained encouraging, with the application securing a rating of 4.7 on the Google Play Store based on over 70,000 user reviews. Customer access channels were further strengthened through the introduction of WhatsApp-based premium collection services, while technology-enabled outreach initiatives were leveraged to improve customer engagement and policy persistency.

The growing acceptance of alternative servicing channels is reflected in the fact that nearly 80.10% of renewal premium transactions during FY 2025-26 were collected through digital and non-digital channels outside LIC branches. These initiatives are supporting the creation of a more accessible, responsive, and customer-centric digital ecosystem while reducing dependence on physical servicing channels.

ii. Sales & Field Force Digital Enablement

Strengthening the productivity and effectiveness of LIC's extensive distribution network remains central to the Corporation's growth strategy. During FY 2025-26, significant investments were made towards enhancing digital capabilities available to agents, supervisory personnels, and sales management teams.

The launch of the Super Sales Saathi App marked an important step in this direction by providing integrated digital enablement to approximately 14 lakh agents, around 47,000 supervisory personnels, and nearly 8,000 hierarchy users. The platform offers business intelligence dashboards, lead management capabilities, campaign management tools, incentive monitoring, MDRT tracking, digital marketing support, micro-sites, and Team 360 dashboards aimed at improving sales productivity and strengthening customer engagement.

Digital onboarding capabilities were further strengthened through Nav-ANANDA, a technology-enabled platform facilitating paperless and customer-friendly onboarding of new business through Aadhaar-based e-KYC integration. The platform crossed 23 lakh policies during FY 2025-26, registering a growth of more than 50% over the previous year. Notably, the number of policies sourced through the platform during the year exceeded the total policy issuance of any individual private life insurer during the same period, demonstrating the scale and effectiveness of LIC's digital onboarding ecosystem.

The Corporation also strengthened its MarTech capabilities through data-driven customer engagement initiatives. Approximately 70 crore communications were delivered during the year, covering nearly 30 crore outreach instances and achieving around 69% open/read rates and nearly 80% delivery success rates. The platform presently supports 13 customer campaigns and 152 agent-focused campaigns across multiple communication channels, enabling targeted outreach for renewal reminders, AutoPay registration, maturity servicing, revival initiatives, and reinvestment opportunities. These initiatives are enhancing distribution effectiveness, strengthening customer engagement, and supporting scalable business growth through technology-enabled sales processes.

iii. **Smart Branch Transformation**

Improving branch efficiency and modernizing service delivery channels remain important components of LIC's broader digital transformation agenda. To support this objective, the Corporation commenced pilot implementation of the Digital Branch Portal during FY 2025-26.

The initiative is designed to transform branch operations through digitized workflows, centralized service management, enhanced visibility, and streamlined customer servicing processes. Key foundational capabilities implemented include Employee Single Sign-On (SSO), automated user provisioning, advanced access controls, SLA-based employee dashboards, and integrated customer service dashboards.

Several customer-centric servicing capabilities have also been operationalized through the platform, including NEFT updates without cheque submission, Aadhaar-based address updates, mobile and email validation, and one-click servicing journeys. These initiatives are reducing manual intervention, improving turnaround times, and enabling a more efficient and responsive branch operating environment.

The Digital Branch Portal represents an important step towards creating a technology-enabled branch ecosystem capable of delivering superior service experiences while enhancing operational efficiency.

iv. **Data Lake and Analytics**

Data is increasingly emerging as a strategic asset for driving business growth, improving customer engagement, and enabling informed decision-making. In line with this vision, LIC has undertaken enterprise-scale modernization through its Enterprise Data Lakehouse initiative.

The initiative is aimed at creating an integrated data and analytics ecosystem capable of consolidating information from diverse business systems and enabling enterprise-wide analytical capabilities. Key deliverables developed during the year include Customer 360 and Agent 360 analytical frameworks, intelligent product recommendation capabilities, renewal campaign enablement, and Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML)-based analytical reports such as "Agents Like Me".

By enabling a unified view of customers, agents, and business operations, the initiative is strengthening data-driven decision-making across the Corporation. These capabilities are supporting improved customer engagement, targeted business interventions, enhanced productivity monitoring, and more effective strategic planning.

v. **Artificial Intelligence, Machine Learning & Intelligent Automation**

Emerging technologies such as AI, ML and intelligent automation are increasingly playing a critical role in enhancing operational efficiency, customer experience, and service delivery capabilities. LIC is leveraging these technologies across multiple business functions to improve scalability, responsiveness, and process effectiveness.

AI and ML-enabled automation solutions are currently being utilized across Claims Operations and Office Services functions for automating repetitive processes, improving operational monitoring, and enabling intelligent anomaly detection. Building upon the success of these initiatives, the capability is being extended to Policy Servicing and Marketing functions.

AI-enabled voice communication systems have been implemented for maturity claim intimations and NEFT registration related communications, facilitating proactive customer outreach and improved servicing efficiency. The solution is also being extended to premium payment reminder communications. An AI-based Proposal Form Data Extraction solution is under implementation to improve proposal processing accuracy, reduce manual intervention, and accelerate onboarding timelines. Additionally, an AI-driven Email Analytics platform is being operationalized to support intelligent classification and prioritization of customer communications and grievance handling.

Advanced digital verification mechanisms based on facial matching, liveness detection, and UIDAI-based authentication have also been deployed to strengthen security and trust in digital transactions. Further, co-browsing capabilities have been introduced to provide real-time assistance to customers navigating digital servicing journeys.

vi. **Process Digitization & Paperless Operations**

Simplification of business processes and reduction of manual dependencies remain key priorities in LIC's digital transformation journey. During FY 2025-26, several initiatives were undertaken to digitize customer-facing and back-office processes, thereby improving efficiency, transparency, and service delivery.

Straight Through Processing (STP) was implemented for NEFT payments, enabling automated processing of 2,83,037 cases during the year. Automation of bank reconciliation processes further strengthened operational controls and improved processing efficiency. Aadhaar-based data extraction capabilities were also leveraged for Direct Benefit Transfer schemes covering 8,44,347 pension policies.

Customer-facing process transformation initiatives included online loan against policy services and the launch of 'Prabalan', an online revival portal designed to facilitate digital revival of eligible lapsed policies. The online loan facility facilitated settlement of 8266 number of loan requests in a span of 45 days since its enablement.

These initiatives are contributing towards faster processing, improved customer convenience, enhanced transparency, and continued progress towards paperless operations.

vii. **IT Infrastructure Modernization**

A robust and scalable technology infrastructure remains fundamental to supporting LIC's growing digital ecosystem and expanding business requirements. During FY 2025-26, significant investments were made towards strengthening core infrastructure capabilities across computing, storage, networking, and data centre environments.

A major milestone during the year was the operationalization of 'MeghRath', the Corporation's private cloud platform, with more than 840 active virtual machines supporting enterprise applications and digital services. Infrastructure modernization efforts also included augmentation of data centre capabilities, enhancement of network infrastructure, and deployment of enterprise-wide Patch and Vulnerability Management solutions.

Database Activity Monitoring (DAM) capabilities were implemented to strengthen infrastructure governance and operational reliability. These efforts contributed towards achieving 100% network uptime across Data Centres and an overall network uptime of 99.5% during FY 2025-26.

The strengthened infrastructure foundation is enhancing scalability, resilience, and service availability while providing a robust platform for future technology innovation.

viii. **Information & Cyber Security**

As digital adoption expands and cyber threats continue to evolve globally, strengthening cyber resilience and protecting customer information remain strategic priorities for the Corporation. During FY 2025-26, multiple initiatives were undertaken to enhance security governance, threat detection capabilities, and protection of critical information assets.

A comprehensive Identity Governance and Administration (IGA) solution was implemented to strengthen enterprise-wide access management and governance controls. Significant progress was also achieved in protecting sensitive customer information through Aadhaar Data Masking, resulting in masking of over 14.03 crore Aadhaar numbers. Additional measures included implementation of Data Classification (DC) and Data Loss Prevention (DLP) solutions, deployment of Endpoint Detection and Response (EDR) capabilities across Windows and Linux environments, and strengthening of database security through Database Activity Monitoring (DAM).

Cyber defence capabilities were further enhanced through implementation of an integrated Threat Detection and Incident Response (TDIR) framework comprising Security Information and Event Management (SIEM), Security Orchestration, Automation and Response (SOAR), User and Entity Behaviour Analytics (UEBA), Network Detection and Response (NDR), Packet Capture (PCAP), Cyber Threat Intelligence (CTI), Cyber Threat Hunting (CTH), and Endpoint Detection and Response (EDR) technologies. In parallel, Network Security Tools (NST) including Network Access Control (NAC), Secure Socket Layer Orchestrator (SSLO), Web Application Firewall (WAF), Server Load Balancer (SLB), Mobile Device Management (MDM), and Cloud Access Security Broker (CASB) were implemented to strengthen enterprise security architecture.

These initiatives have significantly enhanced the Corporation's capability to prevent, detect, respond to, and mitigate cyber threats while strengthening data protection, regulatory compliance, customer trust, and operational resilience

By undertaking the various activities towards strengthening the digital footprint & applications to push digital policy issuance under the directions of the Board of Directors, Corporation aims to transition from a traditional life insurer to a tech-enabled financial solutions provider and take LIC to the next era.

9. Human Resource:

As on March 31, 2026, the Corporation has a total of 84,565 employees on roll which includes 20,404 female employees (constituting 24.12% of total employees). The details are as under:

Particulars	Male	Female	Total
Class I	21,148	6,634	27,782
Class II	16,839	1,848	18,687
Class III	25,554	11,665	37,219
Class IV	620	257	877
Total	64,161	20,404	84,565

Prevention of Sexual Harassment of women at the workplace:

The Corporation remains firmly committed to maintaining a safe, inclusive, and respectful work environment. In accordance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013, the Corporation has implemented a range of initiatives designed to enhance the status of women and support their economic and professional empowerment.

Women officers and employees have made significant contributions across all levels of LIC, playing an integral role in the Corporation's sustained growth and success. To ensure a safe and respectful workplace, the Corporation has constituted Internal Complaints Committee at the Central Office, Zonal Offices, and Divisional Offices to provide all reasonable assistance to the aggrieved employees.

These committees function in accordance with the statutory framework of the Act, ensuring prompt and fair redressal of complaints, if any. In addition to grievance redressal, the Committees also conduct regular awareness and sensitization programs to educate employees and foster a culture of dignity, mutual respect, and inclusion in the workplace. The summary of complaints as at March 31, 2026 are as under:

Number of complaints pending at the beginning of the year	02
Number of complaints received during the year	16
Total Number of complaints	18
Number of complaints disposed during the year	13
Number of complaints pending at the end of the year	05*

**As on the date of this Report, all the pending complaints were closed*

10. Internal Audit and Inspection Framework:**Internal Audit:**

The Corporation's Internal Audit function is overseen by the Internal Audit Department at the Central Office ("CO"), Mumbai. Thirteen Audit Centres across the country conduct audits under the supervision and monitoring of the Central Office. In addition, the CO Audit Department also coordinates and conducts audits of various departments within the Central Office.

To enhance professionalism and objectivity in the audit process, the Corporation introduced a revised audit approach from the FY 2022-23, under which one-third of the Divisional Offices and their corresponding Branch Offices, including P&GS units, are audited annually by Chartered Accountant ("CA") firms. The Audit by CA Firms is conducted on rotational basis, ensuring that all units are covered at least once in a three-year cycle. This practice continued in FY 2025-26.

Audit exercises across units are carried out using department-specific audit questionnaires, which are updated annually to incorporate the latest circulars, revised guidelines, policy changes, and operational developments. These questionnaires also include checks related to Internal Financial Controls ("IFC") for each Corporation level, i.e., Branch, Division, Zone, and Central Office.

Key audit findings are regularly shared with the respective functional heads at the Central Office, who issue corrective instructions to operational units and implement systemic control improvements, wherever necessary. During FY 2025-26, the Corporation conducted audit relating to Internal Financial Control (IFC), and Information System (IS). The findings of these audits were discussed with the Statutory Auditors and subsequently placed before the Audit Committee for review and guidance.

Additionally, under the Corporation's Fraud Monitoring Framework, all fraud cases involving amounts exceeding ₹ 1 crore are reported to the Risk Management Committee of the Board ("RMCB") through the Central Fraud Monitoring Committee and the Committee of Executives for Risk Management (CERM).

Internal Inspection:

The Corporation has in place a Board-approved Inspection Policy, which mandates that every office in India including Satellite Offices, Branch Offices, Divisional Offices, Zonal Offices, and the Central Office is inspected at least once a year by officers of the Inspection Department.

This inspection mechanism serves as a critical tool for identifying, reporting, and rectifying systemic lapses, and plays an important role in maintaining operational efficiency, compliance, and accountability across all levels of the Corporation.

During the year under review, inspection of all offices were completed by March 16, 2026.

In addition to individual office assessments, common irregularities identified during the inspection process were consolidated and shared with the Heads of Departments at the Central Office, to enable systemic improvements and implementation of preventive measures across the Corporation.

The Corporation continues to strengthen its inspection and monitoring processes to uphold transparency, governance standards, and service quality across its extensive network of offices.

11. Internal Financial Controls:

The Corporation has established adequate and effective internal financial controls which is operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records relevant to the preparation and presentation of the financial statements.

The Corporation's internal financial control over financial reporting is a structured process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and preparation of financial statements for stakeholders, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). The Corporation's internal control framework includes a set of policies and procedures that

- pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflects the transactions and dispositions of the assets of the Corporation;
- provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and Directors of the Corporation; and

- provides reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

12. Awards & Recognitions:

The Corporation has received several awards and accolades during the year 2025-26 across diverse areas, including recognition as one of the Most Trusted Brands of India, excellence in Digital and Social Media Strategies, Corporate Communication Excellence in the Insurance Sector, Best use of Channels and Mediums. Corporation has also been honoured for Best PR/Marketing Campaign for spreading Life Insurance, Excellence in Agency Distribution, Excellence in Claims Service, and recognition as Smart Insurer and Leading Life Insurer (Large). Further, the Corporation received accolades in the areas of National PSU Leadership & Governance Excellence, among others. These recognitions underscore the Corporation's unwavering commitment to excellence, innovation, and strengthening stakeholder trust. Some of the key awards & recognitions received during the year are as follows:

Awards & Recognitions:

- 🏆 LIC is recognized as Most Trusted Brands of India Award by Marksmen Daily
- 🏆 Awarded in 2 categories at 3rd Great India Corporate Communication leaders summit by Transformance
 - Great Indian Organization-Digital and Social Media Strategy
 - Great Indian Organization-Corporate Communication Excellence in the Insurance Sector;
- 🏆 Awarded at Pitch BFSI Marketing Summit & Award 2025 by Exchange4media for Best Use of Channels & Mediums (for Best Media Interaction TV, Print, Radio, Outdoor, PR, Direct Marketing and Digital);
- 🏆 Awarded for Best CTV Campaign for Customer Acquisition -2025 Award by Agency Reporter;
- 🏆 LIC awarded at Most Impactful Campaign Award by Quoraverse;
- 🏆 Awarded in three categories by CMO Asia:
 - Best PR/Marketing Campaign for spreading Life Insurance
 - Excellence in Agency Distribution
 - Excellence in Claims Service
- 🏆 Awarded Dhanam Life Insurer of the Year 2025 by Dhanam Business Media;
- 🏆 Awarded Smart Insurer in Life Insurance (Large) for the year 2025 by ET Now;
- 🏆 Awarded India's leading Life Insurance Company (Large) Award by Dun & Bradstreet;
- 🏆 Awarded National PSU Leadership & Governance Excellence Award by Times Aspire Unicom Network Pvt. Ltd.;
- 🏆 Forbes recognized Life Insurance Corporation of India as one of the World's Best Employers 2025;
- 🏆 Times Strategic Solutions Ltd. through ET Edge BFSI Best Brands 2026 recognized LIC as one of the Best BFSI Brands 2026 under Category Life Insurance Brands

Brand Ranking:

S. No.	Ranking	Brief Details	Source
1	1 st	Trusted Brand 2025 (One of the Top 5 Insurance Life Services)	Reader's Digest Trusted Brand, Sept 2025
2	2 nd	India's Largest Companies	Fortune 500 India
3	4 th	Most Valuable Indian Brand	Brand Finance 2025
4	6 th	India's Most Profitable Companies 2025	Business Today (Bt500)
5	8 th	Strongest Indian Brand	Brand Finance 2025
6	10 th	Most Valuable Indian Brands 2025	Kantar Brandz
7	169 th	Top 500 most valuable Global Brands (Last year 2024-25 Rank 177 th)	Brand Finance 2026

13. Subsidiaries and Associate Companies:

As on March 31, 2026, the Corporation has three wholly owned subsidiary companies, four subsidiary companies and six associate companies. The Corporation does not have any material subsidiary. There were no entities that became or ceased to be subsidiaries or associates of the Corporation during the year. The brief details about business of the wholly owned subsidiaries, subsidiaries and associates are as under:

S. No.	Name of the entity	Nature of entity	Business activity	% of shares held by the LIC
1	LIC Cards Services Limited ("LICCSL")	¹ Wholly owned subsidiary	LIC CSL markets and distributes Credit Cards of Channel Partner Banks (IDBI Bank; Axis Bank; IDFC First Bank) to the Policyholders, Employees and Agents of the Corporation and the general public. They have co-branded with Axis Bank and IDBI Bank for issue of gift cards. The Company has also entered into an Agreement with M/s Pluxee India Private Limited for issuing co-branded Meal Cards to employees of LIC and proposes to extend the similar arrangements to the other Public Sector Undertakings and Banks.	100%
2	LIC Pension Fund Limited ("LICPFL")	¹ Wholly owned subsidiary	LIC PFL carries on the business of Pension Fund Management for pension fund schemes as regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).	100%
3	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd. ("LIC Singapore")	² Wholly owned subsidiary	LIC Singapore is engaged in the business of life insurance.	100%
4	Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) ("LIC Bahrain")	³ Subsidiary	LIC Bahrain is engaged in the business of life insurance in Bahrain and GCC countries.	99.66%
5	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited ("LIC Lanka")	³ Subsidiary	LIC Lanka is engaged in the business of life insurance.	97.22%
6	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. ("LIC Nepal")	³ Subsidiary	LIC Nepal is engaged in the business of life insurance.	55%
7	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Limited ("LIC Bangladesh")	³ Subsidiary	LIC Bangladesh is engaged in the business of, among other things, life insurance services by carrying out life and supplementary health coverage, providing accident benefit and pension insurance business under individual and group schemes and all kinds of guarantee and indemnity business.	83.33%
8	LIC Mutual Fund Trustee Private Limited ("LICMF Trustee")	⁴ Associate	LICMF Trustee functions as the Trustee Company to LIC Mutual Fund.	49%
9	LIC Mutual Fund Asset Management Limited ("LICMF Asset Management")	⁴ Associate	LICMF Asset Management acts as Investment Managers for schemes of LIC Mutual fund.	49.87%

S. No.	Name of the entity	Nature of entity	Business activity	% of shares held by the LIC
10	LIC Housing Finance Limited ("LICHFL")	⁴ Associate	LICHFL is engaged in the business of providing long term finance to any person or persons, company or corporation, society or association and, in particular, to holders of policies issued by LIC of India, to construct or purchase a house or flat for residential purpose, and also provides long term finance to persons engaged in the business of construction of houses or flats for residential purpose to be sold by them by way of hire purchase or on deferred payment or other similar basis.	45.24%
11	LIC HFL Asset Management Company Limited ("LICHFL AMC")	⁴ Associate	LICHFL AMC manages Alternative Investment Fund (AIF) / Venture Capital Fund (VCF) as investment manager.	5.38%
12	IDBI Bank Limited ("IDBI Bank")	⁴ Associate	IDBI Bank is engaged in the business of banking in all forms within and outside India.	49.24%
13	IDBI Trusteeship Services Limited ("ITSL")	⁴ Associate	ITSL provides a wide spectrum of trusteeship services to corporates. ITSL also extends the monitoring facility of listed pledged shares for loan against shares, escrow and facilitate agency services.	29.84%

¹Indian wholly owned subsidiary companies; ²foreign wholly owned subsidiary company; ³foreign subsidiary companies and ⁴Indian associate companies

The Corporation also operates directly through its branch offices in Fiji (Suva and Lautoka), Mauritius (Port Louis) and United Kingdom (Watford). The LIC Branch situated in United Kingdom (Watford) has ceased to sell new policies w.e.f., June 21, 2024 and currently is in run off mode whereas LIC (Singapore) Pte. Ltd, has ceased to sell new policies and is in run off mode w.e.f. October 01, 2025.

The Branch Office of the Corporation situated at International Financial Service Centre (IFSC) in GIFT City, Gandhinagar, Gujarat, commenced operations on February 27, 2026

Bifurcation of Funds:

Section 24 of the LIC Act, 1956, mandates the Corporation to maintain separate funds for participating and non-participating policyholders and Section 28 of the LIC Act, 1956, stipulates the maintenance of these funds, outlines the allocation of surpluses as follows:

- Participating Policyholders Fund:** 90% or a higher percentage of surplus is to be allocated or reserved, for the participating policyholders, with the remaining surplus going to the members; and
- Non-Participating Policyholders Fund:** 100% of the surplus is allocated or reserved for the members.

The above provisions were made effective for the funds of the Corporation in India. However, in the three overseas branches (Fiji, Mauritius and United Kingdom), a single policyholders fund is maintained, and the surplus distribution between policyholders and shareholders is set as per local laws of the respective countries, in terms of applicable provisions of LIC Act, 1956.

In accordance with the provisions of Listing Regulations, the Board of the Corporation has approved a policy for determining the materiality of subsidiaries, both within India and outside India. These policies can be accessed on the Corporation's website, and the link of these policies are available in Annexure 'I' at Page no. 235 of this Annual Report.

Details regarding financial position and performance of the Corporation's wholly owned subsidiaries, subsidiary companies and associate companies is available in the Annual Report.

14. LIC Golden Jubilee Foundation (LIC GJF):

LIC Golden Jubilee Foundation ("LIC GJF" or "Foundation"), as the name suggests, was established in 2006 to commemorate LIC's Golden Jubilee. The Foundation serves as the key vehicle through which LIC undertakes its community development initiatives and is registered with the Charity Commissioner under Bombay Public Trust Act 1950.

The objectives of the Foundation are Relief of Poverty and Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other object of General Public Utility. LIC GJF primarily supports capital-intensive projects aimed at infrastructural development, such as construction of School classrooms, hostel buildings, hospital wards, medical equipment, ambulances, school buses, solar panels, as well as assistance during natural calamity etc..

The Foundation has consistently contributed towards critical healthcare needs, including treatment of children affected with cancer, bone marrow transplant, pediatric heart surgeries, and cochlear implant surgeries for economically disadvantaged patients. During 2025-26, among various initiatives, financial assistance for procuring medical equipment was extended to reputed charitable and government hospitals across cities such as Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Bhubaneswar, Ghaziabad, Hubli, Nagpur, Asansol, Gorakhpur and in the state of Gujarat, largely for cancer treatment. As at March 31, 2026, LIC GJF has disbursed over ₹ 266 crores across 1045 projects nationwide.

The Foundation also administers the LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme wherein Scholarships are awarded to meritorious students from economically weaker sections of the society, to provide them opportunities for higher education. During 2025-26, scholarship amounting to ₹ 24.65 crore were disbursed to 23,106 students. Since inception, 41,776 students have benefited from the scheme, with total scholarship disbursements reaching ₹ 105.27 Crore. Overall, the Foundation's total disbursement towards charitable activities stands at approximately ₹ 375 crore as on March 31, 2026. Through its sustained efforts and commitment, LIC GJF continues to expand its reach to make a meaningful impact on communities across the Country.

OTHER STATUTORY DISCLOSURES**15. Board of Directors and Key Managerial Personnel/Key Management Persons ("KMP"):**

As on the date of this report, the Corporation's Board comprises of Eight (8) Directors viz., One (1) Chief Executive Officer & Managing Director; One (1) Government Nominee Director; Three (3) Managing Directors; Three (3) Independent Directors.

The composition of the Board reflects a balanced mix of executive and non-executive directors, in line with the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, the Listing Regulations and IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 (to the extent applicable), except the following:

- Upon completion of the term of Smt. Anjuly Chib Duggal, Independent Director on January 28, 2026, the Corporation does not satisfy the criteria laid down under Regulation 17 (1)(a) of the SEBI Listing Regulations which stipulates that Board of Directors of the top 1000 listed entities shall have at least one Independent woman Director.
- Upon completion of second term of two independent directors on April 28, 2026, the Corporation does not satisfy the criteria laid down under Regulation 17(1)(b) of the SEBI Listing Regulations which stipulates that if the Corporation does not have a regular non-executive Chairperson, half of the Board shall comprise of independent directors.

The Corporation vide its letters dated January 29, 2026 and April 29, 2026, had sought exemption from Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from strict enforcement of SEBI Listing Regulations including any provision of Act(s), Rule(s), regulation(s) under which the listed entity is established or is governed by under Regulation 102 of SEBI Listing Regulations.

SEBI vide its letters dated February 13, 2026 and May 01, 2026, had granted exemptions to the Corporation from strict enforcement of proviso of Regulation 17(1)(a) and Regulation 17(1)(b) of the SEBI Listing Regulations for a period of six months w.e.f., January 29, 2026 and April 29, 2026 respectively. Your Corporation is taking necessary steps to comply with the provisions of Regulation 17(1)(a) and 17(1)(b) of the SEBI Listing Regulations at the earliest, in both letter and spirit.

The Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity (Directors' Policy) which outlines the appointment criteria, roles, responsibilities, and evaluation mechanism of the Board is hosted on the website of the Corporation. A link to this policy is provided in Annexure 'I' at Page no. 235 of this Annual Report.

A) Changes in Board Composition:

➤ Appointment of Directors:

- (i) **Shri Ramakrishnan Chander (DIN: 11331783):** The Government of India, vide their notification dated December 01, 2025, has appointed Shri Ramakrishnan Chander as Managing Director of the Corporation with effect from the date of assumption of charge of office and upto the date of his superannuation (i.e., September 30, 2027) or until further orders, whichever is earlier. Shri Ramakrishnan Chander took charge as Managing Director of the Corporation on December 01, 2025.

The members of the Corporation have approved the appointment of Shri Ramakrishnan Chander through postal ballot on May 17, 2026.

- (ii) **Ms. Shalini Pandit (DIN 07780142):** The Government of India, vide their notification dated December 03, 2025, has nominated Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, in place of Dr. Parshant Kumar Goyal.

The members of the Corporation have approved the appointment of Ms. Shalini Pandit through postal ballot notice of the Corporation on May 17, 2026.

- (iii) **Shri Mahalingam G (DIN: 09660723):** Based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Director of the Corporation in its meeting held on January 28, 2026, has re-appointed Shri Mahalingam G as Independent Director for one further term of 6 (Six) months commencing from January 29, 2026 up to July 28, 2026.

The members of the Corporation have approved the re-appointment of Shri Mahalingam G through postal ballot on May 17, 2026.

- (iv) **Dr. V.S. Parthasarthy (DIN: 00125299):** Based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Director of the Corporation in its meeting held on January 28, 2026, has re-appointed Dr. V.S. Parthasarthy as Independent Director for one further term of 6 (Six) months commencing from January 29, 2026 up to July 28, 2026.

The members of the Corporation have approved the re-appointment of Dr. V.S. Parthasarthy through postal ballot on May 17, 2026.

- (v) **Shri Sanjay Lohiya (DIN: 07151125):** The Government of India, vide their notification dated May 13, 2026, has nominated Shri Sanjay Lohiya as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, in place of Ms. Shalini Pandit. The Board of the Corporation took note of the same.

The necessary resolution for appointment of Shri Sanjay Lohiya as Government Nominee Director of the Corporation along with his brief profile has been included in the notice of the 5th Annual General Meeting, for formal approval of the members.

➤ Cessation of Directors:

Government Nominee Director

- (i) **Dr. Parshant Kumar Goyal (DIN: 08652921):** The Government of India, vide their notification dated December 03, 2025, has nominated Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Corporation in place of Dr. Parshant Kumar Goyal with immediate effect.
- (ii) **Ms. Shalini Pandit (DIN 07780142):** The Government of India, vide their notification dated May 13, 2026, has nominated Shri Sanjay Lohiya as Government Nominee Director of the Corporation in place of Ms. Shalini Pandit with immediate effect.

The Board acknowledges the valuable contributions made by Dr. Parshant Kumar Goyal & Ms. Shalini Pandit, during their tenure and places its deep appreciation for their guidance, support with their expertise and perspective.

Whole Time Director

- (i) **Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731):** Shri Sat Pal Bhanoo ceased to hold office as Managing Director of the Corporation, with effect from December 31, 2025, upon his superannuation, in terms of Government of India's Notification dated July 19, 2023.

The Board acknowledges the valuable contributions made by Shri Sat Pal Bhanoo, during his tenure and places its deep appreciation for his leadership, vision, diligence and commitment to the Corporation.

Independent Director

- (i) **Smt. Anjuly Chib Duggal (DIN: 05264033):** Smt. Anjuly Chib Duggal ceased to hold the position of Independent Director of the Corporation upon completion of her term on January 28, 2026.
- (ii) **Shri Raj Kamal (DIN: 07653591):** Shri Raj Kamal ceased to hold the position of Independent Director of the Corporation upon completion of his term on January 28, 2026.
- (iii) **Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar (DIN: 05170323):** Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar ceased to hold the position of Independent Director of the Corporation upon completion of his term on January 28, 2026.
- (iv) **Shri Vinod Kumar Verma (DIN: 09309031):** Shri Vinod Kumar Verma ceased to hold the position of Independent Director of the Corporation upon completion of his term on April 28, 2026.
- (v) **Dr. Ranjan Sharma (DIN: 09573799):** Dr. Ranjan Sharma ceased to hold the position of Independent Director of the Corporation upon completion of his term on April 28, 2026.

The Board acknowledges the valuable contributions made by Smt. Anjuly Chib Duggal, Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar, Shri Raj Kamal, Dr. Ranjan Sharma and Shri Vinod Kumar Verma during their tenure and places its appreciation for their insights and commitments which were critical for the Corporation and for the quality of work reflecting the collective effort put in. The Board wishes them continued success in all their endeavours.

Pursuant to the SEBI Listing Regulation, the Certificate from M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries (Firm's Registration No. P1991MH040400), confirms that none of the Directors of the Corporation are debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director on the Board by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") or any such other Statutory Authority. The Certificate is attached as Annexure-F of the Corporate Governance Report.

B) Independent Directors:

Your Corporation has received declarations from all the Independent Directors confirming that they meet the 'Criteria of Independence' as laid down under Section 4(3) of the LIC Act, 1956 read with the rules and regulations made thereunder.

The Board is of the opinion that all the Independent Directors fulfill the conditions relating to their status as Independent Director as specified under Section 4(3) of the LIC Act, 1956 read with the rules and regulations made thereunder and applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and are independent of the management.

The composition of Board during FY 2025-26, is given in the Corporate Governance Report which is placed separately and forms part of the Annual Report.

C) Key Managerial Personnel/Key Management Persons ("KMP") and changes, if any

Pursuant to the provisions of IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 read with circular issued thereunder and Listing Regulations, the following senior management personnel of the Corporation were holding positions of KMPs as on March 31, 2026:

S. No.	Name of KMP	Designation
1	Shri R Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director
2	Shri Dinesh Pant	Managing Director
3	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director
4	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director
5	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer*
6	Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp.Gov./GJF/Reg.Comp.) & Chief Compliance Officer
7	Shri Ajay Kumar Srivastava	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)
8	Shri Shatmanyu Shrivastava	Executive Director (ERM) & Chief Risk Officer
9	Shri Arindam Das Gupta	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer
10	Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer

*On June 24, 2026, Chief Financial Officer has tendered his resignation and will cease to be KMP w.e.f. July 14, 2026.

The Corporation, has approved the following changes in Key Managerial Personnel positions of the Corporation on the recommendation of Nomination & Remuneration Committee from the last Board report to this Board report:

S. No.	Name of KMP	Designation	Reasons for changes
1	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	Appointed as Managing Director w.e.f. December 01, 2025. Ceased to hold position of Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer (KMP) upon his elevation as Managing Director w.e.f. December 01, 2025.
2	Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp. Gov./GJF/Reg.Comp.) & Chief Compliance Officer	Ceased to hold position of Executive Director (Corp. Gov./GJF/Reg.Comp.) & Chief Compliance Officer upon his superannuation on May 31, 2026
3	Shri Arindam Das Gupta	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer	Appointed as Chief Investment Officer w.e.f. December 05, 2025.
4	Shri Jayasimhan Madabhushi Matam Tirumala	Executive Director (Board & Secretarial/Regulatory Compliance) & Chief Compliance Officer	Appointed as Chief Compliance Officer w.e.f. June 24, 2026.

Performance Evaluation of the Board:

Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956, read with the rules and regulations made thereunder, the SEBI Listing Regulations 2015, and the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 along with the applicable circulars issued thereunder, the Board conducted its annual performance evaluation, covering the Board as a whole, its Committees, individual Directors, and the Chairperson of the Board.

Independent Directors reviewed the performance of non-Independent Directors, the overall functioning of the Board, and the effectiveness of the Chairperson of the Board. They also assessed the quality, quantity, and timeliness of information shared between the Corporation's Management and the Board.

The performance evaluation process was conducted through a dedicated iOS-based application developed to administer structured questionnaires for assessing the effectiveness of the Board, its Committees, individual Directors, and the Chairperson of the Board. These questionnaires were designed in alignment with the broad evaluation parameters outlined in the guidance notes issued by SEBI and the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

The evaluation of the Board encompassed key areas such as the fulfilment of its roles and responsibilities, strategic oversight, quality of decision-making, and adherence to governance standards. Individual Directors were assessed on their level of engagement in meetings, quality of contributions, ability to provide strategic guidance, and commitment to upholding the Corporation's values and governance framework. The evaluation of Committees focused on their composition, clarity of roles, independence, and overall effectiveness in supporting the functioning of Board. The evaluation of Chairperson of the Board, covered the general criteria applicable to all Directors, along with specific aspects such as leadership effectiveness, facilitation of constructive Board discussions, and the timely resolution of issues raised by the Directors.

'Fit and Proper' criteria:

Pursuant to the provisions of IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024, read with circular issued thereunder, the Directors of insurer are required to meet the 'Fit and Proper' criteria prescribed by IRDAI. Accordingly, all Directors of the Corporation have confirmed their compliance with the 'fit and proper' criteria/norms as stipulated in the said regulations issued by the IRDAI.

Directors & Officers Liability Insurance:

Pursuant to Regulation 25(10) of the Listing Regulations, the Corporation has taken Directors & Officers liability Insurance for all its Directors and Members of the Senior Management Team for such quantum and risks as determined by the Board, from time to time.

Succession Planning:

In terms of the Board approved policy on succession planning, the Nomination & Remuneration Committee of the Board oversees matters relating to succession planning of KMPs, Senior Management Personnel and other key executives of the Corporation. The NRC also recommends the appointment of Independent Directors to fill vacancies on the Board.

Meetings of the Board and its Committees, attendance and constitution of various Committees:

The details of meetings of the Board and its Committees held during the year, including the attendance of Directors and the composition of various Committees, are set out in the Corporate Governance Report. The said report is presented separately and forms an integral part of this Annual Report.

Remuneration Policy:

Pursuant to the provisions of Section 19B of LIC Act, 1956, the Board has approved the Directors' policy which includes remuneration policy as recommended by the NRC of the Board. The Policy is available on the Corporation's website, and the link to the policy is provided in Annexure 'I' at Page no. 235 of this Annual Report.

Further, details relating to the remuneration of the Directors, including Whole-time Directors, are disclosed in the Corporate Governance report, which is presented separately and forms an integral part of this Annual report.

Secretarial Standards:

Your Corporation is obliged to comply with Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in terms of provisions contained under Life Insurance Corporation General Rules, 1956.

16. Corporate Governance:

Your Corporation regards its stakeholders as integral partners in its journey towards sustained success and remains firmly committed to creating long-term value to them. Recognizing robust corporate governance as cornerstone of stakeholder trust, the Corporation consistently upholds its responsibilities across all levels of the organization. It ensures that its business operations are firmly aligned with the highest standards of governance, transparency and ethical conduct.

In order to strengthen accountability and foster continuous stakeholders' engagement, the Corporation follows well-established corporate governance practices supported by standard operating procedures and function-specific manuals that guide day-to-day operations and ensure uniformity and consistency across the organisation.

Governance is further reinforced through various Board level committees, which provide strategic oversight, safeguard shareholder interests, enhance brand equity, and contribute to a constructive and performance oriented organizational environment.

Through these concerted efforts, the Corporation endeavours to uphold stakeholder trust, support sustainable growth, and maintain its position as a responsible, resilient and forward-looking organisation.

Corporate Governance Report:

In compliance with the Listing Regulations, a Report on the Corporate Governance framework of the Corporation, along with Certificate from Auditors confirming compliance with the conditions of Corporate Governance, is annexed as Annexure E to Corporate Governance Report, which forms part of the Annual Report.

17. Related Party Transactions:

During the year, your Corporation has entered into transactions with related parties in the ordinary course of business. The details of such related party transactions were placed before the Audit Committee from time to time for its approval. Suitable disclosures, as required under applicable Accounting Standards, have been made in the notes to the Financial Statements.

Pursuant to the Listing Regulations, the members of the Corporation, at the 4th Annual General Meeting, approved the material related party transactions proposed to be entered into by the Corporation during the FY 2025-26 and upto the date of 5th AGM.

The Board of Directors has formulated a policy on materiality of Related Party Transactions and on dealing with Related Party Transactions, in accordance with the provisions of the LIC Act, 1956 and the Listing Regulations. The updated Policy, as approved by the Board from time to time, is available on the Corporation's website, and the link of policy is provided in Annexure 'I' on Page no. 235 of this Annual Report.

The disclosure on Related Party Transactions, prepared in accordance with applicable accounting standards and Regulation 23(9) of the Listing Regulations for the half year ended September 30, 2025 and March 31, 2026, has been submitted to the Stock Exchanges and are also published on the Corporation's website.

18. Indian Accounting Standards (Ind AS) Implementation:

The Corporation has prepared and submitted Ind AS compliant Proforma Financial Statements (PFS) for FY 2023-24 and FY 2024-25 to Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI").

IRDAI notified Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers), (Amendment) Regulations, 2026 dated 30th March, 2026, making implementation of Ind AS effective from April 01, 2026. In accordance with the regulatory framework, the Corporation had applied for one-year forbearance for Ind AS implementation to IRDAI which has been granted by the Regulator.

In line with regulatory requirements, the Corporation is making steady progress towards implementation of Ind AS.

19. Particulars of Investment in Terms of Section 27A of Insurance Act, 1938:

Pursuant to the provisions of Section 27A of the Insurance Act, 1938, the Corporation's investments as at March 31, 2026, are mentioned at Page no. 361 of the Annual Report and the investments made in the infrastructure and social sector for the financial year 2025-26 are mentioned at Page no. 362 of the Annual Report.

20. Consolidated Financial Statements:

In accordance with Section 24B of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made there under and SEBI Listing Regulations, 2015, the Corporation has prepared its Consolidated Financial Statements (CFS), which include the financials of its subsidiaries and associate companies. The CFS have been prepared in compliance with the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, and the relevant circulars issued thereafter from time to time. The CFS also adhere to the applicable Accounting Standards, i.e. AS 21: Consolidated Financial Statements and AS23: Accounting for Investments in Associates in CFS issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The CFS forms an integral part of this Annual report.

21. Management Report:

Pursuant to the provisions of Schedule II - Financial Functions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, the Management Report is placed separately and forms an integral part of this Annual Report.

22. Statutory Auditors:

M/s. V. Sankar Aiyar & Co., Chartered Accountants (Firm Registration Number 109208W) and M/s. Mukund M Chitale & Co., Chartered Accountants (Firm Registration Number 106655W) are the Corporation's Auditors as per the applicable provisions of the LIC Act 1956.

The Members at the 4th AGM of the Corporation held on August 26, 2025 inter-alia had appointed M/s. Mukund M Chitale & Co. Chartered Accountants, (Firm Registration Number 106655W) as one of the Corporation's Auditors for a period of five years till the conclusion of the 9th AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2030, in terms of applicable provisions of the LIC Act 1956.

23. Statutory Auditors' Report:

The Statutory Auditors' Report (including annexure thereof) submitted to the Members does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer, hence do not call for any further comments' u/s 24C(1)(f) of the LIC Act, 1956. There were no reportable frauds identified by the Statutory Auditors during the FY2025-26.

24. Secretarial Auditors' Report:

Pursuant to Regulation 24A of the Listing Regulations, the members of the Corporation at the 4th AGM had appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as the Secretarial Auditor of the Corporation for a term of five consecutive years, commenced from conclusion of 4th AGM and continuing till the conclusion of the 9th AGM of the Corporation to be held in the calendar year 2030. The Auditor has not made any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer in the report for FY 2025-26. The detailed report on Secretarial Audit of the Corporation for FY 2025-26 is annexed as Annexure 'D' to Corporate Governance Report and forms an integral part of this Annual Report.

25. Certificate from Chief Compliance Officer in terms of IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024:

A Compliance Certificate, for complying with IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024, submitted by the Chief Compliance Officer & Executive Director (Board & Secretarial/ Regulatory Compliance) under the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations 2024, is annexed and forms part of the Corporate Governance Report as Annexure 'C' to this report.

26. Management Discussion and Analysis Report:

Management Discussion and Analysis (MD&A) Report for the year under review as stipulated under Regulation 34 of the Listing Regulation, is presented in a separate section, which forms an integral part of this Annual Report.

27. Business Responsibility & Sustainability Report:

Regulation 34(2)(f) of the Listing Regulation mandates the inclusion of Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) as part of the Annual Report for Top 1000 listed entities based on market capitalization (calculated as on 31st December of every financial year) at BSE and NSE.

Accordingly, BRSR along with the report of Independent Assurance provider, M/s. Rama K Gupta & Co., Chartered Accountant, is placed separately and forms an integral part of this Annual Report.

28. Material Events, Changes and Commitments Affecting Financial Position of the Corporation

There have been no material events, changes and commitments, affecting the financial position of the Corporation, which have occurred from the end of the financial year to which the Balance Sheet relates and the date of this report.

However, during the financial year 2025-26 the Significant Accounting Policy for Standalone Financial Statements of the Corporation has been amended *inter-alia*, includes material revision regarding Recognition of Investment Income through amortization of premium or discount over the remaining period of holding period until Maturity.

29. Significant and Material Orders Passed by Regulators or Courts or Tribunals Impacting the Going Concern Status and Operations of the Corporation:

During FY 2025-26, no significant or material orders were passed by any Court or Tribunal that would impact the going concern status or operations of the Corporation.

A civil litigation matter, along with connected issues, is currently sub judice before the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 366 of 2022. Although the matter is non-quantifiable in financial terms, it has been deemed material and was accordingly disclosed in the Red Herring Prospectus dated April 2022. As on the date of this Report, the matter remains pending and is yet to be heard by the Hon'ble Supreme Court of India.

30. IRDAI License:

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has renewed the annual registration of the Corporation to continue the Life Insurance Business for the FY 2026-27.

31. Directors' Responsibility Statement:

In terms of Section 24C (2) of LIC Act, 1956 and other applicable provisions, your Directors confirm that;

- in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2026, the requirements mentioned under Section 24B of the LIC Act, 1956 and applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as on March 31, 2026 and of the profit of the Corporation for the year ended on that date;
- they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, 1956 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- they have prepared the accounts for the current financial year ended March 31, 2026 on a going concern basis;
- the vigilance administration referred under Section 8(1)(h) of the Central Vigilance Commission Act, 2003 is in operation in the Corporation under the superintendence of the Central Vigilance Commission and in addition they have laid down internal financial controls to be followed by the Corporation and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

32. Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy:

The Corporation is committed to conduct its affairs in a fair, transparent, ethical manner, guided by the highest standards of professionalism and integrity. The Corporation has developed a strong culture that encourages stakeholders to raise concerns about unethical and unfair practices, misconduct, or violation of legal and regulatory provisions without fear of reprisal, discrimination, or victimization.

- To facilitate vigilance related reporting, Corporation has introduced an online complaint portal named "Satarkata Shikayat Dwar", accessible under the Customer Services tab of Corporation's website at www.licindia.in. All vigilance related complaints can be registered and tracked through the portal.
- LIC has a well-established vigil mechanism for Directors and employees for adequate safeguard against victimization of Directors and employees or any other person who report genuine concerns. It has a policy for prevention, detection and investigation of frauds and protection of whistle-blowers (The Whistle-blower policy). It encourages employees and various stakeholders to bring to its notice any issue involving compromise/violation of ethical norms, legal or regulatory provisions, actual or suspected fraud etc without any fear of reprisal, discrimination, harassment or victimization of any kind. All whistle-blower complaints and concerns are reviewed on quarterly basis by the Audit Committee of the Board, which also oversees the functioning and effectiveness of the mechanism.

- To enhance efficiency and transparency in disciplinary processes, LIC has developed and implemented the UDIT Module (Upgraded Disciplinary Workflow through Integration of Technology). This digital initiative aims to reduce turnaround time in disposal of disciplinary and vigilance cases. The Corporation is also in the process of integrating the UDIT module with HRMS (Human Resource Management System) to further improve operational efficiency.
- During the review period, no person was denied access to the Audit Committee.

The Whistle-Blower Policy is hosted on the Corporation's website. The link to the policy is provided in Annexure 'I' at Page no. 235 of this Annual Report.

33. Board Policies:

The details of the policies approved and adopted by the Board of Directors of the Corporation as mandated under the LIC Act, 1956 and the SEBI Listing Regulations are annexed as **Annexure 'I'** to this report.

34. Investor Relations:

The Corporation places the highest value on its relationships with customers and stakeholders. Committed to transparency, it strives to ensure that all stakeholders have access to complete and timely information to accurately assess the Corporation's performance and future potential. To support this, the Corporation regularly disseminates updates on its operations, financials and key initiatives. The Corporation's official website, (www.licindia.in) serves as a comprehensive repository of information, offering stakeholders convenient access to a wide range of resources. It provides detailed insights into the Corporation's strategy, operational and financial performance, along with the latest press releases. Financial results are published on quarterly basis and are made available on the website for both the current and previous years.

Following each results announcement, the Investor Relations team conducts earnings calls, with investor presentations, transcripts, and recordings subsequently uploaded on the website for wider access. Additionally, Senior Management regularly participates in equity conferences organized by leading securities firms, thereby reinforcing the Corporation's commitment to continuous and meaningful engagement with the investor community.

35. Acknowledgements and Appreciations:

The Directors express their sincere thanks to the Hon'ble Parliamentary Committees which visited its offices, the Hon'ble Union Finance Minister, Hon'ble Union Minister of State for Finance (Expenditure, Banking and Insurance), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India (GOI), for their valuable support, guidance and co-operation on various issues.

The Directors are deeply grateful to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI) and other government and regulatory authorities for their continued co-operation, support and guidance.

The Directors also take this opportunity to place on record their sincere appreciation to the valued Policyholders and Shareholders for their continued trust and patronage.

Further, the Directors express their gratitude for the advice, guidance and support received from time to time, from the Auditors, and Statutory Authorities.

Lastly, the Directors place on record their deep appreciation for the contribution of all Employees, Agents, Corporate Agents and Brokers, Bancassurance Partners, Re-insurers, Bankers and the Registrar and Share Transfer Agent. Their dedication, professionalism, and commitment have been instrumental in enabling the Corporation to maintain its leadership position in the insurance industry.

For and on behalf of the Board of Directors

(R Doraiswamy)
Chief Executive Officer & Managing Director
(DIN: 10358884)

(Dinesh Pant)
Managing Director
(DIN:11134993)

(Dr. V.S. Parthasarthy)
Independent Director
(DIN: 00125299)

Date: June 24, 2026

Place: Mumbai

Annexure I

Weblink of Board approved policies

The Life Insurance Corporation Act, 1956 and the SEBI Listing Regulations as amended, mandates the formulation of certain policies for listed entities. The policies are reviewed by the Board of Directors of the Corporation and amended from time to time in accordance with regulatory changes. Accordingly, the Board approved policies are available on the Corporation's website at <https://licindia.in/policies-and-code-of-conduct> and the links of said Board approved policies are as follows:

Name of the Policy	Weblink
Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy	https://licindia.in/documents/d/guest/directors_policy_updated_08082024
Code of conduct for Directors and Senior Management	https://licindia.in/documents/d/guest/code-of-conduct-for-directors-and-senior-mgmt_20112025
Dividend Distribution Policy	https://licindia.in/documents/d/guest/dividend-distribution-policy_08082024
Policy on determination of Materiality and Disclosure of Events/Information	https://licindia.in/documents/d/guest/materiality-policy-3-
Policy for determining Material Subsidiaries (In India)	https://licindia.in/documents/d/guest/policy-for-determining-material-subsidaries-in-indiaa
Policy for determining Material Subsidiaries (Outside India)	https://licindia.in/documents/d/guest/revised-policy-for-determining-material-subsidaries-outside-india-for-uploading-on-website
LIC's Code of Fair Disclosure, Policy for Determination of Legitimate Purposes, Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Policy on Leakage of UPSI	https://licindia.in/documents/d/guest/insider-trading-policy_20112025
Policy on Related Party Transactions	https://licindia.in/documents/d/guest/revised-rpt-policy-version3
Policy on Life Insurance Corporation's Preservation of Documents	https://licindia.in/documents/d/guest/preservation-of-records
Surplus distribution policy of the Corporation	https://licindia.in/documents/d/guest/surplus-distribution-policy-1
Whistle Blower Policy	https://licindia.in/documents/d/guest/whistle-blower-policy-july-2024-1-
Archival Policy	https://licindia.in/documents/d/guest/archival_policy-1-

Corporate Governance Report

1. Corporation's Philosophy on Corporate Governance

Life Insurance Corporation of India ("LIC" or "the Corporation") is committed to upholding the highest standards of corporate governance and fostering a culture of integrity, accountability, transparency and ethical conduct across all levels of the organization. As a Domestic Systemically Important Insurer (D-SII), the Corporation recognizes its significant role in the financial system and remains dedicated to safeguarding the interests of its policyholders, shareholders, employees, business partners, regulators and the communities it serves.

The Corporation's governance philosophy is anchored in its enduring motto, "Yogakshemam Vahamyaham"—"Your welfare is my responsibility"—which reflects its unwavering commitment to securing the financial well-being of policyholders and creating sustainable value for all stakeholders. This philosophy extends beyond regulatory compliance and is embedded in the Corporation's strategic decision-making, risk management and operational practices.

Given the long-term nature of its insurance obligations, the Corporation emphasizes prudent stewardship of policyholder funds, disciplined risk management, actuarial rigor and responsible investment practices. These principles underpin its financial resilience, support long-term solvency and reinforce its commitment to meeting policyholder obligations.

The Corporation's governance framework is founded on effective Board oversight, robust internal controls, independent assurance functions and comprehensive risk management. Together, these elements promote accountability, transparency, prudent decision-making and effective risk oversight across the organization. LIC believes that sound corporate governance is fundamental to maintaining stakeholder confidence, enhancing institutional credibility and delivering sustainable long-term value. Accordingly, the Corporation remains committed to continuously strengthening its governance practices in line with evolving regulatory requirements, industry best practices and the highest standards of ethical and professional conduct.

The Corporation adheres to governance and compliance obligations in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956" or "LIC Act") read with rules and regulations made thereunder, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 ("IRDAI CG Regulations"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" or "Listing Regulations") and other applicable provisions, if any. To ensure effective implementation of corporate governance practices, the Corporation has established a well-defined governance framework supported by a comprehensive set of policies. The framework, *inter-alia*, includes the following key policies:

- Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel
- LIC's Code of Fair Disclosure, Policy for Determination of Legitimate Purposes, Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Policy on Leakage of UPSI
- Enterprise Risk Management Policy
- Whistle Blower Policy
- Policy on Protection of Policyholders' Interests
- Policy on Related Party Transactions (includes Material RPT)
- Policy for determining Material Subsidiaries (within India and outside India)
- Policy for Preservation of Documents
- Dividend Distribution Policy
- Policy for Directors and Senior Management Personnel Disclosure of Material Commercial and Financial Transactions
- Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity (Directors' Policy)
- Policy for Determination of Materiality and Disclosure of Events/Information
- Surplus Distribution Policy
- Policy for Preservation, Utilization and Control of stationery
- Archival Policy

2. Board of Directors

a) Composition of Board of Directors

The Board of the Corporation is constituted in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder. The Board of the Corporation comprises of Executive (Whole- time) Directors, Non-Executive Government Nominee Director and Non-Executive Independent Directors.

The tenure of the Directors appointed on the Board is as under:

- Whole – time Directors are appointed for such term not exceeding five years as the Central Government may specify and are eligible for re-appointment.
- Government Nominee Director is nominated by the Central Government.
- Independent Directors are appointed for a term of four years and are eligible for re-appointment for one further term of upto four years.

In terms of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the total number of Directors on the Board of the Corporation shall not exceed 18 Directors.

As on March 31, 2026, Board comprises of 10 Directors, which includes (i) Chief Executive Officer & Managing Director; (ii) One (1) Government Nominee Director (Woman Director); (iii) Three (3) Managing Directors; (iv) Five (5) Independent Directors.

The composition of the Board as on March 31, 2026 is given below:

Sl. No.	Name of the Director	Category	Designation	Date of Appointment	Tenure as on March 31, 2026 (in years)
1	Shri R Doraiswamy*	Executive Director	Chief Executive Officer and Managing Director	01-09-2023	2.58
2	Ms. Shalini Pandit**	Non-Executive Director	Government Nominee Director	03-12-2025	0.33
3	Shri Dinesh Pant	Executive Director	Managing Director	01-06-2025	0.83
4	Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director	Managing Director	01-06-2025	0.83
5	Shri Ramakrishnan Chander***	Executive Director	Managing Director	01-12-2025	0.33
6	Dr. Ranjan Sharma	Non-Executive Director	Independent Director	29-10-2021	4.42
7	Shri Vinod Kumar Verma	Non-Executive Director	Independent Director	29-10-2021	4.42
8	Prof. Anil Kumar	Non-Executive Director	Independent Director	20-01-2022	4.19
9	Shri Mahalingam G®	Non-Executive Director	Independent Director	29-01-2022	4.17
10	Dr. V S Parthasarathy®	Non-Executive Director	Independent Director	29-01-2022	4.17

* Managing Director till July 13, 2025 and thereafter took charge as Chief Executive Officer and Managing Director of the Corporation w.e.f., July 14, 2025, in terms of Government of India notification dated July 14, 2025.

**Nominated as Government Nominee Director w.e.f. December 03, 2025 in place of Dr. Parshant Kumar Goyal as per Government of India's notification dated December 03, 2025.

***Took charge as Managing Directors w.e.f. December 01, 2025 as per Government of India's notification dated December 01, 2025.

®Board in its meeting held on January 28, 2026 has re-appointed as an Independent Director, for one further term of six (6) months effective from January 29, 2026 up to July 28, 2026.

Note: 1. Shri Sat Pal Bhanoo ceased to be Director w.e.f. December 31, 2025 (after close of office hours) upon his superannuation.

Note: 2. Smt. Anjuly Chib Duggal, Shri Raj Kamal and Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar ceased to be Directors w.e.f. January 28, 2026 (after close of day) upon completion of their term as an Independent Director.

b) Current Directors of the Corporation (As on June 24, 2026)

Name of the Director	Educational Qualification	Designation
Shri R Doraiswamy	B.Sc.(Maths), Fellow of Insurance Institute of India	Chief Executive Officer and Managing Director
Shri Sanjay Lohiya*	B. Sc (Hons.) Physics	Government Nominee Director
Shri Dinesh Pant	B. Tech, LL. B, Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK, MBA, Fellow of Insurance Institute of India	Managing Director
Shri Ratnakar Patnaik	B.Sc.(Hons.) Physics, PG (Public Administration), Fellow of Insurance Institute of India and Diploma in Health Insurance	Managing Director
Shri Ramakrishnan Chander	B.Sc., PGDFM and Fellow of Insurance Institute of India	Managing Director
Prof. Anil Kumar	B. Com (Hons.), M. Com, Ph.D.	Independent Director
Shri Mahalingam G	M.Sc. (Statistics), MBA	Independent Director
Dr. V S Parthasarathy	Chartered Accountant from ICAI and ICAEW, Alumnus of Harvard Business School's AMP, Ph.D.	Independent Director

*Appointed as Government Nominee Director w.e.f. May 13, 2026 in place of Ms. Shalini Pandit as per Government of India's notification dated May 13, 2026.

Note: Dr. Ranjan Sharma and Shri Vinod Kumar Verma, ceased to be Independent Directors w.e.f. April 28, 2026 (after close of day) upon completion of their second term.

c) Board Meetings

During the financial year 2025-26, a total of Twelve (12) Board meetings were convened. Of these, ten (10) meetings were held at Central Office in Mumbai, and two meetings were held outside office premises in Mumbai. The agenda papers and other supporting documents of the meetings are circulated to the Directors in advance. However, emergent proposals are tabled at the Board Meeting and are considered with the approval of the Chairperson of the Board and consent of other Directors. The Directors are provided with the option to participate in the Meetings either in person or through Video Conferencing. To facilitate informed decision making, Executive Summaries for the agenda items are provided to the Directors ahead of each Board Meeting. The Board regularly reviews the Corporation's quarterly performance and financial results, as well as key policies and other strategic matters. In addition, the performance of Subsidiary and Associate Companies are reviewed at regular intervals.

The Board is provided with all relevant information as stipulated under applicable laws, rules, and regulations, to ensure effective oversight and compliance. In alignment with the Corporation's green initiative, Board and its committee meetings are conducted in paperless manner. Agenda papers and supporting documents are made available to Directors through a secure digital platform, enabling convenient electronic access. The Minutes of the meetings are duly prepared and circulated to the Directors for their review and comments, if any. Upon approval by the Chairperson of the Board and other Directors, extracts of the minutes are shared with departments concerned for necessary implementation. The Action taken Reports are periodically submitted to the Board to ensure proper implementation of decisions and directives, thereby strengthening accountability and governance.

Details of Board Meetings held during the financial year 2025-2026 are as under:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1	25-04-2025	14	14
2	16-05-2025	14	14
3	27-05-2025	14	13
4	22-06-2025	13	13
5	11-07-2025	13	13
6	07-08-2025	13	13
7	01-10-2025	13	13
8	06-11-2025	13	12
9	16-01-2026	13	13
10	28-01-2026	13	12
11	05-02-2026	10	10
12	18-03-2026	10	09

d) Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM) held during the financial Year 2025- 2026

Name of the Director	Attendance at Board Meetings												Attend ance at the AGM held on
	25-04-2025	16-05-2025	27-05-2025	22-06-2025	11-07-2025	07-08-2025	01-10-2025	06-11-2025	16-01-2026	28-01-2026	05-02-2026	18-03-2026	26-08-2025
Shri Siddhartha Mohanty	✓	✓	✓										
Shri R. Doraiswamy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dr. Parshant Kumar Goyal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x					✓
Ms. Shalini Pandit									✓	✓	✓	x	
Shri Jagannath M	✓	✓	✓										
Shri Tablesh Pandey	✓	✓	✓										
Shri Sat Pal Bhanoo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓
Shri Dinesh Pant				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Ratnakar Patnaik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Ramakrishnan Chander									✓	✓	✓	✓	
Dr. Ranjan Sharma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Vinod Kumar Verma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prof. Anil Kumar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smt. Anjuly Chib Duggal	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Shri Mahalingam G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Shri Raj Kamal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Dr.V S Parthasarathy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
Shri Muthu Raju Parvasa Raju Vijay Kumar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Attendance in %age	100	100	92.86	100	100	100	100	92.31	100	92.31	100	90	92.31

e) Details of attendance of Directors at the Board Meetings and their Directorship as per the statement below:

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity and High Value Debt Listed entities where the person is a Director and the category of Directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2026	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2026	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2026
Whole – Time Directors					
Shri Siddhartha Mohanty (DIN - 08058830) (up to 07-06-2025)	03/03	-	-	-	-
Shri Jagannath M (DIN - 10090437) (up to 31-05-2025)	03/03	-	-	-	-
Shri Tablesh Pandey (DIN - 10119561) (up to 31-05-2025)	03/03	-	-	-	-
Shri Sat Pal Bhanoo (DIN - 10482731) (up to 31-12-2025)	08/08	-	-	-	-
Shri R. Doraiswamy (DIN - 10358884)	12/12	LIC Housing Finance Limited- Non-Executive Nominee Director & Chairperson of the Board	1	-	-
Shri Dinesh Pant (DIN- 11134993)	09/09	-	-	-	-
Shri Ratnakar Patnaik (DIN- 10283908)	09/09	LIC Housing Finance Limited- Non-Executive Nominee Director	1	-	-
Shri Ramakrishnan Chander (DIN-11331783)	04/04	-	-	-	-
Non-Executive Directors (Government Nominee)					
Dr. Parshant Kumar Goyal (DIN - 08652921) (up to 03-12-2025)	07/08	-	-	-	-
Ms. Shalini Pandit (DIN-07780142)	03/04	-	-	-	-
Non-Executive Directors (Independent Director)					
Dr Ranjan Sharma (DIN - 09573799)	12/12	-	-	-	-

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity and High Value Debt Listed entities where the person is a Director and the category of Directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2026	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2026	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2026
Shri Vinod Kumar Verma (DIN - 09309031)	12/12	-	-	-	-
Prof. Anil Kumar (DIN - 09477565)	12/12	-	-	-	-
Smt. Anjuly Chib Duggal (DIN - 05264033) (up to 28-01-2026)	09/10	-	-	-	-
Shri Mahalingam G (DIN - 09660723)	12/12	- City Union Bank Limited- Non-Executive - Independent Director & Chairperson of the Board - CARE Ratings Limited Non- Executive - Independent Director - Central Depository Services Limited Non-Executive - Independent Director - Thomas Cook (India) Limited- Non-Executive - Independent Director	4	5	2
Shri Raj Kamal (DIN - 07653591) (up to 28-01-2026)	10/10	-	-	-	-
Dr. V. S. Parthasarathy (DIN - 00125299)	11/12	- NIIT learning Systems Limited – Non-Executive-Independent Director - Pennar Industries Limited – Non-Executive - Independent Director	2	5	3

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity and High Value Debt Listed entities where the person is a Director and the category of Directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2026	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2026	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2026
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar (DIN - 05170323) (up to 28-01-2026)	10/10	-	-	-	-

*Pursuant to SEBI Listing Regulations, the Membership held by Directors in Committees, as mentioned above, include all public limited companies (listed or non-listed) but do not include the private limited companies, foreign companies and companies registered under section 8 of the Companies Act, 2013. Positions held by Directors as Chairperson and/or member of Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee are considered.

f) Terms of Reference of Board (Derived from LIC Act 1956, Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, SEBI Listing Regulations and IRDAI CG Regulations)

- To exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Corporation.
- To Approve Related Party Transactions which are not in the ordinary course of business or on Arms-length basis within the materiality threshold.
- To constitute Committees of the Board as required by applicable Statute or as it may deem fit, from time to time.
- To convene General Meeting(s) of Shareholders or Postal Ballot including through virtual mode.
- To approve Annual Report including Board Report, Corporate Governance Report, Management Discussion & Analysis and Business Responsibility & Sustainability Report of the Corporation for placing before the shareholders.
- To appoint, Internal Auditor of the Corporation on recommendation of the Audit Committee.
- To recommend final dividend and/or to declare interim dividend.
- To approve Regulations with previous approval of Central Government.
- To approve financial results upon recommendation by Audit Committee.
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Corporation.
- To lay down a code of conduct for all members of Board of Directors and Senior Management.
- Appointment of Directors under Section 4(2) (f), (g) of LIC Act, 1956, on recommendation of Nomination & Remuneration Committee.
- To approve Annual Business (Operating) plans / Business Strategy of the Corporation.
- To approve Revenue and Capital budgets of the Corporation.
- To approve appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- Appointment/Removal of Senior Management/Key Management Persons (KMPs) on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee.
- To approve appointment of Chief Information Security Officer (CISO) who shall be responsible for driving and managing Information and Cyber security program.
- To approve various Policies of the Corporation.
- To exercise its oversight directly on matters that are not specifically delegated to any of its Committees.
- Monitoring the effectiveness of the governance practices and making changes as needed.

- Ensuring a transparent nomination process to the Board of Directors with the diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors.
- Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions.
- Ensuring the integrity of the accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards.
- Monitoring and reviewing Board of Director's evaluation framework.

Information regarding the following to be placed before the Board:

- Materially important show cause, demand, prosecution notices and penalty notices.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, material effluent or pollution problems.
- Any material default in financial obligations to and by the Corporation, or substantial non-payment for goods/ services sold by the entity.
- Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which, may have passed strictures on the conduct of the Corporation or taken an adverse view regarding another enterprise that may have negative implications on the Corporation.
- Details of any joint venture or collaboration agreement.
- Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity or intellectual property.
- Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in Human Resources/ Industrial Relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- Sale of investments, subsidiaries, assets which are material in nature and not in normal course of business.
- Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and related to shareholders services such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

g) Directorships in other Companies

- None of the Directors of the Corporation is a Director in more than seven listed entities (including high value debt listed entities).
- None of the Directors of the Corporation acts as an Independent Director (including any alternate directorships) in more than seven listed companies (Including high value debt listed entities) or three equity listed companies (including high value debt listed entities) in case he/she serves as a Whole-Time Director in the Indian listed entity (including high value debt listed entities).
- Further, none of the Directors of the Corporation is a member of more than ten Committees or Chairperson of more than five Committees, across all the Indian Public Limited Companies in which he/she is a Director. For the purpose of determination of limit of the Board Committees, Chairmanship or Membership of Audit Committee & Stakeholders' Relationship Committee has been considered.
- The Directors of the Corporation do not have any relationships inter-se.

h) Code of Conduct

The Corporation has a Board approved Code of Conduct applicable to its Board of Directors and Senior Management Personnel, which is duly communicated to all concerned and is also hosted on the website of the Corporation. For the financial year ended March 31, 2026, all Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance with the provisions of the Code of Conduct and no material financial or commercial transactions, which may have a potential conflict of interest with the Corporation, were reported by them during the year. A declaration duly signed by the CEO & MD, stating that the Board of Directors and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct, is enclosed as **Annexure 'A'** to this report.

i) Integrity Pact

To promote transparency and ethical practices in the award of contracts, the Corporation adopted the Integrity Pact effective from 05.09.2015. As per Board approved Manual for Procurement of Goods and Manual of Consultancy Services, the integrity pact applies to contracts above a specified threshold value, designed to cover 80-90% (by value) of the Corporation's procurement expenditure. The Integrity Pact has been integrated into tender documents, and only those vendors or bidders who agree to abide by its provisions are considered eligible to participate in the bidding process. Presently, two Independent External Monitors (IEMs), nominated by the Central Vigilance Commission (CVC), oversee the implementation of Integrity Pact across all applicable tenders to ensure compliance and accountability. The Integrity Pact becomes applicable for Engineering Department pan India for the tender value of ₹ 10 crore and above and for all other departments at Central Office for tenders having value of ₹ 1 crore and above. For Zonal and Divisional Offices, tenders having value of ₹ 10 lakh and above for all Departments (excluding Engineering Department) shall come under the purview of the Integrity Pact.

As per guidelines issued by CVC, during the year, two structured meetings of IEMs with the CEO & MD and four regular meetings with IEMs (1 meeting with single IEM and 3 meetings with both IEMs) were held. During these meetings, a total 51 tenders and 5 complaints were reviewed. As on March 31, 2026, there are no pending complaints, reflecting the Corporation's commitment to transparency and timely resolution of issues under the Integrity Pact framework.

j) Shareholding of Non-Executive Directors in the Corporation: Nil**k) Familiarization Programme for Independent Directors:** Independent Directors are familiarized with their roles, rights and responsibilities in the Corporation, as well as with the nature of insurance industry, through structured induction programmes and ongoing training sessions. These sessions cover key contemporary topics including Environmental, Social & Governance (ESG) leadership Program, Artificial Intelligence and Machine Learning, Actuarial Valuation, Insurance Marketing, etc, from time to time. During the financial year 2025-26, the Corporation conducted three Familiarization Programme for its Independent Directors including two Strategy Meetings. These programmes are designed to enhance their understanding of the Corporation's business, industry dynamics, regulatory environment and governance framework. The information regarding the Familiarization Programme for Independent Directors is available on LIC's website at <https://licindia.in/documents/d/guest/familiarization-programmes-fy-2025-26>.**l) Field of Specialization/Skills/Expertise/Competence of the Board of Directors:**

The Board comprises of qualified members with rich professional experience who possess the relevant skills/ expertise/ competence to ensure the effective functioning of the Corporation which are as follows (as on March 31, 2026):

Sl. No.	Name of the Director	Educational Qualification	Field of Specialization/Skills/Expertise/Competence					
			Governance	Marketing	Business Management	Accountancy & Finance	Insurance	Risk Management
1	Shri R Doraiswamy	B.Sc.(Maths), Fellow of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Ms. Shalini Pandit	Graduated in Botany and M.Sc. (Wildlife Science)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Shri Dinesh Pant	B. Tech, LL. B, Fellow Member of the Institute of Actuaries of India and the Institute and Faculty of Actuaries, UK, MBA, Fellow of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Shri Ratnakar Patnaik	B.Sc.(Hons.) Physics, PG (Public Administration), Fellow of Insurance Institute of India and Diploma in Health Insurance	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sl. No.	Name of the Director	Educational Qualification	Field of Specialization/Skills/Expertise/Competence					
			Governance	Marketing	Business Management	Accountancy & Finance	Insurance	Risk Management
5	Shri Ramakrishnan Chander	B.Sc. PGDFM and Fellow of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Dr. Ranjan Sharma	M.A., Ph.D.	✓	✗	✓	✓	✓	✓
7	Shri Vinod Kumar Verma	B.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Prof. Anil Kumar	B. Com (Hons.), M. Com, Ph.D.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Shri Mahalingam G	M.Sc. (Statistics), MBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Dr. V S Parthasarathy	Chartered Accountant from ICAI and ICAEW, Alumnus of Harvard Business School's AMP, Ph.D.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- m) Declaration by Independent Directors:** In terms of Section 4 (3) of the LIC Act, 1956 read with Section 149 (6) of the Companies Act, 2013, Independent Directors have confirmed that they are not aware of any circumstance or situation which exists or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties. They have also confirmed that they meet the criteria of independence and are independent of the Management and also satisfy the criteria framed by Nomination & Remuneration Committee regarding qualifications, positive attributes and independence. In the opinion of the Board, Independent Directors fulfill the prescribed mandatory conditions and are independent of the Management.
- n) Meeting of Independent Directors:** In terms of Regulation 25 (3), (4) and Regulation 27 read with part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations, two Meetings of Independent Directors of the Corporation were held during the financial year 2025-26. The agenda of the Meeting covered inter-alia, the review of the performance of the Board, the Chairperson, the Non-Independent Directors and the quality, quantity and the timeliness of the flow of information to the Board from the Management.

The attendance at the two (2) meetings of the Independent Directors of the Corporation held during the year 2025-2026 is given below:

Name of the Independent Director	30-09-2025	17-03-2026	Total Meetings held during the year	Meetings attended during the year
Dr. Ranjan Sharma	✓	✓	2	2
Shri Vinod Kumar Verma	✓	✓	2	2
Prof. Anil Kumar	✓	✓	2	2
Smt. Anjuly Chib Duggal*	✓		1	1
Shri Mahalingam G	✓	✗	2	1
Shri Raj Kamal*	✓		1	1
Dr. V S Parthasarathy	✓	✓	2	2
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar*	✓		1	1
Attendance in %age	100	80.00		

* Ceased to be Director w.e.f. January 28, 2026 (after close of day) upon completion of their term as an Independent Director.

3. COMMITTEES OF THE BOARD

The Corporation has 13 Board level Committees, viz; Executive Committee, Investment Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, Policyholders' Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee, With – Profit Committee, Committee for Election of Shareholders' Directors in Public Sector Banks (PSBs), Information Technology (IT) Strategy Committee, Building Advisory Committee, Committee for Review of Willful Defaulters, Stakeholders' Relationship Committee, Nomination & Remuneration Committee and Environment, Social and Governance (ESG) Committee.

A. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

The Executive Committee has been constituted in terms of Section 19 (1) of the LIC Act, 1956.

i. The Executive Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Ms. Shalini Pandit	Government Nominee Director	Member
3	Shri Dinesh Pant	Managing Director	Member
4	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Member
5	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	Member
6	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
7	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
8	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
9	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member

ii. The Terms of Reference of the Executive Committee is as under:

1. To execute the functions in accordance with provisions of Rule 12, 18, 39, 40 and 86 specified in the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 and accordingly;
 - (a) To appoint officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres, the Executive Committee being the Appointing Authority as per Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (b) As appointing authority, to execute the functions specified in the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (c) To take disciplinary action against the officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres as Disciplinary authority and impose major penalty under Rule 39 (1) (f) to (j) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (d) To consider the appeals received from the officers in the cadre of Zonal Manager and above and equivalent cadres, Executive Committee being the Appellate Authority, for minor penalties under Rule 39 (1)(a) to (e) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (e) To consider the appeals received from the officers in the cadre of Deputy Zonal Manager/Senior Divisional Manager/ Divisional Manager and equivalent cadres, Executive Committee being the Appellate Authority for major penalties under Rule 39(1)(f) to (j) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
 - (f) To relax any of the provisions of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 in accordance with provision of Rule 86 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
2. To execute the functions in accordance with provisions specified in the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995 and accordingly;
 - (a) As per Rule 2 (f) of LIC of India (Employees) Pension Rules, 1995, the Executive Committee is the Competent Authority for the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres for the provisions specified as per the Rules.

- (b) As per Rule 48 (1), the Executive Committee shall be consulted before passing any final order for recovery of pecuniary loss caused to the Corporation from retired employees (Pensioners) and/or for withholding/withdrawal of pension or a part thereof.
3. To issue Standing Order governing the functions and powers of various authorities in the Corporation with regard to financial/operational matters (through FPSO).
 4. To exercise the financial/administrative powers which are with the Executive Committee as per the FPSO.
 5. To recommend to the Board, matters related to the Employee benefits being referred to the Govt. of India.
 6. To oversee the governance matters of LIC's subsidiaries/associate companies
 7. To exercise an oversight over the timely renewals of tenancies/lease of the Corporation on a half yearly basis bringing the terms comparable to the rates prevailing in the market.
 8. To review the progress of the projects for the development of properties of the Corporation.
 9. Appointment/Removal of Senior Management/Key Management Persons (KMPs) on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee.
 10. To exercise the powers specified as per Corporation's Policy on Fixed Term Engagement on Contractual Basis.
 11. To exercise those powers, if any, deriving from amendments to Act, Rules, Regulations and those functions further delegated by the Board from time to time.
- iii. A total of seven (7) meetings of the Executive Committee were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	04-04-2025	20-05-2025	10-07-2025	01-10-2025	16-12-2025	04-02-2026	27-02-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty*	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓						2	2
Shri R. Doraiswamy**	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
Dr. Maruthi Prasad Tangirala***	Government Nominee Director	Member	x							1	0
Dr. Parshant Kumar Goyal®	Government Nominee Director	Member		✓	x	✓				3	2
Ms. Shalini Pandit®®	Government Nominee Director	Member						✓	✓	2	2
Shri Jagannath M®®®	Managing Director	Member	✓	✓						2	2
Shri Tablesh Pandey®®®	Managing Director	Member	✓	✓						2	2
Shri Sat Pal Bhanoo^	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓			5	5
Shri Dinesh Pant^^	Managing Director	Member			✓	✓	✓	✓	✓	5	5

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	04-04-2025	20-05-2025	10-07-2025	01-10-2025	16-12-2025	04-02-2026	27-02-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Ratnakar Patnaik [^]	Managing Director	Member			x	✓	x	✓	✓	5	3
Shri Ramakrishnan Chander [@]	Managing Director	Member						✓	✓	2	2
Dr. Ranjan Sharma [#]	Independent Director	Member						✓	✓	2	2
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
Smt. Anjuly Chib Duggal ^{##}	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	x			5	4
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
Dr.V S Parthasarathy	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
Attendance in %age			90	100	77.78	100	75	100	100		

*Ceased as Member w.e.f. 07.06.2025 upon completion of the term

** Member up to 21.07.2025 and thereafter Chairperson w.e.f. 22.07.2025

***Ceased as Member w.e.f. 17.04.2025

@ Inducted as Member w.e.f. 21.04.2025 and ceased as member w.e.f. 03.12.2025

@@ Inducted as Member w.e.f. 08.01.2026 and attended meeting held on 16.12.2025 as special invitee

@@@ Ceased as Member w.e.f. 31.05.2025 upon Superannuation

^ Chairperson of the Committee from 22.06.2025 to 21.07.2025 and ceased as member w.e.f. 31.12.2025 upon Superannuation

^ Inducted as member w.e.f. 22.06.2025

Inducted as member w.e.f. 29.01.2026

Ceased as member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

B. INVESTMENT COMMITTEE (IC)

The Investment Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19A of the LIC Act, 1956 and IRDAI CG Regulations, 2024 (to the extent applicable).

i. The Investment Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Dinesh Pant	Managing Director	Member
3	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Member
4	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	Member
5	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
6	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
7	Dr. V.S. Parthasarathy	Independent Director	Member

Special Invitees: Appointed Actuary and Officers of the Corporation heading the functions dealing with Finance, Risk, Investment and Law.

- ii. The Terms of Reference of the Investment Committee is as under:
- To take decisions in matters relating to the investment of the funds of the Corporation.
 - To review the performance of Investments portfolio, on quarterly basis.
 - The Committee shall submit a report to the Board on the performance of the investment portfolio.
 - The Committee shall review the non-performing assets (NPA) portfolio on quarterly basis.
 - To review and recommend to the Board Investment Policy (IP) and lay down the operational framework for the investment operations. Such review of the Investment Policy to be done on a half yearly basis or at such short intervals as may be decided. To ensure that regulatory norms and Section 27A of Insurance Act, 1938 as made applicable to LIC by Government notification u/s 43(2) of LIC Act, 1956 are adhered to while making investments.
 - To review and approve the "Standard Operating Procedures" of the Corporation with respect to its investment functions on an annual basis and any need based modification thereof from time to time. The provisions of SOP may be reviewed from time to time depending on economic scenario, regulatory provisions and other factors, and may be changed after approval of Investment Committee.
 - To monitor the implementation of the Investment Policy, as approved by the Board.
 - To independently review investment decisions and ensure that support by the internal due diligence process is an input in making appropriate investment decisions and credit rating should not be the only factor for assessment of credit risk and market risk.
 - To formulate an effective reporting system to ensure compliance with the policy set out by it apart from Internal /Concurrent Audit mechanisms for a sustained and ongoing monitoring of Investment Operations.
 - To exercise those powers, if any, deriving from amendments to Act, Rules, Regulations and those functions further delegated by the Board from time to time.
- iii. A total of eight (08) meetings of the Investment Committee were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	26-04-2025	11-07-2025	06-08-2025	19-09-2025	28-10-2025	27-11-2025	20-01-2026	16-02-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty*	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓								1	1
Shri R Doraiswamy**	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
Shri Jagannath M***	Managing Director	Member	✓								1	1
Shri Tablesh Pandey***	Managing Director	Member	✓								1	1
Shri Sat Pal Bhanoo®	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	×			6	5

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	26-04-2025	11-07-2025	06-08-2025	19-09-2025	28-10-2025	27-11-2025	20-01-2026	16-02-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Dinesh Pant®®	Managing Director	Member		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
Shri Ratnakar Patnaik®®	Managing Director	Member		✓	✓	✕	✓	✓	✕	✕	7	4
Shri Ramakrishnan Chander®®®	Managing Director	Member							✓	✓	2	2
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
Shri Raj Kamal#	Independent Director	Member	✓	✓	✕	✓	✓	✕	✓		7	5
Shri Muthu Raju Parvasa Raju Vijay Kumar#	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7	7
Shri Vinod Kumar Verma##	Independent Director	Member								✓	1	1
Dr.V S Parthasarathy##	Independent Director	Member								✓	1	1
Attendance in %age			100	100	85.71	85.71	100	71.43	85.71	85.71		

*Ceased as Member w.e.f. 07.06.2025 upon completion of the term

** Member up to 21.07.2025 and thereafter Chairperson w.e.f. 22.07.2025

*** Ceased as Member w.e.f. 31.05.2025 upon Superannuation

@ Chairperson of the Committee from 22.06.2025 to 21.07.2025 and ceased as member w.e.f. 31.12.2025 upon Superannuation

@@ Inducted as member w.e.f. 22.06.2025

@@@ Inducted as member w.e.f. 08.01.2026

Ceased as member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

Inducted as member w.e.f. 29.01.2026

The attendance of Special Invitees at the eight (08) meetings of the Investment Committee held during the year 2025-2026 is given below:

Name the Special Invitee	Designation	26-04-2025	11-07-2025	06-08-2025	19-09-2025	28-10-2025	27-11-2025	20-01-2026	16-02-2026
Shri Dinesh Pant [*]	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	✗							
Shri Ratnakar Patnaik ^{**}	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer	✓							
Shri Ramakrishnan Chander ^{***}	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Shri Sunil Agarwal	Chief Financial Officer	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Shri Ajay Kumar Srivastava [@]	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)		✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗

Name the Special Invitee	Designation	26-04-2025	11-07-2025	06-08-2025	19-09-2025	28-10-2025	27-11-2025	20-01-2026	16-02-2026
Shri Rajesh Ailawadi [@]	Executive Director (Legal)	x	✓	✓	✓	x	✓		
Shri Shatmanyu Shrivastava	Executive Director (ERM) & Chief Risk Officer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smt. Bindu Paul	Executive Director (Investment Mid Office)	x	✓	x	✓	x	✓	✓	x
Shri Sanjay Srivastava	Executive Director (Investment Back Office)	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓
Shri Arindam Das Gupta ^{@@@}	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer							✓	✓
Shri Chendurnathan Loganathan [#]	Executive Director (Legal)							✓	✓

*ceased the position of Appointed Actuary w.e.f. 31.05.2025 upon elevation as Managing Director of the Corporation and inducted as a member of the Committee in the capacity of Managing Director w.e.f. 22.06.2025

**ceased the position of Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer w.e.f. 31.05.2025 upon elevation as Managing Director of the Corporation and inducted as a member of the Committee in the capacity of Managing Director w.e.f. 22.06.2025

***ceased the position of Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer w.e.f. 30.11.2025 upon elevation as Managing Director of the Corporation and inducted as a member of the Committee in the capacity of Managing Director w.e.f. 08.01.2026

[@]appointed as Appointed Actuary of the Corporation w.e.f. 02.06.2025

^{@@}Ceased the position of Executive Director (Legal) w.e.f. 31.12.2025 upon his superannuation

^{@@@}appointed as Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer w.e.f. 05.12.2025

[#]appointed as Executive Director (Legal) w.e.f. 01.01.2026

C. AUDIT COMMITTEE (AC)

The Audit Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19C of the LIC Act, 1956, read with IRDAI CG Regulations, 2024 (to the extent applicable) and Regulation 18 of SEBI Listing Regulations.

i. The Audit Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Chairperson
2	Ms. Shalini Pandit	Government Nominee Director	Member
3	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	Member
4	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
5	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
6	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
Special Invitee:			
1	Shri Dinesh Pant	Managing Director	-
2	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	-

ii. The Terms of Reference of the Audit Committee is as under:

1. Oversight of financial reporting process and the disclosure of financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible.
2. Oversight on the overall management costs, as permissible under the Act / Regulations, i.e. to analyse expenses, to identify areas of cost optimization, address areas of excessive spending for implementing measures to bring expenses within permissible limits.
3. Recommendation for appointment, remuneration, performance and oversight of the work of the auditors (including Statutory/Concurrent/Secretarial/Forensic/Systems Audit etc.)
4. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors, if permissible under the Act / Rules / Regulations.
5. Reviewing the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the Board report in terms of Section 24C (2) of the LIC Act, 1956
 - b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
 - f) Disclosure of any related party transactions;
 - g) Modified opinion(s) in the draft audit report;
6. Reviewing the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;
7. Reviewing the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter.
8. Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance and effectiveness of audit process.
9. To review annually the need for having multiple Current Accounts by the Corporation in accordance with the IRDAI circulars issued from time to time.
10. Prior Approval or any subsequent modification of transactions of the Corporation with related parties.
11. Valuation of undertakings or assets of the Corporation, wherever it is necessary.
12. Evaluation of internal financial controls and risk management systems.
13. Reviewing with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems.
14. Review of adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit.
15. Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on.
16. Review the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.

17. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.
18. Review of the reasons for substantial defaults in the payment to the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.
19. Review the functioning of Whistle blower Mechanism.
20. Recommend the appointment of Chief Financial Officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidates.
21. Reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments existing as on the date of coming into force of this provision.
22. Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholder.
23. Management discussion and analysis of financial condition and results of operations.
24. Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors.
25. Internal audit reports relating to internal control weaknesses.
26. The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the audit committee.
27. Statement of deviations:
 - i) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of SEBI (Listing Regulations), 2015.
 - ii) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/notice in terms of Regulation 32(7) of SEBI (Listing Regulations), 2015.
28. Act as a “compliance” Committee to discuss the level of compliance and any associated risks and to monitor and report to the Board on any significant compliance breaches.
29. To monitor oversight on voting mechanism and ensure effective oversight on the Stewardship activities.
30. To exercise those powers, if any, deriving from amendments to Act, Rules, Regulations and those functions further delegated by the Board from time to time.

- iii. A total of eleven (11) meetings of the Audit Committee were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members & special invitees is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	28-04-2025	26-05-2025	27-05-2025	11-07-2025	07-08-2025	19-09-2025	30-09-2025	06-11-2025	16-01-2026	05-02-2026	16-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Muthu Raju Parvasa Raju Vijay Kumar*	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			9	9
Dr. V S Parthasarathy**	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11
Dr. Parshant Kumar Goyal***	Government Nominee Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗				8	7
Ms. Shalini Pandit®	Government Nominee Director	Member									✓	✓	✓	3	3
Shri Jagannath M®®	Managing Director	Member	✓	✓	✓									3	3

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	28-04-2025	26-05-2025	27-05-2025	11-07-2025	07-08-2025	19-09-2025	30-09-2025	06-11-2025	16-01-2026	05-02-2026	16-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Sat Pal Bhanoo ^{@@@}	Managing Director	Member					✓	✓	✓	✓				4	4
Shri Dinesh Pant [#]	Managing Director	Member				✓								1	1
Shri Ratnakar Patnaik ^{##}	Managing Director	Member									✓			1	1
Shri Ramakrishnan Chander ^{###}	Managing Director	Member										✓	✓	2	2
Dr. Ranjan Sharma [§]	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			9	9
Shri Vinod Kumar Verma ^{###}	Independent Director	Member										✓	✓	2	2
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11
Shri Mahalingam G ^{##}	Independent Director	Member										✓	✓	2	2
Attendance in % age			100	100	100	100	100	100	100	83.33	100	100	100		
Special Invitee															
Shri R. Doraiswamy ^{§§}	Managing Director	Special Invitee	×	✓	✓	✓								4	3
Shri Dinesh Pant [#]	Managing Director	Special Invitee					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Special Invitee	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	10

* Ceased as Member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

** Member till 28.01.2026 and Chairperson of the Committee w.e.f. 29.01.2026

*** Inducted as member w.e.f. 21.04.2025 and ceased as member w.e.f. 03.12.2025

@ Inducted as member w.e.f. 08.01.2026

@@ Ceased as Member w.e.f. 31.05.2025 upon Superannuation

@@@ Inducted as member w.e.f. 22.07.2025 and Ceased as Member w.e.f. 31.12.2025 upon Superannuation

Inducted as member w.e.f. 22.06.2025 and special invitee w.e.f. 22.07.2025

Inducted as member w.e.f. 08.01.2026 and ceased as member w.e.f. 29.01.2026

Inducted as member w.e.f. 29.01.2026

§ ceased as member w.e.f. 28.01.2026

§§ Special Invitee till 22.07.2025

D. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

The Risk Management Committee has been constituted in line with IRDAI CG Regulations, 2024 (to the extent applicable) and Regulation 21 of SEBI Listing Regulations.

i. The Risk Management Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Mahalingam G	Independent Director	Chairperson
2	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Member

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
3	Shri Dinesh Pant	Managing Director	Member
4	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
5	Dr. V.S. Parthasarathy	Independent Director	Member
6	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member
7	Shri Ajay Kumar Srivastava	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member
8	Shri Shatmanyu Shrivastava	Executive Director (ERM) & Chief Risk Officer	Member

ii. The Terms of Reference of the Risk Management Committee is as under:

1. To formulate, periodically review and update Risk Management Policy at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity, which shall include:
 - a. A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the Corporation, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
 - b. Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.
 - c. Business continuity plan.
2. To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the operations of the Corporation;
3. To monitor and oversee implementation of the Risk Management Policy, including evaluating the adequacy of risk management systems.
4. To keep the Board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken.
5. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.
6. The Risk Management Committee shall coordinate its activities with other committees, in instances where there is any overlap with activities of such committees, as per the framework laid down by the Board of directors.
7. Review of Risk Management framework
8. Review of Anti-Fraud Policy, Anti Money Laundering Policy, Asset Liability Management Policy, Risk Appetite Statement etc and recommend to the Board for approval.
9. Settings of the risk tolerance limit and assess the cost and benefits associated with risk exposure.
10. Review of Corporation's risk-reward performance to align with overall policy objectives.
11. Discuss and consider best practices in risk management in the market and advise the respective functions;
12. Assist the Board in effective operation of the risk management system by performing specialized analyses and quality reviews;
13. Advise the Board with regard to risk management decisions in relation to strategic and operational matters such as corporate strategy, mergers and acquisitions and related matters.
14. Report to the Board, details on the risk exposures and the actions taken to manage the exposures; review, monitor and challenge where necessary, risks undertaken by the Corporation

15. Review the solvency position of the Corporation on a regular basis.
 16. Formulation of Fraud Monitoring Policy and framework for approval by the Board and review compliance in accordance with the guidelines issued by IRDAI from time to time.
 17. Monitor implementation of Anti-fraud policy for effective deterrence, prevention, detection and mitigation of frauds.
 18. Oversee matters related to Asset Liability Management (ALM) as per the Corporation's ALM Policy as defined in Master Circular issued by IRDAI from time to time.
 19. The Risk Management Committee shall be periodically apprised about the outsourcing arrangements entered into by the Corporation.
 20. To exercise those powers, if any, deriving from amendments to Act, Rules, Regulations and those functions further delegated by the Board from time to time.
- iii. A total of five (5) meetings of the Risk Management Committee (RMC) were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Member-ship	20-05-2025	22-06-2025	19-09-2025	11-12-2025	16-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Mahalingam G	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Shri Siddhartha Mohanty*	Chief Executive Officer & Managing Director	Member	✓					1	1
Shri Jagannath M**	Managing Director	Member	✓					1	1
Shri Tablesh Pandey**	Managing Director	Member	✓					1	1
Shri Sat Pal Bhanoo***	Managing Director	Member		✓				1	1
Shri R. Doraiswamy®	Chief Executive Officer & Managing Director	Member		✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Dinesh Pant®®	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✕	✓	5	4
Shri Raj Kamal®®®	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓		4	4
Smt. Anjuly Chib Duggal®®®	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓		4	4
Dr.V S Parthasarathy#	Independent Director	Member					✓	1	1
Shri Vinod Kumar Verma#	Independent Director	Member					✓	1	1
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member	✓	✓	✓	✕	✓	5	4

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	20-05-2025	22-06-2025	19-09-2025	11-12-2025	16-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Ajay Kumar Srivastva ^{##}	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member		✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Shatmanyu Shrivastva	Executive Director (ERM) & Chief Risk Officer	Member	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Attendance in % age			100	100	100	75	100		

*Ceased as Member w.e.f. 07.06.2025 upon completion of the term

**Ceased as Member w.e.f. 31.05.2025 upon Superannuation

***Inducted as member w.e.f. 22.06.2025 and ceased as member w.e.f. 22.07.2025

@Inducted as member w.e.f. 22.06.2025

@@Member of the Committee in the capacity of Appointed Actuary of the Corporation till 31.05.2025 and thereafter upon elevation as Managing Director of the Corporation he has been inducted as a member in the capacity of Managing Director w.e.f. 22.06.2025

@@@Ceased as Member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

#Inducted as member w.e.f. 29.01.2026

##Inducted as member w.e.f. 02.06.2025 being an Appointed Actuary of the Corporation

E. POLICYHOLDER PROTECTION, GRIEVANCE REDRESSAL AND CLAIMS MONITORING COMMITTEE (PPGR&CMC)

The Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee (PPGR&CMC) has been constituted in line with IRDAI CG Regulations, 2024 (to the extent applicable).

i. The PPGR&CMC comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Chairperson
2	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	Member
3	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
4	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
5	Smt. Reema Nanavaty	Expert	Member

ii. The Terms of Reference of the PPGR&CMC is as under:

- Adoption of standard operating procedures to treat the customer fairly including time-frames for policy and claims servicing parameters and monitoring implementation thereof.
- Review mechanism to address complaints and grievances of policyholders including mis-selling by intermediaries.
- Analyze the root cause of customer complaints, identify market conduct issues and advise the management appropriately about rectifying systemic issues, if any.
- Review all the awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums remaining unimplemented for more than thirty (30) days with reasons therefor and report the same to the Board for initiating remedial action, where necessary.

5. Review the measures and take steps to reduce customer complaints at periodic intervals.
 6. Review compliance with the statutory requirements as laid down in the regulatory framework related to policyholder's interest.
 7. Ensure adequacy of disclosure of "material information" to the policyholders. These disclosures shall comply with the requirements laid down by the Authority both at the point of sale and at periodic intervals.
 8. Provide details of grievances at periodic intervals in such formats as may be prescribed by the IRDAI.
 9. Ensure that details of insurance ombudsmen are provided to the policyholders.
 10. Review of Claims Report, including status of Outstanding Claims with ageing of outstanding claims.
 11. Reviewing Repudiated claims with analysis of reasons.
 12. Review status of settlement of other customer benefit payouts like Surrenders, Loan, Partial withdrawal requests etc.
 13. Review of unclaimed amounts of Policyholders and steps taken for reduction of unclaimed amounts as per the Circulars and guidelines issued by IRDAI from time to time.
 14. Matters relating to relocation of Place of Business of the Corporation and subsequent closure of earlier Place of Business as stipulated by IRDAI from time to time.
 15. To approve closure of Mini offices consequent upon their up gradation to Satellite offices.
- iii. A total of four (4) meetings of the PPGR&CMC were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	19-06-2025	09-09-2025	11-12-2025	11-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri R. Doraiswamy*	Managing Director	Member	✓				1	1
Shri Sat Pal Bhanoo**	Managing Director	Member	✕	✓	✓		3	2
Shri Ratnakar Patnaik***	Managing Director	Member		✕	✓		2	1
Shri Ramakrishnan Chander®	Managing Director	Member				✓	1	1
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Smt. Anjuly Chib Duggal®®	Independent Director	Member	✓	✓	✓		3	3
Prof. Anil Kumar®®®	Independent Director	Chairperson				✓	1	1
Smt. Reema Nanavaty	Expert	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Attendance in %age			83.33	83.33	100	100		

* ceased as member w.e.f. 22.07.2025

**ceased as member w.e.f. 31.12.2025 upon Superannuation

***inducted as member w.e.f. 22.07.2025 and ceased as member w.e.f. 29.01.2026

®inducted as member w.e.f. 08.01.2026

®®ceased as member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

®®®inducted as member w.e.f. 29.01.2026

F. WITH – PROFITS COMMITTEE [WPC]

The With – Profits Committee has been constituted in line with IRDAI CG Regulations, 2024 (to the extent applicable) and the circular issued thereunder.

i. The WPC comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri R. Doraiswamy*	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Mahalingam G**	Independent Director	Member
3	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member
4	Shri Ajay Kumar Srivastava***	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member
5	Shri Sai Srinivas Dhulipala	Independent Actuary	Member

*Inducted as Chairperson of the Committee w.e.f. 22.07.2025

** Inducted as member w.e.f. 29.01.2026

***Inducted as member w.e.f. 02.06.2025 being an Appointed Actuary of the Corporation

ii. The Terms of Reference of the WPC is as under:

1. Appropriateness of the methodology and basis used in calculation of asset share
2. Bonus earning capacity including its calculation
3. Sensitivity analysis of bonus rates and basis as appropriate
4. A brief note on how Policyholders' Reasonable Expectations are met
5. Any change in special surrender value
6. Treatment of Fund for Future Appropriation (FFA)
7. The expenses debited to the with-profit fund and its appropriateness

iii. One (1) meeting of the with – Profits Committee (WPC) was held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	20-05-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty*	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	1	1
Shri Raj Kamal**	Independent Director	Member	✓	1	1
Shri Dinesh Pant***	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member	✓	1	1
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member	✓	1	1
Shri Sai Srinivas Dhulipala	Independent Actuary	Member	✓	1	1
Attendance in %age			100		

* Ceased as member w.e.f. 07.06.2025 upon completion of the term

** Ceased as member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

*** Ceased as Appointed Actuary of the Corporation w.e.f. 31.05.2025 upon elevation as Managing Director of the Corporation

G. Committee for Election of Shareholders' Director in Public Sector Banks (PSBs)

The Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs has been constituted as per Ministry of Finance letter reference no. 16.11.2012-BO-I dated 03.04.2012.

- i. The Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Member
3	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs is as under:

- The Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs shall fulfill its mandate as given in accordance with the Ministry of Finance (MOF) letter dated 03.04.2012 i.e., scanning and selecting the candidates standing for election for Shareholder Director in Public Sector Banks.

- iii. A total of two (2) meeting of Committee for Election of Shareholders' Director in PSBs were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	26-06-2025	18-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Sat Pal Bhanoo*	Managing Director	Chairperson	✓		1	1
Shri R. Doraiswamy**	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓	✓	2	2
Shri Ratnakar Patnaik***	Managing Director	Member	✓	✓	2	2
Shri Ramakrishnan Chander®	Managing Director	Member		✓	1	1
Attendance in %age			100	100		

*Chairperson of the Committee w.e.f. 22.06.2025 to 21.07.2025

** Inducted as member w.e.f. 22.06.2025 and thereafter Chairperson of the Committee w.e.f. 22.07.2025

*** Inducted as member w.e.f. 22.06.2025

®Inducted as member w.e.f. 08.01.2026

H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

The ITSC has been constituted as per directives of Board of the Corporation.

- i. The ITSC comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Dinesh Pant	Managing Director	Chairperson
2	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Member
3	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
4	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member
5	Prof. (Dr.) Om Damani	Consultant	Member

ii. The Terms of Reference of the ITSC is as under:

1. Ensure IT strategy, investments and projects align with the organization's overall goals.
2. Address and manage IT, data protection and information management risks.
3. Evaluate the performance of IT services and the effectiveness of technology initiatives.
4. Monitor and advise on the organization and operating model for IT, data and cybersecurity.
5. Oversee the Corporation's Cyber Risk, reporting bi-annually to the Risk Management Committee of the Board.
6. Periodic review and monitoring of the Corporation's cybersecurity posture.
7. Review and approve significant IT projects and contracts, often with specific capital investment thresholds.
8. Provide recommendations to the Board of Directors on technology-related decisions.
9. Oversee an annual review of the technology infrastructure to include operational effectiveness, commercial effectiveness, stability, security etc for reporting to the Board.
10. Providing technical advisory to the Board in IT related matters brought to the table.
11. Monitoring the status of all approved strategic initiatives related to IT, especially those with critical deadlines, and providing assistance, if required, to ensure timely completion of critical initiatives.
12. To carry out any other functions assigned by any of the Committees of the Board/Board to the extent applicable related to technical aspect.

iii. A total of six (6) meetings of the Information Technology Strategy Committee were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	15-05-2025	19-06-2025	10-07-2025	19-09-2025	17-12-2025	24-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Raj Kamal*	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓		5	5
Shri Tablesh Pandey**	Managing Director	Member	✓						1	1
Shri R. Doraiswamy***	Managing Director	Member	✓	✓	✓				3	3
Shri Dinesh Pant®	Managing Director	Chairperson			✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Ratnakar Patnaik@@	Managing Director	Member				✗	✗	✓	3	1
Shri Mahalingam G@@@	Independent Director	Member						✓	1	1
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Shri Muthu Raju Parvasa Raju Vijay Kumar#	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓		5	5

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	15-05-2025	19-06-2025	10-07-2025	19-09-2025	17-12-2025	24-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Prof. (Dr.) Om Damani	Consultant	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Attendance in %age			100	100	100	83.33	83.33	100		

* ceased as member and Chairperson w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

**ceased as member w.e.f. 31.05.2025 upon Superannuation

*** ceased as member w.e.f. 22.07.2025

@ Attended meeting held on 19.06.2025 as special invitee and inducted as member w.e.f. 22.06.2025 and Chairperson of the committee w.e.f. 29.01.2026

@@inducted as member w.e.f. 22.07.2025

@@@inducted as member w.e.f. 29.01.2026

#ceased as member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

I. BUILDING ADVISORY COMMITTEE (BAC)

The Building Advisory Committee has been constituted as per directives of the Board.

i. The Building Advisory Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Member
3	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
4	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
5	Shri Sushil Kumar Dube	External Member	Member
6	Shri Manu Amitabh	External Member	Member
	Special Invitee:		
1	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	-

ii. The Terms of Reference of the Building Advisory Committee is as under:

- To scrutinize proposal for purchase and sale of properties; Leasing of vacant Land; Redevelopment of Properties and construction and maintenance of building and all other matters incidental thereto and any other matters submitted to it.
- To approve all such proposals submitted to it of value as per the provisions of the Financial Powers Standing Order of the Corporation as approved from time to time.
- Review of ongoing building/development projects.

- iii. A total of Three (3) meetings of the Building Advisory Committee was held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	03-04-2025	15-10-2025	18-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings Attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty*	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson	✓			1	1
Shri R. Doraiswamy**	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson		✓	✓	2	2
Shri Sat Pal Bhanoo***	Managing Director	Member	✓	✓		2	2
Shri Ratnakar Patnaik®	Managing Director	Member			✓	1	1
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	3	3
Shri Vinod Kumar Verma®®	Independent Director	Member		✓	✓	2	2
Shri Sushil Kumar Dube	External Member	Member	✓	✓	✓	3	3
Shri Manu Amitabh	External Member	Member	✓	✓	✓	3	3
Attendance in %age			100	100	100		
Special Invitee							
Shri Tablesh Pandey®®®	Managing Director		✓			1	1
Shri Ramakrishnan Chander#	Managing Director				✓	1	1

*Ceased as member w.e.f. 07.06.2025 upon completion of the term

**Inducted as Chairperson w.e.f. 22.07.2025

*** Ceased as member w.e.f. 31.12.2025 upon Superannuation

®Inducted as member w.e.f. 08.01.2026

®®Inducted as member w.e.f. 22.07.2025

®®®Special Invitee up to 31.05.2025

#Special Invitee w.e.f. 08.01.2026

J. COMMITTEE FOR REVIEW OF WILFUL DEFAULTERS

The Committee for review of Wilful Defaulters has been constituted as per RBI Master Circular dated 01.07.2014 and 01.07.2015.

- i. The Committee for review of Wilful Defaulters comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Chairperson
2	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
3	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Committee for review of Wilful Defaulters is as under:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as Wilful defaulter.
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

- iii. No meeting of Committee for review of Wilful Defaulters were held during the year 2025-2026.

K. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted as per Regulation 20 of SEBI Listing Regulations.

- i. The Stakeholders Relationship Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Chairperson
2	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Member
3	Prof. Anil Kumar*	Independent Director	Member

* Inducted as member w.e.f. 29.01.2026

- ii. The Terms of Reference of the Stakeholders Relationship Committee is as under:

1. Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.
2. Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
3. Review of adherence to the service standards adopted by the Corporation in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
4. Review of the various measures and initiatives taken by the Corporation for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company.

- iii. A total of two (2) meetings of the Stakeholders Relationship Committee were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	20-05-2025	30-09-2025	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Chairperson	✓	✓	2	2
Shri R. Doraiswamy*	Managing Director	Member	✓		1	1
Shri Ratnakar Patnaik**	Managing Director	Member		✓	1	1
Smt. Anjuly Chib Duggal***	Independent Director	Member	✓	✓	2	2
Attendance in % age			100	100		

* Ceased as member w.e.f. 22.07.2025

** Inducted as member w.e.f. 22.07.2025

*** Ceased as member w.e.f. 28.01.2026 upon completion of the term

- iv. Shri Anshul Kumar Singh is the Company Secretary & Compliance Officer.

- v. Details of Investor Complaints:

During FY 2025-2026 following complaints were received from the investors (Including Stock Exchanges and SEBI SCORES):

Complaints pending as on April 1, 2025	01
Complaints received during the period from April 1, 2025 to March 31, 2026	922
Complaints disposed of during the period from April 1, 2025 to March 31, 2026	920
Complaints pending as on March 31, 2026	03*

*The complaints were satisfactorily resolved on 01.04.2026

L. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

The Nomination & Remuneration Committee has been constituted as per Section 19B of the LIC Act, 1956, Regulation 19 of the SEBI Listing Regulations and IRDAI CG Regulations, 2024 (to the extent applicable)

i. The Nomination & Remuneration Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Chairperson
2	Ms. Shalini Pandit	Government Nominee Director	Member
3	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	Member
4	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
5	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
6	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member

ii. The Terms of Reference of the Nomination & Remuneration Committee is as under:

- Formulating the criteria for determining qualifications, attributes and independence of a director and recommending to the Board a policy, relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees.
- For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
 - use the services of external agencies, if required;
 - consider candidates from a wide range of background, having due regard to diversity;
 - consider the time commitments of the candidates.
- To recommend the appointment of an independent director to the Board;
- In the process of election of Shareholder Director, to scrutinize the declarations of intending applicants in accordance with the provisions of LIC of India (Shareholders' director) Regulations 2023 and IRDAI Master Circular on Corporate Governance, issued from time to time.
- Identifying persons who qualify to become directors or who may be appointed in Senior Management/ Key Management Persons (KMPs) in accordance with the criteria laid down, recommending to the Executive Committee of the Board/Board their appointment and removal.
- Formulating of criteria for evaluation of the performance of the independent directors and the Board.
- Devising a policy on Board diversity.
- Determining whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors;
- Recommend to the Board a policy relating to the sum payable as sitting fees to a director nominated or appointed under clauses (e) or (f) or (g) of sub-section (2) of section 4 of the LIC Act, subject to such fees not exceeding such limit as may apply in respect of sitting fees payable to a director of a company under the Companies Act, 2013.
- Recommend to the Executive Committee of the Board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management.

11. The Committee shall be responsible for the succession planning of the insurer including in its implementation in a smooth manner.
12. Carrying out such other functions as may be specified by the Board from time to time or specified/provided under the LIC Act or the SEBI Listing Regulations or IRDAI CG Regulations, 2024, each as amended or by any other regulatory authority.
- iii. A total of seven (7) meetings of the Nomination & Remuneration Committee were held during the year 2025-2026 and the attendance of the members is given as below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	04-04-2025	16-05-2025	27-05-2025	04-06-2025	06-08-2025	28-01-2026	27-02-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure	
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	
Dr. Maruthi Prasad Tangirala*	Government Nominee Director	Member	✕							1	0	
Dr. Parshant Kumar Goyal**	Government Nominee Director	Member		✓	✓	✓	✓			4	4	
Ms. Shalini Pandit***	Government Nominee Director	Member							✓	✓	2	2
Shri Siddhartha Mohanty®	Chief Executive Officer & Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓				4	4	
Shri R. Doraiswamy®®	Chief Executive Officer & Managing Director	Member						✓	✓	✓	3	3
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	7	
Attendance in %age			83.33	100	100	100	100	100	100			

* Ceased as member w.e.f. 17.04.2025

** Inducted as member w.e.f. 21.04.2025 and ceased as member w.e.f. 03.12.2025

***Inducted as member w.e.f. 05.12.2025

@ Ceased as member w.e.f. 07.06.2025 upon completion of the term

@ @ Inducted as member w.e.f. 22.07.2025

Note: No meeting was held during the period when Shri Sat Pal Bhanoo was the member of the Committee in the capacity of Managing Director (In-charge) & Chairperson of the Board, i.e., 22.06.2025 to 14.07.2025.

- iv. Performance evaluation criteria for Independent Directors

The Nomination & Remuneration Committee of the Board has determined criteria for performance evaluation of Independent Directors, which are set out in the Directors' Policy of the Corporation. The Directors' policy is hosted on the website of the Corporation and the link of the said policy is provided in Annexure 'I' at Page no. 235 of this Annual Report.

M. ENVIRONMENT, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) COMMITTEE

The Environment, Social & Governance (ESG) Committee has been constituted by the Board.

- i. The ESG Committee comprised of the following members as on March 31, 2026:

Sl. No.	Name of the Member	Designation	Nature of Membership
1	Dr. V.S. Parthasarathy	Independent Director	Chairperson
2	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	Member
3	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	Member
4	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
5	Dr. Amit Bansiwal	External Member	Member
6	Prof. Vidyadhar V. Gedam	External Member	Member
	Special Invitees:		
1	Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (CG/GJF/RC) & Chief Compliance Officer	-
2	Ms. Rosaline Kurien	Executive Director (Research/Strategy/CP/ NPRJ)	-
3	Shri Subhashish Dasgupta	Executive Director (OS/HRMS)	-
4	Shri Pradip Kusum Joseph Dungdung	Executive Director (Engineering)	-

- ii. The Terms of Reference of the ESG Committee is as under:

1. Recommend the ESG Policy of the Corporation to the Board and review the policy as and when required.
2. Approve and ratify the ESG goals, targets and strategy and monitor performance thereof including the ESG initiatives to ensure long-term value creation for the stakeholders.
3. Advise the Corporation and have an oversight on ESG related policies, strategies and activities of the Corporation in a manner that integrates environmental, social and ethical principles with the conduct of business.
4. Recommend to the Board to establish a comprehensive Climate Risk Management framework to facilitate the climate risk management, keeping in view the size, nature and complexity of operations of the Corporation.
5. Periodically review the ESG activities of the Corporation.
6. Reviewing and noting of the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) or any ESG Related reports mandated by regulatory authorities.
7. To review the report on the activities of LIC's Golden Jubilee Foundation Trust, on half-yearly basis.
8. Any other ESG related activities as stipulated by regulatory Authorities, from time to time.

- iii. A total of Four (4) meetings of the ESG Committee held during the year 2025-2026 and the attendance of the members and special invitees is given below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	28-05-2025	19-06-2025	10-12-2025	11-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Jagannath M*	Managing Director	Member	✓				1	1
Shri Sat Pal Bhanoo**	Managing Director	Member	✓	✓	✗		3	2
Shri Ratnakar Patnaik***	Managing Director	Member			✓	✓	2	2
Shri Ramakrishnan Chander®	Managing Director	Member				✓	1	1

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	28-05-2025	19-06-2025	10-12-2025	11-03-2026	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Dr. Amit Bansiwal	External Member	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Prof. Vidhyadhar V Gedam	External Member	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Attendance in % age			100	100	83.33	100		
Special Invitees: -								
Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director			✓				
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (CG/GJF/RC) & Chief Compliance Officer		✓	✗	✓	✓		
Ms. Rosaline Kurien	Executive Director (Research/ Strategy/CP/ NPRJ)		✓	✓	✓	✓		
Shri Subhashish Dasgupta	Executive Director (OS/HRMS)		✓	✗	✓	✓		
Shri Pradip Kusum Joseph Dungdung	Executive Director (Engineering)		✓	✓	✓	✓		

*Ceased as member w.e.f. 31.05.2025 upon superannuation

**Ceased as member w.e.f. 31.12.2025 upon superannuation

***Inducted as member w.e.f. 22.06.2025

@Inducted as member w.e.f. 08.01.2026

4. REMUNERATION OF DIRECTORS:

a) The remuneration paid to Whole-Time Directors during the year 2025-2026 is as under:

(₹ in lakhs)

Name of the Director	Designation	Salaries & Allowances	Performance Linked Incentive	Other Benefits & Perquisites	Corporation's Contribution to Pension	Total Remuneration
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	12.17	41.24	05.55	0.50	59.47
Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	62.43	41.13	16.20	3.00	122.76
Shri Jagannath M	Managing Director	12.36	41.13	03.64	0.44	57.57
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	12.19	41.13	04.42	0.44	58.19
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	49.10	41.13	13.16	2.58	105.97
Shri Dinesh Pant	Managing Director	43.04	-	21.84	2.24	67.12
Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	41.01	-	15.08	2.24	58.33
Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	16.70	-	11.26	0.90	28.85

Note:

1. Remuneration drawn as a Whole-Time Director during the Financial Year is considered.

2. Performance Linked Incentives are payable to the Whole-Time Directors of the Corporation as per the Government of India's guidelines and performance parameters approved by the Board on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee from time to time.
 3. During the year no stock options were issued by the Corporation to Whole-Time Directors.
 4. The terms of appointment of the Whole-Time Directors are regulated by the provisions of Life Insurance Corporation of India Chief Executive (Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1998, Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Services) Rules, 1988 and the Life Insurance Corporation of India General Regulations, 2021 as amended.
- b) Pursuant to Director's Policy, the Government Nominee Director is not entitled to receive any remuneration, sitting fees, or other compensation from the Corporation whereas Independent Directors of the Corporation, are entitled to receive sitting fees of ₹ 80,000/- per meeting of the Board and ₹ 60,000/- per meeting of the Committees. In addition, the Government Nominee Director and Independent Directors, are entitled for reimbursement of travel, stay and transport expenses for attending the Board and its Committee meetings. Apart from the above, there have been no other pecuniary relationship or business transaction between the Corporation and any of its Non-Executive Directors.

The details of sitting fees paid to Independent Directors during the year 2025-2026 are as follows:

(₹ in lakhs)

Name of Meeting	Dr. Ranjan Sharma	Shri Vinod Kumar Verma	Prof. Anil Kumar	Smt. Anjuly Chib Duggal	Shri Mahalingam G	Shri Raj Kamal	Dr. V S Parthasarathy	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Grand Total
Board	9.60	9.60	9.60	7.20	9.60	8.00	8.80	8.00	70.40
Executive Committee	1.20	-	4.20	2.40	4.20	-	4.20	-	16.20
Audit Committee	5.40	1.20	6.60	-	1.20	-	6.60	5.40	26.40
Building Advisory Committee	1.80	1.20	-	-	-	-	-	-	3.00
Environment, Social & Governance (ESG) Committee	-	-	2.40	-	-	-	2.40	-	4.80
Investment Committee	-	0.60	-	-	4.80	3.00	0.60	4.20	13.20
Independent Directors Meeting	1.20	1.20	1.20	0.60	0.60	0.60	1.20	0.60	7.20
Information Technology Strategy Committee	-	-	-	-	0.60	3.00	3.60	3.00	10.20
Nomination & Remuneration Committee	4.20	4.20	4.20	-	4.20	-	-	-	16.80
Policyholders Protection, Grievance Redressal & Claims Monitoring Committee	2.40	2.40	0.60	1.80	-	-	-	-	7.20
Risk Management Committee	-	0.60	-	2.40	3.00	2.40	0.60	-	9.00

Name of Meeting	Dr. Ranjan Sharma	Shri Vinod Kumar Verma	Prof. Anil Kumar	Smt. Anjuly Chib Duggal	Shri Mahalingam G	Shri Raj Kamal	Dr. V S Parthasarathy	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Grand Total
Stakeholders Relationship Committee	-	1.20	-	1.20	-	-	-	-	2.40
With Profits Committee	-	-	-	-	-	0.60	-	-	0.60
Grand Total	25.80	22.20	28.80	15.60	28.20	17.60	28.00	21.20	187.40

5. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

(A) Snapshot of Corporation's Information:

Particulars	Brief Description
Date of Incorporation	Life Insurance Corporation of India was established on September 1, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956
Central Office Address	Life Insurance Corporation of India 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021
Corporate Identification Number (CIN)	Not Applicable
IRDAI Registration Number	512
Financial Year	April 1, 2025 to March 31, 2026

(B) 5th Annual General Meeting (AGM):

Particulars	Brief Description
Date and Time	Monday, July 27, 2026 at 1100 hrs
Venue	The Corporation is conducting the 5 th Annual General Meeting through Video conferencing / Other Audio-Visual Means. The Central Office of the Corporation shall be deemed venue for the AGM.
Record date	Thursday June 25, 2026
Remote E-voting period	Thursday July 23, 2026 at 0900 hrs to Sunday, July 26, 2026 at 1700 hrs
Dividend Payment Date	Final dividend, if approved, shall be paid only through Electronic mode, on or before August 25, 2026

(C) Listing Details:

Particulars	Brief Description
ISIN (Equity)	INE0J1Y01017
Listing on Stock Exchanges	The equity shares of the Corporation are listed at BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). The address of respective Stock Exchanges is given below: BSE Limited: Phiroze Jeejibhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001. National Stock Exchange of India Limited: Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Payment of listing fees	Annual listing fees for the FY 2026-27 has been paid by the Corporation to BSE and NSE

(D) Registrar and Transfer Agent & Share Transfer System:

Particulars	Brief Description
Registrar and Share Transfer Agent	The Corporation's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) is KFin Technologies Limited. All shares' transfers and related operations are handled by RTA. KFin Technologies Limited Unit: Life Insurance Corporation of India, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. Email address: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com Toll Free No.: 1800-309-4001 WhatsApp No.: (91) 910 009 4099 QR code to access KPRISM : 
Share Transfer System	Pursuant to Regulation 40(1) of SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, transfer, transmission and transposition of shares shall be effected only in dematerialized form. However, investors are not barred from holding shares in physical form. In view of this and to eliminate all risks associated with holding shares in physical form and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialised form. Pursuant to SEBI Master Circular dated February 06, 2026 read with earlier circular dated January 25, 2022, the listed companies shall issue the securities in dematerialized form only, for processing any service requests from shareholders viz., issue of duplicate share certificates, endorsement, transmission, transposition, etc. The investors shall have a dematerialisation ("demat") account before submitting the service request. Latest Client Master List ("CML") of the demat account, not older than two months and duly attested by the Depository Participant ("DP") and duly filled in demat conversion request form shall be submitted by the investor along with the service request to the RTA. After verifying and processing the request, the RTA/Issuer Company shall initiate the demat conversion request in the depository system for direct credit of securities in the demat account of the security holder/claimant within 30 days of its receipt of such request after removing objections, if any. Post confirmation of the demat conversion request, the Depositories/RTAs/ listed companies shall send an intimation to the security holder/claimant regarding successful dematerialisation of the securities.

(E) Dematerialization of Shares & Liquidity

The Corporation's equity shares are regularly traded in dematerialised form on NSE and BSE. As at March 31, 2026, all equity shares of Corporation, except for two shares, are held in dematerialised form.

The details of mode of holding equity shares of the Corporation as on March 31, 2026 is given below:

Particulars	No. of Shares	% of total capital issued
Held in Dematerialised form in NSDL	626,70,40,904	99.08
Held in Dematerialised form in CDSL	5,79,56,795	0.92
Physical	2	0.00
Total*	632,49,97,701	100.00

*issued, paid-up and subscribed equity shares of the Corporation having face value of ₹ 10/- each has been increased from 632,49,97,701 to 1264,99,95,402, upon allotment of bonus equity shares on June 01, 2026

The summary of average daily trading in equity shares of the Corporation on both the Stock Exchanges for the financial year ended March 31, 2026 is shown as below:

Particulars	Average Traded Quantity	Average Value of Turnover (₹ in crore)
BSE	85,849	7.52
NSE	12,93,249	113.68
Total	13,79,098	121.20

(F) Other Information

Particulars	Brief Description
Outstanding Global Depository receipts or American Depository Receipts or Warrants or any Convertible Instruments, conversion date and likely impact on Equity	The Corporation has not issued any such securities.
Commodity Price Risk or Foreign Exchange Risk and hedging activities	Not applicable to the Corporation as the Corporation neither undertakes any commodities business nor has any exposure to foreign currencies that may require implementing any hedging strategies.
Plant Location	Since the Corporation is in the business of Life Insurance, the disclosure with regard to plant location is not applicable.
Address for Correspondence	For queries related to the Financial Statements: Shri Sunil Agrawal Chief Financial Officer, Life Insurance Corporation of India, Yogakshema, 3rd Floor, West Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra Email address: cfo@licindia.com Tel No.: 022-22028086 Website: www.licindia.in For Institutional Investors' Queries / Correspondence: Shri Sanjay R. Bajaj Head (Investor Relations), Life Insurance Corporation of India, Yogakshema, 3rd Floor, West Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra Email address: investorrelations@licindia.com Tel. Nos.: 022 – 22842404 Website: www.licindia.in

Particulars	Brief Description
	For queries related to Shares/Dividend/Secretarial Compliances: Shri Anshul Kumar Singh Company Secretary & Compliance Officer Life Insurance Corporation of India, Yogakshema, 7 th Floor, East Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra Email address: investors@licindia.com Tel Nos.: 022-22022079 Website: www.licindia.in
List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad	Not Applicable

(G) Shareholding Details of the Corporation:

(i) Distribution of Equity Shareholding: Category-wise distribution of equity shareholding of the Corporation as on March 31, 2026 is as under:

Sl. No.	Category (Shares)	Number of Shareholders	% to Total Shareholders	Number of Shares	% to Total Shares
1	1-5000	21,22,487	99.1201	734,21,335	1.1608
2	5001- 10000	10,759	0.5024	79,34,040	0.1254
3	10001- 20000	4,400	0.2055	62,46,916	0.0988
4	20001- 30000	1,373	0.0641	33,97,613	0.0537
5	30001- 40000	580	0.0271	20,36,529	0.0322
6	40001- 50000	449	0.021	20,72,697	0.0328
7	50001- 100000	598	0.0279	43,25,879	0.0684
8	100001& Above	682	0.0318	622,55,62,692	98.4279
	Total*	21,41,328	100.000	632,49,97,701	100%

*issued, paid-up and subscribed equity shares of the Corporation having face value of ₹ 10/- each has been increased from 632,49,97,701 to 1264,99,95,402, upon allotment of bonus equity shares on June 01, 2026

(ii) Shareholding Pattern: The shareholding pattern of the Corporation as on March 31, 2026 is as under:

Sl. No.	Description	Number of Equity Shares	% to Total Equity Shares
1	President of India	610,36,22,781	96.500
2	Resident Individuals	10,97,49,357	1.735
3	Mutual Funds	5,91,93,823	0.936
4	Foreign Portfolio – Corp	2,04,95,977	0.324
5	Bodies Corporate	1,39,48,874	0.221
6	HUF	33,54,844	0.053
7	Non-Resident Indian Repatriable	32,98,010	0.052
8	QIB - Pension Funds	31,18,653	0.049
9	Nationalised Banks	30,61,956	0.048
10	Qualified Institutional Buyer	24,80,240	0.039
11	Non-Resident Indian Non-Repatriable	17,16,671	0.027
12	Alternative Investment Fund	3,78,777	0.006
13	Trusts	3,29,945	0.005

Sl. No.	Description	Number of Equity Shares	% to Total Equity Shares
14	NBFC	1,23,443	0.002
15	Other Banks	1,21,443	0.002
16	Clearing Members	2,510	0.000
17	Directors	288	0.000
18	Indian Financial Institutions	109	0.000
	Total*	632,49,97,701	100

*issued, paid-up and subscribed equity shares of the Corporation having face value of ₹ 10/- each has been increased from 632,49,97,701 to 1264,99,95,402, upon allotment of bonus equity shares on June 01, 2026

(H) General Meetings/ Postal Ballot:

i. Details of the past three Annual General Meetings, and Special Resolutions passed thereat:

AGM	Financial Year	AGM Venue	Date of AGM	Time of Meeting	Special Resolutions passed
2 nd	2022-23	The Meetings were held through Video-conferencing/ Other Audio-Visual Means; Deemed Venue: Central Office of the Corporation	August 22, 2023	1130 hrs (IST)	No special resolution was passed
3 rd	2023-24		August 22, 2024	1130 hrs (IST)	
4 th	2024-25		August 26, 2025	1130 hrs (IST)	

ii. Whether any Special Resolution was passed last year through Postal Ballot-details of voting pattern:

No special resolution was passed by the Corporation through postal ballot during the FY 2025-26. However, following resolutions including special resolutions were passed through Postal Ballot Notice dated April 13, 2026:

Cut off date for determining the members eligible to vote	Wednesday, April 15, 2026		
Remote E-voting Agency	National Securities Depository Limited ("NSDL")		
Dispatch Date of Notice	Friday, April 17, 2026		
Remote E-voting period	Commenced on Saturday, April 18, 2026 at 0900 hrs and ended on Sunday, May 17, 2026 at 1700 hrs		
Resolutions passed through Postal ballot	Description of Resolution	Voting Pattern	
		% of Votes in favour	% of Votes in against
	Issue of Bonus Shares (Special Resolution)	99.9998%	0.0002%
	Re-appointment of Shri Mahalingam G (Gurumoorthy Mahalingam) (DIN: 09660723) as Independent Director of the Corporation. (Special Resolution)	99.7881%	0.2119%
	Re-appointment of Dr. V.S. Parthasarathy (DIN: 00125299) as Independent Director of the Corporation. (Special Resolution)	99.9687%	0.0313%
	Appointment of Ms. Shalini Pandit (DIN: 07780142) as Government Nominee Director of the Corporation. (Ordinary Resolution)	99.7927%	0.2073%
	Appointment of Shri Ramakrishnan Chander (DIN: 11331783) as Managing Director of the Corporation. (Ordinary Resolution)	99.7957%	0.2043%

Shri S.N. Viswanathan (FCS 13685 and COP no. 24335), Managing Partner, M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, was appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and transparent manner. The Scrutinizer has submitted the report on May 18, 2026 along with voting results which is available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/fy-2026-27>. The resolution was passed with requisite majority on May 17, 2026.

Procedure for Postal Ballot

Pursuant to Section 23A of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 28 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, including any statutory amendment(s), modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, and in compliance with, guidelines/circulars/rules issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India, for holding general meetings/conducting postal ballot process through voting by electronic means ("remote e-voting") vide General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and General Circular No. 3/2025 dated September 22, 2025 read along with other connected circulars issued in this regard ("MCA Circulars") and pursuant to other applicable laws and regulations, the approval of the Members of the Corporation were obtained on the resolutions set out in the notice of Postal Ballot Notice dated April 13, 2026 through remote e-voting.

Accordingly, the resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated April 13, 2026 were passed with requisite majority on May 17, 2026.

iii. Whether any special resolution is proposed to be transacted through postal ballot:

As on the date of Board Report, no special resolution is proposed to be transacted through postal ballot.

(I) Unclaimed/ Unpaid Dividend and Equity shares in Unclaimed Demat Suspense Account:

(i) Transfer of unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund:

Section 28C(5) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 provides that the amount remaining unclaimed and unpaid for a period of seven years from the date it becomes due for payment in Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 125 of Companies Act, 2013.

In terms of Section 28C (6) of Life Insurance Corporation Act, 1956, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation in the name of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

The details regarding unclaimed dividend along with the due date for transfer to IEPF are given below:

Financial Year	Type of Dividend	Dividend per Share (₹)	Date of Declaration	Due date of transfer to IEPF
2021-22	Final	₹ 1.50 per equity share	September 27, 2022	October 26, 2029
2022-23	Final	₹ 3.00 per equity share	August 22, 2023	September 20, 2030
2023-24	Interim	₹ 4.00 per equity share	February 08, 2024	March 08, 2031
	Final	₹ 6.00 per equity shares	August 22, 2024	September 20, 2031
2024-25	Final	₹ 12.00 per equity shares	August 26, 2025	September 24, 2032

The list of members whose dividend are lying in unpaid/unclaimed dividend account is available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/unclaimed-dividend-detail>

(ii) Unclaimed Demat Suspense Account:

In terms of Regulation 34(3) read with Part F of Schedule V of the SEBI Listing Regulations, the Corporation does not have its equity shares in the demat suspense account or unclaimed suspense account as on March 31, 2026. However, as on date of Board Report, the details of equity shares lying under unclaimed shares suspense demat account for bonus issue:

Sl. No.	Particulars	Number of Shareholders	Number of Shares
1	Outstanding Shares at the beginning of FY 2026-27	Nil	Nil
2	No. of Shares transferred to Demat Suspense Account during FY 2026-27 (as on June 24, 2026)	55	2823
3	No. of shareholders who approached the Corporation for transfer of shares from suspense account during the year	0	0
4	No. of shares transferred to respective shareholders from Demat Suspense Account	0	0
5	Outstanding shares lying in Demat Suspense Account as at June 24, 2026	55	2823*

*The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claim the shares.

(J) Means of Communication:

Effective communication is fundamental to strong corporate governance. It ensures the transparent and timely exchange of information, ideas, and strategic direction between the Corporation and its stakeholders, thereby reinforcing trust and enabling meaningful engagement between management and shareholders.

The Corporation is committed to upholding the highest standards of transparency by providing stakeholders with accurate, comprehensive, and timely information on its performance, operations, and future outlook. This commitment enables stakeholders to make informed evaluations and decisions.

In furtherance of this objective, the Corporation regularly shares updates on its business activities, strategic priorities, financial performance, governance practices, and other significant developments. The Corporation's website (www.licindia.in) serves as a central and reliable communication platform, offering stakeholders easy and continuous access to key corporate information.

The website features detailed information on the Corporation's financial and operational performance, governance framework, regulatory disclosures, investor-related updates, and recent press releases, thereby facilitating clear and transparent communication.

The Investor Relations team plays an active role in engaging with analysts and investors by addressing queries and ensuring timely dissemination of relevant information. Any information that may materially impact the Corporation's share price is disclosed in compliance with applicable regulatory requirements and is promptly communicated to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE).

In addition, press releases, stock exchange filings, and presentations made to analysts and investors are regularly published on the Corporation's website. Financial disclosures and compliance filings, as mandated under the Listing Regulations, are submitted electronically to NSE and BSE and are also made available on their respective websites, as well as on the Corporation's website, ensuring broad and consistent access to information.

i. Quarterly Results:

The Corporation's Quarterly/Half-Yearly/Annual Financial Results are published in Business Standard, a leading National Business Newspaper in English and in Navshakti, a Marathi newspaper. In addition, the results are also published in the Hindi edition of Business Standard.

ii. Website:

In terms of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation's website i.e., www.licindia.in contains a dedicated section "Investor Relations" which displays information of interest to various stakeholders.

iii. News/Press Releases:

Official press releases related to major development of the Corporation are submitted to Stock Exchanges, and the same are also disseminated on the website of the Corporation.

iv. Presentation to Institutional Investors/ Analysts:

The Corporation holds press meet and investor / analyst calls after every quarterly results announcement, which is accessible to all the shareholders and general public. The Corporation also holds its Annual General Meeting, which is accessible to all the shareholders. The details of these events are disseminated to the stock exchanges and updated on the website. In addition, the Corporation also participates in various investor conferences organised by analyst, where the members of management and representatives of the Corporation engage with investors through one-on-one or group interactions. Information of such participation is also promptly disseminated to the stock exchanges and updated on the Corporation's website.

6. Senior Management

The particulars of senior management including the changes during the Financial year 2025-26 are presented in **Annexure 'B'** of the Corporate Governance Report.

7. Other Disclosures

- a. **Related Party Transactions:** The details regarding related party transactions are provided in the Board Report which is placed separately and forms part of Annual Report.
- b. **Details of non-compliance by the Corporation, penalties, strictures imposed on the Corporation by Stock Exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years:** There is no instance of non-compliance by the Corporation or penalty and/or stricture imposed on the Corporation by stock exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital market, during the last three years.
- c. **Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy:** The details regarding Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy are provided in the Board Report which is placed separately and forms part of Annual Report.
- d. **Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements:** The Corporation has complied with all the mandatory requirements specified in the Regulations 17 to 27 and Regulation 46 (2) (ab) to 46 (2)(i) of the SEBI Listing Regulations except the followings:
 - Upon completion of the term of Smt. Anjuly Chib Duggal, Independent Director on January 28, 2026, the Corporation does not satisfy the criteria laid down under Regulation 17 (1)(a) of the SEBI Listing Regulations which stipulates that Board of Directors of the top 1000 listed entities shall have at least one Independent woman Director.
 - Upon completion of second term of two independent directors on April 28, 2026, the Corporation does not satisfy the criteria laid down under Regulation 17(1)(b) of the SEBI Listing Regulations which stipulates that if the Corporation does not have a regular non-executive Chairperson, half of the Board shall comprise of independent directors.

The Corporation vide its letters dated January 29, 2026 and April 29, 2026, had sought exemption from Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from strict enforcement of SEBI Listing Regulations including any provision of Act(s), Rule(s), Regulation(s) under which the listed entity is established or is governed by under Regulation 102 of SEBI Listing Regulations.

SEBI vide its letters dated February 13, 2026 and May 01, 2026, had granted exemptions to the Corporation from strict enforcement of proviso of Regulation 17(1)(a) and Regulation 17(1)(b) of the SEBI Listing Regulations for a period of six months w.e.f., January 29, 2026 and April 29, 2026 respectively.

The Corporation has also complied with the non-mandatory requirements pertaining to Corporate Governance stipulated part E of the Schedule II of the SEBI Listing Regulations to the extent possible as under:

Sl. No.	Discretionary Requirements	Status
1	A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties	Not Applicable

Sl. No.	Discretionary Requirements	Status
2	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders	Quarterly and half-yearly financial results are published in leading newspapers and are also disseminated to the Stock Exchanges immediately after approval by the Board of Directors. This practice upholds the principles of transparency and timely disclosure, ensuring that shareholders and other stakeholders are well-informed.
3	The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	Corporation's Auditor has issued an Audit Report with unmodified opinion on the Annual Audited Financial Results of the Corporation for the year ended March 31, 2026
4	Separate post of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall – (a) be a Non-Executive Director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013	As per Section 4(2)(a)(ii) of the LIC Act, 1956, the Chairperson of the Board shall be appointed by Central Government amongst the Non-Executive Directors nominated or to be nominated by the Central Government. Till date, the Central Government has not nominated a non-executive director as Chairperson of the Board, therefore, Shri R. Doraiswamy, Chief Executive Officer & Managing Director of the Corporation is chairing the meetings of the Board.
5	The internal auditor may report directly to the Audit Committee	Internal Auditor directly reports to the Audit Committee of the Board.
6	The Independent Directors of top 2000 listed entities as per market capitalization shall endeavour to hold at least two meetings in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall endeavour to be present at such meetings.	During the FY 2025-26, two meetings of the Independent Directors of the Corporation were held without the presence of the non-independent directors and members of the management. The attendance of the meetings of the Independent Directors is provided at the relevant place in this report.

- e. **Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32(7A):** During the financial year, the Corporation has not raised any funds through preferential allotment or Qualified Institutions Placement.
- f. **A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority:** Pursuant to SEBI Listing Regulations, M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, has certified that none of the Directors of the Corporation has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director of the Corporation by SEBI, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") or any such other Statutory Authority. A certificate issued by the Practicing Company Secretary is attached as **Annexure 'F'** of this report.
- g. **Where the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof:** During Financial Year 2025-26, all recommendations made by the Board committees to the Board of Directors, were accepted by the Board after due deliberations.

- h. **Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part** – Details relating to fees paid to the Statutory Auditors are given in Schedule 3 and related notes to the Financial Statements.
- i. **The details of prevention of sexual harassment of women at the workplace:** The details regarding prevention of sexual harassment of women at the workplace are provided in the Board Report which is placed separately and forms part of Annual Report.
- j. **Disclosure by listed entity and its subsidiaries of 'Loans and advances in the nature of loans to firms/companies in which Directors are interested:** During financial year 2025-26, no loan or advance has been given to any firm/company in which Directors were interested.
- k. **Details of material subsidiaries of the listed entity; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries:** The Corporation has formulated a policy for determining material subsidiaries (within India and outside India) in terms of Regulation 16 of the SEBI Listing Regulations and as on March 31, 2026, there are no material subsidiaries of the Corporation.

The policy to determine material subsidiary (within India and outside India) is available on the website of the Corporation and the link to the said policies are provided in Annexure 'I' at Page no. 235 of this Annual Report.
- l. **Agreements entered into by the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, Directors, key managerial personnel, employees of the listed entity or of its holding, subsidiary or associate company, among themselves or with the listed entity or with a third party, solely or jointly, which, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or impose any restriction or create any liability upon the listed entity, as per Regulation 30A of SEBI Listing, Regulations, 2015:** During the Financial Year 2025-26, Corporation has not entered into any such agreement(s).
- m. **Non-Compliance of any requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of clause C of the Schedule V of the SEBI Listing Regulations:** The Corporation has complied with all requirements of the Corporate Governance Report, as prescribed under the SEBI Listing Regulations, to the extent applicable.

Annexure 'A'

**Declaration pursuant to Schedule V of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015**

I hereby confirm that all Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance to the "Code of Conduct for Directors and Senior Management" during the Financial Year ended on March 31, 2026.

(R Doraiswamy)

Chief Executive Officer & Managing Director

Place: Mumbai

Date: 24th June, 2026

Annexure 'B'

Particulars of Senior Management Personnel ("SMP") as on 31st March 2026

Name of Senior Management Personnel	Designation
Shri Sanjay Kumar Bajaj	Head (Investors Relations)
Shri Salil Vishwanath	Executive Director (Human Resources Development and training/RTI)
Shri Hemant Buch	Executive Director (Marketing-Bancassurance & Alternate Channel)
Shri Pan Singh Negi	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kanpur
Shri Anirban Sarkar	Executive Director (Inspection/Special Projects/New Business & Reinsurance / Health Insurance)
Shri Mahtabuzzaman	Director, Zonal Training Centre, Hyderabad
Shri Jagat Singh Tolia	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kolkata
Smt. Meenu Sarkar	Executive Director (Pension & Group Scheme/Information Technology /Customer Relationship Management)
Smt. Pratibha Singh	Executive Director (Liaison)
Shri Jatindar Pal Singh Bajaj	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Delhi
Ms. Rosaline Kurien	Executive Director (Research/Strategy/Corporate Planning/New Project)
Shri Sesha Giridhar Kuppoli	Executive Director (Pension & Group Scheme)
Shri Kothandaraman Murlidar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Chennai
Shri Shubhashish Dasgupta	Executive Director (Office Services/Human Resources Management System)
Shri Sudhanshu Shekhar	Executive Director (Information Technology/Digital Transformation)
Smt. Shobha Sulochana	Executive Director (Customer Relationship Management/Policy Servicing)
Shri Sanoj Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Mumbai
Smt. Meeta Khare	Executive Director (Estates)
Shri Dharam Pal	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Bhopal
Shri Anupam Jindal	Director, Zonal Training Centre, Kolkata
Smt. Vandana Sinha	Executive Director (Customer Relationship Management/Claims/Annuities)
Shri Puneet Kumar Singhal	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Hyderabad
Smt. Bindu Paul	Executive Director (Investment-Mid Office)
Shri Pradeep Prabhakar Kelkar	Executive Director (Audit)

Additions during the year 2025-26

Name of Senior Management Personnel	Designation as on 31 st March 2026	Date of Entry as SMP
Smt. Rashmi Bhatnagar	Director, Zonal Training Centre, Bhopal	28 April 2025
Shri Pradip Kusum Joseph Dungdung	Executive Director (Engineering)	21 April 2025
Shri Vinod Kumar	Director, Zonal Training Centre, Gurugram	11 April 2025
Shri Sanjay Kumar Srivastava	Executive Director (Investment Back Office)	07 April 2025
Shri Permendra Hari	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Patna	10 April 2025
Shri S V K Ranga Rao	Director, Zonal Training Centre, Pune	17 April 2025
Shri Siddiqui Faisal Aijaz	Executive Director (Senior Business Associate/Re-Investment)	08 April 2025
Shri Vivek Paul	Director, Management Development Centre, Mumbai	09 April 2025
Shri Surendra S Chaplot	Executive Director (Business Development & Bima Sakhi/CLIA)	15 April 2025
Shri Chendurnathan Loganathan	Executive Director (Legal)	23 April 2025
Shri Pradeep Shenoy	Executive Director (Corporate Communication)	25 April 2025
Shri Uthup Joseph	Executive Director (Subsidiaries & International Operations)	16 April 2025
Smt. Rashmi Singh	Executive Director (Personnel)	08 April 2025
Shri R Rajesh	Executive Director (Digital Marketing)	11 April 2025
Shri Govind Prasad Agarwal	Executive Director (Marketing/Product Development)	09 April 2025
Shri Jose George	Principal, Zonal Training Centre, Chennai	09 February 2026
Shri Jayasimhan Madabhushi Matam Tirumala	Chief (In-Charge) (Board & Secretarial)	16 April 2025
Smt. Neelam Kujur	Principal, Zonal Training Centre, Jamshedpur	05 January 2026

Exit During the year 2025-26

Name of Senior Management Personnel	Designation at the time of exit	Reason of Exit	Date of Exit
Shri Ramakrishnan Chander	Executive Director (Investment front Office) and Chief Investment Officer	Appointed as Managing Director	01 December 2025
Shri Sudhakar Ravindranath	Executive Director (Marketing/Product Development)	Superannuation	30 September 2025
Shri Baliram Bapurao Jadhav	Executive Director (Engineering)	Superannuation	31 May 2025
Smt. Santha Varkey	Executive Director (Inspection)	Superannuation	31 May 2025
Shri Atanu Sengupta	Director, Management Development Centre, Mumbai	Superannuation	30 April 2025

Name of Senior Management Personnel	Designation at the time of exit	Reason of Exit	Date of Exit
Shri Chandra Narasimhan	Director, Zonal Training Centre, Chennai	Superannuation	31 January 2026
Shri Rajesh Kumar	Director, Zonal Training Centre, Gurugram	Superannuation	31 December 2025
Shri Verandani Ghansham Deomal	Director, Zonal Training Centre, Pune	Superannuation	30 June 2025
Shri Kuldeep Tickoo	Director, Zonal Training Centre, Bhopal	Superannuation	31 May 2025
Shri Subhash Chander	Director, Zonal Training Centre, Agra	Superannuation	31 March 2026
Shri Arya Lahiri	Director, Zonal Training Centre, Kolkata	Superannuation	31 August 2025
Shri Ashok K R	Executive Director (Actuarial/Administration/IT Implementation)	Superannuation	31 May 2025
Shri Rajesh Ailawadi	Executive Director (Legal)	Superannuation	31 December 2025
Shri Venkataramanan Gopal	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Chennai	Superannuation	31 July 2025
Shri Shrawan Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Patna	Superannuation	30 September 2025
Shri Venkata Ramana Chilaka	Executive Director (New Business & Reinsurance /Health Insurance)	Superannuation	31 March 2026
Smt. Geeta Prabhakaran	Executive Director (Subsidiaries)	Superannuation	31 March 2026
Shri Aditya Gupta	Executive Director (Corporate Communication)	Superannuation	31 October 2025
Shri Pratap Chandra Paikray	Executive Director (Chief Life Insurance Advisor)	Superannuation	31 January 2026
Smt. Bichitra Mahapatra	Executive Director (Right to Information)	Superannuation	31 December 2025

Note: All the Key Managerial Persons (KMPs) falls under the definition of Senior Management Personnel, for which appropriate disclosures are given in the Annual Report.



**Certification pursuant to Clause 10.3 (b) of IRDAI Master Circular on
Corporate Governance for Insurers, 2024, as amended**

I Jayasimhan TMM hereby certify that Life Insurance Corporation of India has complied with the IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 and the circulars issued there under (to the extent applicable).

Nothing has been concealed or suppressed.

For Life Insurance Corporation of India


(Jayasimhan TMM)
Executive Director (Board & Secretarial/RC) & Chief Compliance Officer

Place: Mumbai

Date: June 24, 2026

केन्द्रीय कार्यालय, "योगक्षेम", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.
दूरभाष : 66598000

Central Office, "Yogakshema," Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.
Tel. : 66598000



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,
Thane (W) – 400 601
T: +91 99878 91740
E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net
ICSI Unique Code: P1991MH040400

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

[Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members,
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema, Jeevan Bima Marg,
Mumbai 400021.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Life Insurance Corporation of India** (hereinafter called 'the Corporation'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Corporation's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation and also the information provided by the Corporation, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Corporation has, during the audit period covering the financial year ended **31st March, 2026**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Corporation has proper board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation for the financial year ended on **31st March, 2026** according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 ('the Act'), and the rules made thereunder **to the extent applicable to the Corporation;**
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings: **Not Applicable to the extent of Foreign Direct Investment and External Commercial Borrowings;**
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 - **Not Applicable as there was no reportable event during the period under review;**
 - d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 – **Not Applicable as the Corporation has not issued any shares/ options to directors/ employees under the said regulations during the period under review;**

- e. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025 regarding the Companies Act and dealing with client - **Not Applicable as the Corporation is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the period under review;**
- f. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 - **Not applicable as the Corporation has not delisted / proposed to delist its Equity Shares from any stock exchange during the period under review;**
- g. The Securities and Exchange Board of India (Buy back of Securities) Regulations, 2018 - **Not applicable as the Corporation has not bought back / propose to buy back its equity shares during the period under review;**
- h. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 - **Not Applicable as the entity has not issued and listed any non-convertible securities with the Stock Exchanges during the period under review;**
- i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR).
- vi. The Management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Corporation:
 - i. The Life Insurance Corporation Act, 1956 (LIC Act) and the Rules & Regulations made thereunder,
 - ii. The Insurance Act, 1938 and the Rules & Regulations made thereunder (to the extent the same are consistent with LIC Act),
 - iii. Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules, Regulations and Guidelines made thereunder (to the extent the same are consistent with the LIC Act, Rules & Regulations),
 - iv. Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules made thereunder

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards with regard to Meeting of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;
- (ii) Listing Agreement(s) entered into with the Stock Exchanges.

During the period under review the Corporation has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above.

We further report that:

- The Board of Directors of the Corporation is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors including at least one *Woman Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the applicable Act
 *Ms Anjuly Chib Duggal ceased to be an Independent Director of the Corporation w.e.f. 28th January 2026 at the end of her tenure. SEBI has, on an application seeking exemption from the applicability of Regulation 17(1)(a) of LODR with respect to appointment of Woman Independent Director made by the Corporation, granted exemption vide letter dated 13th February 2026 for a period of six months from 29th January, 2026 till 28th July, 2026.
- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings / Committee Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent seven days in advance before the meeting except where consent of directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda at a shorter notice.
- There exists system for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- All decisions of the Board and Committee meeting were carried with requisite majority.

We further report that based on review of compliance mechanism established by the Corporation and on the basis of the Compliance Certificate(s) issued by the Company Secretary jointly with the Chief Compliance Officer, based on compliance certificates received from all departments of the Corporation/subsidiaries and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s), we are of

the opinion that there are adequate systems and processes in place in the Corporation which is commensurate with the size and operations of the Corporation to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the review period there were no specific events/actions having a major bearing on Corporation's affairs in pursuance of the above-referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc., referred to above.

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries

ICSI Unique Code: P1991MH040400

Peer Review Cert. No.: 5218/2023

Sd/-

S. N. Ananthasubramanian

Founding Partner

FCS: 4206

COP No.: 1774

ICSI UDIN: F004206H000425715

21st May, 2026 | Thane



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,
Thane (W) – 400 601

T: +91 99878 91740

E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net

ICSI Unique Code: P1991MH040400

ANNEXURE A OF THE SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members,
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema , Jeevan Bima Marg,
Mumbai 400021

Our Secretarial Audit Report for the financial year ended **31st March 2026** of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Corporation to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Corporation with respect to secretarial compliances.
3. We have conducted the Audit as per the applicable Auditing Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
4. We believe that audit evidence and information obtained from the Corporations' management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
5. Wherever required, we have obtained reasonable assurance whether the statements prepared, documents or records, in relation to Secretarial Audit, maintained by the Corporation, are free from misstatement.
6. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

Disclaimer

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.
8. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries

ICSI Unique Code: P1991MH040400

Peer Review Cert. No.: 5218/2023

Sd/-

S. N. Ananthasubramanian

Founding Partner

FCS: 4206

COP No.: 1774

ICSI UDIN: F004206H000425715

21st May, 2026 | Thane



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,
Thane (W) – 400 601
T: +91 99878 91740
E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net
ICSI Unique Code: P1991MH040400

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

*[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para E of Securities and
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]*

1. Background

We have been appointed by **Life Insurance Corporation of India** ("the Corporation / LIC") to examine the compliance with the conditions of Corporate Governance by the Corporation, as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), as amended from time to time, for the financial year ended on 31st March 2026.

2. Management's Responsibility

The Compliance of conditions of Corporate Governance stipulated in the SEBI Listing Regulations is the responsibility of the management of the Corporation. The management shall devise adequate systems, internal controls and processes to monitor and ensure compliance of the same.

3. Our Responsibility

Our responsibility is limited to conducting an examination of the systems, internal controls and processes adopted by the Corporation and implementation thereof to monitor and ensure compliance with the conditions of Corporate Governance and report thereon.

4. Methodology

- 4.1. In order to conduct our examination, we were provided with the relevant documents and information including explanations, wherever required.
- 4.2. Our examination was conducted in a manner which provided us with a reasonable basis for evaluating the systems, internal controls and processes adopted by the Corporation to monitor and ensure compliance with the conditions of Corporate Governance and to certify thereon.

5. Opinion

Based on our examination as aforesaid, the information, explanations and representations provided by the management, we certify that, the Corporation has complied with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations, for the Financial Year ended **31st March 2026**, subject to the following:

*Ms Anjuly Chib Duggal ceased to be an Independent Director of the Corporation w.e.f. 28th January 2026 at the end of her tenure. SEBI has, on an application seeking exemption from the applicability of Regulation 17(1)(a) of the SEBI Listing Regulations with respect to appointment of Woman Independent Director made by the Corporation, granted exemption vide letter dated 13th February 2026 for a period of six months from 29th January, 2026 till 28th July, 2026.

6. Disclaimer

- 6.1. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.
- 6.2. This report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries

ICSI Unique Code: P1991MH040400

Peer Review Cert. No.: 5218/2023

Sd/-

S. N. Ananthasubramanian

Founding Partner

FCS: 4206

COP No.: 1774

ICSI UDIN: F004206H000426221

21st May, 2026 | Thane



S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

Company Secretaries

10/25-26, 2nd Floor, Brindaban,
Thane (W) – 400 601
T: +91 99878 91740
E: snaco@snaco.net IW: www.snaco.net
ICSI Unique Code: P1991MH040400

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To
The Members of
Life Insurance Corporation of India
Yogakshema, Jeevan Bima Marg,
Mumbai 400021

We have examined the following documents:

- i) Declaration of non-disqualification as required under the Life Insurance Corporation Act, 1956;
- ii) Disclosure of concern or interests as required the Life insurance Corporation Act, 1956 and Life Insurance Corporation Rules, 1956;

as submitted by the Directors of Life Insurance Corporation of India ('the Corporation'/ LIC) having its registered office at Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Mumbai 400021, to the Board of Directors of the Corporation ('the Board') for the Financial Year ended 31st March 2026 and Financial Year ending 31st March 2027 and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Corporation and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory / Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the applicable statutes.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Corporation. Our responsibility is to express an opinion based on our verification.

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever available), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Corporation, its officers and authorized representatives, we hereby certify that as at the Financial Year ended 31st March 2026 none of the Directors on the Board of the Corporation, as listed hereunder have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory or other authority.

Sl. No.	Name of Directors	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Dr. Ranjan Sharma	09573799	29/10/2021	-
2	Mr. Vinod Kumar Verma	09309031	29/10/2021	-
3	Mr. (Prof) Anil Kumar	09477565	20/01/2022	-
4	Ms. Anjuly Chib Duggal	05264033	29/01/2022	28/01/2026
5	Mr. Mahalingam G.	09660723	29/01/2022	-
6	Mr. Raj Kamal	07653591	29/01/2022	28/01/2026
7	Dr. V. S. Parthasarathy	00125299	29/01/2022	-
8	Mr. Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	05170323	29/01/2022	28/01/2026
9	Mr. Siddhartha Mohanty	08058830	02/02/2021	07/06/2025
10	Mr. Jagannath M.	10090437	13/03/2023	31/05/2025
11	Mr. Tablesh Pandey	10119561	01/04/2023	31/05/2025
12	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	03609968	28/06/2023	17/04/2025
13	Mr. Sat Pal Bhanoo	10482731	20/07/2023	31/12/2025
14	Mr. R. Doraiswamy	10358884	01/09/2023	-
15	Mr. Prashant Kumar Goyal	08652921	17/04/2025	03/12/2025
16	Mr. Dinesh Pant	11134993	01/06/2025	-
17	Mr. Ratnakar Patnaik	10283908	01/06/2025	
18	Mr. Ramakrishnan Chander	11331783	01/12/2025	
19	Ms. Shalini Pandit	07780142	03/12/2025	-

This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

This Certificate has been issued at the request of the Corporation to make disclosure in its Corporate Governance Report for the Financial Year ended 31st March, 2026.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.

Company Secretaries

ICSI Unique Code: P1991MH040400

Peer Review Cert. No.: 5218/2023

Sd/-

S. N. Ananthasubramanian

Founding Partner

FCS: 4206

COP No.: 1774

ICSI UDIN: F004206H000426078

21st May, 2026 | Thane

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



Environmental, Social and Governance (ESG) Overview

As an organization, LIC recognizes that strong ESG practices are key to long-term value, financial strength and stakeholder trust. As a leading insurer and institutional investor, we support sustainable and inclusive growth. Our ESG approach continues to evolve in line with regulations and global best practices.



ESG Governance Framework



We follow a structured ESG framework guided by IRDAI and SEBI regulations, including BRSR requirements.



ESG oversight is integrated into senior management and Board decisions, making sustainability part of strategy, risk management and capital allocation.



Our approach aligns with global frameworks like the UN SDGs, UN PRI and UN PSI, helping us improve continuously and integrate ESG into all decision-making.



Social Responsibility:

Our social focus is built on inclusion, fairness and community well-being. We ensure accessibility for divyang employees and customers through ramps and inclusive facilities. Through our 'plant a life' initiative we have planted 11,47,574 saplings across India during the FY 25-26.

Customers:

We provide accessible services through digital tools like My LIC App and provide online grievance management systems for quick resolution through tools like ICMS, Bima Bharosa, CPGRAM etc.

Agents:

We provide paperless onboarding and digital marketing through tools like the 'LIC ANANDA' app. Agents are also provided with a welfare scheme LIC Abhikarta Suraksha Yojana which provides a free cover of 2 lakh INR on unfortunate death of the agent.

LIC Bima Sakhi (Mahila Career Agent Scheme) encourages women empowerment. This program is specifically designed to transform homemakers and young women into professional financial consultants.



Environmental Stewardship

We aim to achieve Net Zero and Water Neutral operations by 2050. Our environmental efforts support a low-carbon and resource-efficient future.

Key initiatives include:

- ✓ ESG Framework to manage environmental, social and governance issues approved by the Board on 5th Feb 2026.
- ✓ Climate Risk Management Framework to address climate risks in underwriting, investments and operations approved by the Board on 5th Feb 2026.
- ✓ Reducing emissions through energy efficient lighting, upgraded HVAC systems and renewable energy adoption.
- ✓ Promoting paperless operations through e-policies and digital onboarding and projects like DIVE & HRMS.
- ✓ Promoting green infrastructure, including rooftop solar panels and green buildings.
- ✓ Strengthening water management through conservation, rainwater harvesting, recycling and responsible waste disposal.

We track progress through regular monitoring, audits and improvements.

Employees:

One among many initiatives is "LIC Gyanpeeth", a Learning Management System with the aim to facilitate self-learning and self-skilling among our employees promoting a safe and inclusive work environment.



Vendors and Partners:

We follow responsible procurement, focusing on ethics, compliance, health and safety, and ESG-based vendor evaluation.

Governance and Ethical Conduct:

Strong governance ensures transparency and accountability. We maintain robust internal controls, audits and compliance systems.

Our focus areas include:

- Strengthening compliance and enterprise risk management
- Ensuring data protection and cyber security
- Integrating ESG and climate risks into risk management
- Promoting responsible investments
- Regularly updating ESG policies and disclosures

Monitoring, Measurement and Reporting

We monitor ESG performance through internal committees and Board oversight. Reporting follows SEBI BRSR, IRDAI guidelines and global frameworks. We are improving data quality and transparency, with independent assurance to strengthen stakeholder confidence.

Way Forward

We at LIC are adopting a phased approach for ESG, which enables our corporation to progressively embed sustainability into its core insurance, investment and risk management functions. By integrating ESG considerations into strategy, operations and governance, LIC seeks to enhance long-term financial stability, manage emerging risks and respond effectively to opportunities arising from the transition to a sustainable economy and continue to contribute to the nation's development.



Community Development Activities undertaken during FY 2025-26 through LIC Golden Jubilee Foundation



Educational Support: Awarded 10,660 new scholarships, nearly three times the number granted in the previous year.



Empowering Youth through Education: Enabled meritorious students from economically weaker sections to pursue higher education through sustained financial assistance.



Strengthening Healthcare Infrastructure: Supported hospitals and medical institutions through the provision of advanced medical equipment, ambulance, treatment.



Enhanced Geographic Reach: Extended support to beneficiaries across multiple States and Union Territories, strengthening the Foundation's national footprint.



Focus on Inclusive Development: Continued interventions in education, healthcare, skill development, and community welfare, benefiting underprivileged and marginalized communities.



Sustainable Social Impact: Reinforced the Foundation's commitment to creating long-term, sustainable improvements in the quality of life of underserved communities.

The Foundation continues to foster education, healthcare, women empowerment, and community well-being, contributing towards the vision of holistic and equitable development in some of the nation's most underserved regions.



Business Responsibility and Sustainability Report

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES:

I. Details of the listed entity:

1. Corporate Identity Number(CIN) of the Listed Entity

- Not Applicable
- IRDAI Registration Number – 512

2. Name of the Listed Entity

- Life Insurance Corporation of India (Constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

3. Year of incorporation

- 1956

4. Registered office address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

5. Corporate address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021.

6. E-mail

- ed_rns@licindia.com

7. Telephone

- 022-22022615

8. Website

- www.licindia.in

9. Financial year for which reporting is being done

- Financial Year 2025-26

10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed

- NSE (National Stock Exchange of India Limited) and BSE Limited.

11. Paid-up Capital:

- ₹ 6,324.99 crore divided into 632,49,97,701 Equity Shares of ₹ 10 each.

12. Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report-

- Ms Rosaline Kurien/ 022-22022615 / ed_rns@licindia.com

13. Reporting boundary – Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).

- The disclosures under this report are made on a standalone basis, unless otherwise specified.

14. Name of Assurance Provider

- M/s Rama K Gupta & Co., Chartered Accountants

15. Type of assurance obtained:

- Assurance for Business Responsibility and Sustainability Report. The report issued by assurance provider is annexed as Annexure I of this report.

II. Products/services

16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

Sr. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Insurance Services including Pension and Health	Life Insurance	100%

17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

Sr. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Life Insurance	65110	100%

III. Operations:

18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	5,004	5,004
International	NA	121*	121

* Total no. of Offices (International):

Sr. No.	Unit	Corporate	Branch Office
1	LIC Fiji		1
2	LIC Mauritius		1
3	LIC UK*		1
4	Life Insurance Corporation (International) BSC (c)#	1	4
5	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	1	76
6	Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.	1	23
7	Life Insurance Corporation of Bangladesh Ltd.	1	9
8	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.*	1	0
9	IFSC Insurance Office, GIFT City, Gandhinagar		1
		5	116
Total :		121	

#LIC (International) BSC (c), Bahrain company operates in GCC (Gulf Cooperation Council) countries of Bahrain, Kuwait* and UAE (Dubai & Abu Dhabi)

*closed to New Business

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Locations	Number
National (Number of States/UT)	36 (28 states and 8 UTs in India)
International (Number of Countries)	10

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Nil

c. A brief on types of customers

Life Insurance is the primary business of the Corporation. We cater to a wide variety of customers across different segments. Based on various factors like demographics, need, financial goals, etc., the customers can be broadly categorized into the following groups:

- a. Individuals with regular income: They look for life cover, tax benefits, savings, etc. They prefer endowment, money back and term plans
- b. Self-employed business owners: They are interested in wealth creation with risk cover, seeking flexible premium options with a preference for ULIPs and pension plans.
- c. Minors, students and young professionals: They are mostly covered by term or simple endowment plans and look for low premium.
- d. Senior citizens: They look towards pension plans and seek guaranteed income and long term security.
- e. Group customers: They include corporate clients, Government organisations, Associations, NGOs, etc. The types of schemes sought cover group term life, gratuity, superannuation, leave encashment, etc.
- f. NRI Customers: They take life insurance for family security in India, prefer long term savings or term plans and see us as a secure and trusted brand.
- g. Rural and social sector customers: We have focussed products under government mandates like PMJJBY, etc., wherein affordable insurance is given for low income groups and tailored policies for farmers, labourers, etc.
- h. High net worth individuals: They are a distinct group and seek investment oriented plans like ULIPs, wealth plans or pension schemes with large coverage.

IV. Employees**20. Details as at the end of Financial Year 2025-26:****a. Employees and workers (including differently-abled):**

Employees					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (D)	84565	64161	75.87	20404	24.13
Other Than Permanent (E)	13	12	92.31	1	7.69
Total Employees (D+E)	84578	64173	75.87	20405	24.13
Workers					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (F)	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation				
Other Than Permanent (G)					
Total Employees (F+G)					

b. Differently-abled Employees and workers:

S. Particulars No.		Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES						
1.	Permanent (D)	888	723	81.42	165	18.58
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	Total differently abled employees (D + E)	888	723	81.42	165	18.58
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	Permanent (F)	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation				
5.	Other than permanent (G)					
6.	Total differently abled workers (F + G)					

21. Participation/ Inclusion/ Representation of women

	Total (A)	Number and percentage of Females	
		Number (B)	%(B/A)
Board of Directors	10	1	10.00%
Key Management Personnel / Key Management Persons (KMP)*	10	0	0

*KMPs includes 4 whole time directors

22. Turnover rate for permanent employees and workers: (Disclose trends for past 3 years)

Turnover rate for permanent employees for the past 3 years									
	FY 2025-26			FY 2024-25			FY 2023-24		
	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL
Permanent Employees	8.36	7.23	8.09	8.60	7.14	8.25	6.80	5.67	6.54

Note:

- There is no class of Employees termed as ‘workers’ in the Corporation.
- The turnover rates include Superannuation numbers, as well.

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies

23. (a) Names of Holding / Subsidiary / Associate Companies

Sr. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies Column ‘A’	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
International				
1	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Limited	Subsidiary	100%	No
2	LIC (International) BSC (c), Bahrain	Subsidiary	99.66%	No
3	Life Insurance Corporation (Nepal) Limited	Subsidiary	55%	No
4	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited	Subsidiary	97.22%	No

Sr. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies Column 'A'	Indicate whether Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
5	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Limited	Subsidiary	83.33%	No
National				
1	LIC Pension Fund Limited	Subsidiary	100	No
2	LIC Cards Services Limited	Subsidiary	100	No
3	IDBI Bank Limited	Associate	49.24	No
4	LIC Mutual Fund Trustee Private Limited	Associate	49.00	No
5	LIC Housing Finance Limited	Associate	45.24	No
6	LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Associate	49.87	No
7	IDBI Trusteeship Services Limited	Associate	29.84	No
8	LIC HFL Asset Management Company Limited	Associate	5.38	No

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)

- No. CSR is not applicable as per section 135 of Companies Act, 2013.

Life Insurance Corporation of India was established by the Life Insurance Corporation Act, 1956 ('LIC Act 1956'), enacted by Parliament to nationalize the life insurance industry in India. As such, LIC is not a company governed by the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013. The Corporation is outside the purview of CSR activities mandated under the Indian Companies Act, 2013 even after the recent amendments to the LIC Act, 1956.

However, guided by its enduring commitment to social responsibility and nation-building, LIC established the LIC Golden Jubilee Foundation in the year 2006 during its Golden Jubilee year. The Foundation is registered as a Charitable Trust under the Bombay Public Trust Act, 1950, and has been voluntarily carrying out meaningful community development initiatives across the country.

The Foundation is dedicated to the objectives of relief of poverty and distress, advancement of education, medical relief and promotion of projects of general public utility. Through its people-centric approach, it extends support to disadvantaged, marginalized, and underprivileged sections of society and strives to create meaningful and sustainable change.

The initiatives undertaken by the Foundation span a wide spectrum of social welfare activities, including scholarships for deserving students, healthcare and medical support, rural education program, vocational and skill development initiatives and infrastructure support in the fields of education and health. Through these sustained efforts, the LIC Golden Jubilee Foundation continues to uphold LIC's legacy of compassion, service, and commitment towards inclusive growth and social empowerment.

The financial year 2025-26 has been a truly remarkable year for the Foundation, marked by several landmark achievements and meaningful social initiatives with major focus on education and healthcare. Through dedicated efforts and unwavering commitment, the Foundation has expanded its reach and positively impacted numerous lives across the country. Our initiatives in education, healthcare, skill development and community welfare have created sustainable change and strengthened our mission of inclusive growth. The

highest number of projects were sanctioned in this year – a total of **119 projects worth ₹ 77.74 Crores**. Health related projects received the highest ever allocation for ₹ 62.20 Crores. The number of new scholarships has **tripled to 10660**. These Scholarships are given to meritorious students from underprivileged families, enabling them to pursue their dreams with confidence and dignity. 2025-2026 saw the highest disbursement towards scholarships.

Since inception, the Foundation has sanctioned **1045 projects for ₹ 303 Crores as on 31.03.2026**. Of this, **417 projects pertain to educational areas, 437 to health care and 191 projects** pertain to advancement **towards General Public Utility**. The Foundation's journey stands as a shining example of how purposeful action can transform communities and build a brighter future for all.

(ii) **Turnover (in ₹)** - 5,36,748.56 crores

(iii) **Net Worth (in ₹)** - 1,75,356.38 crores

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/ Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stake-holder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redressal policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Investors (other than share-holders)	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Share-holders	Yes, KFin technologies Ltd. is the Registrar and Share transfer Agent (RTA) of the Corporation to aid in resolution of the grievances and queries pertaining to shareholder Services. The Corporation has a designated e-mail address (investors@licindia.com) and portal for shareholders to enable them to raise the grievances. Link for investor support: https://licindia.in/investors-support	922	3	Three (3) queries were pending as on 31.3.2026 and satisfactorily resolved on 01.04.2026	1671	1	The lone query pending as on 31.3.2025 was resolved on 01.04.2025
Employees	Yes, the Corporation has developed an internal mechanism system for redressal of grievances. For this purpose a portal available on the intranet called e-Samadhan where grievances can be registered by any employee which is forwarded to the Staff Grievance Officer.	351	11	NIL	369	12	All 12 complaints were resolved in FY 2025-26.
Customers	https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders	66,424	0		74,290	NIL	
Communities	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	

Stake-holder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redressal policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Value Chain Partners	Yes. Value chain partners can report their grievances, if any, to the nearest office and through other digital modes.	NIL	NIL		NIL	NIL	
Others-Ministry	Compliance to Ministry through Emails	141	1	Follow up in process	168	1	The lone complaint was resolved in FY 2025-26.

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues:

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format:

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Regulatory and Compliance environment	Risk and Opportunity	Regulatory compliance is an integral part of LIC's work ethics. Failure to adhere to any applicable laws in a timely manner can lead to potential legal action, reputational damage or even financial losses. LIC, being a listed company strives to be compliant to all the applicable laws and regulations. By adopting to standards as laid down we believe that we will be able to protect the interest of all our stakeholders. We ensure that all our rules and regulations affecting all our stakeholders are within the legal and regulatory frameworks. As a public sector institution, we are also bound by RTI guidelines which act as an additional layer of scrutiny.	LIC has a well-established system to ensure regulatory compliance which ensures adherence to various regulatory requirements.	Financial implications of not addressing the risks identified can include penalties arising from regulators or other legal forums while addressing customer grievances. Losses can also arise from New Business front due to negative customer sentiments. Adherence to regulatory guidelines can enhance customer satisfaction there by increasing our customer loyalty which in turn can increase our persistency and inflow of new customers.

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
2	Human Capital Development	Risk and Opportunity	Opportunity: As a key player in a knowledge industry, our human capital is a major source of strength and competitive advantage. Continuous up-skilling will enable us to strengthen our leadership position and combat all challenges facing the industry in a better way. Risk: In the current competitive scenario and rapidly changing marketing conditions, it is a challenge to retain young talent.	LIC is a mammoth Trans National organization with approximately eighty five thousand employees. On account of the size and geographical spread as well as keeping with the personnel policies there is continuous vertical and lateral movement in the organisation. All these factors necessitate that there has to be a continuous process of skill development and upscaling the knowledge base within the organization. The pandemic situation necessitated and propelled the organization to move towards self-learning through digital mode. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on intranet/internet. The current focus has been to make communication and collaboration easily available as part of the new work experience. Further, with the aim of self-learning/ self-skilling, a Learning Management System, 'LIC Gyanpeeth' was introduced for the employees.	High employee turnover may lead to decrease in productivity, increase in hiring cost, particularly arising from recruitments at Senior Levels and low employee morale in general.
3	ESG and Climate Risk Management	Risk	There is an increased awareness in Society for protection of environment. Stringent Regulations are emerging to ensure protection of environment. If we do not meet aspirations of the Society or fail to comply with relevant regulations, it may result into reputational loss and may also attract stringent penalty.	To promote sustainable business practices, responsible management, and transparency, we have a Board approved ESG framework and Climate Risk Management framework within the organization. Various ESG related risks and Climate Risks have been identified and have been integrated with the Risk Management Framework. These risks are being assessed periodically by all the offices of the Corporation. There is an emerging Risk Module available for Risk Owners to identify new ESG and Climate Risks so as to include them in the Risk Management framework.	Negative

Sr. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
4	Privacy and Data Security	Risk	Sustaining Customer trust requires robust Data Privacy and Cyber Security. As we undergo digital transformation, protecting customer data is critical to our being customer-centric and compliant to Data Protection laws. Cyber Security related incidents can impact our reputation, customers, and our business. It becomes essential therefore to continuously evaluate, mitigate and implement Cyber Security and Privacy related measures to protect customer data.	LIC accords Cyber Security and Data Privacy the highest importance and on an on-going basis is investing in newer and robust technologies and complying with the industry best cyber security policies, processes and regulations. The IT Strategy Committee of the Board and Executive level Committees ensures oversight over cyber security and data privacy matters. LIC undertakes audit, security assessments and validation of controls against cyber threats and its remediation. We are ISO 27001 certified and are under the process of implementation of DPDP Act.	Financial and reputational loss can be damaging.
5	Business Continuity	Risk	A systematically designed Risk Management framework and Business Continuity Plan is essential to ensure long term sustainability, improved market valuation and brand image' also strengthen stakeholder's trust. It supports better financial and operational performance and business resilience.	Corporation has a Board-approved Business Continuity Management (BCM) Plan designed to ensure continuity of critical operations in the event of disruptions such as system failures, natural disasters, or cyber incidents. The plan aims to minimize downtime, safeguard critical functions, reduce financial losses and enable swift recovery. The BCM Plan provides detailed procedures for the continuity or rapid restoration of critical business functions and the Corporation is certified under ISO 22301 for its Business Continuity Management System, reflecting its strong commitment to operational preparedness.	Negative

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct . Some of the policies of the Corporation are offered to employees only and are available on the intranet site of the Corporation.								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes /No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Our value chain partners are contractually obliged to comply with requirements pertaining to safety and healthy environment, prohibition of child labor and forced labor, non-discrimination, employment condition, provision of wages and working hours.								
4. Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	Under Principle 4 , LIC has obtained: ISO 31000 for ERM ISO 22301 for BCP								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any	a. We are committed to incorporating ESG principles in our business activities b. We are committed to conserving water, reducing energy use and reduce our carbon footprint as well as GHG emissions. c. We are an equal opportunity employer ensuring no discrimination on any grounds whatsoever. d. Spread life insurance widely and in particular to the rural areas and to the socially and economically backward classes with a view to reaching all insurable persons in the country and providing them adequate financial cover against death at a reasonable cost. e. Maximize mobilization of savings by making insurance linked savings adequately attractive. f. In investment of funds, the primary obligation to its policyholders, whose money it holds in trust, without losing sight of the interest of the community as a whole; funds to be deployed to the best advantage of the investors as well as the community as a whole, keeping in view national priorities and obligations of attractive return.								

	g. Conduct business with utmost economy and with the full realization that the money belongs to the policyholders. h. Act as trustees of the insured public in their individual and collective capacities. i. Meet the various life insurance needs of the community that would arise in the changing social and economic environment. j. Involve all people working in the Corporation to the best of their capability in furthering the interests of the insured public by providing efficient service with courtesy. k. Promote amongst all agents and employees of the Corporation a sense of participation, pride and job satisfaction through discharge of their duties with dedication towards achievement of Corporate Objective.
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	a. In 2025-2026 alone, we have settled 8,30,399 individual death claims and 2,41,25,943 individual maturity claims with an outgo of 19,019.79 crores INR and 2,37,353.14 crores INR respectively thus providing financial security to dependent families, creditors, partners and key men in case of business insurance, etc. b. We cover 3,70,40,056 lives under the PMJJBY as on 31.03.2026. We have designed other micro insurance products to cater to weaker segments of society. c. Hereditary commission is paid to dependents of over 60297 agents who have expired and were eligible for renewal commission. d. 59% of village panchayats have been covered with at least one Bima Sakhi thereby providing training and employment of lady insurance agents as well as reaching out to the nooks and corners of the country to spread life insurance. e. To provide an impetus to insurance cover in the rural areas we have provided employment opportunities and 2,83,249 Bima Sakhis were in force as on 31.03.2026.
Governance, leadership and oversight	
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)	The Board has overall responsibility regarding business responsibility report and to identify and manage ESG issues of the Corporation.
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy(ies)	Shri R Doraiswamy, CEO & MD; DIN: 10358884

9.	Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes, Board of Directors ("Board") has overall responsibility of Corporation's Governance and Sustainability practices. Board has constituted an Environment, Social & Governance (ESG) Committee. The Committee approves and ratifies the ESG goals, targets, strategy and monitors performance thereof including the ESG initiatives to ensure long-term value creation for the stakeholders and periodically reviews the ESG activities of the Corporation. The Board approved the ESG Framework & Climate Risk Management Framework on the recommendation of the ESG Committee.
10. Details of Review of NGRBCs by the Company		
	Performance against above policies and follow up action	The Board/ Committee of Board/ Senior Management of the Corporation have approved the policies that have been stated above as required by extant regulations.
	Indicate whether review was undertaken by Director/ Committee of the Board/ Any other Committee	Review done inter-departmentally.
	Frequency (Annually/ Half-yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)	Half Yearly
	Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and rectification of any non-compliances	The Corporation complies with all applicable regulations.
11.	Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	All policies of the Corporation are evaluated internally.

12. If answer to question (1) above is 'No' i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	No	-	-
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	NA	-	-
Any other reason (please specify)	-	-	-	-	-	-	**	-	-

**As a listed entity, LIC operates in a highly regulated environment. Further, the Corporation upholds the highest standards of responsible business conduct as prescribed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Corporation also regularly participates in various forums and committees constituted by said regulatory authorities. While there is no specific policy outlined for this principle, the Staff Regulations, 1960, governs all employees and officers who are required to act in accordance with high professional and ethical standards. The Corporation, through trade-bodies and associations, puts forth a number of suggestions with respect to the economy and the insurance sector in particular.

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE:

PRINCIPLE 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators**1. Percentage coverage by training and awareness programs on any of the Principles during the financial year:**

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training and its Impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	4	1) Strategy Meet - Session on Business Strategy, Shareholder Value, Technology Transformation, Risk Management, HR Strategy, Financial Asset 2) Session on Artificial Intelligence and Machine Learning 3) Strategy Meet - Session on Business Strategy, Technology Transformation-IT, Actuarial Presentation, HR Strategy, Real Estate Management. 4) Directors' Development Program - III	96.43% 100% 100% 30 % (3 BoDs out of 10 attended)
Key Managerial Personnel	9	1) 44 th India Fellowship Seminar, Mumbai 2) Munich Re Global Life Insurance Seminar at Germany 3) ESG Leadership Development Program at MDC 4) 20 th Current Issues Seminar in Life Assurance (20 th CILA) 5) 45 th India Fellowship Seminar (IFS) 6) 25 th Global Conference of Actuaries (GCA) 7) National convention of company secretaries 8) Training Program for Investment Dept Officials 9) Retirement Training and ESG Leadership Development Program	50 % (5 KMPs out of 10 attended)
Employees other than BoD and KMPs	5,713	LIC Act, 1956 National Convention of ICSI Session on Capturing the movement of UPSI in SDD Orientation session for Nodal officers nominated for compliances	

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/Principles covered under the training and its Impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
		IT & Cyber Security, Digital Transformation & Changing Landscape, IT Initiatives, Social Media, Business Etiquettes, Increase in persistency, focussing on augmenting premium receivables, BCP, ERM, KYC /AML/CFT sessions, IT/ Mobile Apps, MS Office, IRDAI Regulations / Regulatory Sensitisation, New Products / Product based Programs, Customer Service Sensitization / Complaint Resolution, Agents for Career Growth, Telephone & Email Etiquettes / Letter writing / Email Policy, Training for Retiring Officials, PLLI, Multifunctional Training, Health& Safety / Wellness / PoSH, Hassle free KYC for PWD, Compliance Certification Process, Induction training programmes for various cadres, Train the Trainers, RTI Act, Financial Awareness, Fundamentals of Financial Modelling and Forecasting, Investment Orientation, Corporate Governance and Regulatory Compliances, Fixed Income Derivatives, GST Invoice Management System, BRSR, Preventive Forensics, Bond mathematics & Introduction to Indian Treasury Market, Mastering Related Party Transactions & Key Regulations, Insolvency and Bankruptcy Code, Secure Coding Principle, Public Procurement, Leadership Development Program, Integrating Ethics, POSH, Human Rights and ESG, Digital Fraud Awareness, Training Session on Reservation Matters, Strengthening Grievance Redressal(GR), Sensitisation Program- Person with Disability PwD, Effective Procurement, Contracts Administration & Management.	81.53% [68946 employees trained]

Training Activities are carried out through In-House Training Centres and External Training Institutes.

In-house Training:

LIC has an extensive setup of well-equipped In-House Training Centres that cater to the training needs of its workforce, including field personnel, administrative staff and officers at various managerial levels. These centres feature modern infrastructure such as hostel facilities, classrooms, auditoriums, computer labs, LCD facilities, recreational and sports amenities. LIC's In-House Training Centres includes:

- Management Development Centre (MDC): The apex Training Institute of the Corporation.
- Zonal Training Centres (ZTCs): One located in each of LIC's eight Zones.
- Employee Training Centres (ETCs)/ Computer Training Centres (CTCs): One in each of the 113 Divisional Offices.
- Divisional Training Centres (DTCs): One in each of the 113 Divisional Offices for Agents.

External Training:

To introduce fresh perspectives, gain specialized industry expertise and stay aligned with global HR practices, LIC also nominates officials to participate in a variety of External Training Programs offered by renowned Institutions such as National Insurance Academy - NIA (Pune), Indian Institutes of Management – IIMs, Indian School of Business – ISB (Hyderabad), Institute of Directors – IOD (Mumbai), National Institute of Securities Markets – NISM (Mumbai), All India Management Association – AIMA (Delhi), Department of Financial Services – DFS (Delhi), Institute of Actuaries of India - IAI (Mumbai), National Forensic Sciences University – NFSU (Gandhinagar), Steel Authority of India Ltd – SAIL (Ranchi), Arun Jaitley National Institute of Financial Management – AJNIFM (Faridabad), Delhi Metro Rail Academy – DMRA (Delhi), The Institute of Company Secretaries of India – ICSI (Delhi), Administrative Staff College of India – ASCI (Hyderabad), College of Insurance – COI (Mumbai), Bombay Chamber of Commerce and Industry – BCCI (Mumbai), FIMMDA (Mumbai), Bloomasia Incorporated (Mumbai), Princeton Academy (Mumbai), Times Internet (Mumbai), ICICI Bank Ltd, Knolskape Solutions Pvt. Ltd (Bengaluru), NAHRD (Delhi) and Institute of Insurance and Risk Management – IIRM (Hyderabad), Space Education & Training Academy Nagpur IISWBM – Kolkata, Management Development Institute (MDI) Gurugram, BML MUNJAL, Delhi, etc.

The number of participants trained in various sessions conducted in-house by MDC and other training institutions number 1,51,176. The participants trained in external training institutes including NIA numbered 6,935. Thus 1,58,111 participants were trained with some having attended multiple training sessions on different subjects and also on change of roles during the same period.

Short duration Webinars:

To reach a wider segment of employees and the field force, a series of short-duration webinars were conducted, in collaboration with External Training Institutes as well as at our In-House Training Centers. These webinars cover a broad spectrum of topics such as:

- New digital initiatives, Cyber security and prevention of Cyber fraud
- New Business parameters and performance indicators
- Marketing development programs covering intermediaries, products and sales techniques.
- Underwriting rules including Key-Man Insurance, Employer-Employee Schemes, MWP Act, female life, minor life and non-medical
- Policy servicing, Revival, Persistency and Claim Settlement including Re-investment
- Preventive Vigilance.

LIC Gyanpeeth – Self Learning Management System Module:

- LIC Gyanpeeth is a digital self-learning and self-skilling platform introduced in 2020. It offers standardized training content without the need for physical infrastructure or facilitators, enabling employees to access learning materials anytime and from anywhere 24/7 through intranet or internet browsers.
- The self-learning portal is specifically designed to ensure uninterrupted training across various functional domains. Continuous enhancements and updates are being made to improve its effectiveness. As of 31st March, 2026, LIC Gyanpeeth contains 19 main modules, 166 sub-modules and 8,180 MCQs.
- 'LIC Gyanpeeth' has received an overwhelming response from employees, with approximately 75,057 (89.69%) employees earning a total of 24,29,843 LIC Gyanpeeth Certificates.
- Number of main module certificates issued under Gyanpeeth module was 2,91,712 and the number of sub modules for which certificates were issued numbered 21,38,131, together totaling 24,29,843 certificates being thus issued.

2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: The entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In ₹)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	NIL	Revenue Authorities like Income Tax Authority, GST Authorities, etc.	0.02 crore	Wrong Utilization of ITC, Non Issuance of e-Way Bill, Late Filing of TDS Return, Penalty on Service tax on expenses reimbursement to agent	No
Settlement	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Compounding fee	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)	
Imprisonment	NIL	NIL	NIL	NIL	
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal /Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.-

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
NIL	NIL

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

The Corporation maintains an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy. The Corporation also has a Whistle-blower policy. Additionally, as per the provisions of Rule 32 of LIC of India (Staff) Rules, 1960, no employee or any member of the family of the employee is allowed to accept the gifts of more than the trifling value. The link for anti-bribery and anti-corruption policy is as under:

(<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->)

5. Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	2	1

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2025-26		FY 2024-25	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	NA	Nil	NA
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	NA	Nil	NA

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines /penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest

Proceedings are underway in the 2 cases registered against employees.

8. Days of accounts payable: ((Accounts payable*365)/ Cost of goods / services procured):

	FY - 2025-2026	FY - 2024-2025
Number of days of accounts payable	23.53	12.12

9. Openness of business:

Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:

Some parameters are not applicable for Insurance/ service sector, and hence information is provided to the extent applicable. However, during the FY 2024-25 due to misinterpretation, it was provided.

Parameter	Metrics	FY 2025-2026	FY 2024-2025
Concentration of Purchases**	a. Purchases from brokers as % of total purchases	NA	16.64% secondary market trading
	b. Number of brokers where purchases are made from	NA	142
	c. Purchases from top 10 brokers as % of total purchases from brokers	NA	9.87%
Concentration of Sales**	a. Sales to brokers as % of total sales	NA	12.96% secondary market trading
	b. Number of brokers through whom sales are made	NA	142
	c. Sales to top 10 brokers as % of Total sales to brokers	NA	9.54%

Parameter	Metrics	FY 2025-2026	FY 2024-2025
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases)	2.15%	1.54%
	b. Sales (Sales to related parties/ Total Sales)	2.66%	1.89%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	NA	NA
	d. Investments (Investments in related parties/ Total Investments made)	NA	NA

** Concentration of Purchases and Sales is Not Applicable as it pertains to Goods and not Services. Therefore not provided this year.

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programme
3971 Sessions	Product Training, Comparison of Product, Skill development, study of Financial Markets.	20.72%
30 Sessions	Yoga, Cleanliness, Save Green, Swachhata Related Topics, Vigilance Awareness, New Plans, Fire Drill, Use of Hindi in Office Work.	48.64%

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/ No) If yes, provide details of the same.

➤ Yes, Processes are in place.

Disclosure of interest as well as declaration on Directors' independence is being regularly obtained from Directors and submitted to the Board. Directors recuse themselves from participating in discussion or decisions on agenda Item(s) where they are deemed interested and when such matters are considered during meetings to avoid any conflict of interest. Further, Board of Directors on an annual basis provides an affirmation that they have complied with the code of conduct for Directors and Senior Management Personnel.

PRINCIPLE 2: Business should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.

R&D mainly focuses on product development, monitoring, modifying, closing as well as introducing newer versions with emphasis on its environmental and social impact too. Customer experience and satisfaction continue to be the bedrock on which initiatives in this aspect are worked out including diminishing the usage of paper across the Board.

Capital expenditure is incurred on replacing old energy inefficient appliances like ACs, light bulbs, lifts, etc with modern energy efficient equipment, Installation of solar equipment for leveraging renewable energy, Rain water harvesting to boost water conservation, etc. Its impact is felt in increased energy efficiency, harnessing recyclable resource like sunlight and conservation of water.

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**b. If yes, what percentage of inputs was sourced sustainably?**

(a) Yes. As a part of the Insurance industry, our operations primarily revolve around digital solutions. While our procedures do not directly mirror those of traditional manufacturing, we try to follow guidelines and practices that promote ethical and sustainable sourcing of technology-related inputs. Given the nature of our operations, traditional measures of sustainable sourcing and identifying percentage are not directly applicable. However, we actively participate in broader organisational initiatives to enhance and improve sustainability. Although, there is no specific procedure in place for sustainable sourcing, we follow the procurement policy of the Corporation which complies with guidelines of CVC thus promoting transparency, improving competition and ensuring equity among participants, encouraging 'Make in India'. Moreover, all the procurement is made in e-mode inviting tenders through online channel only eliminating the requirement of physical documents and effort for delivery of such documents.

(b) Not Applicable

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste

As the Corporation is in the Business of Insurance, there is limited scope for using recycled material. Insurance products per se, are intangible. However, our offices are encouraged to recycle e-waste. Servers, computers, cartridges, ribbons are the primary e-waste generated which is disposed through authorized vendors, who pick up the hardware e-waste from all locations after dismantling/degaussing. Re-cycling certificates are also obtained. For collection and disposal of e-waste and electrical waste, safe disposal collection boxes are kept at various offices. The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all the locations. A certificate is taken by the e-waste disposal vendor in the prescribed form.

We provide products and services which do not have material usage of plastics, electronics or any other hazardous and non-hazardous materials. Therefore, post consumption waste generation is not significant. As a part of IT in insurance sector, our primary concern is managing digital waste and not physical products since no physical product is generated. We focus on minimizing our environmental impact through responsible e-waste disposal; secure data handling and promoting paperless operations. We are committed to sustainable practices in our software development lifecycle.

89.08% of waste has been disposed through Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC). Food Waste and Garden Waste generated in Management Development Centre (MDC) campus is converted into compost and used in MDC garden to promote plants growth. Initiatives like implementation of paperless HRMS/ TE Modules has reduced generation of paper waste. Daily waste is handed over to Municipality.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes/No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Extended Producer Responsibility (EPR) in the traditional sense is not applicable to us, as our activities are not directly associated with the production of physical goods.

However, to ensure alignment with environmental sustainability, we collaborate with certified e-waste disposal partners to ensure that our electronic waste is managed in an environmentally friendly manner.

Leadership Indicators**1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

Being in the services industry, life cycle assessment as in general parlance is not applicable to life insurance contracts. However, from the angle of product development, periodic evaluation or valuation is a norm. Every plan introduced has certain projections made across various parameters like mortality, morbidity, interest rates, administrative costs, etc. During the course of time, whenever it is felt that the assumptions made therein and the actual results emanating from the field are having a variance beyond the ranges provided for in different scenarios, corrective action is initiated. It may take the form of

changes in the parameters governing the same at one end to withdrawal of the plan at the other and coming forth with a revised one, if required.

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.**

From the nature of the business as well as it being monitored on a regular basis, no significant social or environmental concerns or risks evolve from the same.

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Recycled or reused material is not applicable as life insurance being an intangible product does not partake in such processes. 89.08% of waste is disposed through MSTC.

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled and safely disposed:**

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

	FY 2025-26			2024-25		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
E-waste	NA	NA	54 MT	NA	NA	13.24 MT
Hazardous waste	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Other waste	NA	NA	NA	NA	NA	NA

5. **Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Being an intangible product, such a contingency does not arise.

PRINCIPLE 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. **Details of measures for the well-being of employees:**

Category	% employees covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	%(C/A)	Number (D)	%(D/A)	Number (E)	%(E/A)	Number (F)	%(F/A)
Permanent employees											
Male	64161	64161	100	64161	100			64161	100	NIL	NIL
Female	20404	20404	100	20404	100	20404	100			NIL	NIL
Total	84565	84565	100	84565	100	20404	100	64161	100	NIL	NIL
Other than Permanent Employees											
Male	12	2	16.66	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
Total	13	2	15.38	0	0	1	100	0	0	0	0

b. Details of measures for the well-being of workers:

Category	% workers covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	%(C/A)	Number (D)	%(D/A)	Number (E)	%(E/A)	Number (F)	%(F/A)
Permanent Workers											
Male	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation										
Female											
Total											
Other than Permanent Workers											
Male	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation										
Female											
Total											

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format –

	FY 2025-26*	FY 2024-25
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the Corporation	i. Group Personnel Accident Benefit – 0.00074% ii. Mediclaim – 0.05169% iii. High Cost Protracted Treatment – 0.000054% iv. Preventive Health Check-up– 0.0011%	i. Group Personnel Accident Benefit – 0.001934% ii. Mediclaim – 0.0931228% iii. High Cost Protracted Treatment – 0.000156% iv. Preventive Health Check-up – 0.002841%

These figures are exclusive of 18% GST

*The cost incurred on well-being measures as a percentage of total revenue of the Corporation for the FY 2024-25 was calculated on the basis of 'New Premium Income' whereas the percentage for the FY 2025-26 is calculated on the basis of total revenue of the Corporation, hence the variation in data for FY 2025-26 as compared to FY 2024-25.

2. Details of retirement benefits, for Current Financial Year and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF(*)/ Pension	65.74% (55640 out of 84565)	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund No.1 Rules and the same is managed by the Corporation.	100%- All eligible employees are covered	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund No.1 Rules and the same is managed by the Corporation.
NPS	34.26%		Yes	100%- All eligible employees are covered		Yes

Benefits	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
Gratuity	100% (84565)	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.	100%	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.
ESI	Not Applicable		Not Applicable	Not Applicable		Not Applicable
Others – please Specify(#)	100% (84565)		All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.	100%		All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Mediclaim Policy from New India Insurance.

(#)Employees / Officers retiring from the services of the Corporation are entitled to various post-retirement benefits which are inclusive of Encashment of Privilege leave, Group Insurance Scheme, Group Mediclaim Scheme, Accumulation of Group Savings Linked Insurance Scheme, Pension benefits who have opted for it.

(*)Employees who are appointed in the services of the Corporation on or after 01.04.2010 are governed by National Pension System and are not covered under LIC of India Provident Fund No. 1 Rules and vice-versa.

3. Accessibility of work places:

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. All offices of the Corporation have been advised to make provisions for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities in new and existing offices.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails, etc.) to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

Assistive Technology for Visually Handicapped employees: The screen reading software "ORCA" is made available on all the LINUX desktops in all offices of the Corporation. In order to facilitate effective use of the said software, provision is done to make available suitable audio devices / headphones.

In pursuance of the instructions from Ministry of Finance, the Corporation has appointed Chief Liaison Officers for Persons with Disabilities to look into the redressal of grievances of such employees.

806 branches made accessible for PwDs by constructing Ramps across all the Zones as per the RPwD Act. Lifts arrangement are also there in many of our offices. Those buildings which do not have the lift facility are being taken up for installation of the same. 117 toilets have been constructed for PwDs till date. Accessibility indicator is included in the ESG Framework which is approved by the Board. All our offices are being made accessible with the help of ramps.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes. The Corporation has adopted an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the rules framed thereunder and provide a framework which is committed towards the empowerment of persons with disabilities. The link for Equal Opportunity Policy is as under:

<https://licindia.in/web/guest/equal-opportunity-policy>

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent Employees		Permanent Worker	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	100%	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation	
Female	100%	100%		
Total	100%	100%		

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

Permanent Workers	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation
Other than permanent workers	There is no class of employees as "Workers" in the Corporation
Permanent Employees	Yes. Employee grievance redressal portal e-Samadhan is available on the intranet website of the Corporation. Complaints are forwarded on-line to Staff Grievance Officer. There is also a provision for appeal to next higher authority. Complaint resolution time frame is 90 days. There are also Internal Complaints Committees at Central Office, Zonal Offices, Divisional Offices handling grievances pertaining to Sexual Harassment according to the provisions mentioned in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
Other than Permanent Employees	Yes.

7. Membership of employees/workers in association(s)/Unions recognized by the listed entity:

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total employees / workers in respective category	No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union	% (B / A)	Total employees/ workers in respective category	No. of employees / workers in respective category, who are part of associations or Union	% (D/C)
	(A)	(B)	% (B / A)	(C)	(D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	84,565	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA	91,606	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA
- Male	64,161		NA	69,740		NA
- Female	20,404		NA	21,866		NA
Total Permanent Workers	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation					
- Male						
- Female						

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2025-26					FY 2024-25				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)		No. (E)	%(E/D)	No. (F)	%(F/D)
Employees										
Male	64,161	*	*	52,566	81.93%	69,740	**	**	46,081	66.07%
Female	20,404	*	*	16,324	80.00%	21,866	**	**	15,196	69.50%
Total	84,565	48,368	57%	68,890	81.46%	91,606	**	**	61,277	66.89%

* 'Yoga & Health' Session was incorporated in all our In-House Training Programmes. The 11th International Day of Yoga (IDY) was celebrated across India on 21st June 2025. A one-day Employee Engagement Program (EEP) was conducted by all 113 Divisional Offices. This program targeted 57% of our employees — from Record Clerks to Administrative Officers — across the country. A Session on 'Health & Wellness' was a part of the EEP Agenda, which covered 48,368 employees. The program focused on fostering a sense of belonging, promoting teamwork and strengthening the emotional and professional connection between employees and the organization.

** For FY 2024-25 the information was not included.

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Details of performance and career development reviews of employees						
Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total (A)	No.(B)	% (B/A)	Total (C)	No.(D)	% (D/C)
Employees						
Male	64,161	64,161	100	69,740	69,740	100
Female	20,404	20,404	100	21,866	21,866	100
Total	84,565	84,565	100	91,606	91,606	100

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No).
If yes, the coverage such system?

Yes. The Corporation has stringent guidelines to ensure the safety of employees and its property. This includes policy for fire safety, standard operating procedures for fire safety, which covers rules pertaining to fire-fighting equipment, fire drills, formation of fire safety committees in all our offices, periodical check on electric and fire safety parameters are conducted wherever required. Also, restrictive access to core Departments has been taken up. We have SOP's on security and fire safety measures with defined roles to be followed by each employee in case of any incidence. Drills are conducted regularly so that the employees respond swiftly and efficiently and have clear understanding of the procedures. Employees are covered under Group Insurance, Group term insurance and 24 Hours Group Personal Accident Policy. In addition to the above, the employees are covered under Group Mediclaim Scheme where employees and their families are covered for hospitalization, with an option to take additional cover for themselves and their families. Preventive Health check-up scheme and scheme of ex-gratia reimbursement of Medical Expenses in case of High cost treatment are also other benefits for the employees. Additionally, all employees are covered under mediclaim facility. Fire and safety Advisory (SOP) and Security manual are also in place.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Not applicable since we are a financial services entity.

- c. **Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)**

Not applicable

- d. **Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and health care services? (Y/N)**

Yes. All employees are covered under health insurance and accident policy. The Corporation has well-defined medical and healthcare policies. Group term insurance cover and Personal Accident insurance cover are applicable for all employees. Initiatives like health checkup, yoga, eye checkup, bone density, etc and talks by specialists to educate and enable healthier and happier lifestyle are held.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/Number	Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per 1 million-person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

Security Guards and Watchmen are appointed for the security of office premises and employees. Baggage scanners are installed at the entrances of various offices. CCTV cameras have been installed in offices in sensitive departments of the Corporation. Fire safety Committees are constituted in all the offices, training imparted on a regular basis and evacuation drills are conducted. Standard operating procedures for Fire Safety are laid down. Every employee of the Corporation gives their rating, in the Monthly Ambience Poll, where the ratings are based on various parameters of cleanliness in the offices. Model DO & Model BO competitions are floated to encourage cleanliness and record maintenance. Activities including regular pest control services, cleaning of office premises and surrounding areas, disposal of scrap, identification and proper use of vacant spaces, plantation of saplings, rain water harvesting, installation of ramps and railings for the differently abled, installation of solar panels, etc. are being done to ensure safe and hygienic work place. As on date most of our offices are using LED lighting.

We have sensitized all our employees about the prevalent policy against Sexual Harassment at the workplace as well as the mechanism and the process is being followed for the redressal of complaints related to Sexual Harassment at workplace.

The Office premises are kept clean. Pest Control Services, Fire Fighting Equipments, Emergency Exits, Floor Marshals in each floor, Fire Drills, Security Services are some of the additional measures taken to ensure a safe work place. Fire & Safety Advisory (SOP) and Security manual are in place.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Health & Safety	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	Inspection of all our offices is done by our inspection teams every year
Working Conditions	

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

To address safety related incidents, installation of baggage scanner machines and fire extinguishers and training by Security Officers is provided for security guards. Fire and Safety Advisory (SOP) and Security Manual are in place to address the issues related to safety related incidents.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N):-

(A) Employees: Yes. The Corporation extends benefits in the form of support to families in the event of an employee's death as under:

1. Group Insurance - 2004 if opted
2. Group Term Insurance which is paid to nominee / legal heirs. This is especially provided to protect the loss of commutation of pension, had the employee continued in the services of the Corporation till the date of his superannuation.
3. Risk and Savings Portion of Group Savings Linked Insurance
4. 24 hours Group Personal Accident cover in case death of the employee occurs due to accident.

Apart from this the following terminal dues are settled to the family of the deceased employee:

1. Gratuity is paid even if the employee had not completed five years of continuous service with the Corporation. In addition, gratuity is calculated as per LIC of India (Staff) Rules, 1960 and also as per Gratuity Act, 1972 and the higher is paid to the family members of the deceased employee.
2. Additional Gratuity is also paid if applicable.
3. Family Pension as applicable
4. Employees contribution towards Provident Fund
5. Corporation Contribution towards Provident Fund (for PF Optees)
6. Lump sum in lieu of PL Encashment.

An opportunity of employment is also extended to the spouse or age eligible child of the deceased employee on compassionate grounds, wherever applicable.

(B) Workers: There is no class of Employees termed as 'workers' in the Corporation.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Corporation ensures that taxes as applicable to the transactions within the remit of the Corporation are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is reviewed as part of the internal and statutory audit. The Corporation expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability. This is also part of Service Level agreement executed with Channel Partners.

GST is paid to Value Chain Partner/s and it is being ensured that the same has been remitted to GST Authorities. Statutory deductions are done from the Value Chain Partner's bill and the same has been deposited in the respective department.

Statutory registration certificates are verified at the time of onboarding. Clauses are included in the agreement requiring the vendors to comply with all applicable labour and tax laws. Provision for penalty, clauses included like withholding of payment and termination in case of non compliance, Periodic check are made for compliance. Copies of challan, returns, wage registers, PF/ESIC contribution proofs, tax filing including GST are obtained from vendors. Payments are released after receipt of statutory proof of statutory compliance documents. Invoices are reconciled with GST Portal data. Maintenance of proper records of all verification, correspondences for audit purposes is done.

3. **Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2025-2026	FY 2024-2025	FY 2025-2026	FY 2024-2025
Employees	NIL	NIL	NIL	NIL
Workers	NA	NA	NA	NA

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

4. **Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)**

Yes. Continuous learning opportunities are offered through both In-House Training Centres and External Training Institutes, enabling employees to develop their managerial, functional and behavioral skills throughout their careers within the Corporation. These platforms not only enhance existing competencies but also foster a culture of growth and development within the organization.

The Corporation has developed a self learning and skill enhancement intranet portal, “Gyanpeeth” which ensures uninterrupted training on various functional aspects and rules of the Corporation.

Special training programs are also conducted for employees approaching retirement to assist them in effectively managing their finances, health and overall well-being post-retirement.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and safety practices	Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government /other statutory agencies and are being ensured. Annual certification is also obtained from such value chain partners.
Working Conditions	It is ensured that workmen compensation policy is taken by the value chain partners. Also provision for safety helmet, Body Harness, Safety Shoes & other safety norms is ensured, where applicable. Maintaining site hygienic conditions by providing proper washroom, potable water, etc., is enabled.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

Not applicable

PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Life Insurance is the primary business of the Corporation. However financial planning solutions which are provided to individuals, provides the financial protection in case of exigencies like critical illnesses as well as Death. Along with the life cover, different insurance products cater to different needs of family and help individuals to secure family's financial future and achieve the long term financial goals.

Customers include individuals who are self-employed as well as salaried individuals and their dependents, key management persons, etc. Our life insurance products offers a protection to the family against untimely death of the bread winner, a protection cover for the loan taken in case of death, accident, critical illness, etc. It is also a tool for savings, investment and long term planning for child's education, marriage, untimely loss of key person in case of business organisations, etc.

Policyholders are one of our stakeholders and they are identified on the basis of their policy nos. They are contacted as and when required like premium/ loan/ loan interest payment/s due, SB/ Maturity/ Annuity payments falls due, etc. As we are dealing with claims, we identify the stakeholders whose policies are in paid up condition and maturing in next 6 months and stakeholders whose policies are in force and maturing in next 3 months. There are system generated outputs which the user department runs every month to send the intimation, reminders, etc to the concerned policy holders.

We also offer group insurance products to the organisations to cover the needs of managing gratuity, superannuation in addition to the life cover for their employees.

Based on the nature of our business of life insurance, our risks and opportunities revolve around Human Capital, responsible investing, Data Privacy & Security, access to Finance and Emerging Risks and Governance. Accordingly, our key stakeholders can be identified as Internal Stakeholders and External stakeholders. Internal stakeholders are our employees and agents whereas external stakeholders are those who contribute to our business directly or indirectly. Some of our key external stakeholders are: Investors and Shareholders, Customers (Policyholders), Government and Regulatory Bodies, Business Partners (CA/Broker/IMF/CSC) and Distribution Channels.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group:

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Others - Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Investor and Shareholders/ Members	No	As per need: Emails, Annual General Meeting, Quarterly Results, Filings at Stock Exchanges, Press Releases, Media Interactions, Interviews for Newspapers	Quarterly and half yearly Results and Annual General Meeting. Filings of Corporate Announcements with the Stock Exchanges.	Providing the update on the Corporation's strategy, Redressal of grievances through various regulatory Mechanisms.
Employees	No	Direct contact, e-mail, Employee website, SMS, calls, Notice Board, VC Meetings, Conference	Regularly	Information sharing, and addressing queries. Regular engagement on work progress in the department, review of marketing activities and to understand concern and solutions thereof

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Others - Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Customers	No	Intimation letters, SMS, MY LIC app, WhatsApp Message and Emails in case of SB and maturity cases. Advertisement for Outstanding Claims and Servicing matters. LIC website Our field force like agents and development officers followup with policyholders for submission of requirements at regular intervals	Frequent or as and when required	To acquire new customers and provide services to existing ones; To intimate them about claim due and requirements to be submitted to enable processing of claims, Our concern is non availability of latest address and mobile numbers. To inform on New Online Plans introduced, review of marketing activities and to understand concern and solutions thereof Information when the payments are due to the policyholders as well as due from the policyholders and updates regarding the services requested by them
Business Partners (CA/ Broker/ IMF/ CSC)	No	Email, SMS, meetings and through Website, calls	Frequent or as and when required	Service existing business and scope for further expansion
Government & Regulatory Bodies	No	Email, Personal Meetings, Calls, Video Calls	As and when required	For Regulatory Compliance, inspections and in Grievance matters
Distribution Channels: Premium Points, Agents, CLIAS, COs, DSAs, Supervised Agents under CLIAS/ Cos	No	Multiple Channel of communication - Physical and Digital	Frequent or as and when required	To provide the services to existing policyholders and procurement of new business
Community	No	Newspaper, Advertisements, etc	On regular basis	Insurance awareness

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

The Board and its Committees receive periodic updates on diverse topics, including stakeholder feedback. For engaging with government and regulatory bodies, meetings, conferences, forums and emails are utilized. Corporation responds to consultation papers from regulatory bodies within specified timelines. The Board has different Committees and each committee has a defined role and charter. We engage with customers regarding complaints, new initiatives, services and products through surveys, SMS, call centers, advertisements and social media. Customer analytics from surveys and feedback are used to derive insights, to enhance service offerings. Corporation values its employees and actively seeks their input on addressing grievances, concerns and ideas for reducing environmental impact and other matters.

Team of Investor Relations of the Corporation engages with the investors and market analysts. Key indicators of Analysts' Reports and feedback from Investors meet are placed to the Board of the Corporation. Grievances and queries raised by the

Shareholders/ Members and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board as well as placed before the Board of the Corporation. ESG (Environment, Social & Governance) Committee of the Board reviews the ESG activities of the Corporation. Queries, if any, raised by the shareholders on economic, environmental and social topics are placed for discussion. Policyholder Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee of the Board monitor the activities related to interest of the policyholders.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes. Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board which meets as and when required or at least twice a year. It is then placed before the Board of the Corporation. Queries, if any, raised on economic, environmental and social topics are placed for discussion. The Corporation has for long understood the significance and utility of feedback from customers who form our most significant stakeholder. Feedback is sought from all employees in the form of contribution to idea box for which certificates and awards are given for the best ideas selected and implemented. This approach bring to our attention matters dealing with the minutiae at the grassroot level to macro issues at the higher levels resulting in informed changes in product and servicing aspects.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken, to address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.

To address the concerns of vulnerable/marginalized stakeholders, the Corporation has implemented several key initiatives aimed at improving access and financial inclusion:

Customized Product Offerings: Insurance products for low-income individuals, rural populations and other under-served groups have been developed. These products are designed to offer affordable premiums with simplified features to ensure ease of understanding and access. Specially designed plans are available for our micro-insurance policyholders. Convenient modes of payment, including weekly mode of payment is available. Micro-insurance policyholders are serviced through NGOs and tied-agents.

Technology-Driven Outreach: Utilizing mobile and digital platforms expands the reach to rural and remote areas where traditional banking infrastructure is limited. Corporation's mobile applications offer easy access to information and policy services, ensuring stakeholders can manage their policies remotely.

Collaboration with NGOs: We partner with non-governmental organisations (NGOs) that work directly with marginalized groups. This helps us reach vulnerable/ marginalized stakeholder through trusted local networks, ensuring better engagement and trust-building.

Grievance Redressal: Corporation has established dedicated help lines and grievance redressal mechanisms for policyholders including marginalized stakeholder to voice concerns.

Training for Channel Partners: Corporation's Marketing Field force offers training to Channel Partners on how to engage with and serve vulnerable customers, ensuring that the front-line staff is equipped to address the unique challenges these stakeholders may face.

GJF: The Foundation is committed to being transparent and honest, consistently engaging for the upliftment of the economically weaker sections. The criteria for selection of projects and scholarship is transparent. LIC GJF supports projects for the economically weaker section of the society, aligned with its objectives – relief of poverty, education, medical relief and any other object of general public utility across the country. Mode of engagement with social and economically weaker sections is through service representatives at LIC Divisional offices located near to the project location. Based on these engagements, focused actions such as scholarship disbursements, skill development support and welfare initiatives were undertaken to empower underserved communities and create sustainable opportunities for growth. These efforts reflect the Foundation's enduring commitment to inclusion, compassion and social transformation.

PRINCIPLE 5: Businesses should respect and promote human rights**Essential Indicators****1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity:**

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	% (B / A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	% (D / C)

Employees

Permanent	84,565	31,597	37.36%	91,606	33,371	36.43%
Other than permanent	13	NA	NA	14	0	0
Total Employees	84,578	31,597	37.36%	91,620	33,371	36.42%

Workers

Permanent	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation					
Other than permanent						
Total Workers						

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following Format:

Category	FY 2025-26					FY 2024-25				
	Total (A)	Equal to minimum wage		More than Minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum wage		More than Minimum wage	
		No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)

Employees

Permanent	84,565	NIL	NIL	84,565	100	91,606	NIL	NIL	91,606	100
Male	64,161	NIL	NIL	64,161	100	69,740	NIL	NIL	69,740	100
Female	20,404	NIL	NIL	20,404	100	21,866	NIL	NIL	21,866	100
Other than Permanent	13	NIL	NIL	13	100	14	NIL	NIL	14	100
Male	12	NIL	NIL	12	100	13	NIL	NIL	13	100
Female	1	NIL	NIL	1	100	1	NIL	NIL	1	100

Workers

Permanent	There is no class of employees as “Workers” in the Corporation									
Male										
Female										
Other than Permanent										
Male										
Female										

3. Details of remuneration/salary/wages:

a. Median remuneration / wages:

FY 2025-26	Male		Female	
	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category
Board of Directors (BoD)*	4	60,56,100.58	0	NA
Key Managerial Personnel (KMP) (excluding BoD)	6	58,27,293.99	0	NA
Employees other than BoD and KMP	64,152	20,85,996.18	20,404	23,23,205.77

*Details of remuneration submitted include that of only CEO&MD and Managing Directors of the Corporation. Further, it is submitted that pursuant to the Board approved policy on Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity ('Directors' Policy') the independent directors of the Corporation are eligible to receive sitting fees whereas Government Nominee Director is not eligible to receive any remuneration/sitting fees.

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross wages paid to females as % of total wages	24.77%	24.48%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes. Executive Director (Personnel) is responsible for the human resources administration and management shall oversee and address any issue arising from any human rights impact related to employees.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Corporation has developed an internal mechanism system for redressal of grievance. For this purpose a portal on the intranet site called e-Samadhan where grievances can be registered by any employee which will be forwarded online to the Staff Grievance Officer. There is also a provision for appeal to the next higher authority through the portal.

In accordance with The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act, 2013, the department has initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment. The female employees of the Corporation are treated at par with the male employees. A Committee known as Internal Complaint Committee has been constituted in all the offices of the Corporation.

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2025-2026			FY 2024-2025		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Sexual Harassment	16	5	As on the date of this report all 5 Complaints stand resolved	9	2	Closed in Financial Year 2025-2026
Discrimination at workplace	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Child Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

	FY 2025-2026			FY 2024-2025		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Forced Labour/ Involuntary Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Wages / Salary	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Other human rights related issues	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	16	9
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.08%	0.041%
Complaints on POSH upheld	7	2

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

The Corporation has laid down a detailed Whistle-blower process, including mechanism to prevent adverse consequences to the complainant. The aim of the Whistle-blower Policy is to Ensure that the ‘Whistle-blower’ and / or the person processing ‘Protected Disclosures’ is not victimized for doing so. The whistle-blower is entitled to the following protection:

- The Corporation shall ensure that no whistle blower who has made a disclosure under this Policy is victimized by initiation of any proceedings or otherwise, merely on the ground that such complainant had made a disclosure or rendered assistance in investigation under this Policy.
- Wherever the Whistleblower has alleged victimization/ harassment, the Vigilance Officer ensures that if the identity becomes known eventually he/she should not be harassed/ victimized by way of frequent transfers, etc.
- In case a Whistleblower seeks protection and reports that his life is in danger, the Vigilance Officer will examine the matter and send his recommendation to the CEO and Managing Director to take up the matter with the Nodal Officers of respective States/UTs appointed by the Ministry of Home Affairs/State Governments for the purpose of providing security cover to the Whistleblowers.
- The identity of the Whistleblower shall be kept confidential unless warranted for evidence in the Court/Disciplinary Proceedings.

Further, in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Corporation has initiated various steps for preventing adverse consequences to the complainant in harassment cases. During the pendency of the inquiry, the Corporation can transfer the aggrieved woman or the respondent to any other workplace or grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months or any other relief such as during the pendency of the inquiry, the respondent may be restrained from reporting on the work performance of the aggrieved woman or writing her confidential report.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, wherever applicable.

10. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child labour	NIL
Forced/involuntary labour	NIL
Sexual harassment	NIL
Discrimination at workplace	NIL
Wages	NIL
Others—please specify	NIL

The Corporation is in compliance with all applicable laws on the subjects mentioned in the table.

11. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / Concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Nil, not applicable

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

The Corporation is of the belief that it has upheld the basic principles of human rights in all its dealings. This is in alignment with its Human Rights Statement. The Corporation regularly sensitizes its employees through various training programmes. Employees are encouraged to raise any grievance they may have regarding any breach/violation in any policy or process, or report any act which is in contravention of the rules and regulations governed by the Corporation including the Prevention of Sexual Harassment at the workplace policy, Anti bribery and Anti-Corruption Policy, Anti Money Laundering Policy, Whistle Blower Policy, Anti-Fraud Policy, Information and Cyber Security Policy or any other policy governing employee conduct at the workplace that may be defined from time to time or any other statutory or regulatory laws as may be in force.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

Internal audit is conducted for the governance process of the Corporation.

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently able visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. It has been advised to all the offices of the Corporation that provisions shall be made for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities. The Corporate Office at Yogakshema building is accessible to differently abled persons.

The Corporation has modified its Central office with special facilities such as ramps, rails, uniquely designed physical barriers, etc. We have specially designed washrooms (with accessible door, grab rails etc.) to suit the special needs of differently-abled persons. We also have ramps, grab rails, etc in many offices owned by us to suit the needs of differently abled persons. Additionally, proper accessibility of workplaces is ensured on construction sites by providing pathway approach, scaffoldings, construction lifts, etc.

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	Nil
Discrimination at work place	Nil
Child labour	Nil
Forced labour/Involuntary labour	Nil
Wages	Nil
Others- please specify	Nil

Assessment of value chain partner/s for execution of the work includes, *inter alia*, a pre-qualification criteria in the tender document for selection of eligible value chain partner and thereafter selection of the eligible contractor / construction Associates / value chain partner is done. After completion of the work, we collect a certificate of compliance from the value chain partner. Also a confidential report is being given by us wherein we assess the Value Chain Partner based on their performance.

5. Details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

We incorporate the relevant matrix in our new and existing contracts with our value-chain partners. It is ensured that workmen compensation policy taken by the value chain partners. Also it is ensured for provision of safety helmet, Body Harness, Safety Shoes & other safety norms etc. Maintaining Site Hygienic condition by providing proper washroom, potable water, etc., is done. There is also provision in the contract documents to follow safety protocols.

PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
From Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (A)	38,884 GJ	
Total Fuel Consumption (B)		
Energy Consumption through other Sources (C) Solar		18307 GJ
Total Energy Consumed from Renewable Sources (A+B+C)	38,884 GJ	18307 GJ
From Non-Renewable Sources		
Total Electricity Consumption (D)	398032 GJ	422858 GJ
Total Fuel Consumption (E)	501242GJ	390283 GJ
Energy Consumption through other Sources (F)		
Total Energy Consumed from Non-Renewable Sources (D+E+F)	899274 GJ	813141 GJ
Total Energy Consumed (A+B+C+D+E+F)	938158 GJ	831448 GJ
Energy Intensity per Rupee of Turnover (Total Energy Consumed/ Revenue from Operations) (GJ/INR crores)	1.75	1.70
Energy Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Energy Consumed/ Revenue from Operations adjusted for PPP)	3.5551 KJ/USD PPP	3.5139 KJ/USD PPP
Energy Intensity in terms of physical output		
Energy Intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	11.09GJ /per employee	9.07 GJ /per employee

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide remedial action taken, if any.

No, we do not have any such sites or facilities

3. Details of disclosures related to water:

The organisation's water usage is restricted for human consumption only. Efforts have made to ensure that water is utilized judiciously. For e.g., at our Management Development Centre (MDC), Borivali, a rain water harvesting unit for collecting the rain water is installed. This unit is connected to the nearby bore well due to which the bore-well is recharged and quality of bore well water has improved significantly.

Details of water-usage are as follows:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	4405.61	19571
(ii) Ground water	45154.66	680535
(iii) Third party water	55732.66	559024
(iv) Sea Water / Desalinated Water	0	0
(v) Others	7961.81	8311
Total volume of water withdrawal (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	113254.74	1267441
Total volume of water Consumption (in Kilolitres)	113254.74	1267441
Water Intensity per Rupee of Turnover (Total Water Consumption/ Revenue from Operations) (Kilo litres/INR Crores)	0.211	2.59
Water Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Water Consumption/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.00043 L/USD PPP	0.0054 L/USD PPP
Water Intensity in terms of physical output		
Water Intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	1.34 kL /per employee	13.83 kL /per employee

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

4. Provide the following details related to water discharged:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(ii) To Ground Water	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
(iii) To Sea Water	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(iv) Sent to Third Parties	-	-
- No treatment	-	-
- With Treatment – Please specify level of Treatment	-	-
(v) Others	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment – please specify level of treatment	-	-
Total water discharged (in Kilolitres) (i+ii+iii+iv+v)	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

No

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity

Not Applicable

Parameter	Please specify Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
NOx		Not Applicable	
Sox			
Particulate Matter (PM)			
Persistent Organic Pollutants (POP)			
Volatile Organic Compounds (VOC)			
Hazardous Air Pollutants (HAP)			
Others – Please specify			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency?

No

7. Details of green house gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity:

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Scope 1 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	33,065.26	27,014
Total Scope 2 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	78,500.74	84,102
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations) (MT/INR Crores)		0.2079	0.23
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from Operations adjusted for PPP)		0.0004227 KG/USD	0.0004696 KG/USD
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output			
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		1.32 mT/Employee	1.21 mT/Employee

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

Employees are encouraged to purchase EV Vehicles. Under Plant-a-Life initiative 1147574 saplings were planted. We have implemented IPM+, a power saving solution for desktops. IPM+ has helped the Corporation successfully achieve energy savings of approximately 3.86 GWh during the year, which corresponds to a reduction of 956 metric tonnes of CO2 emissions/ savings of 53975 cubic metre of water. Construction of buildings conforming to green building norms with an aim to obtain at least a 3 star rating is the goal. Upto March 2026, we have installed 10499 Kwp Solar PV resulting in carbon reduction of 40097 tons.

9. Details related to waste management by the entity:

Parameter	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Waste Generated (in Metric Tonnes)		
Plastic Waste (A)	49.63	920
e-Waste (B)	87	940
Bio-Medical Waste (C)		
Construction and Demolition Waste (D)		
Battery Waste (E)		
Radioactive Waste (F)		
Other Hazardous Waste. Please specify, if any. (G)		
Other Non-Hazardous Waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition, by materials relevant to the sector) – Paper, Scrap Metal, etc	1332	512
Total (A + B + C + D + E + F + G + H)	1468.63	2372
Waste Intensity per Rupee of Turnover (Total Waste Generated/Revenue from Operations) (MT/INR Crores)	0.0027362	0.005
Waste Intensity per Rupee of Turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Waste Generated/Revenue from Operations adjusted for PPP)	0.000005565 kg/USD PPP	0.0000100 kg/USD PPP
Waste Intensity in terms of physical output		
Waste intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	0.02 mT /per employee	0.03 mT /per employee
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Recycled	-	-
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	-
Total	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in Metric Tonnes)		
Category of waste	-	-
(i) Incineration	-	-
(ii) Land-filling	-	-
(iii) Other disposal Operations	-	-
Total	-	-

Note: 89.08% of waste has been disposed through Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC). Food Waste and Garden Waste generated in Management Development Centre (MDC) campus is converted into compost and used in MDC garden to promote plants growth. Initiatives like implementation of paperless HRMS/ TE Modules has reduced generation of paper waste. Daily waste is handed over to Municipality.

*PPP conversion rate is taken as 20.34

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, reasonable assurance has been carried out by M/s Rama K Gupta & Co. for the FY 2025-26.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

We are committed to adopting sustainable practices in waste management. While our operations primarily involve software development, technology infrastructure and digital services, we recognize the importance of responsible waste handling.

The hardware items which are end-of-life are handed over to the hardware supply vendor under buyback agreement. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor registered with the Central Pollution Control Board or any State Pollution Control Board, who picks up the hardware from all locations. A certificate is taken from the e-waste disposal vendor in the prescribed form.

Although our operations focus on software development, technology infrastructure, and digital services, we recognize the critical importance of responsible waste handling across all areas. We have implemented alternate measures for digitising and automating various processes to reduce the need for paper. Minimising the usage of paper across offices is an ongoing activity. Soft copies of forms, certificates, etc., are being issued. Pension documents have been scanned for better servicing and for reducing time lag. Paper stationery is being used judiciously by all employees.

We collaborate with certified and audited disposal partners who adhere to strict environmental standards to ensure the proper recycling, data sanitization, and environmentally sound disposal of all electronic waste, minimizing our environmental impact and maximizing resource recovery. Our commitment extends to ongoing evaluation and improvement of these processes.

89.08% of waste has been disposed through Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC). Food Waste and Garden Waste generated in Management Development Centre (MDC) campus is converted into compost and used in MDC garden to promote plants growth. Initiatives like implementation of paperless HRMS/ TE Modules has reduced generation of paper waste. Daily waste is handed over to municipalities/local bodies. Being a service sector we do not generate hazardous or toxic chemicals from our products or processes. We are developing an SOP for Waste Management.

Our waste management practices include:

- **Energy-Efficient Infrastructure:** We prioritize the use of energy-efficient infrastructure to minimize resource consumption.
- **Electronic Waste Management:** We have implemented a comprehensive e-waste management program, collaborating with certified disposal partners to ensure proper recycling and disposal of electronic waste.
- **Paperless Initiatives:** We encourage paperless practices and have taken up new initiatives to reduce reliance on physical material in our day-to-day operations.

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, bio-diversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details:

None of our offices are located in ecologically sensitive areas

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Not applicable

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules there under (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances:

Sr. No.	Specify the law / regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control Boards or by courts	Corrective action taken, if any
Based on the nature of business the Corporation complies with applicable environmental norms.				

For building construction projects requiring environmental clearance, necessary clearance is obtained from the concerned statutory environmental body for compliance as per norms.

Leadership Indicators

1. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water-stress (in kilo-litres):**

NIL

For each facility/plant located in areas of water-stress, provide the following information:

- Name of the area - **Not applicable**
- Nature of operations - **Not applicable**
- Water withdrawal, consumption and discharge in the following format: **Not applicable**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Not Applicable

2. **Details of total Scope 3 emissions & its intensity:**

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Scope 3 Emissions (Breakup of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	2983 TCo ₂ e (Employee Commute Cat 7) 2105.86 TCo ₂ e (Business Tour Cat 6)	NA
Total Scope 3 emission intensity per rupee of turnover		NA	NA
Total Scope 3 emission intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		NA	NA

For Scope 3 emissions, employee commute and business tours have only been taken in this phase.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, not applicable.

3. **With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on bio-diversity in such areas along-with prevention and remediation activities.**

Not applicable since none of our offices are located in ecologically sensitive areas

4. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge/waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives:**

Specific initiatives or innovative technology or solutions to improve resource efficiency include, inter alia, use of water efficient

fixtures, LED lights, occupancy sensors, rain water harvesting, energy efficient equipments like VRF type AC machines and 5 star AC machines, Energy level II Transformer, etc as well as use of environment friendly refrigerant gas in the AC machines and Roof Top Solar for generating units of Electrical Energy. We have obtained Green Building certification for 26 existing buildings and are planning to get the same for 32 buildings in FY 2025-26

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan?

Yes, the Corporation has a Board-approved Business Continuity Management (BCM) Plan designed to ensure continuity of critical operations in the event of disruptions such as system failures, natural disasters, or cyber incidents. The plan aims to minimize downtime, safeguard critical functions, reduce financial losses and enable swift recovery. The BCM Plan provides detailed procedures for the continuity or rapid restoration of critical business functions and **the Corporation is certified under ISO 22301 for its Business Continuity Management System**, reflecting its strong commitment to operational preparedness. In addition, a separate Board-approved IT Disaster Recovery (ITDR) Policy defines guidelines for the protection, backup and recovery of IT systems, applications and data, aligned with business requirements. Regular business continuity and disaster recovery drills are conducted for critical processes, enhancing the Corporation's resilience against business interruption risks.

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?

There has been no adverse impact on environment as nature of business is life insurance.

No such study is done. However, for applicable engineering works undertaken for the Corporation, we are taking adequate mitigation measures not to deteriorate the environment by implementing the following measures viz: using RMC (Ready Mix Concrete) for concreting, using fly ash bricks, minimizing the dust at site, doing rain water harvesting, using a Sewage Treatment Plant (STP) and using building materials which give low carbon footprint, etc. Housekeeping Vendor/s also do not use any harmful chemicals for their operations.

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

We have not assessed any value chain partner this year.

8. How many Green Credits have been generated or procured?

- By the listed entity
- By the top ten (in terms of value of purchase & Sales respectively) Value Chain Partners.

Nil

PRINCIPLE 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

The Corporation has Affiliations with more than 15 trade and industry chambers/ associations.

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

Sr. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	Indian Society for Training & Development (ISTD)	National
2	National HRD Network (NHRD)	National
3	Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)	National
4	Administrative Staff College of India, Hyderabad (ASCI)	National
5	All India Management Association (AIMA)	National
6	Insurance Institute of India (III)	National

Sr. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
7	Confederation of India Industry (CII)	National
8	Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCCI)	National
9	Management Development Institute Society, Gurgaon	National
10	Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

No adverse orders passed on us by any Regulatory Authority related to anti-competitive conduct.

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

LIC has positioned itself as the insurer of choice and continues to sustain its leadership position after more than two decades of liberalization with dominant business mix sourced primarily through the agency force. Further, LIC has capitalized on heightened awareness and is pursuing digital engagement and delivery of services with migration of the customers from physical to the digital, i.e., 'phygital' mode.

We offer inputs/ views/ suggestions on various Exposure Drafts, proposed amendments to Rules, etc., to the Regulator through Life Insurance Council considering the best interests of the Policyholder and the Insurance Industry at large.

We conduct Insurance Awareness Campaigns (IAC) every year pan India. Under IAC we have published advertorials in the magazines highlighting our achievements, our product portfolio and various services tendered to the policyholders. We enhance awareness about our products through Print Advertisements in Newspapers and Magazines at the national and regional level on a pan India basis with TV commercials urging people to purchase insurance with their first salary along with animated video(s), highlighting the need of insurance on national and regional news/ music and general entertainment channels across India. Creative(s) are prepared for various operational matters such as, updating KYC and submission of NEFT details, revival of the policies, new plans/products. Awareness is created through the social media, by posting relevant messages, about insurance.

We are also a part of various committees/working groups formed by the Life Insurance Council for vetting of new initiatives.

PRINCIPLE 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

The Foundation remains deeply committed to ensuring that every initiative creates meaningful and lasting impact in the lives of beneficiaries. While no external agency has been engaged for conducting impact studies, the Foundation undertakes a comprehensive internal impact assessment every year to evaluate the effectiveness and reach of its programs. The Zonal Inspection Teams regularly monitors and reviews GJF-supported projects to ensure that the funds are utilized responsibly and strictly for the intended purpose. These inspections also help assess how effectively the projects are supporting beneficiaries from economically weaker sections of society.

The Divisions are in direct contact with the beneficiaries, enabling continuous feedback and a better understanding of on-ground outcomes. For patient treatment support initiatives, detailed treatment and cost summary reports are obtained from the respective hospitals to ensure transparency and accountability.

In addition, testimonials from GJF scholars and beneficiaries serve as inspiring reflections of the positive transformation brought about through the Foundation's efforts. Through these consistent monitoring and evaluation practices, the Foundation strives to uphold trust, maximize social impact and continue making meaningful difference in communities. Testimonials received from GJF scholars stand as powerful reminders of the transformative impact of the Foundation's initiatives. Their success

stories, experiences and words of gratitude inspire the Foundation to continue empowering deserving individuals and creating opportunities for a brighter future.

2. Information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity:

Nil

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

The Foundation is committed to maintaining a transparent, fair and inclusive system for the sanctioning of projects and selection of scholars. A robust three-tier mechanism involving the Divisional, Zonal, and Central Offices ensures that every proposal is carefully evaluated and that the benefits of the Foundation's initiatives reach economically weaker sections across the country in an equitable manner.

Transparency remains at the heart of all charitable activities undertaken by the Foundation. Detailed information regarding the Foundation's pan-India initiatives is made accessible at the Foundation's page available on the website of the Corporation at www.licindia.in, reinforcing openness and accountability in all operations.

The Foundation also believes in maintaining strong communication channels with beneficiaries and stakeholders. Any grievance or concern received is addressed promptly and sensitively through the coordinated efforts of the Divisional, Zonal, and Central Office departments. This responsive approach helps build trust, strengthen community relationships, and ensure that the Foundation's services continue to make a positive and meaningful impact on society.

The Foundation is guided by a strong commitment to transparency, accountability, and community welfare. Any grievance received is promptly attended to and resolved through the coordinated efforts of the Divisional, Zonal and Central Office departments. This structured approach ensures that every concern is handled with care, fairness, and sensitivity. By maintaining open channels of communication and a people-centric approach, the Foundation continues to strengthen trust and foster meaningful relationships with the communities it serves.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

Not applicable, since the Corporation is in Insurance business.

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost

Location	FY 2025-26	FY 2024-25
Rural	0.59%	0.69%
Semi-Urban	27.43%	31.21%
Urban	33.66%	36.71%
Metropolitan	38.32%	31.38%

In addition to the above, by recruiting and nurturing a wide spread agency ecosystem we have created employment opportunities in rural and semi urban areas in addition to other areas. These agency opportunities provide self employment, enhance financial inclusion and contribute to the socio economic development of local communities.

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

No negative social impact was identified in the Social Impact Assessment

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

The Foundation remains deeply committed to inclusive and sustainable community development across the country, with a special focus on the Aspirational Districts identified by the Government of India. Demonstrating its dedication towards

bridging developmental gaps and uplifting underserved communities, the Foundation has implemented 55 impactful projects across 31 Aspirational Districts with a total contribution of ₹ 13.88 Crores. These initiatives have touched thousands of lives by strengthening essential infrastructure and creating opportunities for growth and empowerment. The projects undertaken include construction of school buildings, skill development centres, multipurpose halls, rooms and toilet blocks for tribal girls, pathology units, day care centres, and women empowerment initiatives.

In addition, the Foundation has supported critical healthcare and community welfare services through ambulances, mobile medical vans for patient transportation, vehicles for transportation of school children and food distribution vehicles to ensure assistance reaches those in need. Through these meaningful interventions, the Foundation continues to foster education, healthcare, women empowerment, and community well-being, contributing towards the vision of holistic and equitable development in some of the nation's most underserved regions.

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)

No, we do not have a preferential procurement policy. However, we follow the government guidelines regarding procurement of materials and services from suppliers comprising marginalized or vulnerable groups.

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

Preference given to groups registered under Micro and Small enterprises (MSE) on production of certificates and to SC/ST Vendors registered under MSE. In 2025-26 the percentage procured was 2.73% from SC/ST under MSE. Our procurement practices prioritize equal opportunity for all vendors. Additionally, we adhere to government guidelines regarding preferential procurement from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and local suppliers, thereby supporting local economies and businesses.

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

	Current FY 25-26			Previous FY 24-25		
	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%	Procurement from MSE/SC/ST Vendors (Amount in Crs)	Total Procurement made by the office (Amount in Crs)	%
Procurement from MSE Vendors	224.14	425.60	52.66	1,253.94	3,029.63	41.38
SC/ST Vendors under MSE	11.63	425.60	2.73	230.28	3,029.63	7.60

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

Not applicable as we are not in the business of inventions, nor is any artistic works used in our business, for which Intellectual property (IP) owners are granted certain exclusive rights under IP laws. However our in-house developed applications contribute to the internal growth and competitiveness of our operations and we actively engage in knowledge sharing and collaboration with the broader industry and community.

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved:

Not applicable.

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

LIC GJF supports projects for the economically weaker sections of the society which are aligned with its objectives i.e. – relief or poverty or distress, education, medical relief or any other object of general public utility, across the country. The beneficiary area of projects funded by the LIC Golden Jubilee Foundation are:

Quality Education: Contribution by the Foundation for education infrastructure such as construction of skill centre for developing digital skills amongst the people from lower income group, hostels, school building, computer labs, libraries, school bus, providing transportation facility to the disabled childrens, vocational training centre, occupational therapy tools and audio visual equipment for specially abled children for their rehabilitation through therapy and vocational training programmes, literacy campaign in LIC GJFs adopted village Govindpur for 100% literacy. An amount of ₹ 105.35 Crores has been spent towards providing scholarship to around 41776 deserving students for pursuing higher education. Scholarships are released every year to the deserving students belonging to the economically weaker sections.

Good Health and well-being: The Foundation has funded projects providing medical equipments, ICU ambulance, medical vans, construction of hospitals, providing treatment for cancer patients, congenital heart surgery, bone marrow transplant surgery and cochlear implant surgery. The poor patients are also identified through medical camps arranged by the hospitals in far off rural areas and provided necessary treatment. The Foundation has provided assistance in form of medical equipments Ambulance, treatment support to major hospitals especially Cancer hospitals such as Tata Memorial hospital, Mumbai, Adyar Cancer Institute, Chennai, Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore, Regional Cancer Centre, Thiruvananthapuram, Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, Shri Vithalrao Joshi Charities Trusts - B K L Walawalkar Hospital Diagnostic & Research Centre, Chiplun, Hanuman Prasad Poddar Cancer Hospital & Research Institute, Gorakhpur, Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust, Mathura, Bagchi Sri Shankara Cancer Foundation, Bhubaneswar, Shri Jagannath Charitable Cancer Institute, Ghaziabad, Sri Shankara Cancer Foundation, Bangalore, Smt Nandamuri Basava Taraka Rama Rao Memorial Cancer Foundation, Khairatabad, Indore Cancer Foundation Charitable Trust, Pigdambar, Malabar Cancer Centre Society, Thalassery, Mohonananda Cancer Diagnostic and Welfare Society, Asansol, Cancer Relief Society – Rashtrasant Tukdoji Cancer Hospital & Research Centre, Nagpur, Gujarat Cancer & Research Institute, Ahmedabad.

Vocational Training and livelihood generation: The Foundation has funded construction of vocational training centers, equipments for setting vocational training centers, etc., which shall enable the beneficiary to get trained for livelihood generation. Funded for training for women handloom weavers is done for enhancing their skills as well as empowering them for livelihood generation. These initiatives have empowered beneficiaries with sustainable income-generating opportunities and enhanced self-reliance.

Tribal Projects: With a strong commitment towards tribal welfare, the Foundation has funded projects benefitting the tribal community by providing assistance for construction of school building, hostels, skill oriented vocational training, toilet blocks, ambulance, school bus for transportation for students and funded 39 tribal projects amounting to ₹ 9.05 Crores.

Disaster relief: During times of crisis, the Foundation has stood firmly with the nation like through COVID-19 Relief Measures by contributing towards PM Cares fund, Govt. of Maharashtra Covid relief fund, Tata Memorial hospital relief fund, etc.

Relief towards Natural Calamity: The Foundation has provided assistance during Chennai floods, Kerala floods, Cyclone Fani and construction of multipurpose Cyclone shelter at Udala in Mayurbhanj District for the people residing in the cyclone prone tribal areas of Odisha. Also funds allocated for Dharalai relief victims, Punjab floods, etc.

Armed Forces Flag Day Fund: Contribution to Armed Force Flag Day Fund for welfare of Ex-Servicemen of the Indian Defence Force established by Kendriya Sainik Board for welfare of the veterans, widows and rehabilitation of ex-servicemen has been made.

Climate Action: Recognizing the importance of environmental sustainability and Climate Action, the Foundation has supported installation of solar power plant at school hostel building, old age home and electric crematorium, thereby promoting renewable energy and reducing environmental and electricity costs.

Clean Water & Sanitation: Under Clean Water and Sanitation, the Foundation has undertaken impactful initiatives by contributing towards renovation of water bodies at Hari Thirtham, Kanyakumari and enabling availability of fresh water for communities. Funds were also allocated for providing water vending machines for clean drinking water to visitors of Badrinath, Kedarnath, Rishikesh and Haridwar.

Contribution towards construction of toilets under 'One Home One Toilet Scheme' in slums of Kolhapur. Funded for construction of 169 toilets in 113 schools across the country, toilet blocks in various school. Contribution towards construction of two community toilets at LIC's adopted village of Govindpur in Sonbhadra district of Uttar Pradesh to make the village free from open defecation. Contribution towards construction of E-Toilets at Badri Dham and funded for Clean Ganga Fund to rejuvenate river Ganga and its ecosystem. Funding done for sewage water treatment plant at Ashraya Centre. These efforts have significantly contributed towards hygiene, sanitation, and access to clean water in under-served areas.

Preservation and protection of tribal art: The Foundation has also played an important role in the Preservation and Protection of Tribal Art and Culture by supporting the construction of tribal art galleries dedicated to preserving and promoting Saura paintings and the rich artistic heritage of tribal communities in three Lanjia Saura villages of Raygada district, Odisha.

Life on Land: In support for Life on Land and Animal Welfare, the Foundation has funded ambulances for rescue and transportation of wild animals, installed solar plant at an animal sanctuary in Village Gopalpur Khera, Gurgaon for animal rescue and rehabilitation, as well as taken initiatives for tree plantation drives.

Through these diverse and impactful interventions, the LIC Golden Jubilee Foundation continues to touch lives, foster inclusive growth and contribute meaningfully towards nation-building and sustainable community development.

Sr. No.	CSR Project	No. of persons who benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1	119 Projects completed under community development activities with 59383 beneficiaries and scholarship disbursed to 10660 scholars belonging to the economically weaker sections during the FY 2025-26	59383	100%

PRINCIPLE 9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback

The spirit of customer relations and customer care has been ingrained in our complaint redressal system with emphasis on placing customer oriented personnel at all touch points. IT enabled support system is operationalized to reduce manual interventions and minimize grievances. The Corporation has a customer friendly online system wherein a policyholder registered on the customer portal of LIC of India can register a complaint and track its status through 'LIC's e-services' available on our website <https://licindia.in/>. The complaints registered under IRDAI's Grievance Management System – Bima Bharosa are synced with LIC's complaint management system. The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office levels to redress grievances of policyholders. Their names are available on our website. The respective GROs are available at their Offices for personal interviews with customers on all Mondays between 2.30 PM and 4.30 PM. Customers can meet the GROs on other days also with prior appointment. Customers may also send their grievances through post, e-mail, etc., to the respective servicing offices / GROs.

A total of 74 Customer Zones are operative across India from 8.00 AM to 8.00 PM which works as 'one-stop Centre' for resolution of all servicing needs of a customer, with special emphasis on 'Quality Experience'.

LIC has a single Centralized Call Centre service available 24*7. The number is **022-68276827** with a comprehensive IVRS menu as well as an option to speak with a Call Centre executive for specific queries and information and raise CCS (Call Centre Services) Ticket for complaint. These services are available in Hindi, English and eight regional languages.

We have an SMS initiative called LICHELP, where policyholders need to send an SMS LICHELP<POLICYNO> on 9222492224. On receipt of an SMS, an official from the Customer Zone mapped to the servicing branch of the policy, contacts the customer for resolution of his complaint or request. We update the customers at each stage of the policy process through an SMS or an e-mail.

We have WhatsApp services on 8976862090 for the policy-holders whose mobile number is registered to get requisite information about policies.

With an objective of attending grievances related to repudiated death claims, 'Claims Dispute Redressal Committees' are set up at the Zonal and Central Office levels. The committee consists of two or more senior officers of LIC and an Honorable Retired Judge of the District Court/High Court.

LIC has a role-based access under two online platforms of the Government of India viz. 1) CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) and 2) NCH (National Consumer Helpline) – INGRAM module (Integrated Grievance Redressal Mechanism) available to policyholders to lodge their grievances, which are responded to directly.

LIC has constituted Policyholders' Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee (PPGR&CM) in terms of Regulation 5(5) of the IRDAI's (Corporate Governance for Insurers) Regulation, 2024 and master circular issued thereunder, as amended.

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

Not Applicable.

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2025-2026		Remarks	FY 2024-2025		Remarks
	Received during year	Pending Resolution at end of the year		Received during the year	Pending Resolution at end of the year	
Data Privacy	1	0	NA	0	0	NA
Advertising	0	0	NA	0	0	NA
Cyber-Security	0	0	NA	0	0	NA
Delivery of Essential Services	49011	0	NA	54636	0	NA
Restrictive Trade Practices	0	0	NA	0	0	NA
Unfair Trade Practices	0	0	NA	0	0	NA
Other	17412	0	NA	19654	0	NA

Note: FY 2025-26 the total grievances includes grievances received on all 3 portals viz ICMS, CPGRAMS, NCH

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

Nil

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, The Corporation has policies and procedures on Data privacy and cyber security. The complete set of policies is available on the intranet for all employees.

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

The Corporation takes proactive measures for any issue or complaint related to cyber security and data privacy of customers.

7. Provide the following information relating to data breaches:

a) Number of instances of data breaches:

One incident of cyber security intrusion was reported on 29.07.2025

b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers:

N.A.

c) Impact, if any, of the data breaches:

No Impact

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information related to all the products and services provided by the Corporation are available in the public domain i.e. our website, www.licindia.in. In addition, the Corporation actively uses print media, social media and digital platforms to disseminate information on its products and services, to educate and to stay connected with our customers.

- ❖ Mobile App: My LIC App, LIC Digital App
- ❖ Face book: LICIndiaForever
- ❖ YouTube: LICIndiaForever
- ❖ Instagram: LICIndiaForever
- ❖ LinkedIn: LICIndiaForever
- ❖ X (Twitter) handle: LICIndiaForever
- ❖ Whatsapp: 8976862090
- ❖ Call Centre : +91-022- 6827 6827

LIC has launched the My LIC APP for its customers, providing various services such as KYC verification, online policy loan, policy renewals, update contact details, update email id, update address, update NEFT details, premium payment, update bank details, online revival with DGH, etc.

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Insurance is an intangible product so the normal usage and safety norms do not apply to it. However for continuance of risk cover, premiums must be paid on time. SMS are sent to the policyholders informing them about premium due for payment, wherever mobile number is registered in policy record. Where no mobile number is registered in policy records, we are sending premium due intimation to the policyholders by post, in order to keep policies in force and to enable the customer to enjoy the insurance benefits under the policy. SMS are sent to customers to be careful with fraudsters. Security measures are in place for customers visiting our links for any online transactions.

Introduction of services of LIC on WhatsApp is made available where Policyholders can know their premium dues, get Loan and Loan repayment quotation, Premium paid certificate/s, ULIP Unit statement/s, etc. Periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls and false calls for submission of KYC. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically. Alerts are conveyed on Social Media. We are publishing advertisement in regional, Hindi and English Newspapers informing about the requirements for settlement of claims. We also inform and educate customers by hosting our ads on social media such as Facebook, Instagram page, etc. regularly. We share information vide email, whatsapp message, My LIC app, postal letters and also occasionally through IVRS, AI agent voice BOT.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/ discontinuation of essential services.

Policyholders are kept updated through SMS about the services requested by them. In case of natural calamity advertisement is given in the newspapers, informing customers' assistance with claim processing to enable faster and hassle free processing of the claim.

We have a Business Continuity Plan in place with Standard Operating Procedures in case of any risk of disruption/discontinuation of service.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole?

The required information about insurance products and services is accessible on our website www.licindia.in.

To capture customer's feedback on the overall experience of the engagement, feedback is sought through customer meets and visits to Paying Authorities.

RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"

**Head Office:** 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.**Mobile:** 09425112778, 8770223278**Email:** ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkgroup.co.in

INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2026

To,
The Board of Directors
Life Insurance Corporation of India
Central Office, "Yogakshema",
Jeevan Bima Marg,
Mumbai - 400 021.

We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement for Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") vide appointment letter dated 24.04.2026 issued by the Corporation and accepted by us vide our engagement letter dated 24.04.2026 in respect of the agreed Sustainability Information referred in accordance with the Criteria stated in the "Criteria" paragraph below. The Identified Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") Section of the Integrated Annual Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2026 pursuant to the requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Criteria

The criteria used by the Corporation to prepare the Identified Sustainability Information is the "BRSR" as detailed in Annexure 1 to this report (the "Criteria"), which is a subset of the BRSR, consisting of a set of KPIs/ metrics under nine Environmental, Social and Governance ("ESG") attributes, as specified by SEBI vide its circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 (the "SEBI Circular"), SEBI/HO/CFD-PoD-1/CIR/2025/42 dated 28th March, 2025, the Guidance note for BRSR read with National Guidelines for Responsible Business Conduct issued by

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Ministry of Corporate Affairs ("BRSR Framework") and Industry Standards on Reporting of BRSR Core vide SEBI circular no. SEBI/HO/CFD-PoD-1/D/CIR/2024/177 dated 20th December 2024.

Management's Responsibility

The Corporation's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management and the Board of Directors of the Corporation are also responsible for overseeing the Corporation's compliance with the requirements of the LODR Regulations, the SEBI Circular and BRSR Framework in relation to the sustainability information included in the Annual Report.

Inherent limitations in preparing the Identified Sustainability Information

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Corporation and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Accountants of India ("ICAI") and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement. Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements" and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Identified Sustainability Information based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the ICAI. The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information are prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria. A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Corporation's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Identified Sustainability Information, assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Identified Sustainability Information.

The procedures we performed were based on our professional judgement and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the Identified Sustainability Information.
- Made enquiries of Corporation's Management, including the various teams such as Sustainability team, and those with responsibility for managing Corporation's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the design of the key systems, processes, and controls for managing, recording and reporting on the Identified Sustainability Information. This did not include testing the operating effectiveness of management systems and controls.
- Based on above understanding, the risks that the Identified Sustainability Information may be materially misstated, determined the nature, timing, and extent of further procedures.
- Performed substantive testing on a sample basis of the Identified Sustainability Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data to establish an assurance trail.
- Checked the consolidation for various sites and corporate office under the standalone reporting boundary (as mentioned in the Integrated Annual Report, which includes BRSR) for ensuring the completeness of data being reported.
- Assessed the level of adherence to the BRSR format issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) followed by the Corporation in preparing the BRSR.
- Obtained representations from the Corporation's Management.
- Assessed the BRSR for detecting, on a test basis, any major anomalies between the information reported in the BRSR on performance with respect to agreed information and relevant source data/information.
- Where applicable for the Identified Sustainability Information in the BRSR, we have relied on the information in the audited standalone financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2026.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the Identified Sustainable Information.

Exclusions

Our reasonable assurance engagement scope excludes the following and therefore, we do not express an opinion on the same:

- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above;
- Data and information outside the defined reporting period;
- Data related to Corporation's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the Report;
- The Corporation's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Corporation and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues; and
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Reporting Criteria above.
- We have not performed any procedures with respect to prior periods information.

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls. The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Identified Sustainability Information included in the BRSR for the financial year ended 31st March 2026 is prepared in all material respects, in accordance with the Criteria.

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkgroup.co.in

Restriction on use or distribution

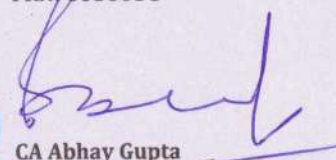
Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Corporation or otherwise, nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Corporation.

This report has been issued at the request of the Board of Directors of the Corporation to whom it is addressed, solely to enable them to comply with the requirements of the Circular and LODR Regulations and on reporting Corporation's sustainability performance and activities, for publishing the same in the Corporation's Integrated Annual Report, which includes the BRSR. Our report should not be used for any other purpose or by any person other than the addressee of our report. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

Place: Mumbai
Date: 17.06.2026



For Rama K. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 005005C



CA Abhay Gupta
Partner
Membership No. 087679
UDIN: 26087679SDRVXU9956

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |

RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkggroup.co.in

Annexure I

BRSR Core Attributes

BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment	
Attribute 1: Green-house gas (GHG) footprint	
Question 7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity owned or controlled sources.	Reasonable
Total Scope 1 emissions	
Total Scope 2 emissions	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 2: Water footprint	
Question 3: Details of the following disclosures related to water:	Reasonable
Water withdrawal by source (in kiloliters)	
Total volume of water withdrawal (in kiloliters)	
Total volume of water consumption (in kiloliters)	
Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption / Revenue from operations)	
Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity(PPP)	
Water intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Question 4: Details related to water discharged:	
Water discharge by destination and level of treatment (in kiloliters)	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka
| Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkgroup.co.in

Total water discharged (in kiloliters)	
Attribute 3: Energy footprint	
Question 1: Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable
Total energy consumed from renewable sources	
Total energy consumed from non-renewable sources	
Energy intensity per rupee crore of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	
Energy intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Energy intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 4: Embracing circularity - details related to waste management by the entity	
Question 9: Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable
Total Waste generated for each category of waste (in metric tonnes)	
Waste intensity per rupee crore of turnover (Total waste generated/Revenue from Operations)	
Waste intensity per crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
Waste intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, reusing or other recovery operations (in metric tonnes)	
For each Category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	
Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, Including those in their value chains	
Attribute 5: Enhancing Employee Wellbeing and Safety	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.
Chartered Accountants



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.
Mobile: 09425112778, 8770223278
Email: ramakantgupta@yahoo.com, ramakant@rkgroup.co.in

Question 1(C): Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	Reasonable
Question 11: Details of safety related incidents for Employees and Workers:	
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	
Total recordable work-related injuries	
No. Of fatalities	
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	
Principle 5: Businesses should respect and promote human	
Attribute 6: Enabling Gender Diversity in Business	
Question 3(b): Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity	Reasonable
Question 7: Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:	
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act. 2013 (POSH)	
Complaints on POSH as a % of female employees /workers	
Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development	
Attribute 7: Enabling Inclusive Development	
Question 4: Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: a. Directly sourced from MSMEs/ small producers b. Directly from within India	Reasonable
Question 5: Job creation in smaller towns — Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost.	
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customer in a responsible manner	

Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |



RAMA K. GUPTA & CO.

Chartered Accountants

"JAIGURUDEV"



Head Office: 201, Block 3A, Ganesh Galaxy City, Ayodhya Bypass Road, Bhopal (M.P.) 462022.

Mobile: 09425112778, 8770223278

Email: ramakantgupta@yahoo.com,
ramakant@rkggroup.co.in

Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers

Question 7: Provide the following information relating to data breaches:

a. Number of instances of data breaches

b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers

c. Impact, if any, of the data breaches

Reasonable

Question 8: Number of days of accounts payable $\left(\frac{\text{Accounts payable} \times 365}{\text{Cost of goods/services procured}} \right)$

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Attribute 9: Open-ness of business

Question 9: Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:

Concentration of Purchases

Concentration Of Sales

Share of RPTs in

a. Purchases (Purchases With related parties / Total purchases)

b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)

c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)

d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)

Reasonable



Madhya Pradesh | Delhi | Maharashtra | Rajasthan | Assam | Uttar Pradesh | Karnataka |
Chhattisgarh | Jharkhand | West Bengal |

**31 मार्च, 2026 को समाप्त
वर्ष के लिए वित्तीय विवरण**

**Financial Statements
For the year ended 31st March, 2026**

विषय सूची

Table of Contents

05

वित्तीय विवरण/ Financial Statements

परिणामों का सारांश / Summarised Results.....	356
स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) / Standalone	363
स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और प्रमाण पत्र Independent Auditors Report and Certificate	364
तुलन पत्र / Balance Sheet.....	388
राजस्व खाता / Revenue Account.....	390
लाभ और हानि खाता / Profit & Loss Account.....	393
प्राप्ति एवं भुगतान खाता / Receipt and Payments Account.....	396
अनुसूची 1 से 15, 16 - अ, ब (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणी)/ Schedule 1 to 15, 16 - A, B (Significant Accounting Policies and Notes)	399
अनुलग्नक - 1 -खंडीय तुलन पत्र और राजस्व खाता / Annexure - 1 - Segmental Balance Sheet and Revenue Account)	568
प्रबंधन रिपोर्ट / Management Report	676

संयोजित/ Consolidated

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट / Independent Auditors Report.....	696
तुलन पत्र / Balance Sheet.....	718
राजस्व खाता / Revenue Account.....	720
लाभ और हानि खाता / Profit & Loss Account	723
प्राप्ति एवं भुगतान खाता / Receipt and Payments Account.....	726
अनुसूची 1 से 15, 16 - अ, ब (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणी) / Schedule 1 to 15, 16 - A, B (Significant Accounting Policies and Notes)	729

परिणामों का सारांश / SUMMARISED RESULTS

वर्ष के दौरान नव व्यवसाय	New Business for the year	2025-26 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)	2024-25 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)
व्यक्तिगत बीमा	INDIVIDUAL ASSURANCE		
बीमा धन/एनसीओ/एम एस बी	Sum Assured / NCO / MSB		
क) बीमे	a) Assurances	5,86,998.43	5,52,463.08
ख) वार्षिकियाँ*	b) Annuities*	14,741.19	14,690.05
ग) पेंशन*	c) Pension*	0.00	0.00
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य***	d) Non Linked Health***	0.00	1,844.22
ङ) संबद्ध***	e) Linked Business***	56,635.60	35,757.24
पॉलिसियों की संख्या (लाख में)	No. of Policies (in lakh)		
क) बीमे	a) Assurances	164.78	164.34
ख) वार्षिकियाँ	b) Annuities	1.62	1.93
ग) पेंशन	c) Pension	0.00	0.00
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य	d) Non Linked Health	0.00	0.10
ङ) संबद्ध	e) Linked Business	18.12	11.55

एनसीओ- नोशनल कैश ऑप्शन, एपीए - प्रतिवर्ष वार्षिकियाँ, एम एस बी- प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ

*एनसीओ वैल्यू

*एपीए वैल्यू

***प्लान 901, 902, 903, 904 तथा 906 के लिए प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ । प्लान 905 के लिए स्वास्थ्य हितलाभ बीमा राशि ।

NCO-Notional Cash Option, APA - Annuity Per Annum, MSB-Major Surgical Benefit

* NCO Value

* APA Value

*** Major Surgical Benefit for plans 901, 902, 903, 904 and 906. Health Benefit Sum Assured for plan 905.

परिणामों का सारांश (जारी) / SUMMARISED RESULTS (Contd.)

चालू व्यवसाय वर्ष की समाप्ति पर	Business in Force at the end of the year	2025-26 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)	2024-25 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)
व्यक्तिगत बीमा	INDIVIDUAL INSURANCE		
बीमा धन एवं बोनस / एपीए / एम एस बी	Sum Assured & Bonus / APA / MSB		
क) बीमे	a) Assurances	75,93,632.56	73,09,745.05
ख) वार्षिकियाँ**	b) Annuities**	12,049.18	11,184.06
ग) पेंशन**	c) Pension**	2,366.97	2,314.46
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य***	d) Non Linked Health***	49,411.41	54,251.67
ड) संबद्ध***	e) Linked Business***	1,14,211.10	70,242.17
पॉलिसियों की संख्या (लाख में)	No. of Policies (in lakh)		
क) बीमे	a) Assurances	2,535.03	2,614.50
ख) वार्षिकियाँ	b) Annuities	28.51	27.51
ग) पेंशन	c) Pension	13.38	13.66
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य	d) Non Linked Health	4.16	4.64
ड) संबद्ध	e) Linked Business	42.82	29.90

एनसीओ- नोशनल कैश ऑप्शन, ए पी ए- प्रतिवर्ष वार्षिकियाँ, एम एस बी- प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ

* एनसीओ वैल्यू

** ए पी ए वैल्यू

*** प्लान 901, 902, 903, 904 तथा 906 के लिए प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ । प्लान 905 के लिए स्वास्थ्य हितलाभ बीमा राशि ।

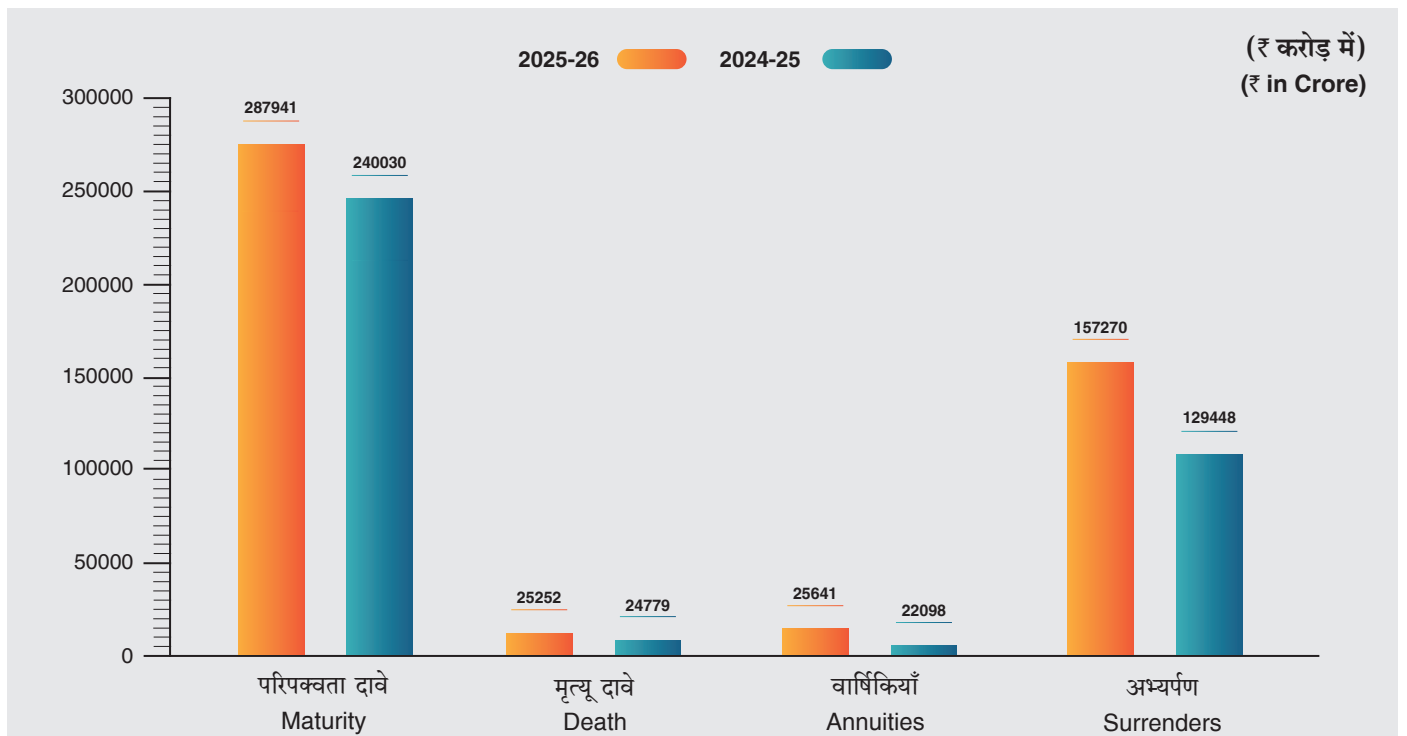
NCO-Notional Cash Option, APA- Annuity Per Annum, MSB-Major Surgical Benefit

* NCO Value

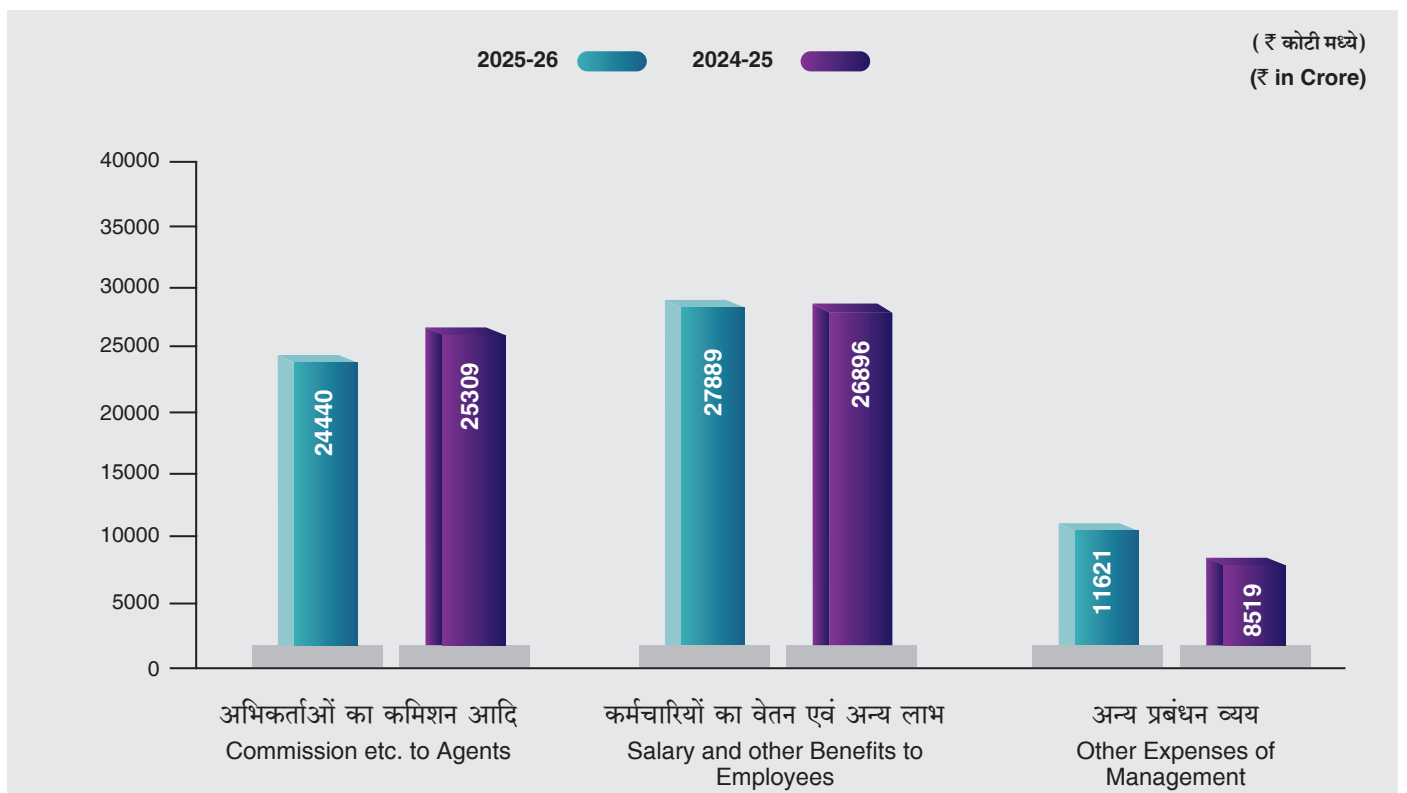
** APA Value

*** Major Surgical Benefit for plans 901, 902, 903, 904 and 906. Health Benefit Sum Assured for plan 905.

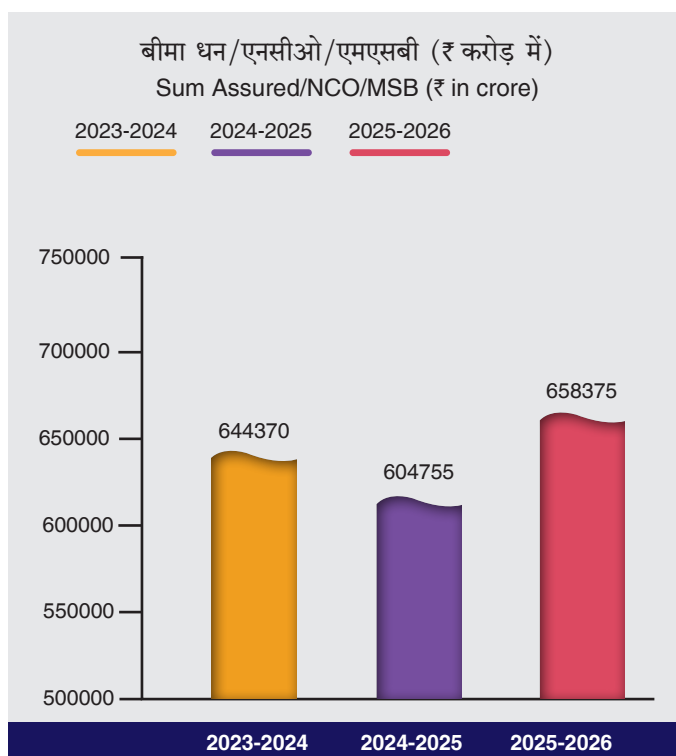
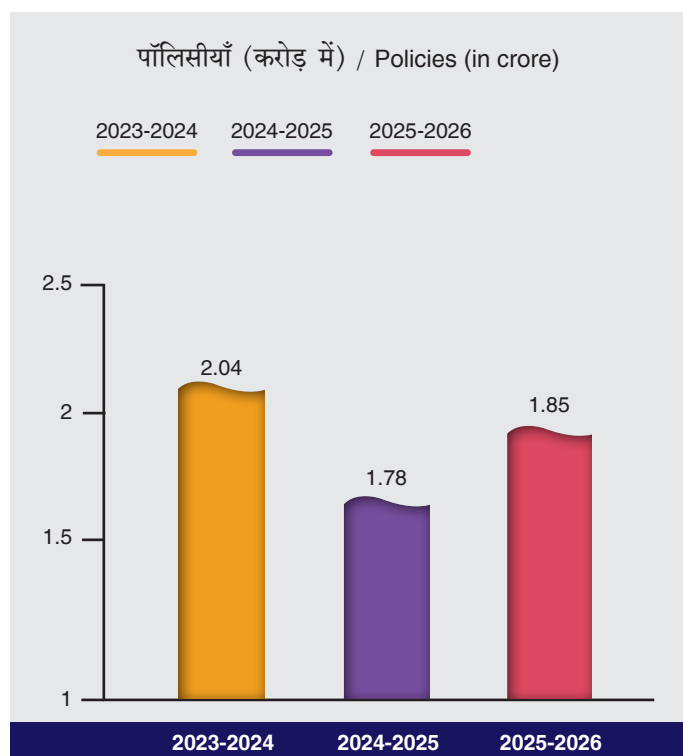
पॉलिसी भुगतानों का विवरण Policy Payments



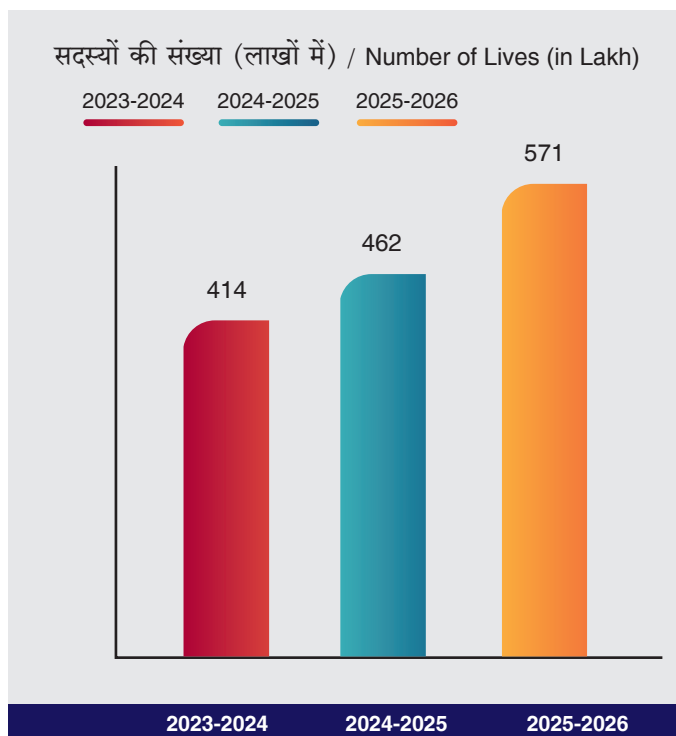
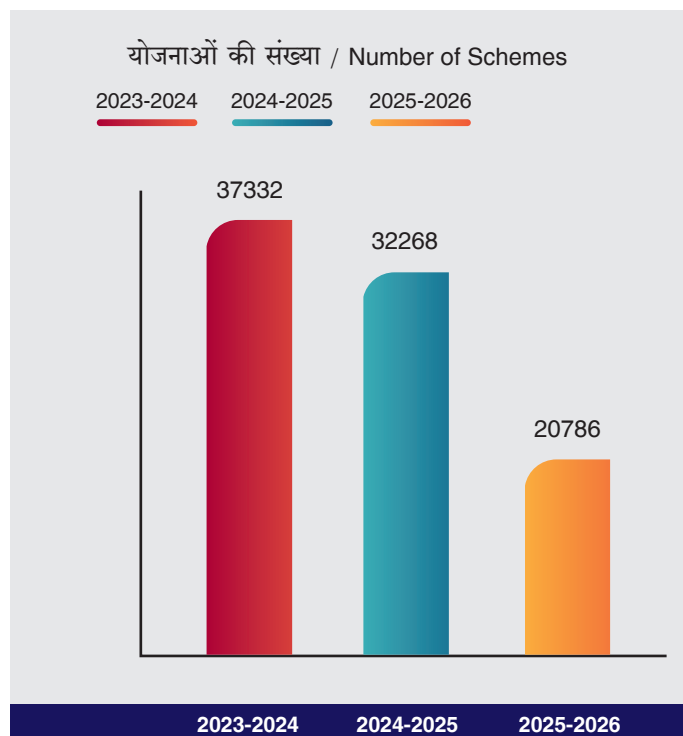
प्रबंधन व्यय का विवरण Management Expenses



व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत नव व्यवसाय 2023-24 से 2025-26 NEW BUSINESS FIGURE (INDIVIDUAL ASSURANCE) 2023-24 TO 2025-26

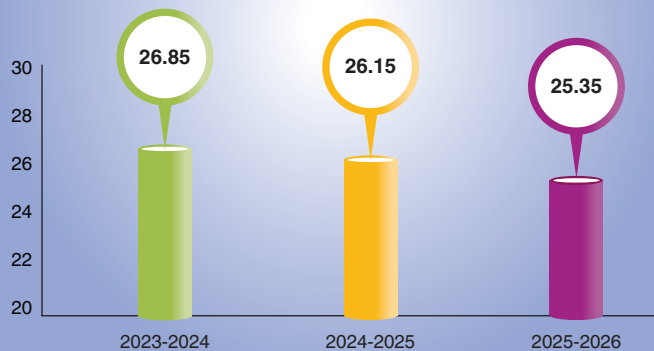
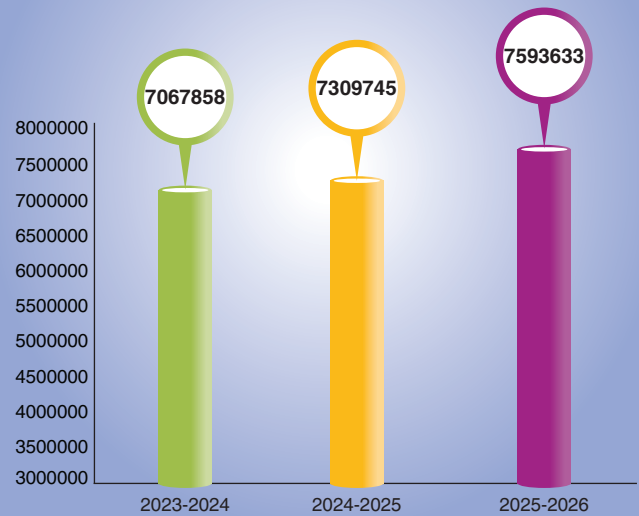


नव व्यवसाय समूह बीमा 2023-24 से 2025-26 NEW BUSINESS (GROUP INSURANCE) 2023-24 TO 2025-26



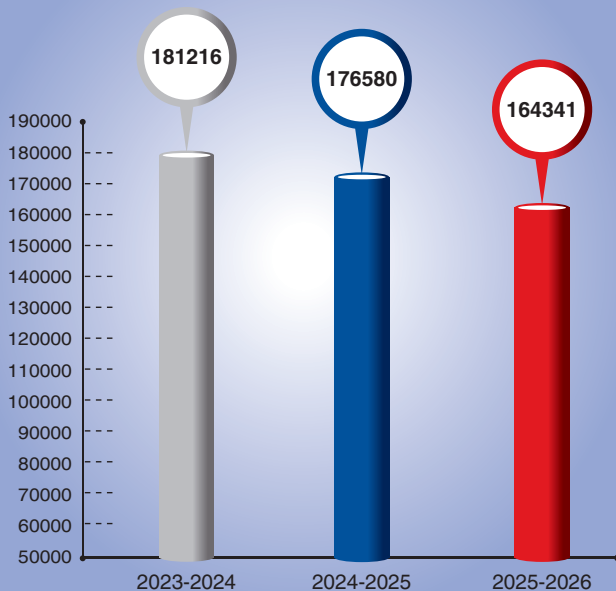
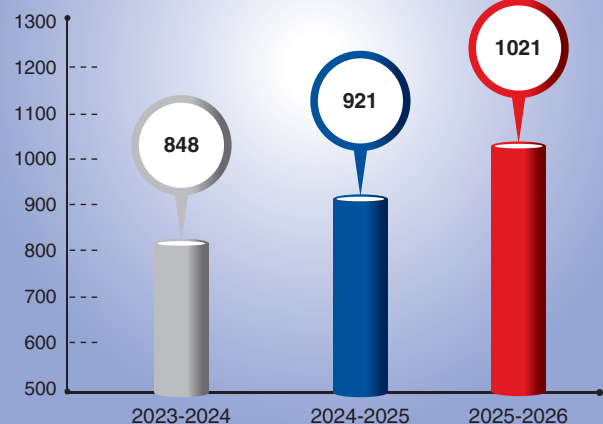
व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत कुल चालू व्यवसाय

TOTAL BUSINESS IN FORCE (INDIVIDUAL ASSURANCE)

पॉलिसियों की संख्या (करोड़ में)
Number of policies (in crore)बीमा धन एवं बोनस/एपीए/एमएसबी (₹ करोड़ में)
Sum Assured & Bonus/APA/MSB (₹ in crore)

चालू व्यवसाय (समूह)

BUSINESS IN FORCE (GROUP)

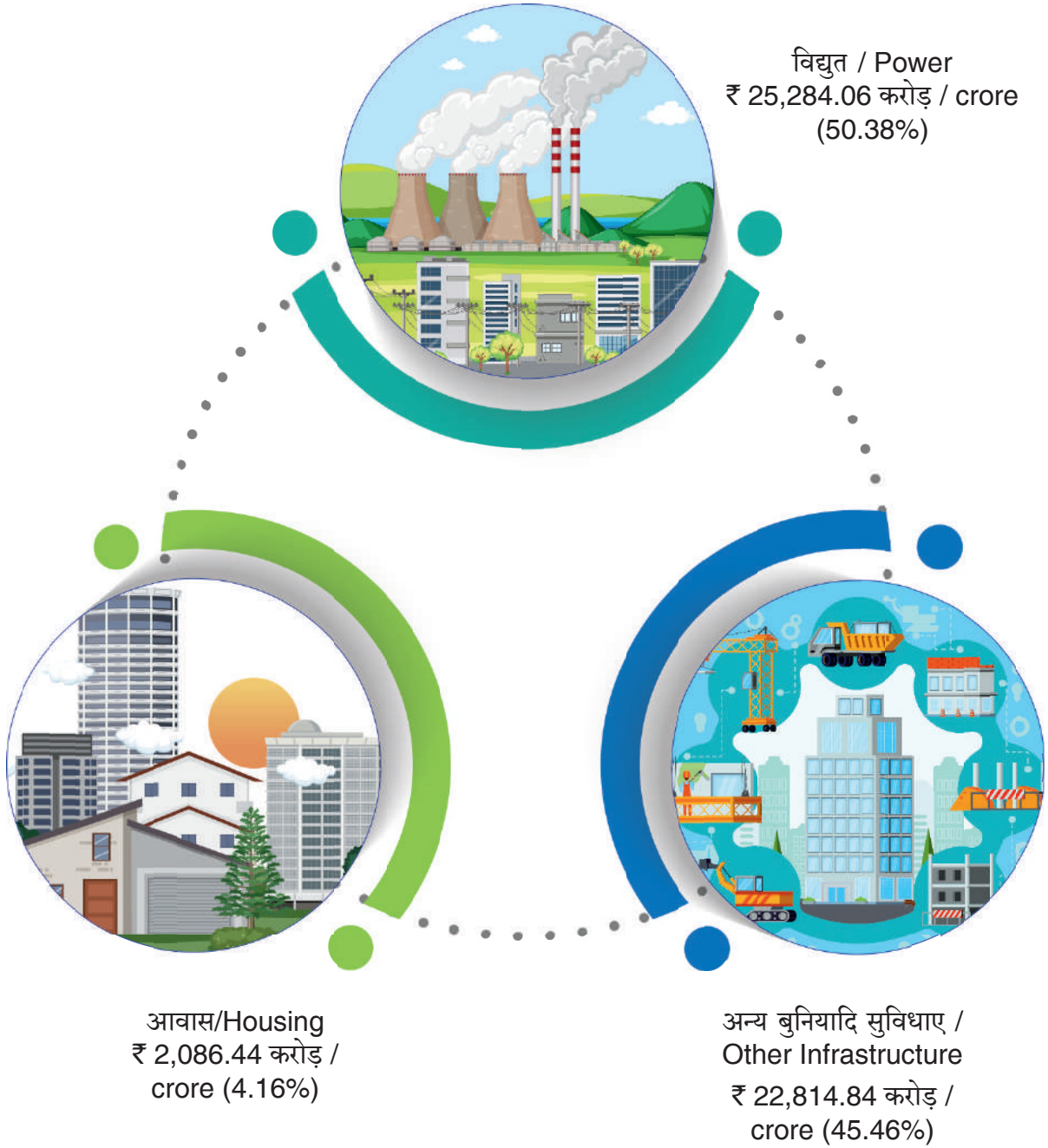
समूह योजना
Number of Schemesसदस्य (लाखों में)
Number of Lives (in Lakh)

कुल निवेश: 2025-26
TOTAL INVESTMENTS
2025-26



- प्रतिभूतियाँ/Securities: ₹ 55,02,482.95 करोड़ / crore (96.04%)
- अन्य निवेश/Other Investments: ₹ 91,082.99 करोड़ / crore (1.59%)
- ऋण/Loan: ₹ 1,35,829.80 करोड़ / crore (2.37%)

बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक क्षेत्रों में निवेश 2025-26

INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE AND SOCIAL SECTOR
2025-26

31 मार्च, 2026 को समाप्त
वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

**Standalone Financial Statements
For the year ended 31st March, 2026**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय जीवन बीमा निगम

के सदस्यों के लिए

स्वचलित (स्टैंड अलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 को स्टैंडअलोन तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन राजस्व खाता (जिसे "पॉलिसीधारक खाता" या "तकनीकी खाता" भी कहा जाता है), स्टैंडअलोन लाभ और हानि खाता (जिसे "शेयरधारक खाता" या "गैर-तकनीकी खाता" भी कहा जाता है) स्टैंडअलोन प्राप्तियां और भुगतान खाता (जिसे "कैश फ्लो स्टेटमेंट" भी कहा जाता है) शामिल है और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का एक सारांश, जिसमें 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) के रिटर्न उनके संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए एवं एक शाखा (गिफ्ट सिटी, भारत) के लिए निगम के लेखा परीक्षकों में से एक लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट की गई रिटर्न शामिल हैं, जिसमें लेखापरीक्षित 8 क्षेत्रीय कार्यालय निगम द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 113 मंडल कार्यालय और पेंशन और समूह योजनाओं की 74 इकाइयाँ।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 ("एलआईसी अधिनियम"), संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, 1938 (बीमा अधिनियम), संशोधित के रूप में, बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 ("आईआरडीए अधिनियम"), (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 ("विनियम"), जिसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र शामिल हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को लागू सीमा तक शामिल किया गया है, के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इस तरह से आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें, जैसा कि बीमा कंपनियों पर लागू होता है:
 - तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2026 तक निगम के मामलों की स्थिति;
 - राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल अधिशेष;
 - लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
 - प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

राय के लिए आधार

- हमने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों ("एसए") के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों, संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, संशोधित के रूप में; आईआरडीए अधिनियम; आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम और आदेश/परिपत्र के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रसंग पर ज़ोर

- हम अनुसूची 16(B) के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - नोट नं. 29 - जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में परिशोधित किया जा रहा है, जो प्रति तिमाही 464.02 करोड़ होगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते में ₹ 1,856.08 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। शेष ₹ 4,640.17 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।

Independent Auditor's Report

To the Members of Life Insurance Corporation of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), which comprise of the Standalone Balance Sheet as at March 31, 2026, the Standalone Revenue Account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), Standalone Profit and Loss Account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non - Technical Account") and the Standalone Receipts and Payments Account for the year ended March 31 2026, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices and 74 units of Pension & Group Schemes audited by the zonal/divisional auditors appointed by the Corporation and the returns of 3 foreign branches (Fiji, Mauritius, United Kingdom) audited by their respective local auditors and for 1 foreign branch (GIFT City, India) audited by one of the Corporation auditors.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements are prepared, in accordance with the Life Insurance Corporation Act 1956 (the "LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), as amended, Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Finance and Investment Functions of Insurers) Regulation, 2024, including orders/ directions/ circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable and in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:
 - i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2026;
 - ii. in the case of the Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
 - iii. in the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
 - iv. in the case of the Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the 'Auditors' Responsibilities for the Audit of Financial Statements' section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the LIC Act and the Rules thereunder, as amended and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4. We draw attention to the following notes to the Standalone Financial Statements under Schedule 16(B):
 - a) Note No. 29, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crores pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an amount of ₹ 1,856.08 crores has been charged to Revenue Account during the year ended March 31, 2026. The balance amount of ₹ 4,640.17 crores shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.

- ख. नोट नं. 30, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित सममूल्य खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होकर, बराबर वार्षिक किस्तों (तीन से अधिक नहीं) में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों के खाते से ₹ 2,410.04 करोड़ की कुल राशि की भरपाई की गई है। ₹ 2,410.01 करोड़ की शेष राशि को वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी।
- ग. नोट नं. 31, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, सममूल्य खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन वर्षों से अधिक नहीं की अवधि के लिए शेयरधारकों के खाते में चार्ज की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों के खाते में कुल 1,825.68 करोड़ चार्ज किए गए हैं। शेष ₹ 1825.74 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में चार्ज की जाएगी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1. निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2026: ₹ 55,45,899.38 करोड़) (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8, 8ए, 8बी देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16ए(8) देखें।) निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर-संबद्ध में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (“निवेश विनियम”) और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होने चाहिए। साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं। गैर-सूचीबद्ध या सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है। इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है।	हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं: - निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा। - नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन - मूल्यांकन की दोबारा गणना के मकसद से सिक्योरिटीज़ की इकाइयों की जांच करने के लिए, निगम द्वारा नियुक्त कस्टोडियन और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से तुलन-पत्र की तारीख पर निवेश के लिए स्वतंत्र बैलेंस पुष्टि प्राप्त की। - विनियम और निगम के बोर्ड द्वारा मंजूर पॉलिसी के आधार पर मूल्यांकन के तरीकों का आकलन करने के लिए, टेस्ट चेक के तौर पर अलग-अलग तरह के निवेश के मूल्यांकन की दोबारा गणना की। - प्रतिभूतियों का मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है। - परीक्षण की गई हानि/प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार है।

- b) Note No. 30, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crores in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 2,410.04 crores has been replenished from the Shareholders' account during the year ended March 31, 2026. The balance amount of ₹ 2,410.01 crore shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.
- c) Note No. 31, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crores towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 1,825.68 crores has been charged to Shareholders' account during the year ended, March 31, 2026. The balance amount of ₹ 1,825.74 crores shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
1. Classification and Valuation of Investments (31.03.2026: ₹ 55,45,899.38 crore) (Refer Schedule 8, 8A, 8B of the Standalone Financial Statements. Refer schedule 16(A)8 to the Standalone Financial Statements for accounting policy.) The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation. As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 (the "Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation. All investments should be valued as prescribed in the Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments. The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate. Further, due to the reassessment of the investee Company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Regulations and/ or Corporation's internal policies.	We have carried out the following audit procedures: - Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation/ impairment of investments. - Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation. - Obtained independent balance confirmations for investments as at balance sheet date from the custodians and depository participants appointed by the Corporation to check the units of securities for the purpose of valuation re-computation. - On a test check basis, recomputed valuation of different class of investments to assess valuation methodologies with reference to the Regulations along with the Corporation's Board approved policy; - Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Regulations and Corporation's accounting policies. - Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Regulations and Corporation's impairment policies.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।	- गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धति और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतरिक नीतियों के साथ पुष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं। - निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की। - हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है। किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।
2. उचित अवधि में राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के राजस्व खाते का अनुसूची 1 देखें। वर्ष के दौरान, निगम ने ₹ 5,35,984.22 करोड़ के शुद्ध प्रीमियम आय को मान्यता दी है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (तुलन-पत्र दिनांक पर कट-ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उद्योग की प्रकृति के कारण, आय, तुलन-पत्र की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।	मंडल/शाखा लेखापरीक्षक ने हमारे साथ शेयर की गई अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा किया है: - राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया। - प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि राजस्व सही लेखा अवधि में अर्जित है या नहीं। - वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया ताकि पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था ताकि राजस्व का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके। - यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षक के अंतर्गत मंडल / शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
Hence, the valuation of investments is considered to be one of the areas which required our significant attention and is one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the Standalone Financial Statements.	• In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment. • For any changes in ratings of the investee Company, we examined the Corporation's assessment with the Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation. • We have perused the available concurrent audit reports on investments. Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the investments were not properly classified or valued.
2. Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition Refer Schedule 1 of Revenue Account of the Standalone Financial Statements. During the year, the Corporation has recognised net premium income of ₹ 5,35,984.22 crores. We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the Balance Sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.	The Division/Branch Auditors have carried out the following audit procedures as reported in their Audit Reports shared with us: • Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue. • Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period. • Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue. • Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit / premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to Balance Sheet but revenue was not recognised. Based on the work carried out by the Division/Branch Auditors under the Zonal auditors, we did not come across any significant matter which indicates that the revenue recognition is not accounted in the correct period.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
3. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं निगम के पास विवादित मामलों सहित कई अनिश्चित कर स्थितियां हैं, जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निगम के पास पिछले कई वर्षों से कर अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर विवाद लंबित है। प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है। हमने मुकदमेबाजी और दावों को मुख्य लेखापरीक्षा विषय माना है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें प्रबंधन निर्णय की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है, जिसमें लेखांकन अनुमान भी शामिल है, जिसमें उच्च अनुमान अनिश्चितता शामिल है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - कर मुकदमों, अन्य मुकदमों और दावों के निर्धारण और आकलन के लिए प्रबंधन के आंतरिक निर्देशों, प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब-किताब और प्रकटीकरण किया। - निगम के कानूनी सलाहकार और इन-हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की। - कर प्रावधान का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं, विवादों के संभावित परिणाम, कानूनी मिसाल और इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में अन्य निर्णयों की समीक्षा की गई। - ऐसे विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों, उद्योग स्तर पर विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान तथा निगम के आंतरिक विशेषज्ञों/बाहरी कर सलाहकारों/वकीलों की राय पर भरोसा किया गया। किए गए कार्य के आधार पर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2026 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम सालाना रिपोर्ट पढ़ते हैं और अगर हमें लगता है कि उसमें कोई अहम गलत जानकारी है, तो हम इस बात की जानकारी उन लोगों को देंगे जो गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार हैं, और संबंधित कानूनों और नियमों के तहत ज़रूरी कार्रवाई करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी है

7. निगम का निदेशक मंडल एलआईसी अधिनियम संशोधित, के प्रावधानों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और निगम का प्राप्ति और भुगतान खाता, जैसा कि संशोधित है, बीमा अधिनियम, संशोधित रूप में आईआरडीए अधिनियम के साथ पठित, इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम, आदेश/निर्देश और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 जिस सीमा तक आवश्यक और लागू हों में निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल है के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि वे तुलन-पत्र का सही और निष्पक्ष रूप दे सकें।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
3. Contingencies relating to certain matters pertaining to Direct and Indirect Tax The Corporation has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. The Corporation has disputes pending at various levels of tax authorities over the past several years. The management with the help of its expert, as needed, have made estimation with respect to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We have considered Litigations and claims as Key Audit Matter because the estimates on which these amounts are based involve a significant degree of management judgment, including accounting estimates that involves high estimation uncertainty.	We have carried out the following audit procedures: - Understood Management's internal instructions, process and control for determining and estimating the tax litigations, other litigations and claims and its appropriate accounting and/or disclosure; - Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts; - Reviewed the management's underlying assumptions in estimating the tax provision, the possible outcome of the disputes, legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions. - Assessed the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts/ External Tax Advisors/ lawyers of the Corporation in relation to such disputed tax positions Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Direct and Indirect Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2026 to be reasonable.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for Standalone Financial Statements

7. The Corporation's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Standalone Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the of the financial position, financial performance, and receipts and payments of the Corporation, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

इस उत्तरदायित्व में संशोधित एलआईसी अधिनियम, संशोधित बीमा अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; आईआरडीए अधिनियम; निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विनियम और आदेश / परिपत्र; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत निवरण से मुक्त होते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आकलन प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निगम के निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
9. एसए के अनुसार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:
 - i. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - ii. लेखापरीक्षा से जुड़े इंटरनल कंट्रोल (आंतरिक नियंत्रण) को समझें ताकि हालात के हिसाब से सही लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तय की जा सकें। एलआईसी अधिनियम की धारा 25B(3)(i) के तहत, हमारी यह जिम्मेदारी भी है कि हम इस बात पर अपनी राय दें कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरण के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और क्या वे कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं।
 - iii. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
 - iv. लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम निरंतर जारी रहना बंद कर सकता है।
 - v. प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, as amended for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Corporation's Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements.

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.
9. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - i. Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
 - ii. Obtain an understanding of the internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 25B(3)(i) of the LIC Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
 - iii. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - iv. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to Continue as a going concern.
 - v. Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

10. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में प्रत्येक वे महत्वपूर्ण कमियां भी आती शामिल हैं जिनका हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पता लगाते हैं।
11. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।
12. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

13. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकक ('नियुक्त बीमांकक') की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2026 तक देयता मौजूद है, के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई/ प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्राधिकरण के साथ सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाई जा सके जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता मौजूद है, जैसा कि निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों / सूचनाओं में निहित है।
14. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 4 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस, फिजी और गिफ्ट सिटी, भारत) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी 5,976.97 करोड़ की कुल संपत्ति, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष तक, ₹ 697.67 करोड़ का कुल राजस्व और शुद्ध लाभ 27.15 करोड़ दर्शाती है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन 3 विदेशी शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निगम के एक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई एक शाखा पर आधारित है।
15. हमने निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 8 क्षेत्रीय कार्यालय , जिनमें 113 मंडल कार्यालय (डीओ) (उनके तहत आने वाली शाखाएँ) और पेंशन और समूह योजना (पी एंड जी एस) की 74 इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं, जिनके वित्तीय विवरण के अनुसार, 31 मार्च 2026 को कुल परिसंपत्तिया (चालू देयताए को छोड़कर) ₹ 2,16,355.33 करोड़ है और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कुल प्रीमियम आय ₹ 5,19,110.98 करोड़ है, जिसकी लेखापरीक्षा, क्षेत्रीय लेखापरीक्षक ने की है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत दी गई है, और जहां तक यह संभागों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे संभागीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
16. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के आकड़ें शामिल हैं, जो निगम के संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित है, जिनमें से एक पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा फर्म थी, जहां उन्होंने 27 मई, 2025 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

17. विनियमों के अनुसार, हमने विनियमों के अनुसूची II के भाग III के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए 21 मई, 2026 को एक अलग प्रमाण पत्र जारी किया है।
18. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2026 तक मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकक ('नियुक्त बीमांकक') का उत्तरदायित्व है। नियुक्त बीमांकक ने देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और लागू जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के संबंध में विधिवत प्रमाणित किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2026 तक मौजूद है और उनकी राय में इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं आईआरडीएआई और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ सहमति से जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं।

10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.
11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

13. The actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the Standalone Financial Statements/ information of the Corporation.
14. The audited financial statements/ information of the 4 foreign branches (United Kingdom, Mauritius, Fiji and GIFT City, India) included in the Standalone Financial Statements reflect total assets of ₹ 5,976.97 crores as at March 31, 2026, total revenue of ₹ 697.67 crores, net profit of ₹ 27.15 crores for the year ended March 31, 2026. Our opinion on the Standalone Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these 3 foreign branches is based on report of such other auditors and for 1 branch audited by one of the Corporation auditors.
15. The financial statements / information of 8 Zonal Offices, which includes 113 Divisional Offices (DO) (including branches there under) and 74 units of Pension & Group Schemes (P&GS) included in the Standalone Financial Statement whose financial statement reflect total assets other than current liabilities of ₹ 2,16,355.33 crores as at March 31, 2026, total premium income of ₹ 5,19,110.98 crores, for the year ended March 31, 2026, have been audited by the zonal auditors, whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of zones is based solely on the report of such zonal auditors.
16. The Standalone Financial Statement includes comparative figures for the year ended March 31, 2025, which have been audited by an earlier set of two audit firms as joint auditors, who have expressed unmodified opinion vide their report dated May 27, 2025 and one of those two audit firms is a continuing audit firm.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on other legal and regulatory requirements.

17. As required by the Regulations, we have issued a separate certificate dated May 21, 2026 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Schedule II Part III to the Regulations.
18. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India.

19. इसके साथ-साथ, उपरोक्त पैराग्राफ 17 में संदर्भित प्रमाण पत्र में हमारी टिप्पणियों के लिए, जैसा कि आईआरडीआई विनियमों और एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 25 बी की उप धारा (3) के तहत भी आवश्यक है, हम इसकी रिपोर्ट करते हैं कि;
- i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, सिवाय उन पुस्तकों के जो इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 19(xi)(f) में रिपोर्ट की गई है।
 - iii. हमारी राय में क्षेत्रों/मंडल कार्यालयों और शाखाओं की उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है;
 - iv. इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
 - v. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
 - vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, उस सीमा तक जहाँ तक आईआरडीए विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों और द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / इस संबंध में आईआरडीए परिपत्रों के साथ ये असंगत नहीं हैं।
 - vii. हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता तथा प्राप्त और भुगतान खाता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में बताए गए लेखांकन मानकों का पालन करते हैं, बशर्ते वे आईआरडीआई विनियम (जिसमें आईआरडीआई द्वारा जारी मास्टर परिपत्र, आदेश, निर्देश और अन्य परिपत्र शामिल हैं) में बताए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों के खिलाफ न हों।
 - viii. 31 मार्च, 2026 तक डायरेक्टर्स से मिली लिखित जानकारी के आधार पर, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकॉर्ड पर लिया है, एलआईसी एक्ट की धारा 4ए(i) के तहत 31 मार्च, 2026 तक कोई भी डायरेक्टर, डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
 - ix. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित बदलाव ऊपर पैराग्राफ 19(ii) में बताए गए हैं।
 - x. निगम के पास वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय के लिए हमारी अलग रिपोर्ट “अनुलग्नक ए” के रूप में देखें।
 - xi. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा की एलआईसी सामान्य नियम, 1956 के नियम 23(i) द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - क) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के शेड्यूल 16(ब) - नोट 1 को देखें।
 - ख) निगम ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत 31 मार्च, 2026 तक डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान के लिए प्रावधान किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की अनुसूची 16(ब) - नोट 17 देखें।
 - ग) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निगम द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

19. Further, to our comments in the Certificate referred to in paragraph 17 above, as required under the IRDAI Regulations and under sub section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
- i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books except for those reported in paragraph 19(xi)(f) of this report;
 - iii. In our opinion proper returns of zones/ divisional offices and branches have been received and found them adequate for the purpose of audit;
 - iv. The Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDAI in this behalf;
 - vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDAI Regulations and orders/ directions / circulars issued by IRDAI in this regard.
 - vii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in Section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent they are not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDAI Regulations including Master Circulars, orders, directions and other circulars issued by IRDAI in this regard.
 - viii. On the basis of the written representations received from the directors as at March 31, 2026, taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as at March 31, 2026, from being appointed as a director in terms of Section 4A(i) of the LIC Act..
 - ix. The modification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are stated in paragraph 19(ii) above.
 - x. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A".
 - xi. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as specified by Rule 23(i) of LIC General Rule 1956 , in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Schedule 16(B) - note 1 to the Standalone Financial Statements.
 - b) The Corporation has made provision as at March 31, 2026, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts – Refer Schedule 16(B) - note 17 to the Standalone Financial Statements.
 - c) There are no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation for the year ended March 31, 2026.

- घ) i. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में टिप्पणियों में प्रकट किए गए के अलावा, निगम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;
- ii. प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, निगम द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (“वित्तपोषण पक्ष”) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, तथा यह सहमति है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, निगम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की कोई चीज प्रदान करेगा; तथा
- iii. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (i.) और (ii.) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।
- ड) पिछले साल प्रस्तावित अंतिम डिविडेंड की घोषणा और भुगतान कॉर्पोरेशन द्वारा साल के दौरान एलआईसी एक्ट की धारा 28B (जैसा लागू हो) के अनुसार किया जाता है। कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने साल के लिए अंतिम डिविडेंड का प्रस्ताव रखा है, जिसे आने वाली सालाना आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों की मंजूरी मिलनी ज़रूरी है। प्रस्तावित डिविडेंड की राशि एलआईसी एक्ट की धारा 28B (जैसा लागू हो) के अनुसार है (स्टैंडअलोन फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल 16(B) – नोट 33 देखें)।
- च) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, निगम ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है, सिवाय इसके कि:
- ePGS के मामले में, प्रदर्शन और स्थान की कमी के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है। हालाँकि, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा संबंधित मॉड्यूल की हिस्ट्री टेबल में बनाए रखा जाता है। इसके अलावा ऑडिट डेटा को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लॉग, सर्वर लॉग, LB लॉग भी कैप्चर किए जाते हैं। ePGS के ट्रांजेक्शन लेवल लॉग संबंधित मॉड्यूल टेबल से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- ऑडिट के दौरान, ऊपर बताए गए डेटाबेस के अलावा अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला और कॉर्पोरेशन ने रिकॉर्ड रखने से जुड़े कानूनी नियमों के अनुसार ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
क.प.सं.: 109208W

मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
क.प.सं.: 106655W

सीए जी. शंकर (साझेदार)
सदस्यता संख्या: 046050
UDIN: 26046050EWYFIO7394

सीए निशा यादव (साझेदार)
सदस्यता संख्या: 135775
UDIN: 26135775BCOOIP7698

स्थान: मुंबई
दिनांक: मई 21, 2026

- d) i. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Corporation to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Corporation ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries to the financial statements);
- ii. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Corporation from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Corporation shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- iii. Based on such audit procedures that we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) above contain any material misstatement.
- e) The final dividend, proposed in the previous year, is declared and paid by the Corporation during the year is in accordance with Section 28B of the LIC Act, as applicable. The Board of Directors of the Corporation have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 28B of the LIC Act, as applicable (refer Schedule 16(B) - note 33 to the Standalone Financial Statement)
- f) Based on our examination which included test checks, the Corporation has used accounting software for maintaining its books of account, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same have operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except that:

In case of ePGS, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space constraints. However, data required for audit is maintained in the history table of the respective module. In addition to this the application log, server log, LB logs are also captured to augment the audit data. Transaction level logs of ePGS can be derived from the relevant module tables.

For accounting software other than the aforesaid databases during the course of our audit, we did not come across any instances of audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the Corporation as per the statutory requirements for record retention.

V. Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN: 109208W

CA G Sankar
Partner
Membership No.: 046050
UDIN: 26046050EWYFIO7394

Place: Mumbai
Date: May 21st, 2026

Mukund M Chitale & Co.
Chartered Accountants
FRN: 106655W

CA Nisha Yadav
Partner
Membership No.: 135775
UDIN: 26135775BCOOIP7698

अनुलग्नक – ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों को आज दिनांक को भेजी गई हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 19(x) में संदर्भित

एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25बी की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे निगम कहा जाएगा) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, हमने निगम के 31 मार्च, 2026 तक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (‘आईसीएआई’) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें निगम की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और एलआईसी अधिनियम, (संशोधित) के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (‘मार्गदर्शन नोट’) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्ति और व्यय केवल प्रबंधन और निगम के निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

Annexure A to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 19(x) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Life Insurance Corporation of India of even date)

Report on the internal financial controls with reference to standalone Financial Statements under Clause (i) of sub-section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended)

We have jointly audited the internal financial controls with reference to the standalone financial statements of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation") as at March 31, 2026, in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control with reference to Standalone Financial Statements criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the LIC Act (as amended).

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to Standalone Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation internal financial controls system with reference to Standalone Financial Statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Standalone Financial Statements

The Corporation's internal financial control with reference to Standalone Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control with reference to Standalone Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2026 तक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामले

- क) एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25(बी) की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह निगम द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय/मंडलीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 8 क्षेत्रीय कार्यालयों, 113 मंडल कार्यालयों और पेंशन एवं समूह योजनाओं की 74 इकाइयों से संबंधित है, तथा 3 विदेशी शाखाओं (फिजी, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम) के लेखापरीक्षित रिटर्न उनके संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित, अन्य लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है, जो हमें भेजी गई हैं तथा 1 शाखा (गिफ्ट सिटी, भारत) के लिए निगम के एक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की गई है, तथा हमारे द्वारा आवश्यक समझे गए तरीके से इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से निपटा गया है।
- ख) लागू जीवन पॉलिसीयों और जिन पॉलिसीयों का प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देनदारी अभी भी बनी हुई है, उनसे जुड़ी देनदारियों का एक्चुअरियल मूल्यांकन कॉर्पोरेशन के नियुक्त बीमांकक की ज़िम्मेदारी है। 31 मार्च, 2026 तक चालू लाइफ़ पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी जिनके लिए प्रीमियम देना बंद कर दिया गया है लेकिन देनदारी बनी हुई है, उनसे जुड़ी इन देनदारियों का एक्चुअरियल मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। उनकी राय में, इस मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके और अनुमान लागू आईआरडीएआई नियमों के अनुसार हैं, और हमने इन पर भरोसा किया है, जैसा कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट के पैराग्राफ 13 और 18 में बताया गया है।

तदनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय में मूल्यांकन पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन की सटीकता पर रिपोर्टिंग शामिल नहीं है।

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए जी. शंकर (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 046050

UDIN: 26046050EWYFIO7394

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 21, 2026

मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 106655W

सीए निशा यादव (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 135775

UDIN: 26135775BCOOIP7698

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements, including the possibility of collusion or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to Standalone Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial control with reference to Standalone Financial Statements and such internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

Other Matter

- a) Our aforesaid report under Clause (i) of sub section (3) of Section 25(B) of the LIC Act 1956 (as amended) on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Standalone Financial Statements in so far as it relates to 8 Zonal Offices which includes 113 Divisional Offices and 74 units of Pension & Group Schemes audited by the zonal/divisional auditors appointed by the Corporation, and audited returns of 3 foreign branches (Fiji, Mauritius, United Kingdom) audited by their respective local auditors, is based on the corresponding reports of the other auditors which has been shared to us and for 1 foreign branch (GIFT City, India) audited by one of the Corporation auditors and has been properly dealt with in preparing this report in the manner considered necessary by us.
- b) The actuarial valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium is discontinued but liability exists is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary. The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the methods and assumptions used for such valuation are in accordance with the applicable IRDAI Regulations, and has been relied upon by us, as mentioned in paragraph 13 and 18 of our audit report on the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2026.

Accordingly, our opinion on the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

V. Sankar Aiyar & Co.

Chartered Accountants
FRN: 109208W

CA G Sankar
Partner
Membership No.: 046050
UDIN: 26046050EWYFIO7394

Mukund M Chitale & Co.

Chartered Accountants
FRN: 106655W

CA Nisha Yadav
Partner
Membership No.: 135775
UDIN: 26135775BCOOIP7698

Place: Mumbai
Dated: May 21st, 2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 21 मई 2026 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के भाग अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 17 में संदर्भित)

भारतीय जीवन बीमा निगम

के सदस्यों के लिए

- 1 यह प्रमाण पत्र बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम 2024, (“आईआरडीआई विनियम”) की अनुसूची II के भाग III के पैराग्राफ 3 और 4 की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया गया है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

- 2 निम्नलिखित के पालन करने का उत्तरदायित्व जीवन बीमा निगम के प्रबंधन की है। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधान (संशोधित), बीमा अधिनियम, 1938 (संशोधित), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीआई अधिनियम); आईआरडीआई विनियम, और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (“आईआरडीआई”) द्वारा जारी किए गए आदेश / परिपत्र जिसमें प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक, लागू सीमा तक, जिसमें खाते की पुस्तकों और प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इस जिम्मेदारी में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त डेटा एकत्र करना, एकत्र करना और मान्य करना और आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और निगरानी करना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

- 3 आईआरडीआई के विनियमों के अनुसार, निगम के खाते और अन्य अभिलेखों की जांच करना हमारी जिम्मेदारी है, और:
 - (i) इस बात पर अपनी राय के रूप में उचित आश्वासन देना कि क्या:
 - क) 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जुड़ी प्रबंधन रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ कोई स्पष्ट गलती या महत्वपूर्ण विसंगति है;
 - ख) 31 मार्च, 2026 तक, हमारे द्वारा कैश बैलेंस और हाथ में मौजूद चेक, जितना ज़रूरी समझा गया, और निगम के ऋण, रिवर्सन, लाइफ इंटेस्ट और निवेश से जुड़ी सिक्योरिटीज़ की जांच की गई है;
 - ग) 31 मार्च, 2026 तक, हमारे द्वारा बीमाकर्ता द्वारा ट्रस्टी के तौर पर संभाले गए किसी भी ट्रस्ट से जुड़े निवेश और ट्रांज़ैक्शन की जांच की गई है; और
 - घ) पॉलिसीधारकों के निधि की परिसंपत्तियों के किसी भी हिस्से को पॉलिसीधारकों के निधि के आवेदन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया है।
 - (ii) इस बात पर निष्कर्ष के रूप में सीमित आश्वासन देना कि क्या हमारे ध्यान में कोई ऐसी बात आई है जिससे हमें यह विश्वास हो कि निगम ने आईआरडीआई द्वारा बताए गए बीमा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 4 के अनुसार पंजीकरण की शर्तों और नियमों का पालन नहीं किया है।
- 4 ऊपर पैरा 3 में बताई गई खाते और अभिलेखा से जुड़े स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षा हमने संयुक्त रूप से किया है। यह लेखापरीक्षा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, बीमा अधिनियम, आईआरडीआई अधिनियम, आईआरडीआई विनियम (जिसमें मास्टर परिपत्र, आदेश, दिशानिर्देश और आईआरडीआई द्वारा इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र शामिल हैं, जहाँ भी लागू हों) की ज़रूरतों के अनुसार किया गया है। इस पर हमने 21 मई, 2026 की अपनी रिपोर्ट में बिना किसी बदलाव के लेखापरीक्षा राय जारी की थी। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (‘आईसीएआई’) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों एवं अन्य प्रयोजनीय लागू आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार आयोजित की गई थी। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते और इसे निष्पादित करते हुए इस बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त गलत विवरणों से मुक्त हैं। हमारी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किसी भी लेनदेन के संबंध में उन मामलों की जिसके किसी तीसरे पक्ष का संभावित हित हो सकता है, की पहचान करने के लिये नहीं हैं।
- 5 हमने अपनी लेखा परीक्षा टेस्ट चेक के आधार पर, आईसीएआई द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए जारी किए गए प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार आयोजित की हैं। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की अन्य नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें।

Independent Auditor's Certificate

(Referred to in paragraph 17 under "Report on other Legal and Regulatory Requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated May 21, 2026)

To,

**The Members of
Life Insurance Corporation of India**

1. This Certificate is issued pursuant to requirements of paragraphs 3 and 4 of Part III of Schedule II of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 (the "IRDAI Regulations").

Management's Responsibility

2. The Management of Life Insurance Corporation of India (the "Corporation") is responsible for complying with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), Insurance Act, 1938 (as amended); the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (the "IRDA Act"); the IRDAI Regulations and orders/directions/circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority India (the "IRDAI"), including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable which includes the preparation and maintenance of books of account and the Management Report. This responsibility includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid and providing complete and accurate information as requested by the appropriate authorities.

Auditor's Responsibility

3. Pursuant to the IRDAI Regulations, it is our responsibility to examine the books of account and other records of the Corporation, and:
 - (i) provide reasonable assurance in the form of an opinion on whether:
 - a) the Management Report attached to the Standalone financial statements for the year ended March 31, 2026 has apparent mistakes or material inconsistencies with the Standalone financial statements;
 - b) the cash balances and cheques on hand, to the extent considered necessary and the securities relating to the Corporation's loans, reversions and life interests and investments have been verified by us as at March 31, 2026;
 - c) the investments and transactions relating to any trusts undertaken by the insurer as trustee have been verified by us as at March 31, 2026; and
 - d) any part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act relating to the application and investments of the Policyholders' Funds.
 - (ii) provide limited assurance in the form of a conclusion on whether anything has come to our attention that causes us to believe that the Corporation has not complied with the terms and conditions of registration as per Sub-section 4 of Section 3 of the Insurance Act as stipulated by the IRDAI.
4. The Standalone financial statements relating to the books and records referred to in paragraph 3 above, have been jointly audited by us pursuant to the requirements of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the Insurance Act, IRDA Act, the IRDAI Regulations including Master Circulars, orders, directions and other circulars issued by the IRDAI in this regard, to the extent applicable, on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 21, 2026. Our audits of these Standalone Financial Statements were conducted in accordance with Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
5. We conducted our examination, on a test check basis, in accordance with the 'Guidance Note on Reports and Certificates for Special Purposes' (the "Guidance Note") issued by the ICAI. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

- 6 हमने गुणवत्ता नियंत्रण (“एसक्यूसी”) 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं की सहभागिताओं का अंकेक्षण और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- 7 सीमित आश्वासन एंगेजमेंट में ऊपर पैराग्राफ 3(ii) में बताए गए रिपोर्टिंग मानदंडों पर पर्याप्त और उचित सबूत पाने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति और समय ‘उचित आश्वासन’ के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं से अलग होती है और उनका दायरा भी कम होता है; नतीजतन, इससे मिलने वाला आश्वासन का स्तर उस आश्वासन से काफी कम होता है जो ‘उचित आश्वासन एंगेजमेंट’ करने पर मिलता।
- 8 पैराग्राफ 3(ii) में बताए गए मामले के संबंध में पैराग्राफ 6 में वर्णित जांच करते समय, हमने निगम के उन अधिकारियों द्वारा सदस्य मंडल को सौंपी गई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की हैं, जिन पर अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।

राय

- 9 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम द्वारा बनाए गए खाते और अन्य अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप तथा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर
 - i) हम प्रमाणित करते हैं कि:
 - क) हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से जुड़ी प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है, और हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्ट और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट त्रुटियाँ या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं हैं;
 - ख) हमने निगम के कर्मचारियों से मिली पुष्टियों सहित टेस्ट चेक के आधार पर नकदी का सत्यापन किया है; और हाथ में मौजूद चेक, ज़ोनल ऑडिटर्स द्वारा, जैसा कि संबंधित ज़ोन के अंतर्गत डिवीज़न/ब्रांच ऑडिटर्स द्वारा आवश्यक समझा गया, और निगम द्वारा नियुक्त कस्टोडियन या काउंटरपार्टीज़ से प्राप्त पुष्टियों के आधार पर 31 मार्च, 2026 तक निगम के ऋण और निवेश से संबंधित सिक्वोरिटीज़, जैसा भी मामला हो, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अनसिक्योर्ड ऋण के अनुसूची 9 फुटनोट में बताए गए को छोड़कर। 31 मार्च, 2026 तक, निगम के पास कोई रिवर्जन और लाइफ इंटेरेस्ट नहीं है;
 - ग) निगम किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं है और तदनुसार बीमाकर्ता द्वारा ट्रस्टी के रूप में किए गए किसी भी ट्रस्ट से संबंधित निवेशों और लेनदेन के सत्यापन का प्रश्न ही नहीं उठता; और
 - घ) पॉलिसीधारकों के निधि की परिसंपत्तियों का कोई भी हिस्सा पॉलिसीधारकों के निधि के आवेदन और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया गया है।
 - ii) निगम के अधिकारियों द्वारा बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तुत किए गए प्रबंधन अभ्यावेदन और अनुपालन प्रमाण पत्र के आधार पर, और सदस्य मंडल द्वारा नोट किए जाने के आधार पर, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया जो हमें विश्वास दिलाए कि निगम ने आईआरडीए द्वारा निर्धारित बीमा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 4 के अनुसार पंजीकरण की शर्तें और नियम, का अनुपालन नहीं किया गया है।

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए जी. शंकर (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 046050

UDIN: 26046050XVKNXR5213

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 21, 2026

मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 106655W

सीए निशा यादव (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 135775

UDIN: 26135775EDXMBH9030

6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control ('SQC') 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related Services engagements.
7. A limited assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the reporting criteria mentioned in paragraph 3(ii) above. The procedures performed vary in the nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance and consequently, the level of assurance obtained is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.
8. In carrying out our examination as described in paragraph 6 in respect of the matter referred in paragraph 3(ii), we have obtained the compliance reports submitted to the Board of Directors by the officers of the Corporation charged with compliance.

Opinion/Conclusion

9. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by Corporation, for the year ended March 31, 2026:
 - i) we certify that:
 - a) We have reviewed the Management Report attached to the Standalone financial statements for the year ended March 31, 2026, and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the Standalone Financial Statements.
 - b) we have verified the cash on a test check basis including confirmations received from the Corporation's personnel; and cheques on hand, to the extent considered necessary by the Zonal auditors including Division/Branch auditors under the respective Zone and securities relating to Corporation's loans and investments as at March 31, 2026, on the basis of confirmations received from Custodians appointed by the Corporation or from counterparties, as the case may be except as stated in Schedule 9 footnote to Unsecured loans of the Standalone Financial Statements. As at March 31, 2026, the Corporation does not have reversions and life interests;
 - c) the Corporation is not a trustee of any trust and accordingly question of verification of the investments and transactions relating to any trusts undertaken by the insurer as trustee does not arise; and
 - d) No part of the assets of the Policyholders' Funds has been directly or indirectly applied in contravention to the provisions of the Insurance Act, 1938, relating to the application and investment of the Policyholders' Fund.
 - ii) Based on management representations and the compliance reports submitted to the Board of Directors by the officers of the Corporation charged with compliance and the same being noted by the Board of Directors, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Corporation has not complied with the terms and conditions of registration as per Sub-section 4 of Section 3 of the Insurance Act as stipulated by the IRDAI.

V. Sankar Aiyar & Co.

Chartered Accountants

FRN: 109208W

CA G Sankar

Partner

Membership No.: 046050

UDIN: 26046050XVKNXR5213

Mukund M Chitale & Co.

Chartered Accountants

FRN: 106655W

CA Nisha Yadav

Partner

Membership No.: 135775

UDIN: 26135775EDXMBH9030

Place: Mumbai

Dated: May 21st, 2026

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India
Registration No. 512 Dated: 01.01.200131 मार्च, 2026 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5	6,325.00	6,325.00
आंबटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धनराशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	1,69,925.81	1,20,095.76
जमा / (नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(894.43)	(233.02)
उप-योग / Sub-Total		1,75,356.38	1,26,187.74
उधारी / BORROWINGS	7	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा / (नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		5,02,787.54	6,47,539.87
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षितनिधि / HEDGE FLUCTUATION RESERVE		(847.21)	10.62
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		51,00,259.51	47,35,580.36
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
(क) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium		1,509.77	790.81
(ख) अन्य (ii) Others		13.40	13.98
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	23,133.40	15,669.67
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		60,398.13	47,533.10
उप-योग / Sub-Total		56,87,254.54	54,47,138.41
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS			
संबद्ध / Linked		73.47	55.05
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)		0.00	0.00
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)		3,141.59	1,773.36
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		58,65,825.98	55,75,154.56
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश / INVESTMENTS			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	1,50,740.33	1,04,025.81
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	53,33,262.11	51,36,278.80
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	61,896.94	48,311.99
ऋण / LOANS	9	1,29,847.56	1,27,479.90
अचल परिसम्पतियाँ / FIXED ASSETS	10	4,736.25	4,461.16
आस्थगित कर परिसम्पतियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)		0.00	0.00

(₹ करोड़ में)
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS			
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	64,284.40	62,300.45
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,59,692.45	1,40,986.14
उप-योग (क) / Sub-Total (A)		2,23,976.85	2,03,286.59
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	38,634.06	33,746.63
प्रावधान / PROVISIONS	14	0.00	14,943.06
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)		38,634.06	48,689.69
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		1,85,342.79	1,54,596.90
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)		0.00	0.00
कुल / TOTAL		58,65,825.98	55,75,154.56

आकस्मिक देयताएँ / Contingent Liabilities 16 (B) 1

महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ
Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 16(A)&16(B)

उपर्युक्त अनुसूचियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above and the Notes of Accounts form an integral part of the Standalone Financial Statement.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India
Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम	1	5,36,748.56	4,88,848.92
(a) Premium			
(ख) पुनर्बीमा अंतरण		(764.34)	(700.75)
(b) Reinsurance ceded			
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार		0.00	0.00
(c) Reinsurance accepted			
उप-योग / Sub total		5,35,984.22	4,88,148.17
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		3,33,077.09	3,15,828.51
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross			
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ		95,807.27	77,392.33
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)		(1,852.62)	692.86
(c) (Loss on sale/redemption of investments)			
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*		(4,745.95)	(189.48)
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*			
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट		9,421.89	(1,100.84)
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments			
अन्य आय / Other Income			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		123.38	70.65
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		2,675.99	591.86
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholder's A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए		2,410.03	2,617.40
(a) Towards Excess Expenses of Management			
(ख) एम डी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए		0.00	0.00
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs			
(ग) अन्य		12.65	24.69
(c) Others			
कुल (क) / TOTAL (A)		9,72,913.95	8,84,076.15
कमीशन / Commission	2	24,439.59	25,308.76
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	39,509.78	35,415.20

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		(821.12)	(1,545.79)
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		0.00	0.00
कर के लिए प्रावधान (शुद्ध)* / Provisions for Tax (Net)*		(4,173.41)	7,772.49
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		(475.52)	15.60
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र और अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debenture/ Bonds and others		(341.53)	(642.39)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services Tax on ULIP Charges		148.76	223.34
कुल (ख) / TOTAL (B)		58,286.55	66,547.21
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	4,87,747.57	4,13,278.89
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		8,356.71	3,075.80
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies			
(क) सकल** / (a) Gross**		3,49,736.08	3,40,255.08
(ख) (पुनर्बीमा में अंतरित राशि) (b) (Amount ceded in Reinsurance)		0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		0.00	0.00
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies		12,865.03	12,657.01
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Policies		719.91	397.17
(च) भविष्य विनियोजन निधियों का अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation- Linked Business		18.42	25.04
कुल (ग) / TOTAL (C)		8,59,443.72	7,69,688.99
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		55,183.68	47,839.95
अंशधारको के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		4,216.82	2,255.42
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि / AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		59,400.50	50,095.37
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		58,032.27	49,506.72
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		0.00	0.00
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष / Balance being Funds for Future Appropriations		1,368.23	588.65
कुल (घ) / TOTAL (D)		59,400.50	50,095.37

* निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माना गया प्राप्त लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

लेखों पर टिप्पणियों की अनुसूची 16 (बी) के बिंदु संख्या 34 देखें।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Refer Schedules 16 (B) point no. 34 of Notes to Accounts.

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा:

The Breakup of Total Surplus during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस (a) Interim Bonuses Paid	8,356.71	3,075.80
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन (b) Allocation of Bonus to Policyholders	59,725.53	56,331.10
(ग) राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts	55,183.68	47,839.95
(घ) कुल अधिशेष (क+ख+ग) / (d) Total Surplus [a+b+c]	1,23,265.92	1,07,246.85

उपर्युक्त अनुसूचियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above and the Notes of Accounts form an integral part of the Standalone Financial Statement.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)सनदी लेखाकार
Chartered Accountantsसनदी लेखाकार
Chartered Accountantsसीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamyडॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathyमुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuaryसुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officerअंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा

कुल व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Shareholders' Account (Non-technical Account)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी लेखा) से अंतरित शेष: Amounts transferred from the Policyholders account (Technical Account)		58,032.27	49,506.72
निवेशों से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		8,164.69	5,649.96
(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		421.35	380.33
(ग) निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(0.10)	(9.07)
(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट (d) Amortisation of Premium/Discount on Investments		1.74	(29.51)
अन्य आय / Other Income		0.00	0.00
कुल (क) / TOTAL (A)		66,619.95	55,498.43
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the insurance business		2,415.48	2,467.91
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान Contribution to Policyholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,410.03	2,617.40
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTG/ Other KMPs		0.00	0.00
(ग) अन्य / (c) Others		12.65	24.69

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज / Interest on subordinated debt		0.00	0.00
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च / Expenses towards CSR activities		0.00	0.00
दंड / Penalties		0.02	0.03
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad Debts Written Off		0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि / Amount Transferred to policy holder's account		4,216.82	2,255.42
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (Other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		166.62	(4.93)
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए (b) Provision for doubtful debts		0.00	0.00
(ग) अन्य / (c) Others		(55.45)	(13.26)
कुल (ख) / TOTAL (B)		9,166.17	7,347.26
कर पूर्व लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) before tax		57,453.78	48,151.17
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		35.23	0.00
कर पश्चात लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) after tax		57,418.55	48,151.17
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the year		1,20,067.43	75,711.26
(ख) अंतरित लाभांश का भुगतान (b) Interim dividend paid		0.00	0.00
(ग) अंतिम लाभांश का भुगतान (c) Final Dividend Paid		7,590.00	3,795.00
(घ) आरक्षितनिधि / अन्य खाते में अंतरण (d) Transfer to reserves/other accounts		0.00	0.00
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ / Profit carried forward to the Balance Sheet		1,69,895.98	1,20,067.43

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
प्रति शेयर उपार्जन - मूल (₹) (अनुसूची 16 (बी) के नोट 22 देखें) / Earning per Share- Basics (₹) (Refer Note 22 of Schedule 16 (B))		90.78	76.13
प्रति शेयर उपार्जन - न्यूनीकृत (₹) (अनुसूची 16 (बी) के नोट 22 देखें) / Earning per Share- Diluted (₹) (Refer Note 22 of Schedule 16 (B))		90.78	76.13
शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Nominal Value of Share (₹)		10.00	10.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies & Notes to Accounts	16(A)&16(B)		

उपर्युक्त अनुसूचियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above and the Notes of Accounts form an integral part of the Standalone Financial Statement.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India
Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

स्टैंडअलोन प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
STANDALONE RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 2026
IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from the operating activities:		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हैं Premium received from policyholders, including advance receipts	5,36,711.42	4,89,818.37
अन्य प्राप्तियाँ Other receipts	681.05	651.38
पुनः बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन एवं दावों/लाभ से शुद्ध Payments to the re-insurers, net of commissions and claims/ Benefits	(190.00)	(44.65)
दावों/लाभों का भुगतान Payments of claims/benefits	(4,94,744.89)	(4,21,223.93)
कमीशन और दलाली का भुगतान Payments of commission and brokerage	(24,434.33)	(25,364.85)
अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of other operating expenses	(33,608.35)	(48,440.42)
जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans	(325.41)	(58.04)
शुद्ध आयकर रिफंड/(भुगतान) Net Income taxes Refund/ (paid)	(5,261.13)	571.57
सेवाकर/जीएसटी का भुगतान Service tax/ GST paid	(4,226.06)	(2,665.03)
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह Cash Flows before extraordinary items	(25,397.70)	(6,755.60)
असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) Cash Flow from extraordinary operations (give break-up)	0.00	0.00
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह Net Cash Flow from operating activities	(25,397.70)	(6,755.60)

(₹ करोड़ में)
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
निवेशों गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from investing activities:		
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	(1,113.43)	(768.87)
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ Proceeds from sale of fixed assets	146.31	61.80
निवेशों की खरीद Purchases of investments	(5,98,274.11)	(5,64,437.29)
वितरित ऋण (पुर्नभुगतान के शुद्ध) Loans disbursed (Net of Repayments)	(1,546.55)	(5,675.82)
निवेशों की बिक्री Sales of investments	3,28,090.32	3,04,014.85
किराया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received	3,34,263.33	3,13,555.82
मुद्रा बाजार विलेख और तरल म्यूचुअल फंडो में निवेश (शुद्ध) Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (net)	(26,539.46)	(8,645.68)
निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(31.29)	(15.02)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह Net Cash Flow from investing activities	34,995.12	38,089.79
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from financing activities:		
उधारी से प्राप्तियाँ Proceed from borrowing	0.00	0.00
उधारी का भुगतान Repayments of borrowing	0.00	0.00
ब्याज/लाभांश का भुगतान Interest/dividends paid	(7,589.35)	(3,794.28)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह Net Cash Flow from financing activities	(7,589.35)	(3,794.28)
नकद और नकद के समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव (शुद्ध) Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net	702.27	72.26
नकद और नकद के समतुल्य में निवल वृद्धि Net increase in cash and cash equivalents	2,710.34	27,612.17

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year	62,323.70	34,711.53
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year	65,034.04	62,323.70
टिप्पणी: वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the year		
नकद और चेक हाथ में / Cash and cheques in hand	4,053.01	4,375.42
बैंक शेष / Bank Balances*	19,935.00	36,180.71
सावधि जमा / Fixed Deposits	32,377.98	6,336.54
मुद्रा बाज़ार विलेख / Money Market Instruments	8,668.05	15,431.03
कुल नकद और नकद समतुल्य / Total Cash and Cash Equivalents	65,034.04	62,323.70

*बैंक शेष में निवेश के रूप में वर्गीकृत संबंध व्यवसाय से संबंधित शेष भी शामिल है।

*Bank Balances also include balance pertaining to linked business classified as investments.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)सनदी लेखाकार
Chartered Accountantsसीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)सनदी लेखाकार
Chartered Accountantsसीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775**निदेशक मंडल की ओर से**

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamyमुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officerडॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathyअध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuaryअंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company SecretaryPlace : Mumbai
Date: 21.05.2026

अनुसूची – 1
SCHEDULE - 1

प्रीमियम
PREMIUM

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
1 प्रथम वर्षीय प्रीमियम / First year Premiums	41,935.30	37,025.38
2 परवर्ती प्रीमियम / Renewal Premiums	2,76,135.59	2,62,063.43
3 एकल प्रीमियम / Single Premiums	2,18,677.67	1,89,760.11
कुल प्रीमियम / TOTAL PREMIUM	5,36,748.56	4,88,848.92
व्यवसाय से लिखित प्रीमियम आय / Premium Income from business written:		
1 भारत में / In India	5,36,297.08	4,88,450.77
2 भारत के बाहर / Outside India	451.48	398.15
कुल प्रीमियम / Total Premium	5,36,748.56	4,88,848.92

अनुसूची – 2
SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय
COMMISSION EXPENSES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
कमीशन / Commission		
प्रत्यक्ष – प्रथम वर्षीय प्रीमियम Direct - First year premiums	9,317.94	9,986.84
- परवर्ती प्रीमियम - Renewal premiums	14,176.82	14,561.46
- एकल प्रीमियम - Single premiums	952.32	760.46
सकल कमीशन / Gross Commission	24,447.08	25,308.76
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन Add : Commission on Re-insurance Accepted	0.00	0.00
घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	7.49	0.00
शुद्ध कमीशन / Net Commission	24,439.59	25,308.76
कमीशन का माध्यम वार अलग-अलग विवरण (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर): Channel wise break up of Commission (Excluding Reinsurance Commission):		
व्यक्तिगत एजेंट / Individual agents	24,033.29	24,968.55
कॉर्पोरेट एजेंट-बैंक / एफआईआई / एचएफसी / Corporate Agents-Bank/FII/HFC	158.86	162.09
कॉर्पोरेट एजेंट-अन्य / Corporate Agents-Others	16.99	22.61

अनुसूची - 2
SCHEDULE - 2कमीशन व्यय (जारी)
COMMISSION EXPENSES (Contd.)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
ब्रोकर / Brokers	16.50	7.09
सूक्ष्म एजेंट / Micro Agents	164.96	87.53
प्रत्यक्ष व्यवसाय - ऑनलाइन / Direct Business-Online*	0.00	0.00
प्रत्यक्ष व्यवसाय - अन्य / Direct Business-Others	0.00	0.00
सामान्य सेवा केंद्र / Common Service Centre (CSC)	18.19	33.62
वेब एग्रीगेटर्स / Web Aggregators	0.00	0.00
आई.एम.एफ (बीमा विपणन फर्म) / IMF (Insurance Marketing Firm)	38.25	27.17
विक्री केन्द्र (पाइंट ऑफ सेल) प्रत्यक्ष पीओएसएलआई / Point of Sale (Direct) POSLI	0.04	0.10
अन्य / Others	0.00	0.00
कुल / TOTAL	24,447.08	25,308.76
लिखित व्यवसाय पर कमीशन (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर) / Commission (Excluding Reinsurance) business written		
भारत में / In India	24,420.79	25,285.12
भारत के बाहर / Outside India	26.29	23.64
कुल कमीशन / Total Commission	24,447.08	25,308.76

*कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन

*Commission on business procured through Company website.

अनुसूची - 3
SCHEDULE - 3बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ / Employees' remuneration & welfare benefits	27,889.41	26,896.00
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय / Travel, conveyance and vehicle running expenses	416.11	475.86
3 प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	36.61	33.10
4 किराया, दरें एवं कर / Rents, rates & taxes	840.87	808.61
5 मरम्मत / Repairs	290.84	198.75
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री / Printing & Stationery	245.17	215.03
7 संचार व्यय / Communication expenses	266.64	267.57

अनुसूची – 3
SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय (जारी)
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार / Legal & professional charges	78.48	55.87
9 चिकित्सा शुल्क / Medical Fees	71.77	63.96
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor	14.31	13.14
(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of		
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0.00	0.00
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	0.00	0.00
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and	0.00	0.00
(ग) किसी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity	0.00	0.00
11 विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and publicity	683.41	551.78
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार / Interest & bank Charges	130.79	140.07
13 मूल्यहास / Depreciation	704.21	503.95
14 ब्रांड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार / Brand/Trade Mark usage fee/charges	0.00	0.00
15 व्यवसाय विकास और विक्रय व्यय संवर्धन व्यय / Business Development and Sales Promotion Expenses	50.21	56.27
16 पॉलिसियो पर स्टाम्प शुल्क / Stamp duty on policies	284.85	262.28
17 सूचना प्रौद्योगिकी व्यय / Information Technology Expenses	55.03	60.12
18 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) / Goods and Services Tax (GST)	4,624.85	2,065.24
19 अन्य / Others		
1 भत्ते / Allowances	1,648.18	1,740.00
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय / Expense on Investment Property	159.80	155.18
3 पावती स्टॉम्प / Receipt stamps	13.79	13.71
4 बिजली प्रभार / Electricity charges	215.37	221.18
5 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम / Cash in transit and other insurance premia	4.51	3.46
6 विविध व्यय / Miscellaneous expenses	793.65	615.76
7 मुख्य कार्यालय व्यय / Head Office expenses	1.10	1.03

अनुसूची - 3
SCHEDULE - 3बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय (जारी)
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
8 विनिमय (लाभ) / हानि / Exchange (gain)/Loss	(10.18)	(2.72)
कुल / TOTAL	39,509.78	35,415.20
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय / Operating Expenses Related to Insurance Business		
भारत में / In India	39,457.52	35,360.06
भारत के बाहर / Outside India	52.26	55.14
कुल परिचालन व्यय / TOTAL OPERATING EXPENSES	39,509.78	35,415.20

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4प्रदत्त लाभ (शुद्ध)
BENEFITS PAID (NET)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
1 बीमा दावें / Insurance Claims		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	25,390.56	24,985.20
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	2,18,506.68	1,81,977.66
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	25,641.07	22,097.56
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	61,444.55	55,335.05
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	96.75	93.99
(च) अभ्यर्पण (f) Surrenders	46,384.37	48,618.65
(छ) अन्य लाभ (g) Other benefits		
(i) आहरण (i) Withdrawal	1,10,346.71	82,286.62
(ii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई राशि पर ब्याज (ii) Other Claims Cost - Interest on Unclaimed Amount	412.44	(1,495.21)
- अन्य - Others	87.68	2.70

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध) (जारी)
BENEFITS PAID (NET) (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025
प्रदत्त लाभ (सकल) / Benefits Paid (Gross)		
भारत में / In India	4,87,898.26	4,13,515.43
भारत के बाहर / Outside India	412.55	386.79
2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि): (Amount ceded in reinsurance):		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	(505.28)	(565.66)
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	0.00	0.00
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	0.00	0.00
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	0.00	0.00
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	(57.96)	(57.67)
(च) अन्य लाभ (f) Other benefits	0.00	0.00
3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: / Amount accepted in reinsurance:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	0.00	0.00
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	0.00	0.00
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	0.00	0.00
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	0.00	0.00
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	0.00	0.00
(च) अन्य लाभ (f) Other benefits	0.00	0.00
कुल / TOTAL	4,87,747.57	4,13,278.89
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Benefits Paid (Net)		
1 भारत में / In India	4,87,335.02	4,12,892.10
2 भारत के बाहर / Outside India	412.55	386.79
कुल प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Total Benefits paid (Net)	4,87,747.57	4,13,278.89

अनुसूची - 5
SCHEDULE - 5अंश पूँजी
SHARE CAPITAL(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 अधिकृत पूँजी Authorised Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	25,000.00	25,000.00
2 निर्गमित पूँजी Issued Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
3 अभिदत्त पूँजी Subscribed Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
4 याचित पूँजी Called-up Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
घटाएँ: अदत्त माँग Less: Calls unpaid	0.00	0.00
जोड़ें: जब्त अंश (मूल रूप से भुगतान की गई राशि) Add : Shares forfeited (amount originally paid up)	0.00	0.00
घटाएँ: वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back	0.00	0.00
घटाएँ: प्रारंभिक खर्च Less : Preliminary Expenses	0.00	0.00
जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्चों सहित । Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares.		
कुल / TOTAL	6,325.00	6,325.00

टिप्पणी:

- क) पूँजी के विभिन्न वर्ग - निगम के पास पूँजी का केवल एक ही प्रकार है जैसे समता पूँजी
ख) बोनस शेयर जारी करने के कारण पूँजीकृत राशि - शून्य
ग) धारक कंपनी द्वारा धारित पूँजी - लागू नहीं

Notes:

- a) Different classes of Capital - The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Share Capital.
b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares - Nil
c) Capital held by a holding company - N/A

अनुसूची – 5 अ
SCHEDULE - 5A

अंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)

PATTERN OF SHAREHOLDING
(As certified by the Management)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026		31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	
	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian	6103622781	96.50	6103622781	96.50
विदेशी / Foreign	0	0	0	0
निवेशक¹ / Investors¹				
भारतीय / Indian	198567983	3.14	212121723	3.35
विदेशी / Foreign	22806937	0.36	9253197	0.15
अन्य / Others				
भारतीय / Indian	0	0	0	0
विदेशी / Foreign	0	0	0	0
कुल / Total	6324997701	100.00	6324997701	100.00

¹ निवेशक जैसा कि आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 में परिभाषित किया गया है।

¹ Investors as defined under IRDAI (Registration, capital structure, Transfer of shares and Amalgamation of Insurers) Regulation, 2024.

अनुसूची – 6
SCHEDULE - 6

आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (शेयरधारकों के)

RESERVES AND SURPLUS (SHAREHOLDERS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	0.00	0.00
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	0.00	0.00
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve	0.00	0.00
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ General Reserves		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	29.42	29.42
जोड़ें : लाभ-हानि खाता से अग्रेषित Add: Transfer from Profit and Loss Account	0.00	0.00
घटाएँ : शेयरों की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back of shares	0.00	0.00

अनुसूची - 6
SCHEDULE - 6आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (शेयरधारकों के) (जारी)
RESERVES AND SURPLUS (SHAREHOLDERS) (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for issue of Bonus shares	0.00	0.00
अंतिम शेष Closing Balance	29.42	29.42
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	0.00	0.00
7 अन्य आरक्षित निधियाँ Other Reserves		
(i) विनिमय उतार चढ़ाव आरक्षित निधि (i) Exchange Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	(1.09)	(0.60)
वर्ष के दौरान योग Additions during the year	1.50	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	0.00	0.49
अंतिम शेष Closing Balance	0.41	(1.09)
8 लाभ-हानि खाते में लाभ का शेष Balance of profit in Profit and Loss Account	1,69,895.98	1,20,067.43
कुल / Total	1,69,925.81	1,20,095.76
भारत में / In India	1,69,936.62	1,20,043.70
भारत के बाहर / Outside India	(10.81)	52.06
कुल / Total	1,69,925.81	1,20,095.76

अनुसूची - 6अ
SCHEDULE - 6Aबीमा आरक्षित निधियाँ (पॉलिसीधारकों के)
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserve	0.00	0.00
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम / Share Premium	0.00	0.00
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	14,841.92	14,839.06
वर्ष के दौरान योग / Additions during the period	6,762.96	2.86
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / Deductions during the period	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing Balance	21,604.88	14,841.92

अनुसूची – 6अ
SCHEDULE - 6A

बीमा आरक्षित निधियाँ (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS) (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ / General Reserves		
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	0.77	0.77
घटाएँ : शेयरों की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back of shares	0.00	0.00
घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for issue of Bonus shares	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing Balance	0.77	0.77
6 आपातकालीन आरक्षित निधि / Catastrophe Reserve	0.00	0.00
7 अन्य आरक्षित निधियाँ / Other Reserves		
(i) विनिमय उतार चढ़ाव आरक्षित निधि (i) Exchange Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	826.98	754.23
वर्ष के दौरान योग Additions during the year	701.19	72.75
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	0.42	0.00
अंतिम शेष / Closing Balance	1,527.75	826.98
8 लाभ-हानि खाते में लाभ का शेष / Balance of profit in Profit and Loss Account	0.00	0.00
कुल / Total	23,133.40	15,669.67
भारत में / In India	21,748.50	14,951.91
भारत के बाहर / Outside India	1,384.90	717.76
कुल / Total	23,133.40	15,669.67

अनुसूची – 7
SCHEDULE - 7

उधारी
BORROWINGS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 ऋण पत्र / बन्ध पत्र / Debentures/Bonds	0.00	0.00
2 बैंकों से / From Banks	0.00	0.00
3 वित्तीय संस्थानों से / From Financial Institutions	0.00	0.00
4 अन्य से / From Others	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00

अनुसूची - 7
SCHEDULE - 7उधारी (जारी)
BORROWINGS (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
भारत में / In India	0.00	0.00
भारत के बाहर / Outside India	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8निवेश (शेयरधारकों के)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,25,110.89	86,511.71
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश Other Investments		
(क) शेयर (a) Shares		
(कक) समता (aa) Equity	15,932.32	11,129.43
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	0.00	0.00
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	133.98	128.28
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ: यू टी आई II पूँजी में प्रारंभिक अंशदान (e) Other Securities: Initial Contribution to UTI II Capital	0.01	0.01
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	1,586.92	1,484.60

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	1,692.58	34.45
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	4,843.80	5,050.86
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(191.08)	(530.52)
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	479.20	0.00
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश / Other Investments		
(क) शेयर (a) Shares		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	1,110.86	216.99
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	0.00	0.00
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	0.00	0.00
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	490.46	0.00

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(449.61)	0.00
कुल / TOTAL	1,50,740.33	1,04,025.81
निवेश / INVESTMENTS		
1 भारत में / In India	1,49,249.17	1,02,467.69
2 भारत के बाहर / Outside India	1,491.16	1,558.12
कुल / TOTAL	1,50,740.33	1,04,025.81

टिप्पणी :

NOTE:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(क) सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश (a) Investments in Subsidiaries/Associates/JV:	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
जी.बी.नि. पेन्शन फंड लिमिटेड / LIC Pension Fund Ltd.	50.00	50.00
जी.बी.नि. कार्ड सर्विसेस लिमिटेड / LIC Cards Services Ltd.	1.00	1.00
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI BANK LTD.	24.74	24.74
जी.बी.नि.एम एफ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / LIC MF Assets Management Co. LTD.	93.74	49.74
जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी.) बहरीन / Life Insurance Corporation (International) B.S.C (c), Bahrain	939.70	939.70
जी.बी.नि. (नेपाल) लिमिटेड / LIC (Nepal) Ltd.	93.07	93.07
जी.बी.नि. (लंका) लिमिटेड / LIC (Lanka) Ltd	118.35	60.03
सहकारी बीमा के लिए सऊदी भारतीय कंपनी / Saudi Indian Company For Cooperative Insurance	5.87	5.87
जी.बी.नि. (सिंगापुर) पी.टी.ई. लिमिटेड / Life Insurance Corporation (Singapore) Pte Ltd.	216.67	216.67
जी.बी.नि. (बांग्लादेश) लिमिटेड / LIC (Bangladesh) Ltd.	43.78	43.78
कुल / TOTAL	1,586.92	1,484.60

(ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों # और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य

(b) Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घावधि निवेश / Long Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	1,30,939.44	92,661.00
बाजार मूल्य / Market Value*	1,28,558.51	95,003.80

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
अल्पावधि निवेश / Short Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	2,075.14	215.42
बाजार मूल्य / Market Value*	1,635.35	216.99

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर
based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.
* पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान
*Book value less provision for diminution

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(ग) विवरण (c) Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
आपातकालीन आरक्षित निधि से किए गए निवेश / Investments made out of Catastrophe Reserve	0.00	0.00

(घ) संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान:
(d) Provision for Doubtful Investments:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(क) दीर्घवधि निवेश (a) Long Term Investments		
(i) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	5.88	5.88
(ii) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	136.07	4.40
(iii) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	49.13	520.24
कुल (क) / Total (a)	191.08	530.52
(ख) अल्पावधि निवेश (b) Short Term Investments		
(i) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	449.61	0.00
कुल (ख) / Total (b)	449.61	0.00
कुल (क) + (ख) / Total (a)+(b)	640.69	530.52

अनुसूची - 8अ
SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	31,98,707.72	30,44,834.40
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	37.61	3,816.46
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	12,68,775.38	13,01,656.49
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	23,519.79	23,526.12
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	1,39,139.77	1,31,262.43
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:		
अन्य प्रतिभूतियाँ तथा बन्ध-पत्र Other Securities & Bonds	151.92	151.89
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	33,072.22	33,072.22
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	23,978.78	17,155.83
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	4,26,872.80	4,17,172.97
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	39,573.70	40,075.57
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(5,497.48)	(6,432.58)
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,44,151.15	1,00,516.69

अनुसूची - 8अ
SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	3,994.48	2,716.17
3 (क) शेयर (a) Shares		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	21,476.80	16,497.73
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	4,594.00	1,155.46
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	10,310.30	7,967.19
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,542.49	3,056.09
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(2,139.32)	(1,922.33)
कुल / TOTAL	53,33,262.11	51,36,278.80
निवेश / INVESTMENTS		
1 भारत में / In India	53,27,593.89	51,31,426.88
2 भारत के बाहर / Outside India	5,668.22	4,851.92
कुल / TOTAL	53,33,262.11	51,36,278.80

अनुसूची - 8अ
SCHEDULE - 8Aनिवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

टिप्पणी:

NOTE:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(क) सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश (a) Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ए एम सी LIC Mutual Fund AMC Ltd.	4.94	4.94
जी.बी.नि. गृह वित्त लि. LIC Housing Finance Ltd	3,321.50	3,321.50
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड प्रारंभिक योगदान LIC Mutual Fund Initial Contribution	2.00	2.00
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ट्रस्टी कं. प्रा. लि. LIC Mutual Fund Trustee Co Pvt Ltd	0.00	0.00
जी.बी.नि. एचएफएल एसेट्स मैनेजमेंट कं. लि. LIC HFL Asset Management Company Ltd	0.50	0.50
जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी.) बहरैन Life Insurance Corporation (International) B.S.C (c), Bahrain	55.78	55.78
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड IDBI Bank Ltd.	28,849.64	28,849.64
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED	0.30	0.30
एचजीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड HGI Industries Ltd.	3.18	3.18
कटाखल लाला बाजार रेलवे कंपनी लिमिटेड Katakhali Lala Bazar Railway company Ltd.	0.02	0.02
मोदी स्पिनिंग एवं विविंग मील कंपनी लिमिटेड Modi SPG & WVG Mills Company Ltd.	0.87	0.87
इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेंसियल सर्विसेस Infrastructure Leasing & Financial Services	829.17	829.17
हनुमान टी कंपनी लिमिटेड Hanuman Tea Co. Ltd.	4.32	4.32
कुल / TOTAL	33,072.22	33,072.22

अनुसूची - 8अ
SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों# और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य।

(b) Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घावधि निवेश / Long Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	36,53,015.39	35,00,881.78
बाजार मूल्य* / Market Value*	35,80,855.86	36,92,436.93
अल्पावधि निवेश / Short Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	1,85,271.87	1,31,748.87
बाजार मूल्य* / Market Value*	1,84,881.21	1,31,041.38

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

* पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान *Book value less provision for diminution

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(ग) (c)	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
	आपातकालीन आरक्षित निधि से किए गए निवेश / Investments made out of Catastrophe Reserve	0.00	0.00

(घ) संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान:

(d) Provision for Doubtful Investments:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(क) दीर्घावधि निवेश		
(a) Long Term Investments		
(i) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	1.00	1.11
(ii) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र Debentures/Bonds	556.19	524.72
(iii) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	834.37	0.00
(iv) बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	1,177.39	1,158.35
(v) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,928.53	4,748.40
कुल (क) / Total (a)	5,497.48	6,432.58

अनुसूची - 8A
SCHEDULE - 8Aनिवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(ख) अल्पावधि निवेश (b) Short Term Investments		
(i) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र Debentures/Bonds	18.38	4.62
(ii) बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	41.24	31.87
(iii) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,079.70	1,885.84
कुल (ख) / Total (b)	2,139.32	1,922.33
कुल (क) + (ख) / Total (a)+(b)	7,636.80	8,354.91

अनुसूची - 8B
SCHEDULE - 8Bसंबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	15,324.59	12,925.77
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.05
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता* (aa) Equity*	37,375.37	30,322.69
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	0.00	0.00
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	278.69	9.86
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00

अनुसूची – 8ब
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ – संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	3,647.06	1,893.69
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	47.02	70.94
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने के बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीड बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,210.88	727.94
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.05	0.00
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	2,175.60	1,081.85
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	0.00	0.00
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	150.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ – संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	30.72	86.31
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	0.00	0.00

अनुसूची - 8B
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)

ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
चालू सम्पत्तियाँ Current Assets		
6 रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash & Bank Balance		
रोकड़ Cash	705.43	0.00
बैंक में शेष Bank Balance:		
(क) जमा (a) Deposits		
(कक) अल्पावधि (aa) Short term	0.00	0.00
(खख) अन्य (bb) Others	0.00	0.00
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	44.21	23.25
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
7 अग्रिम Advances		
अन्य अग्रिम Other Advances	0.00	0.07
निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	323.71	255.31
कुल (क) - चालू सम्पत्तियाँ Total (A)- Current Assets	1,073.35	278.63
8 चालू दायित्व Current Liabilities		
विविध लेनदार Sundry Creditors	67.77	76.74
जीवन सहभागी व्यवसाय चालू खाता Life par business current account	(651.38)	(991.00)
कुल (ख) चालू दायित्व Total (B)- Current Liabilities	(583.61)	(914.26)
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (क-ख) Net current assets (A-B)	1,656.96	1,192.89
कुल / TOTAL	61,896.94	48,311.99

अनुसूची – 8ब
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
निवेश / INVESTMENTS		
1 भारत में In India	61,811.92	48,239.48
2 भारत के बाहर Outside India	85.02	72.51
कुल / TOTAL	61,896.94	48,311.99

* आईडीबीआई बैंक (सहभागी) का निवेश शामिल है। - 31.3.2026 का पुस्तक मूल्य ₹ 264.53 करोड़ और बाजार मूल्य ₹ 199.05 करोड़।
* Includes Investments in IDBI Bank (Associates) - Book Value of ₹ 264.53 crore and Market Value of ₹ 199.05 crore as at 31.03.2026

टिप्पणी: सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों # और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य।

NOTE: Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घावधि निवेश Long Term investment		
पुस्तक मूल्य Book Value	16,010.88	12,854.49
बाजार मूल्य* Market Value*	15,639.38	13,024.85
अल्पावधि निवेश Short Term investment		
पुस्तक मूल्य Book Value	3,592.26	2,009.24
बाजार मूल्य* Market Value*	3,567.24	1,896.10

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर

* पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

*Book value less provision for diminution

अनुसूची 8, 8अ और 8ब के लिए प्रकटीकरण

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और व्युत्पन्न उपकरण के अलावा अन्य निवेशों का कुल मूल्य

Disclosure for Schedule 8, 8A & 8B

Aggregate value of Investments other than Listed Equity Securities and Derivative Instruments

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	शेयरधारकों के Shareholders		पॉलिसीधारकों के Policyholders		संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियां Assets held to cover Linked Liabilities		कुल Total	
	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश / Long Term Investments:								
पुस्तक मूल्य / Book Value	1,31,130.13	92,661.00	36,60,874.59	35,00,881.78	16,029.44	12,854.49	38,08,034.16	36,06,397.27
बाजार मूल्य / Market Value	1,28,757.22	95,003.80	36,10,325.26	36,92,436.93	15,657.94	13,024.85	37,54,740.42	38,00,465.58
अल्पवधि निवेश / Short Term Investments:								
पुस्तक मूल्य / Book Value	2,075.14	215.42	1,86,946.28	1,31,748.87	3,592.26	2,009.24	1,92,613.68	1,33,973.53
बाजार मूल्य / Market Value	1,635.35	216.99	1,86,630.58	1,31,041.38	3,567.24	1,896.10	1,91,833.17	1,33,154.47

नोट : शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के निवेश का बाजार मूल्य, आईआरडीएआई विनियमों द्वारा निर्दिष्ट संबद्ध व्यवसाय निवेश के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निकाला गया है।

Note: Market Value in respect of Shareholders and Policyholders investments is arrived as per the guidelines prescribed for linked business investments as specified by IRDAI Regulations.

अनुसूची – 9
SCHEDULE - 9

ऋण
LOANS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY - WISE CLASSIFICATION		
रक्षित / Secured:		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property		
(कक) भारत में (aa) In India	4,777.77	5,964.63
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	10.07	9.83
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.	0.00	0.00
(ग) पॉलिसियों पर ऋण (c) Loans against Policies	1,29,334.90	1,26,186.54
(घ) अन्य (d) Others :		
सरकार द्वारा गारंटीड Guaranteed by Government	683.29	1,023.38
गिरवी / Hypothecation	74.53	74.61
अनारक्षित ऋण# / Unsecured Loans#	949.24	960.96
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful debts	(5,982.24)	(6,740.05)
कुल / Total	1,29,847.56	1,27,479.90
2 उधारकर्तावार वर्गीकरण BORROWER - WISE CLASSIFICATION		
(क) केंद्र तथा राज्य सरकार (a) Central and State Governments	423.15	610.79
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	0.00	0.00
(ग) सहायक (c) Subsidiaries	0.00	0.00
(घ) कंपनियाँ (d) Companies	3,767.97	4,937.89
(ड) पॉलिसियों पर ऋण (e) Loans against policies	1,29,334.90	1,26,186.54
(च) अन्य (f) Others:		

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
बंधक संपत्ति Mortgage Property	221.17	244.33
महानगरपालिकाएँ Municipalities	1.31	1.31
राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators	199.84	312.40
सहकारी औद्योगिक संपत्ति Co-operative Industrial Estates	5.40	5.40
सहकारी आवास संस्थाएँ Housing Co-op Societies	58.90	64.25
डब्ल्यू.एस.बी., एस.एफ.सी. पी.टी.आर. ओ.टी.एच., एल.डी.बी., आदि WSB, SFC, PTR, OTH, LDB Etc.*	1,817.16	1,857.04
(छ) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (g) Provision for bad and doubtful debts	(5,982.24)	(6,740.05)
कुल / Total	1,29,847.56	1,27,479.90
3 निष्पादनवार वर्गीकरण PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION		
(क) वर्गीकृत मानक ऋण (a) Loans classified as standard:		
(कक) भारत में (aa) In India	1,30,132.66	1,27,803.82
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	231.08	187.68
मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Standard Loans	(520.52)	(517.07)
(ख) गैर मानक ऋण (b) Non-standard loans:		
(कक) भारत में (aa) In India	5,457.50	6,218.62
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	8.56	9.83
गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Non Standard Loans	(5,461.72)	(6,222.98)
कुल / Total	1,29,847.56	1,27,479.90
4 परिपक्वता - वार वर्गीकरण / MATURITY - WISE CLASSIFICATION		
(क) अल्पावधि (a) Short Term:		

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(कक) भारत में (aa) In India	4,496.53	4,473.46
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	0.00	0.00
अल्पावधि के लिए प्रावधान / Provision for Short Term	(4,403.01)	(4,371.36)
(ख) दीर्घावधि (b) Long Term:		
(कक) भारत में (aa) In India	1,31,093.63	1,29,548.98
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	239.64	197.51
दीर्घावधि के लिए प्रावधान / Provision for Long Term	(1,579.23)	(2,368.69)
कुल / Total	1,29,847.56	1,27,479.90
1 भारत में / In India	1,29,614.09	1,27,288.94
2 भारत के बाहर / Outside India	233.47	190.96
कुल / Total	1,29,847.56	1,27,479.90

ऋण के तहत ₹ 628.60 करोड़ की दो कंपनियों को दी गई सुरक्षा आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और प्रक्रियाधीन है (पिछले वर्ष दो कंपनियों के तहत ₹ 628.60 करोड़ की राशि)

* राज्य जल बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसटीएफ), पोर्ट ट्रस्ट (पीटीआर), अन्य *(ओटीएच), भूमि विकास बैंक (एलडीबी)

Security under debt extended to two companies amounting to ₹ 628.60 crores is executed partially and is under due process. (previous year under two companies, amounting to ₹ 628.60 crores.)

* WATER STATE BOARD (WSB), STATE FINANCIAL CORPORATION (STF), PORT TRUST (PTR), OTHERS (OTH), LAND DEVELOPMENT BANK (LDB)

टिप्पणी:

NOTE:

(क) गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान

(a) Provisions against Non-performing Loans

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

गैर-निष्पादित ऋण / Non-Performing Loans	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
ऋण / Loan:		
उप-मानक / Sub-standard	10.17	11.92
संदिग्ध / Doubtful	7.67	7.56
हानि / Loss	5,448.22	6,208.97
कुल / Total	5,466.06	6,228.45

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)(₹ करोड़)
(₹ in Crore)

गैर-निष्पादित ऋण / Non-Performing Loans	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
प्रावधान / Provisions:		
उप-मानक / Sub-standard	6.34	6.77
संदिग्ध / Doubtful	7.16	7.24
हानि / Loss	5,448.22	6,208.97
कुल / Total	5,461.72	6,222.98

(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान
(b) Provision for Doubtful debts(₹ करोड़)
(₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
रक्षित / Secured:		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property	4,383.83	5,145.80
(ख) अन्य: (b) Others :		
सरकार द्वारा गारंटीड Guaranteed by Government	28.32	29.69
गिरवी / Hypothecation	74.53	74.60
(ग) पॉलिसियो पर ऋण (c) Loans against Policies	546.32	540.58
(घ) अनारक्षित ऋण (d) Unsecured Loans	949.24	949.38
कुल / Total	5,982.24	6,740.05

अचल परिसंपत्तियाँ
FIXED ASSETS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	लागत / सकल ब्लॉक Cost/Gross Block			मूल्य-ह्रास परीक्षण और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment				शुद्ध ब्लॉक Net Block	
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम शेष Closing Balance	प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के लिए For the year	विक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment	अंतिम शेष Closing Balance	31 मार्च, 2025 As at March 31, 2025
ख़्याति / Goodwill	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त / Intangibles	679.59	174.52	0.31	853.80	414.01	148.21	0.33	561.89	291.91
भूमि-पूर्ण संपदा / Land-Freehold	25.29	0.01	7.39	17.91	-	-	-	-	17.91
पट्टा-भूमि / Land-Leasehold	94.22	5.24	37.72	61.74	13.23	1.04	1.73	12.54	49.20
भवन / Buildings	3,924.23	229.04	61.72	4,091.55	1,168.68	97.68	(0.66)	1,267.02	2,824.53
फर्नीचर एवं फिटिंग Furniture & Fittings	615.00	28.62	11.40	632.22	455.50	33.04	10.76	477.78	154.44
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर Information Technology Equipment	1,718.86	398.25	26.11	2,091.00	1,377.55	215.84	25.16	1,568.23	522.77
वाहन / Vehicles	1,417.75	131.69	159.11	1,390.33	966.12	157.96	135.19	988.89	401.44
कार्यालय उपस्कर / Office Equipment	69.98	1.87	3.27	68.58	62.30	1.96	3.30	60.96	7.62
अन्य* /Others*	360.15	53.75	12.35	401.55	312.12	53.61	11.98	353.75	47.80
कुल / Total	8,905.07	1,022.99	319.38	9,608.68	4,769.51	709.34	187.79	5,291.06	4,317.62
कार्य प्रगति पर / Work in Progress	325.60	410.66	317.63	418.63	-	-	-	-	418.63
सकल कुल / Grand Total	9,230.67	1,433.65	637.01	10,027.31	4,769.51	709.34	187.79	5,291.06	4,736.25
पिछले साल का कुल As at March 31, 2025	8,490.35	1,349.62	609.30	9,230.67	4,433.38	509.08	172.95	4,769.51	4,461.16

टिप्पणी :-

(क) *अन्य में विविध पूँजी उपस्कर, दृश्यश्राव्य तथा प्रचार उपस्कर, वोल्टेज स्टेबलाइजर तथा यू.पी.एस. आदि शामिल हैं।

(ख) ऊपर बताई गई भूमि, सम्पत्ति और भवन में शामिल परिसम्पत्तियों में निवेश सम्पत्तियाँ शामिल नहीं हैं जैसा कि अनुसूची 8 अ के बिंदु 3 (जी) में परिभाषित किया गया है।

Note:-

(a) *Others includes Miscellaneous Capital Equipment, Audio visual and Publicity equipments, Voltage stabilizers and UPS, etc.

(b) Assets included in land, property and building above exclude Investment Properties as defined in note 3 (g) to Schedule 8A.

अनुसूची - 11
SCHEDULE - 11रोकड़ एवं बैंक में शेष
CASH AND BANK BALANCES(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टॉम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	3,347.58	4,375.42
2 बैंक शेष Bank Balances:		
(क) जमा खाता (a) Deposit Accounts:		
(कक) अल्पावधि (तुलन पत्र की तारीख से 12 महिनों के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)	31,349.73	5,322.07
(खख) अन्य (bb) Others	1,028.25	1,014.47
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	19,890.79	36,157.46
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
3 मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
(क) बैंकों में (a) With Banks	0.00	0.00
(ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions	0.00	0.00
4 अन्य: Others:		
(क) त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग प्रणाली (टीआरईपीएस) (a) Tri- Party Repo Dealing System (TREPS)	7,674.76	15,422.06
(ख) रिवर्स रेपो (b) Reverse Repo	993.29	8.97
(ग) मार्गस्त प्रेषित धन (c) Remittances in transit	0.00	0.00
कुल / Total	64,284.40	62,300.45
रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES		
1 भारत में / In India	64,136.26	62,218.74
2 भारत के बाहर / Outside India	148.14	81.71
कुल / Total	64,284.40	62,300.45

हाथ में चेक की राशि ₹ 2,153.98 (करोड़ में) है, पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए ₹ 2,102.36 (करोड़ में) है।

Cheques on hand amount to ₹ 2,153.98 (in Crore), Corresponding period of Previous year ₹ 2,102.36 (in Crore)

अनुसूची – 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ
ADVANCES AND OTHER ASSETS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
अग्रिम / ADVANCES		
1 अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा Reserve deposits with ceding companies	0.00	0.00
2 निवेशो के लिए आवेदन राशि Application money for investments	0.00	0.00
3 पूर्व भुगतान / पूर्वदत्त खर्च Prepayments/Prepaid Expenditure	1,186.67	1,042.74
4 अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम Advances to Officer/Directors	0.00	0.00
5 अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर) Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	23.04	1,628.85
6 वस्तु और सेवा कर जमा / Goods & Service tax credit	43.54	1,149.77
7 अन्य / Others:		
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	775.90	1,161.73
अन्य को अग्रिम Advances to others	1,439.22	1,165.09
जमा Deposits	71.37	104.59
विविध देनदार, अग्रिम तथा जमा के लिए प्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits	(122.93)	(90.00)
कुल (क) / TOTAL (A)	3,416.81	6,162.77
अन्य परिसम्पत्तियाँ OTHER ASSETS		
1 निवेशो पर बकाया / उपार्जित आय Income outstanding/accrued on investments	89,431.05	83,983.15
संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends	(8,316.07)	(9,021.94)
2 बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	12,106.54	11,829.43

अनुसूची - 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ (जारी)
ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
3 एजेंटों की शेष राशियाँ Agents' Balances	1,536.07	1,290.43
एजेंटों के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances	(0.38)	(0.33)
4 विदेशी एजेंसियों की शेष राशियाँ Foreign Agencies' Balances	0.00	0.00
5 बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशियाँ (पुनर्बीमा सहित) Due from other entities carrying on insurance business (Including Reinsurance)	24.66	159.91
6 सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होने वाली राशियाँ Due from subsidiaries/holding company	1.54	1.54
7 पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेश Investment held for Unclaimed Amount of Policyholders	7,318.50	7,165.38
8 पालिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज Interest on Investment held for Unclaimed Amount of Policyholders	0.00	0.00
9 अन्य / Others:		
i बकाया / उपार्जित ऋणों पर ब्याज Interest on loans outstanding/accrued	32,570.10	31,813.81
ii स्टॉक हाथ में Stock on hand	52.10	55.73
iii अन्य परिसंपत्तियाँ* Other assets*	704.58	561.23
iv (क) निवेश जिनका आबंटन बाकी है (a) Investments Pending Allotment	49.93	58.46
(ख) निवेश जिनका आबंटन बाकी है के लिए प्रावधान (b) Provision for Investments Pending Allotment	(49.93)	(58.46)
v (क) व्युत्पन्न सम्पत्तियाँ - वायदा दर करार (एफआरए) (a) Derivative Assets - FRA	0.00	13.26
(ख) ओटीसी मार्जिन - वायदा दर करार (एफआरए) (b) OTC Margin - FRA	766.46	0.00

अनुसूची – 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ (जारी)
ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
vi आयकर मामले: Income Tax Matters:		
(क) आईटीआर के अनुसार रिफंड प्राप्य (a) Refund Recievable as per ITR	1,907.40	0.00
(ख) रिफंड से मांग समायोजित (प्रावधान को घटाकर) (b) Demand Adjusted from refund (Net of Provision)	16,953.01	5,751.69
(ग) पूर्व जमा भुगतान (c) Pre-deposits paid	1,220.08	1,220.08
कुल (ख) / TOTAL (B)	1,56,275.64	1,34,823.37
कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)	1,59,692.45	1,40,986.14
भारत में / In India	1,59,615.36	1,40,896.64
भारत के बाहर / Outside India	77.09	89.50
कुल / Total	1,59,692.45	1,40,986.14

टिप्पणी:

* अन्य परिसम्पत्तियों में पॉलिसीधारक सार्वजनिक आवास योजना, जीएसटी प्राधिकरणों से प्राप्य राशि आदि शामिल है।

Note:-

* Other assets includes Policy holders Public Housing Scheme, Amounts receivable from GST Authorities etc.

अनुसूची – 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं
CURRENT LIABILITIES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 एजेंटों की शेष राशियाँ / Agents' Balances	0.00	0.00
2 अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि Balances due to other insurance companies	101.49	233.13
3 पुनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा Deposits held on re-insurance ceded	0.00	0.00
4 अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance	59.84	65.80

अनुसूची - 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
5 अनाबंटित प्रीमियम Unallocated premium	148.78	236.51
6 विविध लेनदार Sundry creditors	4,567.15	3,702.08
7 सहायक / नियंत्रक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	0.00	0.00
8 बकाया दावें Claims Outstanding	14,741.42	14,038.87
9 देय वार्षिकियाँ Annuities Due	2,275.40	1,208.45
10 अधिकारियों / निदेशकों को देय Due to Officers/Directors	0.00	0.00
11 पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि Unclaimed Amount of policyholders	5,564.55	5,513.99
12 अस्वामिक राशि पर उपार्जित ब्याज Income accrued on Unclaimed amounts	1,753.95	1,651.39
13 ऋण पत्र/बंध पत्र पर देय ब्याज Interest payable on debentures/bonds	0.00	0.00
14 वस्तु एवं सेवा कर दायित्व Goods and Service tax Liabilities	1,270.30	1,828.98
15 अन्य Others:		
क कर्मचारी भविष्यनिधि तथा पेन्शननिधि के न्यास (ट्रस्ट) को देय राशियाँ a Amounts due to Trust of staff provident & pension fund	2,149.63	(85.78)
ख बकाया कमीशन b Outstanding Commission	1,572.58	1,559.83
ग प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियाँ c Premium and other deposits	2,647.77	2,314.10
घ वैधानिक प्राधिकरणों के लिए देय राशि d Amount due to Statutory Authorities	179.63	176.79
ङ अस्वामिक लाभांश e Unclaimed Dividend	1.83	1.18
च (i) व्युत्पन्न देयताएँ - वायदा दर करार (एफआरए) f (i) Derivative Liabilities - FRA	761.92	4.19

अनुसूची – 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(ii) ओटीसी मार्जिन - वायदा दर करार (एफआरए) (ii) OTC Margin - FRA	0.00	5.30
छ वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) g Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (161)	(26.07)	30.04
ज वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) h Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (828)	44.33	41.37
झ प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842) i Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842)	18.82	70.19
ञ प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842 नया) j Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New)	17.26	7.69
ट प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) k Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856)	138.40	160.56
ठ सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता l Social Security Fund Current account	0.03	0.04
ड छात्रवृत्ति निधि कॉन्ट्रा खाता m Scholarship Fund Contra Accounts	0.04	0.04
ढ प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता n Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PMSYM) Current Account	(3.83)	(5.41)
ण प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता o Pradhan Mantri Kisan Maan - Dhan Yojana (PMKMDY) Current account	(2.46)	(3.62)
त प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता p Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) current account	(0.08)	(0.08)
थ संबंधित व्यवसाय चालू खाता q Linked Business Current a/c	651.38	991.00
कुल / Total	38,634.06	33,746.63
भारत में / In India	36,904.54	32,056.46
भारत के बाहर / Outside India	1,729.52	1,690.17
कुल / Total	38,634.06	33,746.63

अनुसूची – 13
SCHEDULE - 13चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण

Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष Opening Balance as at 1 st April	7165.38	17,914.98
जोड़ें: दावा न की गई राशि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to unclaimed amount	1086.74	842.35
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (to be included only when the cheques are stale)	0.00	0.00
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	480.53	494.94
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि Less: Amount of claims paid during the year	1014.47	11,719.89
घटाएँ: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का शुद्ध) Less: Amount transferred to SCWF during the year (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	399.68	367.00
31 मार्च तक दावा न की गई राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount as at 31 st March	7318.50	7,165.38

अनुसूची – 14
SCHEDULE - 14प्रावधान
PROVISIONS(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes deducted at source)	0.00	0.00
2 कर्मचारियों के लाभों के लिए / For Employee Benefits	0.00	0.00
3 अन्य / For Others :		
शोधक्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान Provision for reserve for solvency margin	0.00	14,943.06
कुल / Total	0.00	14,943.06
भारत में / In India	0.00	14,943.06
भारत के बाहर / Outside India	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	14,943.06

अनुसूची – 15
SCHEDULE - 15

विविध व्यय
(जो अपलिखित या समायोजित न किए गए हों)
MISCELLANEOUS EXPENDITURE
(To the extent not written off or adjusted)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0.00	0.00
2 अन्य / Others	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00
भारत में / In India	0.00	0.00
भारत के बाहर / Outside India	0.00	0.00
कुल / Total	0.00	0.00

अनुसूची 16 : स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले प्रकटीकरण

निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम ('निगम') 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ('शासी अधिनियम') के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है। जीवन बीमा व्यवसाय चलाने के लिए, यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है। निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत जीवन, समूह, वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, परिवर्तनीय, सूक्ष्म बीमा, संबद्ध और पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित (सीआरएसी) व्यवसाय के विभिन्न खंडों में सहभागी और गैर सहभागी वाले उत्पाद शामिल हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

(अ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है, सिवाय उन मदों के, जिन्हें लेखांकन नीतियों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है। वित्तीय विवरणों को उपार्जन आधार तथा सतत् व्यवसाय/सतत् संचालन की अवधारणा के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी लेखा अवधियों के लिए लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग निरंतरता एवं एकरूपता के साथ किया गया है। निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन नीतियाँ भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्तीय एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024, बीमांकिक, वित्तीय एवं निवेश कार्य संबंधी मास्टर परिपत्र ('मास्टर परिपत्र'), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों, निदेशों, दिशानिर्देशों एवं अन्य परिपत्रों, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, जीवन बीमा अधिनियम, 1956 के प्रावधानों, बीमा अधिनियम, 1938 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों एवं उनके अधीन बनाए गए संशोधनों तथा नियमों, जहाँ तक वे लागू हों, के अनुरूप हैं।

2. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप की गई है, जिसके अंतर्गत प्रबंधन को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग, वर्ष के लिए आय एवं व्ययों की प्रतिवेदित राशियों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रतिवेदित शेषों तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर विद्यमान संभावित देयताओं से संबंधित प्रकटीकरणों के संबंध में निर्णय, अनुमान एवं मान्यताएँ करने की आवश्यकता होती है। संलग्न वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त अनुमानों एवं मान्यताओं का आधार प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तिथि तक उपलब्ध एवं प्रासंगिक तथ्यों तथा परिस्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों एवं मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणामों और अनुमानों के मध्य उत्पन्न अंतर को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं अथवा ज्ञात होते हैं। अनुमानों एवं निर्णयों का निरंतर मूल्यांकन ऐतिहासिक अनुभव तथा अन्य प्रासंगिक कारकों, जिनमें भावी घटनाओं से संबंधित अपेक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी भी संशोधन को वर्तमान एवं भावी लेखा अवधियों में भावी प्रभाव से मान्यता दी जाती है।

3. राजस्व मान्यता:

(i) प्रीमियम आय:-

गैर-संबद्ध व्यवसाय के मामले में, प्रीमियम को वस्तु एवं सेवा कर को घटाकर आय के रूप में उस समय मान्यता दी जाती है जब वह पॉलिसीधारकों से देय हो जाता है, बशर्ते कि अनुग्रह अवधि समाप्त न हुई हो तथा पूर्ववर्ती किस्तों का भुगतान किया जा चुका हो। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, प्रीमियम को आय के रूप में उस समय मान्यता दी जाती है जब उससे संबंधित यूनिटों का सृजन किया जाता है। लैप्स हो चुकी पॉलिसियों पर प्राप्त प्रीमियम को आय के रूप में उस समय मान्यता दी जाती है जब ऐसी पॉलिसियों का पुनः प्रवर्तन/पुनर्बहाली किया जाता है। नियमित प्रीमियम भुगतान योजनाओं वाले उन उत्पादों, जिनकी पॉलिसी अवधि सीमित तथा/अथवा पूर्वनिर्धारित होती है, के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम को नियमित व्यवसाय प्रीमियम माना जाता है।

(ii) संबद्ध पॉलिसियों से आय:

संबद्ध निधियों से प्राप्त आय, जिसमें निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासन शुल्क, मृत्यु-दर शुल्क तथा अन्य संबंधित शुल्क सम्मिलित हैं, पॉलिसियों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधियों से वसूल की जाती है तथा देय होने पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त करती है।

Schedule 16: Disclosures Forming Part of the Standalone Financial Statements

Corporate Information

Life Insurance Corporation of India ("Corporation") is a Statutory Corporation established on 1st September, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956 ('Governing Act') engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by the provisions of the Governing Act. It is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('IRDAI'), Registration No. 512 dated 01.01.2001 for carrying on life insurance business. The Corporation's life insurance business comprises of participating and non participating products in the different segments of individual life, group, annuity, pension, health, variable, micro insurance, Linked and Capital Redemption and Annuity Certain (CRAC) business. The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17th May, 2022).

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Preparation:

The Financial Statements have been prepared and presented under the historical cost convention, except for certain items that are measured at fair value, as explained in the accounting policies. The financial statements have been prepared on accrual and going concern basis. The accounting policies are applied consistently to all the periods presented in the financial statements. The accounting and reporting policies of the Corporation conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and in the manner prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers ("the Master Circular"), Regulations, Directions, Guidelines and other circulars issued by the IRDAI, The Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the provisions of Life Insurance Act, 1956, provisions of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, and amendments and rules made thereto, to the extent applicable.

2. Use of Estimates:

The preparation of Financial Statements is in conformity with Indian GAAP, which requires the management to make judgements estimates and assumptions in the application of accounting policies, reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the Financial Statements. The reliance on estimates and assumptions used in the accompanying Financial Statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances up to and as on the date of the Financial Statements. Actual results may differ from the estimates and assumptions and the difference between the actual and estimates are recognised in the period in which the actual results materialize or are known. A continuous evaluation is done of the estimates and judgments based on historical experience and other factors, including expectations of future events. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

3. Revenue Recognition:

(i) Premium Income:-

In case of Non Linked Business, premium is recognised as income (net of Goods and Service tax) when due from policyholders, for which grace period has not expired and the previous installments have been paid. In case of Linked Business, premium is recognised as income when associated units are created. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premium for products having regular premium paying plans with limited and/ or predetermined policy term is considered as regular business premium.

(ii) Income from linked policies:

Income from linked funds which include fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions of policies and recognised when due.

(iii) पुनर्बीमा प्रीमियम अंतरित:

पुनर्बीमा के अंतर्गत हस्तांतरित प्रीमियम को पुनर्बीमा संधि अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ किए गए सिद्धांततः स्वीकृत व्यवस्था के नियमों एवं शर्तों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है।

(iv) निवेश से आय:-

- **ब्याज आय**

- निवेशों पर अर्जित ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है। निवेशों के क्रय/विक्रय लेनदेन के समय प्रतिपक्ष को भुगतान किए गए अथवा उससे प्राप्त अधिग्रहण-पूर्व ब्याज को 'संचित ब्याज खाते' के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- निवेशों के मोचन अथवा परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम, यदि कोई हो, को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

- **परिशोधन / अमोर्टाइजेशन**

गैर-संबद्ध व्यवसाय तथा संबद्ध व्यवसाय के गैर-यूनिट निधि के संदर्भ में, ऋण प्रतिभूतियों, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सम्मिलित हैं, के लिए जहाँ ऐतिहासिक लागत उनके अंकित मूल्य से अधिक होती है, वहाँ प्रीमियम की राशि को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है। जहाँ अंकित मूल्य ऐतिहासिक लागत से अधिक होता है, वहाँ छूट की राशि को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

- **लाभांश आय**

उद्धृत इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाले लाभांश को 'एक्स-डिविडेंड' तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। अनुद्धृत इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों तथा म्यूचुअल फंडों पर प्राप्त होने वाले लाभांश को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- **प्रतिभूतियों / इक्विटी शेयरों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), अधिमानी शेयर और म्यूचुअल फंड की बिक्री अथवा मोचन पर लाभ या हानि**

प्रतिभूतियों, इक्विटी शेयरों, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), अधिमानी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की इकाइयों के विक्रय अथवा मोचन पर होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण विक्रय/मोचन प्राप्ति से विक्रय व्यय घटाने के पश्चात प्राप्त शुद्ध राशि तथा विक्रय की तिथि पर उपलब्ध वेटेड एवरेज बुक वैल्यू के मध्य अंतर के आधार पर किया जाता है।

- **वैकल्पिक निवेश फंड, वेंचर कैपिटल फंड पर आय**

वैकल्पिक निवेश निधियों, वेंचर कैपिटल फंड पर निवेश आय को तब मान्यता दी जाती है, जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- **रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) पर आय**

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) पर होने वाली निवेश आय को, संबंधित फंड/ट्रस्ट द्वारा घोषित किए जाने पर ही मान्यता दी जाती है।

- **ज़ीरो कूपन बॉन्ड पर आय**

- डिस्काउंट पर जारी किए गए तथा अंकित मूल्य पर मोचनीय ज़ीरो कूपन बांडों/डिबेंचरों के मामले में, अंकित मूल्य एवं अधिग्रहण लागत के मध्य के अंतर को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है।
- अंकित मूल्य पर जारी किए गए तथा प्रीमियम पर मोचनीय ज़ीरो कूपन बांडों/डिबेंचरों के मामले में, मोचन पर देय प्रीमियम एवं अंकित मूल्य के मध्य के अंतर को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर ब्याज/मोचन प्रीमियम खाते में मान्यता दी जाती है।

- **पॉलिसी के विरुद्ध ऋण और बंधक ऋण पर ब्याज**

पॉलिसी के बदले लिए गए ऋण और बंधक ऋण पर ब्याज को अर्जित आधार पर मान्यता दी जाती है।

(iii) Reinsurance premium ceded:

Premium ceded on re-insurance is recognised in accordance with the terms of the re-insurance treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

(iv) Investment Income:

- **Interest Income**

- i) Interest income on investments is recognised on accrual basis. Pre-acquisition interest paid/received to/from counterparty on purchase/sale transaction is recognised under interest accrued account.
- ii) Premium, if any on redemption/maturity of investments is recognised on straight line basis over the balance period of holding/maturity.

- **Amortization**

For Non-Linked Business & Non Unit Fund of Linked Business: Debt Securities including Government Securities, Redeemable preference Shares where the historical cost is more than the face value, the premium is amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity. Where face value is greater than historical cost, discount is amortized on straight line basis over the balance period of holding /maturity.

- **Dividend Income**

Dividend on quoted equity shares is recognised as income on "ex-dividend" date. Dividend on unquoted Equity/Preference Shares/Mutual Fund is recognised when the right to receive dividend is established.

- **Profit or loss on sale/redemption of Securities/Equity shares, Exchange Traded fund (ETF) ,Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investments Trusts (REITs) preference shares and mutual fund**

Profit or loss on sale/redemption of Securities/Equity shares/ Equity Exchange Traded funds (ETFs), Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investments Trusts (REITs) preference shares and units of mutual fund is calculated as the difference between sale proceeds/redemption proceeds net of sale expenses and the weighted average book value as on date of sale.

- **Income on Alternate Investment Funds, Venture Capital Fund**

Investment income on Alternate Investment Funds, Venture Capital Funds is recognised when the right to receive payment is established.

- **Income on Real Estate Investment Trusts (REITs), Infrastructure Investment Trusts (InvITs)**

Investment Income on Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure Investment Trusts (InvITs) is recognised as and when declared by respective Fund/Trust.

- **Income on Zero Coupon Bonds**

- i) For Zero coupon bonds/debentures issued at a discount and redeemable at face value, the difference between the face value and cost of acquisition is amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity.
- ii) For Zero coupon bonds/debentures issued at face value and redeemable at premium, the difference between the premium on redemption and face value is recognised in interest /premium on redemption account on straight line basis over the balance period of holding/maturity.

- **Interest on Loan against Policies and Mortgage Loans**

Interest on Loan against Policies and mortgage loans is recognised on accrual basis.

- **किराए से आय**

किराया/लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने तक के लिए बकाया है उसे अर्जित आधार पर मान्यता दी जाती है और किराया/लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से ज्यादा के लिए बकाया है उसे प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। किराए पर अपफ्रंट प्रीमियम को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

- **शुल्क और प्रभार**

प्रस्तावित निवेशों के संबंध में प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य शुल्क, यदि कोई हों, को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- उपरोक्त में निर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य सभी आय को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

4. अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत को उस लेखा अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वह वहन की जाती है। अधिग्रहण लागत वे लागतें होती हैं जो नई तथा नवीनीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं तथा उनके साथ परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं।

5. कर्मचारियों को लाभ

निगम के पास अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान तथा परिभाषित लाभ दोनों प्रकार की योजनाएँ उपलब्ध हैं। निगम निम्नलिखित सभी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का लेखांकन लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) के अनुरूप करता है।

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:-

निगम अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान करता है:

- **कर्मचारी भविष्य निधि योजना:** वे कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके लिए निगम द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट को समतुल्य अंशदान किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत देय अथवा अदा किए गए अंशदान को उस अवधि में, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, बिना किसी छूट के राजस्व खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना:** निगम उन कर्मचारियों के लिए, जो वर्ष 2010 के पश्चात निगम में शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान करता है। यह योजना परिभाषित अंशदान आधार पर कार्य करती है तथा टियर-1 खाते में अंशदान अनिवार्य है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधन कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इन योजनाओं में अंशदान मासिक आधार पर, देय होने पर किया जाता है तथा उस अवधि में, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, बिना किसी छूट के राजस्व खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। निगम का, निधियों में किए गए अंशदानों से परे कोई और दायित्व नहीं है।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:-

निगम अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाओं में योगदान करता है:-

- **ग्रेच्युटी:** लाभों की व्यवस्था निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से की जाती है तथा इसे समग्र देयता में सम्मिलित किया जाता है। यह योजना सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति अथवा मृत्यु के समय पात्र कर्मचारियों को उनके वेतन एवं निगम में सेवा अवधि के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। निगम की देयता का निर्धारण बीमांकिक आधार पर प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- **समूह अवकाश नकदीकरण देयता:** लाभों की व्यवस्था निगम द्वारा जारी समूह अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से की जाती है तथा इसे समग्र देयता में सम्मिलित किया जाता है। विशेष अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995:** वे कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि योजना के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उनके लिए निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन निधि ट्रस्ट को अंशदान किया जाता है। निगम का अंशदान बीमांकिक गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा उस अवधि में, जिसमें संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, राजस्व खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कर्मचारियों को देय लाभों का मूल्यांकन प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।

- **Rental Income**

Rent/license fees which is in arrear upto 6 months is recognised on accrual basis and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is recognised on receipt basis. Upfront premium on rent is recognized on receipt basis.

- **Fees and charges**

Processing fee and other fee for proposed investments, if any, is recognised when the right to receive payment is established.

- Income other than specified above, is recognised when the right to receive payment is established.

4. **Acquisition Costs:**

Acquisition Cost is expensed in the period in which it is incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

5. **Benefits to Employees**

The Corporation has both defined contribution and defined benefit schemes for its employees. The Corporation accounts for all the below mentioned long term employee benefits in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised).

(A) Defined Contribution Plans:-

The Corporation makes contribution to following Defined contribution plan for its employees:-

- **Employee Provident Fund Scheme:** The employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made by the Corporation to the Provident fund Trust formed under LIC Act, 1956. The contribution paid or payable under the schemes is charged to the Revenue Account on an undiscounted basis during the period in which the employee renders the related service.
- **National Pension Scheme:** The Corporation makes contribution in National Pension Scheme for employees who joined Corporation after 2010. The contribution works on Defined Contribution basis and contribution to Tier – I Account is mandatory. National Pension Scheme is managed and administered by Pension fund management companies licensed by the Pension Funds Regulatory and Development Authority ('PFRDA'). The contributions made to these schemes are on a monthly basis, when due, and charged to Revenue Account on an undiscounted basis during the period in which the employee renders the related service. The Corporation does not have any further obligation beyond the contributions made to the funds.

(B) Defined Benefit Schemes:-

The Corporation makes contribution to following defined benefit schemes for its employees:-

- **Gratuity:** The benefits are provided for through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and is included in the overall liability. The scheme provides a lump sum payment to eligible employees at retirement or termination or death based on the respective employee's salary and years of employments with the Corporation. The Corporation's obligation is actuarially determined based on the Projected Unit Credit method.
- **Group Privilege Leave Encashment Liability:** The benefits are provided for through a Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and is included in the overall liability. The benefits of privilege leave encashment are valued using Projected Unit Credit Method.
- **Employee Pension Scheme 1995:-** For the employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India. The Corporation's contribution is made on the basis of Actuarial calculation and charged to Revenue account during the period when related services are rendered. The benefits payable to the employees are valued using Projected Unit Credit Method.

6. पट्टे:

परिचालन पट्टा: वे पट्टे, जिनमें पट्टा अवधि के दौरान परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकांश जोखिम एवं लाभ प्रभावी रूप से पट्टादाता के पास ही बने रहते हैं, परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जहाँ निगम पट्टेदार है, वहाँ मासिक आधार पर देय परिचालन पट्टा किराया को परिचालन व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहाँ निगम पट्टादाता होता है, वहाँ परिचालन पट्टे के अंतर्गत दी गई परिसंपत्तियों को निवेश संपत्ति के रूप में माना जाता है। ऐसे पट्टों से प्राप्त पट्टा आय, जो मासिक आधार पर प्राप्त होती है, को राजस्व खाते अथवा लाभ एवं हानि खाते में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. भुगतान किया गया लाभ:

भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ और दावा निपटान लागतें, जहाँ भी लागू हों, शामिल होती हैं।

गैर-संबद्ध व्यवसाय

- मृत्यु दावे तथा राइडर दावे की मान्यता दावा सूचना प्राप्त होने पर की जाती है।
- जीवितता लाभ, परिपक्वता लाभ तथा वार्षिकी लाभ से संबंधित दावों की मान्यता उनके देय होने पर की जाती है।
- निकासी एवं समर्पण से संबंधित दावों की मान्यता सूचना प्राप्त होने पर की जाती है।
- लैप्स अथवा बंद हो चुकी पॉलिसियों के अंतर्गत देय राशि की मान्यता, उसके देय होने पर की जाती है।

संबद्ध व्यवसाय

- मृत्यु दावे तथा राइडर दावे की मान्यता दावा सूचना प्राप्त होने पर की जाती है।
- परिपक्वता दावे की मान्यता देयता के आधार पर उस समय की जाती है जब संबंधित यूनिटों को निरस्त किया जाता है।
- समर्पण एवं निकासी की मान्यता उस समय की जाती है जब संबंधित यूनिटों को निरस्त किया जाता है।
- लैप्स अथवा बंद हो चुकी पॉलिसियों के अंतर्गत देय राशि की मान्यता ऐसी पॉलिसियों की लॉक-इन अवधि समाप्त होने पर की जाती है।

न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों के संबंध में, उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों तथा प्रबंधन की विवेकपूर्ण समीक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

पुनर्बीमा को हस्तांतरित मामलों में निगम द्वारा निपटाए गए दावों, जिनकी राशि पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्त की जानी है, को उसी तिमाही अथवा आगामी तिमाहियों में प्राप्ति योग्य के रूप में मान्यता दी जाती है।

8. निवेश

क) गैर-संबद्ध व्यवसाय और संबद्ध व्यवसाय का नॉन-यूनिट फंड**ऋण प्रतिभूतियाँ (सरकारी प्रतिभूतियाँ और अधिमानी शेयरों सहित)**

सभी ऋण प्रतिभूतियों, जिनमें सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा प्रतिदेय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं, को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है तथा उन्हें ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। प्रीमियम अथवा छूट का परिशोधन निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि से किया जाता है। जहाँ सूचीबद्ध प्रतिदेय अधिमानी शेयर का उचित मूल्य, जो सामान्यतः मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर उपलब्ध बाजार मूल्य होता है, परिशोधित लागत से कम हो, वहाँ यदि मूल्य में कमी अस्थायी न होकर स्थायी प्रकृति की हो, तो मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है। सभी गैर-सूचीबद्ध प्रतिदेय अधिमानी शेयर का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है तथा आवश्यक होने पर मूल्यहास के लिए प्रावधान घटाया जाता है।

सभी सूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, यदि उनका अंतिम उद्धृत मूल्य, जो मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर उपलब्ध हो, ऐतिहासिक लागत से अधिक हो। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य ऐतिहासिक लागत से कम हो, तो उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत में से मूल्यहास हेतु प्रावधान घटाकर किया जाता है। सभी गैर-सूचीबद्ध अप्रतिदेय वरीयता अंशों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत में से मूल्यहास हेतु प्रावधान, यदि कोई हो, घटाकर किया जाता है।

इक्विटी शेयर, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)

- (i) सक्रिय बाजारों में कारोबार किए जाने वाले सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि उक्त मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक

6. Leases:

Operating Lease: Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating lease. Where the Corporation is the lessee, operating lease rentals, being paid on monthly basis, are recognised as operating expenses.

Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases, are treated as Investment property. Lease income, received on monthly basis, is recognized as income in the Revenue/ Profit and Loss Account.

7. Benefits Paid:

Benefits paid consist policy benefits and claim settlement costs, wherever applicable.

Non linked Business

- Death and rider claims are recognized, on receipt of intimation.
- Survival, Maturity and Annuity benefit claims are recognized, when due.
- Withdrawals and surrenders are recognized, on receipt of intimation.
- Amount payable on lapsed/discontinued policies are recognized, for as and when due.

Linked Business

- Death and rider claims are recognized, on receipt of intimation.
- Maturity claims are recognized, on due basis when the associated units are cancelled.
- Surrenders and withdrawals are recognized when associated units are cancelled.
- Amount payable on lapsed/discontinued policies are recognized on the expiry of lock in period of these policies.

Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

Claims settled by the Corporation for reinsurance ceded cases which are receivable from the reinsurer are recognized for in the same quarter or subsequent quarters.

8. Investments

A] Non Linked Business and Non Unit Fund of Linked Business

Debt securities (including Government Securities and Preference Shares)

All Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortization of premium and discount on straight line basis over the balance period of holding/maturity. A provision for diminution is made for diminution in value if other than temporary, where fair value, usually the market price (quoted price not later than 30 days prior to valuation date) of listed redeemable preference share is lower than amortized cost. All unlisted redeemable preference shares are valued at historical cost less provision for diminution, if any.

All listed Irredeemable Preference Shares are valued at historical cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than historical cost. In case last quoted price is lower, it is valued at historical cost less provision for diminution. All unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at historical cost less provision for diminution.

Equity Shares, Equity Exchange Traded Funds (ETFs), Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investment Trusts (REITs)

- Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at last quoted closing prices at the National Stock Exchange (NSE) (last quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). In case of the scrips not listed on the NSE, the last quoted closing prices on the BSE have been taken (last quoted

पुराना न हो। जिन प्रतिभूतियों का सूचीकरण एनएसई पर नहीं है, उनके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य को आधार माना जाता है, जो मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इक्विटी प्रतिभूतियों के वहन मूल्य में होने वाले परिवर्तन को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।

- (ii) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों तथा अल्प-व्यापारित इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें निवेश के मूल्य में कमी हेतु आवश्यक प्रावधान घटाया जाता है। ऐसी मूल्य-कमी का आकलन एवं लेखांकन निगम की क्षीणता नीति के अनुसार किया जाता है। किसी प्रतिभूति को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा म्यूचुअल फंडों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प-व्यापारित माना जाता है।
- (iii) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध कारोबार मूल्य अथवा शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (iv) आईएनवीआईटी और आरईआईटी में निवेश का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, जिसके लिए अंतिम उद्धृत मूल्य मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर कोई बाजार उद्धरण उपलब्ध न हो, तो इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (v) ऐसे आईएनवीआईटी और आरईआईटी जिनमें नियमित रूप से कारोबार नहीं होता है, उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी होने की स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड/ वैकल्पिक निवेश फंड

- (i) **म्यूचुअल फंडों में निवेश:** म्यूचुअल फंडों में निवेश का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (ii) वेंचर फंड (वीएफ), वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) और प्रतिभूति रसीदों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी हो, तो प्रत्येक निवेश का अलग मूल्यांकन कर आवश्यक प्रावधान किया जाता है। सावधि जमा तथा रिवर्स रेपो निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स

- (i) वाणिज्यिक पत्र, कोषागार बिल, त्रिपक्षीय रेपो (ट्रेप्स), रिवर्स रेपो, जमा प्रमाणपत्र आदि जैसे मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

सहायक कंपनियों, सहयोगीयों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश

- (i) सहायक कंपनियों, सहयोगी उपक्रमों तथा संयुक्त उपक्रमों में किए गए निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है तथा जहाँ आवश्यक हो, मूल्य में कमी के लिए प्रावधान घटाया जाता है।

सभी निवेशों का लेखांकन निपटान आधार पर किया जाता है, सिवाय द्वितीयक बाजार से क्रय अथवा विक्रय किए गए इक्विटी शेयरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के। द्वितीयक बाजार से क्रय अथवा विक्रय किए गए इक्विटी अंशों एवं सरकारी प्रतिभूतियों का लेखांकन व्यापार तिथि के आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव्स अनुबंध

- (i) जीवन बीमा, पेंशन एवं वार्षिकी व्यवसाय के अंतर्गत बीमा अनुबंधों तथा निवेश नकदी प्रवाहों से संबंधित अत्यधिक संभाव्य भावी लेनदेन के हेजिंग हेतु किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स अनुबंधों का लेखांकन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ‘डेरिवेटिव्स अनुबंधों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी’ तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के निवेश मास्टर परिपत्र, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता है, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- (ii) अग्रिम दर समझौता (एफआरए) अनुबंध का मूल्यांकन, अंतर्निहित बांड के बाजार मूल्य तथा अनुबंधित अग्रिम मूल्य के वर्तमान मूल्य के मध्य अंतर के आधार पर किया जाता है। अंतर्निहित बांड का बाजार मूल्य, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित स्पॉट संदर्भ प्रतिफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

price should not be later than 30 days prior to valuation date). The change in the carrying amount of equity securities is recognised under “Fair Value Change Account”.

- (ii) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security is considered as being thinly traded as per SEBI guidelines governing mutual funds.
- (iii) Investment in ETFs are valued at traded price or at NAV as on the reporting date. Unrealized gains or losses arising due to change in fair value of mutual fund units are recognised under “Fair Value Change Account”.
- (iv) Investment in InvITs and REITs are valued at Market value (last Quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). Where Market Quote is not available for last 30 days prior to valuation date, the Units are valued at the latest NAV (not more than 6 months old). Unrealized gains or losses arising due to change in fair value of units are recognised under “Fair Value Change Account”.
- (v) InvITs and REITs which are not regularly traded are valued at Historical cost subject to diminution in value of the assets.

Mutual Funds & Venture Funds / Alternative Investment Funds

- (i) Investments in Mutual Fund are valued at - NAV on the reporting date. Unrealised gains or losses arising due to change in fair value of mutual fund units are recognised under “Fair Value Change Account”.
- (ii) Investments in Venture Funds (VF), Alternative Investment Funds (AIF) and Security Receipts are valued at cost, subject to provision for diminution, if any, in the value of such investments determined separately for each individual investment. Fixed Deposits and Reverse Repo are valued at cost.

Money Market Instruments

- (i) Investments in Money Market Instruments like commercial paper, treasury bills, Tri-party Repo (TREPs), Reverse Repo and certificate of deposit etc are measured at historical cost.

Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- (i) Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are carried at cost less provision for diminution, if any.

All Investments are accounted on settlement basis except for purchase or sale of equity shares and Government securities from the secondary market. Purchase or sale of equity shares and Government securities from the secondary market are accounted on trade date.

Derivatives

- (i) Interest Rate Derivative (IRD) contracts for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in Life, Pension and Annuity business are recognised for in accordance with the ‘Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts’ issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.
- (ii) The Forward Rate Agreement (FRA) contract is valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL) and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date. Mark-to-market valuation / fair valuation of the derivative financial instruments is done independently by both the parties i.e the Corporation and the counter party. The

अनुबंधित अग्रिम मूल्य के वर्तमान मूल्य में, मूल्यांकन तिथि से एफआरए अनुबंध के निपटान की तिथि तक प्राप्त होने वाले मध्यवर्ती कूपन प्रवाहों का वर्तमान मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है।

डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों का बाजार-से-मूल्यांकन अथवा उचित मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से दोनों पक्षों, अर्थात् निगम तथा प्रतिपक्ष, द्वारा किया जाता है। तथापि, मार्जिन निपटान के उद्देश्य से प्रतिपक्ष (बैंक) द्वारा किए गए मूल्यांकन को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि एफआरए की शर्तों के अनुसार प्रतिपक्ष (बैंक) ही मूल्यांकन अभिकर्ता होता है।

- (iii) हेजिंग साधनों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा आगामी प्रतिवेदन तिथियों पर भी उनका पुनर्मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।

ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर उत्पन्न उचित मूल्य लाभ/हानि का वह प्रभावी भाग, जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, को तुलन-पत्र में “हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित” अथवा “एचएफआर” में मान्यता दी जाती है।

ऐसे डेरिवेटिव्स साधनों के उचित मूल्य परिवर्तन का अप्रभावी भाग उस अवधि में, जिसमें वह उत्पन्न होता है, राजस्व खाते / लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त करता है।

- (iv) ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर उचित मूल्य लाभ / हानि जो एक अप्रभावी प्रतिरक्षा के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- (v) “प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व” में चिन्हित किए गए संचित लाभ या हानि को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उसी अवधि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, जिसके दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से प्राप्त निवेशों से आय को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रतिरक्षा लेखा तब बंद हो जाता है जब प्रतिरक्षा लिखत समाप्त हो जाता है या ऐसा लगता हो कि अपेक्षित पूर्वानुमानित लेनदेन अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल जाता हो या अब पूरा होने की उम्मीद न हो। ऐसी समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जो प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ख) संबद्ध व्यवसाय:

ऋण प्रतिभूतियाँ:

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ तथा यूनिट फंड्स के अंतर्गत डिबेंचर्स एवं बांड्स का मूल्यांकन फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफआईएमएडीए) / फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित अंतिम उपलब्ध बाजार दरों के आधार पर किया जाता है। गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यथासंशोधित, किया जाता है।

इक्विटी शेयर:

- (i) सक्रिय बाजारों में कारोबार किए जाने वाले सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि यह मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना न हो। यदि कोई प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं है, तो उसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य को आधार माना जाता है, जो भी मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना न हो। इक्विटी प्रतिभूतियों के वहन मूल्य में होने वाले परिवर्तन को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (ii) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों तथा अल्प-व्यापारित इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें निवेश के मूल्य में कमी हेतु आवश्यक प्रावधान घटाया जाता है। इस प्रकार की मूल्य-कमी का आकलन एवं लेखांकन निगम की क्षीणता नीति के अनुसार किया जाता है। किसी प्रतिभूति को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के म्यूचुअल फंड संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प-व्यापारित माना जाता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)

- (i) आईएनवीआईटी और आरईआईटी में निवेश का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, जिसके लिए अंतिम उद्धृत मूल्य मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है, तो इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।

counter party (Bank) valuation is considered for margin settlement as the counter party (Bank) is the valuation agent as per FRA.

- (iii) Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in “Hedge Fluctuation Reserve” or “HFR” in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change in fair value of such derivative instruments is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise.
- (iv) The fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise.
- (v) The accumulated gains or losses that were recognised in the “Hedge Fluctuation Reserve” are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account. Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised into Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account.

B] Linked Business:

Debt securities:

Central Government securities, State Government securities, Other Approved Securities, Debentures & Bonds of unit funds are valued at last available market rates as declared by FIMMDA/FIBIL. Provision for non- performing debts is made as per IRDAI/RBI guidelines as amended from time to time.

Equity Shares:

- (i) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at last quoted closing prices at the National Stock Exchange (NSE)(last quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). In case of the scrips not listed on the NSE, the last quoted closing prices on the BSE have been taken (last quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). The change in the carrying amount of equity securities is recognised under “Fair Value Change Account”.
- (ii) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security is considered as being thinly traded as per SEBI guidelines governing mutual funds.

Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investment Trusts (REITs):

- (i) Investment in InvITs and REITs are valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). Where Market Quote is not available for last 30 days prior to valuation date, the Units are valued at the latest NAV (not more than 6 months old). Unrealized gains or losses arising due to change in fair value of mutual fund units are recognized under “Fair Value Change Account”.

- (ii) ऐसे आईएनवीआईटी और आरईआईटी जो नियमित रूप से कारोबार नहीं किए जाते हैं, उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के लिए आवश्यक प्रावधान घटाया जाता है।

म्यूचुअल फंड:

म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेशों को, म्यूचुअल फंड्स द्वारा घोषित अंतिम एनएवी पर दर्शाया जाता है।

मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेप्स, आदि

वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, त्रिपक्षीय रेपो (ट्रेप्स) आदि जैसे मुद्रा बाजार इंस्ट्रूमेंट्स का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब निपटान के आधार पर किया जाता है। द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को व्यापार तिथि पर गिना जाता है।

• निवेशों का क्षीणता:—

निगम प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर गैर-सूचीबद्ध अथवा अल्प-व्यापारित इक्विटी अंशों, अधिमानी शेयरों तथा सहायक/संबद्ध इक्विटी निवेशों की क्षीणता का आकलन अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्षीणता नीति के अनुसार करता है, जो समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

यह आकलन इस उद्देश्य से किया जाता है कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या किसी प्रकार की क्षीणता का संकेत उपलब्ध है अथवा पूर्व में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि का कोई प्रतिवर्तन आवश्यक है। यदि क्षीणता हानि पाई जाती है, तो उसे राजस्व खाते / लाभ एवं हानि खाते में 'निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान (शुद्ध)' शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

यदि तुलन-पत्र की तिथि पर यह निर्धारित होता है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि अब विद्यमान नहीं है, तो उस हानि का प्रतिवर्तन किया जाता है तथा संबंधित निवेश को तदनुसार पुनः समायोजित किया जाता है।

9. निवेश संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन

निवेश संपत्ति का मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया जाता है तथा निवेश संपत्ति के वहन मूल्यमें होने वाले परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में समायोजित किया जाता है। निवेश संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कम से कम प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन हेतु अपनाया गया आधार निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धतियों के अनुसार होता है।

10. ऋण:

ऋणों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत में से पुनर्भुगतान घटाकर किया जाता है, तथा इसके अधीन यदि कोई हो तो क्षीणता प्रावधान एवं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) हेतु प्रावधान भी समायोजित किए जाते हैं।

ऋणों का वर्गीकरण अल्पकालिक के रूप में किया जाता है यदि उनकी परिपक्वता अवधि बारह माह से कम है। अल्पकालिक के अतिरिक्त सभी ऋणों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

11. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान:

बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र के अनुसार – जिसका विषय 'ऋणों और अग्रिमों के संबंध में आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड' है-ऋणों और अग्रिमों (बकाया ब्याज सहित) की वसूली न होने या कम वसूली होने के कारण होने वाले अनुमानित नुकसान के लिए, जो तुलन पत्र की तारीख को बकाया हैं, पर्याप्त प्रावधान किए जाते हैं।

12. अचल संपत्तियाँ और मूल्यहास:

• मूर्त संपत्ति

अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है (जिसमें जीएसटी सम्मिलित है), जिसमें से संचित मूल्यहास तथा यदि कोई हो तो क्षीणता घटाई जाती है। लागत में क्रय मूल्य तथा अन्य सभी वे व्यय सम्मिलित होते हैं जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोपित किए जा सकते हैं। विद्यमान परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के / पश्चातवर्ती व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ ऐसे व्यय से परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है।

(ii) InvITs and REITs which are not traded, valued at Historical cost subject to diminution in value of the assets.

Mutual Funds:

Investments in Mutual Funds are stated at last declared NAV by the Mutual Funds.

Money Market Instruments like commercial paper, Certificate of Deposit, TREPs etc.:

Money Market Instruments like commercial paper, Certificate of Deposit, TREPs etc are valued at Historical cost.

All Investments are accounted on settlement basis except for purchase or sale of equity shares and government securities from the secondary market. Purchase or sale of equity shares and government securities from the secondary market are accounted on trade date.

- **Impairment of Investments :-**

The Corporation on each reporting date assesses impairment of unlisted or thinly traded equity shares, preference shares, and affiliated equity investments in accordance with its Board-approved impairment policy, aligned with guidelines issued by the IRDAI from time to time.

This assessment is conducted to determine whether there is any indication of impairment or reversal of a previously recognised impairment loss. Impairment losses, if any, are recognised as an expense under the head 'Provision for diminution in value of Investment (net)' in the Revenue Account/Profit and Loss Account. If, at the Balance Sheet date, it is determined that the impairment loss recognised earlier no longer exists, the loss is reversed, and the investment is restated accordingly.

9. Revaluation of Investment Property

The Investment Property is carried at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property as per methods approved by the Board of Directors.

10. Loans:

Loans are measured at historical cost less repayments, subject to impairment provisions and provision for non performing asset (NPA), if any.

Loans are classified as short term in case of maturity is less than twelve months. Loans other than short term are classified as long term.

11. Provisioning for Non-Performing Assets :

In line with Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers dated May 17, 2024 on 'Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of loans and advances, adequate provisions are made for estimated loss arising on account from/ under recovery of loans and advances (including outstanding interest) outstanding at the balance sheet date.

12. Fixed Assets and Depreciation:

- **Tangible assets**

Fixed assets are carried at cost (inclusive of GST) less accumulated depreciation and impairment, if any. Cost includes the purchase price and any other cost which can be directly attributed to bring the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on existing assets is expensed out except where such expenditure increases the future economic benefits from the existing assets.

- **अमूर्त संपत्ति**

अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है (जिसमें जीएसटी सम्मिलित है), जिसमें उन सभी लागतों को भी सम्मिलित किया जाता है जो उन्हें उनके इच्छित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, तथा इसमें से संचित अमोर्टाइजेशन एवं यदि कोई हो तो क्षीणता घटाई जाती है। विद्यमान परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के / पश्चातवर्ती व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ ऐसे व्यय से परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है।

सभी अचल परिसंपत्तियाँ जिनकी लागत ₹ 25,000 तक प्रति इकाई है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा क्रय के माह में ही पूर्णतः मूल्यहासित कर दिया जाता है।

- **पूंजीगत कार्य प्रगति पर**

वे परिसंपत्तियाँ जो अभी उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं तथा अन्य पूंजीगत प्रकृति के कार्य प्रगति में हैं, उन्हें पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

- **मूल्यहास:**

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान प्रबंधन द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है। वर्ष के दौरान क्रय अथवा विक्रय की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास मासिक आधार पर अनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यहास की दरें निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	परिसंपत्ति	मूल्यहास की दर
1	भूमि (स्वामित्व)	शून्य
2	भूमि (पट्टे पर)	पट्टे की अवधि के दौरान अनुपातिक आधार पर
3	स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण, पट्टा भूमि पर भवन निर्माण जहां पट्टे की अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) या उससे अधिक है, सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व फ्लैट	2%
4	पट्टा भूमि पर भवन निर्माण जहां पट्टे की अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) से कम है	पट्टे की शेष अवधि के दौरान अनुपातिक आधार पर
5	भूमि एवं भवन (पट्टा ग्रहित परिसर)	पट्टे की अवधि में 2% से अधिक या यथा अनुपात
6	बिल्डिंग में विद्युत प्रतिष्ठान, पंखे, लिफ्ट और जनरेटर (स्वामित्व और पट्टे पर), फर्नीचर और फिटिंग, कार्यालय उपकरण, टेलीफोन, फैक्स/ई पी बी एक्स, विविध पूंजी उपकरण	10%
7	रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर एयर कूलर, एयर कंडीशनर आदि	13.91%
8	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर सहित), मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण, ऑडियो विजुअल और संबंधित उपकरण, टेलीविज़न, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, यूपीएस, अकाउंटिंग मशीन, जनरेटर, डीजी सेट किराए के परिसर में	30%

- **Intangible Assets**

Intangible assets are stated at cost of acquisition (inclusive of GST), including any cost attributable for bringing the same to its working condition for its intended use, less accumulated amortization and impairment, if any. Subsequent expenditure incurred on existing assets is expensed out except where such expenditure increases the future economic benefits from the existing assets.

All fixed assets costing upto ₹ 25000 each are being capitalized and simultaneously fully depreciated in the month of purchase.

- **Capital Work in progress**

Cost of Assets not ready for their use and other work in progress of capital nature are disclosed as capital work in progress.

- **Depreciation:**

Depreciation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on the useful life of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/sold during the year.

Based on useful life evaluation carried out by the management, the rates of depreciation are as follows:-

Rates of Depreciation charged on Fixed Assets:

Sr. No.	Asset	Rate of Depreciation
1	Land (Freehold)	Nil
2	Land (Leasehold)	Pro-rata basis over the lease period
3	Building on Freehold Land, Building on Leasehold Land where lease period is 50 years (useful life) or more, Ownership Flats purchased in Co-op Societies	2%
4	Building on Leasehold Land where lease period is less than 50 years (useful life)	Pro-rata basis over the remaining lease period
5	Land and Building (Leasehold premises)	Higher of 2% or Pro-rata basis over lease period
6	Electrical Installations , fans, Lifts and generators in Building (Freehold and leasehold), Furniture and fittings, Office Equipment, Telephones, Fax/Epabx, Misc. Capital Equipment,	10%
7	Refrigerators and water coolers, Air Coolers , Air Conditioners etc.	13.91%
8	Information Technology Equipment (including Computers, Printers and Software), Mobile Phones & other Communication equipments, Audio Visual & Allied equipment, Television, Voltage stabilizers UPS, Accounting Machines, Generators, DG Sets in rented Premises	30%

क्रमांक	परिसंपत्ति	मूल्यहास की दर
9	वाहन, पुस्तकालय की पुस्तकें और अन्य प्रचार सामग्री (जिसमें नियॉन साइन, ग्लो साइन, होर्डिंग्स शामिल हैं), फोटोकॉपियर	20%
10	साइकिल	15%
11	इंजीनियरिंग उपकरण	12.50%
12	विविध अचल संपत्तियाँ (₹ 25,000/- तक)	100%

• **अचल परिसंपत्तियों की क्षीणता:**

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की क्षीणता के संकेतों के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी किसी क्षीणता का संकेत प्राप्त होता है, तो संबंधित परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन किया जाता है तथा आवश्यक होने पर क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य से अभिप्राय उन भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य से है, जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग एवं उसके अंतिम निपटान से प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यदि यह संकेत प्राप्त होता है कि पूर्ववर्ती लेखा अवधियों में किसी परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि अब आवश्यक नहीं है अथवा उसमें कमी आई है, तो ऐसी क्षीणता हानि का प्रतिवर्तन मान्यता प्राप्त किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के। क्षीणता हानि का प्रतिवर्तन केवल उस सीमा तक मान्यता प्राप्त किया जाता है जहाँ प्रतिवर्तन के पश्चात परिसंपत्ति का वहन मूल्य उस राशि से अधिक न हो, जो उस स्थिति में होता यदि पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधियों में क्षीणता हानि को मान्यता न दी गई होती।

13. कराधान:

क) प्रत्यक्ष कर: वर्तमान आयकर के लिए प्रावधान उपार्जन आधार पर किया जाता है। यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अनुसार उपलब्ध सभी अनुमत कटौतियों एवं छूटों का लाभ प्रदान करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है।

ख) अप्रत्यक्ष कर: संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जो धनवापसी की कटौती के पश्चात शुद्ध आधार पर निर्धारित किया जाता है, को एक देयता के रूप में माना जाता है। इस देयता के विरुद्ध पात्र इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का, दावा किए जाने योग्य सीमा तक, समायोजन किया जाता है तथा शेष शुद्ध देयता को संबंधित प्राधिकरण को जमा कर दिया जाता है।

अप्रयुक्त कर-क्रेडिट, यदि कोई हों, को भावी समायोजन हेतु तुलन-पत्र में अग्रेषित किया जाता है तथा उनकी मान्यता उस सीमा तक स्थगित रखी जाती है, जहाँ उनके उपयोग की युक्तिसंगत निश्चितता विद्यमान हो।

14. पॉलिसी दायित्व मूल्यांकन

प्रत्येक ऐसी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत देयता विद्यमान है अथवा उत्पन्न हो सकती है, के लिए पॉलिसी देयता का निर्धारण सभी प्रासंगिक मानकों के विवेकपूर्ण अनुमानों के आधार पर किया जाता है। यह निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा लागू बीमांकिक व्यवहार मानकों के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

पॉलिसी देयता के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली:

- गैर-संबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह पॉलिसियों के लिए देयता का निर्धारण, जहाँ लागू हो, प्रत्येक पॉलिसी के लिए भावी सकल प्रीमियम विधि अथवा अप्रयुक्त प्रीमियम आरक्षित के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पॉलिसी हेतु आरक्षित राशि कम से कम गारंटीकृत समर्पण मूल्य अथवा विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर रखी जाती है। किसी पॉलिसी के लिए आरक्षित राशि निर्धारित करते समय ऋणात्मक आरक्षित को शून्य माना जाता है।
- संबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत यूनिट देयता का निर्धारण मूल्यांकन तिथि पर इकाइयों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर किया जाता है, जबकि गैर-यूनिट देयता का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विधि द्वारा किया जाता है।
- राइडर लाभों के संबंध में देयता का निर्धारण अप्रयुक्त प्रीमियम आरक्षित तथा सकल प्रीमियम आरक्षित विधि से गणना की गई आरक्षित राशि में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाता है।
- समूह नकद संचय योजनाओं की देयता का मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि पर सभी योजनाओं के निधि मूल्य के आधार पर किया जाता है। एक-वर्षीय नवीकरणीय समूह सावधि आश्वासन के अंतर्गत देयता का निर्धारण प्रत्येक पॉलिसी की अगली वार्षिक नवीकरण तिथि तक की अवधि के लिए अर्जित न हुए जोखिम प्रीमियम के कुल योग के आधार पर किया जाता है।

Sr. No.	Asset	Rate of Depreciation
9	Vehicles, Library Books and other publicity materials(including Neon Signs, Glow signs, Hoardings), Photocopier,	20%
10	Cycles	15%
11	Engineering equipment	12.50%
12	Sundry Fixed Assets (Upto ₹ 25000/-)	100%

• **Impairment of fixed assets:**

The carrying amount of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognised.

The recoverable amount is the higher of the asset's net selling price and their value in use, which is the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of asset and its ultimate disposal. When there is an indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods is no longer necessary or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised, except in case of revalued assets. Reversal is recognised to the extent that post reversal, the carrying amount does not exceed the amount that would have resulted, had impairment loss not been recognised in previous reporting periods.

13. Taxation:

- Direct Tax:** Provision for current income tax is made on an accrual basis after taking credit for all the allowances and exemptions in accordance with Income Tax Act.
- Indirect Tax:** Goods and Service Tax ("GST") collected (net of refunds) is considered as a liability against which GST paid for eligible input services, to the extent claimable, is adjusted and the net liability is remitted to the appropriate Authority.

Unutilized credits, if any are carried forward in the Balance Sheet, for future set off and are deferred for recognition to the extent that there is reasonable certainty of utilization.

14. Policy Liability Valuation

The determination of policy liability for each policy under which liability exists or may arise, is based on prudent assumptions of all relevant parameters, in accordance with the relevant provisions, as amended from time to time, of LIC Act, 1956, Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations, circular, guidelines, applicable Actuarial Practice Standards.

The methodology for valuation is:

- The Liability for Individual and Group policies under Non-Linked business is calculated for each policy using the Prospective Gross Premium Method or Unexpired Premium Reserve, as applicable. The Reserve for each policy is atleast equal to the Guaranteed Surrender Value or Special Surrender Value, whichever is higher. The negative reserve is set to zero while arriving at reserve under a policy.
- The Unit Liability for Linked business is determined as the Net Asset Value of units as on the valuation date, while the non-unit liability is calculated using discounted cash flow method.
- The liability in respect of Rider Benefits are determined as the higher of Unexpired Premium Reserve and reserves calculated using the Gross Premium Reserve Method.
- The Liability for Group Cash Accumulation Schemes is valued at fund value of all the schemes as on the date of valuation. The Liability in respect of One Year Renewable Group Term Assurance is the sum of the unearned risk premium under all such policies based on the period up to the next annual renewal date under each policy.

- पॉलिसियों के पुनर्जीवन/पुनर्बहाली, एड्स/एचआईवी, रिपोर्ट न किए गए किन्तु उत्पन्न दावों, आपदा जोखिमों आदि के लिए अतिरिक्त समष्टिगत प्रावधान किए जाते हैं।

व्यक्तिगत “पूँजी मोचन एवं निर्धारित वार्षिकी सहित” पॉलिसियों के अंतर्गत देयता का निर्धारण प्रत्येक पॉलिसी के लिए भावी सकल प्रीमियम विधि के आधार पर किया जाता है।

15. भविष्य के विनियोगों के लिए निधियाँ:

गैर-संबद्ध सहभागी व्यवसाय के लिए, भावी विनियोजन निधि खाते में दर्शाई गई शेष राशि उन निधियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका आवंटन तुलन-पत्र की तिथि तक सहभागी पॉलिसीधारकों अथवा शेयरधारकों के बीच निर्धारित नहीं किया गया है। इस निधि में किए गए अंतरण प्रत्येक लेखा अवधि में निगम के ‘पॉलिसीधारक निधि’ में उत्पन्न आय एवं व्यय तथा विनियोजनों के अधिशेष अथवा घाटे को प्रतिबिंबित करते हैं। सहभागी पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारकों को किया गया कोई भी आवंटन, निर्धारित अनुपात में अंशधारकों को भी अंतरण उत्पन्न करेगा।

यूनिट-लिक्विड निधियों में रखी गई भावी विनियोजन निधि उस अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है, जो ऐसी लैप्स पॉलिसियों से उत्पन्न हुआ है जिनके पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है। यह अधिशेष पॉलिसीधारक निधि के अंतर्गत तब तक रखा जाता है, जब तक कि पॉलिसीधारकों का अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

16. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियाँ समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सृजित एवं अनुरक्षित की जाती हैं।

तदनुसार, पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को एक अलग निधि में रखा जाता है और इसे मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और / या अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर की स्थिति में, जो राशियाँ 10 वर्षों की अवधि तक दावा न की गई हो, उन्हें तथा उस निधि पर अर्जित समस्त संबंधित वृद्धियों सहित, संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 मार्च तक अथवा उससे पूर्व वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में जमा कर दिया जाता है।

17. विदेशी मुद्रा लेनदेन:

लेखा मानक-11 “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव” की आवश्यकताओं के अनुसार, विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन प्रारंभिक मान्यता के समय लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये में अभिलेखित किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र की तिथि पर प्रचलित समापन विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों जैसी गैर-मौद्रिक मदें, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर अभिलेखित किया गया है, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर के आधार पर प्रदर्शित की जाती हैं। स्थिर परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य गैर-मौद्रिक मदें, जिन्हें उचित मूल्य अथवा अन्य समान मूल्यांकन आधार पर मान्यता दी जाती है, उस तिथि की विनिमय दर का उपयोग करते हुए प्रदर्शित की जाती हैं जिस तिथि पर ऐसा मूल्य निर्धारित किया गया था। ऐसे रूपांतरणों अथवा निपटान के परिणामस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतर को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, तथा उन्हें आवश्यकतानुसार राजस्व खाते अथवा लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

विदेशी शाखा कार्यालयों में संचालित कार्यकलाप गैर-अभिन्न प्रकृति के माने जाते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण संबंधित स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ऐसी शाखाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का रूपांतरण तुलन-पत्र तिथि पर प्रचलित समापन विनिमय दर पर किया जाता है, जबकि आय एवं व्यय मदों का रूपांतरण औसत विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। इन रूपांतरणों से उत्पन्न विनिमय अंतरों को “विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित” में संचित किया जाता है।

18. उपलब्ध सोल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय:

उपलब्ध सोल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय (कर को घटाकर) गैर-सहभागी व्यवसाय के अधिशेष का हिस्सा होती है।

19. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान उन वर्तमान दायित्वों के संबंध में मान्यता प्राप्त किया जाता है, जो भूतकालीन घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं तथा जिनके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो और जिनकी राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता हो।

- Additional aggregate provisions are made for revival/reinstatement of policies, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported (IBNR) claims, and catastrophe risks etc.

The liability under Individual “Capital Redemption and Annuity Certain” policies is determined for each policy using the Prospective Gross Premium Method.

15. Funds for future appropriations:

For Non- linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating ‘Policy Holders’ or to ‘Shareholders’, is not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation’s ‘Policy holders’ fund. In respect of participating policies any allocation, to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is held within the ‘policyholders’ fund till the point at which the policyholders’ can no longer revive their policy.

16. Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the guidelines issued by the IRDAI from time to time.

Accordingly, unclaimed amount of policyholders are maintained in a single segregated fund and are invested in money market instruments, liquid mutual funds and/or fixed deposits of scheduled banks.

Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years as on 30th September every year along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.

17. Foreign Currency Transactions:

In accordance with requirements of Accounting Standard 11, ‘The Effects of changes in Foreign Exchange rates’, transactions in foreign currency are recorded in Indian Rupees at the exchange rate prevailing on the date of transaction, at the time of initial recognition. Monetary items denominated in foreign currency are converted in Indian Rupees at the closing rate of exchange prevailing on the balance Sheet date. Non Monetary items like fixed assets, which are recorded at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of transaction. Non monetary items other than fixed assets, which are recognised at fair value or other similar valuation are reported using exchange rate at the date when such value was determined. Exchange differences arising on such conversions or on settlement are recognised in the period in which they arise either in the Revenue account or the Profit and Loss account, as the case may be.

Operations carried at the foreign branch offices are of non integral nature. The Financial Statements of these branches are prepared in accordance with respective local laws. The assets and liabilities, are translated at the closing rate and income and expense items are translated at average exchange rate. The resulting exchange differences are accumulated in the exchange fluctuation reserve.

18. Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund:

Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund (net of tax) forms part of the Surplus of Non- Participating business.

19. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Provision is recognised in respect of the present obligations arising out of past events where it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amounts of which can be reliably estimated. Provisions are determined on the basis of best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the Balance sheet date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates.

प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक आर्थिक लाभों के संभावित बहिर्वाह के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें संशोधित किया जाता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब भूतकालीन घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व विद्यमान हो, जिसके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो सकती है, परंतु उसकी संभावना प्रबल नहीं हो, अथवा उसकी राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो।

जब किसी संभावित अथवा वर्तमान दायित्व के संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत नगण्य हो, तब न तो कोई प्रावधान किया जाता है और न ही उसका प्रकटीकरण किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

20. खंडीय रिपोर्टिंग:

क) खंडों की पहचान:

खंड की पहचान आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों तथा कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित “खंडीय रिपोर्टिंग” पर लेखा मानक 17 के अनुसार पहचाने गए मुख्य खंडों के आधार पर की जाती है। इसी के अनुसार, निगम ने मुख्य व्यावसायिक खंडों के लिए राजस्व खाता (पॉलिसीधारकों का खाता) और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात् सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, गैर-सहभागी जीवन (व्यक्तिगत और समूह), गैर-सहभागी पेंशन (व्यक्तिगत और समूह), गैर-सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, गैर-सहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, गैर-सहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, गैर-सहभागी संबद्ध (जीवन, पेंशन और स्वास्थ्य) और पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित व्यवसाय (सीआरएसी)। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपना परिचालन करता है।

ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

शेयरधारकों के खाते से संबंधित खर्चों के समायोजन के बाद जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को असंबद्ध सहभागी, असंबद्ध असहभागी, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय और यूनिट संबद्ध (लिंकड) व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:

- क) जिन खर्चों को संबंधित व्यवसाय की लाइनों से सीधे पहचाना जा सकता है, उन्हें वास्तविक आधार पर संबंधित व्यवसाय की लाइनों में मान्यता दी गई है, और
- ख) अन्य व्यय जो व्यवसाय की विशिष्ट लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:
 - i. पॉलिसी की संख्या
 - ii. कुल प्रीमियम आय
 - iii. आश्वस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

21. प्रति शेयर आय:

मूल प्रति शेयर आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ अथवा हानि को, जो इक्विटी शेयरधारकों के लिए अभिप्रेय हो, उस अवधि के दौरान प्रचलित भारित औसत इक्विटी शेयरों से विभाजित करके की जाती है। डाइल्यूटिड प्रति शेयर आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ अथवा हानि को, जो इक्विटी अंशधारकों के लिए अभिप्रेय हो, उस अवधि के दौरान प्रचलित भारित औसत इक्विटी शेयरधारकों से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी संभावित डाइल्यूटिड इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

22. नकद और नकद समकक्ष

प्राप्तियों एवं भुगतान खाते के प्रयोजन हेतु नकद एवं नकद समकक्षों में हाथ में नकद एवं चेक, बैंक शेष, बैंकों में जमा, जिसमें सावधि जमा भी सम्मिलित हैं, तरल निधियाँ तथा प्रेषण मार्ग में राशि शामिल होती हैं। प्राप्तियों एवं भुगतान खाता का निर्माण एवं प्रस्तुति प्रत्यक्ष विधि के आधार पर की जाती है, जो लेखा मानक - 3 “नकदी प्रवाह विवरण” तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होती है।

A disclosure of contingent liability is made when there is a possible obligations arising out of past events that may, but probably will not, require an outflow of resources or it cannot be reliably estimated. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

20. Segmental Reporting:

A) Identification of Segments:

Segments are identified based on the primary segments specified under Regulations issued by the IRDAI from time to time read with Accounting Standard 17 on “Segmental Reporting” notified under section 133 of the Companies Act 2013 and rules there under. Accordingly, the Corporation has prepared the Revenue Account (Policyholders Account) and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked (Life, Pension and Health) and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments.

B) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:

Operating Expenses relating to life insurance business after adjusting for expenses attributable to Shareholders Account is allocated to various lines of business such as Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business and Unit Linked Business on the following basis.

- a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been recognised in the respective lines of business on actual basis, and
- b. Expenses which are not directly identifiable to the specific lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:
 - i. Number of policies
 - ii. Total premium income
 - iii. Sum assured

Allocation of expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

21. Earnings per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

22. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents for the purpose of Receipts and payments account include cash and cheques in hand, bank balances, deposits (including Fixed Deposits) with banks, liquid funds, remittances in transit. Receipts and Payments Account is prepared and reported using Direct method in accordance with Accounting Standard (AS) 3, Cash Flow Statements as per guidelines issued by the IRDAI from time to time.

(ब) लेखों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

अनु.	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
क.	आंशिक रूप से चुकता निवेश	0.20	727.85
ख.	निगम द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न की गई पॉलिसियों के अलावा अन्य दावों (पॉलिसी से संबंधित दावों के अलावा मुकदमों के तहत दावे सहित)	798.54	736.44
ग.	अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं बकाया	शून्य	शून्य
घ.	निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां/लेटर ऑफ कम्फर्ट	6.39	6.07
ङ.	विवाद में वैधानिक मांगों/दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है (ब्याज और जुर्माना सहित, यदि कोई हो)	14,690.80	24,110.85
च.	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
छ.	अन्य:-		
	मुकदमेबाजी के तहत पॉलिसी संबंधी दावे	671.79	569.67
	कुल	16,167.72	26,150.88

2. पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमान:

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में सहभागी और असहभागी खंड शामिल हैं, जिन्हें आगे असंबद्ध और संबद्ध व्यवसाय में वर्गीकृत किया गया है। भाग लेने वाले खंड में असंबद्ध व्यक्तिगत आश्वासन, वार्षिकी और पेंशन योजनाएं शामिल हैं। गैर-भागीदारी खंड में व्यक्तिगत और समूह व्यवसाय के तहत असंबद्ध और संबद्ध दोनों व्यवसाय शामिल हैं। गैर-भागीदार व्यक्तिगत व्यवसाय में असंबद्ध व्यवसाय के तहत आश्वासन, वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और परिवर्तनीय बीमा योजनाएं (वीआईपी) और संबद्ध व्यवसाय के तहत आश्वासन, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाएं शामिल हैं। असहभागी समूह व्यवसाय में असंबद्ध प्लेटफॉर्म के तहत वार्षिकी, सुपरएन्युएशन (वीआईपी सहित) और अन्य योजनाएं, और सुपरएन्युएशन संबद्ध योजनाएं शामिल हैं। पोर्टफोलियो में टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जैसे राइडर भी शामिल हैं।

नीति देनदारियों का निर्धारण ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, खर्च, मुद्रास्फीति और बोनस जहां लागू हो, के लिए मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। सर्वोत्तम अनुमान धारणाएं पिछले अनुभव विश्लेषण और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। मूल्यांकन की धारणाएं लागू विनियमों और बीमांकन अभ्यास मानकों के अनुसार सर्वोत्तम अनुमान धारणाओं पर मार्जिन को ध्यान में रखते हुए प्राप्त की जाती हैं।

उपयोग की जाने वाली ब्याज दरों का मूल्यांकन व्यवसाय की रेखा के अनुसार भिन्न होता है और यह 5.65% प्रति वर्ष से लेकर 7.38% प्रति वर्ष तक होता है, जो अंतर्निहित संपत्तियों और देनदारियों की प्रकृति और अवधि पर निर्भर करता है। बोनस दर की धारणाएं ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप होती हैं।

उपयोग की गई मृत्यु दर की धारणाएं प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत एन्युटेंट्स मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका और रुग्णता धारणाएं क्रिटिकल इलनेस बेस टेबल (सीआईबीटी 93)/पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय मान्यता या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी व्यय के अनुसार है। नवीनीकरण प्रति पॉलिसी व्यय योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति के अनुसार भिन्न होता है। खर्चों में मुद्रास्फीति की भी एक धारणा की जाती है।

भागीदारी पॉलिसियों का मूल्यांकन करते समय, शेयरधारकों को अधिशेष के आवंटन और लागू करों के लिए भी प्रावधान किया जाता है।

राइडर्स से जुड़ी देनदारियों के लिए भी रिज़र्व रखे गए हैं। इसके अलावा, पेड-अप या लैप्स हो चुकी उन पॉलिसियों को रिवाइव/फिर से चालू करने के लिए रिज़र्व का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है जो रिवाइवल के योग्य हैं; साथ ही, अगर ऑफिस नए बिज़नेस के लिए बंद हो जाता है, तो होने वाले अतिरिक्त खर्चों, कोविड, एड्स/एचआईवी, ऐसी मौतों जिनकी जानकारी मिली हो लेकिन रिपोर्ट न की गई हो (आईबीएनआर), बड़ी आपदाओं आदि के लिए भी (जहां लागू हो) प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, संबद्ध प्लान के मामले में, जहां मैच्योरिटी पर गारंटी दी जाती है, वहां ऐसी गारंटी की लागत का हिसाब स्टोकेस्टिक तरीकों का इस्तेमाल करके लगाया गया है।

(B) NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities:

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
a.	Partly paid-up investments	0.20	727.85
b.	Claims, other than against policies not acknowledged as Debts by the Corporation (including claim under litigation other than policy related claims)	798.54	736.44
c.	Underwriting commitments outstanding	Nil	Nil
d.	Guarantees/letter of comfort given by or on behalf of the Corporation	6.39	6.07
e.	Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for (including interest & penalty, if any)	14,690.80	24,110.85
f.	Reinsurance obligations to the extent not provided for	Nil	Nil
g.	Others:-		
	Policy related claims under litigation	671.79	569.67
	TOTAL	16,167.72	26,150.88

2. Actuarial Assumptions for valuation of Policy liabilities:

The Corporation's Life Insurance Business consists of Participating and Non-participating segments which are further categorized into Non-linked and Linked business. Participating segment consists of Non-linked Individual Assurance, Annuity and Pension plans. Non-participating segment consists of both Non-linked and Linked business under Individual as well as Group business. The Non-participating Individual business consists of Assurance, Annuity, Pension, Health plans and Variable Insurance Plans (VIP) under Non-linked business and Assurance, Pension and Health plans under Linked business. The Non-participating Group business consists of Annuity, Superannuation (including VIP) and Other plans under Non-linked platform and Superannuation Linked plans. The portfolio also consists of riders such as Term Assurance Rider, Accident Benefit Rider, Accidental Death and Disability Benefit Rider and Premium Waiver Benefit Rider.

The policy liabilities are determined based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses where applicable. The best estimate assumptions are determined based on the past experience analysis and expected future experience. The valuation assumptions are arrived at after factoring in margins on the best estimate assumptions as per the applicable Regulations and Actuarial Practice Standards.

The valuation rates of interest used vary according to the line of business and ranges from 5.65% p.a. to 7.38% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions are aligned to be consistent with the valuation rates of interest.

The mortality assumptions used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitants Mortality (2012-15) Ultimate Table and Morbidity assumptions are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93) /Reinsurer's incidence rates.

The expense assumptions for valuation are either as a percentage of premiums or as per policy expenses. The renewal per policy expenses vary according to the type of Plan and status of the policy. An assumption for expense inflation is also made.

While valuing Participating policies, allowance is also made for allocation of surplus to shareholders and for applicable taxes.

Reserves have also been provided for liability in respect of Riders. Additional provisions are made for reserves for revival/ reinstatement of paid up or lapsed policies eligible for revival, additional expenses that may be incurred in case the office is closed for new business, COVID, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), Catastrophe etc. where applicable. Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using

बीमा अकाउंट II के लिए, ब्याज़ गारंटी की लागत का प्रावधान किया गया है। जिन प्लान में पॉलिसीहोल्डर्स के पास कुछ विकल्प चुनने का अधिकार होता है, उन विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चीले विकल्प को आधार बनाया गया है।

3. भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार:

अ) स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 2,952.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,548.52 करोड़)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	लागत	बाजार मूल्य	लागत	बाजार मूल्य
(i) भारत में जारी				
ट्रेप्स और प्रतिभूति खंड के अंतर्गत सीसीआईएल और कस्टोडियन को संपार्श्विक				
आरबीआई एसएलओसी प्रतिभूति जमा	1,002.38	1,002.38	1,003.48	1,003.48
सीसीआईएल एसजीएफ- प्रतिभूति खंड	180.61	180.61	624.99	624.99
ट्रेप्स खंड	191.22	191.22	191.34	191.34
प्रतिभूति खंड के तहत डिफॉल्ट फंड	23.60	23.60	13.35	13.35
डिफॉल्ट फंड ट्रेप्स सेगमेंट	24.22	24.22	34.11	34.11
इक्विटी अभिरक्षक के साथ सीजीएस	1,506.38	1,506.38	1,616.29	1,616.29
नकद	23.61	23.61	64.96	64.96
बैंक गारंटी के एवज में सावधि जमा	-	-	-	-
(ii) भारत के बाहर जारी किया	-	-	-	-
कुल	2,952.03	2,952.03	3,548.52	3,548.52

ब) फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट व्यापार दायित्वों के प्रति मार्जिन के रूप में जमा की गई/(प्राप्त) नकद राशि:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
(i) बैंक ऑफ अमेरिका	227.42	(5.30)
(ii) एचएसबीसी इंडिया	9.51	-
(iii) जेपी मॉर्गन चेस बैंक	294.29	-
(iv) कोटक महिंद्रा बैंक	161.67	-
(v) सिटी बैंक	25.90	-
(vi) भारतीय स्टेट बैंक	47.67	-
कुल	766.46	(5.30)

stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided for. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options.

3. Encumbrances to assets of the Corporation in and outside India:

- a) The assets of the Corporation are free from any encumbrances except, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with (SLOC/CCIL) and Custodians: ₹ 2,952.03 crore (Previous year ₹ 3,548.52 crore).

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Cost	Market value	Cost	Market value
(i) Issued in India				
Collateral to CCIL& Custodian under TREPS & Securities segment				
RBI SLOC Securities Deposit	1,002.38	1,002.38	1,003.48	1,003.48
CCIL SGF- Securities Segment	180.61	180.61	624.99	624.99
TREPS Segment	191.22	191.22	191.34	191.34
Default Fund under Securities segment	23.60	23.60	13.35	13.35
Default Fund TREPS Segment	24.22	24.22	34.11	34.11
CGS with Equity Custodians	1,506.38	1,506.38	1,616.29	1,616.29
Cash	23.61	23.61	64.96	64.96
Fixed Deposit against Bank Guarantee	-	-	-	-
(ii) Issued Outside India	-	-	-	-
Total	2,952.03	2,952.03	3,548.52	3,548.52

- b) Cash deposited/(received) as margin towards Forward Rate Agreement trade obligations:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
(i) Bank of America	227.42	(5.30)
(ii) HSBC India	9.51	-
(iii) JP Morgan Chase Bank	294.29	-
(iv) Kotak Mahindra Bank	161.67	-
(v) Citi Bank	25.90	-
(vi) State Bank of India	47.67	-
Total	766.46	(5.30)

4. ऋण, निवेश और स्थायी परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
वेंचर कैपिटल / एआईएफ	1,070.10	1,611.45
बॉन्ड और डिबेंचर	4,200.00	5,700.00
अचल संपत्तियां	960.27	972.28

5. दावा

तुलन पत्र की तारीख तक, वे दावे जिनका निपटारा हो चुका है, लेकिन छह महीने से अधिक समय से जिनका भुगतान बकाया है

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	दावों की संख्या*	राशि (करोड़ रुपये में)	दावों की संख्या*	राशि (करोड़ रुपये में)
मृत्यु दावे	1,910	28.66	709	13.57
परिपक्वता दावे	1,12,220	2,561.93	4,22,156	2,239.49

*पी एंड जीएस व्यवसाय के लिए दावों के डेटा की संख्या उपलब्ध नहीं है। दावों की राशि में पी एंड जीएस डेटा शामिल है।

6. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य:

निवेश अनुबंधों का मूल्य जहां निपटान या वितरण लंबित है, वह इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक			31.03.2025 तक		
	शेयरधारकों	पॉलिसी धारकों		शेयरधारकों	पॉलिसी धारकों	
		असंबद्ध	संबद्ध		असंबद्ध	संबद्ध
ऐसी खरीदारी जिनकी डिलीवरी पेंडिंग है	39.31	733.28	67.76	0.00	1,478.70	73.35
बिक्री जहाँ रसीदें बकाया हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिक्री जहाँ रसीदें लंबित हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00

7. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना का विवरण:

(₹ करोड़ में)

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक (केएमपी) का नाम	वेतन और भत्ते	पीएलएलआई	अन्य लाभ और सुविधाएँ	पेंशन में निगम की हिस्सेदारी	कुल पारिश्रमिक, जिसमें सुविधाओं पर टैक्स शामिल नहीं है	अनुलाभों पर कर	कुल पारिश्रमिक, जिसमें सुविधाओं पर टैक्स शामिल है
निदेशकों							
श्री आर दुरैस्वामि	0.64 (0.48)	0.41 (0.22)	0.14 (0.14)	0.03 (0.04)	1.23 (0.88)	0.04 (0.04)	1.27 (0.92)
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	0.12 (0.42)	0.41 (0.39)	0.06 (0.18)	0.01 (0.03)	0.59 (1.02)	0.02 (0.05)	0.61 (1.07)
श्री सतपाल भानु*	0.52 (0.49)	0.41 (0.26)	0.12 (0.12)	0.03 (0.04)	1.07 (0.91)	0.04 (0.04)	1.11 (0.95)

4. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Venture Capital / AIFs	1,070.10	1,611.45
Bonds and Debentures	4,200.00	5,700.00
Fixed Assets	960.27	972.28

5. Claims

The claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months, as on the Balance Sheet date

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Number of Claims*	Amount (₹ in Crore)	Number of Claims*	Amount (₹ in Crore)
Claims by Death	1,910	28.66	709	13.57
Claims by Maturity	1,12,220	2,561.93	4,22,156	2,239.49

*Number of claims data is not available for P & GS business. Amount of claims includes P & GS data.

6. Value of contracts in relation to Investments:

Value of Investment contracts where settlement or delivery is pending is as follows:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026			As at 31.03.2025		
	Shareholders	Policy holders		Shareholders	Policy holders	
		Non-Linked	Linked		Non-Linked	Linked
Purchases where deliveries are pending	39.31	733.28	67.76	0.00	1,478.70	73.35
Sales where receipts are overdue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sales where receipts are pending	0.00	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00

7. Computation of Managerial Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel are:

(₹ in Crore)

Name of the Directors and KMP	Salaries & Allowances	PLLI	Other benefits & perquisites	CC to Pension	Total Remuneration excl. tax on perquisites	Tax on Perquisites	Total Remuneration incl. tax on perquisites
DIRECTORS							
Shri R. Doraiswamy	0.64	0.41	0.14	0.03	1.23	0.04	1.27
	(0.48)	(0.22)	(0.14)	(0.04)	(0.88)	(0.04)	(0.92)
Shri Siddharth Mohanty*	0.12	0.41	0.06	0.01	0.59	0.02	0.61
	(0.42)	(0.39)	(0.18)	(0.03)	(1.02)	(0.05)	(1.07)
Shri Sat Pal Bhanoo*	0.52	0.41	0.12	0.03	1.07	0.04	1.11
	(0.49)	(0.26)	(0.12)	(0.04)	(0.91)	(0.04)	(0.95)

(₹ करोड़ में)

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का नाम	वेतन और भत्ते	पीएलएलआई	अन्य लाभ और सुविधाएँ	पेंशन में निगम की हिस्सेदारी	कुल पारिश्रमिक, जिसमें सुविधाओं पर टैक्स शामिल नहीं है	अनुलाभों पर कर	कुल पारिश्रमिक, जिसमें सुविधाओं पर टैक्स शामिल है
श्री दिनेश पंत	0.60 (1.28)	0.02 (0.01)	0.21 (0.19)	0.03 (0.07)	0.86 (1.54)	0.07 (0.05)	0.93 (1.60)
श्री रत्नाकर पटनायक	0.51 (0.64)	0.02 (0.01)	0.13 (0.13)	0.03 (0.06)	0.70 (0.84)	0.04 (0.06)	0.74 (0.90)
श्री रामकृष्णन चंदर	0.44 (0.00)	0.02 (0.00)	0.11 (0.00)	0.03 (0.00)	0.60 (0.00)	0.03 (0.00)	0.63 (0.00)
श्री एम. जगन्नाथ*	0.12 (0.47)	0.41 (0.36)	0.04 (0.10)	0.00 (0.04)	0.58 (0.97)	0.01 (0.03)	0.59 (1.00)
श्री तबलेश पांडे*	0.12 (0.48)	0.41 (0.36)	0.04 (0.14)	0.00 (0.04)	0.58 (1.02)	0.01 (0.04)	0.59 (1.06)

*वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	0.55 (0.63)	0.02 (0.01)	0.14 (0.12)	0.04 (0.07)	0.76 (0.82)	0.04 (0.03)	0.80 (0.86)
श्री सुनील अग्रवाल	1.09 (1.08)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.06 (0.00)	1.15 (1.08)	0.00 (0.00)	1.15 (1.08)
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	0.74 (0.00)	0.02 (0.00)	0.19 (0.00)	0.03 (0.00)	0.98 (0.00)	0.06 (0.00)	1.03 (0.00)
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	0.50 (0.02)	0.02 (0.00)	0.12 (0.01)	0.04 (0.00)	0.67 (0.03)	0.04 (0.00)	0.71 (0.04)
श्री अरिंदम दास गुप्ता	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.01 (0.00)	0.01 (0.00)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.00)
श्री रविंद्रनाथ सुधाकर*	0.15 (0.64)	0.02 (0.01)	0.08 (0.15)	0.02 (0.07)	0.28 (0.87)	0.02 (0.04)	0.30 (0.91)
श्रीमती बेला पॉल*	0.05 (0.58)	0.00 (0.01)	0.01 (0.09)	0.00 (0.06)	0.06 (0.73)	0.00 (0.02)	0.06 (0.76)
श्री अंशुल कुमार सिंह	0.32 (0.30)	0.01 (0.00)	0.03 (0.04)	0.02 (0.02)	0.38 (0.37)	0.01 (0.01)	0.39 (0.38)

*वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त

कुल	6.64 (7.50)	2.22 (1.63)	1.43 (1.42)	0.38 (0.52)	10.67 (11.08)	0.44 (0.43)	11.11 (11.52)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

(₹ in Crore)

Name of the Directors and KMP	Salaries & Allowances	PLLI	Other benefits & perquisites	CC to Pension	Total Remuneration excl. tax on perquisites	Tax on Perquisites	Total Remuneration incl. tax on perquisites
Shri Dinesh Pant	0.60	0.02	0.21	0.03	0.86	0.07	0.93
	(1.28)	(0.01)	(0.19)	(0.07)	(1.54)	(0.05)	(1.60)
Shri Ratnakar Patnaik	0.51	0.02	0.13	0.03	0.70	0.04	0.74
	(0.64)	(0.01)	(0.13)	(0.06)	(0.84)	(0.06)	(0.90)
Shri Ramakrishnan Chander	0.44	0.02	0.11	0.03	0.60	0.03	0.63
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Shri Jagannath M.*	0.12	0.41	0.04	0.00	0.58	0.01	0.59
	(0.47)	(0.36)	(0.10)	(0.04)	(0.97)	(0.03)	(1.00)
Shri Tablesh Pandey*	0.12	0.41	0.04	0.00	0.58	0.01	0.59
	(0.48)	(0.36)	(0.14)	(0.04)	(1.02)	(0.04)	(1.06)
*Superannuated during the Financial Year							
KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP'S)							
Shri Krishna Kumar	0.55	0.02	0.14	0.04	0.76	0.04	0.80
Sukumaran Nair	(0.63)	(0.01)	(0.12)	(0.07)	(0.82)	(0.03)	(0.86)
Shri Sunil Agrawal	1.09	0.00	0.00	0.06	1.15	0.00	1.15
	(1.08)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(1.08)	(0.00)	(1.08)
Shri Ajay Kumar Srivastava	0.74	0.02	0.19	0.03	0.98	0.06	1.03
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Shri Shatmanyu Shrivastava	0.50	0.02	0.12	0.04	0.67	0.04	0.71
	(0.02)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.03)	(0.00)	(0.04)
Shri Arindam Das Gupta	0.16	0.00	0.01	0.01	0.18	0.00	0.18
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Shri Ravindranath Sudhakar*	0.15	0.02	0.08	0.02	0.28	0.02	0.30
	(0.64)	(0.01)	(0.15)	(0.07)	(0.87)	(0.04)	(0.91)
Ms. Bella Paul*	0.05	0.00	0.01	0.00	0.06	0.00	0.06
	(0.58)	(0.01)	(0.09)	(0.06)	(0.73)	(0.02)	(0.76)
Shri Anshul Kumar Singh	0.32	0.01	0.03	0.02	0.38	0.01	0.39
	(0.30)	(0.00)	(0.04)	(0.02)	(0.37)	(0.01)	(0.38)
*Superannuated during the Financial Year							
TOTAL	6.64	2.22	1.43	0.38	10.67	0.44	11.11
	(7.50)	(1.63)	(1.42)	(0.52)	(11.08)	(0.43)	(11.52)

Previous year figures are shown in bracket ().

8. उचित मूल्य आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है:

अ. उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत जिनका रिपोर्ट मूल्य उचित मूल्य पर आधारित है, नीचे दिया गया है:

भारत के भीतर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत
शेयरधारक निधि	19,657.35	20,554.10	12,265.76	12,501.19
पॉलिसीधारक निधि				
अ) असंबद्ध निवेश				
सहभागी निधि	8,65,892.87	6,64,514.65	8,50,502.82	5,92,255.78
असहभागी निधि (पी एंड जीएस को छोड़कर)	4,21,772.91	1,24,242.29	4,72,418.84	1,11,152.97
असहभागी निधि पी एंड जीएस	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
सीआरएसी बिजनेस	0.00	0.00	0.00	0.00
ब) संबद्ध निवेश	61,895.94	59,066.42	48,790.57	41,437.52
कुल	15,51,391.34	10,46,831.13	15,51,089.62	8,96,582.56

भारत के बाहर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत
शेयरधारक निधि	184.99	182.67	182.68	180.27
पॉलिसीधारक निधि				
अ) असंबद्ध निवेश				
सहभागी निधि	5,577.95	5,543.47	4,739.79	4,728.30
असहभागी निधि (पी एंड जीएस को छोड़कर)	77.50	77.50	69.12	69.12
असहभागी निधि पी एंड जीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
सीआरएसी बिजनेस	0.00	0.00	0.00	0.00
ब) संबद्ध निवेश	74.84	68.68	67.95	53.61
कुल	5,915.28	5,872.32	5,059.54	5,031.30

8. Historical cost of investments valued on fair value basis is given below:

A. The historical cost of those investments whose reported value is based on fair value is as given below:

Within India

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Reported value	Historical Cost	Reported value	Historical Cost
Shareholders Fund	19,657.35	20,554.10	12,265.76	12,501.19
Policyholders Fund				
A) Non-Linked Investments				
Participating Fund	8,65,892.87	6,64,514.65	8,50,502.82	5,92,255.78
Non-Participating Fund (excluding P&GS)	4,21,772.91	1,24,242.29	4,72,418.84	1,11,152.97
Non-Participating Fund P&GS	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
CRAC Business	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Linked Investments	61,895.94	59,066.42	48,790.57	41,437.52
Total	15,51,391.34	10,46,831.13	15,51,089.62	8,96,582.56

Outside India

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Reported value	Historical Cost	Reported value	Historical Cost
Shareholders Fund	184.99	182.67	182.68	180.27
Policyholders Fund				
A) Non-Linked Investments				
Participating Fund	5,577.95	5,543.47	4,739.79	4,728.30
Non-Participating Fund (excluding P&GS)	77.50	77.50	69.12	69.12
Non-Participating Fund P&GS	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAC Business	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Linked Investments	74.84	68.68	67.95	53.61
Total	5,915.28	5,872.32	5,059.54	5,031.30

कुल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत
शेयरधारक निधि	19,842.34	20,736.77	12,448.44	12,681.46
पॉलिसीधारक निधि				
अ) असंबद्ध निवेश				
सहभागी निधि	8,71,470.82	6,70,058.12	8,55,242.61	5,96,984.08
असहभागी निधि (पी एंड जीएस को छोड़कर)	4,21,850.41	1,24,319.79	4,72,487.96	1,11,222.09
असहभागी निधि पी एंड जीएस	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
सीआरएसी बिजनेस	0.00	0.00	0.00	0.00
ब) संबद्ध निवेश	61,970.78	59,135.10	48,858.52	41,491.13
कुल	15,57,306.62	10,52,703.45	15,56,149.16	9,01,613.86

ब. गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की ऐतिहासिक लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	असंबद्ध निवेश	संबद्ध निवेश	असंबद्ध निवेश	संबद्ध निवेश
बुक वैल्यू में कमी के लिए प्रावधान घटाकर गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन	1,227.64	-	1,150.77	-
इक्विटी शेयर लिस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं	-	-	-	-

9. फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान:

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को फ्री-लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः 34.47 करोड़ और 29.58 करोड़ अप्रैल 2026 और अप्रैल 2025 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2026 और अप्रैल 2025 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को या उससे पहले पूरी हुई पॉलिसी से संबंधित है।

10. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

शाखा	प्रतिभूतियों का प्रकार	बही मूल्य 31.03.2026 तक	बही मूल्य 31.03.2025 तक
मॉरीशस*	बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स्ड डिपॉजिट @ 1.35% और 1.15%	2.01	1.87
फिजी*	एफ़जीआर स्टॉक @12%, 6.50%, 7.23%, 13%, और 5.46%	86.36	74.90
पी एंड जीएस	स्वावलंबन योजना के लिए पीएफ़आरडीए के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा	0.20	0.20

*उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में रखे जाते हैं और समापन विनिमय दर पर परिवर्तित किए जाते हैं।

Total (₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Reported value	Historical Cost	Reported value	Historical Cost
Shareholders Fund	19,842.34	20,736.77	12,448.44	12,681.46
Policyholders Fund				
A) Non-Linked Investments				
Participating Fund	8,71,470.82	6,70,058.12	8,55,242.61	5,96,984.08
Non-Participating Fund (excluding P&GS)	4,21,850.41	1,24,319.79	4,72,487.96	1,11,222.09
Non-Participating Fund P&GS	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
CRAC Business	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Linked Investments	61,970.78	59,135.10	48,858.52	41,491.13
Total	15,57,306.62	10,52,703.45	15,56,149.16	9,01,613.86

B. Historical cost of Unlisted Equity shares (₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Non-linked investments	Linked Investments	Non-linked investments	Linked Investments
Unlisted equity shares valued at Book value less provision for diminution	1,227.64	-	1,150.77	-
Equity shares awaiting listing	-	-	-	-

9. Provision for free-look period:

Provision for free-look period of ₹ 34.47 crores and ₹ 29.58 crores as at year end March 31, 2026 and March 31, 2025 respectively has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2026 and April 2025 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2026 and April 2025 pertained to the policies completed on or before March 31, 2026 and March 31, 2025 respectively.

10. Investments made in accordance with the statutory requirements

(₹ in Crore)

Branch	Type of Securities	Book Value As at 31.03.2026	Book Value As at 31.03.2025
Mauritius*	Fixed Deposit with Bank of Baroda @ 1.35% & 1.15%	2.01	1.87
Fiji*	FGR Stock @12%, 6.50%, 7.23%, 13%, and 5.46%	86.36	74.90
P & GS	Fixed Deposit with Union Bank of India as per PFRDA for Swavalambhan Scheme	0.20	0.20

*The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.

11. आय मान्यता के उद्देश्य से निष्पादन/गैर-निष्पादन निवेशों में पृथक्करण:

आय मान्यता के प्रयोजन के लिए ऋण और अग्रिम में निष्पादित/गैर-निष्पादित निवेश में पृथक्करण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक				31.03.2025 तक			
	शेयरधारकों	पॉलिसीधारकों		कुल	शेयरधारकों	पॉलिसीधारकों		कुल
		गैर संबद्ध	संबद्ध			गैर संबद्ध	संबद्ध	
निष्पादित निवेश	4,033.86	5,87,949.17	435.08	5,92,418.11	4,034.64	5,70,100.50	264.37	5,74,399.51
गैर-निष्पादित निवेश	0.00	7,169.37	35.83	7,205.20	56.50	8,328.67	114.22	8,499.39
कुल	4,033.86	5,95,118.54	470.91	5,99,623.31	4,091.14	5,78,429.17	378.59	5,82,898.90

12. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां: ऋण पोर्टफोलियो

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, और इसे लाभ और हानि खाते (शेयरधारकों की निधि) और राजस्व खाते (पॉलिसीधारकों की निधि) में मान्यता दी गई है।

शेयरधारकों की निधि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप-मानक	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
हानि संपत्तियाँ	0.00	0.00	56.50	56.50
कुल	0.00	0.00	56.50	56.50
मानक	4,033.86	463.78	4,034.64	463.79
कुल योग	4,033.86	463.78	4,091.14	520.29
सकल एनपीए	0.00		56.50	
शुद्ध एनपीए	0.00		0.00	
सकल एनपीए%	0.00		1.38	
शुद्ध एनपीए%	0.00		0.00	

पॉलिसीधारक की निधि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप-मानक	10.17	6.34	11.92	6.76
संदिग्ध संपत्ति	7.67	7.16	7.56	7.25
हानि संपत्तिया	7,187.36	7,187.36	8,423.41	8,423.41
कुल	7,205.20	7,200.86	8,442.89	8,437.42
मानक	5,88,384.25	2,740.83	5,70,364.87	2,675.52
कुल योग	5,95,589.45	9,941.69	5,78,807.76	11,112.94
सकल एनपीए	7,205.20		8,442.89	
शुद्ध एनपीए	4.34		5.47	
सकल एनपीए%	1.21		1.46	
शुद्ध एनपीए%	0.00		0.00	

11. Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition.

Segregation into Performing/Non-performing investments in Loans and Advances for the purpose of Income recognition:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026				As at 31.03.2025			
	Shareholders	Policy holders		Total	Shareholders	Policy holders		Total
		Non-Linked	Linked			Non-Linked	Linked	
Performing investments	4,033.86	5,87,949.17	435.08	5,92,418.11	4,034.64	5,70,100.50	264.37	5,74,399.51
Non-Performing investments	0.00	7,169.37	35.83	7,205.20	56.50	8,328.67	114.22	8,499.39
Total	4,033.86	5,95,118.54	470.91	5,99,623.31	4,091.14	5,78,429.17	378.59	5,82,898.90

12. Non - Performing Assets: Debt Portfolio

Provision for doubtful debts is made in line with the "Guidelines on prudential norms for income recognition Asset classification, provisioning and other related matters in respect of Debt portfolio" as amended from time to time, and has been recognized in the Profit and Loss Account (Shareholders' Fund) and Revenue Account (Policyholders' Fund).

Shareholders Fund:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Assets	Provision	Assets	Provision
Sub-Standard	0.00	0.00	0.00	0.00
Doubtful Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Loss Assets	0.00	0.00	56.50	56.50
Total	0.00	0.00	56.50	56.50
Standard	4,033.86	463.78	4,034.64	463.79
Grand Total	4,033.86	463.78	4,091.14	520.29
Gross NPA	0.00		56.50	
Net NPA	0.00		0.00	
Gross NPA%	0.00		1.38	
Net NPA%	0.00		0.00	

Policyholders Fund:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Assets	Provision	Assets	Provision
Sub-Standard	10.17	6.34	11.92	6.76
Doubtful Assets	7.67	7.16	7.56	7.25
Loss Assets	7,187.36	7,187.36	8,423.41	8,423.41
Total	7,205.20	7,200.86	8,442.89	8,437.42
Standard	5,88,384.25	2,740.83	5,70,364.87	2,675.52
Grand Total	5,95,589.45	9,941.69	5,78,807.76	11,112.94
Gross NPA	7,205.20		8,442.89	
Net NPA	4.34		5.47	
Gross NPA%	1.21		1.46	
Net NPA%	0.00		0.00	

13. निवेश की हानि:

असूचीबद्ध / कम कारोबार वाली इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, संबद्ध निवेश के तहत इक्विटी, वेंचर फंड, एआईएफ, असूचीबद्ध आईएनवीआईटी, ऋण और डिबेंचर

“निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान” शीर्षक के तहत राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में हानि के लिए प्रावधान/(निवल) को मान्यता दी गई है और तदनुसार, अनुसूची 8ए (पॉलिसीधारकों के निवेश), अनुसूची 8 (शेयरधारकों के निवेश), 8बी (संबद्ध देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्ति) और अनुसूची 9 (ऋण) के तहत क्रमशः ऐसे कमी के लिए समायोजित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान/(निवल) - लाभ और हानि खाता	110.12	(18.19)
(निवल)/पॉलिसीधारकों के खाते में प्रावधान - तुलन-पत्र अनुसूची 8 (शेयरधारकों के निवेश)	(110.12)	18.19
राजस्व खाते - निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान/(निवल)	(1,495.81)	(2,218.66)
(निवल)/पॉलिसीधारकों के खाते में प्रावधान - तुलन-पत्र - अनुसूची 8 (पॉलिसीधारकों के निवेश) और अनुसूची 9 (ऋण)	1,495.81	2,218.66
संबद्ध निधि राजस्व खाते - निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान/(निवल)	(170.93)	9.14
(निवल)/ संबद्ध निधि में प्रावधान - बैलेंस शीट - अनुसूची 8B (संबद्ध देनदारियों के लिए धारित परिसंपत्तियाँ)	170.93	(9.14)

14. पुनर्संरचना के अधीन परिसंपत्तिया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
पुनर्संरचना के अधीन ऋण परिसंपत्तिया	-	882.84
पुनर्संरचना के अधीन मानक परिसंपत्तिया	-	882.84
पुनर्संरचना के अधीन उपमानक परिसंपत्तिया	-	0.00
पुनर्संरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तिया	-	0.00

15. व्यापार क्षेत्र के अनुसार प्रतिशत

आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर थर्ड पार्टी दायित्व) विनियम, 2024, आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर थर्ड पार्टी दायित्वों पर मास्टर परिपत्र, 2025, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के लिए प्रावधान करता है:

ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व:

ग्रामीण क्षेत्र	31-03-2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या (जीपी)	14,264	14,719
निगम को दिए गए जीपी में कवर किए गए लोगों की संख्या	2,94,86,865	90,20,281
निगम को दी गई ग्राम पंचायतों में कुल लोगों की संख्या	5,44,75,762	6,51,73,392

13. Impairment of Investments:

Unlisted/Thinly traded equity shares, preference shares, equity under affiliated investments, Venture Funds, AIF, Unlisted INVIT, Loans and Debentures

A provision/ (reversal) for impairment loss has been recognized in Revenue Account and Profit & Loss Account under the head "Provision for diminution in the value of Investments" and correspondingly, under Schedule 8A (Policyholders' Investments), Schedule 8 (Shareholders' Investments), 8B (Assets held to cover Linked Liabilities) and Schedule 9 (Loans) respectively have been adjusted for such diminution, the details of which are given below:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Provision/(Reversal) for diminution in the value of Investments- Profit and Loss Account	110.12	(18.19)
(Reversal)/Provision in Policyholders account- Balance Sheet Schedule 8 (Shareholders' Investments)	(110.12)	18.19
Provision/(Reversal) for diminution in the value of Investments- Revenue Account	(1,495.81)	(2,218.66)
(Reversal)/Provision in Policyholders account- Balance Sheet- Schedule 8A (Policyholders' Investments) and Schedule 9 (Loans)	1,495.81	2,218.66
Provision/(Reversal) for diminution in the value of Investments- Linked Fund Revenue Account	(170.93)	9.14
(Reversal)/Provision in Linked Fund- Balance Sheet- Schedule 8B (Assets held for Linked liabilities)	170.93	(9.14)

14. Assets Subject to Restructuring

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Loan assets subject to restructuring	-	882.84
Standard assets subject to restructuring	-	882.84
Sub Standard assets subject to restructuring	-	0.00
Doubtful & Loss assets subject to restructuring	-	0.00

15. Percentage of business sector-wise

The IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024, Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations, 2025 as notified by the IRDAI, provides for the rural and social sector obligations as under:

Rural Sector obligations:

Rural Sector	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
No. of allocated Gram Panchayats (GP)	14,264	14,719
No. of lives covered in GP's allocated to the Corporation	2,94,86,865	90,20,281
Total no. of lives in Gram Panchayats allocated to the Corporation	5,44,75,762	6,51,73,392

सामाजिक क्षेत्र के दायित्व:

सामाजिक क्षेत्र	31-03-2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमाधारक सामाजिक जीवन की संख्या (अ)	5,15,79,246	4,06,41,238
कुल बीमित लोगों की संख्या (ब)	10,20,75,989	9,20,73,612
सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए जीवन का %(अ/ब)	50.53%	44.14%

16. अवधारित और पुनर्बीमा जोखिम:

बरकरार रखे गए जोखिम और पुनर्बीमित जोखिम की सीमा नीचे दी गई है:-

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	बीमित राशि (करोड़ में)	%	बीमित राशि (करोड़ में)	%
व्यक्तिगत व्यवसाय				
जोखिम बरकरार	1,02,37,735.17	96.37%	1,00,69,433.43	96.51%
जोखिम पुनर्बीमित	3,85,093.98	3.63%	3,64,361.19	3.49%
समूह व्यवसाय				
जोखिम बरकरार	26,21,902.70	94.00%	24,81,693.06	92.76%
जोखिम पुनर्बीमित	1,67,484.96	6.00%	1,93,792.46	7.24%
कुल				
जोखिम बरकरार	1,28,59,637.87	95.88%	1,25,51,126.49	95.74%
जोखिम पुनर्बीमित	5,52,578.94	4.12%	5,58,153.65	4.26%

17. डेरिवेटिव अनुबंध:

निगम गारंटीकृत उत्पाद प्रदान करता है जिसमें पॉलिसीधारकों को भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रीमियम के लिए निश्चित दर की रिटर्न का आश्वासन दिया जाता है। ये प्रीमियम लंबी अवधि में प्राप्त होने की संभावना है और गारंटीकृत रिटर्न की दर पॉलिसी अवधि की शुरुआत में तय की जाती है। ब्याज दरों में किसी भी गिरावट का मतलब होगा कि निगम के प्रत्येक वृद्धिशील निवेश पर कम दर का रिटर्न मिलेगा। तदनुसार, निगम आईआरडीएआई के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एंड आई/आईअनवी/सीआईआर/138/06/2014 दिनांक 11 जून, 2014 ('आईआरडीएआई परिपत्र ब्याज दर डेरिवेटिव पर') और बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र 2024 दिनांक 17 मई 2024 के अनुसार ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है जो बीमाकर्ताओं को रुपये ब्याज दर डेरिवेटिव जैसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स ('एफआरए'), ब्याज दर स्वैप ('आईआरएस') और एक्सचेंज ट्रेडेड इंटेरेस्ट रेट फ्यूचर्स ('आईआरएफ') में सौदा करने की अनुमति देता है।

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जो ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए बचाव रणनीति को प्रमाणित करने हेतु किए गए व्युत्पन्न लेनदेन के कामकाज पर लागू विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिससे बाजार ब्याज दरों में भिन्नता के कारण भविष्य के निश्चित आय निवेश से रिटर्न की अस्थिरता का प्रबंधन किया जा सके।

वर्ष के दौरान निगम ने अग्रिम दर समझौते (एफआरए) लेनदेन किए हैं, जो निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिरक्षा रणनीति का हिस्सा है, ताकि ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर आईआरडीएआई परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता को हेज किया जा सके।

फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) लेनदेन हैं, जिसमें निगम एक निश्चित भविष्य की तारीख पर सरकारी बांड पर एक निश्चित मूल्य पर लॉक-इन करता है, जिसका उद्देश्य भविष्य की तारीख पर ब्याज-धारक सुरक्षा की कीमत को लॉक करना है।

डेरिवेटिव (एफआरए) को निगम द्वारा केवल निम्नलिखित पूर्वानुमानित लेनदेन के कारण ब्याज दर जोखिमों को हेज करने के उद्देश्य से किया जाता है: अ) मौजूदा निश्चित आय निवेश की परिपक्वता आय का पुनर्निवेश। ब) प्राप्य ब्याज आय का निवेश; और (स) बीमा अनुबंधों पर प्राप्य अपेक्षित पॉलिसी प्रीमियम आय जो पहले से ही जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में लिखित हैं।

Social Sector obligations:

Social Sector	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
No. of inforce social lives insured (A)	5,15,79,246	4,06,41,238
Total no. of inforce lives insured (B)	10,20,75,989	9,20,73,612
% of lives covered under Social Sector (A/B)	50.53%	44.14%

16. Risk Retained and Re-Insured:

The extent of risk retained and risk reinsured is given below:-

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Sum Assured (Amt. in crores)	%	Sum Assured (Amt. in crores)	%
Individual Business				
Risk Retained	1,02,37,735.17	96.37%	1,00,69,433.43	96.51%
Risk Reinsured	3,85,093.98	3.63%	3,64,361.19	3.49%
Group Business				
Risk Retained	26,21,902.70	94.00%	24,81,693.06	92.76%
Risk Reinsured	1,67,484.96	6.00%	1,93,792.46	7.24%
Total				
Risk Retained	1,28,59,637.87	95.88%	1,25,51,126.49	95.74%
Risk Reinsured	5,52,578.94	4.12%	5,58,153.65	4.26%

17. Derivative Contracts:

The Corporation offers guaranteed products wherein the policyholders are assured of a fixed rate of return for premiums to be received in future. These premiums are likely to be received over a longer tenure and the guaranteed rate of return is fixed at the beginning of the policy term. Any fall in interest rates would mean that each incremental investment of the Corporation would earn a lower rate of return. Accordingly, the Corporation manages the Interest Rate Risk in accordance with the IRDAI circular no. IRDA/F&I/INV/CIR/138/06/2014 dated 11 June, 2014 ('the IRDAI Circular on Interest Rate Derivatives') and Master circular on Actuarial, Finance and investment functions of insurers 2024 dated 17th May 2024 which allows insurers to deal in rupee interest rate derivatives such as Forward Rate Agreements ("FRAs"), Interest Rate Swaps ("IRS") and Exchange Traded Interest Rate Futures ("IRF").

The Corporation has in place a derivative policy approved by Board which covers various aspects that apply to the functioning of the derivative transactions undertaken to substantiate the hedge strategy to mitigate the interest rate risk, thereby managing the volatility of returns from future fixed income investment, due to variations in market interest rates.

During the year the Corporation has entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions, as part of Corporation's Board approved Hedging strategy, to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives.

Forward Rate Agreement derivative contracts are over-the counter (OTC) transactions wherein, the Corporation lock-in the yield on the government bond at a specified future date at a price decided at the time of the FRA contract with an objective to lock in the price of an interest bearing security at a future date.

Derivatives (FRA) are undertaken by Corporation solely for the purpose of hedging interest rate risks on account of following forecasted transactions: a) Reinvestment of maturity proceeds of existing fixed income investments. b) Investment of interest income receivable; and c) Expected policy premium income receivable on insurance contracts which are already underwritten in Life, Pension & Annuity business.

अ. बकाया डेरिवेटिव संविदाओं का स्वरूप और शर्तें

I. वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/अप्रैल/2064	1,190.00	1,160.00
6.90% जीओआई 150465	5,770.00	-
7.09% जीओआई 050854	2,076.00	-
7.09% जीओआई 251174	6,642.00	-
7.25% जीओआई 120663	525.00	-
7.43% जीओआई 190176	1,500.00	-
कुल	17,703.00	1,160.00

II. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/अप्रैल/2064	2,065.00	1,040.00
6.90% जीओआई 150465	5,770.00	-
7.09% जीओआई 050854	1,561.00	-
7.09% जीओआई 251174	5,457.00	-
7.25% जीओआई 120663	525.00	-
7.43% जीओआई 190176	1,500.00	-
कुल	16,878.00	1,040.00

III. ब्याज दर डेरिवेटिव का काल्पनिक मूलधन और मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है तथा 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
अग्रिम दर समझौतों (एफआरए) की अनुमानित मूल राशि बकाया है और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।	-	-
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।	-	-
कुल	-	-

IV. वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव अनुबंधों के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहेंगे।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर व्युत्पन्न अनुबंधों (फॉरवर्ड दर समझौते) के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहेंगे*	-	9.08
कुल	-	9.08

*एफआरए प्रतिपक्षियों की सकारात्मक / अनुकूल एमटीएम स्थिति का सकल आधार पर प्रकटन किया गया है। प्रतिपक्षी जोखिम को कम करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) में सहमति के अनुसार प्रतिपक्षियों से मार्जिन धन एकत्र किया जाता है।

A. Nature and term of outstanding derivative contract

I. Total notional exposure of Interest Rate Derivative undertaken during the year (instrument-wise).

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	1,190.00	1,160.00
6.90% GOI150465	5,770.00	-
7.09% GOI050854	2,076.00	-
7.09% GOI251174	6,642.00	-
7.25% GOI120663	525.00	-
7.43% GOI190176	1,500.00	-
Total	17,703.00	1,160.00

II. Total notional exposure of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet Date (Instrument-wise).

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	2,065.00	1,040.00
6.90% GOI150465	5,770.00	-
7.09% GOI050854	1,561.00	-
7.09% GOI251174	5,457.00	-
7.25% GOI120663	525.00	-
7.43% GOI190176	1,500.00	-
Total	16,878.00	1,040.00

III. Notional Principal and mark-to-market value of Interest Rate Derivative outstanding and not 'highly effective'.

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Notional principal amount of Forward Rate Agreements (FRA) outstanding and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	-	-
Mark-to-market value of Forward Rate Agreement (FRA) and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	-	-
Total	-	-

IV. Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts.

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts (Forward rate agreement)*	-	9.08
Total	-	9.08

* Positive/Favourable MTM position of FRA counterparties has been disclosed on gross basis. Margin money is collected from counterparties as agreed in Credit Support Annex (CSA) to reduce above counterparty risk.

V. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में उचित मूल्य मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) लाभ या (हानि) नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/अप्रैल/2064	97.07	(9.08)
7.09% जीओआई 050854	102.88	-
7.09% जीओआई 251174	421.88	-
6.90% जीओआई 150465	90.73	-
7.25% जीओआई 120663	1.90	-
7.43% जीओआई 190176	17.12	-
कुल	731.58	(9.08)

VI. प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व में संचलन

(₹ करोड़ में)

प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व खाता	31 मार्च, 2026 तक			31 मार्च, 2025 तक		
	प्राप्त*	अप्राप्त**	कुल	प्राप्त	अप्राप्त	कुल
वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.37	10.25	10.62	0	0	0
जोड़ें: वर्ष के दौरान फेयर वैल्यू में परिवर्तन	(116.77)	(741.83)	(858.60)	0.37	10.25	10.62
घटाएं: राजस्व/लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत राशियाँ खाता 'ब्याज, लाभांश और किराया-सकल' में शामिल है	(0.77)	0.00	(0.77)	(0.0007)	0	(0.0007)
वर्ष के अंत में शेष राशि	(115.63)	(731.58)	(847.21)	0.37	10.25	10.62

*प्राप्त = तय सौदे

**अप्राप्त = अनसुलझे सौदे

₹ 27.94 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 1.25 करोड़) समेकित राजस्व खाते में पहचानी गई थी, जो हेज लेखांकन के आधार पर निर्धारित नुकसान का हिस्सा थी।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान हेज फ्लोक्चुरेशन रिजर्व खाते से निकाली गई राशि, जिसका पूर्वानुमानित लेनदेन के संबंध में हेज लेखांकन पहले उपयोग किया गया था, लेकिन अब होने की उम्मीद नहीं है, शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)। हेज से नकदी प्रवाह अंतर्निहित नीति देनदारियों की बकाया अवधि में होने की उम्मीद है और तदनुसार राजस्व खाते में प्रवाहित होगा।

ब. निश्चित आय डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटीकरण:

व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन:

क) निश्चित आय डेरिवेटिव्स प्रतिरक्षा लिखत

डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें होती हैं जिनकी विशेषताएं अंतर्निहित परिसंपत्तियों, या ब्याज और विनिमय दरों या सूचकांकों से प्राप्त होती हैं। इनमें फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ब्याज दर स्वेप और ब्याज दर वायदा शामिल हैं।

निगम ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता की प्रतिरक्षा करने के लिए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स (एफआरए) लेनदेन में प्रवेश किया है। निगम सट्टेबाजी के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न नहीं है।

V. The fair value mark to market (MTM) gains or (losses) in respect of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet date is stated below:

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	97.07	(9.08)
7.09% GOI050854	102.88	-
7.09% GOI251174	421.88	-
6.90% GOI150465	90.73	-
7.25% GOI120663	1.90	-
7.43% GOI190176	17.12	-
Total	731.58	(9.08)

VI. Movement in Hedge Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

Hedge Fluctuation Reserve Account	As at March 31, 2026			As at March 31, 2025		
	Realized*	Unrealized**	Total	Realized	Unrealized	Total
Balance at the beginning of the year	0.37	10.25	10.62	0	0	0
Add : Change in fair value during the year	(116.77)	(741.83)	(858.60)	0.37	10.25	10.62
Less: Amounts reclassified to Revenue/ Profit & Loss Account included in 'Interest, Dividends & Rent-Gross'	(0.77)	0.00	(0.77)	(0.0007)	0	(0.0007)
Balance at the end of the year	(115.63)	(731.58)	(847.21)	0.37	10.25	10.62

*Realized = Settled Deals

**Unrealized = Unsettled Deals

An amount of ₹ 27.94 crore (Previous year ₹ 1.25 crore) was recognised in consolidated Revenue Account being the portion of loss determined basis the hedge accounting.

The amount that was removed from Hedge Fluctuation Reserve account during the year ended 31st March, 2026 in respect of forecasted transaction for which hedge accounting had previously been used but is no longer expected to occur is Nil (Previous year Nil). The cash flows from the hedges are expected to occur over the outstanding tenure of underlying policy liabilities and will accordingly flow to the Revenue Account.

B. Qualitative Disclosures on risk exposure in Fixed Income Derivatives:

Overview of business and processes:

a) Fixed Income Derivative Hedging instruments

Derivatives are financial instruments whose characteristics are derived from the underlying assets, or from interest and exchange rates or indices. These include forward rate agreements, interest rate swaps and interest rate futures.

The Corporation has during the year, as part of its Hedging strategy, entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives. The Corporation does not engage in derivative transactions for speculative purpose.

ख) डेरिवेटिव नीति / प्रक्रिया और प्रतिरक्षा प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

निगम ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव नीति और प्रक्रिया दस्तावेज को अच्छी तरह से परिभाषित किया है, जिसमें रणनीतिक उद्देश्य, विनियामक और परिचालन रूपरेखा तथा ब्याज दर डेरिवेटिव से जुड़े जोखिम, साथ ही मापन, निगरानी प्रक्रिया और नियंत्रण शामिल हैं। समय-समय पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन और लेखांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

निगम ने निवेश निर्णय, व्यापार निष्पादन, निपटान लेखांकन और ब्याज दर व्युत्पन्न जोखिमों की आवधिक रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे की निगरानी की जाती है।

ग) जोखिम पहचान, जोखिम मापन और जोखिम निगरानी का दायरा और प्रकृति:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव और संबंधित नीतियां ब्याज दर डेरिवेटिव में जोखिम के लिए संवेदनशीलता सीमाएं और मूल्य-जोखिम सीमाएं जैसी उचित बाजार सीमाएं निर्धारित करती हैं। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के सभी वित्तीय जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा और मॉनिटर किया जाता है।

घ) अग्रिम दर समझौते में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रतिरक्षा को तभी प्रभावी माना जाता है, जब इसमें प्रतिरक्षा किए गए मद और प्रतिरक्षा लिखत (एफआरए) के मूल्य में परिवर्तन के बीच उच्च सांख्यिकीय सहसंबंध हो। प्रतिरक्षा की अप्रभावीता से होने वाले लाभ या हानि, यदि कोई हो, को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

प्रतिरक्षा लिखत की अवधि अंतर्निहित प्रतिरक्षा की गई परिसंपत्ति / देयता की अवधि से कम या उसके बराबर हो सकती है।

ब्याज दर डेरिवेटिव – प्रतिपक्षकार का एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
1. प्रति पक्षकार का नाम	- बैंक ऑफ अमेरिका - कोटक महिंद्रा बैंक - जेपी मॉर्गन चेस बैंक - एचएसबीसी बैंक - भारतीय स्टेट बैंक - सिटी बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा - बीएनपी पेरिबास	- बैंक ऑफ अमेरिका - कोटक महिंद्रा बैंक - जेपी मॉर्गन चेस बैंक - एचएसबीसी बैंक
2. प्रतिरक्षा का पदनाम	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा
3. डेरिवेटिव संविदा	फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट	फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट
4. क्रेडिट जोखिम	512.19	40.90
5. ब्याज दर में 1 बीपीएस की वृद्धि पर संभावित प्रभाव		
डेरिवेटिव	(15.97)	(4.39)
संबंधित आस्ति जिसकी प्रतिरक्षा की जा रही हो	15.99	4.39

एफआरए डेरिवेटिव्स के लिए ऋण जोखिम सीमा की गणना वर्तमान जोखिम विधि (सीईएम) का उपयोग करके ऋण समतुल्य राशि के आधार पर की गई है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

सीईएम का उपयोग करके गणना की गई बाजार से संबंधित ऑफ-बैलेंस शीट लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि का योग है।

क) वर्तमान ऋण जोखिम (अनुबंध का सकल सकारात्मक बाजार मूल्य) और

b) Derivative policy/process and Hedge effectiveness assessment:

The Corporation has well defined Board approved Derivative Policy and Process document setting out the strategic objectives, regulatory and operational framework and risks associated with interest rate derivatives along with having measurement, monitoring processes and controls thereof. The accounting policy has been clearly laid out for ensuring a process of periodic effectiveness assessment and accounting.

The Corporation has clearly identified roles and responsibilities to ensure independence and accountability through the investment decision, trade execution, to settlement accounting and periodic reporting and audit of the Interest Rate Derivative exposures. The risk management framework for the Interest Rate Derivatives are monitored by the Risk management Committee.

c) Scope and nature of risk identification, risk measurement, and risk monitoring:

The Derivative and related Policies as approved by the Board sets appropriate market limits such as sensitivity limits and value-at-risk limits for exposures in Interest rate derivatives. All financial risks of the derivative portfolio are measured and monitored on periodic basis.

d) Quantitative disclosure on risk exposure in Forward Rate Agreement

A hedge is deemed effective, if it has a high statistical correlation between the change in value of the hedged item and the hedging instrument (FRA). Gains or losses arising from hedge ineffectiveness, if any, are recognised in the Revenue Account.

The tenure of the hedging instrument may be less than or equal to the tenure of underlying hedged asset/liability.

Interest Rate Derivative - Counterparty exposure

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
1. Name of the counterparty	1. Bank of America 2. Kotak Mahindra Bank 3. JP Morgan Chase Bank 4. HSBC Bank 5. State Bank of India 6. Citi Bank 7. Bank of Baroda 8. BNP Paribas	1. Bank of America 2. Kotak Mahindra Bank 3. JP Morgan Chase Bank 4. HSBC Bank
2. Hedge Designation	Cash flow Hedge	Cash flow Hedge
3. Derivative Contract	Forward Rate Agreement	Forward Rate Agreement
4. Credit Exposure	512.19	40.90
5. Likely impact of 1 bps increase in interest rate		
Derivative	(15.97)	(4.39)
Underlying being hedged	15.99	4.39

The credit exposure limit for FRA derivatives has been calculated on the basis of Credit Equivalent Amount using the Current Exposure Method (CEM) as detailed below:

The Credit Equivalent Amount of a market related off-balance sheet transaction calculated using the CEM is the sum of

- a) The current credit exposure (gross positive mark-to-market value of the contract); and

ख) संभावित भावी ऋण जोखिम, जो बकाया अनुबंध में अनुमानित मूल राशि का एक उत्पाद है और एक कारक जो ब्याज दर व्युत्पन्न पर भारतीय बीमा परिपत्र के तहत निर्धारित अनिवार्य ऋण रूपांतरण कारकों पर आधारित है, जो अनुबंध की शेष परिपक्वता पर लागू होता है।

18. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) “कर्मचारी लाभ” के अनुसार कर्मचारी लाभों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) 31.03.2026 तक के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणना:

दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर	8.082%	8.15%
वेतन वृद्धि	6%	6%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.12	11.37
		(₹ करोड़ में)
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,843.03	15,745.77
ब्याज लागत	1,227.83	1,220.30
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	659.75	683.59
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(1,974.59)	(2,629.21)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	(687.17)	822.59
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,068.86	15,843.03
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1,227.83	1,220.30
योगदान	0.00	1,490.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,974.59)	(2,629.21)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(27.41)	16.18
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,068.86	15,843.03
IV बीमांकिक लाभ/हानि		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	(687.17)	(822.59)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	(27.41)	(16.18)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	(659.75)	806.41
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	(659.75)	806.41
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00

- b) Potential future credit exposure which is a product of the notional principal amount across the outstanding contract and a factor that is based on the mandated credit conversion factors as prescribed under the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives which is applied on the residual maturity of the contract.

18. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits are given below:

A) Employees' Gratuity Liability Calculation as at 31.03.2026: -

The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.082%	8.15%
Salary Escalation	6%	6%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.12	11.37
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	15,843.03	15,745.77
Interest Cost	1,227.83	1,220.30
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	659.75	683.59
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(1,974.59)	(2,629.21)
Actuarial (gain)/loss on obligations	(687.17)	822.59
Present Value of obligation as at the end of the year	15,068.86	15,843.03
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,843.03	15,745.77
Expected return on Plan Assets	1,227.83	1,220.30
Contributions	0.00	1,490.00
Benefits paid	(1,974.59)	(2,629.21)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(27.41)	16.18
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,068.86	15,843.03
IV Actuarial Gain/Loss		
Actuarial (gain)/loss for the year – Obligation	(687.17)	(822.59)
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	(27.41)	(16.18)
Total (gain)/loss for the year	(659.75)	806.41
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	(659.75)	806.41
Unrecognized actuarial gain/(losses) at the end of year	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए			
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ					
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,068.86	15,843.03			
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,068.86	15,843.03			
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00			
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%			
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00			
VI लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					
वर्तमान सेवा लागत	659.75	683.59			
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00			
ब्याज लागत	1,227.83	1,220.30			
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1,227.83)	(1,220.30)			
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	(659.75)	806.41			
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	(0.00)	1,490.00			
VII योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1,200.42	1,236.47			
VIII निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/ (दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:					
विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	(687.17)	822.59	(69.93)	2,866.69	(603.33)
लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	(27.41)	16.18	22.55	129.10	(205.17)

ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्व:

कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धति के तहत मूल्यांकन तिथि तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथि के अनुसार छूट दी जाती है।

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
V The amounts recognised in Balance Sheet		
Present Value of obligation as at the end of the year	15,068.86	15,843.03
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,068.86	15,843.03
Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	0.00	0.00
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial gains/(losses) at the end of year	0.00	0.00
VI Expense recognised in the Statement of Profit and Loss		
Current Service Cost	659.75	683.59
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	1,227.83	1,220.30
Expected return on Plan Assets	(1,227.83)	(1,220.30)
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	(659.75)	806.41
Expenses recognized in the statement of Profit and Loss	(0.00)	1,490.00
VII Actual return on Plan Assets	1,200.42	1,236.47

VIII The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/ (Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
Fair value of the plan assets at the end of year	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	(687.17)	822.59	(69.93)	2,866.69	(603.33)
Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	(27.41)	16.18	22.55	129.10	(205.17)

B) Group Privilege Leave Encashment Liability:

The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.082%	8.15%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.12	11.37
		(₹ करोड़ में)
II परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,749.56	6,685.48
ब्याज लागत	523.09	518.12
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	97.80	86.90
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,329.52)	(991.45)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,050.27	450.51
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,091.20	6,749.56
III योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	523.09	518.12
योगदान	1,175.00	534.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,329.52)	(991.45)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(26.93)	3.41
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7,091.20	6,749.56
IV बीमांकिक लाभ / हानि:-		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	1,050.27	(450.51)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	(26.93)	(3.41)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	1,077.20	447.10
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,077.20	447.10
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ :-		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,091.20	6,749.56
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7,091.20	6,749.56
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.082%	8.15%
Salary Escalation	6.00%	6.00%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.12	11.37
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	6,749.56	6,685.48
Interest Cost	523.09	518.12
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	97.80	86.90
Curtailement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(1,329.52)	(991.45)
Actuarial (gain)/loss on obligations	1,050.27	450.51
Present Value of obligation as at the end of the year	7,091.20	6,749.56
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,749.56	6,685.48
Expected return on Plan Assets	523.09	518.12
Contributions	1,175.00	534.00
Benefits paid	(1,329.52)	(991.45)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(26.93)	3.41
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	7,091.20	6,749.56
IV Actuarial Gain/Loss :-		
Actuarial (gain)/loss for the year – Obligation	1,050.27	(450.51)
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	(26.93)	(3.41)
Total (gain)/loss for the year	1,077.20	447.10
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	1,077.20	447.10
Unrecognized actuarial gain/(losses) at the end of year	0.00	0.00
V The amounts recognised in Balance Sheet:-		
Present Value of obligation as at the end of the year	7,091.20	6,749.56
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	7,091.20	6,749.56
Net Asset/(Liability) recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial gains/(losses) at the end of the year	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

		31.03.2026	31.03.2025			
		तक/को समाप्त वर्ष के लिए	तक/को समाप्त वर्ष के लिए			
VI	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					
	वर्तमान सेवा लागत	97.80	86.90			
	पिछली सेवा लागत	0.00	0.00			
	ब्याज लागत	523.09	518.12			
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(523.09)	(518.12)			
	कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
	निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,077.20	447.10			
	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,175.00	534.00			
VII	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	496.16	521.54			
VIII	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/(दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:					
	विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अंत में वर्ष का	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
	योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	1,050.27	450.51	510.61	1,116.43	249.67
	लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	(26.93)	3.41	15.01	44.41	(75.30)

ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995-देयता:

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धति जहां मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथि तक की वेतन में होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते हैं। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है।

प्रमुख धारणाएं हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.08%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	5.64	6.07

(₹ in Crore)

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
VI	Expense recognized in the Statement of Profit and Loss		
	Current Service Cost	97.80	86.90
	Past Service Cost	0.00	0.00
	Interest Cost	523.09	518.12
	Expected return on Plan Assets	(523.09)	(518.12)
	Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
	Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
	Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	1,077.20	447.10
	Expenses recognized in the statement of Profit and Loss	1,175.00	534.00
VII	Actual Return on Plan Assets	496.16	521.54

VIII The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/ (Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
Fair value of the plan assets at the end of year	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	1,050.27	450.51	510.61	1,116.43	249.67
Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	(26.93)	3.41	15.01	44.41	(75.30)

C) Employees Pension Scheme 1995 - Liability:

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) Discount Rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in Salary (Basic + DA)	6.00%	6.00%
Rate of Pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.08%	8.15%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	5.64	6.07

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
II परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
ब्याज लागत	9,975.64	9,498.52
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	5,812.30	5,026.93
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(10,770.34)	(10,156.66)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,111.02	1,787.55
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
III योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के लिए समायोजन	116.27	0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	9,984.65	9,498.52
योगदान	6,921.17	6,491.85
भुगतान किए गए लाभ	(10,770.34)	(10,156.66)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	876.87	322.63
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
IV बीमांकिक लाभ / हानि		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	2,111.02	1,787.55
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	876.87	322.63
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	1,234.15	1,464.92
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,234.15	1,464.92
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI राजस्व/लाभ और हानि खाता विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	5,812.30	5,026.93
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	9,975.64	9,498.52
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(9,984.65)	(9,498.52)

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
II Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
Present Value of Obligation at the beginning of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Interest Cost	9,975.64	9,498.52
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	5,812.30	5,026.93
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(10,770.34)	(10,156.66)
Actuarial (gain)/ loss on obligations	2,111.02	1,787.55
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair value of Plan assets at beginning of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Adjustment for fair value of Plan assets as the beginning of the year	116.27	0.00
Expected Return on Plan Assets	9,984.65	9,498.52
Contributions	6,921.17	6,491.85
Benefits Paid	(10,770.34)	(10,156.66)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	876.87	322.63
Fair Value of Plan Assets at end of year	1,35,846.56	1,28,717.94
IV Actuarial Gain/Loss :-		
Actuarial (gain)/loss for the year – Obligation	2,111.02	1,787.55
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	876.87	322.63
Total (gain) / loss for the year	1,234.15	1,464.92
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	1,234.15	1,464.92
Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
V The Amounts to be Recognized in Balance Sheet		
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss A/c		
Current Service Cost	5,812.30	5,026.93
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	9,975.64	9,498.52
Expected Return on Plan Assets	(9,984.65)	(9,498.52)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,234.15	1,464.92
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	7,037.44	6,491.85
VII योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	10,861.52	9,821.15

VIII निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/ (दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:

विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अंत में वर्ष का	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	2,111.02	1,787.55	1,070.91	504.94	1,580.35
लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	876.87	322.63	271.07	85.18	(262.33)

द) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयता:

प्रमुख मान्यताएँ हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर	8.08%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	5.61	6.01
		(₹ करोड़ में)
II परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	292.43	270.93
ब्याज लागत	22.66	21.00
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	8.00	12.98
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(20.76)	(18.78)

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	1,234.15	1,464.92
Expenses recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss A/c	7,037.44	6,491.85
VII Actual return on Plan Assets	10,861.52	9,821.15

VIII The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/(Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:

Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
Fair value of the plan assets at the end of year	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	2,111.02	1,787.55	1,070.91	504.94	1,580.35
Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	876.87	322.63	271.07	85.18	(262.33)

D) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:

The principal assumptions are the (1) Discount Rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic + DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.08%	8.15%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	5.61	6.01
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	292.43	270.93
Interest Cost	22.66	21.00
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	8.00	12.98
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(20.76)	(18.78)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.20	6.30
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	304.53	292.43
III योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
साल की शुरुआत में प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू	292.43	270.93
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	22.66	21.00
योगदान	9.96	18.03
भुगतान किए गए लाभ	(20.76)	(18.78)
योजना परिसंपत्तियों पर एक्चुअरियल लाभ/(हानि)	0.24	1.25
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	304.53	292.43
IV बीमांकिक लाभ / हानि		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	2.20	6.30
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	0.24	1.25
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	1.96	5.05
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.96	5.05
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	304.53	292.43
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	304.53	292.43
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI राजस्व/लाभ और हानि खाता विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	8.00	12.98
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	22.66	21.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(22.66)	(21.00)
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.96	5.05
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	9.96	18.03

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
Actuarial (gain)/ loss on Obligations	2.20	6.30
Present Value of Obligation at the end of the year	304.53	292.43
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair value of plan assets at beginning of the year	292.43	270.93
Expected Return on Plan Assets	22.66	21.00
Contributions	9.96	18.03
Benefits Paid	(20.76)	(18.78)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	0.24	1.25
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	304.53	292.43
IV Actuarial Gain/Loss:-		
Actuarial (gain)/loss for the year – Obligation	2.20	6.30
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	0.24	1.25
Total (gain) / loss for the year	1.96	5.05
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	1.96	5.05
Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
V The Amounts to be recognized in Balance Sheet		
Present Value of Obligation at the end of the year	304.53	292.43
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	304.53	292.43
Net Asset / (Liability) Recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss A/c		
Current Service Cost	8.00	12.98
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	22.66	21.00
Expected Return on Plan Assets	(22.66)	(21.00)
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	1.96	5.05
Expenses Recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss A/c	9.96	18.03

(₹ करोड़ में)

		31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए			
VII	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	22.90	22.25			
VIII	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/ (दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:					
	विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	304.53	292.43	270.93	254.57	215.95
	वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	304.53	292.43	270.93	254.57	219.13
	योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
	(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	2.20	6.30	3.11	1.60	18.35
	लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	0.24	1.25	0.72	0.42	21.46

19. संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण:

क) निगम ने संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किए हैं, जिनकी पहचान प्रबंधन द्वारा लेखांकन मानक (एएस) 18, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के अनुसार की गई है। इन संबंधित पक्षों का विवरण, संबंध की प्रकृति, उनके साथ किए गए लेन-देन और वर्ष के अंत में संबंधित पक्ष खातों में शेष राशि नीचे दी गई है:

सहायक कंपनियाँ:

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
 एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड
 एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
 एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड
 एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. बहरीन
 एलआईसी (लंका) लिमिटेड
 एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड

सहयोगी कंपनियाँ

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
 एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
 एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
 आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

संयुक्त उद्यम:

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप. इश्योरेन्स

(₹ in Crore)

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025			
VII	Actual Return on Plan Assets	22.90	22.25			
VIII	The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/(Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:					
	Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	304.53	292.43	270.93	254.57	215.95
	Fair value of the plan assets at the end of year	304.53	292.43	270.93	254.57	219.13
	Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
	(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	2.20	6.30	3.11	1.60	18.35
	Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	0.24	1.25	0.72	0.42	21.46

19. RELATED PARTY DISCLOSURE:

- A) The Corporation had transactions with related parties, which have been identified by the management as per the requirements of the Accounting Standard (AS) 18, "Related Party Disclosures". Details of these related parties, nature of the relationship, transactions entered into with them and the balances in related party accounts at year end are as mentioned below:

Subsidiary Companies:

LIC Pension Fund Ltd.
 LIC Card Services Ltd.
 Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.
 Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.
 Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) Bahrain
 Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd
 Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

Associate Companies

LIC Housing Finance Ltd.
 LICHFL Asset Management Company Ltd.
 LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
 LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.
 IDBI Bank Ltd.
 IDBI Trusteeship Services Ltd.

Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी:

निदेशक मंडल		
श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	14.07.2025 से प्रभावी
श्री सिद्धार्थ मोहंती	प्रबंध निदेशक	13.07.2025 तक
श्री सतपाल भानू	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	07.06.2025 तक
	प्रबंध निदेशक (प्रभारी)	08.06.2025 से 14.07.2025 तक
श्री जगन्नाथ एम.	प्रबंध निदेशक	31.12.2025 तक
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	31.05.2025 तक
सुश्री शालिनी पंडित	सरकार द्वारा नामित निदेशक	31.05.2025 तक
श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	01.06.2025 से प्रभावी
	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	31.05.2025 तक
श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	01.06.2025 से प्रभावी
	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस)	31.05.2025 तक
	एवं मुख्य निवेश अधिकारी	
श्री रामकृष्णन चंदर	प्रबंध निदेशक	01.12.2025 से प्रभावी
	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस)	
	एवं मुख्य निवेश अधिकारी	30.11.2025 तक
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	20.01.2022 से प्रभावी
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
डॉ. वी.एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	28.01.2026 तक
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	28.01.2026 तक
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	28.01.2026 तक
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सी जी /आर सी /जी.जे.एफ.) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	11.04.2023 से प्रभावी
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से प्रभावी
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	02.06.2025 से प्रभावी
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) और मुख्य जोखिम अधिकारी	19.03.2025 से प्रभावी
श्री अरिंदम दास गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	05.12.2025 से प्रभावी
श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	18.01.2024 से प्रभावी
श्री रविंद्रनाथ सुधाकर	कार्यकारी निदेशक (विपणन/पीडी) और मुख्य विपणन अधिकारी	11.07.2025 तक (मुख्य विपणन अधिकारी का पद केएमपी पदनाम से बाहर रखा गया है)
श्रीमती बेला पॉल	प्रमुख (प्रभारी) बोर्ड एवं सचिवीय विभाग	06.05.2025 तक

Board of Directors & Key Managerial Personnels:

Board of Directors		
Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	w.e.f. 14.07.2025
	Managing Director	upto 13.07.2025
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	upto 07.06.2025
	Managing Director (In-charge)	w.e.f 08.06.2025 to 14.07.2025
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	upto 31.12.2025
	Managing Director	upto 31.05.2025
Shri Jagannath M.	Managing Director	upto 31.05.2025
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	upto 31.05.2025
Ms. Shalini Pandit	Government Nominee Director	w.e.f. 03.12.2025
	Managing Director	w.e.f 01.06.2025
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary and Executive Director (Actl)	upto 31.05.2025
	Managing Director	w.e.f 01.06.2025
Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment FO) and Chief Investment Officer	upto 31.05.2025
	Managing Director	w.e.f. 01.12.2025
Shri Ramakrishnan Chander	Executive Director (Investment FO) and Chief Investment Officer	upto 30.11.2025
	Managing Director	w.e.f. 29.10.2021
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	w.e.f. 20.01.2022
Prof. Anil Kumar	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Mahalingam G	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	upto 28.01.2026
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	upto 28.01.2026
Shri Raj Kamal	Independent Director	upto 28.01.2026
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	upto 28.01.2026
Key Managerial Personnels		
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp Gov/GJF/Reg. Comp) & Chief Compliance Officer	w.e.f. 11.04.2023
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	w.e.f. 01.04.2022
Shri Ajay Kumar Srivastava	Appointed Actuary and Executive Director (Actl)	w.e.f. 02.06.2025
Shri Shatmanyu Shrivastava	Executive Director (ERM) and Chief Risk Officer	w.e.f. 19.03.2025
Shri Arindam Das Gupta	Executive Director (Investment FO) and Chief Investment Officer	w.e.f. 05.12.2025
Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer	w.e.f. 18.01.2024
	Executive Director (Mktg/PD) & Chief Marketing Officer	upto 11.07.2025 (Chief Marketing Officer position excluded from KMP designation)
Smt. Bella Paul	Chief in – Charge, Board & Secretarial Department	Upto 06.05.2025

ब) संबंधित पक्षों के साथ निगम के लेनदेन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	पूरी तरह से स्वामित्व वाली	किराया प्राप्त हुआ	0.84	0.84
			लाभांश प्राप्त किया	15.00	12.50
			एलआईसी एचएफएल से सार्वजनिक जमा पर ब्याज प्राप्त किया	0.38	0.18
			एलआईसी एचएफएल के साथ सार्वजनिक जमा का मोचन	2.00	13.91
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	1.88	2.44
			कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान	729.74	821.76
2	एलआईसी कार्ड सेवाएं लिमिटेड	पूरी तरह से स्वामित्व वाली	किराया प्राप्त हुआ	1.11	1.08
			लाभांश प्राप्त किया	0.12	0.10
			एलआईसी एमएफ एएम लिमिटेड से निवेश आय	0.28	0.00
			एलआईसी एचएफएल से सार्वजनिक जमा पर ब्याज आय प्राप्त की	1.70	1.59
			आईडीबीआई बैंक से गिफ्ट (सगुन) कार्ड के संबंध में आय प्राप्त की	0.43	0.27
			आईडीबीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड के संबंध में आय प्राप्त की	0.11	0.20
			सार्वजनिक जमा पर आईडीबीआई बैंक से ब्याज आय प्राप्त की	0.34	0.21
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	8.75	10.73
			बिजली और पानी के शुल्क तथा करों के लिए प्रतिपूर्ति / भुगतान	0.0382	0.04
			एलआईसी एचएफएल में रखी गई सावधि जमा	0.00	20.00
			आईडीबीआई बैंक में रखी सावधि जमा	0.00	4.00

B) The nature and volume of transactions of the Corporation, with the related parties are as follows:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
1	LIC PENSION FUND LTD.	WHOLLY OWNED SUBSIDIARY	Rent received	0.84	0.84
			Dividend received	15.00	12.50
			Interest received on Public Deposit from LIC HFL	0.38	0.18
			Redemption of public deposit with LIC HFL	2.00	13.91
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	1.88	2.44
			NPS contribution of employees	729.74	821.76
2	LIC CARDS SERVICES LTD.	WHOLLY OWNED SUBSIDIARY	Rent received	1.11	1.08
			Dividend received	0.12	0.10
			Investment Income from LIC MF AM Ltd.	0.28	0.00
			Interest income on public deposit received from LIC HFL	1.70	1.59
			Income received from IDBI bank in respect of Gift (Sagun) Cards	0.43	0.27
			Income received from IDBI Bank in respect of credit cards	0.11	0.20
			Interest income on public deposit received from IDBI bank	0.34	0.21
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	8.75	10.73
			Reimbursement / Payment Towards Electricity and water charges & taxes	0.0382	0.04
			Fixed Deposit placed with LIC HFL	0.00	20.00
			Fixed Deposit placed with IDBI Bank	0.00	4.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
			प्लक्सि, एलआईसी कार्ड्स लिमिटेड और एलआईसीआई के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार प्लक्सि इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भोजन कार्ड का भुगतान किया गया। मील कार्ड के सह-ब्रांडिंग के लिए सकल राशि का 0.50% कमीशन एलआईसी कार्ड को दिया गया था	2.06	1.78
3	एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	पूरी तरह से स्वामित्व वाली	वेतन कटौती	0.31	0.37
			सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.04	0.04
4	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	सहायक	वेतन कटौती	0.42	0.34
			पूंजी निवेश	58.32	14.04
5	एलआईसी नेपाल लिमिटेड.	सहायक	लाभांश प्राप्त किया	37.78	0.00
			वेतन कटौती	0.44	0.38
			सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.20	0.20
			बैठक शुल्क प्राप्त हुआ	0.0237	0.0180
			प्रशिक्षण शुल्क	0.07	0.03
			अधिकार निर्गम	0.00	80.67
			वेतन कटौती	2.00	2.12
6	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन	सहायक	सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.20	0.20
			तकनीकी सहायक शुल्क	0.75	1.40
			पॉलिसी ट्रांसफर मूल्य/बीमांकिक आरक्षित	6.48	0.00
			वेतन कटौती	0.39	0.59
7	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.00	0.09

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
			Meal Card Exp paid to Pluxee India Pvt Ltd .as per Tri-partie agreement entered between Pluxee, LIC Cards Ltd and LIC, Commission @0.50% of Gross amt was paid to LIC Card for co-branding of meal cards	2.06	1.78
3	LIC SINGAPORE PTE LTD.	WHOLLY OWNED SUBSIDIARY	Salary Deductions	0.31	0.37
			Software maintenance charges received	0.04	0.04
4	LIC (LANKA) LTD.	SUBSIDIARY	Salary Deductions	0.42	0.34
			Capital Infusion	58.32	14.04
5	LIC NEPAL LTD.	SUBSIDIARY	Dividend received	37.78	0.00
			Salary Deductions	0.44	0.38
			Software maintenance charges received	0.20	0.20
			Sitting fees received	0.0237	0.0180
			Training fees	0.07	0.03
			Right issue	0.00	80.67
6	LIC (INTERNATIONAL.) BSC (C) BAHRAIN	SUBSIDIARY	Salary Deductions	2.00	2.12
			Software maintenance charges received	0.20	0.20
			Technical Asst fees	0.75	1.40
			Policy Transfer Value/ Actuarial Reserve	6.48	0.00
7	LIC OF BANGLADESH LTD.	SUBSIDIARY	Salary Deductions	0.39	0.59
			Software maintenance charges received	0.00	0.09

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
8	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	किराया प्राप्त हुआ	13.75	12.69
			लाभांश प्राप्त किया	248.84	223.96
			निवेश आय	670.08	784.59
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	78.71	51.47
			कानूनी शुल्क प्राप्त हुआ	0.14	0.00
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति/भुगतान।	2.29	2.87
			बिजली और पानी का शुल्क प्राप्त हुआ	0.64	0.74
			ऋणपत्रों का मोचन	5,852.29	2,000.00
			पास थ्रू सर्टिफिकेट खरीदें	900.00	0.00
			पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	2.45	1.34
			आवास ऋण कर्मचारियों से काटा और प्रेषित किया गया	1,663.48	1,624.58
9	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	लाभांश प्राप्त किया	0.17	0.15
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	0.08	0.03
			शहरी विकास निधि का लाभ वितरण किया गया	0.003	0.00
			शहरी विकास निधि की इकाइयों का मोचन	1.39	0.00
			एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की यूनिटों का मोचन	7.13	12.07
			एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि की यूनिटों का मोचन	0.0001	0.00
			एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ वितरण	6.50	2.92

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
8	LIC HOUSING FINANCE LTD.	ASSOCIATE	Rent received	13.75	12.69
			Dividend received	248.84	223.96
			Investment Income	670.08	784.59
			Pension and Group Schemes - premiums received	78.71	51.47
			Legal Fees received	0.14	0.00
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	2.29	2.87
			Electricity & water charges received	0.64	0.74
			Redemption of Debentures	5,852.29	2,000.00
			Purchase (Pass through Certificate)	900.00	0.00
			Pension and Group Schemes - claims paid	2.45	1.34
			Housing Loan deducted from employees and remitted	1,663.48	1,624.58
			Dividend received	0.17	0.15
9	LIC HFL ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD.	ASSOCIATE	Pension and Group Schemes - premiums received	0.08	0.03
			Profit distribution of Urban Development Fund	0.003	0.00
			Redemption of Units of Urban Development Fund	1.39	0.00
			Redemption of Units of LICHFL Housing & Infrastructure Fund	7.13	12.07
			Redemption of Units of LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	0.0001	0.00
			Profit distribution of LICHFL Housing & Infrastructure Fund	6.50	2.92

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण / श्रेणियाँ	भुगतान किया गया / प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
			एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि का लाभ वितरण	1.02	0.00
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	0.08	0.10
			एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - वेंचर फंड की यूनिट की खरीद	0.43	0.00
			एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पूंजी की खरीद	0.00	8.85
			एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि - एआईएफ - II के पूंजी की खरीद	13.57	5.89
			पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	0.20	0.00
10	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	किराया प्राप्त हुआ	2.86	2.69
			लाभांश प्राप्त किया	0.69	0.69
			इकाइयों का मोचन	23,151.32	16,260.96
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	0.07	0.09
			बिजली और पानी के शुल्क प्राप्त हुए	0.10	0.06
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	7.64	8.40
			प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त	0.01	0.01
			यूनिट की खरीद	24,194.10	17,101.89
			पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	2.78	2.87

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
10	LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LTD.	ASSOCIATE	Profit distribution of LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	1.02	0.00
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	0.08	0.10
			Purchase of units of venture fund- LICHFL Housing & Infrastructure Fund	0.43	0.00
			Purchase of capital - LICHFL Housing & Infrastructure Fund	0.00	8.85
			Purchase of capital of LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund - AIF -II	13.57	5.89
			Pension and Group Schemes - claims paid	0.20	0.00
			Rent received	2.86	2.69
			Dividend received	0.69	0.69
			Redemption of units	23,151.32	16,260.96
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	0.07	0.09
			Electricity & water charges received	0.10	0.06
			Pension and Group Schemes - premiums received	7.64	8.40
			Training Fees Received	0.01	0.01
			Purchase of units	24,194.10	17,101.89
			Pension and Group Schemes - claims paid	2.78	2.87

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
11	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	किराया प्राप्त हुआ	1.97	2.01
			लाभांश प्राप्त किया	1,111.76	794.12
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	2,270.44	24.95
			सावधि जमा रसीद पर ब्याज प्राप्त किया	0.73	0.03
			बैठक शुल्क	0.13	0.01
			बिजली और पानी के शुल्क प्राप्त हुए	0.38	0.40
			शगुन गिफ्ट कार्ड जारी करने के लिए भुगतान किया गया	24.77	16.19
			बैंकाश्योरेंस - कमीशन भुगतान किया गया	93.69	77.40
			परवर्ती प्रीमियम संग्रह शुल्क का भुगतान किया गया	0.05	0.06
			बैंक शुल्क का भुगतान किया गया	18.44	14.28
12	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड.	सहयोगी	बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान	15.52	8.58
			सावधि जमा रखवाई गई	0.00	2.86
			किराया प्राप्त हुआ	1.97	1.81
			लाभांश प्राप्त किया	9.00	9.00
			प्रशासनिक खर्चों के प्रति प्रतिपूर्ति	0.07	0.06
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	0.49	0.10
13	राष्ट्रीय बीमा अकादमी	महत्वपूर्ण प्रभाव	बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	0.001	0.00
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	1.61	1.87
			बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	0.10	0.00
			प्रशिक्षण व्यय और लाइफ के लिए बंदोबस्ती कुर्सी के वित्तपोषण के लिए वार्षिक भुगतान	16.71	12.84

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
11	IDBI Bank Ltd.	ASSOCIATE	Rent received	1.97	2.01
			Dividend received	1,111.76	794.12
			Pension and Group Schemes - premiums received	2,270.44	24.95
			Interest Received on FDR	0.73	0.03
			Sitting fees	0.13	0.01
			Electricity & water charges received	0.38	0.40
			Paid towards issue of Shagun Gift Cards	24.77	16.19
			Bancassurance - Commission paid	93.69	77.40
			Renewal Premium Collection Charges paid	0.05	0.06
			Bank Charges Paid	18.44	14.28
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	15.52	8.58
12	IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LTD.	ASSOCIATE	Fixed Deposit placed	0.00	2.86
			Rent received	1.97	1.81
			Dividend received	9.00	9.00
			Reimbursement towards admin expenses	0.07	0.06
			Pension and Group Schemes - premiums received	0.49	0.10
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	0.001	0.00
13	NATIONAL INSURANCE ACADEMY	SIGNIFICANT INFLUENCE	Pension and Group Schemes - premium received	1.61	1.87
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	0.10	0.00
			Training Expenses & annual payment for funding of endowment chair for LIFE paid	16.71	12.84

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	1.46	1.46
14	भारतीय बीमा संस्थान	महत्वपूर्ण प्रभाव	बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान	0.006	0.00
			प्रशिक्षण शुल्क	0.35	0.14
15	श्री आर दुरैस्वामि	निदेशक	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	1.27	0.92
16	श्री सिद्धार्थ मोहंती			0.61	1.07
17	श्री दिनेश पंत			0.93	1.60
18	श्री रत्नाकर पटनायक			0.74	0.89
19	श्री सतपाल भानू			1.11	0.95
20	श्री तबलेश पांडे			0.59	1.06
21	श्री जगन्नाथ एम.			0.59	1.00
22	श्री रामकृष्णन चंद्र			0.63	0.00
23	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव			1.03	0.00
24	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर			0.80	0.86
25	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0.30	0.91
26	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव			0.71	0.04
27	श्री सुनील अग्रवाल			1.15	1.08
28	श्री अरिंदम दास गुप्ता			0.18	0.00
29	श्रीमती बेला पॉल			0.06	0.76
30	श्री अंशुल कुमार सिंह	निदेशक	बैठक शुल्क का भुगतान किया	0.39	0.38
31	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी			0.28	0.23
32	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार			0.21	0.31
33	श्री महालिंगम जी.			0.28	0.29
34	प्रो. अनिल कुमार			0.29	0.24
35	श्री राज कमल			0.18	0.25
36	डॉ. रंजन शर्मा			0.26	0.26
37	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल			0.16	0.21
38	श्री विनोद कुमार वर्मा			0.22	0.17

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
14	INSURANCE INSTITUTE OF INDIA	SIGNIFICANT INFLUENCE	Pension and Group Schemes - premium received	1.46	1.46
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	0.006	0.00
			Training fees	0.35	0.14
15	SHRI R. DORAISWAMY	DIRECTOR	Managerial Remuneration	1.27	0.92
16	SHRI SIDDHARTHA MOHANTY			0.61	1.07
17	SHRI DINESH PANT			0.93	1.60
18	SHRI RATNAKAR PATNAIK			0.74	0.89
19	SHRI SAT PAL BHANOO			1.11	0.95
20	SHRI TABLESH PANDEY			0.59	1.06
21	SHRI JAGANNATH M.			0.59	1.00
22	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER			0.63	0.00
23	SHRI AJAY KUMAR SRIVASTAVA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Managerial Remuneration	1.03	0.00
24	SHRI KRISHNA KUMAR SUKUMARAN NAIR			0.80	0.86
25	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR			0.30	0.91
26	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV			0.71	0.04
27	SHRI SUNIL AGRAWAL			1.15	1.08
28	SHRI ARINDAM DAS GUPTA			0.18	0.00
29	SMT. BELLA PAUL			0.06	0.76
30	SHRI ANSHUL KUMAR SINGH			0.39	0.38
31	DR. V S PARTHASARATHY	DIRECTOR	Sitting fees paid	0.28	0.23
32	SHRI MUTHU RAJU PARAVASA RAJU VIJAY KUMAR			0.21	0.31
33	SHRI MAHALINGAM G			0.28	0.29
34	PROF. ANIL KUMAR			0.29	0.24
35	SHRI RAJ KAMAL			0.18	0.25
36	DR. RANJAN SHARMA			0.26	0.26
37	SMT. ANJULY CHIB DUGGAL			0.16	0.21
38	SHRI VINOD KUMAR VERMA			0.22	0.17

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
39	श्री आर दुरैस्वामि	निदेशक	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0047	0.0537
40	श्री सिद्धार्थ मोहंती			0.00	0.0010
41	श्री रत्नाकर पटनायक			0.0067	0.0154
42	श्री सतपाल भानू			0.0076	0.0053
43	श्री तबलेश पांडे			0.0001	0.0004
44	श्री जगन्नाथ एम.			0.0097	0.1324
45	श्री रामकृष्णन चंदर			0.0040	0.00
46	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी			0.02	0.0276
47	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार			0.0261	0.2878
48	श्री महालिंगम जी			0.06	0.0631
49	प्रो. अनिल कुमार			0.0338	0.0338
50	डॉ. रंजन शर्मा			0.0147	0.0147
51	डॉ. मारूती प्रसाद तंगीराला			0.00	0.0115
52	श्री विनोद कुमार वर्मा			0.0045	0.0035
53	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0012	0.00
54	श्री अंशुल कुमार सिंह			0.0049	0.0049
55	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर			0.00	0.0020
56	श्री पी. कुमारसन			0.00	0.0040
57	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर			0.0068	0.0115
58	श्री रघुपाल सिंह			0.00	0.0004
59	श्री एस.वी. सुंदर कृष्णन			0.00	0.0119
60	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव			0.014	0.00
61	श्री अरिंदम दास गुप्ता			0.001	0.00
62	श्री सुनील अग्रवाल			0.10	0.1051
63	श्रीमती बेला पॉल	सहायक कंपनी के निदेशक	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.00	0.0374
64	श्रीमती सीआर प्रमीला			0.0183	0.0013
65	श्री आलोक कुमार सैनी			0.0265	0.0160
66	श्री पंकज कुमार सक्सेना			0.0211	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
39	SHRI R. DORAISWAMY	DIRECTOR	Premium received (Own life and family members)	0.0047	0.0537
40	SHRI SIDDHARTHA MOHANTY			0.00	0.0010
41	SHRI RATNAKAR PATNAIK			0.0067	0.0154
42	SHRI SAT PAL BHANOO			0.0076	0.0053
43	SHRI TABLESH PANDEY			0.0001	0.0004
44	SHRI JAGANNATH M.			0.0097	0.1324
45	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER			0.0040	0.00
46	Dr. V S PARTHASARATHY			0.02	0.0276
47	SHRI MUTHU RAJU PARAVASA RAJU VIJAY KUMAR			0.0261	0.2878
48	SHRI MAHALINGAM G			0.06	0.0631
49	PROF. ANIL KUMAR			0.0338	0.0338
50	DR. RANJAN SHARMA			0.0147	0.0147
51	DR. MARUTI PRASAD TANGIRALA			0.00	0.0115
52	SHRI VINOD KUMAR VERMA			0.0045	0.0035
53	SHRI AJAY KUMAR SRIVASTAVA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Premium received (Own life and family members)	0.0012	0.00
54	SHRI ANSHUL KUMAR SINGH			0.0049	0.0049
55	SHRI KRISHNA KUMAR SUKUMARAN NAIR			0.00	0.0020
56	SHRI P.KUMARESAN			0.00	0.0040
57	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR			0.0068	0.0115
58	SHRI RAGHUPAL SINGH			0.00	0.0004
59	SHRI S.V. SUNDER KRISHNAN			0.00	0.0119
60	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV			0.014	0.00
61	SHRI ARINDAM DAS GUPTA			0.001	0.00
62	SHRI SUNIL AGRAWAL			0.10	0.1051
63	SMT. BELLA PAUL			0.00	0.0374
64	SMT CR PRAMEELA	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Premium received (Own life and family members)	0.0183	0.0013
65	SHRI ALOK KUMAR SAINI			0.0265	0.0160
66	SHRI PANKAJ KUMAR SAXENA			0.0211	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
67	श्री आशुतोष मिश्रा	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0032	0.0032
68	श्री अविनाश अभ्यंकर			0.0025	0.0025
69	श्री देबाशीष प्रसाद पटनायक			0.0036	0.0010
70	श्री हेमंत सिन्हा			0.0179	0.00
71	श्री कमलेश कुमार कमल			0.00	0.0018
72	श्री एम एन अग्रवाल			0.0067	0.00
73	श्री मधुकर पल्ली			0.0036	0.0018
74	श्री प्रणय कुमार			0.0115	0.0117
75	श्री आर राजनिकान्त			0.00	0.0082
76	श्री शांतनु कुमार पाणिग्रही			0.0019	0.0022
77	श्री सत्य श्रीनिवास	निदेशक	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0013	0.0013
78	श्री सुदीप्ता सरकार			0.0043	0.0043
79	श्री वेंकट बाला सुधाकर बाचीमंची			0.0186	0.0148
80	श्री आर दुरैस्वामि			0.01	0.00
81	श्री दिनेश पंत			0.0069	0.0153
82	श्री रत्नाकर पटनायक			0.00	0.0287
83	श्री सत पाल भानू			0.00	0.0070
84	श्री जगन्नाथ एम.			0.1097	0.0150
85	श्री रामकृष्णन चंद्र			0.0082	0.00
86	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी			0.08	0.00
87	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.00	0.0100
88	श्री महालिंगम जी			0.0015	0.0031
89	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर			0.00	0.0633
90	श्री पी. कुमारसन			0.00	0.0062
91	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर			0.0009	0.0019
92	श्री सुनील अग्रवाल			0.0015	0.0029
93	श्री अरिंदम दास गुप्ता			0.01	0.00
94	श्रीमती बेला पॉल			0.0000	0.0060
95	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव			0.0230	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
67	SHRI ASHUTOSH MISHRA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Premium received (Own life and family members)	0.0032	0.0032
68	SHRI AVINASH ABHYANKAR			0.0025	0.0025
69	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAIK			0.0036	0.0010
70	SHRI HEMANT SINHA			0.0179	0.00
71	SHRI KAMALESH KUMAR KAMAL			0.00	0.0018
72	SHRI M N AGARWAL			0.0067	0.00
73	SHRI MADHUKAR PALLI			0.0036	0.0018
74	SHRI PRANAY KUMAR			0.0115	0.0117
75	SHRI R RAJNIKANTH			0.00	0.0082
76	SHRI SANTANU KUMAR PANIGRAHI			0.0019	0.0022
77	SHRI SATYA SRINIVAS	DIRECTOR	Claims paid (own life and family members)	0.0013	0.0013
78	SHRI SUDIPTA SARKAR			0.0043	0.0043
79	SHRI VENKATA BALA SUDHAKAR BACHIMANCHI			0.0186	0.0148
80	SHRI R. DORAISWAMY			0.01	0.00
81	SHRI DINESH PANT			0.0069	0.0153
82	SHRI RATNAKAR PATNAIK			0.00	0.0287
83	SHRI SAT PAL BHANOO			0.00	0.0070
84	SHRI JAGANNATH M.			0.1097	0.0150
85	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER			0.0082	0.00
86	Dr. V S PARTHASARATHY			0.08	0.00
87	SHRI MUTHU RAJU PARAVASA RAJU VIJAY KUMAR	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Claims paid (own life and family members)	0.00	0.0100
88	SHRI MAHALINGAM G			0.0015	0.0031
89	SHRI KRISHNA KUMAR SUKUMARAN NAIR			0.00	0.0633
90	SHRI P. KUMARESAN			0.00	0.0062
91	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR			0.0009	0.0019
92	SHRI SUNIL AGRAWAL			0.0015	0.0029
93	SHRI ARINDAM DAS GUPTA			0.01	0.00
94	SMT. BELLA PAUL			0.0000	0.0060
95	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV			0.0230	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
96	श्री आशुतोष मिश्रा	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.00	0.0758
97	श्री देबाशीष प्रसाद पटनायक			0.0262	0.0806
98	श्री शांतनु कुमार पाणिग्रही			0.0058	0.0000
99	श्रीमती अंजुबाला पुरुषोत्तम			0.00	0.0114
100	श्री सस्वत रे			0.0433	0.0000
101	श्री हृषिकेश मुकुंद कुल्कर्णी			0.00	0.0036
102	श्री हेमंत सिन्हा			0.0064	0.00
103	श्री प्रणय कुमार	सहायक कंपनी के निदेशक	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0050	0.0000
104	श्री आलोक कुमार सैनी			0.0030	0.1393
105	श्रीमती ऋचा कपूर			0.0035	0.00
106	श्री पंकज कुमार सक्सेना	निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0253	0.00
107	श्री आर दुरैस्वामि	निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0526	0.00
108	श्री सिद्धार्थ मोहंती	निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0004	0.00
109			खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0154	0.00
110	श्री दिनेश पंत	निदेशक	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.1454	0.00
111	श्री सत पाल भानू	निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0455	0.00
112	श्री तबलेश पांडे	निदेशक	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0009	0.00
113	श्री जगन्नाथ एम.	निदेशक	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0302	0.0002
114			उत्सव अग्रिम भुगतान किया गया	0.0128	0.00
115	श्री रामकृष्णन चंदर	निदेशक	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.04	0.00
116			खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0410	0.00
117	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0067	0.00
118			उत्सव अग्रिम भुगतान किया गया	0.0150	0.00
119	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0437	0.00
120			प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.14	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
96	SHRI ASHUTOSH MISHRA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Claims paid (own life and family members)	0.00	0.0758
97	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAIK			0.0262	0.0806
98	SHRI SANTANU KUMAR PANIGRAHI			0.0058	0.0000
99	SMT ANJUBALA PUROSHOTTAM			0.00	0.0114
100	SHRI SASWATA RAY			0.0433	0.0000
101	SHRI HRUSHIKESH MUKUND KULKARNI			0.00	0.0036
102	SHRI HEMANT SINHA			0.0064	0.00
103	SHRI PRANAY KUMAR			0.0050	0.0000
104	SHRI ALOK KUMAR SAINI	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Claims paid (own life and family members)	0.0030	0.1393
105	SMT. RICHAA KAPOOR			0.0035	0.00
106	SHRI PANKAJ KUMAR SAXENA			0.0253	0.00
107	SHRI R. DORAISWAMY	DIRECTOR	Other Miscellaneous Transaction	0.0526	0.00
108	SHRI SIDDHARTHA MOHANTY	DIRECTOR	Other Miscellaneous Transaction	0.0004	0.00
109			Reimbursement of expenses	0.0154	0.00
110	SHRI DINESH PANT	DIRECTOR	Reimbursement of expenses	0.1454	0.00
111	SHRI SAT PAL BHANOO	DIRECTOR	Other Miscellaneous Transaction	0.0455	0.00
112	SHRI TABLESH PANDEY	DIRECTOR	Reimbursement of expenses	0.0009	0.00
113	SHRI JAGANNATH M.	DIRECTOR	Reimbursement of expenses	0.0302	0.0002
114			Festival Advance paid	0.0128	0.00
115	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER	DIRECTOR	Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the Corporation	0.04	0.00
116			Reimbursement of expenses	0.0410	0.00
117	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0067	0.00
118			Festival Advance paid	0.0150	0.00
119	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0437	0.00
120			Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the Corporation	0.14	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
121	श्री सुनील अग्रवाल	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0067	0.00
122	श्री अरिंदम दास गुप्ता	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0018	0.00
123			खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0106	0.00
124	श्रीमती बेल्हा पॉल	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.0002	0.0001
125			प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदार को कमीशन का भुगतान	0.0314	0.00
126	श्री अंशुल कुमार सिंह	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.09	0.0879
127			अन्य विविध लेनदेन	0.0010	0.00
128	श्री अनिरबान दत्ता	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	अन्य भुगतान	0.0055	0.00
129	श्री देबाशीष प्रसाद पटनयाक	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	भविष्य निधि ऋण वितरित किया गया	0.5988	0.00
130	श्री केएल गुप्ता	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0350	0.00
131	श्री मधुकर पल्ली	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	अन्य विविध लेनदेन	0.0018	0.0010
132	श्रीमती सीआर प्रमीला	सहायक कंपनी के निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0108	0.00
133	श्री पंकज कुमार सक्सेना	सहायक कंपनी के निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0003	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
121	SHRI SUNIL AGRAWAL	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0067	0.00
122	SHRI ARINDAM DAS GUPTA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0018	0.00
123	SMT. BELLA PAUL	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0106	0.00
124			Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the Corporation	0.0002	0.0001
125	SHRI ANSHUL KUMAR SINGH	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Commission payment to relative of KMP	0.0314	0.00
126			Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the Corporation	0.09	0.0879
127			Other Miscellaneous Transaction	0.0010	0.00
128	SHRI ANIRBAN DATTA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Other Payments	0.0055	0.00
129	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAİK	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	PF loan disbursed	0.5988	0.00
130	SHRI K L GUPTA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Reimbursement of expenses	0.0350	0.00
131	SHRI MADHUKAR PALLI	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Other Miscellaneous Transaction	0.0018	0.0010
132	SMT CR PRAMEELA	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Other Miscellaneous Transaction	0.0108	0.00
133	SHRI PANKAJ KUMAR SAXENA	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Other Miscellaneous Transaction	0.0003	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
134	श्री कमलेश कुमार कमल	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0187	0.00
135	श्री देबाशीष प्रसाद पटनयाक	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0100	0.00
136	श्री हेमंत सिन्हा	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0036	0.00
137	श्री शांतनु कुमार पाणिग्रही	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0182	0.00
138	श्री सत्य श्रीनिवास	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0019	0.00
139	श्री वेंकट बाला सुधाकर बाचीमंची	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0154	0.00

31.03.2026 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्त हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	0.00	0.003		प्रतिनिधिमंडल पर कर्मचारी का टीई अग्रिम		प्राप्त
2	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	0.00	0.02		प्रतिनियुक्त कर्मचारी के एलटीसी से एलटीडी अग्रिम की वसूली की गई		प्राप्त
3	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	50.00	50.00	इकिति	इकिति	प्राप्त	प्राप्त
4	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	1.00	1.00	इकिति	इकिति	प्राप्त	प्राप्त

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
134	SHRI KAMALESH KUMAR KAMAL	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0187	0.00
135	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAİK	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0100	0.00
136	SHRI HEMANT SINHA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0036	0.00
137	SHRI SANTANU KUMAR PANIGRAHI	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0182	0.00
138	SHRI SATYA SRINIVAS	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0019	0.00
139	SHRI VENKATA BALA SUDHAKAR BACHIMANCHI	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0154	0.00

Outstanding balances with related parties as at 31.03.2026

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1	LIC Pension Fund Ltd	Subsidiary	0.00	0.003		TE Advance of Employee on Deputation		Receivable
2	LIC Pension Fund Ltd	Subsidiary	0.00	0.02		LTD Advance recovered from LTC of deputed employee		Receivable
3	LIC Pension Fund Ltd	Subsidiary	50.00	50.00	Equity	Equity	Receivable	Receivable
4	LIC Card Services Ltd	Subsidiary	1.00	1.00	Equity	Equity	Receivable	Receivable

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्य हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
5	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	0.02	0.26	वेतन व्यय	वेतन व्यय	प्राप्य	प्राप्य
6	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	0.001	0.001	प्रतिभूति जमा	प्रतिभूति जमा	देय	देय
7	एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड	सहायक	216.67	216.67	इक्विटी	इक्विटी	प्राप्य	प्राप्य
8	एलआईसी लंका लिमिटेड (इक्विटी शेयर)	सहायक	104.18	45.86	इक्विटी	इक्विटी	प्राप्य	प्राप्य
9	एलआईसी लंका लिमिटेड (अधिमानी शेयर)	सहायक	14.17	14.17	अधिमानी शेयर	अधिमानी शेयर	प्राप्य	प्राप्य
10	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	सहायक	93.07	93.07	इक्विटी	इक्विटी	प्राप्य	प्राप्य
11	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी बहरीन	सहायक	995.48	995.48	इक्विटी	इक्विटी	प्राप्य	प्राप्य
12	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	43.78	43.78	इक्विटी	इक्विटी	प्राप्य	प्राप्य
13	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	25.06	22.69	एफडी और ब्याज एलआईसीसीएसएल द्वारा प्राप्य	एफडी और ब्याज एलआईसीसीएसएल द्वारा प्राप्य	प्राप्य	प्राप्य
14	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	3321.50	3321.50	इक्विटी	इक्विटी	प्राप्य	प्राप्य
15	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	1800.00	7550.27	प्रतिभूतियाँ और बांड	प्रतिभूतियाँ	प्राप्य	प्राप्य
16	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	797.71	0.00	पीटीसी		प्राप्य	
17	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	0.85	0.00	प्रतिभूति जमा		देय	
18	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	0.00	2.00		एलआईसी पीएफएल द्वारा एफडी में निवेश		प्राप्य
19	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	1.14	1.14	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	देय	देय
20	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	11.13	36.39	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	प्राप्य	प्राप्य

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
5	LIC Card Services Ltd	Subsidiary	0.02	0.26	Salary expenses	Salary expenses	Receivable	Receivable
6	LIC Card Services Ltd	Subsidiary	0.001	0.001	Security Deposit	Security Deposit	Payable	Payable
7	LIC (Singapore) Pte Ltd.	Subsidiary	216.67	216.67	Equity	Equity	Receivable	Receivable
8	LIC Lanka Ltd (Equity Shares)	Subsidiary	104.18	45.86	Equity	Equity	Receivable	Receivable
9	LIC Lanka Ltd (Pref Shares)	Subsidiary	14.17	14.17	Preference Shares	Preference Shares	Receivable	Receivable
10	LIC (Nepal) Ltd	Subsidiary	93.07	93.07	Equity	Equity	Receivable	Receivable
11	LIC (International) Bsc Bahrain	Subsidiary	995.48	995.48	Equity	Equity	Receivable	Receivable
12	LIC Bangladesh Ltd	Subsidiary	43.78	43.78	Equity	Equity	Receivable	Receivable
13	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	25.06	22.69	FD and Interest Accrued receivable by LICCSL	FD and Interest Accrued receivable by LICCSL	Receivable	Receivable
14	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	3321.50	3321.50	Equity	Equity	Receivable	Receivable
15	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	1800.00	7550.27	Debentures & Bonds	Debentures	Receivable	Receivable
16	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	797.71	0.00	PTC		Receivable	
17	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	0.85	0.00	Security Deposit		Payable	
18	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	0.00	2.00		Investment in FDs by LIC PFL		Receivable
19	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	1.14	1.14	O/S Commitment LICHFL Urban Development Fund	O/S Commitment LICHFL Urban Development Fund	Payable	Payable
20	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	11.13	36.39	O/S Capital LICHFL Urban Development Fund	O/S Capital LICHFL Urban Development Fund	Receivable	Receivable

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्य हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
21	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	0.08	0.51	बकाया प्रतिबद्धता एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	बकाया प्रतिबद्धता एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	देय	देय
22	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	40.35	140.64	बकाया पूंजी – एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	बकाया पूंजी – एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	प्राप्य	प्राप्य
23	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	280.54	294.11	बकाया प्रतिबद्धता एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि	एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि	देय	देय
24	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	19.46	7.55	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर फंड	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर फंड	प्राप्य	प्राप्य
25	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	0.49	0.49	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
26	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	4.57	0.00	परवर्ती प्रीमियम		प्राप्य	
27	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	0.93	0.95	सुरक्षा जमा	सुरक्षा जमा	देय	देय
28	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	98.69	54.69	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
29	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	5,161.80	3,899.53	म्यूचुअल फंड	म्यूचुअल फंड	प्राप्य	प्राप्य
30	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	1.00	2.50	एलआईसी सीएसएल द्वारा किया गया निवेश	एलआईसी सीएसएल द्वारा किया गया निवेश	प्राप्य	प्राप्य
31	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	2.004	2.00	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
32	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	29,138.91	29,138.91	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
33	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	4,859.84	6,397.33	चालू खाता	चालू खाता	प्राप्य	प्राप्य

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
21	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	0.08	0.51	O/S Commitment LICHFL Housing and Infrastructure Fund	O/S Commitment LICHFL Housing and Infrastructure Fund	Payable	Payable
22	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	40.35	140.64	O/S Capital - LICHFL Housing and Infrastructure Fund	O/S Capital - LICHFL Housing and Infrastructure Fund	Receivable	Receivable
23	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	280.54	294.11	O/S Commitment LICHFL Real estate debt opportunities fund	LICHFL Real estate debt opportunities fund	Payable	Payable
24	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	19.46	7.55	O/S Capital LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	O/S Capital LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	Receivable	Receivable
25	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	0.49	0.49	Equity	Equity	Receivable	Receivable
26	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	4.57	0.00	Renewal Premium		Receivable	
27	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	0.93	0.95	Security Deposit	Security Deposit	Payable	Payable
28	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	98.69	54.69	Equity	Equity	Receivable	Receivable
29	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	5,161.80	3,899.53	Mutual Fund	Mutual Fund	Receivable	Receivable
30	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	1.00	2.50	Investment made by LICCSL	Investment made by LICCSL	Receivable	Receivable
31	LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd.	Associate	2.004	2.00	Equity	Equity	Receivable	Receivable
32	IDBI Bank Ltd.	Associate	29,138.91	29,138.91	Equity	Equity	Receivable	Receivable
33	IDBI Bank Ltd.	Associate	4,859.84	6,397.33	Current A/c	Current A/c	Receivable	Receivable

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्य हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
34	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	9.81	10.48	सावधि जमा	सावधि जमा	प्राप्य	प्राप्य
35	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	2.90	3.78	परवर्ती प्रीमियम	परवर्ती प्रीमियम - बैंक बैलेंस	प्राप्य	प्राप्य
36	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	0.66	0.00	प्रतिभूति जमा		देय	
37	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	0.07	0.06	एलआईसी सीएसएल द्वारा क्रेडिट कार्ड/उपहार कार्ड की बिलिंग	एलआईसी सीएसएल द्वारा क्रेडिट कार्ड/उपहार कार्ड की बिलिंग	प्राप्य	प्राप्य
38	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	10.05	4.02	एफडी और ब्याज अर्जित एलआईसी सीएसएल द्वारा प्राप्य	एफडी और ब्याज अर्जित एलआईसी सीएसएल द्वारा प्राप्य	प्राप्य	प्राप्य
39	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	0.00	24.94		बकाया इश्योरटेक भुगतान		देय
40	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.88	0.88	प्रतिभूति जमा	प्रतिभूति जमा	देय	देय
41	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.30	0.30	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
42	हनुमान टी कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	4.32	4.32	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
43	मोदी एसपीजी और डब्ल्यूवीजी मिल्स कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	0.86	0.86	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
44	मोदी एसपीजी और डब्ल्यूवीजी मिल्स कंपनी लिमिटेड (अधिमानी शेयर)	सहयोगी	0.24	0.00	अधिमानी शेयर		प्राप्य	
45	कटाखल लाला बाज़ार रेलवे कंपनी	सहयोगी	0.02	0.02	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
46	एचजीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सहयोगी	3.18	3.18	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
47	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	829.17	829.17	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
48	सरुदी इंडियन कंपनी को-ऑप इश्योरेंस के लिए	संयुक्त उद्यम	5.87	5.87	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
34	IDBI Bank Ltd.	Associate	9.81	10.48	Fixed Deposit	Fixed Deposit	Receivable	Receivable
35	IDBI Bank Ltd.	Associate	2.90	3.78	Renewal Premium	Renewal Premium - Bank Bal	Receivable	Receivable
36	IDBI Bank Ltd.	Associate	0.66	0.00	Security Deposit		Payable	
37	IDBI Bank Ltd.	Associate	0.07	0.06	Billing of credit cards/gift cards done by LICCSL	Billing of credit cards/gift cards done by LICCSL	Receivable	Receivable
38	IDBI Bank Ltd.	Associate	10.05	4.02	FD and Interest Accrued receivable by LICCSL	FD and Interest Accrued receivable by LICCSL	Receivable	Receivable
39	IDBI Bank Ltd.	Associate	0.00	24.94		O/S Insuretech Payment		Payable
40	IDBI Trusteeship Services Ltd	Associate	0.88	0.88	Security Deposit	Security Deposit	Payable	Payable
41	IDBI Trusteeship Services Ltd	Associate	0.30	0.30	Equity	Equity	Receivable	Receivable
42	Hanuman Tea Co. Ltd.	Associate	4.32	4.32	Equity	Equity	Receivable	Receivable
43	Modi Spg & Wvg Mills Co. Ltd.	Associate	0.86	0.86	Equity	Equity	Receivable	Receivable
44	Modi Spg & Wvg Mills Co. Ltd. (Pref Shares)	Associate	0.24	0.00	Preference Shares		Receivable	
45	Katakhal Lala Bazar Railway Co	Associate	0.02	0.02	Equity	Equity	Receivable	Receivable
46	HGI Industries Ltd.	Associate	3.18	3.18	Equity	Equity	Receivable	Receivable
47	Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.	Associate	829.17	829.17	Equity	Equity	Receivable	Receivable
48	Saudi Indian Co For Co-Op Insurance	Joint Venture	5.87	5.87	Equity	Equity	Receivable	Receivable

20. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(3) के अनुसार व्यवसाय के प्रभार में व्यक्तियों के नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक मंडल वाले विवरण:

क्र. सं.	नाम	विवरण	संस्था का नाम जिसमें 31 मार्च, 2026 को निदेशक पद धारण किया गया है
1.	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	- एलआईसी (लंका) लिमिटेड - एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड - केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - राष्ट्रीय बीमा अकादमी (गवर्निंग बोर्ड के सदस्य) - एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन - एलआईसी भविष्य निधि सं. 1 - भारतीय बीमा संस्थान - बीमा सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया - भारतीय बीमांकिक संस्थान - बीमा लोकपाल की गवर्निंग काउंसिल - जीवन बीमा परिषद
2.	सुश्री शालिनी पंडित	सरकारी नामित निदेशक	राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
3.	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन - बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन - एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड - भारतीय बीमा संस्थान - एलआईसी भविष्य निधि सं. 1
4.	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	- आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड - नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड
5.	श्री रामकृष्णन चंद्र	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड - एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड - एलआईसी (लंका) लिमिटेड
6.	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
7.	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
8.	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	- उधमोद्या फाउंडेशन - दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन

20. Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business as per section 11(3) of the Insurance Act, 1938:

Sr. No.	Name	Description	Name of the Entity in which directorship is held as on 31 st March, 2026
1.	Shri R. Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	- LIC (Lanka) Limited - LIC Pension Fund Limited - Kenindia Assurance Company Ltd. - LIC (International) BSC (c) Bahrain - LIC Housing Finance Limited - National Insurance Academy (Member on the Governing Board) - LIC Golden Jubilee Foundation - LIC of India Provident Fund No. 1 - Insurance Institute of India - Insurance Information Bureau of India - Institute of Actuaries of India - Governing Council of Insurance Ombudsman - Life Insurance Council
2.	Ms. Shalini Pandit	Government Nominee Director	Rourkela Smart City Limited
3.	Shri Dinesh Pant	Managing Director	- LIC Cards Services Limited - LIC Mutual Fund Asset Management Company Limited - LIC Golden Jubilee Foundation - National Insurance Academy - LIC (International) BSC (c) Bahrain - Bima Sugam India Federation - LIC of Bangladesh Ltd. - Insurance Institute of India - LIC of India Provident Fund No. 1
4.	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	- RMBS Development Company Ltd. - LIC Housing Finance Limited - LIC HFL Asset Management Company Limited - LIC (Nepal) Ltd. - National Commodity & Derivatives Exchange Limited
5.	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	- LIC Cards Services Limited - LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd. - LIC HFL Care Homes Ltd. - LIC (Lanka) Limited
6.	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	NIL
7.	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	NIL
8.	Prof. Anil Kumar	Independent Director	- Udhmodya Foundation - University of Delhi Foundation

क्र. सं.	नाम	विवरण	संस्था का नाम जिसमें 31 मार्च, 2026 को निदेशक पद धारण किया गया है
9.	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	- सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड - भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड - केयर रेटिंग्स लिमिटेड - केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा लिमिटेड - डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड - केयर रेटिंग्स लिमिटेड नेपाल - थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड
10.	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	- एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड - पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड - रुडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड - किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड - इम्पीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड - मेपल इंफ्रा इनवित इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड - ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड - गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड - एवरनविरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड - पीजीपी ग्लास लिमिटेड - ग्रासरूट नेटवर्क (जीटीएनएफडब्ल्यू) धारा 8 कंपनी - बॉम्बे सिटी पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट

21. **बोनस इश्यू:** निदेशक मंडल ने 13 अप्रैल, 2026 को हुई अपनी बैठक में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी। यह बोनस शेयर 1:1 के अनुपात में जारी किए जाएंगे, यानी रिकॉर्ड तिथि तक सदस्यों के पास मौजूद ₹ 10/- मूल्य के प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया जायेगा। इसके लिए, 31 दिसंबर, 2025 तक निगम के आरक्षितनिधि और अधिशेष में से ₹ 6,325 करोड़ तक राशि का पूंजीकरण किया जाएगा। बोनस शेयरों के निर्गमन को निगम के सदस्यों द्वारा 17 मई, 2026 को डाक मतपत्र के माध्यम से अनुमोदित किया गया है और रिकॉर्ड तिथि 29 मई, 2026 है।

22. **लेखांकन मानक (एएस) – 20 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) के अनुसार:**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	शेयरधारकों के लिए आय (₹ करोड़ों में)	57,418.55	48,151.18
2	इक्विटी शेयरों की संख्या	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
3	मूल ईपीएस (₹ प्रति शेयर)	90.78	76.13
4	डायल्यूटेड ईपीएस असाधारण मदों के पश्चात (कर व्यय के बाद शुद्ध) (₹ प्रति शेयर)	90.78	76.13

23. **पट्टे:**

पट्टेदार के रूप में:

निगम ने अपने कार्यालयों और कर्मचारियों के आवास के रूप में कुछ संपत्तियां किराए पर ली हैं। 31.03.2026 को समाप्त वर्ष में ₹ 427.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 418.76 करोड़) की राशि लीज़ किराए के लिए राजस्व खाते में डेबिट की गई है।

पट्टेदाता के रूप में:

निगम ने किराये की आय अर्जित करने के उद्देश्य से कुछ वाणिज्यिक और आवासीय परिसर पट्टे पर दिए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए अर्जित किराया आय ₹ 549.37 करोड़ है जो पिछले वर्ष की ₹ 520.00 करोड़ की किराया आय से 5.65% की वृद्धि है।

Sr. No.	Name	Description	Name of the Entity in which directorship is held as on 31 st March, 2026
9.	Shri Mahalingam G	Independent Director	- City Union Bank Limited - India International Bullion Exchange IFSC Limited - CARE Ratings Limited - Central Depository Services Ltd. - DSP Pension Fund Managers Private Limited - Care Ratings Limited Nepal - Thomas Cook (India) Limited
10.	Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	- NIIT Learning Systems Limited - Pennar Industries Limited - RUDI Multi Trading Company Limited - Kids Clinic India Limited - Imperial Auto Industries Limited - Maple Infra InvIT Investment Manager Private Limited - Greencell Mobility Private Limited - Girnar Software Private Limited - Everenviro Resource Management Private Limited - PGP Glass Limited - Grassroot Network (GTNFW) a Section 8 company - Bombay City Policy Research Foundation Trust

21. Bonus Issue: The Board of Directors in its meeting held on April 13, 2026 approved the issuance of bonus shares, in the proportion of 1:1, i.e., 1 (one) bonus equity share of ₹ 10/- each for every 1 (one) fully paid-up equity share of ₹ 10/- each held by the Members as on the record date, by capitalizing a sum not exceeding ₹ 6,325 crore out of the Reserves & Surplus of the Corporation available as at December 31, 2025. The issuance of Bonus Shares has been approved by the Members of the Corporation through Postal Ballot on May 17, 2026 and the record date is 29.05.2026.

22. As per AS- 20 -Earnings per Share (EPS):

Sr. no	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
1	Earnings attributable to Shareholders (₹ in crore)	57,418.55	48,151.18
2	No. of equity shares	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
3	Basic EPS (₹ per share)	90.78	76.13
4	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized) (₹ per share)	90.78	76.13

23. Leases:

As a Lessee:

The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals amounting to ₹ 427.58 crore (Previous year ₹ 418.76 crore) is debited to the Revenue Account for the year ended 31.03.2026.

As a Lessor:

Corporation has leased certain commercial and residential premises for the purpose of earning rental income. The rental income accrued for the year 2025-26 is ₹ 549.37 crores which is an increase of 5.65% over the previous year rental income of ₹ 520.00 crores.

24. खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरण:

लेखांकन मानक (एएस) 17, “खंड रिपोर्टिंग” और आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार, खंड खाते का प्रकटीकरण अनुसूची 1 में दिया गया है।

25. इंड एस के कार्यान्वयन की प्रगति:

निगम द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंड एस अनुपालन प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार और प्रस्तुत किया जा चुका है।

नियामक ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य), (संशोधन) विनियम, 2026 को 30 मार्च, 2026 को अधिसूचित किया, जिससे इंड एस का कार्यान्वयन 01.04.2026 से प्रभावी हो गया। निगम ने कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष की मोहलत के लिए आवेदन किया है और नियामक से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, निगम नियामक को प्रस्तुत समय-सीमा के अनुसार इंड एस के कार्यान्वयन की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।

26. विदेशी मुद्रा भंडार:

फिजी, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और गिफ्ट सिटी में किए गए कार्य गैर-अविभाज्य प्रकृति के हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शुद्ध विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव रिजर्व निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
आरक्षितनिधि और अधिशेष (शेयरधारकों) अनुसूची 6	0.41	(1.09)
बीमा आरक्षितनिधि (पॉलिसीधारक) अनुसूची 6 ए	1,527.75	826.98

27. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमई अधिनियम) के तहत उनकी स्थिति के संबंध में, निगम के पास उक्त अधिनियम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निम्नलिखित राशि बकाया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	वर्ष के अंत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूलधन	3.00	0.00
2	वर्ष के अंत में 1 के अनुसार एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूलधन राशि पर अर्जित ब्याज	0.00	0.00
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	0.00	0.00
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	0.00	0.00
5	प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और शेष बकाया	0.00	0.00
6	आगे की ब्याज राशि शेष और देय भी आने वाले वर्षों में, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को देय व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से भुगतान किया जाता है	0.00	0.00

24. Disclosure on presentation of segmental Reporting:

As per Accounting Standard (AS) 17, "Segment Reporting", read with the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Segmental Accounts are disclosed in Annexure I.

25. Progress of implementation of Ind AS:

The Corporation has prepared and submitted Ind AS compliant Proforma Financial Statements (PFS) for FY 2023-24 and FY 2024-25 within the stipulated timelines to Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI").

The Regulator notified Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers), (Amendment) Regulations, 2026 on 30th March, 2026, making implementation of Ind AS effective from 01.04.2026. The Corporation has applied for grant of one year forbearance for implementation and response is awaited from the Regulator.

In line with regulatory requirements, the Corporation is making steady progress towards implementation of Ind AS as per the timelines submitted to the Regulator.

26. Foreign Exchange Reserve:

Operations carried out in Fiji, Mauritius, United Kingdom and Gift City are of non-integral nature.

The net foreign Exchange fluctuation in standalone Financial Statements is as follows:-

(₹ in Crore)		
Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Reserve and Surplus (Shareholders) Schedule 6	0.41	(1.09)
Insurance Reserves (Policyholders) Schedule 6A	1,527.75	826.98

27. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the **Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT)**, the Corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Crore)			
Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
1	Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium supplier at the end of the year.	3.00	0.00
2	Interest accrued on principal amount remaining unpaid to MSME Supplier as per 1 above at the end of the year.	0.00	0.00
3	Amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	0.00	0.00
4	Amount of Interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding Interest specified under the Act.	0.00	0.00
5	Amount of Interest accrued and remaining unpaid at the end of each year	0.00	0.00
6	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	0.00	0.00

28. **कराधान का प्रावधान:** वर्ष के दौरान, निगम ने आयकर अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों और विनियमों के अनुसार निगम पर लागू कराधान का प्रावधान किया है:-

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व खाता (₹ करोड़ में)	(4,173.41)	7,772.49
लाभ और हानि खाता (₹ करोड़ में)	35.23	0.00
जीवन बीमा व्यवसाय के लिए लागू कर दर	14.56%	14.56%

29. निगम द्वारा प्राप्त नियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाले 20 तिमाहियों में ₹ 464.02 करोड़ प्रति तिमाही की दर से परिशोधित किया जा रहा है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 464.02 करोड़ और ₹ 1,856.08 करोड़ की राशि राजस्व खाते में प्रभारित की गई है। 31 मार्च, 2026 को शेष राशि ₹ 4,640.17 करोड़ को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।
30. निगम द्वारा प्राप्त नियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त खर्च से संबंधित पार खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली तीन वर्ष से अधिक नहीं, समान वार्षिक किस्तों में शेयरधारकों के खाते से पुनः पूर्ति की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए शेयरधारकों के खाते से क्रमशः ₹ 602.51 करोड़ और ₹ 2,410.04 करोड़ की राशि पुनः पूर्ति की गई है। शेष राशि ₹ 2,410.01 करोड़ वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनः पूर्ति की जाएगी।
31. निगम द्वारा प्राप्त नियामक अनुमोदन के अनुसार वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाली, तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि में पार खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि शेयरधारकों के खाते में चार्ज की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 456.42 करोड़ और ₹ 1,825.68 करोड़ की राशि शेयरधारकों के खाते में प्रभारित की गई है। शेष राशि ₹ 1,825.74 करोड़ वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक अगली तिमाहियों में शेयरधारकों से चार्ज किया जाएगा।
32. 21 नवंबर, 2025 को भारत सरकार ने चार नए श्रम संहिताओं - वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 को अधिसूचित किया है, जो 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित करती हैं। निगम ने लागू सीमा तक इन परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन किया है और अनुमानित आधार पर पुस्तकों में प्रावधान किया है।
33. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹ 10 के अंतिम लाभांश (बोनस शेयर इश्यू पश्चात) देने की अनुशंसा की है, जो निगम की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
34. कर का प्रावधान के अंतर्गत राशि, ₹ 11,422.77 करोड़ के आयकर प्रावधान को रिवर्स करने के पश्चात शुद्ध राशि है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान यह राशि कर मामलों पर अपीलीय प्राधिकरणों से प्राप्त अनुकूल आदेशों और कर शेष राशि के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर उलट दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कर का प्रावधान ₹ 7,249.36 करोड़ है और 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 2,333.91 करोड़ है।
35. निवेश के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव: चालू वर्ष के दौरान, निगम ने असंबद्ध व्यवसाय और संबद्ध व्यवसाय के गैर-यूनिट फंड - सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है, जहां अंकित मूल्य ऐतिहासिक लागत से अधिक है, ताकि वित्तीय विवरणों की अधिक उपयुक्त प्रस्तुति की जा सके। इससे पहले, इस तरह के निवेश को मोचन या परिपक्वता के समय लाभ के रूप में मान्यता दी जाती थी। बदली गई लेखा नीति के अनुसार, डिस्काउंट को शेष होल्डिंग अवधि के दौरान सीधे आधार पर परिपक्वता तक परिशोधित किया जाता है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ₹ 10,958.97 करोड़ की राशि को राजस्व खाते में निवेश पर छूट के परिशोधन के रूप में, प्रीमियम परिशोधन राशि ₹ 1,537.08 करोड़ को समायोजित करने के बाद, दर्शाया गया है। साथ ही, ₹ 51.84 करोड़ की राशि को पी एंडअल खाता में निवेश पर डिस्काउंट के परिशोधन के रूप में, प्रीमियम परिशोधन राशि ₹ 50.10 करोड़ को समायोजित करने के पश्चात, दर्शाया गया है।

- 28. Provision for Taxation:** During the year, the Corporation has made provision for taxation in accordance with the Income tax Act, 1961 and Rules and Regulations there under as applicable to the Corporation:-

Particulars	For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
Revenue Account (₹ in Crore)	(4,173.41)	7,772.49
Profit & loss Account (₹ in Crore)	35.23	0.00
Tax Rate applicable for Life Insurance Business	14.56%	14.56%

- 29.** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crore pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. An amount of ₹ 464.02 crore and ₹ 1,856.08 crore have been charged to Revenue Account for the quarter and year ended March 31, 2026 respectively. The balance amount of ₹ 4,640.17 crore as on March 31, 2026 shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
- 30.** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 is being replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 602.51 crore and ₹ 2,410.04 crore have been replenished from the Shareholders' account for the quarter and year ended March 31, 2026 respectively. The balance amount of ₹ 2,410.01 crore shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.
- 31.** Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crore towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 456.42 crore and ₹ 1,825.68 crore have been charged to Shareholders' account for the quarter and year ended March 31, 2026 respectively. The balance amount of ₹ 1,825.74 crore shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.
- 32.** On November 21, 2025, the Government of India has notified the four new Labour codes – The Code on Wages, 2019, The Industrial Relations Code, 2020, The Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 consolidating 29 existing labour laws. The Corporation has assessed the impact of these changes to the extent applicable and has made provision in the books on estimated basis.
- 33.** The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 10/- per equity share of ₹ 10/- each for the Financial Year 2025-26 after considering the Bonus Shares issue, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.
- 34.** Provision for tax is net of reversal of provision of income tax of ₹ 11,422.77 crore. This amount has been reversed during Q4 of FY 2025-26, based on favorable orders received from Appellate Authorities on tax matters, and management assessment of tax balances. The provision for tax for current financial year is ₹ 7,249.36 crore and for quarter ending 31st March, 2026 is ₹ 2,333.91 crore.
- 35.** Effect of change in Accounting Policy in respect of Investment: During the current year, the Corporation has changed its Accounting Policy with respect to Non-Linked Business and Non Unit fund of Linked Business – Debt Securities, including Government Securities, where the face value exceeds the historical cost, so as to make a more appropriate presentation of the Financial Statements. Previously, the discount on such investments was recognized as profit on redemption or maturity. As per the changed Accounting Policy, the discount is amortized on a straight line basis over the remaining holding period until Maturity. As a result of this change in Accounting Policy, an amount of ₹ 10,958.97 crores have been disclosed as amortization of discount on Investments in the Revenue Account after adjusting the premium amortization amount of ₹ 1,537.08 crores and ₹ 51.84 crores in the Profit and Loss Account after adjusting the premium amortization amount of ₹ 50.10 crores for the quarter and year ended March 31, 2026. The corresponding increase has been incorporated in the Investment Asset Schedules (8/8A/8B) under the respective segments.

बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मास्टर परिपत्र के अनुसार, 2024

36. जोखिम प्रबंधन वास्तुकला का विवरण:

एलआईसी के पास निगम के सम्मुख आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, साइबर सुरक्षा नीति, जोखिम भूख विवरण, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है।

आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है। आरएमसी जोखिम प्रबंधन शासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे, जोखिम भूख और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम कम करने की योजनाओं की समीक्षा करता है, व्यावसायिक वातावरण और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की देखरेख करता है, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन से संबंधित सभी मामले, वार्षिक आधार पर आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना के अनुरूप व्यवसाय निरंतरता पर नियमित अपडेट की समीक्षा करता है, निगम की शोधन स्थिति, धोखाधड़ी निगरानी, आदि की नियमित आधार पर समीक्षा करता है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसी के विचार में बोर्ड से आगे रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, समय-समय पर इसकी बैठक में इसके संज्ञान में लाए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी समिति (सीईआरएम) और परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) नामक दो स्वतंत्र आंतरिक समितियों का गठन प्रमुख कार्यात्मक विभागों के प्रमुखों के साथ किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और उद्यम जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है। जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति देयता समिति पर कार्यपालक समिति की सिफारिशें आरएमसी को रिपोर्ट की जाती हैं। सीईआरएम और एएलसीओ उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, एएलएम नीति, जोखिम भूख विवरण, जोखिम रिपोर्टिंग/जोखिम नियंत्रण के लिए एमआईएस, रणनीतिक पहलों और व्यावसायिक वातावरण या विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों, महत्वपूर्ण जोखिमों को उजागर करने वाले जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं, व्यवसाय निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम वातावरण की समीक्षा, नियमित आधार पर निगम की शोधन स्थिति की समीक्षा, आईटी सुरक्षा और धोखाधड़ी निगरानी से संबंधित जोखिम की समीक्षा जैसे प्रमुख कार्यों की निगरानी करके आरएमसी का समर्थन करता है। सीईआरएम और एएलसीओ द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर समेकित रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तिमाही आधार पर आरएमसी को दी जाती है।

सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) जिसमें केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) शामिल हैं, सभी सूचना और साइबर सुरक्षा से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करते हैं।

37. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित किए गए, निपटाए गए और लंबित दावों की संख्या का विवरण:

क्र. सं.	दावों का अनुभव	मृत्यु	परिपक्वता	उत्तरजीविता लाभ	वार्षिकी/पेंशन	अभ्यर्पण	अन्य लाभ
1	अवधि की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या	4,790 (275)	11,93,653 (8,49,531)	6,53,527 (1,16,293)	41,64,293 (34,33,687)	-	-
2	अवधि के दौरान सूचित किए गए दावों की संख्या/बुक किया गया	8,46,502 (8,68,811)	1,43,48,639 (1,20,77,665)	1,02,32,233 (1,08,13,630)	2,87,13,646 (2,88,01,826)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
3	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की संख्या	8,30,399 (8,48,145)	1,38,12,148 (1,14,06,706)	1,03,13,795 (1,02,76,396)	2,84,10,862 (2,80,71,220)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
4	अवधि के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या	8,974 (9,137)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

As per Master Circular on Corporate Governance for Insurers, 2024

36. A description of the Risk Management Architecture:

LIC has robust Enterprise Risk Management (ERM) framework to conduct business in an orderly manner taking into account the risks faced by the Corporation and controlling its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Cyber security policy, Risk Appetite statement, Asset Liability Management (ALM) Policy and Business Continuity Plan (BCP) of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee (RMC). The RMC looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMC, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

Two independent internal Committees, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Committee (ALCO) have been constituted with Heads of key functional departments. Chief Risk Officer (CRO) acts as the custodian of Enterprise Risk Management framework and guides the implementation of Enterprise Risk Management. Recommendations of the Committee of Executives on Risk Management & Asset Liability Committee are reported to RMC. CERM & ALCO supports the RMC by supervising major functions like reviewing Enterprise Risk Management Policy, ALM Policy, Risk Appetite Statement, MIS for risk reporting/risk control, key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, risk assessment highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan, review of solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and Fraud Monitoring. A consolidated report on various issues discussed by CERM & ALCO and action taken thereon are reported to RMC on quarterly basis.

Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of heads of departments of Central office, Chief Risk Officer (CRO) and Chief Information Security Officer (CISO) oversees all Information and cyber security related policies and procedures.

37. Details of number of claims intimated, disposed of and pending with details of duration for Individual Business for FY 2025-26:

Sr. No	Claims Experience	Death	Maturity	Survival Benefit	Annuities/Pension	Surrender	Other Benefits
1	No. of Claims O/s at the Beginning of the period	4,790 (275)	11,93,653 (8,49,531)	6,53,527 (1,16,293)	41,64,293 (34,33,687)	-	-
2	No. of Claims intimated/ booked during the period	8,46,502 (8,68,811)	1,43,48,639 (1,20,77,665)	1,02,32,233 (1,08,13,630)	2,87,13,646 (2,88,01,826)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
3	No. of Claims paid during the year	8,30,399 (8,48,145)	1,38,12,148 (1,14,06,706)	1,03,13,795 (1,02,76,396)	2,84,10,862 (2,80,71,220)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
4	No. of Claims repudiated during the period	8,974 (9,137)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

क्र. सं.	दावों का अनुभव	मृत्यु	परिपक्वता	उत्तरजीविता लाभ	वार्षिकी/पेंशन	अभ्यर्पण	अन्य लाभ
5	अवधि के दौरान खारिज दावों की संख्या	7,139 (6,827)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
6	दावा न की गई राशि	46 (187)	3,11,216 (3,26,837)	195 (0)	0 (0)	-	0 (0)
7	अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)
	लंबित दावों की अवधि का विवरण						
	3 महीने से कम	455 (335)	6,41,966 (4,09,779)	68,831 (47,380)	5,96,708 (6,38,681)	-	0 (0)
	3 महीने से 6 महीने तक	100 (184)	1,61,321 (1,40,921)	25,696 (40,017)	4,71,162 (4,96,039)	-	0 (0)
	6 महीने से 1 साल तक	50 (0)	1,72,859 (1,83,079)	19,948 (22,337)	7,24,826 (7,55,687)	-	0 (0)
	1 वर्ष और उससे अधिक	4,129 (4,271)	4,42,782 (4,59,874)	4,57,295 (5,43,793)	26,74,381 (22,73,886)	-	0 (0)
	कुल	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)

पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट () में दिखाए गए हैं।

38. पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतान:

संदर्भ नोट नं. 19: संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।

39. लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण

आईआरडीएआई द्वारा 22 मई 2024 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 4.1(म) के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का नाम	कार्य की प्रकृति	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
1	चोकशी एंड चोकशी एलएलपी	बीआरएसआर के लिए ऑडिट शुल्क	0.035	0.035
2	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	सहायक कंपनियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट	0.002	0.002
3	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	फेमा के तहत प्रमाणन	0.00	0.007
4	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट	0.00	0.01
5	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट	0.01	0.00
6	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	देश-वार रिपोर्टिंग	0.00	0.01
7	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	देश-वार रिपोर्टिंग	0.01	0.00
8	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	योगक्षेम पत्रिका हेतु प्रमाणपत्र	0.00	0.001
9	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	योगक्षेम पत्रिका हेतु प्रमाणपत्र	0.001	0.00
10	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	फेमा के तहत प्रमाणन	0.017	0.03
11	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	पीएफआरडीए को वार्षिक रिपोर्ट	0.00	0.0025
12	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	पीएफआरडीए को वार्षिक प्रमाण पत्र	.0005	0.00

Sr. No	Claims Experience	Death	Maturity	Survival Benefit	Annuities/ Pension	Surrender	Other Benefits
5	No.of Claims rejected during the period	7,139 (6,827)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
6	Unclaimed	46 (187)	3,11,216 (3,26,837)	195 (0)	0 (0)	-	0 (0)
7	No.of Claims O/s at the end of the period	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)
	Details of duration of outstanding claims						
	less then 3 months	455 (335)	6,41,966 (4,09,779)	68,831 (47,380)	5,96,708 (6,38,681)	-	0 (0)
	3 months to 6 months	100 (184)	1,61,321 (1,40,921)	25,696 (40,017)	4,71,162 (4,96,039)	-	0 (0)
	6 months to 1 year	50 (0)	1,72,859 (1,83,079)	19,948 (22,337)	7,24,826 (7,55,687)	-	0 (0)
	1 year and above	4,129 (4,271)	4,42,782 (4,59,874)	4,57,295 (5,43,793)	26,74,381 (22,73,886)	-	0 (0)
	Total	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)

Previous year figures are shown in bracket ().

38. Payments made to group entities from Policyholders Funds:

Refer Note no. 19: Related party disclosure.

39. Disclosure on additional works given to auditors:

Pursuant to clause 4.1(m) of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 22, 2024, the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees are detailed below:

(₹ in Crore)

Sr. No	Name of Auditor	Nature of Work	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
1	Chokshi & Chokshi LLP	Audit fees for BRSR	0.035	0.035
2	V Sankar Aiyar & Co.	Annual performance Report subsidiaries	0.002	0.002
3	Batliboi & Purohit	Certification under FEMA	0.00	0.007
4	Batliboi & Purohit	Transfer pricing Audit	0.00	0.01
5	V Sankar Aiyar & Co.	Transfer pricing Audit	0.01	0.00
6	Batliboi & Purohit	Country by country Reporting	0.00	0.01
7	V Sankar Aiyar & Co.	Country by country Reporting	0.01	0.00
8	Batliboi & Purohit	Certificate for Yogakshema Magazine	0.00	0.001
9	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate for Yogakshema Magazine	0.001	0.00
10	V Sankar Aiyar & Co.	Certification under FEMA	0.017	0.03
11	Batliboi & Purohit	Annual Report to PFRDA	0.00	0.0025
12	Batliboi & Purohit	Annual Certificate to PFRDA	0.0005	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का नाम	कार्य की प्रकृति	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
13	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	पीएफआरडीए को वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक प्रमाण पत्र	0.003	0.00
14	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	बीएपी मॉड्यूल में रिटर्न के लिए प्रमाण पत्र	0.00	0.01125
15	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	बीएपी मॉड्यूल में रिटर्न के लिए प्रमाण पत्र	0.01125	0.00
16	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	ऋणदाता उधारकर्ता समूह बीमा योजनाओं के तहत दावा प्रसंस्करण पर प्रमाण पत्र	0.00	0.0075
17	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	फॉर्म ए के तहत फिट और उचित घोषणा	0.00	0.001
18	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	फॉर्म ए के तहत फिट और उचित घोषणा	0.001	0.00
19	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	लाभप्रदता एवं नेट वर्थ प्रमाणपत्र	0.001	0.001
20	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	निधि शेष संबंधी प्रमाणपत्र	0.00	0.001
21	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	निधि शेष संबंधी प्रमाणपत्र	0.001	0.00
22	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	सीसीआईएल को एकल आदेश सीमा की समीक्षा के लिए वित्तीय सूचना डेटा का प्रमाण पत्र	0.001	0.001
23	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इंड एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरणों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी करने का शुल्क	0.05	0.00
24	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंड एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरणों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी करने का शुल्क	0.05	0.00
25	रे एंड रे	अपील संख्या एस टी/76795/2016 में सीइएसटीएटी निर्देश के अनुसार प्रमाणन कार्य	0.007	0.00

बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र के अनुसार

40. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल राशि	आयु अनुसार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीनों से अधिक
निपटाये गये परंतु किन्हीं कारणों से पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को अदा न किए गए दावे	71.26 (57.84)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.09)	0.00 (0.49)	0.02 (0.33)	70.65 (56.32)	0.59 (0.61)
परिष्कृता या अन्यथा पॉलिसीधारकों /लाभार्थियों को अदा न किए गए दावे	7,150.38 (6,982.81)	0.00 (0.22)	0.00 (233.78)	463.61 (462.22)	472.56 (448.05)	369.84 (371.12)	380.66 (423.87)	5,364.73 (4,963.39)	98.98 (80.16)

(₹ in Crore)

Sr. No	Name of Auditor	Nature of Work	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
13	V Sankar Aiyar & Co.	Annual Reports and Certificate to PFRDA	0.003	0.00
14	Batliboi & Purohit	Certificate for Returns in BAP Module	0.00	0.01125
15	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate for Returns in BAP Module	0.01125	0.00
16	Batliboi & Purohit	Certificate on claim processing under lender Borrower group Insurance Schemes	0.00	0.0075
17	Batliboi & Purohit	Fit & proper Declaration under Form A	0.00	0.001
18	V Sankar Aiyar & Co.	Fit & proper Declaration under Form A	0.001	0.00
19	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate of profitability & Net Worth	0.001	0.001
20	Batliboi & Purohit	Certificate towards Balance of Fund	0.00	0.001
21	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate towards Balance of Fund	0.001	0.00
22	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate of Financial Information Data for review of Single order limit to CCIL	0.001	0.001
23	V Sankar Aiyar & Co.	Fees for issuing Limited Review Report for Ind AS Proforma Financial Statements for FY 2023-24	0.05	0.00
24	V Sankar Aiyar & Co.	Fees for issuing Limited Review Report for Ind AS Proforma Financial Statements for FY 2024-25	0.05	0.00
25	M/S Ray & Ray	Certification Work as per CESTAT directive in Appeal no. ST/76795/2016	0.007	0.00

As per Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers
40. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders:

(₹ in Crore)

Particulars	Total Amount	AGE WISE ANALYSIS							
		0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Claims Settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons	71.26 (57.84)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.09)	0.00 (0.49)	0.02 (0.33)	70.65 (56.32)	0.59 (0.61)
Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise	7,150.38 (6,982.81)	0.00 (0.22)	0.00 (233.78)	463.61 (462.22)	472.56 (448.05)	369.84 (371.12)	380.66 (423.87)	5,364.73 (4,963.39)	98.98 (80.16)

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल राशि	आयु अनुसार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीनों से अधिक
प्रीमियम/कर या किन्हीं अन्य प्रभारों की कोई अधिक वसूली जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को वापसीयोग्य है परंतु अब तक वापस नहीं की गई है	7.52 (6.35)	0.01 (0.00)	4.33 (0.02)	0.12 (0.11)	0.14 (0.24)	0.08 (0.27)	0.22 (0.26)	2.35 (5.17)	0.27 (0.28)
जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों के द्वारा न भुनाये गए चेक	89.34 (118.38)	0.00 (0.01)	0.01 (0.10)	0.01 (0.12)	0.10 (0.45)	0.12 (0.59)	0.44 (0.56)	54.27 (91.74)	34.39 (24.81)
एनईएफटी/आरटीजीएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वितरण जो लौटाया गया (बाउन्स बैक हुआ) है	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

- नोट: 1. प्रति वर्ष 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अवधि के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
प्रारंभिक शेष	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि	1,086.74	0.00	842.35	0.00
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (चेक जब गतावधि हो, केवल तभी शामिल किये जाएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय	0.00	480.53	0.00	494.94
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि	805.59	208.88	9,399.22	2,320.40
घटा: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों को घटाकर)	230.59	169.09	226.09	141.18
दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष	5,564.55	1,753.95	5,513.99	1,651.39

(₹ in Crore)

Particulars	Total Amount	AGE WISE ANALYSIS							
		0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries but not refunded so far	7.52 (6.35)	0.01 (0.00)	4.33 (0.02)	0.12 (0.11)	0.14 (0.24)	0.08 (0.27)	0.22 (0.26)	2.35 (5.17)	0.27 (0.28)
Cheques issued but not encashed by the policyholder/ beneficiaries	89.34 (118.38)	0.00 (0.01)	0.01 (0.10)	0.01 (0.12)	0.10 (0.45)	0.12 (0.59)	0.44 (0.56)	54.27 (91.74)	34.39 (24.81)
Remittance through NEFT/RTGS or any other electronic mode bounced back	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

Note: 1. Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30th, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.

2. Previous year figures are shown in bracket ().

b) Details of Unclaimed Amount and Investment Income

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2026		For the year ended 31 st March, 2025	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Opening Balance	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03
Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	1,086.74	0.00	842.35	0.00
Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	0.00	0.00	0.00	0.00
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	0.00	480.53	0.00	494.94
Less: Amount of claims paid during the year	805.59	208.88	9,399.22	2,320.40
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	230.59	169.09	226.09	141.18
Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	5,564.55	1,753.95	5,513.99	1,651.39

41. 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राधिकरण	अनुपालन में विफलता / उल्लंघन	2025-2026		
			जुर्माना लगाया	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
2	जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का अनुचित दावा, ई-वे बिल जारी न करना और एजेंटों को प्रतिपूर्ति किए गए खर्चों पर सेवा कर हेतु जुर्माना	#0.02	0.02	0.00
3	आयकर प्राधिकरण		0.002	0.002	0.00
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
6	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर		0.00	0.00	0.00
8	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड		0.00	0.00	0.00
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		0.00	0.00	0.00
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
	कुल		0.022	0.022	0.00

#नोट: इसमें कर विवादों के तहत दिखाए गए दंड शामिल नहीं हैं जो वर्तमान में न्यायनिर्णयन के अधीन हैं या जहां निगम ने आदेश के खिलाफ निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील दायर करने का निर्णय लिया है।

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राधिकरण	अनुपालन में विफलता / उल्लंघन	2024-2025		
			जुर्माना लगाया	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
2	जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	नियम 42 के तहत सामान्य आईटीसी का गैर-रिवर्सल, आरसीएम के तहत आईटीसी का समय से पहले लाभ उठाना, आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का गलत लाभ, क्रॉस चार्ज, आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी का कम जमा किया जाना	232.86	0.01	0.00

41. Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2026

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	Non-Compliance/Violation	2025-2026		
			Penalty imposed	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority		0.00	0.00	0.00
2	GST/Service Tax Authorities	Wrong availment of ITC (Input Tax Credit), Non Issuance of E-way bill and Penalty on Service Tax for Expenses reimbursed to agents	# 0.02	0.02	0.00
3	Income Tax Authorities		0.002	0.002	0.00
4	Any other Tax Authorities		0.00	0.00	0.00
5	Enforcement Directorate/Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		0.00	0.00	0.00
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013		0.00	0.00	0.00
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		0.00	0.00	0.00
8	Securities and Exchange Board of India		0.00	0.00	0.00
9	Competition Commission of India		0.00	0.00	0.00
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority		0.00	0.00	0.00
Total			0.022	0.022	0.00

Note: Does not include penalties shown under tax litigations which are currently under adjudication or where the Corporation has decided to file appeal within the specified period against the order.

Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	Non-Compliance/Violation	2024-2025		
			Penalty imposed	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority		0.00	0.00	0.00
2	GST/Service Tax Authorities	Non-reversal of Common ITC under Rule 42, Pre-Mature availment of ITC under RCM, wrong availment of ITC (Input Tax Credit), Cross Charge, short payment of GST on outwards Supplies etc.	232.86	0.01	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राधिकरण	अनुपालन में विफलता / उल्लंघन	2024-2025		
			जुर्माना लगाया	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
3	आयकर प्राधिकरण		0.01	0.01	0.00
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण		0.01	0.01	0.00
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
6	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर		0.00	0.00	0.00
8	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड		0.00	0.00	0.00
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		0.00	0.00	0.00
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
	कुल		232.88	0.03	0.00

42. आउटसोर्सिंग व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
1. हाउसकीपिंग / गेस्ट हाउस रखरखाव	152.64	161.73
2. खानपान	5.37	5.57
3. बागवानी	1.91	1.66
4. एएमसी	0.00	0.39
5. सुरक्षा	261.73	222.27
6. सलाहकार	1.67	2.58
7. स्वास्थ्य / टीपीए	0.00	0.35
8. कार्यालय रखरखाव	46.96	28.24
9. एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम	64.91	73.99
10. सुविधा प्रबंधन	311.64	270.28
11. बीमांकिक सेवाएँ	0.51	0.51
12. आंतरिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.10	0.10
13. वैधानिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.13	0.12
14. अन्य विविध व्यय	19.50	12.04
कुल आउटसोर्सिंग व्यय	867.07	779.83

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	Non-Compliance/Violation	2024-2025		
			Penalty imposed	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced
3	Income Tax Authorities		0.01	0.01	0.00
4	Any other Tax Authorities		0.01	0.01	0.00
5	Enforcement Directorate/Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		0.00	0.00	0.00
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013		0.00	0.00	0.00
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		0.00	0.00	0.00
8	Securities and Exchange Board of India		0.00	0.00	0.00
9	Competition Commission of India		0.00	0.00	0.00
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority		0.00	0.00	0.00
Total			232.88	0.03	0.00

42. Outsourcing Expenses:

(₹ in Crore)

Particular	For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
1. Housekeeping / Guest House Maintenance	152.64	161.73
2. Catering	5.37	5.57
3. Gardening	1.91	1.66
4. AMC	0.00	0.39
5. Security	261.73	222.27
6. Consultants	1.67	2.58
7. Health / TPA	0.00	0.35
8. Office Upkeep	46.96	28.24
9. Enterprise Document Management System	64.91	73.99
10. Facility Management	311.64	270.28
11. Actuarial Services	0.51	0.51
12. Internal Audit Services	0.10	0.10
13. Statutory Audit Services	0.13	0.12
14. Other Miscellaneous Expense	19.50	12.04
Total Outsourcing Expenses	867.07	779.83

43. 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी/कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2026 तक बकाया
रेपो (REPO) के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	527.40 (2,108.18)	35,747.91 (35,163.08)	8,639.21 (12,845.45)	9,380.44 (18,639.94)
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

44. बंद पॉलिसियाँ – संबद्ध व्यवसाय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष	804.79	407.87
जोड़ें: वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड	2,192.49	1,015.96
घटायें: वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि	1,496.53	670.99
जोड़ें: निधि के निवेश पर शुद्ध आय/लाभ	29.92	57.24
घटायें: निधि प्रबंधन शुल्क	6.12	3.38
घटायें: वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि	1.38	1.91
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष	1,523.17	804.79

अन्य प्रकटीकरण:

विवरण	न्यू एंडोमेंट प्लस (835)	न्यू एंडोमेंट प्लस (935)	एसआई आईपी (852)	निवेश प्लस (849)	न्यू पेन्शन प्लस (867)	इन्डेक्स प्लस (873)	न्यू एंडोमेंट प्लस (735)	निवेश प्लस (749)	एसआई आईपी (752)	प्रोटेक्शन प्लस (886)
वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या	1 (350)	11,936 (16,648)	53,364 (73,974)	251 (70)	50,444 (34,528)	6,90,379 (2,08,560)	384 (30)	19 (2)	13,061 (496)	3,097 (0)
वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत	0.00 (1.10)	37.49 (44.82)	31.76 (39.87)	0.03 (0.01)	42.11 (17.92)	57.05 (42.58)	51.68 (9.23)	0.00 (0.00)	40.48 (4.86)	11.33 (0.00)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या	0 (0)	5,026 (7,382)	28,145 (42,963)	0 (0)	25,266 (18,241)	3,38,408 (98,428)	190 (0)	0 (0)	7,402 (78)	563 (0)

43. Repo/ Reverse Repo transactions in Government/Corporate Debt securities for the year ended 31.03.2026 :

(₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31 st 2026
Securities sold under REPO				
1. Government Securities	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. Corporate Debt Securities				
Securities Purchased under reversed Repo	527.40	35,747.91	8,639.21	9,380.44
1. Government Securities	(2,108.18)	(35,163.08)	(12,845.45)	(18,639.94)
2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

* Previous year figures are shown in bracket ().

44. Discontinued policies – Linked Business:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended / as at 31.03.2026	For the year ended / as at 31.03.2025
Opening Balance of Fund for Discontinued Policies	804.79	407.87
Add: Fund of policies discontinued during the Year	2,192.49	1,015.96
Less: Fund of policies revived/Paid during the Year	1,496.53	670.99
Add: Net Income/Gains on Investment of the Fund	29.92	57.24
Less: Fund Management Charges levied	6.12	3.38
Less: Amount refunded to Policy Holders during the Year	1.38	1.91
Closing Balance of Fund for Discontinued Policies	1,523.17	804.79

Other Disclosures:

Particulars	New Endowment Plus (835)	New Endowment Plus (935)	SIIP (852)	Nivesh Plus (849)	New Pension Plus (867)	Index Plus (873)	New Endowment Plus (735)	Nivesh Plus (749)	SIIP (752)	Protection Plus (886)
Number of policies discontinued during the Year	1 (350)	11,936 (16,648)	53,364 (73,974)	251 (70)	50,444 (34,528)	6,90,379 (2,08,560)	384 (30)	19 (2)	13,061 (496)	3,097 (0)
Percentage of discontinued to total policies during the Year	0.00 (1.10)	37.49 (44.82)	31.76 (39.87)	0.03 (0.01)	42.11 (17.92)	57.05 (42.58)	51.68 (9.23)	0.00 (0.00)	40.48 (4.86)	11.33 (0.00)
Number of policies revived during the Year	0 (0)	5,026 (7,382)	28,145 (42,963)	0 (0)	25,266 (18,241)	3,38,408 (98,428)	190 (0)	0 (0)	7,402 (78)	563 (0)

विवरण	न्यू एंडोमेंट प्लस (835)	न्यू एंडोमेंट प्लस (935)	एसआई आईपी (852)	निवेश प्लस (849)	न्यू पेन्शन प्लस (867)	इन्डेक्स प्लस (873)	न्यू एंडोमेंट प्लस (735)	निवेश प्लस (749)	एसआई आईपी (752)	प्रोटेक्शन प्लस (886)
वर्ष के दौरान										
पुनर्जीवित	0.00	42.11	52.74	0.00	50.09	49.02	49.48	0.00	56.67	18.18
पॉलिसियों का प्रतिशत	(0.00)	(44.34)	(58.08)	(0.00)	(52.83)	(47.19)	(0.00)	(0.00)	(15.73)	(0.00)
बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	0.00 (0.0012)	1.63 (3.00)	9.10 (15.00)	0.0122 (0.0063)	9.08 (6.72)	109.59 (25.22)	0.0725 (0.0017)	0.0053 (0.0008)	2.23 (0.0255)	0.23 (0.00)
पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार (₹ करोड़ में)	0.00 (0.00)	0.81 (1.43)	5.54 (8.92)	0.00 (0.00)	4.77 (3.84)	60.67 (13.72)	0.0362 (0.00)	0.00 (0.00)	1.29 (0.0038)	0.0396 (0.00)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

45. पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरण:

पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्समूहित से	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित/ पुनर्निर्धारित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि	अंतर	कारण
1.	अनुसूची संख्या 13	अनुसूची संख्या 13				
	विविध लेनदारों	वैधानिक प्राधिकरणों के लिए देय राशि	176.79	176.79	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
2.	अनुसूची संख्या 12	अनुसूची संख्या 12				
	अन्य अग्रिम	अन्य को अग्रिम	1,105.23	1,105.23	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
3.	अनुसूची संख्या 12	अनुसूची संख्या 12				
	अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)	(vi) आयकर मामले (b) वापसी से समायोजित मांग (प्रावधान के निवल) (c) पूर्व जमा भुगतान	6,971.77	5,751.69 1,220.08	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
4.	अनुसूची 11	अनुसूची 11				
	त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग सिस्टम (ट्रेप्स)	रिवर्स रेपो	8.97	8.97	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए

Particulars	New Endowment Plus (835)	New Endowment Plus (935)	SIIP (852)	Nivesh Plus (849)	New Pension Plus (867)	Index Plus (873)	New Endowment Plus (735)	Nivesh Plus (749)	SIIP (752)	Protection Plus (886)
Percentage of policies revived during the Year	0.00 (0.00)	42.11 (44.34)	52.74 (58.08)	0.00 (0.00)	50.09 (52.83)	49.02 (47.19)	49.48 (0.00)	0.00 (0.00)	56.67 (15.73)	18.18 (0.00)
Charges imposed on account of discontinued policies (₹ in Crore)	0.00 (0.0012)	1.63 (3.00)	9.10 (15.00)	0.0122 (0.0063)	9.08 (6.72)	109.59 (25.22)	0.0725 (0.0017)	0.0053 (0.0008)	2.23 (0.0255)	0.23 (0.00)
Charges readjusted on account of revival of policies (₹ in Crore)	0.00 (0.00)	0.81 (1.43)	5.54 (8.92)	0.00 (0.00)	4.77 (3.84)	60.67 (13.72)	0.0362 (0.00)	0.00 (0.00)	1.29 (0.0038)	0.0396 (0.00)

* Previous year figures are shown in bracket ().

45. Regrouping or reclassification:

The details for regrouping are as follows:-

(₹ in Crore)

Sr. No.	Regrouped from	Regrouped to	Regrouped / Restated Amount	Amount as per financials of previous year	Difference	Reason
1.	Schedule No. 13	Schedule No. 13				
	Sundry Creditors	Amount due to Statutory Authorities	176.79	176.79	0.00	For appropriate presentation
2.	Schedule No. 12	Schedule No. 12				
	Other Advances	Advances to others	1,105.23	1,105.23	0.00	For appropriate presentation
3.	Schedule 12	Schedule 12				
	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	(vi) Income Tax Matters (b) Demand adjusted from refund (Net of Provision) (c) Pre-deposits paid	6,971.77	5,751.69 1,220.08	0.00	For appropriate presentation
4.	Schedule 11	Schedule 11				
	Tri Party Repo Dealing System (TREPS)	Reverse Repo	8.97	8.97	0.00	For appropriate presentation

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्समूहित से	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित/ पुनर्निर्धारित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि	अंतर	कारण
5.	अनुसूची 11	अनुसूची 11				
	मार्ग प्रोपेस्ट धन	चालू खाता	795.28	795.28	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
6.	अनुसूची 10	अनुसूची 10				
	सूचना प्रौद्योगिकी	अमूर्त	260.46	260.46	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
7.	लाभ और हानि खाता	लाभ और हानि खाता				
	पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान	बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च	1,825.70	1,825.70	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
	(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए					

46. IRDAI द्वारा निर्धारित अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
1	नव व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (खण्ड वार)		
	(i) संबंध व्यवसाय:		
	क) जीवन	34.06%	198.65%
	ख) पेंशन	9.81%	69.87%
	ग) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबंध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	-8.97%	-12.91%
	ख) वार्षिकी	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ग) पेंशन	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी युक्त:		
	क) जीवन	50.95%	0.22%
	ख) वार्षिकी	-0.79%	7.65%
	ग) पेंशन	-0.29%	-0.73%
	घ) स्वास्थ्य	-98.58%	-68.27%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
2	एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	50.00%	48.21%
3	कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से संबंध नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	24.22%	19.88%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	99.86%	99.86%

(₹ in Crore)

Sr. No.	Regrouped from	Regrouped to	Regrouped / Restated Amount	Amount as per financials of previous year	Difference	Reason
5.	Schedule 11	Schedule 11				
	Remittance in transit	Current Accounts	795.28	795.28	0.00	For appropriate presentation
6.	Schedule 10	Schedule 10				
	Information technology	Intangibles	260.46	260.46	0.00	For appropriate presentation
7.	Profit & Loss A/c	Profit & Loss A/c				
	Contribution to Policyholders A/c	Expense other than those related to the insurance business	1,825.70	1,825.70	0.00	For appropriate presentation
	(a) Towards Excess Expenses of Management					

46. Ratios as prescribed by IRDAI

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
1	New Business Premium Growth Rate (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
a)	Life	34.06%	198.65%
b)	Pension	9.81%	69.87%
c)	Health	NA	NA
d)	Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
a)	Life	-8.97%	-12.91%
b)	Annuity	NA	NA
c)	Pension	NA	NA
d)	Health	NA	NA
e)	Variable Insurance	NA	NA
	Non Participating:		
a)	Life	50.95%	0.22%
b)	Annuity	-0.79%	7.65%
c)	Pension	-0.29%	-0.73%
d)	Health	-98.58%	-68.27%
e)	Variable Insurance	NA	NA
2	Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	50.00%	48.21%
3	Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	24.22%	19.88%
4	Net Retention Ratio	99.86%	99.86%

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
5	संरक्षण अनुपात (खंड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	108.93%	108.64%
	ख) पेंशन	92.33%	101.72%
	ग) स्वास्थ्य	87.24%	88.65%
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	93.55%	91.84%
	ख) वार्षिकी	89.61%	86.05%
	ग) पेंशन	88.56%	87.79%
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	65.07%	66.10%
	ख) वार्षिकी	95.58%	83.89%
	ग) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह)	63.08%	28.34%
	घ) स्वास्थ्य	90.82%	83.86%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	43.80%	92.74%
	(iii) सीआरएसी	93.42%	90.06%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय	11.91%	12.42%
7	कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार से)	4.55%	5.18%
8	व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय का नव व्यापार प्रीमियम से	0.02%	0.02%
9	ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क / प्रभार का नव व्यवसाय प्रिमियम से अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
10	पॉलिसीधारकों की निधि का शेयरधारकों की निधि से अनुपात	32.45	43.18
11	नेट वर्थ में परिवर्तन (राशि ₹ करोड़ में)	49,168.64	44,249.58
12	नेट वर्थ में वृद्धि	38.96%	54.00%
13	अधिशेष का पॉलिसीधारक निधी से अनुपात	0.0096	0.0088
14	कर पश्चात लाभ/कुल आय	5.80%	5.43%
15	(कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति)	0.03	0.03
16	कुल निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)	31.46	41.82
17	कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)	0.24	0.36
18	निवेश प्रतिफल-(सकल और निवल)-फंड वार और प्राप्त/अप्राप्त लाभ के साथ		
	(अ) अप्राप्त लाभ के बिना		
	पॉलिसीधारकों की निधियाँ: असंबद्ध सहभागी	8.37%	8.15%
	असंबद्ध गैर सहभागी	10.01%	9.65%
	संबद्ध	8.57%	9.17%
	कुल	8.92%	8.65%
	अंशधारको की निधियाँ	6.61%	6.93%

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
5	Conservation Ratio (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
a)	Life (Individual and Group)	108.93%	108.64%
b)	Pension	92.33%	101.72%
c)	Health	87.24%	88.65%
d)	Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
a)	Life	93.55%	91.84%
b)	Annuity	89.61%	86.05%
c)	Pension	88.56%	87.79%
d)	Health	NA	NA
e)	Variable Insurance	NA	NA
	Non Participating:		
a)	Life (Individual and Group)	65.07%	66.10%
b)	Annuity	95.58%	83.89%
c)	Pension (Individual and Group)	63.08%	28.34%
d)	Health	90.82%	83.86%
e)	Variable Insurance	43.80%	92.74%
	(iii) CRAC	93.42%	90.06%
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	11.91%	12.42%
7	Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium)	4.55%	5.18%
8	Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium	0.02%	0.02%
9	Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium	NA	NA
10	Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds	32.45	43.18
11	Change in net worth (Amount in ₹ Crore)	49,168.64	44,249.58
12	Growth in Networth	38.96%	54.00%
13	Ratio of Surplus to Policyholders' Fund	0.0096	0.0088
14	Profit after tax / Total Income	5.80%	5.43%
15	(Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets)	0.03	0.03
16	Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus)	31.46	41.82
17	Total Affiliated Investments/(Capital + Reserves and Surplus)	0.24	0.36
18	Investment Yield - (Gross and Net) -Fund wise and With/ Without realized gain		
	(A) Without unrealized gain		
	Policyholder's Fund: Non-Linked Par	8.37%	8.15%
	Non-Linked Non Par	10.01%	9.65%
	Linked	8.57%	9.17%
	Total	8.92%	8.65%
	Shareholder's Fund	6.61%	6.93%

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	(ब) अप्राप्त लाभ के साथ		
	पॉलिसीधारक की निधियाँ: असंबद्ध सहभागी	6.59%	7.51%
	असंबद्ध गैर सहभागी	4.52%	7.88%
	संबद्ध	-0.71%	8.81%
	कुल	5.82%	7.64%
	अंशधारको की निधियाँ	6.10%	6.81%
19	पर्सिस्टेंसी अनुपात – प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए	74.64%	74.84%
	25वें महीने के लिए	68.98%	70.99%
	37वें महीने के लिए	66.94%	66.11%
	49वें महीने के लिए	63.03%	61.51%
	61वें महीने के लिए	59.31%	63.12%
	पर्सिस्टेंसी अनुपात – प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.42%	99.43%
	25वें महीने के लिए	98.66%	98.70%
	37वें महीने के लिए	97.53%	97.24%
	49वें महीने के लिए	95.79%	96.26%
	61वें महीने के लिए	94.37%	94.95%
	पर्सिस्टेंसी अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए	64.87%	64.12%
	25वें महीने के लिए	57.65%	59.32%
	37वें महीने के लिए	55.29%	52.66%
	49वें महीने के लिए	49.78%	48.79%
	61वें महीने के लिए	46.88%	50.31%
	पर्सिस्टेंसी अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.61%	99.47%
	25वें महीने के लिए	98.75%	98.75%
	37वें महीने के लिए	97.54%	97.29%
	49वें महीने के लिए	95.92%	95.66%
	61वें महीने के लिए	93.62%	94.47%
20	एनपीए अनुपात		
	पॉलिसीधारकों की निधि		
	असंबद्ध सहभागी सकल एनपीए अनुपात	1.46%	1.76%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	असंबद्ध गैर सहभागी सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
	(B) With unrealized gain		
	Policyholder's Fund: Non-Linked Par	6.59%	7.51%
	Non-Linked Non Par	4.52%	7.88%
	Linked	-0.71%	8.81%
	Total	5.82%	7.64%
	Shareholder's Fund	6.10%	6.81%
19	Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/ Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	74.64%	74.84%
	For 25 th month	68.98%	70.99%
	For 37 th month	66.94%	66.11%
	For 49 th Month	63.03%	61.51%
	For 61 st month	59.31%	63.12%
	Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/ Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.42%	99.43%
	For 25 th month	98.66%	98.70%
	For 37 th month	97.53%	97.24%
	For 49 th Month	95.79%	96.26%
	For 61 st month	94.37%	94.95%
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	64.87%	64.12%
	For 25 th month	57.65%	59.32%
	For 37 th month	55.29%	52.66%
	For 49 th Month	49.78%	48.79%
	For 61 st month	46.88%	50.31%
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.61%	99.47%
	For 25 th month	98.75%	98.75%
	For 37 th month	97.54%	97.29%
	For 49 th Month	95.92%	95.66%
	For 61 st month	93.62%	94.47%
20	NPA Ratio		
	Policyholders' Funds		
	Non linked Par Gross NPA Ratio	1.46%	1.76%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Non linked Non Par Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	संबद्ध सकल एनपीए अनुपात	7.61%	30.17%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	कुल सकल एनपीए अनुपात	1.21%	1.46%
	कुल शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	अंशधारकों की निधि		
	सकल एनपीए अनुपात	0.00%	1.38%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
21	सॉल्वेंसी अनुपात (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)	2.35	2.11
22	ऋण इक्विटी अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
23	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
24	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
25	औसत टिकट आकार ₹ – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)	19,442.08	19,310.94
	जीवन बीमाकर्ताओं के लिए इक्विटी होल्डिंग पैटर्न और आय संबंधी जानकारी:		
1.	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	632.50	632.50
2.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	भारतीय	99.64%	99.85%
	विदेशी	0.36%	0.15%
3.	सरकारी हिस्सेदारी का प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	96.50%	96.50%
4.	मूल ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
5.	डायल्यूटेड ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
6.	मूल ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
7.	डायल्यूटेड ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
8.	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	277.24	199.51

47. नियंत्रित निधि को दर्शाने वाला विवरण

तुलन-पत्र के अनुसार नियंत्रित फंड की गणना (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

	2025-26	2024-25
पॉलिसीधारक निधि (जीवन निधि)		
सहभागी		
व्यक्तिगत बीमा	33,42,506.83	31,31,962.79

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
	CRAC Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Linked Gross NPA Ratio	7.61%	30.17%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Total Gross NPA Ratio	1.21%	1.46%
	Total Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Shareholders' Funds		
	Gross NPA Ratio	0.00%	1.38%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
21	Solvency Ratio (Within India business)	2.35	2.11
22	Debt Equity Ratio	NA	NA
23	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA
24	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA
25	Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)	19,442.08	19,310.94
	Equity Holding Pattern for Life Insurers and information on earnings:		
1.	No. of shares (in crores)	632.50	632.50
2.	Percentage of shareholding		
	Indian	99.64%	99.85%
	Foreign	0.36%	0.15%
3.	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)	96.50%	96.50%
4.	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
5.	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
6.	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
7.	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
8.	Book value per share (₹)	277.24	199.51

“NA” : Not Applicable

47. Statement showing the Controlled Fund

Computation of Controlled fund as per the Balance Sheet (In respect of Business In India)

(₹ in crores)

	2025-26	2024-25
Policyholders' Fund (Life Fund)		
Participating		
Individual Assurance	33,42,506.83	31,31,962.79

(₹ करोड़ में)

	2025-26	2024-25
वार्षिकी व्यवसाय	4,738.66	4,817.85
पेंशन व्यवसाय	41,329.60	41,058.11
समूह बीमा	0.00	0.00
गैर-सहभागी		
व्यक्तिगत बीमा (जीवन सहित, वीआईपी, संबद्ध- गैर यूनिट फंड)	2,33,936.51	2,00,082.44
वार्षिकी व्यवसाय	1,83,498.14	1,67,917.79
समूह बीमा	12,89,195.86	11,84,801.33
स्वास्थ्य व्यवसाय	493.61	516.73
संबद्ध		
व्यक्तिगत बीमा	49,580.49	36,502.05
समूह बीमा	0.00	0.00
व्यक्तिगत पेंशन	8,840.10	8,929.36
समूह सेवानिवृत्ति	0.00	0.00
समूह ग्रेच्युटी	91.51	97.93
स्वास्थ्य व्यवसाय	1,801.00	1,931.25
बंद निधि (इकाई)	1,498.80	778.89
पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित (सीआरएसी)	92.03	131.73
भविष्य के विनियोगों के लिए निधि	3,215.06	1,828.41
जमा/(नामे) उचित मूल्य परिवर्तन खाता एवं बीमाआरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित सहित)	5,23,654.00	6,62,490.56
कुल (क)	56,84,472.20	54,43,847.22
शेयरधारकों का कोष		
प्रदत्त पूंजी	6,325.00	6,325.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	1,69,936.62	1,20,043.70
उचित मूल्य परिवर्तन	(896.75)	(235.43)
कुल (ख)	1,75,364.87	1,26,133.27
विविध खर्चे जो बट्टे खाते में नहीं डाले गए	0.00	0.00
लाभ हानि खाते से क्रेडिट / (डेबिट)	0.00	0.00
कुल (ग)	0.00	0.00
कुल शेयरधारकों की निधि (ख + ग)	1,75,364.87	1,26,133.27
उधारी (घ)	0.00	0.00
नियंत्रित निधि कुल (क+ख+ग+घ)	58,59,837.07	55,69,980.49

(₹ in crores)

	2025-26	2024-25
Annuity Business	4,738.66	4,817.85
Pension Business	41,329.60	41,058.11
Group Assurance	0.00	0.00
Non-Participating		
Individual Assurance (Includes Life, VIP, Linked- Non Unit Fund)	2,33,936.51	2,00,082.44
Annuity Business	1,83,498.14	1,67,917.79
Group Assurance	12,89,195.86	11,84,801.33
Health Business	493.61	516.73
Linked		
Individual Assurance	49,580.49	36,502.05
Group Assurance	0.00	0.00
Individual Pension	8,840.10	8,929.36
Group Superannuation	0.00	0.00
Group Gratuity	91.51	97.93
Health Business	1,801.00	1,931.25
Discontinued Fund (Unit)	1,498.80	778.89
Capital Redemption & Annuity Certain (CRAC)	92.03	131.73
Funds for Future Appropriations	3,215.06	1,828.41
Credit / (Debit) Fair Value Change Account & Insurance reserves (incl. revaluation reserve)	5,23,654.00	6,62,490.56
Total (A)	56,84,472.20	54,43,847.22
Shareholders' Fund		
Paid up Capital	6,325.00	6,325.00
Reserves & Surpluses	1,69,936.62	1,20,043.70
Fair Value Change	(896.75)	(235.43)
Total (B)	1,75,364.87	1,26,133.27
Misc. expenses not written off	0.00	0.00
Credit / (Debit) from P&L A/c.	0.00	0.00
Total (C)	0.00	0.00
Total shareholders' funds (B+C)	1,75,364.87	1,26,133.27
Borrowings (D)	0.00	0.00
Controlled Fund [Total (A+B+C+D)]	58,59,837.07	55,69,980.49

राजस्व और लाभ और हानि खाते से नियंत्रित निधि का समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
नियंत्रित निधि का प्रारंभिक शेष	55,69,980.49	52,17,147.61
जोड़ें: अंतर्वाह		
आय		
प्रीमियम आय	5,36,297.08	4,88,450.77
घटाये: पुनर्बीमा सौंप दिया गया	762.87	699.23
शुद्ध प्रीमियम	5,35,534.21	4,87,751.54
निवेश आय	4,31,470.05	3,92,387.67
अन्य आय	2,790.88	662.03
शेयरधारकों के खातों से धन हस्तांतरित	6,626.85	4,872.82
कुल आय	9,76,421.99	8,85,674.06
घटाये: निर्गम		
(i) भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)	4,87,335.02	4,12,892.10
(ii) भुगतान किया गया अंतरिम बोनस	8,354.49	3,074.04
(iii) दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन	3,63,151.77	3,53,168.77
(iv) कमीशन	24,413.30	25,285.12
(v) परिचालन व्यय	39,457.52	35,360.06
(vi) कराधान के लिए प्रावधान	(4,191.49)	7,755.67
(vii) अन्य***	(1,490.95)	(1,949.66)
कुल व्यय	9,17,029.66	8,35,586.10
पॉलिसीधारकों के कोष का अधिशेष	59,392.33	50,087.96
घटाये: शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरित	58,024.10	49,499.31
पॉलिसीधारकों के खाते में शुद्ध प्रवाह	1,368.23	588.65
जोड़ें: शेयरधारकों के कोष में शुद्ध आय/(व्यय)	6,120.88	5,356.12
जोड़ें/घटाएँ: पॉलिसीधारकों के खाते से/(में) स्थानांतरित राशि	51,397.25	42,735.87
शुद्ध प्रवाह / बहिर्वाह	58,886.36	48,680.64
घटाये: लाभांश	7,590.00	3,795.00
घटाये: कराधान के लिए प्रावधान	35.23	0.00
जोड़ें: देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन**	3,78,093.33	3,53,168.53
जोड़ें: प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: उधार में वृद्धि/कमी	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: रिजर्व और अधिशेष में वृद्धि/कमी (पी एंड एल मूवमेंट के अलावा)	0.00	0.00
जोड़ें: जमा/(नामे) उचित मूल्य परिवर्तन खाता एवं बीमाआरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित सहित)	(1,39,497.88)	(45,221.29)
नियंत्रित निधि का अंतिम शेष	58,59,837.07	55,69,980.49
तुलन पत्र के अनुसार	58,59,837.07	55,69,980.49
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00

**देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन में संबद्ध देयताओं के प्रावधान में शोधन क्षमता मार्जिन के लिए आरक्षित राशि शामिल है, जिसे पिछले वर्ष अनुसूची 14 के तहत दिखाया गया था।

***अन्य में प्रावधान (कराधान के अलावा), संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, डूबत ऋणों का अपलेखन और यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर शामिल है।

Reconciliation of the Controlled Fund from Revenue and Profit & Loss Account (In respect of Business In India)

(₹ in crores)

	2025-26	2024-25
Opening Balance of Controlled Fund	55,69,980.49	52,17,147.61
Add: Inflow		
Income		
Premium Income	5,36,297.08	4,88,450.77
Less: Reinsurance ceded	762.87	699.23
Net Premium	5,35,534.21	4,87,751.54
Investment Income	4,31,470.05	3,92,387.67
Other Income	2,790.88	662.03
Funds transferred from Shareholders' Accounts	6,626.85	4,872.82
Total Income	9,76,421.99	8,85,674.06
Less: Outgo		
(i) Benefits paid (Net)	4,87,335.02	4,12,892.10
(ii) Interim Bonus Paid	8,354.49	3,074.04
(iii) Change in Valuation of Liability	3,63,151.77	3,53,168.77
(iv) Commission	24,413.30	25,285.12
(v) Operating Expenses	39,457.52	35,360.06
(vi) Provision for Taxation	(4,191.49)	7,755.67
(vii) Others***	(1,490.95)	(1,949.66)
Total Outgo	9,17,029.66	8,35,586.10
Surplus of the Policyholders' Fund	59,392.33	50,087.96
Less: transferred to Shareholders' Account	58,024.10	49,499.31
Net Flow in Policyholders' account	1,368.23	588.65
Add: Net income/(expense) in Shareholders' Fund	6,120.88	5,356.12
Add/Less: Amount transferred from/(to) Policyholders' account	51,397.25	42,735.87
Net In Flow / Outflow	58,886.36	48,680.64
Less : Dividend	7,590.00	3,795.00
Less: Provision for Taxation	35.23	0.00
Add: Change in Valuation Liabilities**	3,78,093.33	3,53,168.53
Add: Increase in Paid up Capital	0.00	0.00
Add/Less: Increase/Decrease in Borrowings	0.00	0.00
Add/Less: Increase/Decrease in Reserves & Surplus(Other than P & L Movement)	0.00	0.00
Add: Credit/(Debit) Fair Value Change Account & Insurance reserves (incl revaluation reserve)	(1,39,497.88)	(45,221.29)
Closing Balance of Controlled Fund	58,59,837.07	55,69,980.49
As Per Balance Sheet	58,59,837.07	55,69,980.49
Difference, if any	0.00	0.00

**Change in valuation of liabilities include the amount of provision for reserve for Solvency Margin which was shown in previous year under Schedule 14.

***Others include Provision (other than taxation), Provision for Doubtful Debts , Bad Debt written off and Goods & service tax on ULIP charges

शेयरधारकों और पॉलिसीधारक निधि के साथ समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

	2025-26	2024-25
पॉलिसीधारकों की निधि		
पॉलिसीधारकों के फंड - पारंपरिक-सहभागी और गैर-सहभागी		
पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि	53,95,526.79	50,99,979.33
जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष	55,477.98	47,636.75
जोड़ें/घटाएँ: शेयरधारकों के खाते से/(में) स्थानांतरित की गई राशि	54,109.75	47,048.10
जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन**	3,64,503.99	3,40,086.48
कुल	57,61,399.01	54,40,654.46
जोड़ें/घटाएँ: जमा/(नामे) उचित मूल्य परिवर्तन खाता एवं बीमाआरक्षित निधी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित सहित)	(1,38,836.56)	(45,127.67)
कुल	56,22,562.45	53,95,526.79
तुलन-पत्र के अनुसार	56,22,562.45	53,95,526.79
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के फंड - संबद्ध		
पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि	48,320.43	35,238.38
जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष	(302.47)	195.79
जोड़ें/घटाएँ: शेयरधारकों के खाते से/(में) स्थानांतरित की गई राशि	(302.47)	195.79
जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन	13,589.32	13,082.05
कुल	61,909.75	48,320.43
तुलन-पत्र के अनुसार	61,909.75	48,320.43
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
उधारी		
उधार का प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: उधार में वृद्धि/कमी	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00
तुलन-पत्र के अनुसार	0.00	0.00
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
अंशधारकों की निधि		
अंशधारकों की निधि का प्रारंभिक शेष	1,26,133.27	81,929.90
जोड़ें: अंशधारकों के कोष में आय/(व्यय) (पी एंड एल)	6,120.88	5,356.12
जोड़ें: पूंजी का निवेश	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: रिजर्व और अधिशेष में वृद्धि/कमी (पी एंड एल मूवमेंट के अलावा)	0.00	0.00
जोड़ें/घटाएँ: पॉलिसीधारकों के खाते से/(में) स्थानांतरित की गई राशि	51,397.25	42,735.87
घटायें: लाभांश	7,590.00	3,795.00
घटायें: कर के लिए प्रावधान	35.23	-
जोड़ें: जमा/(नामे) उचित मूल्य परिवर्तन खाता एवं बीमाआरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित सहित)	(661.32)	(93.62)
अंशधारकों की निधि का अंतिम शेष	1,75,364.85	1,26,133.27
तुलन-पत्र के अनुसार	1,75,364.85	1,26,133.27
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00

Reconciliation with Shareholders' and Policyholders' Fund (In respect of Business in India)

(₹ in crores)

	2025-26	2024-25
Policyholders' Funds		
<i>Policyholders' Funds - Traditional-PAR and NON-PAR</i>		
Opening Balance of the Policyholders' Fund	53,95,526.79	50,99,979.33
Add: Surplus of the Revenue Account	55,477.98	47,636.75
Add/Less: Amount transferred from/(to) Shareholders' account	54,109.75	47,048.10
Add: Change in Valuation Liabilities**	3,64,503.99	3,40,086.48
Total	57,61,399.01	54,40,654.46
Add: Credit/(Debit) Fair Value Change Account & Insurance reserves (incl. revaluation reserve)	(1,38,836.56)	(45,127.67)
Total	56,22,562.45	53,95,526.79
As per Balance Sheet	56,22,562.45	53,95,526.79
Difference, if any	0.00	0.00
Policyholders' Funds - Linked		
Opening Balance of the Policyholders' Fund	48,320.43	35,238.38
Add: Surplus of the Revenue Account	(302.47)	195.79
Add/Less: Amount transferred from/(to) Shareholders' account	(302.47)	195.79
Add: Change in valuation Liabilities	13,589.32	13,082.05
Total	61,909.75	48,320.43
As per Balance Sheet	61,909.75	48,320.43
Difference, if any	0.00	0.00
Borrowings		
Opening Balance of Borrowings	0.00	0.00
Add/Less: Increase / Decrease in Borrowings	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
As per Balance Sheet	0.00	0.00
Difference, if any	0.00	0.00
Shareholders' Funds		
Opening Balance of Shareholders' Fund	1,26,133.27	81,929.90
Add: Net income/(expense) in Shareholders' Account (P & L)	6,120.88	5,356.12
Add: Infusion of Capital	0.00	0.00
Add/Less: Increase/Decrease in Reserves & Surplus(Other than P & L Movement)	0.00	0.00
Add/Less: Amount transferred from/(to) Policyholders' account	51,397.25	42,735.87
Less: Dividend	7,590.00	3,795.00
Less: Provision for Taxation	35.23	-
Add: Credit/(Debit) Fair Value Change Account & Insurance reserves (incl. revaluation reserve)	(661.32)	(93.62)
Closing Balance of the Shareholders' fund	1,75,364.85	1,26,133.27
As per Balance Sheet	1,75,364.85	1,26,133.27
Difference, if any	0.00	0.00

48. वित्तीय विवरणों का सारांश:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
	पॉलिसीधारकों का खाता					
1	सकल प्रीमियम आय	5,36,748.56	4,88,848.92	4,75,751.92	4,74,668.14	4,28,024.97
2	शुद्ध प्रीमियम आय	5,35,984.22	4,88,148.17	4,75,069.58	4,74,004.61	4,27,419.21
3	निवेश से आय (शुद्ध)	4,31,707.68	3,92,623.38	3,63,943.92	3,06,390.13	2,92,894.45
4	अन्य आय	2,799.37	662.51	14,648.36	7,648.54	788.90
5	शेयरधारकों के खाते से अंशदान					
	(a) प्रबंधन के अतिरिक्त खर्च की ओर	2,422.68	2,642.09	12.98	9.37	0.00
	(b) पॉलिसीधारकों के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	पॉलिसीधारकों की बिना दावा की गयी राशि पर आय ¹	-	-	-	-	-
7	कुल आय	9,72,913.95	8,84,076.15	8,53,674.84	7,88,052.64	7,21,102.57
8	कमीशन	24,439.59	25,308.76	25,959.12	25,580.39	23,171.46
9	परिचालन व्यय संबंधित बीमा व्यवसाय	39,509.78	35,415.20	48,121.68	48,145.60	38,890.68
10	कराधान का प्रावधान	(4,173.41)	7,772.49	5,825.16	5,242.85	7,878.63
11	अन्य ³	(1,489.41)	(1,949.24)	(2,785.06)	(14,737.13)	(9,287.22)
12	कुल खर्च	58,286.55	66,547.21	77,120.90	64,231.71	60,653.54
13	पॉलिसीधारकों को भुगतान ²	4,96,104.28	4,16,354.69	3,88,809.33	3,42,576.75	3,57,464.89
14	बीमांकिक देयता में वृद्धि	3,50,474.41	3,40,677.29	3,44,319.22	3,41,109.35	3,06,323.75
15	संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान	12,865.03	12,657.01	8,716.85	2,273.41	(9,046.13)
16	संचालन से अधिशेष/घाटा	55,183.68	47,839.95	34,708.54	37,861.42	5,706.51
	शेयरधारकों का खाता					
17	शेयरधारकों के खातों के तहत कुल आय	66,619.95	55,498.43	43,716.59	37,199.63	4,076.65
18	शेयरधारक के खाते के तहत कुल खर्च	9,166.17	7,347.26	2,929.38	742.84	9.93
19	कर पूर्व लाभ/(हानि)	57,453.78	48,151.17	40,787.21	36,456.78	4,066.72
20	कर के प्रावधान	35.23	0.00	111.42	59.39	23.60
21	कर पश्चात लाभ/हानि	57,418.55	48,151.17	40,675.79	36,397.39	4,043.12
22	लाभ/हानि को तुलन-पत्र में ले जाया गया	1,69,895.98	1,20,067.43	75,711.26	39,462.97	4,014.33
	विविध					
23	(ए) पॉलिसीधारकों का खाता					
	कुल फंड	56,90,469.60	54,48,966.82	51,40,100.12	44,45,462.04	41,48,936.03
	कुल निवेश	55,23,349.64	53,10,877.80	50,31,577.60	43,30,818.95	40,29,202.77
	निवेश पर प्रतिफल %	8.92	8.65	8.93	8.29	8.55
	(बी) शेयरधारकों का खाता:					
	कुल फंड	1,75,356.38	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14
	कुल निवेश	1,50,740.33	1,04,025.81	63,743.97	29,363.53	6,412.14
	निवेश पर प्रतिफल %	6.61	6.93	8.02	6.48	3.00

48. Summary of Financial Statements:

(₹ in Crores)

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
	<i>POLICYHOLDERS' A/C</i>					
1	Gross Premium Income	5,36,748.56	4,88,848.92	4,75,751.92	4,74,668.14	4,28,024.97
2	Net Premium Income	5,35,984.22	4,88,148.17	4,75,069.58	4,74,004.61	4,27,419.21
3	Income from Investments (Net)	4,31,707.68	3,92,623.38	3,63,943.92	3,06,390.13	2,92,894.45
4	Other Income	2,799.37	662.51	14,648.36	7,648.54	788.90
5	Contribution from Shareholders A/c					
	(a) Towards excess expenses of Management	2,422.68	2,642.09	12.98	9.37	0.00
	(b) Towards meeting deficit in Policyholders' Account	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Income on unclaimed amount of policyholders ¹	-	-	-	-	-
7	Total Income	9,72,913.95	8,84,076.15	8,53,674.84	7,88,052.64	7,21,102.57
8	Commissions	24,439.59	25,308.76	25,959.12	25,580.39	23,171.46
9	Operating Expenses related insurance business	39,509.78	35,415.20	48,121.68	48,145.60	38,890.68
10	Provision for Taxation	(4,173.41)	7,772.49	5,825.16	5,242.85	7,878.63
11	Others ³	(1,489.41)	(1,949.24)	(2,785.06)	(14,737.13)	(9,287.22)
12	Total Expenses	58,286.55	66,547.21	77,120.90	64,231.71	60,653.54
13	Payment to policyholders ²	4,96,104.28	4,16,354.69	3,88,809.33	3,42,576.75	3,57,464.89
14	Increase in actuarial liability	3,50,474.41	3,40,677.29	3,44,319.22	3,41,109.35	3,06,323.75
15	Provision for Linked Liabilities	12,865.03	12,657.01	8,716.85	2,273.41	(9,046.13)
16	Surplus/Deficit from operations	55,183.68	47,839.95	34,708.54	37,861.42	5,706.51
	<i>SHAREHOLDERS' A/C</i>					
17	Total income under shareholders' Accounts	66,619.95	55,498.43	43,716.59	37,199.63	4,076.65
18	Total Expenses under Shareholder's Account	9,166.17	7,347.26	2,929.38	742.84	9.93
19	Profit/(loss) before tax	57,453.78	48,151.17	40,787.21	36,456.78	4,066.72
20	Provisions for tax	35.23	0.00	111.42	59.39	23.60
21	Profit/loss after tax	57,418.55	48,151.17	40,675.79	36,397.39	4,043.12
22	Profit/loss carried to Balance Sheet	1,69,895.98	1,20,067.43	75,711.26	39,462.97	4,014.33
	<i>MISCELLANEOUS</i>					
23	(A) Policyholders' account					
	Total funds	56,90,469.60	54,48,966.82	51,40,100.12	44,45,462.04	41,48,936.03
	Total Investments	55,23,349.64	53,10,877.80	50,31,577.60	43,30,818.95	40,29,202.77
	Yield on investments %	8.92	8.65	8.93	8.29	8.55
	(B) Shareholders' account:					
	Total funds	1,75,356.38	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14
	Total Investments	1,50,740.33	1,04,025.81	63,743.97	29,363.53	6,412.14
	Yield on investments %	6.61	6.93	8.02	6.48	3.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
24	कुल निवेश पर प्रतिफल %	8.86	8.62	8.92	8.28	8.54
25	प्रदत्त इक्विटी पूंजी	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
26	कुल मूल्य	1,75,356.38	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14
27	कुल संपत्ति	59,03,876.43	56,22,929.99	52,85,503.16	45,50,571.73	42,30,616.95
28	प्रति शेयर आय	90.78	76.13	64.31	57.55	6.39
29	प्रति शेयर आय - मूल	90.78	76.13	64.31	57.55	6.39
30	प्रति शेयर आय - डायल्यूटिड	90.78	76.13	64.31	57.55	6.39
31	प्रति शेयर बही मूल्य	277.24	199.51	129.55	72.20	16.46
32	कुल लाभांश भुगतान	7,590.00	3,795.00	4,427.50	948.75	-
33	प्रति शेयर लाभांश	*10.00	12.00	10.00	3.00	1.50
34	सॉल्वेंसी अनुपात	2.35	2.11	1.98	1.87	1.85

1. पॉलिसीधारको की बिना दावा की गयी राशि पर आय को निवेश से आय में शामिल किया गया है।
2. अंतरिम बोनस सहित, यदि कोई हो।
3. प्रावधान (कराधान के अलावा), संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, डूबत ऋणों का अपलेखन और यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर शामिल है।

*निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹ 10 के अंतिम लाभांश (बोनस शेयर इश्यू के पश्चात) देने की अनुशंसा की है, जो निर्गम की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

49. पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुसार बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहन किया गया है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

(₹ in Crores)

Sr. No	Particulars	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
24	Yield on total investments %	8.86	8.62	8.92	8.28	8.54
25	Paid-up equity capital	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
26	Net worth	1,75,356.38	1,26,187.74	81,938.16	45,669.40	10,409.14
27	Total Assets	59,03,876.43	56,22,929.99	52,85,503.16	45,50,571.73	42,30,616.95
28	Earnings per share	90.78	76.13	64.31	57.55	6.39
29	Basic earnings per share	90.78	76.13	64.31	57.55	6.39
30	Diluted Earnings per share	90.78	76.13	64.31	57.55	6.39
31	Book value per share	277.24	199.51	129.55	72.20	16.46
32	Total Dividend paid	7,590.00	3,795.00	4,427.50	948.75	-
33	Dividend per share	*10.00	12.00	10.00	3.00	1.50
34	Solvency Ratio	2.35	2.11	1.98	1.87	1.85

1. Income on Unclaimed amount of policyholders is included in Income from Investment
2. Inclusive of interim bonuses, if any
3. Includes Provision (other than Taxation), Provision for Doubtful Debt, Bad Debt written off and Goods & Service Tax on ULIP charges

*The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 10 /- per equity share of ₹ 10 /- each for the Financial Year 2025-26 after considering the Bonus Shares issue, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.

49. Figures of the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to the current periods' presentation.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी / BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,01,412.70	2,99,235.54	-	2,498.99	-	(485.32)
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	(847.21)	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	33,46,960.55	6,27,066.85	41,329.60	8,95,716.38	4,738.66	1,83,510.70
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि / INSURANCE RESERVES	23,118.69	8.97	-	-	-	5.72
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	35,71,491.94	9,25,464.15	41,329.60	8,98,215.37	4,738.66	1,83,031.10

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,69,925.81	1,69,925.81	-	1,69,925.81
-	-	-	-	-	(894.43)	(894.43)	-	(894.43)
-	-	-	-	-	1,75,356.38	1,75,356.38	-	1,75,356.38
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	56.42	48.99	20.22	-	5,02,787.54	-	5,02,787.54
-	-	-	-	-	-	(847.21)	-	(847.21)
32.92	493.61	220.83	36.94	60.79	-	51,00,167.83	91.68	51,00,259.51
-	-	1,276.30	233.47	-	-	1,509.77	-	1,509.77
-	-	9.06	4.34	-	-	13.40	-	13.40
-	-	(0.33)	-	-	-	23,133.05	0.35	23,133.40
-	-	49,757.03	8,840.10	1,801.00	-	60,398.13	-	60,398.13
32.92	493.61	51,319.31	9,163.84	1,882.01	-	56,87,162.51	92.03	56,87,254.54

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध / Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)	1,303.23	-	1,072.64	-	765.72	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	35,72,795.17	9,25,464.15	42,402.24	8,98,215.37	5,504.38	1,83,031.10
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	33,04,799.28	9,16,288.31	41,565.00	8,82,055.65	5,539.82	1,80,240.29
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,28,863.94	239.87	-	-	-	738.29
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	4,718.54	17.71	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	45,250.41	12,299.15	1.57	5,531.79	-	967.05
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	1,19,433.78	17,528.92	715.58	16,029.25	45.20	3,406.62
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	1,64,684.19	29,828.07	717.15	21,561.04	45.20	4,373.67
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	23,861.57	7,742.60	(135.79)	3,411.83	80.55	1,879.83
प्रावधान / PROVISIONS	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	23,861.57	7,742.60	(135.79)	3,411.83	80.55	1,879.83
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,40,822.62	22,085.47	852.94	18,149.21	(35.35)	2,493.84

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	65.61	7.86	-	-	73.47	-	73.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,141.59	-	3,141.59
-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.92	493.61	51,384.92	9,171.70	1,882.01	1,75,356.38	58,65,733.95	92.03	58,65,825.98
-	-	-	-	-	1,50,740.33	1,50,740.33	-	1,50,740.33
5.00	727.11	1,393.40	443.61	51.55	-	53,33,109.02	153.09	53,33,262.11
-	-	51,028.02	9,067.92	1,801.00	-	61,896.94	-	61,896.94
1.18	-	4.28	-	-	-	1,29,847.56	-	1,29,847.56
-	-	-	-	-	-	4,736.25	-	4,736.25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.33	0.12	0.05	0.06	229.86	64,284.39	0.01	64,284.40
0.48	29.96	59.52	10.09	1.89	2,435.77	1,59,697.06	(4.61)	1,59,692.45
0.48	34.29	59.64	10.14	1.95	2,665.63	2,23,981.45	(4.60)	2,23,976.85
(13.06)	226.96	1,193.34	353.44	(1.04)	-	38,600.23	33.83	38,634.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(13.06)	226.96	1,193.34	353.44	(1.04)	-	38,600.23	33.83	38,634.06
13.54	(192.67)	(1,133.70)	(343.30)	2.99	2,665.63	1,85,381.22	(38.43)	1,85,342.79

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	35,79,204.38	9,38,631.36	42,417.94	9,00,204.86	5,504.47	1,83,472.42

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.72	534.44	51,292.00	9,168.23	1,855.54	1,53,405.96	58,65,711.32	114.66	58,65,825.98

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ : / SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी / BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,58,258.53	3,69,185.70	-	19,724.25	-	232.45
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	10.62	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	31,36,240.80	5,53,081.91	41,058.11	8,31,543.29	4,817.85	1,67,931.18
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि / INSURANCE RESERVES	15,660.42	5.19	-	-	-	3.62
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	34,10,159.75	9,22,283.42	41,058.11	8,51,267.54	4,817.85	1,68,167.25

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,20,095.76	1,20,095.76	-	1,20,095.76
-	-	-	-	-	(233.02)	(233.02)	-	(233.02)
-	-	-	-	-	1,26,187.74	1,26,187.74	-	1,26,187.74
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66.79	51.13	21.02	-	6,47,539.87	-	6,47,539.87
-	-	-	-	-	-	10.62	-	10.62
104.94	516.73	73.50	34.25	46.42	-	47,35,448.98	131.38	47,35,580.36
-	-	671.27	119.54	-	-	790.81	-	790.81
-	-	9.09	4.89	-	-	13.98	-	13.98
-	-	0.09	-	-	-	15,669.32	0.35	15,669.67
-	-	36,672.50	8,929.35	1,931.25	-	47,533.10	-	47,533.10
104.94	516.73	37,493.24	9,139.16	1,998.69	-	54,47,006.68	131.73	54,47,138.41

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध / Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)	631.21	-	498.16	-	643.99	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,10,790.96	9,22,283.42	41,556.27	8,51,267.54	5,461.84	1,68,167.25
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	31,63,608.11	9,24,614.59	40,729.42	8,34,958.64	5,496.45	1,63,877.61
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,26,631.77	180.59	-	-	-	647.99
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	4,448.86	12.30	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	36,341.15	16,700.60	1.10	4,323.31	6.23	2,403.52
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	1,03,856.22	15,420.61	701.75	15,229.93	46.03	3,214.41
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	1,40,197.37	32,121.21	702.85	19,553.24	52.26	5,617.93
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	18,879.12	8,853.51	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
प्रावधान / PROVISIONS	-	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	18,879.12	23,796.57	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,21,318.25	8,324.64	843.61	17,399.07	(34.51)	3,760.52

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	55.05	-	-	-	55.05	-	55.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,773.36	-	1,773.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.94	516.73	37,548.29	9,139.16	1,998.69	1,26,187.74	55,75,022.83	131.73	55,75,154.56
-	-	-	-	-	1,04,025.81	1,04,025.81	-	1,04,025.81
89.30	757.04	1,469.28	440.88	42.83	-	51,36,084.15	194.65	51,36,278.80
-	-	37,337.54	9,043.20	1,931.25	-	48,311.99	-	48,311.99
3.32	-	4.65	-	-	11.58	1,27,479.90	-	1,27,479.90
-	-	-	-	-	-	4,461.16	-	4,461.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.77	108.45	6.86	0.03	2,404.43	62,300.45	-	62,300.45
3.74	32.29	46.95	10.51	2.50	2,423.74	1,40,988.68	(2.54)	1,40,986.14
3.74	37.06	155.40	17.37	2.53	4,828.17	2,03,289.13	(2.54)	2,03,286.59
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	-	33,711.20	35.43	33,746.63
-	-	-	-	-	-	14,943.06	-	14,943.06
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	-	48,654.26	35.43	48,689.69
13.65	(187.14)	(1,330.91)	(334.61)	34.13	4,828.17	1,54,634.87	(37.97)	1,54,596.90

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) / DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,16,006.99	9,33,132.12	41,573.03	8,52,357.71	5,461.94	1,68,286.12

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.27	569.90	37,480.56	9,149.47	2,008.21	1,08,865.56	55,74,997.88	156.68	55,75,154.56

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी / BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,01,378.22	2,99,235.54	-	2,498.99	-	(485.32)
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	(847.21)	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES	33,42,506.83	6,27,036.45	41,329.60	8,95,716.38	4,738.66	1,83,498.14
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि / INSURANCE RESERVES	21,748.15	-	-	-	-	-
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	35,65,633.20	9,25,424.78	41,329.60	8,98,215.37	4,738.66	1,83,012.82

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,69,936.62	1,69,936.62	-	1,69,936.62
-	-	-	-	-	(896.75)	(896.75)	-	(896.75)
-	-	-	-	-	1,75,364.87	1,75,364.87	-	1,75,364.87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	56.42	48.99	20.22	-	5,02,753.06	-	5,02,753.06
-	-	-	-	-	-	(847.21)	-	(847.21)
32.92	493.61	224.51	36.94	60.79	-	50,95,674.83	91.68	50,95,766.51
-	-	1,276.30	233.47	-	-	1,509.77	-	1,509.77
-	-	9.06	4.34	-	-	13.40	-	13.40
-	-	-	-	-	-	21,748.15	0.35	21,748.50
-	-	49,672.01	8,840.10	1,801.00	-	60,313.11	-	60,313.11
32.92	493.61	51,238.30	9,163.84	1,882.01	-	56,81,165.11	92.03	56,81,257.14

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध / Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)	1,303.23	-	1,072.64	-	765.72	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	35,66,936.43	9,25,424.78	42,402.24	8,98,215.37	5,504.38	1,83,012.82
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	32,99,208.56	9,16,224.55	41,565.00	8,82,055.65	5,539.82	1,80,226.55
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,28,630.47	239.87	-	-	-	738.29
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	4,703.21	17.71	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	45,137.21	12,299.15	1.57	5,531.79	-	967.05
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	1,19,360.68	17,528.92	715.58	16,029.25	45.20	3,406.62
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	1,64,497.89	29,828.07	717.15	21,561.04	45.20	4,373.67
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	22,155.91	7,718.21	(135.79)	3,411.83	80.55	1,884.37
प्रावधान / PROVISIONS	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	22,155.91	7,718.21	(135.79)	3,411.83	80.55	1,884.37
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,42,341.98	22,109.86	852.94	18,149.21	(35.35)	2,489.30

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	65.61	7.86	-	-	73.47	-	73.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,141.59	-	3,141.59
-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.92	493.61	51,303.91	9,171.70	1,882.01	1,75,364.87	58,59,745.04	92.03	58,59,837.07
-	-	-	-	-	1,49,249.17	1,49,249.17	-	1,49,249.17
5.00	727.11	1,393.40	443.61	51.55	-	53,27,440.80	153.09	53,27,593.89
-	-	50,943.00	9,067.92	1,801.00	-	61,811.92	-	61,811.92
1.18	-	4.28	-	-	-	1,29,614.09	-	1,29,614.09
-	-	-	-	-	-	4,720.92	-	4,720.92
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.33	0.12	0.05	0.06	194.92	64,136.25	0.01	64,136.26
0.48	29.96	59.52	10.09	1.89	2,431.78	1,59,619.97	(4.61)	1,59,615.36
0.48	34.29	59.64	10.14	1.95	2,626.70	2,23,756.22	(4.60)	2,23,751.62
(13.06)	226.96	1,189.33	353.44	(1.04)	-	36,870.71	33.83	36,904.54
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(13.06)	226.96	1,189.33	353.44	(1.04)	-	36,870.71	33.83	36,904.54
13.54	(192.67)	(1,129.69)	(343.30)	2.99	2,626.70	1,86,885.51	(38.43)	1,86,847.08

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) / DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	35,74,884.22	9,38,591.99	42,417.94	9,00,204.86	5,504.47	1,83,454.14

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.72	534.44	51,210.99	9,168.23	1,855.54	1,51,875.87	58,59,722.41	114.66	58,59,837.07

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ : / SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी / BORROWINGS						
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,58,247.04	3,69,185.70	-	19,724.25	-	232.45
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	10.62	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	31,31,962.79	5,53,052.46	41,058.11	8,31,543.29	4,817.85	1,67,917.79
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि / INSURANCE RESERVES	14,951.56	-	-	-	-	-
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	34,05,161.39	9,22,248.78	41,058.11	8,51,267.54	4,817.85	1,68,150.24

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,20,043.70	1,20,043.70	-	1,20,043.70
-	-	-	-	-	(235.43)	(235.43)	-	(235.43)
-	-	-	-	-	1,26,133.27	1,26,133.27	-	1,26,133.27
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66.79	51.13	21.02	-	6,47,528.38	-	6,47,528.38
-	-	-	-	-	-	10.62	-	10.62
104.94	516.73	76.51	34.25	46.42	-	47,31,131.14	131.38	47,31,262.52
-	-	671.27	119.54	-	-	790.81	-	790.81
-	-	9.09	4.89	-	-	13.98	-	13.98
-	-	-	-	-	-	14,951.56	0.35	14,951.91
-	-	36,599.99	8,929.35	1,931.25	-	47,460.59	-	47,460.59
104.94	516.73	37,423.65	9,139.16	1,998.69	-	54,41,887.08	131.73	54,42,018.81

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध / Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)	631.21	-	498.16	-	643.99	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,05,792.60	9,22,248.78	41,556.27	8,51,267.54	5,461.84	1,68,150.24
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	31,58,825.31	9,24,558.25	40,729.42	8,34,958.64	5,496.45	1,63,864.83
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,26,440.81	180.59	-	-	-	647.99
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	4,429.34	12.30	-	-	-	-
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	36,259.44	16,700.60	1.10	4,323.31	6.23	2,403.52
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	1,03,768.61	15,420.61	701.75	15,229.93	46.03	3,214.41
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	1,40,028.05	32,121.21	702.85	19,553.24	52.26	5,617.93
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	17,209.34	8,831.81	(140.76)	2,154.17	86.77	1,861.64
प्रावधान / PROVISIONS	-	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	17,209.34	23,774.87	(140.76)	2,154.17	86.77	1,861.64
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,22,818.71	8,346.34	843.61	17,399.07	(34.51)	3,756.29

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	55.05	-	-	-	55.05	-	55.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,773.36	-	1,773.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.94	516.73	37,478.70	9,139.16	1,998.69	1,26,133.27	55,69,848.76	131.73	55,69,980.49
-	-	-	-	-	1,02,467.69	1,02,467.69	-	1,02,467.69
89.30	757.04	1,469.28	440.88	42.83	-	51,31,232.23	194.65	51,31,426.88
-	-	37,265.03	9,043.20	1,931.25	-	48,239.48	-	48,239.48
3.32	-	4.65	-	-	11.58	1,27,288.94	-	1,27,288.94
-	-	-	-	-	-	4,441.64	-	4,441.64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.77	108.45	6.86	0.03	2,404.43	62,218.74	-	62,218.74
3.74	32.29	46.95	10.51	2.50	2,421.85	1,40,899.18	(2.54)	1,40,896.64
3.74	37.06	155.40	17.37	2.53	4,826.28	2,03,117.92	(2.54)	2,03,115.38
(9.91)	224.20	1,483.39	351.98	(31.60)	-	32,021.03	35.43	32,056.46
-	-	-	-	-	-	14,943.06	-	14,943.06
(9.91)	224.20	1,483.39	351.98	(31.60)	-	46,964.09	35.43	46,999.52
13.65	(187.14)	(1,327.99)	(334.61)	34.13	4,826.28	1,56,153.83	(37.97)	1,56,115.86

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,12,514.17	9,33,097.48	41,573.03	8,52,357.71	5,461.94	1,68,269.11

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.27	569.90	37,410.97	9,149.47	2,008.21	1,07,305.55	55,69,823.81	156.68	55,69,980.49

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ : / SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी / BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	34.48	-	-	-	-	-
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	-	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	4,453.72	30.40	-	-	-	12.56
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि / INSURANCE RESERVES	1,370.54	8.97	-	-	-	5.72
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	5,858.74	39.37	-	-	-	18.28
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध / Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(10.81)	(10.81)	-	(10.81)
-	-	-	-	-	2.32	2.32	-	2.32
-	-	-	-	-	(8.49)	(8.49)	-	(8.49)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	34.48	-	34.48
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(3.68)	-	-	-	4,493.00	-	4,493.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(0.33)	-	-	-	1,384.90	-	1,384.90
-	-	85.02	-	-	-	85.02	-	85.02
-	-	81.01	-	-	-	5,997.40	-	5,997.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)	-	-	-	-	-	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	5,858.74	39.37	-	-	-	18.28
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	5,590.72	63.76	-	-	-	13.74
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	233.47	-	-	-	-	-
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	15.33	-	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	113.20	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	73.10	-	-	-	-	-
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	186.30	-	-	-	-	-
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	1,705.66	24.39	-	-	-	(4.54)
प्रावधान / PROVISIONS	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	1,705.66	24.39	-	-	-	(4.54)
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(1,519.36)	(24.39)	-	-	-	4.54

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	81.01	-	-	(8.49)	5,988.91	-	5,988.91
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,491.16	1,491.16	-	1,491.16
-	-	-	-	-	-	5,668.22	-	5,668.22
-	-	85.02	-	-	-	85.02	-	85.02
-	-	-	-	-	-	233.47	-	233.47
-	-	-	-	-	-	15.33	-	15.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34.94	148.14	-	148.14
-	-	-	-	-	3.99	77.09	-	77.09
-	-	-	-	-	38.93	225.23	-	225.23
-	-	4.01	-	-	-	1,729.52	-	1,729.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.01	-	-	-	1,729.52	-	1,729.52
-	-	(4.01)	-	-	38.93	(1,504.29)	-	(1,504.29)

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) / DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	4,320.16	39.37	-	-	-	18.28

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	81.01	-	-	1,530.09	5,988.91	-	5,988.91

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ : / SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा / (नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी / BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा / (नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	11.49	-	-	-	-	-
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	-	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES	4,278.01	29.45	-	-	-	13.39
बंद पॉलिसियों के लिये निधि / FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना	-	-	-	-	-	-
(i) Discontinued on account of non payment of premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	-	-	-	-
(ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षित निधि / INSURANCE RESERVES	708.86	5.19	-	-	-	3.62
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	4,998.36	34.64	-	-	-	17.01

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	52.06	52.06	-	52.06
-	-	-	-	-	2.41	2.41	-	2.41
-	-	-	-	-	54.47	54.47	-	54.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11.49	-	11.49
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(3.01)	-	-	-	4,317.84	-	4,317.84
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.09	-	-	-	717.76	-	717.76
-	-	72.51	-	-	-	72.51	-	72.51
-	-	69.59	-	-	-	5,119.60	-	5,119.60

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध / Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) / Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) / Non-linked (Par)	-	-	-	-	-	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	4,998.36	34.64	-	-	-	17.01
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	4,782.80	56.34	-	-	-	12.78
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	190.96	-	-	-	-	-
अचल परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	19.52	-	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	-	-	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	81.71	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	87.61	-	-	-	-	-
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	169.32	-	-	-	-	-
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	1,669.78	21.70	-	-	-	(4.23)
प्रावधान / PROVISIONS	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	1,669.78	21.70	-	-	-	(4.23)
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	(1,500.46)	(21.70)	-	-	-	4.23

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	69.59	-	-	54.47	5,174.07	-	5,174.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,558.12	1,558.12	-	1,558.12
-	-	-	-	-	-	4,851.92	-	4,851.92
-	-	72.51	-	-	-	72.51	-	72.51
-	-	-	-	-	-	190.96	-	190.96
-	-	-	-	-	-	19.52	-	19.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	81.71	-	81.71
-	-	-	-	-	1.89	89.50	-	89.50
-	-	-	-	-	1.89	171.21	-	171.21
-	-	2.92	-	-	-	1,690.17	-	1,690.17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.92	-	-	-	1,690.17	-	1,690.17
-	-	(2.92)	-	-	1.89	(1,518.96)	-	(1,518.96)

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के तुलन-पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) / DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	3,492.82	34.64	-	-	-	17.01

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	69.59	-	-	1,560.01	5,174.07	-	5,174.07

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net							
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	2,83,265.35	1,07,426.47	319.48	1,06,654.25	1.67	15,825.84
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(108.91)	(546.30)	(0.10)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total		2,83,156.44	1,06,880.17	319.38	1,06,654.25	1.67	15,825.84
निवेशों से आय / Income from Investments							
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		2,14,572.48	42,824.95	3,114.76	58,314.29	377.02	12,097.48
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		44,754.86	39,297.98	27.94	8,531.67	0.53	361.49
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(1,236.68)	(359.34)	(0.80)	(57.97)	(2.33)	(0.52)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		(71.04)	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments		7,870.56	663.16	153.79	548.96	(6.90)	188.74
अन्य आय / Other Income							
(i) वापस लिखी गई राशियाँ / Amounts written back		126.20	(2.65)	(0.02)	-	-	(0.15)
(ii) विविध प्राप्तियाँ / Sundry Receipts		2,246.05	278.57	-	152.50	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholder's A/c							
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,390.81	-	19.22	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTd/ Other KMPs		-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
2.58	257.10	20,835.67	2,103.27	56.03	5,36,747.71	0.85	5,36,748.56
-	(85.46)	(0.94)	-	(22.63)	(764.34)	-	(764.34)
-	-	-	-	-	-	-	-
2.58	171.64	20,834.73	2,103.27	33.40	5,35,983.37	0.85	5,35,984.22
7.33	56.08	1,322.66	292.16	84.16	3,33,063.37	13.72	3,33,077.09
1.38	5.29	1,854.67	837.30	132.88	95,805.99	1.28	95,807.27
(0.94)	-	(60.15)	(133.14)	(0.74)	(1,852.61)	(0.01)	(1,852.62)
-	-	(3,445.35)	(1,048.91)	(180.65)	(4,745.95)	-	(4,745.95)
(0.01)	3.26	0.03	(0.05)	(0.02)	9,421.52	0.37	9,421.89
-	-	-	-	-	123.38	-	123.38
(0.05)	(0.01)	(1.07)	-	-	2,675.99	-	2,675.99
-	-	-	-	-	2,410.03	-	2,410.03
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ग) अन्य (c) Others		12.65	-	-	-	-	-
कुल (क) / TOTAL (A)		5,53,822.33	1,89,582.84	3,634.27	1,74,143.70	369.99	28,472.88
कमीशन / Commission	2	20,912.45	2,402.46	6.50	-	0.03	442.68
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	34,536.22	2,905.86	52.51	287.60	6.20	350.33
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		(749.11)	4.70	0.07	-	-	1.70
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान (शुद्ध)* / Provisions for Tax (Net) *		(9,898.11)	5,072.41	-	414.24	0.01	169.26
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)							
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		(351.14)	(31.88)	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: ऋणपत्र एवं बंधपत्र और अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures / Bonds and others		(336.47)	(3.68)	(0.36)	0.90	-	(1.84)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges		-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)		44,113.84	10,349.87	58.72	702.74	6.24	962.13
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	4	2,83,345.73	76,885.64	2,713.47	1,06,422.83	321.12	10,768.71
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid		8,356.30	-	0.41	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies							
(क) सकल** (a) Gross**		2,10,719.75	59,041.87	271.49	64,173.09	(79.19)	15,579.52
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(घ) संबंध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies		-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	12.65	-	12.65
10.29	236.26	20,505.52	2,050.63	69.03	9,72,897.74	16.21	9,72,913.95
0.10	13.42	601.55	57.93	2.46	24,439.58	0.01	24,439.59
0.04	41.06	1,199.92	118.66	11.04	39,509.44	0.34	39,509.78
(0.01)	-	(0.05)	(78.42)	-	(821.12)	-	(821.12)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	22.54	26.04	-	2.76	(4,190.85)	17.44	(4,173.41)
-	-	(44.59)	(47.91)	-	(475.52)	-	(475.52)
(0.08)	-	-	-	-	(341.53)	-	(341.53)
-	-	124.15	18.79	5.82	148.76	-	148.76
0.05	77.02	1,907.02	69.05	22.08	58,268.76	17.79	58,286.55
95.07	27.60	5,111.63	1,906.24	143.88	4,87,741.92	5.65	4,87,747.57
-	-	-	-	-	8,356.71	-	8,356.71
(72.02)	(23.12)	147.33	2.69	14.37	3,49,775.78	(39.70)	3,49,736.08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,084.53	(89.25)	(130.25)	12,865.03	-	12,865.03

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ड) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Policies		-	-	-	-	-	-
(ग) भविष्य विनियोजन निधियों का अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for Future Appropriations - Linked Business		-	-	-	-	-	-
कुल (ग) / TOTAL (C)		5,02,421.78	1,35,927.51	2,985.37	1,70,595.92	241.93	26,348.23
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		7,286.71	43,305.46	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		-	3,649.60	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		7,286.71	46,955.06	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
विनियोजन / APPROPRIATIONS							
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		6,614.69	46,955.06	15.70	2,845.04	0.09	1,162.52
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष Balance being Funds for Future Appropriations		672.02	-	574.48	-	121.73	-
कुल (घ) / TOTAL (D)		7,286.71	46,955.06	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	605.95	113.96	-	719.91	-	719.91
-	-	10.56	7.86	-	18.42	-	18.42
23.05	4.48	18,960.00	1,941.50	28.00	8,59,477.77	(34.05)	8,59,443.72
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	55,151.21	32.47	55,183.68
12.81	-	537.20	17.21	-	4,216.82	-	4,216.82
-	154.76	175.70	57.29	18.95	59,368.03	32.47	59,400.50
-	154.76	175.70	57.29	18.95	57,999.80	32.47	58,032.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,368.23	-	1,368.23
-	154.76	175.70	57.29	18.95	59,368.03	32.47	59,400.50

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस / (a) Interim Bonuses Paid	8,356.30	-	0.41	-	-	-
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन / (b) Allocation of Bonus to policyholders	59,583.41	-	141.32	-	0.80	-
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष / (c) Surplus shown in Revenue account	7,286.71	43,305.46	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
(घ) कुल अधिशेष (क + ख + ग) / (d) Total Surplus [a+b+c]	75,226.42	43,305.46	731.91	2,845.04	122.62	1,162.52

* निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना गया प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

लेखों पर टिप्पणियों की अनुसूची 16 (बी) के बिंदु संख्या 34 देखें।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Refer Schedules 16 (B) point no. 34 of Notes to Accounts.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	8,356.71	-	8,356.71
-	-	-	-	-	59,725.53	-	59,725.53
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	55,151.21	32.47	55,183.68
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	1,23,233.45	32.47	1,23,265.92

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars		अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
			जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
			सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net								
(क)	प्रीमियम	1	2,77,930.89	71,996.81	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
(a)	Premium							
(ख)	पुनर्बीमा अंतरण		(99.33)	(501.72)	(0.10)	-	-	-
(b)	Reinsurance ceded							
(ग)	पुनर्बीमा स्वीकार		-	-	-	-	-	-
(c)	Reinsurance accepted							
उप-योग / Sub-Total			2,77,831.56	71,495.09	360.66	1,06,588.84	1.86	15,797.67
निवेशों से आय / Income from Investments								
(क)	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल		2,04,079.06	40,202.56	3,095.70	55,158.00	374.04	11,503.47
(a)	Interest, Dividends & Rent - Gross							
(ख)	निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ		38,601.77	30,455.71	-	6,396.50	0.12	18.78
(b)	Profit on sale/redemption of investments							
(ग)	(निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)		347.62	716.01	(24.28)	(343.24)	(8.36)	-
(c)	(Loss on sale/redemption of investments)							
(घ)	पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*		(33.42)	-	-	-	-	-
(d)	Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*							
(ङ)	प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट		(972.84)	(40.14)	(15.94)	-	(7.79)	(64.03)
(e)	Amortisation of Premium/Discount on investments							
अन्य आय / Other Income								
(i)	वापस लिखी गई राशियाँ / Amounts written back		70.74	(0.09)	-	-	-	-
(ii)	विविध प्राप्तियाँ / Sundry Receipts		165.56	288.16	-	139.21	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholder's A/c								
(क)	प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए		2,390.81	-	19.22	-	-	-
(a)	Towards Excess Expenses of Management							
(ख)	एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए		-	-	-	-	-	-
(b)	Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs							
(ग)	अन्य		24.69	-	-	-	-	-
(c)	Others							
कुल (क) / TOTAL (A)			5,22,505.55	1,43,117.30	3,435.36	1,67,939.31	359.87	27,255.89
कमीशन / Commission		2	22,818.84	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
5.90	282.91	14,100.52	1,717.63	64.22	4,88,848.01	0.91	4,88,848.92
-	(87.37)	(0.63)	-	(11.60)	(700.75)	-	(700.75)
-	-	-	-	-	-	-	-
5.90	195.54	14,099.89	1,717.63	52.62	4,88,147.26	0.91	4,88,148.17
8.66	63.31	941.75	293.70	91.92	3,15,812.17	16.34	3,15,828.51
0.39	9.54	868.79	860.81	179.56	77,391.97	0.36	77,392.33
-	(0.35)	1.99	1.65	2.32	693.36	(0.50)	692.86
-	-	368.44	(417.80)	(106.70)	(189.48)	-	(189.48)
-	(0.10)	-	-	-	(1,100.84)	-	(1,100.84)
-	-	-	-	-	70.65	-	70.65
(0.15)	0.02	(0.94)	-	-	591.86	-	591.86
-	100.26	-	98.87	8.24	2,617.40	-	2,617.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24.69	-	24.69
14.80	368.22	16,279.92	2,554.86	227.96	8,84,059.04	17.11	8,84,076.15
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,308.74	0.02	25,308.76

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	3	31,676.43	2,212.59	53.50	192.84	5.69	360.96
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts		(1,545.66)	0.20	-	-	-	1.41
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान / Provisions for tax		1,493.95	5,698.37	-	370.49	0.01	101.96
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)							
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		(26.95)	31.87	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र और अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures Bonds and others		(600.07)	(14.26)	(5.36)	(18.61)	(0.12)	(3.94)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges		-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)		53,816.54	9,600.11	55.58	544.77	5.62	834.55
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	4	2,45,474.51	58,367.99	2,677.62	92,400.68	333.90	9,762.07
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid		3,075.31	-	0.49	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies							
(क) सकल** (a) Gross**		2,13,823.20	37,935.75	333.27	72,449.34	(134.69)	15,959.04
(ख) (पुनर्बीमा में अंतरित राशि) (b) (Amount ceded in Reinsurance)		-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for linked policies		-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued policies		-	-	-	-	-	-
(च) भविष्य विनियोजन निधियों का अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for Future Appropriations- Linked Business		-	-	-	-	-	-
कुल (ग) /TOTAL (C)		4,62,373.02	96,303.74	3,011.38	1,64,850.02	199.21	25,721.11
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		6,315.99	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
0.14	54.10	739.43	108.72	10.34	35,414.74	0.46	35,415.20
-	(0.01)	(1.32)	(0.24)	-	(1,545.62)	(0.17)	(1,545.79)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.45	44.25	34.38	-	6.97	7,750.83	21.66	7,772.49
-	-	5.32	3.34	2.02	15.60	-	15.60
-	(0.03)	-	-	-	(642.39)	-	(642.39)
-	-	180.83	29.79	12.72	223.34	-	223.34
0.75	117.77	1,320.78	193.57	35.20	66,525.24	21.97	66,547.21
7.89	23.60	2,493.63	1,570.92	160.36	4,13,273.17	5.72	4,13,278.89
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
3.87	(77.06)	22.19	(7.31)	(1.61)	3,40,305.99	(50.91)	3,40,255.08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,162.09	508.80	(13.88)	12,657.01	-	12,657.01
-	-	328.26	68.91	-	397.17	-	397.17
-	-	25.04	-	-	25.04	-	25.04
11.76	(53.46)	15,031.21	2,141.32	144.87	7,69,734.18	(45.19)	7,69,688.99
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,799.62	40.33	47,839.95

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		-	1,921.92	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		6,315.99	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23
विनियोजन/ APPROPRIATIONS							
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		6,233.92	39,135.37	16.76	2,544.52	0.10	700.23
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजन के लिए निधियों के रूप में शेष Balance being Funds for Future Appropriations		82.07	-	351.64	-	154.94	-
कुल (घ)/TOTAL (D)		6,315.99	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23

Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	304.34	29.16	-	2,255.42	-	2,255.42
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,055.04	40.33	50,095.37
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	49,466.39	40.33	49,506.72
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	588.65	-	588.65
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,055.04	40.33	50,095.37

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(क) अंतरिम बोनस / (a) Interim Bonus	3,075.31	-	0.49	-	-	-
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन* / (b) Allocation of Bonus to policyholders*	56,179.39	-	150.86	-	0.85	-
(ग) राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष / (c) Surplus shown in Revenue account	6,315.99	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
कुल अधिशेष (क+ख+ग) / Total Surplus [a+b+c]	65,570.69	37,213.45	519.75	2,544.52	155.89	700.23

* निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना गया प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

इस राशि में यूके शाखा के सहभागी पॉलिसीधारकों को दिए गए अंतिम बोनस से संबंधित ₹ 26.76 शामिल है, लेकिन यूके शाखा के वैधानिक मूल्यांकन में इसे अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The amount includes ₹ 26.76 crores pertaining to Final Bonus paid to UK branch participating policyholders but shown as surplus for UK branch in statutory valuation of the UK branch.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
-	-	-	-	-	56,331.10	-	56,331.10
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,799.62	40.33	47,839.95
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	1,07,206.52	40.33	1,07,246.85

अनुबंध - I फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net							
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	2,82,817.01	1,07,425.59	319.48	1,06,654.25	1.67	15,825.84
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(107.44)	(546.30)	(0.10)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total		2,82,709.57	1,06,879.29	319.38	1,06,654.25	1.67	15,825.84
निवेशों से आय / Income from Investments							
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		2,14,278.07	42,824.80	3,114.76	58,314.29	377.02	12,097.48
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		44,743.52	39,297.98	27.94	8,531.67	0.53	361.49
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(1,230.14)	(359.34)	(0.80)	(57.97)	(2.33)	(0.52)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		-	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments		7,871.15	663.16	153.79	548.96	(6.90)	188.74
अन्य आय Other Income							
(i) वापस लिखी गई राशियाँ (i) Amounts written back		126.30	(2.65)	(0.02)	-	-	(0.15)
(ii) विविध प्राप्तियाँ (ii) Sundry Receipts		2,236.40	278.57	-	152.50	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c							
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,390.81	-	19.22	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
2.58	257.10	20,833.41	2,103.27	56.03	5,36,296.23	0.85	5,36,297.08
-	(85.46)	(0.94)	-	(22.63)	(762.87)	-	(762.87)
-	-	-	-	-	-	-	-
2.58	171.64	20,832.47	2,103.27	33.40	5,35,533.36	0.85	5,35,534.21
7.33	56.08	1,320.76	292.16	84.16	3,32,766.91	13.72	3,32,780.63
1.38	5.29	1,851.97	837.30	132.88	95,791.95	1.28	95,793.23
(0.94)	-	(59.29)	(133.14)	(0.74)	(1,845.21)	(0.01)	(1,845.22)
-	-	(3,451.51)	(1,048.91)	(180.65)	(4,681.07)	-	(4,681.07)
(0.01)	3.26	0.03	(0.05)	(0.02)	9,422.11	0.37	9,422.48
-	-	-	-	-	123.48	-	123.48
(0.05)	(0.01)	(0.01)	-	-	2,667.40	-	2,667.40
-	-	-	-	-	2,410.03	-	2,410.03

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/ Other KMPs		-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (c) Others		-	-	-	-	-	-
कुल (क) / TOTAL (A)		5,53,125.68	1,89,581.81	3,634.27	1,74,143.70	369.99	28,472.88
कमीशन / Commission	2	20,886.16	2,402.46	6.50	-	0.03	442.68
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	34,474.13	2,905.80	52.51	287.60	6.20	350.33
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for Doubtful debts		(750.43)	4.70	0.07	-	-	1.70
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान (शुद्ध)* / Provisions for Tax (Net)*		(9,915.73)	5,072.41	-	414.24	0.01	169.26
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)							
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		(351.14)	(31.88)	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र और अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures / Bonds and others		(336.69)	(3.68)	(0.36)	0.90	-	(1.84)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services Tax on ULIP Charges		-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)		44,006.30	10,349.81	58.72	702.74	6.24	962.13
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	2,82,942.72	76,885.62	2,713.47	1,06,422.83	321.12	10,767.87
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		8,354.08	-	0.41	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन / Change in valuation of liability in respect of life policies							
(क) सकल** (a) Gross**		2,10,544.04	59,040.92	271.49	64,173.09	(79.19)	15,580.36

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10.29	236.26	20,494.42	2,050.63	69.03	9,72,188.96	16.21	9,72,205.17
0.10	13.42	601.55	57.93	2.46	24,413.29	0.01	24,413.30
0.04	41.06	1,209.81	118.66	11.04	39,457.18	0.34	39,457.52
(0.01)	-	(0.05)	(78.42)	-	(822.44)	-	(822.44)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	22.54	25.58	-	2.76	(4,208.93)	17.44	(4,191.49)
-	-	(44.59)	(47.91)	-	(475.52)	-	(475.52)
(0.08)	-	-	-	-	(341.75)	-	(341.75)
-	-	124.15	18.79	5.82	148.76	-	148.76
0.05	77.02	1,916.45	69.05	22.08	58,170.59	17.79	58,188.38
95.07	27.60	5,102.95	1,906.24	143.88	4,87,329.37	5.65	4,87,335.02
-	-	-	-	-	8,354.49	-	8,354.49
(72.02)	(23.12)	147.99	2.69	14.37	3,49,600.62	(39.70)	3,49,560.92

अनुबंध - I फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ख) (पुनर्बीमा में अंतरित राशि) (b) (Amount ceded in Reinsurance)		-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies		-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Policies		-	-	-	-	-	-
(ड) भविष्य विनियोजन निधियों का अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation-Linked Business		-	-	-	-	-	-
कुल (ग) / TOTAL (C)		5,01,840.84	1,35,926.54	2,985.37	1,70,595.92	241.93	26,348.23
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		7,278.54	43,305.46	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		-	3,649.60	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		7,278.54	46,955.06	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
विनियोजन/ APPROPRIATIONS							
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		6,606.52	46,955.06	15.70	2,845.04	0.09	1,162.52
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजन के लिए निधियों के रूप में शेष Balance being Funds for Future Appropriations		672.02	-	574.48	-	121.73	-
कुल (घ) / TOTAL (D)		7,278.54	46,955.06	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,072.02	(89.25)	(130.25)	12,852.52	-	12,852.52
-	-	605.95	113.96	-	719.91	-	719.91
-	-	10.56	7.86	-	18.42	-	18.42
23.05	4.48	18,939.47	1,941.50	28.00	8,58,875.33	(34.05)	8,58,841.28
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	55,143.04	32.47	55,175.51
12.81	-	537.20	17.21	-	4,216.82	-	4,216.82
-	154.76	175.70	57.29	18.95	59,359.86	32.47	59,392.33
-	154.76	175.70	57.29	18.95	57,991.63	32.47	58,024.10
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,368.23	-	1,368.23
-	154.76	175.70	57.29	18.95	59,359.86	32.47	59,392.33

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस (a) Interim Bonuses paid	8,354.08	-	0.41	-	-	-
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन (b) Allocation of Bonus to policyholders	59,458.69	-	141.32	-	0.80	-
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in Revenue account	7,278.54	43,305.46	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
कुल / Total	75,091.31	43,305.46	731.91	2,845.04	122.62	1,162.52

* निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना गया प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

लेखों पर टिप्पणियों की अनुसूची 16 (बी) के बिंदु संख्या 34 देखें।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Refer Schedules 16 (B) point no. 34 of Notes to Accounts.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	8,354.49	-	8,354.49
-	-	-	-	-	59,600.81	-	59,600.81
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	55,143.04	32.47	55,175.51
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	1,23,098.34	32.47	1,23,130.81

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net							
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	2,77,536.09	71,995.98	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(97.81)	(501.72)	(0.10)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total		2,77,438.28	71,494.26	360.66	1,06,588.84	1.86	15,797.67
निवेशों से आय / Income from Investments							
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		2,03,810.52	40,202.42	3,095.70	55,158.00	374.04	11,503.47
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		38,577.11	30,455.71	-	6,396.50	0.12	18.78
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		374.66	716.01	(24.28)	(343.24)	(8.36)	-
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		-	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments		(972.84)	(40.14)	(15.94)	-	(7.79)	(64.03)
अन्य आय / Other Income							
(i) वापस लिखी गई राशियाँ / Amounts written back		70.74	(0.09)	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ / Sundry Receipts		164.03	288.16	-	139.21	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholder's A/c							
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,390.81	-	19.22	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs		-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (c) Others		-	-	-	-	-	-
कुल (क) TOTAL (A)		5,21,853.31	1,43,116.33	3,435.36	1,67,939.31	359.87	27,255.89

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
5.90	282.91	14,098.00	1,717.63	64.22	4,88,449.86	0.91	4,88,450.77
-	(87.37)	(0.63)	-	(11.60)	(699.23)	-	(699.23)
-	-	-	-	-	-	-	-
5.90	195.54	14,097.37	1,717.63	52.62	4,87,750.63	0.91	4,87,751.54
8.66	63.31	939.94	293.70	91.92	3,15,541.68	16.34	3,15,558.02
0.39	9.54	866.01	860.81	179.56	77,364.53	0.36	77,364.89
-	(0.35)	2.27	1.65	2.32	720.68	(0.50)	720.18
-	-	369.92	(417.80)	(106.70)	(154.58)	-	(154.58)
-	(0.10)	-	-	-	(1,100.84)	-	(1,100.84)
-	-	-	-	-	70.65	-	70.65
(0.15)	0.02	0.11	-	-	591.38	-	591.38
-	100.26	-	98.87	8.24	2,617.40	-	2,617.40
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.80	368.22	16,275.62	2,554.86	227.96	8,83,401.53	17.11	8,83,418.64

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन / Commission	2	22,795.20	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	31,618.57	2,212.49	53.50	192.84	5.69	360.96
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for Doubtful debts		(1,546.08)	0.20	-	-	-	1.41
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान / Provisions for tax		1,477.69	5,698.37	-	370.49	0.01	101.96
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)							
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		(26.95)	31.87	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र और अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures Bonds and others		(600.07)	(14.26)	(5.36)	(18.61)	(0.12)	(3.94)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges		-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)		53,718.36	9,600.01	55.58	544.77	5.62	834.55
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	4	2,45,099.07	58,367.81	2,677.62	92,400.68	333.90	9,761.30
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid		3,073.55	-	0.49	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies							
(क) सकल** (a) Gross**		2,13,653.75	37,935.06	333.27	72,449.34	(134.69)	15,959.81
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for linked policies		-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued policies		-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,285.10	0.02	25,285.12
0.14	54.10	742.25	108.72	10.34	35,359.60	0.46	35,360.06
-	(0.01)	(1.32)	(0.24)	-	(1,546.04)	(0.17)	(1,546.21)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.45	44.25	33.82	-	6.97	7,734.01	21.66	7,755.67
-	-	5.32	3.34	2.02	15.60	-	15.60
-	(0.03)	-	-	-	(642.39)	-	(642.39)
-	-	180.83	29.79	12.72	223.34	-	223.34
0.75	117.77	1,323.04	193.57	35.20	66,429.22	21.97	66,451.19
7.89	23.60	2,483.23	1,570.92	160.36	4,12,886.38	5.72	4,12,892.10
-	-	-	-	-	3,074.04	-	3,074.04
3.87	(77.06)	22.96	(7.31)	(1.61)	3,40,137.39	(50.91)	3,40,086.48
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,165.16	508.80	(13.88)	12,660.08	-	12,660.08
-	-	328.26	68.91	-	397.17	-	397.17

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(च) भविष्य विनियोजन निधियों का अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation - Linked Business		-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)		4,61,826.37	96,302.87	3,011.38	1,64,850.02	199.21	25,721.11
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग)		6,308.58	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)							
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		-	1,921.92	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		6,308.58	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23
विनियोजन / APPROPRIATIONS							
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		6,226.51	39,135.37	16.76	2,544.52	0.10	700.23
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष Balance being Funds for Future Appropriations		82.07	-	351.64	-	154.94	-
कुल (घ) / TOTAL (D)		6,308.58	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	25.04	-	-	25.04	-	25.04
11.76	(53.46)	15,024.65	2,141.32	144.87	7,69,180.10	(45.19)	7,69,134.91
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,792.21	40.33	47,832.54
-	-	304.34	29.16	-	2,255.42	-	2,255.42
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,047.63	40.33	50,087.96
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	49,458.98	40.33	49,499.31
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	588.65	-	588.65
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89	50,047.63	40.33	50,087.96

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस / (a) Interim Bonus paid	3,073.55	-	0.49	-	-	-
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन (b) Allocation of Bonus to policyholders	56,038.53	-	150.86	-	0.85	-
(ग) राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in Revenue account	6,308.58	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
कुल अधिशेष (क+ख+ग) / Total Surplus [a+b+c]	65,420.66	37,213.45	519.75	2,544.52	155.89	700.23

* निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना गया प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	3,074.04	-	3,074.04
-	-	-	-	-	56,190.24	-	56,190.24
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	47,792.21	40.33	47,832.54
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	1,07,056.49	40.33	1,07,096.82

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net							
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	448.34	0.88	-	-	-	-
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(1.47)	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total		446.87	0.88	-	-	-	-
निवेशों से आय / Income from Investments							
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		294.41	0.15	-	-	-	-
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		11.34	-	-	-	-	-
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(6.54)	-	-	-	-	-
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		(71.04)	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments		(0.59)	-	-	-	-	-
अन्य आय / Other Income							
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back		(0.10)	-	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts		9.65	-	-	-	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholders' A/c							
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		-	-	-	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs		-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (c) Others		12.65	-	-	-	-	-
कुल (क) / TOTAL (A)		696.65	1.03	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	2.26	-	-	451.48	-	451.48
-	-	-	-	-	(1.47)	-	(1.47)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.26	-	-	450.01	-	450.01
-	-	1.90	-	-	296.46	-	296.46
-	-	2.70	-	-	14.04	-	14.04
-	-	(0.86)	-	-	(7.40)	-	(7.40)
-	-	6.16	-	-	(64.88)	-	(64.88)
-	-	-	-	-	(0.59)	-	(0.59)
-	-	-	-	-	(0.10)	-	(0.10)
-	-	(1.06)	-	-	8.59	-	8.59
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12.65		12.65
-	-	11.10	-	-	708.78	-	708.78

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन / Commission	2	26.29	-	-	-	-	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	62.09	0.06	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		1.32	-	-	-	-	-
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान (शुद्ध) Provisions for Tax (Net) #		17.62	-	-	-	-	-
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)							
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र और अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures / Bonds and others		0.22	-	-	-	-	-
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges		-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)		107.54	0.06	-	-	-	-
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	4	403.01	0.02	-	-	-	0.84
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid		2.22	-	-	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन / Change in valuation of liability in respect of life policies							
(क) सकल** (a) Gross**		175.71	0.95	-	-	-	(0.84)
(ख) (पुनर्बीमा में अंतरित राशि) (b) (Amount ceded in Reinsurance)		-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(घ) संबंध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies		-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेन्शन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
-	-	-	-	-	-	26.29	-	26.29
-	-	(9.89)	-	-	-	52.26	-	52.26
-	-	-	-	-	-	1.32	-	1.32
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.46	-	-	-	18.08	-	18.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0.22	-	0.22
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(9.43)	-	-	-	98.17	-	98.17
-	-	8.68	-	-	-	412.55	-	412.55
-	-	-	-	-	-	2.22	-	2.22
-	-	(0.66)	-	-	-	175.16	-	175.16
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.51	-	-	-	12.51	-	12.51

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ड) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Policies		-	-	-	-	-	-
(घ) भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण - संबद्ध व्यवसाय (f) Transfer to Funds for future appropriation - Linked Business		-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)		580.94	0.97	-	-	-	-
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		8.17	-	-	-	-	-
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholders' Account (Non-Technical Account)		-	-	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		8.17	-	-	-	-	-
विनियोजन/APPROPRIATIONS							
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		8.17	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष Balance being Funds for Future Appropriations		-	-	-	-	-	-
कुल (घ)/TOTAL (D)		8.17	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20.53	-	-	602.44	-	602.44
-	-	-	-	-	8.17	-	8.17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8.17	-	8.17
-	-	-	-	-	8.17	-	8.17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8.17	-	8.17

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस (a) Interim Bonuses paid	2.22	-	-	-	-	-
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन/ (b) Allocation of Bonus to policyholders	124.72	-	-	-	-	-
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष / (c) Surplus shown in Revenue account	8.17	-	-	-	-	-
कुल अधिशेष (क+ख+ग) / Total Surplus [a+b+c]	135.11	-	-	-	-	-

* निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना गया प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	2.22	-	2.22
-	-	-	-	-	124.72	-	124.72
-	-	-	-	-	8.17	-	8.17
-	-	-	-	-	135.11	-	135.11

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net							
(क) प्रीमियम	1	394.80	0.83	-	-	-	-
(a) Premium							
(ख) पुनर्बीमा अंतरण		(1.52)	-	-	-	-	-
(b) Reinsurance ceded							
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार		-	-	-	-	-	-
(c) Reinsurance accepted							
उप-योग / Sub-Total		393.28	0.83	-	-	-	-
निवेशों से आय / Income from Investments							
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल		268.54	0.14	-	-	-	-
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross							
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ		24.66	-	-	-	-	-
(b) Profit on sale/redemption of investments							
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि)		(27.04)	-	-	-	-	-
(c) (Loss on sale/redemption of investments)							
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*		(33.42)	-	-	-	-	-
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*							
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट		-	-	-	-	-	-
(e) Amortisation of Premium/Discount on investments							
अन्य आय / Other Income							
(i) वापस लिखी गई राशियाँ / Amounts written back		-	-	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ / Sundry Receipts		1.53	-	-	-	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholders' A/c							
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए		-	-	-	-	-	-
(a) Towards Excess Expenses of Management							
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए							
(b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs							
(ग) अन्य		24.69	-	-	-	-	-
(c) Others							
कुल (क) TOTAL (A)		652.24	0.97	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
-	-	2.52	-	-	398.15	-	398.15	
-	-	-	-	-	(1.52)	-	(1.52)	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2.52	-	-	396.63	-	396.63	
-	-	1.81	-	-	270.49	-	270.49	
-	-	2.78	-	-	27.44	-	27.44	
-	-	(0.28)	-	-	(27.32)	-	(27.32)	
-	-	(1.48)	-	-	(34.90)	-	(34.90)	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	(1.05)	-	-	0.48	-	0.48	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	24.69	-	24.69	
-	-	4.30	-	-	657.51	-	657.51	

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन / Commission	2	23.64	-	-	-	-	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	57.86	0.10	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		0.42	-	-	-	-	-
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान / Provisions for tax		16.26	-	-	-	-	-
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)							
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र और अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures / Bonds and others		-	-	-	-	-	-
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services Tax on ULIP Charges		-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)		98.18	0.10	-	-	-	-
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	375.44	0.18	-	-	-	0.77
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		1.76	-	-	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies							
(क) सकल** (a) Gross**		169.45	0.69	-	-	-	(0.77)
(ख) (पुनर्बीमा में अंतरित राशि) (b) (Amount ceded in Reinsurance)		-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies		-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Policies		-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	23.64	-	23.64
-	-	(2.82)	-	-	55.14	-	55.14
-	-	-	-	-	0.42	-	0.42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.56	-	-	16.82	-	16.82
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(2.26)	-	-	96.02	-	96.02
-	-	10.40	-	-	386.79	-	386.79
-	-	-	-	-	1.76	-	1.76
-	-	(0.77)	-	-	168.60	-	168.60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(3.07)	-	-	(3.07)	-	(3.07)
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(च) भविष्य विनियोजन निधियों का अंतरण - संबद्ध व्यवसाय							
(f) Transfer to Funds for Future Appropriations - Linked Business		-	-	-	-	-	-
कुल (ग) / TOTAL (C)		546.65	0.87	-	-	-	-
अधिशेष / (घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		7.41	-	-	-	-	-
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholders' Account (Non Technical Account)		-	-	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		7.41	-	-	-	-	-
विनियोजन / APPROPRIATIONS							
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		7.41	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-	-	-	-	-
भावी विनियोजन के लिए निधियों के रूप में शेष Balance being Funds for Future Appropriations		-	-	-	-	-	-
कुल (घ) / TOTAL (D)		7.41	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6.56	-	-	554.08	-	554.08
-	-	-	-	-	7.41	-	7.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.41	-	7.41
-	-	-	-	-	7.41	-	7.41
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7.41	-	7.41

अनुबंध - I
फार्म ए-आर एबीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.200131 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष का ब्यौरा

The Break up of Total Surplus during the year

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस / (a) Interim Bonuses paid	1.76	-	-	-	-	-
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन* / (b) Allocation of Bonus to policyholders*	140.86	-	-	-	-	-
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष / (c) Surplus shown in Revenue account	7.41	-	-	-	-	-
(घ) कुल अधिशेष (क + ख + ग) / (d) Total Surplus [a+b+c]	150.03	-	-	-	-	-

* निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना गया प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

इस राशि में यूके शाखा के सहभागी पॉलिसीधारकों को दिए गए अंतिम बोनस से संबंधित ₹ 26.76 करोड़ शामिल है, लेकिन यूके शाखा के वैधानिक मूल्यांकन में इसे अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The amount includes Rs. 26.76 crores pertaining to Final Bonus paid to UK branch participating policyholders but shown as surplus for UK branch in statutory valuation of the UK branch.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

SEGMENTAL REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
-	-	-	-	-	1.76	-	1.76
-	-	-	-	-	140.86	-	140.86
-	-	-	-	-	7.41	-	7.41
-	-	-	-	-	150.03	-	150.03

अनुबंध - I

अनुसूची - 1

प्रीमियम: 31.03.2026 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(1) प्रथम वर्षीय प्रीमियम / First year Premiums	24,341.28	11,871.44	0.01	2,207.31	-	10.69
(2) परवर्ती प्रीमियम / Renewal Premiums	2,56,655.92	9,869.92	319.47	2,215.23	1.67	211.83
(3) एकल प्रीमियम / Single Premiums	2,268.15	85,685.11	-	1,02,231.71	-	15,603.32
कुल प्रीमियम / TOTAL PREMIUM	2,83,265.35	1,07,426.47	319.48	1,06,654.25	1.67	15,825.84
व्यवसाय से लिखित प्रीमियम आय / Premium Income from business written:						
(1) भारत में / In India	2,82,817.01	1,07,425.59	319.48	1,06,654.25	1.67	15,825.84
(2) भारत के बाहर / Outside India	448.34	0.88	-	-	-	-
कुल प्रीमियम / TOTAL PREMIUM	2,83,265.35	1,07,426.47	319.48	1,06,654.25	1.67	15,825.84

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 1

PREMIUM: 31.03.2026 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	0.18	3,201.92	302.47	-	41,935.30	-	41,935.30
2.58	256.92	5,673.67	871.50	56.03	2,76,134.74	0.85	2,76,135.59
-	-	11,960.08	929.30	-	2,18,677.67	-	2,18,677.67
2.58	257.10	20,835.67	2,103.27	56.03	5,36,747.71	0.85	5,36,748.56
2.58	257.10	20,833.41	2,103.27	56.03	5,36,296.23	0.85	5,36,297.08
-	-	2.26	-	-	451.48	-	451.48
2.58	257.10	20,835.67	2,103.27	56.03	5,36,747.71	0.85	5,36,748.56

अनुबंध - I

अनुसूची - 1

प्रीमियम: 31.03.2025 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(1) प्रथम वर्षीय प्रीमियम / First year Premiums	25,663.99	7,798.54	-	1,667.77	-	162.41
(2) परवर्ती प्रीमियम / Renewal Premiums	2,48,699.23	7,370.13	360.76	1,844.16	1.86	59.21
(3) एकल प्रीमियम / Single Premiums	3,567.67	56,828.14	-	1,03,076.91	-	15,576.05
कुल प्रीमियम / TOTAL PREMIUM	2,77,930.89	71,996.81	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
व्यवसाय से लिखित प्रीमियम आय / Premium Income from business written:						
(1) भारत में / In India	2,77,536.09	71,995.98	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
(2) भारत के बाहर / Outside India	394.80	0.83	-	-	-	-
कुल प्रीमियम / TOTAL PREMIUM	2,77,930.89	71,996.81	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 1

PREMIUM: 31.03.2025 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	12.30	1,519.61	200.76	-	37,025.38	-	37,025.38
5.90	270.61	2,790.52	595.92	64.22	2,62,062.52	0.91	2,62,063.43
-	-	9,790.39	920.95	-	1,89,760.11	-	1,89,760.11
5.90	282.91	14,100.52	1,717.63	64.22	4,88,848.01	0.91	4,88,848.92
5.90	282.91	14,098.00	1,717.63	64.22	4,88,449.86	0.91	4,88,450.77
-	-	2.52	-	-	398.15	-	398.15
5.90	282.91	14,100.52	1,717.63	64.22	4,88,848.01	0.91	4,88,848.92

अनुबंध - I

अनुसूची - 2

कमीशन व्यय: 31.03.2026 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन / Commission						
प्रत्यक्ष - प्रथम वर्षीय प्रीमियम / Direct - First year premiums	7,342.27	1,785.25	0.01	-	-	0.92
परवर्ती प्रीमियम / - Renewal premiums	13,511.62	529.96	6.49	-	0.03	16.38
एकल प्रीमियम / - Single premiums	65.36	87.94	-	-	-	425.38
सकल कमीशन / Gross Commission	20,919.25	2,403.15	6.50	0.00	0.03	442.68
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add : Commission on Re-insurance Accepted	-	-	-	-	-	-
घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	6.80	0.69	-	-	-	-
शुद्ध कमीशन / Net Commission	20,912.45	2,402.46	6.50	0.00	0.03	442.68
लिखित व्यवसाय पर कमीशन / Commission on business written:						
भारत में / In India	20,886.16	2,402.46	6.50	-	0.03	442.68
भारत के बाहर / Outside India	26.29	-	-	-	-	-
कुल कमीशन / Total Commission	20,912.45	2,402.46	6.50	-	0.03	442.68

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 2

COMMISSION EXPENSES: 31.03.2026 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	0.06	165.64	23.79	-	9,317.94	-	9317.94
0.10	13.36	88.97	7.44	2.46	14,176.81	0.01	14176.82
-	-	346.94	26.70	-	952.32	-	952.32
0.10	13.42	601.55	57.93	2.46	24,447.07	0.01	24,447.08
-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	-	7.49	-	7.49
0.10	13.42	601.55	57.93	2.46	24,439.58	0.01	24,439.59
0.10	13.42	601.55	57.93	2.46	24,413.29	0.01	24,413.30
-	-	-	-	-	26.29	-	26.29
0.10	13.42	601.55	57.93	2.46	24,439.58	0.01	24,439.59

अनुबंध - I

अनुसूची - 2

कमीशन व्यय: 31.03.2025 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन / Commission						
प्रत्यक्ष - प्रथम वर्षीय प्रीमियम / Direct - First year premiums	8,467.62	1,384.82	-	0.03	-	18.49
परवर्ती प्रीमियम / - Renewal premiums	14,207.78	274.78	7.44	-	0.04	1.30
एकल प्रीमियम / - Single premiums	143.44	11.74	-	0.02	-	354.37
सकल कमीशन / Gross Commission	22,818.84	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add : Commission on Re-insurance Accepted	-	-	-	-	-	-
घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	-	-	-	-	-	-
शुद्ध कमीशन / Net Commission	22,818.84	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
लिखित व्यवसाय पर कमीशन / Commission on business written:						
भारत में / In India	22,795.20	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
भारत के बाहर / Outside India	23.64	-	-	-	-	-
कुल कमीशन / Total Commission	22,818.84	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 2

COMMISSION EXPENSES: 31.03.2025 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेन्शन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health				
-	4.98	94.05	16.85	-	9,986.84	-	9,986.84	
0.16	14.48	46.08	6.23	3.15	14,561.44	0.02	14,561.46	
-	-	222.01	28.88	-	760.46	-	760.46	
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,308.74	0.02	25,308.76	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,308.74	0.02	25,308.76	
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,285.10	0.02	25,285.12	
-	-	-	-	-	23.64	-	23.64	
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,308.74	0.02	25,308.76	

अनुबंध - I

अनुसूची - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित परिचालन व्यय: 31.03.2026

(कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ / Employees' remuneration & welfare benefits	24,571.08	1,927.75	39.49	101.70	4.80	248.97
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय / Travel, conveyance and vehicle running expenses	374.38	22.05	0.63	0.82	0.08	3.38
3 प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	32.26	2.54	0.06	0.21	0.01	0.28
4 किराया, दरें एवं कर / Rents, rates & taxes	766.56	36.10	1.39	2.28	0.17	5.51
5 मरम्मत / Repairs	264.37	13.13	0.48	0.91	0.06	1.90
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री / Printing & Stationery	226.92	7.52	0.41	0.06	0.05	1.64
7 संचार व्यय / Communication expenses	243.32	11.21	0.44	0.67	0.05	1.75
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार / Legal & professional charges	68.07	6.42	0.12	0.91	0.02	0.47
9 चिकित्सा शुल्क / Medical Fees	49.27	19.95	-	-	-	-
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.						
(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) as auditor	13.22	0.51	0.02	0.02	-	0.09
(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में / (b) as adviser or in any other capacity in respect of						
(i) कराधान मामले / (i) Taxation matters	-	-	-	-	-	-
(ii) बीमा मामले / (ii) Insurance matters	-	-	-	-	-	-
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा / (iii) Management services; and	-	-	-	-	-	-
(ग) किसी अन्य क्षमता में / (c) in any other capacity	-	-	-	-	-	-

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 3

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS:31.03.2026 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेन्शन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
0.03	29.33	869.00	88.72	8.27	27,889.14	0.27	27,889.41
-	0.47	12.83	1.34	0.13	416.11	-	416.11
-	0.04	1.09	0.11	0.01	36.61	-	36.61
-	1.03	24.86	2.67	0.29	840.86	0.01	840.87
-	0.36	8.60	0.93	0.10	290.84	-	290.84
-	0.30	7.38	0.80	0.09	245.17	-	245.17
-	0.33	7.92	0.85	0.09	266.63	0.01	266.64
-	0.09	2.13	0.23	0.02	78.48	-	78.48
-	-	2.55	-	-	71.77	-	71.77
-	0.01	0.41	0.02	0.01	14.31	-	14.31
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I

अनुसूची - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित परिचालन व्यय: 31.03.2026

(कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
11 विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and publicity	351.52	258.00	-	2.25	0.02	16.20
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार / Interest & bank Charges	119.67	4.25	0.21	1.02	0.03	0.86
13 मूल्यहास / Depreciation	644.77	27.76	1.17	1.41	0.14	4.65
14 ब्रांड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार / Brand/Trade Mark usage fee/ charges	-	-	-	-	-	-
15 व्यवसाय विकास और विक्रय व्यय संवर्धन व्यय / Business Development and Sales Promotion Expenses	46.54	1.48	0.09	-	0.01	0.34
16 पॉलिसियो पर स्टाम्प शुल्क / Stamp duty on policies	188.35	71.93	-	5.49	-	2.79
17 सूचना प्रौद्योगिकी व्यय / Information Technology Expenses	51.01	1.62	0.09	-	0.01	0.37
18 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) / Goods and Services Tax (GST)	3,987.75	330.86	3.90	166.81	0.27	35.21
19 अन्य / Others						
1 भत्ते / Allowances	1,452.80	113.05	2.07	-	0.25	18.21
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय / Expense on Investment Property	155.19	4.61	-	-	-	-
3 पावती स्टॉम्प / Receipt stamps	12.77	0.42	0.02	-	-	0.09
4 बिजली प्रभार / Electricity charges	195.61	9.86	0.36	0.70	0.04	1.41
5 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम / Cash in transit and other insurance premia	4.08	0.22	0.01	0.02	-	0.03
6 विविध व्यय / Miscellaneous expenses	715.90	34.62	1.55	2.32	0.19	6.18
7 मुख्य कार्यालय व्यय / Head Office expenses	1.10	-	-	-	-	-
8 विनिमय (लाभ)/हानि / Exchange (gain)/Loss	(0.29)	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,536.22	2,905.86	52.51	287.60	6.20	350.33
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS						
भारत में / In India	34,474.13	2,905.80	52.51	287.60	6.20	350.33
भारत के बाहर / Outside India	62.09	0.06	-	-	-	-
कुल परिचालन व्यय / TOTAL OPERATING EXPENSES	34,536.22	2,905.86	52.51	287.60	6.20	350.33

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 3

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS:31.03.2026 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand TOTAL
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	0.01	54.20	1.21	-	683.41	-	683.41
-	0.16	4.08	0.46	0.05	130.79	-	130.79
-	0.87	20.95	2.25	0.24	704.21	-	704.21
-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	0.06	1.51	0.16	0.02	50.21	-	50.21
-	-	15.11	1.18	-	284.85	-	284.85
-	0.07	1.66	0.18	0.02	55.03	-	55.03
0.01	4.68	86.27	8.45	0.64	4,624.85	-	4,624.85
-	1.53	54.49	5.35	0.43	1,648.18	-	1,648.18
-	-	-	-	-	159.80	-	159.80
-	0.02	0.42	0.04	0.01	13.79	-	13.79
-	0.26	6.36	0.68	0.08	215.36	0.01	215.37
-	0.01	0.13	0.01	-	4.51	-	4.51
-	1.43	27.86	3.02	0.54	793.61	0.04	793.65
-	-	-	-	-	1.10	-	1.10
-	-	(9.89)	-	-	(10.18)	-	-10.18
0.04	41.06	1,199.92	118.66	11.04	39,509.44	0.34	39,509.78
0.04	41.06	1,209.81	118.66	11.04	39,457.18	0.34	39,457.52
-	-	(9.89)	-	-	52.26	-	52.26
0.04	41.06	1,199.92	118.66	11.04	39,509.44	0.34	39,509.78

अनुबंध - I

अनुसूची - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित परिचालन व्यय: 31.03.2025

(कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ / Employees' remuneration & welfare benefits	24,186.20	1,601.55	40.05	116.50	4.67	252.20
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय / Travel, conveyance and vehicle running expenses	438.30	19.39	0.77	1.01	0.09	3.98
3 प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	30.43	1.40	0.05	0.09	0.01	0.27
4 किराया, दरें एवं कर / Rents, rates & taxes	754.02	25.05	1.42	1.89	0.17	5.48
5 मरम्मत / Repairs	187.44	4.09	0.37	0.02	0.04	1.43
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री / Printing & Stationery	202.89	4.58	0.38	0.09	0.04	1.48
7 संचार व्यय / Communication expenses	248.51	9.12	0.47	0.78	0.06	1.81
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार / Legal & professional charges	52.55	1.47	0.09	0.10	0.01	0.35
9 चिकित्सा शुल्क / Medical Fees	44.72	16.83	-	-	-	-
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.						
(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) as auditor	12.68	0.24	-	-	-	0.09
(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में / (b) as adviser or in any other capacity in respect of						
(i) कराधान मामले / (i) Taxation matters	-	-	-	-	-	-
(ii) बीमा मामले / (ii) Insurance matters	-	-	-	-	-	-
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा / (iii) Management services; and	-	-	-	-	-	-
(ग) किसी अन्य क्षमता में / (c) in any other capacity	0.05	-	-	-	-	-

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 3

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS:31.03.2025 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेन्शन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
0.12	39.95	565.34	80.85	8.21	26,895.64	0.36	26,896.00
-	0.75	9.94	1.46	0.16	475.85	0.01	475.86
-	0.05	0.69	0.10	0.01	33.10	-	33.10
-	1.36	16.42	2.50	0.29	808.60	0.01	808.61
-	0.36	4.27	0.65	0.08	198.75	-	198.75
-	0.37	4.43	0.68	0.08	215.02	0.01	215.03
-	0.45	5.43	0.83	0.10	267.56	0.01	267.57
-	0.09	1.04	0.16	0.01	55.87	-	55.87
-	0.03	2.38	-	-	63.96	-	63.96
-	-	0.05	0.02	0.01	13.09	-	13.09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.05	-	0.05

अनुबंध - I

अनुसूची - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बंधित परिचालन व्यय: 31.03.2025

(कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
11 विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and publicity	308.68	131.56	-	1.69	-	54.62
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार / Interest & bank Charges	131.05	3.09	0.25	0.95	0.03	0.95
13 मूल्यहास / Depreciation	466.55	18.51	0.88	1.75	0.10	3.40
14 ब्रांड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार / Brand/Trade Mark usage fee/ charges	-	-	-	-	-	-
15 व्यवसाय विकास और विक्रय व्यय संवर्धन व्यय / Business Development and Sales Promotion Expenses	53.22	1.09	0.10	-	0.01	0.39
16 पॉलिसियो पर स्टाम्प शुल्क / Stamp duty on policies	184.49	58.29	-	5.58	-	3.25
17 सूचना प्रौद्योगिकी व्यय / Information Technology Expenses	56.87	1.16	0.11	-	0.01	0.42
18 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) / Goods and Services Tax (GST)	1,826.66	169.98	4.09	60.32	0.04	0.03
19 अन्य / Others						
1 भत्ते / Allowances	1,552.15	114.43	2.01	-	0.23	23.62
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय / Expense on Investment Property	152.23	2.95	-	-	-	-
3 पावती स्टॉम्प / Receipt stamps	12.89	0.34	0.03	0.01	-	0.09
4 बिजली प्रभार / Electricity charges	208.45	4.92	0.39	0.13	0.05	1.52
5 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम / Cash in transit and other insurance premia	3.21	0.11	0.01	0.01	-	0.02
6 विविध व्यय / Miscellaneous expenses	561.06	22.44	2.03	1.92	0.13	5.56
7 मुख्य कार्यालय व्यय / Head Office expenses	1.03	-	-	-	-	-
8 विनिमय (लाभ)/हानि / Exchange (gain)/Loss	0.10	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	31,676.43	2,212.59	53.50	192.84	5.69	360.96
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS						
भारत में / In India	31,618.57	2,212.49	53.50	192.84	5.69	360.96
भारत के बाहर / Outside India	57.86	0.10	-	-	-	-
कुल परिचालन व्यय / TOTAL OPERATING EXPENSES	31,676.43	2,212.59	53.50	192.84	5.69	360.96

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 3

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS:31.03.2025 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेन्शन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	0.59	45.39	9.25	-	551.78	-	551.78
-	0.24	2.98	0.47	0.06	140.07	-	140.07
-	0.85	10.18	1.55	0.18	503.95	-	503.95
-	-	-	-	-	-	-	0.00
-	0.10	1.16	0.18	0.02	56.27	-	56.27
-	0.39	9.39	0.89	-	262.28	-	262.28
-	0.10	1.24	0.19	0.02	60.12	-	60.12
-	4.12	-	-	-	2,065.24	-	2,065.24
0.01	2.16	39.78	5.20	0.41	1,740.00	-	1,740.00
-	-	-	-	-	155.18	-	155.18
-	0.03	0.28	0.04	-	13.71	-	13.71
-	0.38	4.55	0.70	0.08	221.17	0.01	221.18
0.01	0.01	0.07	0.01	-	3.46	-	3.46
-	1.72	17.24	2.99	0.62	615.71	0.05	615.76
-	-	-	-	-	1.03	-	1.03
-	-	(2.82)	-	-	(2.72)	-	-2.72
0.14	54.10	739.43	108.72	10.34	35,414.74	0.46	35,415.20
0.14	54.10	742.25	108.72	10.34	35,359.60	0.46	35,360.06
-	-	(2.82)	-	-	55.14	-	55.14
0.14	54.10	739.43	108.72	10.34	35,414.74	0.46	35,415.20

अनुबंध - I

अनुसूची - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध) - 31.03.2026 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
1 बीमा दावें / Insurance Claims						
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	16,789.00	5,909.38	179.71	845.96	49.92	1,458.32
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	1,66,686.23	27,180.64	154.15	22,767.84	12.60	0.01
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	0.02	-	1,894.19	15,747.30	249.31	7,749.71
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	61,444.55	-	-	-	-	-
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	-	-	-	-	-	-
(च) अभ्यर्पण (f) Surrenders	38,483.91	495.98	485.42	53.18	9.29	1,560.65
(छ) अन्य लाभ (g) Other benefits:						
(i) आहरण (i) Withdrawal	-	43,333.36	-	67,008.55	-	-
(ii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई राशि पर ब्याज (ii) Other Claims Cost - Interest on Unclaimed Amount	-	412.43	-	-	-	-
- अन्य - Others	0.82	-	-	-	-	0.02
2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि) /(Amount ceded in reinsurance):						
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	(58.80)	(446.15)	-	-	-	-
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-	-	-	-	-
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-	-	-	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	-	-	-	-	-	-

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 4

BENEFITS PAID (NET): 31.03.2026 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेन्शन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
1.09	0.28	103.82	51.33	1.75	25,390.56	-	25,390.56
90.26	-	746.40	802.72	60.76	2,18,501.61	5.07	2,18,506.68
-	-	-	-	-	25,640.53	0.54	25,641.07
-	-	-	-	-	61,444.55	-	61,444.55
-	81.49	-	-	15.26	96.75	-	96.75
3.72	-	4,176.68	1,045.65	69.85	46,384.33	0.04	46,384.37
-	-	4.80	-	-	1,10,346.71	-	1,10,346.71
-	-	0.01	-	-	412.44	-	412.44
-	0.05	80.25	6.54	-	87.68	-	87.68
-	-	(0.33)	-	-	(505.28)	-	(505.28)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंद - I

अनुसूची - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध) - 31.03.2026 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ड) स्वास्थ्य (e) Health	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य लाभ (f) Other benefits	-	-	-	-	-	-
3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: / Amount accepted in reinsurance:						
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	-	-	-	-	-	-
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-	-	-	-	-
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-	-	-	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	-	-	-	-	-	-
(ड) स्वास्थ्य (e) Health	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य लाभ (f) Other benefits	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	2,83,345.73	76,885.64	2,713.47	1,06,422.83	321.12	10,768.71
दावेदारों को भुगतान किए गए लाभ / Benefits paid to claimants:						
1 भारत में / In India	2,82,942.72	76,885.62	2,713.47	1,06,422.83	321.12	10,767.87
2 भारत के बाहर / Outside India	403.01	0.02	-	-	-	0.84
कुल प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Total Benefits paid (Net)	2,83,345.73	76,885.64	2,713.47	1,06,422.83	321.12	10,768.71

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 4

BENEFITS PAID (NET): 31.03.2026 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	(54.22)	-	-	(3.74)	(57.96)	-	(57.96)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
95.07	27.60	5,111.63	1,906.24	143.88	4,87,741.92	5.65	4,87,747.57
95.07	27.60	5,102.95	1,906.24	143.88	4,87,329.37	5.65	4,87,335.02
-	-	8.68	-	-	412.55	-	412.55
95.07	27.60	5,111.63	1,906.24	143.88	4,87,741.92	5.65	4,87,747.57

अनुबंध - I

अनुसूची - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध) - 31.03.2025 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
1 बीमा दावें / Insurance Claims						
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	16,688.31	5,922.94	184.67	705.98	47.49	1,316.49
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	1,34,104.85	24,556.90	152.30	22,275.44	13.52	0.10
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	0.02	-	1,793.41	13,094.03	261.62	6,947.85
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	55,335.05	-	-	-	-	-
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	-	-	-	-	-	-
(च) अभ्यर्पण (f) Surrenders	40,303.27	424.66	547.78	2,521.56	11.41	1,498.12
(छ) अन्य लाभ (g) Other benefits:						
(i) आहरण (i) Withdrawal	-	28,477.66	-	53,803.67	-	-
(ii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई राशि पर ब्याज (ii) Other Claims Cost - Interest on Unclaimed Amount	(898.01)	(510.68)	(0.09)	-	(0.14)	(0.52)
- अन्य - Others	2.50	0.01	0.09	-	-	0.03
2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि) / (Amount ceded in reinsurance):						
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	(61.48)	(503.50)	(0.54)	-	-	-
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-	-	-	-	-
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-	-	-	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	-	-	-	-	-	-

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 4

BENEFITS PAID (NET): 31.03.2025 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
1.10	0.28	71.19	44.63	1.99	24,985.07	0.13	24,985.20
2.63	-	192.51	610.40	64.06	1,81,972.71	4.95	1,81,977.66
-	-	-	-	-	22,096.93	0.63	22,097.56
-	-	-	-	-	55,335.05	-	55,335.05
-	77.54	-	-	16.45	93.99	-	93.99
3.71	-	2,255.45	973.76	78.91	48,618.63	0.02	48,618.65
-	-	5.29	-	-	82,286.62	-	82,286.62
0.45	(0.24)	(30.67)	(57.85)	2.55	(1,495.20)	(0.01)	(1,495.21)
-	0.05	-	(0.02)	0.04	2.70	-	2.70
-	-	(0.14)	-	-	(565.66)	-	(565.66)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंद - I

अनुसूची - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध) - 31.03.2025 (कुल व्यवसाय)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ड) स्वास्थ्य (e) Health	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य लाभ (f) Other benefits	-	-	-	-	-	-
3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: / Amount accepted in reinsurance:						
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	-	-	-	-	-	-
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-	-	-	-	-
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-	-	-	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefit	-	-	-	-	-	-
(ड) स्वास्थ्य (e) Health	-	-	-	-	-	-
(च) अन्य लाभ (f) Other benefits	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	2,45,474.51	58,367.99	2,677.62	92,400.68	333.90	9,762.07
दावेदारों को भुगतान किए गए लाभ / Benefits paid to claimants:						
1 भारत में / In India	2,45,099.07	58,367.81	2,677.62	92,400.68	333.90	9,761.30
2 भारत के बाहर / Outside India	375.44	0.18	-	-	-	0.77
कुल प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Total Benefits paid (Net)	2,45,474.51	58,367.99	2,677.62	92,400.68	333.90	9,762.07

ANNEXURE - I

SCHEDULE - 4

BENEFITS PAID (NET): 31.03.2025 (TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल योग Grand Total
परिवर्तनीय व्यवसाय Variable	स्वास्थ्य व्यवसाय Health	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य व्यवसाय Health			
-	(54.03)	-	-	(3.64)	(57.67)	-	(57.67)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.89	23.60	2,493.63	1,570.92	160.36	4,13,273.17	5.72	4,13,278.89
7.89	23.60	2,483.23	1,570.92	160.36	4,12,886.38	5.72	4,12,892.10
-	-	10.40	-	-	386.79	-	386.79
7.89	23.60	2,493.63	1,570.92	160.36	4,13,273.17	5.72	4,13,278.89

भारतीय जीवन बीमा निगम

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन रिपोर्ट

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 और उसके बाद भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (“आईआरडीएआई”) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है:

1. पंजीकरण का प्रमाण पत्र

निगम ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और यह वैध बना हुआ है। निगम ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।

2. वैधानिक देय राशि

निगम इस बात की पुष्टि करता है कि वैधानिक प्राधिकरणों को देय सभी देय राशि का भुगतान नियत तारीखों के भीतर कर दिया गया है।

3. शेयरधारिता पैटर्न

निगम इस बात की पुष्टि करता है कि शेयरधारिता पैटर्न वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

विस्तृत शेयरधारिता पैटर्न वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची 5अ में प्रकट किया गया है। इसके अलावा, शेयरधारिता पैटर्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार है, और निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. भारत के बाहर निवेश

निगम ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्ष के दौरान भारत में जारी किए गए पॉलिसी धारकों के फंड से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है।

5. शोधन क्षमता मार्जिन (सॉल्वेंसी मार्जिन)

निगम के पास बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के तहत निर्धारित अपनी आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति है।

आवश्यक न्यूनतम सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात 150% की तुलना में वास्तविक सॉल्वेंसी मार्जिन अनुपात निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
सॉल्वेंसी मार्जिन	2.35	2.11

6. परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

तुलन-पत्र की तिथि पर सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है तथा प्रबंधन की राय में तुलन-पत्र में प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ समग्र रूप से उनकी प्राप्ति योग्य अथवा बाजार मूल्य से अधिक राशि पर प्रदर्शित नहीं की गई हैं। यह समीक्षा “ऋण”, “निवेश”, “अभिकर्ता शेष”, “बकाया प्रीमियम”, “प्राप्ति हेतु बकाया ब्याज, लाभांश एवं किराया”, “उपार्जित किन्तु देय न हुआ ब्याज, लाभांश एवं किराया”, “बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशियाँ”, “प्राप्य बिल”, “विविध देनदार”, “नकद” तथा “अन्य परिसंपत्तियाँ” शीर्षक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न मदों के संबंध में की गई है।

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अपेक्षानुसार, पॉलिसीधारकों के गैर-लिंक्ड निधियों तथा शेयरधारकों की निधियों से किए गए सभी ऋण प्रतिभूतियों एवं प्रतिदेय वरीयता शेयरों को “परिपक्वता तक धारित” माना गया है। तदनुसार, इनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है, जो प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट के क्रमिक अभिवृद्धि के अधीन है।

7. जीवन बीमा निधियों का उपयोग एवं निवेश

जीवन बीमा निधि का कोई भी भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जीवन बीमा निधियों के उपयोग एवं निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम संख्या 4) के प्रावधानों, जिसे बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, के उल्लंघन में प्रयुक्त नहीं किया गया है। निगम द्वारा किए गए सभी निवेश आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024 तथा उसके पश्चात आईआरडीएआई द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुरूप हैं।

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

MANAGEMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

In accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority (Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers) Regulations, 2024, and circulars/guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") thereafter, the following Management Report is submitted for the financial year ended March 31, 2026:

1. CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Corporation has obtained the Certificate of Renewal of Registration from the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the same continues to be valid. The Corporation has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.

2. STATUTORY DUES

The Corporation confirms that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid within due dates.

3. SHAREHOLDING PATTERN

The Corporation confirms that the shareholding pattern is in accordance with the statutory and regulatory requirements.

The detailed shareholding pattern is disclosed in Schedule 5A, forming part of financial statements. Further, the shareholding pattern is in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and is available on the website of the Corporation.

4. INVESTMENT OUTSIDE INDIA

The Corporation has not, directly or indirectly, invested outside India from the funds of the holders of policies issued in India during the year.

5. SOLVENCY MARGIN

The Corporation has adequate assets to maintain its required solvency margin as prescribed under Section 64VA of the Insurance Act, 1938 and the Insurance Regulatory and Development Authority (Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers) Regulations, 2024.

The actual solvency ratio as compared to required minimum solvency ratio of 150% is as below:-

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Solvency Ratio	2.35	2.11

6. VALUATION OF ASSETS

The values of all assets have been reviewed on the date of Balance Sheet and that in the opinion of the Management, the assets set forth in the Balance Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value under the headings - "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or bodies carrying on insurance business", "Bills Receivable", "Sundry Debtors", "Cash" and the several items specified under "Other Assets".

As required by the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, all debt securities and redeemable preference shares made from Policyholders' non-linked funds and Shareholders' funds are considered as 'held to maturity' and accordingly measured at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount.

7. APPLICATION AND INVESTMENTS OF LIFE INSURANCE FUNDS

No part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015, relating to the application and investment of the Life Insurance Funds and all investments made are in accordance with IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers) Regulations, 2024, and orders/directions issued by IRDAI thereafter.

8. समग्र जोखिम जोखिम-अनावरण एवं जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ

निगम ने अपने व्यवसाय का संचालन सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित ढंग से करने के लिए एक सुदृढ़ उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित किया है। यह ढाँचा निगम के समक्ष उपस्थित विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रभावी प्रबंधन तथा नियंत्रण हेतु पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।

जोखिम शासन ढाँचा:

जोखिम प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत निगम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जोखिमों की पहचान, मापन तथा न्यूनीकरण के माध्यम से उनका प्रबंधन करता है। जोखिम प्रबंधन में उन सभी कारकों की समुचित समझ शामिल है जो निगम की सफलता के लिए संभावित चुनौती या जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनके प्रभाव के स्तर का आकलन किया जाता है।

यह प्रक्रिया संगठन में जोखिम-संस्कृति के विकास को भी प्रोत्साहित करती है, जिससे कर्मचारियों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता एवं महत्व के प्रति जागरूकता बढ़े तथा प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जोखिमों की पहचान एवं उनके उचित प्रबंधन में सक्रिय रूप से योगदान दे सके।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य के संबंध में समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें प्रमुख जोखिमों एवं उनके नियंत्रण उपायों पर आवश्यक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना तथा निगम की उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम स्वीकृति वक्तव्य, परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन नीति, धन शोधन निवारण नीति, धोखाधड़ी निवारण नीति, आउटसोर्सिंग नीति तथा व्यवसाय निरंतरता योजना का वार्षिक अनुमोदन सम्मिलित है।

आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024 के अनुरूप, एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है।

उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति तथा परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु प्रमुख कार्यात्मक विभागों के प्रमुखों से युक्त दो आंतरिक समितियों, अर्थात् जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यपालक समिति (सीईआरएम) तथा परिसंपत्ति-देयता समिति (एएलसीओ) का गठन किया गया है। ये समितियाँ क्रमशः उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन नीति एवं परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन की निगरानी करती हैं।

निगम के जोखिम प्रबंधन हेतु त्रि-स्तरीय रक्षा मॉडल

प्रथम रक्षा पंक्ति – केंद्रीय कार्यालय के विभागाध्यक्ष, जो जोखिम स्वामी हैं। संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े जोखिमों के स्वामित्व एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी वहन करते हैं।

द्वितीय रक्षा पंक्ति – उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन विभाग

- प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- जोखिम स्वामियों को जोखिमों के आकलन, निगरानी तथा जोखिम-संबंधी सूचनाओं के जोखिम प्रबंधन समिति एवं शीर्ष प्रबंधन को प्रतिवेदन/प्रस्तुतीकरण में सहयोग प्रदान करता है।

तृतीय रक्षा पंक्ति – आंतरिक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण कार्य शीर्ष प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को यह आश्वासन प्रदान करते हैं कि निगम की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, प्रणालियाँ एवं नियंत्रण तंत्र प्रभावी एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे हैं।

प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरण:

जोखिम स्वीकृति वक्तव्य:

जोखिम स्वीकृति से अभिप्राय उस जोखिम की मात्रा एवं प्रकार से है जिसे निगम अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वीकार करने के लिए तैयार है। विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए जोखिम स्वीकृति का स्तर भिन्न-भिन्न हो सकता है तथा समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है।

जोखिम स्वीकृति वक्तव्यों की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है तथा उनका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। निगम द्वारा निर्धारित सीमाओं के सापेक्ष जोखिमों की सतत निगरानी की जाती है तथा इस संबंध में प्रतिवेदन शीर्ष प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं।

जोखिम पंजिका:

निगम प्रत्येक कार्यात्मक स्तर पर जोखिम पंजिका का संधारण करता है, जिसमें संबंधित कार्य से जुड़े जोखिमों तथा उनके नियंत्रण उपायों का अभिलेखीकरण किया जाता है। पंजिका में दर्ज जोखिमों का मूल्यांकन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है।

8. OVERALL RISK EXPOSURE AND MITIGATION STRATEGIES

The Corporation has robust Enterprise Risk Management framework to conduct its business in an orderly fashion, taking into account the risks faced by the Corporation and ensuring adequate risk management procedures.

Risk Governance Frame Work:

Risk Management is defined as the process under which Corporation addresses risks associated with the Corporation's operations by identifying, measuring and mitigating such risks. Risk Management encompasses understanding of all the factors and the extent to which they can be threats to success. The process will also endeavor to bring about the Risk culture in the organization so that the employees feel the importance of putting Risk Management system in place and each employee involves himself in appropriately addressing the risks concerned.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function, which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy, Anti Money Laundering Policy, Anti-Fraud Policy, Outsourcing Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Corporate Governance Regulations, 2024, Risk Management Committee (RMC) is formed.

Two internal committees, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Committee (ALCO) have been constituted consisting of Heads of key functional departments, to monitor the implementation of Enterprise Risk Management policy and Asset Liability Policy respectively.

Three Lines of Defence Model for Risk Management of the Corporation:

First Line of Defence - Head of Departments (HODs at Central Office) i.e. the Risk Owners. The Departments would assume ownership of respective risks.

Second Line of Defence – ERM Department

- Monitors implementation of effective risk management practices
- Supports the risk owners in Assessment and Reporting risk related information to RMC & top management.

Third Line of Defence - Internal Audit, Statutory Audit, System Audit, Concurrent Audit and Inspection function which are giving assurance to Top Management and Board for effective conduct of procedures, systems and processes.

Key Risk Management Tools:

Risk Appetite Statements:

Risk appetite is the amount and type of risk that the Corporation is willing to take in order to meet its strategic objectives. A range of appetites exist for different risks which may change over time. The Risk appetite statements are reviewed on an annual basis by the Risk Management Committee (RMC) and approved by the Board. The risks are monitored vis-a-vis the limits set by the Corporation and reporting is done to the Top Management and to the Risk Management Committee.

Risk Registers:

The Corporation maintains Risk Register at each functional level wherein risks relating to that function along with the control measures are documented. The risks identified in the registers are assessed on half-yearly basis. The Risk register is updated every quarter for inclusion of emerging risks to ensure that all the emerging risks are being identified and taken care of.

Incident Management & Operational Loss database:

The Incident Management aims to implement procedures for identification, monitoring, mitigation and reporting of incidents (including frauds) within the Corporation. Incident Management process is defined to ensure any operational losses including frauds, regulatory / policy breaches and potential losses are systematically identified, reported, escalated, analysed and resolved to prevent recurrence in future.

उभरते हुए जोखिमों को सम्मिलित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संभावित जोखिमों की समय पर पहचान एवं उनका उचित प्रबंधन किया जा सके, जोखिम पंजिका को प्रत्येक तिमाही में अद्यतन किया जाता है।

घटना प्रबंधन एवं परिचालन हानि डेटाबेस:

घटना प्रबंधन का उद्देश्य निगम के भीतर घटित घटनाओं (धोखाधड़ी सहित) की पहचान, निगरानी, न्यूनीकरण तथा प्रतिवेदन हेतु प्रभावी प्रक्रियाओं को लागू करना है।

घटना प्रबंधन प्रक्रिया इस प्रकार परिभाषित की गई है कि किसी भी परिचालन हानि, धोखाधड़ी, विनियामकीय अथवा नीतिगत उल्लंघन तथा संभावित हानियों की व्यवस्थित रूप से पहचान, प्रतिवेदन, उच्च स्तर पर प्रेषण, विश्लेषण एवं समाधान सुनिश्चित किया जा सके, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

शीर्ष जोखिम एवं प्रमुख जोखिम संकेतक:

निगम के समक्ष विद्यमान प्रमुख जोखिमों की पहचान उनके महत्व एवं प्रभाव के विश्लेषण के आधार पर की जाती है। प्रमुख जोखिम संकेतकों का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही किया जाता है ताकि उनका आरएजी (रेड- अंबर- ग्रीन) स्थिति निर्धारण किया जा सके। शीर्ष जोखिमों एवं उनसे संबंधित प्रमुख जोखिम संकेतकों को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाता है तथा उनके लिए पृथक मानक एवं सीमा-स्तर निर्धारित किए जाते हैं।

डैशबोर्ड:

ईआरएम मॉड्यूल में डैशबोर्ड उपलब्ध है, जो शीर्ष प्रबंधन को जोखिम प्रतिवेदनों के अवलोकन हेतु सुलभ है।

उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत विभिन्न जोखिमों के लिए न्यूनीकरण रणनीतियाँ

निगम भारतीय वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख संस्थागत निवेशक है। इसके कोषों का निवेश आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुरूप विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में किया जाता है। इन निवेशों के माध्यम से निगम विभिन्न जोखिमों जैसे बाजार जोखिम, साख जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम तथा प्रतिपक्ष जोखिम के प्रति संवेदनशील रहता है।

निवेश से संबंधित जोखिमों की व्यवस्थित पहचान की जाती है तथा इन जोखिमों के प्रबंधन हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ लागू की गई हैं, ताकि न केवल पॉलिसीधारकों के कोषों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बल्कि उनकी युक्तिसंगत अपेक्षाओं की पूर्ति भी की जा सके।

बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों, विनिमय दरों तथा प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण भविष्य की आय में अनिश्चितता से है। निगम मुख्यतः प्रमुख सूचकांकों का भाग होने वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर बाजार जोखिम के प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करता है।

बाजार जोखिम का न्यूनीकरण परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को उनके प्रकार एवं अवधि के आधार पर समन्वित कर तथा जहाँ तक व्यावसायिक रूप से संभव हो, नकदी प्रवाहों के मिलान द्वारा किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय हेतु निवेश रणनीति स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती है ताकि देनदारियों का परिसंपत्तियों की प्रकृति एवं अवधि के अनुसार समुचित मिलान सुनिश्चित किया जा सके।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का अर्थ उन दायित्वों के समय पर भुगतान में असमर्थता से है, जो पर्याप्त तरल परिसंपत्तियों अथवा नकदी के अभाव में उत्पन्न होता है, जिसके कारण दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का शीघ्र परिसमापन करना पड़ सकता है। निगम को अपनी देनदारियों की प्रकृति के कारण सीमित तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है।

तरलता जोखिम का प्रबंधन परिसंपत्ति-देयता नकदी प्रवाह मिलान की स्थिति की त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर निगरानी के माध्यम से किया जाता है। नकदी प्रवाह मिलान का विश्लेषण विभिन्न तनाव परिदृश्यों के अंतर्गत भी किया जाता है। निगम के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन नीति उपलब्ध है।

साख जोखिम:

साख जोखिम वह जोखिम है जो किसी भी पक्ष द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों का समय पर पालन न करने अथवा उसकी साख प्रोफ़ाइल में गिरावट के कारण उत्पन्न होता है। निगम को सीमित साख जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके निवेशों का प्रमुख भाग सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है।

Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation are identified by analysing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The assessment of Key Risk Indicators is done every quarter to ascertain RAG status. The Top Risks and associated Key Risk Indicators are updated on annual basis with separate benchmarks and threshold limits.

Dash Board:

Dash Board is available in the ERM Module which is accessible to Top management for viewing the Risk Reports.

The mitigation strategies for various risks under Enterprise Risk Management framework:

The Corporation is a premier institutional investor in the Indian Financial Markets. Its funds are invested in asset classes in line with the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Function of Insurers) Regulations, 2024 and are exposed to various risks like market risk, credit risk, interest rate risk, liquidity risk and counterparty risk. The investment risks are systematically identified and systems & procedures have been implemented to address these risks so that not only the policyholders' funds are protected but also their reasonable expectations are met.

Market Risk:

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, exchange rates and the market prices of securities. The Corporation attempts to minimise the effects of market risk by primarily investing in securities that are part of major indices. Market risk is further mitigated by matching assets and liabilities by type and duration and matching cash flows to the extent commercially practicable. The applicable investment strategy for each type of business is set out clearly to ensure that liabilities are appropriately matched by the nature and duration of assets.

Liquidity Risk:

Liquidity risk is the risk of not being able to make payments as and when they fall due, because of insufficient liquid assets in cash or cash equivalent, thereby requiring redemption of long term assets. The Corporation faces limited liquidity risk due to the nature of its liabilities. The Corporation manages liquidity risk by monitoring the asset-liability cash flow matching positions on Quarterly and yearly basis. The cash flow matching is also analysed under various stress scenarios. The Corporation has Board approved Asset Liability Management policy.

Credit risk:

Credit risk is the risk resulting from the failure by either party to perform timely their contractual obligations or the deterioration in the credit profile.

The Corporation faces limited credit risk as major portion of the investments are made in Govt. securities. Credit risk related to investment in other debt securities is mitigated by

- Restricting investments primarily to securities rated AA or AAA and above by domestic rating agencies and
- Monitoring the quarterly performances of our portfolio companies, their ratings and their track record of servicing their obligations on due dates.

अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित साख जोखिम का न्यूनीकरण निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जाता है:

- घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा एए अथवा एएए एवं उससे उच्च रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में ही निवेश को सीमित रखना।
- पोर्टफोलियो कंपनियों के त्रैमासिक प्रदर्शन, उनकी रेटिंग तथा देय तिथियों पर दायित्वों के निर्वहन के ट्रैक रिकॉर्ड की निरंतर निगरानी करना।

बीमा जोखिम:

बीमा जोखिम का उत्पन्न होना दावों, रुग्णता, मृत्यु दर, समर्पण, व्यय, कराधान उपचार तथा अन्य मान्यताओं में प्रतिकूल अनुभव के परिणामस्वरूप हो सकता है, जिन्हें उत्पाद की मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन गणनाओं में शामिल किया जाता है। इसमें अंडरराइटिंग जोखिम भी सम्मिलित है। प्रीमियम एवं आरक्षित निधि जोखिम अंडरराइटिंग जोखिम के प्रमुख घटक हैं। निगम अपने उच्च बीमित राशि वाले व्यवसाय का पुनर्बीमा करता है तथा विशिष्ट उत्पादों के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संधियाँ करता है।

परिचालन जोखिम:

निगम विभिन्न प्रकार के परिचालन जोखिमों के प्रति संवेदनशील है, जो अपर्याप्त अभिलेख संधारण, प्रणालियों एवं स्थापित नियंत्रणों की विफलता, कर्मचारी त्रुटियों तथा आंतरिक/बाह्य धोखाधड़ी जैसे विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं।

निगम प्रक्रियाओं, प्रणालियों एवं प्रक्रियात्मक ढाँचे की नियमित निगरानी, तथा धोखाधड़ी नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से परिचालन जोखिमों के प्रभाव को न्यूनतम करता है। साइबर सुरक्षा जोखिमों की निगरानी साइबर सुरक्षा डेस्क द्वारा की जाती है। प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों की पहचान की जाती है तथा उनके प्रभाव की व्यवस्थित रूप से निगरानी की जाती है।

अनुपालन जोखिम:

इन जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु निगम ने सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है, नियमित लेखापरीक्षा आयोजित की जाती हैं, नैतिकता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, व्हिसलब्लोइंग व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की संस्कृति विकसित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, निगम प्रासंगिक कानूनों एवं विनियमों के अद्यतन अनुपालन पर बल देता है, आवश्यकतानुसार समुचित परिश्रम करता है तथा इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों का कार्यान्वयन करता है।

व्यवसाय निरंतरता उपाय (बीसीएमएस):

निगम ने एक व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) स्थापित की है, जिसे 22.05.2025 को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन द्वारा ISO 22301 के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। इसका सर्विलांस प्रमाणपत्र 27.03.2026 को प्राप्त किया गया।

BSI द्वारा किए गए प्रमाणन ऑडिट में निगम की (बीसीएमएस) रूपरेखा को शामिल किया गया, जिसमें पाँच सीओएलओ सुविधाएँ, डेटा सेंटर, नियर डिजास्टर रिकवरी तथा फार डिजास्टर रिकवरी स्थल सम्मिलित हैं।

निगम के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियाँ भी लागू हैं, जिनमें व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति, आपदा पुनर्प्राप्ति नीति तथा बीसीएमएस फ्रेमवर्क शामिल हैं। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर बीसीएमएस ढाँचे की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु रणनीतियाँ सुदृढ़ एवं प्रभावी रूप से प्रबंधित हैं।

व्यवसाय निरंतरता योजना के अंतर्गत, निगम ने केंद्रीय कार्यालय तथा सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में संकट प्रबंधन दल का गठन किया है ताकि आपदा की स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। इसके अतिरिक्त, सभी कार्यालयों में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी गठित किए गए हैं, जो ऐसी घटनाओं के दौरान संकट प्रबंधन दल द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। ये दल जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु सक्रिय उपाय करने तथा सामान्य परिचालन की शीघ्र पुनर्स्थापना एवं पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

9. अन्य देशों में संचालन:

निगम के तीन देशों में विदेशी शाखा कार्यालय स्थित हैं, अर्थात् यूनाइटेड किंगडम, फिजी तथा मॉरीशस। इसके अतिरिक्त, विदेशी शाखाओं में एक नवीन जोड़ आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, भारत है। निगम को किसी प्रकार के देश-जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इन देशों में पॉलिसियाँ केवल संबंधित देश की स्थानीय मुद्रा में ही प्रदान की जाती हैं तथा संबंधित देश में अर्जित आय का निवेश भी उसी देश में किया जाता है। केवल यूनाइटेड किंगडम शाखा कार्यालय द्वारा गैर-यूनाइटेड किंगडम संस्थाओं की इक्विटी में नाममात्र निवेश किया गया है।

10. दावों की उम्र:

क. वर्ष 31.03.2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पंजीकृत और निपटाए गए दावों की उम्र नीचे दी गई है:-
लिंकड व्यवसाय:

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	30 दिनों तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक से 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि
2025-26	51,336	997	21,822	394	4,974	70	20,705	143	0	0
2024-25	15,970	214	9,495	100	1,694	17	0	0	0	0
2023-24	46,244	508	26,347	231	0	0	0	0	0	0
2022-23	15,38,253	763	5,17,784	168	0	0	0	0	0	0
2021-22	2,14,311	2,808	2,33,117	2,624	0	0	0	0	0	0

नॉन-लिंकड व्यवसाय:

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	30 दिनों तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक से 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि
2025-26	3,11,80,198	4,17,139	11,12,554	15,297	2,92,777	2,485	3,98,784	2,209	0	0
2024-25	2,86,85,733	3,50,847	13,99,347	11,923	3,05,009	1,802	2,69,888	2,010	0	0
2023-24	2,79,34,272	3,08,315	19,40,233	24,598	18,456	14	25,537	12	0	0
2022-23	2,59,25,372	2,68,999	21,62,601	24,728	26,428	13	28,322	24	0	0
2021-22	4,60,11,848	2,69,527	36,26,830	34,225	10,224	7	28,851	32	0	0

ख. पिछले 5 वर्षों के लिए पंजीकृत और निपटान नहीं किए गए दावों (मृत्यु और परिपक्वता) की उम्र नीचे दी गई है:-

लिंकड व्यवसाय:

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	30 दिनों तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक से 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि
2025-26	1,157	18.01	5,515	87.20	4,438	73.43	13,665	115.41	0	0
2024-25	1,572	27.12	6,178	49.81	3,858	32.75	34	0.39	0	0
2023-24	15,915	167	5,661	57	0	0	0	0	0	0
2022-23	27,973	254	9,607	63	0	0	0	0	0	0
2021-22	41,718	415	18,990	154	0	0	0	0	0	0

नॉन-लिंकड व्यवसाय:

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	30 दिनों तक		31 दिन से 6 महीने तक		6 महीने से अधिक से 1 वर्ष तक		1 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक		5 वर्ष से अधिक	
	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि	दावे संख्या	राशि
2025-26	4,80,545	2,513	4,12,310	2,524	1,88,419	892	8,90,541	3,662	0	0
2024-25	2,75,232	2,180	3,56,159	2,050	2,01,558	914	10,07,904	3,946	0	0
2023-24	4,08,908	1,560	5,36,806	4,943	0	0	0	0	0	0
2022-23	4,23,304	2,878	4,96,348	2,973	0	0	0	0	0	0
2021-22	8,17,305	5,851	7,20,413	3,019	0	0	0	0	0	0

10. AGEING OF CLAIMS

a. The ageing of claims registered and settled for the year ended 31.03.2026 is given below:-

Linked Business:

(Amount ₹ in crore)

Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years	
	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
2025-26	51,336	997	21,822	394	4,974	70	20,705	143	0	0
2024-25	15,970	214	9,495	100	1,694	17	0	0	0	0
2023-24	46,244	508	26,347	231	0	0	0	0	0	0
2022-23	15,38,253	763	5,17,784	168	0	0	0	0	0	0
2021-22	2,14,311	2,808	2,33,117	2,624	0	0	0	0	0	0

Non Linked Business:

(Amount ₹ in crore)

Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years	
	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
2025-26	3,11,80,198	4,17,139	11,12,554	15,297	2,92,777	2,485	3,98,784	2,209	0	0
2024-25	2,86,85,733	3,50,847	13,99,347	11,923	3,05,009	1,802	2,69,888	2,010	0	0
2023-24	2,79,34,272	3,08,315	19,40,233	24,598	18,456	14	25,537	12	0	0
2022-23	2,59,25,372	2,68,999	21,62,601	24,728	26,428	13	28,322	24	0	0
2021-22	4,60,11,848	2,69,527	36,26,830	34,225	10,224	7	28,851	32	0	0

b. The ageing of claims registered and not settled (death and maturity) for the preceding 5 years is given below:-

Linked Business:

(Amount ₹ in crore)

Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years	
	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
2025-26	1,157	18.01	5,515	87.20	4,438	73.43	13,665	115.41	0	0
2024-25	1,572	27.12	6,178	49.81	3,858	32.75	34	0.39	0	0
2023-24	15,915	167	5,661	57	0	0	0	0	0	0
2022-23	27,973	254	9,607	63	0	0	0	0	0	0
2021-22	41,718	415	18,990	154	0	0	0	0	0	0

Non Linked Business:

(Amount ₹ in crore)

Year	Up to 30 days		31 days to 6 months		Above 6 months to 1 year		Above 1 year to 5 years		Above 5 years	
	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount	No. of claims	Amount
2025-26	4,80,545	2,513	4,12,310	2,524	1,88,419	892	8,90,541	3,662	0	0
2024-25	2,75,232	2,180	3,56,159	2,050	2,01,558	914	10,07,904	3,946	0	0
2023-24	4,08,908	1,560	5,36,806	4,943	0	0	0	0	0	0
2022-23	4,23,304	2,878	4,96,348	2,973	0	0	0	0	0	0
2021-22	8,17,305	5,851	7,20,413	3,019	0	0	0	0	0	0

11. निवेश का मूल्यांकन

(क) नॉन-लिंक्ड व्यवसाय

नॉन-लिंक्ड व्यवसाय के निवेश का मूल्य, जैसा कि तुलन-पत्र में दिखाया गया है और उसका बाजार मूल्य निम्नानुसार है: -

निवेश	मूल्यांकन की विधि
1. ऋण प्रतिभूतियाँ	क) सभी ऋण प्रतिभूतियाँ, जिनमें सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा प्रतिदेय वरीयता शेयर सम्मिलित हैं, का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है, जो प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट के समायोजन के अधीन है। ख) आईआरडीएआई/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित ऋणों के संबंध में लेखा पुस्तकों में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
2. सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयर	सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले इक्विटी शेयर का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है। यदि समापन तिथि पर संबंधित अंश एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं हैं अथवा उनका कारोबार नहीं हुआ है, तो उनका मूल्यांकन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की दर के आधार पर किया जाता है।
3. असूचीबद्ध एवं सक्रिय रूप से कारोबार न किए जाने वाले इक्विटी शेयर	इनका मापन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें निगम की हानि-अपक्षय नीति के अनुसार ऐसी निवेशों के मूल्य में कमी के लिए उपयुक्त प्रावधान घटाया जाता है।
4. म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल निवेश	म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेशों का मूल्यांकन संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित अंतिम उद्धृत शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है। वेंचर कैपिटल निवेश / एआईएफ का मूल्यांकन बुक वैल्यू पर किया जाता है, जिसमें मूल्य में कमी के लिए उपयुक्त प्रावधान घटाया जाता है।
5. ईटीएफ, आरईआईटी/आईएनवीआईटीस	ईटीएफ में निवेश का मूल्यांकन संबंधित एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा घोषित अंतिम उद्धृत एनएवी पर किया जाता है। आरईआईटी/आईएनवीआईटीस का मूल्यांकन एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन कीमतों पर किया जाता है।
6. ऋण	इसका मूल्यांकन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रति ऐतिहासिक लागत में से प्रावधानों को घटा कर किया गया है
7. सावधि जमा	लागत पर मूल्यांकित
8. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट	इसका मूल्यांकन अंतर्निहित बॉन्ड के स्पॉट रेफरेंस यील्ड पर उसके बाजार मूल्य तथा अनुबंधित फॉरवर्ड मूल्य के वर्तमान मूल्य के अंतर के आधार पर किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन तिथि से लेकर एफआरए अनुबंध के निपटान तिथि तक प्राप्त होने वाले मध्यवर्ती कूपन प्रवाहों के वर्तमान मूल्य को भी शामिल किया जाता है। डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन निगम तथा प्रतिपक्ष दोनों पक्षों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है।
9. निवेश संपत्ति	निवेश संपत्ति का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो, को शामिल किया जाता है। निवेश संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कम से कम प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाता है। निवेश संपत्ति के वहन मूल्य में किसी भी परिवर्तन को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व में मान्यता दी जाती है।

11. VALUATION OF INVESTMENTS

(A) Non Linked Business

The values of Investments of Non Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:-

INVESTMENT	METHOD OF VALUATION
1. Debt Securities	a) All debt securities, including Govt. Securities and Redeemable Preference shares were valued at historical cost subject to amortization/discount. b) Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts.
2. Actively traded Equity shares	Valued at the last quoted closing prices at the NSE. In case not listed/not traded on NSE on closing date, then BSE rate.
3. Unlisted and other than actively traded equity shares	Measured at historical cost less provision for diminution in value of such investments in accordance with the Impairment Policy of the Corporation.
4. Mutual Fund and Venture Capital Investments	Investments in Mutual Funds are valued at last quoted NAV declared by the respective Mutual Fund. Venture Capital Investments/AIFs are valued at book value less provision for diminution.
5. ETFs, REITs /Invlts	Investments in ETFs are valued at last quoted NAV declared by the respective Asset Management Company. REITs/InvITs are valued at the last quoted closing prices at the NSE.
6. Loans	Valued at historical cost less provision towards non-performing assets.
7. Fixed Deposits	Valued at cost.
8. Forward Rate Agreements	Valued as per the difference between the market value of the underlying bond at the spot reference yield and present value of contracted forward Price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date, at mark-to-market valuation of the derivative financial instruments is done independently by both the parties i.e. the Corporation and counter party.
9. Investment Property	Investment Property is valued at historical cost, subject to revaluation, if any. Revaluation of the investment property is done at least once in three years. Any change in the carrying amount of the investment property is recognized in Revaluation Reserve in the Balance Sheet.

ख) लिंकड व्यवसाय:

लिंकड व्यवसाय के निवेशों का मूल्य, जैसा कि तुलन-पत्र में दर्शाया गया है, तथा उनका बाजार मूल्य, निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

निवेश	मूल्यांकन की विधि
1. ऋण प्रतिभूतियाँ	केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ तथा यूनिट फंडों के डिबेंचर एवं बॉन्ड्स का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए (FIMMDA) द्वारा घोषित अंतिम उपलब्ध बाजार दरों के आधार पर किया गया है। जबकि गैर-यूनिट फंडों की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ तथा डिबेंचर एवं बॉन्ड्स का मूल्यांकन परिशोधित लागत के आधार पर किया गया है। आईआरडीएआई/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित ऋणों के लिए खातों में प्रावधान किया गया है।
2. इक्विटी शेयर	इनका मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया गया है, जहाँ ये सूचीबद्ध हैं। जिन प्रतिभूतियों का एनएसई पर सूचीकरण नहीं है, उनके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के समापन मूल्य को आधार माना गया है।
3. म्यूचुअल फंड	इनका मूल्यांकन म्यूचुअल फंड्स द्वारा घोषित अंतिम एनएवी (नेट एसेट वैल्यू) के आधार पर किया गया है।
4. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	इनका मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

12. 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशों के परिसंपत्ति मिश्रण की गुणवत्ता और प्रदर्शन की समीक्षा निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	नॉन-लिंकड	लिंकड
1	केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियाँ	21,60,825.13	7,308.61
2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	13,07,541.44	9,309.25
3	अन्य/ अनुमोदित प्रतिभूतियों के अलावा	4,262.84	0.05
4	ऋण	1,35,825.50	4.30
5	बॉन्ड/डिबेंचर/पीटीसी	4,63,553.69	436.46
6	इक्विटी	14,82,111.49	41,085.99
7	प्राथमिकता	277.00	0.00
8	वेंचर फंड	2,063.33	0.00
9	म्यूचुअल फंड	45,777.37	3,838.46
10	मुद्रा बाजार निवेश (एफडी और सीपी सहित)	41,046.03	150.00
11	निवेश संपत्तियाँ	23,978.78	0.00
	कुल	56,67,262.61	62,133.12

(B) Linked Business

The values of Investments of Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:-

INVESTMENT	METHOD OF VALUATION
1. Debt Securities	Central Government securities, State Government securities, Other Approved Securities, Debentures & Bonds of unit funds are valued at last available market rates declared by FIMMDA and Central Government Securities, State Government Securities, Other Approved securities, Debentures & Bonds of non-unit funds were valued at amortized cost. Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts.
2. Equity shares	These are valued at last quoted closing prices at the National Stock Exchange (NSE), where they are listed. In case of the scrips not listed on the NSE, the closing prices on the BSE have been taken.
3. Mutual Fund	Valued at last declared NAV by the Mutual Funds.
4. InvIT	Valued are per IRDAI guidelines.

12. REVIEW OF ASSETS MIX QUALITY AND PERFORMANCE OF THE INVESTMENTS, DURING THE YEAR ENDED 31.03.2026 IS AS UNDER:-

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Non Linked	Linked
1	Central Government Securities	21,60,825.13	7,308.61
2	State Government Securities	13,07,541.44	9,309.25
3	Other/Other than Approved Securities	4,262.84	0.05
4	Loans	1,35,825.50	4.30
5	Bonds/Debentures/PTC	4,63,553.69	436.46
6	Equity	14,82,111.49	41,085.99
7	Preference	277.00	0.00
8	Venture Fund	2,063.33	0.00
9	Mutual Fund	45,777.37	3,838.46
10	Money Market Investment(Including FDs & CP)	41,046.03	150.00
11	Investment Properties	23,978.78	0.00
	TOTAL	56,67,262.61	62,133.12

(i) 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेश का प्रदर्शन
प्रतिफल

विवरण	उपज % (अवास्तविक लाभ के बिना)
पॉलिसीधारक:	
सहभागी	8.37%
गैर- सहभागी	10.01%
लिंक्ड	8.57%
शेयरधारक	6.61%

एनपीए %

विवरण	सकल एनपीए %	शुद्ध एनपीए %
पॉलिसीधारक का फंड	1.21%	-----
शेयरधारक का फंड	-----	-----

13. प्रबंधन एतद् द्वारा एक उत्तरदायित्व विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें यह संकेत दिया गया है कि:

- क. वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है तथा यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- ख. प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो निगम की वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति तथा वर्ष के लिए अधिशेष/लाभ का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु उचित और विवेकपूर्ण हैं;
- ग. प्रबंधन ने भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/ एलआईसी अधिनियम, 1956, जिसे बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव, निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- घ. प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों को 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किया है;
- ङ. प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि संगठन के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षण प्रणाली मौजूद है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

14. भुगतानों का एक विवरण (निगम की सहायक कंपनियों तथा संबद्ध कंपनियों को किए गए भुगतानों को छोड़कर), जो उन व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों एवं संगठनों को किए गए हैं जिनमें निगम के निदेशकों की रुचि/हित है, निम्नानुसार दिया गया है:-

						(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	वह इकाई जिसमें निदेशक का हित है	हित की प्रकृति	लेन-देन/भुगतान का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई राशि (₹)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान की गई राशि (₹)	
1	श्री जी महालिंगम, स्वतंत्र निदेशक	केंद्रीय डिपॉजिटरी प्रतिभूति (भारत) लिमिटेड	निदेशक	विदेशी निवेश निगरानी लिमिटेड के लिए वार्षिक शुल्क	0.003	0.003	
2	श्री जी महालिंगम, स्वतंत्र निदेशक	केंद्रीय डिपॉजिटरी प्रतिभूति (भारत) लिमिटेड	निदेशक	वार्षिक संरक्षक शुल्क	1.85	2.36	

(i) Performance of the Investments during the year ended 31.03.2026

Yield

Particulars	Yield % (without unrealized gains)
Policyholders:	
PAR	8.37%
NON PAR	10.01%
Linked	8.57%
Shareholders	6.61%

NPA Ratio

Particulars	Gross NPA%	Net NPA%
Policyholder's Fund	1.21%	-----
Shareholder's Fund	-----	-----

13. THE MANAGEMENT HEREBY GIVES A RESPONSIBILITY STATEMENT INDICATING THAT:-

- In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
- The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true & fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the Financial Year and of Surplus/ profit of the Corporation for the year;
- The management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/LIC Act, 1956, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015, for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- The Management has prepared the financial statements on a going concern basis;
- The Management has ensured that an Internal Audit System commensurate with the size of the organization and nature of business exists and is operating effectively.

14. A SCHEDULE OF PAYMENTS (OTHER THAN PAYMENTS MADE TO SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES OF THE CORPORATION), WHICH HAVE BEEN MADE TO INDIVIDUALS, FIRMS, COMPANIES AND ORGANIZATIONS, IN WHICH DIRECTORS OF THE CORPORATION ARE INTERESTED, IS AS UNDER:-

(₹ in Crore)

Sr No.	Name of the Director with Designation	Entity in which Director is interested	Interested as	Description of transaction/ Payment made for	Amount paid during FY 2025-26 (₹)	Amount paid during FY 2024-25 (₹)
1	Shri G Mahalingam, Independent Director	Central Depository Securities (india) Limited	Director	Annual Charges for Foreign Investment Monitoring Limited	0.003	0.003
2	Shri G Mahalingam, Independent Director	Central Depository Securities (india) Limited	Director	Annual Custodian Fees	1.85	2.36

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	वह इकाई जिसमें निदेशक का हित है	हित की प्रकृति	लेन-देन/भुगतान का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई राशि (₹)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान की गई राशि (₹)
3	श्री जी महालिंगम, स्वतंत्र निदेशक	केंद्रीय डिपॉजिटरी प्रतिभूति (भारत) लिमिटेड	निदेशक	ई-वोटिंग के लिए एसएमएस प्रभार	0.07	0.07

निगम की सहायक कंपनियों एवं संबद्ध कंपनियों को किए गए उन भुगतानों के लिए, जिनमें निगम के निदेशकों की रुचि/हित है, कृपया खातों के नोट्स में दिए गए संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के नोट संख्या 16 (ब) (19) का संदर्भ लें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक

नियुक्त बीमांकक
एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकन)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कार्यकारी निदेशक (निवेश – फ्रंट कार्यालय) एवं सीआईओ
स्थान: मुंबई
दिनांक: 21.05.2026

कंपनी सचिव

(₹ in Crore)

Sr No.	Name of the Director with Designation	Entity in which Director is interested	Interested as	Description of transaction/ Payment made for	Amount paid during FY 2025-26 (₹)	Amount paid during FY 2024-25 (₹)
3	Shri G Mahalingam, Independent Director	Central Depository Securities (India) Limited	Director	SMS Charges for E-voting	0.07	0.07

For payments made to Subsidiaries and Associates of the Corporation in which the directors of the Corporation are interested, please refer to note no. 16 (B) (19) (Related Party Disclosure) of Notes to Accounts.

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER &
MANAGING DIRECTOR**

MANAGING DIRECTOR

**APPOINTED ACTUARY
& EXECUTIVE DIRECTOR (ACTL)**

CHIEF FINANCIAL OFFICER

EXECUTIVE DIRECTOR (INV FO) & CIO

COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai

Date: 21.05.2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित वित्तीय विवरण एवं प्रकटीकरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी हमारी वेबसाइट <https://www.licindia.in/annual-report> पर ई-प्रारूप में उपलब्ध है

- 1. अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण (योजना अनुसार)**
- 2. संबद्ध व्यवसाय से संबंधित प्रकटीकरण**

Financial Statements and Disclosures in respect of Linked Business (Plan wise) for the year ended 31st March, 2026

Following information related to Linked Business (Plan wise) for the year ended 31st March, 2026 is available in e-format on our web-site www.licindia.in/annual-report

- 1. Financial Statements along with the Schedules (Plan wise)**
- 2. Disclosures in respect of Linked Business**

31 मार्च, 2026 को समाप्त
वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण

**Consolidated Financial Statements
For the year ended 31st March, 2026**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय जीवन बीमा निगम

के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसके बाद “निगम” के रूप में संदर्भित किया गया है), इसकी सहायक कंपनियों (निगम, इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर “समूह” के रूप में संदर्भित किया गया है) और इसके सहयोगियों के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2026 को समेकित तुलन-पत्र, समेकित राजस्व खाता (जिसे “पॉलिसीधारकों का खाता” या तकनीकी खाता भी कहा जाता है), समेकित लाभ और हानि खाता (जिसे “शेयरधारकों का खाता” या गैर-तकनीकी खाता भी कहा जाता है) और समेकित प्राप्ति और भुगतान खाता शामिल हैं समाप्त हुए वर्ष के लिए, और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जो इसके साथ संलग्न है (जिसे इसके बाद समेकित वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसमें शामिल हैं:
 - क) 2 भारतीय सहायक कंपनियों, 4 विदेशी सहायक कंपनियों और 6 सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है।
 - ख) 1 विदेशी सहायक कंपनी के अनंतिम वित्तीय विवरण जो निगम के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।
2. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और निगम के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरण भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (“एलआईसी अधिनियम”), यथासंशोधित, भारतीय बीमा अधिनियम, 1938 (“बीमा अधिनियम”), भारतीय बीमा विनियामक और विकास अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 (विनियमों), जिसमें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी आदेश/निर्देश/परिपत्र शामिल हैं, और जिसमें भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, जहां लागू हो और जैसा आवश्यक हो, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, जैसा कि बीमा कंपनियों पर लागू होता है:
 - क) समेकित तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2026 को समूह की स्थिति;
 - ख) समेकित राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष;
 - ग) समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
 - घ) समेकित प्राप्ति और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतानों की।

राय के लिए आधार

3. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों (एसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के संदर्भ में समूह और उसके सहयोगियों से हम स्वतंत्र हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

Independent Auditor's Report

To,
The Members of
Life Insurance Corporation of India

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred as "the Corporation"), its subsidiaries (the Corporation, its subsidiaries together referred to as "the Group") and its associates which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Consolidated Revenue Account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), Consolidated Profit and Loss Account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non - Technical Account") and the Consolidated Receipts and Payments Account for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto (hereafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), which includes:
 - a) The audited financial statements of 2 Indian subsidiaries, 4 foreign subsidiaries and 6 associates, which have been audited by other auditors.
 - b) The unaudited financial statements of 1 foreign subsidiary which have been certified by the Management of the Corporation.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the audited Consolidated Financial Statements of the Corporation, the Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the requirements of Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Finance and Investment Functions of Insurers) Regulation, 2024 (the "Regulations"), including orders/ directions/ circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), and including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") to the extent applicable and in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:
 - a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2026;
 - b) in the case of the Consolidated Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
 - c) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
 - d) in the case of the Consolidated Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

Basis of Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the "Auditors' Responsibilities" for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group and its Associates in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in terms of the Code of Ethics issued by ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the LIC Act and the Rules thereunder, as amended and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

4. प्रसंग पर जोर

हम अनुसूची 16(B) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क. नोट नं. 30 - जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में परिशोधित किया जा रहा है, जो प्रति तिमाही 464.02 करोड़ होगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते में ₹ 1,856.08 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। शेष ₹ 4,640.17 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।
- ख. नोट नं. 31, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित सममूल्य खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होकर, बराबर वार्षिक किस्तों (तीन से अधिक नहीं) में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों के खाते से ₹ 2,410.04 करोड़ की कुल राशि की भरपाई की गई है। ₹ 2,410.01 करोड़ की शेष राशि को वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनःपूर्ति की जाएगी।
- ग. नोट नं. 32, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा प्राप्त विनियामक अनुमोदन के अनुसार, सममूल्य खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन वर्षों से अधिक नहीं की अवधि के लिए शेयरधारकों के खाते में चार्ज की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों के खाते में कुल 1,825.68 करोड़ चार्ज किए गए हैं। शेष ₹ 1825.74 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते में चार्ज की जाएगी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
1. निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2026: ₹ 55,80,356.18 करोड़) (समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8, 8ए, 8बी देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16ए(8) देखें।) निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर-संबद्ध में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 ("निवेश विनियम") और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होने चाहिए।	हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं: - निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा। - नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन - मूल्यांकन की दोबारा गणना के मकसद से सिक्योरिटीज़ की इकाइयों की जांच करने के लिए, निगम द्वारा नियुक्त कस्टोडियन और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से तुलन-पत्र की तारीख पर निवेश के लिए स्वतंत्र बैलेंस पुष्टि प्राप्त की। - विनियम और निगम के बोर्ड द्वारा मंजूर पॉलिसी के आधार पर मूल्यांकन के तरीकों का आकलन करने के लिए, टेस्ट चेक के तौर पर अलग-अलग तरह के निवेश के मूल्यांकन की दोबारा गणना की।

4. Emphasis of Matter:

We draw attention to the following notes to the Consolidated Financial Statements under Schedule 16(B):

- a) Note No. 30, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crores pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crores per quarter. Accordingly, an aggregate amount of ₹1,856.08 crores has been charged to the Consolidated Revenue Account during the year ended March 31, 2026. The balance amount of ₹ 4,640.17 crores shall be amortised over the subsequent quarters up to Q2 of the FY 2028-29.
- b) Note No. 31, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crores in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 2,410.04 crores have been replenished from the Shareholders' account during the year ended March 31, 2026. The balance amount of ₹ 2,410.01 crores shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters up to Q4 of the FY 2026-27.
- c) Note No. 32, wherein it is mentioned that pursuant to regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crores towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an aggregate amount of ₹ 1,825.68 crores have been charged to Shareholders' account during the year ended, March 31, 2026. The balance amount of ₹ 1,825.74 crores shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters up to Q4 of the FY 2026-27.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
1. Classification and Valuation of Investments (31.03.2026: ₹ 55,80,356.18 crore) (Refer Schedule 8, 8A, 8B of the Consolidated Financial Statements. Refer schedule 16(A)8 to the Standalone Financial Statements for accounting policy.) The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation. As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 (the "Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation.	We have carried out the following key audit procedures: - Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation/ impairment of investments. - Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation. - Obtained independent balance confirmations for investments as at balance sheet date from the custodians and depository participants appointed by the Corporation to check the units of securities for the purpose of valuation re-computation. - On a test check basis, recomputed valuation of different class of investments to assess valuation methodologies with reference to the Regulations along with the Corporation's Board approved policy.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं। गैर-सूचीबद्ध या सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है। इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।	• प्रतिभूतियों का मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है। • परीक्षण की गई हानि/प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार हैं। • गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धति और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतरिक नीतियों के साथ पुष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं। • निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की। • हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है। किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।
2. उचित अवधि में राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता समेकित वित्तीय विवरण के राजस्व खाते का अनुसूची 1 देखें। वर्ष के दौरान, निगम ने ₹ 5,37,603.79 करोड़ के शुद्ध प्रीमियम राजस्व को मान्यता दी है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (तुलन-पत्र दिनांक पर कट-ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उद्योग की प्रकृति के कारण, आय, तुलन-पत्र की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।	मंडल/शाखा लेखापरीक्षक ने हमारे साथ शेयर की गई अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा किया है: • राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया। • प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि राजस्व सही लेखा अवधि में अर्जित है या नहीं। • वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया ताकि पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था ताकि राजस्व का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके। • यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षक के अंतर्गत मंडल / शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
All investments should be valued as prescribed in the Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments. The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate. Further, due to the reassessment of the investee Company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Regulations and/ or Corporation's internal policies. Hence, the valuation of investments was considered to be one of the areas which required our significant attention and is one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the Consolidated Financial Statements.	- Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Regulations and Corporation's accounting policies. - Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Regulations and Corporation's impairment policies. - In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment. - For any changes in ratings of the investee Company, we examined the Corporation's assessment with the Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation. - We have perused the available concurrent audit reports on investments. Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the investments were not properly classified or valued.
2. Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition Refer Schedule 1 of Revenue Account of the Consolidated Financial Statements. During the year, the Corporation has recognised net premium revenue of ₹ 5,37,603.79 crore. We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the Balance Sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.	The Division/Branch Auditors of the Corporation have carried out the following audit procedures as reported in their Audit Reports shared with us: - Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue. - Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period. - Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue. - Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit / premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to Balance Sheet but revenue was not recognised Based on the work carried out by the Division/Branch Auditors under the Zonal auditors, we did not come across any significant matter which indicates that the revenue recognition is not accounted in the correct period.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
3. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं निगम के पास विवादित मामलों सहित कई अनिश्चित कर स्थितियां हैं, जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निगम के पास पिछले कई वर्षों से कर अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर विवाद लंबित है। प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है। हमने मुकदमेबाजी और दावों को मुख्य लेखापरीक्षा विषय माना है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं, उनमें प्रबंधन निर्णय की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है, जिसमें लेखांकन अनुमान भी शामिल है, जिसमें उच्च अनुमान अनिश्चितता शामिल है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - कर मुकदमों, अन्य मुकदमों और दावों के निर्धारण और आकलन के लिए प्रबंधन के आंतरिक निर्देशों, प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब-किताब और प्रकटीकरण किया। - निगम के कानूनी सलाहकार और इन-हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की। - कर प्रावधान का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं, विवादों के संभावित परिणाम, कानूनी मिसाल और इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में अन्य निर्णयों की समीक्षा की गई। - ऐसे विवादित कर स्थितियों के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों, उद्योग स्तर पर विचार-विमर्श और संभावित बहिर्वाह के अनुमान तथा निगम के आंतरिक विशेषज्ञों/बाहरी कर सलाहकारों/वकीलों की राय पर भरोसा किया गया। किए गए कार्य के आधार पर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2026 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. निगम का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध होने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ा जाए और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार किया जाए कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक कथन गलत है, तो हम शासन के प्रभारी लोगों को इस मामले से अवगत कराएंगे और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत लागू उचित कार्रवाई करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की और शासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

7. निगम का निदेशक मंडल एलआईसी अधिनियम, यथा संशोधित की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, ताकि वे समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समूह और उसके सहयोगियों की समेकित प्राप्तियों और भुगतानों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रदान कर सकें, एलआईसी अधिनियम, यथासंशोधित, बीमा अधिनियम के साथ पढ़ा गया, आईआरडीए अधिनियम, विनियमों, इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी आदेश/निर्देश और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं, जहां लागू हो और जैसा आवश्यक हो।

समूह और उसके सहयोगी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव,

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
3. Contingencies relating to certain matters pertaining to Direct and Indirect Tax The Corporation has material uncertain tax positions including matters under dispute which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. The Corporation has disputes pending at various levels of tax authorities over the past several years. The management with the help of its expert, as needed, have made estimation with respect to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We have considered Litigations and claims as Key Audit Matter because the estimates on which these amounts are based involve a significant degree of management judgment, including accounting estimates that involves high estimation uncertainty.	Our procedures included the following: - Understood Management's internal instructions, process and control for determining and estimating the tax litigations, other litigations and claims and its appropriate accounting and/or disclosure; - Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts; - Reviewed the management's underlying assumptions in estimating the tax provision, the possible outcome of the disputes, legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions. - Assessed the management judgements, industry level deliberations and estimates for possible outflow and opinion of internal experts/ External Tax Advisors/ lawyers of the Corporation in relation to such disputed tax positions. Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Direct and Indirect Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2026 to be reasonable.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Corporation's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated receipts and payments of the Group and its associates, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act to the extent applicable and in the manner so required.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating

जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण अनियमितता से मुक्त हैं।

8. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों और सहयोगि के निदेशक मंडल की यह जिम्मेदारी है की जारी रहने की क्षमता का आकलन करे, जारी रहने से जुड़ी जरूरी बातों का खुलासा करे और लेखांकन के जारी रहने के आधार का इस्तेमाल करे, जब तक कि प्रबंधन का इरादा कंपनी को बंद करने या कामकाज रोकने का न हो, या ऐसा करने के अलावा कोई और व्यावहारिक विकल्प न बचा हो।
9. समूह में शामिल कंपनियों और सहयोगियों के संबंधित निदेशक मंडल प्रत्येक ऐसी कंपनी/इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

10. हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण अनियमितता से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई ऑडिट हमेशा महत्वपूर्ण अनियमितता का पता लगाएगी जब यह मौजूद है। अनियमितता धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।
11. अंकेक्षण मानक के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी
 - समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अनियमितता के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अनियमितता का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
 - परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के प्रति समझ पैदा करें। एलआईसी अधिनियम की धारा 25बी (3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
 - प्रबंधन द्वारा की गई लेखांकन नीतियों के उपयोग और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करें।
 - लेखांकन के निरंतरता की मान्यता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों को कंपनी के रूप में जारी रहने से रोक सकती है।
 - समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण शामिल हैं और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
 - समूह और उसके सहयोगियों के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सभी संस्थाओं के लिए, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बने हुए हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

8. In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the Companies included in the Group and its associates are responsible for assessing the ability of each such Company to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate such company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
9. The respective Board of Directors of the Companies included in the Group and its associates are responsible for overseeing the financial reporting process of each such Company/Entity.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

10. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.
11. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 25B(3)(i) of the LIC Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associates to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. For all the entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion on Consolidated Financial Statements.

12. हम अन्य मामलों के अलावा, कॉर्पोरेशन के शासन के प्रभारी लोगों के साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जो हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
13. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।
14. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

15. प्रवर्तित जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकिक (नियुक्त बीमांकिक) की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और उन पॉलिसियों के लिए जिनके संबंध में प्रीमियम जारी रखा गया है, लेकिन 31 मार्च, 2026 को देयता मौजूद है, नियुक्त बीमांकिक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उसकी राय में, ऐसे मूल्यांकन के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) कि मान्यताएं और प्राधिकरण के साथ सहमति में भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों के मूल्यांकन और उन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन देयता मौजूद है, इस संबंध में हमने निगम के समेकित वित्तीय विवरणों/सूचना में निहित बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है।
16. समेकित वित्तीय विवरण में 2 भारतीय सहायक कंपनियों और 4 विदेशी सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी शामिल की गई है। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल ऐसी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण में शामिल मार्च 31, 2026 को कुल संपत्ति ₹ 22,701.04 करोड़, कुल राजस्व ₹ 2,996.94 करोड़, मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध हानि (कर पश्चात) ₹ 1.54 करोड़ को दर्शाते हैं। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, ऐसी अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
17. 6 सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसे सहयोगियों के वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 7,009.31 करोड़ का शुद्ध लाभ (कर पश्चात) दर्शाता है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह उपरोक्त सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, ऐसी अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
18. समेकित वित्तीय विवरणों में 1 विदेशी सहायक की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना शामिल की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी सहायक की वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 332.12 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, ₹ 121.67 करोड़ का कुल राजस्व, ₹ 15.39 करोड़ का शुद्ध घाटा (कर पश्चात) दर्शाती है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इस सहायक के संबंध में शामिल की गई राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी वित्तीय जानकारी पर आधारित है जो हमें प्रदान की गई है और निगम के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अलेखापरीक्षित सहायक की यह वित्तीय विवरण/सूचना समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
19. समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े शामिल हैं, जिनका ऑडिट पहले से निर्धारित दो ऑडिट फर्मों द्वारा संयुक्त लेखा परीक्षकों के रूप में किया गया है, जिन्होंने 27 मई, 2025 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है और उन दो ऑडिट फर्मों में से एक ऑडिट फर्म निरंतर है।
उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

12. We communicate with those charged with governance of the Corporation regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
13. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
14. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

15. The actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the Consolidated Financial Statements/ information of the Corporation.
16. The audited financial statements/ information of 2 Indian subsidiaries and 4 foreign subsidiaries have been included in the Consolidated Financial Statements. The financial statements of such subsidiaries included in the Consolidated Financial Statement reflect total assets of ₹ 22,701.04 crores as at March 31, 2026, total revenue of ₹ 2,996.94 crores, net loss (after tax) of ₹ 1.54 crores for the year ended March 31, 2026, respectively as included in the Consolidated Financial Statements. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the above subsidiaries is based on the report of such other auditors.
17. The audited financial statements/ information of 6 associates has been included in the Consolidated Financial Statements. The financial statements of such associates included in the Consolidated Financial Statements reflects net profit (after tax) of ₹ 7,009.31 crores for the year ended March 31, 2026, as included in the Consolidated Financial Statements. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the above associates is based on the report of such other auditors.
18. The unaudited financial statements/ information of 1 foreign subsidiary has been included in the Consolidated Financial Statements. The financial information of such subsidiary included in the Consolidated Financial Statements reflect total assets of ₹ 332.12 crores as at March 31, 2026, total revenue of ₹ 121.67 crores, net loss (after tax) of ₹ 15.39 crores for the year ended March 31, 2026. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary is based solely on such financial information as furnished to us and certified by the Management of the Corporation. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, this financial statements /information of the unaudited subsidiaries is not material to the Group.
19. The Consolidated Financial Statement includes comparative figures for the year ended March 31, 2025, which have been audited by an earlier set of two audit firms as joint auditors, who have expressed unmodified opinion vide their report dated May 27, 2025 and one of those two audit firms is a continuing audit firm.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

20. प्रवर्तित जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन 31 मार्च, 2026 को देनदारी मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकिक ('नियुक्त बीमांकिक') की जिम्मेदारी है। नियुक्त बीमांकिक ने विधिवत रूप से देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और प्रवृत्त जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के संबंध में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि को प्रमाणित किया है जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन 31 मार्च, 2026 को देनदारी मौजूद है और उसकी राय में ऐसे मूल्यांकन के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मान्यताएं के साथ सहमति में भारतीय बीमांकिक संस्थान और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं।
21. इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम (संशोधित) की धारा 25बी की उपधारा (3) के तहत आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि;
- हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारी ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया।
 - हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित लेखा पुस्तकों को अब तक बनाए रखा गया है, सिवाय उन पुस्तकों के जो इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 21(xi) (f) में रिपोर्ट की गई हैं
 - हमारी राय में निगम के क्षेत्रों/मंडल कार्यालयों और शाखाओं का उचित विवरण प्राप्त हुआ है और उन्हें ऑडिट के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाया गया है;
 - इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए गया बैलेंस शीट, राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और रिटर्न के अनुरूप हैं;
 - हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी किए गए आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
 - हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं, जहां तक इस संबंध में आईआरडीएआई विनियमों और आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के साथ असंगत नहीं हैं।
 - हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता तथा प्राप्ति और भुगतानों का खाता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुरूप है, जहां तक वे आईआरडीएआई विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों के असंगत नहीं हैं, जिसमें आईआरडीएआई द्वारा इस संबंध में जारी मास्टर परिपत्र, आदेश, निर्देश और अन्य परिपत्र शामिल हैं।
 - 31 मार्च, 2026 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए, एलआईसी अधिनियम की धारा 4ए (i) के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
 - लेखा के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित संशोधन ऊपर पैराग्राफ 21 (ii) में बताए गए हैं
 - समूह और उसके सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक ए में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि एलआईसी सामान्य नियम 1956 के नियम 23(i) द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक और सहयोगियों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के आधार पर:
- क) समेकित वित्तीय विवरण समूह और उसके सहयोगियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसूची 16 (बी) - नोट 2 देखें।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

20. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 is the responsibility of the Corporation's appointed actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India.
21. Further, as required under sub section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
 - i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books except for those reported in paragraph 21(xi)(f) of this report;
 - iii. In our opinion proper returns of zones/ divisional offices and branches of the Corporation have been received and found them adequate for the purpose of audit;
 - iv. The Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDA in this behalf;
 - vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDAI Regulations and orders / directions / circulars issued by IRDA in this regard.
 - vii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in Section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent they are not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDAI Regulations including Master Circulars, orders, directions and other circulars issued by IRDAI in this regard.
 - viii. On the basis of the written representations received from the directors as at March 31, 2026, taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as at March 31, 2026, from being appointed as a director in terms of Section 4A(i) of the LIC Act.
 - ix. The modification relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are stated in paragraph 21(ii) above.;
 - x. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Group and its associates and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A".
 - xi. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as specified by Rule 23(i) of LIC General Rule 1956, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries and associates:
 - a) the Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group and its associates – Refer Schedule 16(B) - note 2 to the Consolidated Financial Statements.

- ख) निगम ने 31 मार्च, 2026 तक, लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक रूप से, दीर्घकालिक अनुबंधों सहित व्युत्पन्न अनुबंधों पर किसी भी तरह के भौतिक अनुमानित नुकसान के लिए प्रावधान किया है - समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसूची 16 (बी) - नोट 18 देखें। निगम को छोड़कर समूह में किसी अन्य कंपनी/संस्थाओं के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित नुकसान हुआ था।
- ग) निगम, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित उसके सहयोगियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
- घ) i. निगम, उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अन्य लेखा परीक्षकों को यह बताया है कि, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में प्रकट किए गए के अलावा, निगम या ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में से किसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) भी शामिल हैं, को कोई भी धन अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य प्रकार की धनराशि से) नहीं दिया गया है या निगम या ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में से किसी के द्वारा या उनकी ओर से या ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों द्वारा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) द्वारा कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई भी प्रदान नहीं की गई है।
- ii. निगम, उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अन्य लेखा परीक्षकों को यह बताया है कि, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में प्रकट किए गए के अलावा, निगम या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी या सहयोगी को किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्ष) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि निगम या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी या सहयोगी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करना चाहिए। (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करना।
- iii. भारत में निगमित सहायक और सहयोगियों के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया गया है, जो हमारे द्वारा की गई परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई हैं, हमारे या अन्य लेखा परीक्षकों के ध्यान में कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखा परीक्षकों को यह विश्वास हो गया है कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत दिए गए अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलत बयान है।
- ड) i. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, लागू एलआईसी अधिनियम की धारा 28बी के अनुसार, वर्ष के दौरान निगम द्वारा घोषित और भुगतान किया जाता है। निगम के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि लागू एलआईसी अधिनियम की धारा 28बी के अनुसार है (समेकित वित्तीय विवरण के अनुसूची 16(बी) - नोट 34 देखें)।
- ii. भारत में निगमित 2 सहायक और 5 सहयोगियों के संबंध में, उनके लेखा परीक्षकों ने बताया है कि संबंधित सहायक/सहयोगियों ने पिछले वर्ष में प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है।
- च) हमारी जांच के आधार पर जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, और जैसा कि संबंधित सहायकों के लेखा परीक्षक द्वारा सूचित किया गया है, नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर, निगम और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों/सहयोगियों ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की सुविधा है और उसी ने संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष में काम किया है, सिवाय इसके कि:
- i) निगम द्वारा अनुरक्षित ईपीजीएस सॉफ्टवेयर के मामले में, प्रदर्शन और स्थान की कमी के कारण डेटाबेस में ऑडिट लेनदेन लॉग सक्षम नहीं है। हालांकि, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा संबंधित मॉड्यूल की इतिहास तालिका में रखा जाता है। इसके अलावा ऑडिट डेटा को बढ़ाने के लिए एप्लिकेशन लॉग, सर्वर लॉग, एलबी लॉग भी कैप्चर किए जाते हैं। ईपीजीएस के लेनदेन स्तर लॉग को संबंधित मॉड्यूल तालिकाओं से प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त डेटाबेस के अलावा लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ करने का कोई उदाहरण नहीं मिला और रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह और उसके सहयोगियों में संबंधित संस्थाओं द्वारा ऑडिट ट्रेल संरक्षित किया गया है।

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए जी. शंकर (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 046050

UDIN: 26046050ONZGYV2588

मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 106655W

सीए निशा यादव (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 135775

UDIN: 26135775RNJMYH8682

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 21, 2026

For accounting software other than the aforesaid databases, during the course of our audit, we did not come across any instances of audit trail feature being tampered with and the audit trail has been preserved by the respective entities in the Group and its associates as per the statutory requirements for record retention.

V. Sankar Aiyar & Co.

Chartered Accountants
FRN:109208W

CA G Sankar

Partner

Membership No.: 046050

UDIN: 26046050ONZGYV2588

Place: Mumbai

Date: May 21, 2026

Mukund M Chitale & Co.

Chartered Accountants
FRN: 106655W

CA Nisha Yadav

Partner

Membership No.: 135775

UDIN: 26135775RNJMYH8682

अनुलग्नक – ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

(हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों को दिनांक तक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 21(x) में संदर्भित)

एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) की धारा 25(बी) की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संयोजन में, हमने निगम और उसकी सहायक कंपनियों (निगम और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ समूह के रूप में संदर्भित किया गया है) और उसके सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का संयुक्त रूप से ऑडिट किया है जो 31 मार्च, 2026 को भारत में शामिल कंपनियां हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना, जैसा कि एलआईसी अधिनियम या कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित है, जो समूह में संबंधित कंपनियों और उसके सहयोगियों पर लागू होता है, जिनके लिए रिपोर्टिंग लागू होती है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा निर्धारित ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट और मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (10) के तहत निर्दिष्ट, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए ऑडिट का संचालन किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे अंजाम दें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते थे।

हमारे ऑडिट में इन समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे उल्लिखित अन्य मामलों के पैराग्राफ में, भारत में निगमित निगम, उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तार में, निगम की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है, और निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

Annexure A to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 21(x) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Life Insurance Corporation of India of even date)

Report on the internal financial controls with reference to the aforesaid Consolidated Financial Statements under Clause (i) of sub-section (3) of Section 25(B) to the LIC Act, 1956 (as amended)

In conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred to as "the Corporation") as of and for the year ended March 31, 2026, we have jointly audited the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Corporation and its subsidiaries (Corporation and its subsidiaries together referred to as "the Group") and its associates which are Companies incorporated in India as of March 31, 2026.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Management and Board of Directors of the Companies included in the Group and its associates, which are Companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control with reference to Consolidated Financial Statements criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the LIC Act or Companies Act, 2013 as applicable to the respective Companies in the Group and its associates to whom the reporting is applicable.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing prescribed by ICAI and specified under sub-section (10) of Section 143 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to the audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Corporation, its subsidiaries and associates which are incorporated in India.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

The Corporation's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में भविष्य की अवधि के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, जैसा कि नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित है, निगम, इसकी सहायक कंपनियाँ और सहयोगी, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, ने समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रूप में 31 मार्च, 2026 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामला

- क) एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25(बी) की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, निगम के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर, जहां तक यह भारत में निगमित 2 भारतीय सहायक कंपनियों और 6 सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों से संबंधित है, ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।
- ख) लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देनदारी मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकिक की जिम्मेदारी है। प्रचालन में जीवन पॉलिसियों के लिए और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन 31 मार्च, 2026 को देयता मौजूद है, इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकिक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उसकी राय में, ऐसे मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ और मान्यताएं लागू आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार हैं, और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 15 और 20 में उल्लिखित के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय में उपरोक्त बीमांकिक मूल्यांकन के मूल्यांकन और सटीकता पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्टिंग शामिल नहीं है।

वी शंकर अय्यर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 109208W

सीए. जी. शंकर (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 046050

UDIN: 26046050ONZGYV2588

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 21, 2026

मुकुंद एम. चितले एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

क.प.सं.: 106655W

सीए. निशा यादव (साझेदार)

सदस्यता संख्या: 135775

UDIN: 26135775RNJMYH8682

regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the Consolidated Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to these Consolidated Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of reports of other auditors, as referred to in Other Matters paragraph below, the Corporation, its subsidiaries and associates, which are Companies incorporated in India have, maintained in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements and such internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal financial controls over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matter

- a) Our aforesaid report under Clause (i) of sub section (3) of Section 25(B) of the LIC Act, 1956 (as amended) on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Corporation, in so far as it relates to separate financial statements of 2 Indian subsidiaries and 6 associates which are Companies incorporated in India, is based on the respective reports of the auditors of such subsidiaries and associates.
- b) The actuarial valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium is discontinued but liability exists is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary. The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2026 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the methods and assumptions used for such valuation are in accordance with the applicable IRDAI Regulations, and has been relied upon by us, as mentioned in paragraph 15 and 20 of our audit report on the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026 Accordingly, our opinion on the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

V. Sankar Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN:109208W

CA G Sankar
Partner
Membership No.: 046050
UDIN: 26046050ONZGYV2588

Place: Mumbai
Date: May 21, 2026

Mukund M Chitale & Co.
Chartered Accountants
FRN: 106655W

CA Nisha Yadav
Partner
Membership No.: 135775
UDIN: 26135775RNJMYH8682

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक का समेकित तुलन पत्र

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2026

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS			
शेयरधारकों की निधियाँ : / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5 & 5A	6,325.00	6,325.00
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	1,71,232.86	1,21,195.90
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(952.52)	(294.51)
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) / MINORITY INTEREST (Shareholders)		275.27	277.27
उप-योग / Sub-Total		1,76,880.61	1,27,503.66
उधारी / BORROWINGS	7	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		5,02,801.86	6,47,553.70
हेज उतार-चढ़ाव आरक्षितनिधि / HEDGE FLUCTUATION RESERVE		(847.21)	10.62
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		51,15,087.53	47,50,240.06
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) / MINORITY INTEREST (Policyholders)		1.02	0.99
बंद पॉलिसियों के लिये निधि: / FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES:			
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना / Discontinued on account of non payment of premium		1,509.77	790.81
अन्य / Others		13.40	13.98
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	50,179.93	35,982.27
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		60,689.28	47,664.75
उप-योग / Sub-Total		57,29,435.58	54,82,257.18
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ: / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS:			
संबद्ध / Linked		73.47	55.05
असंबद्ध (असहभागी) / Non-Linked (non-par)		-	-
असंबद्ध (सहभागी) / Non-Linked (par)		3,141.59	1,773.36
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITY (Net)		-	-
कुल / Total		59,09,531.25	56,11,589.25
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS			
निवेश / INVESTMENTS:			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	1,49,839.14	1,02,869.66
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	53,68,329.26	51,64,298.26
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पतियाँ / ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	62,187.78	48,434.75

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
ऋण / LOANS	9	1,31,249.33	1,28,961.49
अचल सम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	10	4,756.66	4,483.18
आस्थगित कर संपत्तिया (शुद्ध) /DEFERRED TAX ASSETS (Net)		0.35	0.27
चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS:			
रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	72,013.17	69,884.66
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,60,180.71	1,41,636.19
उप-योग (क) / Sub-Total (A)		2,32,193.88	2,11,520.85
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	39,023.70	34,033.13
प्रावधान / PROVISIONS	14	1.45	14,946.08
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)		39,025.15	48,979.21
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		1,93,168.73	1,62,541.64
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	-	-
लाभ-हानि लेखा में नाम शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) / DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (Policyholder's Account)		-	-
कुल / Total		59,09,531.25	56,11,589.25

आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities 16 (B) 2
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ 16(A) & 16(B)
Significant Accounting Policies & Notes to Accounts
उपर्युक्त अनुसूचियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

The Schedules referred to above and the Notes of Accounts form an integral part of the Consolidated financial statement.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाता

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	5,38,378.50	4,90,489.26
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(774.71)	(713.87)
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		-	-
उप-योग / Sub-Total		5,37,603.79	4,89,775.39
निवेशों से आय / Income from Investments:			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		3,32,951.42	3,17,292.26
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		95,841.40	77,408.46
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(1,868.69)	649.19
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		(4,751.93)	(79.64)
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छूट (e) Amortisation of Premium/ Discount on Investment		9,401.37	(1,100.84)
अन्य आय / Other Income:			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		123.38	70.65
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		2,684.11	609.85
(iii) अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,410.03	2,617.40
(ख) एमडी/ सीईओ / डब्ल्यूटीडी / अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMP's		-	-
(सी) अन्य (c) Others		12.65	24.69
कुल (क) / TOTAL (A)		9,74,407.53	8,87,267.41
कमीशन / Commission	2	24,555.55	25,419.37
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	39,653.19	35,574.11
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for Doubtful debts		(811.36)	(1,544.74)
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-
कर के लिए प्रावधान (शुद्ध)^ / Provisions for Tax (Net)^		(4,048.40)	7,916.37

		(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation):			
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		(439.76)	6.64
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपत्र / बंधपत्र एवं अन्य के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debenture/ Bonds and others		(343.38)	(644.11)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर / Goods and Services tax on ULIP Charges		148.76	223.34
कुल (ख) / TOTAL (B)		58,714.60	66,950.98
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	4,90,158.14	4,17,507.98
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		8,356.71	3,075.80
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन / Change in valuation of liability in respect of life policies			
(क) सकल** / (a) Gross**		3,49,907.12	3,38,661.18
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance		-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies		12,865.03	12,657.01
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Fund for Discontinued Policies		719.91	397.17
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय (f) Fund for Future Appropriations for Linked business		18.42	25.04
कुल (ग) / TOTAL (C)		8,62,025.33	7,72,324.18
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) / SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)		53,667.60	47,992.25
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ (हानि) का हिस्सा Add: Share of Profit/(Loss) in Associates (E)		7,009.31	4,847.22
(घटाएँ)/जोड़ें: लाभ/(हानि) में अल्पसंख्यकों का हिस्सा (Less)/Add: Minority Interest Share of Profit/(Loss) (F)		(28.23)	(41.13)
कुल अधिशेष (घाटा) = अल्पसंख्यक हित के बाद TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) AFTER MINORITY INTEREST (G)=(D)+(E)-(F)		60,648.68	52,798.34
अंशधारकों के खाते (गैर तकनीकी खाता)से हस्तांतरित राशि Amount transferred from Shareholders' Account (Non-Technical Account)		4,232.57	2,255.42
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		64,881.25	55,053.76
विनियोजन APPROPRIATIONS			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		57,899.63	49,605.00
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		5,613.39	4,860.11
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष / Balance being Funds for Future appropriations		1,368.23	588.65
कुल / TOTAL		64,881.25	55,053.76

* निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माना गया प्राप्त लाभ दर्शाता है।

** बोनस आवंटन के पश्चात गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

^ लेखों पर टिप्पणियों की अनुसूची 16(बी) के बिंदु संख्या 35 देखें।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

^ Refer schedules 16(B) Point No. 35 of Notes to Accounts.

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण:

The Breakup of Total Surplus during the period:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनस (a) Interim Bonuses Paid	8,356.71	3,075.80
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन# (b) Allocation of Bonus to policyholders#	59,725.53	56,331.10
(ग) राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue account	60,648.68	52,798.34
कुल अधिशेष (क + ख + ग) Total Surplus [a + b + c]	1,28,730.92	1,12,205.24

#पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त अनुसूचियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above and the Notes of Accounts form an integral part of the Consolidated financial statement.

The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता

शेयरधारकों का लेखा (गैर-तकनीकी खाता)

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2026

Shareholders' Account (Non-technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी लेखा) से अंतरित शेष : Amounts transferred from Policyholders Account (Technical Account)		57,899.63	49,605.00
निवेशों से आय / Income from Investments:			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		8,170.71	5,683.08
(ख) निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		422.37	380.70
(ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(0.10)	(9.07)
(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेश पर छूट (d) (Amortisation of Premium / Discount on Investments)		1.74	(29.51)
अन्य आय / Other Income		191.31	172.55
कुल (क) / TOTAL (A)		66,685.66	55,802.75
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the Insurance business		2,527.00	2,567.55
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान / Contribution to Policyholders' Account			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		2,410.03	2,617.40
(ख) एमडी/ सीईओ / डब्ल्यूटीडी / अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTG/Other KMP's		-	-
(ग) अन्य (c) Others		12.65	24.69
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज / Interest on Subordinated debt		-	-

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च / Expenses towards CSR activities		3.68	1.55
दंड / Penalties		0.02	0.03
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad debts written off		-	-
पॉलिसीधारको के खाते में हस्तांतरित राशि Amount Transferred to Policyholders' Account		4,232.57	2,255.42
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (Other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)		23.94	(14.63)
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful debts		(0.88)	1.34
(ग) अन्य (c) Others		(47.23)	(1.21)
कुल (ख) / TOTAL (B)		9,161.78	7,452.14
कर पूर्व लाभ/(हानि)/ Profit/(Loss) before tax		57,523.88	48,350.61
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		70.73	30.28
कर पश्चात लाभ/(हानि)/ Profit/Loss after tax		57,453.15	48,320.33
विनियोजन / APPROPRIATIONS			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the year		1,20,216.51	75,709.39
(ख) अंतरिम लाभांश का भुगतान (b) Interim Dividends paid		-	-
(ग) अंतिम लाभांश का भुगतान (c) Final dividend Paid		7,590.00	3,795.00
(घ) लाभांश वितरण कर (d) Dividend Distribution Tax		2.89	-
(ङ) आरक्षितनिधि में अंतरण (e) Transfer to reserves:			
(i) सामान्य आरक्षित निधि (i) General Reserve		17.19	-
(ii) अन्य आरक्षित निधि (ii) Other Reserve		56.47	17.30
(च) पॉलिसी धारको की निधि से लाभो के हिस्से का अंतरण (f) Share of profit/loss transferred from Policyholders fund		-	(0.91)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) carried forward to the Balance Sheet		1,70,003.11	1,20,216.51
प्रतिशेयर उपार्जन- मूल (₹) (अनुसूची 16 (बी) के बिंदु संख्या 22 देखें) Earning per Share- Basics (₹) (Refer Note 22 of Schedule 16 (B))		90.84	76.40
प्रतिशेयर उपार्जन- न्यूनीकृत (अनुसूची 16 (बी) के बिंदु संख्या 22 देखें) Earning per Share- Diluted (₹) (Refer Note 22 of Schedule 16 (B))		90.84	76.40
शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Nominal Value of Share (₹)		10.00	10.00
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 16(A) & 16(B)			

उपर्युक्त अनुसूचियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above and the Notes of Accounts form an integral part of the Consolidated financial statement.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

 वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

 मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

 सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

 सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

 सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

 सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

 आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

 डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

 अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

 दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

 अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

 सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

 अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

 Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India
Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित प्राप्ति एवं भुगतान खाता
CONSOLIDATED RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from the operating activities:		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हैं Premium received from policyholders, including advance receipts	5,38,496.76	4,91,546.54
अन्य प्राप्तियाँ Other receipts	880.46	841.89
पुनः बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन एवं दावों/लाभ से शुद्ध Payments to the re-insurers, net of commissions and claims/ Benefits	(190.68)	(59.03)
सह-बीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों/लाभ वसूली से (शुद्ध) Payments to co-insurers, net of claims / benefit recovery	-	-
दावों/लाभों का भुगतान Payments of claims/benefits	(4,97,050.30)	(4,25,463.72)
कमीशन और दलाली का भुगतान Payments of commission and brokerage	(24,551.29)	(25,476.49)
प्रारंभिक और संचालन पूर्व व्यय Preliminary and pre-operative expenses	-	-
अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of other operating expenses	(33,765.82)	(48,681.04)
जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans	(243.33)	(163.40)
आयकर का (भुगतान) / रिफंड Income taxes (Paid) / Refund	(5,558.65)	395.54
सेवाकर/जीसटी का भुगतान Service tax/ GST paid	(4,228.63)	(2,660.86)
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह Cash flows before extraordinary items	(26,211.48)	(9,720.57)
असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) Cash Flow from extraordinary operations (give break-up)	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह Net cash Flow from operating activities	(26,211.48)	(9,720.57)

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
निवेशों गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from investing activities:		
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	(1,115.78)	(776.73)
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ Proceeds from sale of fixed assets	146.49	61.94
निवेशों की खरीद Purchases of investments	(6,00,516.46)	(5,66,852.13)
वितरित ऋण (पुर्नभुगतान से शुद्ध) Loans disbursed (Net of Repayments)	(1,476.48)	(5,672.00)
निवेशों की बिक्री Sales of investments	3,30,046.56	3,07,792.15
किराया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received	3,34,200.75	3,15,107.76
मुद्रा बाजार विलेख और तरल म्यूचुअल फंडों में निवेश (शुद्ध) Investments in money market instruments and in liquid mutual funds (Net)	(26,539.46)	(8,645.68)
निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to investments	(37.68)	(16.08)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह Net cash Flow from investing activities	34,707.94	40,999.23
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from financing activities:		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्तियाँ / Proceeds from issuance of share capital	-	-
उधारी से प्राप्तियाँ / Proceeds from borrowing	-	-
उधारी का भुगतान Repayments of borrowing	-	-
ब्याज/लाभांश का भुगतान Interest/dividends paid	(7,625.55)	(3,794.28)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह Net cash Flow from financing activities	(7,625.55)	(3,794.28)
नकद और नकद के समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव (शुद्ध) Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net	1,984.71	408.27
नकद और नकद के समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी): Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents:	2,855.62	27,892.65
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the year	69,906.48	42,013.83

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the period	72,762.10	69,906.48
नोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the year		
नकद और चेक हाथ में / Cash and cheques in hand	4,053.08	4,375.48
बैंक शेष / Bank Balances*	20,236.47	36,507.77
सावधि जमा / Fixed Deposits	39,656.57	13,407.48
मुद्रा बाज़ार विलेख / Money Market Instruments	8,815.98	15,615.75
कुल नकद और नकद समतुल्य / Total Cash and Cash Equivalents	72,762.10	69,906.48

उपरोक्त प्राप्तियां और भुगतान खाता भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित और निवेश कार्य) विनियम 2024 के अन्तर्गत, लेखांकन मानक 3 नकद प्रवाह विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है।

*बैंक शेष में निवेश के रूप में वर्गीकृत संबंध व्यवसाय से संबंधित शेष भी शामिल है।

The above Receipts and payments account has been prepared as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 under the "Direct method" in accordance with Accounting Standard 3 Cash Flow Statements.

*Bank Balances also include balance pertaining to linked business classified as investments.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

अनुसूची - 1
SCHEDULE - 1

प्रीमियम
PREMIUM

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
1 प्रथम वर्षीय प्रीमियम / First year Premiums	42,107.92	37,198.98
2 परवर्ती प्रीमियम / Renewal Premiums	2,77,350.43	2,63,289.44
3 एकल प्रीमियम / Single Premiums	2,18,920.15	1,90,000.84
कुल / Total	5,38,378.50	4,90,489.26
व्यवसाय से लिखित प्रीमियम आय / Premium Income from business written:		
भारत में / In India	5,36,297.08	4,88,450.77
भारत के बाहर / Outside India	2,081.42	2,038.49
कुल प्रीमियम / Total Premium	5,38,378.50	4,90,489.26

अनुसूची - 2
SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय
COMMISSION EXPENSES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
कमीशन / Commission		
प्रत्यक्ष - प्रथम वर्षीय प्रीमियम Direct - First year premiums	9,368.64	10,033.57
- परवर्ती प्रीमियम - Renewal premiums	14,240.56	14,622.78
- एकल प्रीमियम - Single premiums	954.71	764.08
- अन्य कमीशन - Other Commission	0.01	0.02
सकल कमीशन / Gross Commission	24,563.92	25,420.45
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add : Commission on Re-insurance Accepted	-	-
घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	8.37	1.08
शुद्ध कमीशन / Net Commission	24,555.55	25,419.37
कमीशन का माध्यम वार अलग-अलग विवरण (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर): / Channel wise break up of Commission (Excluding Reinsurance commission)		
व्यक्तिगत एजेंट / Individual Agents	24,145.58	25,077.77
कॉर्पोरेट एजेंट-बैंक / एफआईआई / एचएफसी / Corporate Agents- Bank/FII/HFC	162.25	163.61
कॉर्पोरेट एजेंट / Corporate Agents- Others	17.85	23.53

अनुसूची - 2
SCHEDULE - 2कमीशन व्यय (जारी)
COMMISSION EXPENSES (Cont.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
ब्रोकर्स / Brokers	16.80	7.12
सूक्ष्म एजेंट / Micro Agents	164.96	87.53
प्रत्यक्ष व्यवसाय - ऑनलाइन / Direct bussiness- Online*	-	-
प्रत्यक्ष व्यवसाय - अन्य / Direct bussiness- Others	-	-
सामान्य सेवा केंद्र / Common Service centre	18.19	33.62
वेब एग्रीगेटर्स / Web Aggregators	-	-
बीमा विपणन फर्म (आई.एम.एफ) / Insurance Marketing Firm (IMF)	38.25	27.17
विक्री केन्द्र (पाइंट ऑफ सेल) प्रत्यक्ष / Point of sales (Direct) POSLI	0.04	0.10
अन्य / Others	-	-
कुल / TOTAL	24,563.92	25,420.45
लिखित व्यवसाय पर कमीशन (पूर्णबीमाको छोड़कर) / Commission (Excluding Reinsurance commission)		
भारत में / In India	24,420.79	25,285.12
भारत के बाहर / Outside India	143.13	135.33
कुल / TOTAL	24,563.92	25,420.45

* कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन.

* Commission on business procured through company website.

अनुसूची - 3
SCHEDULE - 3बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ / Employees' remuneration & welfare benefits	27,938.34	26,946.68
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय / Travel, conveyance and vehicle running expenses	418.02	477.72
3 प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	37.23	33.76
4 किराया, दरें एवं कर / Rents, rates & taxes	847.65	816.84
5 मरम्मत / Repairs	291.15	199.11
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री / Printing & Stationery	246.54	216.23
7 संचार व्यय / Communication expenses	267.58	268.43
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार / Legal & professional charges	84.60	62.79
9 चिकित्सा शुल्क / Medical Fees	72.30	64.40
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.:		

अनुसूची - 3
SCHEDULE - 3

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय (जारी)

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor	17.60	17.92
(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of:		
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0.29	0.12
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	-	-
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and	-	-
(ग) किसी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity	-	0.05
11 विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and publicity	685.49	554.50
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार / Interest & bank Charges	133.31	142.65
13 मूल्यन्हास / Depreciation	706.70	506.47
14 ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क/प्रभार / Brand/ Trade Mark usage fee/ charges	-	-
15 व्यवसाय विकास और विक्रय संवर्धन व्यय / Business Development and Sales Promotion Expenses	51.43	57.71
16 पॉलिसियो पर स्टाम्प शुल्क / Stamp duty on policies	284.93	262.36
17 सूचना प्रौद्योगिकी व्यय / Information Technology Expenses	57.14	62.17
18 वस्तु एवं सेवा कर / Good and Services tax (GST)	4,628.06	2,069.32
19 अन्य / Others:		
1 भत्ते / Allowances	1,675.95	1,771.66
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय Expense on Investment Property	159.80	155.18
3 पावती स्टॉम्प / Receipt stamps	13.79	13.72
4 बिजली प्रभार / Electricity charges	215.92	221.75
5 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम Cash in transit and other insurance premia	4.86	3.97
6 विविध व्यय / Miscellaneous expenses	819.35	646.44
7 मुख्य कार्यालय व्यय / Head Office expenses	3.54	1.69
8 विनिमय (लाभ) / हानि / Exchange (Gain)/Loss	(8.38)	0.47
कुल / Total	39,653.19	35,574.11
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय / Operating Expenses related to Insurance Business		
भारत में / In India	39,457.52	35,360.06
भारत के बाहर / Out Side India	195.67	214.05
कुल / Total	39,653.19	35,574.11

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4प्रदत्त लाभ (शुद्ध)
BENEFITS PAID (NET)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
1 बीमा दावें Insurance Claims:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	25,426.09	25,043.65
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	2,20,256.04	1,85,491.10
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	25,666.57	22,118.71
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefits	61,721.88	55,578.09
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	96.79	93.99
(च) अभ्यर्पण (f) Surrenders	46,711.33	49,013.92
(छ) अन्य लाभ (g) Other benefits:		
(i) आहरण (i) Withdrawal	1,10,346.71	82,286.62
(ii) दावा न की गई राशि पर ब्याज (ii) Interest on unclaimed amounts	412.44	(1,495.21)
(iii) अन्य / Others	87.79	4.66
प्रदत्त लाभ (सकल) / Benefits Paid (Gross)		
भारत में / In India	4,87,898.27	4,13,515.43
भारत के बाहर / Outside India	2,827.37	4,620.10
2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि): (Amount ceded in reinsurance):		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	(509.54)	(569.88)
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefits	-	-
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	(57.96)	(57.67)
(च) अन्य (f) Other	-	-

अनुसूची - 4
SCHEDULE - 4

प्रदत्त लाभ (शुद्ध) (जारी)
BENEFITS PAID (NET)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2025
3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: Amount accepted in reinsurance:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	-	-
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	-	-
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	-	-
(घ) आवधिक लाभ (d) Periodical Benefits	-	-
(ङ) स्वास्थ्य (e) Health	-	-
(च) अन्य (f) Other	-	-
कुल / Total	4,90,158.14	4,17,507.98
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) / Benefits Paid (Net)		
भारत में / In India	4,87,335.02	4,12,892.10
भारत के बाहर / Out Side India	2,823.12	4,615.88
कुल / Total	4,90,158.14	4,17,507.98

अनुसूची - 5
SCHEDULE - 5

अंश पूँजी
SHARE CAPITAL

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 अधिकृत पूँजी / Authorised Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	25,000.00	25,000.00
2 निर्गमित पूँजी / Issued Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
3 अभिदत्त पूँजी / Subscribed Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
4 याचित पूँजी / Called-up Capital समता अंश ₹ 10 प्रति अंश / Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
घटाएँ: अदत्त माँग / Less: Calls unpaid	-	-
जोड़ें: जब्त अंश (मूल रूप से भुगतान की गई राशि) / Add : Shares forfeited (amount originally paid up)	-	-
घटाएँ: वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back	-	-
घटाएँ: प्रारंभिक खर्च / Less : Preliminary Expenses	-	-

अनुसूची – 5
SCHEDULE - 5अंश पूँजी (जारी)
SHARE CAPITAL (Cont.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्ची सहित । Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares.		
कुल / Total	6,325.00	6,325.00

नोट:

- क) पूँजी के विभिन्न वर्ग – निगम के पास पूँजी का केवल एक ही प्रकार है समता अंश पूँजी
ख) बोनस शेयर जारी करने के कारण पूँजीकृत राशि – शून्य
ग) धारक कंपनी द्वारा धारित पूँजी – लागू नहीं

Notes:

- a) Particulars of the different classes of capital - The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Share Capital.
b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares - Nil
c) Capital held by a holding company - N/A

अनुसूची – 5 अ
SCHEDULE - 5Aअंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)
STATEMENT OF PATTERN OF SHAREHOLDING
(As certified by the Mangement)

Shareholders	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026		31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	
	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding
प्रवर्तक / Promoters				
- भारतीय / Indian	6103622781	96.50	6103622781	96.50
- विदेशी / Foreign	0	0.00	0	0.00
निवेशक¹ / Investors¹				
- भारतीय / Indian	198567983	3.14	212121723	3.35
- विदेशी / Foreign	22806937	0.36	9253197	0.15
अन्य / Others				
- भारतीय / Indian	-	-	-	-
- विदेशी / Foreign	-	-	-	-
कुल / Total	6324997701	100.00	6324997701	100.00

¹ निवेशक जैसा कि आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 में परिभाषित किया गया है।

¹ Investors as defined under IRDAI (Registration, capital structure, Transfer of shares and Amalgamation of Insurers) Regulation, 2024.

अनुसूची - 6
SCHEDULE - 6

आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष (शेयरधारकों के)
RESERVES & SURPLUS (SHAREHOLDERS)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	480.38	466.69
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	-	-
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	17.12	17.12
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve	1.97	1.97
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ / General Reserves :		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	29.42	29.42
जोड़ें: लाभ हानि खाते से अग्रेषित Add Transfer from Profit and Loss Account	17.19	-
घटाएँ: शेयरो की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back of shares	-	-
घटाएँ: बोनस शेयरो के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for issue of Bonus shares	17.19	-
अंतिम शेष / Closing Balance	29.42	29.42
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	26.01	22.44
7 अन्य आरक्षित निधियाँ: Other Reserves :		
क) विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि a) Exchange Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	375.92	331.52
वर्ष के दौरान योग Addition During the year	188.79	44.40
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deduction During the year	-	-
अंतिम शेष / Closing Balance	564.71	375.92
ख) अन्य b) Others	110.14	65.83
8 लाभ-हानि खाता में लाभ का शेष / Balance of profit in Profit and Loss Account	1,70,003.11	1,20,216.51
कुल / Total	1,71,232.86	1,21,195.90

अनुसूची - 6अ
SCHEDULE - 6Aबीमा आरक्षित निधियाँ (पॉलिसीधारकों के)
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	26.42	26.42
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	-	-
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	-	-
4 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि: Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	14,841.92	14,839.06
वर्ष के दौरान योग Additions during the period	6,762.96	2.86
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	-	-
अंतिम शेष Closing Balance	21,604.88	14,841.92
5 सामान्य आरक्षित निधियाँ General Reserves:	0.77	0.77
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	-	-
7 अन्य आरक्षित निधि Other Reserves:		
(i) विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (i) Exchange Fluctuation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	4,683.27	4,318.94
वर्ष के दौरान योग Addition During the year	1,785.08	364.33
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deduction During the year	0.42	-
अंतिम शेष / Closing Balance	6,467.93	4,683.27
(ii) अन्य (ii) Others	26.99	19.17
8 लाभ-हानि खाते में लाभ का शेष Balance of profit in Profit and Loss account:		
प्रारंभिक शेष Opening balance	16,410.72	9,322.19
जोड़े: वर्ष के दौरान योग Add : Additions during the period	5,613.39	4,860.11

अनुसूची – 6अ
SCHEDULE - 6A

बीमा आरक्षित निधियाँ (पॉलिसीधारकों के) (जारी)
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS) (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
जोड़े/(घटाएँ): वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the period	28.83	2,228.42
अंतिम शेष Closing balance	22,052.94	16,410.72
कुल / Total	50,179.93	35,982.27

अनुसूची – 7
SCHEDULE - 7

उधारी
BORROWINGS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 ऋण पत्र / बन्ध पत्र / Debentures/Bonds	-	-
2 बैंक / Banks	-	-
3 वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4 अन्य / Others	-	-
कुल / Total	0.00	0.00

अनुसूची – 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,25,414.02	86,658.83
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	13.59	-
3 अन्य निवेश Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	15,935.16	11,131.60

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Cont.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	1.00	2.50
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	(0.13)	(0.25)
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	215.07	207.24
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ: यू टी आय II पूँजी में आरंभिक अंशदान (e) Other Securities: Initial Contribution to UTI II Capital	0.01	0.01
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	132.87	94.69
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	3.62	3.26
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	1,692.58	34.45
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश / Other than Approved Investments	4,843.80	5,050.86
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Investments	(61.08)	(530.52)
अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	479.20	-
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	-	-
3 अन्य निवेश / Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	-	-
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	1,128.58	216.99
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	-	-

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Cont.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	-	-
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	-	-
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	490.46	-
6 सदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(449.61)	-
कुल / Total	1,49,839.14	1,02,869.66

टिप्पणियाँ / Notes:-

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(क) सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश (a) Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI BANK LTD.	27.97	26.58
जी.बी.नि.एम एफ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / LIC MF Assets Management Co. LTD.	99.03	62.24
सहकारी बीमा के लिए सऊदी भारतीय कंपनी / Saudi Indian Company For Cooperative Insurance	5.87	5.87
कुल / Total	132.87	94.69

(ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य*:

(b) Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments*:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particular :	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश / Long Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	1,30,939.44	92,661.00
बाजार मूल्य / Market Value*	1,28,558.51	95,003.80
अल्पवधि निवेश / Short Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	2,075.14	215.42
बाजार मूल्य / Market Value*	1,635.35	216.99

अनुसूची - 8
SCHEDULE - 8निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Cont.)

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर

*पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर

^ये आँकड़े केवल निगम से संबंधित हैं, सहायक कंपनियों के निवेश का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

#based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

*Book value less provision for diminution

^These figure pertain to Corporation only as the detail of Market value of investment held by subsidiaries are not available.

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

(ग) (c)	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
	आपातकालीन आरक्षित निधि से किए गए निवेश / Investments made out of Catastrophe Reserve	-	-

(घ) संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान

(d) Provision for Doubtful Investments:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(क) दीर्घवधि निवेश (a) Long Term Investments		
(i) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (i) Other Approved Securities	5.88	5.88
(ii) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (ii) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	6.07	4.40
(iii) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश (iii) Other than Approved Investments	49.13	520.24
कुल (क) / Total (a)	61.08	530.52
(ख) अल्पावधि निवेश (b) Short Term Investments		
(i) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश (i) Other than Approved Investments	449.61	-
कुल (ख) / Total (b)	449.61	-
कुल (क) + (ख) / Total (a)+(b)	510.69	530.52

अनुसूची – 8क
SCHEDULE - 8A

निवेश (शेयरधारकों के)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	32,02,138.82	30,49,226.62
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	102.80	3,859.96
3 Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	12,69,141.99	13,01,971.34
(खख) अधिमानी (bb) Preference	82.23	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	23,851.05	23,724.14
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	(0.31)	(0.68)
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	1,45,032.46	1,37,451.82
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:		
अन्य प्रतिभूतियाँ तथा बन्ध-पत्र Other Securities & Bonds	151.92	151.89
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	55,068.75	49,396.13
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	23,993.92	17,169.95
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	4,26,872.80	4,17,172.97
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	39,573.70	40,075.57
6 संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(5,681.43)	(6,522.34)

अनुसूची - 8क
SCHEDULE - 8A

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,45,721.31	1,00,724.44
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	3,994.48	2,716.17
3 अन्य निवेश Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	-	-
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	21,476.80	16,497.73
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	6,487.63	1,992.31
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	-	-
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	10,310.30	7,967.19
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,542.49	3,056.09
6 संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(2,532.45)	(2,333.04)
कुल / Total	53,68,329.26	51,64,298.26

अनुसूची – 8क
SCHEDULE - 8A

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

टिप्पणी / Notes:-

		(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
(क)	सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026
(a)	जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ए एम सी / LIC Mutual Fund AMC Ltd.	78.87
	जी.बी.नि. गृह वित्त लि. / LIC Housing Finance Ltd.	17,245.00
	जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड प्रारंभिक योगदान / LIC Mutual Fund Initial Contribution	2.00
	जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ट्रस्टी कं. प्रा. लि. / LIC Mutual Fund Trustee Co Pvt. Ltd.	0.52
	जी.बी.नि. एचएफएल एसएंड्स मैनेजमेंट कं. लि. / LIC HFL Asset Management Company Ltd.	4.57
	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Ltd.	36,784.66
	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड / IDBI Trusteeship Services Ltd.	115.57
	एचजीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड / HGI Industries Ltd.	3.18
	कटाखल लाला बाजार रेलवे कंपनी लिमिटेड / Katakhal Lala Bazar Railway company Ltd.	0.02
	मोदी स्पिनिंग एवं विविंग मील कंपनी लिमिटेड / Modi SPG & WVG Mills Company Ltd.	0.87
	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेंसियल सर्विसेस / Infrastructure Leasing & Financial Services	829.17
	हनुमान टी कंपनी लिमिटेड / Hanuman Tea Co. Ltd.	4.32
	कुल / Total	55,068.75

(ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों # और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य

(b) Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments^:

		(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश / Long Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	36,53,015.39	35,00,881.78
बाजार मूल्य / Market Value*	35,80,855.86	36,92,436.93
अल्पावधि निवेश / Short Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	1,85,271.87	1,31,748.87
बाजार मूल्य / Market Value*	1,84,881.21	1,31,041.38

^ ये आँकड़े केवल निगम से संबंधित हैं, सहायक कंपनियों के निवेशों का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर

अनुसूची - 8क
SCHEDULE - 8A

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

*पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

^ These figure pertain to Corporation only as the details of Market value of investment held by subsidiaries are not available.

based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

*Book value less provision for diminution

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

(ग) (c)	विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
	आपतकालीन आरक्षित निधि से किए गए निवेश / Investments made out of Catastrophe Reserve	-	-

(घ) संदिग्ध निवेशों के लिए प्रावधान

(d) Provision for Doubtful Investments:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(क) दीर्घवधि निवेश		
(a) Long Term Investments		
(i) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	1.00	1.11
(ii) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र Debentures/Bonds	740.14	614.48
(iii) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	834.37	-
(iv) बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	1,177.39	1,158.35
(v) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,928.53	4,748.40
कुल (क) / Total (a)	5,681.43	6,522.34
(ख) अल्पावधि निवेश		
(b) Short Term Investments		
(i) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र Debentures/Bonds	411.51	415.33
(ii) बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	41.24	31.87
(iii) अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,079.70	1,885.84
कुल (ख) / Total (b)	2,532.45	2,333.04
कुल (क) + (ख) / Total (a)+(b)	8,213.88	8,855.38

अनुसूची – 8ख
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	15,324.59	12,925.77
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0.00	0.05
3 अन्य निवेश / Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता* (aa) Equity*	37,375.37	30,322.69
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	290.84	122.76
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	278.69	9.86
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	-	-
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ – संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	3,647.06	1,893.69
5 अनुमोदित निवेशो के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	47.02	70.94
अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,210.88	727.94
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	0.05	-
3 अन्य निवेश / Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		

अनुसूची - 8ख
SCHEDULE - 8Bसंबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(कक) समता (aa) Equity	-	-
(खख) अधिमानी (bb) Preference	-	-
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	2,175.60	1,081.85
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	-	-
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	150.00	-
(च) सहायक (f) Subsidiaries	-	-
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	-	-
4 बुनियादी संरचना और आवासीय क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Housing Sector	30.72	86.31
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश / Other than Approved Investments	-	-
चालू सम्पत्तियाँ / Current Assets		
6 रोकड़ एवं बैंक शेष / Cash & Bank Balance		
रोकड़ (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प सहित) / Cash (including cheques, drafts and stamps)	705.43	-
बैंक शेष / Bank Balance:		
(क) जमा (a) Deposits:		
(कक) अल्पावधि (aa) Short term	-	-
(खख) अन्य (bb) Others	-	-
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	44.21	23.25
(ग) अन्य (c) Others	-	-

अनुसूची – 8ख
SCHEDULE - 8B

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ (जारी)
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
7 अग्रिम / Advances		
अन्य अग्रिम / Other Advances	0.00	0.07
निवेशो पर बकाया / अर्जित आय / Income outstanding/accrued on investments	323.71	255.31
कुल (क) – चालू सम्पत्तियाँ / Total (A)- Current Assets	1,073.35	278.63
चालू दायित्व / Current Liabilities		
विविध लेनदार / Sundry Creditors	67.77	76.74
जीवन सहभागी व्यवसाय चालू खाता / Life Par Business Current account	(651.38)	(991.00)
कुल (ख) चालू दायित्व / Total (B)- Current Liabilities	(583.61)	(914.26)
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (क-ख) / Net current assets (A-B)	1,656.96	1,192.89
कुल / Total	62,187.78	48,434.75

* आईडीबीआई बैंक (सहभागी) का निवेश शामिल है। – 31.3.2026 का पुस्तक मूल्य ₹ 264.53 करोड़ और बाजार मूल्य ₹ 199.05 करोड़।

* Includes investment in IDBI bank (Associates)- Book Value of ₹ 264.53 Crore and Market Value of ₹ 199.05 crore.

नोट: सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों # और व्युत्पन्न प्रपत्र के अलावा निवेश का मूल्य^:

Note:- Aggregate value of investment other than listed equity securities# and derivative instruments^:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particular	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश / Long Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	16,010.88	12,854.49
बाजार मूल्य / Market Value*	15,639.38	13,024.85
अल्पावधि निवेश / Short Term investment		
पुस्तक मूल्य / Book Value	3,592.26	2,009.24
बाजार मूल्य / Market Value*	3,567.24	1,896.10

^ ये आँकड़े केवल निगम से संबंधित हैं, सहायक कंपनियों के निवेशों का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर

*पुस्तक मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

^ These figure pertain to Corporation only as the detail of value of investment held by subsidiaries are not available.

based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

*Book value less provision for diminution

अनुसूची 8, 8अ और 8ब के लिए प्रकटीकरण

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां और व्युत्पन्न उपकरण के अलावा अन्य निवेशों का कुल मूल्य

Disclosure for Schedule 8, 8A & 8B

Aggregate value of Investments other than Listed Equity Securities and Derivative Instruments*

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	शेयरधारकों के Shareholders		पॉलिसीधारकों के Policyholders		संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियां Assets held to cover Linked Liabilities		कुल Total	
	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
दीर्घवधि निवेश / Long Term Investments:								
पुस्तक मूल्य / Book Value	1,31,130.13	92,661.00	36,60,874.59	35,00,881.78	16,029.44	12,854.49	38,08,034.16	36,06,397.27
बाजार मूल्य / Market Value	1,28,757.22	95,003.80	36,10,325.26	36,92,436.93	15,657.94	13,024.85	37,54,740.42	38,00,465.58
अल्पवधि निवेश / Short Term Investments:								
पुस्तक मूल्य / Book Value	2,075.14	215.42	1,86,946.28	1,31,748.87	3,592.26	2,009.24	1,92,613.68	1,33,973.53
बाजार मूल्य / Market Value	1,635.35	216.99	1,86,630.58	1,31,041.38	3,567.24	1,896.10	1,91,833.17	1,33,154.47

नोट : शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के निवेश का बाजार मूल्य, आईआरडीएआई विनियमों द्वारा निर्दिष्ट संबद्ध व्यवसाय निवेश के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निकाला गया है।

* कारपोरेट मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर ये आँकड़े केवल निगम से संबंधित हैं, सहायक कंपनियों के निवेशों का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है।

Note: Market Value in respect of Shareholders and Policyholders investments is arrived as per the guidelines prescribed for linked business investments as specified by IRDAI Regulations.

* These figure pertain to Corporation only as the detail of Market value of investment held by subsidiaries are not available.

अनुसूची – 9
SCHEDULE - 9

ऋण
LOANS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY-WISE CLASSIFICATION		
रक्षित / Secured		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
(a) On mortgage of property:		
(कक) भारत में	4,777.77	5,964.63
(aa) In India		
(खख) भारत के बाहर	10.07	9.83
(bb) Outside India		
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर	-	-
(b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.		
(ग) पॉलिसियों पर ऋण	1,30,756.46	1,27,676.61
(c) Loans against Policies		
(घ) अन्य		
(d) Others:		
सरकार द्वारा गारंटी / Guaranteed by Government	683.29	1,023.38
गिरवी / Hypothecation	74.53	74.61
अनारक्षित ऋण* / Unsecured Loans*	949.24	960.96
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Loans	(6,002.03)	(6,748.53)
कुल / Total	1,31,249.33	1,28,961.49
2 उधारकर्तावार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
(क) केंद्र तथा राज्य सरकार	423.15	610.79
(a) Central and State Governments		
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान	-	-
(b) Banks and Financial Institutions		
(ग) सहायक	-	-
(c) Subsidiaries		
(घ) कंपनियाँ	3,767.97	4,937.89
(d) Companies		
(ड) पॉलिसियों पर ऋण	1,30,756.46	1,27,676.61
(e) Loans against policies		
(च) अन्य:		
(f) Others:		
बंधक संपत्ति / Mortgage Property	221.17	244.33
महानगरपालिकाएँ / Municipalities	1.31	1.31
राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक	199.84	312.40
State Electricity Boards/ Power Generators		
सहकारी औद्योगिक संपत्ति / Co-operative Industrial Estates	5.40	5.40
सहकारी आवास संस्थाएँ / Housing Co-op Societies	58.90	64.25
डब्ल्यू.एस.बी., एस.एफ.सी. पी.टी.आर. ओ.टी.एच., एल.डी.बी., आदि* / WSB, SFC, PTR, OTH, LDB Etc.*	1,817.16	1,857.04

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
(छ) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (g) Provision for bad and doubtful debts	(6,002.03)	(6,748.53)
कुल / Total	1,31,249.33	1,28,961.49
3 निष्पादनवार वर्गीकरण PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION		
(क) वर्गीकृत मानक ऋण (a) Loans classified as standard:		
(कक) भारत में (aa) In India	1,30,132.66	1,27,803.82
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	1,652.62	1,677.75
मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Standard Loans	(540.29)	(525.55)
(ख) गैर मानक ऋण (b) Non-standard loans:		
(कक) भारत में (aa) In India	5,457.50	6,218.62
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	8.58	9.83
गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान / Provision for Non-Standard Loans	(5,461.74)	(6,222.98)
कुल / Total	1,31,249.33	1,28,961.49
4 परिपक्वता - वार वर्गीकरण MATURITY-WISE CLASSIFICATION		
(क) अल्पावधि (a) Short-Term:		
भारत में / In India	4,496.53	4,473.46
भारत के बाहर / Out of India	17.60	16.70
अल्पावधि के लिए प्रावधान / Provision for Short-Term	(4,403.01)	(4,371.36)
(ख) दीर्घावधि (b) Long-Term:		
भारत में / In India	1,31,093.63	1,29,548.98
भारत के बाहर / Out of India	1,643.60	1,670.88
दीर्घावधि के लिए प्रावधान / Provision for Long-Term	(1,599.02)	(2,377.17)
कुल / Total	1,31,249.33	1,28,961.49

नोट / Note

- # ऋण के तहत ₹ 628.60 करोड़ की दो कंपनियों को दी गई सुरक्षा आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और प्रक्रियाधीन है (पिछले वर्ष दो कंपनियों के तहत ₹ 628.60 करोड़ की राशि)
- * राज्य जल बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), पोर्ट ट्रस्ट (पीटीआर), अन्य, भूमि विकास बैंक (एलडीबी)
- # Security under debt extended to two companies amounting to ₹ 628.60 crores is executed partially and is under due process. (previous year under two companies, amounting to ₹ 628.60 crores.)
- * WATER STATE BOARD (WSB), STATE FINANCIAL CORPORATION (SFC), PORT TURST (PTR), OTHERS (OTH), LAND DEVELOPMENT BANK (LDB)

अनुसूची - 9
SCHEDULE - 9

ऋण (जारी)
LOANS (Contd.)

टिप्पणियाँ / Note

(क) गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान

(a) Provisions against Non-performing Loans:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

गैर-निष्पादित ऋण / Non-Performing Loans	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
ऋण / Loan:		
उप-मानक / Sub-standard	10.17	11.92
संदिग्ध / Doubtful	7.67	7.56
हानि / Loss	5,448.24	6,208.97
कुल / Total	5,466.08	6,228.45
प्रावधान / Provisions:		
उप-मानक / Sub-standard	6.34	6.77
संदिग्ध / Doubtful	7.16	7.24
हानि / Loss	5,448.24	6,208.97
कुल / Total	5,461.74	6,222.98

(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

(b) Provision for Doubtful debts:

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
रक्षित / Secured:		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property	4,383.83	5,145.80
(ख) अन्य (b) Others :		
सरकार द्वारा गारंटीड / Guaranteed by Government	28.32	29.69
गिरवी / Hypothecation	74.53	74.60
(ग) पॉलिसियो पर ऋण (c) Loans against Policies	566.11	549.06
(घ) अनारक्षित ऋण (d) Unsecured Loans	949.24	949.38
कुल / Total	6,002.03	6,748.53

अचल संपत्तियाँ
FIXED ASSETS

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	Cost / Gross Block			मूल्यह्रास परिशोधन Depreciation			शुद्ध ब्लॉक Net Block			
	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2025	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions#	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2026	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2025	वर्ष के लिए For the period	विक्री / समायोजन पर On Sales/ Adjustment*	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2026	वर्ष मार्च 31, 2026 तक As at March 31, 2026	वर्ष मार्च 31, 2025 तक As at March 31, 2025
खयाति / Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त / Intangibles	699.07	174.85	(1.30)	875.22	429.68	150.15	(1.24)	581.07	294.15	269.39
भूमि-पूर्ण संपदा / Land-Freehold	36.77	0.01	7.39	29.39	-	-	-	-	29.39	36.77
पट्टा-भूमि / Land-Leasehold	94.22	5.25	37.73	61.74	13.23	1.04	1.73	12.54	49.20	80.99
भवन / Buildings	3,924.30	229.04	61.72	4,091.62	1,168.72	97.68	(0.66)	1,267.06	2,824.56	2,755.58
फर्नीचर एवं फिटिंग / Furniture & Fittings	622.17	29.69	11.21	640.65	460.61	33.92	10.67	483.86	156.79	161.56
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	1,729.93	398.45	25.23	2,103.15	1,386.68	216.31	24.28	1,578.71	524.44	343.25
वाहन / Vehicles	1,423.22	132.00	159.17	1,396.05	970.21	158.34	135.31	993.24	402.81	453.01
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	72.65	2.02	3.31	71.36	64.03	2.18	3.32	62.89	8.47	8.62
अन्य: / Others*	364.41	54.01	11.90	406.52	316.32	53.74	11.44	358.62	47.90	48.09
कुल / Total	8,966.74	1,025.32	316.36	9,675.70	4,809.48	713.36	184.85	5,337.99	4,337.71	4,157.26
कार्य प्रगति पर / Work in Progress	325.92	410.66	317.63	418.95	-	-	-	-	418.95	325.92
सकल कुल / Grand Total	9,292.66	1,435.98	633.99	10,094.65	4,809.48	713.36	184.85	5,337.99	4,756.66	4,483.18
गत वर्ष / Previous Year	8,544.79	1,357.47	609.60	9,292.66	4,470.02	512.57	173.11	4,809.48	4,483.18	

नोट / Note

- (क) *अन्य में विविध पूंजी उपस्कर, दृश्य श्राव्य तथा प्रचार उपस्कर, वोल्टेज स्टेबलाइजर तथा शूपीएस आदि शामिल हैं।
- (ख) ऊपर बताई गई भूमि, सम्पत्ति और भवन में शामिल सम्पत्तियों में निवेश सम्पत्तियाँ शामिल नहीं हैं जैसा कि अनुसूची 8 (अ) के बिंदु 3 (जी) में परिभाषित किया गया है।
- (ग) *विनिमय अन्तर लाभ/हानि भी शामिल हैं।
- (a) *Others includes Miscellaneous Capital Equipment, Audio visual and Publicity equipments, Voltage stabilizers and UPS, etc.
- (b) Assets included in land, property and building above exclude Investment Properties as defined in note 3 (g) to Schedule 8A.
- (C) # also Includes Exchange difference gains/losses

अनुसूची - 11
SCHEDULE - 11

रोकड़ एवं बैंक शेष
CASH AND BANK BALANCES

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टॉम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	3,347.65	4,375.48
2 बैंक शेष Bank Balances:		
(क) जमा खाता (a) Deposit Accounts:		
(कक) अल्पावधि (तुलन पत्र की तारीख से 12 महिनों के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)	33,801.45	7,295.35
(खख) अन्य (bb) Others	5,855.12	6,112.13
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	20,192.97	36,485.95
(ग) अन्य (c) Others	-	-
3 मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
(क) बैंकों में (a) With Banks	147.93	184.72
(ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions	-	-
4 अन्य Others		
(क) त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग प्रणाली (टीआरईपीएस) (a) Tri-Party Repo dealing Systems (TREPS)	7,674.76	15,422.06
(ख) रिवर्स रेपो (b) Reverse Repo	993.29	8.97
कुल / Total	72,013.17	69,884.66
रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES		
1 भारत में / In India	64,237.97	62,381.29
2 भारत के बाहर / Outside India	7,775.20	7,503.37
कुल / Total	72,013.17	69,884.66

हाथ में चेक की राशि ₹ 2,153.99 करोड़ पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए ₹ 2,102.37 करोड़ है।

Cheques on hand amount to ₹ 2,153.99 (in Crore), Corresponding period of Previous year ₹ 2,102.37 (in Crore)

अनुसूची - 12
SCHEDULE - 12अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ
ADVANCES AND OTHER ASSETS(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
अग्रिम / ADVANCES		
1 अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा / Reserve deposits with ceding companies	-	-
2 निवेशो के लिए आवेदन राशि / Application money for investments	2.47	50.63
3 पूर्व भुगतान / पूर्वदत्त खर्च / Prepayments/Prepaid Expenditure	1,189.07	1,044.87
4 अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम Advances to Directors/ Officers	1.69	1.08
5 अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर) / Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	12.42	1,593.43
6 वस्तु एवं सेवा कर जमा / Goods and Service tax Credit	44.24	1,150.14
7(a) अन्य / Others:		
i कर्मचारियों को अग्रिम / Advances to employees	782.41	1,168.43
ii अन्य को अग्रिम / Advances to others	1,439.70	1,164.60
iii जमा / Deposits	76.96	111.50
7(b) विविध देनदार, अग्रिम तथा जमा के लिए प्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits	(122.93)	(90.00)
कुल / TOTAL (A)	3,426.03	6,194.68
अन्य सम्पत्तियाँ OTHER ASSETS		
1 निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	89,631.47	84,249.59
संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends	(8,316.07)	(9,021.94)
2 बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums	12,115.02	11,836.98
3 एजेंटों की शेष राशियाँ / Agents' Balances	1,537.67	1,292.88
एजेंटों के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान / Provision for doubtful agents balances	(1.93)	(2.76)
4 विदेशी एजेंसियों की शेष राशियाँ / Foreign Agencies' Balances	-	-
5 बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होनेवाली राशियाँ (पुनर्बीमा सहित) / Due from other entities carrying on insurance business (Including reinsurance)	26.14	160.93
6 सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होनेवाली राशियाँ / Due from subsidiaries/ holding company	-	-
7 पालिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेश Investment held for Unclaimed amount of Policyholders	7,318.50	7,165.68

अनुसूची – 12
SCHEDULE - 12

अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ (जारी)
ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
8 पालिसीधारकों की अस्वामिक राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज Interest on Investment held for Unclaimed amount of Policyholders	-	-
9 अन्य / Others:		
i बकाया / उपार्जित ऋण पर ब्याज / Interest on loans outstanding/accrued	32,789.49	32,024.26
ii स्टॉक हाथ में / Stock on hand	52.10	55.73
iii अन्य संपत्तियाँ / Other assets*	755.33	695.13
iv (क) निवेश जिनका आबंटन बाकी है (a) Investments Pending Allotment	49.93	58.46
(ख) निवेश जिनका आबंटन बाकी है के लिए प्रावधान (b) Provision for Investments Pending Allotment	(49.93)	(58.46)
v (क) व्युत्पन्न सम्पत्तियाँ – वायदा दर करार (एफआरए) (a) Derivative Assets - FRA	-	13.26
(ख) ओटीसी मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (b) OTC Margin - FRA	766.46	-
(ग) प्राप्य मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (c) Margin Reveivable - FRA	-	-
(घ) सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज – वायदा दर करार (एफआरए) (d) Interest accrued on Gsec. - FRA	-	-
vi आयकर मामले / Income Tax Matters:		
(ख) आईटीआर के अनुसार रिफंड प्राप्य (b) Refund Recievable as per ITR	1,907.41	-
(ग) रिफंड से मांग समायोजित (प्रावधान से घटाकर) (c) Demand Adjusted from refund (Net of Provision)	16,953.01	5,751.69
(घ) पूर्व जमा भुगतान (d) Pre-deposits paid	1,220.08	1,220.08
कुल (ख) / TOTAL (B)	1,56,754.68	1,35,441.51
कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)	1,60,180.71	1,41,636.19

* अन्य सम्पत्तियों में पॉलिसीधारक सार्वजनिक आवास योजना, जीएसटी प्राधिकरणों से प्राप्य राशि आदि शामिल है।

* Other assets includes Policy holders Public Housing Scheme, Amounts receivable from GST Authorities etc.

अनुसूची – 13
SCHEDULE - 13चालू देयताएं
CURRENT LIABILITIES(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 एजेंटों की शेष राशियाँ / Agents' Balances	11.91	11.54
2 अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि / Balances due to other insurance companies	118.94	245.57
3 पुनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा / Deposits held on re-insurance ceded	-	-
4 अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance	65.11	68.70
5 अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	148.78	236.51
6 विविध लेनदार / Sundry creditors	4,614.66	3,763.22
7 सहायक / नियंत्रक कंपनी को देय / Due to subsidiaries/holding company	-	-
8 बकाया दावें / Claims Outstanding	14,996.62	14,184.67
9 देय वार्षिकियाँ / Annuities Due	2,275.43	1,208.45
10 अधिकारियों / निदेशकों को देय / Due to Officers/Directors	2.13	1.71
11 पॉलिसीधारकों की अस्वामिक राशि Unclaimed Amount of Policyholders	5,564.55	5,513.99
12 अस्वामिक राशि पर अर्जित आय Income accrued on Unclaimed Amount	1,753.95	1,651.39
13 ऋण पत्र/बंध पत्र पर देय ब्याज Interest payable on debentures/bonds	-	-
14 वस्तु एवं सेवा कर दायित्व Goods and Service tax Liabilities	1,273.95	1,831.66
15 अन्य / Others		
क कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेन्शन निधि के न्यास को देय राशियाँ a Amounts due to trustees of staff provident & pension fund	2,178.16	(57.95)
ख बकाया कमीशन b Outstanding Commission	1,572.82	1,560.19
ग प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियाँ c Premium and other deposits	2,654.91	2,320.98

अनुसूची – 13
SCHEDULE - 13

चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
घ वैधानिक प्राधिकरणों को देय राशि d Amount due to Statutory Authorities	183.73	181.04
ड अस्वामिक लाभांश e Unclaimed Dividend	1.83	1.18
च (i) व्युत्पन्न देयताएँ – वायदा दर करार (एफआरए) f (i) Derivative Liabilities - FRA	761.92	4.19
(ii) ओटीसी मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (ii) OTC Margin - FRA	-	5.30
(iii) देय मार्जिन – वायदा दर करार (एफआरए) (iii) Margins Payable - FRA	-	-
छ वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) g Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (161)	(26.07)	30.04
ज वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) h Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (828)	44.33	41.37
झ प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842) i Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842)	18.82	70.19
ट प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842 नया) j Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New)	17.26	7.69
ठ प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) k Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856)	138.40	160.56
ड सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता l Social Security Fund Current account	0.03	0.04
ढ छात्रवृत्ति निधि चालू खाता m Scholarship Fund Contra account	0.04	0.04
ण प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता n Pradhan Mantri Shram Yogi Maan -Dhan (PMSYM) Current Account	(3.83)	(5.41)
त प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता o Pradhan Mantri Kishan Maan-Dhan Yojan (PMKMDY) Current Account	(2.46)	(3.62)

अनुसूची - 13
SCHEDULE - 13चालू देयताएं (जारी)
CURRENT LIABILITIES (Contd.)(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
थ प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता p Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) Current Account	(0.08)	(0.08)
द संबद्ध व्यवसाय चालू खाता q Linked Business Current a/c	651.38	991.00
ध बैंक शेष r Bank Balance	0.71	1.43
न अन्य s Others	5.77	7.54
कुल / Total	39,023.70	34,033.13

दावा न की गई राशि और उन पर निवेश आय का विवरण

Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particular	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष Opening Balance as at 1 st April	7165.38	17,914.98
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to unclaimed amount	1086.74	842.35
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (to be included only when the cheques are stale)	-	-
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	480.53	494.94
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि Less: Amount of claims paid during the year	1014.47	11,719.89
घटाएँ: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का शुद्ध) Less: Amount transferred to SCWF during the year (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	399.68	367.00
31 मार्च तक दावा न की गई राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount as at 31 st March	7318.50	7,165.38

अनुसूची – 14
SCHEDULE - 14

प्रावधान
PROVISIONS

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes deducted at source)	-	-
2 कर्मचारियों के लाभों के लिए / For Employee Benefit	-	-
3 अन्य / Others:		
शोधन क्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान / Provision for Required Solvency Margin	0.00	14,943.06
अन्य प्रावधान / Other Provisions	1.45	3.02
कुल / Total	1.45	14,946.08

अनुसूची – 15
SCHEDULE - 15

विविध व्यय
(जो अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए हैं।)
MISCELLANEOUS EXPENDITURE
(To the extent not written off or adjusted)

(₹ करोड़ में)
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at March 31, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at March 31, 2025
1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट / Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2 अन्य / Others	-	-
कुल / Total	-	-

अनुसूची 16 : समेकित वित्तीय विवरण का भाग बननेवाले प्रकटीकरण

निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम ('निगम') 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ('शासी अधिनियम') के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है। जीवन बीमा व्यवसाय चलाने के लिए, यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है। निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत जीवन, समूह, वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, परिवर्तनीय, सूक्ष्म बीमा, संबद्ध और पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित (सीआरएसी) व्यवसाय के विभिन्न खंडों में सहभागी और गैर सहभागी वाले उत्पाद शामिल हैं। निगम के इकिटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) निगम और उसकी सहायक कंपनियों और निगम की सहयोगी कंपनियों में लाभ/हानि हिस्सेदारी से संबंधित हैं (एक साथ 'समूह' के रूप में संदर्भित)।

(अ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

1. तैयारी का आधार:

समूह के लिए ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक (एएस) 21, "समेकित वित्तीय विवरण" के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निर्धारित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं और निगम के समान प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराके तहत तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं, निरंतरता और उपार्जन के आधार पर तैयार किया गया है। समूह की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं (भारतीय जीएपी), जिसमें निम्न शामिल हैं; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (संशोधित) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड और दिशानिर्देश, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र IRDAI-/CTL/CIR/MISC/80/05/2024 दिनांक 17 मई, 2024 ("मास्टर परिपत्र") और IRDAI द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रसमय, बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान, यथा संशोधित, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और लेखामानकों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखामानकों के अनुपालनमें, और उसमें किए गए संशोधनों और नियमों के अनुसार, लागू सीमातक, नीचे लिखित अपवादों को छोड़कर, आवश्यक तरीके से लागू किया गया है।

निगम की भारतीय सहायक/सहयोगियों कंपनियां विभिन्न व्यवसायों में है एवं विभिन्न लेखा विनियमों द्वारा शासित की जाती है और उनमें व्यवसाय की एकरूपता की कमी होती है, इसलिए समेकन के समय लेखांकन नीतियों में एकरूपता लाने के लिए सहायक कंपनियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरणों में, जिस सीमा तक व्यवहार्य है, केवल महत्वपूर्ण समायोजन किये गये है। जहां समायोजन करना व्यावहारिक नहीं है और परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियां भिन्न होती हैं, निगम और उसकी सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों के बीच इस तरह के अंतर का खुलासा किया गया है।

समूह के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का उद्देश्य सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करना और समूह की समेकित स्थिति की बेहतर समझ की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। समूह ने निगम और उसकी सहायक कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से ऐसे नोटों को प्रकट किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं। केवल महत्वपूर्ण नोटों का खुलासा किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण मदों का मूल्यांकन किया जाता है। सहायक कंपनियों और/या निगम के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी जो कि समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं डालती है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की जाती है।

निगम की लेखांकन नीतियों, टिप्पणियों और प्रकटीकरण को इसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में सर्वोत्तम रूप से देखा जा सकता है जिनके साथ ये समेकित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

Schedule 16: Disclosures forming part of the Consolidated Financial Statements

CORPORATE INFORMATION

Life Insurance Corporation of India ("Corporation") is a Statutory Corporation established on 1st September, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956 ('Governing Act') engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by the provisions of the Governing Act. It is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India ('IRDAI'), Registration No. 512 dated 01.01.2001 for carrying on life insurance business. The Corporation's life insurance business comprises of participating and non participating products in the different segments of individual life, group, annuity, pension, health, variable, micro insurance, Linked and Capital Redemption and Annuity Certain (CRAC) business. The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17th May, 2022).

The Consolidated Financial Statements (CFS) relate to Corporation and its subsidiary companies and the Corporation's share of profit/loss in its associate companies (together referred as "the group").

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

These consolidated financial statements for the Group are prepared in accordance with the principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statements as laid down under the Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements" and are presented in the same format as that of the Corporation.

These Consolidated Financial Statements are prepared under the historical cost convention, with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency and accrual, unless otherwise stated. The accounting and reporting policies of the Group conform to accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP), comprising of regulatory norms and guidelines prescribed by the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers IRDAI/ACTL/CIR/MISC/80/05/2024 dated 17th May, 2024 ("the Master Circular") and other circulars issued by the IRDAI from time to time, provisions of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time, norms & guidelines prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, and amendments and rules made thereto, to the extent applicable Accounting policies have been consistently applied to the extent applicable and in the manner so required except to the extent specified below.

Indian Subsidiaries/Associates of the Corporation are governed by different operations and accounting regulations and lack homogeneity of business, hence only material adjustments have been made to the financial statements of the subsidiaries/associates to bring consistency in accounting policies at the time of consolidation to the extent it is practicable to do so. Where it is not practicable to make adjustments and as a result the accounting policies differ, such differences between accounting policies of the Corporation and its subsidiaries have been disclosed.

The notes to these consolidated financial statements for the Group are intended to serve as a means of informative disclosure and a guide towards better understanding of the consolidated position of the Group. The Group has disclosed such notes from the standalone financial statements of the Corporation and its subsidiaries which are necessary for presenting a true and fair view of the consolidated financial statements. Only the notes involving items which are material are disclosed. Materiality for this purpose is assessed in relation to the information contained in the consolidated financial statements. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the subsidiaries and/or the Corporation having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements are not disclosed in the consolidated financial statements.

The accounting policies, notes and disclosures made by the Corporation are best viewed in its standalone financial statements to which these consolidated financial statements are attached.

निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और प्रतिभूतियों के विभिन्न अन्य वर्गों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 - निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार हिसाब लगाया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में कुछ निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए नहीं माना गया है:

– **जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है:**

इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में निगम के नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगम द्वारा इन कंपनियों के गठन के समय किए गए निवेश के कारण, प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।

– **निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है:**

निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशिती कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना विरासत निवेश। अतः इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

– **निगम के पास समझौते या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड में प्रतिनिधित्व है:**

ऐसे मामलों में निगम की शेयरधारिता 20% से कम होती है और निगम के पास इन निवेशिती कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक होते हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों में निवेश के समान है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। इस तरह निगम का इन कंपनियों पर कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

2. समेकन का आधार

- क) निगम और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समान परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की वस्तुओं को एक साथ जोड़कर लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ा गया है, जिसमें अंतर-समूह शेष राशि, लेनदेन और परिणामस्वरूप अवास्तविक लाभ या नुकसान (जब तक लागत की वसूली नहीं की जा सकती) को हटा दिया गया है। आईआरडीआई नियमों द्वारा शासित प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय से संबंधित पॉलिसीधारकों के खाते ने इन समेकित वित्तीय विवरणों में अपना विशिष्ट स्वतंत्र रूप बरकरार रखा है। चूंकि विदेशी सहायक कंपनियां बीमा व्यवसाय में लगी हुई हैं, इसलिए सहायक कंपनियों के बीमा व्यवसाय से संबंधित राजस्व/व्यय को राजस्व खाता- पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाता) के तहत प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, बीमा व्यवसाय में नहीं होने के कारण, लाभ और हानि- शेयरधारकों के खाते (गैर-तकनीकी खाता) में प्रस्तुत की जाती हैं।
- ख) सहायक कंपनियों में निवेश की तारीखों पर सहायक कंपनियों की इक्विटी में अपने हिस्से पर निगम की लागत की अधिकता को समेकित वित्तीय विवरणों में एक संपत्ति की तरह मानते हुये 'गुडविल' के रूप में दिखाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, जहां निवेश की तिथि पर सहायक कंपनियों में इक्विटी का हिस्सा निगम के निवेश की लागत से अधिक है, इसे 'पूँजी आरक्षित निधि' के रूप में माना जाता है और समेकित वित्तीय विवरण में शीर्षक 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत दिखाया जाता है। प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए 'गुडविल'/'पूँजी आरक्षित निधि' अलग से निर्धारित किया जाता है।
- ग) समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों के लाभ / हानि का हिस्सा शामिल है, जिसका लेखा लेखांकन मानक (एएस) 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार 'इक्विटी विधि' का उपयोग करके दिया गया है और तदनुसार, प्रत्येक सहयोगी कंपनी के लाभ/हानि के हिस्से (हानि को निवेश की लागत तक सीमित किया जा रहा है) को निवेश की लागत में जोड़ा/ घटाया गया है। सहयोगियों से प्राप्त वितरण के लिए वहन मूल्य कम कर दिया गया है।
- घ) निगम अधिग्रहण के बाद, सहयोगीयों की निवल संपत्तियों में परिवर्तन में अपने हिस्से को निगम व सहयोगीयों के लेनदेन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ और हानि को समाप्त करने के बाद, लाभ और हानि (गैर-तकनीकी खाता) / राजस्व खाता- पॉलिसीधारक खाता (तकनीकी खाता) के अपने विवरण के माध्यम से अपने हिस्से की उस हद तक जिस हद तक इस तरह का परिवर्तन सहयोगियों के लाभ और हानि के विवरण के कारण होता है, शामिल करता है।
- ङ) समेकित सहायक कंपनियों की शुद्ध सम्पत्तियों में अल्प संख्यक हित में इक्विटी का वह हिस्सा शामिल है जो उनसे संबंधित है निगम के द्वारा निवेश की तारीख को तथा निवेश की तारीख के बाद आगे की गतिविधियों में उनका हिस्सा जैसा ऊपर विदित है।

- च) समेकन में प्रयुक्त विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण निगम की रेपोर्টিंग तिथि 31 मार्च तक तैयार किए जाते हैं जहां सहायक या सहयोगी उस तारीख को अपना वित्तीय वर्ष बंद करते हैं। विदेशी सहायक कंपनियों ने संबंधित देश के आवश्यक स्थानीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) / आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार अपने खाते तैयार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय (GAAP) की तुलना में निगम द्वारा अनुसरित कुछ भिन्नताएं हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से, इन संस्थाओं के खातों को निगम द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों के साथ पुष्टि करने के लिए लेखांकन समायोजन नहीं किया गया है। लेखांकन नीति में अंतर का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।
- छ) विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण, गैर-अभिन्न संचालन होने के कारण, निम्नलिखित विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिए गए हैं: राजस्व और व्यय: वर्ष के औसत पर, संपत्ति और देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में समापन दर पर। परिणामी रूपांतरण “फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व” में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ज) सहायक/सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/घाटा जहां पॉलिसीधारक निधि से निवेश किया जाता है, पॉलिसीधारकों की आरक्षित निधि में ले जाया जाता है और सहायक/सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/घाटा जहां शेयरधारकों की निधि से निवेश किया जाता है, लाभ और हानि खाते के माध्यम से किया जाता है और उसके बाद शेयरधारकों के निधि को अग्रेषित किया जाता है।

3. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारतीय सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप की गई है, जिसके अंतर्गत प्रबंधन को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग, वर्ष के लिए आय एवं व्ययों की प्रतिवेदित राशियों, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रतिवेदित शेषों तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर विद्यमान संभावित देयताओं से संबंधित प्रकटीकरणों के संबंध में निर्णय, अनुमान एवं मान्यताएं करने की आवश्यकता होती है। संलग्न वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त अनुमानों एवं मान्यताओं का आधार प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तिथि तक उपलब्ध एवं प्रासंगिक तथ्यों तथा परिस्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों एवं मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणामों और अनुमानों के मध्य उत्पन्न अंतर को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं अथवा ज्ञात होते हैं। अनुमानों एवं निर्णयों का निरंतर मूल्यांकन ऐतिहासिक अनुभव तथा अन्य प्रासंगिक कारकों, जिनमें भावी घटनाओं से संबंधित अपेक्षाएं भी सम्मिलित हैं, के आधार पर किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी भी संशोधन को वर्तमान एवं भावी लेखा अवधियों में भावी प्रभाव से मान्यता दी जाती है।

4. राजस्व मान्यता:

(i) प्रीमियम आय:-

गैर-संबद्ध व्यवसाय के मामले में, प्रीमियम को वस्तु एवं सेवा कर को घटाकर आय के रूप में उस समय मान्यता दी जाती है जब वह पॉलिसीधारकों से देय हो जाता है, बशर्ते कि अनुग्रह अवधि समाप्त न हुई हो तथा पूर्ववर्ती किस्तों का भुगतान किया जा चुका हो। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, प्रीमियम को आय के रूप में उस समय मान्यता दी जाती है जब उससे संबंधित यूनिटों का सृजन किया जाता है। लैप्स हो चुकी पॉलिसियों पर प्राप्त प्रीमियम को आय के रूप में उस समय मान्यता दी जाती है जब ऐसी पॉलिसियों का पुनः प्रवर्तन/पुनर्बहाली किया जाता है। नियमित प्रीमियम भुगतान योजनाओं वाले उन उत्पादों, जिनकी पॉलिसी अवधि सीमित तथा/अथवा पूर्वनिर्धारित होती है, के अंतर्गत प्राप्त प्रीमियम को नियमित व्यवसाय प्रीमियम माना जाता है।

(ii) संबद्ध पॉलिसियों से आय:

संबद्ध निधियों से प्राप्त आय, जिसमें निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासन शुल्क, मृत्यु-दर शुल्क तथा अन्य संबंधित शुल्क सम्मिलित हैं, पॉलिसियों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधियों से वसूल की जाती है तथा देय होने पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त करती है।

(iii) पुनर्बीमा प्रीमियम अंतरित:

पुनर्बीमा के अंतर्गत हस्तांतरित प्रीमियम को पुनर्बीमा संधि अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ किए गए सिद्धांततः स्वीकृत व्यवस्था के नियमों एवं शर्तों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है।

(iv) निवेश से आय:-

• ब्याज आय

- निवेशों पर अर्जित ब्याज आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है। निवेशों के क्रय/विक्रय लेनदेन के समय प्रतिपक्ष को भुगतान किए गए अथवा उससे प्राप्त अधिग्रहण-पूर्व ब्याज को ‘संचित ब्याज खाते’ के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- निवेशों के मोचन अथवा परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम, यदि कोई हो, को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

- f) The financial statements of the Foreign Subsidiaries used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Corporation i.e., 31st March. The foreign subsidiaries have prepared their accounts in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) / Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as per the required local laws of the respective country, resulting in some variations as compared to Indian GAAP followed by the Corporation. For the purpose of preparing the CFS, accounting adjustments have not been made to align the accounts of these entities to confirm with the accounting policies followed by the Corporation. The impact of difference in accounting policy is not material.
- g) Financial Statements of Foreign Subsidiaries, being non-integral operations, have been converted into Indian Rupees at following exchange rates: Revenue and Expenses: At the average of the year Assets and Liabilities: Closing rate at the end of the financial year. The resultant translation exchange difference is transferred to "Foreign Currency Translation Reserve".
- h) The net Surplus/deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Policyholder Funds is carried forward to Policyholders Reserves and the net Surplus/deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Shareholders Funds is routed through P&L Account and thereafter carried forward to Shareholders Reserves.

3. Use of Estimates:

The preparation of Financial Statements is in conformity with Indian GAAP, which requires the management to make judgements estimates and assumptions in the application of accounting policies, reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the Financial Statements. The reliance on estimates and assumptions used in the accompanying Financial Statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances up to and as on the date of the Financial Statements. Actual results may differ from the estimates and assumptions and the difference between the actual and estimates are recognized in the period in which the actual results materialize or are known. A continuous evaluation is done of the estimates and judgments based on historical experience and other factors, including expectations of future events. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

4. Revenue Recognition:

(i) Premium Income:-

In case of Non Linked Business, premium is recognised as income (net of Goods and Service tax) when due from policyholders, for which grace period has not expired and the previous installments have been paid. In case of Linked Business, premium is recognised as income when associated units are created. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premium for products having regular premium paying plans with limited and/ or predetermined policy term is considered as regular business premium.

(ii) Income from linked policies :

Income from linked funds which include fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions of policies and recognised when due.

(iii) Reinsurance premium ceded :

Premium ceded on re-insurance is recognised in accordance with the terms of the re-insurance treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

(iv) Investment Income:-

• Interest Income

- i) Interest income on investments is recognised on accrual basis. Pre-acquisition interest paid/received to/from counterparty on purchase/sale transaction is recognised under interest accrued account.
- ii) Premium, if any on redemption/maturity of investments is recognised on straight line basis over the balance period of holding/maturity.

- **परिशोधन / अमोर्टाइज़ेशन**

गैर-संबद्ध व्यवसाय तथा संबद्ध व्यवसाय के गैर-यूनिट निधि के संदर्भ में, ऋण प्रतिभूतियों, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सम्मिलित हैं, के लिए जहाँ ऐतिहासिक लागत उनके अंकित मूल्य से अधिक होती है, वहाँ प्रीमियम की राशि को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

जहाँ अंकित मूल्य ऐतिहासिक लागत से अधिक होता है, वहाँ छूट की राशि को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

- **लाभांश आय**

उद्धृत इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाले लाभांश को 'एक्स-डिविडेंड' तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अनुद्धृत इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों तथा म्यूचुअल फंडों पर प्राप्त होने वाले लाभांश को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- **प्रतिभूतियों / इक्विटी शेयरों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), अधिमानी शेयर और म्यूचुअल फंड की बिक्री अथवा मोचन पर लाभ या हानि**

प्रतिभूतियों, इक्विटी शेयरों, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), अधिमानी शेयर तथा म्यूचुअल फंड की इकाइयों के विक्रय अथवा मोचन पर होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण विक्रय/मोचन प्राप्ति से विक्रय व्यय घटाने के पश्चात प्राप्त शुद्ध राशि तथा विक्रय की तिथि पर उपलब्ध वेटेड एवरेज बुक वैल्यू के मध्य अंतर के आधार पर किया जाता है।

- **वैकल्पिक निवेश फंड, वेंचर कैपिटल फंड पर आय**

वैकल्पिक निवेश निधियों, वेंचर कैपिटल फंड पर निवेश आय को तब मान्यता दी जाती है, जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- **रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) पर आय**

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) पर होने वाली निवेश आय को, संबंधित फंड/ट्रस्ट द्वारा घोषित किए जाने पर ही मान्यता दी जाती है।

- **ज़ीरो कूपन बॉन्ड पर आय**

i) डिस्काउंट पर जारी किए गए तथा अंकित मूल्य पर मोचनीय ज़ीरो कूपन बांडों/डिबेंचरों के मामले में, अंकित मूल्य एवं अधिग्रहण लागत के मध्य के अंतर को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ii) अंकित मूल्य पर जारी किए गए तथा प्रीमियम पर मोचनीय ज़ीरो कूपन बांडों/डिबेंचरों के मामले में, मोचन पर देय प्रीमियम एवं अंकित मूल्य के मध्य के अंतर को निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि के आधार पर ब्याज/मोचन प्रीमियम खाते में मान्यता दी जाती है।

- **पॉलिसी के विरुद्ध ऋण और बंधक ऋण पर ब्याज**

पॉलिसी के बदले लिए गए ऋण और बंधक ऋण पर ब्याज को अर्जित आधार पर मान्यता दी जाती है।

- **किराए से आय**

किराया/लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने तक के लिए बकाया है उसे अर्जित आधार पर मान्यता दी जाती है और किराया/लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से ज़्यादा के लिए बकाया है उसे प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। किराए पर अपफ्रंट प्रीमियम को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

- **शुल्क और प्रभार**

प्रस्तावित निवेशों के संबंध में प्रसंस्करण शुल्क एवं अन्य शुल्क, यदि कोई हों, को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब उन्हें प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- **उपरोक्त में निर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य सभी आय को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।**

- **Amortization**

For Non-Linked Business & Non Unit Fund of Linked Business: Debt Securities including Government Securities, Redeemable preference Shares where the historical cost is more than the face value, the premium is amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity. Where face value is greater than historical cost, discount is amortized on straight line basis over the balance period of holding /maturity.

- **Dividend Income**

Dividend on quoted equity shares is recognised as income on "ex-dividend" date. Dividend on unquoted Equity/ Preference Shares/Mutual Fund is recognised when the right to receive dividend is established.

- **Profit or loss on sale/redemption of Securities/Equity shares, Exchange Traded fund (ETF), Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investments Trusts (REITs) preference shares and mutual fund**

Profit or loss on sale/redemption of Securities/Equity shares/ Equity Exchange Traded funds (ETFs), Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investments Trusts (REITs) preference shares and units of mutual fund is calculated as the difference between sale proceeds/redemption proceeds net of sale expenses and the weighted average book value as on date of sale.

- **Income on Alternate Investment Funds, Venture Capital Fund**

Investment income on Alternate Investment Funds, Venture Capital Funds is recognised when the right to receive payment is established.

- **Income on Real Estate Investment Trusts (REITs), Infrastructure Investment Trusts (InvITs)**

Investment Income on Real Estate Investment Trusts (REITs) Infrastructure Investment Trusts (InvITs) is recognised as and when declared by respective Fund/Trust.

- **Income on Zero Coupon Bonds**

- For Zero coupon bonds/debentures issued at a discount and redeemable at face value, the difference between the face value and cost of acquisition is amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity.
- For Zero coupon bonds/debentures issued at face value and redeemable at premium, the difference between the premium on redemption and face value is recognised in interest / premium on redemption account on straight line basis over the balance period of holding/maturity.

- **Interest on Loan against Policies and Mortgage Loans**

Interest on Loan against Policies and mortgage loans is recognised on accrual basis.

- **Rental Income**

Rent/license fees which is in arrear upto 6 months is recognised on accrual basis and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is recognised on receipt basis. Upfront premium on rent is recognized on receipt basis.

- **Fees and charges**

Processing fee and other fee for proposed investments, if any, is recognised when the right to receive payment is established.

- **Income other than specified above, is recognised when the right to receive payment is established.**

5. अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत को उस लेखा अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वह वहन की जाती है। अधिग्रहण लागत वे लागतें होती हैं जो नई तथा नवीनीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं तथा उनके साथ परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं।

6. कर्मचारियों को लाभ

निगम के पास अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान तथा परिभाषित लाभ दोनों प्रकार की योजनाएँ उपलब्ध हैं। निगम निम्नलिखित सभी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का लेखांकन लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) के अनुरूप करता है।

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:-

निगम अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान करता है:

- **कर्मचारी भविष्य निधि योजना:** वे कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके लिए निगम द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट को समतुल्य अंशदान किया जाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत देय अथवा अदा किए गए अंशदान को उस अवधि में, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, बिना किसी छूट के राजस्व खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- **राष्ट्रीय पेंशन योजना:** निगम उन कर्मचारियों के लिए, जो वर्ष 2010 के पश्चात निगम में शामिल हुए हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान करता है। यह योजना परिभाषित अंशदान आधार पर कार्य करती है तथा टियर-1 खाते में अंशदान अनिवार्य है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का प्रबंधन पेंशन निधि प्रबंधन कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इन योजनाओं में अंशदान मासिक आधार पर, देय होने पर किया जाता है तथा उस अवधि में, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, बिना किसी छूट के राजस्व खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। निगम का, निधियों में किए गए अंशदानों से परे कोई और दायित्व नहीं है।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:-

निगम अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित परिभाषित लाभ योजनाओं में योगदान करता है:-

- **ग्रेच्युटी:** लाभों की व्यवस्था निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से की जाती है तथा इसे समग्र देयता में सम्मिलित किया जाता है। यह योजना सेवानिवृत्ति, सेवा समाप्ति अथवा मृत्यु के समय पात्र कर्मचारियों को उनके वेतन एवं निगम में सेवा अवधि के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। निगम की देयता का निर्धारण बीमांकिक आधार पर प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- **समूह अवकाश नकदीकरण देयता:** लाभों की व्यवस्था निगम द्वारा जारी समूह अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से की जाती है तथा इसे समग्र देयता में सम्मिलित किया जाता है। विशेष अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995:** वे कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि योजना के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उनके लिए निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन निधि ट्रस्ट को अंशदान किया जाता है। निगम का अंशदान बीमांकिक गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा उस अवधि में, जिसमें संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, राजस्व खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। कर्मचारियों को देय लाभों का मूल्यांकन प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है।

7. पट्टे:

परिचालन पट्टा: वे पट्टे, जिनमें पट्टा अवधि के दौरान परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकांश जोखिम एवं लाभ प्रभावी रूप से पट्टादाता के पास ही बने रहते हैं, परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जहाँ निगम पट्टेदार है, वहाँ मासिक आधार पर देय परिचालन पट्टा किराया को परिचालन व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहाँ निगम पट्टादाता होता है, वहाँ परिचालन पट्टे के अंतर्गत दी गई परिसंपत्तियों को निवेश संपत्ति के रूप में माना जाता है। ऐसे पट्टों से प्राप्त पट्टा आय, जो मासिक आधार पर प्राप्त होती है, को राजस्व खाते अथवा लाभ एवं हानि खाते में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

5. Acquisition Costs:

Acquisition Cost is expensed in the period in which it is incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

6. Benefits to Employees:

The Corporation has both defined contribution and defined benefit schemes for its employees. The Corporation accounts for all the below mentioned long term employee benefits in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised).

(A) Defined Contribution Plans:-

The Corporation makes contribution to following Defined contribution plan for its employees:-

- **Employee Provident Fund Scheme:** The employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made by the Corporation to the Provident fund Trust formed under LIC Act, 1956. The contribution paid or payable under the schemes is charged to the Revenue Account on an undiscounted basis during the period in which the employee renders the related service.
- **National Pension Scheme:** The Corporation makes contribution in National Pension Scheme for employees who joined Corporation after 2010. The contribution works on Defined Contribution basis and contribution to Tier – I Account is mandatory. National Pension Scheme is managed and administered by Pension fund management companies licensed by the Pension Funds Regulatory and Development Authority ('PFRDA'). The contributions made to these schemes are on a monthly basis, when due, and charged to Revenue Account on an undiscounted basis during the period in which the employee renders the related service. The Corporation does not have any further obligation beyond the contributions made to the funds.

(B) Defined Benefit Schemes:-

The Corporation makes contribution to following defined benefit schemes for its employees:-

- **Gratuity:** The benefits are provided for through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and is included in the overall liability. The scheme provides a lump sum payment to eligible employees at retirement or termination or death based on the respective employee's salary and years of employments with the Corporation. The Corporation's obligation is actuarially determined based on the Projected Unit Credit method.
- **Group Privilege Leave Encashment Liability:** The benefits are provided for through a Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and is included in the overall liability. The benefits of privilege leave encashment are valued using Projected Unit Credit Method.
- **Employee Pension Scheme 1995:-** For the employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India. The Corporation's contribution is made on the basis of Actuarial calculation and charged to Revenue account during the period when related services are rendered. The benefits payable to the employees are valued using Projected Unit Credit Method.

7. Leases:

Operating Lease: Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating lease. Where the Corporation is the lessee, operating lease rentals, being paid on monthly basis, are recognised as operating expenses.

Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases, are treated as Investment property. Lease income, received on monthly basis, is recognized as income in the Revenue/ Profit and Loss Account.

8. भुगतान किया गया लाभ:

भुगतान किए गए लाभों में पॉलिसी लाभ और दावा निपटान लागतें, जहाँ भी लागू हों, शामिल होती हैं।

गैर-संबद्ध व्यवसाय

- मृत्यु दावे तथा राइडर दावे की मान्यता दावा सूचना प्राप्त होने पर की जाती है।
- जीवितता लाभ, परिपक्वता लाभ तथा वार्षिकी लाभ से संबंधित दावों की मान्यता उनके देय होने पर की जाती है।
- निकासी एवं समर्पण से संबंधित दावों की मान्यता सूचना प्राप्त होने पर की जाती है।
- लैप्स अथवा बंद हो चुकी पॉलिसियों के अंतर्गत देय राशि की मान्यता, उसके देय होने पर की जाती है।

संबद्ध व्यवसाय

- मृत्यु दावे तथा राइडर दावे की मान्यता दावा सूचना प्राप्त होने पर की जाती है।
- परिपक्वता दावे की मान्यता देयता के आधार पर उस समय की जाती है जब संबंधित यूनिटों को निरस्त किया जाता है।
- समर्पण एवं निकासी की मान्यता उस समय की जाती है जब संबंधित यूनिटों को निरस्त किया जाता है।
- लैप्स अथवा बंद हो चुकी पॉलिसियों के अंतर्गत देय राशि की मान्यता ऐसी पॉलिसियों की लॉक-इन अवधि समाप्त होने पर की जाती है।

न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों के संबंध में, उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों तथा प्रबंधन की विवेकपूर्ण समीक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

पुनर्बीमा को हस्तांतरित मामलों में निगम द्वारा निपटाए गए दावों, जिनकी राशि पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्त की जानी है, को उसी तिमाही अथवा आगामी तिमाहियों में प्राप्ति योग्य के रूप में मान्यता दी जाती है।

9. निवेश**क) गैर-संबद्ध व्यवसाय और संबद्ध व्यवसाय का नॉन-यूनिट फंड****ऋण प्रतिभूतियाँ (सरकारी प्रतिभूतियाँ और अधिमानी शेयरों सहित)**

सभी ऋण प्रतिभूतियों, जिनमें सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा प्रतिदेय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं, को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है तथा उन्हें ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। प्रीमियम अथवा छूट का परिशोधन निवेश की शेष धारण अवधि अथवा परिपक्वता अवधि के दौरान सरल रेखा विधि से किया जाता है। जहाँ सूचीबद्ध प्रतिदेय अधिमानी शेयर का उचित मूल्य, जो सामान्यतः मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर उपलब्ध बाजार मूल्य होता है, परिशोधित लागत से कम हो, वहाँ यदि मूल्य में कमी अस्थायी न होकर स्थायी प्रकृति की हो, तो मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है। सभी गैर-सूचीबद्ध प्रतिदेय अधिमानी शेयर का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है तथा आवश्यक होने पर मूल्यहास के लिए प्रावधान घटाया जाता है।

सभी सूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, यदि उनका अंतिम उद्धृत मूल्य, जो मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर उपलब्ध हो, ऐतिहासिक लागत से अधिक हो। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य ऐतिहासिक लागत से कम हो, तो उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत में से मूल्यहास हेतु प्रावधान घटाकर किया जाता है। सभी गैर-सूचीबद्ध अप्रतिदेय वरीयता अंशों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत में से मूल्यहास हेतु प्रावधान, यदि कोई हो, घटाकर किया जाता है।

इक्विटी शेयर, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)

- (i) सक्रिय बाजारों में कारोबार किए जाने वाले सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि उक्त मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना न हो। जिन प्रतिभूतियों का सूचीकरण एनएसई पर नहीं है, उनके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य को आधार माना जाता है, जो मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इक्विटी प्रतिभूतियों के वहन मूल्य में होने वाले परिवर्तन को "उचित मूल्य परिवर्तन खाता" के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।

8. Benefits Paid:

Benefits paid consist policy benefits and claim settlement costs, wherever applicable.

Non linked Business

- Death and rider claims are recognized, on receipt of intimation.
- Survival, Maturity and Annuity benefit claims are recognized, when due.
- Withdrawals and surrenders are recognized, on receipt of intimation.
- Amount payable on lapsed/discontinued policies are recognized, for as and when due.

Linked Business

- Death and rider claims are recognized, on receipt of intimation.
- Maturity claims are recognized, on due basis when the associated units are cancelled.
- Surrenders and withdrawals are recognized when associated units are cancelled.
- Amount payable on lapsed/discontinued policies are recognized on the expiry of lock in period of these policies.

Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for based on management prudence considering the facts and evidences available in respect of such claims.

Claims settled by the Corporation for reinsurance ceded cases which are receivable from the reinsurer are recognized for in the same quarter or subsequent quarters.

9. Investments

A] Non Linked Business and Non Unit Fund of Linked Business

Debt securities (including Government Securities and Preference Shares)

All Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and stated at historical cost subject to amortization of premium and discount on straight line basis over the balance period of holding/maturity. A provision for diminution is made for diminution in value if other than temporary, where fair value, usually the market price (quoted price not later than 30 days prior to valuation date) of listed redeemable preference share is lower than amortized cost. All unlisted redeemable preference shares are valued at historical cost less provision for diminution, if any.

All listed Irredeemable Preference Shares are valued at historical cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than historical cost. In case last quoted price is lower, it is valued at historical cost less provision for diminution. All unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at historical cost less provision for diminution.

Equity Shares, Equity Exchange Traded Funds (ETFs), Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investment Trusts (REITs)

- Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at last quoted closing prices at the National Stock Exchange (NSE) (last quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). In case of the scrips not listed on the NSE, the last quoted closing prices on the BSE have been taken (last quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). The change in the carrying amount of equity securities is recognised under "Fair Value Change Account".

- (ii) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों तथा अल्प-व्यापारित इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें निवेश के मूल्य में कमी हेतु आवश्यक प्रावधान घटाया जाता है। ऐसी मूल्य-कमी का आकलन एवं लेखांकन निगम की क्षीणता नीति के अनुसार किया जाता है। किसी प्रतिभूति को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा म्यूचुअल फंडों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प-व्यापारित माना जाता है।
- (iii) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध कारोबार मूल्य अथवा शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (iv) आईएनवीआईटी और आरआईआईटी में निवेश का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, जिसके लिए अंतिम उद्धृत मूल्य मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर कोई बाजार उद्धरण उपलब्ध न हो, तो इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (v) ऐसे आईएनवीआईटी और आरआईआईटी जिनमें नियमित रूप से कारोबार नहीं होता है, उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी होने की स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

म्यूचुअल फंड और वेंचर फंड/ वैकल्पिक निवेश फंड

- (i) **म्यूचुअल फंडों में निवेश:** म्यूचुअल फंडों में निवेश का मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है। म्यूचुअल फंड इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (ii) वेंचर फंड (वीएफ), वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) और प्रतिभूति रसीदों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी हो, तो प्रत्येक निवेश का अलग मूल्यांकन कर आवश्यक प्रावधान किया जाता है। सावधि जमा तथा रिवर्स रेपो निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स

- (i) वाणिज्यिक पत्र, कोषागार बिल, त्रिपक्षीय रेपो ट्रेप्स, रिवर्स रेपो, जमा प्रमाणपत्र आदि जैसे मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

सभी निवेशों का लेखांकन निपटान आधार पर किया जाता है, सिवाय द्वितीयक बाजार से क्रय अथवा विक्रय किए गए इक्विटी शेयरों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के। द्वितीयक बाजार से क्रय अथवा विक्रय किए गए इक्विटी अंशों एवं सरकारी प्रतिभूतियों का लेखांकन व्यापार तिथि के आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव्स अनुबंध

- (i) जीवन बीमा, पेंशन एवं वार्षिकी व्यवसाय के अंतर्गत बीमा अनुबंधों तथा निवेश नकदी प्रवाहों से संबंधित अत्यधिक संभाव्य भावी लेनदेन के हेजिंग हेतु किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स अनुबंधों का लेखांकन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी ‘डेरिवेटिव्स अनुबंधों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी’ तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के निवेश मास्टर परिपत्र, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता है, के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- (ii) अग्रिम दर समझौता (एफआरए) अनुबंध का मूल्यांकन, अंतर्निहित बांड के बाजार मूल्य तथा अनुबंधित अग्रिम मूल्य के वर्तमान मूल्य के मध्य अंतर के आधार पर किया जाता है। अंतर्निहित बांड का बाजार मूल्य, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित स्पॉट संदर्भ प्रतिफल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अनुबंधित अग्रिम मूल्य के वर्तमान मूल्य में, मूल्यांकन तिथि से एफआरए अनुबंध के निपटान की तिथि तक प्राप्त होने वाले मध्यवर्ती कूपन प्रवाहों का वर्तमान मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों का बाजार-से-मूल्यांकन अथवा उचित मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से दोनों पक्षों, अर्थात् निगम तथा प्रतिपक्ष, द्वारा किया जाता है। तथापि, मार्जिन निपटान के उद्देश्य से प्रतिपक्ष (बैंक) द्वारा किए गए मूल्यांकन को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि एफआरए की शर्तों के अनुसार प्रतिपक्ष (बैंक) ही मूल्यांकन अभिकर्ता होता है।

- (ii) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security is considered as being thinly traded as per SEBI guidelines governing mutual funds.
- (iii) Investment in ETFs are valued at traded price or at NAV as on the reporting date. Unrealized gains or losses arising due to change in fair value of mutual fund units are recognised under "Fair Value Change Account".
- (iv) Investment in InvITs and REITs are valued at Market value (last Quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). Where Market Quote is not available for last 30 days prior to valuation date, the Units are valued at the latest NAV (not more than 6 months old). Unrealized gains or losses arising due to change in fair value of units are recognised under "Fair Value Change Account".
- (v) InvITs and REITs which are not regularly traded are valued at Historical cost subject to diminution in value of the assets.

Mutual Funds & Venture Funds / Alternative Investment Funds

- (i) Investments in Mutual Fund are valued at - NAV on the reporting date. Unrealised gains or losses arising due to change in fair value of mutual fund units are recognised under "Fair Value Change Account".
- (ii) Investments in Venture Funds(VF), Alternative Investment Funds (AIF) and Security Receipts are valued at cost, subject to provision for diminution, if any, in the value of such investments determined separately for each individual investment. Fixed Deposits and Reverse Repo are valued at cost.

Money Market Instruments

- (i) Investments in Money Market Instruments like commercial paper, treasury bills, Tri-party Repo (TREPs), Reverse Repo and certificate of deposit etc are measured at historical cost.

All Investments are accounted on settlement basis except for purchase or sale of equity shares and Government securities from the secondary market. Purchase or sale of equity shares and Government securities from the secondary market are accounted on trade date.

Derivatives

- (i) Interest Rate Derivative (IRD) contracts for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in Life, Pension and Annuity business are recognised for in accordance with the 'Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.
- (ii) The Forward Rate Agreement (FRA) contract is valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL) and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date. Mark-to-market valuation / fair valuation of the derivative financial instruments is done independently by both the parties i.e the Corporation and the counter party. The counter party (Bank) valuation is considered for margin settlement as the counter party (Bank) is the valuation agent as per FRA.

- (iii) हेजिंग साधनों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा आगामी प्रतिवेदन तिथियों पर भी उनका पुनर्मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर उत्पन्न उचित मूल्य लाभ/हानि का वह प्रभावी भाग, जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, को तुलन-पत्र में “हेज उतार-चढ़ाव आरक्षित” अथवा “एचएफआर” में मान्यता दी जाती है। ऐसे डेरिवेटिव्स साधनों के उचित मूल्य परिवर्तन का अप्रभावी भाग उस अवधि में, जिसमें वह उत्पन्न होता है, राजस्व खाते / लाभ एवं हानि खाते में मान्यता प्राप्त करता है।
- (iv) ब्याज दर व्युत्पन्न पर उचित मूल्य लाभ / हानि जो एक अप्रभावी प्रतिरक्षा के रूप में निर्धारित की जाती है, उसे राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- (v) “प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व” में चिन्हित किए गए संचित लाभ या हानि को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में उसी अवधि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, जिसके दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से प्राप्त निवेशों से आय को राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रतिरक्षा लेखा तब बंद हो जाता है जब प्रतिरक्षा लिखत समाप्त हो जाता है या ऐसा लगता हो कि अपेक्षित पूर्वानुमानित लेनदेन अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल जाता हो या अब पूरा होने की उम्मीद न हो। ऐसी समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जो प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व में चिन्हित किए गए थे, उन्हें राजस्व खाते / लाभ और हानि खाते में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ख) संबद्ध व्यवसाय:

ऋण प्रतिभूतियाँ:

केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ तथा यूनिट फंड्स के अंतर्गत डिबेंचर्स एवं बांड्स का मूल्यांकन फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (FIMMDA) / फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा घोषित अंतिम उपलब्ध बाजार दरों के आधार पर किया जाता है। गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यथासंशोधित, किया जाता है।

इक्विटी शेयर:

- (i) सक्रिय बाजारों में कारोबार किए जाने वाले सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि यह मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना न हो। यदि कोई प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं है, तो उसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर उपलब्ध अंतिम उद्धृत समापन मूल्य को आधार माना जाता है, जो भी मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना न हो। इक्विटी प्रतिभूतियों के वहन मूल्य में होने वाले परिवर्तन को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (ii) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों तथा अल्प-व्यापारित इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें निवेश के मूल्य में कमी हेतु आवश्यक प्रावधान घटाया जाता है। इस प्रकार की मूल्य-कमी का आकलन एवं लेखांकन निगम की क्षीणता नीति के अनुसार किया जाता है। किसी प्रतिभूति को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के म्यूचुअल फंड संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार अल्प-व्यापारित माना जाता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)

- (i) आईएनवीआईटी और आरईआईटी में निवेश का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, जिसके लिए अंतिम उद्धृत मूल्य मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि मूल्यांकन तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है, तो इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड इकाइयों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ अथवा अप्राप्त हानि को “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत मान्यता दी जाती है।
- (ii) ऐसे आईएनवीआईटी और आरईआईटी जो नियमित रूप से कारोबार नहीं किए जाते हैं, उनका मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जिसमें परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के लिए आवश्यक प्रावधान घटाया जाता है।

म्यूचुअल फंड:

म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेशों को, म्यूचुअल फंड्स द्वारा घोषित अंतिम एनएवी पर दर्शाया जाता है।

- (iii) Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in “Hedge Fluctuation Reserve” or “HFR” in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change in fair value of such derivative instruments is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise.
- (iv) The fair value gain/loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account in the period in which they arise.
- (v) The accumulated gains or losses that were recognised in the “Hedge Fluctuation Reserve” are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognised in the Revenue Account / Profit & Loss Account. Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised into Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account / Profit & Loss Account.

B] Linked Business:

Debt securities:

Central Government securities, State Government securities, Other Approved Securities, Debentures & Bonds of unit funds are valued at last available market rates as declared by FIMMDA/FIBIL. Provision for non- performing debts is made as per IRDAI/RBI guidelines as amended from time to time.

Equity Shares:

- (i) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at last quoted closing prices at the National Stock Exchange (NSE)(last quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). In case of the scrips not listed on the NSE, the last quoted closing prices on the BSE have been taken.(last quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). The change in the carrying amount of equity securities is recognised under “Fair Value Change Account”.
- (ii) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security is considered as being thinly traded as per SEBI guidelines governing mutual funds.

Infrastructure Investment Trusts (InvITs), Real Estate Investment Trusts (REITs):

- (i) Investment in InvITs and REITs are valued at Market Value (last Quoted price should not be later than 30 days prior to valuation date). Where Market Quote is not available for last 30 days prior to valuation date, the Units are valued at the latest NAV (not more than 6 months old). Unrealized gains or losses arising due to change in fair value of mutual fund units are recognized under “Fair Value Change Account”.
- (ii) InvITs and REITs which are not traded, valued at Historical cost subject to diminution in value of the assets.

Mutual Funds:

Investments in Mutual Funds are stated at last declared NAV by the Mutual Funds.

मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेप्स, आदि

वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, त्रिपक्षीय रेपो (ट्रेप्स) आदि जैसे मुद्रा बाजार इंस्ट्रूमेंट्स का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब निपटान के आधार पर किया जाता है। द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को व्यापार तिथि पर गिना जाता है।

- **निवेशों का क्षीणता:-**

निगम प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर गैर-सूचीबद्ध अथवा अल्प-व्यापारित इक्विटी अंशों, अधिमानी शेयरों तथा सहायक/संबद्ध इक्विटी निवेशों की क्षीणता का आकलन अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्षीणता नीति के अनुसार करता है, जो समय-समय पर भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

यह आकलन इस उद्देश्य से किया जाता है कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या किसी प्रकार की क्षीणता का संकेत उपलब्ध है अथवा पूर्व में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि का कोई प्रतिवर्तन आवश्यक है। यदि क्षीणता हानि पाई जाती है, तो उसे राजस्व खाते / लाभ एवं हानि खाते में 'निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान (शुद्ध)' शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि तुलन-पत्र की तिथि पर यह निर्धारित होता है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि अब विद्यमान नहीं है, तो उस हानि का प्रतिवर्तन किया जाता है तथा संबंधित निवेश को तदनुसार पुनः समायोजित किया जाता है।

10. निवेश संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन

निवेश संपत्ति का मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया जाता है तथा निवेश संपत्ति के वहन मूल्यमें होने वाले परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में समायोजित किया जाता है। निवेश संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कम से कम प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन हेतु अपनाया गया आधार निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धतियों के अनुसार होता है।

11. ऋणः

ऋणों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत में से पुनर्भुगतान घटाकर किया जाता है, तथा इसके अधीन यदि कोई हो तो क्षीणता प्रावधान एवं गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) हेतु प्रावधान भी समायोजित किए जाते हैं।

ऋणों का वर्गीकरण अल्पकालिक के रूप में किया जाता है यदि उनकी परिपक्वता अवधि बारह माह से कम है। अल्पकालिक के अतिरिक्त सभी ऋणों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

12. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानः

बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर 17 मई, 2024 के मास्टर परिपत्र के अनुसार - जिसका विषय 'ऋणों और अग्रिमों के संबंध में आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड' है-ऋणों और अग्रिमों (बकाया ब्याज सहित) की वसूली न होने या कम वसूली होने के कारण होने वाले अनुमानित नुकसान के लिए, जो तुलन पत्र की तारीख को बकाया हैं, पर्याप्त प्रावधान किए जाते हैं।

13. अचल संपत्तियाँ और मूल्यहासः

- **मूर्त संपत्ति**

अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है (जिसमें जीएसटी सम्मिलित है), जिसमें से संचित मूल्यहास तथा यदि कोई हो तो क्षीणता घटाई जाती है। लागत में क्रय मूल्य तथा अन्य सभी वे व्यय सम्मिलित होते हैं जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोपित किए जा सकते हैं। विद्यमान परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के / पश्चातवर्ती व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ ऐसे व्यय से परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है।

Money Market Instruments like commercial paper, Certificate of Deposit, TREPs etc.:

Money Market Instruments like commercial paper, Certificate of Deposit, TREPs etc are valued at Historical cost.

All Investments are accounted on settlement basis except for purchase or sale of equity shares and government securities from the secondary market. Purchase or sale of equity shares and government securities from the secondary market are accounted on trade date.

- **Impairment of Investments :-**

The Corporation on each reporting date assesses impairment of unlisted or thinly traded equity shares, preference shares, and affiliated equity investments in accordance with its Board-approved impairment policy, aligned with guidelines issued by the IRDAI from time to time.

This assessment is conducted to determine whether there is any indication of impairment or reversal of a previously recognised impairment loss. Impairment losses, if any, are recognised as an expense under the head 'Provision for diminution in value of Investment (net)' in the Revenue Account/Profit and Loss Account. If, at the Balance Sheet date, it is determined that the impairment loss recognised earlier no longer exists, the loss is reversed, and the investment is restated accordingly.

10. Revaluation of Investment Property

The Investment Property is carried at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property as per methods approved by the Board of Directors.

11. Loans:

Loans are measured at historical cost less repayments, subject to impairment provisions and provision for non performing asset (NPA), if any.

Loans are classified as short term in case of maturity is less than twelve months. Loans other than short term are classified as long term.

12. Provisioning for Non-Performing Assets :

In line with Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers dated May 17, 2024 on Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of loans and advances, adequate provisions are made for estimated loss arising on account from/ under recovery of loans and advances(including outstanding interest) outstanding at the balance sheet date.

13. Fixed Assets and Depreciation:

- **Tangible assets**

Fixed assets are carried at cost (inclusive of GST) less accumulated depreciation and impairment, if any. Cost includes the purchase price and any other cost which can be directly attributed to bring the asset to its working condition for its intended use. Subsequent expenditure incurred on existing assets is expensed out except where such expenditure increases the future economic benefits from the existing assets.

• अमूर्त संपत्ति

अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है (जिसमें जीएसटी सम्मिलित है), जिसमें उन सभी लागतों को भी सम्मिलित किया जाता है जो उन्हें उनके इच्छित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, तथा इसमें से संचित अमोर्टाइजेशन एवं यदि कोई हो तो क्षीणता घटाई जाती है। विद्यमान परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के / पश्चातवर्ती व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ ऐसे व्यय से परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है।

सभी अचल परिसंपत्तियाँ जिनकी लागत ₹ 25,000 तक प्रति इकाई है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है तथा क्रय के माह में ही पूर्णतः मूल्यहासित कर दिया जाता है।

• पूंजीगत कार्य प्रगति पर

वे परिसंपत्तियाँ जो अभी उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं तथा अन्य पूंजीगत प्रकृति के कार्य प्रगति में हैं, उन्हें पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

• मूल्यहासः

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान प्रबंधन द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है। वर्ष के दौरान क्रय अथवा विक्रय की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास मासिक आधार पर अनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यहास की दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	परिसंपत्ति	मूल्यहास की दर
1.	भूमि (स्वामित्व)	शून्य
2.	भूमि (पट्टे पर)	पट्टे की अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर
3.	स्वामित्व की भूमि पर भवन निर्माण, पट्टा भूमि पर भवन निर्माण जहां पट्टे की अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) या उससे अधिक है, सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व फ्लैट	2%
4.	पट्टा भूमि पर भवन निर्माण जहां पट्टे की अवधि 50 वर्ष (उपयोगी जीवन) से कम है	पट्टे की शेष अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर
5.	भूमि एवं भवन (पट्टा ग्रहित परिसर)	पट्टे की अवधि में 2% से अधिक या यथा अनुपात
6.	बिल्डिंग में विद्युत प्रतिष्ठान, पंखे, लिफ्ट और जनरेटर (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड), फर्नीचर और फिटिंग, कार्यालय उपकरण, टेलीफोन, फैक्स/ई पी बी एक्स, विविध पूंजी उपकरण	10%
7.	रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर एयर कूलर, एयर कंडीशनर आदि	13.91%
8.	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण (कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर सहित), मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरण, ऑडियो विजुअल और संबंधित उपकरण, टेलीविज़न, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, यूपीएस, अकाउंटिंग मशीन, जनरेटर, डीजी सेट किराए के परिसर में	30%
9.	वाहन, पुस्तकालय की पुस्तकें और अन्य प्रचार सामग्री (जिसमें नियॉन साइन, ग्लो साइन, होर्डिंग्स शामिल हैं), फोटोकॉपियर	20%
10.	साइकिल	15%
11.	इंजीनियरिंग उपकरण	12.50%
12.	विविध अचल संपत्तियाँ (₹ 25,000/- तक)	100%

- **Intangible Assets**

Intangible assets are stated at cost of acquisition (inclusive of GST), including any cost attributable for bringing the same to its working condition for its intended use, less accumulated amortization and impairment, if any. Subsequent expenditure incurred on existing assets is expensed out except where such expenditure increases the future economic benefits from the existing assets.

All fixed assets costing upto ₹ 25000 each are being capitalized and simultaneously fully depreciated in the month of purchase.

- **Capital Work in progress**

Cost of Assets not ready for their use and other work in progress of capital nature are disclosed as capital work in progress.

- **Depreciation:**

Depreciation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on the useful life of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/sold during the year.

Based on useful life evaluation carried out by the management, the rates of depreciation are as follows:-

Rates of Depreciation charged on Fixed Assets:

Sr. No.	Asset	Rate of Depreciation
1.	Land (Freehold)	Nil
2.	Land (Leasehold)	Pro-rata basis over the lease period
3.	Building on Freehold Land, Building on Leasehold Land where lease period is 50 years (useful life) or more, Ownership Flats purchased in Co-op Societies	2%
4.	Building on Leasehold Land where lease period is less than 50 years (useful life)	Pro-rata basis over the remaining lease period
5.	Land and Building (Leasehold premises)	Higher of 2% or Pro-rata basis over lease period
6.	Electrical Installations, fans, Lifts and generators in Building (Freehold and leasehold), Furniture and fittings, Office Equipment, Telephones, Fax/Epabx, Misc. Capital Equipment	10%
7.	Refrigerators and water coolers, Air Coolers, Air Conditioners etc.	13.91%
8.	Information Technology Equipment (including Computers, Printers and Software), Mobile Phones & other Communication equipments, Audio Visual & Allied equipment, Television, Voltage stabilizers UPS, Accounting Machines, Generators, DG Sets in rented Premises	30%
9.	Vehicles, Library Books and other publicity materials (including Neon Signs, Glow signs, Hoardings), Photocopier,	20%
10.	Cycles	15%
11.	Engineering equipment	12.50%
12.	Sundry Fixed Assets (Upto ₹ 25000/-)	100%

- **अचल परिसंपत्तियों की क्षीणता:**

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की क्षीणता के संकेतों के लिए समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी किसी क्षीणता का संकेत प्राप्त होता है, तो संबंधित परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन किया जाता है तथा आवश्यक होने पर क्षीणता हानि को मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है। उपयोग में मूल्य से अभिप्राय उन भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य से है, जो परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग एवं उसके अंतिम निपटान से प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। यदि यह संकेत प्राप्त होता है कि पूर्ववर्ती लेखा अवधियों में किसी परिसंपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त क्षीणता हानि अब आवश्यक नहीं है अथवा उसमें कमी आई है, तो ऐसी क्षीणता हानि का प्रतिवर्तन मान्यता प्राप्त किया जाता है, सिवाय पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के। क्षीणता हानि का प्रतिवर्तन केवल उस सीमा तक मान्यता प्राप्त किया जाता है जहाँ प्रतिवर्तन के पश्चात परिसंपत्ति का वहन मूल्य उस राशि से अधिक न हो, जो उस स्थिति में होता यदि पूर्ववर्ती प्रतिवेदन अवधियों में क्षीणता हानि को मान्यता न दी गई होती।

14. कराधान:

क) प्रत्यक्ष कर: वर्तमान आयकर के लिए प्रावधान उपार्जन आधार पर किया जाता है। यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अनुसार उपलब्ध सभी अनुमत कटौतियों एवं छूटों का लाभ प्रदान करने के पश्चात निर्धारित किया जाता है।

ख) अप्रत्यक्ष कर: संग्रहित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जो धनवापसी की कटौती के पश्चात शुद्ध आधार पर निर्धारित किया जाता है, को एक देयता के रूप में माना जाता है। इस देयता के विरुद्ध पात्र इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी का, दावा किए जाने योग्य सीमा तक, समायोजन किया जाता है तथा शेष शुद्ध देयता को संबंधित प्राधिकरण को जमा कर दिया जाता है।

अप्रयुक्त कर-क्रेडिट, यदि कोई हों, को भावी समायोजन हेतु तुलन-पत्र में अग्रेषित किया जाता है तथा उनकी मान्यता उस सीमा तक स्थगित रखी जाती है, जहाँ उनके उपयोग की युक्तिसंगत निश्चितता विद्यमान हो।

ग) समेकित वित्तीय विवरण में, आयकर व्यय मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू कानूनों के अनुसार प्रदर्शित होने वाले कर व्यय की कुल राशि है।

15. पॉलिसी दायित्व मूल्यांकन

प्रत्येक ऐसी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत देयता विद्यमान है अथवा उत्पन्न हो सकती है, के लिए पॉलिसी देयता का निर्धारण सभी प्रासंगिक मानकों के विवेकपूर्ण अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

यह निर्धारण भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा लागू बीमांकिक व्यवहार मानकों के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

पॉलिसी देयता के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली:

- गैर-संबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह पॉलिसियों के लिए देयता का निर्धारण, जहाँ लागू हो, प्रत्येक पॉलिसी के लिए भावी सकल प्रीमियम विधि अथवा अप्रयुक्त प्रीमियम आरक्षित के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक पॉलिसी हेतु आरक्षित राशि कम से कम गारंटीकृत समर्पण मूल्य अथवा विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर रखी जाती है। किसी पॉलिसी के लिए आरक्षित राशि निर्धारित करते समय ऋणात्मक आरक्षित को शून्य माना जाता है।
- संबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत यूनिट देयता का निर्धारण मूल्यांकन तिथि पर इकाइयों के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर किया जाता है, जबकि गैर-यूनिट देयता का निर्धारण रियायती नकदी प्रवाह विधि द्वारा किया जाता है।
- राइडर लाभों के संबंध में देयता का निर्धारण अप्रयुक्त प्रीमियम आरक्षित तथा सकल प्रीमियम आरक्षित विधि से गणना की गई आरक्षित राशि में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाता है।
- समूह नकद संचय योजनाओं की देयता का मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि पर सभी योजनाओं के निधि मूल्य के आधार पर किया जाता है। एक-वर्षीय नवीकरणीय समूह सावधि आश्वासन के अंतर्गत देयता का निर्धारण प्रत्येक पॉलिसी की अगली वार्षिक नवीकरण तिथि तक की अवधि के लिए अर्जित न हुए जोखिम प्रीमियम के कुल योग के आधार पर किया जाता है।
- पॉलिसियों के पुनर्जीवन/पुनर्बहाली, एड्स/एचआईवी, रिपोर्ट न किए गए किन्तु उत्पन्न दावों, आपदा जोखिमों आदि के लिए अतिरिक्त समष्टिगत प्रावधान किए जाते हैं।

व्यक्तिगत “पूँजी मोचन एवं निश्चित वार्षिकी” पॉलिसियों के अंतर्गत देयता का निर्धारण प्रत्येक पॉलिसी के लिए भावी सकल प्रीमियम विधि के आधार पर किया जाता है।

- **Impairment of fixed assets:**

The carrying amount of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognised.

The recoverable amount is the higher of the asset's net selling price and their value in use, which is the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of asset and its ultimate disposal. When there is an indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods is no longer necessary or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised, except in case of revalued assets. Reversal is recognised to the extent that post reversal, the carrying amount does not exceed the amount that would have resulted, had impairment loss not been recognised in previous reporting periods.

14. Taxation:

- a) **Direct Tax:** Provision for current income tax is made on an accrual basis after taking credit for all the allowances and exemptions in accordance with Income Tax Act.
- b) **Indirect Tax:** Goods and Service Tax ("GST") collected (net of refunds) is considered as a liability against which GST paid for eligible input services, to the extent claimable, is adjusted and the net liability is remitted to the appropriate Authority.

Unutilized credits, if any are carried forward in the Balance Sheet, for future set off and are deferred for recognition to the extent that there is reasonable certainty of utilization.

- c) In Consolidated Financial Statement, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statement of the parent and its subsidiaries, as per their applicable laws.

15. Policy Liability Valuation

The determination of policy liability for each policy under which liability exists or may arise, is based on prudent assumptions of all relevant parameters, in accordance with the relevant provisions, as amended from time to time, of LIC Act, 1956, Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations, circular, guidelines, applicable Actuarial Practice Standards.

The methodology for valuation is:

- The Liability for Individual and Group policies under Non-Linked business is calculated for each policy using the Prospective Gross Premium Method or Unexpired Premium Reserve, as applicable. The Reserve for each policy is atleast equal to the Guaranteed Surrender Value or Special Surrender Value, whichever is higher. The negative reserve is set to zero while arriving at reserve under a policy.
- The Unit Liability for Linked business is determined as the Net Asset Value of units as on the valuation date, while the non-unit liability is calculated using discounted cash flow method.
- The liability in respect of Rider Benefits are determined as the higher of Unexpired Premium Reserve and reserves calculated using the Gross Premium Reserve Method.
- The Liability for Group Cash Accumulation Schemes is valued at fund value of all the schemes as on the date of valuation. The Liability in respect of One Year Renewable Group Term Assurance is the sum of the unearned risk premium under all such policies based on the period up to the next annual renewal date under each policy.
- Additional aggregate provisions are made for revival/reinstatement of policies, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported (IBNR) claims, and catastrophe risks etc.

The liability under Individual "Capital Redemption and Annuity Certain" policies is determined for each policy using the Prospective Gross Premium Method.

16. भविष्य के विनियोगों के लिए निधियाँ:

गैर-संबद्ध सहभागी व्यवसाय के लिए, भावी विनियोजन निधि खाते में दर्शाई गई शेष राशि उन निधियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका आवंटन तुलन-पत्र की तिथि तक सहभागी पॉलिसीधारकों अथवा शेयरधारकों के बीच निर्धारित नहीं किया गया है। इस निधि में किए गए अंतरण प्रत्येक लेखा अवधि में निगम के 'पॉलिसीधारक निधि' में उत्पन्न आय एवं व्यय तथा विनियोजनों के अधिशेष अथवा घाटे को प्रतिबिंबित करते हैं। सहभागी पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारकों को किया गया कोई भी आवंटन, निर्धारित अनुपात में अंशधारकों को भी अंतरण उत्पन्न करेगा।

यूनिट-लिंकड निधियों में रखी गई भावी विनियोजन निधि उस अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है, जो ऐसी लैप्स पॉलिसियों से उत्पन्न हुआ है जिनके पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है। यह अधिशेष पॉलिसीधारक निधि के अंतर्गत तब तक रखा जाता है, जब तक कि पॉलिसीधारकों का अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

17. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियां समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सृजित एवं अनुरक्षित की जाती हैं।

तदनुसार, पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को एक अलग निधि में रखा जाता है और इसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और / या अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर की स्थिति में, जो राशियाँ 10 वर्षों की अवधि तक दावा न की गई हो, उन्हें तथा उस निधि पर अर्जित समस्त संबंधित वृद्धियों सहित, संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 मार्च तक अथवा उससे पूर्व वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में जमा कर दिया जाता है।

18. विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव:**Effect of change in foreign exchange rate****i) विदेशी मुद्रा संव्यवहार:**

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों, यदि कोई हो, का वर्ष के अंत की समाप्ति दरों पर रूपांतरित किया जाता है। निपटान/अनुवाद पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को लागू होने वाले राजस्व या लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

ii) गैर-अभिन्न विदेशी संचालन

क) विदेशी व्यापार / विदेशी सहायक कंपनी से संबंधित लाइफ फंड को संबंधित देशों के वैधानिक नियमों के अनुसार निवेश किया गया है।

ख) वर्ष के अंत में विदेशों में शाखाओं के वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और जिसके लिए विनिमय की उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है।

ग) ऐसे रूपांतरणों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ या हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे राजस्व खाते में उत्पन्न होते हैं।

घ) विदेशी शाखाओं के संचालन गैर-अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों को औसत विनिमय दर और तुलन-पत्र मदों को समापन दर पर अनुवादित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों के खाते के तहत विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव रिजर्व में जमा होता है जैसा भी मामला हो।

ङ) भारत से भेजे गए प्रेषणों द्वारा भारत के बाहर किए गए निवेशों को मूल रुपये की लागत पर या जल्द से जल्द दर्ज की गई रुपये की लागत पर हिसाब किया जाता है, जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं होती है।

19. उपलब्ध सोल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय:

उपलब्ध सोल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय (कर को घटाकर) गैर-सहभागी व्यवसाय के अधिशेष का हिस्सा होती है।

16. Funds for future appropriations:

For Non-linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating 'Policy Holders' or to 'Shareholders', is not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation's 'Policy holders' fund. In respect of participating policies any allocation, to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is held within the 'policyholders' fund till the point at which the policyholders' can no longer revive their policy.

17. Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the guidelines issued by the IRDAI from time to time.

Accordingly, unclaimed amount of policyholders are maintained in a single segregated fund and are invested in money market instruments, liquid mutual funds and/or fixed deposits of scheduled banks.

Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years as on 30th September every year along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.

18. Foreign Currency Transactions:

Effect of change in foreign exchange rate

i) Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary items in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

ii) Non- Integral Foreign Operations

- a) Life Fund relating to foreign business/foreign subsidiary has been invested according to the statutory regulations of the respective countries.
- b) Financial Statements of branches in foreign countries as at the year end are prepared in accordance with local laws and are translated at appropriate rates of exchange.
- c) Exchange gains or losses arising on such conversions are recognised in the period in which they arise in the Revenue Account.
- d) Operations carried at foreign Branch Offices are of non integral nature. The Revenue A/c items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate. Revaluation Exchange difference is accumulated in Foreign Exchange fluctuation Reserve under shareholders or policyholders account as the case may be.
- e) Investments made outside India by remittances sent from India are accounted for at original rupee cost or at the earliest recorded rupee cost, where original cost is not available.

19. Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund:

Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund (net of tax) forms part of the Surplus of Non- Participating business.

20. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां

प्रावधान उन वर्तमान दायित्वों के संबंध में मान्यता प्राप्त किया जाता है, जो भूतकालीन घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं तथा जिनके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो और जिनकी राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता हो।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि पर दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक आर्थिक लाभों के संभावित बहिर्वाह के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें संशोधित किया जाता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब भूतकालीन घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व विद्यमान हो, जिसके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो सकती है, परंतु उसकी संभावना प्रबल नहीं हो, अथवा उसकी राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हो। जब किसी संभावित अथवा वर्तमान दायित्व के संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत नगण्य हो, तब न तो कोई प्रावधान किया जाता है और न ही उसका प्रकटीकरण किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

21. खंडीय रिपोर्टिंग:**क) खंडों की पहचान:**

खंड की पहचान आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों तथा कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित “खंडीय रिपोर्टिंग” पर लेखा मानक 17 के अनुसार पहचाने गए मुख्य खंडों के आधार पर की जाती है। इसी के अनुसार, निगम ने मुख्य व्यावसायिक खंडों के लिए राजस्व खाता (पॉलिसीधारकों का खाता) और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात् सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, गैर-सहभागी जीवन (व्यक्तिगत और समूह), गैर-सहभागी पेंशन (व्यक्तिगत और समूह), गैर-सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, गैर-सहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, गैर-सहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, गैर-सहभागी संबद्ध (जीवन, पेंशन और स्वास्थ्य) और पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित व्यवसाय (सीआरएसी)। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपना परिचालन करता है।

ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

शेयरधारकों के खाते से संबंधित खर्चों के समायोजन के बाद जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को असंबद्ध सहभागी, असंबद्ध असहभागी, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय और यूनिट संबद्ध (लिंकड) व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:

- क) जिन खर्चों को संबंधित व्यवसाय की लाइनों से सीधे पहचाना जा सकता है, उन्हें वास्तविक आधार पर संबंधित व्यवसाय की लाइनों में मान्यता दी गई है, और
- ख) अन्य व्यय जो व्यवसाय की विशिष्ट लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:
 - i. पॉलिसी की संख्या
 - ii. कुल प्रीमियम आय
 - iii. आश्वस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

22. प्रति शेयर आय:

मूल प्रति शेयर आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ अथवा हानि को, जो इक्विटी शेयरधारकों के लिए अभिप्रेय हो, उस अवधि के दौरान प्रचलित भारत औसत इक्विटी शेयरों से विभाजित करके की जाती है।

डाइल्यूटिड प्रति शेयर आय की गणना कर पश्चात शुद्ध लाभ अथवा हानि को, जो इक्विटी अंशधारकों के लिए अभिप्रेय हो, उस अवधि के दौरान प्रचलित भारत औसत इक्विटी शेयरधारकों से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी संभावित डाइल्यूटिड इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

23. नकद और नकद समकक्ष

प्राप्तियों एवं भुगतान खाते के प्रयोजन हेतु नकद एवं नकद समकक्षों में हाथ में नकद एवं चेक, बैंक शेष, बैंकों में जमा, जिसमें सावधि जमा भी सम्मिलित हैं, तरल निधियाँ तथा प्रेषण मार्ग में राशि शामिल होती हैं।

प्राप्तियों एवं भुगतान खाता का निर्माण एवं प्रस्तुति प्रत्यक्ष विधि के आधार पर की जाती है, जो लेखा मानक - 3 “नकदी प्रवाह विवरण” तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होती है।

20. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provision is recognised in respect of the present obligations arising out of past events where it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amounts of which can be reliably estimated. Provisions are determined on the basis of best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the Balance sheet date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates.

A disclosure of contingent liability is made when there is a possible obligations arising out of past events that may, but probably will not, require an outflow of resources or it cannot be reliably estimated. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

21. Segmental Reporting:

A) Identification of Segments:

Segments are identified based on the primary segments specified under Regulations issued by the IRDAI from time to time read with Accounting Standard 17 on “Segmental Reporting” notified under section 133 of the Companies Act, 2013 and rules there under. Accordingly, the Corporation has prepared the Revenue Account (Policyholders Account) and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked (Life, Pension and Health) and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments.

B) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:

Operating Expenses relating to life insurance business after adjusting for expenses attributable to Shareholders Account is allocated to various lines of business such as Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business and Unit Linked Business on the following basis.

- a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been recognised in the respective lines of business on actual basis, and
- b. Expenses which are not directly identifiable to the specific lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:
 - i. Number of policies
 - ii. Total premium income
 - iii. Sum assured

Allocation of expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

22. Earnings per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to the equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period adjusted for the effect of all dilutive potential equity shares.

23. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents for the purpose of Receipts and payments account include cash and cheques in hand, bank balances, deposits (including Fixed Deposits) with banks, liquid funds, remittances in transit. Receipts and Payments Account is prepared and reported using Direct method in accordance with Accounting Standard (AS) 3, Cash Flow Statements as per guidelines issued by the IRDAI from time to time.

(ब) लेखों पर टिप्पणियाँ

- समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए शामिल की गई सहायक/सहयोगियों की सूची।

(क) सहायक कंपनियाँ

क्र. सं.	सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	एल आई सी आई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी	
			31 मार्च तक,	
			2026	2025
1.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2.	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3.	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	100.00%	100.00%
4.	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	बांग्लादेश	83.33%	83.33%
5.	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	नेपाल	55.00%	55.00%
6.	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)	बहरीन	99.66%	99.66%
7.	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	श्रीलंका	97.22%	93.75%

(ख) सहयोगी कंपनियाँ

क्र. सं.	सहयोगी कंपनियों के नाम	निगमन का देश	एल आई सी आई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी	
			31 मार्च तक,	
			2026	2025
1.	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	भारत	45.24%	45.24%
2.	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ⁽¹⁾	भारत	5.38%	5.38%
3.	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	49.87%	44.61%
4.	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड	भारत	49.00%	49.00%
5.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	भारत	29.84%	29.84%
6.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ⁽²⁾	भारत	49.24%	49.24%

नोट्स:-

- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में बकाया शेयरों का 94.62% हिस्सा है। इसलिए, एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में एलआईसीआई का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित बकाया शेयरों का 48.19% है।
- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में, एलआईसीआई द्वारा धारित मतदान शक्ति का अनुपात 31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को 26% है।

(ग) कंपनियों में निवेश, समेकन के लिए विचार नहीं किया गया:

निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और विभिन्न अन्य वर्गों की प्रतिभूतियों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 - निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार किया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए शामिल नहीं किया गया है: -

- जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है: निगम में इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट, 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगम द्वारा इन कंपनियों के गठन के समय निवेश के कारण प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।

(B) NOTES TO ACCOUNTS

1. List of Subsidiaries/ Associates considered for preparation of Consolidated Financial Statements.

(A) Subsidiary Companies

Sr. No.	Name of Subsidiary	Country of Incorporation	LICI's Direct Stake	
			As at March 31,	
			2026	2025
1.	LIC Pension Fund Ltd	India	100.00%	100.00%
2.	LIC Cards Services Ltd.	India	100.00%	100.00%
3.	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd	Singapore	100.00%	100.00%
4.	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.	Bangladesh	83.33%	83.33%
5.	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	Nepal	55.00%	55.00%
6.	Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)	Bahrain	99.66%	99.66%
7.	Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.	Sri Lanka	97.22%	93.75%

(B) Associates Companies

Sr. No.	Name of Associates	Country of Incorporation	LICI's Direct Stake	
			As at March 31,	
			2026	2025
1.	LIC Housing Finance Ltd.	India	45.24%	45.24%
2.	LIC HFL Asset Management Company Ltd. ⁽¹⁾	India	5.38%	5.38%
3.	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	India	49.87%	44.61%
4.	LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd.	India	49.00%	49.00%
5.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	India	29.84%	29.84%
6.	IDBI Bank Ltd. ⁽²⁾	India	49.24%	49.24%

Notes:

- LIC Housing Finance Ltd. holds 94.62% of the outstanding shares in LICHFL Asset Management Company Ltd. Therefore, LICI's direct and indirect interest in LICHFL Asset Management Company Ltd, is 48.19% of the outstanding shares.
- In case of IDBI Bank Limited, the proportion of voting power held by LICI is 26% as at March 31, 2026 and March 31, 2025.

(C) Investments in Companies, not considered for consolidation:

The Corporation has made certain investments in equity shares and various other classes of securities in other Companies which have been accounted for as per Accounting Standard 13 - Accounting for Investments. This includes certain investments in Companies, not considered for consolidation, as per category wise reasons given hereunder:-

- Where the Corporation is categorized as Promoter:** The Corporation has nominee directors on Board of some of these Companies. However, Corporation does not have any control or significant influence on these Companies. The Board seat of the Corporation in these investee Companies is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. The Promoter/ Shareholder status is by way of investment at the time of formation of these Companies.

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	31 मार्च तक,			
		2026		2025	
		एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य
1.	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	6.00	4.50	6.00	4.50
2.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड	15.00	15.00	15.00	15.00
3.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.96	3.94	14.96	3.94
4.	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	12.50	10.00	12.50	10.00
5.	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.00	5.00	10.00	5.00
6.	एसआरआईसी (आई) लिमिटेड	9.18	9.00	9.18	9.00
7.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7.90	4960.76	7.90	4960.76
8.	टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2.92	6.05	2.92	6.05
9.	गुजरात राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	0.11	0.09	0.11	0.09
10.	इन्वेस्टर सर्विसेस ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत)	12.50	0.00	12.50	0.00
11.	ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत)	8.00	0.80	8.00	0.80
12.	बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)	28.78	0.45	28.78	0.45

- ii. **निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है:** निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशिती कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना लीगेसी निवेश है। इस प्रकार, इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनियों के नाम	31 मार्च तक,			
		2026		2025	
		एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	पुस्तक मूल्य
1.	बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड	20.03	0.04	20.03	0.04
2.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	28.29	0.25	28.29	0.25
3.	बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड	28.78	0.45	28.78	0.45
4.	एच जी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25.29	3.18	25.29	3.18
5.	हनुमान टी कंपनी लिमिटेड	22.02	4.32	22.02	4.32
6.	इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	25.34	829.17	25.34	829.17
7.	कटखल लाला बाजार रेलवे कंपनी	23.47	0.02	23.47	0.02
8.	मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड	23.44	0.86	23.44	0.86

- iii. **निगम के पास अनुबंधों या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड में प्रतिनिधित्व:** ऐसे मामलों में निगम की हिस्सेदारी 20% से कम है और निगम के पास इन निवेशित कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों के बराबर है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। इस प्रकार इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

(₹ in Crores)

Sr. No.	Name of the Company	As at March 31,			
		2026		2025	
		LICI's Direct Stake%	Book Value	LICI's Direct Stake%	Book Value
1.	National E-Governance Services Ltd.	6.00	4.50	6.00	4.50
2.	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	15.00	15.00	15.00	15.00
3.	Stock Holding Corporation of India Limited	14.96	3.94	14.96	3.94
4.	J&K Development Finance Corporation Ltd.	12.50	10.00	12.50	10.00
5.	Clearing Corporation of India Ltd.	10.00	5.00	10.00	5.00
6.	ASREC (I) Ltd.	9.18	9.00	9.18	9.00
7.	Axis Bank	7.90	4960.76	7.90	4960.76
8.	Tourism Finance Corporation of India	2.92	6.05	2.92	6.05
9.	Gujarat State Financial Corporation Ltd.	0.11	0.09	0.11	0.09
10.	Investor Services of India (under Liquidation)	12.50	0.00	12.50	0.00
11.	OTC Exchange of India (under liquidation)	8.00	0.80	8.00	0.80
12.	Burrakur Coal Co Ltd(Under Liquidation)	28.78	0.45	28.78	0.45

- ii. **Shareholding of Corporation is more than 20%:** Legacy investments by the Corporation without any Board representation and/or any involvement in the management/administration of the investee Companies. As such, Corporation does not have any management control or significant influence in these entities.

(₹ in Crore)

Sr. No.	Name of Company	As at March 31,			
		2026		2025	
		LICI's Direct Stake%	Book Value	LICI's Direct Stake%	Book Value
1.	Borrea Coal Co Ltd	20.03	0.04	20.03	0.04
2.	Braithwaite & Co. Ltd.	28.29	0.25	28.29	0.25
3.	Burrakur Coal Co. Ltd.	28.78	0.45	28.78	0.45
4.	H G I Industries Ltd.	25.29	3.18	25.29	3.18
5.	Hanuman Tea Co. Ltd.	22.02	4.32	22.02	4.32
6.	Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.	25.34	829.17	25.34	829.17
7.	Katakhal Lala Bazar Railway Co.	23.47	0.02	23.47	0.02
8.	Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd.	23.44	0.86	23.44	0.86

- iii. **Corporation has Board position through agreement or nominee directors:** In such cases the shareholding of the Corporation is below 20% and the Corporation has nominee directors on the Board of these investee Companies. The investments in these Companies are at par with other Companies and shares are bought and sold depending upon market conditions. The Board seat is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. As such the Corporation does not have control or significant influence on these Companies.

क्र. सं.	कंपनियां जहां एलआईसीआई के अधिकारी नामित निदेशक हैं	एलआईसीआई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%		एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
		31 मार्च तक,		31 मार्च तक,	
		2026	2025	2026	2025
1.	एसीसी लिमिटेड*	10.51	7.85	1	1
2.	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड*	7.28	5.55	1	1
3.	एएसआरआईसी (इंडिया लिमिटेड)**	9.18	9.18	1	1
4.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7.88	7.90	1	1
5.	बीएसई लिमिटेड	5.60	5.60	1	1
6.	बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन	2.13	0	1	0
7.	केयर रेटिंग्स लिमिटेड*	9.49	9.58	1	1
8.	केंद्रीय भंडारण निगम	1.04	1.04	1	1
9.	सीडीएसएल	4.40	8.79	1	1
10.	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.00	10.00	1	1
11.	डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4.64	4.64	1	1
12.	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	6.09	6.22	1	1
13.	ईसिएल फाइनेंस लिमिटेड.**	0		1	
14.	एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड*	6.64	6.64	1	1
15.	ग्लोस्टर लिमिटेड	12.40	12.73	1	1
16.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	6.64	8.19	1	1
17.	हाई एनर्जी बैटरीज (आई) लिमिटेड	5.99	5.99	1	1
18.	आईएफसीआई लिमिटेड	1.48	0.82	1	1
19.	आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड**	0	0.00	1	1
20.	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड	2.64	2.64	1	1
21.	इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड	0.99	0.99	1	1
22.	आईटीसी लिमिटेड	15.84	15.52	1	1
23.	आईटीसी होटल लिमिटेड*	8.70	9.22	1	1
24.	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	12.50	12.50	1	1
25.	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	12.39	13.11	1	1
26.	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	6.29	7.12	1	1
27.	महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	10.26	9.10	1	1
28.	नेशनल के-ओपी हाउसिंग भारत की फेड**	0	0.00	1	1
29.	नेशनल ईगवर्नेस सर्विसेज लिमिटेड	6.00	6.00	1	1
30.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज*	10.72	10.72	1	1
31.	एनसीडीईएक्स लिमिटेड	11.10	11.10	1	1
32.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड	15.00	15.00	1	1
33.	उड़ीसा खनिज विकास निगम लिमिटेड.	6.55	6.55	1	1
34.	पतंजलि फूड्स लिमिटेड	9.13	0	1	0
35.	सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व नाम इंडिया बुल्स हावसिंग फाइनेंस लिमिटेड)	3.32	4.73	1	1

Sr. No.	Companies where LIC officials are Nominee Director	LIC Direct Stake %		No. of Board Members representing LIC	
		As at March 31,		As at March 31,	
		2026	2025	2026	2025
1.	ACC Limited*	10.51	7.85	1	1
2.	Ambuja Cements Limited*	7.28	5.55	1	1
3.	Asrec (India) Ltd.	9.18	9.18	1	1
4.	Axis Bank Limited	7.88	7.90	1	1
5.	BSE Limited	5.60	5.60	1	1
6.	Bima Sugam India Federation(BSIF)	2.13	0	1	0
7.	CARE Ratings Limited*	9.49	9.58	1	1
8.	Central Warehousing Corporation	1.04	1.04	1	1
9.	CDSL	4.40	8.79	1	1
10.	Clearing Corporation of India Limited	10.00	10.00	1	1
11.	DCM Shriram Industries Limited	4.64	4.64	1	1
12.	DCM Shriram Limited	6.09	6.22	1	1
13.	ECL Finance Ltd.**	0		1	
14.	Excel Industries Limited*	6.64	6.64	1	1
15.	Gloster Limited	12.40	12.73	1	1
16.	Grasim Industries Limited	6.64	8.19	1	1
17.	High Energy Batteries(I) Limited	5.99	5.99	1	1
18.	IFCI Limited	1.48	0.82	1	1
19.	IIFL Finance Limited**	0	0.00	1	1
20.	India Cements Limited	2.64	2.64	1	1
21.	Industrial Investment Trust Limited	0.99	0.99	1	1
22.	ITC Limited	15.84	15.52	1	1
23.	ITC Hotels Limited*	8.70	9.22	1	1
24.	Jammu & Kashmir Development Finance Corp. Ltd.	12.50	12.50	1	1
25.	Larsen & Toubro Limited	12.39	13.11	1	1
26.	Mahindra & Mahindra Limited	6.29	7.12	1	1
27.	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	10.26	9.10	1	1
28.	National CO-OP Housing Fed. Of India**	0	0.00	1	1
29.	National Egoernance Services Limited	6.00	6.00	1	1
30.	National Stock Exchange of India*	10.72	10.72	1	1
31.	NCDEX Limited	11.10	11.10	1	1
32.	North Eastern Development Finance Corp.Ltd.	15.00	15.00	1	1
33.	Orissa Mineral Development Corporation Ltd.	6.55	6.55	1	1
34.	Patanjali Foods Limited	9.13	0	1	0
35.	Sammaan Capital Limited(Formerly named India Bulls Housing Finance Limited)	3.32	4.73	1	1

क्र. सं.	कंपनियां जहां एलआईसीआई के अधिकारी नामित निदेशक हैं	एलआईसीआई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%		एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
		31 मार्च तक,		31 मार्च तक,	
		2026	2025	2026	2025
36.	सिम्प्लेक्स रियल्टी लिमिटेड*	11.92	11.92	1	1
37.	सिडबी	13.33	13.33	1	1
38.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विशेष उपक्रम***	0	0	1	0
39.	स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*	14.96	14.96	1	1
40.	टाइडल पार्क लिमिटेड	6.25	6.25	1	1
41.	टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2.92	2.92	1	1
42.	वक्रांगी लिमिटेड	4.10	4.41	1	1
43.	वेलस्पन निगम लिमिटेड	4.71	4.72	1	1
	PSU Banks where LIC Officials are Shareholders Director				
44.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	6.98	7.10	1	1
45.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1.33	1.33	1	1
46.	भारतीय स्टेट बैंक	8.70	9.29	1	1

नोट्स:-

1. * 31.03.2026 को नामित निदेशक की नियुक्ति नहीं होने या नियुक्ति प्रक्रियाधीन
 2. ** ऋण जोखिम के लिए नामित निदेशक नियुक्त।
 3. *** (SUUTI) As per directive of GOI, Ministry of finance, Department of Economic Affairs.
- iv. जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन निगम को कोई आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं है:- एस 21 के पैरा 10 के अनुसार जहां संस्थाओं पर नियंत्रण का उद्देश्य उनकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, उन्हें समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नहीं माना जाता है। चूंकि निगम एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन और भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि ट्रस्ट से कोई आर्थिक लाभ नहीं करता है, इसलिए इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 के प्रावधानों के अनुसार समेकन से बाहर रखा गया है।
- v. जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन दीर्घकालिक प्रतिबंध मौजूद है:- एस 27 के पैरा 38 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत काम करती हैं, जो मूल रूप से धन हस्तांतरित करने की क्षमता को कम करती हैं, उन्हें समेकन से बाहर रखा जाना चाहिए। सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस (SICCI) या वफा इंश्योरेंस 7 अगस्त 2007 को स्थापित एक सऊदी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। एलआईसी ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन के पास वर्तमान में सिक्की में 4.98% शेयर हैं, और शेष न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, अन्य और सऊदी अरब साम्राज्य की जनता के पास है। अपने व्यवसाय संचालन में अव्यवहार्यता के कारण, SICCI स्थानीय कानूनों के अनुसार वित्तीय पुनर्गठन पर विचार कर रहा है और पिछले कई वर्षों के वित्तीय विवरण भी निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण SICCI को बीमा पॉलिसी जारी करने से निलंबित कर दिया गया है। तदनुसार, निवेश के मूल्य में स्थायी कमी का प्रावधान निगमों की लेखा पुस्तकों में किया गया है, इसलिए समेकन से बाहर रखा गया है।

(ड) एलआईसी (लंका) एवं एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए गए निवेश:

- (i) वित्तीय वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही के दौरान, एलआईसी (लंका) लिमिटेड में ₹ 58.33 करोड़ (एलकेआर 2000 मिलियन) का निवेश (पूंजी निवेश) किया गया है, जिससे शेयरधारिता 93.75% से बढ़कर 97.22% हो गई है।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2025-2026 की तीसरी तिमाही के दौरान, एलआईसी एमएफ एएमसी में ₹ 44.00 करोड़ का निवेश (पूंजी निवेश) किया गया है, जिससे शेयरधारिता 44.61% से बढ़कर 49.87% हो गई है।

Sr. No.	Companies where LIC officials are Nominee Director	LIC Direct Stake %		No. of Board Members representing LIC	
		As at March 31,		As at March 31,	
		2026	2025	2026	2025
36.	Simplex Realty Limited*	11.92	11.92	1	1
37.	SIDBI	13.33	13.33	1	1
38.	Specified Undertaking of the Unit Trust of India(SUUTI)***	0	0	1	0
39.	Stockholding Corporation of India Limited*	14.96	14.96	1	1
40.	Tidel Park Limited	6.25	6.25	1	1
41.	Tourism Finance Corpn of India	2.92	2.92	1	1
42.	Vakrangee Limited	4.10	4.41	1	1
43.	Welspun Corporation Ltd.	4.71	4.72	1	1
PSU Banks where LIC Officials are Shareholders Director					
44.	Bank of Maharashtra	6.98	7.10	1	1
45.	Punjab & Sind Bank	1.33	1.33	1	1
46.	State Bank of India	8.70	9.29	1	1

Note:-

1. * Nominee Director was not appointed or appointment under process as on 31.03.2026
2. ** Nominee Director Appointed for Debt exposure.
3. *** (SUUTI) As per directive of GOI, Ministry of finance, Department of Economic Affairs.

- iv. **Where the Corporation has control but no economic benefits are available to the Corporation:** As per the Para 10 of AS 21 where the objective of control over entities is not to obtain economic benefits from their activities, these are not considered for the purpose of preparation of Consolidated financial statements. As the Corporation does not obtain any economic benefits from LIC Golden Jubilee Foundation and Life Insurance Corporation of India Provident Fund Trust hence the same has been excluded from consolidation as per the provisions of Accounting Standard 21 issued by ICAI.
- v. **Where the Corporation has control but there exists long term restriction:** As per para 38 of AS 27, entities that operate under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent should be excluded from consolidation. Saudi Indian Company for Co-operative Insurance (SICCI) or Wafa Insurance is a Saudi Joint Stock Company established on 7th August 2007. LIC of India and Life Insurance Corporation (International) B.S.C.(c), Bahrain currently holds 4.98% share each in SICCI, and the balance is held by New India Assurance Company, others, and the public from the Kingdom of Saudi Arabia. Due to non-viability in its business operations, SICCI is considering financial re-organization as per the local laws and the financial statements for the past several years are also not available with the Corporation. SICCI has been suspended from issuing Insurance policies as it has failed to meet the solvency margin requirements. Accordingly, the provision for permanent diminution in value of investment has been made in the Corporations books of accounts hence excluded from consolidation.

(D) Investments made in LIC (Lanka) Ltd and LIC Mutual Fund AMC Ltd during the F.Y. 2025-26:

- (i) During the 1st quarter of the F.Y.2025-2026, Investment (Capital Infusion) of ₹ 58.33 Crore (LKR 2000 million) is made in LIC (Lanka) Ltd., which has increased the shareholding from 93.75% to 97.22%.
- (ii) During the 3rd quarter of the F.Y.2025-2026, Investment (Capital Infusion) of ₹ 44.00 Crore is made in LIC MF AMC, which has increased the shareholding from 44.61% to 49.87%.

(च) ख्याति / (पूंजीगत आरक्षित):

सहयोगी कंपनियों में निवेश की अग्रणी राशि में शामिल एलआईसीआई द्वारा सहयोगी कंपनियों के अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाली ख्याति / (पूंजीगत आरक्षित) का उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

सहयोगी कंपनी का नाम	गुडविल / (पूंजीगत आरक्षित) 31 मार्च को,	
	2026	2025
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	7.27	7.27
एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.44	0.44
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	(1.56)	(1.56)
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	3400.63	3400.63
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	42.75	23.56

2. आकस्मिक देयताएं (समूह):

(₹ करोड़ में)

अनु.	विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
क.	आंशिक रूप से चुकता निवेश	0.20	727.85
ख.	निगम द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न की गई पॉलिसियों के अलावा अन्य दावों (पॉलिसी से संबंधित दावों के अलावा मुकदमे के तहत दावे सहित)	798.54	736.44
ग.	अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं बकाया	शून्य	शून्य
घ.	निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां/लेटर ऑफ कम्फर्ट	6.59	6.27
ङ.	विवाद में वैधानिक मांगें/दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है (ब्याज और जुर्माना सहित, यदि कोई हो)	14,691.03	24,111.08
च.	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
छ.	अन्य:-		
	मुकदमेबाजी के तहत पॉलिसी संबंधी दावे	671.79	569.83
	कुल	16,168.15	26,151.47

3. पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमान (एल आई सी आई):

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में सहभागी और असहभागी खंड शामिल हैं, जिन्हें आगे असंबद्ध और संबद्ध व्यवसाय में वर्गीकृत किया गया है। भाग लेने वाले खंड में असंबद्ध व्यक्तिगत आश्वासन, वार्षिकी और पेंशन योजनाएं शामिल हैं। गैर-भागीदारी खंड में व्यक्तिगत और समूह व्यवसाय के तहत असंबद्ध और संबद्ध दोनों व्यवसाय शामिल हैं। गैर-भागीदार व्यक्तिगत व्यवसाय में असंबद्ध व्यवसाय के तहत आश्वासन, वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और परिवर्तनीय बीमा योजनाएं (वीआईपी) और संबद्ध व्यवसाय के तहत आश्वासन, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाएं शामिल हैं। असहभागी समूह व्यवसाय में असंबद्ध प्लेटफॉर्म के तहत वार्षिकी, सुपरएन्युएशन (वीआईपी सहित) और अन्य योजनाएं, और सुपरएन्युएशन संबद्ध योजनाएं शामिल हैं। पोर्टफोलियो में टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जैसे राइडर भी शामिल हैं।

नीति देनदारियों का निर्धारण ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, खर्च, मुद्रास्फीति और बोनस जहां लागू हो, के लिए मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। सर्वोत्तम अनुमान धारणाएं पिछले अनुभव विश्लेषण और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। मूल्यांकन की धारणाएं लागू विनियमों और बीमांकन अभ्यास मानकों के अनुसार सर्वोत्तम अनुमान धारणाओं पर मार्जिन को ध्यान में रखते हुए प्राप्त की जाती हैं।

उपयोग की जाने वाली ब्याज दरों का मूल्यांकन व्यवसाय की रेखा के अनुसार भिन्न होता है और यह 5.65% प्रति वर्ष से लेकर 7.38% प्रति वर्ष तक होता है, जो अंतर्निहित संपत्तियों और देनदारियों की प्रकृति और अवधि पर निर्भर करता है। बोनस दर की धारणाएं ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप होती हैं।

(E) Goodwill/ (Capital Reserve):

Goodwill/ (Capital Reserve) arising on acquisition of the associate companies by LICI included in the carrying amount of investment in associate companies is mentioned below:

(₹ in Crore)

Name of the Associate Companies	Goodwill/ (Capital Reserve) as at March 31,	
	2026	2025
LIC Housing Finance Ltd.	7.27	7.27
LICHFL Asset Management Company Ltd.	0.44	0.44
IDBI Trusteeship Services Ltd.	(1.56)	(1.56)
IDBI Bank Limited	3400.63	3400.63
LIC Mutual Fund AMC	42.75	23.56

2. Contingent Liabilities: (Group)

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
a.	Partly paid-up investments	0.20	727.85
b.	Claims, other than against policies not acknowledged as Debts by the Corporation (including claim under litigation other than policy related claims)	798.54	736.44
c.	Underwriting commitments outstanding	Nil	Nil
d.	Guarantees/letter of comfort given by or on behalf of the Corporation	6.59	6.27
e.	Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for (including interest & penalty, if any)	14,691.03	24,111.08
f.	Reinsurance obligations to the extent not provided for	Nil	Nil
g.	Others:-		
	Policy related claims under litigation	671.79	569.83
	TOTAL	16,168.15	26,151.47

3. Actuarial Assumptions for valuation of Policy liabilities (LICI):

The Corporation's Life Insurance Business consists of Participating and Non-participating segments which are further categorized into Non-linked and Linked business. Participating segment consists of Non-linked Individual Assurance, Annuity and Pension plans. Non-participating segment consists of both Non-linked and Linked business under Individual as well as Group business. The Non-participating Individual business consists of Assurance, Annuity, Pension, Health plans and Variable Insurance Plans (VIP) under Non-linked business and Assurance, Pension and Health plans under Linked business. The Non-participating Group business consists of Annuity, Superannuation (including VIP) and Other plans under Non-linked platform and Superannuation Linked plans. The portfolio also consists of riders such as Term Assurance Rider, Accident Benefit Rider, Accidental Death and Disability Benefit Rider and Premium Waiver Benefit Rider.

The policy liabilities are determined based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses where applicable. The best estimate assumptions are determined based on the past experience analysis and expected future experience. The valuation assumptions are arrived at after factoring in margins on the best estimate assumptions as per the applicable Regulations and Actuarial Practice Standards.

The valuation rates of interest used vary according to the line of business and ranges from 5.65% p.a. to 7.38% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions are aligned to be consistent with the valuation rates of interest.

उपयोग की गई मृत्यु दर की धारणाएं प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत एन्युटेंट्स मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका और रुग्णता धारणाएं क्रिटिकल इलनेस बेस टेबल (सीआईबीटी 93)/पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय मान्यता या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी व्यय के अनुसार है। नवीनीकरण प्रति पॉलिसी व्यय योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति के अनुसार भिन्न होता है। खर्चों में मुद्रास्फीति की भी एक धारणा की जाती है।

भागीदारी पॉलिसियों का मूल्यांकन करते समय, शेयरधारकों को अधिशेष के आवंटन और लागू करों के लिए भी प्रावधान किया जाता है।

राइडर्स से जुड़ी देनदारियों के लिए भी रिज़र्व रखे गए हैं। इसके अलावा, पेड-अप या लैप्स हो चुकी उन पॉलिसियों को रिवाइव/फिर से चालू करने के लिए रिज़र्व का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है जो रिवाइवल के योग्य हैं; साथ ही, अगर ऑफिस नए बिज़नेस के लिए बंद हो जाता है, तो होने वाले अतिरिक्त खर्चों, कोविड, एड्स/एचआईवी, ऐसी मौतों जिनकी जानकारी मिली हो लेकिन रिपोर्ट न की गई हो (आईबीएनआर), बड़ी आपदाओं आदि के लिए भी (जहां लागू हो) प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, संबद्ध प्लान के मामले में, जहां मैच्योरिटी पर गारंटी दी जाती है, वहां ऐसी गारंटी की लागत का हिसाब स्टोकेस्टिक तरीकों का इस्तेमाल करके लगाया गया है। बीमा अकाउंट II के लिए, ब्याज गारंटी की लागत का प्रावधान किया गया है। जिन प्लान में पॉलिसीहोल्डर्स के पास कुछ विकल्प चुनने का अधिकार होता है, उन विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चीले विकल्प को आधार बनाया गया है।

4. भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार (एल आई सी आई):

अ) स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 2,952.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,548.52 करोड़)।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	लागत	बाजार मूल्य	लागत	बाजार मूल्य
(i) भारत में जारी				
ट्रेप्स और प्रतिभूति खंड के अंतर्गत सीसीआईएल और कस्टोडियन को संपार्श्विक				
आरबीआई एसएलओसी प्रतिभूति जमा	1,002.38	1,002.38	1,003.48	1,003.48
सीसीआईएल एसजीएफ- प्रतिभूति खंड	180.61	180.61	624.99	624.99
ट्रेप्स खंड	191.22	191.22	191.34	191.34
प्रतिभूति खंड के तहत डिफॉल्ट फंड	23.60	23.60	13.35	13.35
डिफॉल्ट फंड ट्रेप्स सेगमेंट	24.22	24.22	34.11	34.11
इकिटी अभिरक्षक के साथ सीजीएस	1,506.38	1,506.38	1,616.29	1,616.29
नकद	23.61	23.61	64.96	64.96
बैंक गारंटी के एवज में सावधि जमा	-	-	-	-
(ii) भारत के बाहर जारी किया	-	-	-	-
कुल	2,952.03	2,952.03	3,548.52	3,548.52

The mortality assumptions used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitants Mortality (2012-15) Ultimate Table and Morbidity assumptions are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93) /Reinsurer's incidence rates.

The expense assumptions for valuation are either as a percentage of premiums or as per policy expenses. The renewal per policy expenses vary according to the type of Plan and status of the policy. An assumption for expense inflation is also made.

While valuing Participating policies, allowance is also made for allocation of surplus to shareholders and for applicable taxes.

Reserves have also been provided for liability in respect of Riders. Additional provisions are made for reserves for revival/ reinstatement of paid up or lapsed policies eligible for revival, , additional expenses that may be incurred in case the office is closed for new business, COVID, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), Catastrophe etc. where applicable. Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided for. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options.

4. Encumbrances to assets of the Corporation in and outside India (LIC):

- a) The assets of the Corporation are free from any encumbrances except, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with (SLOC/CCIL) and Custodians: ₹ 2,952.03 crore(Previous year ₹ 3,548.52 crore).

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Cost	Market value	Cost	Market value
(i) Issued in India				
Collateral to CCIL& Custodian under TREPS & Securities segment				
RBI SLOC Securities Deposit	1,002.38	1,002.38	1,003.48	1,003.48
CCIL SGF- Securities Segment	180.61	180.61	624.99	624.99
TREPS Segment	191.22	191.22	191.34	191.34
Default Fund under Securities segment	23.60	23.60	13.35	13.35
Default Fund TREPS Segment	24.22	24.22	34.11	34.11
CGS with Equity Custodians	1,506.38	1,506.38	1,616.29	1,616.29
Cash	23.61	23.61	64.96	64.96
Fixed Deposit against Bank Guarantee	-	-	-	-
(ii) Issued Outside India	-	-	-	-
Total	2,952.03	2,952.03	3,548.52	3,548.52

ब) फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट व्यापार दायित्वों के प्रति मार्जिन के रूप में जमा की गई/(प्राप्त) नकद राशि:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
(i) बैंक ऑफ अमेरिका	227.42	(5.30)
(ii) एचएसबीसी इंडिया	9.51	-
(iii) जेपी मॉर्गन चेस बैंक	294.29	-
(iv) कोटक महिंद्रा बैंक	161.67	-
(v) सिटी बैंक	25.90	-
(vi) भारतीय स्टेट बैंक	47.67	-
कुल	766.46	(5.30)

5. ऋण, निवेश और स्थायी परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया निम्नानुसार हैं (समूह):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
वेंचर कैपिटल / एआईएफ	1,070.28	1,611.45
बॉन्ड और डिबेंचर	4,200.00	5,700.00
अचल संपत्तियां	960.27	972.28

6. दावा (एल आई सी आई)

तुलन पत्र की तारीख तक, वे दावे जिनका निपटारा हो चुका है, लेकिन छह महीने से अधिक समय से जिनका भुगतान बकाया है

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	दावों की संख्या*	राशि (करोड़ रुपये में)	दावों की संख्या*	राशि (करोड़ रुपये में)
मृत्यु दावे	1,910	28.66	709	13.57
परिपक्वता दावे	1,12,220	2,561.93	4,22,156	2,239.49

*पी एंड जीएस व्यवसाय के लिए दावों के डेटा की संख्या उपलब्ध नहीं है। दावों की राशि में पी एंड जीएस डेटा शामिल है।

7. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य (एल आई सी आई):

निवेश अनुबंधों का मूल्य जहां निपटान या वितरण लंबित है, वह इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक			31.03.2025 तक		
	शेयरधारकों	पॉलिसी धारकों		शेयरधारकों	पॉलिसी धारकों	
		असंबद्ध	संबद्ध		असंबद्ध	संबद्ध
ऐसी खरीदारी जिनकी डिलीवरी पेंडिंग है	39.31	733.28	67.76	0.00	1,478.70	73.35
बिक्री जहाँ रसीदें बकाया हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिक्री जहाँ रसीदें लंबित हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00

b) Cash deposited/(received) as margin towards Forward Rate Agreement trade obligations:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
(i) Bank of America	227.42	(5.30)
(ii) HSBC India	9.51	-
(iii) JP Morgan Chase Bank	294.29	-
(iv) Kotak Mahindra Bank	161.67	-
(v) Citi Bank	25.90	-
(vi) State Bank of India	47.67	-
Total	766.46	(5.30)

5. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows(Group):

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Venture Capital / AIFs	1,070.28	1,611.45
Bonds and Debentures	4,200.00	5,700.00
Fixed Assets	960.27	972.28

6. Claims (LIC)

The claims settled and remaining unpaid for a period of more than six months, as on the Balance Sheet date

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Number of Claims*	Amount (₹ in Crore)	Number of Claims*	Amount (₹ in Crore)
Claims by Death	1,910	28.66	709	13.57
Claims by Maturity	1,12,220	2,561.93	4,22,156	2,239.49

*Number of claims data is not available for P & GS business. Amount of claims includes P & GS data.

7. Value of contracts in relation to Investments (LIC):

Value of Investment contracts where settlement or delivery is pending is as follows:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026			As at 31.03.2025		
	Shareholders	Policy holders		Shareholders	Policy holders	
		Non Linked	Linked		Non Linked	Linked
Purchases where deliveries are pending	39.31	733.28	67.76	0.00	1,478.70	73.35
Sales where receipts are overdue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sales where receipts are pending	0.00	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00

8. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना का विवरण (एल आई सी आई):

(₹ करोड़ में)

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक (केएमपी) का नाम	वेतन और भत्ते	पीएलएलआई	अन्य लाभ और सुविधाएँ	पेंशन में निगम की हिस्सेदारी	कुल पारिश्रमिक, जिसमें सुविधाओं पर टैक्स शामिल नहीं है	अनुलाभों पर कर	कुल पारिश्रमिक, जिसमें सुविधाओं पर टैक्स शामिल है
निदेशकों							
श्री आर दुरैस्वामि	0.64 (0.48)	0.41 (0.22)	0.14 (0.14)	0.03 (0.04)	1.23 (0.88)	0.04 (0.04)	1.27 (0.92)
श्री सिद्धार्थ मोहंती*	0.12 (0.42)	0.41 (0.39)	0.06 (0.18)	0.01 (0.03)	0.59 (1.02)	0.02 (0.05)	0.61 (1.07)
श्री सतपाल भानु*	0.52 (0.49)	0.41 (0.26)	0.12 (0.12)	0.03 (0.04)	1.07 (0.91)	0.04 (0.04)	1.11 (0.95)
श्री दिनेश पंत	0.60 (1.28)	0.02 (0.01)	0.21 (0.19)	0.03 (0.07)	0.86 (1.54)	0.07 (0.05)	0.93 (1.60)
श्री रत्नाकर पटनायक	0.51 (0.64)	0.02 (0.01)	0.13 (0.13)	0.03 (0.06)	0.70 (0.84)	0.04 (0.06)	0.74 (0.90)
श्री रामकृष्णन चंदर	0.44 (0.00)	0.02 (0.00)	0.11 (0.00)	0.03 (0.00)	0.60 (0.00)	0.03 (0.00)	0.63 (0.00)
श्री जगन्नाथ एम.*	0.12 (0.47)	0.41 (0.36)	0.04 (0.10)	0.00 (0.04)	0.58 (0.97)	0.01 (0.03)	0.59 (1.00)
श्री तबलेश पांडे*	0.12 (0.48)	0.41 (0.36)	0.04 (0.14)	0.00 (0.04)	0.58 (1.02)	0.01 (0.04)	0.59 (1.06)
*वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त							
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक (केएमपी)							
श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	0.55 (0.63)	0.02 (0.01)	0.14 (0.12)	0.04 (0.07)	0.76 (0.82)	0.04 (0.03)	0.80 (0.86)
श्री सुनील अग्रवाल	1.09 (1.08)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.06 (0.00)	1.15 (1.08)	0.00 (0.00)	1.15 (1.08)
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	0.74 (0.00)	0.02 (0.00)	0.19 (0.00)	0.03 (0.00)	0.98 (0.00)	0.06 (0.00)	1.03 (0.00)
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	0.50 (0.02)	0.02 (0.00)	0.12 (0.01)	0.04 (0.00)	0.67 (0.03)	0.04 (0.00)	0.71 (0.04)
श्री अरिंदम दास गुप्ता	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.01 (0.00)	0.01 (0.00)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.00)
श्री रविंद्रनाथ सुधाकर*	0.15 (0.64)	0.02 (0.01)	0.08 (0.15)	0.02 (0.07)	0.28 (0.87)	0.02 (0.04)	0.30 (0.91)
श्रीमती बेला पॉल*	0.05 (0.58)	0.00 (0.01)	0.01 (0.09)	0.00 (0.06)	0.06 (0.73)	0.00 (0.02)	0.06 (0.76)
श्री अंशुल कुमार सिंह	0.32 (0.30)	0.01 (0.00)	0.03 (0.04)	0.02 (0.02)	0.38 (0.37)	0.01 (0.01)	0.39 (0.38)
*वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त							
कुल	6.64 (7.50)	2.22 (1.63)	1.43 (1.42)	0.38 (0.52)	10.67 (11.08)	0.44 (0.43)	11.11 (11.52)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

8. Computation of Managerial Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel are (LIC):

(₹ in Crore)

Name of the Directors and KMP	Salaries & Allowances	PLLI	Other benefits & perquisites	CC to Pension	Total Remuneration excl tax on perquisites	Tax on Perquisites	Total Remuneration incl tax on perquisites
DIRECTORS							
Shri R. Doraiswamy	0.64 (0.48)	0.41 (0.22)	0.14 (0.14)	0.03 (0.04)	1.23 (0.88)	0.04 (0.04)	1.27 (0.92)
Shri Siddharth Mohanty*	0.12 (0.42)	0.41 (0.39)	0.06 (0.18)	0.01 (0.03)	0.59 (1.02)	0.02 (0.05)	0.61 (1.07)
Shri Sat Pal Bhanoo*	0.52 (0.49)	0.41 (0.26)	0.12 (0.12)	0.03 (0.04)	1.07 (0.91)	0.04 (0.04)	1.11 (0.95)
Shri Dinesh Pant	0.60 (1.28)	0.02 (0.01)	0.21 (0.19)	0.03 (0.07)	0.86 (1.54)	0.07 (0.05)	0.93 (1.60)
Shri Ratnakar Patnaik	0.51 (0.64)	0.02 (0.01)	0.13 (0.13)	0.03 (0.06)	0.70 (0.84)	0.04 (0.06)	0.74 (0.90)
Shri Ramakrishnan Chander	0.44 (0.00)	0.02 (0.00)	0.11 (0.00)	0.03 (0.00)	0.60 (0.00)	0.03 (0.00)	0.63 (0.00)
Shri Jagannath M.*	0.12 (0.47)	0.41 (0.36)	0.04 (0.10)	0.00 (0.04)	0.58 (0.97)	0.01 (0.03)	0.59 (1.00)
Shri Tablesh Pandey*	0.12 (0.48)	0.41 (0.36)	0.04 (0.14)	0.00 (0.04)	0.58 (1.02)	0.01 (0.04)	0.59 (1.06)
*Superannuated during the Financial Year							
KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP'S)							
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	0.55 (0.63)	0.02 (0.01)	0.14 (0.12)	0.04 (0.07)	0.76 (0.82)	0.04 (0.03)	0.80 (0.86)
Shri Sunil Agrawal	1.09 (1.08)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.06 (0.00)	1.15 (1.08)	0.00 (0.00)	1.15 (1.08)
Shri Ajay Kumar Srivastava	0.74 (0.00)	0.02 (0.00)	0.19 (0.00)	0.03 (0.00)	0.98 (0.00)	0.06 (0.00)	1.03 (0.00)
Shri Shatmanyu Shrivastava	0.50 (0.02)	0.02 (0.00)	0.12 (0.01)	0.04 (0.00)	0.67 (0.03)	0.04 (0.00)	0.71 (0.04)
Shri Arindam Das Gupta	0.16 (0.00)	0.00 (0.00)	0.01 (0.00)	0.01 (0.00)	0.18 (0.00)	0.00 (0.00)	0.18 (0.00)
Shri Ravindranath Sudhakar*	0.15 (0.64)	0.02 (0.01)	0.08 (0.15)	0.02 (0.07)	0.28 (0.87)	0.02 (0.04)	0.30 (0.91)
Ms. Bella Paul*	0.05 (0.58)	0.00 (0.01)	0.01 (0.09)	0.00 (0.06)	0.06 (0.73)	0.00 (0.02)	0.06 (0.76)
Shri Anshul Kumar Singh	0.32 (0.30)	0.01 (0.00)	0.03 (0.04)	0.02 (0.02)	0.38 (0.37)	0.01 (0.01)	0.39 (0.38)
*Superannuated during the Financial Year							
TOTAL	6.64 (7.50)	2.22 (1.63)	1.43 (1.42)	0.38 (0.52)	10.67 (11.08)	0.44 (0.43)	11.11 (11.52)

Previous year figures are shown in bracket ().

9. उचित मूल्य आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है (एल आई सी आई):

अ. उन निवेशों की ऐतिहासिक लागत जिनका रिपोर्ट मूल्य उचित मूल्य पर आधारित है, नीचे दिया गया है:

भारत के भीतर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत
शेयरधारक निधि	19,657.35	20,554.10	12,265.76	12,501.19
पॉलिसीधारक निधि				
अ) असंबद्ध निवेश				
सहभागी निधि	8,65,892.87	6,64,514.65	8,50,502.82	5,92,255.78
असहभागी निधि (पी एंड जीएस को छोड़कर)	4,21,772.91	1,24,242.29	4,72,418.84	1,11,152.97
असहभागी निधि पी एंड जीएस	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
सीआरएसी बिजनेस	0.00	0.00	0.00	0.00
ब) संबद्ध निवेश	61,895.94	59,066.42	48,790.57	41,437.52
कुल	15,51,391.34	10,46,831.13	15,51,089.62	8,96,582.56

भारत के बाहर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत
शेयरधारक निधि	184.99	182.67	182.68	180.27
पॉलिसीधारक निधि				
अ) असंबद्ध निवेश				
सहभागी निधि	5,577.95	5,543.47	4,739.79	4,728.30
असहभागी निधि (पी एंड जीएस को छोड़कर)	77.50	77.50	69.12	69.12
असहभागी निधि पी एंड जीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
सीआरएसी बिजनेस	0.00	0.00	0.00	0.00
ब) संबद्ध निवेश	74.84	68.68	67.95	53.61
कुल	5,915.28	5,872.32	5,059.54	5,031.30

9. Historical cost of investments valued on fair value basis is given below (LIC):

A. The historical cost of those investments whose reported value is based on fair value is as given below:

Within India

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Reported value	Historical Cost	Reported value	Historical Cost
Shareholders Fund	19,657.35	20,554.10	12,265.76	12,501.19
Policyholders Fund				
A) Non- Linked Investments				
Participating Fund	8,65,892.87	6,64,514.65	8,50,502.82	5,92,255.78
Non-Participating Fund(excluding P&GS)	4,21,772.91	1,24,242.29	4,72,418.84	1,11,152.97
Non-Participating Fund P&GS	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
CRAC Business	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Linked Investments	61,895.94	59,066.42	48,790.57	41,437.52
Total	15,51,391.34	10,46,831.13	15,51,089.62	8,96,582.56

Outside India

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Reported value	Historical Cost	Reported value	Historical Cost
Shareholders Fund	184.99	182.67	182.68	180.27
Policyholders Fund				
A) Non- Linked Investments				
Participating Fund	5,577.95	5,543.47	4,739.79	4,728.30
Non-Participating Fund(excluding P&GS)	77.50	77.50	69.12	69.12
Non-Participating Fund P&GS	0.00	0.00	0.00	0.00
CRAC Business	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Linked Investments	74.84	68.68	67.95	53.61
Total	5,915.28	5,872.32	5,059.54	5,031.30

कुल

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत	रिपोर्ट किया गया मूल्य	ऐतिहासिक लागत
शेयरधारक निधि	19,842.34	20,736.77	12,448.44	12,681.46
पॉलिसीधारक निधि				
अ) असंबद्ध निवेश				
सहभागी निधि	8,71,470.82	6,70,058.12	8,55,242.61	5,96,984.08
असहभागी निधि (पी एंड जीएस को छोड़कर)	4,21,850.41	1,24,319.79	4,72,487.96	1,11,222.09
असहभागी निधि पी एंड जीएस	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
सीआरएसी बिजनेस	0.00	0.00	0.00	0.00
ब) संबद्ध निवेश	61,970.78	59,135.10	48,858.52	41,491.13
कुल	15,57,306.62	10,52,703.45	15,56,149.16	9,01,613.86

ब. गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की ऐतिहासिक लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	असंबद्ध निवेश	संबद्ध निवेश	असंबद्ध निवेश	संबद्ध निवेश
बुक वैल्यू में कमी के लिए प्रावधान घटाकर गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन	1,227.64	-	1,150.77	-
इक्विटी शेयर लिस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं	-	-	-	-

10. फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान (एल आई सी आई):

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को फ्री-लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः 34.47 करोड़ और 29.58 करोड़ अप्रैल 2026 और अप्रैल 2025 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2026 और अप्रैल 2025 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को या उससे पहले पूरी हुई पॉलिसी से संबंधित है।

11. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश (एल आई सी आई)

(₹ करोड़ में)

शाखा	प्रतिभूतियों का प्रकार	बही मूल्य 31.03.2026 तक	बही मूल्य 31.03.2025 तक
मॉरीशस*	बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स्ड डिपॉजिट @ 1.35% और 1.15%	2.01	1.87
फिजी*	एफ़जीआर स्टॉक @12%, 6.50%, 7.23%, 13%, और 5.46%	86.36	74.90
पी एंड जीएस	स्वावलंबन योजना के लिए पीएफ़आरडीए के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा	0.20	0.20

*उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में रखे जाते हैं और समापन विनिमय दर पर परिवर्तित किए जाते हैं।

Total

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Reported value	Historical Cost	Reported value	Historical Cost
Shareholders Fund	19,842.34	20,736.77	12,448.44	12,681.46
Policyholders Fund				
A) Non- Linked Investments				
Participating Fund	8,71,470.82	6,70,058.12	8,55,242.61	5,96,984.08
Non-Participating Fund(excluding P&GS)	4,21,850.41	1,24,319.79	4,72,487.96	1,11,222.09
Non-Participating Fund P&GS	1,82,172.26	1,78,453.67	1,67,111.63	1,39,235.10
CRAC Business	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Linked Investments	61,970.78	59,135.10	48,858.52	41,491.13
Total	15,57,306.62	10,52,703.45	15,56,149.16	9,01,613.86

B. Historical cost of Unlisted Equity shares

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Non linked investments	Linked Investments	Non linked investments	Linked Investments
Unlisted equity shares valued at Book value less provision for diminution	1,227.64	-	1,150.77	-
Equity shares awaiting listing	-	-	-	-

10. Provision for free-look period (LICI):

Provision for free-look period of ₹ 34.47 crores and ₹ 29.58 crores as at year end March 31, 2026 and March 31, 2025 respectively has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2026 and April 2025 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2026 and April 2025 pertained to the policies completed on or before March 31, 2026 and March 31, 2025 respectively.

11. Investments made in accordance with the statutory requirements (LICI)

(₹ in Crore)

Branch	Type of Securities	Book Value As at 31.03.2026	Book Value As at 31.03.2025
Mauritius*	Fixed Deposit with Bank of Baroda @ 1.35% & 1.15%	2.01	1.87
Fiji*	FGR Stock @12%, 6.50%, 7.23%, 13%, and 5.46%	86.36	74.90
P & GS	Fixed Deposit with Union Bank of India as per PFRDA for Swavalambhan Scheme	0.20	0.20

*The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.

12. आय मान्यता के उद्देश्य से निष्पादन/गैर-निष्पादन निवेशों में पृथक्करण (एल आई सी आई):

आय मान्यता के प्रयोजन के लिए ऋण और अग्रिम में निष्पादित/गैर-निष्पादित निवेश में पृथक्करण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक				31.03.2025 तक			
	शेयरधारकों	पॉलिसीधारकों		कुल	शेयरधारकों	पॉलिसीधारकों		कुल
		गैर संबद्ध	संबद्ध			गैर संबद्ध	संबद्ध	
निष्पादित निवेश	4,033.86	5,87,949.17	435.08	5,92,418.11	4,034.64	5,70,100.50	264.37	5,74,399.51
गैर-निष्पादित निवेश	0.00	7,169.37	35.83	7,205.20	56.50	8,328.67	114.22	8,499.39
कुल	4,033.86	5,95,118.54	470.91	5,99,623.31	4,091.14	5,78,429.17	378.59	5,82,898.90

13. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां: ऋण पोर्टफोलियो (एल आई सी आई)

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान आय मान्यता परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, और इसे लाभ और हानि खाते (शेयरधारकों की निधि) और राजस्व खाते (पॉलिसीधारकों की निधि) में मान्यता दी गई है।

शेयरधारकों की निधि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप-मानक	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
हानि संपत्तियाँ	0.00	0.00	56.50	56.50
कुल	0.00	0.00	56.50	56.50
मानक	4,033.86	463.78	4,034.64	463.79
कुल योग	4,033.86	463.78	4,091.14	520.29
सकल एनपीए	0.00		56.50	
शुद्ध एनपीए	0.00		0.00	
सकल एनपीए%	0.00		1.38	
शुद्ध एनपीए%	0.00		0.00	

पॉलिसीधारक की निधि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप-मानक	10.17	6.34	11.92	6.76
संदिग्ध संपत्ति	7.67	7.16	7.56	7.25
हानि संपत्तिया	7,187.36	7,187.36	8,423.41	8,423.41
कुल	7,205.20	7,200.86	8,442.89	8,437.42
मानक	5,88,384.25	2,740.83	5,70,364.87	2,675.52
कुल योग	5,95,589.45	9,941.69	5,78,807.76	11,112.94
सकल एनपीए	7,205.20		8,442.89	
शुद्ध एनपीए	4.34		5.47	

12. Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition (LICI).

Segregation into Performing/Non-performing investments in Loans and Advances for the purpose of Income recognition:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026				As at 31.03.2025			
	Shareholders	Policy holders		Total	Shareholders	Policy holders		Total
		Non Linked	Linked			Non Linked	Linked	
Performing investments	4,033.86	5,87,949.17	435.08	5,92,418.11	4,034.64	5,70,100.50	264.37	5,74,399.51
Non-Performing investments	0.00	7,169.37	35.83	7,205.20	56.50	8,328.67	114.22	8,499.39
Total	4,033.86	5,95,118.54	470.91	5,99,623.31	4,091.14	5,78,429.17	378.59	5,82,898.90

13. Non - Performing Assets: Debt Portfolio (LICI)

Provision for doubtful debts is made in line with the "Guidelines on prudential norms for income recognition Asset classification, provisioning and other related matters in respect of Debt portfolio" as amended from time to time, and has been recognized in the Profit and Loss Account (Shareholders 'Fund) and Revenue Account (Policyholders' Fund).

Shareholders Fund:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Assets	Provision	Assets	Provision
Sub-Standard	0.00	0.00	0.00	0.00
Doubtful Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Loss Assets	0.00	0.00	56.50	56.50
Total	0.00	0.00	56.50	56.50
Standard	4,033.86	463.78	4,034.64	463.79
Grand Total	4,033.86	463.78	4,091.14	520.29
Gross NPA	0.00		56.50	
Net NPA	0.00		0.00	
Gross NPA%	0.00		1.38	
Net NPA%	0.00		0.00	

Policyholders Fund:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Assets	Provision	Assets	Provision
Sub-Standard	10.17	6.34	11.92	6.76
Doubtful Assets	7.67	7.16	7.56	7.25
Loss Assets	7,187.36	7,187.36	8,423.41	8,423.41
Total	7,205.20	7,200.86	8,442.89	8,437.42
Standard	5,88,384.25	2,740.83	5,70,364.87	2,675.52
Grand Total	5,95,589.45	9,941.69	5,78,807.76	11,112.94
Gross NPA	7,205.20		8,442.89	
Net NPA	4.34		5.47	

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
सकल एनपीए%	1.21		1.46	
शुद्ध एनपीए%	0.00		0.00	

14. निवेश की हानि (एल आई सी आई):

असूचीबद्ध /कम कारोबार वाली इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, संबद्ध निवेश के तहत इक्विटी, वेंचर फंड, एआईएफ, असूचीबद्ध आईएनवीआईटी, ऋण और डिबेंचर

“निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान” शीर्षक के तहत राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में हानि के लिए प्रावधान/(निवल) को मान्यता दी गई है और तदनुसार, अनुसूची 8ए (पॉलिसीधारकों के निवेश), अनुसूची 8 (शेयरधारकों के निवेश), 8बी (संबद्ध देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्ति) और अनुसूची 9 (ऋण) के तहत क्रमशः ऐसे कमी के लिए समायोजित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान/(निवल) - लाभ और हानि खाता	110.12	(18.19)
(निवल)/पॉलिसीधारकों के खाते में प्रावधान - तुलन-पत्र अनुसूची 8 (शेयरधारकों के निवेश)	(110.12)	18.19
राजस्व खाते - निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान/(निवल)	(1,495.81)	(2,218.66)
(निवल)/पॉलिसीधारकों के खाते में प्रावधान - तुलन-पत्र - अनुसूची 8 (पॉलिसीधारकों के निवेश) और अनुसूची 9 (ऋण)	1,495.81	2,218.66
संबद्ध निधि राजस्व खाते - निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान/(निवल)	(170.93)	9.14
(निवल)/ संबद्ध निधि में प्रावधान - बैलेंस शीट - अनुसूची 8B (संबद्ध देनदारियों के लिए धारित परिसंपत्तियाँ)	170.93	(9.14)

15. पुनर्संरचना के अधीन परिसंपत्तिया (एल आई सी आई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
पुनर्संरचना के अधीन ऋण परिसंपत्तिया	-	882.84
पुनर्संरचना के अधीन मानक परिसंपत्तिया	-	882.84
पुनर्संरचना के अधीन उपमानक परिसंपत्तिया	-	0.00
पुनर्संरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली परिसंपत्तिया	-	0.00

16. व्यापार क्षेत्र के अनुसार प्रतिशत (एल आई सी आई)

आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर थर्ड पार्टी दायित्व) विनियम, 2024, आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर थर्ड पार्टी दायित्वों पर मास्टर परिपत्र, 2025, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों के लिए प्रावधान करता है:

ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व:

ग्रामीण क्षेत्र	31-03-2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या (जीपी)	14,264	14,719
निगम को दिए गए जीपी में कवर किए गए लोगों की संख्या	2,94,86,865	90,20,281
निगम को दी गई ग्राम पंचायतों में कुल लोगों की संख्या	5,44,75,762	6,51,73,392

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026		As at 31.03.2025	
	Assets	Provision	Assets	Provision
Gross NPA%	1.21		1.46	
Net NPA%	0.00		0.00	

14. Impairment of Investments (LICI):

Unlisted/Thinly traded equity shares, preference shares, equity under affiliated investments, Venture Funds, AIF, Unlisted INVIT. Loans and Debentures

A provision/(reversal) for impairment loss has been recognized in Revenue Account and Profit & Loss Account under the head “Provision for diminution in the value of Investments” and correspondingly, under Schedule 8A (Policyholders' Investments), Schedule 8 (Shareholders 'Investments), 8B (Assets held to cover Linked Liabilities) and Schedule 9 (Loans) respectively have been adjusted for such diminution, the details of which are given below:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Provision/(Reversal) for diminution in the value of Investments-Profit and Loss Account	110.12	(18.19)
(Reversal)/Provision in Policyholders account- Balance Sheet Schedule 8 (Shareholders' Investments)	(110.12)	18.19
Provision/(Reversal) for diminution in the value of Investments-Revenue Account	(1,495.81)	(2,218.66)
(Reversal)/Provision in Policyholders account- Balance Sheet-Schedule8A(Policyholders' Investments) and Schedule 9 (Loans)	1,495.81	2,218.66
Provision/(Reversal) for diminution in the value of Investments-Linked Fund Revenue Account	(170.93)	9.14
(Reversal)/Provision in Linked Fund- Balance Sheet- Schedule 8B (Assets held for Linked liabilities)	170.93	(9.14)

15. Assets Subject to Restructuring (LICI)

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Loan assets subject to restructuring	-	882.84
Standard assets subject to restructuring	-	882.84
Sub Standard assets subject to restructuring	-	0.00
Doubtful & Loss assets subject to restructuring	-	0.00

16. Percentage of business sector-wise (LICI)

The IRDAI(Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024, Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations, 2025 as notified by the IRDAI, provides for the rural and social sector obligations as under:

Rural Sector obligations:

Rural Sector	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
No.of allocated Gram Panchayats (GP)	14,264	14,719
No.of lives covered in GP's allocated to the Corporation	2,94,86,865	90,20,281
Total no. of lives in Gram Panchayats allocated to the Corporation	5,44,75,762	6,51,73,392

सामाजिक क्षेत्र के दायित्व:

सामाजिक क्षेत्र	31-03-2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमाधारक सामाजिक जीवन की संख्या (अ)	5,15,79,246	4,06,41,238
कुल बीमित लोगों की संख्या (ब)	10,20,75,989	9,20,73,612
सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए जीवन का %(अ/ब)	50.53%	44.14%

17. अवधारित और पुनर्बीमा जोखिम (एल आई सी आई):

बरकरार रखे गए जोखिम और पुनर्बीमित जोखिम की सीमा नीचे दी गई है:-

विवरण	31.03.2026 तक		31.03.2025 तक	
	बीमित राशि (करोड़ में)	%	बीमित राशि (करोड़ में)	%
व्यक्तिगत व्यवसाय				
जोखिम बरकरार	1,02,37,735.17	96.37%	1,00,69,433.43	96.51%
जोखिम पुनर्बीमित	3,85,093.98	3.63%	3,64,361.19	3.49%
समूह व्यवसाय				
जोखिम बरकरार	26,21,902.70	94.00%	24,81,693.06	92.76%
जोखिम पुनर्बीमित	1,67,484.96	6.00%	1,93,792.46	7.24%
कुल				
जोखिम बरकरार	1,28,59,637.87	95.88%	1,25,51,126.49	95.74%
जोखिम पुनर्बीमित	5,52,578.94	4.12%	5,58,153.65	4.26%

18. डेरिवेटिव अनुबंध (एल आई सी आई):

निगम गारंटीकृत उत्पाद प्रदान करता है जिसमें पॉलिसीधारकों को भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रीमियम के लिए निश्चित दर की रिटर्न का आश्वासन दिया जाता है। ये प्रीमियम लंबी अवधि में प्राप्त होने की संभावना है और गारंटीकृत रिटर्न की दर पॉलिसी अवधि की शुरुआत में तय की जाती है। ब्याज दरों में किसी भी गिरावट का मतलब होगा कि निगम के प्रत्येक वृद्धिशील निवेश पर कम दर का रिटर्न मिलेगा। तदनुसार, निगम आईआरडीएआई के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफ एंड आई/आईअनवी/सीआईआर/138/06/2014 दिनांक 11 जून, 2014 ('आईआरडीएआई परिपत्र ब्याज दर डेरिवेटिव पर') और बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र 2024 दिनांक 17 मई 2024 के अनुसार ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करता है जो बीमाकर्ताओं को रुपये ब्याज दर डेरिवेटिव जैसे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स ('एफआरए'), ब्याज दर स्वैप ('आईआरएस') और एक्सचेंज ट्रेडेड इंटेरेस्ट रेट फ्यूचर्स ('आईआरएफ') में सौदा करने की अनुमति देता है।

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जो ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए बचाव रणनीति को प्रमाणित करने हेतु किए गए व्युत्पन्न लेनदेन के कामकाज पर लागू विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिससे बाजार ब्याज दरों में भिन्नता के कारण भविष्य के निश्चित आय निवेश से रिटर्न की अस्थिरता का प्रबंधन किया जा सके।

वर्ष के दौरान निगम ने अग्रिम दर समझौते (एफआरए) लेनदेन किए हैं, जो निगम के बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रतिरक्षा रणनीति का हिस्सा है, ताकि ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर आईआरडीएआई परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता को हेज किया जा सके।

फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) लेनदेन हैं, जिसमें निगम एक निश्चित भविष्य की तारीख पर सरकारी बांड पर एक निश्चित मूल्य पर लॉक-इन करता है, जिसका उद्देश्य भविष्य की तारीख पर ब्याज-धारक सुरक्षा की कीमत को लॉक करना है।

डेरिवेटिव (एफआरए) को निगम द्वारा केवल निम्नलिखित पूर्वानुमानित लेनदेन के कारण ब्याज दर जोखिमों को हेज करने के उद्देश्य से किया जाता है: अ) मौजूदा निश्चित आय निवेश की परिपक्वता आय का पुनर्निवेश। ब) प्राप्य ब्याज आय का निवेश; और (स) बीमा अनुबंधों पर प्राप्य अपेक्षित पॉलिसी प्रीमियम आय जो पहले से ही जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में लिखित हैं।

Social Sector obligations (LICI):

Social Sector	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
No. of inforce social lives insured (A)	5,15,79,246	4,06,41,238
Total no. of inforce lives insured (B)	10,20,75,989	9,20,73,612
% of lives covered under Social Sector (A/B)	50.53%	44.14%

17. Risk Retained and Re-Insured (LICI):

The extent of risk retained and risk reinsured is given below:-

Particulars	As at March 31, 2026		As at March 31, 2025	
	Sum Assured (Amt. in crores)	%	Sum Assured (Amt. in crores)	%
Individual Business				
Risk Retained	1,02,37,735.17	96.37%	1,00,69,433.43	96.51
Risk Reinsured	3,85,093.98	3.63%	3,64,361.19	3.49
Group Business				
Risk Retained	26,21,902.70	94%	24,81,693.06	92.76
Risk Reinsured	1,67,484.96	6%	1,93,792.46	7.24
Total				
Risk Retained	1,28,59,637.87	95.88%	1,25,51,126.49	95.74
Risk Reinsured	5,52,578.94	4.12%	5,58,153.65	4.26

18. Derivative Contracts (LICI):

The Corporation offers guaranteed products wherein the policyholders are assured of a fixed rate of return for premiums to be received in future. These premiums are likely to be received over a longer tenure and the guaranteed rate of return is fixed at the beginning of the policy term. Any fall in interest rates would mean that each incremental investment of the Corporation would earn a lower rate of return. Accordingly, the Corporation manages the Interest Rate Risk in accordance with the IRDAI circular no. IRDA/F&I/INV/CIR/138/06/2014 dated 11 June, 2014 ('the IRDAI Circular on Interest Rate Derivatives') and Master circular on Actuarial, Finance and investment functions of insurers 2024 dated 17th May 2024 which allows insurers to deal in rupee interest rate derivatives such as Forward Rate Agreements ("FRAs"), Interest Rate Swaps ("IRS") and Exchange Traded Interest Rate Futures ("IRF").

The Corporation has in place a derivative policy approved by Board which covers various aspects that apply to the functioning of the derivative transactions undertaken to substantiate the hedge strategy to mitigate the interest rate risk, thereby managing the volatility of returns from future fixed income investment, due to variations in market interest rates.

During the year the Corporation has entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions, as part of Corporation's Board approved Hedging strategy, to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives.

Forward Rate Agreement derivative contracts are over-the counter (OTC) transactions wherein, the Corporation lock-in the yield on the government bond at a specified future date at a price decided at the time of the FRA contract with an objective to lock in the price of an interest bearing security at a future date.

Derivatives (FRA) are undertaken by Corporation solely for the purpose of hedging interest rate risks on account of following forecasted transactions: a) Reinvestment of maturity proceeds of existing fixed income investments. b) Investment of interest income receivable; and c) Expected policy premium income receivable on insurance contracts which are already underwritten in Life, Pension & Annuity business.

अ. बकाया डेरिवेटिव संविदाओं का स्वरूप और शर्तें

I. वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/अप्रैल/2064	1,190.00	1,160.00
6.90% जीओआई 150465	5,770.00	-
7.09% जीओआई 050854	2,076.00	-
7.09% जीओआई 251174	6,642.00	-
7.25% जीओआई 120663	525.00	-
7.43% जीओआई 190176	1,500.00	-
कुल	17,703.00	1,160.00

II. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव का कुल प्रतीकात्मक जोखिम (लिखत के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/अप्रैल/2064	2,065.00	1,040.00
6.90% जीओआई 150465	5,770.00	-
7.09% जीओआई 050854	1,561.00	-
7.09% जीओआई 251174	5,457.00	-
7.25% जीओआई 120663	525.00	-
7.43% जीओआई 190176	1,500.00	-
कुल	16,878.00	1,040.00

III. ब्याज दर डेरिवेटिव का काल्पनिक मूलधन और मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया है तथा 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
अग्रिम दर समझौतों (एफआरए) की अनुमानित मूल राशि बकाया है और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है।	-	-
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए) का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और तुलन पत्र तिथि के अनुसार 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं.	-	-
कुल	-	-

IV. वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव अनुबंधों के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहेंगे।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
वह हानि जो तब होगी जब प्रतिपक्ष बकाया ब्याज दर व्युत्पन्न अनुबंधों (फॉरवर्ड दर समझौते) के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहेंगे*	-	9.08
कुल	-	9.08

*एफआरए प्रतिपक्षियों की सकारात्मक / अनुकूल एमटीएम स्थिति का सकल आधार पर प्रकटन किया गया है। प्रतिपक्षी जोखिम को कम करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) में सहमति के अनुसार प्रतिपक्षियों से मार्जिन धन एकत्र किया जाता है।

A. Nature and term of outstanding derivative contract

I. Total notional exposure of Interest Rate Derivative undertaken during the year (instrument-wise).

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	1,190.00	1,160.00
6.90%GOI150465	5,770.00	-
7.09%GOI050854	2,076.00	-
7.09%GOI251174	6,642.00	-
7.25%GOI120663	525.00	-
7.43%GOI190176	1,500.00	-
Total	17,703.00	1,160.00

II. Total notional exposure of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet Date (Instrument-wise).

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	2,065.00	1,040.00
6.90%GOI150465	5,770.00	-
7.09%GOI050854	1,561.00	-
7.09%GOI251174	5,457.00	-
7.25%GOI120663	525.00	-
7.43%GOI190176	1,500.00	-
Total	16,878.00	1,040.00

III. Notional Principal and mark-to-market value of Interest Rate Derivative outstanding and not 'highly effective'.

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Notional principal amount of Forward Rate Agreements (FRA) outstanding and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	-	-
Mark-to-market value of Forward Rate Agreement (FRA) and not 'highly effective' as at Balance Sheet date.	-	-
Total	-	-

IV. Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts.

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Loss which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligation under the outstanding Interest Rate Derivative contracts (Forward rate agreement)*	-	9.08
Total	-	9.08

* Positive/Favourable MTM position of FRA counterparties has been disclosed on gross basis. Margin money is collected from counterparties as agreed in Credit Support Annex (CSA) to reduce above counterparty risk.

V. तुलन पत्र की तिथि पर बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में उचित मूल्य मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) लाभ या (हानि) नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए)		
7.34% भारत सरकार 22/अप्रैल/2064	97.07	(9.08)
7.09% जीओआई 050854	102.88	-
7.09% जीओआई 251174	421.88	-
6.90% जीओआई 150465	90.73	-
7.25% जीओआई 120663	1.90	-
7.43% जीओआई 190176	17.12	-
कुल	731.58	(9.08)

VI. प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व में संचलन

(₹ करोड़ में)

प्रतिरक्षा उतार-चढ़ाव रिजर्व खाता	31 मार्च, 2026 तक			31 मार्च, 2025 तक		
	प्राप्त*	अप्राप्त**	कुल	प्राप्त	अप्राप्त	कुल
वर्ष के प्रारंभ में शेष	0.37	10.25	10.62	0	0	0
जोड़ें: वर्ष के दौरान फेयर वैल्यू में परिवर्तन	(116.77)	(741.83)	(858.60)	0.37	10.25	10.62
घटाएं: राजस्व/लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत राशियाँ खाता 'ब्याज, लाभांश और किराया-सकल' में शामिल है	(0.77)	0.00	(0.77)	(0.0007)	0	(0.0007)
वर्ष के अंत में शेष राशि	(115.63)	(731.58)	(847.21)	0.37	10.25	10.62

*प्राप्त = तय सौदे

**अप्राप्त = अनसुलझे सौदे

27.94 करोड़ रुपये की राशि (पिछले वर्ष 1.25 करोड़ रुपये) समेकित राजस्व खाते में पहचानी गई थी, जो हेज लेखांकन के आधार पर निर्धारित नुकसान का हिस्सा थी।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान हेज फ्लोक्चुरेशन रिजर्व खाते से निकाली गई राशि, जिसका पूर्वानुमानित लेनदेन के संबंध में हेज लेखांकन पहले उपयोग किया गया था, लेकिन अब होने की उम्मीद नहीं है, शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)। हेज से नकदी प्रवाह अंतर्निहित नीति देनदारियों की बकाया अवधि में होने की उम्मीद है और तदनुसार राजस्व खाते में प्रवाहित होगा।

ब. निश्चित आय डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर गुणात्मक प्रकटीकरण:

व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं का अवलोकन:

क) निश्चित आय डेरिवेटिव्स प्रतिरक्षा लिखत

डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें होती हैं जिनकी विशेषताएं अंतर्निहित परिसंपत्तियों, या ब्याज और विनिमय दरों या सूचकांकों से प्राप्त होती हैं। इनमें फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ब्याज दर स्वेप और ब्याज दर वायदा शामिल हैं।

निगम ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में ब्याज दर डेरिवेटिव्स पर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के परिपत्र द्वारा अनुमत अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित लेनदेन के लिए ब्याज दर संवेदनशीलता की प्रतिरक्षा करने के लिए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स (एफआरए) लेनदेन में प्रवेश किया है। निगम सट्टेबाजी के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न नहीं है।

V. The fair value mark to market (MTM) gains or (losses) in respect of Interest Rate Derivative outstanding as at the Balance Sheet date is stated below:

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
Forward Rate Agreement (FRA)		
7.34% GOVERNMENT OF INDIA 22/Apr/2064	97.07	(9.08)
7.09%GOI050854	102.88	-
7.09%GOI251174	421.88	-
6.90%GOI150465	90.73	-
7.25%GOI120663	1.90	-
7.43%GOI190176	17.12	-
Total	731.58	(9.08)

VI. Movement in Hedge Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

Hedge Fluctuation Reserve Account	As at March 31, 2026			As at March 31, 2025		
	Realized*	Unrealized**	Total	Realized	Unrealized	Total
Balance at the beginning of the year	0.37	10.25	10.62	0	0	0
Add : Change in fair value during the year	(116.77)	(741.83)	(858.60)	0.37	10.25	10.62
Less: Amounts reclassified to Revenue/ Profit & Loss Account included in 'Interest, Dividends & Rent-Gross'	(0.77)	0.00	(0.77)	(0.0007)	0	(0.0007)
Balance at the end of the year	(115.63)	(731.58)	(847.21)	0.37	10.25	10.62

*Realized = Settled Deals

**Unrealized = Unsettled Deals

An amount of ₹ 27.94 crore (Previous year 1.25 crore) was recognised in consolidated Revenue Account being the portion of loss determined basis the hedge accounting.

The amount that was removed from Hedge Fluctuation Reserve account during the year ended 31st March, 2026 in respect of forecasted transaction for which hedge accounting had previously been used but is no longer expected to occur is Nil (Previous year Nil). The cash flows from the hedges are expected to occur over the outstanding tenure of underlying policy liabilities and will accordingly flow to the Revenue Account.

B. Qualitative Disclosures on risk exposure in Fixed Income Derivatives:

Overview of business and processes:

a) Fixed Income Derivative Hedging instruments

Derivatives are financial instruments whose characteristics are derived from the underlying assets, or from interest and exchange rates or indices. These include forward rate agreements, interest rate swaps and interest rate futures.

The Corporation has during the year, as part of its Hedging strategy, entered into Forward Rate Agreements (FRA) transactions to hedge the interest rate sensitivity for highly probable forecasted transactions as permitted by the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives. The Corporation does not engage in derivative transactions for speculative purpose.

ख) डेरिवेटिव नीति / प्रक्रिया और प्रतिरक्षा प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

निगम ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव नीति और प्रक्रिया दस्तावेज को अच्छी तरह से परिभाषित किया है, जिसमें रणनीतिक उद्देश्य, विनियामक और परिचालन रूपरेखा तथा ब्याज दर डेरिवेटिव से जुड़े जोखिम, साथ ही मापन, निगरानी प्रक्रिया और नियंत्रण शामिल हैं। समय-समय पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन और लेखांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लेखांकन नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

निगम ने निवेश निर्णय, व्यापार निष्पादन, निपटान लेखांकन और ब्याज दर व्युत्पन्न जोखिमों की आवधिक रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे की निगरानी की जाती है।

ग) जोखिम पहचान, जोखिम मापन और जोखिम निगरानी का दायरा और प्रकृति:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव और संबंधित नीतियां ब्याज दर डेरिवेटिव में जोखिम के लिए संवेदनशीलता सीमाएं और मूल्य-जोखिम सीमाएं जैसी उचित बाजार सीमाएं निर्धारित करती हैं। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के सभी वित्तीय जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा और मॉनिटर किया जाता है।

घ) अग्रिम दर समझौते में जोखिम एक्सपोजर पर मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रतिरक्षा को तभी प्रभावी माना जाता है, जब इसमें प्रतिरक्षा किए गए मद और प्रतिरक्षा लिखत (एफआरए) के मूल्य में परिवर्तन के बीच उच्च सांख्यिकीय सहसंबंध हो। प्रतिरक्षा की अप्रभावीता से होने वाले लाभ या हानि, यदि कोई हो, को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

प्रतिरक्षा लिखत की अवधि अंतर्निहित प्रतिरक्षा की गई परिसंपत्ति / देयता की अवधि से कम या उसके बराबर हो सकती है।

ब्याज दर डेरिवेटिव – प्रतिपक्षकार का एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
1. प्रति पक्षकार का नाम	- बैंक ऑफ अमेरिका - कोटक महिंद्रा बैंक - जेपी मॉर्गन चेस बैंक - एचएसबीसी बैंक - भारतीय स्टेट बैंक - सिटी बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा - बीएनपी पेरिबास	- बैंक ऑफ अमेरिका - कोटक महिंद्रा बैंक - जेपी मॉर्गन चेस बैंक - एचएसबीसी बैंक
2. प्रतिरक्षा का पदनाम	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा
3. डेरिवेटिव संविदा	फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट	फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट
4. क्रेडिट जोखिम	512.19	40.90
5. ब्याज दर में 1 बीपीएस की वृद्धि पर संभावित प्रभाव		
डेरिवेटिव	(15.97)	(4.39)
संबंधित आस्ति जिसकी प्रतिरक्षा की जा रही हो	15.99	4.39

एफआरए डेरिवेटिव्स के लिए ऋण जोखिम सीमा की गणना वर्तमान जोखिम विधि (सीईएम) का उपयोग करके ऋण समतुल्य राशि के आधार पर की गई है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

सीईएम का उपयोग करके गणना की गई बाजार से संबंधित ऑफ-बैलेंस शीट लेनदेन की क्रेडिट समतुल्य राशि का योग है।

क) वर्तमान ऋण जोखिम (अनुबंध का सकल सकारात्मक बाजार मूल्य) और

b) Derivative policy/process and Hedge effectiveness assessment:

The Corporation has well defined Board approved Derivative Policy and Process document setting out the strategic objectives, regulatory and operational framework and risks associated with interest rate derivatives along with having measurement, monitoring processes and controls thereof. The accounting policy has been clearly laid out for ensuring a process of periodic effectiveness assessment and accounting.

The Corporation has clearly identified roles and responsibilities to ensure independence and accountability through the investment decision, trade execution, to settlement accounting and periodic reporting and audit of the Interest Rate Derivative exposures. The risk management framework for the Interest Rate Derivatives are monitored by the Risk management Committee.

c) Scope and nature of risk identification, risk measurement, and risk monitoring:

The Derivative and related Policies as approved by the Board sets appropriate market limits such as sensitivity limits and value-at-risk limits for exposures in Interest rate derivatives. All financial risks of the derivative portfolio are measured and monitored on periodic basis.

d) Quantitative disclosure on risk exposure in Forward Rate Agreement

A hedge is deemed effective, if it has a high statistical correlation between the change in value of the hedged item and the hedging instrument (FRA). Gains or losses arising from hedge ineffectiveness, if any, are recognised in the Revenue Account.

The tenure of the hedging instrument may be less than or equal to the tenure of underlying hedged asset/liability.

Interest Rate Derivative - Counterparty exposure

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31, 2026	As at March 31, 2025
1. Name of the counterparty	1. Bank of America	1. Bank of America
	2. Kotak Mahindra Bank	2. Kotak Mahindra Bank
	3. JP Morgan Chase Bank	3. JP Morgan Chase Bank
	4. HSBC Bank	4. HSBC Bank
	5. State Bank of India	
	6. Citi Bank	
	7. Bank of Baroda	
	8. BNP Paribas	
2. Hedge Designation	Cash flow Hedge	Cash flow Hedge
3. Derivative Contract	Forward Rate Agreement	Forward Rate Agreement
4. Credit Exposure	512.19	40.90
5. Likely impact of 1 bps increase in interest rate		
Derivative	(15.97)	(4.39)
Underlying being hedged	15.99	4.39

The credit exposure limit for FRA derivatives has been calculated on the basis of Credit Equivalent Amount using the Current Exposure Method (CEM) as detailed below:

The Credit Equivalent Amount of a market related off-balance sheet transaction calculated using the CEM is the sum of

- a) The current credit exposure (gross positive mark to market value of the contract): and

ख) संभावित भावी ऋण जोखिम, जो बकाया अनुबंध में अनुमानित मूल राशि का एक उत्पाद है और एक कारक जो ब्याज दर व्युत्पन्न पर भारतीय बीमा परिपत्र के तहत निर्धारित अनिवार्य ऋण रूपांतरण कारकों पर आधारित है, जो अनुबंध की शेष परिपक्वता पर लागू होता है।

19. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) “कर्मचारी लाभ” के अनुसार कर्मचारी लाभों का विवरण नीचे दिया गया है (एल आई सी आई):

क) 31.03.2026 तक के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणना:

दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर	8.082%	8.15%
वेतन वृद्धि	6%	6%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.12	11.37
		(₹ करोड़ में)
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,843.03	15,745.77
ब्याज लागत	1,227.83	1,220.30
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	659.75	683.59
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(1,974.59)	(2,629.21)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	(687.17)	822.59
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,068.86	15,843.03
III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,843.03	15,745.77
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1,227.83	1,220.30
योगदान	0.00	1,490.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,974.59)	(2,629.21)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(27.41)	16.18
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,068.86	15,843.03
IV बीमांकिक लाभ/हानि		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	(687.17)	(822.59)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	(27.41)	(16.18)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	(659.75)	806.41
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	(659.75)	806.41
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00

- b) Potential future credit exposure which is a product of the notional principal amount across the outstanding contract and a factor that is based on the mandated credit conversion factors as prescribed under the IRDAI circular on Interest Rate Derivatives which is applied on the residual maturity of the contract.

19. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits are given below (LIC):

A) Employees' Gratuity Liability Calculation as at 31.03.2026: -

The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.082%	8.15%
Salary Escalation	6%	6%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.12	11.37
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	15,843.03	15,745.77
Interest Cost	1,227.83	1,220.30
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	659.75	683.59
Curtailement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(1,974.59)	(2,629.21)
Actuarial (gain)/loss on obligations	(687.17)	822.59
Present Value of obligation as at the end of the year	15,068.86	15,843.03
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,843.03	15,745.77
Expected return on Plan Assets	1,227.83	1,220.30
Contributions	0.00	1,490.00
Benefits paid	(1,974.59)	(2,629.21)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(27.41)	16.18
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,068.86	15,843.03
IV Actuarial Gain/Loss		
Actuarial (gain)/loss for the year –Obligation	(687.17)	(822.59)
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	(27.41)	(16.18)
Total (gain)/loss for the year	(659.75)	806.41
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	(659.75)	806.41
Unrecognized actuarial gain/(losses) at the end of year	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए			
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ					
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,068.86	15,843.03			
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,068.86	15,843.03			
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00			
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%			
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00			
VI लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					
वर्तमान सेवा लागत	659.75	683.59			
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00			
ब्याज लागत	1,227.83	1,220.30			
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1,227.83)	(1,220.30)			
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	(659.75)	806.41			
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	(0.00)	1,490.00			
VII योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1,200.42	1,236.47			
VIII निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/ (दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:					
विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	(687.17)	822.59	(69.93)	2,866.69	(603.33)
लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	(27.41)	16.18	22.55	129.10	(205.17)

(₹ in Crore)

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025			
V	The amounts recognised in Balance Sheet					
	Present Value of obligation as at the end of the year	15,068.86	15,843.03			
	Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,068.86	15,843.03			
	Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	0.00	0.00			
	Funded Status	100.00%	100.00%			
	Unrecognized Actuarial gains/(losses) at the end of year	0.00	0.00			
VI	Expense recognised in the Statement of Profit and Loss					
	Current Service Cost	659.75	683.59			
	Past Service Cost	0.00	0.00			
	Interest Cost	1,227.83	1,220.30			
	Expected return on Plan Assets	(1,227.83)	(1,220.30)			
	Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00			
	Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00			
	Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	(659.75)	806.41			
	Expenses recognized in the statement of Profit and Loss	(0.00)	1,490.00			
VII	Actual return on Plan Assets	1,200.42	1,236.47			
VIII	The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/(Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:					
	Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
	Fair value of the plan assets at the end of year	15,068.86	15,843.03	15,745.77	15,311.19	12,195.82
	Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	(687.17)	822.59	(69.93)	2,866.69	(603.33)
	Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	(27.41)	16.18	22.55	129.10	(205.17)

ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्व:

कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धति के तहत मूल्यांकन तिथि तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथि के अनुसार छूट दी जाती है।

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.082%	8.15%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.12	11.37
		(₹ करोड़ में)
II परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,749.56	6,685.48
ब्याज लागत	523.09	518.12
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	97.80	86.90
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,329.52)	(991.45)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,050.27	450.51
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,091.20	6,749.56
III योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,749.56	6,685.48
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	523.09	518.12
योगदान	1,175.00	534.00
भुगतान किए गए लाभ	(1,329.52)	(991.45)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(26.93)	3.41
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7,091.20	6,749.56
IV बीमांकिक लाभ / हानि:-		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	1,050.27	(450.51)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	(26.93)	(3.41)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	1,077.20	447.10
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,077.20	447.10
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ :-		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,091.20	6,749.56
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7,091.20	6,749.56
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00

B) Group Privilege Leave Encashment Liability:

The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I Assumptions:-		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.082%	8.15%
Salary Escalation	6.00%	6.00%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.12	11.37
		(₹ in Crore)
II Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	6,749.56	6,685.48
Interest Cost	523.09	518.12
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	97.80	86.90
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(1,329.52)	(991.45)
Actuarial (gain)/loss on obligations	1,050.27	450.51
Present Value of obligation as at the end of the year	7,091.20	6,749.56
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,749.56	6,685.48
Expected return on Plan Assets	523.09	518.12
Contributions	1,175.00	534.00
Benefits paid	(1,329.52)	(991.45)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(26.93)	3.41
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	7,091.20	6,749.56
IV Actuarial Gain/Loss :-		
Actuarial (gain)/loss for the year –Obligation	1,050.27	(450.51)
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	(26.93)	(3.41)
Total (gain)/loss for the year	1,077.20	447.10
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	1,077.20	447.10
Unrecognized actuarial gain/(losses) at the end of year	0.00	0.00
V The amounts recognised in Balance Sheet:-		
Present Value of obligation as at the end of the year	7,091.20	6,749.56
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	7,091.20	6,749.56
Net Asset/(Liability) recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial gains/(losses) at the end of the year	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

		31.03.2026	31.03.2025			
		तक/को समाप्त वर्ष के लिए	तक/को समाप्त वर्ष के लिए			
VI	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					
	वर्तमान सेवा लागत	97.80	86.90			
	पिछली सेवा लागत	0.00	0.00			
	ब्याज लागत	523.09	518.12			
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(523.09)	(518.12)			
	कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
	निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00			
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,077.20	447.10			
	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,175.00	534.00			
VII	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	496.16	521.54			
VIII	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/(दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:					
	विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अंत में वर्ष का	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
	योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	1,050.27	450.51	510.61	1,116.43	249.67
	लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	(26.93)	3.41	15.01	44.41	(75.30)

ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995-देयता:

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धति जहां मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथि तक की वेतन में होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते हैं। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है।

प्रमुख धारणाएं हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.08%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	5.64	6.07

(₹ in Crore)

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025			
VI	Expense recognized in the Statement of Profit and Loss					
	Current Service Cost	97.80	86.90			
	Past Service Cost	0.00	0.00			
	Interest Cost	523.09	518.12			
	Expected return on Plan Assets	(523.09)	(518.12)			
	Curtailement Cost/ (Credit)	0.00	0.00			
	Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00			
	Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	1,077.20	447.10			
	Expenses recognized in the statement of Profit and Loss	1,175.00	534.00			
VII	Actual Return on Plan Assets	496.16	521.54			
VIII	The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/ (Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:					
	Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
	Fair value of the plan assets at the end of year	7,091.20	6,749.56	6,685.48	6,232.30	5,191.70
	Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	1,050.27	450.51	510.61	1,116.43	249.67
	Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	(26.93)	3.41	15.01	44.41	(75.30)

C) Employees Pension Scheme 1995-Liability:

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) Discount Rate & (2) Salary Increase.

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I	Assumptions:-		
	Discount Rate	7.75%	7.75%
	Rate of increase in Salary (Basic + DA)	6.00%	6.00%
	Rate of Pension increase	5.00%	5.00%
	Rate of return on Plan Assets	8.08%	8.15%
	Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	5.64	6.07

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
II परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
ब्याज लागत	9,975.64	9,498.52
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	5,812.30	5,026.93
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(10,770.34)	(10,156.66)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,111.02	1,787.55
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
III योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,28,717.94	1,22,561.60
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के लिए समायोजन	116.27	0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	9,984.65	9,498.52
योगदान	6,921.17	6,491.85
भुगतान किए गए लाभ	(10,770.34)	(10,156.66)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	876.87	322.63
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
IV बीमांकिक लाभ / हानि		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	2,111.02	1,787.55
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	876.87	322.63
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	1,234.15	1,464.92
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	1,234.15	1,464.92
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI राजस्व/लाभ और हानि खाता विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	5,812.30	5,026.93
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	9,975.64	9,498.52
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(9,984.65)	(9,498.52)
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00

(₹ in Crore)

	For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
II Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
Present Value of Obligation at the beginning of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Interest Cost	9,975.64	9,498.52
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	5,812.30	5,026.93
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(10,770.34)	(10,156.66)
Actuarial (gain)/ loss on obligations	2,111.02	1,787.55
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94
III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
Fair value of Plan assets at beginning of the year	1,28,717.94	1,22,561.60
Adjustment for fair value of Plan assets as the beginning of the year	116.27	0.00
Expected Return on Plan Assets	9,984.65	9,498.52
Contributions	6,921.17	6,491.85
Benefits Paid	(10,770.34)	(10,156.66)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	876.87	322.63
Fair Value of Plan Assets at end of year	1,35,846.56	1,28,717.94
IV Actuarial Gain/Loss :-		
Actuarial (gain)/loss for the year – Obligation	2,111.02	1,787.55
Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	876.87	322.63
Total (gain) / loss for the year	1,234.15	1,464.92
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	1,234.15	1,464.92
Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
V The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet		
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss A/c		
Current Service Cost	5,812.30	5,026.93
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	9,975.64	9,498.52
Expected Return on Plan Assets	(9,984.65)	(9,498.52)
Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	1,234.15	1,464.92
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	7,037.44	6,491.85
VII योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	10,861.52	9,821.15

VIII निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/ (दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:

विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अंत में वर्ष का	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	2,111.02	1,787.55	1,070.91	504.94	1,580.35
लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	876.87	322.63	271.07	85.18	(262.33)

द) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयता:

प्रमुख मान्यताएँ हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएं:-		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर	8.08%	8.15%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	5.61	6.01
		(₹ करोड़ में)
II परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	292.43	270.93
ब्याज लागत	22.66	21.00
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	8.00	12.98
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(20.76)	(18.78)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.20	6.30

(₹ in Crore)

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025			
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year		1,234.15	1,464.92			
Expenses recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss A/c		7,037.44	6,491.85			
VII	Actual return on Plan Assets	10,861.52	9,821.15			
VIII	The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/(Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:					
	Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
	Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
	Fair value of the plan assets at the end of year	1,35,846.56	1,28,717.94	1,22,561.60	1,09,054.83	94,386.86
	Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	2,111.02	1,787.55	1,070.91	504.94	1,580.35
	Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	876.87	322.63	271.07	85.18	(262.33)

D) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:

The principal assumptions are the (1) Discount Rate & (2) Salary Increase.

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
I	Assumptions:-		
	Discount Rate	7.75%	7.75%
	Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
	Rate of pension increase	5.00%	5.00%
	Rate of return on Plan Assets	8.08%	8.15%
	Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	5.61	6.01
			(₹ in Crore)
II	Table showing changes in Present Value of Defined Benefit Obligations:-		
	Present Value of Obligation as at the beginning of the year	292.43	270.93
	Interest Cost	22.66	21.00
	Past Service Cost	0.00	0.00
	Current Service Cost	8.00	12.98
	Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
	Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
	Benefits paid	(20.76)	(18.78)
	Actuarial (gain)/ loss on Obligations	2.20	6.30
	Present Value of Obligation at the end of the year	304.53	292.43

(₹ करोड़ में)

	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	304.53	292.43
III योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		
साल की शुरुआत में प्लान एसेट्स की फेयर वैल्यू	292.43	270.93
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	22.66	21.00
योगदान	9.96	18.03
भुगतान किए गए लाभ	(20.76)	(18.78)
योजना परिसंपत्तियों पर एक्चुअरियल लाभ/(हानि)	0.24	1.25
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	304.53	292.43
IV बीमांकिक लाभ / हानि		
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/ हानि - दायित्व	2.20	6.30
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजनागत संपत्ति	0.24	1.25
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	1.96	5.05
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.96	5.05
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00
V तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशियाँ		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	304.53	292.43
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	304.53	292.43
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
VI राजस्व/लाभ और हानि खाता विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	8.00	12.98
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	22.66	21.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(22.66)	(21.00)
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.96	5.05
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	9.96	18.03
VII योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	22.90	22.25

(₹ in Crore)

		For the year ended/ As at 31.03.2026	For the year ended/ As at 31.03.2025
III	Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-		
	Fair value of plan assets at beginning of the year	292.43	270.93
	Expected Return on Plan Assets	22.66	21.00
	Contributions	9.96	18.03
	Benefits Paid	(20.76)	(18.78)
	Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	0.24	1.25
	Fair Value of Plan Assets at the end of theyear	304.53	292.43
IV	Actuarial Gain/Loss:-		
	Actuarial (gain)/loss for the year – Obligation	2.20	6.30
	Actuarial gain/(loss) for the year – Plan Assets	0.24	1.25
	Total (gain) / loss for the year	1.96	5.05
	Actuarial (gain) / loss recognized in the year	1.96	5.05
	Unrecognized actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
V	The Amounts to be recognized in Balance Sheet		
	Present Value of Obligation at the end of the year	304.53	292.43
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	304.53	292.43
	Net Asset / (Liability) Recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00
	Funded Status	Funded	Funded
	Unrecognized Actuarial gains / (losses)	0.00	0.00
VI	Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss A/c		
	Current Service Cost	8.00	12.98
	Past Service Cost	0.00	0.00
	Interest Cost	22.66	21.00
	Expected Return on Plan Assets	(22.66)	(21.00)
	Curtailment Cost / (Credit)	0.00	0.00
	Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	1.96	5.05
	Expenses Recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss A/c	9.96	18.03
VII	Actual Return on Plan Assets	22.90	22.25

(₹ करोड़ में)

VIII निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य, योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य, योजना में शुद्ध परिसंपत्तियाँ/ (दायित्व), तथा योजना के दायित्वों और परिसंपत्तियों पर उत्पन्न अनुभव समायोजन की राशियाँ, पाँच वार्षिक अवधियों के लिए नीचे दी गई हैं:

विवरण	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	304.53	292.43	270.93	254.57	215.95
वर्ष के अंत में योजना की परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	304.53	292.43	270.93	254.57	219.13
योजना की परिसंपत्ति/(देयता)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
(लाभ)/हानि अनुभव समायोजन योजना देनदारियों पर उत्पन्न	2.20	6.30	3.11	1.60	18.35
लाभ/(हानि) अनुभव समायोजन योजना परिसंपत्तियों पर उत्पन्न	0.24	1.25	0.72	0.42	21.46

20. संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण (एल आई सी आई):

क) निगम ने संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन किए हैं, जिनकी पहचान प्रबंधन द्वारा लेखांकन मानक (एएस) 18, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के अनुसार की गई है। इन संबंधित पक्षों का विवरण, संबंध की प्रकृति, उनके साथ किए गए लेन-देन और वर्ष के अंत में संबंधित पक्ष खातों में शेष राशि नीचे दी गई है:

सहायक कंपनियाँ:

एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
 एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड
 एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
 एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड
 एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) बहरीन
 एलआईसी (लंका) लिमिटेड
 एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड

सहयोगी कंपनियाँ

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
 एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
 एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
 आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

संयुक्त उद्यम:

सरुदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप. इंडोरेन्स

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी:

निदेशक मंडल		
श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	14.07.2025 से प्रभावी
	प्रबंध निदेशक	13.07.2025 तक
श्री सिद्धार्थ मोहंती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	07.06.2025 तक

(₹ in Crore)

VIII	The amounts of the present value of the defined benefit obligations, fair value of the plan assets, Net Assets/(Liability) in the plan, experience adjustments arising on plan liabilities and plan assets for five annual periods are as given below:					
Particulars	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	
Present value of the defined benefit obligation at the end of the year	304.53	292.43	270.93	254.57	215.95	
Fair value of the plan assets at the end of year	304.53	292.43	270.93	254.57	219.13	
Asset/(Liability) of the plan	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
(Gain)/loss experience adjustments arising on plan liabilities	2.20	6.30	3.11	1.60	18.35	
Gain/(loss) experience adjustments arising on plan assets	0.24	1.25	0.72	0.42	21.46	

20. RELATED PARTY DISCLOSURE (LIC):

- A) The Corporation had transactions with related parties, which have been identified by the management as per the requirements of the Accounting Standard (AS) 18, "Related Party Disclosures". Details of these related parties, nature of the relationship, transactions entered into with them and the balances in related party accounts at year end are as mentioned below:

Subsidiary Companies:

LIC Pension Fund Ltd.
 LIC Card Services Ltd.
 Life Insurance Corporation (Singapore) Pte.Ltd.
 Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.
 Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) Bahrain
 Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd
 Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

Associate Companies

LIC Housing Finance Ltd.
 LICHL Asset Management Company Ltd.
 LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
 LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.
 IDBI Bank Ltd.
 IDBI Trusteeship Services Ltd.

Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

Board of Directors & Key Managerial Personnels (LIC)

Board of Directors		
Shri R Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	w.e.f. 14.07.2025
	Managing Director	upto 13.07.2025
Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive Officer & Managing Director	upto 07.06.2025

निदेशक मंडल

श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक (प्रभारी)	08.06.2025 से 14.07.2025 तक
	प्रबंध निदेशक	31.12.2025 तक
श्री जगन्नाथ एम.	प्रबंध निदेशक	31.05.2025 तक
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	31.05.2025 तक
सुश्री शालिनी पंडित	सरकार द्वारा नामित निदेशक	03.12.2025 से प्रभावी
	प्रबंध निदेशक	01.06.2025 से प्रभावी
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	31.05.2025 तक
	प्रबंध निदेशक	01.06.2025 से प्रभावी
श्री रत्नाकर पटनायक	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	31.05.2025 तक
	प्रबंध निदेशक	01.12.2025 से प्रभावी
श्री रामकृष्णन चंदर	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	30.11.2025 तक
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	20.01.2022 से प्रभावी
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
डॉ. वी.एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	28.01.2026 तक
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	28.01.2026 तक
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	28.01.2026 तक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (सी जी /आर सी /जी.जे.एफ.) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	11.04.2023 से प्रभावी
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से प्रभावी
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	02.06.2025 से प्रभावी
श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) और मुख्य जोखिम अधिकारी	19.03.2025 से प्रभावी
श्री अरिंदम दास गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	05.12.2025 से प्रभावी
श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	18.01.2024 से प्रभावी
श्री रविंद्रनाथ सुधाकर	कार्यकारी निदेशक (विपणन/पीडी) और मुख्य विपणन अधिकारी	11.07.2025 तक (मुख्य विपणन अधिकारी का पद केएमपी पदनाम से बाहर रखा गया है)
श्रीमती बेला पॉल	प्रमुख (प्रभारी) बोर्ड एवं सचिवीय विभाग	06.05.2025 तक

Board of Directors		
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director (In-charge)	w.e.f 08.06.2025 to 14.07.2025
	Managing Director	upto 31.12.2025
Shri Jagannath M.	Managing Director	upto 31.05.2025
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	upto 31.05.2025
Ms. Shalini Pandit	Government Nominee Director	w.e.f. 03.12.2025
Shri Dinesh Pant	Managing Director	w.e.f 01.06.2025
	Appointed Actuary and Executive Director (Actl)	upto 31.05.2025
	Managing Director	w.e.f 01.06.2025
Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment FO) and Chief Investment Officer	upto 31.05.2025
	Managing Director	w.e.f. 01.12.2025
Shri Ramakrishnan Chander	Executive Director (Investment FO) and Chief Investment Officer	upto 30.11.2025
	Managing Director	w.e.f. 01.12.2025
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Prof. Anil Kumar	Independent Director	w.e.f. 20.01.2022
Shri Mahalingam G	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	upto 28.01.2026
Shri Raj Kamal	Independent Director	upto 28.01.2026
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	upto 28.01.2026
Key Managerial Personnels		
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp Gov/GJF/Reg. Comp) & Chief Compliance Officer	w.e.f. 11.04.2023
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	w.e.f. 01.04.2022
Shri Ajay Kumar Srivastava	Appointed Actuary and Executive Director (Actl)	w.e.f. 02.06.2025
Shri Shatmanyu Shrivastava	Executive Director (ERM) and Chief Risk Officer	w.e.f. 19.03.2025
Shri Arindam Das Gupta	Executive Director (Investment FO) and Chief Investment Officer	w.e.f. 05.12.2025
Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer	w.e.f. 18.01.2024
Shri Ravindranath Sudhakar	Executive Director (Mktg/PD) & Chief Marketing Officer	upto 11.07.2025 (Chief Marketing Officer position excluded from KMP designation)
Smt. Bella Paul	Chief in – Charge, Board & Secretarial Department	Upto 06.05.2025

ब) संबंधित पक्षों के साथ निगम के लेनदेन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	पूरी तरह से स्वामित्व वाली	किराया प्राप्त हुआ	0.84	0.84
			लाभांश प्राप्त किया	15.00	12.50
			एलआईसी एचएफएल से सार्वजनिक जमा पर ब्याज प्राप्त किया	0.38	0.18
			एलआईसी एचएफएल के साथ सार्वजनिक जमा का मोचन	2.00	13.91
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	1.88	2.44
			कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान	729.74	821.76
2	एलआईसी कार्ड सेवाएं लिमिटेड	पूरी तरह से स्वामित्व वाली	किराया प्राप्त हुआ	1.11	1.08
			लाभांश प्राप्त किया	0.12	0.10
			एलआईसी एमएफ एएम लिमिटेड से निवेश आय	0.28	0.00
			एलआईसी एचएफएल से सार्वजनिक जमा पर ब्याज आय प्राप्त की	1.70	1.59
			आईडीबीआई बैंक से गिफ्ट (सगुन) कार्ड के संबंध में आय प्राप्त की	0.43	0.27
			आईडीबीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड के संबंध में आय प्राप्त की	0.11	0.20
			सार्वजनिक जमा पर आईडीबीआई बैंक से ब्याज आय प्राप्त की	0.34	0.21
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	8.75	10.73
			बिजली और पानी के शुल्क तथा करों के लिए प्रतिपूर्ति / भुगतान	0.0382	0.04
			एलआईसी एचएफएल में रखी गई सावधि जमा	0.00	20.00
			आईडीबीआई बैंक में रखी सावधि जमा	0.00	4.00

B The nature and volume of transactions of the Corporation, with the related parties are as follows (LIC):

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
1	LIC PENSION FUND LTD.	WHOLLY OWNED SUBSIDIARY	Rent received	0.84	0.84
			Dividend received	15.00	12.50
			Interest received on Public Deposit from LIC HFL	0.38	0.18
			Redemption of public deposit with LIC HFL	2.00	13.91
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	1.88	2.44
			NPS contribution of employees	729.74	821.76
2	LIC CARDS SERVICES LTD.	WHOLLY OWNED SUBSIDIARY	Rent received	1.11	1.08
			Dividend received	0.12	0.10
			Investment Income from LIC MF AM Ltd.	0.28	0.00
			Interest income on public deposit received from LIC HFL	1.70	1.59
			Income received from IDBI bank in respect of Gift (Sagun) Cards	0.43	0.27
			Income received from IDBI Bank in respect of credit cards	0.11	0.20
			Interest income on public deposit received from IDBI bank	0.34	0.21
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	8.75	10.73
			Reimbursement / Payment Towards Electricity and water charges & taxes	0.0382	0.04
			Fixed Deposit placed with LIC HFL	0.00	20.00
			Fixed Deposit placed with IDBI Bank	0.00	4.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
			प्लक्सी, एलआईसी कार्ड्स लिमिटेड और एलआईसीआई के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार प्लक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भोजन कार्ड का भुगतान किया गया। मील कार्ड के सह-ब्रांडिंग के लिए सकल राशि का 0.50% कमीशन एलआईसी कार्ड को दिया गया था	2.06	1.78
3	एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	पूरी तरह से स्वामित्व वाली	वेतन कटौती	0.31	0.37
			सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.04	0.04
4	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	सहायक	वेतन कटौती	0.42	0.34
			पूंजी निवेश	58.32	14.04
5	एलआईसी नेपाल लिमिटेड.	सहायक	लाभांश प्राप्त किया	37.78	0.00
			वेतन कटौती	0.44	0.38
			सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.20	0.20
			बैठक शुल्क प्राप्त हुआ	0.0237	0.0180
			प्रशिक्षण शुल्क	0.07	0.03
			अधिकार निर्गम	0.00	80.67
			वेतन कटौती	2.00	2.12
6	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन	सहायक	सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.20	0.20
			तकनीकी सहायक शुल्क	0.75	1.40
			पॉलिसी ट्रांसफर	6.48	0.00
			मूल्य/बीमांकिक आरक्षित		
7	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	वेतन कटौती	0.39	0.59
			सॉफ्टवेयर रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ	0.00	0.09
8	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	किराया प्राप्त हुआ	13.75	12.69
			लाभांश प्राप्त किया	248.84	223.96
			निवेश आय	670.08	784.59
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	78.71	51.47
			कानूनी शुल्क प्राप्त हुआ	0.14	0.00
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति/भुगतान।	2.29	2.87

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
			Meal Card Exp paid to Pluxee India Pvt Ltd .as per Tri-partie agreement entered between Pluxee,LIC Cards Ltd and LIC,Commission @0.50% of Gross amt was paid to LIC Card for co-branding of meal cards	2.06	1.78
3	LIC SINGAPORE PTE LTD.	WHOLLY OWNED SUBSIDIARY	Salary Deductions	0.31	0.37
			Software maintenance charges received	0.04	0.04
4	LIC (LANKA) LTD.	SUBSIDIARY	Salary Deductions	0.42	0.34
			Capital Infusion	58.32	14.04
5	LIC NEPAL LTD.	SUBSIDIARY	Dividend received	37.78	0.00
			Salary Deductions	0.44	0.38
			Software maintenance charges received	0.20	0.20
			Sitting fees received	0.0237	0.0180
			Training fees	0.07	0.03
			Right issue	0.00	80.67
6	LIC (INTERNATIONAL.) BSC (C) BAHRAIN	SUBSIDIARY	Salary Deductions	2.00	2.12
			Software maintenance charges received	0.20	0.20
			Technical Asst fees	0.75	1.40
			Policy Transfer Value/ Actuarial Reserve	6.48	0.00
7	LIC OF BANGLADESH LTD.	SUBSIDIARY	Salary Deductions	0.39	0.59
			Software maintenance charges received	0.00	0.09
8	LIC HOUSING FINANCE LTD.	ASSOCIATE	Rent received	13.75	12.69
			Dividend received	248.84	223.96
			Investment Income	670.08	784.59
			Pension and Group Schemes - premiums received	78.71	51.47
			Legal Fees received	0.14	0.00
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	2.29	2.87

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
			बिजली और पानी का शुल्क प्राप्त हुआ	0.64	0.74
			ऋणपत्रों का मोचन	5,852.29	2,000.00
			पास थ्रू सर्टिफिकेट खरीदें	900.00	0.00
			पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	2.45	1.34
			आवास ऋण कर्मचारियों से काटा और प्रेषित किया गया	1,663.48	1,624.58
			लाभांश प्राप्त किया	0.17	0.15
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	0.08	0.03
			शहरी विकास निधि का लाभ वितरण किया गया	0.003	0.00
			शहरी विकास निधि की इकाइयों का मोचन	1.39	0.00
			एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की यूनिटों का मोचन	7.13	12.07
			एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि की यूनिटों का मोचन	0.0001	0.00
9	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ वितरण	6.50	2.92
			एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि का लाभ वितरण	1.02	0.00
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	0.08	0.10
			एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - वेंचर फंड की यूनिट की खरीद	0.43	0.00
			एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पूंजी की खरीद	0.00	8.85

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
9	LIC HFL ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD.	ASSOCIATE	Electricity & water charges received	0.64	0.74
			Redemption of Debentures	5,852.29	2,000.00
			Purchase (Pass through Certificate)	900.00	0.00
			Pension and Group Schemes - claims paid	2.45	1.34
			Housing Loan deducted from employees and remitted	1,663.48	1,624.58
			Dividend received	0.17	0.15
			Pension and Group Schemes - premiums received	0.08	0.03
			Profit distribution of Urban Development Fund	0.003	0.00
			Redemption of Units of Urban Development Fund	1.39	0.00
			Redemption of Units of LICHFL Housing & Infrastructure Fund	7.13	12.07
			Redemption of Units of LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	0.0001	0.00
			Profit distribution of LICHFL Housing & Infrastructure Fund	6.50	2.92
			Profit distribution of LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	1.02	0.00
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	0.08	0.10
			Purchase of units of venture fund- LICHFL Housing & Infrastructure Fund	0.43	0.00
			Purchase of capital - LICHFL Housing & Infrastructure Fund	0.00	8.85

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
10	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि - एआईएफ - II के पूंजी की खरीद	13.57	5.89
			पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	0.20	0.00
			किराया प्राप्त हुआ	2.86	2.69
			लाभांश प्राप्त किया	0.69	0.69
			इकाइयों का मोचन	23,151.32	16,260.96
			प्रशासनिक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति / भुगतान	0.07	0.09
			बिजली और पानी के शुल्क प्राप्त हुए	0.10	0.06
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	7.64	8.40
			प्रशिक्षण शुल्क प्राप्त	0.01	0.01
			यूनिट की खरीद	24,194.10	17,101.89
			पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	2.78	2.87
			किराया प्राप्त हुआ	1.97	2.01
			लाभांश प्राप्त किया	1,111.76	794.12
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	2,270.44	24.95
			सावधि जमा रसीद पर ब्याज प्राप्त किया	0.73	0.03
			बैठक शुल्क	0.13	0.01
			बिजली और पानी के शुल्क प्राप्त हुए	0.38	0.40
11	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	शगुन गिफ्ट कार्ड जारी करने के लिए भुगतान किया गया	24.77	16.19
			बैंकाश्योरेंस - कमीशन भुगतान किया गया	93.69	77.40
			परवर्ती प्रीमियम संग्रह शुल्क का भुगतान किया गया	0.05	0.06
			बैंक शुल्क का भुगतान किया गया	18.44	14.28
			बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान	15.52	8.58
			सावधि जमा रखवाई गई	0.00	2.86

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
10	LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LTD.	ASSOCIATE	Purchase of capital of LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund - AIF -II	13.57	5.89
			Pension and Group Schemes - claims paid	0.20	0.00
			Rent received	2.86	2.69
			Dividend received	0.69	0.69
			Redemption of units	23,151.32	16,260.96
			Reimbursement / Payment Towards Administrative Exp.	0.07	0.09
			Electricity & water charges received	0.10	0.06
			Pension and Group Schemes - premiums received	7.64	8.40
			Training Fees Received	0.01	0.01
			Purchase of units	24,194.10	17,101.89
11	IDBI Bank Ltd.	ASSOCIATE	Pension and Group Schemes - claims paid	2.78	2.87
			Rent received	1.97	2.01
			Dividend received	1,111.76	794.12
			Pension and Group Schemes - premiums received	2,270.44	24.95
			Interest Received on FDR	0.73	0.03
			Sitting fees	0.13	0.01
			Electricity & water charges received	0.38	0.40
			Paid towards issue of Shagun Gift Cards	24.77	16.19
			Bancassurance - Commission paid	93.69	77.40
			Renewal Premium Collection Charges paid	0.05	0.06
			Bank Charges Paid	18.44	14.28
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	15.52	8.58
			Fixed Deposit placed	0.00	2.86

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
12	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड.	सहयोगी	किराया प्राप्त हुआ	1.97	1.81
			लाभांश प्राप्त किया	9.00	9.00
			प्रशासनिक खर्चों के प्रति प्रतिपूर्ति	0.07	0.06
			पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	0.49	0.10
			बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	0.001	0.00
13	राष्ट्रीय बीमा अकादमी	महत्वपूर्ण प्रभाव	पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	1.61	1.87
			बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान किया	0.10	0.00
			प्रशिक्षण व्यय और लाइफ के लिए बंदोबस्ती कुर्सी के वित्तपोषण के लिए वार्षिक भुगतान	16.71	12.84
14	भारतीय बीमा संस्थान	महत्वपूर्ण प्रभाव	पेंशन और समूह योजनाओं के लिए प्रीमियम प्राप्त किया	1.46	1.46
			बैंक शुल्क का भुगतान और पेंशन और समूह योजनाओं के दावों का भुगतान	0.006	0.00
			प्रशिक्षण शुल्क	0.35	0.14
15	श्री आर दुरैस्वामि	निदेशक	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	1.27	0.92
16	श्री सिद्धार्थ मोहंती			0.61	1.07
17	श्री दिनेश पंत			0.93	1.60
18	श्री रत्नाकर पटनायक			0.74	0.89
19	श्री सतपाल भानू			1.11	0.95
20	श्री तबलेश पांडे			0.59	1.06
21	श्री जगन्नाथ एम.			0.59	1.00
22	श्री रामकृष्णन चंदर			0.63	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
12	IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LTD.	ASSOCIATE	Rent received	1.97	1.81
			Dividend received	9.00	9.00
			Reimbursement towards admin expenses	0.07	0.06
			Pension and Group Schemes - premiums received	0.49	0.10
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	0.001	0.00
13	NATIONAL INSURANCE ACADEMY	SIGNIFICANT INFLUENCE	Pension and Group Schemes - premium received	1.61	1.87
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	0.10	0.00
			Training Expenses & annual payment for funding of endowment chair for LIFE paid	16.71	12.84
14	INSURANCE INSTITUTE OF INDIA	SIGNIFICANT INFLUENCE	Pension and Group Schemes - premium received	1.46	1.46
			Bank charges paid and Claims paid for Pension & group schemes	0.006	0.00
			Training fees	0.35	0.14
15	SHRI R. DORAISWAMY	DIRECTOR	Managerial Remuneration#	1.27	0.92
16	SHRI SIDDHARTHA MOHANTY			0.61	1.07
17	SHRI DINESH PANT			0.93	1.60
18	SHRI RATNAKAR PATNAIK			0.74	0.89
19	SHRI SAT PAL BHANOO			1.11	0.95
20	SHRI TABLESH PANDEY			0.59	1.06
21	SHRI JAGANNATH M.			0.59	1.00
22	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER			0.63	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
23	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	1.03	0.00
24	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर			0.80	0.86
25	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर			0.30	0.91
26	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव			0.71	0.04
27	श्री सुनील अग्रवाल			1.15	1.08
28	श्री अरिंदम दास गुप्ता			0.18	0.00
29	श्रीमती बेला पॉल			0.06	0.76
30	श्री अंशुल कुमार सिंह	निदेशक	बैठक शुल्क का भुगतान किया	0.39	0.38
31	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी			0.28	0.23
32	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार			0.21	0.31
33	श्री महालिंगम जी			0.28	0.29
34	प्रो. अनिल कुमार			0.29	0.24
35	श्री राज कमल			0.18	0.25
36	डॉ. रंजन शर्मा			0.26	0.26
37	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	निदेशक	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.16	0.21
38	श्री विनोद कुमार वर्मा			0.22	0.17
39	श्री आर दुरैस्वामि			0.0047	0.0537
40	श्री सिद्धार्थ मोहंती			0.00	0.0010
41	श्री रत्नाकर पटनायक			0.0067	0.0154
42	श्री सतपाल भानू			0.0076	0.0053
43	श्री तबलेश पांडे			0.0001	0.0004
44	श्री जगन्नाथ एम.	निदेशक	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0097	0.1324
45	श्री रामकृष्णन चंद्र			0.0040	0.00
46	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी			0.02	0.0276
47	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार			0.0261	0.2878
48	श्री महालिंगम जी			0.06	0.0631
49	प्रो. अनिल कुमार			0.0338	0.0338

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
23	SHRI AJAY KUMAR SRIVASTAVA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Managerial Remuneration#	1.03	0.00
24	SHRI KRISHNA KUMAR SUKUMARAN NAIR			0.80	0.86
25	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR			0.30	0.91
26	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV			0.71	0.04
27	SHRI SUNIL AGRAWAL			1.15	1.08
28	SHRI ARINDAM DAS GUPTA			0.18	0.00
29	SMT. BELLA PAUL			0.06	0.76
30	SHRI ANSHUL KUMAR SINGH			0.39	0.38
31	Dr. V S PARTHASARATHY	DIRECTOR	Sitting fees paid	0.28	0.23
32	SHRI MUTHU RAJU PARAVASA RAJU VIJAY KUMAR			0.21	0.31
33	SHRI MAHALINGAM G			0.28	0.29
34	PROF. ANIL KUMAR			0.29	0.24
35	SHRI RAJ KAMAL			0.18	0.25
36	DR. RANJAN SHARMA			0.26	0.26
37	SMT. ANJULY CHIB DUGGAL			0.16	0.21
38	SHRI VINOD KUMAR VERMA			0.22	0.17
39	SHRI R. DORAISWAMY	DIRECTOR	Premium received (Own life and family members)	0.0047	0.0537
40	SHRI SIDDHARTHA MOHANTY			0.00	0.0010
41	SHRI RATNAKAR PATNAIK			0.0067	0.0154
42	SHRI SAT PAL BHANOO			0.0076	0.0053
43	SHRI TABLESH PANDEY			0.0001	0.0004
44	SHRI JAGANNATH M.			0.0097	0.1324
45	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER			0.0040	0.00
46	Dr. V S PARTHASARATHY			0.02	0.0276
47	SHRI MUTHU RAJU PARAVASA RAJU VIJAY KUMAR			0.0261	0.2878
48	SHRI MAHALINGAM G			0.06	0.0631
49	PROF. ANIL KUMAR			0.0338	0.0338

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
50	डॉ. रंजन शर्मा	निदेशक	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0147	0.0147
51	डॉ. मारुती प्रसाद तंगीराला			0.00	0.0115
52	श्री विनोद कुमार वर्मा			0.0045	0.0035
53	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0012	0.00
54	श्री अंशुल कुमार सिंह			0.0049	0.0049
55	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर			0.00	0.0020
56	श्री पी. कुमारसन			0.00	0.0040
57	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर			0.0068	0.0115
58	श्री रघुपाल सिंह			0.00	0.0004
59	श्री एस.वी. सुंदर कृष्णन			0.00	0.0119
60	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव			0.014	0.00
61	श्री अरिंदम दास गुप्ता			0.001	0.00
62	श्री सुनील अग्रवाल			0.10	0.1051
63	श्रीमती बेला पॉल	सहायक कंपनी के निदेशक	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.00	0.0374
64	श्रीमती सीआर प्रमीला			0.0183	0.0013
65	श्री आलोक कुमार सैनी			0.0265	0.0160
66	श्री पंकज कुमार सक्सेना	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	प्राप्त प्रीमियम (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0211	0.00
67	श्री आशुतोष मिश्रा			0.0032	0.0032
68	श्री अविनाश अभ्यंकर			0.0025	0.0025
69	श्री देबाशीष प्रसाद पटनायक			0.0036	0.0010
70	श्री हेमंत सिन्हा			0.0179	0.00
71	श्री कमलेश कुमार कमल			0.00	0.0018
72	श्री एम एन अग्रवाल			0.0067	0.00
73	श्री मधुकर पल्ली			0.0036	0.0018
74	श्री प्रणय कुमार			0.0115	0.0117
75	श्री आर राजनिकान्त			0.00	0.0082
76	श्री शांतनु कुमार पाणिग्रही			0.0019	0.0022
77	श्री सत्य श्रीनिवास			0.0013	0.0013
78	श्री सुदीप्ता सरकार			0.0043	0.0043
79	श्री वेंकट बाला सुधाकर बाचीमंची			0.0186	0.0148

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
50	DR. RANJAN SHARMA	DIRECTOR	Premium received (Own life and family members)	0.0147	0.0147
51	DR. MARUTI PRASAD TANGIRALA			0.00	0.0115
52	SHRI VINOD KUMAR VERMA			0.0045	0.0035
53	SHRI AJAY KUMAR SRIVASTAVA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Premium received (Own life and family members)	0.0012	0.00
54	SHRI ANSHUL KUMAR SINGH			0.0049	0.0049
55	SHRI KRISHNA KUMAR SUKUMARAN NAIR			0.00	0.0020
56	SHRI P.KUMARESAN			0.00	0.0040
57	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR			0.0068	0.0115
58	SHRI RAGHUPAL SINGH			0.00	0.0004
59	SHRI S.V. SUNDER KRISHNAN			0.00	0.0119
60	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV			0.014	0.00
61	SHRI ARINDAM DAS GUPTA			0.001	0.00
62	SHRI SUNIL AGRAWAL			0.10	0.1051
63	SMT. BELLA PAUL	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Premium received (Own life and family members)	0.00	0.0374
64	SMT CR PRAMEELA			0.0183	0.0013
65	SHRI ALOK KUMAR SAINI			0.0265	0.0160
66	SHRI PANKAJ KUMAR SAXENA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Premium received (Own life and family members)	0.0211	0.00
67	SHRI ASHUTOSH MISHRA			0.0032	0.0032
68	SHRI AVINASH ABHYANKAR			0.0025	0.0025
69	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAIK			0.0036	0.0010
70	SHRI HEMANT SINHA			0.0179	0.00
71	SHRI KAMALESH KUMAR KAMAL			0.00	0.0018
72	SHRI M N AGARWAL			0.0067	0.00
73	SHRI MADHUKAR PALLI			0.0036	0.0018
74	SHRI PRANAY KUMAR			0.0115	0.0117
75	SHRI R RAJNIKANTH			0.00	0.0082
76	SHRI SANTANU KUMAR PANIGRAHI			0.0019	0.0022
77	SHRI SATYA SRINIVAS			0.0013	0.0013
78	SHRI SUDIPTA SARKAR			0.0043	0.0043
79	SHRI VENKATA BALA SUDHAKAR BACHIMANCHI			0.0186	0.0148

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
80	श्री आर दुरैस्वामि			0.01	0.00
81	श्री दिनेश पंत			0.0069	0.0153
82	श्री रत्नाकर पटनायक			0.00	0.0287
83	श्री सत पाल भानू			0.00	0.0070
84	श्री जगन्नाथ एम.	निदेशक	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.1097	0.0150
85	श्री रामकृष्णन चंद्र			0.0082	0.00
86	डॉ. वी.एस. पार्थसारथी			0.08	0.00
87	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार			0.00	0.0100
88	श्री महालिंगम जी			0.0015	0.0031
89	श्री कृष्ण कुमार सुकुमारन नायर			0.00	0.0633
90	श्री पी. कुमारेसन			0.00	0.0062
91	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0009	0.0019
92	श्री सुनील अग्रवाल			0.0015	0.0029
93	श्री अरिंदम दास गुप्ता			0.01	0.00
94	श्रीमती बेला पॉल			0.0000	0.0060
95	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव			0.0230	0.00
96	श्री आशुतोष मिश्रा			0.00	0.0758
97	श्री देबाशीष प्रसाद पटनायक			0.0262	0.0806
98	श्री शांतनु कुमार पाणिग्रही			0.0058	0.0000
99	श्रीमती अंजुबाला पुरुषोत्तम	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.00	0.0114
100	श्री सस्वत रे			0.0433	0.0000
101	श्री हृषिकेश मुकुंद कुल्कर्णी			0.00	0.0036
102	श्री हेमंत सिन्हा			0.0064	0.00
103	श्री प्रणय कुमार			0.0050	0.0000
104	श्री आलोक कुमार सैनी			0.0030	0.1393
105	श्रीमती ऋचा कपूर	सहायक कंपनी के निदेशक	भुगतान किए गए दावे (स्वयं और परिवार के सदस्य)	0.0035	0.00
106	श्री पंकज कुमार सक्सेना			0.0253	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
80	SHRI R. DORAISWAMY	DIRECTOR	Claims paid (own life and family members)	0.01	0.00
81	SHRI DINESH PANT			0.0069	0.0153
82	SHRI RATNAKAR PATNAIK			0.00	0.0287
83	SHRI SAT PAL BHANOO			0.00	0.0070
84	SHRI JAGANNATH M.			0.1097	0.0150
85	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER			0.0082	0.00
86	Dr. V S PARTHASARATHY			0.08	0.00
87	SHRI MUTHU RAJU PARAVASA RAJU VIJAY KUMAR			0.00	0.0100
88	SHRI MAHALINGAM G	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Claims paid (own life and family members)	0.0015	0.0031
89	SHRI KRISHNA KUMAR SUKUMARAN NAIR			0.00	0.0633
90	SHRI P.KUMARESAN			0.00	0.0062
91	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR			0.0009	0.0019
92	SHRI SUNIL AGRAWAL			0.0015	0.0029
93	SHRI ARINDAM DAS GUPTA			0.01	0.00
94	SMT. BELLA PAUL			0.0000	0.0060
95	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV			0.0230	0.00
96	SHRI ASHUTOSH MISHRA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Claims paid (own life and family members)	0.00	0.0758
97	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAIK			0.0262	0.0806
98	SHRI SANTANU KUMAR PANIGRAHI			0.0058	0.0000
99	SMT ANJUBALA PUROSHOTTAM			0.00	0.0114
100	SHRI SASWATA RAY			0.0433	0.0000
101	SHRI HRUSHIKESH MUKUND KULKARNI			0.00	0.0036
102	SHRI HEMANT SINHA			0.0064	0.00
103	SHRI PRANAY KUMAR			0.0050	0.0000
104	SHRI ALOK KUMAR SAINI	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Claims paid (own life and family members)	0.0030	0.1393
105	SMT. RICHAA KAPOOR			0.0035	0.00
106	SHRI PANKAJ KUMAR SAXENA			0.0253	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
107	श्री आर दुरैस्वामि	निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0526	0.00
108	श्री सिद्धार्थ मोहंती	निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0004	0.00
109			खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0154	0.00
110	श्री दिनेश पंत	निदेशक	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.1454	0.00
111	श्री सत पाल भानू	निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0455	0.00
112	श्री तबलेश पांडे	निदेशक	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0009	0.00
113	श्री जगन्नाथ एम.	निदेशक	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0302	0.0002
114			उत्सव अग्रिम भुगतान किया गया	0.0128	0.00
115	श्री रामकृष्णन चंदर	निदेशक	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.04	0.00
116			खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0410	0.00
117	श्री रविंद्रनाथ सुधाकर	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0067	0.00
118	श्री शतमन्यु श्रीवास्तव	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	उत्सव अग्रिम भुगतान किया गया	0.0150	0.00
119			खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0437	0.00
120			प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.14	0.00
121	श्री सुनील अग्रवाल	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0067	0.00
122	श्री अरिंदम दास गुप्ता	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0018	0.00
123			खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0106	0.00
124	श्रीमती बेल्हा पॉल	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.0002	0.0001

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
107	SHRI R. DORAISWAMY	DIRECTOR	Other Miscellaneous Transaction	0.0526	0.00
108	SHRI SIDDHARTHA MOHANTY	DIRECTOR	Other Miscellaneous Transaction	0.0004	0.00
109			Reimbursement of expenses	0.0154	0.00
110	SHRI DINESH PANT	DIRECTOR	Reimbursement of expenses	0.1454	0.00
111	SHRI SAT PAL BHANOO	DIRECTOR	Other Miscellaneous Transaction	0.0455	0.00
112	SHRI TABLESH PANDEY	DIRECTOR	Reimbursement of expenses	0.0009	0.00
113	SHRI JAGANNATH M.	DIRECTOR	Reimbursement of expenses	0.0302	0.0002
114	SHRI RAMAKRISHNAN CHANDER	DIRECTOR	Festival Advance paid	0.0128	0.00
115			Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the corporation	0.04	0.00
116			Reimbursement of expenses	0.0410	0.00
117	SHRI RAVINDRANATH SUDHAKAR	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0067	0.00
118	SHRI SHATMANYU SHRIVASTAV	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Festival Advance paid	0.0150	0.00
119			Reimbursement of expenses	0.0437	0.00
120			Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the corporation	0.14	0.00
121	SHRI SUNIL AGRAWAL	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0067	0.00
122	SHRI ARINDAM DAS GUPTA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0018	0.00
123	SMT. BELLA PAUL	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Reimbursement of expenses	0.0106	0.00
124			Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the corporation	0.0002	0.0001

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
125			प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदार को कमीशन का भुगतान	0.0314	0.00
126	श्री अंशुल कुमार सिंह	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रिश्तेदार को दिया गया पारिश्रमिक जो निगम का कर्मचारी है	0.09	0.0879
127			अन्य विविध लेनदेन	0.0010	0.00
128	श्री अनिरबान दत्ता	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	अन्य भुगतान	0.0055	0.00
129	श्री देबाशीष प्रसाद पटनयाक	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	भविष्य निधि ऋण वितरित किया गया	0.5988	0.00
130	श्री केएल गुप्ता	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.0350	0.00
131	श्री मधुकर पल्ली	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	अन्य विविध लेनदेन	0.0018	0.0010
132	श्रीमती सीआर प्रमीला	सहायक कंपनी के निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0108	0.00
133	श्री पंकज कुमार सक्सेना	सहायक कंपनी के निदेशक	अन्य विविध लेनदेन	0.0003	0.00
134	श्री कमलेश कुमार कमल	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0187	0.00
135	श्री देबाशीष प्रसाद पटनयाक	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0100	0.00

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
125			Commission payment to relative of KMP	0.0314	0.00
126	SHRI ANSHUL KUMAR SINGH	KEY MANAGERIAL PERSONNEL	Remuneration paid to relative of KMP who is an employee of the corporation	0.09	0.0879
127			Other Miscellaneous Transaction	0.0010	0.00
128	SHRI ANIRBAN DATTA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Other Payments	0.0055	0.00
129	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAİK	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	PF loan disbursed	0.5988	0.00
130	SHRI K L GUPTA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Reimbursement of expenses	0.0350	0.00
131	SHRI MADHUKAR PALLI	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Other Miscellaneous Transaction	0.0018	0.0010
132	SMT CR PRAMEELA	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Other Miscellaneous Transaction	0.0108	0.00
133	SHRI PANKAJ KUMAR SAXENA	DIRECTOR OF SUBSIDIARY	Other Miscellaneous Transaction	0.0003	0.00
134	SHRI KMALESH KUMAR KAMAL	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0187	0.00
135	SHRI DEBASHIS PRASAD PATTANAİK	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0100	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन का विवरण/श्रेणियाँ	भुगतान किया गया/प्राप्त किया गया	
				31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
136	श्री हेमंत सिन्हा	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0036	0.00
137	श्री शांतनु कुमार पाणिग्रही	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0182	0.00
138	श्री सत्य श्रीनिवास	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0019	0.00
139	श्री वेंकट बाला सुधाकर बाचीमंची	सहायक के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	ऋण पर सब्सिडी	0.0154	0.00

31.03.2026 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्य हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	0.00	0.003		प्रतिनिधिमंडल पर कर्मचारी का टीई अग्रिम		प्राप्य
2	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	0.00	0.02		प्रतिनियुक्त कर्मचारी के एलटीसी से एलटीडी अग्रिम की वसूली की गई		प्राप्य
3	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	50.00	50.00	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
4	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	1.00	1.00	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
5	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	0.02	0.26	वेतन व्यय	वेतन व्यय	प्राप्य	प्राप्य
6	एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	0.001	0.001	प्रतिभूति जमा	प्रतिभूति जमा	देय	देय
7	एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड	सहायक	216.67	216.67	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
8	एलआईसी लंका लिमिटेड (इकिति शेयर)	सहायक	104.18	45.86	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Description of Transactions / Categories	Consideration paid / received	
				For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
136	SHRI HEMANT SINHA	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0036	0.00
137	SHRI SANTANU KUMAR PANIGRAHI	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0182	0.00
138	SHRI SATYA SRINIVAS	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0019	0.00
139	SHRI VENKATA BALA SUDHAKAR BACHIMANCHI	KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF SUBSIDIARY	Subsidy on loan	0.0154	0.00

Outstanding balances with related parties as at 31.03.2026

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
1	LIC Pension Fund Ltd	Subsidiary	0.00	0.003		TE Advance of Employee on Deputation		Receivable
2	LIC Pension Fund Ltd	Subsidiary	0.00	0.02		LTD Advance recovered from LTC of deputed employee		Receivable
3	LIC Pension Fund Ltd	Subsidiary	50.00	50.00	Equity	Equity	Receivable	Receivable
4	LIC Card Services Ltd	Subsidiary	1.00	1.00	Equity	Equity	Receivable	Receivable
5	LIC Card Services Ltd	Subsidiary	0.02	0.26	Salary expenses	Salary expenses	Receivable	Receivable
6	LIC Card Services Ltd	Subsidiary	0.001	0.001	Security Deposit	Security Deposit	Payable	Payable
7	LIC (Singapore) Pte Ltd.	Subsidiary	216.67	216.67	Equity	Equity	Receivable	Receivable
8	LIC Lanka Ltd (Equity Shares)	Subsidiary	104.18	45.86	Equity	Equity	Receivable	Receivable

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्य हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
9	एलआईसी लंका लिमिटेड (अधिमानी शेयर)	सहायक	14.17	14.17	अधिमानी शेयर	अधिमानी शेयर	प्राप्य	प्राप्य
10	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	सहायक	93.07	93.07	इकिटि	इकिटि	प्राप्य	प्राप्य
11	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी बहरीन	सहायक	995.48	995.48	इकिटि	इकिटि	प्राप्य	प्राप्य
12	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	43.78	43.78	इकिटि	इकिटि	प्राप्य	प्राप्य
13	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	25.06	22.69	एफडी और ब्याज एलआईसीसीएसएल द्वारा प्राप्य	एफडी और ब्याज एलआईसीसीएसएल द्वारा प्राप्य	प्राप्य	प्राप्य
14	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	3321.50	3321.50	इकिटि	इकिटि	प्राप्य	प्राप्य
15	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	1800.00	7550.27	प्रतिभूतियाँ और बांड	प्रतिभूतियाँ	प्राप्य	प्राप्य
16	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	797.71	0.00	पीटीसी		प्राप्य	
17	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	0.85	0.00	प्रतिभूति जमा		देय	
18	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	0.00	2.00		एलआईसी पीएफएल द्वारा एफडी में निवेश		प्राप्य
19	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	1.14	1.14	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	देय	देय
20	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	11.13	36.39	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल शहरी विकास निधि	प्राप्य	प्राप्य
21	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	0.08	0.51	बकाया प्रतिबद्धता एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	बकाया प्रतिबद्धता एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	देय	देय
22	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	40.35	140.64	बकाया पूंजी – एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	बकाया पूंजी – एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड	प्राप्य	प्राप्य

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
9	LIC Lanka Ltd (Pref Shares)	Subsidiary	14.17	14.17	Preference Shares	Preference Shares	Receivable	Receivable
10	LIC (Nepal) Ltd	Subsidiary	93.07	93.07	Equity	Equity	Receivable	Receivable
11	LIC (International) Bsc Bahrain	Subsidiary	995.48	995.48	Equity	Equity	Receivable	Receivable
12	LIC Bangladesh Ltd	Subsidiary	43.78	43.78	Equity	Equity	Receivable	Receivable
13	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	25.06	22.69	FD and Interest Accrued receivable by LICCSL	FD and Interest Accrued receivable by LICCSLs	Receivable	Receivable
14	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	3321.50	3321.50	Equity	Equity	Receivable	Receivable
15	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	1800.00	7550.27	Debentures & Bonds	Debentures	Receivable	Receivable
16	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	797.71	0.00	PTC		Receivable	
17	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	0.85	0.00	Security Deposit		Payable	
18	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	0.00	2.00		Investment in FDs by LIC PFL		Receivable
19	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	1.14	1.14	O/S Commitment LICHFL Urban Development Fund	O/S Commitment LICHFL Urban Development Fund	Payable	Payable
20	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	11.13	36.39	O/S Capital LICHFL Urban Development Fund	O/S Capital LICHFL Urban Development Fund	Receivable	Receivable
21	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	0.08	0.51	O/S Commitment LICHFL Housing and Infrastructure Fund	O/S Commitment LICHFL Housing and Infrastructure Fund	Payable	payable
22	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	40.35	140.64	O/S Capital - LICHFL Housing and Infrastructure Fund	O/S Capital - LICHFL Housing and Infrastructure Fund	Receivable	Receivable

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्य हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
23	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	280.54	294.11	बकाया प्रतिबद्धता एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि	एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर निधि	देय	देय
24	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	19.46	7.55	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर फंड	बकाया पूंजी एलआईसी एचएफएल रियल एस्टेट ऋण अवसर फंड	प्राप्य	प्राप्य
25	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	0.49	0.49	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
26	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	4.57	0.00	परवर्ती प्रीमियम		प्राप्य	
27	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	0.93	0.95	सुरक्षा जमा	सुरक्षा जमा	देय	देय
28	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	98.69	54.69	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
29	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	5,161.80	3,899.53	म्यूचुअल फंड	म्यूचुअल फंड	प्राप्य	प्राप्य
30	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	1.00	2.50	एलआईसी सीएसएल द्वारा किया गया निवेश	एलआईसी सीएसएल द्वारा किया गया निवेश	प्राप्य	प्राप्य
31	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	2.004	2.00	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
32	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	29,138.91	29,138.91	इकिति	इकिति	प्राप्य	प्राप्य
33	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	4,859.84	6,397.33	चालू खाता	चालू खाता	प्राप्य	प्राप्य
34	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	9.81	10.48	सावधि जमा	सावधि जमा	प्राप्य	प्राप्य
35	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	2.90	3.78	परवर्ती प्रीमियम	परवर्ती प्रीमियम - बैंक बैलेंस	प्राप्य	प्राप्य
36	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	0.66	0.00	प्रतिभूति जमा		देय	
37	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	0.07	0.06	एलआईसी सीएसएल द्वारा क्रेडिट कार्ड/उपहार कार्ड की बिलिंग	एलआईसी सीएसएल द्वारा क्रेडिट कार्ड/उपहार कार्ड की बिलिंग	प्राप्य	प्राप्य
38	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	10.05	4.02	एफडी और ब्याज अर्जित एलआईसी सीएसएल द्वारा प्राप्य	एफडी और ब्याज अर्जित एलआईसी सीएसएल द्वारा प्राप्य	प्राप्य	प्राप्य

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
23	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	280.54	294.11	O/S Commitment LICHFL Real estate debt opportunities fund	LICHFL Real estate debt opportunities fund	Payable	Payable
24	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	19.46	7.55	O/S Capital LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	O/S Capital LICHFL Real Estate Debt Opportunities Fund	Receivable	Receivable
25	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	0.49	0.49	Equity	Equity	Receivable	Receivable
26	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	4.57	0.00	Renewal Premium		Receivable	
27	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	0.93	0.95	Security Deposit	Security Deposit	Payable	Payable
28	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	98.69	54.69	Equity	Equity	Receivable	Receivable
29	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	5161.80	3899.53	Mutual Fund	Mutual Fund	Receivable	Receivable
30	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	1.00	2.50	Investment made by LICCSL	Investment made by LICCSL	Receivable	Receivable
31	LIC Mutual Fund Trustee Co Pvt Ltd	Associate	2.004	2.00	Equity	Equity	Receivable	Receivable
32	IDBI Bank Ltd.	Associate	29138.91	29138.91	Equity	Equity	Receivable	Receivable
33	IDBI Bank Ltd.	Associate	4859.84	6397.33	Current A/c	Current A/c	Receivable	Receivable
34	IDBI Bank Ltd.	Associate	9.81	10.48	Fixed Deposit	Fixed Deposit	Receivable	Receivable
35	IDBI Bank Ltd.	Associate	2.90	3.78	Renewal Premium	Renewal Premium - Bank Bal	Receivable	Receivable
36	IDBI Bank Ltd.	Associate	0.66	0.00	Security Deposit		Payable	
37	IDBI Bank Ltd.	Associate	0.07	0.06	Billing of credit cards/gift cards done by LICCSL	Billing of credit cards/gift cards done by LICCSL	Receivable	Receivable
38	IDBI Bank Ltd.	Associate	10.05	4.02	FD and Interest Accrued receivable by LICCSL	FD and Interest Accrued receivable by LICCSL	Receivable	Receivable

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंध की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि (₹ करोड़ों में)		बकाया का प्रकार		भुगतान/प्राप्य हो या नहीं	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
39	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	0.00	24.94		बकाया इश्योरटेक भुगतान		देय
40	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.88	0.88	प्रतिभूति जमा	प्रतिभूति जमा	देय	देय
41	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.30	0.30	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
42	हनुमान टी कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	4.32	4.32	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
43	मोदी एसपीजी और डब्ल्यूवीजी मिल्स कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	0.86	0.86	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
44	मोदी एसपीजी और डब्ल्यूवीजी मिल्स कंपनी लिमिटेड (अधिमानी शेयर)	सहयोगी	0.24	0.00	अधिमानी शेयर		प्राप्य	
45	कटाखल लाला बाज़ार रेलवे कंपनी	सहयोगी	0.02	0.02	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
46	एचजीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सहयोगी	3.18	3.18	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
47	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	829.17	829.17	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य
48	सऊदी इंडियन कंपनी को-ऑप इश्योरेंस के लिए	संयुक्त उद्यम	5.87	5.87	इकटि	इकटि	प्राप्य	प्राप्य

21. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(3) के अनुसार व्यवसाय के प्रभार में व्यक्तियों के नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक मंडल वाले विवरण (एल आई सी आई):

क्र. सं.	नाम	विवरण	संस्था का नाम जिसमें 31 मार्च, 2026 को निदेशक पद धारण किया गया है
1.	श्री आर दुरैस्वामि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक	- एलआईसी (लंका) लिमिटेड - एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड - केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - राष्ट्रीय बीमा अकादमी (गवर्निंग बोर्ड के सदस्य) - एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन - एलआईसी भविष्य निधि सं. 1 - भारतीय बीमा संस्थान - बीमा सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया - भारतीय बीमांकिक संस्थान - बीमा लोकपाल की गवर्निंग काउंसिल - जीवन बीमा परिषद

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ in Crores)		Nature of balance		Whether Payable / Receivable	
			2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
39	IDBI Bank Ltd.	Associate	0.00	24.94		O/S Insuretech Payment		Payable
40	IDBI Trusteeship Services Ltd	Associate	0.88	0.88	Security Deposit	Security Deposit	Payable	Payable
41	IDBI Trusteeship Services Ltd	Associate	0.30	0.30	Equity	Equity	Receivable	Receivable
42	Hanuman Tea Co Ltd	Associate	4.32	4.32	Equity	Equity	Receivable	Receivable
43	Modi Spg & Wvg Mills Co Ltd	Associate	0.86	0.86	Equity	Equity	Receivable	Receivable
44	Modi Spg & Wvg Mills Co Ltd (Pref Shares)	Associate	0.24	0.00	Preference Shares		Receivable	
45	Katakhal Lala Bazar Railway Co	Associate	0.02	0.02	Equity	Equity	Receivable	Receivable
46	HGI Industries Lid	Associate	3.18	3.18	Equity	Equity	Receivable	Receivable
47	Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd	Associate	829.17	829.17	Equity	Equity	Receivable	Receivable
48	Saudi Indian Co For Co-Op Insurance	Joint Venture	5.87	5.87	Equity	Equity	Receivable	Receivable

21. Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business as per section 11(3) of the Insurance Act, 1938 (LICI) :

Sr. No.	Name	Description	Name of the Entity in which directorship is held as on 31 st March, 2026
1.	Shri R Doraiswamy	Chief Executive Officer & Managing Director	- LIC (Lanka) Limited - LIC Pension Fund Limited - Kenindia Assurance Company Ltd. - LIC (International) BSC (c) Bahrain - LIC Housing Finance Limited - National Insurance Academy (Member on the Governing Board) - LIC Golden Jubilee Foundation - LIC of India Provident Fund No. 1 - Insurance Institute of India - Insurance Information Bureau of India - Institute of Actuaries of India - Governing Council of Insurance Ombudsman - Life Insurance Council

क्र. सं.	नाम	विवरण	संस्था का नाम जिसमें 31 मार्च, 2026 को निदेशक पद धारण किया गया है
2.	सुश्री शालिनी पंडित	सरकारी नामित निदेशक	राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड
3.	श्री दिनेश पंत	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी काडर्स सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन - राष्ट्रीय बीमा अकादमी - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन - बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन - एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड - भारतीय बीमा संस्थान - एलआईसी भविष्य निधि सं. 1
4.	श्री रत्नाकर पटनायक	प्रबंध निदेशक	- आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड - एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड - नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड
5.	श्री रामकृष्णन चंद्र	प्रबंध निदेशक	- एलआईसी काडर्स सर्विसेज लिमिटेड - एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड - एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड - एलआईसी (लंका) लिमिटेड
6.	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
7.	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
8.	प्रोफेसर अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	- उधमोद्या फाउंडेशन - दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन
9.	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	- सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड - भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड - केयर रेंटिंस लिमिटेड - केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा लिमिटेड - डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड - केयर रेंटिंस लिमिटेड नेपाल - थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड
10.	डॉ. वी. एस. पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	- एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड - पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड - रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड - किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड - इम्पीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड - मेपल इंप्रा इनवित इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड - ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड - गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड - एवरनविरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड - पीजीपी ग्लास लिमिटेड - ग्रासरूट नेटवर्क (जीटीएनएफडब्ल्यू) धारा 8 कंपनी - बॉम्बे सिटी पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट

Sr. No.	Name	Description	Name of the Entity in which directorship is held as on 31 st March, 2026
2.	Smt. Shalini Pandit	Government Nominee Director	Rourkela Smart City Limited
3.	Shri Dinesh Pant	Managing Director	- LIC Cards Services Limited - LIC Mutual Fund Asset Management Company Limited - LIC Golden Jubilee Foundation - National Insurance Academy - LIC (International) BSC (c) Bahrain - Bima Sugam India Federation - LIC of Bangladesh Ltd. - Insurance Institute of India - LIC of India Provident Fund No. 1
4.	Shri Ratnakar Patnaik	Managing Director	- RMBS Development Company Ltd. - LIC Housing Finance Limited - LIC HFL Asset Management Company Limited - LIC (Nepal) Ltd. - National Commodity & Derivatives Exchange Limited
5.	Shri Ramakrishnan Chander	Managing Director	- LIC Cards Services Limited - LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd. - LIC HFL Care Homes Ltd. - LIC (Lanka) Limited
6.	Dr.Ranjan Sharma	Independent Director	NIL
7.	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	NIL
8.	Prof. Anil Kumar	Independent Director	- Udhmodya Foundation - University of Delhi Foundation
9.	Shri Mahalingam G	Independent Director	- City Union Bank Limited - India International Bullion Exchange IFSC Limited - CARE Ratings Limited - Central Depository Services Ltd. - DSP Pension Fund Managers Private Limited - Care Ratings Limited Nepal - Thomas Cook (India) Limited
10.	Dr. V. S. Parthasarathy	Independent Director	- NIIT Learning Systems Limited - Pennar Industries Limited - RUDI Multi Trading Company Limited - Kids Clinic India Limited - Imperial Auto Industries Limited - Maple Infra InvIT Investment Manager Private Limited - Greencell Mobility Private Limited - Girnar Software Private Limited - Everenviro Resource Management Private Limited - PGP Glass Limited - GrassrootNetwork (GTNFW) a Section 8 company - Bombay City Policy Research Foundation Trust

22. लेखांकन मानक (एएस) – 20 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) के अनुसार (समूह):

क्र. सं. विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1 लाभ हानि खाते के अनुसार लाभ/हानि (₹ करोड़ों में)	57,418.55	48,151.18
2 इक्विटी शेयरों की संख्या	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
3 मूल ईपीएस वर्ष के लिए (₹ प्रति शेयर)	90.78	76.13
4 डायल्यूटेड ईपीएस वर्ष के लिए (₹ प्रति शेयर)	90.78	76.13

- 23. बोनस इश्यू:** निदेशक मंडल ने 13 अप्रैल, 2026 को हुई अपनी बैठक में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी। यह बोनस शेयर 1:1 के अनुपात में जारी किए जाएंगे, यानी रिकॉर्ड तिथि तक सदस्यों के पास मौजूद ₹ 10/- मूल्य के प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया जायेगा। इसके लिए, 31 दिसंबर, 2025 तक निगम के आरक्षितनिधि और अधिशेष में से ₹ 6,325 करोड़ तक राशि का पूंजीकरण किया जाएगा। बोनस शेयरों के निर्गमन को निगम के सदस्यों द्वारा 17 मई, 2026 को डाक मतपत्र के माध्यम से अनुमोदित किया गया है और रिकॉर्ड तिथि 29 मई, 2026 है।

24. पट्टे (एल आई सी आई):**पट्टेदार के रूप में:**

निगम ने अपने कार्यालयों और कर्मचारियों के आवास के रूप में कुछ संपत्तियां किराए पर ली हैं। 31.03.2026 को समाप्त वर्ष में ₹ 427.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 418.76 करोड़) की राशि लीज़ किराए के लिए राजस्व खाते में डेबिट की गई है।

पट्टेदाता के रूप में:

निगम ने किराये की आय अर्जित करने के उद्देश्य से कुछ वाणिज्यिक और आवासीय परिसर पट्टे पर दिए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए अर्जित किराया आय ₹ 549.37 करोड़ है जो पिछले वर्ष की ₹ 520.00 करोड़ की किराया आय से 5.65% की वृद्धि है।

25. खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरण:

लेखांकन मानक (एएस) 17, “खंड रिपोर्टिंग” और आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार, खंड खाते का प्रकटीकरण अनुसूची 1 में दिया गया है।

26. इंड एस के कार्यान्वयन की प्रगति (एल आई सी आई):

निगम द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंड एस अनुपालन प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार और प्रस्तुत किया जा चुका है।

नियामक ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य), (संशोधन) विनियम, 2026 को 30 मार्च, 2026 को अधिसूचित किया, जिससे इंड एस का कार्यान्वयन 01.04.2026 से प्रभावी हो गया। निगम ने कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष की मोहलत के लिए आवेदन किया है और नियामक से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, निगम नियामक को प्रस्तुत समय-सीमा के अनुसार इंड एस के कार्यान्वयन की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।

27. विदेशी मुद्रा भंडार (समूह):

समेकित वित्तीय विवरणों में शुद्ध विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव रिजर्व निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
आरक्षितनिधि और अधिशेष (शेयरधारकों) अनुसूची 6	564.71	375.92
बीमा आरक्षितनिधि (पॉलिसीधारक) अनुसूची 6 ए	6,467.93	4,683.27

22. As per AS- 20 -Earnings per Share (EPS)(Group):

S. no	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
1	Net Profit/ (Loss) as per Profit and Loss account (₹.in crore)	57,453.15	48,320.33
2	No. of equity shares	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
3	Basic EPS for the year (₹ per share)	90.84	76.40
4	Diluted EPS for the year (₹ per share)	90.84	76.40

- 23. Bonus Issue:** The Board of Directors in its meeting held on April 13, 2026 approved the issuance of bonus shares, in the proportion of 1:1, i.e., 1 (one) bonus equity share of ₹ 10/- each for every 1 (one) fully paid-up equity share of ₹ 10/- each held by the Members as on the record date, by capitalizing a sum not exceeding ₹ 6,325 crore out of the Reserves & Surplus of the Corporation available as at December 31, 2025. The issuance of Bonus Shares has been approved by the Members of the Corporation through Postal Ballot on May 17, 2026 and the record date is 29.05.2026

24. Leases (LICI):

As a Lessee:

The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals amounting to ₹ 427.58 crore (Previous year ₹ 418.76 crore) is debited to the Revenue Account for the year ended 31.03.2026.

As a Lessor:

Corporation has leased certain commercial and residential premises for the purpose of earning rental income. The rental income accrued for the year 2025-26 is ₹ 549.37 crores which is an increase of 5.65 % over the previous year rental income of ₹ 520.00 crores.

25. Disclosure on presentation of segmental Reporting:

As per Accounting Standard (AS) 17, "Segment Reporting", read with the IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Segmental Accounts are disclosed in Annexure I.

26. Progress of implementation of Ind AS (LICI):

The Corporation has prepared and submitted Ind AS compliant Proforma Financial Statements (PFS) for FY 2023-24 and FY 2024-25 within the stipulated timelines to Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI").

The Regulator notified Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers), (Amendment) Regulations, 2026 on 30th March, 2026, making implementation of Ind AS effective from 01.04.2026. The Corporation has applied for grant of one year forbearance for implementation and response is awaited from the Regulator.

In line with regulatory requirements, the Corporation is making steady progress towards implementation of Ind AS as per the timelines submitted to the Regulator.

27. Foreign Exchange Reserve (Group):

The net foreign Exchange fluctuation Reserve in the Consolidated Financial Statement is as follows:-

(₹ in Crore)		
Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
Reserve and Surplus (Shareholders) Schedule 6	564.71	375.92
Insurance Reserves (Policyholders) Schedule 6A	6,467.93	4,683.27

28. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006: (एल आई सी आई)

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत उनकी स्थिति के संबंध में, निगम के पास उक्त अधिनियम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निम्नलिखित राशि बकाया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
1	वर्ष के अंत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूलधन	3.00	0.00
2	वर्ष के अंत में 1 के अनुसार एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूलधन राशि पर अर्जित ब्याज	0.00	0.00
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	0.00	0.00
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि लेकिन अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	0.00	0.00
5	प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और शेष बकाया	0.00	0.00
6	आगे की ब्याज राशि शेष और देय भी आने वाले वर्षों में, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को देय व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से भुगतान किया जाता है	0.00	0.00

29. करायान का प्रावधान (समूह): वर्ष के दौरान करायान का प्रावधान लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार किया है:-

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व खाता (₹ करोड़ में)	(4,048.40)	7,916.37
लाभ और हानि खाता (₹ करोड़ में)	70.73	30.28

30. निगम द्वारा प्राप्त नियामक अनुमोदन के अनुसार, पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त अंशदान से संबंधित ₹ 9,280.37 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाले 20 तिमाहियों में ₹ 464.02 करोड़ प्रति तिमाही की दर से परिशोधित किया जा रहा है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 464.02 करोड़ और ₹ 1,856.08 करोड़ की राशि राजस्व खाते में प्रभारित की गई है। 31 मार्च, 2026 को शेष राशि ₹ 4,640.17 करोड़ को वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में परिशोधित किया जाएगा।
31. निगम द्वारा प्राप्त नियामक अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त खर्च से संबंधित पार खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि को वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली तीन वर्ष से अधिक नहीं, समान वार्षिक किशतों में शेयरधारकों के खाते से पुनः पूर्ति की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए शेयरधारकों के खाते से क्रमशः ₹ 602.51 करोड़ और ₹ 2,410.04 करोड़ की राशि पुनः पूर्ति की गई है। शेष राशि ₹ 2,410.01 करोड़ वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक की अगली तिमाहियों में शेयरधारकों के खाते से पुनः पूर्ति की जाएगी।
32. निगम द्वारा प्राप्त नियामक अनुमोदन के अनुसार वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाली, तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि में पार खंड से संबंधित अतिरिक्त पेंशन देयता के लिए ₹ 5,477.10 करोड़ की राशि शेयरधारकों के खाते में चार्ज की जा रही है। तदनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः ₹ 456.42 करोड़ और ₹ 1,825.68 करोड़ की राशि शेयरधारकों के खाते में प्रभारित की गई है। शेष राशि ₹ 1,825.74 करोड़ वित्त वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही तक अगली तिमाहियों में शेयरधारकों से चार्ज किया जाएगा।

28. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (LIC):

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the **Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT)**, the Corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
1	Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium supplier at the end of the year.	3.00	0.00
2	Interest accrued on principal amount remaining unpaid to MSME Supplier as per 1 above at the end of the year.	0.00	0.00
3	Amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year.	0.00	0.00
4	Amount of Interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding Interest specified under the Act.	0.00	0.00
5	Amount of Interest accrued and remaining unpaid at the end of each year.	0.00	0.00
6	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	0.00	0.00

29. Provision for Taxation (Group): During the year, the provision for taxation made in accordance with Rules and Regulations as applicable:-

Particulars	For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
Revenue Account (₹ in Crore)	(4,048.40)	7,916.37
Profit & loss Account (₹ in Crore)	70.73	30.28

30. Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 9,280.37 crore pertaining to additional contribution due to increase in family pension is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. An amount of ₹ 464.02 crore and ₹ 1,856.08 crore have been charged to Revenue Account for the quarter and year ended March 31, 2026 respectively. The balance amount of ₹ 4,640.17 crore as on March 31, 2026 shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
31. Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 is being replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 602.51 crore and ₹ 2,410.04 crore have been replenished from the Shareholders' account for the quarter and year ended March 31, 2026 respectively. The balance amount of ₹ 2,410.01 crore shall be replenished from Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.
32. Pursuant to Regulatory approval received by the Corporation, an amount of ₹ 5,477.10 crore towards additional pension liability pertaining to Par segment is being charged to the Shareholders account over a period not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. Accordingly, an amount of ₹ 456.42 crore and ₹ 1,825.68 crore have been charged to Shareholders' account for the quarter and year ended March 31, 2026 respectively. The balance amount of ₹ 1,825.74 crore shall be charged to Shareholders' account over the subsequent quarters upto Q4 of the FY 2026-27.

33. 21 नवंबर, 2025 को भारत सरकार ने चार नए श्रम संहिताओं – वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 को अधिसूचित किया है, जो 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित करती हैं। निगम ने लागू सीमा तक इन परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन किया है और अनुमानित आधार पर पुस्तकों में प्रावधान किया है।
34. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹ 10 के अंतिम लाभांश (बोनस शेयर इश्यू पश्चात) देने की अनुशंसा की है, जो निर्गम की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।
35. कर का प्रावधान के अंतर्गत राशि, ₹ 11,422.77 करोड़ के आयकर प्रावधान को रिवर्स करने के पश्चात शुद्ध राशि है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान यह राशि कर मामलों पर अपीलीय प्राधिकरणों से प्राप्त अनुकूल आदेशों और कर शेष राशि के प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर उलट दी गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कर का प्रावधान ₹ 7,249.36 करोड़ है और 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 2,333.91 करोड़ है।
36. निवेश के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव: चालू वर्ष के दौरान, निगम ने असंबद्ध व्यवसाय और संबद्ध व्यवसाय के गैर-यूनिट फंड – सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है, जहां अंकित मूल्य ऐतिहासिक लागत से अधिक है, ताकि वित्तीय विवरणों की अधिक उपयुक्त प्रस्तुति की जा सके। इससे पहले, इस तरह के निवेश को मोचन या परिपक्वता के समय लाभ के रूप में मान्यता दी जाती थी। बदली गई लेखा नीति के अनुसार, डिस्काउंट को शेष होल्डिंग अवधि के दौरान सीधे आधार पर परिपक्वता तक परिशोधित किया जाता है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ₹ 10,958.97 करोड़ की राशि को राजस्व खाते में निवेश पर छूट के परिशोधन के रूप में, प्रीमियम परिशोधन राशि ₹ 1,537.08 करोड़ को समायोजित करने के बाद, दर्शाया गया है। साथ ही, ₹ 51.84 करोड़ की राशि को पी एंड अल खाता में निवेश पर डिस्काउंट के परिशोधन के रूप में, प्रीमियम परिशोधन राशि ₹ 50.10 करोड़ को समायोजित करने के पश्चात, दर्शाया गया है।

बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मास्टर परिपत्र के अनुसार, 2024 (एल आई सी आई)

37. जोखिम प्रबंधन वास्तुकला का विवरण (एल आई सी आई):

एलआईसी के पास निगम के सम्मुख आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, साइबर सुरक्षा नीति, जोखिम भूख विवरण, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है।

आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है। आरएमसी जोखिम प्रबंधन शासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे, जोखिम भूख और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम कम करने की योजनाओं की समीक्षा करता है, व्यावसायिक वातावरण और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की देखरेख करता है, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन से संबंधित सभी मामले, वार्षिक आधार पर आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना के अनुरूप व्यवसाय निरंतरता पर नियमित अपडेट की समीक्षा करता है, निगम की शोधन स्थिति, धोखाधड़ी निगरानी, आदि की नियमित आधार पर समीक्षा करता है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसी के विचार में बोर्ड से आगे रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, समय-समय पर इसकी बैठक में इसके संज्ञान में लाए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी समिति (सीईआरएम) और परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) नामक दो स्वतंत्र आंतरिक समितियों का गठन प्रमुख कार्यात्मक विभागों के प्रमुखों के साथ किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और उद्यम जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है। जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति देयता समिति पर कार्यपालक समिति की सिफारिशें आरएमसी को रिपोर्ट की जाती हैं। सीईआरएम और एएलसीओ उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, एएलएम नीति, जोखिम भूख विवरण, जोखिम रिपोर्टिंग/जोखिम नियंत्रण के लिए एमआईएस, रणनीतिक पहलों और व्यावसायिक वातावरण या विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों, महत्वपूर्ण जोखिमों को उजागर करने वाले जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं, व्यवसाय निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम वातावरण की समीक्षा, नियमित आधार पर निगम की शोधन स्थिति की समीक्षा, आईटी सुरक्षा और धोखाधड़ी निगरानी से संबंधित जोखिम की समीक्षा जैसे प्रमुख कार्यों की निगरानी करके आरएमसी

33. On November 21, 2025, the Government of India has notified the four new Labour codes – The Code on Wages, 2019, The Industrial Relations Code, 2020, The Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 consolidating 29 existing labour laws. The Corporation has assessed the impact of these changes to the extent applicable and has made provision in the books on estimated basis.
34. The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 10/- per equity share of ₹ 10 /- each for the Financial Year 2025-26 after considering the Bonus Shares issue, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.
35. Provision for tax is net of reversal of provision of income tax of ₹ 11,422.77 crore. This amount has been reversed during Q4 of FY 2025-26, based on favorable orders received from Appellate Authorities on tax matters, and management assessment of tax balances. The provision for tax for current financial year is ₹ 7,249.36 crore and for quarter ending 31st March, 2026 is ₹ 2,333.91 crore.
36. Effect of change in Accounting Policy in respect of Investment: During the current year, the Corporation has changed its Accounting Policy with respect to Non-Linked Business and Non Unit fund of Linked Business – Debt Securities, including Government Securities, where the face value exceeds the historical cost, so as to make a more appropriate presentation of the Financial Statements. Previously, the discount on such investments was recognized as profit on redemption or maturity. As per the changed Accounting Policy, the discount is amortized on a straight line basis over the remaining holding period until Maturity. As a result of this change in Accounting Policy, an amount of ₹ 10,958.97crores have been disclosed as amortization of discount on Investments in the Revenue Account after adjusting the premium amortization amount of ₹ 1,537.08 crores and ₹ 51.84 crores in the Profit and Loss Account after adjusting the premium amortization amount of ₹ 50.10 crores for the quarter and year ended March 31, 2026. The corresponding increase has been incorporated in the Investment Asset Schedules (8/8A/8B) under the respective segments.

As per Master Circular on Corporate Governance for Insurers, 2024 (LICI)

37. A description of the Risk Management Architecture (LICI):

LIC has robust Enterprise Risk Management (ERM) framework to conduct business in an orderly manner taking into account the risks faced by the Corporation and controlling its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Cyber security policy, Risk Appetite statement, Asset Liability Management (ALM) Policy and Business Continuity Plan (BCP) of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee (RMC). The RMC looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMC, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

Two independent internal Committees, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Committee (ALCO) have been constituted with Heads of key functional departments. Chief Risk Officer (CRO) acts as the custodian of Enterprise Risk Management framework and guides the implementation of Enterprise Risk Management. Recommendations of the Committee of Executives on Risk Management & Asset Liability Committee are reported to RMC. CERM & ALCO supports the RMC by supervising major functions like reviewing Enterprise Risk Management Policy, ALM Policy, Risk Appetite Statement, MIS for risk reporting/risk control, key risks arising from strategic initiatives and changes in

का समर्थन करता है। सीईआरएम और एएलसीओ द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर समेकित रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तिमाही आधार पर आरएमसी को दी जाती है।

सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) जिसमें केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) शामिल हैं, सभी सूचना और साइबर सुरक्षा से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करते हैं।

38. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित किए गए, निपटाए गए और लंबित दावों की संख्या का विवरण (एल आई सी आई):

क्र. सं.	दावों का अनुभव	मृत्यु	परिपक्वता	उत्तरजीविता लाभ	वार्षिकी/पेंशन	अभ्यर्पण	अन्य लाभ [#]
1	अवधि की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या	4,790 (275)	11,93,653 (8,49,531)	6,53,527 (1,16,293)	41,64,293 (34,33,687)	-	-
2	अवधि के दौरान सूचित किए गए दावों की संख्या/बुक किया गया	8,46,502 (8,68,811)	1,43,48,639 (1,20,77,665)	1,02,32,233 (1,08,13,630)	2,87,13,646 (2,88,01,826)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
3	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की संख्या	8,30,399 (8,48,145)	1,38,12,148 (1,14,06,706)	1,03,13,795 (1,02,76,396)	2,84,10,862 (2,80,71,220)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
4	अवधि के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या	8,974 (9,137)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
5	अवधि के दौरान खारिज दावों की संख्या	7,139 (6,827)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
6	दावा न की गई राशि	46 (187)	3,11,216 (3,26,837)	195 (0)	0 (0)	-	0 (0)
7	अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)
	लंबित दावों की अवधि का विवरण						
	3 महीने से कम	455 (335)	6,41,966 (4,09,779)	68,831 (47,380)	5,96,708 (6,38,681)	-	0 (0)
	3 महीने से 6 महीने तक	100 (184)	1,61,321 (1,40,921)	25,696 (40,017)	4,71,162 (4,96,039)	-	0 (0)
	6 महीने से 1 साल तक	50 (0)	1,72,859 (1,83,079)	19,948 (22,337)	7,24,826 (7,55,687)	-	0 (0)
	1 वर्ष और उससे अधिक	4,129 (4,271)	4,42,782 (4,59,874)	4,57,295 (5,43,793)	26,74,381 (22,73,886)	-	0 (0)
	कुल	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)

पिछले वर्ष के आंकड़े ब्रैकेट () में दिखाए गए हैं।

39. पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतान (एल आई सी आई):

संदर्भ नोट नं. 20: संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।

business environment or regulations, risk assessment highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan, review of solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and Fraud Monitoring. A consolidated report on various issues discussed by CERM & ALCO and action taken thereon are reported to RMC on quarterly basis.

Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of heads of departments of Central office, Chief Risk Officer (CRO) and Chief Information Security Officer (CISO) oversees all Information and cyber security related policies and procedures.

38. Details of number of claims intimated, disposed of and pending with details of duration for Individual Business for FY 2025-26 (LIC):

S. No	Claims Experience	Death	Maturity	Survival Benefit*	Annuities/ Pension	Surrender	Other Benefits#
1	No. of Claims O/s at the Beginning of the period	4,790 (275)	11,93,653 (8,49,531)	6,53,527 (1,16,293)	41,64,293 (34,33,687)	-	-
2	No. of Claims intimated/ booked during the period	8,46,502 (8,68,811)	1,43,48,639 (1,20,77,665)	1,02,32,233 (1,08,13,630)	2,87,13,646 (2,88,01,826)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
3	No. of Claims paid during the year	8,30,399 (8,48,145)	1,38,12,148 (1,14,06,706)	1,03,13,795 (1,02,76,396)	2,84,10,862 (2,80,71,220)	45,72,542 (48,77,817)	0 (497)
4	No. of Claims repudiated during the period	8,974 (9,137)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
5	No. of Claims rejected during the period	7,139 (6,827)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
6	Unclaimed	46 (187)	3,11,216 (3,26,837)	195 (0)	0 (0)	-	0 (0)
7	No. of Claims O/s at the end of the period	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)
	Details of duration of outstanding claims						
	less than 3 months	455 (335)	6,41,966 (4,09,779)	68,831 (47,380)	5,96,708 (6,38,681)	-	0 (0)
	3 months to 6 months	100 (184)	1,61,321 (1,40,921)	25,696 (40,017)	4,71,162 (4,96,039)	-	0 (0)
	6 months to 1 year	50 (0)	1,72,859 (1,83,079)	19,948 (22,337)	7,24,826 (7,55,687)	-	0 (0)
	1 year and above	4,129 (4,271)	4,42,782 (4,59,874)	4,57,295 (5,43,793)	26,74,381 (22,73,886)	-	0 (0)
	Total	4,734 (4,790)	14,18,928 (11,93,653)	5,71,770 (6,53,527)	44,67,077 (41,64,293)	-	0 (0)

Previous year figures are shown in bracket ().

39. Payments made to group entities from Policyholders Funds (LIC):

Refer Note no. 20: Related party disclosure.

40. लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण (एल आई सी आई):

आईआरडीएआई द्वारा 22 मई 2024 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 4.1(म) के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का नाम	कार्य की प्रकृति	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
1	चोकशी एंड चोकशी एलएलपी	बीआरएसआर के लिए ऑडिट शुल्क	0.035	0.035
2	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	सहायक कंपनियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट	0.002	0.002
3	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	फेमा के तहत प्रमाणन	0.00	0.007
4	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट	0.00	0.01
5	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट	0.01	0.00
6	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	देश-वार रिपोर्टिंग	0.00	0.01
7	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	देश-वार रिपोर्टिंग	0.01	0.00
8	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	योगक्षेम पत्रिका हेतु प्रमाणपत्र	0.00	0.001
9	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	योगक्षेम पत्रिका हेतु प्रमाणपत्र	0.001	0.00
10	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	फेमा के तहत प्रमाणन	0.017	0.03
11	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	पीएफआरडीए को वार्षिक रिपोर्ट	0.00	0.0025
12	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	पीएफआरडीए को वार्षिक प्रमाण पत्र	.0005	0.00
13	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	पीएफआरडीए को वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक प्रमाण पत्र	0.003	0.00
14	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	बीएपी मॉड्यूल में रिटर्न के लिए प्रमाण पत्र	0.00	0.01125
15	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	बीएपी मॉड्यूल में रिटर्न के लिए प्रमाण पत्र	0.01125	0.00
16	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	ऋणदाता उधारकर्ता समूह बीमा योजनाओं के तहत दावा प्रसंस्करण पर प्रमाण पत्र	0.00	0.0075
17	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	फॉर्म ए के तहत फिट और उचित घोषणा	0.00	0.001
18	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	फॉर्म ए के तहत फिट और उचित घोषणा	0.001	0.00
19	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	लाभप्रदता एवं नेट वर्थ प्रमाणपत्र	0.001	0.001
20	बाटलीबॉय एंड पुरोहित	निधि शेष संबंधी प्रमाणपत्र	0.00	0.001
21	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	निधि शेष संबंधी प्रमाणपत्र	0.001	0.00
22	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	सीसीआईएल को एकल आदेश सीमा की समीक्षा के लिए वित्तीय सूचना डेटा का प्रमाण पत्र	0.001	0.001
23	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इंड एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरणों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी करने का शुल्क	0.05	0.00
24	वी शंकर अय्यर एंड कंपनी	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंड एस प्रोफार्मा वित्तीय विवरणों पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी करने का शुल्क	0.05	0.00
25	रे एंड रे	अपील संख्या एस टी/76795/2016 में सीइएसटीएटी निर्देश के अनुसार प्रमाणन कार्य	0.007	0.00

40. Disclosure on additional works given to auditors (LIC):

Pursuant to clause 4.1(m) of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 22, 2024, the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees are detailed below:

(₹ in Crore)

S. No	Name of Auditor	Nature of Work	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
1	Chokshi & Chokshi LLP	Audit fees for BRSR	0.035	0.035
2	V Sankar Aiyar & Co.	Annual performance Report subsidiaries	0.002	0.002
3	Batliboi & Purohit	Certification under FEMA	0.00	0.007
4	Batliboi & Purohit	Transfer pricing Audit	0.00	0.01
5	V Sankar Aiyar & Co.	Transfer pricing Audit	0.01	0.00
6	Batliboi & Purohit	Country by country Reporting	0.00	0.01
7	V Sankar Aiyar & Co.	Country by country Reporting	0.01	0.00
8	Batliboi & Purohit	Certificate for Yogakshema Magazine	0.00	0.001
9	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate for Yogakshema Magazine	0.001	0.00
10	V Sankar Aiyar & Co.	Certification under FEMA	0.017	0.03
11	Batliboi & Purohit	Annual Report to PFRDA	0.00	0.0025
12	Batliboi & Purohit	Annual Certificate to PFRDA	.0005	0.00
13	V Sankar Aiyar & Co.	Annual Reports and Certificate to PFRDA	0.003	0.00
14	Batliboi & Purohit	Certificate for Returns in BAP Module	0.00	0.01125
15	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate for Returns in BAP Module	0.01125	0.00
16	Batliboi & Purohit	Certificate on claim processing under lender Borrower group Insurance Schemes	0.00	0.0075
17	Batliboi & Purohit	Fit & proper Declaration under Form A	0.00	0.001
18	V Sankar Aiyar & Co.	Fit & proper Declaration under Form A	0.001	0.00
19	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate of profitability & Net Worth	0.001	0.001
20	Batliboi & Purohit	Certificate towards Balance of Fund	0.00	0.001
21	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate towards Balance of Fund	0.001	0.00
22	V Sankar Aiyar & Co.	Certificate of Financial Information Data for review of Single order limit to CCIL	0.001	0.001
23	V Sankar Aiyar & Co.	Fees for issuing Limited Review Report for Ind AS Proforma Financial Statements for FY 2023-24	0.05	0.00
24	V Sankar Aiyar & Co.	Fees for issuing Limited Review Report for Ind AS Proforma Financial Statements for FY 2024-25	0.05	0.00
25	M/S Ray & Ray	Certification Work as per CESTAT directive in Appeal no. ST/76795/2016	.007	0.00

बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों पर मास्टर परिपत्र के अनुसार

41. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण (एल आई सी आई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल राशि	आयु अनुसार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीनों से अधिक
निपटायें गये परंतु किन्हीं कारणों से पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को अदा न किए गए दावे	71.26 (57.84)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.09)	0.00 (0.49)	0.02 (0.33)	70.65 (56.32)	0.59 (0.61)
परिष्कृता या अन्यथा पॉलिसीधारकों /लाभार्थियों को अदा न किए गए दावे	7,150.38 (6,982.81)	0.00 (0.22)	0.00 (233.78)	463.61 (462.22)	472.56 (448.05)	369.84 (371.12)	380.66 (423.87)	5,364.73 (4,963.39)	98.98 (80.16)
प्रीमियम/कर या किन्हीं अन्य प्रभारों की कोई अधिक वसूली जो पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों को वापसीयोग्य है परंतु अब तक वापस नहीं की गई है	7.52 (6.35)	0.01 (0.00)	4.33 (0.02)	0.12 (0.11)	0.14 (0.24)	0.08 (0.27)	0.22 (0.26)	2.35 (5.17)	0.27 (0.28)
जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों के द्वारा न भुनाये गए चेक	89.34 (118.38)	0.00 (0.01)	0.01 (0.10)	0.01 (0.12)	0.10 (0.45)	0.12 (0.59)	0.44 (0.56)	54.27 (91.74)	34.39 (24.81)
एनईएफटी/आरटीजीएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वितरण जो लौटाया गया (बाउन्स बैक हुआ) है	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोट: 1. प्रति वर्ष 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अवधि के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण (एल आई सी आई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
प्रारंभिक शेष	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि	1,086.74	0.00	842.35	0.00
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (चेक जब गतावधि हो, केवल तभी शामिल किये जाएँ)	0.00	0.00	0.00	0.00

As per Master Circular on Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers

41. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders (LIC):

(₹ in Crore)

Particulars	Total Amount	AGE WISE ANALYSIS							
		0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Claims Settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons	71.26 (57.84)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.09)	0.00 (0.49)	0.02 (0.33)	70.65 (56.32)	0.59 (0.61)
Sum due to the policyholders/ beneficiaries on maturity or otherwise	7,150.38 (6,982.81)	0.00 (0.22)	0.00 (233.78)	463.61 (462.22)	472.56 (448.05)	369.84 (371.12)	380.66 (423.87)	5,364.73 (4,963.39)	98.98 (80.16)
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders/ beneficiaries but not refunded so far	7.52 (6.35)	0.01 (0.00)	4.33 (0.02)	0.12 (0.11)	0.14 (0.24)	0.08 (0.27)	0.22 (0.26)	2.35 (5.17)	0.27 (0.28)
Cheques issued but not encashed by the policyholder/ beneficiaries	89.34 (118.38)	0.00 (0.01)	0.01 (0.10)	0.01 (0.12)	0.10 (0.45)	0.12 (0.59)	0.44 (0.56)	54.27 (91.74)	34.39 (24.81)
Remittance through NEFT/RTGS or any other electronic mode bounced back	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

Note: 1. Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30th, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1st March of the financial year.

2. Previous year figures are shown in bracket ().

b) Details of Unclaimed Amount and Investment Income (LIC)

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2026		For the year ended 31 st March, 2025	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Opening Balance	5,513.99	1,651.39	14,296.95	3,618.03
Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	1,086.74	0.00	842.35	0.00
Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय	0.00	480.53	0.00	494.94
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि	805.59	208.88	9,399.22	2,320.40
घटा: एससीडब्लूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों को घटाकर)	230.59	169.09	226.09	141.18
दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष	5,564.55	1,753.95	5,513.99	1,651.39

42. 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई (एल आई सी आई)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राधिकरण	अनुपालन में विफलता / उल्लंघन	2025-2026		
			जुर्माना लगाया	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
2	जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का अनुचित दावा, ई-वे बिल जारी न करना और एजेंटों को प्रतिपूर्ति किए गए खर्चों पर सेवा कर हेतु जुर्माना	#0.02	0.02	0.00
3	आयकर प्राधिकरण		0.002	0.002	0.00
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
6	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर		0.00	0.00	0.00
8	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड		0.00	0.00	0.00
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		0.00	0.00	0.00
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
	कुल		0.022	0.022	0.00

*नोट: इसमें कर विवादों के तहत दिखाए गए दंड शामिल नहीं हैं जो वर्तमान में न्यायनिर्णयन के अधीन हैं या जहां निगम ने आदेश के खिलाफ निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील दायर करने का निर्णय लिया है।

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended 31 st March, 2026		For the year ended 31 st March, 2025	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	0.00	480.53	0.00	494.94
Less: Amount of claims paid during the year	805.59	208.88	9,399.22	2,320.40
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	230.59	169.09	226.09	141.18
Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	5564.55	1753.95	5,513.99	1,651.39

42. Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2026 (LIC)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	Non-Compliance/Violation	2025-2026		
			Penalty imposed	Penalty Paid	Penalty Waived/Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority		0.00	0.00	0.00
2	GST/Service Tax Authorities	Wrong availment of ITC (Input Tax Credit), Non Issuance of E-way bill and Penalty on Service Tax for Expenses reimbursed to agents	# 0.02	0.02	0.00
3	Income Tax Authorities		0.002	0.002	0.00
4	Any other Tax Authorities		0.00	0.00	0.00
5	Enforcement Directorate/Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		0.00	0.00	0.00
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013		0.00	0.00	0.00
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		0.00	0.00	0.00
8	Securities and Exchange Board of India		0.00	0.00	0.00
9	Competition Commission of India		0.00	0.00	0.00
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority		0.00	0.00	0.00
Total			0.022	0.022	0.00

Note: Does not include penalties shown under tax litigations which are currently under adjudication or where the Corporation has decided to file appeal within the specified period against the order.

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्राधिकरण	अनुपालन में विफलता / उल्लंघन	2024-2025		
			जुर्माना लगाया	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
2	जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	नियम 42 के तहत सामान्य आईटीसी का गैर-रिवर्सल, आरसीएम के तहत आईटीसी का समय से पहले लाभ उठाना, आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का गलत लाभ, क्रॉस चार्ज, आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी का कम जमा किया जाना	232.86	0.01	0.00
3	आयकर प्राधिकरण		0.01	0.01	0.00
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण		0.01	0.01	0.00
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
6	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर		0.00	0.00	0.00
8	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड		0.00	0.00	0.00
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग		0.00	0.00	0.00
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण		0.00	0.00	0.00
	कुल		232.88	0.03	0.00

43. आउटसोर्सिंग व्यय (एल आई सी आई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
1. हाउसकीपिंग / गेस्ट हाउस रखरखाव	152.64	161.73
2. खानपान	5.37	5.57
3. बागवानी	1.91	1.66
4. एएमसी	0.00	0.39
5. सुरक्षा	261.73	222.27
6. सलाहकार	1.67	2.58
7. स्वास्थ्य / टीपीए	0.00	0.35
8. कार्यालय रखरखाव	46.96	28.24
9. एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम	64.91	73.99

Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	Non-Compliance/Violation	2024-2025		
			Penalty imposed	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority		0.00	0.00	0.00
2	GST/Service Tax Authorities	Non-reversal of Common ITC under Rule 42, Pre-Mature availment of ITC under RCM, wrong availment of ITC (Input Tax Credit), Cross Charge, short payment of GST on outwards Supplies etc.	232.86	0.01	0.00
3	Income Tax Authorities		0.01	0.01	0.00
4	Any other Tax Authorities		0.01	0.01	0.00
5	Enforcement Directorate/Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA		0.00	0.00	0.00
6	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013		0.00	0.00	0.00
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation		0.00	0.00	0.00
8	Securities and Exchange Board of India		0.00	0.00	0.00
9	Competition Commission of India		0.00	0.00	0.00
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority		0.00	0.00	0.00
Total			232.88	0.03	0.00

43. Outsourcing Expenses (LIC):

(₹ in Crore)

Particular	For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
1. Housekeeping / Guest House Maintenance	152.64	161.73
2. Catering	5.37	5.57
3. Gardening	1.91	1.66
4. AMC	0.00	0.39
5. Security	261.73	222.27
6. Consultants	1.67	2.58
7. Health / TPA	0.00	0.35
8. Office Upkeep	46.96	28.24
9. Enterprise Document Management System	64.91	73.99

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
10. सुविधा प्रबंधन	311.64	270.28
11. बीमांकिक सेवाएँ	0.51	0.51
12. आंतरिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.10	0.10
13. वैधानिक लेखा परीक्षा सेवाएँ	0.13	0.12
14. अन्य विविध व्यय	19.50	12.04
कुल आउटसोर्सिंग व्यय	867.07	779.83

44. 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी/कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन (एल आई सी आई):

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2026 तक बकाया
रेपो (REPO) के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	527.40 (2,108.18)	35,747.91 (35,163.08)	8,639.21 (12,845.45)	9,380.44 (18,639.94)
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दर्शाए गए हैं।

45. बंद पॉलिसियाँ – संबद्ध व्यवसाय (एल आई सी आई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष	804.79	407.87
जोड़ें: वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड	2,192.49	1,015.96
घटाये: वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि	1,496.53	670.99
जोड़ें: निधि के निवेश पर शुद्ध आय/लाभ	29.92	57.24
घटाये: निधि प्रबंधन शुल्क	6.12	3.38
घटाये: वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि	1.38	1.91
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष	1,523.17	804.79

(₹ in Crore)

Particular	For the year ended 31.03.2026	For the year ended 31.03.2025
10. Facility Management	311.64	270.28
11. Actuarial Services	0.51	0.51
12. Internal Audit Services	0.10	0.10
13. Statutory Audit Services	0.13	0.12
14. Other Miscellaneous Expense	19.50	12.04
Total Outsourcing Expenses	867.07	779.83

44. Repo/ Reverse Repo transactions in Government/Corporate Debt securities for the year ended 31.03.2026 (LIC):

(₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31 st 2026
Securities sold under REPO				
1. Government Securities	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. Corporate Debt Securities				
Securities Purchased under reversed Repo				
1. Government Securities	527.40 (2,108.18)	35747.91 (35,163.08)	8639.21 (12,845.45)	9380.44 (18,639.94)
2. Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

* Previous year figures are shown in bracket ().

45. Discontinued policies – Linked Business (LIC):

Particulars	For the year ended / as at 31.03.2026	For the year ended / as at 31.03.2025
Opening Balance of Fund for Discontinued Policies	804.79	407.87
Add: Fund of policies discontinued during the Year	2,192.49	1,015.96
Less: Fund of policies revived/Paid during the Year	1,496.53	670.99
Add: Net Income/Gains on Investment of the Fund	29.92	57.24
Less: Fund Management Charges levied	6.12	3.38
Less: Amount refunded to Policy Holders during the Year	1.38	1.91
Closing Balance of Fund for Discontinued Policies	1,523.17	804.79

अन्य प्रकटीकरण (एल आई सी आई):

विवरण	न्यू एंडोमेंट प्लस (835)	न्यू एंडोमेंट प्लस (935)	एसआई आईपी (852)	निवेश प्लस (849)	न्यू पेन्शन प्लस (867)	इन्डेक्स प्लस (873)	न्यू एंडोमेंट प्लस (735)	निवेश प्लस (749)	एसआई आईपी (752)	प्रोटेक्शन प्लस (886)
वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या	1 (350)	11,936 (16,648)	53,364 (73,974)	251 (70)	50,444 (34,528)	6,90,379 (2,08,560)	384 (30)	19 (2)	13,061 (496)	3,097 (0)
वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत	0.00 (1.10)	37.49 (44.82)	31.76 (39.87)	0.03 (0.01)	42.11 (17.92)	57.05 (42.58)	51.68 (9.23)	0.00 (0.00)	40.48 (4.86)	11.33 (0.00)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या	0 (0)	5,026 (7,382)	28,145 (42,963)	0 (0)	25,266 (18,241)	3,38,408 (98,428)	190 (0)	0 (0)	7,402 (78)	563 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों का प्रतिशत	0.00 (0.00)	42.11 (44.34)	52.74 (58.08)	0.00 (0.00)	50.09 (52.83)	49.02 (47.19)	49.48 (0.00)	0.00 (0.00)	56.67 (15.73)	18.18 (0.00)
बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	0.00 (0.0012)	1.63 (3.00)	9.10 (15.00)	0.0122 (0.0063)	9.08 (6.72)	109.59 (25.22)	0.0725 (0.0017)	0.0053 (0.0008)	2.23 (0.0255)	0.23 (0.00)
पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार (₹ करोड़ में)	0.00 (0.00)	0.81 (1.43)	5.54 (8.92)	0.00 (0.00)	4.77 (3.84)	60.67 (13.72)	0.0362 (0.00)	0.00 (0.00)	1.29 (0.0038)	0.0396 (0.00)

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक () में दिखाए गए हैं।

Other Disclosures (LIC):

Particulars	New Endowment Plus (835)	New Endowment Plus (935)	SIIP (852)	Nivesh Plus (849)	New Pension Plus (867)	Index Plus (873)	New Endowment Plus (735)	Nivesh Plus (749)	SIIP (752)	Protection Plus (886)
Number of policies discontinued during the Year	1 (350)	11,936 (16,648)	53,364 (73,974)	251 (70)	50,444 (34,528)	6,90,379 (2,08,560)	384 (30)	19 (2)	13,061 (496)	3,097 (0)
Percentage of discontinued to total policies during the Year	0.00 (1.10)	37.49 (44.82)	31.76 (39.87)	0.03 (0.01)	42.11 (17.92)	57.05 (42.58)	51.68 (9.23)	0.00 (0.00)	40.48 (4.86)	11.33 (0.00)
Number of policies revived during the Year	0 (0)	5,026 (7,382)	28,145 (42,963)	0 (0)	25,266 (18,241)	3,38,408 (98,428)	190 (0)	0 (0)	7402 (78)	563 (0)
Percentage of policies revived during the Year	0.00 (0.00)	42.11 (44.34)	52.74 (58.08)	0.00 (0.00)	50.09 (52.83)	49.02 (47.19)	49.48 (0.00)	0.00 (0.00)	56.67 (15.73)	18.18 (0.00)
Charges imposed on account of discontinued policies (₹ in Crore)	0.00 (0.0012)	1.63 (3.00)	9.10 (15.00)	0.0122 (0.0063)	9.08 (6.72)	109.59 (25.22)	0.0725 (0.0017)	0.0053 (0.0008)	2.23 (0.0255)	0.23 (0.00)
Charges readjusted on account of revival of policies (₹ in Crore)	0.00 (0.00)	0.81 (1.43)	5.54 (8.92)	0.00 (0.00)	4.77 (3.84)	60.67 (13.72)	0.0362 (0.00)	0.00 (0.00)	1.29 (0.0038)	0.0396 (0.00)

* Previous year figures are shown in bracket ().

46. पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरण (समूह):

पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्समूहित से	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित/ पुनर्निर्धारित राशि	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण के अनुसार राशि	अंतर	कारण
1.	अनुसूची संख्या 13	अनुसूची संख्या 13				
	विविध लेनदारों	वैधानिक प्राधिकरणों के लिए देय राशि	181.04	181.04	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
2.	अनुसूची संख्या 12	अनुसूची संख्या 12				
	अन्य अग्रिम	अन्य को अग्रिम	1,104.21	1,104.21	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
3.	अनुसूची संख्या 12	अनुसूची संख्या 12				
	अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)	(vi) आयकर मामले (b) वापसी से समायोजित मांग (प्रावधान के निवल) (c) पूर्व जमा भुगतान	6,971.77	5,751.69	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
				1,220.08		
4.	अनुसूची 11	अनुसूची 11				
	त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग सिस्टम (ट्रेप्स)	रिवर्स रेपो	8.97	8.97	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
5.	अनुसूची 11	अनुसूची 11				
	मार्ग प्रोपेस्ट धन	चालू खाता	795.28	795.28	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
6.	अनुसूची 10	अनुसूची 10				
	सूचना प्रौद्योगिकी	अमूर्त	260.46	260.46	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए
7.	लाभ और हानि खाता	लाभ और हानि खाता				
	पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान (क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च	1,825.70	1,825.70	0.00	उचित प्रस्तुति के लिए

47. IRDAI द्वारा निर्धारित अनुपात (एल आई सी आई):

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
1	नव व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (खण्ड वार)		
(i)	संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन	34.06%	198.65%
	ख) पेंशन	9.81%	69.87%
	ग) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं

46. Regrouping or reclassification(Group) :

The details for regrouping are as follows:-

(₹ in Crore)

Sr. No.	Regrouped from	Regrouped to	Regrouped /Restated Amount	Amount as per financials of previous year	Difference	Reason
1.	Schedule No. 13	Schedule No. 13				
	Sundry Creditors	Amount due to Statutory Authorities	181.04	181.04	0.00	For appropriate presentation
2.	Schedule No. 12	Schedule No. 12				
	Other Advances	Advances to others	1,104.21	1,104.21	0.00	For appropriate presentation
3.	Schedule 12	Schedule 12				
	Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	(vi) Income Tax Matters (b) Demand adjusted from refund (Net of Provision) (c) Pre-deposits paid	6,971.77	5,751.69 1,220.08	0.00	For appropriate presentation
4.	Schedule 11	Schedule 11				
	Tri Party Repo Dealing System (TREPS)	Reverse Repo	8.97	8.97	0.00	For appropriate presentation
5.	Schedule 11	Schedule 11				
	Remittance in transit	Current Accounts	795.28	795.28	0.00	For appropriate presentation
6.	Schedule 10	Schedule 10				
	Information technology	Intangibles	260.46	260.46	0.00	For appropriate presentation
7.	Profit & Loss A/c	Profit & Loss A/c				
	Contribution to Policyholders A/c (a) Towards Excess Expenses of Management	Expense other than those related to the insurance business	1,825.70	1,825.70	0.00	For appropriate presentation

47. Ratios as prescribed by IRDAI (LIC):

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
1	New Business Premium Growth Rate (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life	34.06%	198.65%
	b) Pension	9.81%	69.87%
	c) Health	NA	NA

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
(ii)	गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	-8.97%	-12.91%
	ख) वार्षिकी	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ग) पेंशन	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी युक्त:		
	क) जीवन	50.95%	0.22%
	ख) वार्षिकी	-0.79%	7.65%
	ग) पेंशन	-0.29%	-0.73%
	घ) स्वास्थ्य	-98.58%	-68.27%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
2	एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	50.00%	48.21%
3	कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से संबद्ध नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	24.22%	19.88%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	99.86%	99.86%
5	संरक्षण अनुपात (खंड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	108.93%	108.64%
	ख) पेंशन	92.33%	101.72%
	ग) स्वास्थ्य	87.24%	88.65%
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	93.55%	91.84%
	ख) वार्षिकी	89.61%	86.05%
	ग) पेंशन	88.56%	87.79%
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	65.07%	66.10%
	ख) वार्षिकी	95.58%	83.89%
	ग) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह)	63.08%	28.34%
	घ) स्वास्थ्य	90.82%	83.86%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	43.80%	92.74%
	(iii) सीआरएसी	93.42%	90.06%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय	11.91%	12.42%

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
	d) Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life	-8.97%	-12.91%
	b) Annuity	NA	NA
	c) Pension	NA	NA
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	Non Participating:		
	a) Life	50.95%	0.22%
	b) Annuity	-0.79%	7.65%
	c) Pension	-0.29%	-0.73%
	d) Health	-98.58%	-68.27%
	e) Variable Insurance	NA	NA
2	Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	50.00%	48.21%
3	Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	24.22%	19.88%
4	Net Retention Ratio	99.86%	99.86%
5	Conservation Ratio (Segment wise)		
	(i) Linked Business:		
	a) Life (Individual and Group)	108.93%	108.64%
	b) Pension	92.33%	101.72%
	c) Health	87.24%	88.65%
	d) Variable Insurance	NA	NA
	(ii) Non-Linked Business:		
	Participating:		
	a) Life	93.55%	91.84%
	b) Annuity	89.61%	86.05%
	c) Pension	88.56%	87.79%
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	Non Participating:		
	a) Life (Individual and Group)	65.07%	66.10%
	b) Annuity	95.58%	83.89%
	c) Pension (Individual and Group)	63.08%	28.34%
	d) Health	90.82%	83.86%
	e) Variable Insurance	43.80%	92.74%
	(iii) CRAC	93.42%	90.06%
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	11.91%	12.42%

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
7	कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार से)	4.55%	5.18%
8	व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय का नव व्यापार प्रीमियम से	0.02%	0.02%
9	ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क / प्रभार का नव व्यवसाय प्रीमियम से अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
10	पॉलिसीधारकों की निधि का शेयरधारकों की निधि से अनुपात	32.45	43.18
11	नेट वर्थ में परिवर्तन (राशि ₹ करोड़ में)	49,168.64	44,249.58
12	नेट वर्थ में वृद्धि	38.96%	54.00%
13	अधिशेष का पॉलिसीधारक निधि से अनुपात	0.0096	0.0088
14	कर पश्चात लाभ/कुल आय	5.80%	5.43%
15	(कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति)	0.03	0.03
16	कुल निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)	31.46	41.82
17	कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)	0.24	0.36
18	निवेश प्रतिफल-(सकल और निवल)-फंड वार और प्राप्त/अप्राप्त लाभ के साथ		
	(अ) अप्राप्त लाभ के बिना		
	पॉलिसीधारकों की निधियाँ: असंबद्ध सहभागी	8.37%	8.15%
	असंबद्ध गैर सहभागी	10.01%	9.65%
	संबद्ध	8.57%	9.17%
	कुल	8.92%	8.65%
	अंशधारको की निधियाँ	6.61%	6.93%
	(ब) अप्राप्त लाभ के साथ		
	पॉलिसीधारक की निधियाँ: असंबद्ध सहभागी	6.59%	7.51%
	असंबद्ध गैर सहभागी	4.52%	7.88%
	संबद्ध	-0.71%	8.81%
	कुल	5.82%	7.64%
	अंशधारको की निधियाँ	6.10%	6.81%
19	पर्सिस्टेंसी अनुपात - प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए	74.64%	74.84%
	25वें महीने के लिए	68.98%	70.99%
	37वें महीने के लिए	66.94%	66.11%
	49वें महीने के लिए	63.03%	61.51%
	61वें महीने के लिए	59.31%	63.12%
	पर्सिस्टेंसी अनुपात - प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.42%	99.43%
	25वें महीने के लिए	98.66%	98.70%
	37वें महीने के लिए	97.53%	97.24%
	49वें महीने के लिए	95.79%	96.26%
	61वें महीने के लिए	94.37%	94.95%

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
7	Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium)	4.55%	5.18%
8	Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium	0.02%	0.02%
9	Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium	NA	NA
10	Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds	32.45	43.18
11	Change in net worth (Amount in ₹Crore)	49,168.64	44,249.58
12	Growth in Networth	38.96%	54.00%
13	Ratio of Surplus to Policyholders' Fund	0.0096	0.0088
14	Profit after tax / Total Income	5.80%	5.43%
15	(Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets)	0.03	0.03
16	Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus)	31.46	41.82
17	Total Affiliated Investments/(Capital+ Reserves and Surplus)	0.24	0.36
18	Investment Yield - (Gross and Net) -Fund wise and With/ Without realized gain		
	(A) Without unrealized gain		
	Policyholder's Fund: Non Linked Par	8.37%	8.15%
	Non Linked Non Par	10.01%	9.65%
	Linked	8.57%	9.17%
	Total	8.92%	8.65%
	Shareholder's Fund	6.61%	6.93%
	(B) With unrealized gain		
	Policyholder's Fund:Non Linked Par	6.59%	7.51%
	Non Linked Non Par	4.52%	7.88%
	Linked	-0.71%	8.81%
	Total	5.82%	7.64%
	Shareholder's Fund	6.10%	6.81%
19	Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/ Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	74.64%	74.84%
	For 25 th month	68.98%	70.99%
	For 37 th month	66.94%	66.11%
	For 49 th Month	63.03%	61.51%
	For 61 st month	59.31%	63.12%
	Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/ Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.42%	99.43%
	For 25 th month	98.66%	98.70%
	For 37 th month	97.53%	97.24%
	For 49 th Month	95.79%	96.26%
	For 61 st month	94.37%	94.95%

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	पर्सिस्टेंसी अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए	64.87%	64.12%
	25वें महीने के लिए	57.65%	59.32%
	37वें महीने के लिए	55.29%	52.66%
	49वें महीने के लिए	49.78%	48.79%
	61वें महीने के लिए	46.88%	50.31%
	पर्सिस्टेंसी अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.61%	99.47%
	25वें महीने के लिए	98.75%	98.75%
	37वें महीने के लिए	97.54%	97.29%
	49वें महीने के लिए	95.92%	95.66%
	61वें महीने के लिए	93.62%	94.47%
20	एनपीए अनुपात		
	पॉलिसीधारकों की निधि		
	असंबद्ध सहभागी सकल एनपीए अनुपात	1.46%	1.76%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	असंबद्ध गैर सहभागी सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	संबद्ध सकल एनपीए अनुपात	7.61%	30.17%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	कुल सकल एनपीए अनुपात	1.21%	1.46%
	कुल शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	अंशधारकों की निधि		
	सकल एनपीए अनुपात	0.00%	1.38%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
21	सॉल्वेंसी अनुपात (भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)	2.35	2.11
22	ऋण इक्विटी अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
23	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
24	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
25	औसत टिकट आकार ₹ – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)	19,442.08	19,310.94
	जीवन बीमाकर्ताओं के लिए इक्विटी होल्डिंग पैटर्न और आय संबंधी जानकारी:		
1.	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	632.50	632.50
2.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	भारतीय	99.64%	99.85%
	विदेशी	0.36%	0.15%

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)		
	For 13 th month	64.87%	64.12%
	For 25 th month	57.65%	59.32%
	For 37 th month	55.29%	52.66%
	For 49 th Month	49.78%	48.79%
	For 61 st month	46.88%	50.31%
	Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category)		
	For 13 th month	99.61%	99.47%
	For 25 th month	98.75%	98.75%
	For 37 th month	97.54%	97.29%
	For 49 th Month	95.92%	95.66%
	For 61 st month	93.62%	94.47%
20	NPA Ratio		
	Policyholders' Funds		
	Non linked Par Gross NPA Ratio	1.46%	1.76%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Non linked Non Par Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	CRAC Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Linked Gross NPA Ratio	7.61%	30.17%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Total Gross NPA Ratio	1.21%	1.46%
	Total Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Shareholders' Funds		
	Gross NPA Ratio	0.00%	1.38%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
21	Solvency Ratio (Within India business)	2.35	2.11
22	Debt Equity Ratio	NA	NA
23	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA
24	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA
25	Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)	19,442.08	19,310.94
	Equity Holding Pattern for Life Insurers and information on earnings:		
1.	No. of shares (in crores)	632.50	632.50
2.	Percentage of shareholding		
	Indian	99.64%	99.85%
	Foreign	0.36%	0.15%

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2025 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
3.	सरकारी हिस्सेदारी का प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	96.50%	96.50%
4.	मूल ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
5.	डायल्यूटेड ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) से पहले (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
6.	मूल ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
7.	डायल्यूटेड ईपीएस असाधारण मदों (कर व्यय को घटाकर) के बाद (वार्षिकीकृत नहीं किया जाएगा)	90.78	76.13
8.	प्रति शेयर बुक वैल्यू (₹)	277.24	199.51

48. पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुसार बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहन किया गया है।

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

Sl. No.	Particular	For the year ended / As at 31 st March 2026	For the year ended / As at 31 st March 2025
3.	Percentage of Government holding (in case of public sector insurance companies)	96.50%	96.50%
4.	Basic EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
5.	Diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
6.	Basic EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
7.	Diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the period (not to be annualized)	90.78	76.13
8.	Book value per share (₹)	277.24	199.51

"NA" Not applicable

48. Figures of the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to the current periods' presentation.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

वी शंकर अय्यर एंड कं. के लिए
For V Sankar Aiyar & Co
(FRN: 109208W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए जी. शंकर (साझेदार)
CA G. Sankar (Partner)
M.No. 046050

मुकुंद एम. चितले एंड कं. के लिए
For Mukund M. Chitale & Co.
(FRN:106655W)

सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सीए निशा यादव (साझेदार)
CA Nisha Yadav (Partner)
M.No. 135775

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

आर दुरैस्वामि
R. Doraiswamy

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं प्रबंध निदेशक
CEO & MD
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत
प्रबंध निदेशक
Dinesh Pant
Managing Director
(DIN: 11134993)

सुनील अग्रवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Sunil Agrawal
Chief Financial Officer

डॉ. वी. एस. पार्थसारथी
Dr. V.S. Parthasarathy

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
एवं स्वतंत्र निदेशक
Chairperson of Audit
Committee and
Independent Director
(DIN: 00125299)

अजय कुमार श्रीवास्तव
नियुक्त बीमांकक
Ajay Kumar Srivastava
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह
कंपनी सचिव
Anshul Kumar Singh
Company Secretary

Place : Mumbai
Date: 21.05.2026

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Share Holders)	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामें) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,01,427.02	2,99,235.54	-	2,498.99	-	(485.32)
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	(847.21)	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	33,61,788.57	6,27,066.85	41,329.60	8,95,716.38	4,738.66	1,83,510.70
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (POLICY HOLDERS)	1.02	-	-	-	-	-
बंद पॉलिसियों के लिये निधि: FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES:						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on Account of Non-Payment of Premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES	50,165.22	8.97	-	-	-	5.72
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	36,13,381.83	9,25,464.15	41,329.60	8,98,215.37	4,738.66	1,83,031.10
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	1,303.23	-	1,072.64	-	765.72	-

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2026

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,71,232.86	1,71,232.86		1,71,232.86
-	-	-	-	-	(952.52)	(952.52)		(952.52)
-	-	-	-	-	275.27	275.27		275.27
-	-	-	-	-	1,76,880.61	1,76,880.61	-	1,76,880.61
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	56.42	48.99	20.22		5,02,801.86	-	5,02,801.86
-	-	-	-	-	-	(847.21)	-	(847.21)
32.92	493.61	220.83	36.94	60.79		51,14,995.85	91.68	51,15,087.53
-	-	-	-	-	-	1.02	-	1.02
-	-	1,276.30	233.47	-		1,509.77	-	1,509.77
-	-	9.06	4.34	-		13.40	-	13.40
-	-	(0.33)	-	-		50,179.58	0.35	50,179.93
-	-	50,048.18	8,840.10	1,801.00		60,689.28	-	60,689.28
32.92	493.61	51,610.46	9,163.84	1,882.01	-	57,29,343.55	92.03	57,29,435.58
-	-	65.61	7.86	-	-	73.47	-	73.47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,141.59	-	3,141.59

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	36,14,685.06	9,25,464.15	42,402.24	8,98,215.37	5,504.38	1,83,031.10
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	33,39,866.43	9,16,288.31	41,565.00	8,82,055.65	5,539.82	1,80,240.29
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,30,265.71	239.87	-	-	-	738.29
अचल सम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	4,735.99	17.71	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	0.09	-	-	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	52,877.47	12,299.15	1.57	5,531.79	-	967.05
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,19,889.05	17,528.92	715.58	16,029.25	45.20	3,406.62
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	1,72,766.52	29,828.07	717.15	21,561.04	45.20	4,373.67
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	24,239.80	7,742.60	(135.79)	3,411.83	80.55	1,879.83
प्रावधान PROVISIONS	1.45	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	24,241.25	7,742.60	(135.79)	3,411.83	80.55	1,879.83
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,48,525.27	22,085.47	852.94	18,149.21	(35.35)	2,493.84
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	36,23,393.49	9,38,631.36	42,417.94	9,00,204.86	5,504.47	1,83,472.42

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2026

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.92	493.61	51,676.07	9,171.70	1,882.01	1,76,880.61	59,09,439.22	92.03	59,09,531.25
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,49,839.14	1,49,839.14	-	1,49,839.14
5.00	727.11	1,393.40	443.61	51.55		53,68,176.17	153.09	53,68,329.26
-	-	51,318.86	9,067.92	1,801.00		62,187.78	-	62,187.78
1.18	-	4.28	-	-	-	1,31,249.33	-	1,31,249.33
-	-	-	-	-	2.96	4,756.66	-	4,756.66
-	-	-	-	-	0.26	0.35	-	0.35
-	4.33	0.12	0.05	0.06	331.57	72,013.16	0.01	72,013.17
0.48	29.96	59.52	10.09	1.89	2,468.76	1,60,185.32	(4.61)	1,60,180.71
0.48	34.29	59.64	10.14	1.95	2,800.33	2,32,198.48	(4.60)	2,32,193.88
(13.06)	226.96	1,193.34	353.44	(1.04)	11.41	38,989.87	33.83	39,023.70
-	-	-	-	-	-	1.45	-	1.45
(13.06)	226.96	1,193.34	353.44	(1.04)	11.41	38,991.32	33.83	39,025.15
13.54	(192.67)	(1,133.70)	(343.30)	2.99	2,788.92	1,93,207.16	(38.43)	1,93,168.73
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.72	534.44	51,582.84	9,168.23	1,855.54	1,52,631.28	59,09,416.59	114.66	59,09,531.25

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	-	-	-
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	-	-	-	-	-	-
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन खाता CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	-	-	-	-	-	-
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Shareholders)	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	-	-	-	-	-	-
उधारी BORROWINGS	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामों) उचित मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,58,272.36	3,69,185.70	-	19,724.25	-	232.45
हेज उतार चढ़ाव आरक्षित निधि HEDGE FLUCTUATION RESERVE	-	10.62	-	-	-	-
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	31,50,900.50	5,53,081.91	41,058.11	8,31,543.29	4,817.85	1,67,931.18
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (Policyholders)	0.99	-	-	-	-	-
बंद पॉलिसियों के लिये निधि: FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES:						
(i) प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना (i) Discontinued on Account of Non-Payment Of Premium	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य (ii) Others	-	-	-	-	-	-
बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES	35,973.02	5.19	-	-	-	3.62
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	34,45,146.87	9,22,283.42	41,058.11	8,51,267.54	4,817.85	1,68,167.25

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life Business	पेंशन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
-	-	-	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,21,195.90	1,21,195.90	-	1,21,195.90
-	-	-	-	-	(294.51)	(294.51)	-	(294.51)
-	-	-	-	-	277.27	277.27	-	277.27
-	-	-	-	-	1,27,503.66	1,27,503.66	-	1,27,503.66
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	66.79	51.13	21.02	-	6,47,553.70	-	6,47,553.70
-	-	-	-	-	-	10.62	-	10.62
104.94	516.73	73.50	34.25	46.42	-	47,50,108.68	131.38	47,50,240.06
-	-	-	-	-	-	0.99	-	0.99
-	-	671.27	119.54	-	-	790.81	-	790.81
-	-	9.09	4.89	-	-	13.98	-	13.98
-	-	0.09	-	-	-	35,981.92	0.35	35,982.27
-	-	36,804.15	8,929.35	1,931.25	-	47,664.75	-	47,664.75
104.94	516.73	37,624.89	9,139.16	1,998.69	-	54,82,125.45	131.73	54,82,257.18

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS						
संबद्ध Linked	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (असहभागी) Non-linked (Non - Par)	-	-	-	-	-	-
असंबद्ध (सहभागी) Non-linked (Par)	631.21	-	498.16	-	643.99	-
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध) / DEFERRED TAX LIABILITIES (NET)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,45,778.08	9,22,283.42	41,556.27	8,51,267.54	5,461.84	1,68,167.25
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS						
निवेश / INVESTMENTS						
शेयरधारकों के / Shareholders'	-	-	-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	31,91,627.57	9,24,614.59	40,729.42	8,34,958.64	5,496.45	1,63,877.61
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	-	-	-	-	-	-
ऋण / LOANS	1,28,113.36	180.59	-	-	-	647.99
अचल सम्पतियाँ FIXED ASSETS	4,466.84	12.30	-	-	-	-
आस्थगित कर सम्पतियाँ (शुद्ध) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)	0.17	-	-	-	-	-
चालू सम्पतियाँ / CURRENT ASSETS:						
रोकड़ एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances	43,762.80	16,700.60	1.10	4,323.31	6.23	2,403.52
अग्रिम एवं अन्य सम्पतियाँ Advances and Other Assets	1,04,476.18	15,420.61	701.75	15,229.93	46.03	3,214.41
उप-योग (क) Sub-Total (A)	1,48,238.98	32,121.21	702.85	19,553.24	52.26	5,617.93
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	19,157.33	8,853.51	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
प्रावधान PROVISIONS	3.02	14,943.06	-	-	-	-
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	19,160.35	23,796.57	(140.76)	2,154.17	86.77	1,857.41
शुद्ध चालू सम्पतियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	1,29,078.63	8,324.64	843.61	17,399.07	(34.51)	3,760.52
विविध व्यय (जो अपलिखित या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-	-	-	-
लाभ-हानि खाते में नाम शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	-	-	-	-	-	-
राजस्व खाते में घाटा (पॉलिसीधारकों का खाता) DEFICIT IN REVENUE ACCOUNT (POLICYHOLDERS' ACCOUNT)	-	-	-	-	-	-
कुल / TOTAL	34,53,286.57	9,33,132.12	41,573.03	8,52,357.71	5,461.94	1,68,286.12

Annexure - I

FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health							
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life Business	पेंशन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health				
-	-	55.05	-	-	-	55.05	-	55.05
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,773.36	-	1,773.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.94	516.73	37,679.94	9,139.16	1,998.69	1,27,503.66	56,11,457.52	131.73	56,11,589.25
-	-	-	-	-	1,02,869.66	1,02,869.66	-	1,02,869.66
89.30	757.04	1,469.28	440.88	42.83	-	51,64,103.61	194.65	51,64,298.26
-	-	37,460.30	9,043.20	1,931.25	-	48,434.75	-	48,434.75
3.32	-	4.65	-	-	11.58	1,28,961.49	-	1,28,961.49
-	-	-	-	-	4.04	4,483.18	-	4,483.18
-	-	-	-	-	0.10	0.27	-	0.27
-	4.77	108.45	6.86	0.03	2,566.99	69,884.66	-	69,884.66
3.74	32.29	46.95	10.51	2.50	2,453.83	1,41,638.73	(2.54)	1,41,636.19
3.74	37.06	155.40	17.37	2.53	5,020.82	2,11,523.39	(2.54)	2,11,520.85
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	8.29	33,997.70	35.43	34,033.13
-	-	-	-	-	-	14,946.08	-	14,946.08
(9.91)	224.20	1,486.31	351.98	(31.60)	8.29	48,943.78	35.43	48,979.21
13.65	(187.14)	(1,330.91)	(334.61)	34.13	5,012.53	1,62,579.61	(37.97)	1,62,541.64
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
106.27	569.90	37,603.32	9,149.47	2,008.21	1,07,897.91	56,11,432.57	156.68	56,11,589.25

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,84,895.29	1,07,426.47	319.48	1,06,654.25	1.67	15,825.84
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(119.28)	(546.30)	(0.10)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	2,84,776.01	1,06,880.17	319.38	1,06,654.25	1.67	15,825.84
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	2,14,446.81	42,824.95	3,114.76	58,314.29	377.02	12,097.48
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	44,788.99	39,297.98	27.94	8,531.67	0.53	361.49
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(1,252.75)	(359.34)	(0.80)	(57.97)	(2.33)	(0.52)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	(77.02)	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छुट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments	7,850.04	663.16	153.79	548.96	(6.90)	188.74
अन्य आय / Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	126.20	(2.65)	(0.02)	-	-	(0.15)
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	2,254.17	278.57	-	152.50	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान / Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	2,390.81	-	19.22	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WT/ Other KMPs	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (c) Others	12.65	-	-	-	-	-
कुल (अ) / TOTAL (A)	5,55,315.91	1,89,582.84	3,634.27	1,74,143.70	369.99	28,472.88

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2026

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life Business	पेंशन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health			
2.58	257.10	20,835.67	2,103.27	56.03	5,38,377.65	0.85	5,38,378.50
-	(85.46)	(0.94)	-	(22.63)	(774.71)	-	(774.71)
-	-	-	-	-	-	-	-
2.58	171.64	20,834.73	2,103.27	33.40	5,37,602.94	0.85	5,37,603.79
7.33	56.08	1,322.66	292.16	84.16	3,32,937.70	13.72	3,32,951.42
1.38	5.29	1,854.67	837.30	132.88	95,840.12	1.28	95,841.40
(0.94)	-	(60.15)	(133.14)	(0.74)	(1,868.68)	(0.01)	(1,868.69)
-	-	(3,445.35)	(1,048.91)	(180.65)	(4,751.93)	-	(4,751.93)
(0.01)	3.26	0.03	(0.05)	(0.02)	9,401.00	0.37	9,401.37
-	-	-	-	-	123.38	-	123.38
(0.05)	(0.01)	(1.07)	-	-	2,684.11	-	2,684.11
-	-	-	-	-	2,410.03	-	2,410.03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12.65	-	12.65
10.29	236.26	20,505.52	2,050.63	69.03	9,74,391.32	16.21	9,74,407.53

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	21,028.41	2,402.46	6.50	-	0.03	442.68
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	34,679.63	2,905.86	52.51	287.60	6.20	350.33
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(739.35)	4.70	0.07	-	-	1.70
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान (शुद्ध)^ Provisions for Tax (Net)^	(9,773.10)	5,072.41	-	414.24	0.01	169.26
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)	(315.38)	(31.88)	-	-	-	-
(ख) संदिग्ध ऋणपत्र और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures, Bonds and others	(338.32)	(3.68)	(0.36)	0.90	-	(1.84)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	44,541.89	10,349.87	58.72	702.74	6.24	962.13
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,85,756.30	76,885.64	2,713.47	1,06,422.83	321.12	10,768.71
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	8,356.30	-	0.41	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,10,890.79	59,041.87	271.49	64,173.09	(79.19)	15,579.52
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies	-	-	-	-	-	-
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Policies	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2026

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	जीवन व्यवसाय Life Business	पेन्शन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
0.10	13.42	601.55	57.93	2.46	24,555.54	0.01	24,555.55
0.04	41.06	1,199.92	118.66	11.04	39,652.85	0.34	39,653.19
(0.01)	-	(0.05)	(78.42)	-	(811.36)	-	(811.36)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	22.54	26.04	-	2.76	(4,065.84)	17.44	(4,048.40)
-	-	(44.59)	(47.91)	-	(439.76)	-	(439.76)
(0.08)	-	-	-	-	(343.38)	-	(343.38)
-	-	124.15	18.79	5.82	148.76	-	148.76
0.05	77.02	1,907.02	69.05	22.08	58,696.81	17.79	58,714.60
95.07	27.60	5,111.63	1,906.24	143.88	4,90,152.49	5.65	4,90,158.14
-	-	-	-	-	8,356.71	-	8,356.71
(72.02)	(23.12)	147.33	2.69	14.37	3,49,946.82	(39.70)	3,49,907.12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,084.53	(89.25)	(130.25)	12,865.03	-	12,865.03
-	-	605.95	113.96	-	719.91	-	719.91

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय (f) Funds for future appropriation- Linked Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग) /TOTAL (C)	5,05,003.39	1,35,927.51	2,985.37	1,70,595.92	241.93	26,348.23
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	5,770.63	43,305.46	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associates	7,009.31	-	-	-	-	-
(घटाएं)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित (Less)/Add: Minority Interest	(28.23)	-	-	-	-	-
कुल अधिशेष (ड) Total Surplus/(Deficit) (E)	12,751.71	43,305.46	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
अशुद्धि के खाते (गैर तकनीकी खाता) से हस्तांतरित राशि Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	15.75	3,649.60	-	-	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	12,767.46	46,955.06	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
विनियोजन/ APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खातों में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	6,482.05	46,955.06	15.70	2,845.04	0.09	1,162.52
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	5,613.39	-	-	-	-	-
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष Balance being Funds for Future Appropriations	672.02	-	574.48	-	121.73	-
कुल (घ) / TOTAL (D)	12,767.46	46,955.06	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2026

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life Business	पेंशन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health			
-	-	10.56	7.86	-	18.42	-	18.42
23.05	4.48	18,960.00	1,941.50	28.00	8,62,059.38	(34.05)	8,62,025.33
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	53,635.13	32.47	53,667.60
-	-	-	-	-	7,009.31	-	7,009.31
-	-	-	-	-	(28.23)	-	(28.23)
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	60,616.21	32.47	60,648.68
12.81	-	537.20	17.21	-	4,232.57	-	4,232.57
-	154.76	175.70	57.29	18.95	64,848.78	32.47	64,881.25
-	154.76	175.70	57.29	18.95	57,867.16	32.47	57,899.63
-	-	-	-	-	5,613.39	-	5,613.39
-	-	-	-	-	1,368.23	-	1,368.23
-	154.76	175.70	57.29	18.95	64,848.78	32.47	64,881.25

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	8,356.30	-	0.41	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन* Allocation of Bonus to policyholders*	59,583.41		141.32	-	0.80	-
राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	12,751.71	43,305.46	590.18	2,845.04	121.82	1,162.52
कुल अधिशेष Total	80,691.42	43,305.46	731.91	2,845.04	122.62	1,162.52

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आवंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

लेखों पर टिप्पणियों की अनुसूची 16 (बी) के बिंदु संख्या 35 देखें।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

Refer Schedules 16 (B) point no. 35 of Notes to Accounts.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2026

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल GRAND TOTAL	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life	पेंशन व्यवसाय Pension	स्वास्थ्य Health			
-	-	-	-	-	8,356.71	-	8,356.71
		-	-	-	59,725.53	-	59,725.53
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	60,616.21	32.47	60,648.68
(12.81)	154.76	(361.50)	40.08	18.95	1,28,698.45	32.47	1,28,730.92

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,79,571.23	71,996.81	360.76	1,06,588.84	1.86	15,797.67
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(112.45)	(501.72)	(0.10)	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-
उप-योग / Sub-Total	2,79,458.78	71,495.09	360.66	1,06,588.84	1.86	15,797.67
निवेशों से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया - सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	2,05,542.81	40,202.56	3,095.70	55,158.00	374.04	11,503.47
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	38,617.90	30,455.71	-	6,396.50	0.12	18.78
(ग) (निवेशों की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	303.95	716.01	(24.28)	(343.24)	(8.36)	-
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	76.42	-	-	-	-	-
(ङ) प्रीमियम का परिशोधन/निवेश पर छुट (e) Amortisation of Premium/Discount on investments	(972.84)	(40.14)	(15.94)	-	(7.79)	(64.03)
अन्य आय / Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	70.74	(0.09)	-	-	-	-
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	183.55	288.16	-	139.21	-	-
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholders' A/c:						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	2,390.81	-	19.22	-	-	-
(ख) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी के पारिश्रमिक के लिए (b) Towards remuneration of MD/CEO/WTDD/Other KMPs	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life Business	पेंशन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health			
5.90	282.91	14,100.52	1,717.63	64.22	4,90,488.35	0.91	4,90,489.26
-	(87.37)	(0.63)	-	(11.60)	(713.87)	-	(713.87)
-	-	-	-	-	-	-	-
5.90	195.54	14,099.89	1,717.63	52.62	4,89,774.48	0.91	4,89,775.39
8.66	63.31	941.75	293.70	91.92	3,17,275.92	16.34	3,17,292.26
0.39	9.54	868.79	860.81	179.56	77,408.10	0.36	77,408.46
-	(0.35)	1.99	1.65	2.32	649.69	(0.50)	649.19
-	-	368.44	(417.80)	(106.70)	(79.64)	-	(79.64)
-	(0.10)	-	-	-	(1,100.84)	-	(1,100.84)
-	-	-	-	-	70.65	-	70.65
(0.15)	0.02	(0.94)	-	-	609.85	-	609.85
						-	-
-	100.26	-	98.87	8.24	2,617.40	-	2,617.40
-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ग) अन्य (c) Others	24.69	-	-	-	-	-
कुल (क) TOTAL (A)	5,25,696.81	1,43,117.30	3,435.36	1,67,939.31	359.87	27,255.89
कमीशन Commission	22,929.45	1,671.34	7.44	0.05	0.04	374.16
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	31,835.34	2,212.59	53.50	192.84	5.69	360.96
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(1,544.61)	0.20	-	-	-	1.41
डूबत ऋणों का अपलेखन Bad debts written off	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान Provisions for tax	1,637.83	5,698.37	-	370.49	0.01	101.96
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation):						
(क) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध) (a) For diminution in the value of investments (Net)	(35.91)	31.87	-	-	-	-
(ख) अन्य के लिए: संदिग्ध ऋणपर और बांड के लिए प्रावधान (b) For others: Provision for doubtful Debentures & Bonds	(601.79)	(14.26)	(5.36)	(18.61)	(0.12)	(3.94)
यूलिप शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges	-	-	-	-	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	54,220.31	9,600.11	55.58	544.77	5.62	834.55
प्रदत्त लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,49,703.60	58,367.99	2,677.62	92,400.68	333.90	9,762.07
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	3,075.31	-	0.49	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies						
(क) सकल** (a) Gross**	2,12,229.30	37,935.75	333.27	72,449.34	(134.69)	15,959.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies	-	-	-	-	-	-

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life Business	पेंशन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health			
-	-	-	-	-	24.69	-	24.69
14.80	368.22	16,279.92	2,554.86	227.96	8,87,250.30	17.11	8,87,267.41
0.16	19.46	362.14	51.96	3.15	25,419.35	0.02	25,419.37
0.14	54.10	739.43	108.72	10.34	35,573.65	0.46	35,574.11
-	(0.01)	(1.32)	(0.24)	-	(1,544.57)	(0.17)	(1,544.74)
-	-	-	-	-	-	-	-
0.45	44.25	34.38	-	6.97	7,894.71	21.66	7,916.37
-	-	5.32	3.34	2.02	6.64	-	6.64
-	(0.03)	-	-	-	(644.11)	-	(644.11)
-	-	180.83	29.79	12.72	223.34	-	223.34
0.75	117.77	1,320.78	193.57	35.20	66,929.01	21.97	66,950.98
7.89	23.60	2,493.63	1,570.92	160.36	4,17,502.26	5.72	4,17,507.98
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
3.87	(77.06)	22.19	(7.31)	(1.61)	3,38,712.09	(50.91)	3,38,661.18
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,162.09	508.80	(13.88)	12,657.01	-	12,657.01

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
(ड) बंद पॉलिसियों के लिए निधि	-	-	-	-	-	-
(e) Fund for Discounted Policies	-	-	-	-	-	-
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय	-	-	-	-	-	-
(f) Transfer to Funds for future appropriation- Linked Business	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)/TOTAL (C)	4,65,008.21	96,303.74	3,011.38	1,64,850.02	199.21	25,721.11
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग)	6,468.29	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)						
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा	4,847.22	-	-	-	-	-
Add: Share of Profit in Associates						
(घटाएं)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित	(41.13)	-	-	-	-	-
(Less)/Add: Minority Interest						
कुल अधिशेष/(घाटा) (ड)	11,274.38	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (E)						
अशुद्धियों के खाते (गैर तकनीकी खाता) से हस्तांतरित राशि	-	1,921.92	-	-	-	-
Amount transferred from Shareholders' Account (Non-Technical Account)						
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	11,274.38	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23
AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION						
विनियोजन/APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के खातों में अंतरण	6,332.20	39,135.37	16.76	2,544.52	0.10	700.23
Transfer to Shareholders' Account						
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण	4,860.11	-	-	-	-	-
Transfer to Other Reserves						
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष	82.07	-	351.64	-	154.94	-
Balance being Funds for Future Appropriations						
कुल (घ)/TOTAL (D)	11,274.38	39,135.37	368.40	2,544.52	155.04	700.23

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business		गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non Participating	जीवन व्यवसाय Life Business	पेंशन व्यवसाय Pension Business	स्वास्थ्य Health				
-	-	328.26	68.91	-		397.17	-	397.17
-	-	25.04	-	-		25.04	-	25.04
11.76	(53.46)	15,031.21	2,141.32	144.87		7,72,369.37	(45.19)	7,72,324.18
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89		47,951.92	40.33	47,992.25
-	-	-	-	-		4,847.22		4,847.22
-	-	-	-	-		(41.13)		(41.13)
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89		52,758.01	40.33	52,798.34
-	-	304.34	29.16	-		2,255.42	-	2,255.42
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89		55,013.43	40.33	55,053.76
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89		49,564.67	40.33	49,605.00
-	-	-	-	-		4,860.11	-	4,860.11
-	-	-	-	-		588.65	-	588.65
2.29	303.91	232.27	249.13	47.89		55,013.43	40.33	55,053.76

अनुबंध - I
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the year

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	3,075.31	-	0.49	-	-	-
पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन* Allocation of Bonus to policyholders*	56,179.39		150.86		0.85	
राजस्व खाते में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	11,274.38	37,213.45	368.40	2,544.52	155.04	700.23
कुल अधिशेष Total	70,529.08	37,213.45	519.75	2,544.52	155.89	700.23

* विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

** बोनस आवंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

* Represents the deemed realised gain as per specified norms.

** Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

Annexure - I

FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2025

(In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

गैर-संबद्ध व्यवसाय		संबद्ध व्यवसाय			कुल	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय	कुल
Non Linked Business	Linked						
परिवर्तनीय	स्वास्थ्य	जीवन व्यवसाय	पेंशन व्यवसाय	स्वास्थ्य			
Variable	Health						
गैर-सहभागी	गैर-सहभागी	Life	Pension	Health			
Non Participating	Non Participating						
-	-	-	-	-	3,075.80	-	3,075.80
		-	-	-	56,331.10	-	56,331.10
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	52,758.01	40.33	52,798.34
2.29	303.91	(72.07)	219.97	47.89	1,12,164.91	40.33	1,12,205.24

Results of Indian Embedded Value (IEV) and Value of New Business (VNB) of the Life Insurance Corporation of India as at 31.03.2026

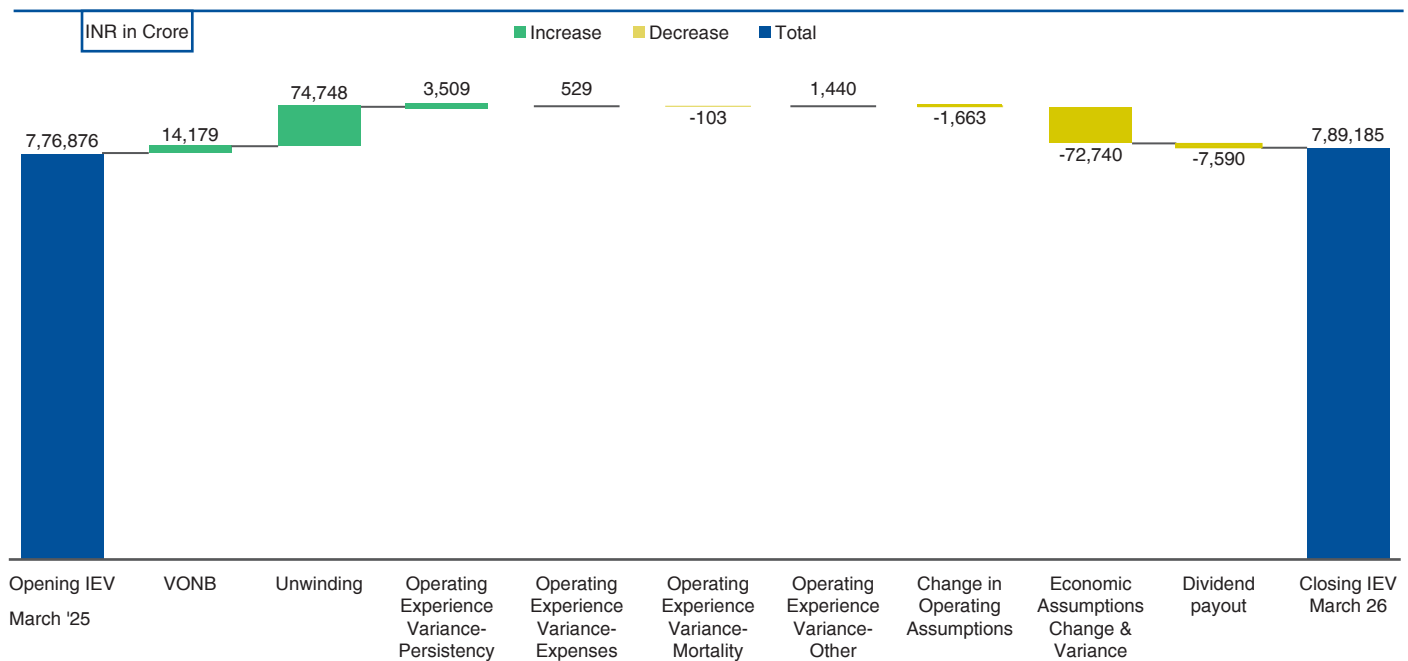
ANNUALIZED PREMIUM EQUIVALENT (APE) (IN INR CRs)

Line of Business	Amount
Individual Par	28,121
Individual Non Par	15,214
Group	23,626
Total	66,961

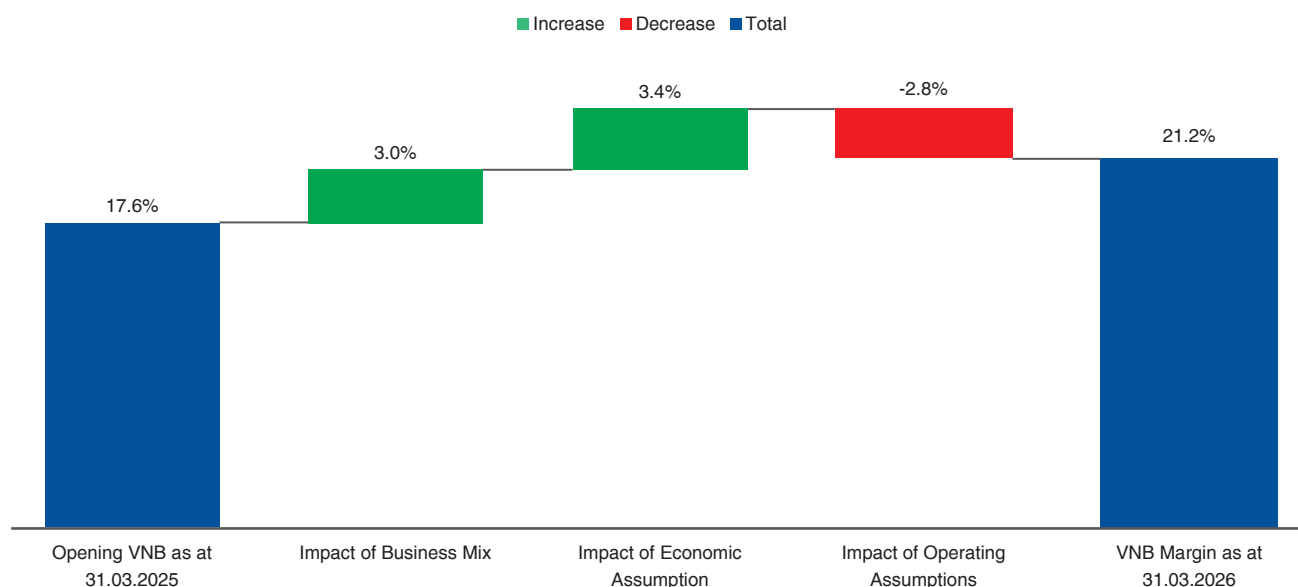
- Embedded Value of the Corporation - ₹ 7,89,185/-Crs (₹ 7,76,876/- Crs as at 31.03.2025)
- Value of New Business - ₹ 14,179 Crs (₹ 10,011 Crs as at 31.03.2025)
- New Business Margin – 21.2% (17.6% as at 31.03.2025)

MOVEMENT OF IEV (IN INR CRs)

Indian Embedded Value (IEV) Walk –March 2025 to March 2026



MOVEMENT OF VALUE OF NEW BUSINESS MARGIN (%)



Sensitivities

Scenario	Change in Embedded Value	Change in new Business Margin
Base results	7,89,185	21.2%
Reference rates		
An increase of 100 bps in the reference rates	(0.4%)	4.9%
A decrease of 100 bps in the reference rates	0.3%	(7.1%)
Acquisition expenses		
10% increase in acquisition expenses	NA	(0.6%)
10% decrease in acquisition expenses	NA	0.6%
Maintenance expenses		
10% increase in maintenance expenses	(0.5%)	(0.9%)
10% decrease in maintenance expenses	0.5%	0.9%
Persistency		
10% increase in the withdrawal rates	(0.2%)	(0.9%)
10% decrease in the withdrawal rates	0.3%	1.0%
Mortality/Morbidity		
An increase of 5% in the mortality/ morbidity rates	(0.1%)	(0.3%)
A decrease of 5% in the mortality/ morbidity rates	0.1%	0.3%
Taxation		
Assumed tax rate increased to 25%	(9.6%)	(2.7%)
Equity		
Equity values decrease by 10%	(6.2%)	(0.6%)

*Figures may not add up due to rounding off.

The methodology, assumptions and the results of Embedded Value have been reviewed by BDO India Services Private Limited.

Glossary of Terms

AAUM	Average Assets under Management	CRM	Customer Relationship Management
AES	Advanced Economies	CRNHR	Cost of Residual Non-Hedgeable Risks
AGM	Annual General Meeting	CSR	Corporate Social Responsibility
AI	Artificial Intelligence	CTC	Computer Training Centres
AIF	Alternative Investment Fund	DCMC	Deposit Collection & Management Centre
ALM	Asset Liability Management	DRHP	Draft Red herring Prospectus
AMT	Asset Management Tool	EBPP	Electronic Bill Presentation and Payment
ANANDA	Atma Nirbhar Agents New Business Digital Application	ECLGS	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
ANF	Automated Non Forfeiture	EDMS	Enterprise Document Management System
APA	Annuity Per Annum	IEM	Independent External Monitors
APE	Annualised Premium Equivalent	EMDEs	Emerging Market and Developing Economies
APPS	Auto Premium Payment System	E-NACH	Electronic National Automated Clearing House
APS10	Actuarial Practice Standard 10	ERM	Enterprise Risk Management
AUM	Assets Under Management	ETC	Employee Training Centre
BAC	Building Advisory Committee	ETCF	Exchange Traded Currency Future
BCM	Business Continuity Measures	ETF	Exchange Traded Fund
BE	Budget Estimate	EV	Embedded Value
BG	Bank Guarantee	FCT	Free Commercial Time
BHIM	Bharat Interface for Money	FDI	Foreign Direct Investment
BoD	Board of Directors	FEDAI	Foreign Exchange Dealers Association of India
BRSR	Business Responsibility & Sustainability Report	FIMMDA	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
CERM	Committee of Executives on Risk Management	FPI	Foreign Portfolio Investors
CIBT	Critical Illness Base Table	FYP	First Year Premium
CIN	Corporate Identity Number	FYPI	First Year Premium Income
CISO	Chief Information Security Officer	GAAP	Generally Accepted Accounting Principles
CO	Central Office	GDP	Gross Domestic Product
COVID-19	Coronavirus Disease 2019	GDS	Global Depository Shares
CPGRAMS	Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System	GJF	Golden Jubilee Foundation
CPI	Consumer Price Index	GOI	Government of India
CPSC or CSC	Common Public Service Centre	GRO	Grievance Redressal Officer
CRAC	Capital Redemption and Annuity Certain Business	HCI	Hyper Converged Infrastructure
		HOD	Head of the Department

IAI	Institute of Actuaries of India	MDC	Management Development Centre
IASB	International Accounting Standard Board	MF	Mutual Fund
IBLNPS	IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme	MOF	Ministry of Finance
ICAI	Institute of Chartered Accountants of India	MPLS	Multiprotocol Label Switching
ICDS	Income Computation and Disclosure Standards	MSB	Major Surgical Benefit
ICMS	Integrated Complaint Management System	MSF	Marginal Standby Facility
IEV	Indian Embedded Value	MSMED	Micro, Small and Medium Enterprises Development
IFRS	International Financial Reporting Standards	MSP	Medical Service Provider
IGL	IDBI Gilts Limited	NBV	Net Book Value
IGMS	Integrated Grievance Management System	NCH	National Consumer Helpline
IHFL	IDBI Home Finance Limited	NCO	Notional Cash Option
IMF	International Monetary Fund	NEFT	National Electronic Fund Transfer
IMFs	Insurance Marketing Firms	NRC	Nomination & Remuneration Committee
INGRAM	Integrated Grievance Redress Mechanism	NSO	National Statistical Office
IO	International Operations	OLI	Official Language Implementation
IPP	Individual Pension Plan	P&GS	Pension & Group Schemes
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India	PAN	Permanent Account Number
ISO	International Organization for Standardization	PAT	Profit After Tax
ISSC	Information Security Steering Committee	PE	Provisional Estimates
IT SD	Information Technology – Software Development	PIDPI	Public Interest Disclosure and Protection of Informers
LAF	Liquidity Adjustment Facility	PLI	Production Linked Incentives
LC	Letter of Credit	PMJDY	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
LCA	Life Cycle Perspective / Assessments	PMJBY	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
LDB	Land Development Bank	PMKMDY	Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana
LIC CSL	LIC Cards Services Ltd.	PMLVMDY	Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan Dhan Yojana
LICI	Life Insurance Corporation of India	PMSYM	Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan
LICMF BAF	LIC MF Balanced Advantage Fund	PMVVY	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
LMS	Learning Management System	PPC	Policyholders' Protection Committee
LODR	Listing Obligations & Disclosures Requirement	PRAGATI	Performance Review Application, Growth And Trend Indicator
MAT	Minimum Alternate Tax	PTC	Pass Through Certificate
MCA	Ministry of Corporate Affairs	PTR	Port Turst
MD&A	Management Discussion and Analysis	RBI	Reserve Bank of India
		RCs	Reconstruction Companies

RE	Revised Estimates	TLTRO	Targeted Long-Term Repo Operations
RMCB	Risk Management Committee of the Board	UCS	Ulip Centralization System
RTI	Right to Information	UPI	Unified Payments Interface
SA	Sum Assured	USD	United States Dollar
SAE	Second Advance Estimates	VAW	Vigilance Awareness Week
SASF	Stressed Assets Stabilisation Fund	VNB	Value of New Business
SCs	Securitisation Companies	VRRR	Variable Rate Reverse Repo
SCWF	Senior Citizen Welfare Fund	WFH	Work From Home
SEBI	Securities and Exchange Board of India	WPC	With Profit Committee
SIA	Social Impact Assessments	WPI	Wholesale Price Index
SIEM	Security Information & Event Management	WRP	Weighted Received Premium
SRC	Stakeholders Relationship Committee	WSB	Water State Board
SRs	Security Receipts	YTM	Yield to Maturity
SSS	Salary Saving Scheme	ZMRs	Zonal Medical Referees
STF	State Financial Corporation	ZTC	Zonal Training Centre
TAT	Turn Around Time	ZUS	Zonal Underwriting Section

NOTES

[illegible]

**A Mark of
Distinction**

ACHIEVEMENTS DURING 2025-26

**LIC Achieved a Guinness World Record for selling the
"Most Life Insurance Policies in 24 hours"**

BRAND RANKING BY THIRD PARTIES



RECOGNITIONS

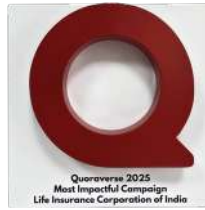
One of the World's Best Employers
2025 by Forbes

One of the Best BFSI Brands 2026 under
Life Insurance by ET Edge

Awards & Accolades 2025-26



**Best CTV Campaign for
Customer Acquisition -2025
(by ar-Agency Reporter)**



**Most Impactful Campaign
(by Quoraverse)**



**Best PR/Marketing Campaign
for spreading Life Insurance
(by CMO Asia)**



**Most Trusted Brands of India
(by Markmen Daily)**



**Pitch BFSI Award For Best use
of Channels & Mediums (by
exchange4media)**



**Excellence in Agency
Distribution (by CMO Asia)**



**Excellence in Claims Service
(by CMO Asia)**



**Dhanam Life Insurer
of the Year 2025 Award (Above
1 Trillion AUM)**



**Smart Insurer in the Life
Insurance - Large category for
the year 2025 (by ET Now)**



**Great Indian Organisation
in Digital and Social Media
Strategy (by Transformance)**



**Great Indian Organisation for
Corporate Communication
Excellence in the Insurance
Sector (by Transformance)**



**India's leading
Life Insurance Company (Large) (by
Dun & Bradstreet)**



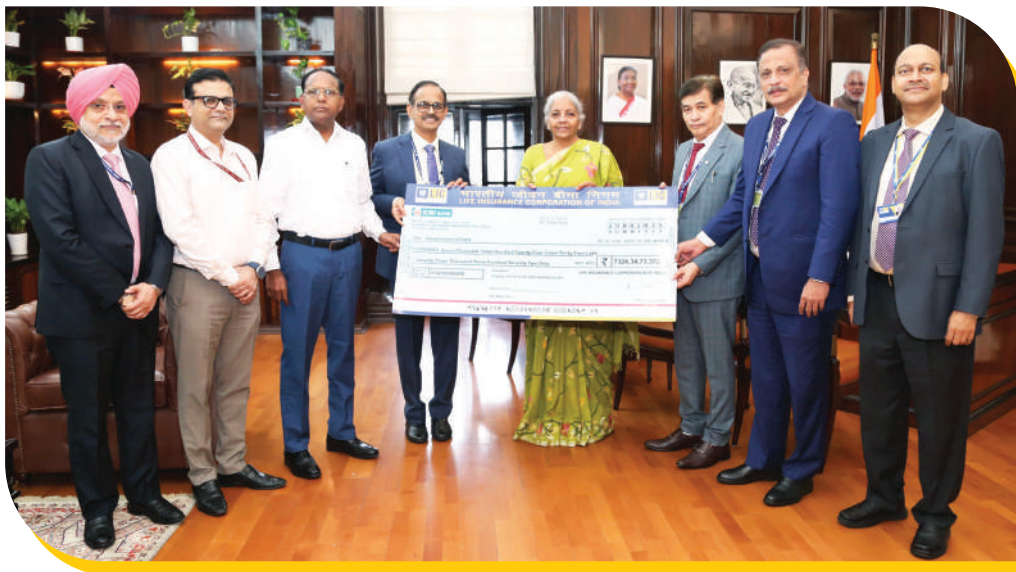
**National PSU Leadership & Governance
Excellence Award (by Times Aspire Inivom
Network Pvt. Ltd)**

Launching of LIC's Apps - "MYLIC" And "SUPER SALES SAATHI"



Shri Nagaraju M., Secretary, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, launched the **LIC's Customers App (MyLIC)** and the **Mobile App for the intermediaries (LIC's Super Sales Saathi)** in the presence of CEO & MD- Shri R. Doraiswamy, Managing Directors - Shri Dinesh Pant, Shri Ratnakar Patnaik, Shri R. Chander and a few senior officials of LIC of India on 15th April, 2026 at Mumbai.

Presentation of Dividend Cheque



Shri R Doraiswamy, CEO & MD, LIC of India, presenting the Dividend cheque of ₹ 7,324.34 Crore for the Financial Year 2024-25 to Honourable Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman. Seen with him are Shri Nagaraju M., the then Secretary, Dept. of Financial Services, Dr. Parshant Kumar Goyal, the then Joint Secretary, Dept. of Financial Services, along with the top management of LIC of India.



Har Pal Aapke Saath



Scan QR Code to download

<https://licindia.in/Investor Relations/ Financial Details/ Annual Report>

<https://licindia.in/Investor Relations/ Shareholder Service/Annual General Meeting/FY 2025-26>



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)
IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021
Tel. No.: 022 – 2202 2079 e-mail: investors@licindia.com; website: www.licindia.in

Date: July 03, 2026

Ref: Folio No./ DP Id & Client Id No: IN300239 - 15947967

Name of the Member(s): ULLAS PALLIKAVAYALIL CHACKO

Dear Member(s),

Subject: Weblink and QR code for the Notice of the 5th Annual General Meeting of Life Insurance Corporation of India and the Annual Report for the financial year 2025-26

We are pleased to inform you that the 5th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Life Insurance Corporation of India ("the Corporation") is scheduled to be held on Monday, July 27, 2026, at 11:00 a.m. (IST) through Video Conference ("VC") facility/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the provisions of Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956") read with rules and regulations made thereunder, Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI in this regard, from time to time.

Electronic copies of the Annual Report for the FY 2025-26 and the Notice of the 5th AGM have been e-mailed to all members whose e-mail addresses are registered with their Depository Participants (DPs) or the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Corporation, KFin Technologies Limited.

In accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations and other applicable circulars, this physical letter is being dispatched to you as your e-mail address is not registered with the Corporation, RTA or your DP. Please visit the web link or scan the QR code provided below to access the Notice of the 5th AGM and Annual Report for the FY 2025-26:

Portal / Website	Web Link	QR Code
Corporation's Website	https://licindia.in/2025-26-annual-general-meeting	
Stock Exchange Websites	www.bseindia.com www.nseindia.com	
E-voting Agency Website	https://www.evoting.nsdl.com	

Key details of the AGM are as under:

Event / Activity	Date & Time
Dividend payment Date	On or before August 25, 2026 (within 30 days from members' approval in the 5 th AGM)
E-voting Eligibility Cut-Off Date	Tuesday, July 21, 2026
Remote E-voting Window	Opens: Thursday, July 23, 2026 at 09:00 a.m. (IST) Closes: Sunday, July 26, 2026 at 05:00 p.m. (IST)
E-voting Event Number (EVEN)	140008
Live Webcast of AGM	https://www.evoting.nsdl.com/

Detailed instructions for remote e-voting and joining AGM through VC facility/OAVM are outlined in Para 13 and 14 of the Notes of the Notice of 5th AGM.

For better service experience and timely receipt of all communications, please keep your e-mail address updated. This can be done by:

- contacting your respective DP with whom you hold your demat account, in case shares are held in dematerialized form;
- submitting request to the Corporation or RTA, in case shares are held in physical form.

Pursuant to Regulation 12 of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is mandated to remit all dividend payments through electronic modes only. Consequently, physical pay-out options like dividend warrants or demand drafts have been entirely discontinued. You are therefore requested to update your PAN, KYC and bank details with your DP or RTA to receive your future dividend, if any.

For any assistance or queries, kindly reach out to Corporation's RTA at the following address:

Name & Registered Address	Contact Information
KFIN Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032	Email: einward.ris@kfintech.com Toll-Free: 1800 309 4001 WhatsApp: +91-91000-94099 Website: https://ris.kfintech.com/ Investor Support: https://korism.kfintech.com/

We look forward to your participation in the AGM.

Thanking you,

Yours sincerely,
For Life Insurance Corporation of India,

Sd/-
Anshul Kumar Singh
Company Secretary & Compliance Officer



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: investors@licindia.com; website: www.licindia.in

Date: July 03, 2026

Ref: Folio No./ DP Id & Client Id No: _____

Name of the Member(s): _____

Dear Member(s),

We are pleased to inform that the 5th Annual General Meeting (“AGM”/” Meeting”) of the members of the Life Insurance Corporation of India (“LIC” / “Corporation”) is scheduled to be held on Monday, July 27, 2026 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conference (“VC”) facility / Other Audio-Visual Means (“OAVM”) to transact the business as set out in the Notice of the 5th AGM.

Pursuant to the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”) read with rules and regulations made thereunder, Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”), Secretarial Standard – 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (“ICSI”) and various relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) and Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), from time to time, the listed entities are allowed to hold AGM through VC facility/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. Accordingly, the 5th AGM of the Corporation is being held through VC facility/OAVM only and please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Corporation in person. The deemed venue for the 5th AGM shall be Central Office of the Corporation.

The Notice of the 5th AGM and the Annual Report for the for FY 2025-26 can be accessed/downloaded using the following links:

Notice for convening the 5th AGM	Click here
Annual Report for the FY 2025-26	

The aforesaid documents are also available on the website of the Corporation at www.licindia.in and on the websites of Stock Exchanges where the equity shares of the Corporation are listed, i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). Additionally, the Notice of the 5th AGM is also available on the website of the e-voting service provider, i.e., National Securities Depository Limited (“NSDL”) at www.evoting.nsdl.com.

The Notice of the 5th AGM and the Annual Report for the FY 2025-26 are being sent in electronic mode to the members whose e-mail addresses are registered with their Depository Participant(s) (“DPs”)/ Registrar and Transfer Agent (“RTA”) of the Corporation, i.e., KFin Technologies Limited. In addition, pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is also sending a letter to the members whose email addresses are not registered with their respective DPs or RTA of the Corporation, providing them with weblinks and QR code to download and view the Notice of the 5th AGM and the Annual Report of the Corporation.

In compliance with the provisions of the LIC Act, 1956 read with the Life Insurance Corporation General Rules, 1956, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Secretarial Standard on General Meetings issued by ICSI and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, as amended and the relevant MCA Circulars, if any, the Corporation has appointed NSDL to provide remote e-voting facility to its members to cast their votes electronically on all business to be transacted at the AGM.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on cut-off date, i.e., Tuesday, July 21, 2026, may cast their votes through remote e-voting before the AGM or e-voting during the AGM. The remote e-voting facility would be available during the following period:

Remote E-voting Timelines

Item	Details & Schedule
E-voting Service Provider	National Securities Depository Limited (NSDL)
LIC EVEN (E-voting Event Number)	140008
Voting Start Date & Time	Thursday, July 23, 2026 at 09:00 a.m. (IST)
Voting End Date & Time	Sunday, July 26, 2026 at 05:00 p.m. (IST)
Cut-Off Date	Tuesday, July 21, 2026

Members participating in the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting before the Meeting, may exercise their right to vote during the Meeting. The remote e-voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL 15 minutes after the conclusion of the Meeting.

Detailed instructions regarding remote e-voting before or voting during the AGM are provided in Para 13 of the Notes of the Notice.

Members may note that:

1. Members can join the AGM through VC facility /OAVM thirty (30) minutes prior to and up to fifteen (15) minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting. Please refer Para 14 of the Notes of the Notice for instructions on attending the AGM through VC/OAVM.
2. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with the rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by ICSI.
3. Members who wish to submit their questions with regard to the business as set out in the Notice of the 5th AGM may do so by sending request from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID No /Folio No, PAN and mobile number at investors@licindia.com from 09:00 a.m. (IST) on Tuesday, July 21, 2026 until 05:00 p.m. (IST) on Thursday, July 23, 2026. Such questions by the members shall be suitably replied to by the Corporation.
4. Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their name, DP ID and Client ID No./Folio No, PAN and mobile number at investors@licindia.com between 09:00 a.m. (IST) on Wednesday, July 22, 2026 to 05:00 p.m. (IST) on Friday, July 24, 2026. The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

5. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and the e-voting user manual for the Shareholders/Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Shri Sanjeev Yadav, Deputy Manager from NSDL at evoting@nsdl.com.
6. The result of voting shall be announced within two working days from the conclusion of the AGM, i.e., on or before July 29, 2026 and will be available on the website of the Corporation at www.licindia.in as well as on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com. It will also be placed on the websites of stock exchanges, i.e., at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Pursuant to Regulation 12 of the SEBI Listing Regulations 2015, the Corporation is mandated to remit all dividend payments through electronic modes only. Consequently, physical pay-out options like dividend warrants or demand drafts have been entirely discontinued. Members are therefore requested to update/link their PAN, KYC and banking credentials (including Account Number, IFSC, and MICR code) to their respective folio(s) to receive future dividend pay-outs, if any.

For better service experience and timely receipt of all communications, please keep your e-mail addresses updated. Members holding shares in electronic form may intimate any change in their e-mail addresses to their DPs and members holding shares in physical mode may register their e-mail addresses by writing to the RTA of the Corporation at following address:

Name & Registered Address	Contact Information
KFIN Technologies Limited (Unit: Life Insurance Corporation of India) Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032	 Email: einward.ris@kfintech.com  Toll-Free: 1800 309 4001  WhatsApp: +91-91000-94099  Website: https://ris.kfintech.com/  Investor Support: https://kprism.kfintech.com/

We look forward to your participation in the AGM.

Thanking you,

Yours sincerely,

For Life Insurance Corporation of India,

Sd/-

Anshul Kumar Singh
 Company Secretary & Compliance Officer